आय-कर
विधान तथा लेखे
[Income Tax Law and Accounts]

लेखक
डॉ. आर. एस. पटेल, एम. कॉम., पी. एच. डी.
पूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग
माधव महाविद्यालय, उज्जैन
एव
एन. एल. चौधरी, एम. कॉम.
लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग
खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय, जयपुर

1997-98

चौधरी पब्लिशिंग हाउस
जयपुर

प्रस्तावना

'आय-कर विधान तथा लेखे' पुस्तक भारतीय विश्व-विद्यालयों के बी. काम. के विद्यार्थियो के लिये लिखी गई है, परन्तु यह पुस्तक ऐसे अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी रहेगी जो इस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं। इस पुस्तक की विषय सामग्री के मौलिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, फिर भी इसे इतने सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोधगम्य है। क्रियात्मक प्रश्नों को अनावश्यक रूप से जटिल नहीं बनाया गया है। क्रियात्मक प्रश्नों के चुनाव तथा निर्माण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रश्न व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी हों।

वित्त अधिनियम, 1997 की सभी व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। पिछले वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिये हैं, प्रस्तुत संस्करण में उनका भी उल्लेख यथास्थान किया गया है। आय-कर सम्बन्धी व्यवस्थाओं में वर्ष के दौरान अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, प्रस्तुत संस्करण में उनको भी ध्यान में रखा गया है। कराधान संशोधन अधिनियम, 1989 एवं कराधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा किये गये संशोधनों को भी यथास्थान सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत संस्करण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि अधिकांश व्यावहारिक प्रश्नों को यथासम्भव हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है।

अत्यन्त सावधानी के बावजूद भी इस विषय की पुस्तक में भूलें रह जाना स्वाभाविक है। पाठकों से निवेदन है कि, पुस्तक की कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें।

इस पुस्तक के संशोधन, मुद्रण एवं प्रकाशन में जिन व्यक्तियों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मार्ग दर्शन तथा सहयोग मिला है, उन सभी के प्रति हम हृदय से आभारी हैं। विशेष रूप से श्री एस. एस. मोदी, प्राचार्य, मोदी कॉलेज ऑफ कामर्स के हम अत्यधिक आभारी हैं जिनके सुझावों एवं सहयोग से पुस्तक का वर्तमान संस्करण और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

—लेखकगण

महत्त्वपूर्ण सूचना

[इस पुस्तक के क्रियात्मक प्रश्नों के हल एक अलग पुस्तक 'Practical Problems in Income-Tax' में प्रकाशित किये गये हैं। प्रत्येक क्रियात्मक प्रश्न के नीचे कोष्ठक मे दिया गया नम्बर उपरोक्त पुस्तक में दिये गये नम्बर को इंगित करता है।]

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या

1
परिचय एवं परिभाषायें
(Introduction and Definitions)

भारतीय राजस्व में आय-कर का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय राजस्व में आय-कर के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होने के दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो यह कि आय-कर भारत सरकार की आय का महत्वपूर्ण एवं लोचशील साधन है। दूसरे, देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक समानता लाने में इस कर से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकती है। हमारे देश में एक ऐसे समय में जबकि सरकार समाजवादी समाज की रचना करना चाहती है तथा आय एवं सम्पत्ति के असमान वितरण को दूर करना चाहती है, आय-कर का बड़ा महत्व है।

भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास

भारत में सर्वप्रथम सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आय-कर लगाया गया था। उस समय यह कर 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानियों को पूरा करने के लिए लगाया गया था। उस समय आय की करमुक्त सीमा 200 रु. वार्षिक थी जो बाद में 1862 में बढ़ाकर 600 रू. कर दी गई थी। सन् 1886 में पहली बार आय-कर सम्बन्धी विस्तृत अधिनियम पास किया गया और तभी से आय-कर भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण एवं स्थायी अंग बन गया था। 1916 में पहली बार आय-कर की प्रगतिशील दरें (Progressive Rates) लागू की गई। समय-समय पर इसमें आवश्यक संशोधन किये गये एवं यह अधिनियम 1917 तक चलता रहा। 1918 में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम पास किया गया था जिसकी प्रमुख विशेषता चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारण करना था।

1918 का अधिनियम केवल चार वर्ष ही प्रभाव में रहा और 1922 में इसके स्थान पर एक नवीन अधिनियम (आय-कर अधिनियम, 1922) (Income Tax Act, 1922) पास किया गया। इस अधिनियम में चालू वर्ष के सिद्धान्त को समाप्त करके गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम पास करने की व्यवस्था की गई।

इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन होते रहे। परन्तु 1939 में किये गये संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। 1956 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को 'ला कमीशन' (Law Commission) के सुपुर्द कर दिया। इस समय तक आयकर अधिनियम में बहुत अधिक संशोधन हो चुके थे और इन संशोधनों के कारण अधिनियम बहुत अधिक जटिल हो चुका था। अतः करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कर की चोरी रोकने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकार ने (Direct Taxes Administration Enquiry

Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की। इस समय तक सरकार इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचने लगी थी। अतः इस कमेटी की रिपोर्ट एवं 'ला कमीशन' की रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल, 1961 को यह बिल (Income-Tax Bill, 1961) लोकसभा में पेश किया गया तथा 1 मई, 1961 को यह बिल लोकसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सितम्बर, 1961 में वर्तमान आय-कर अधिनियम, 1961 (Income-Tax Act, 1961) लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। इस अधिनियम में कुल मिलाकर 298 धारायें एवं 12 अनुसूचियाँ है। इस अधिनियम की धारा 1 के अनुसार इसे आय-कर अधिनियम, 1961 कहते हैं। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारतवर्ष पर लागू होता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से लागू हुआ था।

आय-कर अधिनियम, 1961 में भी अनेक बार सशोधन किये जा चुके हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर Taxation Laws (Amendment) Act द्वारा भी परिवर्तन किये जाते रहे हैं। जितनी तेजी से भारत में आय कर अधिनियम में परिवर्तन हुए हैं उतनी तेजी से सम्भवतः विश्व के किसी भी देश में आय-कर से सम्बन्धित कानून में परिवर्तन नहीं हुए हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने एवं कर की चोरी को रोकने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम 1987 एवं प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित किये गये हैं। इन अधिनियमों द्वारा किये गये संशोधन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

आय-कर अधिनियम, 1961 में आय-कर की दरों का उल्लेख नहीं है। अतः सरकार प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम में उन दरों की घोषणा करती है जिनके आधार पर कर चुकाना पड़ता है। साधारणतः वित्तमन्त्री फरवरी माह के अन्तिम दिन संसद में वित्त विधेयक पेश करता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इसमें देरी भी हो जाती है। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम निर्धारित समय पर पारित नहीं हो पाता तो पिछले वर्ष की दरें अथवा वित्त बिल (जो अक्सर फरवरी माह के अन्तिम दिन केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा संसद के सम्मुख रखा जाता है) की प्रस्तावित दरें (जो करदाता के पक्ष में हों) कर-निर्धारण के लिए लागू होती हैं।

आय-कर सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं को भली प्रकार समझने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों का अध्ययन आवश्यक है—

(i) आय-कर अधिनियम, 1961 (पूर्णतया संशोधित)
(ii) आय-कर नियम, 1962 (पूर्णतया संशोधित)
(iii) वित्त अधिनियम (जो प्रत्येक वर्ष पारित किया जाता है)
(iv) प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र एवं स्पष्टीकरण;
(v) समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनायें, एवं
(vi) सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय।

महत्त्वपूर्ण परिभाषायें
(Important Definations)

किसी भी अधिनियम को भली-भाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयोग किये गये विशिष्ट शब्दों के अर्थ एवं क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर ली जाय। आय-कर अधिनियम

की धारा 2 व 3 में तथा आय-कर नियम, 1962 में अनेक ऐसे शब्दों की परिभाषा दी गई है जिनका प्रयोग अधिनियम में उसी अर्थ में किया गया है। कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषायें निम्नलिखित हैं—

1. आय (Income)

आय-कर चूँकि आय पर कर है अतः आय शब्द की परिभाषा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आय-कर अधिनियम में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है, केवल धारा 2 (24) में उन प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है जो आय में सम्मिलित की जाती हैं। इस धारा के अनुसार आय में निम्न मदें सम्मिलित की जाती हैं—

(i) लाभ;

(ii) लाभांश,

(ii-a) पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिये स्थापित प्रन्यास अथवा संस्था अथवा धारा 10 के वाक्यांश (21) अथवा वाक्यांश (23) में वर्णित संघ या संस्था अथवा धारा 10 के वाक्यांश 23C (iv) अथवा (v) में वर्णित कोष, प्रन्यास अथवा संस्था द्वारा प्राप्त ऐच्छिक चन्दे;

(iii) अनुलाभ (Perquisites) या वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ का मूल्य जो धारा 17 (2) और (3) के अन्तर्गत कर योग्य हो;

(iii-a) किसी कर्मचारी को अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु उपरोक्त वाक्यांश (iii) में वर्णित अनुलाभ के अलावा स्वीकृत विशिष्ट भत्ता एवं लाभ।

(iii-b) किसी कर्मचारी को ऐसे स्थान पर जहाँ सामान्यतया उसके पद अथवा नियोजन सम्बन्धी कार्य किया जाता है अथवा जहाँ वह सामान्यतया रहता है, उसके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु अथवा जीवन-निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत विशेष भत्ता;

(iv) कम्पनी के किसी संचालक या कम्पनी में समुचित हित रखने वाले व्यक्ति या इनके किसी सम्बन्धी को कम्पनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य तथा कम्पनी के द्वारा उक्त लोगों की ओर से किसी ऐसे दायित्व का भुगतान जो यदि कम्पनी नही करती तो इन लोगों को करना पड़ता;

(iv-a) प्रतिनिधि करदाता या लाभ प्राप्तकर्त्ता को प्राप्त किसी सुविधा या लाभ का मूल्य। परन्तु प्रतिनिधि करदाता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि जो लाभ प्राप्त कर्त्ता के लाभ के लिये की गई हो तो इसे लाभ प्राप्त कर्त्ता की आय माना जायेगा क्योंकि यदि प्रतिनिधि करदाता इसका भुगतान नहीं करता तो इसका भुगतान लाभ प्राप्तकर्त्ता को करना पड़ता।

(v) धारा 28 [ii], [iii], धारा 41 व 59 के अन्तर्गत कोई भी कर देय राशि। धारा 28 [ii] में वे राशियां हैं जो किसी व्यक्ति को किसी कम्पनी में उसके प्रबन्ध सम्बन्धी पद की समाप्ति या शर्तों में परिवर्तन पर प्राप्त होती हैं। धारा 28 [iii] के अन्तर्गत व्यापार या पेशे से सम्बन्धित ऐसोसिएशन की वह आय आती है जो सदस्यों को विशेष सेवा प्रदान करने से प्राप्त होती है। धारा 41 व 59 के अन्तर्गत वे प्राप्तियाँ आती हैं जो गत वर्ष में प्राप्त होती हैं मगर जिनके सम्बन्ध में

किसी गत वर्ष में छूट मिल गई थी। ऐसी छूट किसी खर्च, डूबत ऋण, हानि एवं ह्रास इत्यादि के सम्बन्ध में होती है;

(v-a) धारा 28 (iii) (a) के अन्तर्गत एक निर्यातकर्ता को स्वीकृत आयात लाइसेन्स की बिक्री से होने वाला लाभ;

(v-b) धारा 28 (iii) (b) के अन्तर्गत भारत सरकार की किसी योजना के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्यातों के बदले में दी गई नकद सहायता;

(v-c) धारा 28 (iii) (c) के अन्तर्गत किसी निर्यातकर्ता को वापस की गई अथवा वापस की जाने वाली उत्पादन शुल्क अथवा आयात-निर्यात कर की राशि;

(v-d) धारा 28 (iv) के अन्तर्गत कर देय कोई लाभ अथवा अनुलाभ जो किसी व्यापार अथवा पेशे के कारण उदय हुआ हो चाहे भले ही उसे मुद्रा में मापा जा सके अथवा नहीं;

(v-e) धारा 28 (v) के अन्तर्गत किसी फर्म के साझेदार को उस फर्म से प्राप्य अथवा प्राप्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। परन्तु उपरोक्त राशियाँ अथवा उनका कोई भाग धारा 40 (b) के अन्तर्गत नहीं घटाया गया हो तो जिस सीमा तक यह वहाँ नहीं घटाया गया हो उस सीमा तक यहाँ घटा दिया जायेगा;

(vi) धारा 45 के अनुसार कर योग्य पूंजी लाभ;

(vii) पारस्परिक बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय के लाभ जिनकी गणना धारा 44 के अनुसार की जाती है;

(viii) लाटरी, वर्ग पहेली (Crossword Puzzles), घुड़ दौड़ एवं अन्य प्रकार की दौड़, ताश के खेल एवं अन्य खेल, अथवा किसी भी प्रकार की शर्त एवं जुए में जीती गई रकम;

(ix) करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से प्रॉवीडेण्ट फण्ड, सुपरएनुएशन फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित फण्ड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु अन्य किसी फण्ड के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त राशि।

(x) 'महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी' के तहत प्राप्त की गई राशि जिसमें ऐसी पॉलिसी पर बोनस के रूप में आवंटित राशी भी सम्मिलित है। महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी का आशय वही है जो धारा 10(10D) के स्पष्टीकरण में वर्णित किया है। इसका वर्णन 'कर-मुक्त आय' वाले अध्याय में किया गया है।

टिप्पणी—यदि उपर्युक्त वाक्यांश (ix) में वर्णित राशि को नियोक्ता द्वारा देय तिथि तक कर्मचारी के सम्बन्धित फण्ड खाते में जमा करा दिया जाये तो नियोक्ता को व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में जमा की गई राशि की कटौती दे दी जायेगी। देय तिथि से आशय उस तिथि से है जिस तिथि तक कर्मचारी का सेवा के प्रसंविदे के अनुसार या किसी अधिनियम के अनुसार यह राशि कर्मचारी के सम्बन्धित फण्ड खाते में जमा कर देना चाहिये।

आय की परिभाषा का अपूर्ण एवं अस्पष्ट होना

आय की उक्त परिभाषा अपूर्ण एवं अस्पष्ट है और वास्तव में आय की कोई पूर्ण परिभाषा देना कठिन भी है। आय की परिभाषा देने में कर-जांच आयोग (Taxation Enquiry

Commission) ने भी अपने आपको असमर्थ पाया है। फिर भी कुछ ऐसे सिद्धान्त निश्चित किये जा सकते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं। ये सिद्धान्त उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों पर आधारित हैं —

(1) मुद्रा में प्राप्त होने वाली वह प्रत्येक धनराशि जो कुछ नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है, आय कहलाती है। आय के ये निश्चित साधन आय के विभिन्न शीर्षक है।

(2) यह आवश्यक नही है कि आय मुद्रा में प्राप्त हो। मुद्रा तुल्य पदार्थ में अथवा किसी वस्तु के रूप में मिलने वाली कोई प्राप्ति भी आय मानी जा सकती है, यदि उसे मुद्रा में मापा जा सकता है।

(3) किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई राशि आय है अथवा नहीं—इस बात का निर्धारण उसी समय हो जाता है जबकि वह व्यक्ति इस राशि को प्राप्त करता है। यदि कोई राशि प्राप्त होते समय आय नहीं थी किन्तु बाद में किसी कारण से आय बन जाती है तो उसे आय नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिये, किसी ठेके के अनुबन्ध को भंग करने के परिणामस्वरूप पेशगी के रूप में प्राप्त राशि को जब्त कर लिया जाना।

(4) आय हमेशा बाहर से प्राप्त होनी चाहिये। कोई व्यक्ति स्वयं से आय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई क्लब अपने सदस्यों को दी गई सेवा के बदले में उनसे चन्दा प्राप्त करता है तो वह चन्दा अथवा इस चन्दे में से व्यय करने के बाद बची हुई राशि आय नहीं कहलायेगी। क्लब को बाहरी व्यक्तियों की सेवा से प्राप्त होने वाली राशि क्लब की आय होगी।

(5) कानूनी अथवा गैर कानूनी दोनों तरीकों से कमाई गई आय पर कर देना पड़ता है। गैर कानूनी आय के सम्बन्ध में कर के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा सकती है।

(6) यह आवश्यक नहीं है कि आय नियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक अथवा त्रैमासिक ही प्राप्त हो। एक इकट्ठी मिली हुई रकम भी आय हो सकती है।

(7) यदि किसी करदाता ने कोई आय कमा ली है अथवा किसी आय को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो सम्बन्धित धनराशि को करदाता की आय माना जा सकता है, भले ही करदाता ने उसे अभी तक प्राप्त नही किया हो। उदाहरण के लिए, कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता को प्राप्य कमीशन—जो कम्पनी ने अपने चिट्ठे में दिखला दिया है, मगर प्रबन्ध अभिकर्त्ता को उस समय तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(8) आय की प्राप्ति किश्तों में भी हो सकती है अथवा एक मुश्त भी हो सकती है। वेतन, फीस, कमीशन आदि किश्तों में नहीं मिलकर एक मुश्त भी मिलते हैं तब भी कर-योग्य हैं।

(9) यदि किसी आय के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उससे उन व्यक्तियों के कर-निर्धारण को टाला नहीं जायेगा। ऐसी विवादास्पद आय पर आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कर देना पड़ता है।

(10) यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यय से छुटकारा मिल जाता है तो यह उसकी आय नहीं मानी जाती है। उदाहरण के लिए किसी ऋणपत्रधारी द्वारा कम्पनी को ब्याज छोड़ दिया जाना।

(11) व्यक्तिगत उपहार, जैसे शादी-विवाह के उपहार अथवा जन्म-दिन पर उपहार, आय नहीं मानी जाती है।

विशिष्ट वाक्यों का स्पष्टीकरण—पृष्ठ संख्या 3 पर वर्णित वाक्यांश (ii-a) एवं (iv) में कुछ विशिष्ट वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यांशों को अधिनियम में अलग से परिभाषित किया गया है। अतः इन वाक्यांशों को इस धारा में भी उसी अर्थ में समझा जाना आवश्यक है। कुछ प्रमुख वाक्यांश निम्नलिखित है—

(अ) **पुण्यार्थ उद्देश्य**—पुण्यार्थ उद्देश्यों में गरीबों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार तथा अन्य कोई सामान्य जनता की भलाई के उद्देश्य सम्मिलित हैं।

(ब) **व्यक्ति जिसका कम्पनी में समुचित या सारवान हित हो**—एक कम्पनी के सम्बन्ध में समुचित हित रखने वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो कम्पनी के उन अंशों का मालिक है, जिन पर लाभांश की एक निश्चित दर नहीं है तथा जो कम्पनी के कुल मतों के 20% या अधिक पर अधिकार रखता है।

(स) **सम्बन्धी**—एक व्यक्ति के लिये सम्बन्धी से आशय उसके पति या पत्नी, भाई या बहिन या अन्य किसी वंशज (Leneal ascendant or descendant) से है। वंशज में माता-पिता, दादा-दादी, पुत्र-पुत्री इत्यादि आते हैं।

2. व्यक्ति (Person) –

आय-कर अधिनियम की धारा 2 (31) के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) एक व्यष्टि (Individual), इसमें पागल, अवयस्क, स्त्री एवं पुरुष सभी को शामिल किया जाता है।
(ii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family),
(iii) कम्पनी (Company);
(iv) फर्म (Firm);
(v) व्यक्तियो का समुदाय (Association of persons) चाहे वह समामेलित हो अथवा नहीं; जैसे—सहकारी समिति, क्लब आदि।
(vi) एक स्थानीय सत्ता (Local Authority)। स्थानीय सत्ता में नगरपालिका, नगर-निगम, जिला परिषद्, पोर्टट्रस्ट आदि आते है;
(vii) प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (Artificial Juridical Person) जो उपर्युक्त में किसी श्रेणी में शामिल न किया जा सके। जैसे—किसी मन्दिर के ठाकुरजी।

3. करदाता (Assessee) –

धारा 2 (7) के अनुसार, करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि उस अधिनियम के अन्तर्गत देय हो। अन्य कोई राशि से अभिप्राय है किसी आर्थिक दण्ड अथवा कर की बकाया राशि पर देय ब्याज आदि। इसके अतिरिक्त करदाता की परिभाषा में निम्नांकित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।

(i) वह प्रत्येक व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं की या अन्य किसी व्यक्ति की आय या हानि पर कर-निर्धारण के लिये अथवा वापसी के लिए कोई कार्यवाही की गई हो।

(ii) वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत करदाता मान लिया गया हो।

(iii) वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था में त्रुटि करने के कारण करदाता मान लिया गया हो। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आय में से उद्गम स्थान पर कर काटने के लिये उत्तरदायी है, मगर काटता नहीं या काट कर सरकार के पास जमा नहीं कराता तो वह भी इस त्रुटि के कारण करदाता माना जायेगा।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नही है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की आय के सम्बन्ध में ही करदाता हो। अनेक ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जबकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की आय पर कर चुकाना पड़ता है और वह दूसरे व्यक्तियों की आय के सम्बन्ध में करदाता माना जाता है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

(अ) मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि उस कर के सम्बन्ध में करदाता माना जाता है जो मृतक व्यक्ति को देना चाहिए था।

(ब) किसी विदेशी व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में उसका कोई एजेण्ट यदि भारत में हो तो वह करदाता माना जाता है।

(स) उस आय के लिये जो किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये प्राप्त होती है, ट्रस्टी करदाता माने जाते हैं।

(द) एक अवयस्क, पागल या मूढ़ (Idiot) व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में उसका अभिभावक (Guardian) या मैनेजर जिसे उसकी आय प्राप्त करने का अधिकार हो या जिसके अधिकार में इसकी आय हो, करदाता माना जाता है।

इसके विपरीत यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से समझौते के परिणामस्वरूप उसका कर चुकाने का वचन देता है तो आय-कर विभाग मूल करदाता को ही कर चुकाने के लिए कहेगा, क्योंकि इन दोनों पक्षों के मध्य जो समझौता हुआ है उसमें आय-कर विभाग कोई पक्षकार नहीं है।

4. कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year)

कर-निर्धारण वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारम्भ होती है तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है। इसे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। वर्तमान समय में कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 चल रहा है, जो 1 अप्रैल, 1997 से प्रारम्भ हुआ है तथा 31 मार्च, 1998 को समाप्त होगा। कर-निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।

5. गत वर्ष (Previous Year)

करदाता प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में उससे सम्बन्धित गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है अत: गत वर्ष की परिभाषा का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

आय-कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गत वर्ष से आशय कर-निर्धारण वर्ष के तुरन्त पहले वाले वित्तीय वर्ष से है। चूंकि कर-निर्धारण वर्ष प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होता है अत: गत वर्ष से आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो कर-निर्धारण वर्ष के आरम्भ होने के तुरन्त पहले अर्थात् 31 मार्च को समाप्त होती है।

कर-निर्धारण वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में स्थापित किये गये व्यापार अथवा पेशे के लिए गत वर्ष—ऐसे व्यापार अथवा पेशे का गत वर्ष व्यापार अथवा पेशे के स्थापित होने की तिथि को प्रारम्भ होता है तथा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त हुआ माना जाता है चाहे यह अवधि एक वर्ष से कम ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, एक करदाता 1-7-1996

को नया व्यापार प्रारम्भ करता है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसका गत वर्ष केवल 9 माह की अवधि का ही होगा जो 1-7-1996 से प्रारम्भ होगा तथा 31 मार्च, 1997 को समाप्त होगा। परन्तु आगे के वर्षों में उसके गत वर्ष की अवधि 12 महीने की ही होगी जो 1 अप्रैल को प्रारम्भ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी।

चालू वर्ष की आय पर कर लगाना—

साधारणतया करदाता कर-निर्धारण वर्ष में अपनी गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है परन्तु कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जिनमें करदाता को अपनी चालू वर्ष की आय पर कर देना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं—

(1) अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय—अनिवासी करदाताओं को भारतीय बन्दरगाह से सामान, डाक, पशु तथा यात्रियों को ले जाने के सम्बन्ध में जहाज के मालिक को प्राप्त अथवा प्राप्य आय का $7\frac{1}{2}\%$ कर योग्य आय मानी जाती है और उसे चालू वर्ष में ही इस आय पर कर चुकाना पड़ेगा, यदि उसका कोई एजेन्ट भारत में नही हो। (धारा 172)

(2) वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय—कोई व्यक्ति भारत छोडकर जा रहा हो और उसके बारे में निर्धारण अधिकारी का यह विचार हो कि इस व्यक्ति का भारत वापस लौटने का इरादा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से जिस कर-निर्धारण वर्ष में वह जा रहा है उससे सम्बन्धित गत वर्ष के बाद जाने की सम्भावित तिथि तक कमाई गई आय पर उसी वर्ष में कर चुकाने को कहेगा। (धारा 174)

(3) कर बचाने के लिए सम्पत्ति का हस्तान्तरण—यदि निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण दूसरे व्यक्ति को कर बचाने के उद्देश्य से करने वाला है तो वह उसकी आय पर उसी समय कर-निर्धारण करेगा। (धारा 175)

(4) व्यापार बन्द करने पर—किसी व्यापार या पेशे के बन्द होने पर उस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के बाद से व्यापार या पेशा बन्द किये जाने की तिथि तक के लाभों पर तुरन्त ही कर-निर्धारण कर सकता है। (धारा 176)

प्रथम तीन परिस्थितियों में निर्धारण अधिकारी को अनिवार्य रूप से चालू वर्ष में कर-निर्धारण करना पड़ेगा जबकि चतुर्थ स्थिति में वह कर निर्धारण की कार्यवाही को कर-निर्धारण वर्ष के लिये स्थगित कर सकता है।

6. आकस्मिक आय (Casual Income)

आकस्मिक आय से अभिप्राय उन प्राप्तियों से होता है जो आकस्मिक प्रकृति की हों और बार-बार प्राप्त होने वाले स्वभाव की न हों। ऐसी आय एक वर्ष में 5,000 रु. तक कर मुक्त होती है परन्तु किसी भी प्रकार की दौड़ एवं घुड़दौड़ में जीती गई इनाम 2,500 रु. तक ही कर मुक्त होती है। इसका विस्तृत विवरण आगे कर-मुक्त आय वाले अध्याय में किया गया है।

7. कृषि आय (Agricultural Income)

कृषि आय की परिभाषा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह आय केन्द्रीय आय-कर से मुक्त है और इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है।[1]

---

1 वित्त अधिनियम 1973 के अनुसार व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा देय कर की गणना करते समय कुल आय में 'शुद्ध कृषि आय' को जोड़कर एक विशेष ढंग से आयकर की गणना की जाती है जिसका विस्तृत विवरण 'कर की गणना' वाले अध्याय में किया गया है।

कृषि आय की परिभाषा आय-कर अधिनियम की धारा 2 (1) में दी हुई है। कृषि आय से अभिप्राय निम्नांकित आयों से है—

(क) भारत में स्थित किसी ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 2 (14) (iii) (a) एवं (b) में वर्णित भूमि के हस्तान्तरण से होने वाली किसी आय को भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त प्रकार की भूमि (अर्थात् ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है एवं कृषि कार्य में प्रयोग की जाती है) से प्राप्त आय जो कृषि करने से अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया के करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त की गई हो।

(ग) उपरोक्त प्रकार की भूमि से लगे हुए किसी मकान की आय जिसका प्रयोग किसान द्वारा अथवा भूमि के मालिक द्वारा अपने रहने अथवा पशुओं को रखने अथवा भण्डार गृह के रूप में किया जाता है। इसके लिए निम्नांकित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

(i) ऐसी भूमि पर भारत में कोई लगान लगता हो अथवा अन्य कोई स्थानीय कर लगता हो जो सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं वसूल किया जाता हो; अथवा

(ii) यदि उस भूमि पर स्थानीय कर नहीं लगता है तो वह भूमि ऐसी नगरपालिका अथवा कन्टोनमैन्ट बोर्ड की सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए जिसकी आबादी 10,000 अथवा अधिक हो।

यदि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी नगरपालिका या कन्टोनमैन्ट बोर्ड के सम्बन्ध में अलग से अधिसूचना जारी करती है तो यह भूमि उस अधिसूचना में उल्लिखित दूरी के भीतर स्थित नहीं होनी चाहिये। यह दूरी अधिक से अधिक 8 किलोमीटर हो सकती है।

कृषि आय की उपरोक्त परिभाषा में *'कृषि के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना'* वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। कृषि आय की परिभाषा को अच्छी तरह समझने के लिए इस वाक्यांश का स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना—कृषि करने के लिए कृषक को भूमि को तैयार करने से लेकर फसल को कटवाकर बेचने तक अनेक क्रियायें करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं में से कौन-कौन सी क्रियाओं को कृषि कार्य में सम्मिलित किया जाये, यह वास्तव में एक जटिल प्रश्न है फिर भी विभिन्न न्यायाधीशों के निर्णय के आधार पर इन क्रियाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। एक निर्णय के अनुसार इन क्रियाओं को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रारम्भिक क्रियायें एवं दूसरी बाद की क्रियायें। प्रारम्भिक क्रियायें उन क्रियाओं को कहा गया है जो कृषक पौधा निकलने के पहले करता है। जैसे—भूमि को जोतना, भूमि में पानी देना, बीज बोना आदि। बाद की क्रियाओं में वे क्रियायें शामिल की गई हैं जो भूमि से पौधा निकलने के बाद की जाती हैं। जैसे—निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना और पौधों की कीड़ों व अन्य जानवरों से रक्षा करना आदि। इनमें से प्रारम्भिक क्रियाओं को ही कृषि कार्य में शामिल किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि भूमि को जोता गया हो, पानी दिया गया हो तथा बीज बोया गया हो तो यह मान लिया जायेगा कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर कहा जाता है कि स्वत उगने वाले बांस, वृक्ष अथवा जंगली घास से प्राप्त होने वाली आय कृषि-आय नहीं कही जा सकती। इतना ही नही यदि कोई व्यक्ति खड़ी फसल को खरीद लेता है और फिर उसे काट-कर बेचता है तो उसको इस तरह होने वाली आय भी कृषि-आय नही कहला सकती क्योंकि कृषि कार्य नहीं किया गया है।

कृषि-आय के प्रकार (Kinds of Agricultural Income)

(1) **भूमि से प्राप्त किराया**—यदि कोई भूमि का मालिक अपनी भूमि पर कृषि करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है और वह अन्य व्यक्ति वास्तव में उस पर कृषि करता है तो भूमि के मालिक को इस अन्य व्यक्ति (किसान) से मिलने वाली राशि किराया कहलाती है और उसे कृषि-आय में सम्मिलित किया जाता है। यह किराया मुद्रा अथवा वस्तु किसी में भी प्राप्त किया जा सकता है।

(2) **भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय**—यदि कोई व्यक्ति (भूमि का मालिक, किरायेदार, भूमि गिरवी रखने वाला अथवा अन्य कोई व्यक्ति) भूमि पर खेती करता है तो खेती से प्राप्त आय कृषि आय कहलाती है। खेती करने से हमारा अभिप्राय भूमि जोतने, पानी देने एवं बीज बोने आदि क्रियाओं से है।

(3) **अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय**—यदि कृषक अपने खेत में उत्पन्न उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ ऐसी क्रियायें करता है जो साधारणतया आवश्यक होती है, तो ऐसी क्रिया से प्राप्त आय भी कृषि आय होती है। ऐसी क्रियाओं से प्राप्त आय का यहाँ अर्थ है, फसल के विक्रय मूल्य में वृद्धि होने के कारण होने वाला लाभ। जूट के पौधे से रेशा निकालना एवं उसकी सफाई करना, कॉफी या तम्बाकू को विक्रय योग्य बनाना इत्यादि ऐसी ही कुछ क्रियायें हैं। भूमि के मालिक को किराये के रूप में प्राप्त वस्तु पर ऐसी क्रियाओं को करने से होने वाली आय कृषि-आय होती है। परन्तु खरीदी हुई फसल पर ऐसी क्रियाओं को करने से होने वाली आय कृषि-आय नही कहलाती है। सरसों से तेल निकालना एवं ईख से गुड़ या खांड बनाना तथा कपास से बिनौला अलग करना ऐसी क्रियाओं में शामिल नहीं होता। ऐसी क्रियाओं का किया जाना उसी दशा में आवश्यक माना जाता है जबकि वस्तु को बिना इन क्रियाओं को किये हुए बाजार में नहीं बेचा जा सकता हो। साथ ही इन क्रियाओं से वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(4) **किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आय**—यदि कोई कृषक अपनी स्वय की दूकान खोलकर अपनी पैदावार को ऊँची कीमत पर बेचता है तथा अधिक आय प्राप्त करता है तो समस्त आय उसके लिए कृषि-आय होती है। किसान द्वारा अन्य व्यक्ति की फसल को बेचने से होने वाली आय (लाभ) कृषि-आय नही होती है। परन्तु भूमि का मालिक किराये के रूप में प्राप्त उपज को अपनी स्वयं की दुकान खोलकर भी बेचता है तो उसके द्वारा इस प्रकार प्राप्त आय कृषि-आय होती है।

(5) **कृषि के काम आने वाले मकान की आय**—यदि कोई मकान कृषि-भूमि से लगा हुआ है और उस मकान का उपयोग कृषक के द्वारा अपने रहने के लिए या भण्डारगृह के लिए किया गया है तो इस मकान से होने वाली आय कृषि-आय मानी जाती है बशर्ते कि कृषि भूमि आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर देती है। इन शर्तों का उल्लेख पृष्ठ नं. 9 पर किया गया है।

अंशतः कृषि-आय (Partly Agricultural Income)

कुछ आयें ऐसी होती है जिनमें कुछ तत्व कृषि से सम्बन्धित होते हैं और कुछ व्यापार से सम्बन्धित। उदाहरण के लिए, ऐसी चीनी मिलों की आय जो अपने स्वयं के खेत पर गन्ना उगाती हैं अथवा ऐसी आटा मिलों की आय जो अपने स्वयं के खेत पर गेहूँ उगाती है। इनकी कुल आय में एक अंश कृषि-आय का होता है तथा शेष आय व्यापारिक आय या कर-योग्य आय होती है। कर-योग्य आय का अंश मालूम करने के लिए कम्पनी द्वारा स्वयं अपने फार्म पर उत्पादित माल का बाजार मूल्य जिसे कम्पनी ने कच्चे माल के रूप में काम में लिया है, घटा दिया जाता है। चूंकि ऐसे माल का बाजार मूल्य घटा दिया जाता है, अतः ऐसे माल को पैदा करने अथवा कृषि करने के खर्चों को दुबारा नहीं घटाया जाता है। यहाँ बाजार मूल्य से आशय निम्नलिखित है—

(अ) यदि वह उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो उसका औसत बाजार मूल्य;

(ब) यदि वह उपज साधारणतया बाजार में नहीं बिकती तो निम्न रकमों का योग उस वस्तु का उचित बाजार मूल्य मानते हैं।

(i) कृषि सम्बन्धी व्यय; (ii) भूमि का लगान व किराया; और (iii) आय-कर अधिकारी की दृष्टि से लाभ की उचित मात्रा।

चाय के उत्पादन से आय—ऐसे करदाताओं की जो चाय का उत्पादन एवं निर्माण करके विक्रय करते है, 60% आय कृषि-आय मानी जाती है तथा 40% आय व्यापारिक आय अथवा कर योग्य आय होती है। ऐसी आय की गणना करने के लिए उन समस्त पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाएगा जो मरे हुए पौधों के स्थान पर लगाये जाते हैं। यदि करदाता चाय बोर्ड से कोई अनुदान (Subsidy) प्राप्त करता है और यह अनुदान धारा 10 (30) के अनुसार कर-मुक्त है तो इसे चाय उगाने की लागत में से नही घटाया जाएगा।

निम्नलिखित प्राप्तियाँ कृषि-आय नही है—

(i) अंशधारी को कम्पनी से उसकी कृषि-आय में से लाभांश,
(ii) भूमि पर लगने वाले मेलों व नुमाइशों की आय;
(iii) मछली क्षेत्र से होने वाली आय;
(iv) खानों से प्राप्त रायल्टी या खनिज पदार्थों के निकालने से आय;
(v) सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय;
(vi) लाख की खेती करने से होने वाली आय;
(vii) तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त आय;
(viii) भूमि पर ईटो के भट्टे बनाने से होने वाली आय;
(ix) समुद्री पानी से सोडियम क्लोराइड निकालने से होने वाली आय;
(x) डेरी फार्म की आय;
(xi) कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक;
(xii) जंगली घास, बाँस व अपने आप उगे वृक्षों की बिक्री से आय;
(xiii) ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि में काम न आने वाले पशुओं के चारागाह के लिए किया जाता है।

(xiv) कृषि कार्यों के लिए प्रयोग की गई भूमि के सम्बन्ध में किराये की बकाया रकम का ब्याज।

उदाहरण—

भारत में स्थित भूमि से प्राप्त निम्नलिखित राशियाँ कृषि आय हैं अथवा नहीं—

(1) कृषि के काम में आने वाले पशुओं को चराने के लिए दी गई भूमि से प्राप्त किराया।

(2) एक फर्म के साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन, जबकि फर्म कृषि कार्य में संलग्न हो।

(3) किसान द्वारा अपनी फसल का उत्पादन अधिक होने के कारण जीती गई इनाम।

(4) तूफ़ान से फसल नष्ट हो जाने के कारण बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम।

(5) तम्बाकू को सुखाकर बेचने से होने वाली आय।

(6) हरी चाय को उपभोग योग्य बनाकर बेचने से होने वाली आय।

(7) कृषि कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली जमीन की साधारण गिरवी पर उधार दी गई रकम से ब्याज की आय।

हल :

(1) कृषि के काम आने वाले पशुओं को चराने के लिए दी गई भूमि से प्राप्त किराया कृषि-आय माना गया है।

(2) फर्म के साझेदार को कृषि फर्म से प्राप्त वेतन कृषि आय मानी जायेगी क्योंकि साझेदार को प्राप्त वेतन फर्म की आय का समायोजन होता है।

(3) यह कृषि आय नहीं है। इसे आकस्मिक आय कहा जायेगा।

(4) फसल नष्ट होने के कारण बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि-आय है।

(5) यह कृषि-आय है, क्योंकि तम्बाकू को बेचने के लिए उसे सुखाना आवश्यक है।

(6) हरी चाय को बाजार में बिना प्रक्रिया किये ही बेचा जा सकता है। अतः हरी चाय को उपभोग योग्य बनाने के लिए की गई प्रक्रिया से होने वाली आय कृषि-आय नहीं होगी।

(7) यह कृषि-आय नहीं है। यह ब्याज की आय है जिस पर व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर लगाया जायेगा।

8. सकल कुल आय (Gross Total Income)

सकल कुल आय से अभिप्राय उस आय से है जिसकी गणना करदाता के निवास स्थान के आधार पर आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत की गई हो तथा जिसमें हानियों की पूर्ति सम्बन्धी समायोजन कर दिया गया हो, परन्तु जिसमें धारा 80-CCC से 80-U के अन्तर्गत प्राप्त कटौतियाँ नहीं घटाई हों।

9. कुल आय (Total Iucome)

कुल आय से अभिप्राय उस आय से है जिसकी गणना करदाता के निवास स्थान के आधार पर आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत की जाती है। आय के यह विभिन्न शीर्षक वेतन, मकान-सम्पत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे के लाभ, पूँजी लाभ अथवा अन्य साधनों की आय हैं। इन विभिन्न शीर्षकों की आय को अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार

समायोजित करने के पश्चात् तथा धारा 80-CCC से धारा 80-U के अन्तर्गत की गई कटौतियाँ कम करने के बाद जो आय आती है वह कुल आय (Total Income) कहलाती है।

प्रश्न

(Questions)

1. आय क्या है ? आय-निर्धारण के मूल-भूत सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये।

   What is Income ? Explain the fundamental principles of determining income. (Raj. B.Com. 1986 & Vikram B. Com. 1992)
2. गत वर्ष में हुई आय पर अगले कर-निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है। इस नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिए।

   Income-tax is assessed on the Income of the previous year in the next assessment year. State the exception to this rule.
   (Raj. B. Com. 1990, Indore B. Com. 1990 &Sagar B. Com. 1989)
3. "आयकर गत वर्ष की आय पर लगता है।" क्या आप इससे पूर्णत: सहमत हैं ? यदि नहीं तो अपवाद बताइये।

   "Income tax is charged on the income of the previous year." Do you fully agree with this statement? If not, what are the exceptions ?
   (Indore B. Com. 1997)
4. कृषि-आय की परिभाषा दीजिये। ऐसी आयों के उदाहरण दीजिये जो भूमि से तो सम्बन्धित हों लेकिन कृषि-आय न हों।

   Define agricultural income. Give example of incomes which are related to land, but are not agricultural income.
   (Raj. B. Com. 1985 & Sagar M.Com. 1992)
5. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए—

   (1) गत वर्ष। (2) करदाता। (3) कृषि-आय। (4) कर-निर्धारण वर्ष। (5) आय।

   Write short notes on the following—

   (1) Previous year. (2) Assessee. (3) Agricultural Income. (4) Assessment year. (5) Income.

क्रियात्मक प्रश्न (Numerical Questions)

1. निम्नलिखित आय कृषि-आय है अथवा नहीं ? आय-कर के दृष्टिकोण से विवेचना कीजिए—
   (i) भारत में किसी ऐसी भूमि को किराये पर उठाने से प्राप्त आय जिसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिये किया जाता है।
   (ii) ऊटी (भारत) में चाय बागानों से आय।
   (iii) भूमि पर स्वत: उगे पेड़ पौधों से होने वाली आय।
   (iv) भारतीय कम्पनी से जिसकी सम्पूर्ण आय 'कृषि-आय' है प्राप्त लाभांश।
   (v) कृषि-कार्यों के लिए ट्रेक्टर आदि किराये पर देने से आय।

   Whether the following incomes are agricultural income ? Discuss from the income tax point of view :

(i) Income received from letting of a land situated in India, which is used for agricultural operations.
(ii) Income from tea gardens in Ooty (India).
(iii) Income from trees and plants grown by nature on the land.
(iv) Dividend received from an Indian company, the entire income of which is agricultural income.
(v) Income from letting of tractors etc. for agricultural purposes.

(Ravi. B. Com. 1992) [1]

उत्तर—(i) है (ii) है (iii) नहीं (iv) नही (v) नहीं।

2. निम्नलिखित आय कृषि आय है अथवा नहीं ? आय-कर के दृष्टिकोण से विवेचना कीजिए—
(i) कृषि कार्यों में लगी हुई फर्म के साझेदार द्वारा पूँजी पर प्राप्त ब्याज।
(ii) स्वामी द्वारा किरायेदार की फसल को बेचने पर प्राप्त कमीशन।
(iii) ढ़ाका (बगलादेश) में चाय के बगीचों से आय।
(iv) कृषि कार्यों में प्रयुक्त पशुओं को चराने के लिये पट्टे पर दी गई भूमि से आय।
(v) साहूकार द्वारा कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त ब्याज।
(vi) सिंचाई के लिये दिये गये पानी के मूल्य के बदले प्राप्त कृषि उत्पाद के विक्रय से आय।
(vii) अपनी भूमि पर पैदा गन्नों से गुड़ बनाकर बेचने से आय।
(viii) फसल को भण्डार करने हेतु किराये पर उठाई गई भूमि से प्राप्त किराया।
(ix) आटा मिल के लिए प्रयोग में आ रही भूमि का किराया।
(x) नेपाल में कृषि भूमि से प्राप्त किराया।

Whether the following incomes are agricultural income ? Discuss from the income tax point of view:
(i) Interest on capital received by partner from the firm engaged in agricultural operations.
(ii) Commission earned by the landlord for selling agricultural produce of his tenant.
(iii) Income from tea garden in Dhaka (Bangla Desh)
(iv) Income from land leased for grazing the cattle used for agricultural purposes.
(v) Interest received by a money lender in the form of agricultural produce.
(vi) Income on sale of agricultural produce received by way of price for water supplied to land.
(vii) Income from sale of gur converted from sugarcane raised on one's own field.
(viii) Rent of a land let out for storing agricultural produce.
(ix) Rent of land used for a flour mill

(x) Rent received from agricultural land in Nepal. [2]

उत्तर—(i) है (ii) नहीं (iii) नहीं (iv) है (v) नही (vi) नहीं (vii)नहीं
(viii) नहीं (ix) नहीं (x)नहीं।

3 एक्स ने एक नया व्यापार 1 मार्च, 1996 को स्थापित किया। कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 एव 1997-98 के लिये गत वर्ष क्या होगा, यह मानते हुये कि नव स्थापित व्यापार के पहले उसके कोई आय का साधन नहीं था ?

X set up a new business on 1 March, 1996. What is the previous year for the assessment year 1996-97 and 1997-98, assuming he does not have any other source of income prior to set up of the new business ? [3]

उत्तर—(i) 1 मार्च, 1996 से 31 मार्च, 1996 एवं
(ii) 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997.

■■■

2
निवास-स्थान एवं कर-दायित्व
(Residence and Tax-Liability)

करदाताओं का निवास-स्थान

आय-कर अधिनियम में करदाता के निवास-स्थान का बहुत अधिक महत्त्व है क्योंकि सभी प्रकार के करदाताओं का कर-दायित्व उनके निवास-स्थान पर निर्भर करता है। धारा-6 के अनुसार निवास स्थान के दृष्टिकोण से करदाताओं की निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ हैं—

(1) भारत में निवासी (Resident in India)

(2) भारत में असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident in India), और

(3) अनिवासी (Non-resident)।

उपरोक्त तीन श्रेणियों के कर-दाताओं के निवास-स्थान का निर्धारण गत वर्ष के सम्बन्ध में होता है। कर-निर्धारण वर्ष का निवास-स्थान महत्त्वहीन है। प्रत्येक गत वर्ष में निवास-स्थान का निर्धारण अलग-अलग होता है। एक करदाता जो अनेक वर्षों से भारत में निवासी हो और किसी एक गत वर्ष में भारत में बिल्कुल भी न रहा हो तो उस गत वर्ष के लिये वह अनिवासी हो जाएगा।

विभिन्न प्रकार के करदाताओं (व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, कम्पनी इत्यादि) के निवास-स्थान को निर्धारित करने से सम्बन्धित नियम अलग-अलग हैं। ये निम्नलिखित हैं—

व्यष्टि का निवास स्थान (Residence of an Individual)

एक व्यष्टि के निवास-स्थान का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के आधार पर होता है—

निवासी (Resident) – निवासी होने के लिए एक व्यष्टि को निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी करना आवश्यक होता है—

(1) प्रथम शर्त में दो परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें से किसी भी एक के पूरी होने पर प्रथम शर्त पूरी हुई मानी जाती है। प्रथम शर्त की ये दो परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

(अ) यदि यह व्यष्टि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो।

यह आवश्यक नहीं है कि वह इस अवधि के लिए भारत में लगातार रहे। वह जब चाहे और जितनी बार चाहे, विदेश जा सकता है। उसके गत वर्ष में भारत में रहने की कुल अवधि का योग मालूम कर लिया जायेगा और वह 182 दिन से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह इस अवधि के लिए एक ही स्थान पर रहे। वह अपने रहने के स्थान को चाहे तो बार-बार बदल सकता है, कभी एक होटल में, कभी दूसरे

होटल में, और कभी धर्मशाला में। यहाँ तक कि भारत की पानी की सीमा में जहाज पर ठहरना भी भारत में रहना माना जाता है।

(ब) यदि वह व्यष्टि गत वर्ष के तुरन्त पहले के चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा है और गत वर्ष में भी वह कम से कम 60 दिन भारत में रहा है। यहाँ पर भी करदाता का 365 दिन एवं 60 दिन लगातार रहना आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण—

(i) ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक है तथा जो किसी भी गत वर्ष में भारत के बाहर रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है अथवा जो किसी भारतीय समुद्री जहाजी बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में गत वर्ष 1989-90 में अथवा बाद के किसी गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है तो उस गत वर्ष में ऐसे व्यष्टि करदाता को उप वाक्य (ब) के अनुसार निवासी उसी दशा में माना जायेगा जबकि वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। वास्तव में ऐसे व्यष्टियों के लिए विकल्प—'ब' महत्वहीन हो जाता है। ऐसे व्यष्टियों की प्रथम शर्त गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहने पर ही पूरी होती है।

(ii) ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है तथा जो विदेश में रह रहा है, किसी भी गत वर्ष में भारत आता है तो उप वाक्य (ब) के अनुसार उस व्यष्टि को उस गत वर्ष में निवासी उसी दशा में माना जायेगा जबकि वह कम से कम 182 दिन उस गत वर्ष में भारत में रहा हो।

1. कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1989-90 तक यह अवधि 90 दिन थी।
कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक यह अवधि 150 दिन थी।

यदि कोई व्यष्टि स्वयं अथवा उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उस व्यष्टि को भारतीय मूल का माना जाता है।

(2) यदि वह व्यष्टि गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो। दूसरे शब्दों में उसने 10 वर्षों में से 9 वर्ष के लिए उपरोक्त प्रथम शर्त को पूरा किया हो।

(3) यदि वह गत वर्ष से तुरन्त पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो।

असाधारण निवासी व्यष्टि (Not ordinarily resident Individual)

यदि कोई व्यष्टि निवासी होने के लिए उल्लिखित तीन आवश्यक शर्तों में से प्रथम शर्त को पूरी कर देता है किन्तु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्त पूरी नहीं करता तो वह व्यष्टि असाधारण निवासी कहलायेगा।

अनिवासी व्यष्टि (Non-resident Individual)

अनिवासी व्यष्टि वह होता है जो निवासी होने के लिए आवश्यक तीन शर्तों में से प्रथम शर्त की पूर्ति नहीं करता। दूसरे शब्दों में प्रथम शर्त में बताई गई दो परिस्थितियों में से किसी भी एक की पूर्ति नहीं करता। यदि कोई व्यष्टि दूसरी और तीसरी शर्तें तो पूरी कर देता है परन्तु प्रथम शर्त की दो परिस्थितियों में से किसी भी एक की पूर्ति नहीं करता तो ऐसा व्यष्टि अनिवासी ही समझा जायेगा।

Illustration 1. आय-कर अधिनियम के अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निम्नलिखित व्यष्टियों की निवास-स्थान सम्बन्धी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी लिखें—

(अ) श्री मोहनलाल 31 जुलाई, 1989 को जापान से प्रथम बार भारत आये। वे यहाँ लगातार चार वर्ष तक रहे तथा 1 अगस्त, 1993 को पाकिस्तान चले गये। 1 मई, 1994 को वह भारत लौटे और यहाँ 30 जुलाई, 1995 तक रहे तथा 31 जुलाई, 1995 को जापान प्रस्थान कर गये। एक जापानी कारोबार के कर्मचारी के रूप में पुनः 30 जनवरी, 1997 को भारत लौट आये।

(ब) इन्दौर के रहने वाले श्री रामचन्द्र ,20 वर्ष से रंगून (बर्मा) में व्यापार करते है। उनका अपना रहने का एक पैतृक मकान इन्दौर में है और वे भारत में प्रतिवर्ष 90 दिन के लिए आते हैं। क्या उनके निवास स्थान में कोई अन्तर पड़ेगा, यदि वे प्रत्येक वर्ष भारत में 90 दिन के स्थान पर 182 दिन के लिए आते ?

(स) श्री रहमान पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्हें अक्सर अजमेर आना पड़ता है, इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल, 1984 से ही अजमेर के एक होटल में स्वयं के लिए एक कमरा किराये पर ले रखा है जो 1 अप्रैल, 1984 से लेकर 31 मार्च, 1997 तक इन्ही के अधिकार में रहा है। वे जब भी अजमेर आये, वही ठहरे। 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1997 तक प्रत्येक वर्ष वे 60 दिन भारत में रहे, सिवाय 31 मार्च, 1992 और 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्षों के जबकि उनको अपने पुत्र के इलाज के लिए इन पूरे वर्षों में अजमेर ठहरना पड़ा।

(द) अमृतसर निवासी श्री वेदप्रकाश 1 अगस्त, 1993 को उच्च शिक्षा के लिए इंगलैण्ड गये। जब तक वे इंगलैण्ड में रहे उन्होंने अपना अमृतसर वाला रहने का मकान अपने लिए सुरक्षित रखा। छुट्टियों में वे दो बार भारत आये—एक बार 20 दिसम्बर, 1994 को एवं दूसरी बार 20 दिसम्बर, 1995 को तथा प्रत्येक बार वे 90 दिन भारत में रहे। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में वे भारत नही आये। क्या उनके निवास-स्थान की स्थिति में कोई अन्तर पड़ जाता, यदि वे 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में आते और यहाँ 182 दिन ठहरते ?

Solution :

(अ) मोहनलाल गत वर्ष में 182 दिन भारत में नही रहे। परन्तु वे गत वर्ष के तुरन्त पहले के चार वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रहे हैं—

वर्ष	*दिनों की संख्या*
1.4.92 से 31.3.93	365
1.4.93 से 31.3.94	122
1.4.94 से 31.3.95	334
1.4.95 से 31.3.96	121
	942

इसके अतिरिक्त वे 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में 31 जनवरी, 1997 से 31 मार्च, 1997 तक अर्थात् 60 दिन भारत में रहे, अतः वे निवासी होने की प्रथम शर्त पूरी करते हैं। वे निवासी होने की दूसरी शर्त पूरी नहीं करते। चूँकि वे 1989 में भारत में प्रथम बार आये हैं, वे गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में 9 वर्ष भारत में निवासी नहीं हो सकने। अतः श्री मोहनलाल भारत में असाधारण निवासी होंगे।

(ब) श्री रामचन्द्र गत वर्ष में भारत में 182 दिन के लिए नहीं रहे हैं। इस प्रकार वे निवासी होने की प्रथम शर्त को पूरा नहीं करते हैं। गत वर्ष 1996-97 में वे अनिवासी होंगे। ऐसी स्थिति में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वे निवासी होने की दूसरी और तीसरी शर्त पूरी करते हैं अथवा नहीं।

यदि श्री रामचन्द्र प्रतिवर्ष 90 दिन के स्थान पर 182 दिन के लिए भारत में आते हैं तो वे निवासी होने की प्रथम शर्त पूरी कर देते हैं। इसके साथ ही वे निवासी होने के लिये आवश्यक दूसरी और तीसरी शर्त भी पूरी कर देते हैं क्योंकि गत वर्ष के तुरन्त पूर्व के 10 वर्षों में वह 9 वर्ष से अधिक भारत में निवासी रहे हैं तथा गत वर्ष के तुरन्त पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन से अधिक भारत में रहे हैं। अतः गत वर्ष 1996-97 अथवा कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री रामचन्द्र भारत में निवासी होंगे।

(स) गत वर्ष 1996-97 के तुरन्त पूर्व के चार गत वर्षों में श्री रहमान भारत में 365 दिन से अधिक के लिए रहे हैं तथा गत वर्ष में 60 दिन के लिए भारत में रहे हैं। अतः वे निवासी होने की प्रथम शर्त पूरी करते हैं। परन्तु श्री रहमान गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में से कम से कम 9 वर्ष के लिए निवासी या असाधारण निवासी नहीं रहे हैं। क्योंकि गत वर्ष 1984-85 से 1991-92 तक के गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारत में 60 दिन रहने के कारण उनकी प्रथम शर्त पूरी नहीं हुई। इस कारण वे निवासी होने की दूसरी शर्त पूरी नही करते हैं। अतः श्री रहमान कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए भारत में असाधारण निवासी होंगे।

(द) कोई भी व्यष्टि जो भारत का नागरिक है, कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में यदि 182 दिन से कम रहता है तो किसी भी दशा में निवासी नहीं हो सकता है। चूँकि श्री वेदप्रकाश गत वर्ष 1996-97 में भारत में बिल्कुल नहीं आये, अतः वे कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए अनिवासी होंगे। यदि श्री वेदप्रकाश गत वर्ष 1996-97 में 182 दिन भारत में रहते तो उनकी स्थिति असाधारण निवासी की होती, क्योंकि उस दशा में वे निवासी होने के लिए आवश्यक प्रथम शर्त को पूरा कर देते। वे गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष के लिए निवासी नहीं रहे अतः दूसरी शर्त पूरी नहीं करते हैं।

स्मरण रहे, यदि कोई व्यक्ति निवासी होने की दूसरी और तीसरी शर्त पूरी करता है किन्तु प्रथम शर्त पूरी नहीं करता तो वह अनिवासी होगा।

1. करदाता के भारत में आने का दिन अथवा भारत से जाने के दिन को सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं—इसके सम्बन्ध में अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार ऐसे दिनों के घण्टों की गणना की जाती है और 24 घण्टे का एक दिन मान लिया जाता है तथा शेष छोड़ दिये जाते हैं।

2. चूंकि प्रश्न में आने-जाने का समय नही होता है, अतः हमने आने और जाने के दिन को भारत में रहने के दिनों में सम्मिलित नहीं किया है।
3. करदाता किसी भी वर्ष में भारत में कितने दिन रहा—यह सिद्ध करने का भार करदाता का है।
4. यदि निर्धारण अधिकारी करदाता के भारत में रहने के दिनों की संख्या को बढाना चाहता है तो करदाता इसका विरोध करेगा। क्योंकि उसके दिनों को बढ़ा देने के कारण वह अनिवासी से निवासी बन सकता है।
5. पिछले वर्षों में करदाता ने निवासी होने की शर्त पूरी की थी अथवा नहीं—इसके लिये उस वर्ष के नियमों के अनुसार निर्णय किया जायेगा।

Illustration 2. श्री जेम्स जो सयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हे, की नियुक्ति 1 जुलाई, 1986 को भारत में Senior Scientific Officer के पद पर की गई तथा उक्त तिथि को ही उन्होंने भारत में आकर अपना कार्य-भार सम्भाला। 30 सितम्बर, 1993 को वे तीन वर्ष की अवधि के लिए Deputation पर आस्ट्रेलिया चले गये, मगर अपनी पत्नी और बच्चों को भारत में ही छोड़ गए। 1 मई, 1995 को वे भारत आये और 30 जून, 1995 को परिवार सहित पुनः आस्ट्रेलिया चले गये। 1 अक्टूबर, 1996 को वे अपने असली पद को सम्भालने के लिए वापस भारत आये।

आय-कर के उद्देश्य से श्री जेम्स के निवास की स्थिति पर कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक के लिए प्रकाश डालिए।

Solution :

कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 – इस कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि होगी। उक्त गत वर्ष में श्री जेम्स भारत में 365 दिन रहे हैं अर्थात् 182 दिन से अधिक रहे हैं। किन्तु श्री जेम्स 1986 में ही भारत आये हैं और गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में 9 वर्ष के लिए निवासी नही हो सकते, अतः श्री जेम्स गत वर्ष 1992-93 अथवा कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए असाधारण निवासी होंगे।

कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 – इस कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 की अवधिं होगी। उक्त गत वर्ष में श्री जेम्स भारत में 182 दिन रहे हैं, किन्तु *गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में 9 वर्ष वे भारत में निवासी नही रहे। अतः गत वर्ष* 1993-94 अथवा कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए श्री जेम्स असाधारण निवासी होंगे।

कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 – इस कर निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल, 1994- से 31 मार्च, 1995 की अवधि होगी। उक्त अवधि में श्री जेम्स एक भी दिन भारत में नहीं रहे हैं अतः गत वर्ष 1994-95 अथवा कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए श्री जेम्स अनिवासी होंगे।

कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 – इस कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च, 1996 की अवधि होगी। उक्त अवधि में श्री जेम्स भारत में 60 दिन से अधिक रहे हैं, तथा गत वर्ष के तुरन्त पहले के चार वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रहे हैं। परन्तु

गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्ष के लिए वे निवासी नहीं रहे, अतः गत वर्ष 1995-96 अथवा कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए श्री जेम्स असाधारण निवासी होंगे।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98—इस कर-निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997 की अवधि होगी। उक्त गत वर्ष में श्री जेम्स भारत में 182 दिन रहे हैं तथा इसके तुरन्त पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष निवासी भी रहे हैं। वे गत वर्ष के तुरन्त पहले के 7 वर्षों में 730 दिन से अधिक भारत में रहे हैं। अतः श्री जेम्स गत वर्ष 1996-97 अथवा कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए भारत में निवासी होंगे।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान

(Residence of Hindu Undivided Family)

निवासी (Resident)—हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान गत वर्ष में इनके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के स्थान तथा इसके कर्त्ता के निवास के आधार पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित तीन शर्तों की पूर्ति करने पर कोई भी हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी होता है।

(1) यदि गत वर्ष में हिन्दू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। हिन्दू अविभाजित परिवार के कार्यों से अभिप्राय निजी एवं घरेलू कार्यों से नहीं होता है। कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है तथा जिनके करने का अधिकार कानूनी तौर पर हिन्दू अविभाजित परिवार को होता है, उसके सहभागियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं होता।

किसी व्यापार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहाँ पर व्यापार चलाने की नीति बनाई जाती है तथा व्यापार के संचालन से सम्बन्धित निर्देश दिये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रबन्ध एवं नियन्त्रण एक ही स्थान से हो। यदि परिवार के कारोबार का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण कई स्थानों से हो रहा हो तो उसमें कम से कम एक स्थान भारत में स्थित होना चाहिये।

(2) हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता गत वर्ष के तुरन्त पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो।

(3) हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता गत वर्ष के तुरन्त पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।

असाधारण निवासी हिन्दू अविभाजित परिवार—यदि कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लिखित प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है अर्थात् गत वर्ष में उसके नियन्त्रण एवं प्रबन्ध का कोई भाग भारत में स्थित है किन्तु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है तो ऐसा हिन्दू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी कहलाता है।

अनिवासी हिन्दू अविभाजित परिवार—यदि कोई हिन्दू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लिखित प्रथम शर्त को पूरा नहीं करता (अर्थात् उसके नियन्त्रण एवं प्रबन्ध का सम्पूर्ण अंश भारत के बाहर स्थित होता है) तो ऐसा हिन्दू अविभाजित परिवार अनिवासी होता है।

फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास-स्थान
(Residence of Firms and Associations of Persons)

एक फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय का निवास-स्थान भी उसके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पर निर्भर करता है। यदि फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई अंश भारत में किसी स्थान पर स्थित है तो ऐसे फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में निवासी होंगे परन्तु यदि इनका सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत से बाहर है तो ये फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय भारत में अनिवासी होंगे। फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास-स्थान मालूम करने के लिए फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों के निवास-स्थान का कोई महत्त्व नहीं है। इसी प्रकार फर्म के व्यापार का स्थान भी महत्वहीन है। फर्म का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए तो केवल वह स्थान महत्वपूर्ण है, जहाँ से फर्म के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कार्य होता है। प्रबन्ध एवं नियन्त्रण से अभिप्राय वास्तविक प्रबन्ध एवं नियन्त्रण से होता है। केवल प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का अधिकार होना पर्याप्त नहीं होता है।

कम्पनी का निवास-स्थान (Residence of Company) –

निवासी—कोई भी कम्पनी जो निम्नलिखित दो शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा कर देती है, भारत में निवासी होती है—

(1) यदि वह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा

(2) गत वर्ष में उस कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया भारत में स्थित रहा है।

कम्पनी का प्रबन्ध एवं संचालन उसके संचालकों द्वारा किया जाता है अत: जिस स्थान पर संचालक मण्डल की सभायें होती हैं उसी स्थान पर प्रबन्ध एवं संचालन स्थित होना माना जाता है। परन्तु कोई एक या अधिक सचालक अन्य स्थान पर रहते हैं तथा उन्हें ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनका नियन्त्रण संचालक मण्डल नही कर सकता, तब ऐसी कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया संचालक मण्डल की सभा के स्थान पर नहीं माना जायेगा। यदि प्रबन्ध एव नियन्त्रण पूर्णतया भारत में स्थित है तो उसे निवासी कम्पनी माना जायेगा, चाहे इस कम्पनी की समस्त व्यापारिक क्रियायें भारत के बाहर ही क्यों न होती हों।

Illustration 3. आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये निम्नलिखित करदाताओं के निवास-स्थान सम्बन्धी स्तर पर कारण सहित प्रकाश डालिए—

(अ) श्री एक्स एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता हैं। 1 अप्रेल, 1996 को वे अपना इलाज करवाने के लिए प्रथम बार भारत से बाहर गये। उनकी अनुपस्थिति में परिवार का प्रबन्ध एवं संचालन परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वाई ने बिना एक्स के मार्ग-दर्शन के किया। श्री एक्स 31 मार्च, 1997 तक पूर्णतया भारत के बाहर रहे।

(ब) अ एण्ड कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है जिसका व्यापार भारत एवं दक्षिण अफ्रीका में है। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में इसके कारोबार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध दक्षिणी अफ्रीका से होता रहा। उस गत वर्ष में इस कम्पनी की दक्षिणी अफ्रीका में अर्जित एवं उदित होने वाली आय भारत में अर्जित एवं उदित होने वाली आय से बहुत अधिक थी।

Solution :

(अ) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उक्त परिवार निवासी होगा क्योंकि गत वर्ष 1996-97 में परिवार का प्रबन्ध एवं संचालन भारत में स्थित रहा है, चाहे भले ही इस परिवार का कर्ता सम्पूर्ण गत वर्ष में भारत से बाहर ही रहा हो। इसके अतिरिक्त श्री एक्स (परिवार के कर्ता) गत वर्ष के पहले के 10 वर्षों में 9 वर्ष के लिए निवासी रहे हैं तथा गत वर्ष के तुरन्त पहले के 7 वर्षों में 730 दिन से अधिक भारत में रहे हैं अतः यह परिवार निवासी होने की सभी शर्तें पूरी करता है।

(ब) अ एण्ड कम्पनी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निवासी होगी क्योंकि यह धारा-6 (3) के अन्तर्गत निर्धारित शर्त को पूरा करती है। इस कम्पनी को निवासी बनाने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि यह एक भारतीय कम्पनी है। इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि भारत में अर्जित होने वाली आय अधिक है अथवा विदेश में अर्जित होने वाली आय अधिक है। एक भारतीय कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण यदि भारत के बाहर से होता है, तब भी वह कम्पनी निवासी कम्पनी ही कहलाती है।

निवास स्थान सम्बन्धी नियमों का सारांश

(व्यष्टि करदाता के लिये)

भारत का नागरिक रोजगार हेतु अथवा भारतीय जहाज के चालक दल के रूप में गत वर्ष में भारत से बाहर जाये	भारत का नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति जो गत वर्ष में भारत में आये	अन्य कोई व्यक्ति जो प्रथम एवं द्वितीय खानों में वर्णित व्यक्तियों में नहीं हो।
आधारभूत शर्त (a) गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे	आधारभूत शर्त गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे	आधारभूत शर्त गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे अथवा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन एवं गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहे
अतिरिक्त शर्तें 1. गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 9 वर्ष आधारभूत शर्त को पूरा करे। 2. गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहे।		

निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
जो आधारभूत शर्त एवं दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करे।	*जो आधारभूत शर्त पूरी करे* परन्तु अतिरिक्त शर्त एक या दोनों पूरी नहीं करे।	*जो आधारभूत शर्त पूरी नहीं* करे। अतिरिक्त शर्तें पूरी करे या नहीं करे।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान

निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
गत वर्ष में हिन्दू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबन्ध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो तथा कर्त्ता व्यष्टि करदाता के लिये उल्लेखित दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे।	गत वर्ष में हिन्दू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबन्ध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो तथा कर्त्ता व्यष्टि करदाता के लिये उल्लेखित एक या दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नही करे।	गत वर्ष में हिन्दू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबन्ध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित नहीं हो।

फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास-स्थान

निवासी	*अनिवासी*
फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबन्ध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग गत वर्ष में भारत में स्थित रहा हो।	फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबन्ध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग गत वर्ष में भारत में स्थित नहीं रहा हो

कम्पनी का निवास स्थान

निवासी	अनिवासी
यदि वह एक भारतीय कम्पनी है अथवा गत वर्ष में उस कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया भारत में स्थित रहा हो।	यदि वह न तो एक भारतीय कम्पनी है और न ही उसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पूर्णतया भारत में स्थित रहा है।

निवास-स्थान के आधार पर कर का भार
(Incidence of Tax on the Basis of Residence)

विभिन्न स्थिति के निवासियों की कुल आय का निर्धारण आय-कर अधिनियम की धारा-5 के अनुसार किया जाता है।

निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण

एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में निवासी है, निम्न आय चाहे वह किसी भी साधन से हुई हो, सम्मिलित की जाती है—

(अ) गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई अथवा प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय;

(ब) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय;

(स) गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई समस्त आय।

संक्षेप में, निवासी करदाता की समस्त कर देय आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। एक निवासी करदाता द्वारा भारत के बाहर उपार्जित की गई तथा भारत के बाहर ही

प्राप्त की गई आय को भी उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है बशर्ते कि अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार यह आय कर-योग्य है।

असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण

एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में असाधारण निवासी है, निम्न आय चाहे वह किसी भी साधन से हुई हो, सम्मिलित की जाती है—

(अ) गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय;

(ब) गत वर्ष में करदाता के भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय;

(स) गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई वह आय जो ऐसे व्यापार से जिसका नियन्त्रण भारत में हो, प्राप्त हुई हो अथवा भारत में स्थापित किसी पेशे से प्राप्त हो।

अनिवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण

एक ऐसे करदाता की गत वर्ष की कुल आय में जो उस गत वर्ष में भारत में अनिवासी है, निम्न आय चाहे वह किसी भी साधन से हुई हो सम्मिलित की जाती है—

(अ) गत वर्ष में करदाता या उसकी ओर से भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त हुई समझी जाने वाली समस्त आय;

(ब) गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई अथवा उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली समस्त आय।

एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है गत वर्ष में भारत सरकार द्वारा उसकी भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन भारत में उदय हुआ माना जायेगा, चाहे भले ही वह सम्बन्धित गत वर्ष में अनिवासी हो गया हो। ऐसी आय उस व्यक्ति के लिए कर योग्य होती है। परन्तु कोई भत्ता अथवा अन्य अनुलाभ (Perquisite) जो ऐसे गत वर्ष में उसे भारत से बाहर दिया गया है उसकी कुल आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

अनिवासी करदाता की विदेशी आय पर कर नही लगता चाहे वह उसे गत वर्ष में ही भारत में ले आये।

निम्न तालिका से निवास स्थान के आधार पर कर के भार को अथवा कुल आय के क्षेत्र को अधिक सरलता से समझा जा सकता है—

निवास-स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र

आय का विवरण	कर का भार		
	निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1. भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई आय अथवा उपार्जित एवं प्राप्त समझी गई आय।	कर योग्य	कर योग्य	कर योग्य
2. भारत में उपार्जित आय अथवा उपार्जित समझी गई आय जो विदेश में प्राप्त हो।	कर योग्य	कर योग्य	कर योग्य

3. भारत में प्राप्त आय अथवा प्राप्त समझी गई आय जो विदेश में उपार्जित हो।	कर योग्य	कर योग्य	कर योग्य
4. भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त जो भारत में नियन्त्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पेशे से सम्बन्धित हो।	कर योग्य	कर योग्य	×
5. भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहर ही प्राप्त जो उपरोक्त (4) के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से सम्बन्धित हो।	कर योग्य	×	×
6. गत वर्ष के पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष मे भारत में लाई गई हो।	×	×	×

स्पष्टीकरण—(i) उपरोक्त तालिका के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि आय के प्राप्त होने अथवा उपार्जित होने सम्बन्धी एक भी घटना भारत में घटती है या घटी हुई समझ ली जाती है तो ऐसी आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है।

(ii) गत वर्ष के पूर्व की विदेशी आय चाहे उस पर पहले कर लगा हो अथवा नहीं यदि गत वर्ष में भारत में लायी जाती है तो उस गत वर्ष की आय में उसे सम्मिलित नही किया जायेगा क्योंकि इस आय का गत वर्ष से कोई सम्बन्ध नही है। यदि ऐसी आय पर पहले कर नहीं चुकाया गया हो तो इस आय को उस गत वर्ष की आय में शामिल किया जायेगा जिस गत वर्ष की यह आय है। इसके लिए करदाता का उस गत वर्ष का पुनः कर निर्धारण करना होगा।

(iii) करदाताओं की कुल आय का क्षेत्र निर्धारित करते समय कुछ विशिष्ट वाक्यों का प्रयोग किया गया है। जैसे—भारत में प्राप्त की गई आय, भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय, भारत में उपार्जित या उदय हुई आय, भारत में उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, आदि। इन वाक्यों का स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

भारत में प्राप्त की गई आय (Income received in India)

भारत में प्राप्त की गई आय पर सभी करदाताओं को कर चुकाना पड़ता है, भले ही वह आय भारत में उपार्जित की गई हो अथवा भारत के बाहर उपार्जित की गई हो। प्राप्त की गई आय के सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं—

(1) प्राप्ति से अभिप्राय आय की प्रथम बार की प्राप्ति से होता है। आय की प्रथम बार की प्राप्ति ही प्राप्त होने का वर्ष एवं स्थान निर्धारित करती है। यदि कोई करदाता अपनी कोई आय एक देश में प्राप्त कर लेता है और फिर उसे दूसरे देश में ले जाता है तो यह आय पहले देश में ही प्राप्त होगी, दूसरे देश में नही। दूसरे देश में तो आय का हस्तान्तरण होगा।

(2) रचनात्मक प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति के समान होती है अर्थात् आय करदाता को स्वयं को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है।

उदाहरणार्थ—करदाता की ओर से उसके बैंक अथवा अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्राप्ति करदाता द्वारा प्राप्ति के समान होती है। इस प्रकार किसी कर्मचारी का नियोक्ता उसके वेतन में से कोई

राशि आय-कर के रूप में काटकर सरकार को जमा करा देता है तो यह रचनात्मक प्राप्ति है। परन्तु यह वास्तविक प्राप्ति के समान है।

(3) आय मुद्रा में प्राप्त की जा सकती है अथवा अन्य मुद्रा तुल्य पदार्थों या वस्तुओं में प्राप्त की जा सकती है।

(4) खातों में समायोजन करना भी मुद्रा की वास्तविक प्राप्ति के समान है, यद्यपि इसमें वास्तविक मुद्रा का आदान-प्रदान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक अंशधारी माल खरीदने के सम्बन्ध में कम्पनी का ऋणी है। कुछ समय बाद कम्पनी ने अंशों पर लाभांश घोषित किया। इस अशंधारी से कम्पनी ने यह समझौता किया कि उसके भाग के लाभांश को उसका ऋण चुकाने के लिए उपयोग कर लिया जाय। अंशधारी और कम्पनी दोनों ने पुस्तकों में समायोजन कर लिया। यद्यपि यहाँ वास्तव में मुद्रा का लेन-देन नहीं किया गया, तो भी यह निश्चित है कि अंशधारी को लाभांश प्राप्त होता है ओर कम्पनी को अंशधारी से उधार बेचे गये माल का मूल्य प्राप्त होता है।

(5) यदि दोनों पक्षों ने यह तय कर लिया है कि भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा, तब प्राप्ति उस स्थान पर होगी जहाँ के डाकखाने से चैक भेजा जाता है।

प्राप्त की हुई मानी जाने वाली आय (Income deemed to be received)

कुछ आय ऐसी हैं जो करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं होती परन्तु आय-कर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिनको प्राप्त हुआ मान लिया गया है। इस प्रकार की आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा-7 व 8 में किया गया है जो निम्नलिखित हैं—

(1) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में गत वर्ष में जमा की गई वार्षिक वृद्धि का निम्न भाग—

(अ) इस फण्ड में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक दिया गया अशंदान; और

(ब) कर्मचारी के फण्ड में एकत्रित शेष पर जमा किया गया ब्याज जितना वह एकत्रित राशि पर 12% से अधिक हो।

(2) *अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड को प्रमाणित बनाये जाने पर उसमें हस्तांतरित शेष का* कुछ भाग। इसे वेतन से आय वाले अध्याय में विस्तार से समझाया गया है।

(3) कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश अंशधारी द्वारा उसी गत वर्ष में प्राप्त माना जाता है जिसमें यह कम्पनी द्वारा घोषित किया गया था। परन्तु अन्तरिम लाभांश उस गत वर्ष में प्राप्त माने जाते हैं जिसमें कम्पनी इनको बिना शर्त चुकाने को तत्पर हो।

उपरोक्त आयें करदाता की कुल आय में सम्मिलित की जाती हैं।

उपार्जित या उदय हुई आय (Income accruing or arising)

आय के उपार्जित होने अथवा उदय होने का अर्थ है आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलना, चाहे भले ही आय वास्तव में प्राप्त की गई है अथवा नहीं। साधारणतः उपार्जित होना या उदय होना दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं परन्तु जब हिसाब-किताब नकद प्रणाली (Cash System) के आधार पर रखा जाता है तब दोनों में थोड़ा अन्तर हो जाता है। इस

(6) निम्न द्वारा रायल्टी के रूप में देय आय
(Income by way of royalty payable by) –
(i) सरकार; अथवा
(ii) एक व्यक्ति जो निवासी हो (उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि इस सम्पत्ति का प्रयोग भारत के बाहर आय कमाने के लिए किया गया हो);
(iii) एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग सेवाओं अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिए प्रयोग की गई सेवाओं के सम्बन्ध में देय रायल्टी।

(7) निम्न के द्वारा तकनीकी सेवाओं के बदले में देय फीस के रूप में आय
(Income by way of fees for technical services payable by) –
(i) सरकार; अथवा
(ii) एक व्यक्ति जो निवासी हो (उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि फीस भारत के बाहर चलाये जा रहे व्यापार में प्रयोग करने के लिए प्राप्त तकनीकी सेवा के बदले देय हो);
(iii) एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए प्राप्त तकनीकी सेवाओं के बदले फीस।

स्पष्टीकरण—आय को उपार्जित समझे जाने वाले उपरोक्त सभी प्रावधान निवासी करदाताओं पर भी लागू होते हैं। परन्तु एक निवासी करदाता के लिए इनके प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण एक निवासी करदाता अपनी समस्त आय पर कर चुकाता है, भले ही वह किसी भी स्थान पर उपार्जित हो अथवा प्राप्त हो। अतः इन व्यवस्थाओं का महत्त्व अनिवासियों के लिए ही है।

Illustration 4.

During the financial year 1996-97 Ram Chandra had the following taxable incomes –

Rs.

(a) Salary income received in India for the Services [illegible] Pakistan. (computed) 10,000
[illegible] 3,000
(b) Propert[illegible] remitted to India). 6,000
(c) Profits earned from business in Indore. 5,000
(d) Agricultural income in Keneeya. 10,000
(e) Profits from a business carried on at Nepal but controlled from India. 20,000
(f) Past untaxed profits remitted to India during the previous year from U.S.A. 10,000
(g) [illegible]

Compute the income [illegible] Year and [illegible] if he is (i) [illegible]

उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय (Income deemed to accrue or arise) – यह ऐसी आय होती है जो करदाता को वास्तव में भारत में उपार्जित या उदय नहीं होती है, परन्तु आय-कर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिसे उपार्जित या उदय हुई मान लिया गया है। इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है। आय-कर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार ऐसी कुछ आयें निम्नलिखित हैं—

(1) निम्नलिखित कारणों से या उनके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित या उदय होने वाली आय भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है—

(अ) **भारत में किसी व्यापारिक सम्बन्ध से उपार्जित आय**—व्यापारिक सम्बन्ध से आशय एक निवासी एवं अनिवासी करदाता के बीच ऐसे स्थायी व्यापारिक सम्बन्धों से है, जिनसे भारत में निवासी करदाता लाभ कमाता है, और अनिवासी व्यक्ति प्राप्त करता है। भारत में अनिवासी व्यक्ति के व्यापारिक सम्बन्ध कई तरीकों से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत में क्रय-विक्रय के लिए कोई शाखा स्थापित किया जाना अथवा किसी अभिकर्त्ता को नियुक्त किया जाना आदि।

(ब) **भारत में किसी सम्पत्ति से आय**—सम्पत्ति से अभिप्राय यहाँ चल एवं अचल सम्पत्ति से है। उदाहरण के लिए किसी अनिवासी द्वारा किसी मशीन या फर्नीचर जो भारत में स्थित है का किराया भारत के बाहर प्राप्त किया जाना।

(स) **भारत मे स्थित पूँजी-सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजीलाभ**—ऐसी सम्पत्तियों का लाभ भारत में उपार्जित माना जाता है भले ही विक्रय का प्रसंविदा कहीं भी किया गया हो अथवा विक्रय-मूल्य कही भी चुकाया गया हो।

एक ऐसे अनिवासी व्यक्ति की दशा में जो समाचार एजेन्सी से सम्बन्धित व्यापार के संचालन कार्य में लगा हुआ हो अथवा समाचार-पत्र पत्रिकाएँ अथवा जर्नल के प्रकाशन कार्य में लगा हुआ हो तो उसको भारत के बाहर भेजने के उद्देश्य से भारत में समाचार एवं विचारों को एकत्र करने सम्बन्धी क्रियाओं से होने वाली किसी भी आय को भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई नहीं माना जायेगा।

(2) **भारत में अर्जित की गई 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय**—यदि कोई व्यक्ति भारत में सेवायें प्रदान करता है और छुट्टियों का वेतन भारत के बाहर प्राप्त करता है तो ऐसा वेतन भारत में ही उपार्जित माना जाता है।

(3) वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली वह राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए देय हो।

(4) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश।

(5) **निम्न के द्वारा ब्याज के रूप में देय आय**
(Income by way of interest payable by) –

(i) सरकार; अथवा

(ii) एक व्यक्ति जो निवासी हो (उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि यह ब्याज भारत के बाहर चलाये जाने वाले व्यापार अथवा अन्य साधन से आय कमाने के लिए प्राप्त ऋण पर देय हो),

(iii) एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा पेशे के लिए उधार लिए एवं उपयोग किये ऋण पर देय ब्याज।

प्रणाली मे आय के उपार्जित होने का अर्थ होता है—आय प्राप्त करने का अधिकार मिलना तथा आय के उदय होने का अर्थ होता है आय का बहीखाते की पुस्तकों में लिखा जाना, जब वह वास्तव में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये, एक डॉक्टर रोगी को देखने के लिए उसके घर जाता है तथा रोगी उसे फीस बाद में चुकाने के लिये कह देता है। डॉक्टर अपना हिसाब-किताब नकद प्रणाली (Cash System) के आधार पर रखता है। डॉक्टर को आय उपार्जित तो उसी समय हो गई जिस समय उसने रोगी को देखा परन्तु उदय उस समय होगी जब वह वास्तव में रोगी से प्राप्त होगी और डॉक्टर अपनी बही में उसका लेखा करेगा।

आय के उपार्जित अथवा उदय होने का स्थान—एक निवासी करदाता समस्त आय पर कर चुकाता है चाहे उसका उपार्जन दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो। परन्तु एक अनिवासी व्यक्ति भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहर ही प्राप्त आय पर कर नहीं चुकाता है। अतः उसके लिए इस बात का विशेष महत्त्व है कि कोई आय उसको भारत के बाहर उपार्जित हुई है अथवा भारत में उपार्जित हुई है। आय के उपार्जित होने के सम्बन्ध में कोई सामान्य नियम निर्धारित किया जाना सम्भव नही है। समय-समय पर न्यायाधीशों के द्वारा, इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय मार्ग-दर्शक का कार्य करते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं—

(i) यदि केवल क्रय-विक्रय का व्यापार है तो आय उस स्थान पर उपार्जित होगी जहाँ विक्रय सम्पन्न होता है। इस प्रकार कोई माल भारत के बाहर खरीदकर भारत में बेचा जाता है तो सम्पूर्ण आय भारत में उपार्जित होगी। इसके विपरीत भारत में खरीद कर विदेश में बेचने से होने वाली आय विदेश में उपार्जित होगी।

(ii) अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन किया जाना भी लाभों की गणना के लिए आवश्यक है। परन्तु लाभ उसी स्थान पर उपार्जित होते हैं, जहाँ व्यापार किया जाता है भले ही रहतिये का मूल्यांकन किसी अन्य स्थान पर किया गया हो।

(iii) आय उस स्थान पर उपार्जित होती है जहाँ विक्रय सम्पन्न होता है। वह स्थान महत्वहीन है जहाँ से ऐसे लेन-देन का नियन्त्रण व निर्देशन किया जाता है। एक करदाता ने जो भारत में व्यापार करता था, भारत के बाहर कुछ विक्रय के लेन-देन का भारत से निर्देशन किया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आय भारत के बाहर उपार्जित की गई है।

(iv) यदि किसी व्यापार की समस्त क्रियाएँ भारत में नही की जाती हों तो ऐसे विक्रय के लाभों का केवल एक भाग ही भारत में उपार्जित होता है। यदि *निर्माण कार्य भारत* में किया जाये और विक्रय भारत के बाहर किया जाये तो सम्पूर्ण लाभ का केवल उचित भाग ही भारत में उपार्जित होगा।

(v) यदि माल अथवा माल के अधिकार सम्बन्धी प्रपत्र V.P.P. अथवा बैंक के माध्यम से भेजे जाते हैं तो विक्रय उस स्थान पर होगा जहाँ पोस्ट-ऑफिस अथवा बैंक से माल के कागज-पत्र प्राप्त किये जाते हैं।

कुछ आयें ऐसी होती हैं जिन पर उनके उपार्जित होने के आधार पर कर लगता है जबकि दूसरी कुछ आयों पर उनके प्राप्त होने के आधार पर कर लगता है परन्तु किसी आय पर एक बार उपार्जित होने के आधार पर कर लगा दिया गया है तो उस पर प्राप्त होते समय दुबारा कर नहीं लगाया जायेगा।

उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय (Income deemed to accrue or arise)—यह ऐसी आय होती है जो करदाता को वास्तव में भारत में उपार्जित या उदय नहीं होती है, परन्तु आय-कर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जिसे उपार्जित या उदय हुई मान लिया गया है। इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है। आय-कर अधिनियम की धारा-9 के अनुसार ऐसी कुछ आयें निम्नलिखित हैं—

(1) निम्नलिखित कारणों से या उनके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित या उदय होने वाली आय भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाती है—

(अ) भारत में किसी व्यापारिक सम्बन्ध से उपार्जित आय—व्यापारिक सम्बन्ध से आशय एक निवासी एवं अनिवासी करदाता के बीच ऐसे स्थायी व्यापारिक सम्बन्धों से है, जिनसे भारत में निवासी करदाता लाभ कमाता है, और अनिवासी व्यक्ति प्राप्त करता है। भारत में अनिवासी व्यक्ति के व्यापारिक सम्बन्ध कई तरीकों से हो सकते है। उदाहरण के लिए अनिवासी व्यक्ति द्वारा भारत में क्रय-विक्रय के लिए कोई शाखा स्थापित किया जाना अथवा किसी अभिकर्त्ता को नियुक्त किया जाना आदि।

(ब) भारत में किसी सम्पत्ति से आय—सम्पत्ति से अभिप्राय यहाँ चल एवं अचल सम्पत्ति से है। उदाहरण के लिए किसी अनिवासी द्वारा किसी मशीन या फर्नीचर जो भारत में स्थित है का किराया भारत के बाहर प्राप्त किया जाना।

(स) भारत में स्थित पूँजी-सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजीलाभ—ऐसी सम्पत्तियों का लाभ भारत में उपार्जित माना जाता है भले ही विक्रय का प्रसंविदा कहीं भी किया गया हो अथवा विक्रय-मूल्य कहीं भी चुकाया गया हो।

एक ऐसे अनिवासी व्यक्ति की दशा में जो समाचार एजेन्सी से सम्बन्धित व्यापार के संचालन कार्य में लगा हुआ हो अथवा समाचार-पत्र पत्रिकाएँ अथवा जर्नल के प्रकाशन कार्य में लगा हुआ हो तो उसको भारत के बाहर भेजने के उद्देश्य से भारत में समाचार एवं विचारों को एकत्र करने सम्बन्धी क्रियाओं से होने वाली किसी भी आय को भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई नहीं माना जायेगा।

(2) भारत में अर्जित की गई 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय—यदि कोई व्यक्ति भारत में सेवायें प्रदान करता है और छुट्टियों का वेतन भारत के बाहर प्राप्त करता है तो ऐसा वेतन भारत में ही उपार्जित माना जाता है।

(3) वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली वह राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए देय हो।

(4) एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश।

(5) निम्न के द्वारा ब्याज के रूप में देय आय (Income by way of interest payable by)—

(i) सरकार; अथवा

(ii) एक व्यक्ति जो निवासी हो (उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि यह ब्याज भारत के बाहर चलाये जाने वाले व्यापार अथवा अन्य साधन से आय कमाने के लिए प्राप्त ऋण पर देय हो),

(iii) एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा पेशे के लिए उधार लिए एवं उपयोग किये ऋण पर देय ब्याज।

(6) निम्न द्वारा रायल्टी के रूप में देय आय

(Income by way of royalty payable by) –

(i) सरकार; अथवा

(ii) एक व्यक्ति जो निवासी हो (उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि इस सम्पत्ति का प्रयोग भारत के बाहर आय कमाने के लिए किया गया हो);

(iii) एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग सेवाओं अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिए प्रयोग की गई सेवाओं के सम्बन्ध में देय रायल्टी।

(7) निम्न के द्वारा तकनीकी सेवाओं के बदले में देय फीस के रूप में आय

(Income by way of fees for technical services payable by) –

(i) सरकार; अथवा

(ii) एक व्यक्ति जो निवासी हो (उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि फीस भारत के बाहर चलाये जा रहे व्यापार में प्रयोग करने के लिए प्राप्त तकनीकी सेवा के बदले देय हो);

(iii) एक अनिवासी द्वारा भारत में चलाये जा रहे व्यापार अथवा व्यवसाय में प्रयोग करने के लिए प्राप्त तकनीकी सेवाओं के बदले फीस।

स्पष्टीकरण—आय को उपार्जित समझे जाने वाले उपरोक्त सभी प्रावधान निवासी करदाताओं पर भी लागू होते हैं। परन्तु एक निवासी करदाता के लिए इनके प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण एक निवासी करदाता अपनी समस्त आय पर कर चुकाता है, भले ही वह किसी भी स्थान पर उपार्जित हो अथवा प्राप्त हो। अतः इन व्यवस्थाओं का महत्त्व अनिवासियों के लिए ही है।

Illustration 4.

During the financial year 1996-97 Ram Chandra had the following taxable incomes –

		Rs.
(a)	Salary income received in India for the Services rendered in Pakistan. (computed)	10,000
(b)	Income from profession in India, but received in Japan.	3,000
(c)	Property income in Malaya, (out of which Rs. 3,000 was remitted to India).	6,000
(d)	Profits earned from business in Indore.	5,000
(e)	Agricultural income in Keneeya.	10,000
(f)	Profits from a business carried on at Nepal but controlled from India.	20,000
(g)	Past untaxed profits remitted to India during the previous year from U.S.A.	10,000

Compute the income of Ram Chandra for the Assessment Year 1997-98 if he is (i) Resident, (ii) Not ordinarily resident, and (iii) Non-resident in India.

गत वर्ष 1996-97 के वित्तीय वर्ष में श्री रामचन्द्र की निम्न कर-योग्य आयें थी— रु.

(अ) पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन (आकलित) 10,000

(ब)	भारत में पेशे से आय परन्तु जापान में प्राप्त की गई	3,000
(स)	मलाया में सम्पत्ति से आय (जिसमें से 3,000 रु. भारत में भेजे गये)	6,000
(द)	इन्दौर में व्यापार से अर्जित लाभ	5,000
(य)	केनिया में कृषि से आय	10,000
(फ)	नेपाल में चलाये जाने वाले व्यापार से लाभ जिसका नियन्त्रण भारत से होता है	20,000
(ग)	गत वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लाये गये भूतकालीन लाभ जिन पर पहले भी कर नही लगा था।	10,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए रामचन्द्र की आय की गणना कीजिये यदि वह भारत में (i) निवासी हो; (ii) असाधारण निवासी हो; एवं (iii) अनिवासी हो।

(Vikram B. Com, 1990 & Sagar B. Com., 1992)

Solution : **Assessment Year 1997-98**

	विवरण Particulars	निवासी Resident	असाधारण निवासी Not Ordinarily Resident	अनिवासी Non-Resident
		Rs.	Rs.	Rs.
I.	भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई आय			
(d)	(Profits earned from business in Indore) इन्दौर के व्यापार से लाभ	5,000	5,000	5,000
II.	भारत में उपार्जित परन्तु विदेश में प्राप्त आय			
(b)	Income from profession in India but received in Japan भारत में पेशे से आय जो जापान में प्राप्त की गई	3,000	3,000	3,000
III.	भारत में प्राप्त पर विदेश में उपार्जित आय			
(a)	Salary received in India for the services rendered in Pakistan पाकिस्तान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त किया वेतन	10,000	10,000	10,000
IV.	भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहर ही प्राप्त की गई आय :			
(c)	Property income in Malaya मलाया में सम्पत्ति से आय	6,000	—	—
(e)	Agricultural income in Keneeya			

	केनिया में कृषि आय	10,000	–	–
(f)	Profits from a business carried on at Nepal but controlled from India.			
	नेपाल में व्यापार से आय जिसका नियन्त्रण भारत में होता है	20,000	20,000	–
(g)	Past untaxed profits remitted to India during the previous year from U.S.A.			
	संयुक्त राज्य अमेरिका से पिछले वर्षों के बिना कर चुकाये हुए लाभ गत वर्ष में भारत में लाये गये।	–	–	–
	Total taxable income	*54,000*	*38,000*	*18,000*

Illustration 5.

Following are the particulars of taxable income of Shri Jag Mohan for the previous year ended 31 st March, 1997–

(i) Income from House Property in Australia Rs. 10,000 which was deposited in a bank in Australia and then Rs. 4,000 was remitted to India.

(ii) Royalty received from Govt. of India Rs. 24,000.

(iii) Income from business earned in Afganistan Rs. 25,000 of which Rs. 15,000 were received in India.
This business in controlled from India.

(iv) Income from investments in Malashia Rs. 10,000. This amount was received in Malashia by his authorised representative and sent to India through bank draft.

(v) Interest received from Shri Mahesh Chandra, a non-resident against a loan provided to him to run a business in India Rs. 5000.

(vi) Royalty received from Shri Suresh Chandra a resident for technical services provided to run a business out side India Rs. 20,000.

(vii) Income from business in India Rs. 40,000. This business is controlled from France. Rs. 20,000 were remitted to France.

(viii) Income from sale of house property in Jaipur Rs. 30,000.
Half of this amount was received in France.

Calculate the total income of Shri Jag Mohan for the assessment year 1997-98 if he is (a) Resident in India, (b) Not ordinarily resident, and (c) Non-resident.

श्री जगमोहन की 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए कर योग्य आयों का विवरण निम्न प्रकार है—

(i) आस्ट्रेलिया में मकान सम्पत्ति से आय 10,000 रु. जिसे आस्ट्रेलिया में ही एक बैंक में जमा करा दिया गया तथा इसमें से 4,000 रुपये भारत में लाये गये।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त रायल्टी 24,000 रु.।

(iii) अफगानिस्तान में व्यापार से आय 25,000 रु.। इसमें से 15,000 रु. भारत में प्राप्त किये गये। इस व्यापार का नियन्त्रण भी भारत से होता है।

(iv) मलेशिया में विनियोगों की आय 10,000 रु.। इस राशि को मलेशिया में इनके अधिकृत प्रतिनिधि ने प्राप्त किया और बैंक ड्राफ्ट से भारत भेज दिया।

(v) श्री महेशचन्द्र जो एक अनिवासी है, से भारत में संचालित व्यापार के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज 5,000 रु.।

(vi) श्री सुरेशचन्द्र जो एक निवासी है, से भारत के बाहर संचालित व्यापार के लिए प्रदान की गई तकनीकी सेवा के लिए प्राप्त रायल्टी 20,000 रु.।

(vii) भारत में एक व्यापार से आय 40,000 रु.। इस व्यापार का नियंत्रण फ्रांस से किया जाता है। इस राशि में से 20,000 रु. फ्रांस भेज दिये गये।

(viii) जयपुर में मकान सम्पत्ति के विक्रय से आय 30,000 रु.। इस राशि का आधा भाग फ्रांस में प्राप्त किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री जगमोहन की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह गत वर्ष में—

(अ) भारत में निवासी हो, (ब) असाधारण निवासी हो, अथवा

(स) अनिवासी हो।

Solution :

Statement of Gross Total Income of Shri Jag Mohan for the Assessment Year 1997-98

	Particulars	Resident	Not ordinarily Resident	Non-Resident
		Rs.	Rs.	Rs.
(i)	Income from House property in Australia which was received also in Australia	10,000	–	–
(ii)	Royalty received from Government of India	24,000	24,000	24,000
(iii)	Income from business in Afganistan controlled from India :			
	(a) Received in India	15,000	15,000	15,000
	(b) Received in Afganistan	10,000	10,000	–
(iv)	Income from investment in Malashia received also in Malashia by representative	10,000	–	–
(v)	Interest from a non-resident for a loan provided to run a business in India	5,000	5,000	5,000

	...ty from a resident for ...technical services provided outside India	20,000	—	—
(vii)	Income from business in India	40,000	40,000	40,000
(viii)	Income from sale of house property in Jaipur	30,000	30,000	30,000
	Gross Total Income	1,64,000	1,24,000	1,14,000

टिप्पणी—(i) प्राप्ति का स्थान प्रथम प्राप्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, हस्तान्तरण द्वारा नहीं।

(ii) भारत के व्यापार की आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है, भले ही उस व्यापार का नियन्त्रण भारत के बाहर से ही किया जाता है।

प्रश्न
(Questions)

आयकर के उद्देश्य के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ? निवास स्थान का कर-दायित्व पर भार समझाइये।

How is residence of assessees determined for income-tax purpose ? Explain the incidence of residence on tax liability.

(M.D. Uni. 1994, 1996 and Raj. Uni. 1997)

करदाता का निवास-स्थान आय-कर के लिए किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ? निवास-स्थान व कर-दायित्व के आपसी सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।

How is residence of assessees determined for income-tax purpose ? Explain the relationship between residence and tax liability.

निम्नलिखित के अन्तर को स्पष्ट कीजिए— **(R. U. B. Com. 1993, 1996)**

State the difference between —

(अ) निवासी, (ब) असाधारण निवासी, (स) अनिवासी।

(a) Resident. (b) Not-ordinarily resident, (c) Non-resident.

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 में करदाताओं के निवास-स्थान का वर्णन है। इस सम्बन्ध में अधिनियम के प्रावधानों को विस्तार से समझाइये।

Section 6 of Income Tax Act, 1961 deals with the residence of assessees. Discuss these provisions in detail. (R. U. B. Com. 1995)

वित्तीय वर्ष 1996-97 के सम्बन्ध में श्री कृष्ण प्रसाद की कर-योग्य आय का विवरण निम्नलिखित है—

		रु.
(i)	डेनमार्क में स्थित सम्पत्ति से आय	10,000
(ii)	जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन (आकलित)	15,000
(iii)	सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ। इस व्यापार का नियन्त्रण भारत से होता है।	25,000
(iv)	भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन (आकलित)	5,000

(v) पिछले वर्षों की विदेशी आय गत वर्ष में भारत में लाई गई। इस पर पहले भी कर नहीं लगा था। 20,000
(vi) कानपुर में स्थित व्यापार से लाभ 8,000
(vii) इंग्लैण्ड में कृषि से आय जो वहाँ लन्दन में बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दी गई 6,000

आप कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री कृष्ण प्रसाद की कुल आय की गणना कीजिये, यदि वे—

(अ) निवासी हैं (ब) असाधारण निवासी हैं, अथवा (स) अनिवासी हैं।

Following are the particulars of the taxable incomes of Shri Krishan Prasad for the financial year 1996-97.

		Rs.
(i)	Income from property in Denmark.	10,000
(ii)	Salary received in India for the services rendered in Japan. (computed)	15,000
(iii)	Profit from a business situated in Singapore. It is controlled from India.	25,000
(iv)	Salary received in Canada for the services rendered in India. (computed)	5,000
(v)	Past untaxed foreign income brought into India during the previous year.	20,000
(vi)	Profit from business in Kanpur.	8,000
(vii)	Income from Agriculture in England which is spent there for the education of his children.	6,000

Determine the total income of Shri Krishan Prasad for the Assessment year 1997-98, if he is—

(a) Resident (b) Not ordinarily Resident or (c) Non-Resident.

उत्तर—(अ) 69,000 रु. (ब) 53,000 रु. (स) 28,000 रु. [4]

6. निम्न परिस्थितियों में कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निवास-स्थान की स्थिति को समझाइये—

(i) श्री सादात 10 जून, 1996 को प्रथम बार अमेरिका से भारत आये। 25 दिसम्बर, 1996 तक भारत में ठहरने के बाद वे अपने देश को वापस लौट गये।

(ii) श्री रिचर्डसन जो कनाडा के नागरिक हैं, पिछले 15 वर्षों से स्थाई रूप से अजमेर (भारत) में निवास करते हैं। 1 जनवरी, 1996 को वे किसी कार्य से कनाडा गये। वे 31 दिसम्बर, 1996 को वापस लौट आये।

(iii) श्री विलियम 1 अप्रेल, 1992 को प्रथम बार इंग्लैंड से भारत आये। 31 जनवरी, 1993 को वे अपने देश वापस लौट गये। वे पुन: 1 मई, 1996 को भारत आये तथा 1 जून, 1996 को वापस लौट गये। उन्होंने अपने ठहरने के लिए ताज होटल बम्बई में एक कमरा 1 अप्रैल, 1996 से 30 सितम्बर, 1996 तक सुरक्षित रखा।

(iv) श्री गणेश भारत के नागरिक हैं। वे जापान की एक फर्म में जापान में नौकरी करते हैं। उनके बच्चे एवं उनकी पत्नी दिल्ली में उनके स्वयं के मकान में रहते हैं। गत वर्ष 1996-97 में वे अपने नियोक्ता से छुट्टी लेकर भारत आये तथा 125 दिन के लिए अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ अपने स्वयं के मकान में ठहरे। इसके पूर्व भी वे वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान पूरी अवधि के लिए अपने पुत्र के इलाज के लिए भारत में रहे थे।

Explain the residential status for the Assessment year 1997-98 in the following cases—

(i) Shri Sadat came for the first time to India from America on 10th June, 1996. He returned to his home country after staying in India upto 25th Dec. 1996.

(ii) Shri Richardson resident of Canada resides in India permanently at Ajmer for the last 15 years. He went to Canada for some work on 1st January, 1996. He returned on 31st December, 1996.

(iii) Shri William came to India from England for the first time on 1st *April, 1992. He returned to his home country on 31st January,* 1993. He again came to India on 1st May, 1996 and returned on 1st June, 1996. He kept reserved a room for his stay in Taj Hotel, Bombay from 1st April, 1996 to 30 th September, 1996.

(iv) Shri Ganesh is an Indian Citizen. He is employed in a Japanese concern in Japan. His wife and his children live in Delhi in his own house. During the previous year 1996-97 he came to India on leave and stayed for 125 days with his wife and children in his own house. Previously he lived in India during the whole of the financial year 1993-94 for the treatment of his son. **[5]**

उत्तर—(i) असाधारण निवासी, (ii) निवासी (iii) अनिवासी और (iv) अनिवासी।

7. श्री दिनेशचन्द्र ने कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित गत वर्ष में कमाई गई कर-योग्य आय के सम्बन्ध में निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

	रु.
(i) जापान के विकास बॉण्ड्स पर ब्याज (इनका आधा भाग भारत में प्राप्त किया)	20,000
(ii) पाकिस्तान में कृषि से आय, जिसे वहीं प्राप्त किया गया परन्तु बाद में भारत में भेज दिया गया।	40,000
(iii) बर्मा में व्यापार से उपार्जित आय जिसका नियन्त्रण भारत से होता है।	30,000
(iv) भारतीय कम्पनी द्वारा चुकाया गया लाभांश जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया।(सकल)	10,000
(v) भूतकाल में कर न लगे हुए लाभ गत वर्ष में भारत में लाये गये।	15,000
(vi) जयपुर में व्यवसाय से आय जिसका नियन्त्रण नेपाल से किया जाता है।	12,000

(vii) इन्दौर में मकान के विक्रय से लाभ परन्तु इन्हें श्रीलंका में प्राप्त किया। 18,000

(viii) भूतपूर्व भारतीय नियोक्ता से पेन्शन, जिसे जर्मनी में प्राप्त किया गया।
(आकलित) 8,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री दिनेशचन्द्र की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह—(अ) भारत में निवासी हो, (ब) असाधारण निवासी हो, अथवा (स) अनिवासी हो।

Shri Dinesh Chandra furnishes the following particulars of his taxable income earned during the previous year relevant to the Assessment year 1997-98–

		Rs.
(i)	Interest on Japanese Development Bonds (one-half received in India)	20,000
(ii)	Income from agriculture in Pakistan received there but latter on remitted to India.	40,000
(iii)	Income earned from business in Burma which is controlled from India.	30,000
(iv)	Dividend paid by Indian company which was received outside India. (gross)	10,000
(v)	Past untaxed profits brought to India during the previous year.	15,000
(vi)	Profits from a business in Jaipur which is controlled from Nepal.	12,000
(vii)	Profit on sale of a building at Indore but received in Shri Lanka.	18,000
(viii)	Pension from a formar employer in India received in Germany. (computed)	8,000

Determine the Gross Total Income of Shri Dinesh Chandra for the Assessment year 1997-98 if he is–(a) Resident in India, (b) Not Ordinarily Resident or (c) Non-Resident.

उत्तर—(अ) 1,38,000 रु. (ब) 88,000 रु. (स) 58,000 रु.। [6]

8. वित्तीय-वर्ष 1996-97 के लिए श्री सेठ की निम्नलिखित आयें हैं—

		रु.
(अ)	लन्दन में स्थित सम्पत्ति से आय	40,000
(ब)	लन्दन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन (जिसकी गणना की जा चुकी है)	8,000
(स)	लन्दन में स्थित व्यापार से लाभ जो भारत से नियन्त्रित है	20,000
(द)	कानपुर के व्यापार से लाभ	10,000
(इ)	कानपुर में कृषि आय	30,000
(फ)	भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई	25,000

(ग) इलाहाबाद बैंक कानपुर में बचत बैंक में जमा पर ब्याज 1,200

(ह) एक अमेरिकन कम्पनी से लन्दन में प्राप्त लाभांश 10,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री सेठ की कुल आय की गणना कीजिए, यदि वह भारत में—

(i) निवासी है, (ii) असाधारण निवासी है अथवा (iii) अनिवासी है।

Shri Seth has the following incomes for the financial year 1996-97:

		Rs.
(a)	Income from property situated in London	40,000
(b)	Salary received in India for services rendered in London (already computed)	8,000
(c)	Profit from business in London controlled from India	20,000
(d)	Profit from Kanpur business	10,000
(e)	Agricultural income in Kanpur	30,000
(f)	Past untaxed foreign income brought into India during the previous year	25,000
(g)	Interest on saving bank deposit in Allahabad Bank, Kanpur	1,200
(h)	Dividend received in London from an American Company	10,000

Compute the total income of Shri Seth for the assessment year 1997-98 if he is:

(i) Resident in India, (ii) *Not Ordinarily Resident in India* or (iii) Non-resident. [7]

उत्तर—(i) 89,200 रु. (ii) 39,200 रु. (iii) 19,200 रु.।

9. एक विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी मिस्टर बॉर्डर, जिसका गत वर्ष वित्तीय वर्ष है, 1986-87 वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष 110 दिन के लिए भारत आता है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी निवासीय स्थिति ज्ञात कीजिए।

Mr. Border, a foreign cricketer, whose previous year is the financial year comes to India for 110 days every year since the financial year 1986-87. Find out his residential status for the assessment year 1997-98. [8]

(Sukhadia B. Com., 1993)

उत्तर—असाधारण निवासी।

10. एक्स एक भारतीय नागरिक है, जो नाइजीरिया सरकार द्वारा एक उच्च कर अधिकारी नियुक्त किया जाता है, नाइजीरिया में अपनी ड्यूटी प्रारम्भ करने हेतु पहली बार भारत को 26 सितम्बर, 1996 को छोड़ता है। गत वर्ष 1997-98 के दौरान वह भारत में 182 दिनों के लिये आता है। एक्स का कर निर्धारण वर्ष 1997-98 व 1998-99 के लिये निवास स्थान का निर्धारण कीजिए।

X, an Indian citizen, who is appointed as senior taxation officer by the Government of Nigeria, leaves India, for the first time on 26th September, 1996 for joining his duties in Nigeria. During the previous year 1997-98 he comes to India for 182 days. Determine the residential status of X for the assessment years 1997-98 and 1998-99.

(Sukhadia B.Com.1997)

उत्तर—प्रथम वर्ष में अनिवासी तथा दूसरे वर्ष में निवासी होगा। [9]

11. एक्स वाई, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का मुख्यालय हांग-कांग में स्थित है। परिवार का प्रबन्ध वाई के द्वारा किया जाता है जो गत वर्ष 1996-97 के पूर्व 10 वर्षों में से 7 वर्षों के लिये निवासी रहा। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 हेतु परिवार का निवास-स्थान निर्धारण कीजिये

    (i) यदि परिवार के व्यापार के मामले आंशिक रूप से भारत से नियन्त्रित होते हैं।

    (ii) यदि परिवार के व्यापार के मामले पूर्ण रूप से हांग-कांग से नियन्त्रित होते हैं।

    Head office of XY, a Hindu undivided family, is situated in Hong-Kong. The family is managed by Y Who is resident in India in 7 out of 10 years preceding the previous year 1996-97. Determine the residential status of the family for the assessment year 1997-98.

    (i) If the affairs of the family business are partly controlled from India.

    (ii) If the affairs of the family business are wholly controlled from Hong-Kong. **(Sukhadia B.Com. 1997)**

    उत्तर—(i) असाधारण निवासी (ii) अनिवासी। [10]

■■■

3
कर-मुक्त आयें
(Exempted Incomes)

कर-मुक्त आयें दो प्रकार की होती हैं। कुछ आय ऐसी होती हैं जो पूर्णतया कर से मुक्त होती हैं अर्थात् जिनको न कुल आय में सम्मिलित करते हैं और न जिन पर कर लगता है। दूसरी ओर कुछ आय ऐसी होती हैं जिनको कुल आय में तो सम्मिलित करते हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में औसत दर से छूट दी जाती है।

(A) पूर्णतः कर-मुक्त आयें
(Fully Exempted Incomes)

आयकर अधिनियम की धारा-10 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो कर-मुक्त हैं तथा कुल आय में सम्मिलित नही की जाती। अध्ययन की सुविधा के लिये इन आयों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है—

I. सभी करदाताओं के लिये कर मुक्त आयें
II. कर्मचारी करदाताओं के लिये कर मुक्त आयें
III. अनिवासी करदाताओं के लिये कर मुक्त आयें
IV. गैर नागरिक करदाताओं के लिये कर मुक्त आयें
V. संस्थाओं के लिये कर मुक्त आयें।

I. सभी करदाताओं के लिये कर मुक्त आये—

(1) कृषि आय—भारत में स्थित भूमि से कृषि आय कर मुक्त होती है। विदेश में स्थित कृषि भूमि की आय कर योग्य होती है परन्तु केवल निवासी व्यक्ति ही उस पर कर देता है। इस आय का विस्तृत विवरण प्रथम अध्याय में किया जा चुका है।

(2) हिन्दू अविभाजित परिवार से आय—हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त कोई धनराशि चाहे परिवार की आय पर कर लगा हो अथवा नहीं लगा हो। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में मिला देता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की आय में ही सम्मिलित की जायेगी, परिवार की आय में नहीं।

(3) साझेदार को फर्म से आय—यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी फर्म में साझेदार है जिस पर पृथक से कर निर्धारण किया गया है तो ऐसी फर्म की कुल आय में साझेदार का भाग पूर्णतः कर मुक्त होगा। परन्तु साझेदार को फर्म से प्राप्त वेतन एवं ब्याज कर मुक्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस वाक्यांश के लिये फर्म की कुल आय में साझेदार का भाग ऐसी राशि होगी जो फर्म की कुल आय से वही अनुपात रखती है जो अनुपात साझेदारी संलेख के अनुसार उसके लाभ का भाग फर्म के ऐसे लाभों से रखता है।

उदाहरण—एक फर्म में अ एवं ब साझेदार हैं जो 2 : 1 में लाभ विभाजन करते हैं। यदि फर्म की कुल आय 60,000 रू. है तो अ का भाग 40,000 रू. और ब का भाग 20,000 रू. होगा।

(4) आकस्मिक आय (Casual Income) – आकस्मिक आय से आशय उन प्राप्तियों से है जो आकस्मिक (Casual) प्रकृति की हों और बार-बार प्राप्त होने वाले स्वभाव (Recurring) की न हों।

इस प्रकार की प्राप्तियाँ कुल मिलाकर 5,000 रू. तक आय-कर से मुक्त होती हैं। यदि ऐसी प्राप्तियों का कुल योग 5,000 रू. से अधिक है तो ये प्राप्तियाँ 5,000 रू. तक ही कर-मुक्त होंगी और शेष राशि को कर देय आय में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु यदि ऐसी प्राप्तियाँ घुड़दौड़ या अन्य किसी दौड़ में जीती गई इनाम से सम्बन्धित हैं तो ऐसी प्राप्तियाँ 5,000 रू. के स्थान पर 2,500 रू. तक ही कर मुक्त होंगी। 2,500 रू. से अधिक राशि को कर-योग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा। उदाहरण के लिये किसी करदाता को गत वर्ष 1996-97 में 2,000 रू. की राशि लाटरी के इनाम के रूप में प्राप्त हुई तथा 3,000 रु. की राशि उसके द्वारा दौड़ में जीती गई। ऐसी स्थिति में कर-मुक्त राशि 4,500 रू. ही होगी तथा 500 रू. की राशि को कर-योग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा।

आकस्मिक एवं बार-बार उत्पन्न न होने वाले स्वभाव की प्राप्तियों पर कर केवल उसी दशा में लगाया जाता है जबकि इन प्राप्तियों को साधारण अर्थ में अथवा आय-कर अधिनियम में दिये गये अर्थ में आय समझा जाये। व्यक्तिगत रूप में दी जाने वाली भेंट पूर्णतया कर से मुक्त रहेंगी।

आय-कर अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्राप्तियाँ आकस्मिक आय में शामिल नहीं की जायेंगी—

(i) पूँजी-लाभ जो धारा-45 के अनुसार कर योग्य है,

(ii) व्यापार अथवा पेशे से उदय हुई प्राप्तियाँ,

(iii) एक कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जाने वाली अन्य प्राप्तियाँ। जैसे— बोनस, कमीशन, ग्रेच्युइटी आदि।

आय को "आकस्मिक प्रकृति" के होने तथा 'बार-बार प्राप्त न होने वाले स्वभाव' (non-recurring-nature) की होने आदि शब्दों का स्पष्टीकरण आय-कर अधिनियम में नहीं दिया गया है। अतः कोई प्राप्ति आकस्मिक आय है अथवा नहीं इसके निर्धारण के लिए अक्सर शब्दकोशों में दिये गये अर्थ या विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की सहायता लेनी होती है। आकस्मिक शब्द का अर्थ है संयोग से अथवा बिना किसी पूर्व आशा व अनुमान के अथवा अचानक आदि। एक निर्णय के अनुसार आकस्मिक आय का अनुमान पहले से ही नहीं किया जा सकता है तथा इस आय के सम्बन्ध में प्रसंविदा नहीं होता है परन्तु ऐसा कहना पूर्णतः उचित नहीं है क्योंकि शर्त व सट्टे से होने वाले लाभ का अनुमान पहले से ही होता है फिर भी ये आकस्मिक आय हैं।

इस प्रकार 'बार-बार आने वाले स्वभाव की न होना' शब्द का अर्थ यह नहीं होता है कि इनका दुबारा आना असम्भव है। इसका सीधा-साधा अर्थ यह है कि इसकी नियमित रूप से बार-बार आने की सम्भावना नहीं रहती। कुछ प्राप्तियाँ बार-बार प्राप्त होने वाले स्वभाव की होती हैं तथा जिनकी प्राप्ति के बारे में थोडी बहुत निश्चितता होती है, फिर भी ये आकस्मिक आय के अन्तर्गत आती हैं। जैसे—जन्म दिवस पर मिली हुई भेंट।

प्रकृति के अनुसार जन्म दिवस पर मिलने वाली भेंट आकस्मिक आय होती है, परन्तु सरकार ने एक परिपत्र जारी करके इस प्रकार की प्राप्तियों को पूर्णत. कर-मुक्त घोषित किया है।

आकस्मिक आय की परिभाषा को निम्न उदाहरणों के प्रकाश में अच्छी तरह समझा जा सकता है—

(i) सड़क पर पड़ी हुई मिलने वाली वस्तु अथवा कोई धन, शर्त जीतने पर मिलने वाली रकम, लाटरी का इनाम, अपने जन्म-दिवस पर मित्रों अथवा सम्बन्धियों से प्राप्त भेंट आकस्मिक *आय होती हैं।*

(ii) यदि एक व्यक्ति सट्टे का व्यापार करता है तो सट्टे से प्राप्त आय आकस्मिक आय नही कही जायेगी। परन्तु एक दूसरा व्यक्ति कभी संयोग से एक सट्टे का सौदा करके आय प्राप्त करे तो उसकी आय आकस्मिक आय कहलायेगी।

(iii) यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यापार अथवा पेशे के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से स्वेच्छा से कोई इनाम या भेंट प्राप्त होती है तो वह आकस्मिक आय नहीं होती है। जैसे—होटल के *बैरे या टैक्सी ड्राइवर को मिलने वाला इनाम। एक डॉक्टर को अपने रोगियों से फीस के* अतिरिक्त मिली राशि या अन्य व्यक्तियों से जो उसके पेशे से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हों, मिली राशि भी आकस्मिक आय नहीं होती।

(iv) यदि किसी खोए हुए बच्चे को कोई व्यक्ति घर पहुँचा देता है और उस बच्चे के घरवाले उस व्यक्ति को कुछ इनाम देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए यह आय आकस्मिक आय होगी।

(v) *किसी वाद-विवाद प्रतियोगिता या ऐसी ही किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने पर* मिला हुआ पारितोषिक आकस्मिक आय होती है। ऐसा करना उस व्यक्ति का शौक होना चाहिये, पेशा नहीं।

(vi) दो व्यक्तियों के मध्य में होने वाले किसी झगड़े को निपटा देने पर मिला कोई इनाम आकस्मिक आय है, परन्तु इस सम्बन्ध में पहले से न तो कोई राशि तय की जानी चाहिये और न ही उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त होने की आशा होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्य करना उस व्यक्ति का पेशा नहीं होना चाहिये।

(vii) प्राध्यापकों को प्रश्न-पत्र बनाने और परीक्षा की कापियों को जांचने के लिए मिली हुई फीस आकस्मिक आय नहीं है, भले ही यह ऐसे विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई हो जिससे ऐसी आय की प्राप्ति के बारे में करदाता ने सोचा भी नहीं था।

(viii) एक व्यक्ति जो लगातार घुड़दौड़ में बाजी लगाता है उसके लाभों पर कर लगाया जा सकता है और उसकी आय आकस्मिक आय नहीं होगी बशर्ते कि वह ऐसा शौक के कारण नहीं करता वरन् पेशे के रूप में करता है।

(ix) एक व्यक्ति द्वारा सेवा प्रदान करने के बदले में अर्जित की हुई आय आकस्मिक आय नहीं हो सकती। उदाहरण के लिये किसी भी कम्पनी के कर्मचारी को मिला हुआ बोनस या सेक्रेटरी को अंशों की बिक्री करने के सम्बन्ध में मिला हुआ कमीशन।

(5) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को भुगतान—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का विधियन) अधिनियम, 1985 [Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985] एवं उसके तहत बनाई गई किसी योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को कोई भुगतान किया गया हो तो ऐसा भुगतान आय-कर से मुक्त होगा। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को इस त्रासदी के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो तथा उस हानि या क्षति की राशि को आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कटौती प्रदान कर दी गई हो तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिये दी गई रकम उस सीमा तक कर मुक्त नहीं होगी जिस सीमा तक कटौती प्रदान कर दी गई है।

(6) जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त रकम—जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई राशि एवं ऐसी पॉलिसी के सम्बन्ध में आवंटित बोनस की राशि कर मुक्त होगी। परन्तु धारा 80DDA(3) के अन्तर्गत प्राप्त राशि एवं 'महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पालिसी' के अन्तर्गत प्राप्त कोई राशि एवं उसके सम्बन्ध में आवंटित बोनस की राशि कर मुक्त नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी से आशय एक व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के जीवन पर ली गई पॉलिसी से है जो इस व्यक्ति का कर्मचारी था अथवा है अथवा जो इस व्यक्ति के व्यापार से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ था अथवा जुड़ा हुआ है।

(7) प्रतिभूतियां एवं जमा राशियों पर ब्याज—निम्नलिखित ब्याज एवं दूसरे भुगतान कर-मुक्त हैं—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित ऐसी प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, एन्युइटी सर्टीफिकेट, सेविंग्स सर्टीफिकेट, अन्य सर्टीफिकेट एवं जमाओं की ब्याज के रूप में आय, शोधन पर प्रीमियम अथवा अन्य भुगताम कर मुक्त होंगे बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस आशय के लिए सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके इनका उल्लेख कर दे। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में सीमाएँ एवं शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

(ii) एक व्यष्टि एवं एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में—

(अ) ऐसे पूँजी विनियोग बॉण्ड्स का ब्याज कर मुक्त होगा जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय की घोषणा सरकारी गजट के माध्यम से कर दी जाये।

(ब) ऐसे राहत-पत्रों का ब्याज कर मुक्त होगा जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया जाये।

(iii) निम्नलिखित व्यक्तियों को देय ऐसे बॉण्ड्स का ब्याज जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए सरकारी गजट के माध्यम से घोषणा कर दी जाये—

(अ) एक भारतीय अनिवासी व्यष्टि जिसके स्वामित्व में ऐसे बॉण्ड्स हैं।

(ब) ऐसे बॉण्ड्स का धारक कोई भी व्यष्टि जो एक भारतीय अनिवासी व्यष्टि का नामांकिती या उत्तरजीवी है।

(स) ऐसा कोई भी व्यष्टि जिसको एक भारतीय अनिवासी व्यष्टि द्वारा ऐसे बॉण्ड्स उपहार में दिये गये हैं।

उपरोक्त छूट के लिए यह आवश्यक है कि ये बॉण्ड्स भारतीय अनिवासी व्यष्टि द्वारा विदेशी विनिमय में प्राप्त किये गये हों तथा इनकी परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज एवं मूलधन को भारत से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं हो। यदि अनिवासी भारतीय व्यष्टि आगे चलकर किसी वर्ष में निवासी हो जाता है तो भी उसे इस वाक्यांश की छूट प्राप्त होती रहेगी। परन्तु यदि कोई व्यष्टि जो इनकी परिपक्वता के पूर्व इनका भुगतान प्राप्त करने की पात्रता रखता है, वास्तव मे परिपक्वता के पूर्व भुगतान प्राप्त कर लेता है तो उस गत वर्ष से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष में इस वाक्यांश की छूट नहीं मिलेगी।

(iv) उन सब प्रतिभूतियों का ब्याज जो श्रीलंका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग के पास हैं।

(v) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारत के बाहर समायोजित किसी ऐसी बैक को दिया गया ब्याज जिसे केन्द्रीय बैंक का कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया हो।

(vi-अ) सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर के साधनों से उधार लिए हुए ऋण या देय रकम पर ब्याज।

(आ) किसी भारतीय औद्योगिक संस्था द्वारा विदेश में स्थित ऐसी वित्त संस्था से लिए हुए ऋणों पर देय ब्याज, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित हो।

(इ) भारतीय औद्योगिक संस्था द्वारा भारत के बाहर मशीन, प्लांट व कच्चे माल को खरीदने हेतु लिए गए ऋण या उधार पर देय ब्याज। ब्याज की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि तक ही कर-मुक्त होगी।

(ई) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा आयात-निर्यात बैंक अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा लघु उद्योग बैंक भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम द्वारा भारत के बाहर लिए गए ऋण पर ब्याज उस सीमा तक कर-मुक्त होगा जो केन्द्रीय सरकार ऋण की राशि एवं उनके पुनर्भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित कर दे।

(उ) अन्य किसी वित्तीय संस्था द्वारा अथवा बैंकिंग कम्पनी द्वारा भारत के बाहर लिए गए ऋण का ब्याज उस सीमा तक कर-मुक्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित कर दे। इस ऋण का समझौता भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिये तथा इस ऋण का प्रयोग भारत में औद्योगिक सस्थाओं को कच्चा माल, प्लाण्ट एवं मशीनरी [पूँजीगत] खरीदने के लिए अथवा आवश्यक वस्तुओं के आयात करने के लिए उधार देने के रूप में किया जाना चाहिये।

(ऊ) भारत में किसी भी औद्योगिक उपक्रम दारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण के प्रसंविदे के अन्तर्गत भारत के बाहरी साधनों से विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण का ब्याज उस सीमा तक कर-मुक्त होगा जिस सीमा तक केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदित किया हो।

(ए) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा विदेशी विनिमय में स्वीकृत की गई जमा की राशि पर अनिवासी अथवा असाधारण निवासी को देय ब्याज कर-मुक्त होगा बशर्ते कि ऐसी जमा करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(ऐ) भारत में निर्मित एवं पंजीकृत ऐसी सार्वजनिक कम्पनी द्वारा देय ब्याज जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में रहने के लिए खरीदे जाने वाले या बनवाये जाने वाले मकानों हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। यह कम्पनी धारा 36 (1) के उपवाक्य (vii) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार

द्वारा अनुमोदित होनी चाहिये। यह ऋण भारत के बाहर से विदेशी मुद्रा में लिया जाना चाहिये तथा ऋण सम्बन्धी समझौते का अनुमोदन भी केन्द्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ऋण के पुनर्भुगतान एवं अन्य शर्तों के आधार पर ब्याज की दर का निर्धारण करेगी। कम्पनी द्वारा दिया गया ब्याज निर्धारित दर तक ही प्राप्तकर्ता के लिए कर-मुक्त होगा।

(ओ) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसे बॉन्ड्स अथवा ऋणपत्रों पर देय ब्याज जिनको केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में इस आशय के लिए निर्दिष्ट कर दिया हो। इस छूट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। इन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि इन बॉण्ड्स अथवा ऋण-पत्रों के धारक को अपना नाम एवं उसके द्वारा धारित बॉण्ड्स अथवा ऋण-पत्रों की संख्या को उस कम्पनी के यहाँ पंजीकृत कराना होगा।

(औ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के किसी कर्मचारी को उसके द्वारा जमा की ऐसी राशियों पर देय ब्याज जो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी योजना के अनुसार हो जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया हो। जमा ऐसी राशि में से की जानी चाहिए जो किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर देय हो। सेवानिवृत्ति चाहे भले ही निर्धारित आयु पर की गई हो अथवा अन्य किसी कारण से की गई हो दोनों ही परिस्थितियों में कर्मचारी को यह छूट प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण—इस उप-वाक्यांश (*vi*) के लिये औद्योगिक उद्यम से आशय किसी ऐसे उद्यम से है जो निम्न कार्यों में से किसी कार्य में लगा हुआ हो—

(a) वस्तुओं के निर्माण अथवा प्रसंस्करण,

(b) विद्युत अथवा किसी अन्य रूप में शक्ति के उत्पादन एवं वितरण का व्यवसाय,

(c) खनन कार्य,

(d) समुद्री जहाजों का निर्माण,

(e) जहाजों एवं हवाई जहाजों को चलाने का कार्य अथवा रेल व्यवस्था के निर्माण एवं चलाने का कार्य।

(*vii*) (अ) भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त द्वारा रिज़र्व बैंक के SGL खाता संख्या *SL/DH 048* में धारित प्रतिभूतियों पर ब्याज।

(ब) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों के लाभ के लिये रिजर्व बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ऐसे खाते में जमा रकम का ब्याज जिस केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाये।

(8) छात्रवृत्तियाँ—शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए स्वीकृत छात्रवृतियाँ।

(9) सांसदो एवं विधायकों के भत्ते—इनका विस्तृत वर्णन अन्य साधनों से आय वाले अध्याय में दिया गया है।

(10) पुरस्कार एव पारितोषिक—निम्न पुरस्कार चाहे नकद दिया गया हो अथवा वस्तु के रूप में दिया गया हो, पूर्णतया कर मुक्त होता है—

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जन हित में दिया गया कोई पुरस्कार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार बशर्ते कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित हो, अथवा

(ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया इनाम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए जन हित में अनुमोदित हो।

(11) प्रीविपर्स के बदले आय—प्रीविपर्स की समाप्ति पर भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वेच्छापूर्वक (Ex-gratia) किया गया कोई भुगतान।

(12) भूतपूर्व शासकों के मकान की आय—भारतीय रियासतों के भूतपूर्व शासकों के निवास स्थान के लिए प्रयोग किये जा रहे किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य, बशर्ते कि इस प्रकार के महल का वार्षिक मूल्य 1972 के पूर्व किसी अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर से मुक्त था। *कोई भाग किराये पर उठाने से प्राप्त किराया कर योग्य होगा।*

(13) अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आय—अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के उन सदस्यों की जो जनजातियों वाले क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा राज्य में रहते है, की निम्न आयें—

(i) जो उन्हें उक्त प्रदेशों एवं क्षेत्रों में किसी साधन से उपार्जित एवं उदय हुई हो,

(ii) जो लाभाश या प्रतिभूतियों के ब्याज की तरह उपार्जित हुई हों।

(14) सिक्किम सरकार की लाटरी का इनाम—किसी व्यक्ति की ऐसी आय जो उसे ऐसी लाटरी से इनाम के रूप में प्राप्त होती है जिसका ड्रा (Draw) सिक्किम सरकार और ऐसी लाटरी के सचालन अभिकर्ता के मध्य 28 फरवरी, 1989 को या इससे पूर्व किये गये ठहराव की अनुपालना में निकाला जाता है, पूर्णतया कर-मुक्त होगी, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति किसी गत वर्ष में सिक्किम राज्य का निवासी हो।

उपर्युक्त के लिये किसी भी व्यक्ति को सिक्किम राज्य का निवासी माना जायेगा यदि वह व्यक्ति आय-कर अधिनियम की धारा 6 में वर्णित निवास-स्थान से सम्बन्धित शर्तों की पूर्ति इस सशोधन के साथ कर दे कि जहाँ-जहाँ उस धारा में भारत लिखा है वहाँ-वहाँ सिक्किम लिखा हुआ माना जाये।

(15) कर जमा पत्र—कर जमा पत्रों (Tax Credit Certificates) से सम्बन्धित प्राप्त समायोजित धनराशि। इस प्रावधान को कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से निरस्त कर दिया गया है।

(16) चाय बोर्ड से सहायता व अनुदान—भारत में चाय का उत्पादन अथवा निर्माण करने वाले करदाता द्वारा चाय बोर्ड (Tea Board) से अथवा उसके माध्यम से चाय के पौधों को पुनः लगाने अथवा नवीनीकरण के लिए चाय की खेती के लिए प्रयोग की गई भूमि के पुनः तैयार करने अथवा चकबन्दी करने के लिए प्राप्त कोई सहायता, बशर्ते कि करदाता अपनी आय के नक्शे के साथ अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अवधि बढा दिये जाने की दशा में बढ़ाई गई अवधि के अन्दर चाय बोर्ड का एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि गत वर्ष में उसे चाय बोर्ड से अथवा चाय बोर्ड के माध्यम से सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है।

(17) रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड एवं अन्य अधिसूचित बोर्ड से प्राप्त सहायता व अनुदान—भारत में रबर, कॉफी, इलायची एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी वस्तु का उत्पादन अथवा निर्माण करने वाले करदाता द्वारा सम्बन्धित बोर्ड से अथवा उनके माध्यम से रबर के पौधों, कॉफी के पौधों, इलायची के पौधों अथवा अन्य अधिसूचित वस्तु के पौधों को पुनः लगाने अथवा नवीनीकरण के लिए अथवा इन वस्तुओं की खेती के लिए प्रयोग की गई भूमि के पुनः तैयार करने अथवा चकबन्दी करने के लिए प्राप्त कोई सहायता बशर्ते कि करदाता अपनी आय के नक्शे के साथ अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधि बढ़ा दिये जाने की दशा में बढ़ाई गई अवधि के अन्दर सम्बन्धित बोर्ड का एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि गत वर्ष में उसे बोर्ड से अथवा उसके माध्यम से सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है।

सम्बन्धित बोर्ड से अभिप्राय जैसी भी स्थिति हो रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड अथवा अन्य किसी अधिसूचित बोर्ड से होगा।

(18) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ—मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ पाँच कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर मुक्त रहे हैं। कर-निर्धारण वर्ष, 1988-89 से करदाता को यह विकल्प दिया गया है कि वह 8 वर्षों की अवधि में किन्हीं 5 लगातार वर्षों का लाभ कर-मुक्त मान सकता है। इसका विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे किया गया है।

(19) शत-प्रतिशत निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले उद्यम की आय—ऐसे उत्पादन कर्ता को मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों को दी जाने वाली छूट के समान ही छूट दी जाती है। इसका भी विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे किया गया है।

(20) अवयस्क बच्चे की आय के सम्बन्ध में कर मुक्ति—यदि किसी करदाता की कुल आय में धारा 64 (1A) के प्रावधानों के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे की आय को सम्मिलित किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक बच्चे की उक्त धारा के तहत जोडी जाने वाली आय 1,500 रू. तक कर मुक्त होगी तथा इससे अधिक राशि को ही उक्त धारा के अन्तर्गत उस करदाता की आय में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त धारा के तहत अवयस्क बच्चे की कुछ आयें उसके माता-पिता की आय में सम्मिलित की जाती हैं।

(21) सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि—सार्वजनिक भविष्य निधि खाते से प्राप्त कोई भी भुगतान पूर्णतः कर-मुक्त होता है। इस भविष्य निधि की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है।

(22) सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम से सम्बन्धित पारिश्रमिक—यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के मध्य हुए समझौते के अधीन जिसमें इस छूट का उल्लेख हो, भारत में सहकारी प्राविधिक सहायता प्रोग्राम (Co-operative Technical Assistance Programme) के अन्तर्गत कार्य कर रहा है तो उसे इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस विदेशी सरकार से मिलने वाला पारिश्रमिक।

इसके साथ ही इस व्यक्ति की अन्य किसी आय पर भी जो उसे भारत के बाहर उपार्जित एवं उदय होती है, भारत में आय-कर नहीं लगेगा, बशर्ते कि उस आय पर उस विदेशी सरकार को कोई आय-कर या अन्य सुरक्षा कर देय हो।

II. कर्मचारी करदाताओं के लिये कर-मुक्त आयें—

(1) यात्रा-व्यय में सहायता—केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी कर्मचारी को यात्रा व्यय में सहायता। इसका विस्तृत विवरण वेतन शीर्षक की आय वाले अध्याय में दिया गया है। [देखिये अध्याय-4]

(2) भारतीय नागरिक को विदेश में देय भत्ते एवं अनुलाभ—भारत के किसी नागरिक को विदेश में सेवा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये भत्ते व अनुलाभ।

(3) कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न आयें—

निम्न राशियाँ वेतन की आय से सम्बन्धित हैं। ये प्राप्तियाँ पूर्णतया अथवा निर्धारित सीमा तक कर-मुक्त होती हैं—

(i) कर्मचारियों को नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युइटी।
(ii) पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि।
(iii) सेवा निवृत होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नकद भुगतान।
(iv) छंटनी के समय प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।
(v) वैधानिक प्रा.फ. से प्राप्त एकत्रित राशि।
(vi) प्रमाणित प्रा.फ. से प्राप्त एकत्रित राशि।
(vii) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि।
(viii) नियोक्ता से प्राप्त मकान किराया भत्ता।
(ix) यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता।
(x) स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर नियोक्ता से प्राप्त राशि।

उपरोक्त व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण अध्याय-4 (वेतन शीर्षक की आय) में दिया गया है।

(4) कर्त्तव्य पालन में किये गये व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता—किसी कर्मचारी को *प्राप्त ऐसा विशिष्ट भत्ता जो पूर्णतया उसके पद सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए किए* गये व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया हो एवं जिसको आय-कर नियमों के अन्तर्गत कर मुक्त कर दिया हो। ऐसा भत्ता उस सीमा तक ही कर मुक्त होगा जिस सीमा तक कर्मचारी द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के लिये इसे वास्तव में व्यय कर दिया जाता है। ऐसे भत्तों का विस्तृत वर्णन वेतन शीर्षक की आय में किया गया है।

(5) निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता—किसी कर्मचारी को ऐसे स्थान पर जहाँ सामान्यतया उसके पद या नियोजन सम्बन्धी कार्य किया जाता है अथवा जहाँ वह सामान्यतया रहता है, उसके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु अथवा जीवन-निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत विशेष भत्ता उस सीमा तक कर-मुक्त होगा जिस सीमा तक आय-कर नियमों के अन्तर्गत कर-मुक्त कर दिया जाये। ऐसे भत्तों का विस्तृत वर्णन वेतन शीर्षक की आय के अन्तर्गत किया गया है।

III. अनिवासी करदाताओ की कर-मुक्त आयें

(1) अनिवासी व्यक्ति करदाता को ब्याज की आय—

(अ) एक अनिवासी व्यक्ति को ऐसी प्रतिभूतियों अथवा बॉण्ड्स पर ब्याज के रूप में होने वाली आय जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिये गये हों। बॉण्ड्स की आय में ऐसे बॉण्ड्स के शोधन पर प्रीमियम के रूप में होने वाली आय भी शामिल है।

(ब) एक व्यष्टि को भारत में स्थित किसी बैंक में Non-Resident (External) Account के रूप में खुले हुए उसके खाते में जमा रकम पर देय ब्याज, बशर्ते यह विदेशी विनिमय नियम अधिनियम, 1973 और उसके अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार हो। यह छूट उन व्यष्टि करदाताओं को ही प्राप्त होगी जो विदेशी विनिमय अधिनियम 1973 की धारा 2 (q) के अनुसार भारत के बाहर या विदेश में निवासी हैं अथवा जिनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के किसी बैंक में ऐसा खाता खोलने एवं उसमें धन जमा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(स) एक ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल का हो तथा जो अनिवासी हो, ऐसे बचत-पत्रों से प्राप्त ब्याज की आय कर-मुक्त होगी जिनका निर्गमन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई हो। इस कर-मुक्ति का लाभ उस व्यक्ति को उसी स्थिति में प्राप्त हो सकेगा जबकि उसने ये बचत पत्र परिवर्तनशील विदेशी विनिमय में क्रय किये हों तथा जो विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1973 एवं सम्बन्धित नियमों के तहत भारत के बाहर के किसी देश से भेजी गई हो।

स्पष्टीकरण—इस आशय के लिए—

(i) एक व्यष्टि को भारतीय मूल का समझा जायेगा यदि वह स्वयं अथवा उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो।

(ii) परिवर्तनशील विदेशी विनिमय से आशय ऐसे विदेशी विनिमय से होगा जो कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1973 एवं उससे सम्बन्धित नियमों के लिये परिवर्तनशील विदेशी विनिमय समझा जाये।

(2) तकनीकी विशेषज्ञ को वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान—यदि कोई व्यष्टि करदाता भारत सरकार, स्थानीय सत्ता, किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा भारत में स्थापित अनुसन्धान कार्य करने के लिये निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कोई संस्था अथवा भारत में किसी चलते हुए व्यापार में 31 मार्च, 1993 के बाद प्रविधिज्ञ की तरह सेवायें प्रदान करता है तथा उसके वेतन शीर्षक की कर योग्य आय पर कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा सरकार को कर दिया जाता है तो उसके भारत आने की तिथि से 48 माह की अवधि तक इस प्रकार चुकाये गये कर को उसकी आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा बशर्ते कि ऐसा व्यष्टि जिस वित्तीय वर्ष में भारत में आया है उसके तुरन्त पहले के चार वर्षों में कभी भी भारत में निवासी न रहा हो।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक हित में आवश्यक एवं उचित समझे तो इस शर्त को ऐसी किसी प्रविधिज्ञ के लिये निरस्त कर सकती है जिसकी नियुक्ति मशीन एवं प्लाण्ट का डिजाइन करने, लगाने या चालू करने अथवा उन क्रियाओं के पर्यवेक्षण कार्य करने के लिए की गई हो।

स्पष्टीकरण—इस छूट के लिए प्रविधिज्ञ से आशय निम्न कार्यों में विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले व्यक्ति से है—

(अ) निर्माण कार्य अथवा खान के कामों में अथवा बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति का उत्पादन, अथवा

(ब) कृषि, पशुपालन, डेयरी, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने अथवा जहाज बनाने के कार्य, अथवा

(स) ऐसे कार्य जिनकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में कर दी जाय।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ के लिये विदेशी नागरिक होना आवश्यक नहीं है।

(3) विदेशी जहाज पर नौकरी से आय—किसी अनिवासी व्यष्टि (Individual) को विदेशी जहाज पर नौकरी के सम्बन्ध में प्राप्त पारिश्रमिक कर-मुक्त होता है, यदि यह पारिश्रमिक वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है तो वह व्यष्टि गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक नहीं ठहरता।

(4) प्रोफेसर या अध्यापक को नौकरी से आय—विश्वविद्यालय या अन्य किसी शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर या अध्यापक को वेतन शीर्षक के अन्तर्गत मिली हुई आय उसके भारत में आने की तिथि से 36 माह के लिए कर-मुक्त होती है। यदि वह व्यक्ति 36 माह की अवधि समाप्त होने पर भी भारत में अपनी सेवायें जारी रखता है और उसके वेतन शीर्षक की आय पर कर सम्बन्धित विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था द्वारा केन्द्रीय सरकार को चुका दिया गया है तो यह कर की राशि अगले 24 माह तक की अवधि के लिए उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों—

(अ) जिस वित्तीय वर्ष में वह भारत में आया है उसके तुरन्त पहले के चार वित्तीय वर्षों में वह कभी भी भारत में निवासी न रहा हो, तथा

(ब) उसकी नौकरी का अनुबन्ध नौकरी प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा नौकरी प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो।

(5) फिल्म की शूटिंग की आय—फिल्म की शूटिंग के लिए अनिवासी व्यक्ति भारत में आता है तो ऐसी शूटिंग से उसे प्राप्त आय।

(6) विदेशी कम्पनी की तरफ से चुकाया गया कर—यदि एक विदेशी कम्पनी को सरकार या भारतीय संस्था से तकनीकी सेवाओं के बदले रायल्टी या फीस के रूप में कोई आय प्राप्त होती है जिसके सम्बन्ध में सरकार या भारतीय संस्था से 31 मार्च, 1976 के पश्चात् समझौता किया गया हो तथा समझौते का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो तथा समझौते की शर्तों के अनुसार ऐसी आय पर केन्द्रीय सरकार को कर सरकार या भारतीय संस्था द्वारा देय है तो इस प्रकार चुकायी गई कर की राशि विदेशी कम्पनी की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी। यदि समझौते की विषय सामग्री भारत सरकार की औद्योगिक नीति में वर्णित

विषय सामग्री के अनुसार ही है तो 1 जून 1992 से ऐसे समझौते के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(7) अनिवासी की आय पर सरकार या भारतीय संस्था द्वारा कर का भुगतान—एक गैर-कम्पनी अनिवासी करदाता की आय पर कर का भुगतान इन करदाताओं की ओर से सरकार या भारतीय संस्था के द्वारा कर दिया जाता है तो ऐसे अनिवासी करदाता की कुल आय की गणना करते समय इस प्रकार चुकाई गई कर की राशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस छूट की अन्य प्रमुख बातें निम्न हैं—

(i) यह छूट वेतन, रायल्टी एवं तकनीकी फीस को छोड़कर अन्य आय पर लागू होती है।

(ii) ऐसी आय केन्द्रीय सरकार एवं विदेशी सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ किये गये समझौते के तहत उदय होनी चाहिये।

(iii) ऐसे समझौते का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा होना आवश्यक है।

(8) विदेशी कम्पनी को तकनीकी सेवाओं के बदले प्राप्त पारिश्रमिक—ऐसी विदेशी कम्पनी को तकनीकी सेवाओं के बदले प्राप्त पारिश्रमिक जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए सरकारी गजट में कर दी गई हो। ऐसी फीस भारत की सुरक्षा के सम्बन्ध में भारत में तथा भारत के बाहर दी गई सेवाओं के लिये विदेशी सरकार के साथ किये गये अनुबन्ध के तहत प्राप्त की जानी चाहिये।

(9) सलाहकार को पारिश्रमिक अथवा फीस के रूप में प्राप्त आय—तकनीकी सहायता कार्यक्रम के सलाहकार को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (एजेन्सी) से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त पारिश्रमिक अथवा फीस कर मुक्त होगी बशर्ते कि ऐसे पारिश्रमिक अथवा फीस का भुगतान उस कोष से किया गया हो जो इस संगठन को विदेशी सरकार द्वारा इस संगठन एवं विदेशी सरकार के मध्य हुए तकनीकी सहायता अनुदान के समझौते के अधीन उपलब्ध कराया गया हो।

इस सलाहकार की अन्य ऐसी आय पर भी भारत में आय-कर नहीं लगेगा जो उसे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय होती है तथा जिसे भारत में उपार्जित अथवा उदय नहीं माना जा सकता है बशर्ते कि उस आय पर उस सलाहकार द्वारा उसके मूल के देश की सरकार को कोई आय कर या सामाजिक सुरक्षा कर देय हो।

इस छूट के लिये यह आवश्यक है कि इस सलाहकार की नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (एजेन्सी) एवं केन्द्रीय सरकार के मध्य हुये समझौते के अन्तर्गत एजेन्सी द्वारा भारत में तकनीकी सेवाएँ करने के लिये की गई हो तथा सलाहकार की नियुक्ति का अनुबन्ध निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित होना चाहिये।

इस वाक्यांश के लिए सलाहकार से आशय निम्न से है—

(i) यदि सलाहकार एक व्यष्टि (Individual) है तो वह भारत का नागरिक नहीं होना चाहिये और यदि वह भारत का नागरिक हो तो आय कर के उद्देश्यों के लिये असाधारण निवासी होना चाहिये।

(ii) यदि सलाहकार व्यष्टि नहीं है अर्थात् फर्म अथवा कम्पनी है तो वह भारत में अनिवासी होना चाहिये।

(10) सलाहकार के कर्मचारी को पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त आय—केन्द्रीय सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (एजेन्सी) के मध्य हुये अनुबन्ध के अनुसार भारत में तकनीकी सहायता कार्यक्रम के सम्बन्ध में सेवाएँ प्रदान करने के लिये किसी व्यष्टि को नियुक्त किया जाता है तो उसकी निम्न आय कर-मुक्त होगी—

(i) उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त वाक्यांश (8) मे उल्लिखित सलाहकार से ऐसे कार्य के लिये प्राप्त पारिश्रमिक, एवं

(ii) उसकी अन्य आय जो उसे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय होती है तथा जिसे भारत में उपार्जित अथवा उदय नहीं माना जा सकता है बशर्ते कि उस आय पर उस व्यष्टि द्वारा उसके मूल के देश की सरकार को कोई आय-कर या सामाजिक सुरक्षा कर देय हो।

इस छूट के लिये यह आवश्यक है कि यह व्यष्टि उपर्युक्त वाक्यांश (8) में वर्णित सलाहकार का कर्मचारी है तथा या तो वह भारत का नागरिक नहीं है और यदि वह भारत का नागरिक है, तो भारत में असाधारण निवासी है।

ऐसे व्यष्टि की सेवा के अनुबन्ध का निर्धारित सत्ता द्वारा सेवा प्रारम्भ होने से पूर्व अनुमोदन होना आवश्यक है।

(11) वाक्यांश (9) एवं (10) में वर्णित व्यष्टियों के परिवार के सदस्यों की आय—उपर्युक्त वाक्यांशों में वर्णित व्यष्टियों के साथ भारत में आये हुये उनके परिवार के किसी सदस्य की वह आय जो उसे भारत के बाहर उपार्जित या उदय होती है तथा जिसे भारत में उपार्जित या उदय नहीं माना जा सकता, कर-मुक्त होगी बशर्ते कि ऐसी आय पर उस विदेशी सरकार को अथवा ऐसे सदस्य के मूल के देश की सरकार को कोई आय कर या अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा कर देय हो।

(12) हवाई जहाज या इसके ईन्जन को पट्टे पर देने से आय—विदेशी सरकार या अनिवासी व्यक्ति को एक ऐसी भारतीय कम्पनी से जो हवाई जहाज चलाने के व्यवसाय में लगी हुई है, हवाई जहाज या इसके ईंजन को पट्टे पर देने से प्राप्त भुगतान कर-मुक्त होगा।

IV. गैर नागरिक करदाताओं की कर-मुक्त आयें—ऐसे व्यष्टि के लिये जो भारत का नागरिक नहीं है, निम्नलिखित आयें पूर्णतया कर से मुक्त हैं—

(1) यात्रा व्यय में सहायता—केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को [अ] अपने मालिक से छुट्टी पर अपने विदेश स्थित घर जाने के लिये उसके स्वयं के तथा उसके जीवन-साथी एवं बच्चों के लिए मिला हुआ यात्रा-व्यय अथवा यात्रा-व्यय में सहायता, [ब] भारत के बाहर पूर्णकालीन शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की किसी भी छुट्टियों के दौरान भारत-यात्रा के लिये मिला हुआ यात्रा व्यय अथवा यात्रा व्यय में सहायता, [स] अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी से हटाये जाने पर स्वदेश जाने के लिये उसके स्वयं के, उसके जीवन-साथी एवं बच्चों के लिये मिला हुआ यात्रा-व्यय अथवा यात्रा-व्यय में कोई सहायता।

(2) **विदेशी दूतावास के अधिकारी व कर्मचारी की आय**—किसी विदेशी राज्य के दूतावास के अधिकारी भले ही उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, अथवा किसी विदेशी राज्य के व्यापारिक प्रतिनिधि अथवा इनमें से किसी भी अधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी के रूप में इनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक।

परन्तु ट्रेड कमिश्नर अथवा अन्य प्रतिनिधि के रूप में काम करने पर मिलने वाला पारिश्रमिक अथवा इनमें से किसी अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को मिलने वाला पारिश्रमिक उसी दशा में कर मुक्त होगा जबकि उस विदेशी सरकार द्वारा भारत के ऐसे ही अधिकारी अथवा उनके कार्यालय के कर्मचारियों को ऐसी ही छूट दी जाती है।

उपरोक्त किसी भी अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को यह छूट उसी दशा में दी जायेगी जबकि वह सदस्य उस देश का नागरिक है जिसका कि वह कार्यालय है तथा भारत में उस कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार, पेशा अथवा सेवा नही करता है।

(3) **विदेशी संस्था के कर्मचारी की आय**—किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी के रूप में भारत में रहते हुए की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक, बशर्ते—

(अ) उस संस्था का भारत में कोई व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं है।

(ब) उस गत वर्ष में वह कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक भारत में नहीं ठहरता।

(स) यह पारिश्रमिक नियोक्ता की इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य आय में से काटने योग्य नहीं है।

(4) **मानव कल्याण के लिए बनी संस्था के कर्मचारी की आय**—भारत के बाहर केवल लोकहित अथवा मानव कल्याण के उद्देश्य से स्थापित किसी संस्था अथवा समुदाय के कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में ऐसे उद्देश्यों के लिए भारत में दी गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक बशर्ते कि वह संस्था अथवा समुदाय अथवा वे उद्देश्य जिनके लिए वह भारत में सेवा प्रदान करेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

(5) **ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों की आय पर कर का भुगतान जिनकी सेवाएँ 1 अप्रैल, 1993 से पूर्व प्रारम्भ हुई हो**—ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ को कर मुक्ति का लाभ भारत का नागरिक न होने पर ही मिलता है। अन्य व्यवस्थाएँ 31 मार्च, 1993 के बाद सेवा देने वाले विशेषज्ञों जैसी ही हैं। इनका उल्लेख पृष्ठ संख्या 49 पर किया गया है।

(6) **शोध कार्य के लिये प्राप्त पारिश्रमिक**—यदि कोई व्यक्ति भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए आता है तो उसके भारत आने की तिथि से 24 माह बाद तक प्राप्त अथवा प्राप्य कोई धनराशि कर से मुक्त होती है बशर्ते की निम्न शर्तें पूरी कर दी जायें—

(अ) यह अनुसंधान कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा, अनुमोदित किसी अनुसंधान योजना के अन्तर्गत हो तथा यह अनुमोदन सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की 1 अक्टूबर से पहले प्राप्त हो गया हो, तथा

(ब) यह धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी सरकार या भारत के बाहर स्थापित किसी संस्था द्वारा देय हो अथवा दिया गया हो।

(7) **प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक**—किसी विदेशी सरकार के कर्मचारी द्वारा भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि में प्राप्त वेतन, बशर्ते कि इस प्रकार का प्रशिक्षण सरकारी कार्यालय या संस्था या सार्वजनिक उपक्रम में प्राप्त किया जा रहा हो।

V. संस्थाओं के लिये कर-मुक्त आयें—

(1) सार्वजनिक वित्तीय संस्था की विनिमय जोखिम प्रीमियम के रूप में आय (Exchange Risk Premium) [धारा 10 (14 A)]—एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था को ऐसी संस्था से विदेशी मुद्रा उधार लेने वाले व्यक्ति से विनिमय जोखिम के रूप में प्राप्त आय कर-मुक्त होगी बशर्ते, कि इस प्रीमियम की राशि को ऐसी संस्था द्वारा धारा 10 (23 E) में उल्लेखित कोष में जमा कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण—(i) सार्वजनिक वित्तीय संस्था से अभिप्राय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 4A में वर्णित संस्था से होगा।

(ii) विनिमय जोखिम प्रीमियम से अभिप्राय ऐसे प्रीमियम से होगा जिसका भुगतान सार्वजनिक वित्तीय सस्था से विदेशी मुद्रा उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा इस लिये किया जाता है जिससे कि वह संस्था इसके द्वारा उधार ली जाने वाली विदेशी मुद्रा की दर में होने वाले उच्चावचनों की जोखिमों को वहन कर सके।

(2) विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित निगम या संस्था की आय—अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति अथवा दलित वर्ग अथवा इनमें से किन्ही दो अथवा सभी के सदस्यों के *हितों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित* किसी निगम की आय अथवा किसी ऐसी संस्था की आय जिसको वित्तीय साधन पूर्णतया सरकार के द्वारा प्रदान किये गये हों।

स्पष्टीकरण—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अभिप्राय सविधान के अनुच्छेद 366 में दी गई परिभाषा से होगा तथा दलित वर्ग से आशय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अलावा नागरिकों के ऐसे वर्ग से है जिनको समय-समय पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये।

(3) सहकारी समितियों की आय—अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जाति अथवा दोनों के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिये स्थापित सहकारी समिति की आय कर-मुक्त होगी बशर्ते कि ऐसी सहकारी समिति की सदस्यता केवल अन्य इसी उद्देश्य के लिये स्थापित सहकारी समितियों को ही दी जाती है या इसे वित्तीय साधन सरकार अथवा ऐसी ही अन्य सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) विपणन प्राधिकरणों की आय—वस्तुओं के विपणन के लिए किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी सत्ता की कोई आय जो उसे गोदाम व भण्डार गृहों को किराये पर उठाने से प्राप्त हुई हो।

(5) स्थानीय सत्ता की आय—स्थानीय सत्ता की वह आय जो निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आती है—

(i) मकान सम्पत्ति से आय,
(ii) पूँजी लाभ,
(iii) अन्य साधनों से आय,
(iv) व्यापार या व्यवसाय की वह आय जो इसे अपने ही अधिकार क्षेत्र में सेवाओं व वस्तुओं की पूर्ति करने से उपार्जित या उदय हुई हो।
(v) अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पानी तथा बिजली की सेवायें प्रदान करने से होने वाली आय।

(6) भवन-निर्माण प्राधिकरण की आय—मकानों की आवश्यकता की पूर्ति करने या ग्राम अथवा नगरों के नियोजन, विकास अथवा सुधार हेतु भारत में स्थापित किसी सत्ता की आय।

(7) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय—ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को प्राप्त आय जो धारा 35 (1) (ii) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित हो बशर्ते कि यह आय पूर्णतया संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय कर दी जाये अथवा उन उद्देश्यों के लिए धारा 11 की व्यवस्थाओं के अनुसार संकलित कर ली जाये जिन उद्देश्यों के लिए संघ की स्थापना की गई है।

(8) विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान की आय—विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं की कोई आय बशर्ते कि इनकी स्थापना पूर्णतया शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए की गई है, लाभ कमाने के उद्देश्यों के लिए नहीं।

(9) चिकित्सालयों की आय—ऐसे अस्पतालों एवं संस्थाओं की आय जहाँ शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा की जाती है। परन्तु यह छूट तभी प्राप्त होगी जबकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है।

(10) समाचार ऐजेन्सी की आय—भारत में स्थापित ऐसी समाचार एजेन्सी की आय जिसका एक मात्र उद्देश्य भारत में समाचारों का संग्रहण करना एवं वितरण करना हो तथा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिये सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया हो। इस एजेन्सी के लिये यह आवश्यक है कि यह अपनी आय का प्रयोग अथवा संकलन समाचारों के संग्रहण एवं वितरण के लिये ही करे तथा किसी भी रूप में अपने सदस्यों में आय का वितरण नहीं करे। सरकार एक बार में तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिये ही अधिसूचना जारी करेगी परन्तु ये वर्ष अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के पूर्व के भी हो सकते हैं।

(11) खेल संघ की आय—भारत में स्थापित किसी ऐसी संस्था या संघ की आय जिसका उद्देश्य भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल या अन्य ऐसे खेलों पर नियन्त्रण करना तथा इन्हें प्रोत्साहन देना हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में घोषित कर दिये जायें। इस छूट को प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(i) वह संस्था या संघ अपनी आय को पूर्णतया उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयोग एवं एकत्रित करता है जिसके लिए यह स्थापित हुई है।

(ii) इसकी आय का कोई भी भाग किसी भी रूप में इसके सदस्यों में वितरित नहीं होना चाहिए, परन्तु इससे सम्बन्धित किसी संस्था या संघ को अनुदान दिया जा सकता है।

(iii) यह संस्था या संघ केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित हो।

(12) वकालत, डाक्टरी आदि व्यवसायों का नियन्त्रण करने वाले संघ की आय—भारत में स्थापित किसी ऐसे संघ या संस्था जिसका उद्देश्य वकालत, डॉक्टरी, एकाउण्टेन्सी, इन्जीनियरिंग, आरकीटेक्चर व केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसे अन्य व्यवसायों का नियन्त्रण करना एवं इन्हें प्रोत्साहन देना हो, निम्नलिखित आयों के अतिरिक्त अन्य आय आय-कर से मुक्त होती है—

(i) मकान सम्पत्ति की आय,

(ii) विनियोग से प्राप्त लाभांश या ब्याज की आय,

(iii) विशिष्ट सेवा से प्राप्त आय।

उपरोक्त छूट को पाने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

(क) यह संघ या संस्था इस आशय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, तथा

(ख) इनकी आय का उपयोग केवल उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है।

(13) रेजीमेंट कोष अथवा गैर सार्वजनिक कोष की ओर से प्राप्त आय—केन्द्रीय सरकार की सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपने वर्तमान एवं भूतकालीन सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित 'रेजीमेंट कोष' अथवा 'गैर सार्वजनिक कोष' की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई रकम।

(14) कर्मचारियों के कल्याण के लिये स्थापित कोष की आय—कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिये स्थापित कोष के लिये किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय कर मुक्त होगी-बशर्ते ऐसे कर्मचारी उस कोष के सदस्य हैं एवं ऐसा कोष निम्न शर्तें पूरी करता है—

(अ) यह कोष अपनी आय का प्रयोग अथवा संकलन उन्हीं उद्देश्यों के लिये करता है जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है।

(ब) यह कोष प्राप्त अंशदान एवं अन्य राशियों को धारा 11(5) में वर्णित तरीकों में ही विनियोग करता है।

(स) यह कोष इस उद्देश्य के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार कमिश्नर द्वारा अनुमोदित है।

(15) जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन योजना के तहत स्थापित कोष की आय—1 अगस्त, 1996 के बाद जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन योजना के तहत स्थापित एसे कोष की आय कर मुक्त होगी जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा इस कोष से पेंशन पाने के उद्धेश्य से अंशदान दिया जाता है तथा जो बीमा नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित है।

(16) खादी एवं ग्रामीण उद्योग के विकास के लिये स्थापित संघ की आय—किसी ऐसी संस्था की आय जिसकी स्थापना सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट की भाँति हुई हो या जिसका रजिस्ट्रेशन (Societies Registration Act, 1860) के अन्तर्गत हुआ हो या अन्य किसी विधान के अन्तर्गत खादी अथवा ग्रामीण उद्योग (अथवा दोनों) के विकास के उद्देश्य से हुआ हो, उस सीमा तक कर-मुक्त होगी जिस सीमा तक यह आय खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन, विक्रय अथवा विपणन से प्राप्त हुई हो।

इस छूट के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी संस्था अपनी आय का उपयोग पूर्णतः खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों (अथवा दोनों) के विकास के लिए करती हो तथा यह संस्था इस छूट के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन [Khadi & Village Industries Commission] द्वारा अनुमोदित हो। कमीशन को एक बार में ऐसा अनुमोदन तीन कर-निर्धारण वर्षों के लिए प्रदान करने का अधिकार है।

(17) खादी एवं ग्रामीण उद्योगो के विकास के लिये स्थापित किसी सत्ता की आय—राज्य में खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए किसी राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उसके द्वारा किसी राज्य में स्थापित किसी सत्ता की कोई आय। (इस सत्ता को खादी एवं मामीण बोर्ड के नाम से पुकारा जाता है अथवा अन्य किसी नाम से।) इस उद्देश्य

के लिए 'खादी' एवं 'ग्रामीण' उद्योगों का अर्थ वह होगा जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन अधिनियम, 1956 में दिया गया है।

(18) धार्मिक प्रन्यास एवं समितियों का प्रशासन करने वाली सत्ता की आय—किसी निकाय अथवा सत्ता की आय (चाहे भले ही समामेलित निकाय अथवा एकल निगम हो अथवा नहीं) जिसकी स्थापना, निर्माण अथवा नियुक्ति केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के द्वारा की गई हो तथा जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं धार्मिक प्रन्यास अथवा समितियों का प्रशासन करना हो। *सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं धार्मिक, प्रन्यासों के अन्तर्गत मन्दिर, मठ,* गुरूद्वारा, चर्च आदि भी शामिल हैं। इस व्यवस्था के अनुसार ट्रस्ट अथवा समिति की आय कर-मुक्त नही होगी।

(19) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आय—यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ऐसी आय जो भारत में ब्याज, लाभांश या पूंजी लाभ के रूप में इस आशय के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में निर्दिष्ट किसी योजना के तहत स्थापित किसी कोष के विनियोगों से प्राप्त की गई हो। यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आशय 25 मार्च, 1957 की रोम की सन्धि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय से है।

(20) निम्नलिखित संस्थाओं की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई राशि—

(i) प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष,
(ii) प्रधानमन्त्री [लोक कला संवर्द्धन] कोष,
(iii) प्रधानमन्त्री छात्र सहायता कोष,
(iiia) साम्प्रदायिक सद्‌भाव के लिये राष्ट्रीय फाउण्डेशन,
(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित कोई भी ऐसी संस्था ट्रस्ट या कोष जिसकी स्थापना सार्वजनिक पुण्यार्थ या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए हुई हो।
(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित किसी ऐसे ट्रस्ट की आय जिसकी स्थापना सामान्य जनता के धार्मिक उद्देश्यों के लिए अथवा धार्मिक एवं पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिये की गई हो।

(21) पारस्परिक कोष की आय—ऐसे पारस्परिक कोष (Mutual Fund) की आय जिसकी स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था द्वारा की गई हो। इन संस्थाओं को उन शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से निर्धारित की जायें।

इसके अलावा प्रतिभूति एवं भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत पंजीकृत पारस्परिक कोष की आय भी कर मुक्त होगी।

(22) ट्रेड यूनियन एवं इनके सगठनों की आय—भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत आने वाली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों एवं इनके संगठनों को 'मकान-सम्पत्ति से आय' या 'अन्य साधनों से आय' के शीर्षकों में आने वाली आय। ऐसी ट्रेड यूनियन का मुख्य उद्देश्य मालिक और श्रमिकों के सम्बन्धों को नियमित करना होना चाहिये।

(23) जोखिम प्रशासन कोष की आय—सार्वजनिक वित्त संस्थाओं द्वारा स्थापित ऐसे विनिमय जोखिम प्रशासन कोष की आय जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिये सरकारी गजट के माध्यम से कर दी जाये।

यदि कोष में जमा कोई राशि जिस पर कर नहीं लगा था किसी गत वर्ष में आंशिक रूप में अथवा पूर्णतया बाँट ली जाती है तो इस प्रकार बांटी गई आय उस गत वर्ष की आय होगी जिसमें जमा राशि को बाँटा जाता है।

(24) विभिन्न प्रकार के फण्डों के प्रन्यासियों की आय—(i) वैधानिक प्रावीडेन्ट फण्ड के अन्तर्गत ली हुई प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं प्रतिभूतियों को बेचने पर होने वाला पूँजी लाभ।

(ii) स्वीकृत प्रावीडेन्ट फण्ड तथा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड के ट्रस्टियों द्वारा फण्ड के लिए प्राप्त आय।

(iii) अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड के ट्रस्टियों को फण्ड की ओर से प्राप्त कोई आय।

(iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय।

(25) अल्प संख्यकों के हितों के लिये स्थापित निगम की आय—अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम की आय।

(26) साहसिक पूंजी कम्पनी की कुछ आय—साहसिक पूंजी कोष अथवा साहसिक पूंजी कम्पनी द्वारा एक साहसिक पूंजी वाले उद्यम के समता अंशों में विनियोग करने से होने वाली लाभांश की आय अथवा दीर्घकालीन पूंजी लाभ की आय कुछ शर्तें पूरी करने पर कर मुक्त होगी।

(27) ढाँचागत पूँजी कोष अथवा ढाँचागत पूँजी कम्पनी की आय—ढाँचागत पूँजी कोष अथवा ढाँचागत पूँजी कम्पनी की लाभांश, ब्याज अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभ के रूप में ऐसी आय कर-मुक्त होगी जो इनको ढाँचागत सुविधाओं के विकास, रख-रखाव एवं संचालन के व्यवसाय में संलग्न किसी उपक्रम के अंशों में विनियोग करने से अथवा दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने से हुई हो। इस उपक्रम के लिये धारा 80-IA(4A) में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण—

(अ) ढाँचागत पूँजी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसने ढाँचागत सुविधाओं के विकास, रख-रखाव एवं संचालन के व्यवसाय में लगे हुये उपक्रम के अंशों को प्राप्त करने में विनियोग किया है अथवा ऐसे उपक्रम के लिये दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने में विनियोग किया है।

(ब) ढाँचागत पूँजी कोष से आशय ऐसे कोष से है जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका संचालन प्रन्यास सलेख द्वारा किया जाता है तथा जिसकी स्थापना के उद्देश्य प्रन्यासियों द्वारा धन संग्रह करना है जिससे ढाँचागत सुविधाओं के विकास, रख-रखाव एवं संचालन के व्यवसाय में लगे हुये उपक्रम के अंशों को प्राप्त करने में विनियोग किया जा सके अथवा ऐसे उपक्रम के लिये दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने में विनियोग किया जा सके।

(स) ढाँचागत सुविधाओं से अभिप्राय वही होगा जो धारा 80-IA(12)(ca) में दिया गया है।

मशीन का कभी भी भारत में उपयोग नहीं किया गया हो तथा उसके सम्बन्ध में कोई ह्रास सम्बन्धी छूट भी स्वीकृत नहीं की गयी हो।

इस धारा की रियायत सभी प्रकार के करदाताओं (कम्पनी-गैर कम्पनी, निवासी-अनिवासी) को दी गई है। यह छूट या रियायत अधिनियम में दी जाने वाली अनेक रियायतों के बदले में दी गयी है। अतः इस धारा की छूट लेने वाले उद्योग के सम्बन्ध में निम्न छूटें अथवा रियायतें प्राप्त नही होंगी—

(i) धारा-32 के अन्तर्गत ह्रास छूट।
(ii) धारा-32 A के अन्तर्गत विनियोग भत्ता।
(iii) धारा-33 के अन्तर्गत विकास छूट।
(iv) धारा-35 के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसन्धान व्यय की छूट।
(v) धारा-36 (1)(ix) के अन्तर्गत परिवार नियोजन सम्बन्धी पूँजी व्ययों की छूट।
(vi) धारा-80 HH, 80-HHA, 80 I, 80 IA, अथवा 80J के अन्तर्गत दी जाने वाली कोई भी कटौती।
(vii) धारा-72(1) के अन्तर्गत हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने की सुविधा।
(viii) धारा-74(1) अथवा धारा-74(3) के अन्तर्गत पूँजी हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने की सुविधा अथवा धारा 80-J(3) को आगे ले जाकर पूरा करने की सुविधा।

इस धारा से सम्बन्धित 5 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे के वर्षों में ह्रास की छूट मिल सकेगी। उस समय ह्रास छूट के लिए अपलिखित मूल्य की गणना यंह मानते हुए की जायेगी कि सम्बन्धित वर्षों में निर्धारित दरों से ह्रास छूट प्राप्त की गयी थी।

इस धारा की सुविधा प्राप्त करना ऐच्छिक है। यदि कोई करदाता धारा-139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि के पूर्व निर्धारण अधिकारी को *लिखित में इस बात का घोषणा-पत्र भेज देता है कि उस पर इस धारा की व्यवस्था लागू नही* की जाये तो उस करदाता पर इस धारा की व्यवस्थायें सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—(1) वर्तमान में सरकार ने निम्न क्षेत्रों को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया है—

(i) Kandla Free Trade Zone.
(ii) Santacruz Electronics Processing zone.
(iii) Falta Export Processing zone in West Bengal.
(iv) Madras Export Processing zone in Tamil Nadu.
(v) Cochin Export Processing zone in Kerala.
(vi) Noida Export Processing zone at Noida in U.P.

(2) निर्माण में विधियन एवं एकत्रीकरण की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार डिस्क, टेप एवं अन्य सूचना संग्रह संयंत्रों में कार्यक्रमों का रिकार्डिंग भी निर्माण में सम्मिलित किया गया है।

(3) इस छूट की अवधि की समाप्ति पर किसी संस्था को हानि शेष रहती है तो उसको अगले वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकेगा।

निर्यात के लिए माल बनाने वाले नये स्थापित उद्यमों के लाभों का कर-मुक्त होना [धारा-10 B]

यदि कोई करदाता ऐसा नया उद्यम स्थापित करता है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण निर्मित माल को (31 मार्च, 1994 के बाद स्थापित उद्योग की दशा में कुल बिक्री का कम से कम 75%) निर्यात करना है तो ऐसे उद्यम के लाभों को 5 कर-निर्धारण वर्षों के लिए पूर्णतया कर मुक्त रखा गया है। इस छूट के लिए निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है।

(i) यह किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करता है। उत्पादन में कम्प्यूटर से प्रोग्राम का उत्पादन भी शामिल है।

(ii) इस उद्यम की स्थापना पहले से चलते हुए व्यापार के जोड़-तोड़ या पुनर्निमाण द्वारा नहीं की गई है। यदि धारा 33-B में वर्णित परिस्थितियों एवं अवधि में किसी उद्यम का पुनर्निर्माण किया जाता है तो इस धारा की छूट देने से इंकार नहीं किया जायेगा।

(iii) इस उद्यम की स्थापना किसी भी अन्य कार्यों के लिए पहले से काम में लायी गई प्लान्ट या मशीन को नये व्यापार को हस्तान्तरित करके नहीं की गई है। यदि पहले से काम में ली गई प्लान्ट एवं मशीनरी का कुल मूल्य ऐसे उद्यम में काम में लायी गयी प्लान्ट एवं मशीनरी के कुल मूल्य का 20% से अधिक नहीं है तो यह माना जायेगा कि उद्यम का निर्माण पहले से काम में लायी गई मशीन या प्लान्ट के हस्तान्तरण से नहीं हुआ है। विदेशों से आयात की गयी पुरानी मशीन को भी इस आशय के लिए नई मशीन ही माना जायेगा बशर्ते कि इस मशीन का कभी भी भारत में प्रयोग नहीं किया गया हो तथा उसके सम्बन्ध में कोई ह्रास सम्बन्धी छूट भी स्वीकृत नहीं की गई हो।

इस धारा की रियायत सभी प्रकार के करदाताओं (कम्पनी-गैर-कम्पनी, निवासी-अनिवासी) को दी गई है। यह छूट या रियायत अधिनियम में दी जाने वाली अनेक रियायतों के बदले में दी गई है। अतः इस धारा की छूट लेने वाले उद्यम के सम्बन्ध में निम्न छूटें या रियायतें प्राप्त नहीं होंगी—

(i) धारा-32 के अन्तर्गत ह्रास छूट;
(ii) धारा-32A के अन्तर्गत विनियोग भत्ता;
(iii) धारा-33 के अन्तर्गत विकास छूट;
(iv) धारा-36 (1) (ix) के अन्तर्गत परिवार नियोजन सम्बन्धी पूँजी व्ययों की छूट।
(v) धारा 80 HH, 80 HHA, 80 I अथवा धारा 80IA के अन्तर्गत दी जाने वाली कोई भी कटौती।
(vi) धारा 72 (1) के अन्तर्गत हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने की सुविधा।

(vii) धारा 74 (1) अथवा धारा 74(3) के अन्तर्गत पूँजी हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने की सुविधा।

इस धारा से सम्बन्धित 5 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे के वर्षों में ह्रास की छूट मिल सकेगी। उस समय अपलिखित मूल्य की गणना यह मानते हुए की जायेगी कि सम्बन्धित वर्षों में निर्धारित दरों से ह्रास छूट प्राप्त की गई थी।

इस धारा की छूट कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से प्रारम्भ की गई है तथा करदाता को यह विकल्प दिया गया है कि उत्पादन प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष को सम्मिलित करते हुए कुल 8 वर्षों में से 5 लगातार वर्षों के लिए इस धारा की छूट प्राप्त कर सकता है। परन्तु किसी वर्ष के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने से इन्कार करने के बाद 5 वर्षों या शेष अवधि का चुनाव बाद के वर्षों से ही किया जा सकेगा।

यदि कोई करदाता आय का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व निर्धारण अधिकारी को इस बात का घोषणा-पत्र लिखित में भेज देता है कि उस पर इस धारा की व्यवस्था लागू नहीं की जाये तो उस करदाता पर इस धारा की व्यवस्थायें लागू नहीं की जायेंगी।

स्पष्टीकरण—

(1) निर्माण में विधियन एवं एकत्रीकरण की क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार डिस्क, टेप एवं अन्य सूचना संग्रह संयंत्रों में कार्यक्रमों का रिकार्डिंग भी निर्माण में सम्मिलित किया गया हो।

(2) शत-प्रतिशत निर्माण के लिए उत्पादन करने वाले उद्यम से अभिप्राय ऐसे उद्यम से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले उद्यम के रूप में अनुमोदित कर दिया गया हो।

प्रश्न
(Questions)

1. ऐसी कौनसी आयें हैं जो आय-कर अधिनियम की परिधि में नहीं आती ?
   State the incomes to which Income Tax Act does not apply ?
   (R. U. B. Com., 1987)

2. *निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए—*
   (अ) आकस्मिक आयें। **(Vikram 94, 95 Bhopal 93, Raipur 93)**
   (ब) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ।
   (स) शत-प्रतिशत निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले उद्यम की आय।
   (द) अंशतः कर-मुक्त आयें।
   Write notes on the following—
   (a) Casual Income,
   (b) Profits of newly established industrial undertaking in free trade zones.
   (c) Profits of newly established hundred percent export oriented undertakings.
   (d) Partially exempted incomes.

3. उन 10 आयों का वर्णन कीजिये जो आय-कर से पूर्णतः मुक्त हैं।
   Describe 10 incomes which are completely exempt from income tax.
4. गैर नागरिक करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयों की विवेचना कीजिए।
   Discuss incomes exempted in the hands of non-citizen assessees.
5. अनिवासी करदाताओं के लिए कर-मुक्त आयों की विवेचना कीजिए।
   Discuss incomes exempted in the hands of non-resident assessees.
6. (अ) कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त आयों का वर्णन कीजिए।
   (ब) संस्थाओं के लिए कर-मुक्त आयों का उल्लेख कीजिए।
   [illegible]

Com.1997)

4
वेतन
(Salaries)

आय-कर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए तथा उस पर कर लगाने के लिए भिन्न-भिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आयों को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। ये शीर्षक निम्नलिखित हैं—

1. वेतन (Salary)
2. मकान सम्पत्ति से आय (Income from house property)
3. व्यापार अथवा पेशे से लाभ (Profits from business or profession)
4. पूँजी लाभ (Capital gains)
5. अन्य साधनों से आय (Income from other sources)

आय के उपरोक्त 5 शीर्षकों में से प्रथम चार तो विशिष्ट (specific) हैं अर्थात् इन शीर्षकों में रखी जाने वाली आयों की प्रकृति निर्धारित है, परन्तु पाँचवें शीर्षक में उन आयों को शामिल किया जाता है जो कर-योग्य तो हैं परन्तु जिनको प्रथम 4 शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में नहीं रखा जा सकता है।

आय को सम्बन्धित शीर्षक में न दिखाने का प्रभाव—करदाता की समस्त कर योग्य आय को उनके सम्बन्धित शीर्षकों में अलग-अलग दिखाना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक शीर्षक की आय की गणना करने के भिन्न-भिन्न नियम हैं तथा प्रत्येक शीर्षक में भिन्न-भिन्न कटौतियाँ दी जाती हैं। इस प्रकार यदि एक शीर्षक की आय को दूसरे शीर्षक में रखा जाय तो दूसरे शीर्षक के नियम लागू होने के कारण कुल आय सही नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि एक सम्पत्ति के विक्रय से होने वाले पूँजी लाभों को यदि व्यापार तथा पेशे के शीर्षक में रख दिया जाय तो जो कटौती पूँजी लाभों के रूप में प्राप्त होगी वह व्यापारिक आय के रूप में प्राप्त नहीं होगी और इस प्रकार कुल आय गलत हो जायेगी।

आय को गलत शीर्षक में दिखाये जाने का विकल्प न तो आय-कर अधिकारी को ही प्राप्त है और न करदाता को ही। यहाँ तक कि यदि कोई करदाता अपनी किसी आय को गलत शीर्षक में दिखा देता है तो आय-कर अधिकारी को चाहिये कि वह उसे सही शीर्षक में रख दे, चाहे भले ही ऐसा करने से करदाता को लाभ ही क्यों न हो। यदि किसी आय की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसे दो शीर्षकों में रखा जा सकता है, तो ऐसी दशा में करदाता को यह अधिकार है कि वह उसको ऐसे शीर्षक में रखले जिससे कि उसको कम कर चुकाना पड़े।

वेतन
(Salaries)

आय-कर अधिनियम में वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गयी है वरन् केवल यह बताया गया है कि वेतन में कौन-कौनसी आयें शामिल की जाती हैं। धारा-15 के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिलने वाली निम्न आय वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य हैं—

(अ) गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य कोई वेतन, चाहे भले ही इसका भुगतान कर्मचारी को मिला है अथवा नहीं,

(ब) गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा दिया गया वेतन, चाहे भले ही यह वेतन उसे उस समय तक प्राप्य नहीं हुआ हो,

(स) गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाया गया पिछला बकाया वेतन बशर्ते कि उस वेतन पर पिछले किसी गत वर्ष में कर न लग चुका हो।

ऊपर दिये हुये प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित वेतन पर आय-कर लगता है—

1. प्राप्य वेतन—चाहे भुगतान हुआ हो अथवा नहीं,
2. पेशगी प्राप्त वेतन—चाहे प्राप्य हुआ हो अथवा नहीं,
3. पिछला बकाया वेतन—जिस पर पहले कर न लगा हो।

यहाँ पर यह बात याद रखी जानी चाहिये कि पिछले बकाया वेतन पर आयकर उसी दशा में लगेगा जबकि पहले किसी गत वर्ष में उस वेतन पर आय-कर नहीं चुकाया गया हो। इसी प्रकार यदि पेशगी वेतन पर प्राप्त होने वाले गत वर्ष में आय-कर चुका दिया गया है तो बाद में जब वह वेतन देय (Due) होगा तो उस पर दुबारा कर नही लगेगा।

स्पष्टीकरण—एक फर्म के साझेदार को उस फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक प्राप्य अथवा प्राप्त होता है तो उसे इस धारा के उद्देश्यों के लिये वेतन नहीं माना जायेगा।

यदि वेतन के प्राप्य होने अथवा प्राप्त होने में से एक भी घटना गत वर्ष 1996-97 में घटित हो जाती है तो ऐसा वेतन गत वर्ष 1996-97 की आय में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

वेतन के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें

(1) नियोक्ता व कर्मचारी का सम्बन्ध आवश्यक है—किसी आय पर वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि आय के भुगतान करने वाले एवं आय के प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का सम्बन्ध हो। यदि भुगतान करने वाले एवं प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं है तो ऐसी आय पर हम वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन पर 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कर नही लगाया जाता है वरन् उनके वेतन पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है। इसी प्रकार यदि कोई संचालक कम्पनी के साथ कर्मचारी के रूप में कार्य करने का प्रसंविदा करता है तो उसके वेतन पर इस शीर्षक में कर लगेगा अन्यथा उसको मिलने वाले वेतन एवं अन्य भुगतानों पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर लगेगा।

नियोक्ता शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार के नियोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार, कोई स्थानीय सत्ता, एक कम्पनी, कोई अन्य सार्वजनिक संस्था, विदेशी सरकार अथवा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यष्टि अथवा फर्म आदि।

(2) वेतन में मजदूरी को भी सम्मिलित किया जाता है—आय-कर अधिनियम में वेतन तथा मजदूरी दोनों में भेद नहीं किया गया है। इन दोनों साधनों से प्राप्त होने वाली आय पर वेतन शीर्षक के अन्तर्गत ही कर लगाया जाता है। उच्च अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक को वेतन तथा मजदूरों व कारीगरों को मिलने वाले पारिश्रमिक को मजदूरी कहा जाता है। यदि किसी श्रमिक को अपने नियोक्ता से दैनिक आधार पर अथवा कार्य के आधार पर मजदूरी मिलती है तो ऐसी मजदूरी को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है।

(3) वेतन का स्वेच्छा से छोड़ना अथवा त्यागना—यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से अपना वेतन अपने नियोक्ता के लिए छोड़ देता है, तो भी उसे अपने इस वेतन पर आय-कर चुकाना पड़ेगा। वेतन का स्वेच्छा से त्यागना वेतन का विनियोग या उपयोग ही माना जाता है और इसलिए ऐसे वेतन पर भी कर लगता है। परन्तु यदि किसी कर्मचारी ने अपना वेतन अथवा उसका कुछ भाग Voluntary Surrender of Salaries (Exemption from taxation) Act, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत त्यागा है तो छोड़ा हुआ वेतन उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी द्वारा जनहित में छोड़ा हुआ वेतन एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकार को देने के लिए छोड़ा हुआ वेतन पूर्णतः कर-मुक्त होता है—अर्थात् उसे कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(4) कर-मुक्त वेतन—यदि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कर-मुक्त वेतन मिलता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि ऐसे वेतन पर आय-कर नहीं लगेगा। कर-मुक्त वेतन का अभिप्राय यह है कि ऐसे वेतन पर अनुमानित कर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है और कर्मचारी के कर-निर्धारण के समय उसकी कुल आय में केवल वेतन ही नहीं नियोक्ता द्वारा चुकाया गया आय-कर भी शामिल किया जाता है। परन्तु नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर कर्मचारी द्वारा चुकाया गया माना जाता है तथा कर्मचारी द्वारा चुकाये जाने वाले कुल कर में से नियोक्ता द्वारा चुकाई गई कर की राशि को कम कर दिया जाता है।

परन्तु धारा—10 (6) के उप वाक्यांश (vii-a), (*ix*) तथा धारा-10 (6) (*B*) के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट दशाओं में कर्मचारी की आय पर यदि कर नियोक्ता द्वारा चुका दिया जाता है तो उस कर्मचारी के वेतन में उस कर को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ये धारायें विदेशी प्रविधिज्ञ, विदेशी अध्यापकों, अनिवासी करदाताओं एवं विदेशी कम्पनी से सम्बन्धित हैं।

(5) नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त रकमें—यदि किसी व्यक्ति को अपने नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से कोई सेवा प्रदान करने के बदले में लाभ, अनुलाभ अथवा पारिश्रमिक मिलता है तो उस व्यक्ति की ऐसी आय पर वेतन शीर्षक में कर नहीं लगाया जायेगा। ऐसी प्राप्तियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है—

(i) किसी शिक्षक को निरीक्षक (Invigilator) के रूप में कार्य करने पर अथवा परीक्षक (Examiner) के रूप में कार्य करने पर विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य किसी संस्था से मिला हुआ पारिश्रमिक,

(ii) किसी कम्पनी के ऐसे सचालक को जो कम्पनी का कर्मचारी नहीं है, प्राप्त संचालक शुल्क एव अन्य भुगतान,
(iii) किसी कम्पनी के अशो एवं ऋण-पत्रों को वेचने से प्राप्त होने वाला कमीशन,
(iv) किसी व्यक्ति की सम्पत्ति वेचने पर प्राप्त कमीशन,
(v) अंकेक्षक को कम्पनी से प्राप्त पारिश्रमिक पेशे की आय होती है।

(6) **वेतन के उपार्जित होने का स्थान**—वेतन उस स्थान पर उपार्जित होता है जिस स्थान पर कर्मचारी अपनी सेवायें प्रदान करता है। अत· भारत में कार्यरत एक ऐसे कर्मचारी को जो छुट्टियों में विदेश चला जाता है, विदेश में दिया गया छुट्टियों का वेतन भारत में उपार्जित माना जाता है। इसी प्रकार भारत मे कार्यरत कोई व्यक्ति सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् यदि भारत के वाहर जाकर वस जाता है और उसे भारत के बाहर कोई पेंशन प्राप्त होती है तो वह पेंशन भारत में ही उपार्जित मानी जायेगी और उसको इस पेंशन पर आय-कर चुकाना पड़ेगा, चाहे वह अनिवासी ही क्यों न हो जाये। इसका कारण यह है कि पेंशन उसे भारत में प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप मे प्राप्त होती है। इस सिद्धान्त के निम्नलिखित दो अपवाद है—

(अ) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति 15 अगस्त, 1947 के पूर्व संघीय न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की गई हो तथा उसने भारतीय संविधान के लागू होने अथवा बाद तक सेवा की हो। यदि वे व्यक्ति स्थाई रूप से भारत के वाहर जाकर बस जाते हैं तो इनको दी गई पेंशन भारत में उपार्जित नहीं मानी जायेगी, यद्यपि इनको पेंशन भारत में की गई सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है।

(ब) भारत के वाहर सेवा करने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो भारत के नागरिक हों, प्राप्त वेतन भारत में उपार्जित माना जाता है। यद्यपि ऐसे कर्मचारी कुछ समय के बाद अनिवासी हो जाते है और इस प्रकार विदेश में प्राप्त वेतन पर कर बचा सकते है। परन्तु इस नियम के अन्तर्गत उनको भारत में कर देना पड़ता है। ऐसे कर्मचारी को भारत के बाहर सरकार से मिलने वाले भत्ते एवं अनुलाभ कर मुक्त होते हैं।

(7) **वेतन तथा पेशे की आय में भिन्नता**—कुछ व्यक्तियो के स्वतन्त्र कार्यों को पेशे की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, एक अभिनेता का कार्य अथवा वकील का कार्य अथवा अंकेक्षक का कार्य। यदि ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी प्रसविदे के अन्तर्गत कोई कार्य करते हैं तो इनको मिलने वाला पारिश्रमिक व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय की आय कहलाती है परन्तु ये व्यक्ति स्थाई रूप से सेवा करने का प्रसविदा करते है तो प्राप्त पारिश्रमिक वेतन की आय होती है। उदाहरण के लिए, एक अभिनेता द्वारा किसी फिल्म कम्पनी में कर्मचारी के रूप में कार्य करना। इस प्रकार कोई आय-कर सलाहकार किसी कम्पनी का वित्त सलाहकार नियुक्त हो जाता है और कम्पनी का आय-कर सम्बन्धी मुकदमा भी लडता है तो उसे कम्पनी से प्राप्त आय वेतन की आय होगी।

(8) **न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन**—यदि किसी कर्मचारी का वेतन नियोक्ता द्वारा न्यायालय के किसी आदेश के अन्तर्गत रोक लिया जाता है और उसको भुगतान नहीं किया जाता है, तब भी उस कर्मचारी को ऐसे वेतन पर कर देना पड़ता है।

(9) नियोक्ता से प्राप्त ऋण—यद्यपि नियोक्ता से प्राप्त पेशगी वेतन को वेतन में सम्मिलित करते हैं परन्तु यदि कोई कर्मचारी पेशगी के अलावा अपने नियोक्ता से अन्य कोई ऋण लेता है तो यह ऋण उसके वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(10) नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ—यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई ऐसा प्रसंविदा किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता कर्मचारी की आय में से कोई रकम काट लेता है तो इसे आय का प्रयोग (Application) कहा जाता है। ऐसी राशि कर्मचारी को प्राप्त समझी जाती है और कर्मचारी को अपने सकल वेतन पर कर देना पड़ता है। ऐसी कटौतियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(i) कर्मचारी के वेतन में से कर्मचारी की भविष्य निधि में जमा करने के लिए काटी गई रकम।

(ii) कर्मचारी की जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाने के लिए कर्मचारी के वेतन में से काटी गई रकम।

(iii) कर्मचारी को दिये गये ऋण की वसूली के लिए काटी गई रकम।

(iv) कर्मचारी के C.T.D. A/c. मे जमा कराने के लिए काटी गई रकम।

(v) अन्य कटौतियाँ जिनके लिए कर्मचारी ने नियोक्ता को अधिकृत कर दिया हो, जैसे—सुरक्षा कोष मे अंशदान अथवा किसी संस्था को चन्दा देने के लिये।

उक्त सभी राशियाँ कर्मचारी को प्राप्त मानी जाती है और उसको अपने सकल वेतन पर कर देना पड़ता है।

(11) सेवा समाप्त होने के बाद मिला हुआ भुगतान एवं पेंशन—कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के बाद भी यदि उसे अपने नियोक्ता से कोई भुगतान प्राप्त होता है अथवा पेंशन प्राप्त होती है तो उस पर भी कर्मचारी को वेतन की आय के रूप में ही कर देना पड़ेगा। **यदि कोई** ***भुगतान व्यक्तिगत भेंट के रूप में मिलता है तो ऐसी प्राप्ति कर-मुक्त होगी।***

(12) वेतन के उपार्जित होने का समय—वेतन शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष सदैव कर निर्धारण वर्ष के तुरन्त पूर्व का वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) होता है। इस बात को ध्यान में रखा जाय तो हमेशा एक अप्रैल से 31 मार्च तक के वेतन पर कर लगाया जाना चाहिये। परन्तु वेतन की आय के उपार्जित होने के समय में भिन्नता होती है। अतः जो वेतन *1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि मे उपार्जित होता है उस पर ही सम्बन्धित कर-निर्धारण* वर्ष में कर लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बातें निम्न हैं—

(i) गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन माह की अन्तिम तारीख को उपार्जित होता है। अतः इन पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के वेतन पर कर लगाया जाता है।

(ii) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों का वेतन अगले माह की पहली तारीख को *उपार्जित अथवा प्राप्य माना जाता है। इनके लिए मार्च महीने का वेतन अप्रैल में प्राप्य माना* जाता है। इसलिए इनके लिए 1 मार्च से 28/29 फरवरी तक के वेतन पर कर लगाया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मार्च, 1996 से फरवरी 1997 तक के वेतन पर कर लगाया जायेगा। मार्च, 1997 का वेतन अप्रैल, 1997 में प्राप्य माना जायेगा और उस पर 1998-99 के कर-निर्धारण वर्ष में कर लगेगा।

(iii) यदि वेतन, बोनस, भत्ते आदि में वृद्धि का निर्णय पिछली किसी तारीख से लिया जाता है तो सम्पूर्ण बकाया राशि उस गत वर्ष में प्राप्य मानी जायेगी जिसमें यह निर्णय लिया गया है।

(iv) यदि कर्मचारियों को स्थायी वेतन पर नियुक्त किया जाये तो इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि उनको वेतन माह की अन्तिम तारीख को उपार्जित होता है अथवा अगले माह की प्रथम तारीख को उपार्जित होता है परन्तु अधिकांश कर्मचारियों के वेतन में प्रतिवर्ष कुछ रकम बढ जाती है। ऐसी दशा में वेतन के उपार्जित होने का समय महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

वेतन में क्या-क्या सम्मिलित होता है

अब हमें यह देखना है कि आय-कर लगाने के लिए वेतन में कौन-कौन से मद शामिल किये जाते है। धारा 17 के अन्तर्गत वेतन में निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं—

(i) मजदूरी (Wages)
(ii) कोई वार्षिकी अथवा पेंशन (Annuity or pension)
(iii) कोई ग्रेच्युइटी (Gratuity)
(iv) कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ एवं वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके अतिरिक्त लाभ (Any Fees, Commission, Perquisites or profits in lieu of salary or in Addition to any Salary)
(v) कोई अग्रिम वेतन (Any advance of Salary)
(vi) किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते हुए उपभोग न की गई छुट्टियों की किसी अवधि के लिए प्राप्त कोई भुगतान।
(vii) एक कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि उस सीमा तक जो चौथी अनुसूची के भाग 'अ' के नियम 6 के अन्तर्गत कर देय है। इस सीमा का विवरण इसी अध्याय में आगे प्रावीडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत दिया गया है।
(viii) हस्तांतरित शेष का कर योग्य अंश। इसको इसी अध्याय में आगे प्रॉवीडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत समझाया गया है।

वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना

आय-कर अधिनियम की धारा-17 (1) में वेतन में सम्मिलित की जाने वाली मदों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि इन मदों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है, परन्तु वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना करने हेतु इनमें से अनेक मदों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। कुछ प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं—

1. मूल वेतन (Basic Salary),
2. वेतन के स्थान पर लाभ (Profits in lieu of salary),
3. अनुलाभ (Perquisites),
4. भविष्य निधि से आय (Income through Provident Fund)।

मूल वेतन (Basic Salary)

सामान्यत: कर्मचारियों को प्रतिमाह मिलने वाले कुल वेतन में कुछ राशि मूल वेतन के नाम से दी जाती है तथा शेष भाग भत्ते व अनुलाभ आदि के रूप में दिया जाता है। यदि

कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन श्रृंखला में की जाती है तो प्रतिवर्ष उनके मूल वेतन में वृद्धि होती रहती है और मूल वेतन की राशि बदल जाती है। कर्मचारी की नियुक्ति वेतन श्रृंखला में न होने पर मूल वेतन की राशि स्थिर रहती है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिये—

(i) मूल वेतन से आशय उस वेतन से होता है जो वेतन-ग्रेडों के अनुसार दिया जाता है, वेतन-ग्रेड कर्मचारी के मूल वेतन वृद्धि की प्रक्रिया बताते हैं। मूल वेतन में बोनस, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के मूल्य को शामिल नहीं करते है।

(ii) सुप्रीम कोर्ट द्वारा गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्रा. लि. बनाम कमिश्नर ऑफ इन्कमटैक्स के मामले में निर्णय दिया गया है कि किसी कर्मचारी को नियोजन की सेवा शर्तों के अनुसार मूल वेतन के अलावा उसके द्वारा की गई बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन देय है तो कमीशन की राशि को भी मूल वेतन माना जायेगा।

(iii) यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वेतनमान (Pay-scale) में की जाती है तो उस कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन एवं उसमें प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि दी जाती है। जैसे—1,000-50-1,800-100-3,000 रूपये का अर्थ है कि कर्मचारी को प्रारम्भ में 1,000 रु. प्रतिमाह का वेतन दिया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष 50 रु. प्रतिमाह की वृद्धि हो जायेगी। यह वृद्धि उस समय तक जारी रहेगी जब तक कर्मचारी 1,800 रूपये पर नहीं पहुँच जायेगा। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 100 रु. प्रतिमाह की वृद्धि की जायेगी। यह वृद्धि उस समय तक जारी रहेगी जब तक कर्मचारी 3,000 रु. पर नहीं पहुँच जायेगा। यदि कोई कर्मचारी गैर-सरकारी सेवा में हो तथा उसकी नियुक्ति 1 जुलाई, 1994 को की गई हो तो उसे निम्न प्रकार वेतन प्राप्य होगा—

(i) 1 जुलाई, 1994 से 30 जून, 1995 तक 1000 रु. प्रतिमाह

(ii) 1 जुलाई, 1995 से 30 जून, 1996 तक 1050 रु. प्रतिमाह

(iii) 1 जुलाई, 1996 से 30 जून, 1997 तक 1100 रु. प्रतिमाह

उपरोक्त तालिका बनाकर कर्मचारियों को गत वर्ष 1996-97 के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997 के दौरान प्राप्त वेतन की गणना निम्न प्रकार कर ली जायेगी—

	रु.
अप्रैल, मई एवं जून, 1996 का वेतन	
1050 रु. प्रतिमाह की दर से (1050 × 3)	3,150
जुलाई, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक वेतन	
1100 रु. प्रतिमाह की दर से (1100 × 9)	9,900
कुल मूल वेतन	13,050

Illustration 1.

Compute the basic salary of an assessee in the following cases for the previous year 1996-97 :

(a) He was appointed by a public limited company on 1st June 1988 in the grade 2500-200-4500-300-6000 on an initial salary of Rs. 2,500.

(b) He was appointed by a private limited company on 1st August 1990 in the grade 2000-200-4000-250-8000 on an initial salary of Rs. 3,200.

(c) He was appointed by Government of Rajasthan on 1st January, 1994 in the grade 2200-75-2800-100-3500-125-4000 on an initial salary of Rs. 2,200.

गत वर्ष 1996-97 के लिये निम्न दशाओं में एक करदाता के मूल वेतन की गणना कीजिए ·

(अ) उसकी नियुक्ति एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी द्वारा 1 जून, 1988 को 2500-200-4500-300-6000 की वेतन श्रृंखला में 2,500 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

(ब) उसकी नियुक्ति एक निजी सीमित कम्पनी द्वारा 1 अगस्त, 1990 को 2000-200-4000-250-8000 की वेतन श्रृंखला में 3,200 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

(स) उसकी नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1994 को 2200-75-2800-100-3500-125-4000 की वेतन श्रृंखला में 2,200 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर की गई।

Solution :

	Rs.
(a) Salary from 1st April 1996 to 31st March 1997—	
Salary for Aprial & May 1996 = 3900 × 2 =	7,800
Salary from 1 June 1996 to 31st March 1997 = 4100 × 10 =	41,000
Salary for the previous year 1996-97	48,800

टिप्पणी—1 जून, 1996 को उसकी आठवीं वेतन वृद्धि होगी और उसका वेतन 4,100 रु. हो जायेगा। उसके पूर्व अप्रैल और मई 1996 में उसका वेतन 200 रु. कम, अर्थात् 3,900 रु होगा।

	Rs.
(b) Salary from 1st April, 1996 to 31st March, 1997—	
Salary from April to July 96 = 4 × 4250 =	17,000
Salary from 1st August to 31st March 97 = 8 × 4500 =	36,000
Salary for the previous year 1996-97	53,000

टिप्पणी—1 अगस्त, 1996 को उसकी छटवीं वेतन वृद्धि होगी। चूँकि उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति 3,200 रु. पर हुई है, अतः 4 वेतन वृद्धि 200 रु. की होगी तथा उसके बाद उसकी दो वेतन वृद्धि 250 रु. की होगी। इस प्रकार 1 अगस्त, 1996 से उसका वेतन 4,500 रु. हो जायेगा परन्तु इसके पूर्व अप्रैल से जुलाई तक 4,250 रु. ही होगा।

	Rs.
(c) Salary from 1st March, 1996 to 28th Feb. 1997—	
Salary from March to Dec. 1996 = 10 × 2350 =	23,500
Salary for January and Feb. 97 = 2 × 2425	4,850
Salary for the previous year 1996-97	28,350

टिप्पणी—सरकारी कर्मचारी होने के कारण वह मार्च, 96 से फरवरी 97 तक के वेतन पर कर देगा। मार्च 96 तक उसकी दो वेतन वृद्धि हुई हैं। जनवरी 97 में उसकी तीसरी वेतन वृद्धि होगी और उसका वेतन 2,425 रु. हो जायेगा।

अग्रिम वेतन एवं बकाया वेतन

(Advance Salary and Arear of Salary)

यदि वित्तीय वर्ष में अगले वर्ष के लिये अग्रिम वेतन प्राप्त किया जाता है तो इसे इस वर्ष की वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, परन्तु अगले वर्ष इस राशि को सकल वेतन में से घटा दिया जायेगा।

वेतन की बकाया राशि पर यदि पहले देय होने पर कर लग चुका था तो अब प्राप्त होने पर दुबारा कर नही लगेगा। परन्तु यदि इस राशि पर पहले कर नही लगा था तो अब इसकी घोषणा होने पर अथवा प्राप्त होने (जो दोनों में पहले आती है) के आधार पर कर लगाया जायेगा।

वेतन के बदले में लाभ

Profits in Lieu of Salary-Sec. [17 (3)]

धारा 17 (3) के अनुसार निम्न भुगतान वेतन के बदले लाभ के रूप में कर योग्य है—

(i) करदाता को उसकी नौकरी से हटाने तथा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की रकम। नौकरी से हटाने के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की रकम यद्यपि पूँजीगत प्राप्ति (Capital Receipt) है, परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा-17 (3) के अन्तर्गत उस पर आय-कर लगता है। चाहे यह राशि कर्मचारी ने अपने किसी अधिकार से प्राप्त की हो अथवा नियोक्ता की इच्छा से, दोनों ही परिस्थितियों में यह कर-योग्य होती है।

(ii) करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से देय (Due) अथवा प्राप्त कोई भुगतान। यदि यह राशि नियोक्ता ने व्यक्तिगत भेंट के रूप मे दी है तो इसे वेतन के बदले मे लाभ नही मानेंगे और यह भेंट कर-मुक्त होगी।

(iii) करदाता को प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा किसी अन्य फण्ड में से अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा देय अथवा प्राप्त भुगतान। इसमें कर्मचारी का स्वयं का अंशदान एवं उस पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता है।

(iv) वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से करदाता को महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पालिसी के तहत प्राप्त कोई राशि जिसमें ऐसी पालिसी के सम्बन्ध से आवंटित बोनस की राशि भी सम्मिलित है।

अपवाद—परन्तु निम्न भुगतान 'वेतन के स्थान पर लाभ' में शामिल नहीं किये जायेंगे—

(1) मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी

(2) पेंशन की एक मुश्त राशि

(3) सेवा निवृत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति

(4) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड से भुगतान

(5) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड से भुगतान

(6) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से भुगतान

(7) मकान किराया भत्ता

टिप्पणी—उपरोक्त राशियाँ निश्चित सीमा तक ही वेतन के स्थान पर लाभ नही मानी जाती हैं। जिस सीमा तक इन राशियो को वेतन के स्थान पर लाभ नही माना जाता है उस सीमा तक ये राशियाँ कर से मुक्त होती हैं। निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह कर-योग्य होती है। इनका विस्तृत विवरण अलग से दिया गया है।

कुछ विशिष्ट भत्ते
(Some Specific Allowances)

एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के भत्ते दिये जाते है। आय-कर के दृष्टिकोण से इन भत्तो को निम्नलिखित तीन श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है—

(i) वे भत्ते जो कर-योग्य हैं।
(ii) वे भत्ते जो कर-मुक्त हैं।
(iii) वे भत्ते जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर कर-मुक्त हैं।

(I) पूर्णतया कर-योग्य भत्ते

नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के भत्ते देते रहते है। ये भत्ते सभी प्रकार के कर्मचारियो के लिए कर-योग्य होते है। ऐसे कर योग्य भत्तों के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(i) महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
(ii) नगर क्षतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance)
(iii) स्थायी चिकित्सा भत्ता (Fixed Medical Allowance)
(iv) डेपूटेशन भत्ता (Deputation Allowance)
(v) नौकर रखने के लिए भत्ता (Servant Allowance)
(vi) वार्डन के रूप मे भत्ता (Wardenship Allowance)
(vii) प्रोक्टर के रूप में भत्ता (Proctorship Allowance)
(viii) प्रोजेक्ट भत्ता (Project Allowance)
(ix) जलपान भत्ता (Tiffin Allowance)
(x) अधिसमय कार्य भत्ता (Overtime Allowance)
(xi) ग्रामीण भत्ता (Rural Allowance)
(xii) अन्तरिम राहत (Interim Relief)

(II) पूर्णतया कर-मुक्त भत्ते

(i) भारत सरकार के कर्मचारियों को भारत के बाहर दिए गए भत्ते—धारा-10(7) के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में सेवा करने के लिए दिये गये भत्ते तथा अनुलाभ पूर्णतः कर से मुक्त होते हैं। उसके वेतन पर अवश्य कर लगता है चाहे वह अनिवासी ही हो गया हो।

(ii) कर्त्तव्य पालन में किए गए व्ययो की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता—किसी कर्मचारी को प्राप्त ऐसा विशिष्ट भत्ता जो पूर्णतया उसके पद सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया हो एवं जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा

सरकारी गजट मे कर दी गई हो। ऐसा भत्ता उस सीमा तक ही कर-मुक्त होगा जिस सीमा तक कर्मचारी द्वारा उन्ही उद्देश्यो के लिए इसे वास्तव मे व्यय कर दिया जाता है।

धारा 10(14) (i) के अन्तर्गत निम्न भत्तो को कर मुक्त घोषित किया गया है—

(अ) कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता है जो किसी कर्मचारी को दौरे (Tour) सम्बन्धी यात्रा की लागत अथवा हस्तान्तरण सम्बन्धी यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया गया हो। हस्तान्तरण सम्बन्धी यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए स्वीकृत किये गये भत्ते मे हस्तान्तरण से सम्बन्धित निजी वस्तुओं के पैकिंग एव परिवहन के लिए भुगतान की गई राशि भी सम्मिलित है।

(ब) दौरे पर अथवा हस्तान्तरण सम्बन्धी यात्रा अवधि के लिए स्वीकृत किया गया कोई भत्ता जो एक कर्मचारी को अपने सामान्य कार्य स्थल से दूर जाने पर किये जाने वाले सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति से सम्बन्धित हो।

(स) किसी कर्मचारी को उसके पद सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए सवारी पर किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता आय-कर से मुक्त होगा बशर्ते उसको नियोक्ता द्वारा मुफ्त सवारी की सुविधा नहीं दी जाती है।

(द) कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता है जो कार्यालय के कार्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किये गये सहायक पर किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया हो।

(य) कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता है जो शैक्षणिक अनुसन्धान एव अन्य पेशा सम्बन्धी रुचियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किया गया हो।

(र) कोई भत्ता जिसे भले ही किसी भी नाम से पुकारा जाता है जो कार्यालय के कर्त्तव्यो के निष्पादन के दौरान पहनने हेतु क्रय की गई पोशाक एवं उसके रख-रखाव पर किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया हो।

(iii) निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता—किसी कर्मचारी को ऐसे स्थान पर जहाँ सामान्यतया उसके पद या नियोजन सम्बन्धी कार्य किया जाता है अथवा जहाँ वह सामान्यतया रहता है, उसके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु अथवा जीवन-निर्वाह की बढी हुई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत विशेष भत्ता उस सीमा तक कर-मुक्त होगा जिस सीमा तक केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से कर-मुक्त घोषित कर दिया जाये।

धारा 10 (14)(ii) के अन्तर्गत निम्न भत्तों को कर-मुक्त घोषित किया गया है—

(1) बाल शैक्षणिक भत्ता (Children Educational Allowance)—*यह भत्ता सम्पूर्ण भारत में कर-मुक्त है। प्रत्येक बच्चे के लिए कर-मुक्त राशि 50 रु. प्रतिमाह है तथा अधिकतम* रूप से यह भत्ता दो बच्चों के लिए ही कर-मुक्त हो सकता है।

(2) होस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता (Allowance to meet the hostel expenditure)—यह भत्ता कर्मचारी के बच्चों के होस्टल व्ययो की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जाता है। यह भत्ता सम्पूर्ण भारत में कर-मुक्त है। प्रत्येक बच्चे के लिए कर-मुक्त राशि 150 रु. प्रतिमाह है तथा अधिकतम रूप से यह भत्ता दो बच्चों के लिए ही कर-मुक्त हो सकता है।

(3) **परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता** (Allowance to Employees of Transport System) – यह भत्ता परिवहन व्यवस्था में लगे हुए ऐसे कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है जो ऐसे परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने सम्बन्धी कार्य में लगे हुए हैं और जिनको इस दौरान निजी व्यय करने पड़ते हैं। यह भत्ता भी सम्पूर्ण भारत में कर-मुक्त किया गया है। कर्मचारी को इस आशय के लिए देय भत्ते की 70% राशि कर-मुक्त होगी परन्तु यह भत्ता अधिकतम रूप से 3,000 रु. प्रतिमाह तक ही कर-मुक्त होगा।

(4) **जनजाति क्षेत्र भत्ता** (Tribal Area Allowance) – यह भत्ता मध्य-प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उडीसा राज्य में ही कर-मुक्त होगा। इस भत्ते की कर-मुक्त राशि 100 रु. प्रतिमाह होगी।

(5) **विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते**—ये भत्ते उन स्थानों के लिए कर-मुक्त किये गये हैं जो या तो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं अथवा जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। इन भत्तों की प्रकृति एवं कर-मुक्त सीमा निम्न प्रकार है:

(i) **मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता** (Composite Hill Compensatory Allowance) **अथवा असामान्य प्रकृति की जलवायु भत्ता** (Uncongenial Climate Allowance) **अथवा बर्फीली चट्टान भत्ता** (Avalanche Allowance) **अथवा बर्फ पड़ने के कारण बाहर न निकल सकने वाले क्षेत्र सम्बन्धी भत्ता** (Snow Bound Area Allowance) – इस भत्ते की कर-मुक्त राशि के दृष्टिकोण से तीन वर्ग बनाये गये हैं। ये वर्ग तथा इनसे सम्बन्धित कर-मुक्त राशि निम्नलिखित हैं—

(अ) जम्मू तथा कश्मीर के सियाचीन क्षेत्र में इस भत्ते की कर-मुक्त राशि 1,200 रु. प्रतिमाह है।

(ब) मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इस भत्ते की कर-मुक्त राशि 600 रु. प्रतिमाह है। ये क्षेत्र सामान्यत: समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हैं।

(स) उपर्युक्त वाक्यांश 'अ' एवं 'ब' में वर्णित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो समुद्र तल से 1,000 मीटर अथवा अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं इस भत्ते की कर-मुक्त राशि 150 रु. प्रतिमाह है।

(ii) **सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता** (Border Area Allowance) **अथवा दूरस्थ क्षेत्र भत्ता** (Remote Area Allowance) **अथवा दुर्गम क्षेत्र भत्ता** (Difficult Area Allowance) **अथवा दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता** (Disturbed Area Allowance) – इस भत्ते की कर-मुक्त राशि के दृष्टिकोण से 6 क्षेत्र बनाये गये हैं। इन क्षेत्रों में अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भाग तथा लक्षद्वीप एवं मिनिकोय द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम एवं मेघालय के सम्पूर्ण राज्य तथा कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के कुछ भाग सम्मिलित किये गये हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राशि कर-मुक्त की गई है जो निम्न प्रकार है—

श्रेणी A 650 रु. प्रतिमाह	श्रेणी B 1,100 रु. प्रतिमाह
श्रेणी C 525 रु. प्रतिमाह	श्रेणी D 375 रु. प्रतिमाह
श्रेणी E 300 रु. प्रतिमाह	श्रेणी F 100 रु. प्रतिमाह

(iii) क्षतिपूरक रणभूमि क्षेत्र भत्ता (Compensatory Field Area Allowance)—यह भत्ता अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मणिपुर व नागालैण्ड के समस्त क्षेत्रों में 975 रु. प्रति माह की दर से कर मुक्त किया गया है।

(iv) क्षतिपूरक संशोधित रणभूमि क्षेत्र भत्ता (Compensatory Modified Field Area Allowance)—यह भत्ता पंजाब, राजस्थान, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मिजोरम एवं त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 375 रु. प्रतिमाह की दर से कर मुक्त किया गया है।

(v) उपद्रव नियन्त्रण भत्ता (Counter-insurgency Allowance)—कोई भी विशिष्ट भत्ता जो उपद्रव नियन्त्रण भत्ते की प्रकृति का हो तथा जो सशस्त्र सैनिक दल के सदस्यों को उनकी नियुक्ति के मूल स्थान से 30 दिन से अधिक अवधि के लिये किसी अन्य स्थान पर कार्यरत रहने के लिये दिया जाये, 975 रु. प्रतिमाह की दर से कर-मुक्त किया गया है।

टिप्पणी—यदि किसी करदाता ने वाक्यांश नं. (iii) एवं (iv) के तहत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त किया है तो उसको वाक्यांश (ii) में कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार वाक्यांश (v) में लाभ प्राप्त करने वाले करदाता को वाक्यांश (ii) में वर्णित दंगा क्षेत्र भत्ता सम्बन्धी छूट स्वीकृत नहीं होगी।

Illustration 2 :

On the basis of following information, compute the gross income from Salary of Mr. Piyush for the assessment year 1997-98—

(i) Basic Pay @ Rs. 2,500 per month.
(ii) Dearness allowance @ 60% of basic pay.
(iii) City compensatory allowance @ Rs. 8% of basic pay.
(iv) Medical allowance @ Rs. 50 per month.
(v) Children's education allowance @ Rs. 100 per month per child for three children.
(vi) Allowance to meet the hostel expenditure of two children @ Rs. 250 per child per month.
(vii) Tribal area allowance @ Rs. 200 per month in Madhya Pradesh
(viii) Conveyance allowance @ Rs. 250 per month. The whole of the amount were spent for official duties.
(ix) Travelling allowance Rs. 6,000, the actual expenditure was Rs 4,000 only.
(x) Daily allowance Rs. 3,000.

निम्न सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री पीयूष की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए—

(i) मूल वेतन 2500 रु. प्रति माह।
(ii) महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 प्रतिशत।
(iii) नगर क्षतिपूरक भत्ता मूल वेतन का 8 प्रतिशत।
(iv) चिकित्सा भत्ता 50 रु. प्रतिमाह।
(v) बाल शिक्षा भत्ता 100 रु. प्रति माह प्रति बच्चे की दर से तीन बच्चों के लिये।

(vi) दो बच्चों के होस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता 250 रु. प्रति माह प्रति बच्चे के लिये।
(vii) मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्र भत्ता 200 रु. प्रति माह की दर से।
(viii) सवारी भत्ता 250 रु. प्रति माह की दर से। सम्पूर्ण राशि कार्यालय के कार्य हेतु व्यय कर दी गई।
(ix) यात्रा भत्ता 6,000 रु. जिसमें से 4,000 रु. व्यय किये गये।
(x) दैनिक भत्ता 3,000 रु.।

Solution :

Computation of gross income from Salary of Mr. Piyush for the assessment year 1997-98

	Rs.
1. Basic Pay	30,000
2. Dearness allowance	18,000
3. City compensatory allowance	2,400
4. Medical allowance	600
5. Children education allowance (Rs. 3,600-Rs. 1,200)	2,400
6. Allowance for Hostel expenses of children (Rs. 6,000 - 3,600)	2,400
7. Tribal area allowance (Rs. 2,400 - Rs. 1,200)	1,200
8. Conveyance allowance	—
9. Travelling allowance (Rs. 6,000-Rs. 4,000)	2,000
10. Daily allowance	—
	59,000

(III) निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर कर-मुक्त भत्ते

इस श्रेणी में वे भत्ते आते हैं जो निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कर-मुक्त हो सकते हैं परन्तु यदि निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है तो ये भत्ते पूर्णतया कर-योग्य भी हो सकते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित भत्ते आते हैं—

(I) मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance)—मनोरंजन भत्ते की राशि को पहले वेतन की सकल आय में शामिल किया जाता है तथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर आवश्यक राशि की कटौती वेतन की सकल आय में से दी जाती है। इसे इसी अध्याय में आगे समझाया गया है।

(II) मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)—कुछ नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देते हैं। ऐसा भत्ता नियम-2-अ के अन्तर्गत दी गई सीमाओं तक आय-कर से मुक्त है। यदि भत्ता इस नियम के अन्तर्गत दी गई सीमाओं से अधिक होता है तो जितना अधिक होता है उतना वेतन में जोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित राशियों में से जो राशि सबसे कम होती है वही मकान किराये भत्ते की कर-मुक्त राशि होती है—

(A) प्राप्त मकान किराया भत्ता, या

(B) (i) मकान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में से किसी भी स्थान पर होने की दशा में वेतन का 50% (ii) अन्य किसी स्थान पर वेतन का 40%, या

(C) वेतन के 10% से अधिक किराये के रूप में व्यय की गई राशि अर्थात् चुका गया किराया–वेतन का 10% ।

उपरोक्त तीन राशियों में से जो राशि सबसे कम होगी वह कर्मचारी को प्राप्त वास्तविक किर भत्ते में से घटा दी जायेगी और जो रकम शेष बचेगी वह कर-योग्य वेतन में जोड़ दी जायेगी।

टिप्पणी—(i) यहाँ पर वेतन से तात्पर्य मूल वेतन से है। कर-मुक्त किराये भत्ते की गण के लिए दूसरे भत्ते एवं अनुलाभ वेतन में शामिल नही किये जाते हैं। परन्तु यदि नौकरी : शर्तों के अन्तर्गत प्रॉवीडेण्ट फण्ड के लाभों के लिए महँगाई भत्ता वेतन में शामिल किया जा है तो कर-मुक्त किराये भत्ते की गणना करने के लिए भी इसे वेतन में शामिल किया जायेग सरकारी कर्मचारियों की दशा में महँगाई वेतन को किराये भत्ते का कर-मुक्त भाग मालूम क के लिए वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

यदि किसी कर्मचारी को उसके द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन दि जाता है तो कमीशन की राशि को भी इस आशय के लिए वेतन ही माना जायेगा तथा वेत. में शामिल किया जायेगा। ›

(2) उपरोक्त A से C में वर्णित राशियों की गणना उस अवधि के लिए ही की जाती है *जिस अवधि के लिए मकान किराया भत्ता देय है।*

(3) यदि कोई कर्मचारी .पने स्वयं के मकान में रहता है अथवा किसी ऐसे मकान में रहता है जहाँ उसे किराया नहीं देना पड़ता है अथवा देय किराया वेतन के 10% से कम है तो उस परिस्थिति में भत्ते की सम्पूर्ण राशि वेतन में सम्मिलित की जायेगी एवं इस प्रकार पूर्णतया कर-ये. होगी।

Illustration 3.

Compute Gross income from salary of the following-4 assessees for the assessment year *1997-98.*

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निम्न 4 करदाताओं की सकल आय की गणना कीजिए—

Particulars of income	Name of the assessees			
	A	B	C	D
	Rs.	Rs	Rs	Rs
Annual Salary	24,000	36,000	36,000	48,000
Annual D.A.	6,000	9,000	3,000	12,000
Annual Bonus	2,000	3,000	3,000	–
Annual House Rent Allowance	2,400	3,600	18,000	24,000
Actual Rent Paid	1,800	7,200	21,000	24,000
Place of Service	Ujjain	Ajmer	Jaipur	Delhi

Note – C is the only assessee whose salary for the purposes of provident fund contribution includes dearness allowance also.

टिप्पणी—C एकमात्र ऐसा करदाता है जिसके वेतन में प्रॉवीडेण्ट फण्ड अंशदान के लिए महँगाई भत्ते को शामिल किया जाता है।

Solution :

Computation of Gross Income from Salary

	A	B	C	D
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Salary	24,000	36,000	36,000	48,000
Dearness Allowance	6,000	9,000	3,000	12,000
Bonus	2,000	3,000	3,000	—
Taxable House Rent Allowance	2,400	—	2,400	4,800
	34,400	48,000	44,400	64,800

मकान किराये भत्ते की कर-मुक्त राशि निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है—

	A	B	C	D
	Rs	Rs.	Rs.	Rs.
(i) प्राप्त भत्ता	2,400	3,600	18,000	24,000
(ii) वेतन का 40% या 50%	9,600	14,400	15,600	24,000
(iii) वेतन के 10% से अधिक व्यय की गई राशि		3,600	17,100	19,200

प्रत्येक दशा में सबसे कम वाली राशि मकान किराये भत्ते की कर-मुक्त राशि है। प्राप्त भत्ते और कर-मुक्त राशि का अन्तर कर-योग्य मकान किराया भत्ता है।

(iii) यात्रा व्यय में सहायता धारा 10 (5)—केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी कर्मचारी को भले ही वह भारत का नागरिक है अथवा नहीं—

(अ) अपने नियोक्ता से छुट्टी पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए उसके स्वयं के तथा उसके परिवार के लिए मिली हुई यात्रा व्यय में कोई सहायता।

(ब) अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी से हटाये जाने पर भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए उसके तथा उसके परिवार के लिए मिली हुई यात्रा व्यय में कोई सहायता।

उपरोक्त दोनों दशाओं में छूट की राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो उसको छुट्टी पर, अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी से हटाये जाने पर भारत में किसी भी स्थान पर उसके जाने के लिए नियमानुसार देय है। परन्तु बोर्ड को इस बात का अधिकार होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली यात्रा व्यय में रियायत या सहायता को ध्यान में रखते हुए इस सीमा से अधिक रकम को भी कर-मुक्त करने सम्बन्धी नियम बना सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत छूट की राशि कर्मचारी द्वारा ऐसी यात्रा के लिए वास्तव में व्यय की गई राशि से अधिक नहीं होगी। यदि कर्मचारी यात्रा व्यय में सहायता के रूप में प्राप्त राशि में से बिल्कुल भी व्यय नहीं करता है तो उसे इस धारा की छूट भी प्राप्त नहीं होगी।

इस धारा की छूट के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार यात्राओं की संख्या एवं प्रति व्यक्ति कर-मुक्त की जाने वाली राशि सम्बन्धी शर्त भी लगा सकती है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने निम्न नियम बनाये हैं—

(1) यात्रा के लिए अपनाये गये विभिन्न साधनों के लिए छूट की राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है। इन साधनों एव सम्बन्धित छूट की राशियों को निम्न तालिका से सरलता से समझा जा सकता है—

विभिन्न दशायें	छूट की राशि
(i) यदि यात्रा रेल द्वारा की जाती है।	न्यूनतम दूरी वाले मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये की राशि।
(ii) यदि यात्रा के प्रारम्भ एव समाप्ति के स्थान रेल द्वारा जुड़े हुए है परन्तु यात्रा परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की जाती है।	न्यूनतम दूरी वाले मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये की राशि।
(iii) यदि यात्रा के प्रारम्भ एवं समाप्ति के स्थान या यात्रा का भाग रेल द्वारा जुडे हुये नही हों,	
(a) यदि प्रमाणित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध है।	न्यूनतम दूरी वाले मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराये की राशि।
(b) यदि प्रमाणित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नही है।	न्यूनतम दूरी वाले मार्ग के आधार पर ज्ञात की गई वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये की राशि यह मानते हुए कि यात्रा रेल द्वारा की गई है।

स्पष्टीकरण—उपरोक्त तालिका में दर्शायी गई राशि छूट की अधिकतम राशि है। यदि कर्मचारी इससे कम राशि व्यय करता है तो व्यय की गई राशि से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नियोक्ता कर्मचारी को उक्त तालिका में दर्शायी गई राशि से अधिक राशि सहायता के रूप में देता है तो कर-मुक्त राशि निम्न तीन राशियों में सबसे कम वाली राशि होगी—

(a) नियोक्ता द्वारा दी गई राशि

(b) तालिका में दर्शायी गई राशि

(c) कर्मचारी द्वारा व्यय की गई राशि

प्राप्त राशि में से कर-मुक्त राशि घटा दी जायेगी तथा शेष राशि कर-योग्य होगी।

(2) उपरोक्त वाक्याश (1) में वर्णित छूट किसी कर्मचारी को चार वर्षों के समूह मे दो बार ही प्राप्त हो सकेगी। यदि किसी कर्मचारी को चार वर्षों के समूह में दो से अधिक बार यात्रा व्यय में रियायत अथवा सहायता प्राप्त होती है तो दो यात्राओं के लिए छूट की राशि की गणना उपरोक्त वाक्याश (1) में वर्णित विधि से ज्ञात की जायेगी तथा शेष यात्राओ के

लिए प्राप्त सम्पूर्ण राशि ही कर-योग्य होगी। चार वर्षों का पहला समूह 1 जनवरी, 1986 से प्रारम्भ हुआ था तथा 31 दिसम्बर, 1989 को समाप्त हुआ है। 1 जनवरी, 1990 से दूसरा समूह प्रारम्भ हुआ तथा 1 जनवरी 1994 से तीसरा समूह प्रारम्भ हो गया है।

(3) यदि कोई कर्मचारी ऐसे चार कलैण्डर वर्षों के किसी समूह में यात्रा व्यय में सहायता अथवा रियायत का लाभ नहीं उठाता है तो अगले चार वर्षों के समूह के प्रथम कलैण्डर वर्ष में प्राप्त यात्रा व्यय में सहायता अथवा रियायत कर-मुक्त होगी। इस प्रकार प्राप्त की गई कर-मुक्ति का अगले चार वर्षों के समूह की यात्रा व्यय सहायता या रियायत के कर-मुक्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के लिए परिवार का आशय निम्न होगा—

(i) व्यष्टि करदाता का जीवन-साथी तथा उसके बच्चे, एवं

(ii) व्यष्टि करदाता के माता-पिता अथवा भाई-बहिन में कोई भी एक अथवा सभी लोग बशर्ते वे उस व्यष्टि पर मुख्य रूप से निर्भर हैं।

ग्रेच्युइटी (Gratuity)

ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम में निम्न प्रावधान है—

(1) सरकार, स्थानीय सत्ता एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युइटी—केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों को प्राप्त मृत्यु एवं निवृत्ति ग्रेच्युइटी (Death cum retirement Gratuity) एवं सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों को नवीन पेंशन संहिता के अनुसार प्राप्त निवृत्ति ग्रेच्युइटी पूर्णतः कर-मुक्त होती है। वैधानिक निगम के कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते है।

(2) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत प्राप्त ग्रेच्युइटी—ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार जो कर्मचारी इस अधिनियम के क्षेत्र में आते है उनको निम्न राशि ग्रेच्युइटी के रूप में भुगतान की जाती है—

(क) प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन। 6 माह से अधिक की अवधि इस आशय के लिए एक वर्ष मान लिया जाता है। अथवा

(ख) 1,00,000 रु.। (दोनों में से जो भी कम हो)

यदि कोई नियोक्ता उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपने कर्मचारी को ग्रेच्युइटी भुगतान करता है तो कर्मचारी के लिए प्राप्त सम्पूर्ण राशि आय-कर से मुक्त होती है। पर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारी नियोक्ता से उक्त सीमा से अधिक ग्रेच्युइटी दिए जाने का अनुबन्ध कर सकता है। यदि कर्मचारी ने उपरोक्त सीमा से अधिक राशि ग्रेच्युइटी के रूप में प्राप्त की है तो वह अतिरिक्त राशि कर-मुक्त नहीं होगी।

इस अधिनियम की अन्य व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं—

(i) यह अधिनियम सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा निजी कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बन्दरगाहों तथा रेल कम्पनियों एवं ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है।

(ii) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के लिए वेतन से आशय ऐसे वेतन से है, जिसमे महंगाई भत्ते को तो शामिल किया जाता है, परन्तु अन्य कोई बोनस, कमीशन तथा भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(iii) 15 दिन के वेतन की गणना जिस महीने मे कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है, उस महीने के प्रतिदिन के वेतन के आधार पर की जायेगी। प्रतिदिन या एक दिन का वेतन उस माह के वेतन मे 26 दिन का भाग देकर ज्ञात किया जायेगा।

(3) अन्य किसी दशा मे कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता मे प्राप्त ग्रेच्युइटी (यदि वह ग्रेच्युइटी कर्मचारी द्वारा अवकाश ग्रहण करने, कार्य के अयोग्य हो जाने अथवा नौकरी से निकाले जाने पर प्राप्त की गई है) पर निम्नलिखित सीमा तक आय-कर नहीं लगता—

(अ) प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन
(ब) 2,50,000 रु
(स) वास्तविक प्राप्त राशि

} इनमें जो भी सबसे कम हो

स्पष्टीकरण—(i) यदि किसी करदाता को गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युइटी की राशि प्राप्त होती है तो प्रत्येक नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युइटी का कर-मुक्त भाग अलग-अलग ज्ञात किया जाएगा, परन्तु कुल कर-मुक्त राशि 2,50,000 रु से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार यदि किसी कर्मचारी ने पहले किसी वर्ष में ग्रेच्युइटी प्राप्त की थी और उसका कुछ भाग कर-मुक्त हो गया था तो उस कर-मुक्त राशि को 2,50,000 रु मे से घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही कर-मुक्ति की अधिकतम सीमा गत वर्ष के लिए मानी जायेगी।

(ii) **वेतन की गणना**—जिस माह में कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है, कार्य के अयोग्य हो जाता है अथवा नौकरी से हटाया जाता है, उस माह के तुरन्त पूर्व के 10 माह के मासिक औसत के आधार पर की जायेगी। कर-मुक्त ग्रेच्युइटी की गणना के लिए वेतन से तात्पर्य मूल वेतन से है परन्तु यदि महगाई भत्ता नौकरी की शर्तों के अनुसार प्रॉवीडेण्ट फण्ड के लाभों के लिए वेतन में सम्मिलित किया जाता है तो इसे इस आशय के लिए भी वेतन में सम्मिलित किया जायेगा।

(iii) नौकरी से हटाने के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा नौकरी से त्याग-पत्र दिया जाना भी सम्मिलित है।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—Gestetner Duplicators (P) Ltd v/s CIT के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को 'वेतन' का भाग माना जायेगा। इस निर्णय के अनुसार ऐसा कमीशन ग्रेच्युइटी, मकान किराया भत्ता, अर्जित अवकाश वेतन, गैस, बिजली, पानी की सुविधा तथा प्रॉवीडेण्ट फण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाओं के लिए वेतन में सम्मिलित किया जायेगा।

Illustration 4.

Shri Narendra Mohan an employee completed 27 years and 8 months of service with Messers Jaipur Iron & Steel Ltd and at the time of retirement on 1.1.1997 he received Rs. 72,000 as gratuity. His monthly salary

on the date immediately preceding the date of retirement was Rs. 3,900. Find out the amount of taxable gratuity assuming that the Payment of Gratuity Act, 1972 applies.

श्री नरेन्द्र मोहन ने मैसर्स जयपुर आयरन एण्ड स्टील लि. में 27 वर्ष 8 माह सेवा प्रदान की तथा 1-1-1997 को अवकाश ग्रहण करने पर 72,000 रु. की ग्रेच्युइटी प्राप्त की। अवकाश ग्रहण करने की तिथि के तुरन्त पूर्व उनका मासिक वेतन 3,900 रु. था। यह मानते हुए कि ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होता है, कर-योग्य ग्रेच्युइटी की राशि ज्ञात कीजिए।

(Ravi. B.Com., 1992)

Solution :

कर-योग्य ग्रेच्युइटी की राशि ज्ञात करने के लिए पहले ग्रेच्युइटी की कर-मुक्त राशि ज्ञात करनी होगी। निम्न राशियों में सबसे कम राशि ग्रेच्युइटी की कर-मुक्त राशि होगी—

(अ) प्राप्त ग्रेच्युइटी	72,000 रु.
(ब) सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन	63,000 रु.
(स) अधिकतम कर-मुक्त राशि	1,00,000 रु.

इस प्रकार 63,000 रु की राशि कर-मुक्त होगी तथा 72,000 रु.– 63,000 रु. = 9000 रु. की राशि कर-योग्य होगी।

टिप्पणी—सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की गणना निम्न प्रकार की गई है—

$3900 \times \frac{1}{26} \times 15 \times 28 = 63,000$ रु.।

Illustration 5.

Mr. Ram who was working as manager was drawing a salary of Rs. 7,600 p.m. on 1-4-96 resigned from service on 1-12-96 after completing 40 years of service. At the time of retirement he was paid Rs. 2,40,000 as gratuity by the employer. Following are the details of salary paid to him in three preceding years—

श्री राम जो कि प्रबन्धक के रूप में सेवारत थे तथा जिनका वेतन 1-4-96 को 7,600 रु. प्रतिमाह था, ने 1-12-96 को 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करके अपनी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया। सेवा से निवृत्त होते समय उन्हें नियोक्ता से 2,40,000 रु. की ग्रेच्युइटी प्राप्त हुई। पिछले तीन वर्षों में प्राप्त वेतन का विवरण निम्नलिखित है–

Financial year 1993-94	Rs. 6,000 p.m.
Financial year 1994-95	Rs. 6,400 p.m.
Financial year 1995-96	Rs. 6,800 p.m.

Compute the amount of exempted gratuity assuming that Payment of Gratuity Act does not apply.

कर-मुक्त ग्रेच्युटी की राशि यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि ग्रेच्युइटी भुगतान ... लागू नही होता है।

Solution :

श्री राम ने अवकाश ग्रहण करने के तुरन्त पूर्व के 10 माह में कुल वेतन 7,600 × 8 + 6,800 × 2 = 74,400 रु. प्राप्त किये। अतः उसका औसत मासिक वेतन 7,440 रु. होगा।

निम्न राशियों में से सबसे कम वाली राशि कर-मुक्त होगी—

(a)	Half month's salary for each completed year of service (40 × 3720)	= Rs. 1,48,800
(b)	Maximum amount permissible	= Rs. 2,50,000
(c)	Gratuity received	= Rs. 2,40,000

उपरोक्त तीन राशियों में सबसे कम वाली राशि 1,48,800 रु. कर-मुक्त है तथा शेष राशि (2,40,000 रु. − 1,48,800 रु) = 91,200 रु. कर-योग्य होगी।

पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता एवं केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी को पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि (Commuted Value) पूर्णतया कर-मुक्त है।

अन्य किसी नियोक्ता से किसी योजना के अन्तर्गत पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि (Commutation of pension) निम्न सीमा तक कर-मुक्त है—

(अ) यदि कर्मचारी को ग्रेच्युइटी मिलती है तो स्वीकृत पेंशन के $\frac{1}{3}$ भाग की एक मुश्त राशि (Commuted Value) तक।

(ब) यदि ग्रेच्युइटी नही मिलती है तो स्वीकृत पेंशन के $\frac{1}{2}$ भाग की एक-मुश्त राशि (Commuted Value) तक।

Illustration 6.

Mr. Dilip retired from Jaipur Spining Mills on 1st January, 1997. At the time of retirement he was getting a salary of Rs. 1,600 p.m. His pension was sanctioned at Rs. 400 p.m. He got $\frac{3}{4}$ th of this pension commuted and the commuted value received by him was Rs. 9,000. He served this employer for twenty years. Compute his Gross Income from Salaries for the assessment year 1997-98.

श्री दिलीप जयपुर स्पिनिंग मिल्स से 1 जनवरी, 1997 को कार्य-मुक्त हुये। सेवानिवृत्ति के समय उनका वेतन 1,600 रु. प्रतिमाह था। उनको 400 रु. प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गई। उन्होंने इस पेन्शन के $\frac{3}{4}$ भाग की एकमुश्त राशि 9,000 रु. प्राप्त की। उन्होंने इस नियोक्ता की 20 वर्ष सेवायें कीं। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए। *(Ravi Shankar Uni. B.Com., 1992)*

Solution :

Computation of Gross Income from Salaries
for the A.Y. 1997-98

	Rs.
Salary @ Rs. 1600 p.m. from 1st April to 31 December, 1996 (1,600 × 9)	14,400

Pension :	Non-Commuted part from January to March, 1997 (100 × 3)		300
	Commuted value of pension :	Rs	
	Amount received	9,000	
	Less : Amount Exempt	6,000	3,000
Gross Income from salary			17,700

टिप्पणी—श्री दिलीप को $\frac{3}{4}$ भाग के लिए 9,000 रु. पेन्शन की एकमुश्त राशि प्राप्त हुई है। चूंकि श्री दिलीप को ग्रेच्युइटी नहीं मिलती है, अतः पेंशन की $\frac{1}{2}$ भाग की एकमुश्त राशि $(9,000 \times \frac{4}{3} \times \frac{1}{2}) = 6,000$ रु. कर-मुक्त होंगे। पेंशन की $\frac{1}{4}$ राशि प्रतिमाह प्राप्त की जायेगी। जनवरी, 1997 से मार्च, 1997 तक की राशि 300 रु. होगी।

छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को छंटनी (Retrenchment) के समय दी गई क्षतिपूर्ति की राशि निम्नलिखित सीमाओं तक कर-मुक्त रहेगी—

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-25F (b) के अनुसार निकाली गई राशि,

(ii) 50,000 रु. (दोनों में से जो कम हो)।

स्पष्टीकरण—(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन छंटनी पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए छंटनी होने वाले माह के तुरन्त पूर्व के तीन कलैण्डर माह का औसत वेतन लिया जायेगा। यदि कर्मचारी को साप्ताहिक पारिश्रमिक मिलता है तो तुरन्त पूर्व के चार सप्ताह का औसत वेतन लिया जायेगा। सेवा के वर्षों की गणना करते समय 6 माह से अधिक की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जायेगा।

(2) छंटनी के अन्तर्गत नियोक्ता का व्यापार बन्द होने पर नौकरी से हटाया जाना भी शामिल है। इसी प्रकार कर्मचारी की सेवाओं को अन्य नियोक्ता को हस्तान्तरित कर देना भी शामिल है, यदि इससे कर्मचारी की सेवाओं में अवरोध मान लिया जाता है अथवा नये नियोक्ता के यहाँ कर्मचारी को भविष्य में ऐसी क्षतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। इस कर-मुक्ति का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलता है, जो—

(क) मुख्यतः प्रबन्धक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्त हों,

(ख) अधीक्षक के रूप में नियुक्त हों तथा प्रतिमाह 1,600 रु. से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, अथवा

(ग) अधीक्षक के रूप में नियुक्त हों परन्तु कार्य मुख्यतः प्रबन्धक का करते हों।

(3) वेतन से तात्पर्य बोनस, ग्रेच्युइटी एवं कर्मचारी के कल्याण के लिए किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर समस्त पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सके।

(4) कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया (छंटनी को छोड़कर) से नौकरी से हटाये जाने पर क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतया कर-योग्य होगी।

(5) यदि छंटनी पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत किया जाता है तो कर्मचारी को प्राप्त ऐसी क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी तथा उस पर अधिकतम कर-मुक्त सीमा का बन्धन लागू नहीं होगा।

Illustration 7.

Mr. Ghanshyam was appointed as Clerk on 1st May, 1984 in Rajasthan Handloom Factory. On account of retrenchment his services were terminated on 15th June, 1996 and he was paid Rs. 9,000 as Compensation. He received a monthly salary of Rs. 1,150 since 1st April, 1996 but prior to this date he received only Rs. 1,000 as monthly salary.

Find out exempted amount of compensation for the assessment year 1997-98.

श्री घनश्याम राजस्थान हैण्डलूम फैक्टरी में, 1 मई, 1984 को लिपिक नियुक्त हुए। उन्हें 15 जून, 1996 को छंटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया तथा उन्हें 9,000 रु. की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई। उनको 1 अप्रेल, 1996 से 1,150 रु. प्रतिमाह वेतन प्राप्त हुआ। परन्तु इसके पूर्व 1,000 रु. प्रतिमाह ही प्राप्त हुआ था।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए क्षतिपूर्ति की कर-मुक्त राशि ज्ञात कीजिए।

(Ravishankar Uni. B.Com., 1992)

Solution :

श्री घनश्याम ने 12 वर्ष नौकरी की है, अतः प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के हिसाब से 180 दिन का वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है तो वह कर-मुक्त होगा। इससे अधिक प्राप्त की गई राशि कर-मुक्त नहीं होगी। वेतन से अभिप्राय नौकरी से हटाये जाने वाले माह के तुरन्त पूर्व के तीन कलैण्डर माह के औसत वेतन से होगा। प्रस्तुत उदाहरण में औसत वेतन 35.87 रु. [$(1{,}150 \times 2 + 1{,}000 \times 1) \div 92$] प्रतिदिन है। श्री घनश्याम को प्राप्त 9,000 रु. की राशि में से 180 दिन का औसत वेतन अर्थात् 6,457 रु. की राशि कर-मुक्त होगी।

सेवा निवृत्त होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नकद भुगतान

(1) केन्द्रीय एव राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा सेवा निवृत होने पर अर्जित छुट्टियों की अवधि के लिए प्राप्त नकद भुगतान पूर्णतया कर-मुक्त होगा।

(2) गैर-सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर अर्जित छुट्टियों की अवधि के लिए प्राप्त राशि निम्नलिखित राशियों में से सबसे कम राशि के बराबर कर-मुक्त होगी—

(अ) सेवा निवृति पर अर्जित छुट्टियों के लिए प्राप्त नकद राशि, या

(ब) 8 माह का औसत वेतन, या

(स) सेवा निवृति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में देय औसत वेतन। [शेष अर्जित अवकाश की गणना करने के लिए कर्मचारी की सेवा

अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये अधिक से अधिक 30 दिन का अवकाश मान्य होगा तथा इस प्रकार अर्जित अवकाश में से कर्मचारी द्वारा इस अवधि में लिया गया अवकाश घटा दिया जायेगा।]

(द) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि अर्थात् 1,35,360 रु.।

उपरोक्त चार राशियों में से सबसे कम वाली राशि कर-मुक्त होगी तथा इससे अधिक प्राप्त राशि पर कर्मचारियों को वेतन शीर्षक की आय में कर देना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अपने भूतपूर्व नियोक्ता अथवा नियोक्ताओं से भी अर्जित छुट्टियों के प्रयोग न करने के बदले नकद भुगतान प्राप्त किया था तथा उस राशि को आय-कर से मुक्त किया गया था तो ऐसी दशा में भूतकाल में कर-मुक्त की गई राशि को वाक्यांश 'द' में वर्णित राशि में से कम कर दिया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में ही दो नियोक्ताओं से इस प्रकार की राशि प्राप्त करता है तो अधिकतम कर-मुक्त सीमा का निर्धारण करते समय दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त राशि को जोड़ लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—(i) वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से है परन्तु यदि महँगाई भत्ता नौकरी की शर्तों के अनुसार प्रॉवीडेण्ट फण्ड के लाभों के लिए वेतन में सम्मिलित किया जाता है तो इस आशय के लिए भी वेतन में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को भी वेतन में सम्मिलित किया जायेगा। औसत वेतन से आशय सेवा निवृत्ति होने के तुरन्त पहले के 10 महीनों के औसत वेतन से होगा।

(ii) वाक्यांश (स) की राशि की गणना वर्तमान नियोक्ता के यहाँ की गई सेवा अवधि के सम्बन्ध में की जायेगी।

Illustration 8.

Shri Manak Chand who was the Sales Manager of Rajasthan Textiles, Bhilwara, sought retirement from service on 1st Dec., 1996 after serving there for 24 years. He was in the pay-scale of 8,000-1000-16,000 since 1st September, 1995. He had been getting Dearness Allowance of Rs. 2,000 per month since 1st January, 1995 under the terms of employment He was entitled to earned leave of 30 days for each year of service and at the time of retirement 10 months earned leave was at his credit, for the encashment of which he received a payment of Rs. 1,10,000. Compute his gross income under the head 'Salaries' for the Assessment Year 1997-98

श्री मानकचन्द, जो राजस्थान टेक्सटाइल्स, भीलवाड़ा में विक्रय प्रबन्धक थे, ने वहाँ 24 वर्ष सेवा करने के पश्चात् 1 दिसम्बर, 1996 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। उनका वेतनमान 1 सितम्बर, 1995 से 8,000-1,000-16,000 रु. था। उन्हें 1 जनवरी, 1995 से 2,000 रु. प्रतिमाह महंगाई भत्ता भी सेवा-शर्तों के अधीन प्राप्त हो रहा था। वे प्रतिवर्ष की सेवा के लिए तीस दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और अवकाश ग्रहण करते समय उनके अवकाश खाते में 10 माह का अर्जित अवकाश जमा था जिसके भुगतान में उन्हें 1,10,000 रु. प्राप्त हुए। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए।

Solution :

Computation of Gross Income from Salary of Shri Manak Chand for the Assessment Year 1997-98

		Rs.
Basic Salary [8,000 × 5 + 9,000 × 3]		67,000
Dearness allowance @ Rs. 2,000 p.m.		16,000
Earned leave salary received	Rs. 1,10,000	
Less . Amount exempt	Rs. 82,400	27,600
Gross Income from Salary		1,10,600

टिप्पणी—(i) अर्जित अवकाश के लिए प्राप्त वेतन में से निम्न चार राशियों में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होती है—

(अ) प्राप्त राशि 1,10,000 रु.

(ब) 8 माह का औसत वेतन 82,400 रु.

(स) सेवा निवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में देय औसत वेतन [10,300 × 10 = 1,03,000 रु]

(द) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राशि अर्थात् 1,35,360 रु ।

इस प्रकार 82,400 रु कर-मुक्त होंगे तथा 1,10,000–82,400 = 27,600 रु. कर-योग्य होंगे।

औसत वेतन से अभिप्राय अवकाश ग्रहण करने के तुरन्त पूर्व के 10 माह के औसत वेतन से होता है। औसत वेतन की गणना निम्न प्रकार की गयी है—

(10,000 × 7 + 11,000 × 3) ÷ 10 = 10,300 रु ।

ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि

एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, अन्य कोई कम्पनी, केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम, स्थानीय सत्ता सहकारी समिति, विश्वविद्यालय, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रबन्ध संस्था (Management institute) के कर्मचारी द्वारा ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने की किसी योजना के तहत ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त राशि धारा 10(10c) के अनुसार अधिकतम 5 लाख रूपये तक कर-मुक्त होगी। इस सम्बन्ध में बनाई गई कोई भी योजना आयकर नियम संख्या 2BA में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिये तथा अन्य कम्पनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को छोडकर) की दशा में ऐसी योजना मुख्य आयुक्त या सामान्य निदेशक से अनुमोदित होनी चाहिये। यदि किसी कर्मचारी को किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये धारा 10(10c) के तहत कर मुक्ति प्रदान कर दी जाती है तो उसे अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में इस धारा के तहत दुबारा कर-मुक्ति नहीं दी जायेगी।

धारा 10(10c) के तहत कोई भी राशि कर-मुक्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में बनाई गई कोई भी योजना नियम संख्या 2BA की आवश्यकताओं के अनुसार हो। नियम संख्या 2BA की आवश्यकताएँ निम्न हैं—

(i) यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 40 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं अथवा जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(ii) यह योजना कम्पनी अथवा सत्ता के सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं परन्तु सचालकों पर लागू नहीं होती है।

(iii) ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने की योजना कम्पनी अथवा सत्ता के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या में कमी करने के लिये बनाई गई है।

(iv) ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने से रिक्त होने वाले स्थान को भरा नही जायेगा।

(v) अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारी को उसी प्रबन्ध की अन्य कम्पनी या संस्था में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(vi) ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर देय राशि निम्न राशियों से अधिक नही होगी—

(अ) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये $1\frac{1}{2}$ माह का वेतन, अथवा

(ब) सेवा निवृत्ति की बची हुई अवधि को अवकाश ग्रहण करने के समय के वेतन से गुणा करने पर प्राप्त राशि।

स्पष्टीकरण—वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से होगा। मूल वेतन में सेवा शर्तों के अधीन मिला हुआ महँगाई भत्ता एव एक कर्मचारी द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित दर से दिया गया कमीशन तो सम्मिलित होगा परन्तु अन्य कोई भत्ता या अनुलाभ शामिल नही होगा।

अनुलाभ (Perquisites)

'अनुलाभ' शब्द के अन्तर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं एवं लाभों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे भले ही नियोक्ता ने ये सुविधायें स्वेच्छा से प्रदान की हैं अथवा किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत प्रदान की हैं। यह नकद अथवा वस्तु अथवा सुविधा के रूप में दिया जा सकता है। आय-कर के लिए केवल वही लाभ एवं सुविधा अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में दिये जाते हैं तथा जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। आय-कर के लिए नकद मिलने वाले अनुलाभ भत्ता अथवा वेतन के बदले लाभ कहलाते हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम समस्त अनुलाभों को तीन वर्गों में बाँट सकते हैं—

(1) सभी कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ,

(2) विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ,

(3) कर-मुक्त अनुलाभ।

1. सभी कर्मचारियो के लिए कर-योग्य अनुलाभ—

(i) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिये मकान का मूल्य,

(ii) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर रहने के लिए दिये गये मकान का मूल्य,

(iii) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान,

(iv) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान अथवा वार्षिकी अनुबन्ध के लिए दी गई रकम बशर्ते यह रकम प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में से या अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में से नही दी गई हो।

2. विशिष्ट कर्मचारियो के लिए कर-योग्य अनुलाभ—

नियोक्ता द्वारा मुफ्त में दी गई अथवा रियायती दर पर दी गई सुविधाओं (जैसे—मोटर, गैस, बिजली, पानी आदि) का मूल्य जो केवल निम्नलिखित कर्मचारियों के लिए कर देय होगा—

(i) कम्पनी का ऐसा कर्मचारी जो उसका संचालक भी हो।

(ii) एक कम्पनी का ऐसा कर्मचारी जिसका कम्पनी में समुचित हित हो।

(iii) ऐसा कर्मचारी जिसकी वेतन शीर्षक के अन्तर्गत एक या अधिक नियोक्ताओं द्वारा देय, प्रदत्त अथवा स्वीकृत आय (अन्य लाभों अथवा सुविधाओं को छोड़कर जिनका मुद्रा में भुगतान नही होता हो) 24,000 रूपये से अधिक हो।

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय मे अभिप्राय वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय से होगा। इस आशय के लिये मुद्रा मे प्राप्त वेतन शीर्षक की सकल आय में सम्मिलित राशियों में से प्रमाणित कटौती, मनोरजन भत्ते सम्बन्धी कटौती एवं कर्मचारी द्वारा भुगतान किये गये पेशे सम्बन्धी कर की कटौती घटायी जायेगी। शेष राशि यदि 24,000 रु. से अधिक हो तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलायेगा अन्यथा नही।

उन कर्मचारियों को जो उपरोक्त तीन श्रेणियो मे नहो आते नियोक्ता से प्राप्त होने वाली मोटरकार, गैस, बिजली, पानी आदि की सुविधाओ पर आय-कर नहीं चुकाना पडता है।

(3) कर-मुक्त अनुलाभ—प्रत्यक्ष करो के केन्द्रीय बोर्ड के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सुविधायें सभी प्रकार के कर्मचारियो के लिए करमुक्त होती हैं—

(i) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाये—नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा सम्बन्धी निम्न सुविधाओ को अनुलाभ नही माना जाता है तथा ये सुविधाएँ सभी कर्मचारियो के लिये कर-मुक्त है—

(अ) किसी कर्मचारी को अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक या नर्सिग होम में दी गई चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा का मूल्य,

(ब) (i) सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा सचालित किसी अस्पताल, डिस्पेन्सरी या क्लिनिक अथवा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये अनुमोदित किसी अन्य अस्पताल, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक या नर्सिग होम में किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किये गये व्यय का नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा (ii) किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की निर्धारित बीमारी अथवा पीड़ा के सम्बन्ध में चीफ कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल, डिस्पेन्सरी, क्लिनिक या नर्सिग होम में कराई गई चिकित्सा के सम्बन्ध मे किये गये व्यय का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण।

वाक्यांश (ii) की दशा में कर्मचारी को अपने आय के नक्शे के साथ अस्पताल का एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें उस बीमारी व पीड़ा का उल्लेख होगा जिसके लिये कर्मचारी को इलाज की आवश्यकता थी तथा साथ ही अस्पताल को भुगतान की गई राशि की रसीद भी संलग्न करनी होगी।

(स) भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई एव केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित *की गई किसी योजना के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम* का भुगतान,

(द) भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा *80D* के लिये अनुमोदित की गई किसी योजना के अन्तर्गत किसी कर्मचारी द्वारा उसके स्वय के

अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए चुकाई गई राशि का नियोक्ता द्वारा भुगतान,

(य) उपर्युक्त वाक्यांश (अ) एवं (ब) में वर्णित अस्पताल, डिस्पेन्सरी या क्लिनिक के अतिरिक्त अन्य किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी या क्लिनिक पर चिकित्सा कराने के लिये किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं के अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर वास्तव में किये गये व्यय का नियोक्ता द्वारा भुगतान। परन्तु इस वाक्यांश के अन्तर्गत किसी एक गत वर्ष में 10,000 रु. तक की राशि ही कर मुक्त होगी—

(फ) यदि चिकित्सा भारत के बाहर होती है तो नियोक्ता द्वारा किया गया निम्न व्यय—

(1) अपने कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा पर किया गया व्यय।

(2) कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की ऐसी चिकित्सा के सम्बन्ध में यात्रा के लिये एवं भारत के बाहर ठहरने के लिये किया गया व्यय।

(3) ऐसी चिकित्सा के सम्बन्ध में रोगी के साथ गये एक परिचालक (Attendant) की यात्रा के लिये एवं भारत के बाहर ठहरने के लिये किया गया व्यय।

इस वाक्य के उप-वाक्य (2) एवं (3) में वर्णित यात्रा व्यय केवल उसी दशा में कर-मुक्त होगा जबकि उस कर्मचारी की सकल कुल आय इस वाक्य के तहत किसी व्यय को जोड़ने से पूर्व 2,00,000 से अधिक नही हो तथा चिकित्सा एवं ठहरने के सम्बन्ध में व्यय की गई राशि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत सीमा तक ही कर मुक्त होगी।

(ग) उपर्युक्त वाक्यांश (फ) में वर्णित कोई व्यय कर्मचारी के स्वयं के द्वारा किया जाता है तथा उसका भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर दिया जाता है तो ऐसा भुगतान वाक्यांश (फ) में दी गई शर्त एवं सीमाओं के अनुसार ही कर-मुक्त होगा।

टिप्पणी—(i) परिवार के सदस्यों में कर्मचारी का जीवन साथी, उसके पुत्र और पुत्रियाँ तथा उस पर पूर्णतया अथवा मुख्यतः आश्रित माता, पिता व भाई, बहनों को सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) यदि कोई कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी में नहीं आता है तथा उसको चिकित्सा सुविधा सेवा शर्तों के अनुसार उपलब्ध है तो उसके लिये चिकित्सा सुविधा की सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होती है।

(ii) मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त होती हैं बशर्ते कि ये सुविधायें सभी कर्मचारियों को अथवा कर्मचारियों के किसी वर्ग को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जायें।

(iii) नाश्ते की सुविधा—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में प्रदान की गई नाश्ते की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त है।

(iv) रियायती दर पर भोजन की सुविधा—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को भोजन के रूप में दी गई सुविधा का मूल्य वसूल कर लिया जाता है तो इसे रियायती दर पर भोजन की सुविधा (Facility of subsidised lunch or dinner) कहा जायेगा और इस प्रकार कर्मचारी को जो सुविधा प्राप्त होती है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और वह सभी

कर्मचारियों के लिए करमुक्त होगी। परन्तु यदि नियोक्ता मुफ्त भोजन की सुविधा अथवा चाय-पानी की सुविधा कार्यालय समय में कार्यालय के बाहर भी प्रदान करता है तो ऐसी सुविधा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए 35 रु. प्रति दिन की सीमा तक कर-मुक्त होती है तथा इससे अधिक नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि कर-योग्य होती है। इस व्यय का भुगतान सीधे भोजनालय या रेस्टोरेंट को नियोक्ता द्वारा किया जाना आवश्यक है अन्यथा कटौती नहीं मिलेगी।

(v) टेलीफोन की सुविधा—यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के निवास पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जाती है तो यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त होती है चाहे भले ही कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग निजी कार्यों के लिए भी क्यों न करता हो।

(vi) रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि की सुविधा—यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स आदि पर कोई राशि व्यय करता है तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त होगी।

(vii) यातायात की सुविधा—यदि नियोक्ता का अपना स्वयं का यातायात का व्यापार हो तो कर्मचारी को अथवा कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को नि:शुल्क अथवा रियायती दर पर दी गई यातायात की सुविधा का मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को अथवा उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क आने-जाने की सुविधा *का मूल्य कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार 'एयर इण्डिया' एवं 'इण्डियन एयर लाइन्स' (Air India* and Indian Air Lines) द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई ऐसी ही सुविधा का भी कोई मूल्य नहीं होगा।

(viii) नियोक्ता द्वारा निर्मित माल को रियायती दर पर देने की सुविधा—ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त होती है।

(ix) निम्नलिखित सुविधायें विशिष्ट परिस्थितियों में सभी कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त होती हैं—

(अ) माली की सुविधा—यदि ऐसे मकान में उपलब्ध कराई जाय जिसका स्वामी नियोक्ता स्वयं है।

(ब) गैस, बिजली, पानी की सुविधा—यदि ये सुविधायें नियोक्ता अपने ही साधनों से प्रदान करता है।

(स) विदेश में दी गई सुविधा—भारत सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को जो भारत के नागरिक हैं विदेश में सेवा करने के लिये विदेश में दी गई सुविधा का मूल्य बशर्ते यह सुविधा भारत में नहीं दी जाती है।

(द) न्यायाधीशों को आवास की सुविधा—उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त रहने के लिये दिये गये सरकारी निवास की सुविधा का मूल्य कर-मुक्त होगा।

अनुलाभों का मूल्यांकन
(Valuation of Perquisites)

अनुलाभों का मूल्यांकन आय-कर नियम, 1962 के नियम—3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। *ये व्यवस्थायें अग्रलिखित हैं*—

प्रत्येक दशा में कर-योग्य अनुलाभ

(i) किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन—किराये से मुक्त रहने के लिए दिया गया मकान दो प्रकार का हो सकता है—(a) असुसज्जित, एवं (b) सुसज्जित। यदि मकान में फर्नीचर की सुविधा प्रदान की जाती है तो मकान सुसज्जित कहलाता है और फर्नीचर की सुविधा नहीं होती है तो मकान असुसज्जित कहलाता है। दोनों प्रकार के मकानों का मूल्याकन करने सम्बन्धी नियम भिन्न-भिन्न हैं—

(A) असुसज्जित मकान की दशा में—असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारियों को तीन वर्गों में बाँटा गया है, जो निम्न है—

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी,
(ii) रिजर्व बैंक, सरकारी निगम अथवा सरकारी कम्पनी के कर्मचारी,
(iii) निजी क्षेत्र के कर्मचारी।

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी—इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्य के सम्बन्ध में किसी पद पर नियुक्त हैं अथवा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी आते हैं जिनकी सेवाएँ किसी ऐसी संस्था को उधार दे दी गई हैं जिस पर सरकार का नियन्त्रण है तथा जिसको आवास सम्बन्धी सुविधा सरकार द्वारा ही आवंटित की गई है।

इस श्रेणी के कर्मचारियों को मुफ्त दिये गये असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को रहने के लिए दी गई सुविधा के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारी के द्वारा किराये के रूप में देय होगी।

(ii) रिजर्व बैंक, वैधानिक निगम अथवा सरकारी कम्पनी के कर्मचारी—इस श्रेणी में निम्न प्रकार के कर्मचारी आते हैं—

(1) रिजर्व बैंक के कर्मचारी।

(2) केन्द्र, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम के कर्मचारी या किसी ऐसी कम्पनी के कर्मचारी जिसके सभी अंश सरकार, रिजर्व बैंक अथवा रिजर्व बैंक के अधीन किसी निगम के पास (किसी एक के पास अथवा सबको मिलाकर) हों।

(3) एक ऐसी कम्पनी के कर्मचारी जिसके सभी अंश उपरोक्त वाक्य (2) में बताई गई निगम के पास हों अथवा वाक्य (2) में बताई गई कम्पनी के पास हों।

(4) किसी उद्यम अथवा संस्था के कर्मचारी (सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी को शामिल करते हुये) बशर्ते कि उद्यम अथवा संस्था को वित्तीय साधन पूर्णतः अथवा मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदान किये गये हों। विश्वविद्यालयों के कर्मचारी इस श्रेणी में आयेंगे।

(5) एक ऐसी कम्पनी जिसमें 40% अथवा अधिक अंश सरकार, रिजर्व बैंक या उसके अधीन किसी निगम के पास हों, द्वारा नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवायें सरकार से उधार ली गई हों, अथवा ऐसे कर्मचारी जिनको इस कम्पनी ने सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद नियुक्त किया हो।

उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से असुसज्जित मकान यदि मुफ्त रहने के लिए गत वर्ष में दिया गया है तो जितनी अवधि के लिए गत वर्ष में मकान की सुविधा

मिली है उतनी अवधि के वेतन के 10% के बराबर इस सुविधा का मूल्य होगा। परन्तु यदि उचित किराया वेतन के 10% से कम है तो उचित किराया ही सुविधा का मूल्य माना जायेगा।

(iii) निजी क्षेत्र के कर्मचारी—इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो उपरोक्त वाक्य (i) एव (ii) में नहीं आते है। इस श्रेणी में मुख्यत: निजी क्षेत्र के कर्मचारी आते है। इन कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से मिले हुये असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है—

(a) यदि मकान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली शहर को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर स्थित हो, तो—

(अ) यदि मकान का उचित किराया उस अवधि के वेतन के 10% से अधिक नहीं हो तो मकान का उचित किराया ही इस सुविधा का मूल्य होगा।

(ब) यदि मकान का उचित किराया उस अवधि के वेतन के 10% से अधिक हो परन्तु 50% से अधिक नही हो तो उस अवधि के वेतन का 10% ही इस सुविधा का मूल्य होगा।

(स) यदि मकान का उचित किराया उस अवधि के वेतन के 50% से अधिक हो तो उचित किराये का वेतन के 40% पर आधिक्य इस सुविधा का मूल्य होगा। इस राशि की गणना करने के लिये उचित किराये में वेतन का 40% घटा दिया जाता है।

इस स्थिति मे वेतन मे जोडी जाने वाली राशि की गणना दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। इस वैकल्पिक तरीके मे पहले वेतन का 10% लिया जाता है और उसमें उचित किराये का उतना भाग जोड दिया जाता है जितना वेतन के 50% से अधिक होता है। दोनों तरीके से एक ही परिणाम आयेगा।

(b) यदि मकान कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली शहर मे से किसी स्थान पर स्थित हो, तो—

(अ) यदि मकान का उचित किराया उस अवधि के वेतन के 10% से अधिक नहीं हो तो मकान का उचित किराया ही इस सुविधा का मूल्य होगा।

(ब) यदि मकान का उचित किराया उस अवधि के वेतन के 10% से अधिक हो परन्तु 60% से अधिक नही हो तो उस अवधि के वेतन का 10% ही इस सुविधा का मूल्य होगा।

(स) यदि मकान का उचित किराया उस अवधि के वेतन के 60% से अधिक हो तो उचित किराये का वेतन के 50% पर आधिक्य इस सुविधा का मूल्य होगा। इस राशि की गणना करने के लिए उचित किराये मे वेतन का 50% घटा दिया जाता है।

इस स्थिति में वेतन में जोडी जाने वाली राशि की गणना दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। इस वैकल्पिक तरीके मे पहले वेतन का 10% लिया जाता है और उसमें उचित किराये का उतना भाग जोड़ दिया जाता है जितना वेतन के 60% से अधिक होता है। दोनों तरीके से एक ही परिणाम आयेगा।

टिप्पणी—उस अवधि से अभिप्राय गत वर्ष के दौरान मुफ्त रहने की सुविधा दी जाने वाली अवधि से है।

(B) सुसज्जित मकान की दशा मे—सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन पहले उपरोक्त नियमों के अनुसार निकाला जायेगा अर्थात् यह मानकर कि यदि मकान असुसज्जित होता तो इस सुविधा का मूल्य कितना होता। इस प्रकार ज्ञात किये गये मूल्यांकन में फर्नीचर

की सुविधा का मूल्य जोड़ दिया जायेगा। फर्नीचर यदि नियोक्ता का स्वयं का है तो इस सुविधा का मूल्य फर्नीचर की मूल लागत का 10 प्रतिशत होगा। यदि फर्नीचर नियोक्ता ने किराये पर लिया है तो इस सुविधा का मूल्य नियोक्ता के द्वारा फर्नीचर के किराये के रूप में चुकाई गई राशि के बराबर होगा। फर्नीचर में टेलीविजन सैट, रेडियो सैट, रेफ्रीजिरेटर, अन्य घरेलू उपयोग के यन्त्र एवं एयरकन्डीशन प्लांट भी शामिल हैं।

वेतन से आशय—किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन करने के लिए वेतन में वेतन, भत्ते, बोनस अथवा कमीशन जो मासिक अथवा अन्य प्रकार से देय हों, सम्मिलित किये जाते हैं परन्तु वेतन में निम्नलिखित राशियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है—

(i) *महँगाई भत्ता एवं महँगाई वेतन*—साधारणतः महँगाई भत्ता एवं महँगाई वेतन मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन में नहीं जोड़े जाते हैं। परन्तु यदि महँगाई भत्ता अथवा महँगाई वेतन सेवा से निवृत्त होने पर मिलने वाले लाभों की गणना करने के लिये वेतन में जोड़े जाते हैं तो मकान के मूल्यांकन के लिए भी इनको वेतन में जोड़ा जायेगा,

(ii) कर्मचारी के प्रॉवीडेण्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान,

(iii) वे भत्ते जिन पर कर नहीं लगता,

(iv) मनोरंजन भत्ते का वह भाग जो धारा-16 (ii) के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत है, एवं

(v) अगले वर्ष के लिए प्राप्त पेशगी वेतन।

स्पष्टीकरण—(1) उपरोक्त राशियों के अतिरिक्त नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई सुविधाओं का मूल्य एवं नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया भुगतान भी वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता है बशर्ते कि ऐसी सुविधा अथवा ऐसा भुगतान अनुलाभ की श्रेणी में आता है।

केरल उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार गैस, बिजली एवं पानी के बिलों का पुनर्भरण यदि नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है अथवा भुगतान कर दिया जाता है तो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई अथवा पुनर्भरण की गई राशि को मुफ्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जायेगा। परन्तु प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने परिपत्र क्रमांक 537 दिनांक 12-7-89 में एक उदाहरण के अन्तर्गत ऐसी राशि को मुफ्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिये वेतन में सम्मिलित नहीं किया है।

(2) मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को कर-मुक्त वेतन देने का अनुबन्ध करता है तो इस दशा में नियोक्ता द्वारा चुकाये गये आय-कर को मुफ्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी के वेतन में शामिल किया जायेगा।

उचित किराये से आशय—वाक्यांश (iii) की दशा में अर्थात् निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दिये गये असुसज्जित मकान का उचित किराया नगरपालिका द्वारा निर्धारित मूल्यांकन अथवा वैसे ही क्षेत्र में वैसे ही मकान से प्राप्त किराया (दोनों में जो भी अधिक हो) माना जायेगा।

Illustration 9.

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की दशा में :

मुफ्त रहने के लिए असुसज्जित मकान

क्र.स.	वेतन	उचित किराया	स्थान	मूल्यांकन			
				उचित किराया अथवा वेतन का 10%	50% के ऊपर का आधिक्य	60% के ऊपर का आधिक्य	कुल मूल्य जो वेतन में जोड़ेंगे
	रुपये	रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1.	10,000	500	उज्जैन	500	—	—	500
2.	20,000	7,600	जयपुर	2,000	—	—	2,000
3.	30,000	15,000	इन्दौर	3,000	—	—	3,000
4.	28,000	14,200	अजमेर	2,800	200	—	3,000
5.	40,000	27,000	कलकत्ता	4,000	—	3,000	7,000

Illustration 10.

सुरेश, महेश, दिनेश और रमेश को गत वर्ष 1996-97 में अपने नियोक्ता से निम्नलिखित वेतन एवं अनुलाभ प्राप्त हुये—

	सुरेश रु.	महेश रु.	दिनेश रु.	रमेश रु.
वेतन	36,000	30,000	25,000	20,000
महँगाई भत्ता	6,000	4,000	3,000	2,000
बोनस	4,000	2,000	2,000	1,000
मनोरंजन भत्ता	5,000	3,000	3,000	2,000
फर्नीचर की लागत	—	5,000	—	2,000
घरेलू प्रयोग के यन्त्रों की लागत	—	4,000	—	2,500
रेफ्रीजिरेटर का वार्षिक किराया	1,000	—	500	—
टेलीविजन सैट का किराया	2,000	—	1,500	—
मकान का उचित किराया	32,000	3,000	12,000	15,000
नौकरी का स्थान	दिल्ली	जयपुर	इन्दौर	रोहतक

सुरेश को प्राप्त महँगाई भत्ता सेवा-निवृत्ति पर मिलने वाले लाभों के लिए वेतन में शामिल किया जाता है तथा दिनेश को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की सम्पूर्ण राशि धारा 16 (ii) के अन्तर्गत कटौती योग्य है। इन सभी करदाताओं को अपने नियोक्ता की ओर से सुसज्जित मकान बिना किराये के दिये हुये हैं।

उपरोक्त सभी करदाताओं के लिए कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन कीजिए।

Solution : **Valuation of rent free house for the A.Y. 1997-98**

Suresh

	Rs.
(i) Fair rental value of the house	32,000
Less : 50% of Salary (Salary includes bonus, D.A. and entertainment allowance)	25,500
	6,500
(ii) Hire charges paid by the employer in respect of refrigerator and television set	3,000
Value of perquisite	9,500

Mahesh

	Rs.
(i) 10% of Rs. 35,000 (Salary bonus and entertainment allowance)	3,500
But as the fair rental value of the house is less than 10% of the Salary, the fair rental value will be taken to be the value of unfurnished house	3,000
(ii) 10% of Rs. 9,000 (cost of furniture and household appliances)	900
Value of perquisite	3,900

Dinesh

	Rs.
(i) 10% of Rs 27,000 (Salary and bonus)	2,700
(ii) Hire charges paid by the employer in respect of refrigerator and television set	2,000
Value of perquisite	4,700

Ramesh

	Rs.
(i) Fair rental value of the house	15,000
Less : 40% of the Salary (Salary includes bonus and entertainment allowance also)	9,200
	5,800
(ii) 10% of Rs. 4,500 (Cost of furniture and household appliances)	450
Value of perquisite	6,250

Illustration 11.

Mr. X is employed in a Company at jaipur. The whole of the capital of the Company is held by the Government and Reserve Bank of India. Following are the particulars of his income for the previous year 1996-97—

(i) Salary @ Rs. 3,000 per month, (ii) Dearness allowance @ Rs. 100 per month, (iii) Bonus Rs. 4,500 during the previons year.

set and other domestic appliances in this house. The cost of these for the Company in Rs 20,000.

Calculate the value of facility to Mr. X in the form of furnished house for the assessment year 1997-98.

श्री एक्स जयपुर की एक कम्पनी के कर्मचारी हैं जिसके समस्त अंश सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास हैं। गत वर्ष 1996-97 के लिए उनकी आय का विवरण निम्न है—

(i) वेतन 3,000 रु. प्रतिमाह, (ii) महँगाई भत्ता 100 रु. प्रतिमाह, (iii) बोनस गत वर्ष में 4,500 रु।

कम्पनी की तरफ से एक्स को मुफ्त रहने को सुसज्जित मकान दिया गया है जिसके लिए कम्पनी 1,800 रु. प्रतिमाह किराया चुकाती है परन्तु एक्स से कुछ भी वसूल नहीं करती है। कम्पनी ने एक्स को फर्नीचर, रेडियो सैट एवं अन्य घरेलू उपयोग के संयन्त्र इस मकान में मुफ्त उपयोग के लिए दिये है। कम्पनी के लिए इनका लागत मूल्य 20,000 रु. है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आप एक्स को सुसज्जित मकान के रूप में प्राप्त सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिये।

Solution :

Valuation of rent free furnished house for the A.Y. 1997-98	Rs.
(i) 10% of Rs. 40,500 (i.e. Salary and Bonus)	4,050
(ii) 10% of Rs 20,000 i.e. cost of furniture, Radio set and other household appliances	2,000
	6,050

टिप्पणी—(i) उपरोक्त प्रकार के कर्मचारियों के लिए असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य वेतन के 10% के बराबर होता है। उचित किराया यदि 10% से अधिक भी है तो चाहे भले ही कितना भी अधिक हो उसे ध्यान में नही रखा जायेगा।

(ii) फर्नीचर की सुविधा का मूल्य फर्नीचर की लागत का 10% होता है चाहे भले ही कर्मचारी किसी भी श्रेणी में आता हो।

(2) किराये मे रियायत का मूल्यांकन (Concession in Rent) – किराये में रियायत से तात्पर्य यह है कि कर्मचारी को जो मकान रहने के लिए दिया गया है वह मुफ्त नहीं दिया गया है बल्कि कर्मचारी से मकान का कुछ किराया वसूल किया जाता है। ऐसे मकान की सुविधा का मूल्यांकन पहले तो यह मानकर किया जाता है कि मकान बिना किराये के ही कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिया गया है। इसके पश्चात् इस मूल्यांकन में से कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को दिया गया किराया घटा दिया जाता है। शेष रकम रियायती दर पर दिये गये मकान के मूल्य के रूप में कर्मचारी के वेतन में जोड़ दी जाती है।

Illustration 12.

An employee, whose annual salary is Rs. 48,000, has been given residential house by his employer at concessional rate The fair rent of the house in Rs. 27,000. The employer has provided to the employee in this house the facility of furniture, radio set and domestic appliances, the actual cost of these being Rs. 15,000 The employer recovers only Rs. 500 p.m

from the employee for the facility of house and furniture. Calculate the value of concession received by the employee from income tax view-point.

एक कर्मचारी को जिसका वार्षिक वेतन 48,000 रु. है, अपने नियोक्ता से रहने के लिए रियायती दर पर मकान मिला हुआ है। मकान का उचित किराया 27,000 रु. है। नियोक्ता ने इस मकान में कर्मचारी को फर्नीचर, रेडिया सैट, घरेलू सयन्त्र आदि की भी सुविधा प्रदान की है जिनका वास्तविक लागत मूल्य 15,000 रु. है। नियोक्ता कर्मचारी से मुफ्त मकान एवं फर्नीचर की सुविधा के लिए केवल 500 रु. प्रतिमाह वसूल करता है। आयकर की दृष्टि से कर्मचारी को प्राप्त रियायत का मूल्य ज्ञात कीजिए।

Solution :

Valuation assuming rent free house :

	Rs.	Rs.
(i) Fair rent	27,000	
Less : 40% of salary	19,200	7,800
(ii) 10% of the actual cost of furniture, radio set etc.		1,500
		9,300
Less : Rent paid by the employee		6,000
Value of concession		3,300

(3) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वो का भुगतान [धारा 17(2)(iv)]—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के दायित्वों का स्वेच्छा से भुगतान किया जाना जो यदि नियोक्ता न चुकाता तो कर्मचारी को चुकाने पडते। ऐसे कुछ दायित्वों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(i) कर्मचारी के क्लब एवं होटल के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान,
(ii) कर्मचारी के किसी ऋण का नियोक्ता द्वारा भुगतान,
(iii) कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्ययों का भुगतान,
(iv) कर्मचारी के गैस, बिजली, पानी के बिलो का नियोक्ता द्वारा भुगतान,
(v) कर्मचारी द्वारा अपने लिए रखे गये नौकर के वेतन का नियोक्ता द्वारा भुगतान,
(vi) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के कर दायित्व का भुगतान।

उपरोक्त दायित्वों का भुगतान यदि नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है तो भुगतान की वास्तविक रकम सभी प्रकार के कर्मचारियों के वेतन में जोड़ी जाती है। परन्तु यदि कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान सेवा शर्तों के अनुबन्ध के तहत किया जाता है तो ऐसा भुगतान गैर-विशिष्ट कर्मचारी के लिये धारा 17(2)(iii) के अन्तर्गत कर मुक्त होता है तथा विशिष्ट कर्मचारी के लिये इसी धारा के अन्तर्गत मूल्यांकन किया जाता है।

(4) जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए दी गई राशि—यदि नियोक्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने पास से अथवा किसी फण्ड से कर्मचारी के जीवन बीमा के लिए अथवा वार्षिकी के अनुबन्ध के लिए किसी राशि का भुगतान करता है तो भुगतान की वास्तविक राशि कर्मचारी के लिए कर-योग्य अनुलाभ होगी। परन्तु यदि उक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित फण्ड्स में से किसी फण्ड से किया जाता है तो यह कर-योग्य अनुलाभ नहीं होगा—

(अ) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड,
(ब) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड,

(स) डिपोजिट से जुड़ा हुआ बीमा फण्ड।

(B) विशिष्ट दशाओं में कर-योग्य अनुलाभ

इस श्रेणी में वे अनुलाभ आते हैं जिन पर संचालक कर्मचारी, कम्पनी में सारवान हित रखने वाले कर्मचारी[1] एवं 24,000 रु से अधिक वेतन शीर्षक की आय वाले कर्मचारी को ही कर देना होता है। जो कर्मचारी इन तीन श्रेणियों में नहीं आते उनको इन सुविधाओं पर कर नहीं देना पडता है। ऐसी कुछ सुविधाये तथा उनके मूल्यांकन सम्बन्धी नियम निम्नलिखित हैं—

(1) मोटरकार की सुविधा का मूल्यांकन—यदि मोटरकार की सुविधा कर्मचारी को केवल कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिए ही दी जाती है तो ऐसी सुविधा का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मोटरकार की सुविधा के मूल्याकन का प्रश्न उस समय उठता है जबकि कर्मचारी पूर्णत. अथवा अंशत अपने निजी कार्यों के लिए भी मोटरकार का प्रयोग करता है।

(i) कर्मचारी को पूर्णत निजी प्रयोग के लिए दी गई मोटरकार—यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए कार की सुविधा प्रदान करता है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता ने सम्बन्धित गत वर्ष में मोटरकार रखने व चलाने के सम्बन्ध में वास्तव में व्यय की हो। यदि इस सम्बन्ध में ड्राइवर (Chauffeur) को कोई पारिश्रमिक दिया गया है तो उस राशि को भी सुविधा के मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि कार नियोक्ता की स्वयं की है अर्थात् नियोक्ता ने किराये पर नहीं ले रखी है तो कार का उचित ह्रास भी सुविधा के मूल्य मे सम्मिलित किया जायेगा।

(II) कर्मचारी को अंशत निजी प्रयोग के लिए दी गई मोटरकार—यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटरकार की सुविधा प्रदान की जाती है तथा कर्मचारी मोटरकार का प्रयोग आंशिक रूप से कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिए करता है तथा आंशिक रूप से अपने निजी कार्य के लिए करता है तो *ऐसी दशा में कार की सुविधा का मूल्य, नियोक्ता द्वारा सम्बन्धित* गत वर्ष में वास्तव में व्यय की गई राशि (ड्राइवर का पारिश्रमिक यदि है तो उसे सम्मिलित करते हुए) का वह भाग होगी जो कर्मचारी के निजी प्रयोग के लिए उचित समझी जाये। यदि कार नियोक्ता की स्वयं की है तो उसके ह्रास का उचित भाग भी सुविधा के मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा। यदि इस विधि से कर्मचारी के निजी प्रयोग सम्बन्धी भाग की गणना करने में कठिनाई आये तो निम्न नियमों के आधार पर सुविधा का मूल्य निकाला जायेगा—

(अ) यदि मोटरकार नियोक्ता की स्वयं की है अथवा नियोक्ता ने किराये पर ले रखी है तथा मोटरकार को रखने तथा चलाने के समस्त खर्च नियोक्ता ही वहन करता है :

(i) जबकि मोटरकार की क्षमता 16 हॉर्स-पावर से अधिक नहीं है अथवा मोटरकार के इंजन की घनत्विक क्षमता 1.88 लीटर से अधिक नहीं है—600 रु. प्रतिमाह।

(ii) जबकि मोटरकार की क्षमता 16 हॉर्स-पावर से अधिक है अथवा मोटरकार के इंजन की घनत्विक क्षमता 1.88 लीटर से अधिक है—800 रु. प्रतिमाह।

---

1. यदि किसी कर्मचारी के पास उस कम्पनी के 20% या अधिक मताधिकार वाले अंश अर्थात् समता अंश हैं तो उस कर्मचारी का उस कम्पनी में सारवान हित माना जायेगा।

यदि नियोक्ता ने मोटरकार को चलाने के लिए ड्राइवर की भी सुविधा प्रदान की है तो उपरोक्त विधि से ज्ञात किये गये मूल्यांकन को 300 रु. प्रतिमाह की दर से बढा दिया जायेगा और इस प्रकार ज्ञात की गई राशि ही इस दशा मे सुविधा का मूल्य होगी।

(ब) यदि मोटरकार नियोक्ता की स्वयं की है अथवा नियोक्ता ने किराये पर ले रखी है तथा मोटरकार को रखने व चलाने के खर्चे जो कि कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी स्वयं वहन करता है :

(i) जबकि मोटरकार की क्षमता 16 हॉर्स-पावर से अधिक नहीं है अथवा मोटरकार के इंजन की क्षमता 1.88 लीटर से अधिक नहीं है—200 रु. प्रतिमाह।

(ii) जबकि मोटरकार की क्षमता 16 हॉर्स-पावर से अधिक है अथवा मोटरकार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.88 लीटर से अधिक है—300 रु. प्रतिमाह।

यदि नियोक्ता ने मोटरकार को चलाने के लिए ड्राइवर की भी सुविधा प्रदान की है तो उपरोक्त विधि से ज्ञात किये गये मूल्यांकन को 300 रु. प्रतिमाह की दर से बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार ज्ञात की गई राशि ही इस दशा में सुविधा का मूल्य होगी।

(III) एक से अधिक कार आंशिक रूप से निजी प्रयोग के लिए देना—यदि नियोक्ता के पास एक अथवा अधिक कारें हैं अथवा नियोक्ता ने किराये पर ले रखी हैं तथा कर्मचारी सभी कारों का अथवा किसी भी कार का प्रयोग निजी कार्य के लिए कर सकता है तो इस सुविधा का मूल्य वाक्यांश (II) में दी गई विधि के अनुसार यह मानकर किया जायेगा कि कर्मचारी को एक ही कार प्रयोग के लिए दी गई है जिसका प्रयोग वह आंशिक रूप से अपने निजी कार्य के लिए करता है तथा आंशिक रूप से कार्यालय सम्बन्धी कार्य के लिए करता है।

यदि कर्मचारी दो अथवा अधिक कारों का प्रयोग करता है और यदि इनमें किसी कार की क्षमता 16 हॉर्स-पावर से अधिक है अथवा इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.88 लीटर से अधिक है तो यह माना जायेगा कि कर्मचारी ने 16 हॉर्स-पावर से अधिक की कार का प्रयोग किया है।

यदि कर्मचारी दो या अधिक कारों का प्रयोग करता है और किसी भी कार को चलाने के लिए ड्राइवर की भी सुविधा मिलती है तो उपरोक्त वाक्यांश (III) में ज्ञात किये गये मूल्यांकन में 300 रु. प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर दी जायेगी।

(IV) कार कर्मचारी की हो परन्तु उसको चलाने के खर्चे नियोक्ता वहन करता हो—यदि कर्मचारी अपनी स्वयं की कार रखता है परन्तु कार को रखने व चलाने का व्यय (यदि ड्राइवर की सुविधा नियोक्ता ने प्रदान की है तो उसके पारिश्रमिक सहित) नियोक्ता वहन करता है तो ऐसी दशा में नियोक्ता द्वारा वहन किये गये वास्तविक व्यय का वह भाग जो निर्धारण अधिकारी की सम्मति में कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित हो इस सुविधा का मूल्य माना जायेगा।

(V) रियायती दर पर कर्मचारी को निजी प्रयोग के लिए दी गई कार की सुविधा—यदि कर्मचारी को नियोक्ता ने एक या अधिक कारों को पूर्णत: या आंशिक रूप से निजी प्रयोग में लाने की सुविधा प्रदान की है तथा कर्मचारी ने इस सम्बन्ध में कुछ राशि नियोक्ता को दी है तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन ऊपर बताये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा कर्मचारी

द्वारा नियोक्ता को चुकाई गई राशि घटा दी जायेगी। शेष राशि ही कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्य होगी।

(VI) अन्य किसी सवारी की सुविधा—यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अन्य कोई सवारी प्रदान की गई है और इस सवारी के खर्चे नियोक्ता वहन करता है तो नियोक्ता के वास्तविक व्यय में से (साधारण ह्रास को शामिल करते हुए) जितनी रकम निर्धारण अधिकारी की सम्मति में कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित हो वही इस सुविधा का मूल्य माना जायेगा।

स्पष्टीकरण—(i) यदि कर्मचारी नियोक्ता की किसी सवारी का प्रयोग कार्यालय के स्थान से घर जाने के लिए एवं घर से कार्यालय आने के लिए करता है तो यह माना जायेगा कि सवारी का प्रयोग कार्यालय के लिए ही किया गया है तथा इसे अनुलाभ नही माना जायेगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता कर्मचारियों के समूह को घर से कार्यालय तक आने एवं कार्यालय से घर तक जाने के लिये यातायात की सुविधा प्रदान करता है तो इस अनुलाभ का मूल्यांकन शून्य माना जायेगा।

(ii) यदि प्रश्न में ड्राइवर की सुविधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हो तो यह मानना उचित रहेगा कि ड्राइवर की सुविधा नहीं दी गई है।

(iii) वाक्यांश (II) में कारों का मूल्यांकन प्रतिमाह दिया गया है। माह से अभिप्राय पूरे माह से होगा। यदि कार की सुविधा कुछ दिनों के लिये हो तो उस महीने का मूल्यांकन नहीं होगा।

(2) गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा—कर्मचारी को अपने नियोक्ता से बिना मूल्य के प्राप्त गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा के मूल्यांकन सम्बन्धी नियम अग्रलिखित हैं—

(अ) यदि कर्मचारी को ये सुविधायें बिना मूल्य घरेलू उपयोग के लिये प्राप्त होती हैं, तो ऐसी सुविधाओं का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता ने इस सम्बन्ध में गैस, बिजली अथवा पानी देने वाली संस्था को भुगतान की हो।

(आ) यदि नियोक्ता ये सुविधायें बाहर से न खरीदकर अपने स्वयं के साधनो से प्रदान करता है, तो इन सुविधाओं का मूल्य कुछ नहीं होगा अर्थात् नियोक्ता अपने द्वारा उत्पादित बिजली, पानी अथवा गैस मुफ्त में अपने कर्मचारी को देता है तो इस सम्बन्ध में कर्मचारी के वेतन में कुछ नही जोड़ा जायेगा।

(इ) यदि आय-कर अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि कर्मचारी को प्रदान की गई गैस, बिजली एव पानी आदि की सुविधा को कर्मचारी अपने कार्यालय से सम्बन्धित कर्तव्यों को पूरा करने मे भी उपयोग में लाता है तो अनुलाभ का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा—

नियोक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में चुकाई गई रकम
अथवा } दोनों में से जो भी कम हो
कर्मचारी के वेतन का $6\frac{1}{4}\%$

टिप्पणी—यहाँ पर वेतन शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। अतएव वेतन को यहाँ हम उसके साधारण अर्थ में ही लेंगे अर्थात् मूल वेतन। परन्तु यदि महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अनुसार दिया जाता है तो उसे वेतन में सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार किसी कर्मचारी

को सेवा-शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को वेतन का भाग माना जायेगा तथा इस उद्देश्य के लिये शामिल किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता अथवा बोनस आदि शामिल नहीं किया जायेगा।

(3) निःशुल्क शिक्षा की सुविधा—नियोक्ता कोई शिक्षा संस्था चलाता है तथा अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को उस शिक्षण संस्था में बिना मूल्य के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है तो कर्मचारी के लिये सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इसी प्रकार की आस-पास की शिक्षण संस्थाओं में उचित रूप से व्यय की जाती है।

स्पष्टीकरण—(i) बच्चों की शिक्षा के लिये दिया गया शिक्षा भत्ता (Education Allowance) सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये धारा 10 (14) में वर्णित सीमा तक कर-मुक्त है। शेष कर-योग्य है।

(ii) कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में किये गये खर्चों का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण (*Reimbursement*) कर्मचारी को कर दिया जाता है तो इस प्रकार नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि या पुनर्भरण की गई राशि सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर-योग्य है।

(iii) यदि नियोक्ता कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की फीस सीधे स्कूल को चुकाता है तो यह अनुलाभ सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये कर-योग्य होगा।

(iv) नियोक्ता द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दी गई निःशुल्क शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन केवल विशिष्ट प्रकार के कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होता है।

(4) घरेलू नौकरों की सुविधा—साधारणतः किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त घरेलू नौकरों की सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो नियोक्ता ने इन नौकरों को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की है। परन्तु आयकर नियम 3 (ba) के अनुसार फ़र्राश, माली तथा चौकीदार की सुविधा के लिये 120 रु. प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से ही मूल्यांकन किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—यदि माली की सुविधा ऐसे मकान में दी जाती है जिसका स्वामी नियोक्ता स्वयं है, तो इस सुविधा को अनुलाभ नहीं माना गया है और यह कर मुक्त रहेगी। परन्तु मकान के उचित किराये के निर्धारण में बगीचे के खर्चों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

Illustration 13.

Find out the gross income from salary of Mr. Ram from the following particulars of income—

Salary Rs. 39,000, free education facilities for a dependent member of the family, actual expenditure incurred by the employer Rs. 3,000, reimbursement of hotel bills Rs. 2,000; value of free supply of gas, light and water Rs. 3,000; medical expenses reimbursed Rs. 8,000. Salary paid to cook provided at employee's house Rs. 2,400. Value of refreshment given during office hours Rs. 1,200. Gas, light and water are also consumed for the purpose of his official duties and are supplied by an outside agency.

निम्नलिखित विवरण के आधार पर श्री राम की वेतन से सकल आय की गणना कीजिए—वेतन 39,000 रु., परिवार के एक आश्रित सदस्य को मुफ्त शिक्षा की सुविधा जिस

पर नियोक्ता का वास्तविक व्यय 3,000 रु. हुआ, होटल के बिलों का पुनर्भरण 2,000 रु, निःशुल्क दी गई गैस, पानी एवं बिजली का मूल्य 3,000 रु., चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति 8,000 रु., कर्मचारी के घर पर रसोइया की सुविधा जिसका वेतन 2,400 रु.। कार्यालय के समय में दिये गये नाश्ते का मूल्य 1,200 रु.। गैस, बिजली एवं पानी का उपयोग कार्यालय के कर्त्तव्यों के लिए भी किया जाता है और इनकी पूर्ति बाहरी संस्था द्वारा की जाती है।

Solution :

	Rs.
Salary	39,000
Free education facilities	3,000
Re-imbursement of hotel bills	2,000
Gas, light and water	
(restricted to $6\frac{1}{4}\%$ of salary)	2,438
Salary to cook	2,400
Gross Income from Salary	48,838

टिप्पणी—कार्यालय समय के दौरान नाश्ते की सुविधा कर-मुक्त अनुलाभ होता है। *चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति 10,000 रु. तक कर-मुक्त होती है भले ही चिकित्सा निजी अस्पताल में कराई गई हो।*

(5) होटल के कर्मचारियों को भोजन व रहने की सुविधा—यदि किसी होटल के कर्मचारी को होटल में ही मुफ्त रहने व खाने की सुविधा दी जाती है तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जायेगा—

(i) रहने की सुविधा—होटल में मुफ्त रहने की सुविधा का मूल्यांकन परिपत्र क्रमांक 311, दिनांक 24 अगस्त, 1981 के अनुसार उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए किया जाता है। इन नियमों का वर्णन इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है।

(ii) खाने की सुविधा—होटल द्वारा कर्मचारियों को मुफ्त खाने की सुविधा का मूल्य होटल के लिय ऐसे भोजन की उचित लागत (ऊपरी व्ययों सहित) के बराबर होगी। होटल के कर्मचारियों की दशा में, रहने की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर-योग्य होती है, जबकि खाने की सुविधा का मूल्यांकन केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही किया जायेगा।

(6) अवकाश-गृह—नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए रखे गये अवकाश गृह में यदि कर्मचारियों को मुफ्त खाना तथा रहने की सुविधा प्रदान की जाती है तो इस अनुलाभ का मूल्य वह राशि मानी जायेगी जो नियोक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में व्यय की गई हो।

(7) अंशों का आवंटन—यदि कोई कम्पनी अपने कर्मचारी को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर अंश आवंटित करती है तो बाजार मूल्य और कर्मचारी से लिए गए मूल्य का अन्तर कर योग्य अनुलाभ माना जायेगा।

(8) रेफ्रीजिरेटर, हीटर, बॉयलर, आदि की सुविधा—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त प्रयोग के लिए दिये गये रेफ्रीजिरेटर, हीटर, बॉयलर आदि की सुविधा का मूल्य नियोक्ता के लिए इन वस्तुओं की लागत के 10% के बराबर होगा। परन्तु इन वस्तुओं पर मालिक द्वारा

मरम्मत के लिए व्यय की गई राशि को अनुलाभ नहीं माना जायेगा और उस पर कर नहीं लगेगा।

यदि नियोक्ता इन वस्तुओं को कर्मचारी को उपहारस्वरूप दे देता है अथवा कम मूल्य पर बेच देता है तो ऐसी दशा में उस समय के बाजार मूल्य व कर्मचारी द्वारा चुकाये गये क्रय मूल्य का अन्तर कर्मचारी का अनुलाभ होगा और इस अनुलाभ को उसके वेतन में सम्मिलित किया जायेगा।

(9) अन्य सुविधायें—नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त एवं रियायती दरों पर प्रदान की गई अन्य सुविधाओं का मूल्य वह राशि होगी जो सम्बन्धित परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

Illustration 14.

Shri Abhay is the manager of the Century Mills, Bombay. He receives every month Rs. 2,500 as basic pay, Rs. 200 as entertainment allowance and Rs. 800 as dearness allowance.

(a) he owns his house, but the company has provided him the following amenities.
   (i) A gardener, a sweeper and a watchman who are each paid Rs 150 per month.
   (ii) Free use of the refrigerator costing Rs. 5,000.

(b) The following obligations of him were paid by the company:
   (i) Gas, electricity and water bills amounting to Rs. 2,000.
   (ii) Annual membership fee of Rotary Club Rs. 1,200.

(c) The company has provided the facility of a 18 h.p. car. The car is used for private purposes also and all the expenses including the driver's salary are borne by the company.

(d) His son is studying in a school run by the company. The annual expenses incurred by the company per student is Rs. 3,000 but had he been sent for education to a similar school in Bombay, a sum of Rs. 2,000 would have been payable during the year.

(e) He was sent to attend a training course at I.I.M., Ahemdabad for 15 days, the fee of Rs. 500 was paid by the company.

(f) He proceeded on one month's leave to Darjeeling where he stayed in the Holiday home maintained by the company. The expenses of his boarding and lodging amounting to Rs. 1,000 were borne by the company.

(g) The company allotted him 100 shares at Rs. 100 each whereas the market value per share on that day was Rs. 120.

Compute his gross income under the head 'Salaries' for the assessment year 1997-98.

श्री अभय सैन्चुरी मिल, बम्बई के प्रबन्धक हैं। वे प्रतिमाह 2,500 रु मूल वेतन, 200 रु. मनोरंजन भत्ता तथा 800 रु. महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं।

(अ) उनका स्वय का मकान है परन्तु कम्पनी ने उनको निम्न सुविधायें प्रदान की हैं—
(i) एक माली, एक फर्राश एवं एक चौकीदार जिनको प्रत्येक को 150 रु. प्रतिमाह दिया जाता है।
(ii) रेफरीजिरेटर के मुफ्त प्रयोग की सुविधा जिसकी लागत 5,000 रु. है।

(ब) कम्पनी ने उनके निम्नलिखित दायित्वों का भुगतान किया है—
(i) गैस, बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान 2,000 रु.।
(ii) रोटरी क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क 1,200 रु.।

(स) कम्पनी ने 18 हार्स पावर की कार की सुविधा प्रदान की है। कार का प्रयोग निजी कार्यों के लिए भी किया जाता है तथा ड्राइवर के वेतन सहित सभी व्यय कम्पनी द्वारा वहन किये जाते है।

(द) उनका लडका कम्पनी के द्वारा चलाये जा रहे स्कूल में अध्ययन कर रहा है। कम्पनी के द्वारा प्रति छात्र 3,000 रु. वार्षिक व्यय किया जाता है। यदि इसको इसी प्रकार की अन्य स्कूल में बम्बई में पढाया जाता तो उन्हें केवल 2,000 रु. वार्षिक ही व्यय करने पड़ते।

(य) उन्हें आई.आई. एम अहमदाबाद में 15 दिन के लिए एक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया तथा 500 रु. की फीस कम्पनी के द्वारा चुकाई गई।

(फ) वे एक माह की छुट्टी पर दार्जिलिंग गये जहाँ वे कम्पनी के द्वारा रखे गये अवकाश-गृह में ठहरे। उनके ठहरने व खाने के 1,000 रु. के व्यय कम्पनी द्वारा चुकाये गये।

(ग) कम्पनी ने उनको 100 अश 100 रु. प्रति अंश के हिसाब से आवंटित किये जबकि उस दिन का बाजार मूल्य 120 रु. प्रति अंश था।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Gross Income from Salary of Shri Abhay for the A.Y. 1997-98

	Rs.
Basic Salary	30,000
Dearness Allowance	9,600
Entertainment Allowance	2,400
Perquisites :	
Facility of Gardener	1,440
Facility of Sweeper	1,440
Facility of Watchman	1,440
Free use of Refrigerator	500
Gas, electricity & water bills paid by company	2,000
Annual membership fees of Rotary Club	1,200
Facility of car including driver	13,200
Free education facility to his son	2,000
Holiday home facility	1,000
Value of Shares allotted at concessional rate	2,000

स्पष्टीकरण—(1) फर्राश, माली तथा चौकीदार की सुविधा का मूल्यांकन 120 रु. प्रति माह प्रति कर्मचारी की दर से किया गया है।

(2) चूँकि बम्बई के वैसे ही क्षेत्र में व्यय 2,000 रु. आता है, बच्चे की मुफ्त शिक्षा की सुविधा का मूल्य 2,000 रु. होगा।

(3) कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए भेजने पर किया गया व्यय कर-योग्य नहीं होता है।

(4) रोटरी क्लब का सदस्यता शुल्क का भुगतान कर्मचारी के दायित्व का भुगतान है, अत. कर योग्य है। इसी प्रकार गैस, बिजली, पानी के बिलो का भुगतान कर-योग्य है।

(5) अंशों पर दी गई रियायत कर-योग्य है।

(6) कार के मूल्यांकन में ड्राइवर की सुविधा का मूल्यांकन भी शामिल है।

(7) कर्मचारी को नकदी में प्राप्त वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 24,000 रु. से अधिक होने के कारण यह कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी में आयेगा।

प्रॉवीडेण्ट फण्ड्स (Provident Funds)

प्रॉवीडेण्ट फण्ड के द्वारा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ बचाता है। 'प्रॉवीडेण्ट' शब्द का अर्थ होता है—भविष्य के लिए प्रबन्ध करना। प्रॉवीडेण्ट फण्ड योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के वेतन में से प्रतिमाह एक निश्चित राशि काटकर इस फण्ड में जमा कर दी जाती है। नियोक्ता भी एक निर्धारित रकम उसमें जमा करवाता है। इसके पश्चात् यह राशि बैंक, पोस्ट-आफिस अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है। कर्मचारी के नौकरी छोड़ने अथवा अवकाश ग्रहण करने पर इसमें एकत्रित राशि ब्याज सहित उसको दे दी जाती है। दुर्भाग्यवश यदि सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह रकम उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले प्रॉवीडेण्ट फण्ड तीन प्रकार के होते हैं—

(1) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड (*Statutory Provident Fund*)—ये वे प्रॉवीडेण्ट फण्ड होते हैं जो प्रॉवीडेण्ट फण्ड अधिनियम, 1925 (Provident Fund Act, 1925) के अन्तर्गत रखे जाते हैं। साधारणतया ये सरकारी संस्थाओं, अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालयों आदि मे रखे जाते हैं।

(2) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड (Recognised Provident Fund)—आय-कर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आय-कर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड इस श्रेणी में आते हैं। आय-कर कमिश्नर, उन्हीं प्रॉवीडेण्ट फण्ड्स को प्रमाणित करता है जो आय-कर अधिनियम की चौथी सूची के भाग 'अ' में दिये गये नियमों को पूरा करते हैं। ये फण्ड व्यापारिक कम्पनियों एवं संस्थाओं में रखे जाते हैं।

(3) अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड (*Unrecognised Provident Fund*)—वे प्रॉवीडेण्ट फण्ड जो वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड की श्रेणी में नहीं आते, अप्रमाणित फण्ड माने जाते हैं। साधारणतया ये फण्ड छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली निजी संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं।

कर्मचारी पर कर लगाने के लिए अथवा उनको छूट देने के लिए आय-कर अधिनियम में इन प्रॉवीडेण्ट फण्ड्स के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न नियम बनाये गये हैं। इन नियमों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे—

(i) कर्मचारी का अंशदान।
(ii) नियोक्ता का अंशदान।
(iii) प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे प्रतिवर्ष जमा होने वाला व्याज।
(iv) अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि।

(1) कर्मचारी का अंशदान—यद्यपि यह राशि कर्मचारी के वेतन में से काट ली जाती है और उसे नकद प्राप्त नहीं होती। परन्तु यह उसके द्वारा प्राप्त की गई ही मानी जाती है। अतः कुल आय की गणना करते समय यह राशि कर्मचारी के वेतन मे सम्मिलित रहती है।[1]

(2) नियोक्ता का अंशदान—नियोक्ता के अशदान के सम्बन्ध में यह देखा जाता है कि कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाये अथवा नही किया जाये। वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे तथा अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान किसी भी दशा में वेतन में सम्मिलित नही किया जाता है। प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता द्वारा दिया गया अशदान कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक होने पर आधिक्य को वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

(3) प्रॉवीडेण्ट फण्ड मे प्रतिवर्ष जमा होने वाला व्याज—इस ब्याज के सम्बन्ध में यह देखा जाता है कि इसे कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं। वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड एवं अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज किसी भी दशा में, वेतन में सम्मिलित नही किया जाता है। परन्तु प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड की दशा में एकत्रित धनराशि पर 12% से अधिक ब्याज यदि जमा किया जाता है तो आधिक्य को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

(4) अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि—इस राशि के सम्बन्ध में भी यह देखा जाता है कि इसे कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं किया जाये। वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड की दशा मे कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने अथवा नौकरी न करने पर इस फण्ड से प्राप्त राशि हर दशा में कर-मुक्त होती है और इसे उसके वेतन में सम्मिलित नही किया जाता है। प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड की दशा में यह राशि उस समय कर मुक्त होती है जबकि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा की है। पाँच वर्ष से कम सेवा करने पर भी इस फण्ड से प्राप्त राशि कर-मुक्त हो सकती है बशर्ते कि कोई कर्मचारी किसी ऐसे कारण से नौकरी छोडता है जो उसके नियन्त्रण से बाहर है, जैसे—किसी नियोक्ता का व्यापार बन्द होना आदि। कर्मचारी प्रमाणित फण्ड की

1 वैधानिक भविष्य निधि एव प्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी के अशदान के सम्बन्ध में वेतन शीर्षक की आय में कोई कटौती नही दी जाती है। कर्मचारी की कुल आय ज्ञात करने के बाद जब कर की गणना की जाती है उस समय धारा 88 के अन्तर्गत इन भविष्य निधियों में जमा की गई राशि का 20% कर की राशि में से घटाया जाता है। इसका विस्तृत विवरण आगे सम्बन्धित अध्याय में दिया गया है।

दशा में 5 वर्ष पूर्व स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है तो प्राप्त राशि पर निर्धारित विधि के अनुसार कर लगाया जाता है। परन्तु कर्मचारी दूसरे नियोक्ता के यहाँ नौकरी करना प्रारम्भ कर देता है और उसके पहले वाले नियोक्ता द्वारा रखे गये प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में जितना शेष उसके व्यक्तिगत खाते में है वह दूसरे नियोक्ता द्वारा रखे गये प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो इस प्रकार हस्तांतरित की गई रकम पर कर नही लगेगा। इसके साथ ही जब दूसरे मालिक की नौकरी छोड़ी जायेगी उस समय 5 वर्ष की अवधि की गणना करते समय पहले नियोक्ता के यहाँ की गई नौकरी की अवधि को शामिल किया जाएगा। अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड की दशा में एकत्रित राशि में नियोक्ता के अंशदान एवं ब्याज को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

वेतन से आशय—प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड सम्बन्धी नियमों में वेतन के प्रतिशतों का प्रयोग किया गया है। यहाँ वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता शामिल हो (यदि नौकरी की शर्तों में ऐसा आयोजन हो) परन्तु अन्य कोई भत्ता अथवा अनुलाभ शामिल न हो। यदि किसी कर्मचारी को उसके द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन दिया जाता है तो कमीशन की राशि को भी इस आशय के लिए वेतन ही माना जायेगा।

उक्त नियमों को हम एक तालिका द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो अग्रलिखित है—

हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance)—

यदि कोई नियोक्ता अपने अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड को 'कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स' द्वारा अनुमोदित करवा लेता है तो ऐसा अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड अनुमोदन की तिथि से प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड मान लिया जाता है। अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड के प्रमाणित फण्ड हो जाने पर *उसमें जमा राशि का कुछ भाग प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया* जाता है, उसे हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance) कहते हैं।

हस्तान्तरित शेष का कर-योग्य भाग—

हस्तान्तरित शेष का केवल उतना भाग ही कर-योग्य होता है जो इस अप्रमाणित फण्ड को प्रारम्भ से प्रमाणित माने जाने की दशा में प्रत्येक वर्ष कर-योग्य होता है। आय-कर अधिकारी बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसी राशियों की गणना करेगा और फिर उनका योग करेगा। इस प्रकार ज्ञात की गई राशि (यदि कुछ हो) कर्मचारी द्वारा उस गत वर्ष में प्राप्त मानी जाएगी जिस वर्ष अप्रमाणित फण्ड को प्रमाणित किया जाता है तथा उसी वर्ष की कर्मचारी की आय में सम्मिलित की जायेगी।

उक्त राशि के अलावा जो राशि शेष बच जाती है वह कर-मुक्त होती है परन्तु भूतकाल में कर्मचारी द्वारा दिये गये कर के सम्बन्ध में अन्य कोई छूट वापसी के रूप में या अन्य किसी रूप में नही दी जायेगी अर्थात् पिछले वर्षो के कर्मचारी के अंशदान के सम्बन्ध में धारा 80-C अथवा धारा 88 की कटौती नहीं दी जायेगी।

प्रॉवीडेण्ट फण्ड सम्बन्धी नियम तालिका

		वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड
I.	कर्मचारी का अशदान	वेतन में सम्मिलित रहता है।	वेतन में सम्मिलित रहता है।	वेतन में सम्मिलित रहता है।
II.	नियोक्ता का अंशदान	वेतन में सम्मिलित नहीं होता।	वेतन में 10% से अधिक सम्मिलित होता है।	वेतन में सम्मिलित नहीं होता
III.	फण्ड में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज	वेतन में सम्मिलित नहीं होता।	एकत्रित राशि पर 12% से अधिक जमा होने वाला ब्याज वेतन में सम्मिलित होता है।	वेतन मे सम्मिलित नहीं होता
IV.	अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि	वेतन में सम्मिलित नहीं होती।	पाँच वर्ष नौकरी करने पर सम्मिलित नही होती। कम अवधि होने पर यदि ऐसे कारण से नौकरी छोड़ी गई हो जिस पर कर्मचारी का नियन्त्रण नहीं था तो भी सम्मिलित नही होती। दूसरे नियोक्ता के नौकरी प्रारम्भ कर दी जाये और पहले नियोक्ता के प्रमाणित फण्ड में कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते का शेष दूसरे नियोक्ता द्वारा रखे गये प्रमाणित फण्ड मे हस्तान्तरित कर दिया जाय तो सम्मिलित नही करते हैं। दूसरे नियोक्ता की नौकरी छोड़ते समय यदि दोनो नियोक्ताओ के यहाँ की गई नौकरी की अवधि मिलाकर 5 वर्ष हो गई है तो सम्मिलित नही करते।	नियोक्ता का अंशदान एवं उसका ब्याज सम्मिलित होता है। कर्मचारी का अंशदान करमुक्त होता है एवं अंशदान के ब्याज पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है।

इस फण्ड को प्रारम्भ से ही प्रमाणित माने जाने पर निम्नलिखित राशियों का योग कर-योग्य होता है—

(i) प्रत्येक वर्ष के लिए नियोक्ता के अंशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक हो, तथा

(ii) प्रत्येक वर्ष के लिए जमा किये गये ब्याज का वह भाग जो कर-मुक्त सीमा से अधिक हो। [चौथी अनुसूची के भाग 'अ' के नियम 11 (4) के अनुसार]

स्पष्टीकरण—यदि अप्रमाणित फण्ड में नियोक्ता का अंशदान 10% से अधिक नहीं था तथा जमा ब्याज निर्धारित दर से अधिक नहीं था तो हस्तान्तरित शेष का कोई भी भाग कर-योग्य नहीं होगा।

अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड
(Approved Superannuation Fund)

धारा 2 (6) के अनुसार अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड वे फण्ड हैं जो आयकर अधिनियम की चौथी सूची के भाग B में दिये गये नियमों के अनुसार आय-कर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित हों। इस फण्ड का उद्देश्य कर्मचारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद वार्षिकी प्रदान करना अथवा निश्चित उम्र प्राप्त कर लेने के बाद वार्षिकी प्रदान करना अथवा कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं, बच्चों और आश्रितों को वार्षिकी प्रदान करना होता है। इस फण्ड में कर्मचारियों द्वारा दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में वेतन शीर्षक की आय में से कोई कटौती नहीं दी जाती है।

करदाता की मृत्यु हो जाने पर, सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर अथवा सेवा के लिए असमर्थ हो जाने पर इस फण्ड में से किये गये भुगतान पर आय-कर नहीं लगता। यदि कर्मचारी सेवा-निवृत्ति का समय आने से पूर्व ही नौकरी छोड़ देता है तो इस फण्ड से प्राप्त भुगतान आय-कर से मुक्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में इस फण्ड से भुगतान करने से पूर्व नियोक्ता का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने स्वयं के अंशदान एवं उसके ब्याज पर पिछले तीन कर-निर्धारण वर्षों में उसके द्वारा चुकाये गये कर की औसत दर से आय-कर काट ले और उसे सरकारी कोष में जमा करवा दे।

गैरअनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड

यदि किसी कर्मचारी को गैर-अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से कोई राशि प्राप्त होती है तो ऐसी राशि में सम्मिलित कर्मचारी का स्वयं का अंशदान पूर्णतया कर-मुक्त होता है। कर्मचारी के अंशदान का ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य होता है। यदि कर्मचारी को स्वयं के अंशदान और उसके ब्याज से अधिक राशि प्राप्त होती है तो शेष राशि को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

गैर-अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में सकल वेतन में से कटौती नहीं दी जाती है।

कटौतियाँ
(Deductions)

आय-कर अधिनियम की धारा—16 के अन्तर्गत 'वेतन' शीर्षक की कर-देय आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत हैं—

1. प्रमाणित कटौती—यदि करदाता की वेतन शीर्षक की आय प्रमाणित कटौती देने से पूर्व 60,000 रु. से अधिक नहीं है तो यह कटौती वेतन शीर्षक की सकल आय का $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 18,000 रु. (दोनों में से जो भी कम हो) के बराबर राशि की दी जायेगी।

यदि करदाता को वेतन शीर्षक की आय प्रमाणित कटौती देने से पूर्व 60,000 रु. से अधिक है तो यह कटौती 15,000 रु. की ही दी जायेगी। इस आशय के लिये मनोरंजन भत्ते की कटौती एवं नियोजन कर की कटौती को वेतन शीर्षक की सकल आय में से घटाकर देखा जायेगा कि शेष राशि 60,000 रु. से अधिक है अथवा नहीं।

परन्तु महिला कर्मचारियों की दशा में यह कटौती कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय का $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 18,000 रु. (दोनों में जो भी कम हो) के बराबर राशि की दी जायेगी बशर्ते कि उनकी कुल आय इस कटौती के पूर्व 75,000 रु. से अधिक नहीं हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अनुसार दी जाने वाली कटौती प्रमाणिक है और प्रत्येक कर्मचारी को आवश्यक रूप से प्राप्त होती है। इस कटौती को प्राप्त करने हेतु कर्मचारी को किसी भी प्रकार का व्यय करना आवश्यक नहीं है।

2. **मनोरंजन भत्ता**—मनोरंजन भत्ते से तात्पर्य उस भत्ते से है जो कर्मचारी को नियोक्ता के ग्राहकों के मनोरंजन पर खर्च करने के लिए प्राप्त होता है। यह भत्ता पहले वेतन में जोड़ दिया जाता है और बाद में सकल वेतन में से उस पर निम्नलिखित कटौती दी जाती है—

गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए—गैर-सरकारी कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती तभी दी जा सकती है जबकि उनको यह भत्ता 1 अप्रैल, 1955 के पहले से (अर्थात् 1954-55 के वित्तीय वर्ष से) वर्तमान नियोक्ता से लगातार और नियमित रूप से प्राप्त होता रहा हो।

यदि कोई कर्मचारी वर्तमान नियोक्ता की नौकरी छोड़कर दूसरे स्थान पर नौकरी करने लग जाता है और वहाँ भी उसे इसी प्रकार का भत्ता प्राप्त होता है तो कर्मचारी को यह छूट प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार किसी कर्मचारी को 1954-55 के वित्तीय वर्ष में कम भत्ता प्राप्त होता था और अब भत्ते की रकम अधिक कर दी गई है तो कटौती की रकम 1954-55 के वित्तीय वर्ष में प्राप्त भत्ते की रकम से अधिक नहीं हो सकती है।

छूट की सीमायें (Limits of Exemption)

(1) गत वर्ष में प्राप्त भत्ता, या
(2) वेतन का $\frac{1}{5}$, या
(3) 7,500 रु., या
(4) 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व समाप्त हुए गत वर्ष (अर्थात् 1954-55 के वित्तीय वर्ष) में प्राप्त भत्ते की राशि

} इनमें से जो राशि सबसे कम हो

सरकारी कर्मचारियों के लिये—यह कटौती पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें यह भत्ता 1 अप्रैल, 1955 के पहले से मिल रहा हो। सरकारी कर्मचारियों को यदि यह भत्ता मिलता है तो उनको इस भत्ते के सम्बन्ध में कटौती हर हालत में प्राप्त होती है।

छूट की सीमायें (Limits of Exemption)

(1) गत वर्ष में प्राप्त भत्ता, या
(2) वेतन का $\frac{1}{5}$, या
(3) 5,000 रु.

} इन तीनों में से सबसे कम राशि

टिप्पणी—इस सम्बन्ध में वेतन से आशय मूल वेतन से है जिसमें कोई भी भत्ता, लाभ अथवा अनुलाभ् शामिल नहीं हो। परन्तु यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को भी वेतन में सम्मिलित किया जायेगा।

3. रोजगार पर लगाये गये कर (Tax on Employment) के सम्बन्ध में कटौती—संविधान की धारा 276 (2) के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी विधान के अन्तर्गत रोजगार पर लगाये गये किसी कर का भुगतान कर्मचारी ने गत वर्ष में किया है तो उस कर्मचारी को इस प्रकार भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की कटौती वेतन शीर्षक की सकल आय में से उस गत वर्ष में दे दी जायेगी। [धारा 16(iii)]

स्पष्टीकरण—यदि ऐसे कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो कर्मचारी को इस धारा के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि कर्मचारी के लिए कर-योग्य होगी तथा उसे वेतन शीर्षक की आय में भी सम्मिलित किया जायेगा।

वेतन में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती—यदि किसी कर्मचारी की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय न्यूनतम कर-योग्य सीमा से अधिक होने की सम्भावना हो तो नियोक्ता का कर्त्तव्य है कि वह वेतन का भुगतान करते समय प्रतिमाह औसत राशि कर के रूप में काटे तथा उसे सरकारी खजाने में जमा कराये। इस प्रकार करदाता को उसके निर्धारित वेतन से कम राशि प्राप्त होती है। करदाता की वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय करदाता को प्राप्त शुद्ध राशि में नियोक्ता द्वारा उद्गम स्थान पर काटी गई राशि को जोड़कर सम्मिलित किया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित गत वर्ष में न्यूनतम कर-योग्य आय की राशि 40,000 रु. थी तथा कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित गत वर्ष के लिये भी न्यूनतम कर-योग्य आय की राशि 40,000 रु. ही है।

धारा 89 (1) के अन्तर्गत मिलने वाली छूट—यदि किसी गत वर्ष में करदाता को (अ) बकाया या पेशगी वेतन प्राप्त होने के कारण, या (ब) 12 माह से अधिक का वेतन प्राप्त होने के कारण अथवा (स) वेतन के स्थान पर कोई लाभ प्राप्त होने के कारण उस पर ऊंची दरों से आय-कर लगने लगता है तो आय-कर अधिकारी करदाता के निवेदन पर निर्धारित छूट दे सकता है।

टिप्पणी—धारा-89 (1) की छूट की गणना सम्बन्धी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है तथा छात्रों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे इसका अध्ययन करें। अतः छूट की गणना करने सम्बन्धी प्रक्रिया को नहीं समझाया गया है।

Illustration 15.

Smt. Sudha, who is an employee of a company got Rs. 2,500 *per month* as salary during the year 1996-97. She also received an entertainment allowance of Rs. 400 per month during the same year. She was drawing an entertainment allowance of Rs. 300 per month prior to 1st April, 1955. She received Rs. 4,000 as bonus under a keyman Insurance policy taken by her employer and assigned to her. Her employer paid her Rs. 3,600 as Children

Education Allowance for three Children @ Rs. 100 p m. per child. During the previous year she surrendered one month's earned leave for which her employer paid her an extra sum of Rs. 1,250 being 15 days basic pay. During the previous year she spent Rs. 13,000 on the treatment of her husband in a private hospital. The whole of the expenditure was reimbursed by the employer. Find out sudha's taxable salary for the assessment year 1997-98.

श्रीमति सुधा, जो एक कम्पनी में कर्मचारी हैं, उन्हें 1996-97 के वर्ष में 2,500 रु. प्रतिमाह वेतन प्राप्त हुआ। इस वर्ष उन्हें 400 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता भी प्राप्त हुआ। 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व उन्हें 300 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता था। उसके नियोक्ता द्वारा ली गई एवं उसको हस्तांकन की गई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत उसको 4,000 रु का बोनस प्राप्त हुआ। उसके नियोक्ता ने उनको तीन बच्चों के लिये 100 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चे के लिए 3,600 रु. का बाल शिक्षण भत्ता दिया। गत वर्ष के दौरान उसने एक माह के अर्जित अवकाश का त्याग किया जिसके लिए नियोक्ता ने 15 दिन के मूल वेतन के बराबर 1,250 रु. की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया। उसने अपने पति का इलाज एक निजी चिकित्सालय में करवाया तथा इस सम्बन्ध में गत वर्ष में 13,000 रु. व्यय किये। इस सम्पूर्ण राशि का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण कर दिया गया। 1997-98 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्रीमति सुधा का कर-योग्य वेतन ज्ञात कीजिए।

Solution :

Computation of Taxable Salary of Smt. Sudha

		Rs
Salary		30,000
Bonus under a Keyman Insurance Policy		4,000
Entertainment allowance		4,800
Pay for surrendering earned leave		1,250
Children Education Allowance		2,400
Reimbursement of medical expenditure-		3,000
Gross Income from Salary		45,450
Less : (a) Standard deduction u/s 16 (i)	Rs. 15,150	
(b) Deduction in respect of entertainment allowance	3,600	18,750
Taxable Salary		26,700

टिप्पणी—(1) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में निम्नलिखित राशियों में से सबसे कम राशि के बराबर कटौती दी जायेगी—

(i) वास्तविक भत्ता अर्थात् 4,800 रु. (ii) वेतन का $\frac{1}{5}$ अर्थात् 6,000 रु. (iii) 1 अप्रैल, 1955 के पूर्व प्राप्त होने वाला भत्ता अर्थात् 3,600 रु. एवं (iv) अधिकतम सीमा 7,500 रु.।

(2) सेवा में रहते हुए अर्जित अवकाश त्यागने पर प्राप्त अतिरिक्त राशि कर-योग्य होती है। इसके सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाती है।

(3) बच्चों के लिये शिक्षण भत्ता 50 रु. प्रति माह प्रति बच्चे की दर से केवल दो बच्चों के लिए ही कर-मुक्त होता है। अतः 3,600 रु. में से 1,200 रु. का भत्ता कर-मुक्त है तथा शेष 2,400 रु. कर-योग्य है।

(4) निजी चिकित्सालय में इलाज कराने पर नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण की गई राशि 10,000 रु. तक ही कर-मुक्त होती है। अतः 3,000 रु. की राशि को कर-योग्य वेतन में सम्मिलित किया गया है।

Illustration 16.

Mr.X, who is employed in a company gets Rs. 3,000 p.m. He has been provided with a free unfurnished house by his employer for which the employer pays a rent of Rs. 600 per month. During the previous year 1996-97 he received the following incomes—

(i) Dearness allowance @ Rs. 300 per month.
(ii) Three months advance salary (including dearness allowance) which he received on the last day of the previous year.
(iii) Bonus @ Rs. 4,200 *per annum.*
(iv) Entertainment allowance @ Rs. 7,500 per annum since 1st April, 1954.
(v) pension from former employer @ Rs. 600 p.m.
(vi) A sweeper has been provided to him by his employer for the proper upkeep of the house, the salary being Rs. 125 p.m. is paid by the employer.
(vii) He is also provided with facility of a motor car of 16 h.p. by his employer which is used by him for both official and private use. All the expenses of car are borne by the employer. He himself drives the car.
(viii) Children Education Allowance for two children @ Rs. 50 p.m. per child.

Compute taxable Income from salary of Mr. X for the Assessment year 1997-98 assuming that Mr. X has paid a sum of Rs. 1,200 as tax on employment during the previous year.

श्री एक्स, जो कम्पनी में कर्मचारी हैं उनका वेतन 3,000 रु. प्रतिमाह है। उनको अपने नियोक्ता की ओर से एक असुसज्जित मकान मुफ्त रहने के लिए मिला हुआ है जिसके लिए नियोक्ता 600 रु. प्रतिमाह किराया चुकाता है। 1996-97 के गत वर्ष में उन्हें निम्नलिखित आय प्राप्त हुई—

(i) महंगाई भत्ता 300 रु. प्रतिमाह।
(ii) तीन माह का अग्रिम वेतन (महंगाई भत्ते सहित) जो उन्हें गत वर्ष के अन्तिम दिन प्राप्त हुआ।
(iii) बोनस 4,200 रु. वार्षिक।
(iv) 1 अप्रैल, 1954 से मनोरंजन भत्ता 7,500 रु. प्रतिवर्ष।
(v) भूतपूर्व नियोक्ता से पेन्शन 600 रु. प्रतिमाह।

(vi) मकान की सफाई करने के लिए नियोक्ता से एक फर्राश मिला हुआ है जिसका वेतन 125 रु. प्रतिमाह नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है।

(vii) उन्हें अपने नियोक्ता से 16 हॉर्स पावर की क्षमता की कार भी मिली हुई है जिसका उपयोग वे अपने कार्यालय के कार्यों के साथ-साथ निजी कार्यों के लिए भी करते हैं। कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। कार वे स्वयं चलाते हैं।

(viii) दो बच्चों के लिए बाल शिक्षण भत्ता 50 रु. प्रति बच्चा प्रतिमाह की दर से।

1997-98 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री एक्स की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय यह मानते हुये ज्ञात कीजिये कि श्री एक्स ने गत वर्ष के दौरान 1,200 रु. की राशि का रोजगार सम्बन्धी कर का भुगतान किया है।

Solution :

Computation of Income from Salary

		Rs.
Salary		36,000
Dearness allowance		3,600
Advance salary		9,900
Bonus		4,200
pension from former employer		7,200
Entertainment Allowance		7,500
Value of Perquisites :		
(a) Rent free accommodation @ 10% of salary (Rs. 36,000 + 4,200 + 300) = Rs. 40,500		4,050
(b) Wages of sweeper @ Rs. 120 p. m.		1,440
(c) Value of Motor car partly for personal use @ Rs. 600 p.m.		7,200
Gross Income from Salary		81,090
	Rs.	
Less : Standard Deduction	15,000	
Entertainment allowance	7,200	
Tax on employment	1,200	23,400
Taxable Income from Salary		57,690

टिप्पणी—(1) महँगाई भत्ता, पेशगी वेतन एवं भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन को मुफ्त रहने के लिए दिए गए मकान के मूल्यांकन हेतु वेतन में सम्मिलित नहीं किया गया है। मनोरंजन भत्ते में से कटौती योग्य भाग घटाकर शेष राशि सम्मिलित की गई है।

(2) बाल शिक्षण भत्ते की राशि 50 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चे के हिसाब से दो बच्चों के लिए कर-मुक्त होती है। अतः सम्पूर्ण राशि कर मुक्त है।

Illustration 17.

The following are the particulars of income of Mr. Arun Kumar an accountant in X Y Z Ltd., Bombay, for the financial year *1996-97.*

1. Basic salary @ Rs. 2,500 p.m.

2. [illegible]
[illegible]
commission to him was discontinued. But on account of this change, he was paid a sum of Rs. 10,000 as compensation. The sales effected by him during the financial year 1996-97 were Rs. 5,00,000.

3. Dearness allowance @ 10% of salary.

4. He is provided with unfurnished rent free residential accommodation in Bombay. The fair rent of the house is Rs. 2,000 p.m.

5. The total bills of the whole year for gas and electricity of the residential accommodation amounts to Rs. 600 which was met by the employer.

6. He is provided with a Motor car of 20 h.p. both office and personal use. Expenses regarding office use and salary of driver Rs. 250 p.m. are borne by the employer.

7. Special allowance granted to enable him to meet the hostel expenditure of his child @ Rs. 250 p.m.

8. Profession tax paid by employee during the previous year Rs. 2,500.

Find out the total income of Mr. Arun Kumar, under the head Salaries for the assessment year 1997-98.

वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए श्री अरूण कुमार जो एक्स वाई जेड लिमिटेड, बम्बई में एकाउण्टेन्ट है, की आय का विवरण निम्नलिखित है—

(1) मूल वेतन 2,500 रु. प्रतिमाह।

(2) उनके द्वारा किये गये विक्रय पर 1% की दर से कमीशन। 1 जनवरी, 1997 से उनकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार उनको कमीशन देना बन्द कर दिया, परन्तु इस परिवर्तन के कारण उनको 10,000 रु. क्षतिपूर्ति के देने पड़े। वित्तीय वर्ष 1996-97 में उनके द्वारा किया गया विक्रय 5,00,000 रु. का था।

(3) वेतन का 10% महँगाई भत्ता।

(4) उन्हें बम्बई में रहने के लिए नियोक्ता की ओर से एक असुसज्जित मकान की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है। मकान का उचित किराया 2,000 रु. प्रतिमाह है।

(5) सम्पूर्ण वर्ष के लिए उनके रहने के मकान का गैस और बिजली का बिल 600 रु. था, जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया।

(6) कार्यालय एवं निजी उपयोग के लिए उन्हें अपने नियोक्ता से एक 20 हॉर्स पावर की कार मिली थी। कार्यालय प्रयोग के खर्चे तथा चालक का वेतन 250 रु. प्रतिमाह नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।

(7) 250 रु. प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता जो उसके बच्चे के होस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया।

(8) कर्मचारी ने गत वर्ष में रोजगार सम्बन्धी कर का भुगतान किया 2,500 रु.।

1997-98 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री अरूण कुमार की वेतन शीर्षक के कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Solution :

Computation of Taxable Salary of Mr. Arun Kumar

			Rs.
1. Basic salary @ Rs. 2,500 p.m.			30,000
2. Commission @ 1% on Rs. 3,75,000			3,750
3. Dearness allowance @ 10% of salary			3,000
4. Compensation			10,000
5 Allowance for meeting Hostel exp. of child			1,200
Value of Perquisites :			
(a)	Rent free accommodation :	Rs.	
	Fair Rent of accommodation	24,000	
	Less : 50% of salary		
	50% of (Rs. 30,000 + 3,750 + 1,200)	17,475	6,525
(b)	Gas and electric charges paid by the employer		600
(c)	Free use of motor car for Personal purpose		7,200
	Gross income from salary		62,275
Less :	Standard deduction u/s 16 (i)	18,000	
	Tax on employment u/s 16 (iii)	2,500	20,500
	Taxable Salary		41,775

टिप्पणी—(1) सेवा शर्तों में परिवर्तन के कारण देय क्षतिपूर्ति कर-योग्य होती है। इसके सम्बन्ध में कोई कटौती नही दी जायेगी। इसे मकान के मूल्यांकन में शामिल नहीं करेंगे। कमीशन 9 माह की औसत बिक्री पर दिया गया है।

(2) होस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए दिया गया भत्ता 150 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से कर-मुक्त होता है। अतः 1,800 रु. की राशि कर-मुक्त है तथा शेष 1,200 रु. की राशि कर-योग्य है।

(3) मुफ्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिये वेतन में कमीशन एवं होस्टल व्यय की पूर्ति के भत्ते का कर-योग्य भाग सम्मिलित किया गया है।

(4) कार की सुविधा का मूल्यांकन 600 रु. प्रतिमाह की दर से किया गया है।

(5) करदाता की वेतन शीर्षक की आय 60,000 रु. से अधिक नहीं होने के कारण मानक कटौती 18,000 रु. की दी गई है। नियोजन कर की कटौती देने के बाद वेतन शीर्षक की आय 59,775 रु. ही रह जाती है।

Illustration 18.

Mr. Ram Prasad an employee of A.B.C. Ltd., Bhopal gets monthly salary of Rs. 1,500. He also gets bonus equal to three months salary. He received house rent allowance @ Rs. 250 p.m. Actual rent paid by him is Rs. 375 p.m. The company has also provided Mr. Ram Prasad free use of 18 h.p. car for office and personal use. The whole of the expenses of car including driver's salary are borne by the employer. One son of Mr. Ram Prasad is studying at Bombay, expenses for which are fully met by the mpany. The total expenses amounted to Rs. 1,500. The value of free

supply of gas, light and water by the company to Mr. Ram Prasad is Rs. 800. During the previous year Mr. Ram Prasad received from the company Rs. 1,600 as travelling allowance, the actual expenses amounted to Rs. 1,200.

Compute the taxable income from salary of Mr. Ram Prasad for the assessment year 1997-98 assuming that he is owner of 25% of equity shares of this company.

श्री रामप्रसाद एबी.सी. लि., भोपाल में 1,500 रु. मासिक वेतन पर कर्मचारी हैं। उन्हें तीन माह के वेतन के बराबर बोनस भी प्राप्त होता है। उन्हें 250 रु. प्रतिमाह के हिसाब से मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ। उनके द्वारा चुकाया गया किराया 375 रु. प्रतिमाह था। कम्पनी ने उन्हें कार्यालयीन कर्त्तव्यों एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिए 18 हॉर्स पावर की कार निःशुल्क दे रखी है। कार के सम्पूर्ण खर्चे चालक के वेतन सहित नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं। श्री राम प्रसाद का एक पुत्र बम्बई में शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जिसके सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किये जाते हैं। कुल व्यय 1,500 रु. हुए। कम्पनी द्वारा श्री रामप्रसाद को निःशुल्क प्रदान की गई गैस, बिजली एवं पानी का मूल्य 800 रु. था। गत वर्ष में रामप्रसाद ने यात्रा व्यय के 1,600 रु. प्राप्त किये, जबकि उनका वास्तविक व्यय 1,200 रु. था।

श्री रामप्रसाद का कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कर-योग्य वेतन यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि वह इस कम्पनी के 25% समता अंशों का धारक है।

Solution :

Computation of Taxable Salary of Mr. Ram Prasad

	Rs.
Salary @ Rs. 1,500 p.m.	18,000
Bonus equal to three months' salary	4,500
House Rent allowance (Rs. 3,000-Rs. 2,700)	300
Expenses on education of son u/s 17 (iv)	1,500
Value of car facility	13,200
Value of gas, light and water facility	800
Excess travelling allowance (Rs. 1,600-1,200)	400
Gross Income from Salary	38,700
Less : Standard Deduction	12,900
Taxable Salary	25,800

टिप्पणी—(1) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा पर किए गए व्यय वास्तव में कर्मचारी का दायित्व है। यदि नियोक्ता इस दायित्व का भुगतान नहीं करता तो कर्मचारी को करना पड़ता है। अतः धारा 17 (iv) के अन्तर्गत इसे सभी प्रकार के कर्मचारियों के वेतन में जोड़ा जाता है।

(2) श्री रामप्रसाद विशिष्ट कर्मचारी हैं, अतः कार की सुविधा कर-योग्य है। इस सुविधा का मूल्यांकन 1,100 रु. प्रतिमाह की दर से किया गया है।

(3) गैस, बिजली, पानी की सुविधा भी कर-योग्य होगी।

(4) मकान किराया भत्ते की कर-मुक्त राशि निम्न तीन राशियों में सबसे कम राशि के बराबर होगी—(i) प्राप्त भत्ता 3,000 रु. (ii) वेतन का 40% अर्थात् 7,200 रु. (iii) वेतन

के 10% से अधिक व्यय की गई राशि 2,700 रु.। इस प्रकार 2,700 रु. कर-मुक्त तथा 300 रु. कर-योग्य हैं।

(5) यात्रा भत्ते की राशि को वास्तव में व्यय की गई राशि तक कर-मुक्त किया गया है।

Illustration 19.

Mr. Chatterjee is Asstt. Manager of a Textile Company of Jaipur, since 1981. He has submitted the following particulars of his income for the financial year 1996-97—

(i) Net Salary Rs. 30,000 after deduction of tax at source Rs. 6,000, contribution to Recognised Provident Fund Rs. 5,400 and rent of bungalow @ 10% of salary.

(ii) Dearness Allowance Rs. 1,000 per month (Rs. 200 p.m. enters into retirement benefits)

(iii) Education allowance for two children at Rs. 100 p.m. per child.

(iv) Commission on sales Rs. 10,000.

(v) Entertainment allowance Rs. 700 per month.

(vi) Travelling Allowance for his official tours Rs. 30,000, Actual expenditure on tours amounted to Rs. 22,000.

(vii) He was given cloth worth Rs. 1,000 by his employer free of cost.

(viii) He resides in the bungalow of the company. Its fair rent is Rs. 1,000 p.m. A watchman and a cook have been provided by the company at the bungalow who are paid Rs. 400 per month each.

(ix) He has been provided with a motor car of 18 h.p. for his official as well as personal use. The running and maintenance costs are borne by the Company.

(x) Employer's contribution to R.P.F. is Rs. 7,000 and the interest credited to this fund at 13% rate amounted to Rs. 16,250.

(xi) His employer paid in December 1996 for his medical treatment in France Rs. 80,000, Rs. 15,000 for travelling in this connection and Rs. 25,000 for stay there.

Compute income from Salaries for the assessment year 1997-98 assuming that his taxable income from other sources for this assessment year is Rs. 1,50,000.

श्री चटर्जी 1981 से जयपुर की एक टैक्सटाइल कम्पनी में सहायक प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित उनकी आय का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

(i) शुद्ध वेतन 30,000 रु. निम्न कटौतियों के पश्चात् प्राप्त हुआ—

स्रोत पर आयकर 6,000 रु., प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 5,400 रु., एवं वेतन के 10 प्रतिशत की दर पर बंगला का किराया।

(ii) महँगाई भत्ता 1,000 रु. प्रति माह (इसमें से 200 रु. प्रतिमाह सेवा निवृत्ति लाभों हेतु माना जाता है)।

(iii) दो बच्चों हेतु शिक्षा भत्ता 100 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से।

(iv) बिक्री पर कमीशन 10,000 रु.।

(v) मनोरंजन भत्ता 700 रु. प्रतिमाह।

(vi) कार्यालय कार्य हेतु यात्रा के लिये भत्ता, 30,000 रु.। यात्राओं पर वास्तविक व्यय 22,000 रु. हुआ।

(vii) नियोक्ता द्वारा 1,000 रु. मूल्य का कपड़ा उनको मुफ्त दिया गया।

(viii) वे कम्पनी के मकान में रहते हैं जिसका उचित किराया 1,000 रु. प्रति माह है। कम्पनी की ओर से उन्हें एक चौकीदार तथा एक रसोइया दिया गया है। प्रत्येक का 400 रु. प्रति माह का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जाता है।

(ix) कम्पनी ने उनको एक 18 हॉर्स पावर की कार कार्यालय एवं निजी प्रयोग के लिये दे रखी है। कार के खर्चों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जाता है।

(x) प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 7,000 रु. है। भविष्य निधि में 13% की दर से 16,250 रु. ब्याज के जमा किये गये हैं।

(xi) उनके नियोक्ता ने उनके फ्रान्स में चिकित्सा के 80,000 रु., इस हेतु 15,000 रु. यात्रा के तथा वहां ठहरने के व्यय 25,000 रु. का भुगतान दिसम्बर, 1996 में किया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उनकी वेतन शीर्षक की आय की गणना यह मानते हुये कीजिए कि इस निर्धारण वर्ष के लिये अन्य शीर्षकों की कर योग्य आय 1,50,000 रु. है। **(R.U.B.Com. 1995)**

Solution :

Computation of Taxable Income from Salary of Chatterjee for the assessment year 1997-98

	Rs.	Rs.
Basic Salary :		
Net salary received	30,000	
Contribution to RPF deducted	5,400	
Income tax deducted	6,000	
Rent of bungalow deducted	4,600	46,000
Dearness Allowance @ Rs. 1,000 p.m.		12,000
Education Allowance received	2,400	
Less : Amount exempt	1,200	1,200
Commission on Sales		10,000
Entertainment Allowance @ Rs. 700 p.m.		8,400
Travelling Allowance received	30,000	
Less : Amount spent	22,000	8,000
Cloth given free of cost by employer		1,000
Value of unfurnished house at concessional rent		
10% of salary of Rs. 76,000	7,600	
Less : Rent deducted	4,600	3,000
Value of facility of cook		4,800
Value of watchman facility		1,440

Value of car facility		9,600
Employer's contribution to R.P.F.	7,000	
Less : 10% of salary of Rs. 58,400	5,840	1,160
Interest credited to R.P.F.	16,250	
Less : Amount exempt	15,000	1,250
Travelling expenses for medical tratment in France		15,000
Gross income from Salaries		1,22,850
Less : Standard deduction u/s 16 (i)		15,000
Taxable Salary		1,07,850

टिप्पणी—(i) यदि 90 रु. का वेतन मकान किराये की कटौती के बाद बचता है तो सकल वेतन होगा 100 रु.। अतः यदि 41,400 रु. कटौती के बाद वेतन बचता है तो सकल वेतन $41,400 \times \frac{100}{90} = 46,000$ रु. होगा।

(ii) बिक्री पर कमीशन को वेतन का भाग ही माना गया है क्योंकि ऐसे कमीशन की गणना बिक्री पर निश्चित प्रतिशत की दर से ही की जाती है।

(iii) ड्राइवर की सुविधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण यह माना गया है कि निजी प्रयोग के लिये ड्राइवर की सुविधा नहीं दी गई है।

(iv) प्रमाणित भविष्य निधि में जमा ब्याज में से कर मुक्त राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है—

$$16,250 \times \frac{12}{13} = 15,000$$

जमा राशि में से कर मुक्त राशि को घटाकर शेष राशि को आय में सम्मिलित किया गया है।

(v) यह कम्पनी की सेवा में 1981 से है, अतः मनोरंजन भत्ते की कटौती नहीं दी गई है।

(vi) विशिष्ट कर्मचारी होने के कारण कार की सुविधा, चौकीदार की सुविधा, रसोइया की सुविधा तथा मुफ्त दिये गये कपड़े की सुविधा का मूल्य कर योग्य है।

(vii) विदेश में चिकित्सा की सुविधा एवं ठहरने के व्यय भी कर-मुक्त अनुलाभ है। परन्तु उसकी कुल आय 2,00,000 रु. से अधिक होने के कारण यात्रा-व्यय कर योग्य हो जायेंगे।

Illustration 20.

Mr. X is an employee getting a monthly salary of Rs. 2,250 plus a dearness allowance of Rs. 250 p.m. He contributes 12% of his salary and dearness allowance to a provident fund to which his employer contributes an equal amount. Interest on provident fund is determined @ 15% per annum which amounted to Rs. 1,500 for the previous year. He also gets a house rent allowance of Rs. 800 p.m. He has actually paid Rs. 1,000 p.m. as rent of the house occupied by him for his residence. Compute the taxable income from Salaries of Mr. X for the assessment year 1997-98 if the provident fund is (a) Statutory, (b) Recognised and (c) Unrecognised.

श्री एक्स 2,250 रु. प्रतिमाह वेतन एवं 250 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता प्राप्त करने वाला कर्मचारी है। वह अपने वेतन एवं महँगाई भत्ते का 12% एक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में देता है, जिसमें उसका नियोक्ता भी इतनी ही राशि देता है। इस प्रॉवीडेण्ट फण्ड पर ब्याज का निर्धारण 15% की दर से किया जाता है जो गत वर्ष के लिए 1,500 रु. है। उसको 800 रु. प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता भी मिलता है। उसने अपने निवास के लिए प्रयुक्त मकान का किराया 1,000 रु. प्रतिमाह की दर से दिया है। 1997-98 के कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए, यदि प्रॉवीडेण्ट फण्ड (अ) वैधानिक, (ब) प्रमाणित एवं (स) अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड है।

Solution :

Computation of Taxable Income from Salary of Mr. X for the assessment year 1997-98

		Statutory provident fund	Recognised provident fund	Unrecognised provident fund
		Rs.	Rs.	Rs.
Salary		27,000	27,000	27,000
Dearness Allowance		3,000	3,000	3,000
House Rent Allowance	Rs.9,600			
Less : Amount exempt	9,000	600	600	600
Employer's contribution to provident fund	3,600			
Less : 10% of salary	3,000	—	600	—
Interest on provident fund	1,500			
Less : Interest @ 12%	1,200	—	300	—
Gross Income from Salary		30,600	31,500	30,600
Less : Standard Deduction		10,200	10,500	10,200
Taxable Income from Salary		20,400	21,000	20,400

टिप्पणी—मकान किराये भत्ते के कर-योग्य भाग की गणना करने के लिए पहले मकान किराये भत्ते का कर-मुक्त भाग मालूम करना पड़ेगा जो निम्न तीन राशियों में सबसे कम राशि के बराबर होगा—

(अ) प्राप्त भत्ता = 9,600 रु.

(ब) वेतन का 40% = 12,000 रु.

(स) वेतन के 10% से अधिक व्यय की गई रकम = (12,000 – 3,000) = 9,000 रु.

उपरोक्त तीन राशियों में सबसे कम राशि 9,000 रु. है जो कर-मुक्त भत्ते की राशि को प्रकट करती है। प्राप्त भत्ता 9,600 रु. है अतः शेष 600 रु. का भत्ता कर-योग्य होगा। मकान किराये भत्ते की गणना करने के लिए वेतन में महँगाई-भत्ता भी शामिल होगा क्योंकि यह प्रॉवीडेण्ट फण्ड के अंशदान के लिए वेतन में शामिल किया जाता है।

Illustration 21.

Shri Kishan Lal is drawing a monthly salary of Rs. 4,000 and an entertainment allowance of Rs. 550 per month as General Manager of a Limited Company. He is also getting conveyance allowance of Rs. 200 p.m., bonus equal to 2 months' salary and commission equal to one month's pay. He is provided with a rent free furnished house by the company, the company paying Rs. 10,000 per annum as rent of this house and Rs. 1,200 per annum for furniture and fittings. A gardener at Rs. 120 p.m. is employed by the company for proper upkeep of the house. The electric and water charges amounting to Rs. 1,720 are also borne by the company in respect of this house.

He is also provided with free lunch by the company valued at Rs. 750 p.m. The payment is directly made to the Caterer.

His contribution to Company's Recognised provident fund is $12\frac{1}{2}$% of his salary, the company also contributing a similar amount. The interest credited to his Provident Fund Account @ 12% is Rs. 15,000.

He is employed in this company since 1957 and prior to that he was getting Rs. 600 p.m. as entertainment allowance from his former employer.

The company feels that Mr. Kishan Lal requires a helper to assist him in performance [illegible]

From the above information calculate Shri Kishan Lal's Income from Salary for the assessment year 1997-98 assuming that he has not incurred any expenditure on conveyance for his official duties.

श्री किशनलाल, जो एक कम्पनी में जनरल मैनेजर हैं, 4,000 रु. प्रति माह वेतन एवं 550 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें 200 रु. प्रतिमाह सवारी भत्ता, दो महीने के वेतन के बराबर बोनस एवं एक महीने के वेतन के बराबर कमीशन भी मिल रहा है। उन्हें कम्पनी की ओर से एक सुसज्जित मकान भी मुफ्त मिला हुआ है जिसका किराया 10,000 रु. प्रतिवर्ष तथा फर्नीचर एवं फिटिंग्स का किराया 1,200 रु. प्रतिवर्ष कम्पनी के द्वारा चुकाया जा रहा है। मकान की देखभाल के लिए एक माली भी कम्पनी की ओर से नियुक्त किया गया है जिसका वेतन 120 रु. प्रतिमाह है। इस मकान के बिजली और पानी के व्यय 1,720 रूपये कम्पनी के द्वारा चुकाये गये।

उसको कम्पनी की ओर से मुफ्त भोजन भी प्राप्त होता है जिसका मूल्य 750 रु. प्रतिमाह है। कम्पनी द्वारा भुगतान सीधे भोजनालय को किया जाता है।

कम्पनी के प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में उनका अंशदान वेतन का $12\frac{1}{2}$% है तथा कम्पनी का अंशदान भी इतना ही है। उनके प्रॉवीडेण्ट फण्ड खाते में ब्याज के 12 प्रतिशत की दर से 15,000 रु. जमा हुए।

वह कम्पनी में 1957 से कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्हें अपने भूतपूर्व नियोक्ता से 600 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त हो रहा था।

कम्पनी ने श्री किशनलाल के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक सहायक की आवश्यकता महसूस की है और इसके लिये उसे 400 रु. महीने का भत्ता भी दिया है। इस भत्ते की सम्पूर्ण राशि को श्री किशनलाल ने इसी उद्देश्य के लिए व्यय कर दिया है।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर श्री किशनलाल की 1997-98 के कर निर्धारण वर्ष के लिये वेतन से आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उसने सवारी भत्ता की कोई राशि कार्यालय के लिए व्यय नहीं की है।

Solution :

Computation of Income from Salary of Shri Kishan Lal

		Rs.
1. Salary		48,000
2. Entertainment allowance		6,600
3. Bonus		8,000
4. Commission		4,000
5. Conveyance allowance		2,400
6. Employer's contribution to Recognised Provident Fund in excess of 10% of salary		1,200
7. Value of rent free house—		
(a) 10% of 69,000 (Salary, bonus, commission, conveyance allowance and entertainment allowance)	6,900	
(b) Hire charge for furniture etc.	1,200	8,100
8. Value of free lunch		—
9. Electricity and water charges paid by the Company		1,720
10. Valuation for the wages of gardener		1,440
Gross Income from Salary		81,460
Less : Standard deduction @ $33\frac{1}{3}\%$ u/s 16 (i) but limited to Rs. 15,000		15,000
Taxable Salary		66,460

टिप्पणी—(1) मनोरंजन भत्ता वर्तमान नियोक्ता से 1 अप्रैल, 1955 के पूर्व से प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः इसके सम्बन्ध में कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी।

(2) सवारी भत्ता चूँकि कार्यालय के लिये व्यय नहीं किया गया है, अतः कर-योग्य है। इसे मुफ्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए भी वेतन की परिभाषा में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) माली की सुविधा का मूल्यांकन 120 रु. प्रतिमाह की दर से किया जायेगा।

(4) सहायक रखने हेतु दिया गया भत्ता धारा-10 (14) (i) के अन्तर्गत आता है। चूँकि इस भत्ते की सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी गई है, अतः यह कर-मुक्त है।

(5) यह मान लिया गया है कि वर्ष में कार्य के दिन 300 हैं। 35 रु. प्रतिदिन के हिसाब से 10,500 रु. तक भोजन पर व्यय की गई राशि कर मुक्त होगी।

Illustration 22.

Mr. Ramesh was appointed in Delhi Textile Mills Ltd., in the grade 1400-100-3,000. He resumed his duties on 1st Sept., 1992. He contributed 12% of his salary to Company's Unrecognised Provident Fund to which the company also paid a similar amount. On 1st Sept., 1996 the fund was recognised by the commissioner and the balance of Ramesh's Provident Fund Account which amounted to Rs. 20,000 (including Company's contribution Rs. 8,928 and interest of Rs. 1,072) was transferred to Recognised Provident Fund. During the previous year 1996-97 Mr. Ramesh received the following payments:

(i) Bonus Rs. 2,000, (ii) Commission Rs. 8,000, (iii) Life Insurance premium paid by the Company Rs. 2,000 (iv) Reimbursement of medical expenses Rs. 2,500 and (v) Uniform Allowance Rs. 2,000.

Compute the taxable income from salary of Mr. Ramesh assuming that he has spent the whole of the amount of Uniform allowance.

श्री रमेश की नियुक्ति देहली कपड़ा मिल में 1,400-100-3,000 की वेतन श्रृंखला में की गई। उन्होंने 1 सितम्बर, 1992 को अपना पद-भार सम्भाला। वे अपने वेतन का 12% अंशदान कम्पनी के अप्रमाणित प्रावीडेण्ट फण्ड में देते थे, जिसमें कम्पनी का अंशदान भी इतनी ही राशि का था। 1 सितम्बर, 1996 को इस फण्ड को आय-कर कमिश्नर ने प्रमाणित कर दिया तथा इस फण्ड में जमा-शेष 20,000 रु. [जिसमें 8,928 रु. कम्पनी का अंशदान तथा 1,072 रु. ब्याज सम्मिलित था] प्रमाणित फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया। गत वर्ष 1996-97 के दौरान श्री रमेश को निम्न भुगतान प्राप्त हुए—

(i) बोनस 2,000 रु. (ii) कमीशन 8,000 रु. (iii) कम्पनी द्वारा चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम 2,000 रु. (iv) चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति 2,500 रु. एवं (v) पोशाक भत्ता 2,000 रु.।

श्री रमेश को वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना यह मानते हुए कीजिये कि श्री रमेश ने पोशाक भत्ते की सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी है।

Solution :

Computation of Income from salary of Mr. Ramesh	**Rs.**
Salary [1,700 × 5 + 1,800 × 7]	21,100
Bonus	2,000
Commission on sales	8,000
Life Insurance Premium paid by company	2,000
Transferred Balance	1,488
Excess contribution of company to R.P.F. over 10% of salary	252
Gross income from Salary	34,840
Less : Standard deduction @ $33\frac{1}{3}$% u/s 16(i)	11,613
Taxable income from Salary	23,227

टिप्पणी—(i) 10,000 रु. तक के चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण प्रत्येक दशा में कर-मुक्त होता है, चाहे भले ही कर्मचारी ने इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया हो अथवा गैर-सरकारी अस्पताल में करवाया हो।

(ii) 1,400-100-3000 रु. वेतनमान का अर्थ है—कर्मचारी ने 1,400 रु. से नौकरी प्रारम्भ की थी तथा प्रतिवर्ष नौकरी प्रारम्भ करने की तिथि से उसके 100 रु. बढ़ जायेंगे। यह वृद्धि प्रतिवर्ष तब तक होती रहेगी जब तक उसका वेतन 3,000 रु. प्रतिमाह तक नहीं हो जायेगा। कर्मचारी का वेतन प्रतिवर्ष 1 सितम्बर को 100 रु. बढ़ जाता है। इस प्रकार 1 सितम्बर, 1995 से उसका वेतन 1,700 रु. प्रतिमाह व 1 सितम्बर, 1996 को 1,800 रु. प्रतिमाह होगा। गैर-सरकारी कर्मचारी होने के कारण इस पर 1 अप्रैल, 96 से 31 मार्च, 97 तक के वेतन पर कर लगेगा। 1 अप्रैल, 96 से 31 अगस्त, 96 तक का वेतन 1,700 रु. प्रतिमाह तथा 1 सितम्बर, 96 से 31 मार्च, 97 तक का 1,800 रु. प्रतिमाह होगा।

(iii) हस्तान्तरित शेष में कम्पनी का अंशदान 8,928 रु. सम्मिलित है। चूँकि कम्पनी का अंशदान कर्मचारी के वेतन का 12% है, अतः $[8,928 \times \frac{2}{12}] = 1,488$ रु. इसमें से कर योग्य होगा। ब्याज की राशि निर्धारित दर से कम होने के कारण कर मुक्त होगी।

(iv) प्रॉवीडेण्ट फण्ड 1 सितम्बर, 1996 से प्रमाणित हो गया तथा इसमें नियोक्ता का अंशदान 12% है। अतः सितम्बर से मार्च तक के मूल वेतन 12,600 रु. का 2% कर-योग्य किया गया है।

(v) चूँकि पोशाक भत्ते की सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी गई है, अतः यह धारा 10(14)(i) के अन्तर्गत कर-मुक्त है।

Illustration 23.

Shri Ashwani is lecturer in a Govt. College. He was appointed in the grade 2,200-100-2,600-120-3,800 on 1st Dec., 1991. He gets Rs 240 p.m. as dearness pay, Rs. 480 p.m. as dearness allowance, Rs 600 p.m. as entertainment allowance and Rs. 160 p.m. as interim relief. During the previous year he has received additional dearness allowance also @ Rs 300 p.m. He received an amount of Rs 2,680 as arrears of interim relief for past years during the previous year.

Throughout the previous year 1996-97 he lived in Jaipur and he received Rs. 400 p.m. as House rent allowance and Rs. 100 as City Compensatory allowance from the Govt. He paid Rs 7,200 as rent during the previous year.

During the previous year the Government paid him a sum of Rs. 3,50(for doing some Research work which Mr. Ashwani has spent for the saic purpose.

Compute taxable income from Salary of Mr. Ashwani for the assessment year 1997-98.

श्री अश्वनी सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। इनकी नियुक्ति 1 दिसम्बर, 1991 को 2,200-100-2,600-120-3,800 की वेतन श्रृंखला में की गई थी। इन्हें 240 रु. प्रतिमाह महँगाई वेतन, 480 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता, 600 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता तथा 160 रु

प्रतिमाह अन्तरिम राहत के प्राप्त होते हैं। गत वर्ष में इनको 300 रु. प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त महँगाई भत्ता भी प्राप्त हुआ। पिछले वर्षों की बकाया अन्तरिम राहत के 2,680 रु. इन्हें गत वर्ष में प्राप्त हुए।

गत वर्ष 1996-97 में ये सम्पूर्ण वर्ष जयपुर में रहे तथा इन्हें 400 रु. प्रतिमाह मकान किराया भत्ता तथा 100 रु. प्रतिमाह नगर-पूरक भत्ता सरकार से प्राप्त हुआ। इन्होंने गत वर्ष में 7,200 रु. किराये के रूप में व्यय किये।

गत वर्ष के दौरान सरकार ने उनको शोध कार्य हेतु 3,500 रु. भत्ते के रूप में दिये हैं, जो श्री अश्वनी ने इसी उद्देश्य के लिए व्यय कर दिये हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री अश्वनी के कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए।

(Raipur Uni. B.Com., 1988 and Indore 1995 B. Com. Modified)

Solution :

Computation of income from salary of Mr. Ashwani		**Rs.**
Salary [2,600 × 9 + 2,720 × 3]		31,560
Dearness Allowance		5,760
Dearness Pay		2,880
Interim Relief		1,920
Additional Dearness Allowance		3,600
Entertainment Allowance		7,200
Arrears of Interim Relief		2,680
City Compensatory Allowance		1,200
House Rent Allowance		1,044
Gross Income from Salary		57,844
Less : (i) Standard deduction	18,000	
(ii) Regarding Entertainment Allowance	5,000	23,000
Taxable Income from Salary		34,844

टिप्पणी—(1) मकान किराये भत्ते के सम्बन्ध में निम्न तीन राशियों में से सबसे कम कर मुक्त होगी—

(i) प्राप्त राशि 4,800 रु.

(ii) वेतन का 40% = 13,776 रु. (महँगाई वेतन सहित)

(iii) वेतन के 10% से अधिक व्यय की गई राशि (7,200 – 3,444) = 3,756 रु.

अत: 4800 – 3756 = 1044 रु. की राशि कर योग्य होगी।

(2) श्री अश्वनी सरकारी कर्मचारी है, अत: मार्च, 1996 से फरवरी, 1997 तक के वेतन पर कर देंगे।

(3) सरकारी कर्मचारी होने के कारण मनोरंजन भत्ते की कटौती वेतन के $\frac{1}{5}$ के बराबर दी जाती है परन्तु यह 5,000 रु. से अधिक नहीं होती है।

(4) शोध भत्ते की सम्पूर्ण राशि व्यय कर दी गई है अत: यह धारा—10 (14) (i) के अन्तर्गत कर मुक्त है।

Illustration 24.

Shri Rajendra is the manager in X Ltd., Darjeeling. He gets basic pay @ Rs. 3,125 per month, dearness allowance @ Rs 500 per month and entertainment allowance @ Rs. 500 per month. He has been provided with a rent free house by the company the fair annual rent of which is Rs. 6,500. He was also been provided by the company with facility of free use of furniture costing Rs. 9,000 and refrigerator costing Rs. 6,000. He was getting entertainment allowance since 1st June, 1954, but upto 31st December, 1960 it was given @ Rs. 300 per month. He is also given Composite Hill Compensatory Allowance @ Rs. 150 p.m.

The company has provided him a 18 h.p. car and a 16 h.p. car the expenses relating to their office use are born by the company. The cars are used partly for personal purpose also. The salary of the driver is paid by the company.

The bills of Rs. 2,000 relating to the education of his children were reimbursed by the company. The company has provided the amenity of free lunch and free refreshment during office hours. The estimated value of which is Rs. 400 and Rs. 100 per month respectively. The payment is made by the employer directly to the restaurant.

[illegible]

@ $12\frac{1}{2}$% amounted to Rs. 12,500.

During the previous year he surrendered Rs. 2,500 of his basic pay for being paid to the Central Government.

Compute the taxable income from salaries of Shri Rajendra for the Assessment Year 1997-98, assuming that he has paid Rs. 2,000 as tax on employment.

श्री राजेन्द्र एक्स लि. दार्जिलिंग में प्रबन्धक हैं। उनको 3,125 रु. प्रतिमाह मूल वेतन, 500 रु. प्रतिमाह महंगाई भत्ता एवं 500 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उनको कम्पनी की ओर से एक मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उचित किराया 6,500 रु. वार्षिक है। उनको फर्नीचर एवं रेफरीजिरेटर की भी निःशुल्क प्रयोग की सुविधा प्रदान की गई है जिनकी लागत क्रमशः 9,000 रु. एवं 6,000 रु. है। उनको 1 जून, 1954 से मनोरंजन भत्ता प्राप्त हो रहा है परन्तु 31 दिसम्बर, 1960 तक यह 300 रु. प्रतिमाह की दर से ही दिया गया था। उन्हें 150 रु. प्रतिमाह की दर से कम्पोजिट हिल क्षतिपूरक भत्ता भी दिया जाता है।

कम्पनी ने उनको एक 18 हॉर्स पावर और एक 16हॉर्स पावर की कार दे रखी है जिनके कार्यालय सम्बन्धी खर्चों का भुगतान कम्पनी के द्वारा किया जाता है। कारों का आंशिक रूप से प्रयोग निजी कार्यों के लिए भी किया जाता है। चालक का वेतन कम्पनी के द्वारा चुकाया जाता है।

कम्पनी ने उनके बच्चों की शिक्षा के 2,000 रु. के व्ययों का पुनर्भरण किया है। कम्पनी ने कार्यालय समय के दौरान उनको मुफ्त भोजन और नाश्ते की सुविधा प्रदान की है जिनका अनुमानित मूल्य क्रमशः 400 रु. और 100 रु. प्रतिमाह है। कम्पनी द्वारा भुगतान सीधे रेस्टोरेन्ट को किया जाता है।

वे और कम्पनी दोनों मूल वेतन और महँगाई भत्ते की आधी राशि का 12% अंशदान प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में देते हैं। गत वर्ष 1996-97 के दौरान प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में $12\frac{1}{2}$% की दर से 12,500 रु. ब्याज के जमा किए गए।

गत वर्ष के दौरान उन्होंने केन्द्रीय सरकार को देने के लिए अपने मूल वेतन में से 2,500 रु. का त्याग किया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री राजेन्द्र के कर-योग्य वेतन की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उसने 2,000 रु. की राशि गत वर्ष में रोजगार कर के रूप में चुकाई।

(M. D. Uni. B. Com. 1996 Modified)

Solution :

Computation of taxable salary of Rajendra

		Rs.
Basic pay (Rs. 37,500 – Rs. 2,500)		35,000
Dearness Allowance		6,000
Entertainment Allowance		6,000
Value of Rent free accommodation		5,850
Value of car facility		7,200
Value of free lunch		—
Payment of Children's Education Bills		2,000
Employer's excess contribution to Recognised Provident Fund		810
Interest credited to Recognised Provident Fund in excess of 12%		500
Gross Income from salary		63,360
Less : (i) Standard deduction	18,000	
(ii) Entertainment Allowance	3,000	
(iii) Profession tax	2,000	23,000
Taxable income from Salaries		40,360

टिप्पणी—(1) किराये से मुक्त मकान की सुविधा वेतन का 10% ली गई है। वेतन में आधा महगाई भत्ता एवं मनोरंजन भत्ते का कर-योग्य भाग शामिल है। फर्नीचर और रेफ्रीजिरेटर की लागत का 10% इनकी सुविधा का मूल्य लिया गया है।

(2) कार की सुविधा के मूल्यांकन में चालक की सुविधा का मूल्य भी शामिल है। कार की सुविधा का मूल्यांकन 600 रु. प्रतिमाह की दर से किया गया है।

(3) नाश्ते की सुविधा कर-मुक्त है। भोजन की सुविधा 35 रु. प्रति दिन तक कर मुक्त है।

(4) कम्पोजिट हिल क्षतिपूरक भत्ता 150 रु. प्रतिमाह की दर तक उन स्थानों पर कर-मुक्त होता है जो समुद्रतल से 1,000 मीटर या अधिक की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यह मान लिया

गया है कि दार्जिलिंग 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, अतः यह भत्ता कर-मुक्त है।

Illustration 25.

Mr. Radha Mohan is employed in Bharat Textiles Ltd., Bombay on a monthly salary of Rs. 2,000. In addition to this fixed salary, he is entitled to commission @ 1% on the sales made by him. During the previous year 1996-97, he had received following allowances and amenities from his employer—

(i) Dearness allowance @ Rs 200 p.m. which is granted to him under the terms of employment and counted for retirement benefits.

(ii) Bonus equal to two months' salary.

(iii) House rent allowance @ Rs. 500 per month.

(iv) Entertainment allowance @ Rs. 250 per month since 1st June, 1969.

(v) The Company paid Rs. 1,000 as his Income Tax penalty.

(vi) In September, 1996 during leave he went on a visit to Kashmir with his family. The expenditure incurred by him amounting to Rs. 6,000 as passage money were paid to him by employer as leave travel assistance. Had he travelled by airconditioned Second class compartment of Rail the expenditure in this regard would have been only Rs. 4,000. Before this he was allowed travel concession during september 1989 and september 1993.

(vii) He had been provided with the amenities of gas, electricity and water, the expenses of which amounting to Rs. 1,200 were paid by the company.

free of cost.

of his salary to recognised provident fund.

The interest credited to this fund for the previous year at $13\frac{1}{2}\%$ rate of interest amounted to Rs. 5,400.

Compute the taxable income from Salary of Shri Radha Mohan for the Assessment year 1997-98 keeping in mind that he spent Rs. 600 p.m. as rent of the house hired by him.

श्री राधामोहन भारत टैक्सटाइल्स लिमिटेड, बम्बई में 2,000 रु. प्रतिमाह पर नियुक्त हैं। इस निर्धारित वेतन के अतिरिक्त उन्हें उनके द्वारा की गई विक्रय राशि पर 1% कमीशन भी प्राप्त होता है। गत वर्ष 1996-97 में उनको अपने नियोक्ता से निम्नलिखित भत्ते एवं सुविधायें प्राप्त हुई—

(i) 200 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता जो उनको सेवा की शर्तों के अनुसार स्वीकृ. किया जाता है और जो अवकाश उपलब्धियों की गणना में विचारणीय है।

(ii) दो माह के वेतन के बराबर बोनस।

(iii) 500 रु. प्रतिमाह मकान किराया भत्ता।

(iv) 1 जून, 1969 से 250 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता।

(v) कम्पनी ने 1,000 रु. की राशि उसके आय-कर सम्बन्धी दण्ड के रूप में चुकाई।

(vi) वे सितम्बर, 1996 में छुट्टियों में अपने परिवार के साथ कश्मीर भ्रमण के लिए गये। उनके द्वारा 6,000 रु. की राशि आने-जाने के किराये के रूप में व्यय की गई जो नियोक्ता द्वारा यात्रा व्यय सहायता के रूप में इनको दे दी गई। यदि वे रेल की वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी से यात्रा करते तो इस सम्बन्ध में 4,000 रु. का ही व्यय होता। इसके पूर्व उनको यात्रा रियायत सितम्बर 1989 एवं सितम्बर 1993 में दी गई थी।

(vii) उनको गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा भी दी गई थी, जिसका 1,200 रु. का व्यय नियोक्ता द्वारा चुकाया गया।

(viii) 10,00,000 रु. के विक्रय पर 1 प्रतिशत कमीशन।

(ix) नियोक्ता द्वारा उन्हें 400 रु. की रुई मुफ्त दी गई थी।

(x) उन्होंने तथा उनके नियोक्ता, प्रत्येक ने प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का $12\frac{1}{2}\%$ अंशदान दिया है। गत वर्ष में $15\frac{1}{2}\%$ ब्याज दर से इस निधि में 5,400 रु. का ब्याज जमा किया गया है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री राधामोहन की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय *की गणना कीजिये, यह ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने 600 रु. प्रतिमाह किराये पर लिए गए* मकान के किराये के रूप में व्यय किये थे। **(Raj. B. Com., 1987 & 1990)**

Solution :

Computation of Taxable Salary of Shri Radha Mohan for the A.Y. 1997-98

	Rs.
Salary @ Rs. 2,000 p.m.	24,000
D.A. @ Rs. 200 p.m.	2,400
Entertainment allowance	3,000
Commission on Sales @ 1%	10,000
Bonus	4,000
Income Tax Penalty	1,000
House Rent Allowance	2,440
Value of gas, electricity and water	1,200
Value of cotton given free of cost	400
Leave travel assistance	2,000
Employers contribution to R.P.F. in excess of 10% of salary	910
Interest credited to R.P.F. in excess of 12%	600
Gross Income from salary	51,950
Less : Standard Deduction @$33\frac{1}{3}\%$	17,317
Taxable Salary	34,633

टिप्पणी—(1) मकान किराये भत्ते की कर-मुक्त राशि ज्ञात करने के लिए वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता तथा कमीशन सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार वेतन 36,400 रु. होगा। कर-मुक्त राशि निम्न राशियों में से सबसे कम के बराबर होगी—

(i) प्राप्त भत्ता 6,000 रु. (ii) वेतन का 50% 18,200 रु. (iii) वेतन के 10% से अधिक व्यय की गई राशि (7,200 – 3,640) रु. = 3,560 रु.।

इस प्रकार 3,560 रु. कर मुक्त तथा 2,440 रु. कर योग्य होंगे।

(2) सम्पूर्ण मनोरंजन भत्ता कर-योग्य है।

(3) मुफ्त दी गई रूई का मूल्य कर योग्य है क्योंकि श्री राधामोहन विशिष्ट कर्मचारी हैं। इस प्रकार गैस, बिजली, पानी की सुविधा का सम्पूर्ण मूल्य कर-योग्य है।

(4) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान हेतु वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता तथा कमीशन शामिल किया गया है।

(5) 1994 से प्रारम्भ होने वाले चार वर्षों के समूह में उनको प्रथम बार यात्रा व्यय में सहायता दी गई है। इस दृष्टि से यह कर-मुक्त है। परन्तु इस सहायता की राशि रेल के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये से अधिक नहीं हो सकती है, अतः 6,000 – 4,000 = 2,000 रु. की राशि कर-योग्य है जिसे वेतन की आय में सम्मिलित किया गया है।

Illustration 26.

Shri Ram Krishan is employed as a clark in a cloth Mill at Indore since 1st October, 1983. He is getting Rs. 7,800 p.m. as salary and Rs. 1,300 p.m. as dearness allowance since 1st Jan. 1994. His services were terminated on account of retrenchment of employees on 1st July, 1996 and he was paid Rs. 1,20,000 as compensation. He was also paid Rs. 1,42,500 as gratuity and Rs. 23,400 for 3 months earned leave credit to his account. In addition to above he received Rs. 27,500 from approved Super Annuation Fund.

Compute his taxable income under the head 'Salaries' for the Assessment Year 1997-98.

श्री रामकृष्ण 1 अक्टूबर, 1983 से इन्दौर के एक कपड़ा मिल में लिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं। 1 जनवरी, 1994 से उनको प्रतिमाह 7,800 रु. का मूल वेतन तथा 1,300 रु. का महँगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। 1 जुलाई, 1996 को कर्मचारियों की छंटनी के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तथा 1,20,000 रु. क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में उनको दिये गये। उन्हें 1,42,500 रु. ग्रेच्युइटी के भी दिये गये। उनके खाते में जमा 3 माह के अर्जित अवकाश के बदले में भी उन्हें 23,400 रु. दिये गये। उपरोक्त राशियों के अतिरिक्त उनको अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से भी 27,500 रु. प्राप्त हुए।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Taxable Income from Salary of Shri Ram Krishan for the A.Y. 1997-98

			Rs.
Basic Salary (7,800 × 3)			23,400
Dearness allowance (1,300 × 3)			3,900
Compensation for loss of employment Rs.		1,20,000	
Less .	Amount exempt	50,000	70,000
	Gratuity received	1,42,500	
Less ·	Amount Exempt	68,250	74,250
	Earned Leave Salary received	23,400	
Less :	Amount Exempt	23,400	–
Amount Received from Approved Super Annuation fund which is fully exempt from tax			–
	Gross Income from Salaries		1,71,550
Less : Standard Deduction u/s 16(*i*)			15,000
	Taxable Income from Salaries		1,56,550

टिप्पणी—(i) छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति में निम्न दो राशियों में से कम वाली राशि कर-मुक्त होती है—

(अ) नौकरी के प्रत्येक वर्ष पर 15 दिन का औसत वेतन = (7,800 × 3 + 1,300 × 3) = Rs. 27,300 ÷ 91 × 15 × 13 = Rs. 58,500

(ब) 50,000 रु.। सरकार द्वारा अभी तक कोई राशि घोषित नहीं की गई है। अत: अधिकतम सीमा 50,000 रु. मानकर ही प्रश्न हल किया गया है।

वेतन से अभिप्राय छंटनी के पूर्व के तीन माह के औसत वेतन से है तथा 6 माह से अधिक की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाता है।

(ii) अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युइटी की राशि में से ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार निम्न तीन राशियों में से सबसे कम वाली राशि कर मुक्त होती है—

(अ) प्राप्त ग्रेच्युइटी 1,42,500 रु. (ब) 1,00,000 रु.

(स) नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। इस राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है—

$$9,100 \times \frac{15}{26} \times 13 = 68,250 \text{ रु.}$$

(iii) छंटनी के कारण नौकरी से अलग होने के समय अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होती है।

(iv) अर्जित अवकाश के बदले 3 माह का मूल वेतन प्राप्त किया गया है जो नियमानुसार कर-मुक्त है।

Illustration 27.

Shri Hari Om was a manager in a factory in Delhi in which only 8 persons are employed. He got Rs. 10,000 p.m. as basic pay, Rs. 2,000 per month as dearness allowance (under the terms of employment) and Rs. 1,250 p.m as house rent allowance. He resides in his own house. He got Rs. 20,000 as travelling allowance, but he spent only Rs. 14,000 on travelling.

He retired on 1st January 1997 and got Rs. 2,00,000 as gratuity and Rs. 2,50,000 as accumulated balance in his unrecognised provident fund. His own contribution and that of the factory to this fund was equal. He also received Rs. 1,20,000 being the amount of salary including dearness allowance for 10 months' earned leave to his credit at the time of retirement.

He was allowed to get pension of Rs. 5,000 per month, three fourth of which was commuted for Rs. 1,50,000. He commenced service of this factory on 1st April, 1966 and his average salary during the 10 calendar months immediately preceding his retirement was Rs. 12,000 including dearness allowance.

Compute the taxable income from salary of Shri Hari Om for the assessment year 1997-98.

श्री हरिओम दिल्ली में एक कारखाने में प्रबन्धक थे जिसमें केवल 8 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। उन्हें 10,000 रु. प्रतिमाह मूल वेतन, 2,000 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता (सेवा-शर्तों के अनुसार) एवं 1,250 रु. प्रतिमाह मकान किराया भत्ता मिलता था। वे स्वयं के मकान में रहते हैं। उन्हें 20,000 रु. यात्रा भत्ता मिला, किन्तु उन्होंने यात्रा पर केवल 14,000 रु. व्यय किया।

वे 1 जनवरी, 1997 को सेवानिवृत्त हुए तथा उन्हें 2,00,000 रु. गेच्युइटी और 2,50,000 रु. अपने अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड की एकत्रित राशि के प्राप्त हुए। इस फण्ड में उनका तथा फैक्ट्री का अंशदान समान था। उनको सेवा-निवृत्ति के समय 10 माह के जमा अर्जित अवकाश के बदले में महँगाई भत्ते सहित वेतन के 1,20,000 रु. प्राप्त हुये।

उन्हें 5,000 रु. प्रतिमाह पेन्शन स्वीकृत की गई, जिसके $\frac{3}{4}$ भाग के बदले उन्होंने 1,50,000 रु. प्राप्त कर लिए। उन्होंने इस फैक्ट्री में सेवा 1 अप्रैल, 1966 को प्रारम्भ की थी तथा सेवा-निवृत्ति से तुरन्त पूर्व के दस कलैण्डर महीनों में उनका औसत मासिक वेतन महँगाई भत्ते-सहित, 12,000 रु. रहा था।

1997-98 कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री हरिओम की वेतन से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए। **[Ajmer, B. Com., 1988, Sukhadia Uni. B. Com. 1997.]**

Solution :

Computation of Taxable Income from Salary of Shri Hari Om for the A. Y. 1997-98

	Rs.
Salary (10,000 × 9)	90,000
Dearness Allowance (2,000 × 9)	18,000
House Rent Allowance (1,250 × 9)	11,250

Travelling Allowance	6,000
Gratuity (2,00,000 – 1,80,000)	20,000
Amount received from unrecognised P. F.	1,25,000
Earned Leave Salary (1,20,000 – 96,000)	24,000
Commuted value of Pension (1,50,000 – 66,667)	83,333
Non-commuted part of pension (1,250 × 3)	3,750
Gross Income from Salary	3,81,333
Less : Standard Deduction (Maximum)	15,000
Taxable Income from Salary	3,66,333

टिप्पणी—(1) श्री हरिओम पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू नहीं होता है। इनको प्राप्त ग्रेच्युइटी के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी—

(अ) वास्तविक प्राप्त राशि 2,00,000 रु.,

(ब) नौकरी के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का वेतन, अर्थात् (12,000 × 15) = 1,80,000 रु.

(स) 2,50,000 रु.।

इस प्रकार 2,00,000 रु. की प्राप्त राशि में 1,80,000 रु. कर मुक्त होंगे एवं शेष 20,000 रु. कर योग्य होंगे।

(2) अर्जित अवकाश वेतन के सम्बन्ध में निम्न में से सबसे कम राशि कर-मुक्त होगी—

(i) वास्तविक प्राप्त राशि 1,20,000 रु.,

(ii) अर्जित अवकाश की स्वीकृत अवधि के लिए औसत वेतन = 12,000 × 10 = 1,20,000 रु.,

(iii) 8 माह का औसत वेतन = 12,000 × 8 = 96,000 रु.

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राशि अर्थात 1,35,360 रु.।

इस प्रकार 1,20,000 रु. में से 96,000 रु. कर मुक्त एवं शेष 24,000 रु. कर योग्य होंगे।

ग्रेच्युइटी एवं अर्जित अवकाश दोनों के लिए औसत वेतन से अभिप्राय अवकाश ग्रहण करने वाले माह के तुरन्त पूर्व के 10 माह के औसत वेतन से होगा। वेतन में महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है क्योंकि यह सेवा-शर्तों के अनुसार देय है।

(3) श्री हरिओम को ग्रेच्युइटी भी मिलती है। अतः सम्पूर्ण पेंशन का $\frac{1}{3}$ भाग ही कर-मुक्त होगा। इसकी गणना निम्न प्रकार होगी—

$$1,50,000 \times \frac{4}{3} \times \frac{1}{3} = 66,667 \text{ रु.}$$

इस प्रकार 1,50,000 रु. में से 66,667 रु. कर मुक्त एवं शेष 83,333 रु. कर-योग्य होंगे।

Illustration 28.

Mr. Raghav was employed in a firm as a clerk since 15th July, 1993. From 1-4-1995 he was receiving salary @ Rs. 2,000 p m., dearness allowance @ Rs. 500 p.m. and entertainment allowance @ Rs. 200 p.m. The firm has

provided him a motor car of 14 horse power for his official and private use. The running and maintenance costs (including driver) are borne by the firm. He was employed in this firm upto 30-9-1996 as he submitted his resignation on 31-8-1996 with effect from 1-10-1996 by giving one month's notice in advance.

He was appointed as an accountant in Government of Rajasthan on 1st November, 1996 where he received Rs. 2,000 p.m. as basic salary, 150% dearness allowance and 10% city compensatory allowance of basic salary. He was also given house rent allowance @ Rs. 500 p.m. and entertainment allowance @ Rs. 300 p.m.

Mr. Raghav has not incurred any expenditure on entertainment for his official duties. He was living in his parental house upto 31-12-1996 and thereafter started living in a rented accomodation for which he paid Rs. 600 per month.

Compute taxable income from salary of Mr. Raghav for the assessment year 1997-98.

श्री राघव 15 जुलाई, 1993 से एक फर्म में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें 1 अप्रैल, 1995 से 2,000 रु. प्रतिमाह वेतन, 500 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता और 200 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त हो रहा था। फर्म ने उनको कार्यालय एवं निजी उपयोग के लिये 14 हार्सपावर की मोटर कार की सुविधा प्रदान की है। उसके चलाने एवं रख रखाव के समस्त खर्चे (ड्राइवर सहित) फर्म द्वारा वहन किये जाते हैं। उन्होंने इस फर्म में 30-9-96 तक सेवाएँ दी क्योंकि उन्होंने 1-10-96 से त्याग पत्र दिये जाने सम्बन्धी एक माह की अग्रिम सूचना 31-8-1996 को ही प्रस्तुत कर दी थी।

1 नवम्बर, 1996 को उनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार में लेखापाल के पद पर हुई जहाँ उनको 2,000 रु. प्रतिमाह मूल वेतन तथा मूल वेतन का 150% महँगाई भत्ता व 10% नगर पूरक भत्ता मिलता है। उन्हें 500 रु. प्रतिमाह मकान किराया भत्ता तथा 300 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता भी मिलता है।

श्री राघव ने मनोरंजन भत्ते की कोई भी राशि कार्यालय के लिये व्यय नहीं की है। 31-12-1996 तक वे अपने पैतृक मकान में रह रहे थे तथा उसके पश्चात् किराये के मकान में रहने लगे तथा 600 रु. प्रतिमाह की दर से किराया चुकाया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री राघव की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Taxable Income from Salary of Mr. Raghav for the A.Y. 1997-98

	Rs.
From firm :	
Salary for 6 months	12,000
Dearness allowance	3,000
Entertainment allowance	1,200
Value of car-facility	5,400

From Government :		
Salary for 4 months (from Nov. to Feb.)		8,000
Dearness allowance		12,000
City Compensatory allowance		800
House rent allowance –		
Taxable in full for Nov. & Dec.		1,000
Amount received for Jan. & Feb.	1,000	
Less : Amount exempt	800	200
Entertainment allowance		1,200
Gross income from Salary		44,800
Less : Standard deduction @ $33\frac{1}{3}\%$	14,933	
For entertainment allowance	1,200	16,133
Taxable income from salary		28,667

टिप्पणी—(i) दोनों नियोक्ताओं के कर योग्य मौद्रिक भुगतानों को जोड़ने पर श्री राघव विशिष्ट कर्मचारी हो जाते है। अत: कार की सुविधा कर-योग्य हो जाती है। इसका मूल्यांकन 900 रु. प्रतिमाह की दर से किया गया है।

(ii) मार्च 1997 में श्री राघव सरकारी कर्मचारी हैं अतः मार्च का वेतन अगले वर्ष कर योग्य होगा।

(iii) सरकारी कर्मचारी की दशा में मनोरंजन भत्ते की कटौती अवश्य दी जाती है।

(iv) स्वयं के मकान में रहने की अवधि के लिये मकान किराये भत्ते की कटौती नहीं दी जाती है। अतः यह कटौती 2 माह के लिये ही दी गई है। निम्न राशियों में से सबसे कम वाली राशि कर मुक्त की गई है—

(अ) प्राप्त राशि 1,000 रु. (ब) वेतन का 40% = 1,600 रु.

(स) खर्च की गई राशि—वेतन का 10% अर्थात् 1,200-400 = 800

विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यो के लिए वेतन से आशय

	उद्देश्य	वेतन से आशय
1.	ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होने पर ग्रेच्युइटी की कर-मुक्त राशि।	(मूल वेतन + महँगाई भत्ता)
2.	मनोरंजन भत्ते की कटौती योग्य राशि।	मूल वेतन
3.	गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा	(मूल वेतन + महँगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार मिलता हो)
4.	मकान किराया भत्ता	"
5.	ग्रेच्यूइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू न होने पर ग्रेच्युइटी की कर-मुक्त राशि।	"

	उद्देश्य	वेतन से आशय
6.	प्रॉवीडेण्ट फण्ड में नियोक्ता का एवं कर्मचारी का अंशदान।	"
7.	अर्जित अवकाश वेतन की कर-मुक्त राशि।	"
8.	मुफ्त या रियायती दर पर रहने के मकान की सुविधा।	(वेतन + भत्ते + कमीशन + बोनस) परन्तु निम्न राशियों को छोड़कर— A. महंगाई भत्ता यदि वह सेवा-शर्तों के अनुसार नहीं मिलता हो। B. कर-मुक्त भत्ते, जैसे—सवारी भत्ता। C. मनोरंजन भत्ते का कटौती योग्य भाग।
9.	कर्मचारी विशिष्ट है अथवा अविशिष्ट इस आशय हेतु वेतन की गणना।	(मुद्रा में मिलने वाली सभी राशियाँ जो वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय में सम्मिलित होती हैं।)

स्पष्टीकरण—Gestetner Duplicators (P) Ltd. v/s CIT के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को वेतन का भाग माना जायेगा। इस निर्णय के अनुसार ऐसा कमीशन, वाक्यांश (1) से (7) में वेतन की परिभाषा में सम्मिलित किया जायेगा।

सारांश
(Summary)

1. वेतन की परिभाषा—वेतन में मजदूरी, वार्षिकी, ग्रेच्यूइटी, पेंशन, फीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन के बदले लाभ, अग्रिम वेतन, अर्जित अवकाश के समर्पण पर प्राप्त राशि, प्रमाणित भविष्य निधि में वार्षिक वृद्धि एवं हस्तान्तरित शेष का कर-योग्य भाग सम्मिलित होता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु—(i) वेतन की आय प्राप्य होने या प्राप्त होने में से जो भी घटना पहले घटित हो जाये उसी गत वर्ष में कर योग्य हो जाती है। (ii) सरकारी कर्मचारी पर मार्च से फरवरी तक के वेतन पर कर लगता है जबकि गैर-सरकारी कर्मचारी पर अप्रैल से मार्च तक के वेतन पर कर लगता है। (iii) लोक सभा अथवा विधान सभा के सदस्यों के वेतन पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता है। संचालक एवं चार्टर्ड अकाउण्टैण्ट यदि कर्मचारी नहीं हैं तो उनके पारिश्रमिक पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता है।

2. भत्ते—आय-कर लगाने के उद्देश्य से भत्ते निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) **कर-योग्य भत्ते**—महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, वार्डन भत्ता, डेप्यूटेशन भत्ता, प्रोक्टर भत्ता, प्रोजेक्ट भत्ता, जलपान भत्ता, नौकर रखने के लिए भत्ता आदि।

(ii) खर्च की गई सीमा तक कर मुक्त भत्ते—सवारी भत्ता, यात्रा भत्ता, सहायक रखने का भत्ता, वर्दी भत्ता, शैक्षणिक अनुसन्धान सम्बन्धी भत्ता आदि।

(iii) निश्चित सीमा तक कर मुक्त भत्ते—

(अ) बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता	50 रु. प्रतिमाह की दर से दो बच्चों तक के लिए कर-मुक्त, शेष कर-योग्य।
(ब) बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ता	150 रु. प्रतिमाह की दर से दो बच्चों तक के लिए कर-मुक्त, शेष कर योग्य।
(स) जनजाति क्षेत्र भत्ता	घोषित राज्यों (मध्यप्रदेश सहित) में 100 रु. प्रतिमाह तक कर मुक्त, शेष कर-योग्य। राजस्थान में कर मुक्त नहीं होता।
(द) पहाड़ी क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता	समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर 150 रु. से, 1200 रु. प्रति माह तक कर मुक्त।
(य) सीमा क्षेत्र भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, तनाव क्षेत्र भत्ता	100 रु. से 1100 रु. प्रतिमाह तक कर मुक्त
(फ) यातायात संचालन में लगे हुए कर्मचारियों को विशेष भत्ता	भत्ते की राशि का 70% या 3,000 रु. प्रतिमाह दोनों में जो भी कम हो, उस सीमा तक कर-मुक्त
(ग) क्षतिपूरक, रणभूमि क्षेत्र भत्ता	975 रु. प्रतिमाह कर-मुक्त
(ह) क्षतिपूरक संशोधित रणभूमि क्षेत्र भत्ता	375 रु. प्रतिमाह कर-मुक्त
(ञ) उपद्रव नियन्त्रण भत्ता	975 रु. प्रतिमाह कर-मुक्त

(iv) कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर कर मुक्त भत्ते—

(अ) मकान किराया भत्ता दी गई तीन राशियों में से सबसे कम वाली राशि कर मुक्त	1. भत्ते के रूप में प्राप्त राशि 2. कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं दिल्ली में वेतन का 50% एवं अन्य स्थानों पर 40% 3. वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया
(ब) मनोरंजन भत्ता सरकारी कर्मचारी की दशा में 1. प्राप्त भत्ते की रकम	 गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में 1. प्राप्त भत्ते की रकम

2. मूल वेतन का 20%	2. मूल वेतन का 20%
3. 5,000 रु. (जो भी कम हो)	3. 7,500 रु.
	4. वित्तीय वर्ष 1954-55 से लगातार एवं नियमित रूप से प्राप्त राशि (जो भी कम हो)

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—मकान किराये भत्ते की कर मुक्त राशि को घटाकर शेष राशि को कर योग्य बनाया जाता है जबकि मनोरंजन भत्ते की सम्पूर्ण राशि को पहले तो वेतन की सकल आय में जोड़ा जाता है तथा बाद में वेतन की सकल आय में से कटौती दी जाती है।

3. अनुलाभ—आय कर लगाने के उद्देश्य से अनुलाभ निम्न प्रकार के होते हैं—

(अ) सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ

(i) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ सामान्यतः कर मुक्त हैं परन्तु विशिष्ट कर्मचारी गैर अनुमोदित अस्पताल में इलाज कराये तो 10,000 रु. तक ही कर मुक्त है। (ii) मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएँ (iii) नाश्ते की सुविधा (iv) घर पर टेलीफोन की सुविधा (v) रियायती दर पर भोजन की सुविधा (vi) यातायात की सुविधा (vii) प्रशिक्षण की सुविधा (viii) नियोक्ता के मकान में माली की सुविधा (ix) अपने ही साधनों से गैस, बिजली, पानी की सुविधा (x) विदेश में दी गई सुविधा (xi) न्यायाधीशों को आवास की सुविधा आदि।

(ब) सभी कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ

(1) रहने के लिए मकान की सुविधा का मूल्यांकन

(i) सरकारी कर्मचारी के लिए	सरकारी नियमानुसार अर्थात् मकान मुफ्त न देने पर जो किराया काटा जाता
(ii) अर्द्धसरकारी कर्मचारी के लिए	वेतन का 10% अथवा उचित किराया दोनों मे जो भी कम हो।
(iii) निजी क्षेत्र के कर्मचारी	
उचित किराया 10% से अधिक नहीं हो	वेतन का 10% अथवा उचित किराया दोनों में जो भी कम हो
उचित किराया 10% से अधिक हो परन्तु 50% से अधिक नहीं हो। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं दिल्ली में 60% से अधिक न हो	वेतन का 10%
उचित किराया 50% अथवा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं	उचित किराया—वेतन का 40%
दिल्ली में 60% से अधिक हो।	उचित किराया—वेतन का 50%

(2) रियायती दर पर मकान की सुविधा का मूल्यांकन

उपरोक्त (1) के अनुसार गणना–कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया

(3) कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान
वास्तविक भुगतान की गई राशि कर-योग्य

(4) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान
वास्तविक भुगतान की गई राशि कर योग्य

(स) विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ

विशिष्ट कर्मचारियों में (i) कम्पनी के संचालक (ii) कम्पनी में 20% मताधिकार रखने वाला कर्मचारी एवं (iii) वे कर्मचारी जिनकी वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय (गैर मौद्रिक आय के अलावा) 24,000 रु. से अधिक हो, आते हैं।

(i) कार की सुविधा—	
1. केवल कार्यालय के लिए	कोई मूल्यांकन नहीं
2. पूर्णतः निजी प्रयोगके लिए	खर्च की गई राशि मय उचित ह्रास के
3. आंशिक रूप से कार्यालय के लिए और आंशिक रूप से निजी प्रयोग	
A यदि सभी व्यय नियोक्ता वहन करता है	
16 हॉर्स पावर तक की कार के लिए	600 रु. प्रतिमाह
16 हार्स पावर से अधिक की कार के लिए	800 रु. प्रतिमाह
B. यदि नियोक्ता केवल कार्यालय के व्यय वहन करता है.	
16 हॉर्स पावर तक की कार के लिए	200 रु. प्रतिमाह
16 हॉर्स पावर से अधिक की कार के लिए	300 रु. प्रतिमाह
(वाक्यांश (3) में ड्राइवर की सुविधा होने पर)	300 रु. प्रतिमाह
(ii) गैस बिजली पानी की सुविधा	वास्तविक राशि
यदि कर्मचारी इनका कार्यालय के लिए भी प्रयोग करे	वास्तविक राशि या वेतन का $6\frac{1}{4}\%$ जो भी कम हो।
(iii) घरेलू नौकरों की सुविधा	
(अ) फर्राश, चौकीदार एवं माली की सुविधा के लिये	120 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह

	(iv) 30-6-1995 तक 1,30,320 रु. तथा 1-7-1995 से 1,35,360 रु।
7. छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति : दी हुई दो राशियों में कम वाली राशि कर मुक्त, शेष कर-योग्य	(i) सेवा के वर्ष × 15 × औसत वेतन (ii) अथवा 50,000 रु. (जो कम हो)
8. यात्रा व्यय में सहायता— चार वर्षों के समूह 1986-89, 1990-93 एवं 1994-97 में दो बार कर मुक्त	तीसरी बार सम्पूर्ण राशि कर योग्य। दो बार में भी यदि नियोक्ता वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये की राशि से ज्यादा भुगतान करेगा तो शेष कर योग्य हो जायेगी।
9. भविष्य निधि की कर योग्य रकमें	
(i) प्रमाणित भविष्य निधि में	
(अ) नियोक्ता का अंशदान	वेतन के 10% से अधिक कर योग्य
(ब) प्रतिवर्ष जमा ब्याज	12% से अधिक कर-योग्य
(स) एकत्रित मिली राशि	5 वर्ष सेवा करने पर कर-मुक्त
(ii) अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि	स्वयं के अंशदान एवं उसके ब्याज को छोड़ कर शेष राशि कर योग्य
10. वेतन की सकल आय में से कटौतियाँ	
(i) प्रमाणिक कटौती	सभी करदाताओं के लिए वेतन की सकल आय का $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 18,000 रु. (जो भी कम हो) परन्तु यदि कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय मानक कटौती देने से पूर्व 60,000 रु. से अधिक हो तो कटौती 15,000 रु. की ही दी जायेगी। *महिला करदाताओं की कुल आय 75,000 रु. से अधिक नहीं होने पर* भी अतिरिक्त छूट मिलेगी
(ii) मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में	पूर्व में बता दिया गया है
(iii) पेशे सम्बन्धी रोजगार कर	कर्मचारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होती है।

टिप्पणी—मूल वेतन में कर्मचारी द्वारा *की गई बिक्री पर निश्चित दर से दिया गया कमीशन* सम्मिलित होता है।

प्रश्न
(Questions)

1. वेतन से आप क्या समझते हैं ? अनुलाभ और वेतन के स्थान पर लाभ में क्या-क्या शामिल किया जाता है ?
   What do you understand by the term Salary ? What is included in perquisites and in profits in lieu of Salary ?
2. वे कौन-कौन सी कटौतियाँ हैं जो वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाती हैं ?
   What are the various deductions which are to be allowed in computing income from salary.
3. नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए प्रदान की गई सुविधा का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है जबकि मकान (अ) सुसज्जित हो, (ब) असुसज्जित हो ?
   How is the value of rent free accommodation provided by the employer to the employee determined when the accommodation is (a) furnished; (b) unfurnished ?
4. एक वेतन पाने वाला कर्मचारी जिस-जिस प्रावीडेन्ट फण्ड का सदस्य बन सकता हो, उनके नाम बताइये और उनमें से प्रत्येक के बारे में जो आय-कर विधान है, उसका वर्णन कीजिए।
   Name the different kinds of Provident funds to which a salaried employee may be a member and state the income-tax provisions regarding each.
5. एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिये गये निम्न अनुलाभों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे ? उदाहरण सहित विवेचन कीजिए।
   (i) चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण;
   (ii) माली, चौकीदार एवं फर्राश की सुविधा;
   (iii) निःशुल्क मोटर कार की सुविधा;
   (iv) गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा।
   Explain with suitable examples, how would you value the following perquisites, provided to a salaried employee by the employer :
   (i) Medical facility and Re-imbursement of Medical bills;
   (ii) Facility of gardener, watchman and sweeper;
   (iii) Free use of motor car;
   (iv) Facility of Gas, Light and Water.
6. निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिये—
   (i) ग्रेच्युइटी; (ii) मकान किराया भत्ता;
   (iii) पेंशन की एक-मुश्त राशि; (iv) अवकाश का नकदीकरण।

Write notes on the following—
(i) Gratuity; (ii) House Rent Allowance; (iii) Commutation of Pension; (iv) Encashment of leave salaries.

7 श्री रवि प्रकाश श्री राम केमिकल्स लिमिटेड, दिल्ली में 3200-200-4800 रु. के वेतनमान में 1 जून, 1990 को 3,200 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए। उन्हें वेतन का 40% महँगाई भत्ता तथा 10% नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए। यदि वे कम्पनी के बजाय सरकारी सेवा में हो तो उनकी आय कितनी होगी?

Shri Ravi Prakash was appointed on 1st June, 1990 in the Shri Ram Chemicals Ltd. Delhi in the pay scale of 3200-200-4800 on initial pay of Rs. 3,200. He is paid 40% of pay as dearness allowance and 10% of pay as city compensatory allowance. Compute his gross income under the head 'Salaries' for the assessment year 1997-98.
What would be his income if he is in Government service instead of Company's service. [11]

उत्तर—78,600 रु. एवं 78,300 रु.।

8. निम्न सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री राकेश की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए :
   (i) मूल वेतन 2,000 रु. प्रतिमाह। 28 फरवरी, 1997 को उन्होंने 3 माह का मूल वेतन अग्रिम प्राप्त किया।
   (ii) महँगाई भत्ता 300 रु. प्रतिमाह।
   (iii) मनोरंजन भत्ता 200 रु. प्रतिमाह।
   (iv) जनजाति-क्षेत्र भत्ता 100 रु. प्रतिमाह।
   (v) पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 200 रु. प्रतिमाह।
   (vi) उनको 100 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चे की दर से 2 बच्चों के लिये बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त होता है।
   (vii) उनको 150 रु. प्रतिमाह एक बच्चे के होस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता प्राप्त होता है।

वे राजस्थान प्रान्त के उदयपुर जिले में ऐसे स्थान पर कार्यरत हैं जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1100 मीटर है।

On the basis of following informations, compute the gross income from salary of Mr. Rakesh for the assessment year 1997-98 :
   (i) Basic Pay @ Rs. 2,000 per month. He took 3 months basic salary in advance on 28 the Feb. 1997.
   (ii) Dearness allowance @ Rs. 300 per month.
   (iii) Entertainment allowance @ Rs. 200 per month.
   (iv) Triabal area allowance @ Rs. 100 per month.
   (v) Hill area compensatory allowance @ Rs. 200 per month.
   (vi) Children Education Allowance for two children @ Rs. 100 per month per child.

(vii) Allowance to meet hostel expenditure of a child @ Rs. 150 per month.

He is employed at a place in Udaipur district of Rajasthan Province which is 1100 meter high above the sea level.

उत्तर—37,000 रुपये। [12]

9. निम्न दशाओं में देहली के श्री उमेश की मकान किराया भत्ता की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए :

(अ) मूल वेतन 4,000 रु. प्रतिमाह, महँगाई भत्ता 500 रु. प्रतिमाह (सेवा शर्तों के अनुसार), मकान किराया भत्ता 600 रु. प्रतिमाह। करदाता 600 रु. प्रतिमाह किराया चुकाता है।

(ब) मूल वेतन 3,000 रु. प्रतिमाह, 10,00,000 रु. की बिक्री पर 1% की दर से कमीशन, मकान किराया भत्ता 500 रु. प्रतिमाह। करदाता 1,000 रु. प्रतिमाह किराया चुकाता है।

(स) मूल वेतन 2,500 रु. प्रतिमाह, महँगाई भत्ता 250 रु. प्रतिमाह, मकान किराया भत्ता 250 रु. प्रतिमाह। करदाता अपने पिता के साथ पैतृक मकान में रहता है। क्या फर्क पड़ेगा यदि करदाता जयपुर में रहता हो।

Calculate the taxable amount of Shri Umesh of Delhi from House rent allowance in the following cases :

(a) Basic pay @ Rs. 4,000 per month, dearness allowance @ Rs. 500 per month (under the terms of employment), house rent allowance @ Rs. 600 per month. The assessee pays a rent of Rs. 600 per month.

(b) Basic pay @ Rs. 3,000 per month, commission @ 1% on sales of Rs. 10,00,000, house rent allowance @ Rs. 500 per month. The assessee pays a rent of Rs. 1,000 per month.

(c) [illegible]

उत्तर—(अ) 5,400 रु., (ब) शून्य (स) 3,000 रु.। [13]

करदाता का मकान जयपुर में होने पर भी कर-योग्य राशि समान होगी।

10. श्री राजेश एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में 1 जनवरी, 1965 से सेवा में थे। 1 जुलाई, 1994 से उनका वेतन 4000-250-6000 रु. के वेतनमान में 4,500 रु. पर स्थिर किया गया। उन्हें मूल वेतन का 15% महँगाई भत्ता मिलता था जो निवृत्ति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है। वे 1 फरवरी, 1997 को सेवा निवृत्त हो गये। उन्हें अपने नियोक्ता से 1,20,000 रु. ग्रेच्युइटी के प्राप्त हुए। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए यदि उन पर—

(अ) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होता है।

(ब) ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू नहीं होता है।

Shri Rajesh was employed since 1st January, 1965 in a commercial establishment. His salary was fixed at Rs. 4,500 in the grade 4000-250-6000 with effect from 1st July, 1994. He got 15% of his salary as dearness allowance which is treated as salary for computation of retirement benefits. He retired from service on 1st Feb, 1997. He received Rs. 1,20,000 as gratuity from his employer. Calculate his gross income under the head "Salaries" for the assessment year 1997-98 if–
(a) Payment of Gratuity Act, 1972 applies.
(b) Payment of Gratuity Act, 1972 does not apply.
उत्तर—76,637 रु. एवं 86,018 रु. [14]

11. श्री कमल 1 मार्च 1984 को बीकानेर प्लास्टिक लिमिटेड, बीकानेर में एक श्रमिक के रुप में 600-40-800-60-1100-75-2000 रु. के वेतनमान में 720 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए। श्रमिकों की संख्या में कमी किये जाने के कारण उनको 1 नवम्बर 1996 को सेवा निवृत्त कर दिया गया तथा इसके लिये उन्हें 17,500 रु. की राशि क्षति पूर्ति के रूप में दी गई। वे प्रति वर्ष की सेवा के लिये 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और निवृत्ति के समय उनके खाते में 6 माह का अर्जित अवकाश जमा था जिसके भुगतान में नियोक्ता द्वारा उनको 8,850 रु. दिये गये।
श्री कमल की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए।
Shri Kamal was appointed as a workman by Bikaner Plastics Limited, Bikaner on 1st March, 1984 in the scale of Rs. 600-40-800-60-1100-75-2000 on starting salary of Rs. 720. He was retired from service on 1st November, 1996 on account of reduction in the number of workman and Rs. 17,500 were paid to him as compensation for the same. He was entitled to earned leave of 30 days for each year of service and at the time of retirement 6 months earned leave was at his credit for the encashment of which he was paid Rs. 8,850 by his employer.
Compute the gross income of Shri Kamal under the head "Salaries" for the assessment year 1997-98.
उत्तर—18,536 रु.। [15]

12. श्री काशीराम एक कम्पनी में 1-4-1969 से कार्यरत थे। 1 जुलाई 1992 से उनका वेतन 2500-150-4000-200-5000 रु. के वेतनमान में 2,950 रु. पर स्थिर किया गया। सेवा नियमों के अनुसार कम्पनी 3,500 रु. प्रति माह तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 15% की दर से महँगाई भत्ता प्रदान करती है। इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये महँगाई भत्ते की दर 12% ही निर्धारित की गई है। श्री काशीराम 1 दिसम्बर, 1996 को सेवा से निवृत्त हुए। सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनको 1,200 रु. प्रतिमाह की पेंशन स्वीकृत हुई। उन्होंने 1 जनवरी, 1997 से अपनी पेंशन के 2/3 भाग के बदले एक मुश्त राशि लेना पसन्द किया तथा कम्पनी से उनको इस सम्बन्ध में 32,000 रु. की राशि प्राप्त हुई। श्री काशीराम को मूल वेतन का 20% मकान किराया

भत्ता भी प्राप्त होता था। वे किराये के मकान में रहते हैं तथा 800 रु. प्रतिमाह किराया चुकाते हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री काशीराम की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए।

Shri Kashi Ram was employed in a firm since 1-4-1969. His salary was fixed at Rs. 2,950 in the grade 2500-150-4000-200-5000 with effect from 1st July, 1992. As per Service Rules the Company pays dearness allowance @ 15% of basic pay to those employees whose basic pay does not exceed Rs. 3,500 per month. Employees getting more than Rs. 3,500 per month as basic pay, are paid only 12% of basic pay as dearness allowance. Shri Kashi Ram retired from service on 1st December, 1996. After his retirement, he was sanctioned an amount of Rs. 1,200 p.m. as pension. He opted to get 2/3rd of his pension commuted from 1st January, 1997 and received Rs. 32,000 from the Company as the commuted amount. Shri Kashi Ram also received house rent allowance @ 20% of his basic salary. He lives in a rented house and pays Rs. 800 per month for the same.

Compute the gross income from salary of Shri Kashi Ram for the assessment year 1997-98.

उत्तर—43,995 रु.। [16]

13. जयपुर के भारत सिन्थेटिक्स लिमिटेड, की श्रीमती बिमला की 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष की वेतन तथा अन्य आयें निम्न प्रकार थीं—
   (अ) वेतन, 1,500 रु. प्रतिमाह
   (ब) दो माह के वेतन के बराबर बोनस राशि।
   (स) बिक्री पर कमीशन 6,000 रु. जो उसके द्वारा की गई बिक्री पर 2% की दर से ज्ञात किया गया।
   (द) 500 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता।
   (य) 400 रु. प्रतिमाह जन जाति (Tribal) क्षेत्र भत्ता।
   (र) उसे 600 रु. प्रतिमाह किराया तथा 250रु. प्रतिमाह साज-सज्जा की निःशुल्क सुसज्जित आवास सुविधा प्राप्त थी।
   (ल) उसे कम्पनी में 300 कार्य-दिनों में 10 रु. दैनिक मूल्य की निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध हुई। वह इस कम्पनी की सेवा में 30 वर्ष से है। भोजन की व्यवस्था के लिये भुगतान सीधे रेस्टोरेण्ट को किया गया था।
   (व) उसने कम्पनी के प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में 500 रु. प्रतिमाह अंशदान दिया; जिसमें कम्पनी का अंशदान समान राशि का रहा। इस फण्ड में $12\frac{1}{2}$% ब्याज की दर से 10,000 रु. ब्याज के जमा किये गये।
   (ह) वह निम्न कटौतियाँ पाने का दावा करती है—
   (i) 600 रु. प्रतिमाह मोटरगाड़ी रखने तथा उसका ह्रास सम्बन्धी व्यय, (ii) व्यवसाय के लिए आवश्यक पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं पर 1,000 रु. का,

व्यय, (iii) मनोरंजन भत्ते की सम्पूर्ण राशि (iv) अपने आवास में प्रकाश तथा पानी पर किया गया 1,000 रु. का वार्षिक व्यय।

कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्रीमती बिमला की वेतन की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Smt. Bimla of Bharat Synthetics Ltd., Jaipur has the following salary and other incomes for the year ending as on 31st March, 1997 –

(a) Salary @ Rs. 1,500 p.m.
(b) Bonus equal to two months' salary.
(c) Commission Rs. 6,000 calculated @ 2% on the sales effected by her.
(d) Entertainment allowance @ Rs. 500 p.m.
(e) Tribal Area allowance @ Rs.400 p.m.
(f) She was provided free furnished accommodation, the rental value being Rs. 600 p.m. and the rental value of furniture Rs. 250 p.m.
(g) She was provided free lunch for 300 days, the value of lunch being Rs. 10 per day. She is employed in the service of this Company [illegible]
(h) [illegible]

The amount of interest credited in this fund was Rs. 10,000 @ $12\frac{1}{2}\%$ per annum.

(i) She claims following deductions –
   (i) Rs. 600 p.m. being the expenditure and depreciation of a motor car used by her.
   (ii) Rs. 1,000 spent by her on books and Journals necessary in the performance of her duties.
   (iii) The full amount of entertainment allowance.
   (iv) Annual expenditure of Rs. 1,000 at her residence on light and water.

Compute the Income from Salary of Smt. Bimla for the assessment year 1997-98. [17]

उत्तर—वेतन शीर्षक की आय 32,387 रु.। संकेत—जन-जाति (Tribal) क्षेत्र भत्ता राजस्थान में कर मुक्त नहीं है। मकान की सुविधा का मूल्य 6,780 रु. होगा। प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में जमा ब्याज में से 400 रु. कर-योग्य हैं। श्रीमती बिमला विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आयेगी।

14. श्री रमेशचन्द्र जो भारत में निवासी है, देहली में एक कपड़ा मिल में प्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के सम्बन्ध में उनकी आय का वर्णन निम्न है—

   (i) वेतन 2,500 रु. प्रतिमाह। (श्री रमेश अपने कार्यालय के कार्य के लिए तीन माह के लिए जर्मनी गये। उन्होंने उक्त अवधि का वेतन जर्मनी में प्राप्त किया।)

(ii) बोनस 6,000 रु.।

(iii) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में नियोक्ता का अंशदान 4,000 रु.।

(iv) कर्मचारी का प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान 4,000 रु। कर्मचारी ने इस फण्ड में अंशदान उपरोक्त (i) में उल्लेखित वेतन की राशि में से ही दिया है।

(v) प्रॉवीडेण्ट फण्ड में 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से कुल 12,000 रु. का ब्याज जमा किया गया।

(vi) उन्हें अपने नियोक्ता से 10,000 रु. वार्षिक मनोरंजन भत्ते के रूप में प्राप्त होता है। यह भत्ता उनको 1952 से ही मिल रहा है।

(vii) उनका एक लड़का पिलानी में अध्ययन कर रहा है जहाँ वह होस्टल में रहता है। लड़के के होस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु नियोक्ता द्वारा उनको 300 रु. प्रतिमाह की दर से विशिष्ट भत्ता दिया जा रहा है।

(viii) कम्पनी ने उनको रहने के लिए एक असुसज्जित मकान मुफ्त दे रखा है। इस मकान का नगरपालिका का मूल्यांकन 8,400 रु. वार्षिक है। यह मकान कम्पनी का है। कम्पनी ने इस मकान के सम्बन्ध में उनकी सुविधाओं पर निम्नलिखित व्यय किये—

(अ) मरम्मत पर 2,500 रु.।

(ब) माली का वेतन 1,200 रु.।

(स) बगीचे के व्यय 2,400 रु.।

(ix) कम्पनी ने उनको एक रसोइया की सुविधा प्रदान की है जिसके लिये कम्पनी 250 रु. प्रतिमाह भुगतान करती है।

रमेशचन्द्र की वेतन शीर्षक की आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उन्होंने रोजगार पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में 2,800 रु. का भुगतान किया है।

Shri Ramesh Chandra, a resident of India is employed as Manager in a Cloth Mill of Delhi. The particulars of his income for the assessment year 1997-98 are as under—

(i) Salary @ Rs 2,500 p.m. Shri Ramesh went Germany for three months in concern with the office work. He received his salary for the said period in Germany.

(ii) Rs. 6,000 as Bonus.

(iii) Employer's contribution in Recognised Provident Fund Rs. 4,000.

(iv) Employee's contribution in Provident Fund Rs. 4,000. The employee has paid the contribution in this fund from the salary mentioned above in clause (i).

(v) Interest credited to his Fund @ 12% per annum amounted to Rs. 12,000.

(vi) He gets Rs. 10,000 from his employer as Entertainment allowance since 1952.

(vii) His son is studying at Pilani where he lives in a hostel. To meet the hostel expenditure of his son his employer has granted him a special allowance of Rs. 300 p.m.

(viii) The Company has provided him an unfurnished house without any charge. The annual municipal valuation of this house is Rs. 8,400 The house is owned by the company. The company has made the following expenses for this house on his amenities:
(a) Repairs Rs. 2,500.
(b) Salary of gardner Rs. 1,200.
(c) Garden expenses Rs. 2,400.

(ix) He has been given facility of a cook by the company for which company pays Rs. 250 per month.

Compute income from salary of Shri Ramesh Chandra assuming that he has paid a sum of Rs. 2,800 as tax on employment. [18]

उत्तर—वेतन शीर्षक की आय 26,520 रु.।

श्रीमती वन्दना सेठी, जो जोधपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, 1 जून, 1995 से 5000-200-7000 रु. के वेतनमान में हैं। उन्हें 1,700 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता, मूल वेतन का $6\frac{1}{4}\%$ शहरी भत्ता तथा 500 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है।

उन्हें एक सरकारी कार की सुविधा भी प्राप्त है जिसका उपयोग कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिये ही किया जाता है। उन्हें एक सरकारी बंगला भी रियायती किराये पर दिया गया है जिसका उचित किराया 1,000 रु. प्रति माह है। उनके वेतन में से इसके लिये मूल वेतन का 6% काट लिया जाता है। यदि यह मकान उनको रियायती किराये पर नहीं दिया गया होता तो किराये के लिये कटौती मूल वेतन का 10% की जाती।

वे जुलाई और अगस्त 1996 में चिकित्सा अवकाश पर रही। इस अवधि के दौरान उन्हें आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ। उनकी चिकित्सा पर व्यय के 30,000 रु. की नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई, जिसमें 13,000 रु. एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के एवं शेष एक निजी अस्पताल में चिकित्सा के हैं।

30 अप्रैल, 1996 को सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें 250 रु. प्रतिमाह अन्तरिम राहत की राशि 1 जुलाई, 1995 से मिली। नवम्बर, 1996 में उन्हें अर्जित अवकाश के बदले एक माह का मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता प्राप्त हुआ।

निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये वेतन शीर्षक में उनकी कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Smt. Vandana Sethi is an officer of Rajasthan Administrative Services in Jodhpur in the pay scale of Rs. 5000-200-7000 since 1st June 1995. She gets Rs. 1,700 p.m. as D.A., $6\frac{1}{4}\%$ of basic pay as City Allowance and Rs. 500 p.m. as Entertainment Allowance.

She has been provided a car which is used for official purpose only. She has also been provided a Govt. Bungalow at a concessional rent, the fair rent of that bungalow is Rs. 1,000 p.m. A deduction @ 6% of

her basic pay is made for the same. Had she not been provided this house at concessional rent, deduction @ 10% would have been made from her basic salary.

She had been on medical leave during the months of July and August, 96 and she received half basic pay during this period. Her medical expenses Rs. 30,000 including Rs. 13,000 for her treatment in a Govt. Hospital and the balance for her treatment in a private hospital were reimbursed by the employer.

As per announcement of the Govt. dated 30 April, 1996 she was paid an interim relief of Rs. 250 p.m. since 1st July, 1995. She received cash equivalent to one month's basic pay and DA on surrender of earned leave in Nov., 1996.

Ascertain her taxable income under head "Salary" for the assessment year 1997-98. **(M.D. Uni. B. Com. 1994, R.U.B. Com. 1997)**

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर योग्य आय 87,701 रु.। [19]

16. श्री प्रमोद बिहारी, बजाज कॉलेज, बम्बई के प्राचार्य हैं। उनको 1 जनवरी, 1994 से 3,700-150-5,700 रु. की ग्रेड मिली हुई है। उन्हें मूल वेतन का 60% महँगाई भत्ता तथा 8% नगरपूरक भत्ता मिलता है। एक सुसज्जित मकान जिसका स्वामी कॉलेज है उन्हें रहने के लिए दिया गया है, जिसका अनुमानित किराया 2,000 रु. प्रतिमाह है। इसमें 25,000 रु. की लागत का फर्नीचर भी कॉलेज का ही है। उन्हें एक 16 हॉर्स पॉवर की कार भी दी गई है, जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और कॉलेज हेतु प्रयोग के समस्त व्यय कॉलेज वहन करता है। उन्हें एक माली, एक चौकीदार तथा एक नौकर की सुविधा भी प्राप्त है जिनको क्रमशः 450 रु., 450 रु. तथा 300 रु. प्रतिमाह कॉलेज की ओर से दिया जाता है।

वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महँगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं, जिसमें कॉलेज का भी इतना ही अंशदान है। भविष्य निधि में जमा राशि पर $12\frac{1}{2}\%$ से 2,500 रु. ब्याज के जमा किये गये हैं।

यह मानते हुए कि उनको वेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्य होता है, उनकी 'वेतन शीर्षक' की कर-योग्य आय 1997-98 कर-निर्धारण वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए।

Shri Pramod Behari is the Principal of Bajaj College, Bombay. He is in the grade of Rs. 3,700-150-5,700 since 1st January, 1994. He gets 60% of basic pay as dearness allowance and 8% of the basic pay as city compensatory allowance. He has been provided with a furnished accommodation by the College owned by it of the estimated rental value of Rs. 2,000 p.m. Furniture costing Rs. 25,000 has also been [illegible]

450 p.m. and Rs. 300 p.m. respectively.

He contributes 15% of his pay and dearness allowance to the Recognised provident fund towards which the college contributes an equal amount. Interest amounting to Rs. 2,500 at $12\frac{1}{2}\%$ has been credited on the balance standing to the credit of his Provident Fund Account.

Assuming that the salary becomes due on the first of the next month, determine his taxable income under the head 'Salaries' for the assessment year 1997-98. (Raj. B. Com., 1993, 1996)

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 91,762 रु.। [20]

संकेत—फर्नीचर सहित मुफ्त मकान की सुविधा का मूल्य 10,614 रु.।

17. श्री अशोक कुमार, जयपुर कपड़ा उद्योग लिमिटेड, जयपुर में एक जुलाई, 1993 से 1,500-100-2,500 रु. की ग्रेड में कार्य कर रहे हैं। मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 500 रु. प्रतिमाह महंगाई भत्ता, 50 रु. प्रतिमाह नगर क्षतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance) तथा 250 रु. प्रतिमाह मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है। गत वर्ष 1996-97 के दौरान उनको अपने नियोक्ता से उपर्युक्त वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त निम्न सुविधायें भी प्राप्त हुई—
    (i) उनको एक 20 हॉर्स पावर की कार की सुविधा (ड्राइवर सहित) दी गई है जिसका प्रयोग वे अपने कार्यालय के साथ-साथ निजी कार्य के लिए भी करते हैं। नियोक्ता द्वारा 1 फरवरी, 1997 को इस कार की बिक्री कर दिये जाने के कारण वे अन्तिम दो माह फरवरी और मार्च, 1997 में इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके।
    (ii) श्री अशोक के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जाता है। गत वर्ष 1996-97 के दौरान कम्पनी द्वारा इस सुविधा पर 600 रु. व्यय किये गये।
    (iii) उनको प्रतिवर्ष 1 माह की छुट्टी फरवरी महीने में दी जाती है जिसमें वे दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। गत वर्ष में जब वे छुट्टियों में दार्जिलिंग गये तब उनके और उनके परिवार के आने-जाने का व्यय 1,200 रुपये कम्पनी द्वारा चुकाया गया।
    (iv) उनको एक घरेलू नौकर की सुविधा कम्पनी द्वारा दी गई है जिसे कम्पनी 100 रु. प्रतिमाह चुकाती है।
    (v) वे एक प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड के सदस्य हैं जिसमें वे अपने वेतन व महँगाई भत्ते का 12% अंशदान के रूप में देते हैं। इतनी ही राशि कम्पनी द्वारा चुकायी जाती है।
    (vi) उसके भविष्य निधि के जमा शेष पर 13% की दर से 2,600 रु. ब्याज के जमा किये गये हैं।
    (vii) उसने अपने अवयस्क बच्चे के इलाज पर गत वर्ष में 12,000 रु. व्यय किये। सम्पूर्ण व्यय का पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा कर दिया गया। इलाज एक निजी चिकित्सालय में करवाया गया था।

यह मानते हुए कि श्री अशोक कुमार अपने पैतृक मकान में रहते हैं तथा इस कम्पनी में उनका सारवान हित है, श्री अशोक कुमार की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri Ashok Kumar is employed in Jaipur Textile Industry Ltd., Jaipur from 1st July, 1993 in the grade Rs 1,500-100-2,500. In addition to his basic salary he is given dearness allowance @ Rs. 500 p.m., City Compensatory Allowance @ Rs. 50 p.m., and House Rent Allowance @ Rs. 250 p.m. During the previous year 1996-97 he received following amenities in addition to above mentioned salary and allowances—

(i) He has been provided the facility of a car (with driver) of 20 h.p. rating which is used by him for both official and private purposes. He could not use this car in the month of Feb. and March, 1997 as the car was sold by the employer on 1st February, 1997.

(ii) The electricity and water bills of Shri Ashok are paid by the employer. During the previous year 1996-97 the company spent Rs. 600 on this facility.

(iii) He is allowed one month leave in February month every year in which he is used to go Darjeeling for a pleasure trip. During the previous year when he went to Darjeeling on leave, his expenses amounted to Rs. 1,200 which were paid to him by the company.

(iv) He has been given the facility of a domestic servant to whom the company pays Rs. 100 p.m.

(v) He is a member of a Recognised provident fund to which he contributes 12% of his salary and dearness allowance. The company also contributes an equal amount.

(vi) Interest amounting to Rs. 2,600 @ 13% has been credited on the balance standing on the credit of his P.F. Account.

(vii) He spent Rs. 12,000 during the previous year on the treatment of his minor child. The whole expenditure was re-imbursed by the employer. The treatment was taken in a private hospital.

Assuming that Shri Ashok lives in ancestral house and he has substantial interest in this company, compute the taxable income from salary of Shri Ashok Kumar for the Assessment Year 1997-98.

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 31,764 रु.। [21]

(M.D. Univ. B. Com. 1997)

संकेत—यात्र व्यय में सहायता कर-योग्य है क्योंकि यह चार वर्षों के समूह में चौथी बार प्राप्त की गई है।

18. निम्नलिखित विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री नरेश की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(i) अप्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान के लिए 1,800 रु., आयकर के लिए 1,200 रु. एवं मकान किराये के लिए मूल वेतन के 10% की कटौती करने के बाद शुद्ध वेतन प्राप्त किया 15,000 रु.।

(ii) महँगाई भत्ता 200 रु. प्रतिमाह।

(iii) बोनस 3,000 रु.।

(iv) मनोरंजन भत्ता 150 रु.प्रतिमाह जो कि 10 वर्ष पूर्व पहली बार स्वीकृत किया गया था।

(v) अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 2,400 रु.।

(vi) फण्ड की एकत्रित राशि पर 15% की दर से जमा ब्याज 3,000 रु.।

(vii) एक सुसज्जित मकान की सुविधा। नियोक्ता द्वारा मकान का देय किराया, 1,000 रु. प्रतिमाह है जिसमें फर्नीचर का किराया 100 रु. प्रतिमाह शामिल है।

(viii) पानी एवं बिजली की सुविधा जिसके लिए गत वर्ष में नियोक्ता ने 500 रु. चुकाये।

(ix) कार्यालयीन समय के दौरान मुफ्त भोजन की सुविधा जिसका मूल्य 250 रु. प्रतिमाह है।

(x) यात्रा भत्ता प्राप्त किया 3,000 रु. जिसमें वास्तविक व्यय हुआ 2,200 रु.।

(xi) 15,000 रु. की जीवन बीमा पॉलिसी पर नियोक्ता द्वारा प्रीमियम चुकाया गया 2,000 रु.।

Compute the taxable income from salary of Shri Naresh for the assessment year 1997-98 from the following details :

(i) Net salary received Rs. 15,000 after deduction of contribution to an unrecognised provident fund Rs. 1,800, Rs. 1,200 for income tax and house rent 10% of basic salary.

(ii) Dearness allowance @ Rs. 200 per month.

(iii) Bonus Rs. 3,000.

(iv) Entertainment allowance @ Rs. 150 per month which was granted 10 years back for the first time.

(v) Employer's contribution to Unrecognised Provident Fund Rs. 2,400.

(vi) Interest on the accumulated balance of fund @15% Rs. 3,000.

(vii) Facility of furnished accommodation. Th- rent payable by the employer is Rs. 1,000 p.m. including Rs. 100 p.m. as rent of furniture.

(viii) Free supply of water and electricity for which employer paid Rs. 500 in the previous year.

(ix) Free lunch during office hours costing Rs. 250 p.m.

(:

जमा ब्याज कर-मुक्त होते हैं। (iii) यात्रा भत्ते की बची हुई राशि वेतन शीर्षक में कर-योग्य है। (iv) रियायती दर पर दी गई मकान की सुविधा का मूल्य 25,600 रु. के वेतन (20,000 + 3,000 + 1,800 + 800) का 10% होगा तथा फर्नीचर की सुविधा का मूल्य 1,200 रु. होगा। इस प्रकार 3,760 रु. में नियोक्ता को दी गई राशि 2,000 रु. घटाकर 1,760 रु. इस सुविधा का मूल्य होगा। (v) कर्मचारी का सकल वेतन ज्ञात करने के लिए शुद्ध वेतन में आय-कर एवं भविष्य निधि में देय राशियाँ जोड़ दी जायेंगी। 15,000 + 1,800 + 1,200 = 18,000 रु.। मकान के लिए कटौती सकल वेतन का 10% है। अत: 90 रु. यदि मकान की कटौती के बाद वेतन हो तो मूल वेतन 100 रु. है। इस प्रकार 18,000 रु. शेष वेतन होने पर मूल वेतन $18000 \times \frac{100}{90}$ = 20,000 रु. सकल वेतन होगा।

19. श्री दिनेश 1 जनवरी, 1995 को जयपुर में एक कम्पनी के शाखा प्रबन्धक के रूप में 2,000-100-3,000 रु. के वेतन में नियुक्त हुआ। उसे वेतन का 10% महँगाई भत्ता, 150 रु. प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता एवं 300 रु. प्रतिमाह सवारी भत्ता भी मिलता है। कम्पनी ने 1 जुलाई, 1996 से उसे बिना किराये के एक रहने का मकान दिया है। इस मकान का उचित किराया 6,000 रु. प्रतिवर्ष है। कम्पनी ने इस मकान के सम्बन्ध में जुलाई, 1996 से मार्च, 1997 तक निम्नलिखित व्यय किये हैं—

मरम्मत	2,000 रुपये
बिजली के बिल	350 रु.
पानी के बिल	200 रु.
टेलीफोन के बिल	800 रु.

1 अक्टूबर, 1996 को उसका सवारी भत्ता बन्द कर दिया गया और उसे 14 हॉर्स पावर की एक मोटरकार उसके निजी एवं कार्यालय उपयोग के लिये दी गई। चालक के वेतन सहित कार को चलाने एवं रख-रखाव के समस्त व्यय कम्पनी द्वारा चुकाये जाते हैं। कम्पनी और वह वेतन का $12\frac{1}{2}\%$ एक प्रमाणित भविष्य-निधि में जमा करते हैं। गत वर्ष में उसके भविष्य निधि खाते में $12\frac{1}{2}\%$ वार्षिक की दर से 1,250 रु. ब्याज के जमा हुये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उन्होंने सवारी भत्ते की कोई भी राशि कार्यालय के लिए व्यय नहीं की है।

Mr. Dinesh was appointed as the Branch Manager of a Company at Jaipur on 1st January, 1995 in the pay-scale of Rs. 2,000-100-3,000. He also receives 10% of his pay as dearness allowance, Rs. 150 p.m. as medical allowance and Rs. 300 p.m. as conveyance allowance.

The Company has given him a rent-free residential house since July, 1st 1996. The fair rent of the house is Rs. 6,000 p.a. The company has

incurred the following expenses in respect of this house from July, 1996 to March, 1997—

Repairs	Rs. 2,000
Electricity Bills	Rs. 350
Water Bills	Rs. 200
Telephone Bills	Rs. 800

On 1st October, 1996 his conveyance allowance was stopped and he was given a motor car of 14 h.p. rating for both official and personal use. All the expenses of running and maintenance of the car including salary of driver, are paid by the company.

He as well as the Company contribute $12\frac{1}{2}\%$ of his pay to a Recognised Provident Fund. Interest credited during the previous year to his Provident Fund Account @ $12\frac{1}{2}\%$ p.a. was Rs. 1,250.

Compute his taxable income under the head 'salaries' for the Assessment year 1997-98 assuming that he has not spent any amount of Conveyance allowance for official duties.

(Raj. B. Com., 1983 & 1994, Indore B. Com. 1997 modified)

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 22,989 रु.। [23]

संकेत—रहने के लिए मुफ्त दिये गये मकान की सुविधा का मूल्य 2,145 रु. होगा।

20. श्री सुरेश कुमार एक कम्पनी में 2,000 रु. प्रतिमाह के वेतन पर सेल्समैन के पद पर कार्य कर रहे हैं। वे कम्पनी की बिक्री पर 1% कमीशन भी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी उन्हें निम्न सुविधायें भी प्रदान कर रही है—
   (i) किराया मुक्त मकान की सुविधा जिसका उचित किराया 640 रु. प्रतिमाह है। इस मकान में नियोक्ता ने 10,000 रु. की लागत का फर्नीचर भी दिया हुआ है।
   (ii) घर पर टेलीफोन के बिलों का भुगतान 4,800 रु.।
   (iii) पानी व बिजली के बिलों का भुगतान 2,000 रु.।
   इस सुविधा का प्रयोग वे अपने कार्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिए भी करते हैं।
   (iv) सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिए एक मोटर साइकिल की सुविधा तथा उसके लिए पैट्रोल, मरम्मत आदि के लिए कम्पनी 200 रु. प्रतिमाह देती है।

1 अक्टूबर 1996 को सेवा की शर्तों में परिवर्तन किया गया और उनका वेतन 2,500 रु. प्रतिमाह निश्चित किया गया तथा कमीशन देना बन्द कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में कम्पनी के लिए उसके द्वारा की गई बिक्री 5 लाख रु. थी जिसमें से आधी बिक्री 30 सितम्बर, 1996 तक थी। सेवा की शर्तों में परिवर्तन के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति के 7,200 रु. की राशि भी दी गई। उन्हें नियोक्ता से दिसम्बर, 1996 में एक माह का अर्जित अवकाश त्यागने पर एक माह के मूल वेतन के बराबर राशि प्राप्त हुई।

वह अपने वेतन का 12% कम्पनी के प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान देता है। कम्पनी का भी उतनी ही राशि का अंशदान है। भविष्य निधि का ब्याज 15% वार्षिक दर से 3,000 रु. क्रेडिट किया गया है।

उपर्युक्त सूचनाओं से श्री सुरेश कुमार की वेतन की आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कीजिये।

Shri Suresh Kumar is working on the post of Salesman in a company at a salary of Rs. 2,000 per month. He gets commission also @ 1% on sales. Besides this, company provides him the following amenities :

(i) Rent free accommodation of a fair rent of Rs. 640 per month. Furniture costing Rs. 10,000 has been provided by the employer in this accommodation.

(ii) Payment of bills for telephone at his residence of Rs. 4,800.

(iii) Payment of light and water bills of Rs. 2,000. He uses this facility for office work also.

(iv) Payment of Rs. 200 per month for petrol, repairs etc. for a motor cycle provided to him by the company for employment purpose.

On 1st October, 1996 his terms of employment were altered, accordingly his basic pay was raised to Rs. 2,500 per month and to discontinue the payment of commission. He effected a sale of Rs. 5 lakhs during the financial year. Half of it was upto 30th September, 1996. On account of this change, he was also paid a sum of Rs. 7,200 as compensation. He received one month's basic pay in Dec. 1996 on his surrendering one month's earned leave. His contribution to company's recognised provident fund is 12% of his salary, the company is also contributing a similar amount. The interest credited to Provident Fund Account is Rs. 3,000 @ 15% per annum.

From the above information calculate Shri Suresh Kumar's taxable income from salary for the assessment year 1997-98. [24]

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 30,789 रु.।

संकेत—मुफ्त मकान की सुविधा का मूल्य 3,950 रु. होगा।

21. श्री चन्द्रप्रकाश जो इन्दौर की एक फर्म में प्रबन्धक थे, 1 दिसम्बर, 1996 को सेवानिवृत्त हुए। गत वर्ष 1996-97 के लिए इन्होंने अपनी वेतन की आय के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें प्रदान की हैं—

(i) इन्होंने इस फर्म में 40 वर्ष 8 माह सेवा की है।

(ii) 1 अप्रैल, 1991 से इनको 3,000-200-5,000 रु. की वेतन श्रृंखला में 3,000 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

(iii) मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 300 रु. प्रतिमाह महंगाई भत्ता, 100 रु. प्रतिमाह नगर क्षतिपूरक भत्ता, 300 रु. प्रतिमाह सवारी भत्ता तथा 100 रु. प्रतिमाह जनजाति क्षेत्र भत्ता प्राप्त होता था।

(iv) सेवानिवृत्ति पर इनके नियोक्ता ने इनको 85,000 रु. ग्रेच्युटी के दिये तथा [illegible] रु. प्रतिमाह की पेन्शन स्वीकृत की। 1 जनवरी, 1997 को इन्होंने [illegible] एकमुश्त राशि 48,000 रु. प्राप्त की।

(v) ये सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे और निवृत्ति के समय उनके क्रेडिट में 10 माह का अर्जित अवकाश था जिसके भुगतान में उन्हें मूल वेतन 40,000 रु. तथा महँगाई भत्ता 3,000 रु., कुल 43,000 रु. प्राप्त हुए।

(vi) उन्हें अप्रमाणित भविष्य निधि से एकत्रित राशि के रूप में उनके द्वारा लिए गए ऋण को काटकर 60,000 रु. प्राप्त हुए। उन्होंने 1 जुलाई, 1996 को अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने भविष्य निधि से 20,000 रु. का ऋण लिया था। इस निधि में इनका एवं उनके नियोक्ता का समान अंशदान था।

(vii) प्रबन्ध सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए वे अहिल्या विश्वविद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनके व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता ने 8 माह के लिए 200 रु. प्रतिमाह का भत्ता स्वीकृत किया है।

(viii) उन्होंने गत वर्ष में 1,200 रु.पेशा सम्बन्धी कर का भुगतान किया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री चन्द्रप्रकाश की वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उन पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तथा उन्होंने सवारी भत्ते की आधी राशि कार्यालय के कार्यों के लिए व्यय कर दी है।

Shri Chandra Prakash who was Manager in a firm at Indore, retired from service on 1st December, 1996. For the previous year 1996-97 he has submitted following informations regarding his income from salaries—

(i) He has served this concern for 40 years and 8 months.

(ii) He was promoted as manager from 1st April, 1991 in the pay-scale of 3,000-200-5,000 on initial pay of Rs. 3,000.

(iii) In Addition to basic pay he was getting Rs. 300 p.m. as dearness allowance, Rs. 100 p.m. as city compensatory allowance, Rs. 300 p.m. as conveyance allowance and Rs. 100 p.m. as Tribal Area Allowance.

(iv) At the time of retirement his employer paid him Rs. 85,000 as gratuity and he was sanctioned pension of Rs. 800 p.m. On 1st January, 1997 he received Rs. 48,000 as commuted value for half portion of the pension.

(v) He was entitled to earned leave of 30 days for each year and at the time of retirement 10 months earned leave was at his credit, for the encashment of which he received a payment of basic pay Rs. 40,000 and Dearness allowance Rs. 3,000 in all Rs. 43,000.

(vi) He got Rs. 60,000 as accumulated balance from his Unrecognised Provident Fund after deducting the amount of loan. He took a loan of Rs. 20,000 on 1st July, 1996 from his provident fund for his daughter's marriage. His own contribution & that of the employer to the provident fund was equal.

(vii) He is getting training in the evening classes of Ahilya University to develop his knowledge in the field of management. To meet his expenditure the employer has granted him allowance of Rs. 200 p.m for 8 months.

(viii) During the previous year he has paid a sum of Rs. 1,200 as profession tax.

From above particulars compute the taxable income from Salaries of [illegible]

(Vikram B. Com., 1992)

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 95,320 रु.। [25]

संकेत-(i) आधा सवारी भत्ता कर-योग्य है। (ii) कर-मुक्त ग्रेच्युइटी एवं अर्जित अवकाश के लिए वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से है क्योंकि महँगाई भत्ता सेवा-शर्तों के अनुसार नहीं मिलता है। (iii) मध्य प्रदेश में Tribal क्षेत्र भत्ता 100 रु. प्रतिमाह तक कर-मुक्त है। (iv) शैक्षणिक ज्ञान में वृद्धि करने के व्ययों की क्षतिपूर्ति हेतु दिया गया भत्ता कर-मुक्त माना गया है।

22. श्री सुरेन्द्र मोहन की नियुक्ति सेन्च्युरी मिल्स लिमिटेड, बम्बई में 1 अप्रैल, 1987 को, 1,500-50-2,250 रु. के वेतनमान में 1,500 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर श्रमिक के रूप में की गई थी। गत वर्ष 1996-97 के लिए श्री सुरेन्द्र मोहन ने अपनी वेतन की आय के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें प्रस्तुत की हैं—

(i) मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 200 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता [illegible]।

(ii) वे प्रमाणित भविष्य निधि के सदस्य थे। इस निधि में [illegible] का अंशदान वेतन का 10% था।

(iii) श्रमिकों की संख्या में कमी करने के कारण इनको [illegible] 1 [illegible], 1997 से समाप्त कर दी गई तथा इनको 24,000रु. नियोक्ता [illegible] में तथा 18,000 रु. ग्रेच्युइटी के रूप में दिये गये।

(iv) उक्त भविष्य निधि से भी [illegible]

(v) जुलाई, 1996 में वे छुट्टिय [illegible] द्वितीय श्रेणी में यात्रा की तथा इनके [illegible] 2,4?? रु. की राशि इनके नियोक्ता द्वारा वहन की गई। पूर्व में [illegible] उन्होंने मई, 1991 एवं दिसम्बर, 1994 में उठाया था।

(vi) उन्होंने 1 फरवरी, 1997 को [illegible] में 2,000 रु. प्रतिमाह पर लिपिक की नौकरी कर ली। [illegible] निधि में उन्होंने [illegible] नियोक्ता ने वेतन का 12% [illegible]।

Surendra Mohan has submitted the following information regarding his income from salary–

(i) In addition to basic pay he was getting Rs. 200 p.m.as Dearness Allowance.
(ii) He was member of Recognised Provident Fund. He and his employer both contributed 10% of his salary to this fund.
(iii) His services were terminated from 1st January, 1997 on account of reduction in the number of workmen and he was paid Rs 24,000 as compensation and Rs.18,000 as Gratuity by his employer.
(iv) He also got Rs. 40,000 as accumulated balance from the above fund.
(v) In July, 1996 he took leave and went on travel. Rs. 2,400 being the amount spent by him were reimbursed by his employer. He travelled in Air Conditioned Second Class Compartment of Railway. Previously he availed such facility in May, 1991 and December, 1994.
(vi) He joined M/s Bhilwara Textiles as a clerk on a monthly pay of Rs 2,000 on 1st Feb., 1997. Here he as well as his employer contributed 12% of pay to recognised provident fund.

On the basis of above particulars compute the taxable income from salary of Shri Surendra Mohan for the assessment year 1997-98.

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 28,340 रु.। [25]

संकेत–(i) 1994 से प्रारम्भ होने वाले चार वर्षों के समूह में यात्रा व्यय में सहायता दूसरी बार प्राप्त की गई है, अतः पूर्णतः कर-मुक्त है। (ii) कर्मचारी पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 लागू होता है। (iii) चूँकि करदाता प्रबन्धक अथवा अधीक्षक नहीं है अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार श्रमिक की परिभाषा में आ जाता है। (iv) ग्रेच्युइटी के लिए एक दिन के वेतन की गणना अन्तिम माह के वेतन में 26 का भाग देकर ज्ञात की गयी है जबकि क्षतिपूर्ति के लिए अन्तिम 3 माह के वेतन में 92 दिन का भाग देकर की गई है। वेतन में महँगाई भत्ता भी शामिल होता है।

23. श्रीमती कमला 1 फरवरी 1989 को जयपुर की एक गैस निर्माता कम्पनी में विक्रय प्रतिनिधि के पद पर 4,000-200-8,000 की ग्रेड में 4,000 रु. के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुईं। *निम्न विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए*—
(i) उनको सेवा शर्तों के अनुसार 1,000 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता प्राप्त होता है।
(ii) उनको उनके द्वारा की गई बिक्री पर 1% की दर से कमीशन प्राप्त होता है। गत वर्ष में उनके द्वारा 10,00,000 रु. की बिक्री की गई।
(iii) उनके नियोक्ता ने उनको मुफ्त रहने के मकान की सुविधा प्रदान की है। इस मकान ⁻ नगरपालिका मूल्यांकन 12,000 रु. है। *यह मकान नियोक्ता का ही*

है। इस मकान में उपलब्ध कराये गये फर्नीचर पर कम्पनी ने 24,000 रु. व्यय किये थे।

(iv) उनको एक 18 हॉर्स पावर की मोटर-कार की सुविधा प्रदान की गई है जिसका प्रयोग वे कार्यालय के अलावा निजी कार्यों के लिए भी करती हैं। चालक के वेतन 500 रु. प्रतिमाह सहित कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं।

(v) उनको एक फर्राश, एक चौकीदार, एक माली तथा एक रसोइया की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। इनको नियोक्ता द्वारा क्रमशः 100 रु., 100 रु., 150 रु., तथा 200 रु. प्रतिमाह वेतन दिया जाता है।

(vi) उनको नियोक्ता ने गत वर्ष में 1,000 रु. लागत मूल्य की गैस निःशुल्क प्रदान की।

(vii) वे अप्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 10% अंशदान करती हैं। उनका नियोक्ता इसमें 15% अंशदान देता है। गत वर्ष में इस फण्ड में 15% की दर से 15,000 रु. ब्याज के जमा किये गये।

(viii) फरवरी, 1996 में उन्होंने 4 माह का वेतन (फरवरी से मई) महँगाई भत्ते सहित अग्रिम लिया था।

(ix) उनको 1 अगस्त, 1998 को सेवा निवृत्त होना था। परन्तु मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत उन्होंने 1 फरवरी, 1997 को ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ग्रहण की। उनके नियोक्ता ने इसके लिए 76,800 रु. क्षतिपूर्ति के दिये। उनको अप्रमाणित भविष्य निधि से भी सेवानिवृत्त होने पर 1,20,000 रु. प्राप्त हुये।

Smt. Kamla was appointed as a sales representative in a Gas [illegible] [illegible] [illegible] assessment year 1997-98 :

(i) She gets dearness allowance @ Rs. 1,000 per month under the terms of employment.

(ii) She gets commission @1% on the sales effected by her. During the previous year sales effected by her was Rs. 10,00,000.

(iii) Her employer has provided her a rent-free residential accommodation. The municipal valuation of this house is Rs. 12,000. The house is owned by the Company. The company spent Rs. 24,000 on furniture provided in this house.

(iv) She has been given facility of a 18 H.P. motor car which is used by her for both office and private purposes. All the expenses of car including the salary of driver @ Rs. 500 per month are borne by the employer.

(v) She has been provided with the facility of a sweeper, a watchman, a gardner and a cook who are paid by the employer @Rs. 100 p.m., Rs. 100 p.m., Rs. 150 p.m. and Rs. 200 p m. respectively.

(vi) Her employer gave free supply of gas costing Rs. 1,000 during the previous year.

(vii) She contributes 10% of her salary to an unrecognised provident fund. Her employer contributes 15% to this fund. During the previous year interest credited to this fund @ 15% amounted to Rs. 15,000.

(viii) She had taken an advance of 4 months' salary (February to May) including dearness allowance in February, 1996.

(ix) She was scheduled to retire on 1st August, 1998. But she took voluntary retirement on 1st February, 1997 under a scheme of voluntary retirement approved by the chief commissioner of *income tax. Her employer paid her a compensation of* Rs. 76,800 on her retirement. She also received a sum of Rs. 1,20,000 from unrecognised provident fund. **(Sukh. Uni. B.Com. 1996)** [27]

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर योग्य आय 1,43,000 रु.।

24. श्री रामप्रसाद, नैशनल इन्जीनियरिंग फैक्टरी इन्दौर में 1 जुलाई, 1982 को लेखापाल नियुक्त हुए। 1 जनवरी, 1995 से इनका वेतन 11,500 रु. प्रतिमाह निश्चित किया गया। उन्हें 1 अगस्त 1996 को छंटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया तथा 88,000 रु. की राशि क्षतिपूर्ति और 90,000 रु. की राशि ग्रेच्युइटी की दी गई। उनको 14 माह के अर्जित अवकाश के जमा के बदले 1,61,000 रु. नियोक्ता से प्राप्त हुए। वे प्रति वर्ष की सेवा के लिए 45 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे। मई 1982 में श्री रामप्रसाद को पूर्व नियोक्ता ने भी उनको सेवा-मुक्त कर दिया था तथा 16,000 रु. क्षतिपूर्ति के तथा 24,000 रु. ग्रेच्युइटी के दिये थे। ये दोनों राशियाँ नियमानुसार आय-कर से मुक्त थी। उनको अर्जित अवकाश के बदले भी 25,000 रु. दिये गये थे परन्तु उसमें से 18,000 रु. ही कर-मुक्त हुए थे।

उन्होंने 1 फरवरी 1997 को भारत प्लास्टिक उद्योग, जयपुर में 8,500 रु. प्रतिमाह पर लेखापाल की नौकरी कर ली। इस कम्पनी में श्री रामप्रसाद ने प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 12% अंशदान दिया तथा इतना ही अंशदान इनके नियोक्ता ने भी दिया। इनको कम्पनी की कार में कार्यालय आने-जाने की सुविधा भी प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना यह मानते हुये कीजिए कि उन पर ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है।

Shri Ram Pr ad was employed as an accountant byMessrs. National Engineering Factory, Indore on 1st July, 1982. From 1st January, 1995 his salary was fixed at Rs 11,500 per month. His services were terminated on account of retrenchment on 1st August, 1996 and he was paid Rs. 88,000 as compensation and Rs. 90,000 as gratuity. He

had 14 months earned leave at his credit, for the encashment of which he received Rs. 1,61,000 from his employer. He was entitled to earned leave of 45 days for each year of service.

The former employer of Shri Ram Prasad had also terminated his services in May, 1982 and paid him Rs. 16,000 as compensation and Rs. 24,000 as gratuity. As per rules both the amounts were exempt from income tax. He was also paid Rs. 25,000 for the encashment of earned leave to his credit, but only Rs. 18,000 were exempt from income tax.

He joined Messrs. Bharat Plastic Udyog, Jaipur as an accountant on a monthly pay of Rs 8,500 on 1st February, 1997. In this company Shri Ram Prasad contributed 12% of his pay to a Recognised Provident Fund to which his employer also contributed an equal amount. He was allowed to use company's car for coming to and going from the office. Compute the taxable income under the head 'salaries' of Shri Ram Prasad for the Assessment year 1997-98. assuming that the payment of Gratuity Act, 1972 does not apply to him. **[28]**

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर योग्य आय 1,76,340 रु.।

श्रीमती रेणु, अम्बूजा कम्पनी कलकत्ता में 1 अप्रैल, 1954 से नियुक्त हैं। जनवरी, 1994 से उन्हें 4000-100-6000 रुपये का वेतनमान दिया गया है। उन्हें मूल वेतन का 30% महँगाई भत्ता (जो नियुक्ति लाभों के लिये वेतन माना जाता है), 400 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता तथा 500 रु. प्रतिमाह यात्रा भत्ता मिलता है। उनके तीन पुत्रों के शिक्षा व्यय की पूर्ति हेतु 200 रु. प्रतिमाह शिक्षा भत्ता तथा 400 रु. प्रतिमाह छात्रावास भत्ता भी प्राप्त हुआ है। उन्हें मनोरंजन भत्ता 1 अगस्त, 1954 से ही लगातार मिल रहा है। परन्तु वित्तीय वर्ष 1954-55 में मिले इस भत्ते की दर 300 रु. प्रतिमाह थी।

कम्पनी की ओर से रहने का एक असुसज्जित मकान उन्हें दिया गया है जिसका उचित किराया 25,000 रु. वार्षिक है। कम्पनी ने उन्हें स्वयं के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण की सुविधा दे रखी है और 1996-97 वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में कम्पनी ने 12,350 रु. उन्हें दिए। ये व्यय उन्होंने निजी चिकित्सक से कराई गई चिकित्सा पर किये थे।

प्रमाणित भविष्य निधि में उनका एवं नियोक्ता प्रत्येक का अंशदान 10.5% की दर से था। उन्होंने वित्तीय वर्ष 1996-97 में नियोक्ता के कार्य हेतु की गई यात्राओं हेतु रोड़वेज निगम की बसों का किराया 5,000 रु. दिया।

निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उनकी 'वेतन' शीर्षक की कर-योग्य आय निर्धारित कीजिये।

Smt. Renu is an employee of the Ambuja Company Calcutta since 1st April, 1954. She has been fixed in the grade of Rs. 4000-100-6000 since [illegible]

[illegible]

has also received Rs. 200 p.m. as Education Allowance and Rs. 400

p.m. as Hostel Allowance to meet the cost of education of her three sons. She has been continuously getting entertainment allowance since 1st August, 1954. But the rate of this allowance during the financial year 1954-55 was Rs. 300 per month.

She has been provided by the Company with rent-free unfurnished accomodation, the fair rent of which is Rs. 25,000 p.a. The company has provided her the amunity of reimbursement of her own medical expenses and during the financial year 1996-97 the Company paid her in this connection Rs. 12,350. The expenses were incurred on treatment by a private doctor.

She and her emplayer each contributed @ 10.5% to the Recognised Provident Fund. She paid during the financial year 1996-97 for travel in respect of Employer's work Rs. 5,000 as bus fare to the Roadways Corporation.

Determine her taxable income under the head 'Salaries' for the assessment year 1997-98. **(M.D. Uni. B. Com. 1995)**

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर योग्य आय 66,561 रु.। [29]

■■■

5
मकान सम्पत्ति से आय
(Income From House Property)

आय-कर अधिनियम की धारा-22 के अनुसार "मकान सम्पत्ति से आय" शीर्षक के अन्तर्गत करदाता के ऐसे मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है, जिनका वह स्वामी हो, परन्तु जिनका प्रयोग वह अपने ऐसे व्यापार व पेशे के लिए न करता हो जिसके लाभों पर कर लगता हो। इस धारा में प्रयोग किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्यों का अर्थ निम्न प्रकार है—

(1) मकान एवं उनसे लगी हुई भूमि—मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक के अन्तर्गत केवल मकान सम्पत्ति की आय पर ही कर नहीं लगाया जाता है परन्तु उस जमीन की आय पर भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाया जाता है जो किसी मकान से लगी हुई हो। यदि जमीन किसी मकान से लगी हुई नहीं हो तो उस जमीन की आय पर 'अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है।

(2) वार्षिक मूल्य—मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य की गणना भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न तरीकों से की जाती है जिन्हें इसी अध्याय में आगे बताया गया है।

(3) करदाता मकान सम्पत्ति का स्वामी होना चाहिए—मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक के अन्तर्गत केवल ऐसे मकान सम्पत्ति की आय को ही शामिल किया जाता है जिसका करदाता स्वामी हो। कभी-कभी करदाता किसी मकान सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति से किराये पर प्राप्त करता है तथा दूसरे व्यक्ति को उसे किराये पर उठा देता है। इस प्रकार किराये पर उठाने से होने वाली आय 'मकान सम्पत्ति की आय" नहीं कहलाती, वरन् अन्य साधनों की आय होती है।

यदि करदाता कोई मकान पट्टे (Lease) पर लेता है तो वह मकान का स्वामी नहीं माना जायेगा और ऐसे मकान को किराये पर उठाने से प्राप्त आय पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगेगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में यद्यपि कोई व्यक्ति मकान सम्पत्ति का वैधानिक स्वामी नहीं होता है परन्तु आय-कर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उसको मकान सम्पत्ति का स्वामी मान लिया जाता है—

(i) जीवन-साथी को हस्तान्तरित मकान सम्पत्ति—यदि किसी व्यष्टि ने अपनी कोई मकान सम्पत्ति अपने जीवन-साथी (पत्नी अथवा पति) को बिना पर्याप्त प्रतिफल के

दी है तो ऐसी मकान सम्पति का स्वामी हस्तान्तरणकर्त्ता को ही माना जायेगा तथा ऐसी मकान सम्पत्ति की आय को हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में शामिल किया जायेगा। परन्तु यदि मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण अलग-अलग रहने के समझौते के अन्तर्गत किया जाता है तो हस्तान्तरणकर्त्ता को उस मकान सम्पत्ति का स्वामी नहीं माना जायेगा।

(ii) अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान सम्पत्ति—यदि किसी व्यष्टि ने अपनी कोई मकान सम्पत्ति अपने किसी अवयस्क बच्चे (विवाहित पुत्री को छोड़कर) बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तान्तरित कर दी है तो उस मकान सम्पत्ति का स्वामी हस्तान्तरणकर्त्ता को ही माना जायेगा तथा ऐसी मकान सम्पत्ति की आय को हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में ही शामिल किया जायेगा।

(iii) अविभाज्य सम्पदा (Impartible estate) – अविभाज्य सम्पदा हिन्दू अविभाजित परिवार की ऐसी सम्पत्ति होती है जिसका सदस्यों में विभाजन नहीं किया जा सकता है और सामान्यत ऐसी सम्पत्ति परिवार के वरिष्ठतम सदस्य के पास रहती है। ऐसी सम्पत्ति के धारक *(Holder) को इस सम्पत्ति का स्वामी माना जाता है और ऐसी सम्पत्ति की आय उस व्यष्टि* की आय में शामिल की जाती है।

(iv) सहकारी समिति, कम्पनी आदि के सदस्यों को आवंटित मकान—यदि किसी सहकारी समिति, कम्पनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ के सदस्यों को समिति, कम्पनी अथवा संघ की भवन-निर्माण योजना के अन्तर्गत मकान आवंटित किया जाता है अथवा पट्टे पर दिया जाता है तो उस सदस्य को ऐसे भवन का स्वामी माना जायेगा तथा उस मकान की आय उस सदस्य की आय में ही शामिल की जायेगी।

(v) क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण नही हुआ हो—यदि किसी व्यक्ति ने कोई मकान क्रय किया है और उस मकान का कब्जा भी अनुबन्ध के आशिक क्रियान्वयन के तहत प्राप्त कर लिया है परन्तु अभी तक उस भवन का पंजीकरण उसके नाम में नहीं हुआ है तो ऐसे भवन का स्वामी क्रेता व्यक्ति को ही माना जायेगा और ऐसे भवन की आय उस क्रेता व्यक्ति की आय में ही शामिल की जायेगी।

(vi) धारा 269 UA (f) की व्यवस्थाओं के अधीन हस्तान्तरित मकान सम्पति की आय—धारा 269 UA (f) में ऐसे व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी भवन से सम्बन्धित अधिकारों का हस्तान्तरण बिक्री, विनिमय या 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में हुआ हो चाहे उस हस्तान्तरण का पजीकरण कराया गया हो अथवा नहीं। ऐसे भवन के सम्बन्ध में क्रय करने वाले व्यक्ति को न केवल भवन का कब्जा ही प्राप्त होता है अपितु कानूनी स्वामित्व को छोड़कर सभी अधिकार (निर्माण कराने के अधिकार सहित) प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भवन का स्वामी क्रेता को ही माना जायेगा तथा इस भवन की आय क्रेता की आय में ही शामिल की जायेगी।

(vii) पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाया गया मकान—यदि कोई व्यक्ति पट्टे पर जमीन लेकर उस पर मकान सम्पत्ति बनवाता है तो पट्टे की जमीन पर मकान बनवाने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जायेगा।

(viii) विवादास्पद मकान का स्वामी—यदि किसी मकान सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो आय-कर के उद्देश्यों के लिए किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस

मकान सम्पति का स्वामी माना जायेगा तथा उसकी आय में ही इस मकान सम्पत्ति की आय को शामिल किया जायेगा।

(4) करदाता मकान सम्पत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए नहीं करता हो—यदि कोई करदाता अपने किसी मकान का प्रयोग अपने किसी व्यापार तथा पेशे के लिए करता है, जिसकी आय कर-योग्य है तो ऐसे मकान सम्पत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना होगा, साथ ही साथ उसके व्यापार तथा पेशे की आय की गणना करते समय भी उसे अनुमानित किराये की कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

> व्यापार में प्रयोग किए गए मकान का कोई भाग यदि किसी कर्मचारी को किराये पर दे दिया जाता है, जिसका वहाँ रहना व्यापार के संचालन के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया भी व्यापार अथवा पेशे की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

मकान सम्पत्ति की आय पर कर लगाने सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण बातें—

(1) विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति की आय—विदेश में स्थित मकान सम्पत्ति की आय पर भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है। परन्तु केवल 'भारत में निवासी' व्यक्ति को ही ऐसी सम्पत्ति पर कर देना होता है।

(2) मकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद होना—कभी-कभी किसी मकान सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों अथवा कई व्यक्तियों के बीच मतभेद होता है। ऐसी स्थिति में भी आय-कर की वसूली में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को उस मकान से आय प्राप्त होती है अर्थात् जो व्यक्ति उसका किराया प्राप्त करता है, उसको ही उस पर आय-कर चुकाना होता है।

(3) किसी मकान या सम्पत्ति के दो या दो से अधिक स्वामी होने पर—यदि किसी मकान सम्पत्ति के दो या दो से अधिक स्वामी हैं तथा उनमें से प्रत्येक के हिस्से को स्पष्ट रूप से अलग-अलग पहचाना जा सकता है तो उनको अपने-अपने हिस्से की आय पर जिनकी गणना धारा 22 से 25 में दी गई व्यवस्था के अनुसार की गई है, पृथक्-पृथक् कर चुकाना होगा। उन पर व्यक्तियों के समुदाय की भाँति कर नहीं लगेगा। परन्तु स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करने की दशा में वैधानिक कर-मुक्ति का लाभ प्रत्येक को अलग-अलग प्राप्त होगा।

(4) उप-किरायेदार से प्राप्त किराया—यदि कोई करदाता स्वयं किसी मकान में किरायेदार है, परन्तु उसका कुछ भाग किसी दूसरे किरायेदार को किराये पर उठा देता है, तो प्रथम किरायेदार को दूसरे किरायेदार से प्राप्त किराये पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाया जाता है।

(5) मकान सम्पत्ति की काल्पनिक आय—मकान सम्पत्ति की आय पर कर लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मकान किराये पर उठाया जाये तथा किराया प्राप्त किया जाये। यदि कोई करदाता अपने मकान का प्रयोग अपने स्वयं के निवास स्थान के लिए करता है तो एक मकान को छोड़कर शेष मकानों की काल्पनिक आय पर उसको कर देना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने किसी मित्र या सम्बन्धी को बिना किराये के रहने के लिए दिये गये मकान की अनुमानित आय पर भी कर देना पड़ता है।

(6) मकान सम्पत्ति को किराये पर उठाने का व्यापार करना—यदि कोई करदाता अनेक मकान सम्पत्ति खरीदता है अथवा बनवाता है तथा फिर उनको किराये पर उठाने का व्यापार करता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले किराये पर 'मकान-सम्पत्ति की आय' शीर्षक के अन्तर्गत ही कर देना होगा, क्योंकि मकान-सम्पत्ति की आय का अपना पृथक् शीर्षक है। हाँ, क्रय-विक्रय से होने वाले लाभ पर व्यापारिक लाभ अथवा पूँजी लाभ (जैसी भी स्थिति हो) के रूप में कर लग सकता है।

(7) मकान सम्पत्ति से प्राप्त मिश्रित अथवा संयुक्त किराया—यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराये पर देने के साथ कुछ अन्य सुविधाएँ (बिजली, पानी, चौकीदार, सफाई, लिफ्ट आदि) भी देता है तो प्राप्त किराया मिश्रित अथवा संयुक्त किराया कहलायेगा। इस संयुक्त किराये में से सुविधाओं के मूल्य को कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि ही उस मकान के लिए प्राप्त किराया मानी जायेगी। इन सुविधाओं के लिए प्राप्त की गई रकम या तो व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में (यदि करदाता का ऐसी सुविधाएँ प्रदान करने का व्यापार है) अथवा अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी।

(8) मशीन, प्लाण्ट एवं फर्नीचर के साथ भवन को किराये पर देना—यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर के साथ अपने भवन को भी किराये पर देता है तथा उक्त मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर को किराये पर उठाने के लिए भवन को भी किराये पर उठाना आवश्यक है तो ऐसे किराये से प्राप्त आय धारा 56 (2)(iii) के अन्तर्गत 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होगी।

मकान-सम्पत्ति की कर-मुक्त आये—

मकान सम्पत्ति की कर-मुक्त आये दो प्रकार की होती हैं। प्रथम तो वे जो पूर्णतया कर-मुक्त होती हैं अर्थात् जिनको सकल कुल आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। दूसरे वे आयें जिनको सकल कुल आय में तो सम्मिलित किया जाता है, परन्तु कुल आय में सम्मिलित नही किया जाता। अर्थात् सकल कुल आय में सम्मिलित करने के पश्चात् सम्पूर्ण राशि की कटौती सकल कुल आय में दे दी जाती है।

(I) वे आयें जो सकल कुल आय मे भी सम्मिलित नही होती—

(1) कृषि भूमि से लगे हुए मकान की आय। (धारा-2)

(2) पूर्णतया धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान सम्पत्ति से आय। (धारा-11)

(3) करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग की गई मकान सम्पत्ति की अनुमानित आय। (धारा-22)

(4) करदाता का कोई एक मकान जिसका प्रयोग वह अपने निवास-स्थान के लिए करता है। [धारा-23 (2) (a) (i)]

(5) यदि किसी करदाता के पासअपने स्वयं के रहने का केवल एक ही मकान हो और उसका प्रयोग गत वर्ष में अन्य किसी स्थान पर उसके व्यापार, पेशे अथवा नौकरी के कारण न कर सके तथा दूसरे स्थान पर उसका स्वयं का मकान न हो तो ऐसे मकान की अनुमानित आय पर कर नही लगाया जाता है, बशर्ते कि उस मकान को किराये पर न उठा दिया जाये। [धारा-23 (3)]

(6) विभिन्न व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की धारा-10 (20)से 10 (24) तथा 10(26) एवं 10(29) के अन्तर्गत मकान सम्पत्ति से होने वाली आयें। (इनका विस्तृत वर्णन 'कर-मुक्त-आय' वाले अध्याय में किया गया है)।

(7) धारा-10 (19 अ) के अन्तर्गत भूतपूर्व राजा या महाराजा के निवास के काम में आने वाला कोई एक महल।

(II) वे आयें जिनके सम्बन्ध में सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है :

(1) सहकारी समिति को वस्तुओं का भण्डार करने के लिए एवं विपणन के लिए किराये पर दिये गये गोदामों तथा भण्डार-गृहों से होने वाली समस्त आय की कटौती स्वीकृत की जाती है।

(2) शहरी उपभोक्ता समिति, मकान बनाने वाली समिति, शक्ति की सहायता से निर्माण करने वाली समिति, यातायात का व्यापार करने वाली समिति अथवा 20,000 रु. से अधिक सकल कुल आय वाली सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों को मकान सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली समस्त आय कटौती के रूप में स्वीकृत की जाती है।

मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय की गणना
(Computation of taxable income from house property)

किसी भी मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय की गणना करने के लिये पहले उस मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा इसके बाद वार्षिक मूल्य में से इस शीर्षक को स्वीकृत कटौतियों को घटाकर मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय ज्ञात की जाती है।

वार्षिक मूल्य का निर्धारण
(Determination of Annual Value)

विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य का निर्धारण अलग-अलग नियमों के अनुसार किया जाता है। इस उद्देश्य से सम्पत्ति के निम्नलिखित वर्ग किये जा सकते हैं—

A. किराये पर उठायी गई मकान सम्पत्ति,

B. स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई सम्पत्ति,

(i) सम्पूर्ण वर्ष स्वयं के निवास के लिये प्रयोग में लाई गई सम्पत्ति।

(ii) कुछ अवधि के लिये सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तथा कुछ अवधि के लिये स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लाई गई हो।

A किराये पर उठाई गई सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण
(Determination of Annual value of let out property)

धारा-23 (1) के अनुसार किसी मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से आशय उस राशि से है जिस पर सम्बन्धित मकान सम्पत्ति को वर्ष-प्रतिवर्ष उचित रूप से किराये पर उठाया जा सकता है। परन्तु यदि मकान सम्पत्ति को किराये पर उठाया जाता है तथा उस मकान के सम्बन्ध में प्राप्य अथवा प्राप्त वार्षिक किराया उचित किराये से अधिक है तो प्राप्य अथवा प्राप्त वार्षिक किराये को वार्षिक मूल्य माना जायेगा। उचित किराया ऐसी अनुमानित आय है जो को किराये पर उठाने से उसके मालिक को प्राप्त होनी चाहिए।

> 1. वार्षिक किराये से अभिप्राय सम्पूर्ण वर्ष मकान को किराये पर उठाने की दशा में प्राप्त वार्षिक किराये से होता है तथा कुछ अवधि के लिये किराये पर उठाने की दशा में आनुपातिक रूप से वर्ष भर का किराया ज्ञात कर लिया जाता है।
>
> 2. प्राप्त किराये की उचित किराया अथवा नगर पालिका मूल्यांकन से तुलना करते समय यदि किरायेदार ने मकान मालिक के किसी दायित्व का भुगतान किया हो जैसे—राज्य सरकार को गृह-कर, तो ऐसी राशि को जोड़ देना चाहिये तथा मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सुविधाओं पर व्यय की गई राशि को घटा देना चाहिये यदि ये सुविधाएँ समझौते के तहत दी गई हों।

संक्षेप में निम्न राशियों में से सबसे अधिक वाली राशि को वार्षिक मूल्य कहा जाता है—

1. नगरपालिका द्वारा निर्धारित मूल्यांकन,
2. किरायेदार से प्राप्त वास्तविक किराया,
3. वैसे ही क्षेत्र में वैसे ही मकानों का प्रचलित किराया।

यदि मकान मालिक ने मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्थानीय करों का भुगतान किया हो तो उपरोक्त सबसे अधिक वाली राशि में से स्थानीय करों को घटाने के बाद वार्षिक मूल्य आयेगा। इसी प्रकार यदि मकान मालिक को नये निमाण के सम्बन्ध में कटौती की पात्रता है तो नये निर्माण की कटौती के बाद वार्षिक मूल्य आयेगा।

> 1. वार्षिक मूल्य ज्ञात करने की उपर्युक्त विधि आयकर अधिनियम में दी गई है। छात्रों को इसे समझने में कठिनाई आती है। अत. लेखकों ने पाठकों को समझाने के [illegible] वार्षिक मूल्य आदि श[illegible] नियम के नहीं है,
> 2. वार्षिक मूल्य के निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को समझाने में हम निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करेंगे—
>   (i) वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value)
>   (ii) वार्षिक मूल्य (Annual Value)
>   (iii) समायोजित वार्षिक मूल्य (Adjusted Annual Value)

(i) वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value) का निर्धारण—निम्न राशियों में से सबसे अधिक वाली राशि को वार्षिक किराया मूल्य माना गया है—

(a) नगरपालिका मूल्य (Municipal Value)
(b) प्राप्त वास्तविक किराया (Rent received)
(c) अपेक्षित किराया (Expected rent)

यदि किसी स्थान पर किराया नियन्त्रण कानून लागू हो—तो वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त विधि से ही ज्ञात किया जायेगा परन्तु इस प्रकार से ज्ञात किया गया वार्षिक किराया मूल्य उस कानून के अन्तर्गत निर्धारित किराये से अधिक नहीं हो सकता है। इस नियम

एक अपवाद भी है। यदि प्राप्त किराया प्रमाप किराये से अधिक हो तो वार्षिक किराया मूल्य (Annual rental value) प्रमाप किराये (Standard rent) से अधिक हो सकता है।

(ii) वार्षिक मूल्य (Annual Value) का निर्धारण अथवा नगरपालिका करों को घटाना—वार्षिक किराया मूल्य में से मकान मालिक द्वारा स्थानीय सत्ता को चुकाये गये करों को घटाने पर वार्षिक मूल्य ज्ञात हो जाता है।—

1. किरायेदार द्वारा चुकाये गये स्थानीय करों को नहीं घटाया जाता है।
2. नगरपालिका करों को भुगतान के आधार पर घटाया जाता है चाहे वे गत वर्ष के पूर्व के वर्षों के हों अथवा बाद के वर्षों के हों।
3. कर निर्धारण वर्ष 1985-86 के पूर्व के किसी कर निर्धारण वर्ष के बकाया नगरपालिका करों की कटौती उस कर निर्धारण वर्ष में देय होने के आधार पर ले ली गई थी तो अब भुगतान के समय दुबारा कटौती नहीं मिलेगी।
4. यदि मकान सम्पूर्ण वर्ष खाली रहता है तब भी नगर पालिका करों को घटाया जायेगा। *Liquidator of Mahamudabad properties Private Ltd.* V.CIT के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 में नगरपालिका करों के न घटाने के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय 1985-86 कर निर्धारण वर्ष से प्रभावहीन हो गया है। कानून में परिवर्तन होने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी प्रभावहीन हो जाते हैं।
5. नगरपालिका करों से आशय उन करों से है जो नगरपालिका द्वारा लगाये जाते हैं भले ही इनकी वसूली किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई हो।

(iii) समायोजित वार्षिक मूल्य (Adjusted Annual Value) की गणना अथवा नये *निर्माण सम्बन्धी छूट—उपर्युक्त प्रकार से ज्ञात किये गये वार्षिक मूल्य में से नये बने आवासीय* मकानों सम्बन्धी वैधानिक छूट को घटाने के बाद समायोजित वार्षिक मूल्य ज्ञात हो जाता है।

Illustration 1 :

Ascertain the annual value of house properties in the following cases :
निम्न दशाओं में मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण कीजिए :

	First House	Second House	Third House	Forth House
Municipal Valuation	7,000	20,000	21,000	16,000
Rent received	8,000	16,000	26,000	10,000
Fair rent	12,000	18,000	24,000	13,000
Municipal tax paid				
(a) by land lord	1,400	—	—	500
(b) by tenant	—	2,000	—	500

Solution :

	First House	Second House	Third House	Forth
Annual rental Value	12,000	20,000	26,000	

Less : Municipal Tax paid by landlord	1,400	–	–	500
Annual Value	10,600	20,000	26,000	15,500

Illustration 2.

Mr. Desai is owner of four houses. He pays local taxes @ 10% of the municipal valuation. All the houses are covered by rent control Act. Determine their annual value:

श्री देसाई चार मकानों के स्वामी हैं। वे इनके नगरपालिका मूल्य का 10% स्थानीय कर देते हैं। सभी मकान किराया नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत आते हैं। इनका वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए :

	I	II	III	IV
Municipal Valuation	20,000	18,000	25,000	18,000
Rent received	24,000	20,000	23,000	25,000
Fair rent	22,500	22,000	25,000	24,000
Standard rent	25,000	21,000	20,000	22,500

Solution :

	I	II	III	IV
Annual rental value	24,000	21,000	23,000	25,000
Less : Municipal tax	2,000	1,800	2,500	1,800
Annual Value	22,000	19,200	20,500	23,200

स्पष्टीकरण–

1. सामान्यतः वार्षिक किराया मूल्य नगरपालिका मूल्यांकन, प्राप्त किराया एवं उचित किराये में से सबसे अधिक वाली राशि के बराबर होता है।
2. यदि प्रमाप किराया इन तीनों में सबसे बड़ी राशि से भी अधिक है तो प्रमाप किराये पर विचार नहीं किया जायेगा। देखिये मकान प्रथम।
3. यदि प्रमाप किराया इनमें से सबसे बड़ी राशि से कम है तो प्रमाप किराये को ही वार्षिक किराया मूल्य माना जायेगा। देखिये मकान द्वितीय।
4. मकान संख्या 3 में बड़ी राशि 25,000 रु. है जो प्रमाप किराया 20,000 रु. से अधिक है अतः सामान्य नियम से 20,000 रु. वार्षिक किराया मूल्य होना चाहिए। परन्तु यदि प्राप्त किराया प्रमाप किराये से अधिक हो तो प्राप्त किराये को वार्षिक किराया मूल्य माना जायेगा। अतः 23,000 रु. को वार्षिक किराया मूल्य माना गया है।
5. चतुर्थ परिस्थिति में बड़ी राशि 25,000 रु. प्रमाप किराया 22,500 रु. से अधिक है। परन्तु बड़ी राशि प्राप्त किराया है जो प्रमाप किराये से अधिक हो सकता है। अतः 25,000 रु. को वार्षिक किराया मूल्य लिया गया है।

31 मार्च, 1982 के बाद बनकर तैयार हुए रहने के मकान—वे मकान जिनका निर्माण 31 मार्च, 1982 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व पूरा हुआ हो यदि रहने के लिए किराये पर उठाये जाते हैं तो ऐसे मकानों का वार्षिक मूल्य पहले तो पीछे बताई गई साधारण रीति से

निकाला जाता है। इसके पश्चात् मकान बनकर तैयार होने की तिथि से 5 वर्ष तक निम्न दो राशियों में से जो कम हो, उसकी और छूट दी जाती है—

(i) ऐसे मकान का सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य, अथवा

(ii) 3,600 रुपये।

स्पष्टीकरण—(1) यदि किसी करदाता के पास ऐसे कई मकान हैं तो प्रत्येक मकान के सम्बन्ध में अलग-अलग छूट दी जायेगी। यहाँ तक कि एक ही मकान में यदि कई रहने के भाग (Residential Units) हैं तो प्रत्येक भाग (Unit) के सम्बन्ध में अलग-अलग छूट दी जाएगी।

(2) रहने के लिए किराये पर उठाया गया नया मकान यदि 5 वर्ष तक वैधानिक छूट लेने के पूर्व ही उसके स्वामी द्वारा बेच दिया जाता है तो शेष अवधि के लिए यह छूट मकान के क्रेता को प्राप्त हो जायेगी।

(3) 31 मार्च, 1982 के बाद नये बने हुए रहने के मकान के सम्बन्ध में वैधानिक कटौती उसी दशा में स्वीकृत की जाती है जबकि मकान को रहने के लिए किराये पर उठाया गया हो। यदि मकान को अन्य किसी उद्देश्य जैसे—कार्यालय, गोदाम, दुकान आदि के लिए किराये पर उठाया जाये तो यह छूट प्राप्त नहीं होगी। परन्तु यदि रहने के लिए किराये पर उठाये गये मकान का बाद में किरायेदार अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग करता है तो उस दशा में मकान के स्वामी को मिलने वाली वैधानिक छूट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् निर्धारित अवधि तक उसे यह छूट मिलती रहेगी। इसी प्रकार का निर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा भी दिया गया है।

(4) यदि किसी प्रश्न में मकान के निर्माण की तिथि नहीं दी गई हो तो उसे 1 अप्रेल, 1982 के पूर्व का बना हुआ मानना चाहिए तथा वैधानिक छूट नहीं देनी चाहिए।

(5) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 में नये निर्माण की छूट केवल उन मकानों के सम्बन्ध में दी जायेगी जो 1 अप्रेल 1991 से 31 मार्च 1992 के बीच बनकर तैयार हुए हों।

(B) स्वयं के निवास स्थान के लिए प्रयोग किये गये मकान का वार्षिक मूल्य—वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाये गये मकान की निम्न दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं—

(i) *सम्पूर्ण वर्ष स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाया गया मकान अथवा मकान का कोई भाग,* तथा

(ii) वर्ष के कुछ भाग में ही स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाया गया मकान अथवा मकान का कोई भाग।

(i) सम्पूर्ण वर्ष स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाया गया मकान अथवा मकान का कोई भाग—यदि कोई करदाता सम्पूर्ण वर्ष के लिए अपने किसी मकान अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए करता है तो ऐसे मकान या मकान के भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा। यह आवश्यक है कि इस मकान को या उसके भाग को वर्ष के दौरान कभी थोड़ी-सी भी अवधि के लिए न तो किराये पर उठाया गया हो और न ही इस मकान या इसके भाग से अन्य कोई लाभ प्राप्त किया गया हो।

[धारा-23 (2) (a)(i)]

यदि किसी करदाता के पास स्वयं का रहने का केवल एक ही मकान हो और उसका प्रयोग गत वर्ष में अन्य किसी स्थान पर उसका व्यापार, पेशा अथवा नौकरी के कारण न कर सके तथा दूसरे स्थान पर उसका स्वयं का मकान न हो तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा बशर्ते कि उस मकान को किराये पर न उठा दिया जाये अथवा मालिक द्वारा उस मकान से अन्य कोई लाभ प्राप्त न किया जाये। *कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से यदि करदाता* कुछ अवधि के लिए गत वर्ष में इस मकान में आकर रहता है तो भी उसका वार्षिक मूल्य शून्य ही रहेगा। [धारा-23 (3)]

(ii) वर्ष के कुछ भाग में ही स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाया गया मकान या मकान का कोई भाग—यदि कोई करदाता स्वयं के रहने के मकान को गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराये पर उठा देता है तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य पहले तो यह मानकर ज्ञात किया जायेगा कि मकान किराये पर उठाया गया है। इस वार्षिक मूल्य में से स्वय के रहने की अवधि का आनुपातिक भाग घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही इस मकान का वार्षिक मूल्य होगा। इसी प्रकार यदि ऐसी सम्पत्ति को हिस्सों में किराये पर उठाया जाता है तो ऐसे हिस्से का वार्षिक मूल्य जो वर्ष के कुछ भाग में किराये पर उठाया जाता है तथा कुछ भाग में स्वयं रहने के काम में लाता है, ऊपर वर्णित विधि से ही ज्ञात किया जायेगा तथा इस वार्षिक मूल्य में से स्वयं के रहने की अवधि का आनुपातिक भाग घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य होगा। [धारा-23 (2) (a)(ii)]

स्पष्टीकरण—(i) यदि कोई करदाता एक से अधिक मकान अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाता है तो केवल एक मकान का ही वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा। इस मकान का चुनाव करने का अधिकार करदाता को होगा। शेष मकानों के वार्षिक मूल्य की गणना यह मानकर की जायेगी कि वे किराये पर उठाए गये हैं।

(ii) यदि करदाता के मकान में उसका कोई सम्बन्धी अथवा मित्र बिना किराये के रहता है तो मकान का वार्षिक मूल्य शून्य नहीं माना जायेगा। ऐसे मकान के वार्षिक मूल्य की गणना किराये पर उठाये गये मकान की तरह ही की जायेगी।

(iii) धारा-23 (2) (a) (ii) के अन्तर्गत मकान के स्वयं के रहने के लिए प्रयोग करने की अवधि वर्ष के दौरान किसी भी समय की हो सकती है, अर्थात् मकान सम्पत्ति को किराये पर उठाने के पहले की अथवा किराये पर उठाने के बाद की, दोनों ही दशाओं में स्वयं के रहने की अवधि का आनुपातिक वार्षिक मूल्य शून्य माना जायेगा।

Illustration 3

Compute the annual value in the following cases for the assessment year *1997-98* :

(i) Mr. Ram Started construction of a residential house on 15th July, 1990 which was completed on 31st March, 1992. It was let out from 1st June, 1992 at a rent of Rs. 800 per month. The rent was increased to Rs. 1,000 per month from 1st October, 1996 The Municipal valuation of this house is Rs. 10,000 and local taxes @ 10% were paid on 1st March, 1997.

(ii) Mr. Mohan started construction of a residential house on 1st April, 1989 which was completed on 31st July, 1991. From 1st August 1991

the house was used for his own residence but from 1st December 1995 he let out this house at a rent of Rs. 1,250 per month. The municipal taxes for the previous year 1996-97 @ $6\frac{1}{4}$% of municipal value amounted to Rs.1,000 which were paid by the tenant on 10th September 1996.

(iii) Mr. Shyam started construction of a residential house on 1st August, 1989 which was completed on 31st January 1991. It was let out from 1st February, 1991 at a rent of Rs. 1,000 per month. On 31st July, 1996 the tenant vacated the house and it remained vacant for two months. From 1st October, 1996 it was again let out at a rent of Rs. 1,500 per month. The municipal valuation of the house is Rs. 15,000. During the previous year he paid Rs. 3,000 for municipal taxes for the years 1994-95 and 1995-96. The municipal taxes of 1996-97 were not paid during the previous year.

(iv) Mr. Sohan purchased a residential house on 30th June,1996 the constrcution of which were completed on 31st December, 1991. It has two units. The First unit, which covers one third area of the house is let out at a rent of Rs. 200 per month from 1st July, 1996. The second unit, which covers two third area of the house remained vacant for two months and was let out from 1st September, 1996 at a rent of Rs. 400 per month. Both the units were let out for residential purposes but the tenant of the second unit [illegible]
[illegible]
whole house is Rs. 6,000.

(v) Mr. Chandra Prakash started construction of a residential house on 1st April, 1991 which was completed on 15th May, 1992. From 16th May, 1992 it was let out at a rent of Rs. 2,000 per month including Rs. 400 for light, water and garden facilities. Municipal taxes are levied @ $6\frac{1}{4}$% of the municipal valuation which during the previous year amounted to Rs.1,250. Half of the municipal taxes were paid by the tenant while the remaining amount of the municipal taxes were outstanding at the end of the previous year. However Mr. Chandra Prakash paid Rs. 500 as municipal taxes during the previous year which were outstanding for the previous year 1995-96.

निम्नांकित दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए :

(i) श्री राम ने एक आवासीय मकान का निर्माण करवाना 15 जुलाई, 1990 को प्रारम्भ किया जो 31 मार्च, 1992 को बनकर पूरा हुआ। इसे 1 जून, 1992 से 800 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठाया गया। 1 अक्टूबर, 1996 से किराया बढ़ाकर 1,000 रु. प्रतिमाह कर दिया गया। इसका नगरपालिका मूल्यांकन 10,000 रु. है तथा स्थानीय कर 10% है जिनका भुगतान 1 मार्च, 1997 को कर दिया गया था।

(ii) श्री मोहन ने एक आवासीय मकान का निर्माण करवाना 1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ किया जो 31 जुलाई, 1991 को बनकर पूरा हुआ। 1 अगस्त, 1991 से वे इस मकान का

प्रयोग अपने स्वयं के निवास स्थान के लिये कर रहे थे परन्तु 1 दिसम्बर, 1995 से उन्होंने इस मकान को 1,250 रु. प्रतिमाह के किराये के किराये से उठा दिया। गत वर्ष 1996-97 के लिये नगरपालिका कर का निर्धारण नगरपालिका मूल्यांकन का $6\frac{1}{4}\%$ की दर से किया गया जिसकी राशि 1,000 रु. थी तथा जिसका भुगतान 10 सितम्बर, 1996 को किरायेदार द्वारा किया गया।

(iii) श्री श्याम ने एक आवासीय मकान का निर्माण करवाना 1 अगस्त, 1989 को प्रारम्भ किया जो 31 जनवरी, 1991 को बनकर तैयार हुआ। इसे 1 फरवरी, 1991 से 1,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठाया गया। 31 जुलाई, 1996 को किरायेदार ने मकान खाली कर दिया तथा यह दो महीने तक खाली ही रहा। 1 अक्टूबर, 1996 से इसे पुनः 1,500 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठा दिया गया। मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 15,000 रु. है। गत वर्ष में उसने 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के लिये 3,000 रु. नगरपालिका कर के चुकाये। गत वर्ष में 1996-97 वर्ष के नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया।

(iv) श्री सोहन ने 30 जून, 1996 को एक आवासीय मकान क्रय किया जिसका निर्माण 31 दिसम्बर, 1991 को पूरा हुआ था। इसमें दो इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई को जो मकान का एक-तिहाई भाग है, 1 जुलाई 1996 से 200 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठा दिया। द्वितीय इकाई, जो मकान का दो-तिहाई भाग है, दो महीने के लिये खाली रहा तथा 1 सितम्बर, 1996 से इसे भी 400 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठा दिया। दोनों इकाइयों को रहने के लिये किराये पर उठाया गया था परन्तु द्वितीय इकाई का किरायेदार इसे व्यापारिक कार्यों के लिये प्रयोग में लेने लग गया। जनवरी, 1997 में मकान मालिक ने 600 रु. स्थानीय कर के चुकाये। सम्पूर्ण मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 6,000 रु. है।

(v) श्री चन्द्र प्रकाश ने एक आवासीय मकान का निर्माण करवाना 1 अप्रैल, 1991 को प्रारम्भ किया जो 15 मई, 1992 को बनकर पूरा हुआ। 16 मई, 1992 से इसे 2,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर किराये से उठा दिया जिसमें 400 रु. प्रतिमाह बिजली, पानी एवं बगीचे की सुविधा के लिये सम्मिलित था। नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन के $6\frac{1}{4}\%$ लगाये जाते हैं जो गत वर्ष में 1,250 रु. थे। आधे नगरपालिका करों का भुगतान किरायेदार द्वारा किया गया जबकि शेष कर गत वर्ष के अन्त तक अदत्त ही रहे। परन्तु चन्द्र प्रकाश ने गत वर्ष 1995-96 के बकाया 500 रु. की नगरपालिका करों की राशि का भुगतान गत वर्ष में कर दिया।

Solution :

Computation of Annual Value for the Assessment Year 1997-98

	Rs.
(i) Annual rental value	10,800
Less : Municipal taxes paid by owner	1,000
Annual Value	9,800
Less : New construction allowance	3,600
Adjusted Annual Value	6,200

(ii) Annual rental value	16,000
Less : Municipal taxes paid by owner	–
Annual Value	16,000
Less : New construction allowance	1,200
Adjusted Annual Value	14,800
(iii) Annual rental value	15,600
Less : Municipal taxes paid by owner	3,000
Annual Value	12,600
Less : New construction allowance	–
Adjusted Annual Value	12,600
First Unit	
(iv) Annual rental value (for 9 months)	1,800
Less : Municipal taxes paid by owner	200
Annual Value	1,600
Less : New construction allowance	1,600
Adjusted Annual Value	Nil
Second Unit	
Annual rental value	3,600
Less : Municipal taxes paid by owner	400
Annual Value	3,200
Less : New construction allowance	1,800
Adjusted Annual Value	1,400
(v) Annual rental value	20,000
Less : Municipal taxes paid by owner	500
Annual Value	19,500
Less : New construction allowance	–
Adjusted Annual Value	19,500

टिप्पणी :

1. परिस्थिति (ii) में नये निर्माण की छूट 4 महीने के लिये ही दी गई है। नगरपालिका कर की छूट नहीं मिलेगी। नगरपालिका मूल्यांकन प्राप्त किराये से अधिक है।
2. परिस्थिति (iii) में वार्षिक किराये की गणना निम्न प्रकार की गई है—

   $\frac{(1000 \times 4) + (1500 \times 6)}{10} \times 12 = 15{,}600$ रु. दो महीने के लिये मकान खाली रहने पर भी वार्षिक किराया मूल्य (Annual rental value) पूरे 12 महीने का ही लिया जायेगा। नगरपालिका करों की कटौती भुगतान के आधार पर दी गई है। 5 वर्षों की अवधि गत वर्ष के पूर्व ही पूरी हो गई थी, अतः नये निर्माण की छूट नहीं दी गई है।
3. परिस्थिति (iv) में मकान यद्यपि 1996 में क्रय किया गया है परन्तु इ 31 दिसम्बर, 1991 को पूरा हुआ था, अतः क्रेता को नये निर्माण की

इसे यह छूट 1 जुलाई, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक 6 माह की अवधि को मिलेगी। प्रथम इकाई में सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य की छूट दी गई है जबकि द्वितीय इकाई में 1,800 रु. की छूट दी गई है। नगरपालिका करों को क्षेत्र के अनुपात में घटाया गया है। मकान रहने के लिये किराये पर उठाया जाये तो नये निर्माण की छूट मिलती है चाहे भले ही किरायेदार इसका व्यापारिक उपयोग करने में लग जाये।

4. परिस्थिति (v) में प्राप्त किराये में से सुविधाओं के लिये प्राप्त राशि घटाकर वास्तविक किराया ज्ञात किया गया है। नगरपालिका मूल्यांकन वास्तविक किराये से अधिक है। नगरपालिका करों को भुगतान की गई राशि घटाई गई है। मकान का निर्माण कार्य 15 मई, 1992 को पूरा हुआ था, अत: नये निर्माण की छूट नहीं दी गई है।

कटौतियाँ (Deductions)

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की कर-योग्य आय निकालने के लिए धारा 24(1) के अन्तर्गत किराए से उठायी गयी मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत की गई हैं—

(1) मरम्मत एवं किराया संग्रह व्ययों के सम्बन्ध में कटौती—मरम्मत एवं किराया संग्रह की छूट एक वैधानिक छूट है जो मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के $\frac{1}{5}$ के बराबर दी जाती है। मरम्मत एवं किराया संग्रह की छूट देते समय मरम्मत पर किए जाने वाले व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अर्थात् मरम्मत एवं किराया संग्रह पर खर्च किया गया है अथवा नहीं, अधिक खर्च किया गया है-अथवा कम अथवा मकान खाली पड़ा रहा है, इत्यादि बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मरम्मत एवं किराया संग्रह की छूट हमेशा ही वार्षिक मूल्य को $\frac{1}{5}$ होती है।

(2) बीमा प्रीमियम—मकान को अग्नि, भूकम्प या अन्य इसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले जोखिम से बचाने के लिए मकान का बीमा कराया जाता है तो भुगतान किए गए प्रीमियम की वास्तविक राशि स्वीकृत कटौती होगी। चोरी के सम्बन्ध में मकान का बीमा कराया जाता है तो ऐसे प्रीमियम की कटौती नहीं दी जायेगी।

(3) वार्षिक भार (Annual Charge) – यदि मकान सम्पत्ति पर कोई भार है तो उसकी राशि कटौती के रूप में स्वीकृत है बशर्ते कि यह भार पूँजीगत भार नहीं है तथा करदाता द्वारा स्वेच्छा से नहीं लगाया गया है। अर्थात् वह भार जो पूँजीगत प्रकृति का है अथवा जिसको करदाता ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है, कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा।

धारा-27 के अनुसार वार्षिक भार उस भार को कहते हैं, जो किसी वार्षिक दायित्व को सुरक्षित करने के लिए हो। परन्तु इसमें स्थानीय सत्ता, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पत्ति पर लगाये गए करों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कम्पनी अपने द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का ब्याज अपनी मकान सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित कर देती है तो यह ब्याज कम्पनी के लिए वार्षिक भार है। पूँजीगत भार उस भार को कहते हैं जो किसी पूँजीगत दायित्व को सुरक्षित करने के लिए हो। उदाहरण के लिए यदि कोई कम्पनी

मकान सम्पत्ति पर भार लगाकर ऋण-पत्र जारी करती है तो ऋण-पत्रों की राशि पूँजीगत भार है। पूँजीगत भार को एवं पूँजीगत भार से सम्बन्धित ब्याज को नहीं घटाया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि करदाता ने वार्षिक भार स्वेच्छा से न लगाया हो। यह न्यायालय द्वारा अथवा पंच फैसले द्वारा निर्धारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई करदाता अपने वृद्ध पिता को प्रतिवर्ष मकान सम्पत्ति की आय में 1,000 रु. देना स्वीकार कर लेता है तो वह स्वेच्छा से लगाया गया भार होगा और इसकी कटौती नहीं दी जाएगी। इसके विपरीत यदि न्यायालय द्वारा यह निश्चित कर दिया जाए कि एक हिन्दू अविभाजित परिवार अपनी मकान सम्पत्ति की आय में से परिवार की किसी विधवा को प्रतिवर्ष 1,500 रु. देगा तो यह भार कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, क्योंकि यह स्वेच्छा से लगाया हुआ भार नहीं है, अपितु न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया वार्षिक भार है।

यदि वार्षिक भार का भुगतान भारत के बाहर किया जाता है तथा उसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है एवं प्राप्तकर्त्ता का भारत में कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नही है जिससे कर की राशी वसूल की जा सके तो ऐसे वार्षिक भार की कटौती नहीं दी जायेगी।

(4) भूमि के किराये की कटौती (Ground Rent)—जिस भूमि पर मकान बना हुआ है, उसके सम्बन्ध में कोई किराया देय है तो इस किराये की राशि को मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

(5) उधार ली गई पूँजी का ब्याज—मकान सम्पत्ति को बनवाने, मरम्मत करवाने, खरीदने अथवा वृद्धि के लिए कोई रकम उधार ली जाती है तथा उस पर ब्याज देय है तो ब्याज की रकम कटौती के रूप में स्वीकृत है—चाहे मकान सम्पत्ति को गिरवी रखा गया है अथवा नही। परन्तु यदि किसी वर्ष मकान सम्पत्ति की आय कर-मुक्त होती है तो उस वर्ष इस ब्याज की कटौती नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए मकान सम्पत्ति का प्रयोग किसी वर्ष व्यापार के लिए किया जाये तो मकान सम्पत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं लगेगा और फलस्वरूप उससे सम्बन्धित उस वर्ष के ब्याज की कटौती नहीं दी जायेगी।

यदि करदाता ऐसे ऋण का ब्याज अपने ऋणदाता को समय पर नही चुकाता है और परिणामस्वरूप उसको ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है तो सम्पूर्ण ब्याज की कटौती करदाता को नहीं दी जायेगी। ऋण की राशि पर साधारण ब्याज की दर से ज्ञात की गई रकम की छूट दी जाएगी। ब्याज की कटौती देय होने के आधार पर प्रति-वर्ष दी जाती है, चाहे इसका उस वर्ष भुगतान किया गया है अथवा नही।

ऋण लेने के सम्बन्ध में दलाली या कमीशन दिया जाता है अथवा अन्य कोई व्यय किया जाता है तो ऐसी दलाली, कमीशन या अन्य कोई व्यय की कटौती नहीं दी जायेगी।

यदि किसी मकान सम्पत्ति को क्रय करने के लिए अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण लिया गया है तथा इस ऋण पर मकान क्रय करने अथवा मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष के पहले की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है तो ऐसे ब्याज की कटौती पाँच समान किस्तों में पाँच वर्षों में दी जाएगी। यह कटौती जिस गत वर्ष में मकान क्रय किया गया था अथवा बनवाया गया था, उस गतवर्ष से प्रारम्भ की जाएगी। यदि ऐसी किसी राशि की कटौती इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत् दे दी जाती है तो उस राशि के सम्बन्ध में कटौती नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण—जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार होता है उस गत वर्ष का सम्पूर्ण ब्याज उसी वर्ष घटा दिया जायेगा तथा पिछले वर्षों की ब्याज की किश्त भी इस ब्याज के साथ घटाई जायेगी।

(6) भूमि का लगान एवं राज्य सरकार द्वारा लगाये गये कर (Land Revenue)—मकान सम्पत्ति से आय की गणना करने में उसके वार्षिक मूल्य में से भूमि के लगान अथवा मालगुजारी के रूप में भुगतान की गई रकमों को घटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मकान सम्पत्ति पर लगाए जाने वाले अन्य करों के भुगतान की भी छूट दी जाती है। अनेक राज्य सरकारों ने शहरी क्षेत्र में भूमि पर 'शहरी भूमि कर' लगाये जाने के लिए अधिनियम बनाये है, चाहे भले ही भूमि पर 'मकान सम्पत्ति' का निर्माण किया गया है अथवा नहीं। यदि भूमि पर मकान सम्पत्ति का निर्माण किया गया है तो इस प्रकार के करों की राशि भी इस मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटायी जाती है।

(7) मकान खाली रहने सम्बन्धी छूट (Vacancy Allowance)—किराये पर उठा हुआ मकान गत वर्ष में कुछ समय के लिए खाली पड़ा रहता है तो उस अवधि के लिए करदाता को मकान खाली रहने से सम्बन्धित छूट दी जाती है। यह छूट वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि के लिए आनुपातिक रूप से दी जाती है, अर्थात् यदि मकान का वार्षिक मूल्य 2,400 रु. है और मकान तीन महीने के लिए खाली पड़ा रहता है तो मकान खाली रहने की छूट 2,400 का $\frac{3}{12}$ =600 रु. होगी। परन्तु यदि मकान का वार्षिक मूल्य 12 महीने से कम अवधि का है तो 12 के स्थान पर कम वाली अवधि आयेगी। उपर्युक्त उदाहरण में यदि 8 माह का वार्षिक मूल्य लिया गया हो जिसमें तीन महीने मकान खाली रहा हो तो मकान खाली रहने की छूट 2,400 × $\frac{3}{8}$ =900 रु. की दी जायेगी। मकान खाली रहने का अर्थ है कि करदाता उस मकान को किराये पर उठाने के लिए तैयार है परन्तु उपयुक्त किरायेदार न मिलने के कारण वास्तव में किराये पर नहीं उठा पाता है। यदि करदाता उस मकान को अपने स्वयं के प्रयोग करने के उद्देश्य से अथवा अपने अतिथियों को ठहराने के इरादे से किराये पर नहीं उठाता अथवा खाली रखता है तो ऐसी दशा में खाली रहने की छूट नही दी जायेगी।

यह आवश्यक नही है कि मकान पहले किराये पर उठाया गया हो तथा बाद में खाली रहा हो। खाली रहने की अवधि किराये पर उठाने के पहले की भी हो सकती है अथवा बाद की भी हो सकती है। परन्तु गत वर्ष में कुछ समय के लिए किराये पर उठाया जाना आवश्यक है।

यदि किसी गत वर्ष में मकान बिल्कुल भी किराये से नही उठाया जाता है तथा सम्पूर्ण 12 महीनों की अवधि के लिए मकान खाली पड़ा रहता है तो उस गत वर्ष में उस मकान के सम्बन्ध में खाली रहने की छूट नहीं दी जायेगी। [Liquidator of Mahamudabad Properties P. Ltd. V. CIT (1980) 124 ITR 31(S.C) and CIT. V. Pradeep Kumar M. Shah (1981) 130ITR 118 (Kerala)]

यदि सम्पूर्ण मकान का कोई भाग कुछ अवधि के लिए गत वर्ष में खाली रहता है तो खाली रहने की छूट का वार्षिक मूल्य के साथ वही अनुपात होगा जो अनुपात मकान के भाग के खाली रहने की अवधि के किराये का सम्पूर्ण मकान के पूरे वर्ष के किराये के साथ है।

उदाहरण के लिए सम्पूर्ण मकान का वार्षिक किराया 20,000 रु. है तथा स्थानीय कर 2,000 रु मकान मालिक द्वारा भुगतान किये जाते है। इस मकान का एक भाग जिसका किराया 600 रु. प्रतिमाह है 4 माह के लिए खाली रहता है। मकान खाली रहने की छूट की गणना निम्न प्रकार मे की जायेगी—

$$\text{खाली रहने की छूट} = \text{वार्षिक मूल्य} \times \frac{\text{खाली रहने की अवधि का किराया}}{\text{वार्षिक किराया}}$$

$$= 18{,}000 \times \frac{600 \times 4}{20{,}000} = 2{,}160 \text{ रु.}$$

(8) न वसूल हुए किराये की कटौती (Unrealised rent)—जब कोई मकान मालिक अपने किसी किरायेदार से किराये की रकम वसूल करने में असमर्थ रहता है तथा यह साबित कर देता है कि राशि वसूल नही की जा सकती है तो इस न वसूल हुए किराये की कटौती दी जाती है, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ति कर दी जाए। ये नियम निम्नलिखित हैं—

(i) किरायेदारी वास्तविक हो,

(ii) किराया न चुकाने वाले किरायेदार ने मकान खाली कर दिया हो अथवा उससे मकान खाली करवाने के लिए उचित कार्यवाही कर दी गई हो,

(iii) किराया न चुकाने वाले किरायेदार ने करदाता के अन्य किसी मकान को अपने अधिकार में नहीं ले रखा है,

(iv) करदाता ने अदत्त किराये की वसूली के लिए किरायेदार के विरुद्ध समस्त कानूनी कार्यवाही कर ली है अथवा वह निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास दिला देता है कि कानूनी कार्यवाही का किया जाना व्यर्थ ही रहेगा।

(v) जिस गत वर्ष से सम्बन्धित यह अदत्त किराया है, उस गत वर्ष की मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य करदाता की कर-योग्य आय में सम्मिलित कर लिया गया था तथा उस कर-योग्य आय पर कर चुका दिया गया है।

न वसूल हुए किराये की कटौती देने के परिणामस्वरूप 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की आय ऋणात्मक नहीं हो सकती अर्थात् यह कटौती देने से पूर्व जितनी कर-योग्य आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की है, (न वसूल हुए किराये की प्राप्ति को छोड़ कर) उससे अधिक की कटौती नही दी जा सकती है। यदि किसी गत वर्ष में मकान सम्पत्ति की आय कम होने के कारण न वसूल हुए किराये की सम्पूर्ण राशि की कटौती न दी जा सके तो शेष बची हुई रकम की कटौती अगले वर्षों में मकान सम्पत्ति की आय में से दी जा सकती है।

न वसूल हुए किराये की प्राप्ति—यदि किसी गत वर्ष में पिछले वर्षों के न वसूल हुए किराये की कटौती स्वीकृत कर दी जाती है, परन्तु ऐसा किराया आगे जाकर कभी प्राप्त हो जाता है तो इस राशि पर प्राप्त होने वाले गत वर्ष में 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर लगाया जायेगा, चाहे भले ही वह मकान सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में है अथवा नहीं। अब इस राशि के सम्बन्ध में धारा 23 व 24 के तहत किसी भी प्रकार की कटौती नहीं दी ।

यहां तक की न वसूल हुए किराये की कटौती भी नहीं दी जायेगी क्योंकि यह धारा 24 के अन्तर्गत कटौती है।

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में हानि—यदि किराये पर उठायी गयी मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य में से घटायी जाने वाली उपरोक्त समस्त राशियों का योग मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो यह आधिक्य उस मकान की हानि होती है जिसे वह अन्य मकान सम्पत्ति की आय से पूरा कर सकता है। ऐसा समायोजन करने के बाद भी यदि 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में हानि रहे तो उसकी पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से की जा सकती है।

(B) स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले मकानों के सम्बन्ध में कटौतियाँ—

(i) यदि कोई मकान या उसका कोई भाग जो सम्पूर्ण वर्ष करदाता ने अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए काम में लिया हो, के सम्बन्ध में केवल चुकाये गये ब्याज की ही कटौती दी जाती है तथा अन्य कोई कटौती नहीं दी जा सकती है। इस ब्याज का भुगतान मकान सम्पत्ति को बनवाने, मरम्मत करवाने, क्रय करने अथवा वृद्धि के लिए उधार ली गई रकम के सम्बन्ध में किया जाना चाहिए।

यदि किसी मकान सम्पत्ति को क्रय करने के लिए अथवा मकान बनवाने के लिए ऋण लिया जाता है तथा इस ऋण पर मकान क्रय करने अथवा मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष के पहले की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है तो ऐसे ब्याज की कटौती पाँच समान किश्तों में पाँच वर्षों में दी जायेगी। यह कटौती जिस गत वर्ष में मकान क्रय किया गया था अथवा बनकर तैयार हुआ था उस गत वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी।

इस प्रकार के मकानों के सम्बन्ध में अधिकतम कटौती 15,000 रु. तक की ही दी जा सकती है। यदि वास्तविक राशि 15,000 रु. से कम हो तो वास्तविक राशि की ही कटौती दी जायेगी।

हानि दिखाना—चूँकि ऐसे मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य होता है, अतः ब्याज की कटौती ऐसी मकान सम्पत्ति पर दी जायेगी तो उस मकान की आय ऋणात्मक होगी। ऐसे मकान की हानि को जो अधिकतम 15,000 रु. तक हो सकती है, किराये पर उठायी गयी मकान सम्पत्ति की आय से घटाया जा सकता है। यदि किराये पर उठायी गयी मकान सम्पत्ति से आय नहीं हो तो अन्य किसी शीर्षक की आय में से घटाया जा सकता है।

(ii) यदि कोई मकान या उसका कोई भाग सम्पूर्ण वर्ष स्वयं के रहने के काम में नहीं आता है—अर्थात् वर्ष के कुछ भाग में तो किराये पर उठा दिया जाता है तथा कुछ अवधि के लिए स्वयं के रहने के काम में आता है तो उस मकान के वार्षिक मूल्य में से (जिसकी गणना करने की विधि पीछे समझायी गयी है) वे सब कटौतियाँ दी जाती हैं जो किराये से उठाये गये मकानों के लिए दी जाती हैं। परन्तु ऐसे मकान पर दी जाने वाली कटौतियाँ किसी भी दशा में मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं हो सकती हैं।

हानि—ऐसे मकान से हानि नहीं दिखाई जा सकती है।

(iii) ऐसी मकान सम्पत्ति जिस पर धारा-23 (3) लागू होती है उसका वार्षिक मूल्य भी शून्य होता है तथा इसमें से ब्याज के सम्बन्ध में अधिकतम कटौती 15,000 रु. तक की दी जा सकती है। (वित्त अधिनियम 1996 के अनुसार)

'मकान सम्पत्ति की आय' में से न घटाई जाने वाली राशियाँ—भारत के बाहर चुकाया जाने वाला कोई भी वार्षिक भार अथवा ब्याज की राशि जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य है, उस समय तक नहीं घटायी जा सकती है जब तक कि उस पर कर न चुका दिया हो अथवा उद्‌गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो अथवा भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि धारा-163 के अन्तर्गत उस विदेशी व्यक्ति का अभिकर्त्ता (Agent) माना जा सके एवं उससे कर वसूल किया जा सके।

Illustration 4.

श्री कपिलदेव कई मकान सम्पत्तियों के स्वामी हैं जिनमें से एक मकान देहली में स्थित है। इस मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 24,000 रु. है। गत वर्ष 1996-97 के दौरान इस मकान का प्रयोग कपिलदेव ने पूरे वर्ष अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए किया है। गत वर्ष में इस मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यय किए गए—

Shri Kapildeo is owner of several house properties, one of which is situated at Delhi. The Municipal Valuation of this house is Rs. 24,000. During the previous year 1996-97 Mr. Kapildeo has used this house through out the year for his own residence. During the previous year following expenditure were made in respect of this house—

	Rs.
Municipal taxes	4,000
Repairs	2,500
Fire Insurance premium	1,600
Land Revenue	3,200
Interest on loan taken for the construction of the house	15,800

इस मकान का निर्माण 31 मार्च, 1992 को पूरा हुआ था। गत वर्ष में इस मकान को न तो किराये पर उठाया गया तथा न कोई अन्य लाभ प्राप्त किया गया। यह मानते हुए कि श्री कपिलदेव की अन्य मकान सम्पत्तियों की कर-योग्य आय 68,000 रु. है, उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की गणना कीजिए।

The construction of this house was completed on 31st March, 1992. During the previous year this house was not let out and no other benefit was derived from it. Assuming that Kapildeo's taxable income from other house properties is Rs. 68,000, determine his taxable income from house properties for the Assessment year 1997-98.

Solution :

Computation of Taxable Income from House Property of Shri Kapildeo for the Assessment Year 1997-98

		Rs
Annual Value of Self occupied house under section 23(2) (a) (i)		NIL
Less	Interest on loan taken for construction allowable only upto Rs. 15,000 u/s 24(2)	15,000
		(–) 15,000
Add :	Taxable income from other house properties	68,000
	Taxable income from House Property	53,000

टिप्पणी—यदि किसी मकान सम्पत्ति या उसके किसी भाग का प्रयोग करदाता द्वारा सम्पूर्ण वर्ष में अपने निवास स्थान के लिए किया जाता है तो उसका वार्षिक मूल्य धारा-23(2) (a)(i) के अनुसार शून्य होता है। ऐसे मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा-24(1) की कोई कटौती नहीं दी जाती है। धारा-24(2) के अनुसार केवल मकान बनवाने, खरीदने आदि हेतु लिए गए ऋण के सम्बन्ध में वास्तविक ब्याज या 15,000 रु. (दोनों में जो भी कम हो) के बराबर कटौती दी जाती है।

Illustration 5.

In example No. 4 assume that Shri Kapildeo let out this house for residential purposes on a monthly rent of Rs. 2,150 from 1st May, 1996 to 31st August, 1996 and from 1st January, 1997 to 28 February, 1997 and used the house for remainder period for his own residence.

Compute taxable income from House Property.

उदाहरण संख्या 4 में यह मान लीजिए कि श्री कपिलदेव ने इस सम्पत्ति को 1 मई, 1996 से 31 अगस्त, 96 एवं 1 जनवरी, 1997 से 28 फरवरी, 1997 तक 2,150 रु. प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर उठाया तथा शेष अवधि के लिए स्वयं के रहने के प्रयोग में लिया।

मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Solution :

		Rs.
Annual rental Value on the basis of rent received (2,150 × 12)		25,800
Less : Municipal taxes		4,000
		21,800
Less :	Proportionate annual value of the property for the period during which it was self occupied i.e. $\frac{6}{12}$ of Rs. 21,800	10,900
		10,900
Less :	Statutory allowance regarding new construction only for 6 months	1,800
	Adjusted Annual Value	9,100

Less . (i) Repairs & collection chagres ($\frac{1}{5}$th of 9,100)	1,820	
(ii) Fire Insurance Premium	1,600	
(iii) Land Revenue	3,200	
(iv) Interest on Loan	15,800	
	22,420	
Amount deductible can not exceed Annual Value u/s 24(3)		9,100
		NIL
Add : Taxable income from other House Property		68,000
Taxable Income from House Property		68,000

टिप्पणी—यदि किसी मकान सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कुछ अवधि के लिए मकान मालिक किराये पर उठाता है तथा कुछ अवधि के लिए अपने स्वयं के निवास-स्थान के प्रयोग में लाता है तो सर्वप्रथम मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना यह मानकर की जाती है कि मकान सम्पत्ति किराए पर उठायी गयी है। इस वार्षिक मूल्य में से स्वयं के रहने की अवधि का आनुपातिक वार्षिक मूल्य घटा दिया जाता है। शेष वार्षिक मूल्य में नये बने हुए मकान के सम्बन्ध में वैधानिक छूट आनुपातिक अवधि के लिए दी जाती है।

ऐसी स्थिति में धारा (24)(1) की सभी कटौतियाँ सम्पूर्ण अवधि के लिये वार्षिक मूल्य में से दी जाती हैं परन्तु उनका योग वार्षिक मूल्य से अधिक नही हो सकता है अर्थात् ऐसी दशा में हानि नहीं दिखाई जा सकती है।

Illustration 6.

In example No. 4 assume that Shri Kapildeo used half portion of this [illegible] period of the year, he used this portion also for his own residence.

Compute the taxable income from House property of Shri Kapildeo for the assessment year 1997-98.

उदाहरण संख्या 4 में यह मान लीजिए कि श्री कपिलदेव ने इस मकान सम्पत्ति के $\frac{1}{2}$ भाग का प्रयोग पूरे वर्ष अपने निवास-स्थान के लिए किया है। शेष आधे भाग को 1 मई, 1996 से 31 अगस्त, 1996 एवं 1 जनवरी, 1997 से 28 फरवरी, 1997 तक 1,250 रु. प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर उठाया तथा शेष अवधि के लिए इस आधे भाग का भी प्रयोग अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए किया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री कपिलदेव की मकान सम्पत्ति से आय की गणना कीजिए।

Solution :

	Rs.
Rental Value of entire Property (1250 × 2 × 12)	30,000
Less : Municipal Taxes	4,000
	26,000

Less : Annual Value of $\frac{1}{2}$ portion which is fully self occupied (26,000 × $\frac{1}{2}$)		13,000
		13,000
Less : *Annual Value for 6 months (from* 1st April to 30th April, from 1st Sept. to 31st Dec. and from 1st March, 1997 to 31st March, 1997) during which the other half portion is also self occupied		6,500
A.V. of let out portion for let out period		6,500
Less : Statutory allowance regarding new construction for 6 months		1,800
Adjusted Annual Value		4,700
Less : (i) Repairs ($\frac{1}{5}$ of 4,700)	940	
(ii) Fire Insurance Premium	1,600	
(iii) Land Revenue	3,200	
(iv) Interest on Loan	15,800	
	21,540	
Amount deductible can not exceed Annual Value u/s 24(3)		4,700
		NIL
Add : Taxable income from other House Property		68,000
Taxable income from House Property		68,000

टिप्पणी—(i) यदि किसी मकान सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कुछ अवधि के लिए मकान मालिक किराये पर उठाता है तथा शेष अवधि के लिए अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए प्रयोग में लाता है, तो सर्वप्रथम सम्पूर्ण मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य की गणना यह मानते हुए की जायेगी कि इसे वर्ष भर किराये पर उठाया गया है। इस वार्षिक मूल्य में से निम्न राशियाँ घटा दी जायेंगी—

(अ) स्वयं के रहने के भाग का आनुपातिक वार्षिक मूल्य।

(ब) आंशिक अवधि के लिए स्वयं के रहने के भाग का आनुपातिक वार्षिक मूल्य।

शेष राशि ही ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य होगी।

(ii) उक्त वार्षिक मूल्य में से किराये से उठाए गए भाग को अलग इकाई मानते हुए नए निर्माण की वैधानिक कटौती किराये से उठाई गई अवधि के अनुपात में दे दी जाएगी।

(iii) ऐसी स्थिति में धारा-24 (1) के अनुसार सभी कटौतियाँ पूरे मकान एवं पूरी अवधि के लिये दी जाती हैं, परन्तु उनका योग वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं हो सकता है अर्थात् ऐसी स्थिति में मकान सम्पत्ति से हानि नहीं दिखाई जा सकती है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी—यदि किसी मकान सम्पत्ति का कोई भाग पूरे वर्ष के लिये किराये पर उठाया गया हो तो उस भाग की आय की गणना अलग से की जाती है।

Illustration 7.

Satish is the owner of two houses, one of which the municipal valuation is Rs. 15,000 is occupied by him for his own residence and the other, of which the municipal valuation is Rs. 30,000 let out to tenant at Rs. 3,000 per month. The municipal taxes of two houses amount to Rs. 3,600. The other expenses in respect of the house are as follows—

	Rs.
Ground rent for the house occupied (outstanding)	600
Repairs of the house let	6,000
Repairs of the house occupied	3,000
Insurance premium paid for both the house	6,000
Legal annual charge in respect of occupied house	1,800
Collection charges	2,700
Interest on loan taken for the construction of occupied house	18,000

Calculate his income from house property for the previous year ended 31-3-1997.

सतीश दो मकान के मालिक हैं, जिनमें से एक, जिसका नगरपालिका का मूल्यांकन 15,000 रु. है, उनके स्वयं के निवास-स्थान के काम आता है एवं दूसरा जिसका नगरपालिका का मूल्यांकन 30,000 रु. है, एक किरायेदार को 3,000 रु. प्रतिमाह पर किराये से उठाया हुआ है। दोनों मकानों के नगरपालिका के कर 3,600 रु. हैं। दोनों के सम्बन्ध में अन्य खर्चे निम्नलिखित हैं—

	रु.
स्वयं के रहने के मकान का भूमि किराया (अदत्त)	600
किराये से उठे हुए मकान के मरम्मत के व्यय	6,000
स्वयं के रहने के मकान की मरम्मत के व्यय	3,000
दोनों मकानों का बीमा प्रीमियम चुकाया	6,000
स्वयं के रहने के मकान का वैधानिक वार्षिक भार	1,800
किराया वसूली के खर्चे	2,700
स्वयं के रहने के मकान को बनवाने हेतु लिए गए ऋण का ब्याज	18,000

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उसकी मकान सम्पत्ति की आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Income from House Property

	Rs.	Rs.
Let out house :		
Rent of the house let	36,000	
Less : Municipal taxes of this house	2,400	
Annual value of house let		33,600
Less : $\frac{1}{5}$th for repairs & Collection Charges	6,720	
Insurance premium	4,000	10,[illegible]
Income from let out House		

Self Occupied House:		
Annual value of Self Occupied house	NIL	
Less: Interest on loan taken for the Construction of house	15,000	
Income from Self occupied House		– 15,000
Taxable Income from House Property		7,880

टिप्पणी—(1) नगरपालिका के कर एवं बीमा प्रीमियम नगरपालिका मूल्यांकन के अनुपात में बाँटे गये हैं।

(2) मरम्मत एवं संग्रह व्यय की छूट वार्षिक मूल्य की $\frac{1}{5}$ के बराबर दी जाती है चाहे व्यय की गई राशि अधिक हो या कम।

(3) स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा तथा इसमें से 15,000 रु. के ब्याज के अलावा अन्य कोई कटौती नही दी जायेगी।

Illustration 8.

Mr. X is owner of a big house whose municipal valuation is Rs 72,000 per annum One-third portion of the house is let out to a tenant at Rs 3,200 per month for residential purposes and the remaining two-third portion is occupied by him for his own residence. The construction of this house started in June, 1990 and was completed on 31st May, 1993.

The house is subject to the local taxes of Rs. 7,200 per annum. The other expenses in respect of the house are as follows –

	Rs.
Ground Rent	1440
Insurance Premium Paid	1200
Property Tax Paid to State Govt.	1440
Collection Charges	800

Mr.X had taken loan of Rs. 1,00,000 on 1st July, 1990 for the construction of this house. The loan has not yet been paid back and an interest @ 12% per annum is payable on it.

Find out X's income from house property for the assessment year 1997-98.

श्री एक्स एक बड़े मकान के स्वामी हैं, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 72,000 रु. वार्षिक है। इस मकान का $\frac{1}{3}$ भाग किरायेदार को 3,200 रु. प्रतिमाह की दर से रहने के लिए किराये पर उठाया हुआ है तथा शेष $\frac{2}{3}$ भाग का प्रयोग वे अपने निवास के लिए करते हैं। इस मकान का निर्माण जून, 1990 में प्रारम्भ हुआ था तथा यह 31 मई, 1993 को पूरा हुआ था।

इस मकान पर 7,200 रु. वार्षिक स्थानीय कर लगता है। इस मकान के सम्बन्ध में अन्य खर्चे निम्नलिखित हैं—

	रु.
भूमि का किराया	1,440
बीमा प्रीमियम चुकाया	1,200
राज्य सरकार को सम्पत्ति कर चुकाया	1,440
किराया संग्रह के व्यय	800

इस मकान के निर्माण हेतु श्री एक्स ने 1 जुलाई1990 को 1,00,000 रु. का ऋण लिया था। इस ऋण का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तथा इस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री एक्स की मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Solution :

Computation of Income from House property for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
Let out Portion :		
Rent Received	38,400	
Less . $\frac{1}{3}$ Municipal Taxes	2,400	
Annual value of the portion let		36,000
Less : Statutory Allowance		NIL
		36,000
Less : $\frac{1}{5}$th for repairs & collection charges	7,200	
$\frac{1}{3}$rd of Ground Rent	480	
$\frac{1}{3}$rd of Insurance Premium	400	
$\frac{1}{3}$rd of Property Tax	480	
$\frac{1}{3}$rd of Interest on Loan	6,200	14,760
		21,240
Self Occupied Portion :		
Annual value of this portion	NIL	
Less : Interest on Loan for construction	12,400	– 12,400
Taxable Income from House Property		8,840

टिप्पणी—(i) सम्पूर्ण मकान के खर्चों को 2:1 में बाँटा गया है।

(ii) उधार लिए गए ऋण के ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है—

	रु.
गतवर्ष 1996-97 की अवधि के लिए ब्याज :	12,000
1 जुलाई 1990 से 31 मार्च 1993 तक की अवधि के ब्याज का $\frac{1}{5}$ भाग = 33,000 × $\frac{1}{5}$ = Rs. 6,600	6,600
कुल ब्याज	18,600

(iii) 18,600 रु. के कुल ब्याज का $\frac{1}{3}$ किराये के भाग में से घटाया गया है।

(iv) स्वयं के रहने के भाग के सम्बन्ध में 12,400 रु. का ब्याज घटाया गया है।

Illustration 9.5

Dr. Pachori is the owner of a residential house whose construction was completed on 30th Nov., 1991. It has been let out on rent from January 1,

1992 for residential purposes. Its particulars for the financial year 1996-97 are given below :

		Rs.
(i)	Municipal valuation	8,000
(ii)	Actual rent p.m.	900
(iii)	Standard rent under Rent Control Act p.a.	7,500
(iv)	Expected fair rent p.m.	750
(v)	Municipal taxes paid (including Rs. 800 paid by tenant)	2,400
(vi)	Theft insurance premium paid	1,200
(vii)	Legal expenses incurred for recovery of rent	600
(viii)	Brokerage paid for searching tenant	400
(ix)	Stamp duty and registration charges incurred in respect of the lease agreement of the house	300
(x)	House tax levied by the State Govt. is not paid as disputed in appeal	600

House remained vacant for the month of Aug. and Sept. 1996. Rs. 2,000 could not be recovered from the defaulting tenant. The tenant has vacated the house.

The assessee could not realise rent from his other tenants for earlier years to the extent of Rs. 5,000 and the assessing officer is satisfied regarding admissibility of his claim.

There was recovery of unrealised rent to the extent of Rs. 8,000 during the previous year in respect of another house which was sold by the assessee two years ago. Total unrealised rent of that house was Rs. 14,000 and the deduction of Rs. 9,000 was allowed against this.

Compute the taxable income from house property of Dr. Pachori for the assessment year 1997-98.

डॉ. पचोरी एक आवासीय मकान के स्वामी हैं जिसका निर्माण 30 नवम्बर, 1991 को पूरा हुआ था। इसे 1 जनवरी, 1992 से रहने के लिये किराये पर उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये इसका विवरण निम्न प्रकार है—

		रु.
(i)	नगरपालिका मूल्यांकन	8,000
(ii)	वास्तविक किराया प्रतिमाह	900
(iii)	किराया नियन्त्रण अधिनियम के तहत मानक किराया वार्षिक	7,500
(iv)	अनुमानित उचित किराया प्रतिमाह	750
(v)	नगरपालिका कर चुकाये (किरायेदार द्वारा चुकाये गये 800 रु. सम्मिलित करते हुये)	2,400
(vi)	चोरी बीमा प्रीमियम चुकाया	1,200
(vii)	किराया वसूली के लिये कानूनी व्यय किये	600
(viii)	किरायेदार ढूंढने के लिये दलाली चुकाई	400
(ix)	मकान के किराया समझौता के सम्बन्ध में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण व्यय हुये	300

(x) राज्य सरकार द्वारा लगाया गया गृह कर अपील में विवाद ग्रस्त होने के कारण भुगतान नहीं किया गया 600

अगस्त एवं सितम्बर 1996 के महीनों में मकान खाली पड़ा रहा। दोषी किरायेदार से 2,000 रु. वसूल नही हो सके। किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है।

करदाता अपने अन्य किरायेदारों से पिछले वर्षों का 5,000 रु. का किराया वसूल नहीं कर सका था तथा उसके दावे को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है।

दो वर्ष पूर्व बेचे गये एक अन्य मकान के सम्बन्ध में गत वर्ष में करदाता ने 8,000 रु. का न वसूल हुआ किराया प्राप्त किया। उस मकान का कुल न वसूल हुआ किराया 14,000 रु. था तथा उसमें से 9,000 रु. की कटौती स्वीकृत की गई थी।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये डॉ. पचोरी की मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of taxable income from House Property of Dr. Pachori for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
Annual rent (900 × 12)		10,800
Less : Municipal taxes paid by owner		1,600
Annual Value		9,200
Less : Deduction for new construction $(3600 \times \frac{8}{12})$		2,400
Adjusted Annual Value		6,800
Less : (i) $\frac{1}{5}$the of annual value for repairs and collection expenses	1,360	
(ii) Vacancy allowance $(6800 \times \frac{2}{12})$	1,133	
(iii) Unrealised rent	4,307	6,800
		NIL
Add : Recovery of unrealised rent taxable u/s 25 A under the head income from House property		3,000
Taxable Income from House Property		3,000

टिप्पणी—

1. अनुमानित किराया चूँकि मानक किराये से अधिक है, अतः प्राप्त किराया एवं मानक किराये में से अधिक वाली राशि को वार्षिक मूल्य की गणना के लिये आधार बनाया गया है।

2. मकान का निर्माण 30 नवम्बर, 1991 को पूरा हुआ था, अतः नये निर्माण की कटौती 8 माह के लिये दी गई है।

3. किरायेदार ढूँढने हेतु दी गई दलाली, मकान के किरायानामा समझौता के पंजीकरण व्यय तथा मुद्रांक शुल्क, किराये की वसूली के कानूनी व्यय एवं चोरी बीमा प्रीमियम के स्वीकृत नहीं हैं।

रकार को गृह कर का भुगतान नहीं किया गया है, अतः कटौती नहीं दी गई

5. इस वर्ष का न वसूल हुआ किराया स्वीकृत नहीं है।

6. पिछले वर्षो के न वसूल हुए किराये की कटौती उस सीमा तक ही उपलब्ध है जिस सीमा तक मकान सम्पत्ति के शीर्षक में आय उपलब्ध है। भूतकालीन वसूल हुए किराये की गत वर्ष में वसूल की गई राशि में से कोई कटौती नहीं दी जा सकती है। अतः यह कटौती 6,800-1,360-1,133 = 4,307 रु. की दी गई है। शेष 693 रु. की कटौती अगले वर्ष दी जायेगी।

7. भूतकाल में अन्य मकान की न वसूल हुये किराये की कटौती 14,000 रु. की राशि में से 9,000 रु. की दी गई थी। अतः अब इस मकान के सम्बन्ध में पहले वसूली उस राशि की मानी जायेगी जिसकी कटौती भूतकाल में नहीं मिली थी और इसे आय नहीं माना जायेगा। अतः 8,000-5,000 =3,000 रु. ही कर योग्य होंगे। करदाता द्वारा उस मकान को बेच देने से कोई असर नहीं पड़ेगा।

B. Com-II 1997-98

Illustration 10.

which is let out on a
e flat is located was
completed on 31st January, 1992. The flat was let out from 1st August, 1996.

(ii) Flat in Delhi constructed in 1991 which is self occupied.

(iii) Godown in Calcutta constructed in 1991 is let out on a monthly rent of Rs. 6,000. The expenses actually incurred during the year for these properties are :

मिस्टर A की निम्न सम्पत्तियाँ हैं—

(i) 1 जून, 1996 को एक फ्लैट बम्बई में खरीदा जो 2,000 रु. मासिक किराये पर उठा दिया गया। वह इमारत जिसमें यह फ्लैट स्थित है, 31 जनवरी 1992 में बनकर तैयार हुई थी। यह फ्लैट 1 अगस्त, 1996 से किराये पर उठाया गया।

(ii) 1991 में एक फ्लैट दिल्ली में बनवाया जिसमें वह स्वयं रहते हैं।

(iii) कलकत्ता में एक गोदाम 1991 में बनवाया जो 6,000 रु. मासिक किराये पर उठाया गया है। इन मकानों के सम्बन्ध में निम्न वास्तविक व्यय किये गये—

	Flat at Bombay (बम्बई)	Flat at Delhi (दिल्ली)	Flat at Calcutta (कलकत्ता)
Municipal Taxes नगर पालिका कर	5,000	8,000	18,000
Building maintenance भवन रखरखाव के व्यय	1,000	900	—
Electricity charges बिजली व्यय	—	1,200	4,800

Collection Charges संग्रह व्यय	700	—	5,400
Insurance Premium बीमा व्यय	—	—	600
Repair मरम्मत	20	1,900	11,000

Compute the taxable income from house property of Mr. A for the

योग्य आय की गणना यह मानते हुये कीजिए की देहली के फ्लैट को 1-1-97 से गोदाम के लिये किराये पर उठा दिया जिससे 4,000 रु. प्रतिमाह का किराया प्राप्त होता है।

(Ajmer B. Com., 1994 and Raj. B.Com. 1997 modified)

Solution :

Computation of Taxable income from House Property of Mr. A for the assessment year 1997-98.

	Rs.	Rs.	Rs.
(I) Flat at Bombay let out :			
Rental value for 10 months		20,000	
Less : Municipal taxes		5,000	
		15,000	
Less : Statutory allowance for new construction		2,400	
Annual Value		12,600	
Less : Deductions—			
$\frac{1}{5}$th of A.V. for Repairs & Collection charges	2,520		
Vacancy allowance $12,600 \times \frac{2}{10}$	2,520	5,040	7,560
II. Flat in Delhi (S.O. but let out later on) :			
Rental Value		48,000	
Less : Municipal taxes		8,000	
		40,000	
Less : Proportionate annual value for the period of self occupation $40,000 \times \frac{9}{12}$		30,000	
Annual Value		10,000	
Less : $\frac{1}{5}$th of A.V. for Repairs & Collection Charges		2,000	

III. Godown at Calcutta :

Rental Value		72,000	
Less : Municipal taxes		18,000	
		54,000	
Less : Deductions—			
$\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs			
& Collection Charges	10,800		
Fire Insurance Premium	600	11,400	42,600
Income from House Property			58,160

टिप्पणी—(i) यदि आवासीय मकान 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व का बना हुआ हो तथा उसको बने हुये 5 वर्ष पूरे नहीं हुये हों तो मकान के क्रेता को भी नये निर्माण की छूट पाने का अधिकार होता है। बम्बई के फ्लेट के सम्बन्ध में यह छूट केवल 8 महीने के लिए ही दी जायेगी।

(ii) स्वयं के रहने के नये बने मकान को गोदाम के लिये किराये पर उठाये जाने के कारण नये निर्माण की वैधानिक छूट नहीं दी गई है।

(iii) भवन के रखरखाव व्ययों की कटौती नहीं दी जाती है।

Illustration 11.

Mr. X is the owner of three buildings. The Municipal Valuation of these buildings are Rs. 5,600; Rs. 5,000 and Rs. 7,200 respectively. First building is let out at Rs. 500 per month. In the second building ⅓rd portion is occupied by Mr. X for his residential purpose and the rest is let out at a monthly rent of Rs. 300. His third house property is situated in Agra. Mr. X has kept reserved this house also for his residence. As his business is in Delhi, he went Agra only for one month and stayed in this house.

The following are details of expenses incurred for the three buildings:

	Property No. 1 Rs.	Property No. 2 Rs.	Property No. 3 Rs.
Repairs	1,500	800	200
Interest on Mortgage on loan taken for the marriage of his daughter	1,200	—	—
Vacancy Allowance	3 months	—	—
Collection charges	1,000	400	—
Land Revenue	80	60	100
Fire Insurance Premium	250	200	300

All the three buildings were constructed in the year 1984 and the Municipality levies 10% tax.

Municipal taxes of 1st house for 1995-96 were outstanding which were also paid during the previous year. Municipal taxes of 3rd house were not paid during the previous year.

You are required to compute taxable income from house property of Mr. X for the assessment year 1997-98.

श्री एक्स तीन मकानों के मालिक हैं। इन मकानों का नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 5,600 रु., 5,000 रु. एवं 7,200 रु. है। पहला मकान 500 रु. प्रतिमाह किराये पर दिया गया है। दूसरे मकान का $\frac{1}{3}$ भाग वह अपने निवास स्थान के काम में लाता है तथा शेष 300 रु. प्रतिमाह किराये पर दिया गया है। उसका तीसरा मकान आगरे में है। इसे भी श्री एक्स ने अपने निवास-स्थान के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। उनका व्यापार देहली में होने के कारण वे केवल एक माह के लिए ही गत वर्ष में इस मकान में जाकर रहे।

तीनों मकानों के सम्बन्ध में किए गए खर्चों का विवरण निम्नलिखित है—

	मकान नं. 1	मकान नं. 2	मकान नं. 3
	रु.	रु.	रु.
मरम्मत	1,500	800	200
मकान गिरवी रखकर लड़की की शादी हेतु लिए गए ऋण का ब्याज	1,200	—	—
खाली रहने की छूट	तीन माह		
किराया संग्रह का व्यय	1,000	400	—
भूमि का लगान	80	60	100
अग्नि बीमा प्रीमियम	250	200	300

तीनों मकान 1984 में बनाये गये थे एवं नगरपालिका 10% कर लगाती है।

प्रथम मकान के 1995-96 वर्ष के नगरपालिका कर बकाया थे। इनका भुगतान भी गत वर्ष में किया गया। तीसरे मकान के नगरपालिका करों का भुगतान गत वर्ष में नहीं किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री एक्स की मकान सम्पत्ति से आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Income from House Property

		Rs.	Rs.
1.	Computation of income from Property No. 1		
	Rent realised @ Rs.500 p m.		6,000
	Less : Municipal Taxes		1,120
	Annual Value		4,880
	Less :		
	(a) Repairs & Collection charges ($\frac{1}{5}$th of A.V.)	976	
	(b) Land Revenue	80	

	(c) Fire Insurance Premium	250	
	(d) Vacancy Allowance	1,220	2,526
	Income from Property No. 1		2,354
2.	Computation of Income from property No.2 (Let out portion) :		
	Rent realised Rs. 300 p.m.		3,600
	Less : $\frac{2}{3}$rd of Municipal Taxes		333
	Annual Value		3,267
	Less :		
	(a) Repairs & collection charges ($\frac{1}{5}$th of A.V.)	653	
	(b) Land Revenue 2/3	40	
	(c) Fire Insurance Premium 2/3	133	826
	Income from Property No. 2		2,441
3.	Computation of Income of self occupied portion at Delhi treated as let out :		
	Fair rent of $\frac{1}{3}$ portion of Second House	1,800	
	Less : Municipal Taxes	167	
	Annual Value		1,633
	Less :		
	(a) Repairs & collection charges ($\frac{1}{5}$th of A.V.)	327	
	(b) Land Revenue 1/3	20	
	(c) Fire Insurance 1/3	67	414
	Income from Property No. 2 (S. O. Portion)		1,219
4.	Annual Value of S.O. House at Agra		*NIL*

Income from House Property :	Rs.
(a) Property No 1	2,354
(b) Property No. 2	
(i) Let out portion	2,441
(ii) Self occupied portion	1,219
(c) Self occupied Property No. 3	—
	6,014

टिप्पणी—आगरा वाले मकान को स्वयं के रहने का मकान माना गया है तथा देहली वाले मकान के $\frac{1}{3}$ भाग पर यह मानते हुए कर लगाया गया है कि वह किराये पर उठाया गया है।

Illustration 12.

Shri Mohan is an Income-tax Officer at Jaipur. He owns two residential houses. The first house is at Delhi. It was constructed on 31st December,

1991. He has let out it at a rent of Rs. 3,000 per month to a company for its office. The second house is at Jaipur. It was constructed on 1st March, 1996 and has been occupied by him for his own residence since 1st June, 1996. He took a loan of Rs. 60,000 on 1st August, 1994 at 12% p.a. interest for the purpose of construction of this house.

Other relevent particulars in respect of these houses are given below:

	1st House	2nd House
	Rs.	Rs.
Municipal valuation	24,000	18,000
Municipal tax	10%	$6\frac{1}{4}$%
Expenses on repairs	1,150	–
Fire Insurance Premium	200	–
Ground rent	175	130
Land and building tax	1,000	650
Wages of gardener (per month)	100	60
Interest on loan	–	7,200

The ground rent of the Delhi house and the municipal tax and the land and building tax of the Jaipur house are unpaid.

Shri Mohan was transferred to Udaipur on 1st December, 1996 where he resides in a house at a monthly rent of Rs. 400 and his house at Jaipur was let out on the same day at a rent of Rs. 2,000 per month.

Calculate the income from house property of Shri Mohan for the Assessment Year 1997-98.

श्री मोहन जयपुर में आयकर अधिकारी हैं। इनके दो आवासीय मकान हैं। प्रथम मकान दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 31 दिसम्बर, 1991 को पूरा हुआ। उन्होंने यह मकान एक कम्पनी को कार्यालय के लिए 3,000 रु. प्रतिमाह किराये पर उठा रखा है। द्वितीय मकान जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1 मार्च, 1996 को पूरा हुआ और 1 जून, 1996 से वे स्वयं इसमें रह रहे हैं। इसके निर्माण के लिए उन्होंने 1 अगस्त, 1994 को 60,000 रु. का ऋण 12% वार्षिक ब्याज पर लिया था।

दोनों मकानों से सम्बन्धित अन्य विवरण निम्नलिखित हैं :

	प्रथम मकान	द्वितीय मकान
	रु.	रु.
नगरपालिका मूल्य	24,000	18,000
नगरपालिका कर	10%	$6\frac{1}{4}$%
मरम्मत पर व्यय	1,150	–
अग्नि बीमा प्रीमियम	200	–
भूमि का किराया	175	130
भूमि एवं भवन कर	1,000	650
माली का वेतन(प्रतिमाह)	100	60
ऋण पर ब्याज	—	7,200

दिल्ली वाले मकान का भूमि का किराया और जयपुर वाले मकान का नगरपालिका कर और भूमि-भवन कर अदत्त है।

श्री मोहन का स्थानान्तरण 1 दिसम्बर, 1996 को उदयपुर हो गया जहाँ वे 400 रु. प्रतिमाह के किराये के मकान में रहते हैं और जयपुर स्थित मकान उसी दिन से 2,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर उठा दिया गया।

श्री मोहन की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मकान सम्पत्ति से आय की गणना कीजिए। (Vikram B. Com., 1992)

Solution :

Computation of Income of Shri Mohan from House Property for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
First House :			
Rent received		36,000	
Less : Municipal tax		2,400	
Annual Value		33,600	
Less :			
(i) $\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs & collection charges	6,720		
(ii) Fire Insurance Premium	200		
(iii) Ground Rent	175		
(iv) Land and Building Tax	1,000	8,095	25,505
Second House :			
Annual rental value		24,000	
Less : Municipal tax		—	
		24,000	
Less : Proportionate annual value of the property for the period during which it was self occupied i e. $\frac{6}{12}$ of Rs. 24,000		12,000	
		12,000	
Less :			
(i) $\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs	2,400		
(ii) Ground Rent	130		
(iii) Interest on loan	8,160		
(iv) Vacancy allowance	4,000		
	14,690		
Amount deductible can not exceed Annual value u/s 24(3)		12,000	NIL
Income from House Property			25,505

टिप्पणी— (1) प्रथम मकान को कार्यालय के लिए किराये पर उठाया गया है, अतः नये आवासीय मकान सम्बन्धी 3,600 रु. की वैधानिक छूट नहीं दी गई है। आन्ध्र प्रदेश उच्च

न्यायालय ने Dr. J.V. Desai v/s C.I.T. (1985) के मामले में यह निर्णय दिया है कि यदि मकान को रहने के लिए किराये पर उठाया जाता है परन्तु किरायेदार किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग करता है तो मकान मालिक को नये निर्माण की वैधानिक छूट पाने का अधिकार होगा। परन्तु यहाँ पर मकान मालिक ने स्वयं ने आवासीय मकान को कार्यालय के लिए किराये पर उठाया है, अतः नये निर्माण की वैधानिक छूट नहीं दी गई है।

(ii) द्वितीय मकान में मकान मालिक केवल 6 महीने के लिए रहा है। किरायेदार 4 माह की अवधि के लिए रहा है। अतः 2 महीने की खाली रहने की छूट दी गई है। चूंकि मकान का वार्षिक मूल्य 6 महीने की अवधि का है तथा उसमें से 2 महीने मकान खाली रहा, अतः खाली रहने की छूट वार्षिक मूल्य $\times \frac{2}{6}$ के बराबर दी गई है। अनेक ख्याति प्राप्त विद्वानों ने भी अपनी पुस्तकों में ऐसी परिस्थिति में खाली रहने की छूट इसी प्रकार से दी है। मकान का उचित किराया मूल्य 12 महीने के लिए प्राप्त किराये के आधार पर ज्ञात किया गया है।

(iii) द्वितीय मकान के नगरपालिका कर तथा भूमि एवं भवन कर का गत वर्ष में भुगतान नहीं किया गया है, अतः इनको नहीं घटाया गया है।

(iv) मकान गत वर्ष 1995-96 के दौरान बनकर तैयार हुआ था। परन्तु इसके लिए ऋण 1 अगस्त, 1994 को लिया गया था। अगस्त, 1994 से मार्च 1995 तक ब्याज 4,800 रु. है। इसको 5 समान किश्तों में घटाया जायेगा। इस वर्ष कुल ब्याज 7,200 रु. + 960 रु. = 8,160 रु. कटौती योग्य है।

(v) द्वितीय मकान की समस्त कटौतियाँ धारा 24(3) के अन्तर्गत इसके वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है।

Illustration 13.

श्री हरिनारायण अरोड़ा एक मकान के मालिक हैं, जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 5,000 रु. वार्षिक है। इस मकान को श्री हरिनारायण ने 750 रु. प्रतिमाह किराए पर उठा रखा है। इस किराये के मकान में लगे हुए फर्नीचर, पंखे तथा फ्रीज का किराया क्रमशः 125 रु., 50 रु. एवं 75 रु. प्रतिमाह शामिल है। वह निम्न कटौतियों की माँग करते हैं—

	रु.
नगरपालिका कर चुकाया	600
मरम्मत	1,150
अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया	400
वार्षिक भार	500
मकान खाली कराने के लिए कानूनी व्यय	500

यह मकान गत वर्ष में एक माह के लिए खाली रहा। दोषी किरायेदार से पिछले वर्षों का 1,500 रु. का किराया वसूल नहीं किया जा सका। किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है।

श्री हरिनारायण अरोड़ा को कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक को कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

Mr. Harinarayan Arora is owner of a house, the municipal valuation of which is Rs. 5,000 per annum.

This house is let out by Mr. Harinarayan at a monthly rent of Rs. 750 including rent of furniture, fans & freez Rs. 125, Rs 50 and Rs. 75 p.m. respectively. He claims the following deductions—

	Rs.
Municipal tax Paid	600
Repairs	1,150
Fire Insurance Premium Paid	400
Annual charge	500
Legal expenses incurred for getting the house vacated	500

This house remained vacant for one month. Rs. 1,500 of the preceding years rent could not be recovered from the defaulting tenant. The tenant has vacated the house.

Compute Mr. Harinarayan Arora's taxable income from house property for the Assessment year 1997-98.

Solution :

Computation of Income from House Property

		Rs.
Actual rent received (750-125-50-75)		6,000
Less : Municipal tax		600
Annual value		5,400
Less :		
(i) $\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs & Collection charges	1080	
(ii) Fire Insurance Premium Paid	400	
(iii) Annual Charge	500	
(iv) Vacancy Allowance	450	
(v) Unrealised Rent	1,500	3,930
Taxable income from House Property		1,470

टिप्पणी—(i) मकान खाली कराने के कानूनी व्यय अस्वीकृत हैं।

(ii) न वसूल हुये किराये की राशि यह मानते हुए स्वीकृत की गई है कि इस आय पर कर चुकाया जा चुका है।

(iii) जब मकान किराए पर देने के साथ कुछ सुविधाएँ भी किराये पर दी जाती हैं तो संयुक्त किराये में से इन सुविधाओं के किराये को पृथक करके केवल मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित किराये की तुलना नगरपालिका मूल्य से की जाती है। इस प्रकार 750-125-50-75 = 500 × 12 = 6,000 रु. ही मकान सम्पत्ति का वार्षिक किराया दिखाया गया है। इन सुविधाओं से प्राप्त किराये को अन्य साधनों से आय शीर्षक में दिखाया जायेगा।

साराश
(Summary)

1. इस शीर्षक में ऐसे मकानों और उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी है तथा अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता।

2. वार्षिक मूल्य का निर्धारण : (किराये पर उठाये गये-मकान)

(i) यदि किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू नही हो—ऐसी स्थिति में नगरपालिका मूल्यांकन, प्रचलित किराया अथवा प्राप्त किराया जो भी अधिक हो उसमें से मकान मालिक द्वारा वास्तव में भुगतान किये गये स्थानीय कर घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है।

(ii) यदि किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू हो—ऐसी स्थिति में भी वार्षिक किराया मूल्य वाक्यांश (i) में दी गई विधि से ही निर्धारित किया जायेगा परन्तु वह प्रमाप किराये से अधिक नहीं होगा। परन्तु यदि प्राप्त किराया प्रमाप किराये से अधिक हो तो वार्षिक किराया मूल्य प्रमाप किराये से अधिक हो सकता है।

वैधानिक कटौती—उपरोक्त प्रकार से ज्ञात वार्षिक मूल्य में से 31-3-82 के बाद परन्तु 1-4-92 से पूर्व बने हुए रहने के मकानों के सम्बन्ध में रहने के लिए किराये से उठाने पर 3,600 रु. अथवा सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य (जो भी कम हो) की कटौती 5 वर्षों के लिए दी जाती है। शेष राशि शुद्ध वार्षिक मूल्य होती है।

स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य—

(अ) यदि पूरे गत वर्ष स्वयं रहे तो वार्षिक मूल्य शून्य होता है।

(ब) कुछ अवधि के लिए किराये पर उठा दिया जाये तो वार्षिक मूल्य की गणना किराये के मकान की तरह की जाती है तथा उसमें स्वयं के रहने की अवधि की आनुपातिक छूट दी जाती है। शेष राशि वार्षिक मूल्य होती है।

3. वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ (किराये पर उठाये गये मकान)

(i) मरम्मत एवं किराया संग्रह व्यय के सम्बन्ध में	हमेशा वार्षिक मूल्य का $\frac{1}{5}$ (कोई खर्चा करना आवश्यक नही)
(ii) बीमा प्रीमियम	वास्तव में भुगतान की गई राशि
(iii) वार्षिक भार	देय राशि चाहे भुगतान की हो अथवा नहीं
(iv) भूमि का किराया	देय राशि चाहे भुगतान की हो अथवा नहीं
(v) उधार ली गई पूँजी का ब्याज	देय राशि चाहे भुगतान की हो अथवा नहीं (गत वर्ष के सम्बन्ध में देय ब्याज की सम्पूर्ण राशि + मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से पूर्व के ब्याज का $\frac{1}{5}$ भाग)
(vi) भूमि का लगान अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर	वास्तव में भुगतान की गई राशि
(vii) मकान खाली रहने सम्बन्धी छूट	खाली रहने की अवधि के का आनुपातिक भाग

हुआ किराया	निर्धारित शर्तें पूरी होने पर सम्पूर्ण राशि अथवा इस शीर्षक की आय (न वसूल हुए किराये की प्राप्ति को छोड़कर) दोनों में जो भी कम हो

वार्षिक मूल्य में से कटौती—स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में मकान बनाने, मरम्मत कराने, क्रय करने हेतु लिये गये ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में अधिकतम 15,000 रु. तक कटौती दी जा सकती है।

यदि स्वयं के रहने के मकान को कुछ अवधि के लिये किराये पर उठा दिया जाये तो किराये वाली सभी कटौतियाँ दी जायेंगी परन्तु उस मकान की आय ऋणात्मक नहीं होगी।

4. न घटाई जाने वाली रकमें—भारत के बाहर चुकाया गया वार्षिक भार अथवा ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाये।

5. अन्य व्यवस्थाएँ

(i) स्वयं के रहने के मकान की छूट केवल एक मकान पर मिलती है जिसका चुनाव करने का अधिकार करदाता को है।

(ii) न वसूल हुए किराये की भूतकाल में छूट मिली हो और गत वर्ष में प्राप्त हो जाये तो इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। अब कोई कटौती नहीं दी जायेगी। न वसूल हुए किराये की कटौती भी नहीं दी जायेगी।

(iii) उप किरायेदार को प्राप्त किराये की आय पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता।

प्रश्न
(Questions)

1. मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या तात्पर्य है ? करदाता के स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे ?

   What is meant by annual value of house property? How would you arrive at the annual value of a house occupied by an assessee for his own residence ?

2. मकान सम्पत्ति की आय की गणना करने के लिए वार्षिक मूल्य मे कौन-कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं ?

   What deductions are allowed from annual value in computing the income from house property ?

3. श्री अनीष मोहम्मद ने 1 जनवरी, 1991 को अजमेर में एक मकान का निर्माण करवाना आरंभ किया था जो 31 दिसम्बर, 1991 को बनकर तैयार हुआ। इस मकान में चार इकाइयाँ हैं। पहली और दूसरी इकाई निवास हेतु तथा तीसरी और चौथी इकाई व्यापारिक कार्य हेतु बनवाई गई है। 1 जनवरी, 1992 से पहली और दूसरी इकाई क्रमशः 400 रु. तथा 200 रु. मासिक किराये पर किरायेदारों को रहने के लिए उठाई गई है। तीसरी इकाई को उन्होंने एक व्यापारी को कार्यालय के लिए 1,000 रु. मासिक किराये पर उठाया है तथा चौथी इकाई जिसका अनुमानित वार्षिक किराया 7,200 रु. है, वे अपने स्वयं के व्यापार के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रत्येक इकाई का नगरपालिका मूल्य क्रमशः

5,000 रु., 2,000 रु., 8,400 रु. तथा 6,000 रु. निर्धारित किया गया जिस पर 10% नगरपालिका कर प्रति वर्ष देय है। पहली और चौथी इकाई के लिए स्थानीय कर की पूरी राशि का भुगतान श्री अनीष मोहम्मद ने किया, परन्तु दूसरी और तीसरी इकाइयों के लिए स्थानीय कर की आधी राशि का भुगतान ही उनके द्वारा किया गया।

कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री अनीष मोहम्मद के मकान की प्रत्येक इकाई का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए।

Shri Anish Mohammed started the construction of a house in Ajmer on 1st January 1991, which was completed on 31st December, 1991. There are four units in this house. The first and second units were constructed for residential purposes and the third and fourth units for business purposes. on 1st January, 1992 the first and the second units were let out for the residence of the tenants at a monthly rent of Rs 400 and Rs. 200 respectively, the third unit was let out to a businessman for office purposes at a monthly rent of Rs. 1,000 and the fourth unit, the estimated rental value of which is Rs. 7,200 was used by him for his own business. The annual municipal value of each unit was fixed at Rs. 5,000 Rs. 2,000, Rs. 8,400 and Rs. 6,000 respectively, on which municipal tax @10% is payable every year. Whole of the local tax for the first and fourth units was paid by Shri Anish Mohammed, while only half of the amount of local tax for the second and third units was paid by him.

Find out the annual value of each of the units of the house of Shri Anish Mohammed for the Assessment Year 1997-98. **[30]**

उत्तर–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई का वार्षिक मूल्य क्रमशः 1,800 रु., शून्य तथा 11,580 रु. होगा।

4. श्री रामदास दो मकानों के स्वामी हैं। इनके नगरपालिका मूल्य पर 10% स्थानीय कर देय हैं। इन मकानों का वार्षिक मूल्य निर्धारित कीजिए यदि गत वर्ष में प्रथम मकान के स्थानीय कर की पूरी राशि एवं दूसरे मकान के स्थानीय कर की आधी राशि का भुगतान ही श्री रामदास के द्वारा किया गया।

   यदि ये मकान किराया नियंत्रण कानून के क्षेत्र में आते हैं तो इनके वार्षिक मूल्य में क्या अन्तर होगा :

   Shri Ramdas is owner of two houses. Local tax @10% is payable on the municipal value of these houses. Determine the annual value of these houses if during the previous year the whole amount of local taxes of first house and the half amount of local taxes of second house was paid by Shri Ramdas.

   If the Rent Control Act applies, what difference would it make in the annual value of these houses.

	Ist House
	Rs.
Municipal valuation	24,000

Rent Received	27,000	33,000
Fair Rent	36,000	30,000
Standard Rent determinable	30,000	27,000

उत्तर—यदि किराया नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है : प्रथम मकान का वार्षिक मूल्य 33,600 रु. एवं दूसरे का 31,800 रु.। यदि किराया नियंत्रण कानून लागू होता है तो प्रथम मकान का वार्षिक मूल्य 27,600 रु. एवं दूसरे का 31,800 रु. ही होगा। [31]

5. श्री नरेन्द्र चार मकानों के स्वामी हैं जिनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 2,500 रु; 3,200 रु; 2,400 रु. तथा 6,000 रु. है। इन मकानों पर इनके नगरपालिका मूल्यांकन का 10% नगरपालिका कर के रूप में चुकाया जाता है। प्रथम मकान में श्री नरेन्द्र स्वयं रहते हैं, दूसरे मकान में वे अपना व्यापार चलाते हैं जिसके कर-योग्य लाभ गत वर्ष में 1,00,000 रु. रहे हैं। अन्य दो मकानों को क्रमशः 100 रु. और 550 रु. प्रतिमाह किराये से उठाया गया है। तीसरे मकान का $\frac{1}{3}$ भाग भी स्वयं के निवास स्थान के प्रयोग में लिया जाता है तथा 100 रु. का किराया शेष $\frac{2}{3}$ भाग के लिए ही प्राप्त किया जाता है। चौथा मकान अप्रैल से जुलाई तक 4 महीने के लिए खाली रहा। चौथे मकान के सम्बन्ध में पिछले वर्षों का न वसूल हुआ किराया 8,000 रु. था। तीसरे मकान का पिछले वर्षों का बकाया किराया 2,000 रु. गत वर्ष में वसूल हुआ। इसकी कटौती स्वीकृत की जा चुकी थी।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री नरेन्द्र की मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Narendra is owner of four houses the Municipal valuation of these houses are Rs. 2,500; Rs. 3,200; Rs. 2,400 and Rs. 6,000 respectively. The Municipality levies 10% tax on the Municipal value of these houses. In first house Narendra resides himself & in second house he runs his own business the profit of which during the previous year amounted to Rs. 1,00,000. The other two house have been let out at a monthly rent of Rs. 100 and Rs. 550 respectively. He uses 1/3 portion of the third house also for his residence and the rent of Rs. 100 received only for 2/3 portion of this house. The fourth house remained vacant from April to July. The unrealised rent of the past year in respect of the fourth house amounted to Rs. 8.000. The unrealised rent of Rs. 2,000 in respect of third house for past years were realised during the previous year. It was allowed as deduction.

Compute the taxable income from House Property of Mr. Narendra *for the assessment year 1997-98.* [32]

उत्तर—मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय 2,000 रु. होगी।

संकेत—न वसूल हुए किराये की कटौती 4,528 रु. जो कि मकान सम्पत्ति की आय है, दे दी जायेगी। शेष राशि की कटौती अगले वर्षों में दी जायेगी।

6. श्री महेश चार आवासीय मकानों के स्वामी है। ये चारों मकान जयपुर में स्थित हैं। सभी मकान 31 मार्च, 1992 को बनकर तैयार हुए हैं। मकानों का नगरपालिका मूल्यांकन

क्रमश: 6,000 रु; 8,000 रु; 7,200 रु. तथा 10,000 रु. है। इन मकानों के नगरपालिका मूल्य का 10% स्थानीय कर चुकाया जाता है। पहला मकान 400 रु. प्रतिमाह की दर से रहने के लिए किराये पर उठाया गया है तथा मरम्मत का उत्तरदायित्व किरायेदार द्वारा लिया गया है। दूसरा मकान एक व्यापारगृह को 1,000 रु. प्रतिमाह पर किराये पर उठाया गया है। तीसरा मकान उपयुक्त किरायेदार न मिलने के कारण सम्पूर्ण वर्ष खाली पड़ा रहा। चौथे मकान का प्रयोग उनके द्वारा अपने स्वयं के निवास-स्थान के लिए किया जाता है। इन मकानों पर किये गये व्ययों का विवरण निम्न प्रकार है—

Shri Mahesh is owner of four residential houses. All the four houses are situated at Jaipur. All the properties were ready on 31st March., 1992. The Municipal valuation of these properties are Rs. 6,000; Rs. 8,000; Rs. 7,200 and Rs. 10,000 respectively. 10% of Municipal valuation of these houses are paid as Local Taxes. First house is let for residential purpose at Rs. 400 p.m. and the tenant has taken the responsibility of repairs. Second house is let to a business house at a rent of Rs. 1,000 per month. Third house remained vacant throughout the year as no suitable tenant was available. Fourth house is used by him for self occupation. Following are the particulars of expenses of these houses—

	प्रथम मकान रु.	द्वितीय मकान रु.	तृतीय मकान रु.	चतुर्थ मकान रु.
मरम्मत	—	1,000	800	1,200
भूमि किराया	200	300	—	400
बीमा प्रीमियम	100	150	120	—
मकान बनाने हेतु लिए गये ऋण का ब्याज	3,200	—	—	6,000

चूँकि श्री महेश आगरा में नौकरी करते हैं, वे स्वयं के रहने के मकान का प्रयोग केवल 2 माह के लिए ही कर पाये। शेष समय के लिए मकान खाली रहा है। श्री महेश की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

As Shri Mahesh is employed at Agra, he could use his residential house only for two months. The house remained vacant for the remaining period. Compute taxable income from house property of Shri Mahesh for the assessment year 1997-98. [33]

उत्तर—मकान सम्पत्ति की आय 2,634 रु.।

संकेत—प्रथम मकान से हानि, 2,060 रु. है, दूसरे मकान से आय 8,510 रु., तीसरे मकान से आय 2,184 रु., चौथे मकान की हानि 6,000 रु.।

7. श्री हरि के द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के उसकी वेतन एवं मकान सम्पत्ति से आय शीर्षकों की कर-योग्य आय ज्ञात

From the following particulars submitted by Mr. Hari, compute his taxable income under the head 'Salary' and 'House Property' for the assessment year 1997-98 :

			Rs.	Rs.
(a) Salary received				3,900
(b) Rent from house property :				
Property B			3,000	
Property C			6,900	
			9,900	
Less : Municipal Tax :	Rs.	Rs.		
Property A	400			
Property B	500			
Property C	700	1,600		
Repairs to Properties :				
Property A	400			
Property C	250	650		
Interest on mortgage of Property B for Rs. 5,000		300		
Fire Insurance Premium :				
Property A	50			
Property B	75			
Property C	100	225		
Collection charges for all Properties		700	3,475	6,425
			Total Income	10,325

(अ) करदाता अपनी नौकरी के कारण से बम्बई में बसा हुआ है जहाँ वह किराये के मकान में रहता है।

(ब) सभी मकान सम्पत्तियाँ आवासीय हैं तथा कलकत्ता में स्थित हैं। सम्पत्ति (A) 1978 में बनाई गई थी और स्वयं के रहने के काम आती है। सम्पत्तियाँ (B) और (C) जो कि क्रमशः 30 जून, 1991, और 31 मार्च, 1992 को बनाई गई थीं, किराये से उठाई गई हैं।

(स) नगरपालिका विवरण के अनुसार मकान सम्पत्ति A,B और C का वार्षिक मूल्य क्रमशः 2,500 रु., 2,500 रु. तथा 3,500 रु. है।

(द) 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के दौरान करदाता 3 माह के लिए छुट्टी पर था। इस अवधि के दौरान वह सम्पत्ति A में रहा। गत वर्ष के दौरान उस सम्पत्ति से अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया।

(य) सम्पत्ति B को गिरवी रखकर 5,000 रु. का ऋण प्राप्त किया गया जिसका उपयोग कृषि भूमि को खरीदने में किया गया जिसकी आय, आय-कर से मुक्त है।

(a) The assessee has settled in Bombay for purpose of his employment where he resides in rented house.

(b) All the house properties are residential and situated at Calcutta. Property A was constructed in the year 1978 and is retained for

self occupation. Properties B and C, which were constructed on June 30, 1991 and March 31, 1992 respectively are let out.

(c) According to municipal records the annual values of properties A, B and C are Rs. 2,500, Rs. 2,500 and Rs. 3,500 respectively.

(d) The assessee was on leave for three months during the previous year ended 31st March, 1997. During that period he resided in the property A. No other benefit, was derived from that property during the previous year.

(e) Rs 5,000 raised on the mortgage of Property B was utilised for purchase of agricultural land, the income from which is exempt from income tax.

उत्तर—वेतन की आय 2,600 रु. है और मकान सम्पत्ति की आय 3,185 रु.। [34]

संकेत—नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन में से वार्षिक मूल्य ज्ञात करते समय घटाये जायेंगे। वेतन की आय में से प्रमाणित कटौती दी जायेगी।

8. श्री मुकर्जी दो मकानों के स्वामी हैं। उनमें से पहला मकान जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 7,500 रु. वार्षिक है, अपने स्वयं के रहने के प्रयोग में लाते हैं तथा दूसरा मकान जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 9,000 रु. वार्षिक है, रहने के लिए 600 रु. प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ है। मकानों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार व्यय हुए :

Shri Mukerjee owns two houses, First house, whose Municipal valuation is Rs. 7,500 per annum is occupied by him for his own residential purpose and the second house whose municipal valuation is Rs. 9,000 per annum is let out for residential purpose at the rate Rs. 600 p.m. The expenses for both house are as under :

	First House Rs.	Second House Rs.
(i) Municipal Taxes	750	900
(ii) Land Revenue	300	375
(iii) Interest on loan taken for repairs of the house	600	300
(iv) Fire Insurance Premium	450	600
(v) Rent Collection charges	—	500

यह मानते हुए कि दूसरा मकान जिसका निर्माण 1 मई, 1991 को पूरा हो चुका था, जनवरी से मार्च तीन माह खाली रहा, उसकी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Assuming that the Second House, whose construction had been completed on 1st May, 1991 remained vacant for three months from January to March, ascertain his taxable income from house property for the assessment year 1997-98.

उत्तर—मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय 2,415 रु.।

[35]

संकेत—किराये पर उठाए गये मकान की आय 3,015 रु. तथा स्वयं के रहने के मकान की हानि 600 रु.।

9. श्री अनिल कुमार के तीन एक-समान मकान 31 मार्च, 1992 को बन कर तैयार हुये। दो मकानों को किराये पर 1,200 रु. प्रति मकान प्रतिमाह दिया हुआ है तथा तृतीय में श्री अनिल कुमार स्वयं रहते हैं। अन्य सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित हैं—

	रु.
तीनों मकानों का वार्षिक नगरपालिका मूल्यांकन	40,000
सभी मकानों से सम्बन्धित नगरपालिका कर	12,000
तीनों मकानों के लिए भूमि किराया भुगतान किया	2,000
सभी मकानों का बीमा प्रीमियम	900
ऋण पर ब्याज का भुगतान किया	2,400
संग्रह के व्यय	2,000

श्री अनिल कुमार ने 20,000 रु. का ऋण किराये पर दिये गये मकानों की मरम्मत के लिए लिया था। किराये पर दिए गए मकानों में से एक मकान वर्ष में दो माह के लिए खाली रहा।

गत वर्ष में उनको 5,000 रु. एक पुराने किरायेदार से किराये की बकाया राशि के प्राप्त हुए। इस राशि की पिछले गत वर्षों में न वसूल हुए किराये के रूप में कटौती प्राप्त हो गई थी।

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री अनिल कुमार की मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उसने स्वयं के रहने के मकान को भी 1,200 रु. प्रतिमाह के किराये पर तीन माह के लिए किराये से उठा दिया।

The construction of three identical houses of Shri Anil Kumar were completed on 31st March, 1992. Two houses are let out for residential purposes on a rent of Rs. 1,200 each per month and the third house is occupied by Shri Anil Kumar himself. Other relevant details are given below—

	Rs.
Annual Municipal Valuation of three houses	40,000
Municipal taxes for all the three houses	12,000
Ground Rent paid for all the three houses	2,000
Insurance Premium for all the three houses	900
Interest paid on loan	2,400
Collection charges	2,000

Shri Anil Kumar had borrowed Rs. 20,000 to repair the let out properties. One of the let out house remained vacant for a period of two months during the previous year. During the previous year he received Rs. 5,000 from an old tenant as an arear of rent. This amount was allowed as deduction in past year as unrealised rent.

Compute the taxable income from House Property of Shri Anil Kumar for the year ended 31st March, 1997 assuming that he let out the self occupied house also for 3 months at a monthly rent of Rs. 1,200

[Ajmer, B. Com., 1988, Raj. B. Com., 1993]
[36]

उत्तर—मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय 10,807 रु.।
सकेत—किराये से उठाये गये मकानों की आय 5,414 रु. एवं स्वयं के रहने के मकान की आय 393 रु.। न वसूल हुए किराये की प्राप्ति 5,000 रु. भी इसी शीर्षक में कर-योग्य होगी।

10. मिस्टर नागेश निम्न मकान सम्पत्तियों का स्वामी है जिन्हें वह स्वयं के रहने के लिए बताता है। निम्न विवरण से उसकी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 की मकान सम्पत्ति की आय की गणना कीजिये।

प्रथम मकान—नगरपालिका मूल्यांकन 25,000 रु. प्रति वर्ष। इस मकान में वह अपने परिवार के साथ रहता है।

द्वितीय मकान—नगरपालिका मूल्यांकन 10,000 रु. वार्षिक। इस मकान में उसके तीन पुत्र रहते हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं।

तृतीय मकान—नगरपालिका मूल्यांकन 5,000 रु. वार्षिक है। इस मकान में उसके चाचा रहते हैं। माल गुजारी 500 रु. तथा बीमा प्रीमियम 200 रु. है।

चौथा मकान—नगरपालिका मूल्यांकन 4,000 रु. वार्षिक। 7,000 रु. मरम्मत व्यय हुआ। प्रथम मकान के निर्माण के लिए उसने U.S.A. में अपने एक मित्र से 50,000 रु. का ऋण 12% प्रति वर्ष के ब्याज पर लिया। 1996-97 में ब्याज बिना कर काटे हुए भुगतान कर दिया गया।

द्वितीय मकान भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर बनवाया। करदाता ने 5,000 रु. मूलधन के तथा 1,000 रु. ब्याज के चुकाये। सब मकानों के सम्बन्ध में स्थानीय कर, नगरपालिका मूल्यांकन का 10% है।

Mr. Nagesh is the owner of the following house properties which he claims to be self occupied. From the following particulars, compute his income from house property for the Assessment Year 1997-98.

First house—Municipal value Rs. 25,000 p.a. He resides in this house with his family.

Second house—Municipal value Rs. 10,000 p.a. It is occupied by his three sons who are studying in the university.

Third house—Municipal value Rs. 5,000 p.a. It is occupied by his uncle. Land revenue Rs. 500 and Insurance Premium Rs. 200.

Fourth house—Municipal value Rs. 4,000 p.a. Repair expenses incurred Rs. 7,000.

The first house was constructed by taking a loan Rs. 50,000 at 12% p.a. from his friend living in the U.S.A. Interest was paid during the year 1996-97 without deduction of Tax at Source.

The second house was constructed by taking loan from L.I.C. of India. The assessee has paid Rs. 5,000 towards principal and Rs. 1000 towards interest. Local taxes in the case of all houses at 10% of Municipal value. (Raj. B. Com., 1994)

उत्तर—मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय 11,980 रु.। [37]

संकेत—प्रथम मकान की आय शून्य। अन्य मकानों की आय क्रमशः 6,200 रु., 2,900 रु. एवं 2,880 रु.।

11. डॉ. जी. एल. भाटिया पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के सदस्य हैं और इस समिति की भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान में रहते हैं। इस मकान का नगरपालिका द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया 15,000 रु. है। इस मकान के सम्बन्ध में उन्होंने स्थानीय कर 1,500 रु., अग्नि बीमा 200 रु., भूमि किराया 800 रु., समिति को ब्याज के 4,800 रु. तथा मकान की लागत के किस्त के 12,600 रु. भुगतान किये हैं।

डॉ. भाटिया की एक तीन-मंजिली मकान सम्पत्ति इन्दौर में भी है, जिसका निर्माण 1 जून, 1988 से प्रारम्भ हुआ तथा जो 1 जनवरी, 1992 को बनकर तैयार हुई थी। इस मकान में तीन रिहायशी इकाइयाँ हैं, जिन्हें उन्होंने 1 जनवरी, 1992 से ही किराये पर किरायेदारों को रहने के लिए निम्न प्रकार दिया—

सतह मंजिल को 900 रु. प्रतिमाह पर;
प्रथम मंजिल को 600 रु. प्रति माह पर; तथा
द्वितीय मंजिल को 300 रु. प्रतिमाह पर।

सम्पूर्ण मकान का वार्षिक नगरपालिका मूल्य 18,000 रु. है तथा डॉ. भाटिया द्वारा गत वर्ष में चुकाये गये नगरपालिका कर की राशि 1,800 रु. है। इस मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में डॉ. भाटिया के अन्य व्यय इस प्रकार थे—मरम्मत 600 रु., किराया वसूली व्यय 300 रु., अग्नि बीमा प्रीमियम 450 रु. तथा भू-राजस्व 150 रु.। इस मकान का निर्माण करवाने हेतु उन्होंने राजस्थान वित्त निगम से 1 अक्टूबर, 1990 को 25,000 रु. का ऋण लिया था, जिसपर उन्हें 6% वार्षिक की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। उन्होंने 31 मार्च 1996 तक के ब्याज का ही भुगतान किया है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए डॉ. भाटिया की मकान-सम्पत्ति से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Dr. G. L. Bhatia is a member of Pink City Co-operative Housing [illegible] under the house [illegible] ouse [illegible] him relating to this house are: Local taxes Rs. 1,500, Fire Insurance Premium Rs. 200, Ground Rent Rs. 800 and amount paid to the society being interest Rs. 4,800 and the instalment of the cost of the house Rs. 12,600.

Dr. Bhatia owns a three-storyed house property in Indore also, the construction of which was begun on 1st Ju[illegible]e, 1988 and completed on

1st January 1992. The house consists of 3 residential units which have been let out to tenants for their residence from 1st January, 1992 as under :

Ground Floor at Rs. 900 p.m.
First Floor at Rs. 600 p.m.
Second Floor at Rs. 300 p.m.

Annual municipal valuation of the whole house is Rs. 18,000 and the amount of municipal taxes paid by Dr. Bhatia during the previous year is Rs. 1,800. In respect of this house property the other expenses of Dr. Bhatia were : Repairs Rs. 600, Rent collection expenses Rs. 300, Fire Insurance Premium Rs. 450 and Land Revenue Rs. 150. He took a loan of Rs. 25,000 from Rajasthan Finance Corporation on 1st October, 1990 for the construction of this house on which he is required to pay interest @ 6% per annum. He has paid interest upto 31st March, 1996 only. Compute Dr. G. L. Bhatia's taxable income under the head 'Income from House Property' for the assessment year 1997-98.

उत्तर—मकान सम्पत्ति के शीर्षक की कर-योग्य आय 2,460 रु.। [38]

12. श्री गणेश दो आवासीय मकानों के स्वामी हैं। प्रथम् मकान का निर्माण कार्य 1 जनवरी, 1988 को प्रारम्भ हुआ था तथा यह 31 दिसम्बर, 1991 को बनकर तैयार हुआ। उसने इस मकान के निर्माण हेतु 1 जुलाई 1990 को 2 लाख रु. का ऋण लिया था। इस पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है। इस ऋण का आधा भाग 1 अगस्त 1995 को चुका दिया गया था। इस मकान को 2,500 रु. प्रति माह की दर से रहने के लिये किराये पर उठाया गया है। 31 जनवरी, 1997 को किरायेदार ने मकान खाली कर दिया तथा 31 मार्च, 1997 तक मकान खाली ही रहा। किरायेदार से दिसम्बर 96 और जनवरी 97 का किराया भी वसूल नहीं हो सका। इस मकान से सम्बन्धित व्ययों का विवरण निम्न है—

	रु.
नगरपालिका कर (नगरपालिका मूल्य का 10%)	2,500
बीमा प्रीमियम चुकाया	2,000
भूमि का किराया (अदत्त)	1,000
राज्य सरकार को गृह कर (अदत्त)	1,500

गत वर्ष 1995-96 में नगर पालिका करों का भुगतान नहीं किया गया था अतः इस वर्ष दो वर्ष के नगरपालिका करों का भुगतान किया गया।

दूसरे मकान का प्रयोग स्वयं के रहने के लिये किया जाता है। इस मकान का निर्माण 1 मार्च, 1994 को प्रारम्भ हुआ था तथा यह 31 दिसम्बर, 1996 को बन कर तैयार हुआ। इस मकान के निर्माण हेतु 60,000 रु. का ऋण 1 अप्रैल, 1995 को लिया गया था जिस पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। 31 मार्च, 1997 तक ब्याज व मूलधन किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इस मकान का नगर

मूल्यांकन 40,000 रु. है। इस मकान के सम्बन्ध में भुगतान किये गये व्ययों का विवरण निम्न है—

नगर पालिका कर (3 माह के लिये)	1,000
बीमा प्रीमियम (1 वर्ष के लिये 1 जन. 97 से)	2,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री गणेश की मकान सम्पत्ति की आय ज्ञात कीजिए।

Mr. Ganesh is owner of two residential houses. The construction of the first house started on 1st January, 1988 and was completed on 31st December, 1991. He had taken a loan of Rs. 2 lakhs on 1st July, 1990 for the construction of this house. Interest @ 10% per annum is payable on it. Half of this loan was paid on 1st August, 1995. It has been let out for residential purposes at a monthly rent of Rs. 2,500. The tenant vacated the house on 31st January, 1997 and it remained vacant upto 31st March, 1997. The rent for December, 96 and January, 1997 could not be realised from the tenant. The details of expenditure for this house are as under :

Municipal Taxes (10% of Municipal Value)	2,500
Insurance Premium paid	2,000
Ground Rent (outstanding)	1,000
[illegible]	1,500

[illegible] ...refore

[illegible]

The second house is used by him for his own residence. The construction of this house started on 1st March, 1994 and was completed on 31st December, 1996. A loan of Rs 60,000 was taken on 1st April, 1995 for the construction of this house, the interest @ 12% per annum is payable on it. Neither the principal amount nor the interest on it was paid upto 31st March, 1997. The municipal valuation of this house is Rs. 40,000. The details of expenditure paid for this house are as under—

Municipal tax (for 3 months)	1,000
Insurance Premium (for 1 year from Jan., 97)	2,000

Find out taxable income from House Property of Shri Ganesh for the assessment year 1997-98. [39]

उत्तर—मकान सम्पत्ति से हानि 7,517 रु.।

संकेत—किराये के मकान की आय 1,123 रु. एवं स्वयं के रहने के मकान से हानि 8,640 रु.।

13. श्री हेमन्त ने एक मकान का निर्माण 1 अप्रैल, 1995 को प्रारम्भ किया तथा यह 31 मई, 1996 को बनकर तैयार हुआ। इस मकान के निर्माण के लिये 1 अक्टूबर 1995 को 1 लाख रु. का ऋण लिया था। जिस पर 10% की दर से ब्याज देय है। श्री हेमन्त मकान के $\frac{1}{2}$ भाग का प्रयोग 1 जून से ही स्वयं के निवास के लिये कर रहा है। मकान के $\frac{1}{4}$ भाग को 1 अगस्त से 1,250 रु. प्रति माह पर राम को तथा शेष $\frac{1}{4}$ भाग को 1 अक्टूबर

से 1250 रु. प्रति माह पर श्याम को किराये पर उठा दिया। श्याम ने 31 दिसम्बर को $\frac{1}{4}$ भाग खाली कर दिया तथा हेमन्त इस $\frac{1}{4}$ भाग का प्रयोग भी 1 जनवरी, 1997 से अपने स्वयं के निवास के लिये ही करने लगा।

सम्पूर्ण मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 48,000 रु. है। स्थानीय कर नगर पालिका मूल्य का 10% प्रति वर्ष दिया जाता है। इस मकान से सम्बन्धित व्ययों का विवरण निम्न है—

नगर पालिका कर चुकाये (10 महीने के लिये)	4,000
मरम्मत व्यय (अदत्त)	500
अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया	2,000
ऋण का ब्याज चुकाया (1 अक्टूबर, 1995 से 31 मार्च, 97)	15,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री हेमन्त की मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Hemant started the construction of a house on 1st April, 1995 and it was completed on 31st May, 1996. A loan of Rs. 1 lakh was taken on 1st October, 1995 for the construction of this house, the interest is payable @ 10% per annum on it. $\frac{1}{2}$ portion of the house is used by Shri Hemant for his own residence since 1st June, $\frac{1}{4}$th portion of the house was let out to Ram from 1st August at a rent of Rs. 1,250 per month and the remaining $\frac{1}{4}$th portion was also let out to Shyam from 1st October, at a rent of Rs. 1,250 per month. Shyam vacated $\frac{1}{4}$th portion on 31st December and Shri Hemant used this portion also for his own residence from 1st January, 1997. The municipal valuation of the whole house is Rs. 48,000. Local taxes are paid @ 10% of the municipal valuation. The details of the expenditure of this house are as under—

	Rs.
Municipal tax paid (for 10 months)	*4,000*
Repairs expenses (outstanding)	500
Fire Insurance Premium paid	2,000
Interest on loan paid (From 1st October, 1995 to 31st March, 1997)	15,000

Compute the taxable income under the head Income from "House Property" of Shri Hemant for the assessment year 1997-98. [40]

उत्तर—मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय 3,650 रु.।

संकेत—किराये के भाग की आय 3,650 रु.। स्वयं के रहने के भाग की आय शून्य।

14. श्री लोकेश बड़ामा ने 1 जुलाई, 1996 को जयपुर में एक मकान सम्पत्ति क्रय की। इस मकान में दो आवासीय इकाइयाँ हैं। इन आवासीय इकाइयों पर क्रमशः 7,500 रु. एवं

5,000 रु. प्रति वर्ष नगर पालिका कर के देय हैं जो नगर पालिका मूल्य का 10% है। 30 जून, 1996 तक के नगर पालिका कर एवं गृह-कर का भुगतान विक्रेता द्वारा कर दिया गया है। इस मकान का निर्माण 30 सितम्बर, 1991 को पूरा हुआ था। 1 जुलाई 1996 से ही प्रथम आवासीय इकाई का प्रयोग श्री लोकेश अपने स्वयं के निवास के लिये कर रहे हैं तथा द्वितीय आवासीय इकाई को 5,000 रु. प्रति माह के किराये पर उठा दिया गया है। इस किरायेदार से श्री लोकेश ने एक समझौता किया है जिसके अनुसार किरायेदार द्वितीय इकाई के नगर पालिका कर एवं राज्य सरकार द्वारा लगाये गये गृह कर का भुगतान सीधे नगरपालिका को करेगा। उसी समझौते के अन्तर्गत मकान का स्वामी किरायेदार की सुविधाओं पर निम्न व्यय करता है—

माली का वेतन	2,400
चौकीदार का वेतन	1,200
पानी का व्यय	2,000
खुले मैदान में रोशनी का व्यय	1,600

मकान का स्वामी निम्न कटौतियों की मांग करता है—

	प्रथम इकाई (रु)	द्वितीय इकाई (रु)
भू-राजस्व	1,500	1,000
मरम्मत	5,000	3,000
राज्य सरकार को देय गृह कर	4,500	3,000
अदालत द्वारा निर्धारित वार्षिक भार	1,500	1,000
मकान क्रय करने के कानूनी व्यय	7,500	5,000
मकान क्रय करने हेतु लिये गये ऋण का ब्याज	9,000	6,000

ब्याज का भुगतान एक अनिवासी को किया गया। इस ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई।

द्वितीय इकाई के नगरपालिका कर एवं गृह कर का भुगतान 31 मार्च, 1997 के पूर्व किरायेदार ने कर दिया था परन्तु प्रथम इकाई के नगर पालिका कर एवं गृहकर दोनों का भुगतान नहीं किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री लोकेश की मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

यदि श्री लोकेश प्रथम इकाई को भी जनवरी, 1997 से 3 महीने के लिये 7,500 रु. प्रतिमाह के किराये पर उठा देते हैं तो उनकी मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय कितनी होगी?

Mr. Lokesh Badaya purchased a house property in Jaipur on 1st July, 1996. There are two residential units in this house. Municipal taxes on these units are payable @ 10% of municipal valuation which amounted to Rs. 7,500 and Rs. 5,000 respectively. Municipal tax and the house tax upto 30th June, 1996 have been paid by the vendor of

the house. The construction of this house was completed on 30th September, 1991. The first unit is used by Mr. Lokesh for his own residence since 1st July, 1996 and the second unit has been let out at a rent of Rs. 5,000 per month. Mr. Lokesh has entered into an agreement with the tenant stating that the tenant would pay municipal tax and the house tax of second unit direct to the municipality. Under the same agreement the landlord bears the following expenses on tenant's amenities—

Gardener's salary	2,400
Watchman's salary	1,200
Water charges	2,000
Lighting in open space	1,600

The landlord claims the following deductions :

	First Unit Rs.	Second Unit Rs.
Land Revenue	1,500	1,000
Repairs	5,000	3,000
House tax payable to State Govt.	4,500	3,000
Annual charge fixed by Court	1,500	1,000
Legal expenses on purchase of house	7,500	5,000
Interest on loan taken for the purchase of house	9,000	6,000

Interest on loan was paid to a non-resident without deducting tax at source.

Municipal tax and the house tax of second unit was paid by the tenant before 31st March, 1997 but the municipal tax and the house tax of first unit remained outstanding.

Compute the taxable income from House Property of Mr. Lokesh for the assessment year 1997-98.

What would be his income from House Property if Mr. Lokesh let out the first unit for 3 months from 1st January, 1997 at a rent of Rs. 7,500 per month. [41]

उत्तर—मकान सम्पत्ति की कर योग्य आय 26,920 रु. एवं 41,920 रु.।

संकेत—स्वयं के रहने की इकाई की आय प्रथम परिस्थिति में शून्य एवं द्वितीय परिस्थिति में 15,000 रु.।

■■■

6

ह्रास एवं अन्य छूटें

(Depreciation and Other Rebates)

ह्रास (Depreciation)

आय-कर अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार करदाता को अपनी ऐसी इमारतों, मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर आदि के सम्बन्ध में, जिनका कि वह स्वामी[1] है तथा जिनको वह अपने व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग करता है, ह्रास सम्बन्धी छूट मिलती है। प्लांट शब्द में जहाज, गाड़ियाँ, पुस्तकें, वैज्ञानिक यन्त्र एवं चिकित्सा सम्बन्धी सामान सम्मिलित है परन्तु इसमें चाय की झाड़ियाँ एवं पशु-धन सम्मिलित नहीं है।

ह्रास की छूट को प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें–किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में करदाता को ह्रास की छूट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक होता है।

(1) छूट केवल भवन, मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर पर ही दी जाती है–ह्रास की छूट केवल इन चार प्रकार की सम्पत्तियों के लिए ही दी जाती है, अन्य सम्पत्तियों के लिए नहीं। प्लांट शब्द का अर्थ ऊपर बताया जा चुका है। भवन के अन्तर्गत गोदाम, भण्डार, कार्यालय, निर्माण की इमारतें तथा पुल आदि को सम्मिलित किया जाता है। स्पष्ट है कि भूमि के सम्बन्ध में ह्रास की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जिस भूमि पर भवन बनाया जाता है उस भूमि पर भी ह्रास की कटौती नहीं दी जाती है।

(2) सम्पत्ति करदाता की स्वयं[1] की होनी चाहिए—जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास की छूटें माँगी जाये, वह सम्पत्ति करदाता की स्वयं की होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई सम्पत्ति किराये पर लेता है अथवा माँग कर प्रयोग करता है, तो ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास की छूट नहीं दी जाती है।

(3) करदाता उस सम्पत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है–यदि कोई करदाता किसी सम्पत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए नहीं करता वरन् अन्य किसी कार्य के लिए करता है तो ऐसी सम्पत्ति पर ह्रास की छूट नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए करदाता के स्वयं के रहने के लिए काम आने वाला मकान अथवा व्यक्तिगत प्रयोग में लाई जाने वाली कार आदि के सम्बन्ध में ह्रास की छूट नहीं दी जाती है।

(4) गत वर्ष में सम्पत्ति का प्रयोग किया जाता है—यह भी आवश्यक है कि करदाता गत वर्ष में सम्पत्ति का प्रयोग करे। सम्पत्ति का प्रयोग चाहे भले ही कितनी ही कम अवधि के लिए किया गया हो, ह्रास की छूट दी जाती है। सम्पत्ति का प्रयोग सक्रिय भी हो सकता है और

---

1. 1 4 1997 से पूर्णत या आंशिक स्वामी है।

निष्क्रिय प्रयोग भी। हड़ताल या तालाबन्दी के कारण मशीनरी आदि का काम में न आना निष्क्रिय प्रयोग कहलाता है। परन्तु यदि कोई सम्पत्ति वैसे ही बेकार पड़ी रहे तो उसे प्रयोग में नहीं माना जायेगा।

ह्रास-छूट सम्बन्धी नियम—

(1) ह्रास छूट स्वीकृत करने हेतु विभिन्न सम्पत्तियों के कुछ समूह बना दिए गये हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से एक समूह में आने वाली विभिन्न सम्पत्तियों पर एक साथ ह्रास छूट स्वीकृत की जाती है।

(2) ह्रास छूट की गणना प्रत्येक समूह की सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य पर की जाती है। अपलिखित मूल्य की गणना करने की विधि इसी अध्याय में आगे बताई गई है।

(3) आय-कर नियम 5 एवं Appendix-1 में सम्पत्तियों के विभिन्न समूह एवं उनके लिए निर्धारित ह्रास की दरों का उल्लेख किया गया है। ह्रास छूट इन्हीं दरों के अनुसार स्वीकृत की जाती है। इन दरों का उल्लेख इसी अध्याय में आगे किया गया है।

(4) यदि करदाता 28 फरवरी, 1975 के बाद भारत के बाहर बनी हुई मोटरकार खरीदता है तो ऐसी विदेशी कार पर ह्रास-छूट केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही स्वीकृत की जायेगी—

(अ) ऐसी मोटरकार का प्रयोग पर्यटकों को किराये से लाने ले जाने के व्यवसाय में किया जाता है।

(ब) ऐसी मोटरकार का प्रयोग भारत के बाहर किसी दूसरे देश में करदाता के स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाता है।

(5) यदि कोई करदाता किसी भवन को अपने व्यापार अथवा पेशे में उपयोग के लिए किराये पर अथवा पट्टे पर लेता है तथा ऐसी इमारत पर नवीनीकरण, विस्तार, सुधार अथवा अन्य किसी निर्माण कार्य पर कोई पूँजीगत व्यय करता है तो ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ह्रास की छूट यह मानते हुए दी जायेगी कि ऐसे निर्माण कार्य का करदाता स्वयं ही स्वामी है।

(6) यदि कोई सम्पत्ति गत वर्ष में प्राप्त की जाती है तथा 180 दिन से कम दिनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो उस सम्पत्ति पर ह्रास छूट निर्धारित दर से ज्ञात की गई ह्रास छूट के 50% के बराबर राशि की ही स्वीकृत की जायेगी। निर्धारित दर से अभिप्राय सम्पत्तियों के उस समूह पर लागू होने वाली दर से है जिस समूह में सम्बन्धित सम्पत्ति सम्मिलित की जाती है।

(7) यदि किसी मशीन या प्लाण्ट पर धारा 42 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के साथ किये गये समझौते के अनुसार एक या अधिक वर्षों में सम्पूर्ण राशि की कटौती प्रदान कर दी जाती है तो उस प्लाण्ट या मशीन पर धारा 32(1) के अन्तर्गत ह्रास छूट स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(8) कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से 5,000 रु. तक की मशीन एवं प्लाण्ट पर दी जाने वाली 100% की छूट को बन्द कर दिया गया है। परन्तु आय-कर नियमों में संशोधन करके पेशे के काम में आने वाली पुस्तकों पर 100% की दर से ह्रास छूट की व्यवस्था की गई है, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो।

(9) यदि किसी भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर का हस्तान्तरण धारा 170 में वर्णित परिस्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है अथवा एकीकृत होने वाली कम्पनी से एकीकरण करने वाली कम्पनी को हो जाता है तो किसी गत वर्ष में इन दोनों को मिलने वाली ह्रास छूट की कुल राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो सम्पति के हस्तान्तरण नहीं होने की दशा में सम्पत्ति के पूर्व मालिक को प्राप्त होती। ह्रास की इस राशि का विभाजन दोनों के बीच उनके द्वारा गत वर्ष में सम्पत्ति को रखने के दिनों के अनुपात में किया जायेगा।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए ह्रास छूट की दरें

सम्पत्तियों के समूह	प्रतिशत दर
I. भवन :	
(1) मुख्यतः रहने के लिए प्रयोग में आने वाले मकान (नीचे उप-वाक्य (3) में दिये गये मकानों के अलावा)	5
(2) मुख्यतः रहने के लिए प्रयोग में नहीं आने वाले मकान परन्तु उप-वाक्य (3) में दिये गए मकानों के अलावा।	10
(3) (i) होटल के रूप में प्रयोग किए गए भवन। (ii) रहने के प्रयोग में आने वाले ऐसे भवन जिनका निर्माण स्थल का क्षेत्रफल (Plinth Area) 80 वर्ग मीटर से अधिक न हो।	20
(4) पूर्णतया अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी का ढाँचा	100
II. फर्नीचर एवं फिटिंग्स :	
(1) ऐसा समस्त फर्नीचर जो नीचे उप-वाक्य (2) में नहीं आता हो।	10
(2) होटल, रेस्टोरेन्ट, छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाएँ, पुस्तकालय, कल्याण केन्द्र, सभागृह, सिनेमागृह, थियेटर्स एवं सर्कस में प्रयोग किया जाने वाला फर्नीचर, फिटिंग्स एवं शादी-विवाह एवं ऐसे ही उत्सवों के अवसर पर प्रयोग हेतु किराये पर उठाया जाने वाला फर्नीचर एवं फिटिंग्स।	15
III. (1) नीचे उप-वाक्यांश (1A), (2) एवं (3) में वर्णित प्लांट एवं मशीनरी को छोड़कर अन्य प्लांट एवं मशीनरी	25
(1A) ऐसी मोटरकार जो 1 अप्रैल, 1990 को अथवा बाद में प्राप्त की गई हो अथवा प्रयोग में लाई गई हो (इसमें वे मोटरकार सम्मिलित नहीं हैं जो इनको किराये पर चलाने के व्यवसाय में काम आती है)।	20
(2) (i) ऐरोप्लेन्स—ऐरो-इन्जिन्स। (ii) किराये पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग की गई मोटर बस, मोटर लारी एवं मोटर टैक्सी। (iii) रबर एवं प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने में प्रयुक्त सांचे।	40

सम्पत्तियों के समूह	प्रतिशत दर
(iv) वायु प्रदूषण नियन्त्रण की मशीनें। (v) जल प्रदूषण नियन्त्रण की मशीनें। (vi) Solid waste नियन्त्रण की मशीनें। (vii) अर्द्ध-सुचालक उद्योगों में प्रयुक्त प्लाण्ट व मशीन	100
(2A) रिफिल्स के रूप में प्रयोग किये जाने वाले काँच या प्लास्टिक के बने हुए पात्र	40
(3) (i) कृत्रिम सिल्क निर्माण करने की मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले लकड़ी के पुर्जे।	50
(ii) स्टूडियो की लाइट के बल्ब। (iii) शक्ति (Energy) बचाने वाले संयंत्र। (iv) आटा मिल में प्रयुक्त रोलर्स। (v) गैस सिलेण्डर-वाल एवं रेगुलेटर्स सहित। (vi) ग्लास बनाने वाली संस्थाओं में ग्लास पिघलाने के लिए प्रयुक्त भट्टियाँ। (vii) लोहा एवं इस्पात उद्योग—रोलिंग मिल रोल्स। (viii) माचिस बनाने वाले कारखाने—लकड़ी के फ्रेम। (ix) खनिज पदार्थ निकालने वाली संस्थाओं में सतह के नीचे एवं सतह के ऊपर खनिज पदार्थों को निकालने में प्रयुक्त कुछ मशीनें। (x) खानों में प्रयुक्त टब, रस्सियाँ एवं पाइप आदि। (xi) नमक बनाने में प्रयुक्त मिट्टी, बालू एवं ऐसे ही अन्य पदार्थों के बने हुए कड़ाये, कण्डेन्सर्स इत्यादि। (xii) सुगर बनाने में प्रयुक्त रोलर्स। (xiii) रोलर शक्ति का प्रयोग करने वाले संयन्त्र।	100
(4) पेशे के काम में आने वाली पुस्तकों पर	100
IV. जहाज :	
(1) समुद्री जहाज जिनमें ड्रेगर्स, टग्स, वार्गेज, सर्वे लान्चेज एवं मुख्यतः सीप फँसाने के लिए प्रयुक्त इसी प्रकार के अन्य जहाज एवं लकड़ी से बने हुए ढाँचे के मछली पकड़ने के जहाज।	20
(2) साधारणतया अन्तर्देशीय पानी में चलने वाले जहाज (उप-वाक्य 3 में वर्णित जहाजों को छोड़कर)।	10
(3) साधारणतया अन्तर्देशीय पानी में चलने वाले स्पीड वोट।	20

स्पष्टीकरण—(i) भवन शब्द के अन्तर्गत सड़कें, ब्रिज, भूमिगत नाली, [illegible] एवं भी सम्मिलित हैं।

(ii) एक भवन को मुख्यत: रहने के लिए प्रयोग किया गया भवन माना जायेगा यदि उस भवन के कुल निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल (Built up floor area) का कम से कम $66\frac{2}{3}$% भाग रहने के लिए प्रयोग किया जाता है।

किराये अथवा पट्टे पर लिए गए भवन पर कराये गये विस्तार, नवीनीकरण, सुधार आदि के सम्बन्ध मे यह देखा जायेगा कि यह निर्माण कार्य भवन के लिए उल्लेखित (1), (2) एवं (3)में से कौनसी श्रेणी अथवा समूह में आता है। उस समूह पर लागू ह्रास दरें ही इस विस्तार, नवीनीकरण या सुधार पर लागू होंगी।

(iii) मोटर वैन्स (Motor Vans) को मोटर लॉरी या मोटर बस के समान ही माना गया है तथा इन पर भी 40% की दर से ह्रास छूट स्वीकृत की जायेगी यदि इनका प्रयोग पर्यटकों को परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। (प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के प्रपत्र क्रमांक 609 दि. 29-7-1991 एवं 622 दि. 6-1-1992)

ह्रास छूट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम

ह्रास छूट सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए आय-कर नियम 5(2) में प्लाण्ट एवं मशीन के चार समूह बनाये गये हैं। दूसरे, तीसरे एवं चतुर्थ समूह में उन प्लांट एवं मशीनों के नाम दिये गये हैं जिन पर 20%, 40% एवं 100% की दर से ह्रास छूट स्वीकृत की जाती है। शेष प्लांट एवं मशीनों पर सामान्य दर 25% की दर से ही ह्रास छूट स्वीकृत की जाती है। इस नियम में यह बताया गया है कि सामान्य दर के अन्तर्गत आने वाली कोई प्लांट एवं मशीन कुछ विशेष दशाओं में यदि निर्धारित शर्तों को पूरा कर देती है तो उस प्लांट एवं मशीन को 40% छूट वाले समूह में रखा जायेगा तथा उस पर 40% की दर से ह्रास छूट स्वीकृत की जायेगी। विशिष्ट परिस्थितियाँ एव शर्तें निम्न है—

विशेष परिस्थितियाँ—यह नियम कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित किसी भी गत वर्ष में या बाद के किसी गत वर्ष में स्थापित की गई प्लांट एवं मशीन पर लागू होता है। यह नियम कुछ विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं संस्थाओं में विकसित की गई तकनीक या ज्ञान का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करने पर अथवा इन विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं संस्थाओं द्वारा आविष्कृत किसी वस्तु के निर्माण करने पर लागू होता है। विशिष्ट प्रयोगशाला एवं संस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) ऐसी प्रयोगशाला जिसका स्वामित्व सरकार के पास है अथवा जिसकी वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के स्वामित्व वाली कोई प्रयोगशाला।

(iii) कोई विश्वविद्यालय।

(iv) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग के सचिव द्वारा इस आशय के लिए प्रमाणित अन्य कोई संस्था।

आवश्यक शर्तें—(i) ऐसी तकनीक एवं ज्ञान को प्रयोग करने का अधिकार अथवा ऐसी वस्तुएँ बनाने का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला के स्वामी से प्राप्त किया गया है अथवा ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया गया है जिसने ऐसे स्वामी से अधिकार प्राप्त कर लिया है।

(ii) जिस गत वर्ष में ऐसी प्लांट एवं मशीन प्राप्त की गई है उस गत वर्ष की आय के नक्शे के साथ भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग के सचिव द्वारा

इस आशय के लिए प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इस प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि करदाता ऐसी प्रयोगशाला द्वारा विकसित तकनीक या ज्ञान का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करता है अथवा ऐसी प्रयोगशाला द्वारा आविष्कृत किसी वस्तु का निर्माण करता है।

(iii) मशीन एवं प्लाट का प्रयोग आयकर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम में वर्णित विशिष्ट शब्दों से आशय निम्नलिखित है—

(अ) सरकार द्वारा वित्त-व्यवस्था वाली प्रयोगशाला—सरकार द्वारा वित्त-व्यवस्था वाली प्रयोगशाला से आशय किसी भी ऐसी संस्था से है (जिसमें सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी भी शामिल है) जिसकी वित्त-व्यवस्था पूर्णतः, अथवा मुख्यतः सरकार द्वारा की जाती है।

(ब) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी—सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी से आशय केन्द्र, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी से है।

(स) विश्वविद्यालय—विश्वविद्यालय से आशय केन्द्र, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा समामेलित विश्वविद्यालय से है अथवा इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा उस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए घोषित संस्था भी सम्मिलित है।

स्वीकृत ह्रास की गणना
(Computation of Depreciation Allowable)

1. विभिन्न सम्पत्तियो का समूह (Block) निर्धारित करना—गत वर्ष में करदाता द्वारा अनेक सम्पत्तियाँ प्रयोग में लाई जा सकती हैं। यदि इन सम्पत्तियों के बारे में अलग-अलग सूचना दी हुई हो तो प्रत्येक सम्पत्ति का समूह निर्धारित करना पड़ेगा। इस प्रकार एक समूह में आने वाली विभिन्न सम्पत्तियों को एक साथ जोड़ा जायेगा। भवन, मशीनरी, प्लांट तथा फर्नीचर प्रत्येक के लिए अलग-अलग समूह निर्धारित किये गये हैं। उदाहरण के लिए, भवन के चार समूह बनाये गये हैं। कोई भी भवन जिस पर ह्रास छूट की पात्रता है, इन चार समूहों में से किसी एक समूह में अवश्य आ जायेगा। प्रत्येक समूह के लिए अलग दर निर्धारित की गई हैं।

2. प्रत्येक समूह की सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात करना—कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए अपलिखित मूल्य ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम उन सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाता है जो करदाता के पास पहले से मौजूद थी। इन सम्पत्तियों का प्रयोग करदाता ने कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित गत वर्ष (1995-96) में किया था। गत वर्ष 1996-97 के दौरान करदाता द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्तियों की वास्तविक लागत को उनसे सम्बन्धित समूह के प्रारम्भिक अपलिखित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार करदाता द्वारा गत वर्ष 1996-97 के दौरान बेची गई अथवा हस्तान्तरित की गई सम्पत्तियों के हस्तान्तरित मूल्य (अवशिष्ट मूल्य सहित) को उनसे सम्बन्धित समूह के अपलिखित मूल्य में से घटा दिया जायेगा। शेष राशि उस समूह का कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए अपलिखित मूल्य होगी।

3. ह्रास की गणना करना—सम्पत्तियों के प्रत्येक समूह का अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के बाद निर्धारित दरों के आधार पर प्रत्येक समूह के लिए स्वीकृत ह्रास की गणना कर ली जाती है। विभिन्न समूहों की अलग-अलग ज्ञात की गई ह्रास की राशियों को जोड़कर करदाता को स्वीकृत कुल ह्रास की राशि ज्ञात कर ली जाती है।

स्पष्टीकरण—(i) उपरोक्त वाक्यांश (2) में हस्तान्तरित की गई सम्पत्तियों का विक्रय मूल्य उस समय के अपलिखित मूल्य से अधिक हो तो आधिक्य की राशि अल्पकालीन पूँजी लाभ के रूप में कर-योग्य होगी तथा सम्पत्तियों के उस समूह का अपलिखित मूल्य शून्य हो जायेगा तथा उस समूह के लिए उस वर्ष कोई ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी। इस परिस्थिति में यदि कोई सम्पत्ति करदाता के पास उस समूह में बची हुई है तो भी उस समूह का अपलिखित मूल्य शून्य ही हो जायेगा।

(ii) यदि गत वर्ष के दौरान किसी समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित कर दी जायें तथा हस्तान्तरण से प्राप्त राशि उस समूह के अपलिखित मूल्य से कम हो तो यह कमी अल्पकालीन पूँजी हानि कहलायेगी। ऐसी परिस्थिति में भी उस समूह का अपलिखित मूल्य शून्य माना जायेगा तथा उस गत वर्ष में उस समूह के लिए कोई ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी।

ह्रास की गणना करने की विधि को व्यावहारिक उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट रूप में समझाया जा रहा है।

Illustration 1.

Ram Chandra owns the following assets on April 1, 1996—

1 अप्रैल, 1996 को रामचन्द्र के स्वामित्व में निम्न सम्पत्तियाँ थी—

Asset	Actual cost	W.D.V. on *1-4-1996*	Rate of *depreciation* for the A.Y. 1997-98.
Building	Rs.	Rs.	
A	10,00,000	6,25,000	*10%*
B	2,50,000	62,500	*10%*
C	1,00,000	20,000	*5%*

Ram Chandra acquired the following assets during the previous year 1996-97

गत वर्ष 1996-97 के दौरान रामचन्द्र ने निम्न सम्पत्तियाँ प्राप्त कीं :

Assets	Cost Rs.	Date of acquisition	Rate of Dep.
Building D	4,00,000	September 20, 1996	*10%*
Building E	1,50,000	January 15, 1997	*5%*

Ram Chandra sold the following assets during the previous year 1996-97.

गत वर्ष 1996-97 के दौरान रामचन्द्र ने निम्न सम्पत्तियाँ बेचीं—

Assets	Date of sale	Sale consideration
Building A	July 15,1996	Rs.7,00,000

Calculate the amount of depreciation allowable to Mr. Ram Chandra for the assessment year 1997-98.

रामचन्द्र को कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए—

Solution : **Calculation of depreciation for the A.Y. 1997-98**

First Block :

		Rs.
Building (Rate of depreciation 10%)		
Written down value on April 1, 1996 (Building A Rs 6,25,000 + Building B Rs. 62,500)		6,87,500
Add : Cost of Building D acquired during the previous year 1996-97		4, 00,000
		10,87,500
Less : Sale consideration of Building A which is sold during the previous year 1996-97		7,00,000
Written down value for the previous year 1996-97		3,87,500
Depreciation allowable for the previous year 1996-97 (assessment year 1997-98) @ 10% on Rs. 3,87,500		38,750

Second Block :

Building (Rate of depreciation 5%)		
W.D.V. of Building C on April 1, 1996		20,000
Add : Cost of Building E acquired during the previous year 1996-97		1,50,000
Written down value for the previous year 1996-97		1,70,000
Depreciation allowable for the previous year 1996-97 (A.Y. 1997-98)		
@ 5% on Rs. 20,000 =	1,000	
@ $2\frac{1}{2}$% on Rs. 1,50,000 =	3,750	4,750

Total depreciation allowable for the Assessment Year would be Rs. 38,750 + Rs. 4,750 = 43,500.

टिप्पणी—भवन E गत वर्ष में प्राप्त किया गया है एवं इसका प्रयोग 180 दिन से कम के लिए किया गया है, अतः इस पर निर्धारित दर 5% के स्थान पर $2\frac{1}{2}$% की दर से ही ह्रास छूट दी गई है।

अन्य महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ
(Other Important Definitions)

1. वास्तविक लागत (Actual Cost)— वास्तविक लागत से अभिप्राय उस लागत से होता है जिस पर कोई करदाता किसी सम्पत्ति को वास्तव में प्राप्त करता है। प्राप्त करने की लागत में मशीन को लाने एवं स्थापित कराने के व्यय एंव भवन निर्माण की योजना तैयार करने सम्बन्धी व्यय तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य इसी प्रकार के खर्चों को भी शामिल किया जाता है। किसी पूँजी सम्पत्ति के निर्माण के दौरान यदि पूँजी ब्याज पर ली जाती है तथा उस

ब्याज को पूँजीकृत कर दिया जाता है (अर्थात् उसके लागत मूल्य में शामिल कर दिया जाता है) तो वह भी उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत में सम्मिलित किया जाता है, परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति या अधिकारी द्वारा दी गई राशि को घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करने के सम्बन्ध में सरकार से प्राप्त कोई अनुदान अथवा सहायता।

धारा-43(i) के अनुसार विभिन्न सम्पत्तियों की वास्तविक लागत की गणना भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में निम्न प्रकार की जाती है—

(i) वे सम्पत्तियाँ जिनका प्रयोग करदाता वैज्ञानिक अनुसन्धान में कर चुका हो—यदि करदाता ने पहले किसी सम्पत्ति का प्रयोग अपने व्यवसाय से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य के लिए किया हो परन्तु अब अनुसन्धान कार्य के स्थान पर व्यापार में ही प्रयोग करने लगे तो ऐसी स्थिति में उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की वास्तविक लागत में अनुसन्धान के सम्बन्ध में मिली हुई छूट को घटाने के बाद बची हुई राशि ही वास्तविक लागत मानी जायेगी।

(ii) भेंट या उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति की वास्तविक लागत—यदि किसी करदाता को कोई सम्पत्ति भेंट या उत्तराधिकार में प्राप्त होती है तो उस सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी की वास्तविक लागत में से कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 तक स्वीकृत ह्रास को घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही करदाता के लिए ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत मानी जायेगी। कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 तक का ह्रास यह मानते हुए घटाया जायेगा कि उस समूह में यह अकेली सम्पत्ति थी।

(iii) कर-दायित्व कम करने के उद्देश्य से हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति—करदाता को प्राप्त होने से पूर्व यदि कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कभी भी उसके व्यापार तथा पेशे के लिए प्रयोग की गई थी तथा निर्धारण अधिकारी की दृष्टि में उसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सम्पत्ति के हस्तान्तरण द्वारा कर-दायित्व में कमी करना है (अधिक लागत पर ह्रास प्राप्त करके) तो करदाता के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत का निर्धारण, उस मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा करते समय उसे डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(iv) पुनः प्राप्त की गई सम्पत्ति की वास्तविक लागत—ऐसी सम्पत्तियाँ जिनका प्रयोग करदाता पहले कभी अपने व्यापार अथवा पेशे में करता था तथा जिनको हस्तान्तरित कर दिया था, अब पुनः उन सम्पत्तियों को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत निम्न में से जो भी कम होगी वह मानी जायेगी।

(अ) जब करदाता ने उस सम्पत्ति को पहली बार प्राप्त किया था उस समय उसके लिए उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से प्राप्त ह्रास की छूट को घटाकर निकाली गई राशि, अथवा (ब) दुबारा प्राप्त करने के लिए चुकाया गया मूल्य।

(v) यदि कोई सम्पत्ति करदाता द्वारा प्राप्त किये जाने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे में काम में ली गई थी तथा उस अन्य व्यक्ति ने इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास की छूट प्राप्त की थी, तथा यह अन्य व्यक्ति इस सम्पत्ति को करदाता से पट्टे पर, किराये पर अथवा अन्य किसी तरीके से प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वाक्यांश (iii) में कुछ भी व्यवस्था दी गई हो, इस प्रकार हस्तान्तरित सम्पत्ति की वास्तविक लागत करदाता के लिये

वह राशि होगी जो अन्य व्यक्ति के लिये इस सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय अपलिखित मूल्य था।

(vi) सम्पत्तियाँ जो प्रयोग में लाने के पहले से करदाता के पास हों—यदि किसी करदाता द्वारा ऐसी इमारत का प्रयोग व्यापार या पेशे के लिए किया जाता है जो उसके पास पहले से मौजूद है तो इमारत की वास्तविक लागत को मालूम करने के लिए उसको प्राप्त करने की लागत में से उस अवधि का ह्रास जिसमें वह व्यापार तथा पेशे के काम न लाई गई हो, घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि व्यापार तथा पेशे में प्रयोग करने की तिथि को इमारत की वास्तविक लागत मानी जायेगी। पिछली अवधि का ह्रास व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग किये जाने की तिथि को प्रचलित दर के हिसाब से घटाया जायेगा।

(vii) सूत्रधारी एवं सहायक कम्पनियों के मध्य पूँजी सम्पत्ति का हस्तांतरण—किसी सूत्रधारी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को अथवा सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को कोई पूँजी सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है तो प्राप्त करने वाली कम्पनी के लिए उस सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी के लिए होती है, यदि हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी स्वयं उस सम्पत्ति का प्रयोग जारी रखती है। इसके लिए निम्न शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

(A) सम्पत्ति को प्राप्त करने वाली कम्पनी भारतीय कम्पनी होनी चाहिए।

(B) सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूँजी सूत्रधारी कम्पनी के पास है।

(viii) कम्पनियों की एकीकरण की योजना में सम्पत्तियों का हस्तान्तरण—किसी एकीकरण की योजना के अन्तर्गत यदि एक कम्पनी अपनी पूँजी सम्पत्ति दूसरी कम्पनी को हस्तान्तरित कर देती है तो प्राप्त करने वाली कम्पनी के लिए सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह राशि होगी जो हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी के लिए होगी, यदि हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी उस सम्पत्ति का प्रयोग स्वयं जारी रखती है। यह व्यवस्था केवल उस दशा में लागू होती है जबकि प्राप्त करने वाली कम्पनी भारतीय कम्पनी हो।

मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण सम्पत्ति की वास्तविक लागत में परिवर्तन—जब कोई करदाता भारत के बाहर किसी देश से कोई सम्पत्ति उधार क्रय करता है अथवा विदेश से ही ऋण लेकर क्रय करता है तथा क्रय मूल्य चुकाने के पूर्व अथवा ऋण चुकाने से पूर्व मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन हो जाता है तो सम्पत्ति की वास्तविक लागत में परिवर्तन कर दिया जायेगा। यदि भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के कारण उसका रुपयों में दायित्व बढ़ जाता है तो सम्पत्ति की लागत में वृद्धि कर दी जायेगी तथा इस बढ़ी हुई लागत पर ह्रास की छूट स्वीकृत होगी। इसके विपरीत उस दूसरे देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है और जिससे उसका रुपयों में दायित्व कम हो जाता है तो उसकी वास्तविक लागत भी उतनी ही कम कर दी जायेगी।

2. अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)—यदि किसी करदाता के व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में लाभ न हो अथवा कम हो तो वह ह्रास के सम्बन्ध में स्वीकृत छूट अन्य शीर्षकों की आय में से घटा सकता है। परन्तु यदि अन्य शीर्षक में आय न हो अथवा कम हो तो स्वीकृत ह्रास का वह भाग जो किसी भी आय से पूरा न किया जा सके, अशोधित ह्रास कहलाता है तथा इसको अशोधित ह्रास के रूप में अगले गत वर्षों में पूरा करने

के लिए ले जाया जा सकता है। यदि आय की कमी के अलावा अन्य किसी कारण से (जैसे—आय-कर अधिकारी के पास सम्पत्ति का विवरण न दाखिल किया जाना) ह्रास न घटाया जा सके तो उसे अशोधित ह्रास में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अशोधित ह्रास के सम्बन्ध में अन्य व्यवस्थाएँ निम्न हैं—

(i) अशोधित ह्रास को 8 वर्ष के लिए आगे ले जाया जा सकता है तथा किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि जिस व्यापार अथवा पेशे से अशोधित ह्रास सम्बन्धित है, वह व्यापार अथवा पेशा जारी रहे।

(ii) ह्रास को आगे ले जाकर पूरा करने सम्बन्धी 8 वर्ष की सीमा अवधि का प्रतिबन्ध बीमार औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 के पूर्व के किसी वर्ष का अशोधित ह्रास कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 एवं अगले 7 वर्षों में किसी भी शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है।

विनियोग भत्ता (*Investment Allowance*)

1 अप्रैल, 1990 से पूर्व तक क्रय किये गये समुद्री जहाज अथवा हवाई जहाज अथवा उक्त तिथि के पूर्व नई स्थापित प्लांट एवं मशीन के सम्बन्ध में विनियोग भत्ते की छूट सम्पत्ति की वास्तविक लागत पर 20% की दर से मिलती रही है।

चूँकि कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से विनियोग भत्ते की छूट बन्द हो गई है, हम अनावश्यक मानते हुए इसकी व्यवस्थाओं को विस्तार से नहीं समझा रहे हैं। परन्तु किसी वर्ष लाभों की क के कारण करदाता स्वीकृत विनियोग भत्ते की छूट की वास्तव में कटौती नहीं ले सका था तो इसे 8 वर्षों तक "अशोधित विनियोग भत्ते की छूट" के रूप में आगे ले जाकर व्यापार अथ पेशे की आय अथवा अन्य किसी शीर्षक की आय से इसकी पूर्ति कर सकता है।

Illustration 2.

Ram Prasad owns the following assets on April 1, 1996—

1 अप्रैल, 1996 को रामप्रसाद के स्वामित्व में निम्न सम्पत्तियाँ थीं—

Asset	Written down value on 1-4-1996 Rs.	Rate of depreciatic from the A.Y 1997-9
Machine A	70,200	25%
Machine B	1,56,000	25%
Machine C	14,000	40%
Machine D	62,000	40%

Ram Prasad acquired the following assets during the previous year 1996-97

गत वर्ष 1996-97 के दौरान रामप्रसाद ने निम्न सम्पत्तियाँ प्राप्त कीं :

Asset	Cost	Date of acquisition	Rate of dep.
Machine E	*10,00,000*	*July 20, 1996*	25%
Machine F (old)	4,20,000	September 25, 1996	25%
Machine G	80,000	December 31, 1996	40%

Ram Prasad sold the following assets during the previous year 1996-97:
गत वर्ष 1996-97 के दौरान रामप्रसाद ने निम्न सम्पत्तियाँ बेचीं :

Asset	Date of Sale	Sale consideration
Machine B	June 10, 1996	40,000
Machine D	October 5, 1996	1,30,000
Machine C	January 21, 1997	64,000

Calculate the amount of depreciation allowance allowable to Mr. Ram Prasad for the Assessment year 1997-98. Calculate also the written down value of assets as on 1-4-1997.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए राम प्रसाद को स्वीकृत ह्रास की राशि की गणना कीजिए। 1-4-97 को सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य की भी गणना कीजिए।

Solution :

First Block :	Rs.
Machine (Rate of depreciation : 25%)	
Written down value on April 1, 1996	
(Machine A Rs. 70,200 + Machine B Rs. 1,56,000)	2,26,200
Add : Cost of Machine E and F acquired during the previous year 1996-97	
(Rs. 10,00,000 + Rs. 4,20,000)	14,20,000
	16,46,200
Less : Sale consideration of Machine B which is sold during the previous year 1996-97	40,000
Written down value for the previous year 1996-97.	16,06,200
Less : Depreciation allowable for the previous year 1996-97 (Assessment year 1997-98)	
@ 25% on Rs. 16,06,200	4,01,550
W.D.V. as on 1-4 1997	12,04,650
Second Block : Machine (Rate of depreciation : 40%)	
Written down value on April 1, 1996	
(Machine C Rs. 14,000 + Machine D Rs. 62,000)	76,000
Add : Cost of Machine G acquired during the previous year 1996-97	80,000
	1,56,000
Less : Sale consideration of Machine C & D which are sold during the previous year 1996-97 Rs. 1,94,000 i.e. Rs. 64,000 + Rs. 1,30,000 but restricted to Rs. 1,56,000	1,56,000
Written down value for the previous year 1996-97	NIL
Less : Depreciation allowable	NIL
Written down value on 1-4-1997	NIL

टिप्पणी—(i) गत वर्ष के दौरान बेची गई C एवं D मशीनों का प्राप्त प्रतिफल 1,94,000 रु. है जबकि विक्रय से पूर्व इस समूह की सम्पत्तियों काअपलिखित मूल्य 1,56,000 रु. है। बेची गई सम्पत्तियों के लिए कटौती विक्रय से पूर्व के अपलिखित मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है। अत: विक्रय प्रतिफल 1,94,000 रु. होते हुए भी कटौती 1,56,000 रु. की ही दी जायेगी। चूँकि ह्रास पूर्व सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य शून्य हो जाता है, अत: ह्रास छूट की राशि भी शून्य ही होगी। इसी प्रकार अगले वर्ष के लिए अर्थात् 1-4-1997 को अपलिखित मूल्य भी शून्य होगा।

(ii) 1,94,000 रु. के विक्रय प्रतिफल में से 1,56,000 रु. घटा दिया गया है तथा शेष राशि 38,000 रु. अल्पकालीन पूँजी-लाभ कहलायेगा। इसे पूँजी लाभ शीर्षक में समझाया गया है।

विकास भत्ता
(Development Allowance)

विकास भत्ते की छूट ऐसे करदाताओं को दी जाती है जो भारत में चाय का उत्पादन तथा निर्माण का व्यापार करते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में चाय का उत्पादन करने वाले बगीचों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। विकास भत्ते की छूट पौधे लगाने की वास्तविक लागत के 50% के बराबर दी जाती है। यह छूट केवल उस भूमि पर चाय के बगीचे लगाने के लिए दी जाती है जिस पर पहले कभी चाय के बगीचे न रहे हों।

टिप्पणी—यदि पौधा लगाने का कार्य 31 मार्च, 1990 के बाद पूरा होता है तो इस धारा की छूट नहीं दी जायेगी।

चूँकि विकास भत्ते की छूट अब बन्द हो चुकी है, हम अनावश्यक मानते हुए इसकी व्यवस्थाओं को विस्तार से नहीं समझा रहे हैं। परन्तु किसी वर्ष करदाता लाभों की कमी के कारण स्वीकृत विकास भत्ते की वास्तव में कटौती नहीं ले सका था तो वह इसे 8 वर्षों तक "अशोधित विकास भत्ते" की छूट के रूप में आगे ले जाकर व्यापार अथवा पेशे की आय अथवा अन्य शीर्षक की आय से इसकी पूर्ति कर सकता है।

Illustration 3.

Shri Ajit Kumar & Brothers owns the following assets on 1-4-1996

Assets	W.D.V. Rs.
(i) Building having plinth area of 150 square meter mainly used for residential purposes	1,80,000
(ii) Building having plinth area of 100 square meter mainly used for residential purposes	1,20,000
(iii) Building having plinth area of 75 square meter mainly used for residential purposes	80,000
(iv) Building having plinth area of 60 square meter mainly used for residential purposes	50,000
(v) Building used for office	1,00,000
(vi) Factory building	3,00,000

(vii)	Building used for Hotel business	2,00,000
(viii)	Furniture in various residential buildings	20,000
(ix)	Office furniture	10,000
(x)	Furniture used in factory	4,000
(xi)	Furniture used in Hotel	50,000

They sold the hotel building for Rs. 4,00,000 and the furniture used in it for Rs. 40,000 on 10-10-1996.

Calculate the amount of depreciation allowable to Shri Ajit Kumar & Brothers for the Assessment Year 1997-98.

श्री अजीत कुमार एण्ड बदर्स के स्वामित्व में 1 अप्रैल, 1996 को निम्नलिखित सम्पत्तियाँ थीं—

	सम्पत्तियाँ	अपलिखित मूल्य
(i)	मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है।	1,80,000
(ii)	मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है।	1,20,000
(iii)	मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर है।	80,000
(iv)	मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है।	50,000
(v)	कार्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन	1,00,000
(vi)	कारखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन	3,00,000
(vii)	होटल के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन	2,00,000
(viii)	विभिन्न रहने के मकानों में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	20,000
(ix)	कार्यालय में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	10,000
(x)	कारखाने में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	4,000
(xi)	होटल में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	50,000

उन्होंने 10 अक्टूबर, 1996 को होटल के भवन को 4,00,000 रु. में तथा उसमें रखे गये फर्नीचर को 40,000 रु. में बेच दिया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री अजीत कुमार एण्ड ब्रदर्स को स्वीकृत ह्रास की छूट की राशि की गणना कीजिये।

Solution :

Computation of Depreciation allowable to Shri Ajit Kumar & Brothers for the A.Y. 1997-98

First Block :

Building (Rate of depreciation 5%)

Written down value on 1 April, 1996 Rs.

Building mainly used for residential purpose :	
(i) having plinth area of 150 square meter	1,80,000
(ii) having plinth area of 100 square meter	1,20,000
	3,00,000
Depreciation on Rs. 3,00,000 @ 5%	15,000
Second Block :	
Building (Rate of depreciation 10%)	
Written down value on 1 April, 1996 :	
(i) Office Building	1,00,000
(ii) Factor Building	3,00,000
	4,00,000
Depreciation on Rs. 4,00,000 @ 10%	40,000
Third Block :	Rs.
Building (Rate of depreciation 20%)	
written down value on 1 April 1996 :	
(i) Building mainly used for residential purposes :	
(a) having plinth area of 75 square meter	80,000
(b) having plinth area of 60 square meter	50,000
(ii) Building used as hotel	2,00,000
	3,30,000
Less : Sale consideration of hotel building Rs. 4,00,000 but restricted to W.D.V. before this reduction	3,30,000
	NIL
Depreciation allowable	NIL
Fourth Block :	
Furniture (Rate of depreciation 10%)	
Written down value on 1 April, 1996 :	
(i) Furniture in residential buildings	20,000
(ii) Furniture in office	10,000
(iii) Furniture in Factory	4,000
	34,000
Depreciation on 34,000 @ 10%	3,400
Fifth Block :	
Furniture (Rate of depreciation 15%)	
Written down value on 1 April, 1996	
Furniture used in hotel building	50,000
Less : Sale consideration of hotel furniture	40,000
Short term Capital Loss	10,000
Total depreciation allowable :	
on First Block	15,000
on Second Block	40,000

on Third Block	NIL
on Fourth Block	3,400
	58,400

टिप्पणी—(i) तीसरे समूह की सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल विक्रय पूर्व के अपलिखित मूल्य से अधिक होने के कारण विक्रय के बाद का अपलिखित मूल्य शून्य हो जाता है और उस पर ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी। विक्रय प्रतिफल 4,00,000 – अपलिखित मूल्य 3,30,000 = 70,000 रु. की राशि अल्पकालीन पूँजी-लाभ होगी।

(ii) पाँचवें समूह में होटल के फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 50,000 रु. था जिसे 40,000 रु. में बेच दिया। चूँकि इस समूह में अन्य कोई सम्पत्ति शेष नहीं रही है, अतः इस पर ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी। 10,000 रु. की हानि अल्पकालीन पूँजी-हानि कहलायेगी। इसे विस्तार से पूँजी-लाभ के अध्याय में समझाया गया है।

चाय विकास खाता
(Tea Development Account)

एक ऐसे करदाता को जो भारत में चाय उगाने एवं निर्माण करने के कार्य में लगा हुआ है, धारा 33 (AB) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से विशेष कटौती दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस कटौती का लाभ उठाने के लिए करदाता को गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर अथवा आय का नक्शा भरने के पूर्व, दोनों में जो भी तिथि पहले आती हो, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक में एक विशेष खाता खोलकर अथवा चाय जमा खाता खोलकर कुछ राशि जमा कराना आवश्यक है। इस खाते का संचालन इस आशय के लिए चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। कटौती की राशि निम्न दो राशियों में से कम वाली राशि के बराबर होगी—

(अ) उपरोक्त खाते में जमा की गई कुल राशि, अथवा

(ब) इस धारा की कटौती देने के पूर्व ऐसे व्यापार के लाभों का 20% जिनकी गणना व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अन्तर्गत की गई हो।

इस धारा की अन्य व्यवस्थाएँ निम्न हैं—

(i) इस धारा की कटौती देने के लिए लाभों से आशय ऐसे लाभों से होगा जिनमें से धारा 72 के अन्तर्गत आगे लायी गयी व्यापारिक हानियों की पूर्ति नहीं की गई हो।

(ii) यदि करदाता फर्म अथवा व्यक्तियों का समुदाय है तो फर्म के साझेदारों अथवा समुदाय के सदस्यों की आय की गणना करते समय इस धारा के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत नही की जायेगी।

(iii) विशेष खाते में अथवा चाय जमा खाते में जमा की गई राशि के सम्बन्ध में किसी गत वर्ष में कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो ऐसी जमा के सम्बन्ध में अन्य किसी गत वर्ष में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(iv) जिस कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा की कटौती माँगी गई है, उस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित खातों का अंकेक्षण धारा-288 में वर्णित लेखापाल से करा लिया गया है तथा आय के नक्शे के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो।

(v) यदि करदाता को किसी अन्य विधान की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने बहीखातों का अंकेक्षण कराना आवश्यक हो तथा वह ऐसा अंकेक्षण करवाकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है तथा साथ ही इस धारा के अन्तर्गत आवश्यक प्रारूप में भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है तो अंकेक्षण सम्बन्धी इस धारा की व्यवस्थाओं को पूरा हुआ मान लिया जायेगा।

(vi) योजना में वर्णित उद्देश्यों अथवा निम्न दशाओं को छोड़कर अन्य किसी दशा में विशेष खाते अथवा चाय जमा खाते में जमा राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी—

(अ) व्यापार का बन्द होना,

(ब) करदाता की मृत्यु,

(स) हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन,

(द) फर्म का विघटन,

(य) कम्पनी का समापन।

उपरोक्त वाक्यांश (अ) अथवा (द) में वर्णित परिस्थितियों में जमा खाते में से कोई रकम वापस निकाली जाती है तो उस रकम को व्यापार अथवा पेशे का लाभ माना जायेगा। ऐसी राशि वापस निकाले जाने वाले वर्ष में यह मानते हुए कर योग्य होगी कि सम्बन्धित व्यवसाय बन्द नहीं हुआ है अथवा सम्बन्धित फर्म का विभाजन नहीं हुआ है।

(vii) निम्न सम्पत्तियों को क्रय करने के लिए प्रयोग में लाई गई राशि के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती नहीं दी जायेगी—

(अ) कार्यालय अथवा निवास-स्थान (अतिथि-गृह सहित) पर लगाई गई प्लाण्ट एवं मशीनरी,

(ब) कार्यालय का अन्य कोई यन्त्र (कम्प्यूटर के अलावा),

(स) ऐसी कोई भी प्लाण्ट एवं मशीनरी जिसकी 100% राशि की कटौती व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय ह्रास के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से पूर्व के किसी वर्ष में दे दी गई हो,

(द) ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित किसी वस्तु की संरचना, निर्माण अथवा उत्पादन के व्यवसाय के लिए किसी औद्योगिक उद्यम में स्थापित नई मशीन एवं प्लाण्ट।

(viii) यदि करदाता विशेष खाते अथवा चाय जमा खाते मे जमा राशि का प्रयोग किसी योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यापार अथवा पेशे में व्यय करने के लिए करता है तो उस वर्ष के व्यापार अथवा पेशे के कर-योग्य लाभों की गणना करते समय ऐसे व्यय को नहीं घटाया जायेगा।

(ix) यदि करदाता के विशेष खाते अथवा चाय जमा खाते में जमा राशि को राष्ट्रीय बैंक द्वारा योजना के अनुसार करदाता के ऐसे व्यापार अथवा पेशे में व्यय करने के लिए मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी राशि को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उसी गत वर्ष में व्यय करना आवश्यक है। यदि कोई करदाता गत वर्ष में ऐसी राशि को बिल्कुल भी व्यय नहीं करता है अथवा कम राशि व्यय करता है तो व्यय नहीं की गई राशि को उस गत वर्ष की व्यापार अथवा पेशे की आय माना जायेगा।

यदि करदाता की मृत्यु, हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन अथवा कम्पनी के समापन के परिणामस्वरूप खाता बन्द होने पर कोई राशि राष्ट्रीय बैंक द्वारा मुक्त की जाती है तो इस वाक्यांश की व्यवस्थाएँ लागू नहीं होंगी अर्थात् प्राप्त राशि कर-योग्य नहीं होगी।

(x) यदि इस धारा से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त किये जाने वाले गत वर्ष की समाप्ति के बाद आठ वर्ष के भीतर बेच दिया जाता है अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो उस सम्पत्ति की लागत का वह भाग जिसके सम्बन्ध में इस धारा की कटौती प्राप्त की गई थी, उस गत वर्ष की व्यापार अथवा पेशे की आय माना जायेग जिसमें सम्पत्ति को बेचा जाता है अथवा हस्तान्तरित किया जाता है।

परन्तु यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण सरकार, स्थानीय सत्ता, केन्द्र अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में वर्णित सरकारी कम्पनी को किया जाता है अथवा किसी फर्म द्वारा अपना व्यापार कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित की गई हैं तो इस धारा के लिए इन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा।

Illustration 4.

एक करदाता, जो भारत में चाय उगाने एवं निर्माण करने के व्यवसाय में लगा हुआ है, के स्वामित्व में 1 अप्रैल, 1996 को निम्नलिखित सम्पत्तियाँ थीं—

An assessee who is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, was the owner of following assets on 1st April, 1996—

Assets	W.D.V. on 1-4-1996 Rs.	Rate of Dep.
Office Building	10,00,000	10%
Godowns	5,00,000	10%
Plant and Machinery	30,50,000	25%
Office Furniture	1,00,000	10%

उसके द्वारा गत वर्ष के दौरान क्रय-विक्रय की गई सम्पत्तियों का विवरण निम्न है—

(i) प्लाण्ट एवं मशीनरी में एक कार भी थी जिसका अपलिखित मूल्य 50,000 रु. था। इस कार को 25 नवम्बर, 1996 को 1 लाख रु. में बेच दिया गया तथा उसी दिन एक नई कार इसी राशि की खरीद ली गई।

(ii) एक गोदाम जिसका अपलिखित मूल्य 1 लाख रु. था 2 लाख रु. में बेच दिया गया।

(iii) 10 लाख रु. की लागत की एक नई मशीन 1 अगस्त, 1996 को क्रय की गई।

(iv) 50,000 रु. की लागत का नया फर्नीचर 15 सितम्बर, 1996 को क्रय किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए करदाता को स्वीकृत ह्रास छूट तथा चाय विकास खाते की छूट की राशियों की गणना कीजिए यदि करदाता ने गत वर्ष में राष्ट्रीय बैंक के पास 5 लाख रु. जमा करवाये हों तथा उसके इस व्यवसाय का लाभ धारा 33(AB) की छूट देने के पूर्व 18 लाख रु. हो।

क्या उसकी उपरोक्त छूट में से किसी छूट पर कोई प्रभाव पड़ेगा यदि उसने राष्ट्रीय बैंक के पास केवल 3 लाख रु. ही जमा कराये हों ?

Following are the particulars of assets purchased and sold by him during the previous year—

(i) Plant and Machinary included a motor car the written down value of which was Rs 50,000. This car was sold for Rs. 1 lakh on 25 Nov., 1996 and new motor car was purchased on the same day and for same amount.

(ii) A godown whose written down value was Rs. 1 lakh, was sold for Rs. 2 lakhs

(iii) A new machinery was purchased for Rs. 10 lakhs on 1st August, 1996.

(iv) New furniture was purchased for Rs. 50,000 on 15 Sept., 1996.

Calculate the amount of Depreciation allowable and deduction regarding Tea Development Account if the assessee deposited Rs. 5 lakhs with National Bank during the previous year and his Profits of this business before granting deduction u/s 33 (AB) were Rs. 18 lakhs.

Would it make any difference on any of the above deductions if the assessee deposited only Rs. 3 lakhs with National Bank.

Solution :

Computation of depreciation for the A.Y. 1997-98

First Block :

		Rs.
	Office building and godowns (Rate of dep. 10%)	
	W.D.V. on April 1, 1996	15,00,000
Less :	Sale consideration of godown	2,00,000
	W.D.V. for previous year	13,00,000
	Depreciation allowable for the previous year 1996-97 (Assessment year 1997-98) @ 10% on Rs. 13,00,000	1,30,000

Second Block :

	Office furniture (Rate of dep. 10%)	
	W.D.V. on April 1, 1996	1,00,000
Add :	New furniture purchased	50,000
	W.D.V. for previous year	1,50,000
	Depreciation allowable for the previous year 1996-97 (assessment year 1997-98) @ 10% on Rs. 1,50,000	15,000

Third Block :

	Plant & Machinery (Rate of dep. 25%)	
	W.D.V. on April 1, 1996	30,50,000
Add :	New plant purchased	10,00,000
		40,50,000
Less :	Old Motor Car sold (sale consideration)	1,00,000
	W.D.V. for the previous year	39,50,000
	[illegible] 1996-97	
	[illegible]	9,87,500

Fourth Block :

New motor car (Rate of Dep. 20%)
Depreciation allowable for the previous year 1996-97
(assessment year 1997-98) on purchase price of New car
@ 10% on Rs 1,00,000 10,000

Total depreciation allowable would be Rs. 1,30,000 + Rs. 15,000 + Rs. 9,87,500 + Rs. 10,000 = Rs. 11,42,500.

टिप्पणी—(i) नई मोटर-कार पर 20% की दर से छूट दी जाती है जबकि पुरानी मोटर-कार पर 25% की दर से छूट दी जाती है। नई मोटर कार से अभिप्राय 31 मार्च, 1990 के बाद क्रय की गई मोटरकार से है।

(ii) नये क्रय किये फर्नीचर एवं मशीन का प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन से अधिक दिनों के लिए किया गया है, अतः ह्रास छूट पूर्ण दर से दी गई है। परन्तु नई कार का प्रयोग 180 दिन से कम के लिए किया गया है। अतः नई कार पर ह्रास छूट 20% के स्थान पर 10% से दी गई है।

(iii) चाय विकास खाते के सम्बन्ध में निम्न दो राशियों में से कम वाली राशि के बराबर छूट दी जाती है—

(अ) राष्ट्रीय बैंक के पास जमा कराई गई राशि, अथवा

(ब) ऐसे लाभों का 20%।

करदाता ने 5 लाख रुपये जमा करवाये हैं, अतः उसे 18 लाख रुपये के लाभों का 20% अर्थात् 3 लाख 60 हजार रुपये की छूट प्राप्त होगी।

(iv) यदि करदाता राष्ट्रीय बैंक के पास 3 लाख रुपये ही जमा कराता है तो उसे चाय विकास खाते की छूट 3 लाख रुपये की ही प्राप्त होगी तथा इसका ह्रास छूट पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

प्रश्न
(Questions)

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—

   (अ) अशोधित ह्रास (ब) अपलिखित मूल्य

   (स) वास्तविक लागत (द) चाय विकास खाता

   Write short notes on the following –
   (a) Unabsorbed depreciation
   (b) Written down value
   (c) Actual cost
   (d) Tea Development Account

2. ह्रास क्या है ? ह्रास की कटौती के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम, 1961 की व्यवस्थाओं को समझाइये।

   What is depreciation ? Explain the provisions of Indian Income Tax Act, 1961 regarding depreciation allowance.

3. 'चाय विकास खाते' से आप क्या समझते हो ? चाय विकास खाते के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम, 1961 की विभिन्न व्यवस्थाओं को विस्तार से समझाइये।
What do you understand by the term 'Tea Development Account'? Explain in detail the various provisions of Income Tax Act, 1961 regarding Tea Development Account.

4. 1 अप्रैल, 1996 को मैसर्स भारत उद्योग के स्वामित्व में निम्न सम्पत्तियाँ थीं—
M/s Bharat Udhyog owns the following assets on April 1, 1996

सम्पत्ति	1-4-1996 को अपलिखित मूल्य	ह्रास की दर
भवन A	2,60,000 रु.	10%
भवन B	1,40,000 रु.	10%
भवन C	80,000 रु.	5%

गत वर्ष 1996-97 के दौरान फर्म ने निम्नलिखित सम्पत्तियाँ प्राप्त कीं—
During the previous year 1996-97 the firm acquired the following assets :

सम्पत्ति	लागत	प्राप्त करने की तिथि	ह्रास की दर
भवन E	2,00,000 रु.	1-5-1996	10%
भवन F	40,000 रु.	10-7-1996	5%

गत वर्ष 1996-97 के दौरान फर्म ने निम्न सम्पत्तियाँ बेचीं—
The firm sold the following assets during the previous year 1996-97 :

सम्पत्ति	विक्रय की तिथि	विक्रय प्रतिफल
भवन A	10-6-1996	3,00,000 रु.
भवन C	20-12-1996	60,000 रु.

फर्म को कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए।
Calculate the amount of depreciation allowable to the firm for the assessment year, 1997-98. [42]

उत्तर—स्वीकृत ह्रास 33,000 रु.।

5. 1 अप्रैल, 1996 को राजस्थान ट्रेडर्स के स्वामित्व में निम्न सम्पत्तियाँ थीं—
Rajasthan Traders owns the following assets on April 1, 1996.

सम्पत्ति	1-4-1996 को अपलिखित मूल्य	ह्रास की दर
मशीन A	4,00,000 रु.	25%
मशीन B	2,50,000 रु.	40%
मशीन C	1,50,000 रु.	40%
फर्नीचर A	10,000 रु.	10%

गत वर्ष 1996-97 के दौरान करदाता ने निम्न सम्पत्तियाँ प्राप्त कीं—
The assessee acquired the following assets during the previous year 1996-97

सम्पत्ति	लागत	क्रय की तिथि	ह्रास की दर
मशीन D	3,00,000 रु.	17-7-1996	40%

फर्नीचर B	15,000 रु.	20-9-1996	10%

गत वर्ष 1996-97 के दौरान करदाता ने निम्न सम्पत्तियाँ बेचीं—

The assessee sold the following assets during the previous year 1996-97.

सम्पत्ति	विक्रय की तिथि	विक्रय प्रतिफल
मशीन A	28-2-1997	3,00,000 रु.
मशीन B	30-12-1996	4,00,000 रु.
फर्नीचर A	31-10-1996	30,000 रु.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए करदाता को स्वीकृत ह्रास की राशि की गणना कीजिए। 1-4-1997 को सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य की भी गणना कीजिए।

Calculate the amount of depreciation allowable to the assessee for the assessment year 1997-98. Calculate also the written down value of assets as on 1-4-1997. [43]

उत्तर—स्वीकृत ह्रास 1,20,000 रु.।

संकेत—समूह प्रथम (25% ह्रास वाली सम्पत्तियों) से 1,00,000 रु. की अल्पकालीन पूँजी हानि एवं समूह तृतीय (फर्नीचर) से 5,000 रु. का अल्पकालीन पूँजी लाभ।

6. मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स के स्वामित्व में 1 अप्रेल, 1996 को निम्नलिखित सम्पत्तियाँ थीं—

सम्पत्तियाँ	अपलिखित मूल्य रु.
(i) मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर है।	1,50,000
(ii) मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है।	1,00,000
(iii) मुख्यतः रहने के प्रयोग का भवन जिसका निर्मित धरातलीय क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है।	60,000
(iv) कार्यालय के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन	80,000
(v) कारखाने के लिए प्रयोग किया जा रहा भवन	3,00,000
(vi) विभिन्न रहने के मकानों में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	20,000
(vii) कार्यालय में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	10,000
(viii) कारखाने में प्रयोग किया जा रहा फर्नीचर	5,000
(ix) सयन्त्र एवं मशीनें	8,00,000
(x) मोटर कार (सितम्बर 1988 में खरीदी थी)	50,000

उन्होंने 10 अक्टूबर, 1996 को पुरानी कार को 1,00,000 रु. में बेच दिया तथा उसी दिन 1,20,000 रु. की एक नई कार खरीदी।

उन्होंने 1 दिसम्बर, 1996 को 50,000 रु. की लागत का एक ऐसा प्लाण्ट स्थापित किया जिसका उद्देश्य प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स को स्वीकृत ह्रास छूट की राशियों की गणना कीजिए।

यदि करदाता भारत में चाय उगाने तथा निर्माण के कार्य में लगा हुआ हो तथा उसके ऐसे व्यापार के लाभ 15 लाख रु. हो तो उसको धारा-33 AB के अन्तर्गत स्वीकृत चाय विकास खाते की छूट की गणना भी कीजिए, यह मानते हुए कि उसने गत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बैंक में 2 लाख रु. जमा कराये हैं।

M/s Gupta Brothers owns the following assets on 1-4-1996 –

	Assets	W.D.V. Rs.
(i)	Buildings having plinth area of 140 square meter mainly used for residential purpose	1,50,000
(ii)	Buildings having plinth area of 90 square meter mainly used for residential purpose	1,00,000
(iii)	Buildings having plinth area of 70 square meter mainly used for residential purposes	60,000
(iv)	*Building used for office*	*80,000*
(v)	Factory Building	3,00,000
(vi)	Furniture in various residential buildings	20,000
(vii)	Office furniture	10,000
(viii)	Furniture used in a factory	5,000
(ix)	Plant & Machines	8,00,000
(x)	Motor car (Purchased in Sept. 1988)	50,000

They sold on 10-10-1996 the old car for Rs. 1,00,000 and purchased a new Car on the same day for Rs. 1,20,000. They installed on 1-12-1996 a new plant costing Rs. 50,000 for the purpose of pollution control and protection of environment.

Calculate the amount of depreciation allowable to M/s Gupta Brothers for the assessment year 1997-98. If the assessee is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India and the profits of such business is Rs. 15 lakhs, find out the rebate allowable to him u/s 33 AB regarding Tea Development Account assuming that he deposited Rs. 2 lakhs with National Bank during the previous year.

उत्तर—स्वीकृत ह्रास छूट 2,90,500 रु. तथा चाय विकास खाते की छूट 2 लाख रु.।

संकेत—प्रदूषण नियन्त्रण की मशीनों पर ह्रास छूट की दर 100% है। परन्तु आधे वर्ष के लिए ही ह्रास छूट दी जायेगी। नई कार पर ह्रास छूट की दर 20% है। [44]

7. एक करदाता ने जो भारत में चाय उगाने एवं निर्माण करने के व्यवसाय में लगा हुआ है, *गत वर्ष की समाप्ति के 5 महीने बाद परन्तु आय-कर का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व* 40,000 रु. राष्ट्रीय बैंक के पास जमा करवाये। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए

निम्नलिखित विभिन्न परिस्थितियों में इस करदाता को धारा 33 (AB) के अन्तर्गत चाय विकास खाते के सम्बन्ध में स्वीकृत छूट की राशि ज्ञात कीजिए—

(अ) यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ 2,50,000 रु. हो।

(ब) यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ 1,00,000 रु. हो।

(स) यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में 50,000 रु. की हानि हो।

An assessee who is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India, deposited Rs. 40,000 with National Bank after a period of 5 months from the end of previous year but before filing the return of income. Ascertain the amount of deduction for Tea Development Account under section 33 (AB) to this assessee in the following different circumstances for the assessment year 1997-98 :

(a) When the profits from Business and Profession are Rs. 2,50,000.
(b) When the profits from Business and Profession are Rs. 1,00,000.
(c) When there is a loss of Rs. 50,000 under the head profits and gains of Business and Profession.

उत्तर—(अ) 40,000 रु. (ब) 20,000 रु. (स) शून्य। [45]

■■■

7

व्यापार अथवा पेशे के लाभ

(Profits of Business or Profession)

इस शीर्षक के अन्तर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त होने वाले लाभों पर आय-कर लगता है। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात का निर्धारण करना है कि व्यापार अथवा पेशा किसे कहते हैं एवं कौन-कौनसी क्रियायें अथवा कार्य व्यापार अथवा पेशे के अन्तर्गत आते हैं। आय-कर अधिनियम की धारा-2 (13) एवं 2(36) में क्रमशः व्यापार अथवा पेशे की परिभाषा दी गई है जो निम्न प्रकार है—

व्यापार—धारा-2 (13) के अनुसार व्यापार में कोई लेन-देन, वाणिज्य या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस, जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो, शामिल है। (*Business includes any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture*)

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि 'व्यापार' का क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें सभी प्रकार के लेन-देन, वस्तुओं का उत्पादन, उद्योग, बैंकिंग, यातायात आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के सभी प्रयास एवं कार्य जो करदाता लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है, व्यापार के अन्तर्गत आते हैं।

पेशा—आय-कर अधिनियम में पेशे की कोई स्पष्ट परिभाषा नही दी गई है। आय-कर अधिनियम की धारा-2 (36) में केवल इतना दिया हुआ है कि पेशे (Profession) में व्यवसाय (Vocation) शामिल है।[1] अतएव पेशे शब्द को हम यहाँ उसी अर्थ में प्रयोग करेंगे जिस अर्थ में साधारणतया इस शब्द का उपयोग किया जाता है। पेशे से तात्पर्य उन कार्यों से है, जिनमें बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की विशेष आवश्यकता रहती है। जैसे—डॉक्टर, वकील, एकाउण्टेण्ट, इन्जीनियर, सर्जन, आय-कर सलाहकार आदि।

व्यवसाय (Vocation)—व्यवसाय में सभी कार्य एवं क्रियायें आ जाती हैं जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती हैं। जैसे—दलाली, संगीत, नृत्य आदि।

उपरोक्त तीनों साधनों से प्राप्त आय पर चूँकि एक ही शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है, अतः तीनों में विभेद करने की आवश्यकता नहीं है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर योग्य आयें

"व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत अग्रलिखित आयों पर कर लगता है—

1 Sec 2 (36) 'Profession' includes vocation.

1. व्यापार अथवा पेशे की आय—ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लाभ जो करदाता द्वारा गत वर्ष में कभी चलाये गये हों। यदि कोई करदाता प्रतिभूतियों के विक्रय करने का व्यापार करता है तो ऐसे क्रय-विक्रय से होने वाली आय पर इसी शीर्षक में कर लगाया जायेगा। ऐसी प्रतिभूतियों से यदि कोई ब्याज की आय प्राप्त होती है तो उस ब्याज पर भी इसी शीर्षक में कर लगेगा।

2. प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि—निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्राप्य अथवा प्राप्त कोई क्षतिपूर्ति की राशि अथवा अन्य कोई भुगतान—

(अ) किसी व्यक्ति के द्वारा, जो किसी भी नाम से पुकारा जाता है, तथा जो किसी भारतीय कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी का सम्पूर्ण प्रबन्ध करता हो, अपने प्रबन्ध की समाप्ति पर अथवा प्रबन्ध की शर्तों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

(ब) किसी व्यक्ति के द्वारा जो चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, तथा जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार से सम्बन्धित भारत में एजेन्सी हो, ऐसी एजेन्सी की समाप्ति पर अथवा ऐजेन्सी की शर्तों में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

(स) सरकार, सरकारी स्वामित्व वाले अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के द्वारा किसी व्यापार अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने पर किसी व्यक्ति के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि।

3. व्यापारिक संघों की आय—एक व्यापारिक, व्यावसायिक अथवा इसी प्रकार के अन्य किन्हीं व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करने के फलस्वरूप प्राप्त आय।

4. एक निर्यातकर्त्ता को स्वीकृत आयात लाइसेन्स की बिक्री से होने वाला लाभ।

5. भारत सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को निर्यातों के बदले दी गई नकद सहायता, भले ही इसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

6. किसी निर्यातकर्त्ता को वापस की गई अथवा वापस की जाने वाली उत्पादन शुल्क अथवा आयात-निर्यात कर की राशि।

7. लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य—किसी करदाता को अपने व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त लाभ एवं अनुलाभों का मूल्य, चाहे इन अनुलाभों का मूल्य मुद्रा में परिवर्तनीय हो अथवा नहीं, उदाहरण के लिए, किसी कम्पनी द्वारा अपने वकील को रहने के लिए मुफ्त दिये गये मकान की सुविधा वकील की पेशे की आय होगी।

8. किसी फर्म के साझेदार द्वारा प्राप्य अथवा प्राप्त कोई वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये। परन्तु यदि ये राशियाँ अथवा इनका कोई भाग फर्म की आय की गणना करते समय धारा 40 (b) के तहत कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तो उस राशि को साझेदार की ऐसी आय में से घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही साझेदार की आय होगी।

9. मकान सम्पत्ति की प्राप्तियाँ—यदि कोई करदाता अपनी मकान सम्पत्ति का प्रयोग ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसके लाभ कर-योग्य हैं, तो ऐसी मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर नहीं लगता है। ऐसी मकान सम्पत्ति

की आय पर व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर लगता है। इस प्रकार निम्न दशाओं में मकान सम्पत्ति से प्राप्ति व्यापार अथवा पेशे की आय समझी जाती है—

(अ) उक्त मकान का कोई भाग ऐसे कर्मचारी को किराये पर दे दिया जाता है जिसका वहाँ रहना व्यापार के संचालन के लिए लाभदायक है, तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जायेगी।

(ब) उक्त मकान का कोई भाग व्यापार को कुशलता एवं सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य मे राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा, पोस्ट आफिस, कोतवाली (Police Station), केन्द्रीय एक्साइज कार्यालय एवं रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स की स्थापना के लिये सरकार को उपलब्ध करा दिया जाता है तो ऐसी मकान सम्पत्ति की आय व्यापार की आय के रूप मे कर योग्य होगी।

10. अवैध व्यापार की आय—आय-कर में आय की वैधता अथवा अवैधता पर विचार नहीं किया जाता है। आय की अवैधता के आधार पर इसे कर से मुक्ति नही दी जा सकती है। इस आधार पर तस्करी के व्यापार के लाभ अथवा प्रतिबन्धित शराब की बिक्री के लाभ अथवा चोरी के माल के क्रय-विक्रय के लाभ इस शीर्षक में कर योग्य होते हैं। इस प्रकार अवैध व्यापार को करने वाला व्यक्ति अवैध व्यापार के व्यय एवं हानियाँ ऐसे व्यापार की आय से घटा सकता है। जब्त किये गये [illegible] का मूल्य भी घटा सकता है। परन्तु नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया अर्थ-दण्ड नही घटा सकता है।

11. प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में प्राप्त राशि जिसमें उसका बोनस भी शामिल है।

12. सट्टा व्यापार के लाभ।

स्पष्टीकरण—धारा-28 के स्पष्टीकरण (2) के अनुसार यदि करदाता द्वारा सट्टे के व्यवहार (Speculative transactions) एक व्यापार के रूप में किये जाते हैं तो सट्टे का व्यापार करदाता के किसी भी अन्य व्यापार से पूर्णतया अलग समझा जाता है।

आय-कर अधिनियम की धारा-43 (5) के अनुसार सट्टे के व्यवहार से आशय वस्तुओं, अंश एवं स्कंधों आदि के क्रय-विक्रय के ऐसे अनुबन्धों से है जिनका निपटारा समय-समय पर अथवा अन्त में बिना इन वस्तुओं के वास्तविक हस्तांतरण के ही हो जाता है। सट्टे के व्यापार के अन्तर्गत वस्तुओं का वास्तविक हस्तांतरण नहीं होता, बल्कि सौदों का निपटारा बाजार और अनुबन्धों के मूल्यों के अन्तर को ले-देकर किया जाता है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्त :

1. करदाता द्वारा व्यापार का संचालन—धारा-28 के अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत आय-कर उस व्यक्ति पर लगता है जो कि व्यापार का संचालन कर रहा हो, चाहे वह व्यापार का स्वामी हो अथवा नहीं। इस शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाने के लिए व्यापार का स्वामित्व उतना महत्वपूर्ण नही है, जितना की व्यापार का संचालन। यह आवश्यक नहीं है कि करदाता स्वयं अपने हाथों से ही व्यापार करता हो अथवा व्यापार का संचालन करता हो। करदाता के लिए अन्य व्यक्ति व्यापार को चला सकता है अथवा संचालन कर सकता है परन्तु करदाता को संचालन का पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है।

2. सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगाना—करदाता द्वारा यदि कई व्यापार किये जा रहे हो तो उन व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर पृथक्-पृथक् आय-कर नहीं लगता है। पहले प्रत्येक व्यापार अथवा पेशे की कर-देय आय ज्ञात कर ली जाती है, फिर सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर की गणना की जाती है।

3. सट्टे के व्यापार के लाभ—सट्टे के व्यापार के ला ं पर भी इस शीर्षक के अन्तर्गत आय-कर लगता है, परन्तु सट्टे के व्यापार के लाभ एवं हानियों कोअन्य व्यापारिक आयों से पृथक् रखा जाता है। सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से ही हो सकती है।

4. व्यापार बन्द होने पर सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ—व्यापार की समाप्ति के पश्चात् सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभों पर इस शीर्षक के अन्तर्गत आय-कर नहीं लगता। परन्तु यदि व्यापारिक स्कंध (Stock of trade) को अलग से बेचा जाता है तो स्कन्ध के विक्रय से होने वाले लाभों पर इस शीर्षक में ही आय-कर लगता है।

5. गत वर्ष मे व्यापार का संचालन—इस शीर्षक के अन्तर्गत आय-कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि गत वर्ष में किसी भी समय व्यापार का संचालन किया गया हो। सम्पूर्ण वर्ष व्यापार का चलाना आवश्यक नहीं है।

6. लाभकारक स्वामित्व—धारा-28 के अन्तर्गत व्यापार के लाभों पर आय कर लगाते समय व्यापार का कानूनी स्वामित्व (Legal Ownership) ही नहीं बल्कि लाभकारक स्वामित्व (Beneficial Ownership) भी देखा जाता है। यदि व्यापार का लाभकारक स्वामी (आय का वास्तविक प्राप्तकर्ता) व्यापार के कानूनी स्वामी से भिन्न है, तो व्यापार के लाभों पर लाभकारक स्वामी पर आय-कर लगेगा। 'बेनामीदार' जिसके नाम पर व्यापार चलता हो, परन्तु जिसको वास्तव में व्यापार की आय प्राप्त नहीं होती, उस पर आय-कर नहीं लगेगा।

7. भावी लाभ—गत वर्ष में हुए वास्तविक लाभों पर ही आय-कर लगता है। आय-कर अधिकारी को काल्पनिक, अनुमानित अथवा भावी लाभों पर आय-कर लगाने का अधिकार नहीं है।

8. वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों का पालन—इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-देय लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है, ताकि वास्तविक लाभों की राशि ज्ञात की जा सके। उदाहरणार्थ, कुछ ऐसे व्यय हो सकते हैं जो आय-कर अधिनियम में स्पष्टतया स्वीकृत न हों, परन्तु यदि ऐसे व्यय करदाता द्वारा व्यापार में किए गये हों एवं व्यापार के लिए आवश्यक हों तो ऐसे व्यय घटाये जा सकते हैं।

9. एकाकी व्यवहार—एकाकी व्यवहार के लाभों की गणना करते समय उस व्यवहार से सम्बन्धित सभी खर्चों को घटा दिया जाता है, भले ही उसमें से कुछ व्यय हिसाबी वर्ष से पहले हुए हों।

10. गत वर्ष के पूर्व स्वीकृत की गई हानि अथवा छूट—यदि करदाता को गत वर्ष में कोई ऐसी राशि प्राप्त होती है जो गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में हानि, खर्चे अथवा दायित्व के रूप में घटा दी गई हो, तो ऐसी प्राप्त राशि करदाता के गत वर्ष के कर-देय लाभों में जोड़ दी जायेगी एवं उस पर आय-कर लगेगा।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों के निर्धारण से सम्बन्धित अधिनियम की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ

1. गत वर्ष का निर्धारण—नये व्यापार अथवा पेशे का गत वर्ष उसकी स्थापना के दिन से प्रारम्भ होता है तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। पुराने व्यापार का गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। वर्तमान समय में आयकर नियमों के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक करदाता के लिये इस गत वर्ष को अपनाना आवश्यक है। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 1997 तक होगी।

2. लेखांकन की पद्धति का अपनाना (Adoption of System of Accounting)—इस शीर्षक के अन्तर्गत करदाता की आय की गणना उसके द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखांकन पद्धति के अनुसार की जाती है। लेखांकन की निम्नलिखित पद्धतियों में से करदाता किसी भी पद्धति को अपना सकता है—

(i) व्यापारिक पद्धति (Mercantile System)—इस पद्धति में नकद एवं उधार दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। शुद्ध लाभ की गणना लाभ-हानि खाता अथवा आय-व्यय खाता बनाकर की जाती है। लाभ-हानि खाते में समस्त आयों का लेखा किया जाता है चाहे वे वास्तव में गत वर्ष में प्राप्त हुई हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है चाहे उनका भुगतान गत वर्ष मे किया गया है अथवा नहीं। परन्तु अधिनियम में किसी व्यय की कटौती के लिए उसका भुगतान किया जाना अनिवार्य हो तो उस व्यय का भुगतान न करने पर शुद्ध लाभों को गणना करते समय कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी। इसमें पेशगी प्राप्त आय एवं पूर्वदत्त व्ययों का भी समायोजन किया जाता है।

(ii) रोकड़ पद्धति (Cash System)—इस पद्धति में केवल नकद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत उन समस्त आयों का लेखा किया जाता है जो गत वर्ष में वास्तव में प्राप्त की गई हैं चाहे भले ही पूर्व के अथवा बाद के किसी गत वर्ष से सम्बन्धित हों। इसी प्रकार नकद में भुगतान किये गये समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है चाहे भले ही वे किसी भी गत वर्ष से सम्बन्धित हों। यह पद्धति सामान्यतः पेशेवर व्यक्ति, जैसे डॉक्टर, वकील तथा गैर व्यापारिक संस्थाओं जैसे क्लब आदि द्वारा अपनाई जाती है। इस पद्धति में वर्ष के अन्त में प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार किया जाता है। इस पद्धति में उपार्जित आय, अदत्त व्यय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं।

(iii) मिश्रित पद्धति (Mixed System)—इस पद्धति में व्यापारिक एवं रोकड़ दोनों पद्धतियों का समावेश है। क्रय-विक्रय के व्यवहारों के व्यापारिक पद्धति के आधार पर एवं अन्य प्राप्ति व भुगतानों को नकद पद्धति के आधार पर लिखा जाता है। इस पद्धति का चलन कम है।

3. पुस्तकों अथवा बहीखातों का रखा जाना—धारा 44-AA की उपधारा 1 के अनुसार निम्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपना हिसाब-किताब तथा प्रपत्र रखने होंगे जिनसे कि निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार उनकी *कुल आय की गणना कर सके।*

1. वकालात, 2. चिकित्सा, 3. इन्जीनियरिंग,
4. शिल्पकला, 5. लेखांकन, 6. प्राविधिक सलाहकार,
7. भीतरी साज सज्जा करना तथा
8. अन्य कोई पेशा जो बोर्ड द्वारा सरकारी गजट में घोषित कर दिया जाये।

उपधारा (2) के अनुसार उपरोक्त पेशों को छोड़कर अन्य किसी पेशे में अथवा व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए बहीखाते रखना उस समय आवश्यक होगा यदि उनकी आय 40,000 रु. से अधिक है अथवा होने की सम्भावना है अथवा उनकी बिक्री 5,00,000 रु. है अथवा होने की सम्भावना है।

4. कुछ करदाताओं के लिए अंकेक्षण की अनिवार्य व्यवस्था (धारा-44 AB)— कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 अथवा बाद के किसी कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष के बहीखातों का चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट से अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होगा बशर्ते कि व्यापार करने वाले करदाता की बिक्री अथवा सकल प्राप्ति गत वर्ष के दौरान 40 लाख रु. से अधिक हो तथा पेशे में लगे हुए करदाता की सकल प्राप्ति 10 लाख रु. से अधिक हो।

5. अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन (Valuation of Closing Stock)—अन्तिम रहतिये के सही-सही मूल्यांकन का काफी महत्त्व है। यदि अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन सही-सही नहीं किया जाता है तो व्यापार व पेशे के शीर्षक की आय भी सही नहीं होगी। आय-कर अधिनियम में अन्तिम रहतिये के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा किया जाता है—

(i) लागत मूल्य पर,
(ii) बाजार मूल्य पर, तथा
(iii) लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य में जो कम हो उस मूल्य पर।

उपरोक्त तीन विधियों में लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, सर्वाधिक प्रचलित है तथा लगभग सभी न्यायालयों ने इसे स्वीकार भी किया है। करदाता चाहे मूल्यांकन की किसी भी विधि को क्यों न अपनाये उसे चाहिए कि वह किसी भी वर्ष के अन्तिम रहतिये की राशि को ही अगले वर्ष के प्रारम्भिक रहतिये की राशि माने। उसे इस राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिये। दूसरे एक बार मूल्यांकन की जो विधि उसने अपनायी है बिना निर्धारण अधिकारी की पूर्व अनुमति के वह उसे बदल नहीं सकता।

6. मानी गई आयें—यदि कोई करदाता निम्नलिखित रकमों की प्राप्ति के साधन एवं प्रकृति के सम्बन्ध में कोई सन्तोषप्रद कारण नहीं बताता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से निर्धारण अधिकारी सन्तुष्ट नहीं होता है तो ऐसी रकम को उस गत वर्ष की आय मान लिया जायेगा—

(i) पुस्तकों में जमा की गई कोई राशि
(ii) ऐसे विनियोग जिनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं हो
(iii) स्पष्ट नहीं किये गये धन आदि
(iv) ऐसे विनियोग जिनको बहीखातों में पूरा नहीं दिखाया गया हो

(v) न स्पष्ट किया गया व्यय

(vi) हुण्डी पर लिये हुये ऋण तथा इनका भुगतान।

कर देय लाभों की गणना

(Computation of Income from Business or Profession)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत 'व्यापार' एवं 'पेशे की आय' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए अनेक खर्चों एवं भुगतानों की स्पष्टतया कटौती स्वीकृत की गई है। इस प्रकार की कटौतियों का उल्लेख अधिनियम की धारा-30 से 37 तक में किया गया है। इसके साथ ही कुछ खर्चे एवं भुगतान ऐसे भी हैं जो आय-कर अधिनियम में स्पष्टतया अस्वीकृत हैं तथा कर-देय लाभों की गणना करने के लिए उन्हें नहीं घटाया जाता है। इस प्रकार के खर्चों एवं भुगतानों का उल्लेख धारा-40 में किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष व्यय एवं भुगतान ऐसे भी हैं जो कुछ विशेष दशाओं में कटौती योग्य नही होते, जिनका उल्लेख धारा-40 (अ) में किया गया है। इस प्रकार व्यापार के खर्चों एवं भुगतान को हम निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में रख सकते हैं—

(1) स्पष्टतया स्वीकृत व्यय (Expenses expressly allowed)

(2) वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत व्यय (Expenses allowable on the basis of general commercial Principles).

(3) कुछ प्रतिबन्धों सहित व्ययों की स्वीकृति (Expenses allowable under certain restrictions)

(4) स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय (Expenses expressly disallowed)

(5) कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय (Expenses disallowed under certain circumstances)

I. स्पष्टतया स्वीकृत व्यय

व्यापार अथवा पेशे की कर-देय आय ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित व्यय स्पष्टतया स्वीकृत हैं—

(1) भवन से सम्बन्धित व्यय—धारा-30 के अन्तर्गत व्यापार अथवा पेशे के काम में आने वाले भवन के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यय स्वीकृत हैं—

A. किराया—यदि भवन किराये पर लिया हुआ है तो किराया घटाया जा सकता है। परन्तु वह भवन जिसमें व्यापार का संचालन हो रहा है, करदाता का स्वयं का है, तो फिर किराये के सम्बन्ध में कोई कटौती स्वीकृत नही होगी।

B. चालू मरम्मत—यदि भवन किराये पर लिया हुआ है एवं करदाता ने मरम्मत का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले रखा है, तो मरम्मत के लिए भुगतान की गई रकम। यदि भवन करदाता का स्वयं का है तो भी चालू मरम्मत के खर्चे घटाये जा सकते है।

C. भूमि का लगान एवं नगरपालिका द्वारा लगाये गये कर।

D. हानि की जोखिम से बचने के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम की राशि।

टिप्पणी—यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि यदि पूरा का पूरा भवन व्यापार में काम नहीं आ रहा है (कुछ भाग में करदाता स्वयं रह रहा हो अथवा अन्य किसी उपयोग

में आ रहा हो) तो ऐसी दशा में किराया, मरम्मत व्यय, भूमि का लगान, स्थानीय कर तथा बीमे के प्रीमियम की राशि आदि व्यय उसी अनुपात में स्वीकृत होंगे जिस अनुपात में वह भवन व्यापार के उपयोग में आ रहा है।

(2) फर्नीचर, प्लाण्ट एवं मशीन की मरम्मत एवं बीमा व्यय—व्यापार अथवा पेशे में काम आने वाले फर्नीचर, प्लाण्ट एवं मशीन पर निम्नलिखित व्यय स्वीकृत हैं : (अ) चालू मरम्मत के व्यय,

(आ) इन सम्पत्तियों के नष्ट होने अथवा बरबाद होने की जोखिम से बचने के लिए करवाये गये बीमे के प्रीमियम की रकम।

यदि इन सम्पत्तियों का कुछ भाग करदाता अपने निजी उपयोग में लाता है तो इन खर्चों में से उतनी रकम कम कर दी जाती है, जितनी निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है।

(3) ह्रास (Depreciation)—करदाता के व्यापार अथवा पेशे के उपयोग में आने वाले भवन, मशीन, प्लान्ट, फर्नीचर आदि सम्पत्तियों पर ह्रास की छूट दी जाती है। इसका विस्तृत वर्णन पिछले अध्याय में दिया गया है।

(4) चाय विकास खाता (Tea Development Account)—इसका भी पूर्ण विवरण पिछले अध्याय मे दिया गया है। [धारा 33 AB]

(5) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय—वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं—

(i) यदि वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करदाता स्वयं करता है—

(अ) आयगत व्यय—करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित सम्पूर्ण आयगत व्ययों की कटौती स्वीकृत की जाती है बशर्ते कि अनुसंधान कार्य करदाता के व्यापार से सम्बन्धित है।

यदि करदाता के व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व के 3 वर्षों के भीतर अनुसंधान कार्य में लगे हुए कर्मचारियों के वेतन (अनुलाभों को छोड़कर) देने में अथवा अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री क्रय करने में कोई राशि व्यय की जाती है तो ऐसे व्यय की राशि गत वर्ष में व्यय की गई मानी जाती है तथा गत वर्ष में स्वीकृत होती है।

(ब) पूँजीगत व्यय—करदाता द्वारा संचालित वैज्ञानिक अनुसन्धान से सम्बन्धित सम्पूर्ण पूँजीगत व्ययों की कटौती गत वर्ष में स्वीकृत की जाती है बशर्ते कि अनुसन्धान कार्य करदाता के व्यापार से सम्बन्धित है।

यदि करदाता के व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व के 3 वर्षों के भीतर कोई पूँजीगत राशि वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय की जाती है तो यह राशि व्यापार प्रारम्भ किये जाने वाले गत वर्ष में ही व्यय की गई मानी जायेगी।

यदि कोई पूँजीगत व्यय भूमि क्रय करने के लिए किया जाता है तो उस पूँजीगत व्यय को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी—(1) उपरोक्त पूँजीगत व्ययों से क्रय की गई किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(2) सम्पत्ति को विक्रय किये जाने पर प्राप्त राशि व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर-योग्य होगी। यदि विक्रय मूल्य वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए दी गई छूट की राशि से अधिक है तो आधिक्य पर पूँजी-लाभ शीर्षक में कर लगाया जाएगा।

(ii) यदि बाहरी संस्था को दान दिया जाता है—

यदि करदाता वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य स्वयं नहीं करता है परन्तु वैज्ञानिक अनुसन्धान में लगी हुई किसी संस्था को दान देता है तो इस प्रकार दिये गये दान की कटौती निम्न दशाओं में दी जाती है—

(क) यह भुगतान ऐसी वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थान को दिया जाता है जो अनुमोदित है तथा जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य करना है।

(ख) यह भुगतान किसी ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को अनुसन्धान कार्य में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, जो अनुमोदित है।

(ग) यह भुगतान सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसन्धान में प्रयोग करने के लिए अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्था को किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय प्रयोगशाला को भुगतान [धारा 35 (2AA)]—

यदि कोई करदाता राष्ट्रीय प्रयोगशाला अथवा विश्वविद्यालय अथवा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी को इस विशिष्ट निर्देश के साथ भुगतान करता है कि ऐसी राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा इस आशय के लिये अनुमोदित कार्यक्रम के तहत लिये गये वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाये तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि के $1\frac{1}{4}$ गुने के बराबर राशि की कटौती दी जायेगी। इस राशि के सम्बन्ध में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के तहत अन्य कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उद्देश्यों के लिये 'राष्ट्रीय प्रयोगशाला' से आशय ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से है जो इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इण्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अथवा काउन्सिल ऑफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च की सुरक्षा के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हो तथा जो निर्धारित सत्ता द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में अनुमोदित हो। विश्वविद्यालय से अभिप्राय केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय से है जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा घोषित संस्था भी सम्मिलित है।

(6) एकस्व अधिकारों (Patent Rights) अथवा कापी राइट (Copy Right) को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय—एकस्व अधिकारों अथवा प्रतिलिपि अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किए गए पूँजीगत व्ययों की कटौती 14 समान किश्तों में दी जाती है। यह कटौती उस गत वर्ष से मिलनी प्रारम्भ होती है जिस वर्ष में यह व्यय किया जाता है। यदि करदाता ने यह अधिकार पहले प्राप्त कर लिये थे तथा भुगतान बाद में करता है तो ऐसी दशा में भुगतान करने के जितने वर्ष पूर्व यह अधिकार प्राप्त किये गये थे, उतने वर्ष 14 में से घटा दिये जायेंगे तथा शेष वर्षों में सम्पूर्ण व्यय पर समान किश्तों में यह कटौती स्वीकृत की जायेगी।

यदि ये अधिकार भुगतान के वर्ष से 14 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिए गए हों और भुगतान नही हुआ हो तो भुगतान वाले वर्ष में सम्पूर्ण व्यय की कटौती दे दी जाती है।

यदि अधिकार समय से पूर्व समाप्त हो जाते हैं तो जितनी रकम की कटौती देना शेष रह जाती है उतनी रकम की कटौती अधिकार समाप्त होने वाले वर्ष में दे दी जाती है।

(7) **'ज्ञान' प्राप्ति पर किये गये व्यय (Expenditure on Know-how)** – यदि कोई करदाता अपने व्यापार में प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार के ज्ञान 'Know-how' को प्राप्त करने के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान करता है तो इस प्रकार भुगतान की गयी राशि का 1/6 भाग उस गत वर्ष में कटौती-योग्य होगा जिस गत वर्ष में भुगतान किया गया है। भुगतान की शेष राशि की कटौती गत वर्ष के तुरन्त बाद वाले 5 वर्षों में समान किश्तों में दी जायेगी।

यदि यह भुगतान धारा-32A (2B) में वर्णित किसी प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या संस्था में विकसित किये गये ज्ञान के लिए किया जाता है तो भुगतान की राशि का 1/3 भाग उस गत वर्ष में कटौती योग्य होगा जिसमें भुगतान किया गया है। भुगतान की शेष राशि की कटौती गत वर्ष के तुरन्त बाद वाले दो वर्षों में समान किश्तों में दी जायेगी।

ज्ञान से अभिप्राय ऐसी औद्योगिक सूचना एवं तकनीक से है जिसके द्वारा वस्तुओं के निर्माण एवं विधियन में सहयोग मिलने की सम्भावना हो अथवा खान, तेल-कूप एवं खनिज भण्डारों के अन्य साधनों के कार्य में सहयोग मिलने की सम्भावना है।

(8) **दूर संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेन्स प्राप्त करने के व्यय (Expenditure for obtaining licence to operate telecommunication services) (धारा 35ABB)** –

1. यदि कोई करदाता दूरसंचार सेवाओं के संचालन का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये पूँजीगत व्यय करता है तो ऐसा पूंजीगत व्यय इसके भुगतान के गत वर्ष को सम्मिलित करते हुये लाइसेन्स की अवधि के वर्षों में समान रूप से कटौती योग्य होगा।

2. यदि किसी वर्ष लाइसेन्स को हस्तान्तरित कर दिया जाता है तथा हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली पूँजीगत राशि लाइसेन्स प्राप्ति के व्यय की स्वीकृत होने से बची हुई किस्तों की राशियों के योग से कम होती है तो इस कमी की राशि को लाइसेन्स हस्तान्तरण किये जाने वाले गत वर्ष में स्वीकृत कर दिया जाता है।

3. यदि हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली पूँजीगत राशि लाइसेन्स प्राप्ति के व्यय की स्वीकृत होने से बची हुई किस्तों की राशियों के योग से अधिक है तो ऐसा आधिक्य उस गत वर्ष में व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर-योग्य होगा जिस गत वर्ष में लाइसेन्स का हस्तान्तरण किया जाता है।

यदि लाइसेन्स हस्तान्तरण के वर्ष में व्यापार अस्तित्व में नहीं रहे तो भी इस उप-वाक्यांश की व्यवस्थाएँ यह मानते हुये लागू की जायेंगी कि व्यापार अस्तित्व में है।

4. यदि सम्पूर्ण लाइसेन्स या उसका कोई भाग हस्तान्तरित कर दिया जाता है तथा हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली पूँजीगत राशि लाइसेन्स प्राप्ति के व्यय की स्वीकृत होने से

बची हुई किस्तों की राशियों से कम नहीं है तो उस गत वर्ष में अथवा अगले गत वर्षों में इस धारा के तहत कोई कटौती नही दी जायेगी।

(5) यदि किसी गत वर्ष में लाइसेन्स के किसी भाग को हस्तान्तरित किया जाता है तथा हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली पूँजीगत राशि शेष किस्तों की राशियों के योग से अधिक नहीं है तो प्राप्त राशि को शेष किस्तों के योग की राशि में से घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि की कटौती इस वर्ष को सम्मिलित करते हुये शेष अवधि में समान रूप से दी जायेगी।

(6) यदि एकीकरण की किसी योजना के तहत एकीकृत होने वाली कम्पनी एकीकरण करने वाली भारतीय कम्पनी को लाइसेन्स बेचती है अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित करती है तो उपवाक्य (2), (3) एवं (4) की व्यवस्थाएँ एकीकृत होने वाली कम्पनी की दशा में लागू नहीं होंगी तथा इस धारा की व्यवस्थाएँ एकीकरण करने वाली कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगी जिस प्रकार लाइसेन्स हस्तान्तरण न करने की दशा में एकीकृत होने वाली कम्पनी पर लागू होती हैं।

(9) उपयुक्त परियोजना अथवा योजना (Project and Scheme) पर किये गये व्यय [धारा 35-AC]—यदि कोई करदाता किसी सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कम्पनी अथवा स्थानीय सत्ता अथवा संघ को जो राष्ट्रीय समिति द्वारा उपयुक्त परियोजना अथवा योजना का संचालन करने के लिए अनुमोदित हो व्यय के रूप में भुगतान करता है तो इस धारा की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उस करदाता को गत वर्ष में किये गये सम्पूर्ण व्यय के सम्बन्ध में कटौती दे दी जायेगी। यदि करदाता कोई कम्पनी हो तो वह या तो ऊपर वर्णित संस्थाओं को भुगतान कर सकती है अथवा स्वयं उपयुक्त परियोजना अथवा योजना पर व्यय कर सकती है।

यदि कोई करदाता अपनी आय के विवरण के साथ निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इस धारा की कटौती नही दी जायेगी—

(a) ऊपर वर्णित संस्थाओं को भुगतान करने की स्थिति में उस संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, एवं

(b) अन्य किसी दशा में धारा 288 (2) में वर्णित लेखापाल का प्रमाण-पत्र।

करदाता को ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में इसी वर्ष या अन्य किसी वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण—(i) राष्ट्रीय समिति से आशय ऐसी समिति है जिसका गठन इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा तथा इस समिति के सदस्य सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे।

(ii) उपयुक्त परियोजना अथवा योजना से आशय ऐसी परियोजना अथवा योजना से होगा जो जनता के सामाजिक अथवा आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिये अथवा जनता के उत्थान के लिये हो एवं जिसे राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिये अधिसूचित किया गया हो।

(10) ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संघ अथवा संस्थाओं को दिए भुगतान (धारा-35 CCA)—यदि कोई करदाता गत वर्ष में निम्न संस्थाओं को किसी राशि

भुगतान के रूप में कोई व्यय करता है तो उसको गत वर्ष में किये गये ऐसे व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि की कटौती प्रदान कर दी जायेगी—

(i) किसी ऐसे संघ या सस्था को भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना हो। यह कार्यक्रम निर्धारित सता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा वह राशि इस कार्यक्रम में व्यय की जानी चाहिए।

(ii) किसी ऐसे संघ या संस्था को किया गया भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित किसी ग्रामीण विकास कोष को किया गया भुगतान।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष को किया गया भुगतान।

इस धारा की छूट उन संस्थाओं को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में ही दी जायेगी जिनको निर्धारित सत्ता ने इस आशय के लिए अनुमोदित कर दिया हो। यह अनुमोदन एक बार में तीन वर्ष से अधिक के लिए नहीं किया जायेगा।

यदि किसी भुगतान के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्रदान कर दी जाती है तो उस व्यय के सम्बन्ध में उसी गत वर्ष में अथवा अन्य किसी वर्ष में धारा-35, धारा-35CC अथवा धारा-80G अथवा अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(1) ग्रामीण विकास कार्यक्रम सेअभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र की जनता के स्तर को ऊंचा उठाने वाले या उसके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने वाले किसी कार्यक्रम से है।

(2) इस धारा की कटौती 1 मार्च, 1983 के पूर्व किए गए व्ययों के सम्बन्ध में दी जायेगी। यदि किसी खर्चे का भुगतान इस तिथि के बाद किया जाता है तो कटौती उस दशा में स्वीकृत कर दी जायेगी यदि उस व्यय सम्बन्धी कार्य उक्त तिथि के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था।

(3) कार्यक्रम का 1 मार्च, 1983 से पूर्व अनुमोदित होना आवश्यक है।

(11) प्राकृतिक साधनों के विकास कार्यक्रम में संलग्न संघों एवं संस्थाओं को किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में कटौती (धारा-35CCB)—यदि कोई करदाता किसी ऐसे संघ या संस्था को किसी रकम का भुगतान करता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक साधनों के विकास कार्यक्रम को अथवा जंगल लगाने के कार्य को संचालित करना है तो उस करदाता को इस प्रकार भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की कटौती गत वर्ष में प्रदान कर दी जाएगी।

इस संस्था का इस आशय के लिए निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। निर्धारित सत्ता एक समय में तीन वर्षों से अधिक के लिए किसी संस्था को अनुमोदित नहीं करेगी। करदाता को ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में इसी वर्ष या अन्य किसी वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नही की जायेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जंगल लगाने के कार्य के लिए किसी कोष में किए गए भुगतान की भी कटौती दी जायेगी।

बची हुई किस्तों की राशियों से कम नहीं है तो उस गत वर्ष में अथवा अगले गत वर्षों में धारा के तहत कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

(5) यदि किसी गत वर्ष में लाइसेन्स के किसी भाग को हस्तान्तरित किया जाता है हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाली पूँजीगत राशि शेष किस्तों की राशियों के योग से है तो प्राप्त राशि को शेष किस्तों के योग की राशि में से घटा दिया जायेगा तथा शेष की कटौती इस वर्ष को सम्मिलित करते हुये शेष अवधि में समान रूप से दी जायेगी।

(6) यदि एकीकरण की किसी योजना के तहत एकीकृत होने वाली कम्पनी करने वाली भारतीय कम्पनी को लाइसेन्स बेचती है अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करती है तो उपवाक्य (2), (3) एवं (4) की व्यवस्थाएँ एकीकृत होने वाली में लागू नहीं होंगी तथा इस धारा की व्यवस्थाएँ एकीकरण करने वाली लागू होंगी जिस प्रकार लाइसेन्स हस्तान्तरण न करने की दशा में एकीकृत होने पर लागू होती हैं।

(9) उपयुक्त परियोजना अथवा योजना (Project and Scheme) पर किये गये [धारा 35-AC]—यदि कोई करदाता किसी सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कम्पनी अथवा सत्ता अथवा संघ को जो राष्ट्रीय समिति द्वारा उपयुक्त परियोजना अथवा योजना का करने के लिए अनुमोदित हो व्यय के रूप में भुगतान करता है तो इस धारा की व्यवस्था के अन्तर्गत उस करदाता को गत वर्ष में किये गये सम्पूर्ण व्यय के सम्बन्ध में कटौती दे दी जायेगी। यदि करदाता कोई कम्पनी हो तो वह या तो ऊपर वर्णित संस्थाओं को भुगतान कर सकती है अथवा स्वयं उपयुक्त परियोजना अथवा योजना पर व्यय कर सकती है।

यदि कोई करदाता अपनी आय के विवरण के साथ निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इस धारा की कटौती नहीं दी जायेगी—

(a) ऊपर वर्णित संस्थाओं को भुगतान करने की स्थिति में उस संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, एवं

(b) अन्य किसी दशा में धारा 288 (2) में वर्णित लेखापाल का प्रमाण-पत्र।

करदाता को ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में इसी वर्ष या अन्य किसी वर्ष में अधिनियम के अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण—(i) राष्ट्रीय समिति से आशय ऐसी समिति है जिसका गठन इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा तथा इस समिति के सदस्य सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे।

(ii) उपयुक्त परियोजना अथवा योजना से आशय ऐसी परियोजना अथवा योजना होगा जो जनता के सामाजिक अथवा आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिये अथवा जनता के उत्थान के लिये हो एवं जिसे राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार इस आशय के लिये अधिसूचित किया गया हो।

(10) ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संघ अथवा संस्थाओं को दिए भुगतान (धारा-35 CCA)—यदि कोई करदाता गत वर्ष में निम्न संस्थाओं को किसी राशि

भुगतान के रूप में कोई व्यय करता है तो उसको गत वर्ष में किये गये ऐसे व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि की कटौती प्रदान कर दी जायेगी—

(i) किसी ऐसे संघ या संस्था को भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना हो। यह कार्यक्रम निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा वह राशि इस कार्यक्रम में व्यय की जानी चाहिए।

(ii) किसी ऐसे संघ या संस्था को किया गया भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित किसी ग्रामीण विकास कोष को किया गया भुगतान।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष को किया गया भुगतान।

इस धारा की छूट उन संस्थाओं को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में ही दी जायेगी जिनको निर्धारित सत्ता ने इस आशय के लिए अनुमोदित कर दिया हो। यह अनुमोदन एक बार में तीन वर्ष से अधिक के लिए नहीं किया जायेगा।

यदि किसी भुगतान के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्रदान कर दी जाती है तो उस व्यय के सम्बन्ध में उसी गत वर्ष में अथवा अन्य किसी वर्ष में धारा-35, धारा-35CC अथवा धारा-80G अथवा अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(1) ग्रामीण विकास कार्यक्रम सेअभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र की जनता के स्तर को ऊंचा उठाने वाले या उसके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने वाले किसी कार्यक्रम से है।

(2) इस धारा की कटौती 1 मार्च,1983 के पूर्व किए गए व्ययों के सम्बन्ध में दी जायेगी। यदि किसी खर्चे का भुगतान इस तिथि के बाद किया जाता है तो कटौती उस दशा में स्वीकृत कर दी जायेगी यदि उस व्यय सम्बन्धी कार्य उक्त तिथि के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था।

(3) कार्यक्रम का 1 मार्च, 1983 से पूर्व अनुमोदित होना आवश्यक है।

(11) प्रकृतिक साधनों के विकास कार्यक्रम में संलग्न संघों एवं संस्थाओं को किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में कटौती (धारा-35CCB)—यदि कोई करदाता किसी ऐसे संघ या संस्था को किसी रकम का भुगतान करता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक साधनों के विकास कार्यक्रम को अथवा जंगल लगाने के कार्य को संचालित करना है तो उस करदाता को इस प्रकार भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की कटौती गत्र वर्ष में प्रदान कर दी जाएगी।

इस संस्था का इस आशय के लिए निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। निर्धारित सत्ता एक समय में तीन वर्षों से अधिक के लिए किसी संस्था को अनुमोदित नही करेगी। करदाता को ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में इसी वर्ष या अन्य किसी वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नही की जायेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जंगल लगाने के कार्य के लिए किसी कोष में किए गए भुगतान की भी कटौती दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—

(क) योजना की लागत से निम्न आशय है—

(i) व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये व्यय की दशा में व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाई गई स्थायी सम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवन, पट्टेदारी के अधिकार (Leaschold), कल व यन्त्र, फर्नीचर एवं फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग, भूमि व भवन के विकास के खर्चे की वास्तविक लागत।

(ii) व्यापार प्रारम्भ होने के बाद किए गए व्यय की दशा में जो किसी औद्योगिक उद्यम के विकास के लिए अथवा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए किए गए हों—इन कार्यों के लिए प्राप्त अतिरिक्त स्थायी सम्पत्तियों को प्राप्त करने अथवा विकसित करने की वास्तविक लागत जो उस गत वर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाई गई हो जिस गत वर्ष में विकास सम्बन्धी कार्य पूरा हुआ हो अथवा नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया हो।

(ख) कम्पनी के व्यापार में लगी 'पूँजी' से निम्न आशय है—

(i) कम्पनी का व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये व्यय की दशा में—व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के अन्तिम दिन निर्गमित अंश पूँजी, ऋण-पत्र एवं दीर्घकालीन ऋणों का योग।

(ii) कम्पनी का व्यापार प्रारम्भ होने के बाद किये गये व्यय की दशा में जो किसी औद्योगिक उद्यम के विकास के लिए अथवा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए किए गए हों—इन कार्यों के लिए प्राप्त की गई अतिरिक्त पूँजी जो अंशों, ऋण-पत्रों तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में प्राप्त की गई हो तथा जिसे उस गत वर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाया गया हो जिस गत वर्ष में विकास सम्बन्धी कार्य पूरा हुआ हो अथवा नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया हो।

(ग) जिस व्यय के सम्बन्ध में कटौती इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत कर दी जाती है, उस व्यय के सम्बन्ध में इस वर्ष अथवा अन्य किसी गत वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

(13) कुछ खनिजों की खोज आदि पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 35 E)—इस धारा के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी अथवा अन्य किसी निवासी करदाता द्वारा जो किसी खनिज को खोजने, निकालने या उत्पादित करने से सम्बन्धित कार्य में संलग्न हों, पूर्णतया सातवीं अनुसूची के भाग अ और ब में उल्लेखित खनिजों की खोज पर अथवा उन खनिजों से सम्बन्धित खानों के विकास पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती प्रदान की जाती है। यह व्यय व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष में अथवा उस गत वर्ष के तुरन्त पूर्व के चार वर्षों में किसी भी समय किया गया हो।

यदि उक्त व्यय का कोई भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है तो व्यय के उस भाग के सम्बन्ध में कटौती प्रदान नहीं की जायेगी। इसी प्रकार ऐसे व्यय के कारण उत्पन्न किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के सम्बन्ध में प्राप्त बिक्री, क्षतिपूर्ति या बीमा की रकम को व्यय की राशि में से घटा दिया जाता है तथा शेष

(12) कुछ प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध में कटौती (धारा-35D)—इस धारा के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी द्वारा अथवा भारत में निवासी अन्य करदाताओं द्वारा किए गए निम्न प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में कटौती दी जाती है।

सभी प्रकार के करदाताओं के लिए

(अ) (i) सम्भावना का विवरण तैयार करने पर व्यय,

(ii) योजना (Project) का विवरण तैयार करने पर व्यय,

(iii) बाजार सम्बन्धी जाँच-पड़ताल (Survey) अथवा करदाता के व्यापार के लिए आवश्यक अन्य किसी भी जाँच-पड़ताल पर किए गए व्यय,

(iv) करदाता के व्यापार से सम्बन्धित "इन्जीनियरिंग सेवाओं" (Engineering Services) पर किए गए व्यय।

बशर्ते कि उपरोक्त कार्य या तो करदाता स्वयं करे अथवा बोर्ड द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित कोई संस्था करे।

(ब) करदाता के व्यापार को स्थापित करने अथवा उसका संचालन करने के उद्देश्य से *करदाता द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के साथ किए गए प्रसंविदे को लिखवाने (Drafting)* के कानूनी व्यय,

(i) सीमा नियम एवं अन्तर्नियमों को छपवाने के व्यय;

(ii) कम्पनी का रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस;

(iii) कम्पनी के अंशों तथा ऋणपत्रों के निर्गमन के सम्बन्ध में अभिगोपन कमीशन (Underwriting commission) तथा दलाली एवं प्रविवरण को तैयार करवाने, टाइप करवाने, छपवाने तथा विज्ञापित करवाने के व्यय।

(स) अन्य व्यय जो निर्धारित कर दिये जायें।

कटौती स्वीकृत की जाने की आवश्यक शर्तें—(i) उपरोक्त व्यय करदाता का व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये हों; अथवा

(ii) करदाता का व्यापार प्रारम्भ होने के बाद उसके किसी औद्योगिक उद्यम के विकास के लिए *अथवा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में किये गये हों।*

कटौती योग्य व्यय की अधिकतम सीमा

इस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि *अधिक से अधिक योजना की लागत के $2\frac{1}{2}\%$* तक हो सकती है। परन्तु यदि करदाता कम्पनी है तो वह योजना की लागत का $2\frac{1}{2}\%$ अथवा कम्पनी के व्यापार में लगी हुई पूँजी का $2\frac{1}{2}\%$ दोनों में से जिसे चाहे कटौती के लिए चुन सकती है। इससे अधिक व्यय को छोड़ दिया जाता है।

कटौती की अवधि—उपरोक्त कटौती योग्य राशि की कटौती करदाता को दस लगातार वर्षों में समान किश्तों में दी जाती है; अर्थात् प्रतिवर्ष कुल कटौती योग्य राशि के 1/10 के बराबर कटौती दी जाती है। पहला गत वर्ष वह गत वर्ष होता है; जिसमें कि व्यापार प्रारम्भ किया जाता है अथवा औद्योगिक उद्यम का विकास पूर्ण हो जाता है अथवा नई औद्योगिक इकाई उत्पादन करना अथवा कार्य करना प्रारम्भ कर देती है।

स्पष्टीकरण—

(क) योजना की लागत से निम्न आशय है—

(i) व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये व्यय की दशा में व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाई गई स्थायी सम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवन, पट्टेदारी के अधिकार (Leasehold), कल व यन्त्र, फर्नीचर एवं फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग, भूमि व भवन के विकास के खर्चे की वास्तविक लागत।

(ii) व्यापार प्रारम्भ होने के बाद किए गए व्यय की दशा में जो किसी औद्योगिक उद्यम के विकास के लिए अथवा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए किए गए हों—इन कार्यों के लिए प्राप्त अतिरिक्त स्थायी सम्पत्तियों को प्राप्त करने अथवा विकसित करने की वास्तविक लागत जो उस गत वर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाई गई हो जिस गत वर्ष में विकास सम्बन्धी कार्य पूरा हुआ हो अथवा नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया हो।

(ख) कम्पनी के व्यापार में लगी 'पूँजी' से निम्न आशय है—

(i) कम्पनी का व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व किये गये व्यय की दशा में—व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के अन्तिम दिन निर्गमित अंश पूँजी, ऋण-पत्र एवं दीर्घकालीन ऋणों का योग।

(ii) कम्पनी का व्यापार प्रारम्भ होने के बाद किये गये व्यय की दशा में जो किसी औद्योगिक उद्यम के विकास के लिए अथवा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए किए गए हों—इन कार्यों के लिए प्राप्त की गई अतिरिक्त पूँजी जो अंशों, ऋण-पत्रों तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में प्राप्त की गई हो तथा जिसे उस गत वर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाया गया हो जिस गत वर्ष में विकास सम्बन्धी कार्य पूरा हुआ हो अथवा नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया हो।

(ग) जिस व्यय के सम्बन्ध में कटौती इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत कर दी जाती है, उस व्यय के सम्बन्ध में इस वर्ष अथवा अन्य किसी गत वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

(13) कुछ खनिजों की खोज आदि पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 35 E)—इस धारा के अन्तर्गत एक भारतीय कम्पनी अथवा अन्य किसी निवासी करदाता द्वारा जो किसी खनिज को खोजने, निकालने या उत्पादित करने से सम्बन्धित कार्य में संलग्न हों, पूर्णतया सातवीं अनुसूची के भाग अ और ब में उल्लेखित खनिजों की खोज पर अथवा उन खनिजों से सम्बन्धित खानों के विकास पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती प्रदान की जाती है। यह व्यय व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष में अथवा उस गत वर्ष के तुरन्त पूर्व के चार वर्षों में किसी भी समय किया गया हो।

यदि उक्त व्यय का कोई भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है तो व्यय के उस भाग के सम्बन्ध में कटौती प्रदान नहीं की जायेगी। इसी प्रकार ऐसे व्यय के कारण उत्पन्न किसी सम्पत्ति अथवा अधिकार के सम्बन्ध में प्राप्त बिक्री, क्षतिपूर्ति या बीमा की रकम को व्यय की राशि में से घटा दिया जाता है तथा शेष

की ही कटौती दी जाती है। इसके अतिरिक्त निम्न व्यय को भी कटौती योग्य व्यय में शामिल नहीं करते हैं—

(i) उस भूमि को प्राप्त करने पर किया गया व्यय जिस पर किसी खनिज पदार्थ का स्रोत हो;

(ii) ऐसे खनिज पदार्थों के भण्डारों (Deposits) को प्राप्त करने पर किए गए व्यय;

(iii) किसी भवन, मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर पर किए गए पूँजीगत व्यय जिन पर धारा 32 के अन्तर्गत ह्रास की कटौती स्वीकृत होती है।

कटौती देने की विधि तथा अशोधित राशि को आगे ले जाना

कटौती योग्य राशि को दस समान किश्तों में बाँट दिया जाता है तथा प्रतिवर्ष एक किस्त की कटौती दी जाती है। इस प्रकार प्रथम किस्त की कटौती उस गत वर्ष में दी जाती है, जिसमें व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होता है तथा शेष 9 किस्तों की कटौती अगले 9 वर्षों में दी जाती है। यदि किसी वर्ष सम्बन्धित खान की आय किस्त की राशि से कम हो तो ऐसी दशा में कटौती खान की आय के बराबर ही दी जायेगी तथा शेष राशि को आगे ले जाया जायेगा तथा अगली किस्तों के साथ जोड़ कर अगले वर्ष मे कटौती दी जायेगी। इस प्रकार किसी भी वर्ष की अशोधित कटौती दसवें गत वर्ष की किस्त के साथ प्राप्त की जा सकती है। उत्पादन प्रारम्भ करने वाले गत वर्ष को शामिल करते हुए दसवें वर्ष तक जिस राशि पर कटौती प्राप्त नहीं हो सकेगी, उस राशि को दसवें वर्ष के बाद आगे नहीं ले जाया जा सकेगा तथा उसके सम्बन्ध में कटौती प्राप्त नहीं होगी।

जिस व्यय के सम्बन्ध में कटौती इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत कर दी जाती है, उस व्यय के सम्बन्ध में इसी वर्ष अथवा अन्य किसी गत वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है।

धारा-35 D एवं 35E में अंकेक्षण की व्यवस्था—कम्पनी एवं सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य करदाताओं को इन धाराओं के अन्तर्गत कटौती तभी दी जा सकती है जबकि करदाता ने जिस वर्ष में व्यय किया है उस वर्ष के हिसाब-किताब का अंकेक्षण योग्य अंकेक्षक द्वारा करवा लिया है तथा जिस वर्ष में उसने इस व्यय के सम्बन्ध में प्रथम बार कटौती की माँग की है उस वर्ष की आय के नक्शे के साथ अंकेक्षक की हस्ताक्षर सहित प्रमाणित रिपोर्ट निर्धारित रूप में दाखिल कर दी हो।

(14) *अन्य कटौतियाँ*—ऊपर दी गई विशिष्ट कटौतियों के अतिरिक्त व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना के लिए धारा-36 के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत हैं—

(i) बीमा प्रीमियम—व्यापार के प्रयोग में आने वाले स्टॉक एवं स्टोर्स की बरबादी तथा हानि की जोखिम से बचने के लिए करवाये गये बीमे के प्रीमियम की रकम। यदि कोई संघीय दुग्ध सहकारी समिति अपने से सम्बन्धित किसी प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति के किसी सदस्य के पशुओं का बीमा कराने के लिए बीमा प्रीमियम चुकाती है तो प्रीमियम की राशि कटौती योग्य होगी है।

(ii) नियोक्ता करदाता द्वारा भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा बनाई गयी योजना के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के बीमा को चालू रखने के लिए प्रीमियम के रूप में चैक द्वारा भुगतान की गई राशि।

(iii) कर्मचारियों को बोनस एवं कमीशन—कर्मचारियों को उनकी सेवा के सम्बन्ध में दिये गये बोनस एवं कमीशन की राशि। कर्मचारी को यदि बोनस अथवा कमीशन न मिलता तो यही राशि उसे लाभों अथवा लाभांश के रूप में प्राप्त नहीं होती। कर्मचारियों को दी गई बोनस अथवा कमीशन रकम की कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगी यदि यही रकम उन्हें लाभांश के रूप में वितरित हो सकती थी।

(iv) उधार ली गई पूँजी पर ब्याज—व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए उधार ली गई पूँजी पर ब्याज। इस कटौती के स्वीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि ऋण व्यापार के उद्देश्यों के लिए ही लिए हों और वे वास्तविक हों कृत्रिम अथवा झूँठे नहीं।

(v) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड एवं अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में अंशदान—नियोक्ता के रूप में करदाता द्वारा प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में एवं अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में दिया गया अंशदान निर्धारित सीमाओं तक। ये निर्धारित सीमायें आय-कर अधिनियम की चौथी अनुसूची में दी गई हैं।

(vi) अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड में अंशदान—अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत केवल अपने कर्मचारियों की सुविधा हेतु रखे गये अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड में मालिक द्वारा दिया गया अंशदान।

(vii) कर्मचारियों से किसी फण्ड के लिए प्राप्त अंशदान की राशि को सम्बन्धित फण्ड में कर्मचारी के खाते में जमा कराना—किसी करदाता को अपने कर्मचारियों से प्रॉवीडेण्ट फण्ड, सुपरएनुएशन फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित फण्ड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित अन्य किसी फण्ड के लिए प्राप्त राशि करदाता की आय मानी जाती है। परन्तु यदि इस आय को करदाता निर्धारित तिथि से पूर्व सम्बन्धित कोष में कर्मचारी के खाते में जमा करा देता है तो उसे जमा कराई गई राशि की कटौती इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त हो जायेगी।

निर्धारित तिथि से अभिप्राय उस तिथि से है जिस तिथि के पूर्व नियोक्ता को किसी भी अधिनियम, नियम, अधिसूचना एवं सेवा समझौता आदि के अनुसार उपरोक्त फण्ड के लिए प्राप्त राशि को सम्बन्धित फण्ड में कर्मचारी के खाते में जमा करा देना चाहिए।

(viii) पशुओं के सम्बन्ध में हानि—करदाता के पेशे अथवा व्यापार के उपयोग में आने वाले पशुओं के स्थाई रूप से बेकार हो जाने अथवा मर जाने पर होने वाली हानि परन्तु ऐसे पशुओं की खाल, चमड़ा अथवा हड्डी के बेचने से होने वाली आय इस हानि में से घटा दी जाती है।

(ix) डूबत ऋण—करदाता द्वारा कोई ऋण अथवा ऋण का कोई भाग गत वर्ष में अप्राप्य मानकर अपलिखित कर दिया जाता है तो ऐसे अप्राप्य ऋण के सम्बन्ध में गत वर्ष में कटौती दे दी जाती है। परन्तु इस कटौती को स्वीकृत करने के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—

(अ) यह ऋण अपलिखित किये जाने वाले गत वर्ष में अथवा पूर्व के किसी गत वर्ष में करदाता के व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना के लिए सम्मिलित कर लिया गया हो।

(ब) करदाता द्वारा संचालित बैंकिंग अथवा लेन-देन के व्यवसाय की दशा में यह आवश्यक है कि यह ऋण ऐसे व्यवसाय की साधारण कार्य-विधि के रूप में दिया गया हो।

यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में अन्तिम वसूली हो रही है तो डूबत ऋण की राशि निम्नलिखित ढंग से निकाली जायेगी—

डूबत ऋण की राशि =

ऋण की राशि − (अन्तिम वसूली की राशि + पूर्व में स्वीकृत डूबत ऋण)

उक्त डूबत ऋण की राशि को छूट जिस वर्ष में अन्तिम वसूली होती है उस गत वर्ष में दी जायेगी।

II. वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत व्यय (धारा 37)

धारा-37 का क्षेत्र काफी व्यापक है। व्यापार के दौरान ऐसे व्यय भी हो सकते हैं जो धारा-30 से 36 तक दिये गये खर्चों (स्पष्टत: स्वीकृत व्ययों)के अन्तर्गत नही आते। यदि ऐसे खर्चे पूँजीगत प्रकृति के नहीं हों और करदाता के व्यक्तिगत व्यय नहीं हों एवं पूर्णत. केवल व्यापार अथवा पेशे के लिए ही किये गये हों तो ऐसे व्यय इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। धारा-37 के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ सामान्य व्यय निम्न हैं—

1. कानूनी व्यय—व्यापार में करदाता को अनेक प्रकार के कानूनी व्यय करने पड़ते हैं। इस प्रकार के कानूनी खर्चों में से केवल वे कानूनी खर्च ही कटौती योग्य होते हैं, जो (अ) व्यापार की सामान्य प्रगति के दौरान; (ब) भूमि, भवन एवं ऐसी ही अन्य सम्पत्तियों पर अधिकार की रक्षा के लिए; (स) किसी व्यापारिक दायित्व से बचने के लिए; तथा (द) अलाभकारी व्यापारिक सम्बन्धों को तोड़ने के लिए किये गये हों। स्वीकृत कानूनी व्ययों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

(i) देनदारों से ऋण वसूल करने के लिए किये गये व्यय;

(ii) किसी प्रसंविदे को तोड़ने की दशा में दायित्व या जुर्माने से बचने के लिए किये गये व्यय;

(iii) किसी ऐसे कर्मचारी को हटाने पर होने वाले कानूनी व्यय जिसका रहना व्यापार के लिए हानिकारक हो;

(iv) सैल्स टैक्स (Sales tax) एवं उत्पादन कर (Excise Duty) निर्धारित करने व उससे सम्बन्धित अपीलों के व्यय;

(v) एक संचालक द्वारा उसके पद के चुनाव की वैधता को चुनौती दी जाने के मुकदमे को लड़ने के व्यय;

(vi) एक अंशधारी द्वारा कम्पनी के समापन के लिए प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए कम्पनी द्वारा किया गया कानूनी व्यय;

(vii) व्यापार से सम्बन्धित दीवानी मुकदमों को लड़ने के व्यय;

(2) व्यापार का कार्य करने के समय किसी कर्मचारी से चोरों द्वारा छीन ली गई रकम।

(3) माल को खरीदने, बनाने एवं बेचने पर किये गये व्यय।

(4) व्यापार को चलाने के सम्बन्ध में किए गए दिन-प्रतिदिन के व्यय।

(5) किसी कर्मचारी द्वारा व्यापार के दौरान गबन की गई रकम।

(6) भुगतान की गई बिक्री-कर की राशि घटाई जा सकती है, परन्तु सम्पदा कर अथवा सम्पत्ति कर नहीं घटाया जाता है।

(7) दीपावली, मुहूर्त या अन्य किसी ऐसे ही दिवस पर दिये गये उपहार अथवा अन्य व्यय बशर्ते कि आय-कर अधिकारी सन्तुष्ट हो जाये कि यह व्यय कानून के अनुसार कटौती योग्य है तथा यह व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा धार्मिक प्रकृति का व्यय नहीं है।

(8) वे चन्दे जो व्यापार अथवा पेशे के लिए अनिवार्य हों अथवा व्यापार एवं पेशे के हित में हों। उदाहरण के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं ऐसे ही अन्य संगठनों को दिया गया चन्दा।

(9) खानों, पेटेन्टों या कॉपीराइट के सम्बन्ध में दी हुई रायल्टी की रकम।

(10) व्यापार अथवा पेशे के लिए 'आर्डर' प्राप्त करने पर व्यय।

(11) ऐसे कर्मचारी के जीवन पर बीमे का प्रीमियम जिसकी मृत्यु से व्यापार के लाभ घटने की सम्भावना हो।

(12) कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम (Workmens' Compensation Act) के अन्तर्गत दी गई हर्जाने की रकम।

(13) ऋण लेने अथवा ऋण-पत्रों के निर्गमन के सम्बन्ध में किये गये व्यय उदाहरण के लिए, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, दलाली आदि।

(14) अभिकर्त्ताओं को एजेन्सी समाप्त करने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि।

(15) करदाता अथवा कर्मचारी द्वारा व्यापार संचालन में भूल के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की रकम।

(16) व्यापार की बिक्री बनाये रखने के लिए किये गये सामान्य विज्ञापन व्यय, जो धारा-37 (3) के अन्तर्गत न आते हों।

(17) रेलवे स्टेशन को माल देरी से लेने के लिए दिया गया हर्जाना (Demurrage).

(18) ट्रेड मार्क को पंजीकृत करवाने के व्यय।

(19) करदाता के व्यापार के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध किये गये आन्दोलन के व्यय।

(20) विभागीय आदेशानुसार नया टेलीफोन लगवाने के व्यय। स्वयं का टेलीफोन रखने की योजना (Own your Telephone Scheme) के अन्तर्गत नया टेलीफोन लगवाने के लिए जमा की जाने वाली राशि इसके भुगतान के वर्ष में ही कटौती योग्य होगी। यदि बाद में टेलीफोन न लगे तथा यह राशि करदाता को वापस कर दी जाये तो वापस प्राप्त होने पर इस राशि पर धारा 41(1) के अन्तर्गत् व्यापार की आय के रूप में कर लगेगा।

(21) माल को खरीदने केलिए किसी प्रसंविदे को समाप्त करने के सम्बन्ध में दी गई क्षतिपूर्ति की रकम।

(22) कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाने के व्यय।

(23) टेलेक्स कनेक्शन लेने के लिए धरोहर जमा (Security Depc :t) की राशि। प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह राशि टेले:स कनेक्शन लग जाने,

स्वीकृत मानी जायेगी तथा अन्तिम रूप से टेलेक्स कनेक्शन बन्द किये जाने पर राशि को उस वर्ष की आय माना जायेगा जब यह वापस की जाती है।

(24) तत्काल टेलीफोन जमा योजना (Tatkal Telephone Deposit Scheme) के तहत जमा कराई गई राशि को करदाता चाहे तो आयगत व्यय मान कर भुगतान के वर्ष में ही कटौती दे दी जायेगी। यदि इस राशि का कोई भाग करदाता को टेलीफोन के समर्पण पर या अन्य कारण से लौटाया जाता है तो लौटाई गई राशि उस वर्ष की व्यापारिक आय होगी।

2. कर्मचारियों को भुगतान—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को अनेक भुगतान किये जाते हैं। उन भुगतानों में कुछ स्वीकृत खर्चे होते हैं जबकि दूसरे कुछ भुगतान अस्वीकृत होते हैं। कर्मचारियों को दिये गये स्वीकृत भुगतानों के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(i) पूर्णतया व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक।

(ii) अधिकृत छुट्टी की अवधि का वेतन चाहे भले ही कर्मचारी उस अवधि में किसी कारण से जेल में ही क्यों न हो।

(iii) पेन्शन, ग्रेच्युइटी एवं स्वेच्छा से किये गये अन्य भुगतान यदि वे कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने के लिए अथवा उनको काम पर लगाये रखने के उद्देश्य से दिये जाते हों।

(iv) किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने अथवा उसकी नौकरी की शर्तों में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई रकम चाहे भले ही यह रकम नियोक्ता ने स्वेच्छा से दी हो अथवा किसी कानूनी उत्तरदायित्व के अन्तर्गत दी हो।

(v) कर्मचारियों के कल्याण के लिए किये गये आयगत व्यय।

(vi) औद्योगिक विवाद के समझौते के रूप में कर्मचारियों को दिया गया बोनस।

(vii) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई हर्जाने की रकम।

(viii) एक प्रबन्ध संचालक को उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व हटाने के परिणामस्वरूप दी गई क्षतिपूर्ति की रकम बशर्ते कि यह व्यापार के हितों को ध्यान में रखकर दी गई हो।

परन्तु कर्मचारियों को दिए गए निम्नलिखित भुगतान अस्वीकृत होते हैं—

(i) व्यक्तिगत कारणों से दी गई भेंट एवं उपहार आदि।

(ii) किसी एक कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर उदारतावश दी गई कोई रकम,

(iii) किसी एक कर्मचारी की विधवा को उदारतावश दी गई रकम;

(iv) कम्पनी के समापन पर कर्मचारियों को कम्पनी द्वारा दी गई पेन्शन की एक मुश्त रकमें।

वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों पर स्वीकृत हानियाँ

सर्वोच्च न्यायालय ने (CIT V. Harprasad & Co. P. Ltd. (1975)99 ITR 118) के मामले में एक करदाता की कर योग्य आय की गणना करने के लिये लाभ एवं हानि दोनों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है। लाभों को धानात्मक आय एवं हानियों को ऋणात्मक आय कहा गया है तथा लाभों में हानियों को शामिल माना है।

इस प्रकार धारा 30 से 43 D में हानियों को घटाने का उल्लेख न होते हुये भी इनको वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर घटाया जाता है। हानियों को वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर घटाने के लिये अग्र शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—

(1) हानि वास्तविक होनी चाहिये, काल्पनिक या अनुमानित नहीं,
(2) यह आयगत होनी चाहिये, पूँजीगत नहीं।
(3) यह व्यवसाय के दौरान एवं व्यवसाय के सम्बन्ध में होनी चाहिए।
(4) इस हानि को घटाने के सम्बन्ध में अधिनियम में कोई स्पष्ट अथवा गर्भित प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति होने पर सर्वोच्च न्यायालय अथवा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने निम्न हानियों को कटौती योग्य माना है—

(1) कर्मचारियों द्वारा माल का गबन।
(2) अग्नि, प्राकृतिक विपदा अथवा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण व्यापारिक रहतिये की हानि।
(3) डकैती अथवा चोरी के कारण हानि। कार्यालय समय के बाद तिजोरी से नकदी की चोरी भी कटौती योग्य हानि है क्योंकि अगले दिन व्यापार करने के लिए कुछ रकम का व्यवसाय में रहना आवश्क है।
(CIT V. Surya Sugar Mills (P) Ltd. (1968) 70 ITR 109 (All.))
(4) दोनों पक्षों में से किसी के भी द्वारा माल की सुपुर्दगी के अनुबन्ध को भंग करने के कारण होने वाली हानि।
(5) मार्ग में व्यापारिक रहतिये अथवा निर्मित माल की हानि।
(6) माल की पूर्ति के लिये पूर्तिकर्ता को दी गई पेशगी राशि की वसूली न होना।
(7) व्यापारिक परम्परा के अनुसार किसी दूसरे व्यापारी की प्रत्याभूति देने के कारण हानि हुई हो।

III. कुछ प्रतिबन्धों के अधीन अस्वीकृत व्यय

1. मनोरंजन व्यय (Entertainment expenses)—धारा 37 (2) के अन्तर्गत् मनोरंजन व्यय के सम्बन्ध में निम्न कटौती दी जायेगी—

(अ) यदि ऐसे व्यय की राशि 10,000 रु. से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय की सम्पूर्ण राशि;

(ब) यदि ऐसे व्यय की राशि 10,000 रु. से अधिक है तो 10,000 रु. एवं शेष राशि के 50% के योग के बराबर राशि।

टिप्पणी—मनोरंजन व्यय में निम्नलिखित व्यय भी शामिल किये जाते हैं—

(i) करदाता द्वारा अपने कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया मनोरंजन भत्ता।

(ii) करदाता के व्यापार के सम्बन्ध में करदाता, कर्मचारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किये गए व्यय।

(iii) मनोरंजन व्ययों में मेहमानदारी पर किये गये (भोजन एवं चाय-पान आदि के व्ययों सहित) व्यय भी सम्मिलित होंगे परन्तु इसमें कर्मचारी को कार्यालय, कारखाने या व्यापार के अन्य किसी स्थान पर दी गई भोजन, चाय-पान आदि की सुविधा के व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।

बोर्ड के परिपत्र क्रमांक 708 दिनांक 18-7-1995 के अनुसार कार्यालय समय के दौरान नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को भोजन अथवा चाय-पानी की सुविधा पर किया गया व्यय 3: रु. प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की सीमा तक मनोरंजन व्यय नहीं माना जायेगा। चाहे यह सुविध कार्य के स्थान के बाहर ही प्रदान की गई हो। इससे अधिक व्यय की गई राशि को मनोरंज व्यय माना जायेगा। नियोक्ता को ऐसे व्यय के औचित्य का प्रमाण देना होगा।

2. विज्ञापन व्यय एवं रहने के मकान (अतिथिगृह सहित) पर व्यय—आय कर अधिनियम की धारा-37 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित सीमाओं तक ही स्वीकृत किये जायेंगे।

(अ) विज्ञापन पर व्यय;

(ब) रहने के मकान (जिनमें अतिथिगृह भी शामिल है) के रख-रखाव (maintenance) पर व्यय;

(स) किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये यात्रा व्यय।

इन खर्चों पर कटौती के सम्बन्ध में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

विज्ञापन पर व्यय

(i) विज्ञापन के लिए भेंट में दी जाने वाली वस्तुओं पर किया गया व्यय प्रत्येक वस्तु पर 1,000 रु. से अधिक नहीं है तो सम्पूर्ण राशि की कटौती दे दी जाएगी। यदि व्यय की राशि 1,000 रु. से अधिक है तो 1,000 एवं शेष राशि के 50% के योग के बराबर राशि की कटौती दी जायेगी।

(ii) भारत के बाहर विज्ञापन एवं प्रचार पर विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय केवल उस सीमा तक स्वीकृत होगा, जिस सीमा तक इस उद्देश्य के लिये विदेशी विनिमय स्वीकृत हुआ है।

(iii) निर्धारण अधिकारी को विज्ञापन व्यय का वह भाग अस्वीकृत करने का अधिकार है जो उसकी सम्मति में करदाता के व्यापार की उचित आवश्यकता को देखते हुए अत्यधिक एवं अनुचित हो। इस प्रकार के खर्चों को अस्वीकृत केवल तभी किया जायेगा, जब उसका भुगतान निम्नलिखित व्यक्तियों को किया गया हो—

(1) ऐसे व्यक्ति को जिसका करदाता के व्यापार में सारवान (Substantial) हित है अथवा ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार है।

(2) ऐसे व्यक्ति को जिसका विज्ञापन का व्यापार अथवा पेशा हो और करदाता का इस व्यापार अथवा पेशे में सारवान हित हो।

(iv) विज्ञापन व्यय के सम्बन्ध में कोई एकमुश्त भुगतान 10,000 रु.से अधिक की राशि का हो, तो यह भुगतान रेखांकित चैक अथवा रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि ऐसा 10,000 रु. से अधिक का भुगतान रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट अथवा रेखांकित चैक के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से किया गया है तो वह कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होगा।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहन मिकिन्स बनाम आयकर कमिश्नर (1979) 118 ITR 101 के मुकदमें में विज्ञापन पर किये गए पूँजीगत व्ययों को भी धारा 37(3) के तहत कटौती योग्य माना है।

(v) यदि कोई करदाता किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ब्रोचर, सोवनियर, पम्पलेट आदि में विज्ञापन देने पर कोई राशि व्यय करता है तो ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में कोई कटौती प्रदान नहीं की जाएगी।

अवकाशगृह के रूप में रखे गये अतिथिगृह

साधारणतया अतिथिगृह पर किये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाती है परन्तु यदि अतिथिगृह अवकाशगृह के रूप में रखा गया है तो निम्न शर्तें पूरी होने पर उस अवकाशगृह के रूप में रखे गये अतिथिगृह के व्ययों के सम्बन्ध में कटौती दे दी जायेगी—

(i) करदाता ने सम्पूर्ण गत वर्ष के दौरान अपने व्यापार अथवा पेशे में कम से कम 100 पूर्णकालीन कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

(ii) यह अवकाशगृह केवल कर्मचारियों के लिए अवकाश के समय में प्रयोग करने हेतु रखा गया है।

स्पष्टीकरण—गत वर्ष के दौरान 182 दिन से अधिक अवधि के लिए होटल में किराये पर लिया गया स्थान अथवा सुरक्षित रखा गया स्थान अतिथिगृह माना जायेगा, परन्तु इसका प्रयोग अवकाशगृह के रूप में किये जाने पर ही सम्बन्धित व्ययों की कटौती स्वीकृत की जायेगी।

यात्रा पर किए गए व्यय

करदाता के कर्मचारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर यात्रा करने के सम्बन्ध में किए गए व्यय स्वीकृत माने जायेंगे, यदि यह यात्रा करदाता के व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए की गई हो। यदि कर्मचारी व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी और काम से बाहर जाता है तो कर्मचारी द्वारा यात्रा पर किया गया कुल व्यय (विदेशी मुद्रा की स्वीकृत राशि + भारतीय रुपये में किया गया व्यय) व्यापार के उद्देश्य तथा व्यक्तिगत उद्देश्य में बाँट दिया जायेगा। इस बंटवारे का आधार कर्मचारी द्वारा व्यापार के उद्देश्य से विदेश में लगाये गये दिनों की संख्या का विदेश में लगाये गये कुल दिनों की संख्या से अनुपात होगा।

भारत में यात्रा—एक कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने मुख्य स्थान (Head quarter) के बाहर भारत में व्यापार अथवा पेशे के लिए यात्रा करने पर किए गए व्यय स्वीकृत होंगे। परन्तु ये व्यय निम्नलिखित राशियों के योग से अधिक नहीं होने चाहिए—

(अ) रेलगाड़ी, रोड अथवा वायुयान से यात्रा करने पर वास्तविक व्यय;

(आ) अन्य खर्चों के लिए (जिनमें होटल व्यय एवं दिये गये भत्ते शामिल हैं) बाहर बिताए गए दिनों के लिए निम्न कटौती प्रदान की जायेगी—

(अ) यदि ऐसे व्यय की राशि 1,500 रु. प्रतिदिन से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय की सम्पूर्ण राशि;

(ब) यदि ऐसे व्यय की राशि 1,500 रु. प्रतिदिन से अधिक है तो 1,500 रु. एवं शेष राशि के 75% के योग के बराबर राशि।

IV. स्पष्टतया अस्वीकृत खर्चे
(Expenses Expressly Disallowed)

आय-कर अधिनियम की धारा-40 के अनुसार 'व्यापार अथवा पेशे' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित खर्चों को नहीं घटाया जाता है—

(1) सभी प्रकार के करदाताओं के लिए—

(i) भारत के बाहर देय कोई ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के बदले फीस एवं अन्य राशियाँ जो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य हों तथा जिन पर कर का भुगतान नहीं किया गया हो अथवा उद्‌गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो, कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं की जायेगी। परन्तु यदि बाद के किसी वर्ष में कर का भुगतान कर दिया जाता है अथवा उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है तो ऐसी राशि उस गत वर्ष में स्वीकृत कर दी जाती है जिस गत वर्ष में कर का भुगतान कर दिया जाता है अथवा कटौती कर ली जाती है।

(ii) व्यापार व पेशे के लाभों पर कर।

(iii) सम्पदा कर (Wealth tax)।

(iv) भारत के बाहर 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत दी गई राशि यदि उस पर कर नहीं चुकाया गया हो अथवा उद्‌गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो।

(v) अपने कर्मचारियों के हित के लिए रखे गये प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा किसी ऐसे ही अन्य फण्ड में दिया गया नियोक्ता का अंशदान, यदि करदाताओं ने ऐसे फण्ड में से कर्मचारी को दिये जाने वाले भुगतान पर उद्‌गम स्थान पर कर काटने का कोई प्रबन्ध न किया हो।

(2) फर्म के लिए—एक फर्म द्वारा अपने साझेदारों को किये गये निम्न भुगतान अस्वीकृत होते हैं—

(i) पूंजी पर 18% से अधिक दर से दिया गया ब्याज,

(ii) निष्क्रिय साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक,

(iii) सक्रिय साझेदार को निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक।

टिप्पणी—फर्म के लिये अस्वीकृत भुगतानों सम्बन्धी प्रावधानों को विस्तारपूर्वक एवं क्रियात्मक सवालों के माध्यम से "फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का कर-निर्धारण" वाले अध्याय में आगे समझाया गया है।

(3) व्यक्तियो के समुदाय के लिए—

व्यक्तियों के संघ या समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं है।

कम्पनी, सहकारी समिति अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति पर इस धारा की व्यवस्थायें लागू नहीं होती हैं।

अस्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण—

(1) आय-कर, सम्पत्ति-कर अथवा सम्पदा-कर।

(2) करदाता के निजी व्यय, घरेलू व्यय एवं आहरण (Drawings)।

(3) किसी भी प्रकार का संचय (Reserve) या आयोजन (Provision)। केवल वित्त निगम के विशेष संचय को छोड़कर।
(4) दान, भेंट, उपहार या धर्मार्थ में दी गई रकम।
(5) कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर पूँजीगत व्यय।
(6) दण्ड अथवा जुर्माने के रूप में दी गई राशि।
(7) पूँजी प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन। उदाहरण के लिए, अंश-पत्रों के निर्गमन के खर्चे।
(8) ऐसे व्यय जिनका करदाता के व्यापार अथवा पेशे से कोई सम्बन्ध न हो। जैसे राजनीतिक पार्टियों को दिये गये चन्दे।
(9) आय-कर विभाग को दण्ड के रूप में देय ब्याज।
(10) करदाता की स्वयं की पूँजी का ब्याज।
(11) कर्मचारियों के लिए रखे गये अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान।
(12) मालिक का जीवन बीमा प्रीमियम।
(13) मालिक का स्वयं का वेतन।

V. व्यय एवं भुगतान, जो कुछ परिस्थितियों में कटौती योग्य नहीं होते
(Expenses and Payments Not Deductible in Certain Circumstances)

(1) कुछ विशिष्ट व्यक्तियो को किये गये भुगतान [धारा-40 A(2)] – यदि किसी करदाता द्वारा ऐसा कोई व्यय किया गया है जिसका भुगतान कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, जिनका उल्लेख आगे किया गया है को प्राप्त होता है और निर्धारण अधिकारी की सम्मति में व्यापार की उचित आवश्यकताओं को देखते हुए तथा सम्बन्धित सेवा, माल या सुविधा, जिनके लिए भुगतान किया गया है के बाजार-मूल्य को देखते हुए अत्यधिक व अनुचित है तो वह भुगतान के उस भाग को अस्वीकृत कर देगा जो अत्यधिक व अनुचित है।

विशिष्ट व्यक्तियों से आशय निम्न है—

(i) यदि करदाता व्यक्ति है तो उसका कोई भी रिश्तेदार।

(ii) यदि करदाता कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या अविभाजित हिन्दू परिवार है तो उसका संचालक, साझेदार अथवा सदस्य तथा इनके रिश्तेदार।

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका करदाता के व्यापार अथवा पेशे में सारवान हित हो, या ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार।

(iv) कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के समुदाय या हिन्दू अविभाजित परिवार जिनका करदाता के व्यापार में सारवान हित है या इनका कोई संचालक, साझेदार अथवा सदस्य या इनके रिश्तेदार।

(v) करदाता के व्यापार में सारवान हित रखने वाला व्यक्ति यदि किसी कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के समुदाय या अविभाजित हिन्दू परिवार का संचालक, साझेदार अथवा सदस्य है तो वह कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या हिन्दू अविभाजित परिवार या उनका कोई अन्य संचालक, साझेदार या सदस्य अथवा इनके रिश्तेदार।

(vi) वह व्यक्ति जिसके व्यापार में करदाता या उसके रिश्तेदार का सारवान हित है यदि करदाता कोई कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या अविभाजित हिन्दू परिवार है

उनके संचालक, साझेदार अथवा सदस्य या उनके किसी रिश्तेदार का जिस व्यक्ति के व्यापार में सारवान हित है।

स्पष्टीकरण—(अ) रिश्तेदार से आशय उस व्यक्ति के पति, पत्नी, भाई, बहिन अथवा माता, पिता, दादा, दादी अथवा पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री से है।

(ब) कम्पनी के व्यापार में उस व्यक्ति का सारवान हित माना जाता है जिसके पास उसके 20% या अधिक मताधिकार वाले अंश हों। अन्य किसी व्यक्ति के व्यापार में उस व्यक्ति का सारवान हित माना जाता है जिसे उस व्यापार का सम्बन्धित गत वर्ष के लाभों का 20% या अधिक भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है।

(2) 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान [धारा-40 अ (3)] – आय-कर अधिनियम की धारा-40 अ (3) के अनुसार 20,000 रु. से अधिक राशि के व्यय का भुगतान यदि रेखांकित चैक अथवा रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यय का 20% भाग स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

यदि करदाता ने ऐसे व्यय का भुगतान गत वर्ष में नहीं किया है, परन्तु कर-निर्धारण के समय उसको ऐसे व्यय के सम्बन्ध में अदत्त व्यय के रूप में कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो करदाता के लिए आवश्यक होगा कि वह ऐसे व्यय का भुगतान रेखांकित चैक अथवा रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट से ही करे। यदि वह बाद में किसी अन्य तरीके से भुगतान करता है तो जिस गत वर्ष में इस सम्बन्ध में कटौती स्वीकृत की गई थी, उस गत वर्ष का कर-निर्धारण इस कटौती को अस्वीकृत करते हुए पुनः किया जायेगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा व्यय अस्वीकृत नही किया जायेगा—

(i) यदि भुगतान किसी वित्तीय संस्था को, बैंक को अथवा सरकार को किया जाये।

(ii) यदि करदाता द्वारा व्यय किये गये माल अथवा सेवाओं का भुगतान पुस्तकों में समायोजन के द्वारा किया जाये।

(iii) यदि भुगतान बैंकिंग प्रणाली के किसी माध्यम से किया जाये।

(iv) यदि किसी किसान अथवा उत्पादक को उससे कृषि उत्पादन, वन उत्पादन, डेयरी उत्पादन, मुर्गी, अण्डे, फल सब्जी, शहद खरीदने पर मूल्य का भुगतान किया जाय।

(v) कुटीर उद्योग के रूप में उत्पादन कर्ता से उसका उत्पादन खरीदा जाये।

(vi) ऐसे गांव के व्यापारी को अथवा रहने वाले को भुगतान किया जाये जहां बैंक की सुविधा नही हो।

(vii) जिस दिन बैंक बन्द हो उस दिन भुगतान करना पड़े।

(viii) किसी प्रतिनिधि को भुगतान किया जाये जिसे माल अथवा सेवाओं के लिये नकद भुगतान करना है।

(3) ग्रेच्युइटी के भुगतान के लिए आयोजन [धारा-40 A(7)] – कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा हटाये जाने पर ग्रेच्युइटी का भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया आयोजन स्वीकृत नही होगा। परन्तु गत वर्ष में देय ग्रेच्युइटी के लिए किया गया आयोजन स्वीकृत होगा।

(4) कुछ व्ययों का वास्तविक भुगतान पर ही कटौती योग्य होना [धारा-43 (B)]— अग्रलिखित व्यय उस गत वर्ष में स्वीकृत किये जायेंगे जिस गत वर्ष में इनका भुगतान किया जाता है, भले ही करदाता ने अपनी पुस्तकों में ऐसे व्यय को किसी वर्ष में अदत्त क्यों न दिखा दिया हो।

(a) भारत में प्रचलित किसी कानून के तहत करदाता द्वारा कर, चुंगी, उपकर या शुल्क के रूप में देय राशि चाहे भले ही इसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।

(b) नियोक्ता के रूप में करदाता द्वारा प्रॉवीडेण्ट फण्ड, अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड, ग्रेच्युइटी फण्ड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु रखे गये किसी अन्य फण्ड में अंशदान के रूप में देय राशि।

(c) कर्मचारियों को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले देय बोनस व कमीशन की राशि। यदि ऐसी राशि कर्मचारी को बोनस या कमीशन के रूप में न दी जाये तो वह इसे लाभ या लाभांश के रूप में प्राप्त नहीं कर सकेगा।

(d) करदाता द्वारा सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा किसी राज्य वित्त निगम अथवा किसी राज्य औद्योगिक विनियोग निगम से लिए गये ऋण पर देय ब्याज की राशि।

(e) किसी अनुसूचित बैंक से लिये गये अवधि ऋण पर उस ऋण को संचालित करने वाले समझौते की शर्तों के अनुसार करदाता के द्वारा ब्याज के रूप में देय राशि।

जिस गत वर्ष में करदाता का ऊपर वर्णित वाक्यांश (a), (c) एवं (d) में दायित्व उत्पन्न हुआ था, उस गत वर्ष की आय का नक्शा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व ही करदाता द्वारा उक्त राशियों का भुगतान कर दिया जाता है तथा ऐसे भुगतान का सबूत आय के नक्शे के साथ संलग्न कर दिया जाता है तो ऐसे व्ययों की कटौती उसी गत वर्ष में स्वीकृत कर दी जायेगी।

वाक्यांश (b) में वर्णित राशियों की कटौती करदाता को उसी दशा में दी जायेगी जबकि करदाता इनका भुगतान, नकद, चैक द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा या अन्य किसी तरीके से निर्धारित तिथि के पूर्व कर देता है। यदि भुगतान नकद के अलावा अन्य किसी तरीके से किया जाता है तो ऐसी राशि की वसूली निर्धारित तिथि के बाद 15 दिन के भीतर हो गई हो। इस उप-वाक्यांश के लिए निर्धारित तिथि से आशय उस तिथि से है जिस तिथि के पूर्व नियोक्ता को किसी भी अधिनियम, नियम, अधिसूचना एवं सेवा समझौता आदि के अनुसार किसी फण्ड के लिए प्राप्त राशि को सम्बन्धित फण्ड में कर्मचारी के खाते में जमा करा देना चाहिये।

यदि किसी करदाता को व्यय की गई कोई राशि पहले किसी गत वर्ष में उपार्जित होने के आधार पर स्वीकृत कर दी गई थी तो वह राशि भुगतान किये जाने पर दुबारा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

पूँजी और आय
(Capital and Revenue)

आय-कर चूँकि आय पर लगता है, पूँजी पर नहीं, अतः पूँजी एवं आय का भेद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ दशाओं में तो पूँजी और आय का भेद किया जाना अत्यन्त सरल है, परन्तु अनेक परिस्थितियाँ ऐसी भी आती हैं जिनमें इस प्रकार का वर्गीकरण करना

एक कठिन कार्य होता है। इस वर्गीकरण का कोई निश्चित नियम नहीं है। न्यायालय के निर्णय भी केवल मार्गदर्शन का ही कार्य करते हैं। एक ही प्रकार का व्यय परिस्थितियों के अनुसार कभी पूँजीगत होता है तो कभी आयगत होता है। पूँजी एवं आय में अन्तर को भली प्रकार समझने के लिए इस विषय का अध्ययन हम निम्नांकित तीन शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(1) प्राप्तियाँ (Receipts), (2) व्यय (Expenditure), (3) हानियाँ (Losses)।

प्राप्तियाँ (Receipts) :

प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक आयगत और दूसरी पूँजीगत । कोई प्राप्ति आयगत है अथवा पूँजीगत—इस बात का निर्धारण निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है—

(1) स्थायी पूँजी अथवा स्थायी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह पूँजीगत प्राप्ति कहलाती है।जैसे—मकान, फर्नीचर, मोटर, विनियोग इत्यादि के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि। इसके विपरीत चालू पूँजी अथवा चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो राशि प्राप्त होती है वह आयगत प्राप्ति कहलाती है। जैसे व्यापारिक माल के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थाई सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का व्यापार करता है तो उस सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि आयगत प्राप्ति होती है। जैसे—फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर के विक्रय करने से प्राप्त राशि।

(2) आय के साधन की समाप्ति पर मिलने वाली राशि पूँजीगत प्राप्ति होती है जैसे—एक कर्मचारी को अपने मालिक से नौकरी समाप्त कर देने के हर्जाने में प्राप्त राशि। इसके विपरीत आय के प्रतिस्थापन के रूप में प्राप्तराशि आयगत प्राप्ति होती है। जैसे—कर्मचारी को अपनी सेवाओं के बदले में प्राप्त ग्रेच्युइटी की रकम अथवा अन्य कोई पुरस्कार।

(3) यदि कोई व्यक्ति प्रसंविदे के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को त्याग देता है तो प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि पूँजीगत प्राप्ति होती है। जैसे—पेन्शन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि। इसके विपरीत भावी लाभों की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि आयगत प्राप्ति है। जैसे—एक कम्पनी जिसके पास खड़िया की खानें हैं, किसी व्यापारी को दस वर्षों तक खड़िया की एक निश्चित मात्रा देने का सौदा करती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी माल नहीं लेना चाहता और वह कम्पनी उस व्यापारी को सौदे के दायित्व से बरी करते हुए एकमुश्त राशि लेना स्वीकार कर लेती है। एकमुश्त राशि कम्पनी के लिए आयगत प्राप्ति है, क्योंकि यह उसे भावी आय के बदले में प्राप्त हुई है।

(4) रकम चाहे एकमुश्त प्राप्त हो अथवा थोड़ी-थोड़ी इससे उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूँजीगत प्राप्ति थोड़ी-थोड़ी मिलने पर भी पूँजीगत प्राप्ति ही रहती है तथा आयगत प्राप्ति एक साथ मिलने पर भी आयगत ही रहती है।

(5) कोई प्राप्ति पूँजीगत है अथवा आयगत, इस बात पर निर्भर है कि प्राप्त करने वाले के लिए यह राशि पूँजीगत है अथवा आयगत। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि भुगतान करने वाले ने भुगतान पूँजीगत राशि में से किया अथवा आयगत राशि में से किया।

उदाहरण के लिए, नये व्यापार को चलाने वाला अपनी पूँजी में से वेतन का भुगतान करे तो भी वेतन प्राप्त करने वाले के लिए यह राशि आयगत प्राप्ति ही है।

आयगत प्राप्तियाँ साधारणतया कर-योग्य होती हैं, परन्तु यदि उनको करमुक्त घोषित कर दिया जाता है तो उस दशा में सकल आय में सम्मलित नहीं किया जाता है। पूँजीगत प्राप्तियाँ साधारणतया इस शीर्षक में कर-योग्य नहीं होती हैं परन्तु कुछ परिस्थितियों में पूँजीगत प्राप्तियों पर इस शीर्षक में कर लगाया जाता है। निम्न प्राप्तियाँ पूँजीगत होती हैं परन्तु उन पर इस शीर्षक में कर लगाया जाता है—

(i) एजेन्सी की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति,

(ii) व्यापार के राष्ट्रीयकरण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति।

(iii) एक निर्यातकर्ता को स्वीकृत आयात लाइसेन्स की बिक्री से होने वाला लाभ।

व्यय (Expenditure) :

व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक आयगत दूसरा पूँजीगत। कोई व्यय आयगत है अथवा पूँजीगत इस बात का निर्धारण निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है—

(1) स्थायी सम्पत्ति की लागत तथा उसको लाने, सुधार करवाने एवं लगाने के सम्बन्ध में किए गए व्यय पूँजीगत व्यय होते हैं। पुनः बेचने के उद्देश्य से क्रय किये गये माल की लागत तथा उससे सम्बन्धित अन्य व्यय आयगत होते हैं।

(2) पूँजीगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गई रकम पूँजीगत व्यय कहलाती है। उदाहरण के लिए, एक करदाता द्वारा भवन बनवाने के अनुबन्ध को रद्द करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को दी गई हर्जाने की रकम। इसके विपरीत आयगत दायित्व से मुक्त होने के सम्बन्ध में दी गई रकम आयगत व्यय कहलाती है। जैसे—व्यापारिक माल को क्रय करने के अनुबन्ध को रद्द करने के लिए दिये गये हर्जाने की रकम।

(3) आय कमाने के साधन (व्यापार, नौकरी आदि) प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय पूँजीगत व्यय माना जाता है। इसके विपरीत आय कमाने के सम्बन्ध में किया गया व्यय आयगत व्यय होता है।

(4) स्थायी सम्पत्ति में उन्नति अथवा सुधार अथवा वृद्धि करके व्यापार की आय कमाने की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया व्यय पूँजीगत व्यय कहलाता है। इसके विपरीत स्थायी सम्पत्ति को चालू हालत में अथवा अच्छी हालत में बनाये रखने के लिए किया गया व्यय आयगत होता है।

(5) किसी कम्पनी के निर्माण से पूर्व किए गए व्यय पूँजीगत व्यय होते हैं, जबकि व्यापार के संचालन में दिन-प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय आयगत व्यय होते हैं।

(6) कोई व्यय पूँजीगत है अथवा आयगत यह इस बात पर निर्भर है कि भुगतान करने वाले के लिए यह राशि पूँजीगत है अथवा आयगत। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि प्राप्तकर्ता के हाथ में यह राशि आयगत है अथवा पूँजीगत।

कर-योग्य आय मालूम करने के लिए सकल आय में से आयगत व्ययों को घटाया जाता है जबकि पूँजीगत व्ययों को नहीं घटाया जाता है। पूँजीगत व्यय अधिनियम में वर्णित परिस्थितियों में ही घटाये जा सकते हैं, जैसे—वैज्ञानिक अनुसन्धान के व्ययों को घटाया जाये।

हानियाँ (Losses) :

हानियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक आयगत और दूसरी पूँजीगत। व्यापार में माल को बेचने से, माल के नष्ट होने से अथवा व्यापार के सम्बन्ध में किसी प्राप्य रकम के वसूल न होने से तथा ऐसे ही अन्य कारणों से होने वाली हानि आयगत हानि कहलाती है। पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में होने वाली हानि पूँजीगत होती है जिसे अन्य पूँजी लाभ से ही समायोजित किया जा सकता है।

व्यापार अथवा पेशे की कर-मुक्त आयें

(1) कृषि आय (Agricultural Income)—इसका विस्तृत वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है।

(2) साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक कार्यों अथवा खेलकूद में कुशलता के लिए अथवा गरीब, कमजोर एवं दुःखी व्यक्तियों की पीड़ा दूर करने के लिए दी गयी सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर दिया गया कोई भुगतान। ऐसा भुगतान चाहे नकद दिया गया हो अथवा वस्तु के रूप में दिया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में कर-मुक्त होगा।

(3) ऐसे उद्देश्यों के लिए जो सार्वजनिक हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, पुरस्कार के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भुगतान। ऐसा भुगतान चाहे नकद दिया गया हो अथवा वस्तु के रूप में दिया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में कर-मुक्त होगा।

(4) खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन, विक्रय अथवा विपणन से किसी संस्था को प्राप्त आय।

(5) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ।

(6) निर्यात के लिये माल बनाने वाले नये स्थापित उद्योगों के लाभ।

वाक्यांश (4) से (6) तक का विस्तृत वर्णन, कर-मुक्त आय वाले अध्याय में किया गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थायें
(Other Important Provisions)

1. धारा 41 के अन्तर्गत कर-योग्य लाभ—इस धारा के अन्तर्गत गत वर्ष में प्राप्त होने वाली उन राशियों पर कर लगाया जाता है जिनके सम्बन्ध में पिछले किसी कर-निर्धारण वर्ष में छूट मिल गई थी। ऐसी राशियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) पिछले किसी गत वर्ष में खर्चे, हानि एवं दायित्व के रूप में स्वीकृत की गई राशि जो गत वर्ष में प्राप्त हो जाये।

(ii) पिछले किसी गत वर्ष में डूबत ऋण के सम्बन्ध में स्वीकृत राशि जो गत वर्ष में प्राप्त हो जाये।

(iii) पिछले किसी गत वर्ष में वैज्ञानिक अनुसन्धान से सम्बन्धित किसी स्थायी सम्पत्ति के सम्बन्ध में छूट मिली हो और गत वर्ष में सम्पत्ति को बेचे जाने पर लाभ होता है। भूतकाल में स्वीकृत छूट की राशि तक व्यापार अथवा पेशे की आय होगी। इससे अधिक प्राप्त होने पर पूँजी-लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा।

2. अंशत. कृषि आय एवं अंशत. व्यापारिक आय—

(i) चीनी मिलों की आय—चीनी की ऐसी मिलों या कारखानों की आय जो स्वयं के खेतों में उत्पादित गन्ने का भी उपयोग करती हैं, अंशतः कृषि आय मानी जाती है। आय-कर नियम, 1962 के नियम-7 के अनुसार ऐसे कारखानों की 'व्यापार अथवा पेशे' शीर्षक की कर देय आय ज्ञात करने के लिए करदाता द्वारा उत्पादित गन्ने का बाजार मूल्य घटा दिया जाता है। परन्तु गन्ने उगाने पर करदाता द्वारा किया गया अन्य कोई व्यय नहीं घटाया जाता है।

(ii) चाय के व्यवसाय की आय—आयकर नियम, 1962 के नियम-8 के अनुसार भारत में चाय उगाकर बेचने से होने वाली आय का 60% कृषि आय एवं 40% कर योग्य व्यापारिक आय मानी जाती है।

3. ठेकेदार एवं उप-ठेकेदार को भुगतान—यदि किसी गैर कम्पनी ठेकेदार व्यक्ति को 20,000 रु. से अधिक रकम के ठेके के सम्बन्ध में भुगतान किया जाता है तो भुगतान करने वाले का यह दायित्व है कि वह देय राशि में से 2% की कटौती उद्‌गम स्थान पर करके शेष राशि का ही भुगतान करे। ठेकेदार को देय राशि ज्ञात करते समय शुद्ध प्राप्त राशि में उद्‌गम स्थान पर की गई कटौती को भी जोड़ दिया जाता है। ठेकेदार के लाभों की गणना ठेकेदार को देय राशि अथवा सकल राशि के आधार पर ही की जाती है। अतः ठेकेदार को प्राप्त शुद्ध राशि दी हुई हो तो उसको सकल बनाया जाना आवश्यक है। गत वर्ष 1996-97 में प्राप्त राशि को निम्न सूत्र द्वारा सकल बनाया जाता है—

$$\text{सकल राशि} = \text{शुद्ध राशि} \times \frac{100}{98}$$

इसी प्रकार ठेकेदार, गैर कम्पनी उप-ठेकेदार को भुगतान करते समय 1% की दर से कटौती करता है। गत वर्ष 1996-97 में यह कटौती 1% की दर से की गई थी। सकल बनाने के लिए निर्म्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है—

$$\text{सकल राशि} = \text{शुद्ध राशि} \times \frac{100}{99}$$

स्पष्टीकरण—विज्ञापन सम्बन्धी कार्य के लिये किसी ठेकेदार को 30-6-1995 के बाद भुगतान किये जाने की दशा में उद्‌गम स्थान पर कटौती 1% की दर से की जायेगी।

4. अधिकार-शुल्क की आय—पुस्तक लेखन सम्बन्धी अधिकार-शुल्क की आय को सामान्यतः अन्य साधनों की आय माना जाता है तथा यह आय उसी शीर्षक में कर-योग्य होती है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस कार्य को पेशे के रूप में करता है तो उस व्यक्ति को प्राप्त अधिकार शुल्क की आय पर व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में ही कर लगाया जायेगा। पुस्तक लिखने के सम्बन्ध में किये गये व्ययों की कटौती सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर

स्वीकृत कर दी जाती है। इस सम्बन्ध में दिनांक 28-9-1977 को पत्र संख्या F. No 204/42/77-IT (A-II) द्वारा जारी प्रशासकीय आदेश निम्न प्रकार हैं—

यदि किसी भारतीय लेखक की रायल्टी से आय 25,000 रु. से कम है तथा उसने खर्चों का विस्तृत लेखा नहीं रखा है तो पुस्तक प्रकाशित होने वाले वर्ष में रायल्टी का 25% अथवा 5,000 रु. (दोनों में जो भी कम हो) की राशि की छूट दी जा सकती है।

5. बीमा कमीशन की आय—यदि ऐसी आय पेशेवर व्यक्ति को प्राप्त होती है तो इस आय पर इस शीर्षक में कर लगाया जायेगा अन्यथा अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगाया जायेगा। यदि बीमा कमीशन की राशि 5,000 रु. से अधिक हो तो भुगतान करने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह ऐसी राशि का भुगतान करने से पूर्व उसमें से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करे तथा शेष राशि का ही भुगतान बीमा एजेन्ट को करे। गत वर्ष 1996-97 के दौरान उद्‌गम स्थान पर कटौती की दर बीमा कमीशन के सम्बन्ध में 10% थी। अतः कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के सम्बन्ध में प्राप्त राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया जायेगा।

6. पेशा सम्बन्धी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये भुगतान—यदि कोई व्यक्ति (एक व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को छोड़कर) किसी निवासी को पेशा सम्बन्धी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रु. से अधिक राशि का भुगतान करता है तो उसका यह दायित्व है कि वह 5% की दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करले। अत: ऐसी राशि को निम्न सूत्र द्वारा सकल बनाया जायेगा—

सकल राशि = शुद्ध राशि या प्राप्त राशि $\times \frac{100}{95}$

7. जीवन बीमा एजेन्ट द्वारा अर्जित कमीशन में से कटौती योग्य खर्चे—यदि कोई जीवन बीमा एजेन्ट उसके द्वारा अर्जित बीमा कमीशन के सम्बन्ध में किये जाने वाले व्ययों का लेखा नहीं रखता है तथा उसका कुल कमीशन 60,000 रु. से कम होता है तो उसे प्रशासकीय आदेशों के अनुसार ऐसे कमीशन में से निम्न प्रकार Adhoc कटौती स्वीकृत की जाती है—

A. यदि प्रथम वर्ष का कमीशन एवं नवीनीकरण का कमीशन अलग-अलग ज्ञात हो :

(i) प्रथम वर्ष के कमीशन पर 50% की कटौती।

(ii) नवीनीकरण के कमीशन पर 15% की दर से कटौती।

B. यदि प्रथम वर्ष का कमीशन एवं नवीनीकरण का कमीशन अलग-अलग ज्ञात नहीं हो—ऐसी स्थिति में कमीशन की सम्पूर्ण राशि पर $33\frac{1}{3}\%$ की दर से कटौती स्वीकृत की जायेगी। सम्पूर्ण कमीशन में बोनस कमीशन शामिल नहीं होगा। यद्यपि बोनस कमीशन भी कर-योग्य होता है। A व B दोनों दशाओं में Adhoc कटौती की राशि 20,000 रु. से अधिक नहीं होगी। (परिपत्र नं. 648 दिनांक 30-3-1993)

स्पष्टीकरण—सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय बचत पत्र-अष्ठम निर्गमन, राष्ट्रीय बचत-योजना, किसान विकास पत्र, सामाजिक सुरक्षा पत्र, पोस्ट ऑफिस के आवर्ती खातों, पोस्ट ऑफिस की मासिक आय खाता योजना एवं पोस्ट ऑफिस के सावधिक जमा खातों में जमा लाने वाले एजेन्ट्स को भी 60,000 रु. से कम कमीशन होने पर यदि वे विस्तृत लेखे नहीं रखते हों तो उनको भी 50% की दर से Adhoc कटौती स्वीकृत की जायेगी। (परिपत्र नं. 594 दिनांक 27-2-1991)

होगी। धारा 44 AA/44AB के तहत मौद्रिक सीमाओं की गणना करते समय भवन निर्माण के व्यापार की सकल प्राप्ति अथवा आय को छोड़ दिया जायेगा।

(vi) उपर्युक्त तरीके से ज्ञात लाभों को करदाता की अन्य आय के साथ मिला दिया जायेगा तथा उसके बाद अध्याय VIA की कटौतियाँ और अध्याय VIII A की कर छूट स्वीकृत की जायेंगी।

(vii) यदि करदाता किसी गत वर्ष में यह कहता है कि उक्त व्यवसाय के लाभ सकल प्राप्तियों के 8% से कम है तो यह योजना लागू नहीं की जायेगी। परन्तु ऐसी स्थिति में करदाता को यह सिद्ध करने के लिए कि उसके लाभ माने गये लाभों से कम हैं, प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कर निर्धारण अधिकारी मामले की छान-बीन करेगा तथा धारा 143 (3) के तहत कर-निर्धारण करेगा।

2. माल वाहक चलाने, किराये से देने अथवा पट्टे पर देने वाले करदाताओं की अनुमानित आय ज्ञात करने की विधि—कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से नई धारा 44 AE जोड़ी गई है। इस धारा का उद्देश्य माल वाहक गाड़ियाँ चलाने वाले करदाताओं की व्यवसाय की आय को ज्ञात करने का सरल तरीका प्रदान करना है। इस धारा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) धारा 44 AE के प्रावधान उन करदाताओं पर लागू होते हैं जिनके स्वामित्व में 10 या कम माल वाहक गाड़ियाँ हैं तथा जो इनको चलाने, किराये से देने अथवा पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी माल वाहक गाड़ी को किराया क्रय पद्धति अथवा किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर खरीदता है तो उसको उस गाड़ी का स्वामी ही माना जायेगा।

(ii) किसी गत वर्ष के माने गये लाभों की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

(अ) प्रत्येक भारी माल वाहक गाड़ी के लिये प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिये 2,000 रु. का लाभ माना जायेगा।

(ब) भारी माल वाहक गाड़ी के अलावा प्रत्येक अन्य गाड़ी के लिए प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए 1,800 रु. का लाभ माना जायेगा।

अथवा

यदि करदाता 'अ' और 'ब' के योग से अधिक लाभ प्रकट करता है तो करदाता द्वारा प्रकट किये गये लाभों को ही व्यापार अथवा पेशे के लाभ माना जायेगा।

टिप्पणी—धारा 44 AD में वर्णित वाक्यांश (iii) से (vii) तक की व्यवस्थाएँ धारा 44 AE के सम्बन्ध में लागू होंगी।

करदाता द्वारा बनाए गए लाभ-हानि खाते के आधार पर कर देय लाभ की गणना

करदाता द्वारा बनाया गया लाभ-हानि खाता आय-कर के दृष्टिकोण से ठीक नही है क्योंकि इसमें निम्नलिखित कमियाँ हो सकती हैं—

(i) ऐसे व्ययों को लिखा गया हो जो स्वीकृत नहीं है अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत है।

(ii) कुछ स्वीकृत व्यय ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लाभ-हानि खाते में नहीं लिखा गया हो।

(iii) कुछ कर-योग्य आयों को इसमें न लिखा गया हो।

(iv) कुछ आयें ऐसी भी हो सकती हैं जो उसमें लिखी गई हों किन्तु व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में न आती हों अथवा पूर्णतया कर-मुक्त हों।

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए करदाता द्वारा बनाए गए लाभ-हानि खाते में उचित संशोधन किया जाना आवश्यक होता है और संशोधन के बाद प्राप्त की गई राशि ही कर-योग्य लाभ अथवा हानि होगी। संशोधन सम्बन्धी विधियाँ निम्नलिखित हैं—

प्रथम विधि :

I. लाभ होने की दशा में, तथा

II. हानि होने की दशा में।

I. लाभ होने की दशा में—

(1) सबसे पहले हम करदाता के लाभ-हानि खाते द्वारा दिखाए गए शुद्ध लाभ को लेंगे और उसमें निम्नलिखित राशियाँ जोड़ देंगे—

(i) वे खर्चे जो पूर्णतया अस्वीकृत हैं।

(ii) करदाता के निजी व्यय।

(iii) वे व्यय जो व्यापार से सम्बन्धित नहीं हैं।

(iv) वे व्यय अथवा हानियाँ जो गत वर्ष से सम्बन्धित नहीं हैं।[1]

(v) पूँजीगत व्यय।

(2) इसके पश्चात् हम लाभ-हानि खाते की Credit Side की ओर देखेंगे और निम्नलिखित मदों को घटा देंगे—

(i) वे आयें जो व्यापार अथवा पेशे की नहीं हैं।

(ii) वे आयें जो गत वर्ष से सम्बन्धित नहीं हैं।

(iii) पूँजी लाभ भले ही ये व्यापार से सम्बन्धित क्यों न हों।

(iv) वे आयें जो पूर्णतया कर-मुक्त हैं।

(3) अन्य समायोजन :

(अ) इसी के साथ-साथ प्रश्न के अन्त में दी गई सूचनाओं एवं टिप्पणियों के आधार पर यह भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसे व्यय तो लाभ-हानि खाते में दिखलाने से नहीं रह गये हैं जो करदाता के व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित हैं तथा जिनको गत वर्ष की कर-देय आय निकालने के लिए घटाया जा सकता है। यदि ऐसे व्यय रह गए हों तो उनको घटा देना चाहिये।

(आ) इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापार से सम्बन्धित कर देय आय लाभ-हानि खाते में दिखाने से रह गई हो तो उसे लाभों में जोड़ दिया जाता है।

उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात् जो राशि आयेगी वह 'व्यापार अथवा पेशे' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय मानी जायेगी।

---

1 वे हानियाँ जो गत वर्ष के पहले किसी वर्ष की हैं उनको पहले तो व्यापार के लाभों की गणना करते समय जोड़ देना चाहिए तथा बाद में 'हानियों की पूर्ति' के नियमों के अनुसार समायोजित करना चाहिए। समायोजन की उपरोक्त बातें उस दशा में लागू होती हैं जब करदाता ने अपनी पुस्तकें व्यापारिक प्रणाली के आधार पर रखी हों। नकदी प्रणाली में कुछ नियम भिन्न होते हैं जिनको इसी अध्याय में पीछे समझाया गया है।

II. हानि होने की दशा में–

हानि होने की दशा में उपरोक्त बातों के लिए संशोधन करने के दो तरीके हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(1) यदि व्यापारी द्वारा बनाए गए लाभ-हानि खाते का परिणाम शुद्ध हानि है तो संशोधन करने के लिए लाभों की दशा में वर्णित जोड़ने वाली मदों को घटा दिया जाता है एवं घटाई जाने वाली मदों को जोड़ दिया जाता है।

(2) व्यापारी द्वारा बनाए गए लाभ-हानि खाते की शुद्ध हानि को ऋणात्मक चिन्ह (–) द्वारा लिख देते हैं तथा जोड़ने एवं घटाने के वे ही नियम रखे जाते हैं जो लाभ की दशा में बताए गए है।

उपरोक्त दोनों तरीकों में से कोईसा भी तरीका अपनाया जा सकता है। संशोधन करने के बाद जो राशि निकाली जायेगी वह राशि कर-देय लाभ अथवा हानि होगी।

द्वितीय विधि :

इस विधि के अनुसार एक समायोजित लाभ-हानि खाता तैयार किया जाता है। इस समायोजित लाभ-हानि खाते के Debit पक्ष में समस्त स्वीकृत व्यय लिख दिये जाते हैं तथा क्रेडिट पक्ष में 'व्यापार अथवा पेशे' शीर्षक की प्राप्तियाँ लिख दी जाती हैं। समायोजित लाभ-हानि खाते का शेष 'व्यापार का लाभ' या 'व्यापार की हानि' होता है।

Illustration 1.

The profit and loss account of Shri Shyam Lal for the year ending 31st March, 1997 is as under–

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री श्यामलाल का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है—

	Rs.		Rs
Salary	13,500	Gross Profit	91,700
Trade Expenses	2,600	Bad debts recovered	1,800
Rent and Rates	2,600	Sundry trade receipt	2,400
Discount and Allowance	1,350	Interest on Debentures of a company (net)	2,700
Advertisements	1,500	Rent from property	1,350
Gifts and Presents	2,150		
Charities	4,400		
Repairs and renewals	1,250		
Life Insurance Premium	3,800		
Interest on capital	3,200		
Bad debts	1,600		
Allowable depreciation	2,000		
Travelling expenses	2,850		
Sales Tax	3,200		
Income Tax reserve	4,500		
Goodwill written off	3,200		
Entertainment Expenses	14,000		

Net profit transferred to Capital account	32,250	
	99,950	99,950

You are required to compute his income from business for the assessment year 1997-98.

आप कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी व्यापार की आय की गणना कीजिए।

Solution :

		Rs.
Net profit as per Profit and Loss Account	Rs.	32,250
Add : Expenses not Allowed :		
Gifts and Presents	2,150	
Charities	4,400	
Life Insurance Premium	3,800	
Income tax reserve	4,500	
Goodwill written off	3,200	
Interest on capital	3,200	
Entertainment Expenses	2,000	23,250
Less : Rent from House Property	1,350	55,500
Interest on Securities	2,700	4050
Income from Business		51,450

टिप्पणी—1. ख्याति व्यापार की सम्पत्ति होती है। इसलिए इससे होने वाली हानि पूँजी हानि की श्रेणी में आती है। इसे व्यापार के लाभों से अपलिखित नहीं किया जा सकता है।

2. मनोरंजन व्यय 10,000 रु. से अधिक होने पर शेष राशि के 50% की ही कटौती दी जाती है। अतः 2,000 रु. अस्वीकृत किये गये हैं।

Illustration 2.

एक व्यापारी को कारण सहित सलाह दीजिए कि उसकी व्यापार अथवा पेशे की आय में से निम्नलिखित मदों के लिए कटौती स्वीकृत हो सकती है अथवा नहीं—

(अ) मृत कर्मचारी की विधवा को पेन्शन।

(आ) चुंगी नियमों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप चुंगी अधिकारियों द्वारा लगाये गये दण्ड से बचने हेतु मुकदमा लड़ने के कानूनी खर्चे।

(इ) करदाता के व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चलाये गये सफल अभियोग पर किया गया व्यय।

(ई) संचालक का यातायात व्यय जो विदेश में एक बड़ी मशीन को क्रय करने की बातचीत के लिए गया था, यह मशीन अगले वर्ष स्थापित की गई।

(उ) कारखाने के पास ही चिकित्सा भवन बनाने का खर्चा, जहाँ आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों का इलाज किया जायेगा।

(ऊ) साझेदारी संलेख लिखवाने के लिए एक वकील को दी गई फीस।

(ए) कर्मचारी को निर्धारित अवधि से पूर्व ही नौकरी से हटाये जाने के परिणामस्वरूप दी गई क्षतिपूर्ति।

(ऐ) चुंगी अधिकारियों को प्रतिबन्धित माल के आयात करने पर दिया गया जुर्माना। ऐसे व्यापार से काफी लाभ होता है।

(ओ) एक व्यक्ति को उसकी ख्याति का प्रयोग करने के लिए दी गई रकम जिसकी गणना विक्रय के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से की जाती है।

(औ) ऐसे व्यापारिक सम्बन्धों को समाप्त करने के लिए किए गये व्यय जिनसे भविष्य में हानि होने की सम्भावना है।

Solution :

(अ) मृत कर्मचारी की विधवा को दी गई पेन्शन स्वीकृत व्यय नही है। ऐसी राशि व्यक्तिगत स्नेह अथवा सहानुभूति के कारण दी गई मानी जाती है। यदि फर्म सभी मृत कर्मचारियों की विधवाओं को पेन्शन देता है, इस आशय से कि अन्य कर्मचारी फर्म की नौकरी में बने रहेंगे, तो ऐसा व्यय स्वीकृत हो सकता है।

(आ) चुंगी नियमों का उल्लंघन करना अवैधानिक कार्य है। इसके कारण दण्ड से बचने के लिए मुकदमा लड़ने के कानूनी व्यय अस्वीकृत होंगे। ऐसे व्यय व्यापार की सामान्य प्रगति के दौरान नहीं किए गए हैं।

(इ) व्यापारिक-चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चलाए गए सफल अभियोग के व्यय स्वीकृत होते हैं। ऐसे व्यय व्यापारिक सम्पत्ति को बनाये रखने से सम्बन्धित होते हैं तथा व्यापार की साधारण प्रगति में किये गये माने जाते हैं।

(ई) ये व्यय अस्वीकृत होंगे क्योंकि ये स्थायी सम्पत्ति के क्रय से सम्बन्धित हैं। ये पूँजीगत व्यय होंगे व स्थायी सम्पत्ति की लागत में शामिल किये जायेंगे।

(उ) इनसे स्थायी सम्पत्ति का निर्माण किया गया है। इन व्ययों की प्रकृति पूँजीगत होने के कारण ऐसे व्यय अस्वीकृत होते हैं।

(ऊ) साझेदारी संलेख लिखवाने के लिए वकील को दी गई फीस अस्वीकृत है। यह पूँजीगत व्यय कहलायेगा। ऐसे व्यय के सम्बन्ध में धारा-35 D के अन्तर्गत प्रारम्भिक व्ययों के रूप में कटौती नही दी जा सकती है। यह व्यय प्रारम्भिक व्ययों के अन्तर्गत नही आता है।

(ए) कर्मचारी को निर्धारित अवधि से पूर्व ही नौकरी से हटाये जाने के परिणामस्वरूप दी गई क्षतिपूर्ति स्वीकृत खर्चा होता है। ऐसा व्यय व्यापार की सामान्य प्रगति के दौरान किया गया समझा जाता है।

(ऐ) प्रतिबन्धित माल को आयात करने के परिणामस्वरूप चुंगी अधिकारियों को चुकाया गया दण्ड या जुर्माना अस्वीकृत व्यय है। प्रतिबन्धित माल को आयात करना एक असंवैधानिक कार्य है।

(ओ) ख्याति के प्रयोग के लिए दी गई रकम स्वीकृत खर्चा है, चाहे भले ही विक्रय के प्रतिशत के रूप में दी गयी हो। यह व्यापार की सामान्य प्रगति में किया गया व्यय है। इसकी प्रकृति रायल्टी के समान है।

(औ) ऐसा व्यय व्यापार की सामान्य प्रगति में किया जाता है, अतः स्वीकृत व्यय है।

Illustration 3.

व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक के लाभों की गणना करने में निम्न मदों से सम्बन्धित आय-कर विधान का कारण सहित उत्तर दीजिए—

(अ) कर के पेशगी भुगतान में कमी के कारण दिया जाने वाला ब्याज।

(ब) सम्पदा कर का भुगतान।
(स) टूटी-फूटी हालत में खरीदी गई मशीनरी के मरम्मत के व्यय।
(द) रोकड़िये द्वारा गबन।
(य) अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को उदारतापूर्वक दी गई राशि।
(फ) एक कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों को दिये गये ऋणों से सम्बन्धित डूबत ऋण।
(ग) श्रमिक नेता को हड़ताल तुड़वाने के लिए दिया गया गुप्त भुगतान।
(ह) राजनीतिक पार्टी को चन्दा।
(ए) नया टेलीफोन लगवाने के खर्चे।
(ज) बैंक जाते समय कर्मचारी को लूट लिये जाने से हानि।

Solution :

(अ) व्यापार के लिए प्राप्त पूँजी अथवा ऋण का ब्याज ही स्वीकृत होता है, पर्याप्त मात्रा में पेशगी कर न चुकाने पर दिया गया ब्याज इस श्रेणी में नहीं आता और इसलिए स्वीकृत व्यय नही है। यह भुगतान धारा-37 के अन्तर्गत भी स्वीकृत व्यय नहीं है क्योंकि यह व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं चुकाया गया है।

(ब) सम्पदा-कर किसी करदाता के स्वामित्व की शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य पर लगता है। ऐसा कर धारा-40 a (iii) के अनुसार स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय है।

(स) टूटी-फूटी हालत में खरीदी गई मशीनरी की मरम्मत के खर्चे स्वीकृत व्यय नहीं हैं, क्योंकि ये खर्चे स्थायी सम्पत्ति की लागत का ही भाग होते हैं और इसीलिए पूँजीगत खर्चों की श्रेणी में आते है।

(द) रोकडिये द्वारा गबन की गई राशि स्वीकृत व्यय है क्योंकि यह हानि व्यापार के दौरान हुई है।

(य) अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को उदारतापूर्वक दी गई राशि स्वीकृत व्यय नहीं है, क्योंकि ऐसी राशि स्नेह के कारण दी जाती है। यदि कोई राशि कर्मचारी की अच्छी सेवाओं के कारण दी जाए तो स्वीकृत व्यय हो सकती है।

(फ) यह हानि स्वीकृत नही है क्योंकि बैंकिग का व्यवसाय करने वाली कम्पनी को अपने ग्राहकों के लिए दिये गये ऋणों से होने वाली हानि स्वीकृत होती है, अन्य कम्पनियों के लिए नही।

(ग) ऐसा व्यय व्यापार के लिए किया गया माना जाता है तथा उसकी छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे भुगतान को सिद्ध कर दिया जाए। अक्सर ऐसे भुगतान सिद्ध नहीं हो पाते हैं और इसलिए अस्वीकृत व्यय होते हैं।

(ह) राजनीतिक पार्टी को दिया गया चन्दा स्वीकृत व्यय नहीं है भले ही इससे व्यापार को कोई लाभ ही क्यों न हो।

(ए) प्रशासकीय आदेश के अनुसार नया टेलीफोन लगवाने के खर्चे स्वीकृत व्यय होते हैं।

(ज) ऐसी हानि स्वीकृत है क्योंकि यह व्यापार के दौरान हुई है।

Illustration 4.

The profit and Loss Account of Shri Sohan Lal for the year ended 31st March, 1997 is as under—

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री सोहनलाल का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है—

	Rs.		Rs
Salaries and wages	6,000	Gross Profit	58,600
Office expenses	2,500	Interest from Govt.	
Household expenses	5,250	Securities (Gross)	3,400
Income-tax	3,200	Commission	1,200
Postage and Telegram	300	Income from sub-letting	2,600
Fire Insurance Premium	750	Dividends (Net)	3,200
Donations	600		
Loss on sale of investment	2,800		
Reserve for bad debts	2,150		
Audit fees	600		
Interest on loans	500		
Depreciation	1,000		
Contribution to Unrecognised P.F.	2,800		
Expenditure on scientific research	4,200		
Commission and brokerage	650		
Provision for depreciation	1,450		
Net profit transferred to Capital account	34,250		
	69,000		69,000

Payment of revenue expenditure of Rs. 600 on the welfare of employees has been included in office expenses

Expenditure on scientific research includes a payment of Rs. 2,400 made to a National laboratory with specific direction that the said sum be used for the scientific research undertaken under a programme approved by the prescribed authority. You are required to compute his income from business for the assessment year 1997-98.

कर्मचारियों के कल्याण के लिए आयगत व्यय की भुगतान की गई 600 रु. की राशि को कार्यालय व्यय में सम्मिलित कर दिया गया है। वैज्ञानिक शोध के व्ययों में राष्ट्रीय प्रयोगशाला को किया गया 2,400 रु. का भुगतान भी सम्मिलित है जो इस विशिष्ट निर्देश के साथ दिया गया है कि इस राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये वैज्ञानिक शोध कार्य के लिये ही किया जाये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी व्यापार से आय की गणना कीजिए।

Solution :

	Rs.	Rs
Net profit as per Profit and Loss Account		34,250
Add : Items disallowed :		
Household expenses	5,250	

Income-Tax	3,200	
Donations	600	
Loss on sale of investment	2,800	
Reserve for bad debts	2,150	
Contribution to U.P.F.	2,800	
Provision for depreciation	1,450	18,250
		52,500
Less : Interest from Govt. securities	3,400	
Income from sub-letting	2,600	
Dividends (Net)	3,200	9,200
		43,300
Less : Extra deduction for scientific research expenses ($2400 \times \frac{25}{100}$)		600
Income from Business		42,700

टिप्पणी—(i) कर्मचारियों के कल्याण के आयगत व्यय स्वीकृत हैं।

(ii) कर निर्धारण वर्ष 1994-95 से राष्ट्रीय प्रयोगशाला को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में 25% की अतिरिक्त कटौती दी जाती है।

Illustration 5.

From the following Profit and Loss Account of a merchant for the year ended 31 March, 1997, find out his income from business for the assessment year 1997-98.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापारी के निम्न लाभ-हानि खाते से उसकी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए व्यापार की आय की गणना कीजिए—

	Rs.		Rs.
Office salaries	6,000	Gross Profit	56,200
General expenses	22,500	Commission	1,200
Fire insurance premium	600	Discount	750
Advertising	2,000	Sundry receipts	100
Interest on capital	1,200	Interest from (Govt.)	
Provision for bad debts	1,500	Securities (Gross)	3,200
Provision for depreciation	2,000	Bad debts recovered	200
Provision for income tax	1,000	Bonous received on Keyman	
Interest on Bank loan	1,400	Insurance Policy	300
Loss on sale of building	1,800		
Sales tax	800		
Postage & Telegrams etc.	500		
Discount and allowance	600		
Net Profit	20,050		
	61,950		61,950

General Expenses include Rs. 11,000 paid for obtaining licence for telecommunication service for 11 years. It also include Rs. 600 given as donation to an educational institution. Actual bad debts written off during

the year amount to Rs. 800 but the Assessing officer was of the view that 25% of the bad debts claimed had become bad two years ago. The amount of depreciation allowable is Rs. 1,200. Advertising expenses include Rs. 1,000. the cost of a new sign board fixed on the shop. The written down value of the building sold was Rs. 10,000. It was sold on 20-2-1997 for Rs 8,200 There was no other asset in this block of assets.

सामान्य व्ययों में दूरसंचार सेवाओं का 11 वर्ष के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये चुकाई गई 11,000 रु की राशि तथा शिक्षण संस्थाओं को दिए गए दान के 600 रु. सम्मिलित हैं। वर्ष में वास्तविक डूबत ऋण 800 रु. अपलिखित किये गये है परन्तु निर्धारण अधिकारि के विचार से डूबत ऋण के दावे की राशि का 25% दो वर्ष पूर्व ही डूब चुका था। स्वीकृत ह्रास 1,200 रुपये है। विज्ञापन व्ययो में 1,000 रु. दुकान पर लगाये गये एक नये 'साईन वोर्ड' का लागत मूल्य सम्मिलित है। बेची गई इमारत का अपलिखित मूल्य 10,000 रु. था। इसे 20-2-1997 को 8,200 रु. में बेचा गया। सम्पत्तियों के इस समूह में अन्य कोई सम्पत्ति नहीं थी।

Solution :

		Rs.	Rs
Net Profit as per Profit & Loss Account			20,050
Add .	Expenses not allowed :		
	Donation to an educational institution	600	
	Interest on capital	1,200	
	Provision for bad debts	1,500	
	Provision for depreciation	2,000	
	Provision for income-tax	1,000	
	Loss on Sale of Building	1,800	
	Telecommunication service licence charges	10,000	18,100
			38,150
Less :	Deduction allowed but not charged ·		
	Bad debts	8,00	
	Depreciation allowance	1,200	2,000
			36,150
Less :	Interest from Govt.Securities not chargeable under the head 'Income from Business'		3,200
	Income from Business & Profession		32,950

टिप्पणी—(1) इमारत की बिक्री से होने वाली हानि अल्पकालीन पूँजी हानि है। यह इस शीर्षक में स्वीकृत नहीं है। चूँकि इस समूह में अन्य कोई सम्पति शेष नहीं है, अत: ह्रास छूट भी स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(2) कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से अपलिखित किये गये डूबत ऋण की ही छूट दी जाती है भले ही ऋण का कोई भाग पूर्व के किसी वर्ष में ही क्यों न डूब गया हो।

(3) प्रतिभूतियों का ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य है।

(4) नये साइन योर्ड की लागत यद्यपि पूंजीगत प्रकृति का व्यय है परन्तु यह विज्ञापन व्यय के रूप में स्वीकृत है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहन मीकीन्स बनाम आयकर

कमिश्नर (1979) 118 ITR101 के मामले में विज्ञापन पर किये गये पूँजीगत व्ययों को भी धारा 37(3) के तहत कटौती योग्य माना है।

(5) दूरसंचार सेवाओं का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए चुकाई गई राशि पूँजीगत व्यय है। इसे 11 समान किस्तों में घटाया जायेगा। अत. इस वर्ष 1,000 रु. स्वीकृत है तथा शेष 10,000 रुपये की राशि वापस जोड़ दी गई है।

Illustration 6.

Given below is the Profit and Loss Account of Sugar Mill company for the year ended 31st March, 1997 :

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चीनी मिल कम्पनी का लाभ-हानि खाता निम्न है—

	Rs.		Rs
Opening stock	1,82,300	Sales	25,51,500
Cost of cane crushed	12,57,700	Sundry receipt	1,06,700
Manufacturing expenses	7,98,500	Closing stock	2,64,000
Wages and salaries	1,50,000		
Repairs and renewals	40,500		
Establishment charges	41,500		
Commission on sales	61,500		
Director's fees	3,700		
Auditor's fees	1,200		
General charges	17,800		
Managing Director's Remuneration	78,500		
Depreciation	1,30,700		
Balance c/d	1,58,300		
	29,22,200		29,22,200
Provision for income-tax	80,000	Balance b/d	1,58,300
General reserve	20,000		
Balance carried to b/s	58,300		
	1,58,300		1,58,300

After taking the following information intc consideration compute the income from business of the company for the assessment year 1997-98.

(i) Cane crushed includes Rs. 1,54,000 cost of cane grown on the company's own farm, the average market price of the same being Rs. 1,96,000.

(ii) Manufacturing expenses include :

(a) Rs. 4,26,000 for excise duty.

(b) Rs 67,000 capital expenditure on a new scientific research laboratory set up during the previous year 1996-97.

(c) Rs. 10,000 current expenditure on above research.

(iii) Establishment charges include Rs. 3,000 paid as compensation to an employee whom it was not desirable to keep in the service of the company.

(iv) Sugar worth Rs. 1,500 was distributed free on the occassion of Republic Day Celebration.

(v) Rs. 20,000 cost of additions to factory building has been charged to repairs and renewals.

(vi) Admissible depreciation amounts to Rs. 98,200

(vii) General charges include Rs. 5,000 for donation to local educational institutions.

(viii) Opening stock is under valued by Rs. 40,000 while closing stock is under valued by Rs. 50,000.

(ix) Sundry receipts include a sum of Rs. 1,00,000 as cash assistance given by the Govt. for exports of sugar to undeveloped countries.

निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कम्पनी की व्यापार से आय की गणना कीजिए—

(i) गन्ना पेरने के खर्चों में कम्पनी के स्वयं के खेतों पर उगाये गये गन्ने की लागत के 1,54,000 रु. भी शामिल हैं। स्वयं के खेतों पर उगाये गये गन्ने का बाजार मूल्य 1,96,000 रु. है।

(ii) निर्माण व्ययों में निम्न शामिल है—

(अ) उत्पादन कर के 4,26,000 रु.।

(ब) गत वर्ष 1996-97 में नई स्थापित की गई वैज्ञानिक शोध प्रयोगशाला के पूँजीगत व्यय 67,000 रु.।

(स) उपरोक्त शोध के सामान्य खर्चे 10,000 रु.।

(iii) संस्थापन व्ययों में 3,000 रु. की एक ऐसे कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई रकम सम्मिलित है, जिसका व्यापार में बना रहना उचित नहीं समझा गया।

(iv) गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर 1,500 रु. की चीनी मुफ्त वितरित की गई।

(v) कारखाना इमारत वृद्धि की लागत 20,000 रु. मरम्मत एवं नवीनीकरण के व्यय में सम्मिलित की गई है।

(vi) स्वीकृत ह्रास 98,200 रु. है।

(vii) सामान्य व्ययों में 5,000 रु. स्थानीय शिक्षण संस्थाओं को दिया गया दान सम्मिलित है।

(viii) प्रारम्भिक रहतिये का मूल्यांकन 40,000 रु. की राशि से कम किया गया है जबकि अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन 50,000 रु. से कम किया गया है।

(ix) विविध प्राप्तियों में अविकसित देशों को किये गये चीनी के निर्यात के लिए सरकार द्वारा दी गई नकद सहायता की राशि 1,00,000 रु. सम्मिलित है।

Solution :

	Rs
Profit as per Profit and Loss Account	1,58,300
Less : Agriculture income (Rs. 1,96,000 – Rs. 1,54,000) included therein	42,000
	1,16,300

Add :	Expenses not allowed :		
	(i) Cost of addition to factory building	20,000	
	(ii) Excess depreciation	32,500	
	(iii) Donation	5,000	57,500
			1,73,800
Add :	Value of sugar distributed free and not shown in the Profit & Loss Account		1,500
			1,75,300
Add :	Difference in stock valuation		10,000
	Income from Business		1,85,300

टिप्पणी—(1) अवांछनीय कर्मचारी को निकालने पर दी गई क्षतिपूर्ति की रकम स्वीकृत खर्चा है।

(2) वैज्ञानिक अनुसंधान के पूँजीगत व्यय भी स्वीकृत होते हैं।

(3) चूँकि लाभ-हानि खाते के द्वारा प्रदर्शित लाभ लिया गया है, अतः आयकर के लिए आयोजन तथा सामान्य संचय की राशियों को वापिस नहीं जोड़ा गया है।

(4) अविकसित देशों को चीनी के निर्यात के लिए सरकार द्वारा नकद दी गई सहायता व्यापार अथवा पेशे की आय के रूप में ही कर योग्य है। चूँकि इसे लाभ-हानि खाते में सम्मिलित कर लिया गया है, अतः अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया जाना—पेशेवर व्यक्ति अपने बहीखाते रोकड़ी प्रणाली पर रखते हैं। ऐसे करदाताओं का वर्ष भर में नकदी लेन-देनों का लेखा इसमें किया जाता है। ऐसी स्थिति में अदत्त व्ययों की कटौती नहीं दी जाती है। इसके विपरीत भुगतान किये गये व्ययों की कटौती दी जाती है, चाहे भले ही वह अगले वर्ष के लिए ही क्यों न हो। इसी प्रकार नकदी में प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाता है।

Illustration 7.

Mr. Desai is Practising as Chartered Accountant. He also runs a Private Accountancy coaching institute. He keeps his books on cash basis and his summarised cash account for the year ending 31st March, 1997 is as under.

श्री देसाई चार्टर्ड एकाउन्टेट के रूप में कार्य करते हैं। वे एक निजी प्रशिक्षण संस्था भी चलाते हैं। वे अपनी पुस्तकें 'नकद प्रणाली' विधि पर रखते हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उनका संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न है—

	Rs.		Rs.
To balance b/d	9,400	By Office expenses	4,100
" Audit fees	28,700	" Institute expenses	900
" Income from other Accountancy work	5,500	" Membership and certificate fees	200
" Institute fees	2,100	" Life Insurance Premium	5,400
" Examiner's fees	1,600	" Income tax	3,200

(2) स्वीकृत ह्रास में पुस्तकों का ह्रास 200 रु., फर्नीचर का 1,000 रु. एवं नई कार का 1,650 रु. शामिल है। पुरानी कार पर ह्रास छूट नहीं दी जायेगी। पुरानी कार का अलग समूह था। उस समूह में कार का विक्रय कर दिये जाने से अब उस समूह में कोई सम्पत्ति शेष नहीं है। पुरानी कार के विक्रय से अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।

(3) प्रतिभूतियों का ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य है।

Illustration 8.

Shri Ram Manohar is a registered medical practitioner. He keeps his books on cash basis and his summarised cash account for the year ended 31st March, 1997 is as under :

श्री राममनोहर एक पंजीकृत चिकित्सक हैं। वे अपनी लेखा-पुस्तकें रोकड़ी आधार पर रखते हैं। 31मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनके रोकड़ खाते का संक्षेप निम्न प्रकार है—

	Rs.			Rs.
To Balance b/d	5,850	By Cost of Medicines		12,000
To Loan from Bank	10,000	By Books purchased		6,000
To Sale of Medicines	26,500	By General Expenses		450
To Consultation Fees	16,000	By Motor Car Expenses		6,000
To Visiting Fees	9,000	By Salaries		1,200
To Rent from House Property	8,000	By Rent of Dispensary		2,400
		By Telephone Expenses		500
To Gift from Father-in-Law	8,600	By Personal Expenses		1,600
		By Life Insurance Premium		2,500
		By Interest on Loan from Bank		200
		By Insurance Premium		
		Car	700	
		House Property	500	1,200
		By Local Taxes		800
		By Travelling Expenses (Personal)		1,000
		By Charity		100
		By Balance c/d		48,000
	83,950			83,950

Compute his Taxable income from various Heads for the assessment year 1997-98 taking into account the following further information :

(a) One-half Motor car expenses are in respect of his personal use.

(b) The following expenses were unpaid on 31st March, 1997 :

(i) Rent of dispensary for 4 months Rs. 1,200

(ii) Telephone Bills Rs. 280

(c) Consultation fees include a receipt of Rs. 6,000 as advance for attending a medical camp in April, 1997.

(d) The written down value of Motor car on 1-4-1996 was Rs. 21,200 It was purchased after 31-3-1990.

(e) books have been purchased for professional use.

निम्नांकित अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी 1997-98 कर-निर्धारण वर्ष की विभिन्न शीर्षकों की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(अ) मोटरकार के खर्चों का 1/2 भाग उनके व्यक्तिगत प्रयोग के सम्बन्ध में है।

(ब) 31 मार्च, 1997 को निम्न व्यय अदत्त रहे—

(i) डिस्पैन्सरी का चार माह का किराया 1,200 रु.

(ii) टेलीफोन के बिल 280 रु.

(स) परामर्श शुल्क में 6,000 रु. की ऐसी राशि सम्मिलित है जो अप्रैल, 1997 में एक चिकित्सा शिविर में जाने हेतु पेशगी प्राप्त की गई।

(द) 1-4-1996 को मोटरकार का अपलिखित मूल्य 21,200 रु.था। इसे 31 मार्च 1990 के बाद क्रय किया गया था।

(य) पुस्तकें पेशे सम्बन्धी उपयोग के लिये क्रय की गई हैं। *(राज.बी.काम, 1987)*

Solution :

Statement of Taxable income from Various Heads of Shri Ram Manohar for the Assessment Year 1997-98

		Rs.	Rs.	Rs
Income from House Property :				
	Rent Received assumed to be greater than Municipal Valuation		8,000	
Less :	Local Taxes		800	
	Annual Value		7,200	
Less :	$\frac{1}{5}$ Repairs Alllowance	1,440		
	Insurance Premium	500	1,940	5,260
Income from Business or Profession :				
	Gross Professional Earnings :			
	Sale of Medicines	26,500		
	Consultation fees	16,000		
	Visiting fees	9,000	51,500	
Less :	Expenses allowed :			
	Cost of Medicines	12,000		
	General Expenses	450		
	$\frac{1}{2}$ Motor Car Expenses	3,000		
	Salaries	1,200		
	Rent of Dispensary	2,400		
	Telephone Expenses	500		
	Interest on Loan	200		
	$\frac{1}{2}$ Insurance Premium for Car	350		
	$\frac{1}{2}$ Depreciation on Car @			

(20% of W.D.V.)	2,120		
Depreciaition on books			
(@ 100% on Rs. 6,000)	6,000	28,220	23,280

टिप्पणी—(i) चूँकि श्री राममनोहर अपनी पुस्तकें रोकड़ी आधार पर रखते हैं, अतः इनकी सकल प्राप्तियों में से वास्तविक रूप में भुगतान किये गये व्ययों की ही कटौती दी जायेगी। अदत्त व्ययों के लिए कटौती नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार अगले वर्ष शिविर में जाने हेतु जो आय पहले से ही प्राप्त हो गई है, वह भी इसी वर्ष कर-योग्य होगी तथा इसे सकल प्राप्तियों में से घटाया नहीं जायेगा।

(ii) ससुर से प्राप्त भेंट कर-मुक्त है, इसे किसी भी शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार व्यक्तिगत व्यय, जीवन बीमा प्रीमियम, निजी यात्रा व्यय, धर्मादा आदि व्यय किसी भी शीर्षक कीआय में कटौती योग्य नहीं होंगे। कार के व्यक्तिगत प्रयोग के खर्च भी कटौती-योग्य नहीं होंगे।

(iii) कार पर ह्रास की दर 20% है, अतः 21,200 रु. पर 20% से 4,240 रु. का ह्रास बनता है। इसका 50% ही व्यापार अथवा पेशे की आय में से घटाया जा सकेगा। पेशे सम्बन्धी उपयोग के लिये क्रय की गई पुस्तकों पर ह्रास छूट 100% की दर से दी जाती है।

Illustration 9.

The Profit and Loss Account of a Company for the year ended on 31st March, 1997 is as under—

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक कम्पनी का लाभ हानि खाता निम्न है—

	Rs.		Rs.
Opening stock	2,75,000	Sales	40,84,500
Purchases	27,80,000	Rent of staff quarters	18,750
Railway freight, octroi etc.	3,00,000	Closing stock	4,24,750
Salaries and wages	2,05,000		
Director's fees	3,000		
Audit fees	2,500		
Legal expenses	25,000		
Repairs to building and machinery	7,000		
Staff welfare expenses	5,000		
General charges	12,500		
Interest paid	1,25,000		
Provision for bad debts	2,500		
Depreciation	25,000		
Managing Director's remuneration	15,000		
Debenture redemption fund account	12,500		
Provision for taxation	3,00,000		

General Reserve	50,000	
Proposed dividend	3,00,000	
Balance Carried forward	83,000	
	45,28,000	45,28,0

You are required to compute the taxable income from business of company for the assessment year 1997-98 after taking the followi information into consideration—

(1) A sum of Rs. 2,500 on account of liability for commission forego by a creditor has been carried direct to a special reserve. The amount ha already been charged in last year's Profit and Loss Account.

(2) General charges include—

(i) Rs. 5,000 for insurance premium of staff quarters.

(ii) Rs. 1,500 for repairs of staff quarters.

(iii) Rs. 1,500 for municipal taxes of staff quarters.

(iv) Rs. 500 for charitable donations.

(3) Staff welfare expenses include Rs. 750 being cost of a pucca wel constructed for the use of the employees.

(4) Legal expenses include Rs. 11,000 paid to an advocate for i income tax appeal and Rs. 1,000 paid to a lowyer to defend a case agai managing director for smuggling goods from Pakisthan.

(5) Repairs to business premises include Rs. 5,000 cost of additions business premises.

(6) Managing Director's remuneration include Rs. 4,000 paid ex-managing Director for bonus.

(7) Interest paid include Rs. 2,000 being the payment of commissi for raising the loan for the company.

(8) The assessee has deposited a sum of Rs. 1,00,000 with the Natio Bank in Tea Deposit Account during the previous year and his busine fulfills the required conditions of section 33-AB.

निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए ए एक कम्पनी की व्यापार से कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(1) एक लेनदार ने कम्पनी को 2,500 रु. छोड़ दिये जो कि वह कमीशन के कम्पनी से माँगता था। कम्पनी ने यह राशि पिछले वर्ष के आय-व्यय खाते में लिख परन्तु अब यह राशि एक विशेष संचय खाते में ले जाई गई है।

(2) सामान्य व्ययों में निम्न शामिल हैं—

(i) स्टाफ क्वार्टर्स का बीमा प्रीमियम 5,000 रु.।

(ii) स्टाफ क्वार्टर्स की मरम्मत के 1,500 रु.।

(iii) स्टाफ क्वार्टर्स का नगरपालिका कर 1,500 रु.।

(iv) पुण्यार्थ दान 500 रु.।

(3) कल्याण सम्बन्धी खर्चों में 750 रु. कम्पनी के श्रमिकों के प्रयोग के लिए बन्दे एक पक्के कुए की लागत के शामिल किए गए हैं।

(4) कानूनी व्यय में 11,000 रु. एक वकील को आय-कर अपील सम्बन्धी मुकदमा लड़ने के लिए दी गई फीस सम्मिलित है तथा 1,000 रु. प्रबन्ध संचालक को पाकिस्तान में तस्करी का माल भेजने के सम्बन्ध में दी गई सजा से सम्बन्धित हैं।

(5) भवन की मरम्मत में 5,000 रु. व्यापारगृह में वृद्धि की लागत के सम्मिलित किए गए हैं।

(6) प्रबन्ध संचालक के पारिश्रमिक में 4,000 रु. एक भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक को दिया गया बोनस शामिल है।

(7) चुकाये गये ब्याज में 2,000 रु. कम्पनी के व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करने की दलाली शामिल है।

(8) करदाता ने गत वर्ष के दौरान 1,00,000 रु. राष्ट्रीय बैंक के पास चाय विकास खाते में जमा करवाये तथा उसका व्यवसाय धारा 33-AB की आवश्यक शर्तें पूरी करता है।

Solution :

Computation of Business Income of a Company

	Rs.	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		83,000
Add : Expenses not allowed :		
(i) Reserve for Bad Debts	2,500	
(ii) Debentures Sinking Fund	12,500	
(iii) Taxation Reserve	3,00,000	
(iv) General Reserve	50,000	
(v) Proposed Dividends	3,00,000	
(vi) Trading liability for–gone by a creditor u/s 41(1)	2,500	
(vii) Charitable Donations	500	
(viii) Cost of pucca well being Capital Expenditure	750	
(ix) Payment of ex-managing Director	4,000	
(x) Additions to premises – Capital Expenditure	5,000	6,77,750
		7,60,750
Less : Regarding deposit in National Bank u/s 33 (AB)		1,00,000
Taxable Income from Business		6,60,750

टिप्पणी—(1) यह मान लिया गया है कि स्टाफ को क्वार्टर्स किराये पर देना कम्पनी के व्यापार के लिए लाभप्रद है। अत: प्राप्त किराया व्यापार की आय माना गया है तथा सम्बन्धित खर्चे स्वीकृत माने गये हैं।

(2) करदाता के व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करने के खर्चे स्वीकृत व्यय होते हैं।

(3) संचालकों एवं कर्मचारियों को दण्डनीय अभियोग से बचाने के व्यय स्वीकृत व्यय होते हैं।

(4) भूतपूर्व संचालक चूँकि कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता अतः उसे दिया गया बोनस स्वीकृत व्यय नहीं होता है।

(5) डूबत ऋण संचय, ऋणपत्र शोधन कोष, कर-संचय, सामान्य संचय एवं प्रस्तावित लाभांश आय का नियोजन कहलाता है। अतः यह राशियाँ अस्वीकृत होती हैं।

(6) कर-निर्धारण की कार्यवाही या अपील आदि के व्यय की सम्पूर्ण राशि कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से स्वीकृत होती है।

(7) राष्ट्रीय बैंक के पास जमा कराई गई राशि गणना किए गए लाभों का 20% से कम है, अतः सम्पूर्ण राशि की कटौती दी गई है।

Illustration 10.

The Profit & Loss account of a merchant for the year ended 31st March, 1997 is as follows :

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापारी का लाभ-हानि खाता निम्नांकित है—

	Rs.		Rs.
Salaries (including proprietor's salary of Rs. 8,400)	17,000	Gross Profit	55,850
Office expenses	1,600	Interest from securities	1,490
Reserve for B.D.	2,000	Bad Debts recovered	1,200
Fire Insurance Premium	1,000	Sundry trade receipts	800
Bed debts	3,000	Rent from sub-letting	2,500
Rent	2,400	Govt.Grant repayable in 20 years	8,000
Advertising	1,200	Income tax refund	2,000
Income tax	2,500		
Discount	1,800		
Loss on sale of furniture	3,600		
Interest on Bank loan	1,500		
Interest on Capital	1,600		
Depreciation	3,200		
Goodwill written off	2,400		
Travelling expenses	1,200		
Loss through fire of stock-in-trade	2,000		
Contribution to *Unrecognised P.F.*	2,500		
Charitable Donations	1,000		
Net Profits	20,340		
Total	71,840		71,840

The written down value of furniture on 1-4-1996 was Rs. 20,000. Half of the furniture was sold for Rs. 6,400 and loss of Rs. 3,600 was transferred to Profit and Loss Account. The amount of depreciation charged to Profit

and Loss Account includes the depreciation of remaining furniture of Rs 10,000 @ 10%

1-4-1996 को फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 20,000 रु. था। आधा फर्नीचर 6,400 रु. में बेच दिया गया एवं 3,600 रु. की हानि लाभ-हानि खाते में हस्तान्तरित कर दी। लाभ-हानि खाते में लिखी गई ह्रास की राशि में बचे हुए 10,000 रु. के फर्नीचर का 10% की दर से ह्रास सम्मिलित है।

(Vikram Uni. B. Com. 1992)

Solution :

Computation of Business Income

	Rs.	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		20,340
Add . Item disallowed .		
Proprietor's salary	8,400	
Reserve for B.D.	2,000	
Income tax	2,500	
Interest on Capital	1,600	
Goodwill written off	2,400	
Contribution to U.P.F.	2,500	
Charitable donation	1,000	
Loss on sale of furniture	3,600	24,000
		44,340
Less . Income taxable in other heads :		
Interest from Securities	1,490	
Rent from sub-letting	2,500	3,990
		40,350
Less . Govt. grant repayable	8,000	
Income tax refund	2,000	10,000
		30,350
Less . Extra depreciation allowable on furniture		360
Business Income		29,990

टिप्पणी—(1) फर्नीचर की बिक्री से हानि अस्वीकृत है। 20,000 रु. के फर्नीचर में से बिक्री राशि 6,400 रु. घटाकर 13,600 रु. के अपलिखित मूल्य पर 10% की दर से 1,360 रु. का ह्रास स्वीकृत होगा। 1,000 रु. की राशि पहले ही ह्रास में लिखी जा चुकी है अतः शेष 360 रु. का अतिरिक्त ह्रास स्वीकृत किया गया है।

(2) व्यापारिक स्कन्ध की अग्नि से हानि आयगत हानि है, अतः स्वीकृत है।

(3) अप्रमाणित प्रा. फण्ड में दिया गया अंशदान स्वीकृत नहीं है।

(4) वापस करने योग्य सरकारी अनुदान पूँजीगत प्राप्ति है, अतः कर-योग्य नहीं है।

(5) प्रतिभूतियों का ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य है।

Illustration 11.

Find out the taxable income from House property and business of Shri Radha Mohan from the following particulars :

निम्न विवरण से श्री राधामोहन की मकान सम्पत्ति एवं व्यापार से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए—

Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1997

	Rs.		Rs.
Interest	1,800	Gross profit	1,22,700
Repairs and Renewals	2,200	Interest on	
Insurance	4,200	Debentures (Gross)	10,000
Depreciation	5,600	Rent of House	
Compensation	10,300	Property	36,000
Expenses of Know-How	30,000		
Law Charges	5,000		
Labour Welfare expenses	3,800		
Subscription	5,800		
Net Profit	1,00,000		
	1,68,700		1,68,700

1. (i) ब्याज में 200 रु. ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए, लिये गए ऋण पर ब्याज के तथा 300 रु. किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति के नवीनीकरण के लिए प्राप्त ऋण पर ब्याज के सम्मिलित हैं।

(ii) मरम्मत व नवीनीकरण व्ययों के 40% मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं।

(iii) ह्रास में 1,200 रु. मकान सम्पत्ति के ह्रास के सम्मिलित हैं। शेष राशि करदाता के व्यापार में प्रयोग की गई प्लाण्ट एवं मशीन तथा मोटरकार से सम्बन्धित है। 1-4-1996 को मशीन का अपलिखित मूल्य 9,000 रु. था तथा मोटरकार का अपलिखित मूल्य 17,400 रु. था। मोटरकार को 1-10-1996 को 16,000 रु. में बेच दिया गया था। ह्रास दर के लिए दोनों सम्पत्तियाँ एक ही समूह में आती हैं।

(iv) क्षतिपूर्ति की राशि एक ऐसे कर्मचारी को दी गई थी जिसका हटाना व्यापार के हित में था।

(v) बीमा में 30% किराये पर दी गई मकान सम्पत्ति पर अग्नि बीमे के तथा 30% कर्मचारी दुर्घटना बीमे के हैं तथा शेष जीवन बीमे के हैं।

(vi) कानूनी व्ययों में प्रसंविदे को भंग करने के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों से सम्बन्धित 2,000 रु. हैं तथा शेष आय-कर की अपील से सम्बन्धित हैं।

(vii) चन्दे में 2,000 रु. राजनैतिक दलों को चुनाव कार्य के लिए दी गई राशि सम्मिलित है। शेष राशि व्यापारिक संघ को दी गई है।

2. निम्न राशियाँ लाभ-हानि खाते में नाम नहीं लिखी गई हैं—

(i) दीपावली पर किये गये व्यय 500 रु.।

(ii) तिजोरी से नकद रुपयों की चोरी 1,500 रु.।

(iii) व्यापार में नया टेलीफोन लगाने के व्यय 8,000 रु.।

3. 'Know-how' पर व्यय की गयी 30,000 रु. की राशि करदाता के व्यापार के लिए सहायक औद्योगिक सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित है। यह एकमुश्त भुगतान है तथा इस पर धारा-35 AB लागू होती है।

(3) तिजोरी से चोरी के कारण हानि स्वीकृत होती है। (इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा सूर्या सुगर मिल प्रा. लिमिटेड के मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार)

(4) तकनीकी ज्ञान की एक-मुश्त राशि का $\frac{1}{6}$ भाग ही स्वीकृत किया गया है।

(5) आय-कर अपील के व्यय स्वीकृत होते हैं।

(6) ह्रास की गणना के लिए सर्वप्रथम कार एवं मशीन का अपलिखित मूल्य जोड़ लिया जायेगा। इस योग में से मोटरकार के विक्रय से प्राप्त राशि घटा दी जायेगी। शेष राशि 10,400 रु. पर 25% की दर से 2,600 रु. ह्रास स्वीकृत होगा। पुस्तकों में इनका ह्रास 5,600 – 1,200 = 4,400 रु. दिखाया गया है। अत: 4,400 रु.– 2,600 रु. = 1,800 रु. की राशि अस्वीकृत की गई है। किराये पर उठाये गये मकान का ह्रास 1,200 रु. अलग से अस्वीकृत किया गया है।

Illustration 12.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री महेश के निम्न लाभ-हानि खाते से मकान सम्पत्ति एवं व्यापार की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

Compute taxable income from House Property and Business of Mahesh *from the following Profit and Loss Account for the year ended* 31st March, 1997 :

	Rs.		
Salaries and Commission	4,60,000	Gross Profit b/f	32,40,[illegible]
Advertisement expenses	68,000	Profit on sale of Import Entitlement Licence	3,00,[illegible]
Entertainment expenses	20,000	Interest received on Govt. Securities	90,[illegible]
Preliminary expenses	48,000	Rent from House property	70,[illegible]
Travelling expenses	35,000		
Labour welfare Exp.	42,000		
Rural Development Exp.	18,000		
Interest	40,000		
Sundry Expenses	60,000		
Net Profit	29,09,000		
	37,00,000		37,00,0[illegible]

(i) एक कर्मचारी को 8,500 रु. प्रतिमाह तथा दूसरे कर्मचारी को 9,000 रु. प्रति[illegible] वेतन दिया गया है।

(ii) विज्ञापन व्ययों का 50% भाग भारत के बाहर विज्ञापन से सम्बन्धित है।

(iii) 31 मार्च, 1997 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 1 करोड़ 20 ल[illegible] रुपये है। मशीनों की लागत 15,00,000 रु. है। स्वीकार्य ह्रास 7,00,000 रु. है।

(iv) यात्रा व्यय में 40% बिक्री बढ़ाने के लिए भारत से बाहर जाने पर व्यय किए गए हैं।

(v) श्रम कल्याण व्ययों में 12,000 रु. अनुमोदित ग्रेच्युइटी कोष में दिया गया अंश[illegible] सम्मिलित है।

(vi) ग्रामीण विकास व्यय में 8,000 रु. ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम के लि[illegible] अनुमोदित संघ को किया गया भुगतान सम्मिलित है।

(vii) प्रारम्भिक व्यय पर कुल राशि 4,80,000 रु. व्यय की गई जिसमे से $\frac{1}{10}$ इस वर्ष अपलिखित किया गया है।

(viii) ब्याज की राशि में 20,000 रु. की राशि ऐसी है जिसका भुगतान जापान में किया गया है, जिस पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है। 15,000 रु. का ब्याज सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करने हेतु उधार लिए गए ऋण पर चुकाया गया है। शेष राशि मकान की मरम्मत हेतु लिए गए ऋण से सम्बन्धित है।

(ix) विविध व्ययों में निम्न शामिल हैं :

(a) प्रतिभूतियों के ब्याज संग्रह के खर्चे 2,000.रु.

(b) किराये पर उठायी गयी सम्पत्ति का नगरपालिका कर 4,000 रु.

(c) उपरोक्त मकान सम्पत्ति का बीमा प्रीमियम 1,000 रु.।

(x) महेश ने वित्तीय वर्ष 1995-96 में नया कारखाना स्थापित किया था। इस कारखाने में उत्पादन 1 अप्रैल, 1996 को आरम्भ हुआ और करदाता ने समस्त निर्मित माल का निर्यात किया। इस व्यवसाय से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय की गई 4,50,000 रु. की राशि 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते में नाम लिखी गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

एक अनुसन्धान अधिकारी को 10,000 रु. प्रतिमाह वेतन 1,20,000 रु; अनुसन्धान हेतु प्रयुक्त सामग्री 70,000 रु; अनुसन्धान अधिकारी को मुफ्त भोजन की सुविधा पर व्यय 10,000 रु; प्रयोगशाला का किराया 80,000 रु; अनुसन्धान हेतु क्रय की गई मशीन 70,000 रु. तथा प्रयोगशाला व्यय 1,00,000 रु.।

(i) An employee has been paid salary at Rs. 8,500 p.m and another employee has been paid at Rs. 9,000 p.m.

(ii) 50 percent of advertisement expenses relate to advertisement outside India.

(iii) The actual cost of fixed assets on 31st March, 1997 is Rs. 1.20 crore. The actual cost of machinery is Rs. 15,00,000. Allowable depreciation is Rs. 7,00,000.

(iv) 40 percent of the travelling expenses have been incurred for going outside India for increasing sales

(v) Labour welfare expenses include Rs. 12,000 contribution to an approved gratuity fund.

(vi) Rural development expenses include Rs. 8,000 contribution to an approved association for Rural Development approved Programme.

(vii) The total amount spent on Preliminary expenses was Rs. 4,80,000 out of which $\frac{1}{10}$th has been written off during this year.

(viii) Rs. 20,000 of interest has been paid in Japan; no tax has been deducted at source on it. Rs. 15,000 has been paid for a loan taken to purchase Govt. Securities. Remaining amount relate to a loan taken for repairs of house property.

(ix) Sundry expenses include –

(3) तिजोरी से चोरी के कारण हानि स्वीकृत होती है। (इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वा सूर्या सुगर मिल प्रा. लिमिटेड के मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार)

(4) तकनीकी ज्ञान की एक-मुश्त राशि का $\frac{1}{6}$ भाग ही स्वीकृत किया गया है।

(5) आय-कर अपील के व्यय स्वीकृत होते हैं।

(6) ह्रास की गणना के लिए सर्वप्रथम कार एवं मशीन का अपलिखित मूल्य जोड़ लिया जायेगा। इस योग में से मोटरकार के विक्रय से प्राप्त राशि घटा दी जायेगी। शेष राशि 10,40 रु. पर 25% की दर से 2,600 रु. ह्रास स्वीकृत होगा। पुस्तकों में इनका ह्रास 5,600 – 1,20 = 4,400 रु. दिखाया गया है। अतः 4,400 रु. – 2,600 रु. = 1,800 रु. की राशि अस्वीकृ की गई है। किराये पर उठाये गये मकान का ह्रास 1,200 रु. अलग से अस्वीकृत किया गया है।

Illustration 12.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री महेश के निम्न लाभ-हानि खा से मकान सम्पत्ति एवं व्यापार की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

Compute taxable income from House Property and Business of Sh Mahesh from the following Profit and Loss Account for the year ende 31st March, 1997:

	Rs.		Rs
Salaries and Commission	4,60,000	Gross Profit b/f	32,40,00
Advertisement expenses	68,000	Profit on sale of Import Entitlement Licence	3,00,00
Entertainment expenses	20,000	Interest received on Govt. Securities	90,00
Preliminary expenses	48,000	Rent from House property	70,00
Travelling expenses	35,000		
Labour welfare Exp.	42,000		
Rural Development Exp.	18,000		
Interest	40,000		
Sundry Expenses	60,000		
Net Profit	29,09,000		
	37,00,000		37,00,00

(i) एक कर्मचारी को 8,500 रु. प्रतिमाह तथा दूसरे कर्मचारी को 9,000 रु प्रतिमा वेतन दिया गया है।

(ii) विज्ञापन व्ययों का 50% भाग भारत के बाहर विज्ञापन से सम्बन्धित है।

(iii) 31 मार्च, 1997 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 1 करोड़ 20 ला रुपये है। मशीनों की लागत 15,00,000 रु. है। स्वीकार्य ह्रास 7,00,000 रु. है।

(iv) यात्रा व्यय में 40% बिक्री बढ़ाने के लिए भारत से बाहर जाने पर व्यय किए गए हैं।

(v) श्रम कल्याण व्ययों में 12,000 रु. अनुमोदित ग्रेच्युइटी कोष में दिया गया अं सम्मिलित है।

(vi) ग्रामीण विकास व्यय में 8,000 रु. ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम के लि अनुमोदित संघ को किया गया भुगतान सम्मिलित है।

(vii) प्रारम्भिक व्यय पर कुल राशि 4,80,000 रु. व्यय की गई जिसमें से $\frac{1}{10}$ इस वर्ष अपलिखित किया गया है।

(viii) ब्याज की राशि में 20,000 रु. की राशि ऐसी है जिसका भुगतान जापान में किया गया है, जिस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है। 15,000 रु. का ब्याज सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करने हेतु उधार लिए गए ऋण पर चुकाया गया है। शेष राशि मकान की मरम्मत हेतु लिए गए ऋण से सम्बन्धित है।

(ix) विविध व्ययों में निम्न शामिल हैं :

(a) प्रतिभूतियों के ब्याज संग्रह के खर्चे 2,000 रु.

(b) किराये पर उठायी गयी सम्पत्ति का नगरपालिका कर 4,000 रु.

(c) उपरोक्त मकान सम्पत्ति का बीमा प्रीमियम 1,000 रु.।

(x) महेश ने वित्तीय वर्ष 1995-96 में नया कारखाना स्थापित किया था। इस कारखाने में उत्पादन 1 अप्रैल, 1996 को आरम्भ हुआ और करदाता ने समस्त निर्मित माल का निर्यात किया। इस व्यवसाय से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय की गई 4,50,000 रु. की राशि 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते में नाम लिखी गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

एक अनुसन्धान अधिकारी को 10,000 रु. प्रतिमाह वेतन 1,20,000 रु; अनुसन्धान हेतु प्रयुक्त सामग्री 70,000 रु; अनुसन्धान अधिकारी को मुफ्त भोजन की सुविधा पर व्यय 10,000 रु; प्रयोगशाला का किराया 80,000 रु; अनुसन्धान हेतु क्रय की गई मशीन 70,000 रु. तथा प्रयोगशाला व्यय 1,00,000 रु.।

(i) An employee has been paid salary at Rs. 8,500 p m. and another employee has been paid at Rs. 9,000 p.m.

(ii) 50 percent of advertisement expenses relate to advertisement outside India.

(iii) The actual cost of fixed assets on 31st March, 1997 is Rs. 1.20 crore. The actual cost of machinery is Rs 15,00,000. Allowable depreciation is Rs. 7,00,000.

(iv) 40 percent of the travelling expenses have been incurred for going outside India for increasing sales.

(v) Labour welfare expenses include Rs. 12,000 contribution to an approved gratuity fund.

(vi) Rural development expenses include Rs. 8,000 contribution to an approved association for Rural Development approved Programme.

(vii) The total amount spent on Preliminary expenses was Rs. 4,80,000 out of which $\frac{1}{10}$th has been written off during this year.

(viii) Rs. 20,000 of interest has been paid in Japan; no tax has been deducted at source on it. Rs. 15,000 has been paid for a loan taken to purchase Govt. Securities. Remaining amount relate to a loan taken for repairs of house property.

(ix) Sundry expenses include—

(i)	Depreciation	7,00,000	
(ii)	Expenditure on Scientific Research debited as last year's Profit & Loss Account	2,60,000	9,60,000
			18,69,000

टिप्पणी—(1) किसी कर्मचारी को 7,500 रु. प्रतिमाह से अधिक दिया गया वेतन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से अस्वीकृत नहीं होता है।

(2) आयात करने हेतु स्वीकृत लाइसेन्स की बिक्री से प्राप्त लाभ व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक के अन्तर्गत ही कर-योग्य है। चूँकि इसे व्यापार अथवा पेशे की आय में ही सम्मिलित कर लिया गया है, अतः कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(3) भारत के बाहर चुकाया गया ब्याज अस्वीकृत किया गया है। प्रतिभूति एवं मकान सम्पत्ति के व्ययों को वापिस जोड़ा गया है तथा मकान सम्पत्ति के व्ययों की कटौती मकान सम्पत्ति के शीर्षक में दी गई है।

(4) प्रारम्भिक व्यय आयोजन लागत के $2\frac{1}{2}\%$ तक कटौती योग्य होंगे। 1.20 करोड़ का $2\frac{1}{2}\%$ 3,00,000 रु. ही कटौती योग्य होगा। यह राशि 10 समान किश्तों में कटौती योग्य होगी। इस वर्ष केवल 30,000 रु. स्वीकृत होंगे। शेष 18,000 रु. अस्वीकृत किए गए हैं।

(5) व्यापार प्रारम्भ होने से पूर्व के तीन वर्षों में वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किये गये सम्पूर्ण पूँजीगत व्यय व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के व्यय माने जाते हैं तथा आयगत व्ययों में से कर्मचारियों को देय वेतन (अनुलाभों को छोड़कर) और प्रयुक्त सामग्री की लागत ही व्यापार प्रारम्भ होने वाले गत वर्ष के व्यय माने जाते हैं। अतः मशीन की लागत 70,000 रु. अनुसंधान अधिकारी का वेतन 1,20,000 रु. तथा अनुसंधान हेतु प्रयुक्त सामग्री 70,000 रु. कुल 2,60,000 रु. ही स्वीकृत किये गये हैं।

(6) अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुमोदित संस्था को दिए गए भुगतान ही कटौती योग्य है।

Illustration 13.

The particulars of income of Shri Ram Dhan for the year ended 31st March, 1997 are as under—

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री रामधन की आय का विवरण निम्न है—

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
Salary to Staff	2,50,000	Gross profit	20,00,000
Office Expenses	43,000	Bad Debts Recovered	40,000
Travelling Expenses	40,000		
Entertainment Exp.	50,000		
Expenditure on Scientific Research	72,000		
Patent right Purchased	1,40,000		

(a) Collection charges of interest on securities Rs. 2

(b) Municipal Taxes of Let out house property Rs. 4

(c) Insurance premium of above Property Rs. 1,00

(x) Mahesh established a new factory during the financia The factory started production on 1st April, 1996 and the ass all the goods manufactured by him. A sum of Rs. 4,5 scientific research relating to this business was debited to tl Account for the year ending 31st March 1996 as follows

(a) Salary to one Research Officer at Rs. 10,000 p.m

(b) Materials used for research Rs. 70,000;

(c) Expenses on free Lunch facility, to a Research C

(d) Rent of Research Laboratory Rs. 80,000;

(e) Machine purchased for Research work Rs. 70,0

(f) Laboratory expenses Rs. 1,00,000.

Solution :

Computation of Taxable Income from House I Business of Shri Mahesh for the A.Y 1'

		Rs.
1. Income from House Property :		
	Rent received	
Less	Municipal Taxes	
	Annual Value	
Less :	$\frac{1}{5}$th of A.V. for	
	Repairs	13,200
	Insurance premium	1,000
	Interest on loan	5,000
2. Profit of Business :		
	Net profit as per Profit and Loss Acco	
Add :	Expenses disallowed :	
	(i) Entertainment expenses	
	(ii) Preliminary expenses	
	(iii) Rural development exp. not for approved programme	
	(iv) Interest paid out side India	
	(v) Interest not for business	
	(vi) Sundry expenses relating to securities and House Prop	
Less :	Income not taxable under this he	
	(i) Interest on Govt. securiti	
	(ii) Rent from House Property	
Less :	Expenses allowable but not debit	

(6) Bad debts recovered include a sum of Rs. 15,000 which was disallowed by the Assessing Officer two years ago.

(7) The amount of depreciation included a sum of Rs. 40,000 being the depreciation of a machine. The W.D.V. of the machine on 1-4-1996 was Rs. 3,20,000 and it was sold on 1-7-1996 for Rs. 2,80,000. There is no other asset in this Block of assets. (Raj. B. Com., 1994)

Solution :

Computation of Taxable Income from Business of Shri Ram Dhan for A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss A/c			8,20,000
Add :	Expenses disallowed :	Rs.	
	(i) Excess daily allowance	2,000	
	(ii) Advertisement expenses	25,000	
	(iii) Preliminary expenses	22,500	
	(iv) Patent right expenses	1,30,000	
	(v) Provision for Bad Debts	60,000	
	(vi) Depreciation disallowed	40,000	
	(vii) Sundry exp. not paid by cheque	28,000	
	(viii) Entertainment Exp.	20,000	3,27,500
			11,47,500
Less :	Bad debts recovered not allowed in the past		15,000
		Taxable Profits	11,32,500

टिप्पणी—(1) मुख्यालय से बाहर जाने पर कर्मचारी अथवा मालिक के होटल आदि के व्यय यदि 1,500 रु. प्रति दिन से अधिक नही हो तो ऐसे व्यय की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत कर दी जाती है। परन्तु यदि ऐसे व्यय की राशि 1,500 रु. प्रतिदिन से अधिक है तो आधिक्य का 75% ही स्वीकृत किया जाता है। कर्मचारी ने 8 दिन में 20,000 रु. व्यय किये। अर्थात् 1 दिन में 2,500 रु. का व्यय हुआ। इसमें से 1500 + 75% (1000) = 1,500 + 750 = 2,250 रु. प्रतिदिन स्वीकृत हो जायेंगे। अस्वीकृत राशि 250 × 8 = 2,000 रु. होगी।

(2) मनोरंजन व्यय यदि 10,000 रु. से अधिक नहीं हो तो सम्पूर्ण राशि की कटौती दे दी जाती है। इससे अधिक होने पर शेष राशि का 50% ही स्वीकृत होता है।

(3) भेंट में दी गई वस्तु का मूल्य 1,000 रु. प्रति वस्तु तक स्वीकृत है। शेष राशि का 50% स्वीकृत किया जाता है। प्रस्तुत प्रश्न में 25 वस्तुओं पर 75,000 रु. व्यय हुए। अर्थात् प्रति वस्तु 3,000 रु. व्यय हुये। प्रति वस्तु $1000 + \frac{50}{100}$ (2000) = 2,000 रु. स्वीकृत किये जायेंगे। कुल 25 वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वीकृत राशि 2000 × 25 = 50,000 रु. होंगे तथा शेष 25,000 रु. की राशि अस्वीकृत की गई है।

(4) पैटेण्ट अधिकार खरीदने के व्ययों को 14 समान किश्तों में स्वीकृत किया जाता है अतः 13 किश्तों की राशि 1,30,000 रु. को वापस जोड़ दिया गया है।

Advertisement Exp.	2,00,000	
Preliminary Exp.	25,000	
Depreciation	1,60,000	
Provision for B.D.	60,000	
Sundry expenses	1,80,000	
Net Profit	8,20,000	
	20,40,000	20,40,000

निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री रामधन की व्यापार की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(1) वेतन की राशि में 8,000 रु. की राशि एक पूर्णतया अन्धे कर्मचारी को दिए गए वेतन की है।

(2) यात्रा व्यय में एक कर्मचारी को बम्बई भेजने का 20,000 रु. का दैनिक भत्ता सम्मिलित है। कर्मचारी ने मुख्यालय से बाहर 8 दिन व्यतीत किये।

(3) विज्ञापन व्ययों में विक्रय वृद्धि हेतु भेंट के रूप में दी गई 25 इकाइयों की लागत 75,000 रु. सम्मिलित है।

(4) स्थायी सम्पत्तियों की लागत 10,00,000 रु. है।

(5) विविध व्यय में 1,40,000 रु. की एक ऐसी राशि सम्मिलित है जिसका भुगतान रेखांकित चैक या रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा नहीं किया गया था।

(6) डूबत ऋण प्राप्ति में 15,000 रु. का ऐसा ऋण प्राप्त हुआ है जिसको निर्धारण अधिकारी ने दो वर्ष पूर्व अस्वीकृत कर दिया है।

(7) ह्रास की राशियों में 40,000 रु. का ह्रास एक मशीन के सम्बन्ध में है तथा शेष राशि अन्य सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है। मशीन का अपलिखित मूल्य 1-4-1996 को 3,20,000 रु. था तथा इसे 1-7-1996 को 2,80,000 रु. में बेच दिया। इस समूह में अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

Compute Taxable Income from Business of Shri Ram Dhan for the assessment year 1997-98 keeping in mind the following additional information—

(1) Salary includes Rs. 8,000 being payment made to a totally blind employee.

(2) Travelling expenses includes a sum of Rs. 20,000 of daily allowance paid to an employee who was sent to Bombay. He spent 8 days in Bombay

(3) Advertisement expenses include Rs. 75,000 being cost of 25 articles given as presents for sales promotion.

(4) The Actual Cost of fixed assets is Rs. 10,00,000.

(5) Sundry expenses include a sum of Rs. 1,40,000 which were not paid through crossed cheque or crossed bank draft.

(6) *Bad debts recovered include a sum of Rs. 15,000 which was* disallowed by the Assessing Officer two years ago.

(7) The amount of depreciation included a sum of Rs. 40,000 being the depreciation of a machine. The W.D.V. of the machine on 1-4-1996 was Rs. 3,20,000 and it was sold on 1-7-1996 for Rs. 2,80,000. There is no other asset in this Block of assets. (Raj. B. Com., 1994)

Solution :

Computation of Taxable Income from Business of Shri Ram Dhan for A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss A/c			8,20,000
Add :	Expenses disallowed :	Rs.	
	(i) Excess daily allowance	2,000	
	(ii) Advertisement expenses	25,000	
	(iii) Preliminary expenses	22,500	
	(iv) Patent right expenses	1,30,000	
	(v) Provision for Bad Debts	60,000	
	(vi) Depreciation disallowed	40,000	
	(vii) Sundry exp. not paid by cheque	28,000	
	(viii) Entertainment Exp.	20,000	3,27,500
			11,47,500
Less :	Bad debts recovered not allowed in the past		15,000
	Taxable Profits		11,32,500

टिप्पणी—(1) मुख्यालय से बाहर जाने पर कर्मचारी अथवा मालिक के होटल आदि के व्यय यदि 1,500 रु. प्रति दिन से अधिक नहीं हो तो ऐसे व्यय की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत कर दी जाती है। परन्तु यदि ऐसे व्यय की राशि 1,500 रु. प्रतिदिन से अधिक है तो आधिक्य का 75% ही स्वीकृत किया जाता है। कर्मचारी ने 8 दिन में 20,000 रु. व्यय किये। अर्थात् 1 दिन में 2,500 रु. का व्यय हुआ। इसमें से 1500 + 75% (1000) = 1,500 + 750 = 2,250 रु. प्रतिदिन स्वीकृत हो जायेंगे। अस्वीकृत राशि 250 × 8 = 2,000 रु. होगी।

(2) मनोरंजन व्यय यदि 10,000 रु. से अधिक नहीं हो तो सम्पूर्ण राशि की कटौती दे दी जाती है। इससे अधिक होने पर शेष राशि का 50% ही स्वीकृत होता है।

(3) भेंट में दी गई वस्तु का मूल्य 1,000 रु. प्रति वस्तु तक स्वीकृत है। शेष राशि का 50% स्वीकृत किया जाता है। प्रस्तुत प्रश्न में 25 वस्तुओं पर 75,000 रु. व्यय हुए। अर्थात् प्रति वस्तु 3,000 रु. व्यय हुये। प्रति वस्तु $1000 + \frac{50}{100}$ (2000) = 2,000 रु. स्वीकृत किये जायेंगे। कुल 25 वस्तुओं के सम्बन्ध में स्वीकृत राशि 2000 × 25 = 50,000 रु. होंगे तथा शेष 25,000 रु. की राशि अस्वीकृत की गई है।

(4) पैटेण्ट अधिकार खरीदने के व्ययों को 14 समान किश्तों में स्वीकृत किया जाता है अतः 13 किश्तों की राशि 1,30,000 रु. को वापस जोड़ दिया गया है।

(5) प्रारम्भिक व्यय 25,000 रु. स्वीकृत होंगे। ये 10 समान किश्तों में कटौती योग्य होंगे। नौ किश्तों की रकम 22,500 रु. की राशि वापस जोड़ दी गयी है।

(6) 20,000 रु. से अधिक का कोई भी भुगतान रेखांकित चैक या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा नहीं किये जाने पर व्यय का 20% अस्वीकृत किया जाता है।

(7) ऐसे डूबत ऋण की प्राप्ति जो पहले स्वीकृत नहीं किया गया हो, आय नहीं होती। यह केवल ऋण की प्राप्ति है। अतः इसे घटाया गया है।

(8) अन्धे कर्मचारी को दिया गया वेतन भीअन्य वेतन की तरह ही स्वीकृत व्यय है। ऐसे वेतन के सम्बन्ध में भारित कटौती बन्द कर दी गई है।

(9) मशीन की बिक्री से हानि अल्पकालीन पूँजी हानि है इसे ह्रास के रूप में अपलिखित नहीं किया जा सकता है।

Illustration 14

From the following particulars determine Shri Ridha Karan's taxable income under different heads –

निम्न विवरण से श्री रिद्धकरण की विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आय ज्ञात कीजिये—

Income & Expenditure Account of Shri Ridhakaran for the year ending 31st March, 1997

	Rs.		Rs
Salaries	35,000	Consultation fees	1,00,000
Professional Subscription	1,500	Cash Gift from Clients	10,000
Gift to son	800	Rent from property (8 months)	2,400
Life insurance premium	2,100		
Municipal taxes	480		
Entertainment Exp.	18,000		
Contribution to recognised provident fund	12,000		
Travelling expenses	8,000		
Surplus	34,520		
	1,12,400		1,12,400

(i) Contribution to provident fund includes Rs. 8,000 assessee's contribution deposited after due date. The contribution received from the employees amounted to Rs. 12,000 out of which also Rs. 8,000 have been deposited after the due date.

(ii) Municipal taxes relates to house property let out.

(iii) Rs. 3,000 payable for bonus included in salaries have been paid in 1998.

(iv) The house property was occupied by Shri Ridhakaran for his own residence for 4 months. The house was constructed on March 1 1992.

(v) A car costing Rs. 80,000 was purchased in June, 1996. It was

(vi) A typewriter costing Rs. 4,500 was purchased for office use in November, 1996.

(i) प्रमाणित भविष्य निधि अंशदान में करदाता के अंशदान के 8,000 रु. देय तिथि के बाद किये भुगतान के सम्मिलित हैं। कर्मचारियों से अंशदान की प्राप्त राशि 12,000 रु. थी, जिसमें से 8,000 रु. देय तिथि के बाद भुगतान किये गये हैं।

(ii) नगरपालिका कर किराये पर दी गई मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं।

(iii) वेतन में बोनस की देय राशि 3,000 रु. सम्मिलित है जिसका भुगतान 1998 में किया गया है।

(iv) मकान सम्पत्ति 4 माह के लिये श्री रिद्धकरण द्वारा अपने स्वयं के निवास के लिये प्रयुक्त की गई। मकान का निर्माण 1 मार्च, 1992 को किया गया।

(v) 80,000 रु. की लागत की एक कार जून, 1996 में क्रय की गई। इसको 1 जनवरी, 1997 से पेशे के लिये प्रयुक्त किया गया।

(vi) नवम्बर, 1996 में कार्यालय प्रयोग हेतु 4,500 रु. की लागत में एक टाइपरायटर खरीदा गया। **(M.D.U.B.Com. 1995)**

Solution :

Statement of Taxable Income from Various Heads of Shri Ridhakaran for the Assessment Year 1997-98

	Rs.	Rs.
Income from House Property:		
Fair rental Value	3,600	
Less : Municipal taxes	480	
Annual Value	3,120	
Less : Proportionate annual value of 4 months during which the property was self occupied	1,040	
	2,080	
Less : Statutory allowance for new construction	2,080	NIL
Income from Business & Profession:		
Surplus as per Income & Expenditure Account		34,520
Add : Expenses disallowed:		
(i) Gift to son	800	
(ii) Life insurance premium	2,100	
(iii) Municipal taxes	480	
(iv) Entertainment expenses	4,000	
(v) Bonus paid after due date	3,000	
(vi) contribution to R.P.F. Paid after due date	8,000	18,380
		52,900
Add : Employees contribution to provident fund received by assessee but paid after due date		8,000
		60,900

Less :	Income Not taxable under this head		
	Rent of House property		2,400
			58,500
Less :	Depreciation not debeted		
	on Car	8,000	
	On Typewriter	562	8,562
	Taxable income from Business & Profession		49,938

टिप्पणी— (i) कार एवं टाइपराइटर पर छूट क्रमश: 20% एवं 25% की दर से दी गई है। इस प्रकार ज्ञात छूट की राशि का 50% किया गया है क्योंकि इन सम्पत्तियों का प्रयोग गत वर्ष में 182 दिन से कम के लिये किया गया है।

(ii) मनोरंजन व्ययों की छूट प्रथम 10,000 रु. पर 100% की दर से तथा शेष राशि पर 50% की दर से दी गई है। इस प्रकार 18,000-14,000 = 4,000 रु. की राशि कर योग्य होगी।

सारांश
(Summary)

1. इस शीर्षक में कर योग्य विभिन्न आयें—

(i) व्यापार अथवा पेशे के लाभ (ii) प्रबन्धकर्त्ता अथवा एजेण्ट को प्राप्त क्षतिपूर्ति (iii) आयात लाइसेन्स की बिक्री से लाभ (iv) निर्यात के बदले सरकार से नकद सहायता (v) निर्यातकर्त्ता को उत्पाद शुल्क अथवा आयात-निर्यात कर की वापसी। (vi) व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य (vii) साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज एवं वेतन धारा 40 (b) में उल्लेखित सीमा तक। (ix) मकान सम्पत्ति की प्राप्तियाँ (x) अवैध व्यापार की आय (xi) सट्टे व्यापार के लाभ (xii) प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में प्राप्त राशि बोनस सहित।

2. कुछ महत्त्वपूर्ण नियम या व्यवस्थाएँ—

(i) करदाता के सभी व्यापारों की आय पर एक साथ कर लगाना। (ii) सट्टे के व्यापार के लाभों को अन्य व्यापार के लाभों से पृथक रखना। (iii) गत वर्ष में किसी ऐसी राशि की प्राप्ति का कर-योग्य होना जो भूतकाल में व्यय या हानि के रूप में स्वीकृत की गई थी।

3. कर देय लाभों की गणना—सकल आय में स्वीकृत व्ययों को घटाने पर कर देय लाभ ज्ञात हो जाते हैं। परन्तु लाभ-हानि खाते में स्वीकृत एवं अस्वीकृत सभी व्यय लिखे होते हैं तथा व्यापारिक एवं गैर-व्यापारिक दोनों आय लिखी होती है। अत: दिये हुए शुद्ध लाभ में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया द्वारा कर देय लाभ ज्ञात किये जाते हैं। इसे पृष्ठ नं. 275 पर समझाया गया है।

4. स्पष्टतया स्वीकृत व्यय—

(i) भवन के सम्बन्ध में किराया, मरम्मत, भूमि का लगान, नगर पालिका कर, बीमा प्रीमियम, हास आदि व्यय।

(ii) फर्नीचर, [illegible] मशीन [illegible], बीमा, हास आदि व्यय।

(iii) वैज्ञानिक अनुसन्धान के आयगत एवं पूँजी व्यय (भूमि के व्यय एवं कर्मचारियों के अनुलाभों को छोड़कर)
(iv) एकस्व अधिकारों के पूँजीगत व्यय 1/14 भाग प्रति वर्ष।
(v) ज्ञान प्राप्ति पर किये गये व्यय, एक मुश्त भुगतान का सामान्यतः 1/6 भाग एवं विशेष दशाओं में 1/3 भाग प्रति वर्ष।
(vi) सामाजिक अथवा आर्थिक कल्याण की परियोजना को भुगतान।
(vii) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए भुगतान।
(viii) प्राकृतिक साधनों के विकास अथवा वन लगाने के कार्यों के लिए भुगतान।
(ix) प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध में योजना की लागत अथवा पूँजी के $2\frac{1}{2}\%$ तक स्वीकृत जिनका $\frac{1}{10}$ भाग प्रतिवर्ष कटौती योग्य।
(x) खनिज पदार्थों की खोज पर किये गये व्यय का $\frac{1}{10}$ भाग प्रतिवर्ष स्वीकृत।
(xi) अन्य व्ययों में बीमा प्रीमियम, कर्मचारियों को बोनस व कमीशन, ब्याज, प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड, अनुमोदित सुपर एनुएशन फण्ड एवं अनुमोदित ग्रेच्युइटी फण्ड में अंशदान, पशुओं की हानि एवं डूबत ऋण प्रमुख हैं।
(xii) अनेक व्यय वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत होते हैं जिनका उल्लेख पृष्ठ संख्या 258 एवं 259 पर किया गया है।

5. व्यय जिनका कुछ भाग स्वीकृत एवं शेष अस्वीकृत होता है—

(i) मनोरंजन व्यय—

प्रथम 10,000 रु. पूर्णतः स्वीकृत तथा इससे अधिक राशि का 50% स्वीकृत एवं शेष अस्वीकृत।

(ii) विज्ञापन व्यय—

(अ) सामान्यतः स्वीकृत परन्तु 10,000 रु. से अधिक का व्यय रेखांकित चैक द्वारा भुगतान न होने पर अस्वीकृत। इसी प्रकार राजनैतिक दल की पत्रिका ब्रोचर, सोवनियर में दिये गये विज्ञापन का व्यय अस्वीकृत।

(ब) भेंट में दी गई प्रत्येक वस्तु यदि 1,000 रु. से अधिक की नहीं है तो पूर्णतः स्वीकृत। इससे अधिक की होने पर आधिक्य का 50% स्वीकृत एवं शेष भाग अस्वीकृत।

(iii) अवकाश गृहों के व्यय—

यदि करदाता के यहाँ 100 पूर्णकालीन कर्मचारी काम करते हों तथा इनका प्रयोग कर्मचारियों द्वारा अवकाश के समय किया जाता हो तो सम्पूर्ण व्यय स्वीकृत।

(iv) यात्रा-व्यय—

(अ) भारत में रेल, रोड़, जल या वायुयान से यात्रा व्यय की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत।

(ब) दैनिक भत्ता यदि प्रति कर्मचारी 1,500 रु. से अधिक नहीं हो तो सम्पूर्ण राशि स्वीकृत, अधिक होने पर आधिक्य का 75% भाग स्वीकृत व शेष 25% अस्वीकृत।

(v) एकस्व अधिकारों के व्यय—

$\frac{1}{14}$ भाग स्वीकृत एवं शेष इस वर्ष अस्वीकृत।

(vi) प्रारम्भिक व्यय—

लागत अथवा पूँजी के 2.5% तक स्वीकृत इसका $\frac{1}{10}$ भाग स्वीकृत शेष $\frac{9}{10}$ भाग इस वर्ष अस्वीकृत।

(vii) ज्ञान प्राप्ति के पूँजी व्यय—

सामान्यतः $\frac{1}{6}$ भाग स्वीकृत तथा शेष इस वर्ष अस्वीकृत। विशेष दशाओं में $\frac{1}{3}$ भाग स्वीकृत तथा शेष इस वर्ष अस्वीकृत।

(viii) खनिज भण्डारों की खोज के व्यय—

$\frac{1}{10}$ भाग स्वीकृत तथा शेष इस वर्ष अस्वीकृत।

(ix) दूर संचार सेवाओं के संचालन के लाइसेन्स प्राप्ति के व्यय—

लाइसेन्स की अवधि में समान रूप से स्वीकृत। गत वर्ष में एक किस्त स्वीकृत तथा शेष अस्वीकृत।

टिप्पणी—(v) से (ix) तक में उल्लेखित व्ययों की शेष राशि अगले वर्षों में किश्तों के रूप में स्वीकृत होगी।

6. स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय—

(i) भारत के बाहर देय ब्याज; रायल्टी, फीस—उद्गम स्थान पर कर न काटने पर।

(ii) व्यापार व पेशे के लाभों के कर—आयकर

(iii) सम्पदा कर

(iv) भारत के बाहर वेतन के रूप में दी गई राशि—उद्गम स्थान पर कर न काटने पर।

(v) कर्मचारी को किसी फण्ड से भुगतान—उद्गम स्थान पर कर न काटने पर

(vi) साझेदार को ब्याज या वेतन—धारा 40 (b) में उल्लेखित सीमा से अधिक वाली राशि।

टिप्पणी—अस्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण पृष्ठ संख्या 265 पर बताये गये हैं।

7. कुछ दशाओं में अस्वीकृत व्यय—

(i) विशिष्ट व्यक्तियों को किये गये भुगतान—विशिष्ट व्यक्तियों में करदाता के रिश्तेदार, कम्पनी, फर्म एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के संचालक, साझेदार एवं सदस्य आते हैं। इनको किया गया भुगतान अत्यधिक अथवा अनुचित होने पर अस्वीकृत।

(ii) 20,000 से अधिक का भुगतान—रेखांकित चैक से न करने पर 20%।

(iii) ग्रेच्युइटी के भुगतान के लिए आयोजन—गत वर्ष में भुगतान की गई ग्रेच्युइटी के लिए बनाये गये प्रावीजन को छोड़कर अन्य प्रावीजन अस्वीकृत।

(iv) वास्तविक भुगतान करने पर ही कटौती—(अ) कर, चुंगी एवं ब्याज (ब) नियोक्ता का किसी फण्ड में अंशदान (स) कर्मचारियों को देय बोनस एवं कमीशन (द) सार्वजनिक वित्तीय संस्था को देय ब्याज। (य) अनुसूचित बैंक को अवधि जमा पर देय ब्याज। इन व्ययों का गत वर्ष में भुगतान नहीं किया जाये तो अस्वीकृत।

8. व्यय से अधिक की कटौती—ऐसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी को किये गये भुगतान जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित

कार्यक्रम पर ही खर्च करे, भुगतान की राशि के अलावा उस राशि के 25%
कटौती दी जाती है।

9. वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए प्रयोग की गई पूँजी सम्पत्ति का विक्रय—क
की गणना करने के लिए विक्रय मूल्य में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये मिली छूट को जोड़ा जाता है तथा लागत को घटाया जाता है। शेष राशि की तुलना छूट की राशि से की जाती है। दोनों में कम वाली राशि गत वर्ष में कर योग्य होती है।

10. इस शीर्षक की कर मुक्त आयें—

(i) कृषि आय—कृषि आय कर मुक्त होती है। परन्तु ऐसी चाय कम्पनियाँ जो स्वयं के बगीचों पर चाय उगाती है उनकी आय का 60% ही कृषि आय होता है। इसी प्रकार ऐसी चीनी मिलें जो स्वयं के खेतों पर गन्ना उगाती हैं उनकी भी आय आंशिक रूप से कृषि आय और आंशिक रूप से व्यापारिक आय होती है।

(ii) किसी व्यवसाय को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार।

(iii) किसी व्यवसाय को केन्द्र सरकार के अनुमोदन पर दिया गया कोई भुगतान।

(iv) खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन से किसी संस्था को कोई आय।

(v) कर मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ।

(vi) निर्यात के लिये माल बनाने वाले नये स्थापित उद्योगों के लाभों का कर मुक्त होना।

प्रश्न
(Questions)

A.E. 98.

1. एक व्यापार के कर-योग्य लाभों की गणना करने में कौन से व्यय स्पष्टतया स्वीकृत हैं?
   Specify the expenses which are expressly allowed in computing taxable profits from business.

2. उन व्ययों व हानियों का उल्लेख कीजिए जो व्यापार की कर-योग्य आय निकालने में स्पष्टतया अस्वीकृत हैं।
   Enumerate the expenses and losses which are expressly disallowed in computing taxable income from business.

3. चाय और चीनी कम्पनियों पर आय-कर निर्धारण के सम्बन्ध में दिये हुए प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
   Explain the provisions relating to the assessment of Tea and Sugar Companies.

4. व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करते समय अनेक खर्चे ऐसे भी हैं जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही और एक निश्चित सीमा तक ही कटौती योग्य होते हैं। इन खर्चों को स्पष्टतया समझाइये।
   While computing the income from Business and Profession there are certain expenses which are deductible in certain circumstances and to a certain extent only. Explain these expenses clearly.

5. निम्नलिखित व्ययों की कटौती के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए—
   (i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय;
   (ii) पेटेण्ट राइट खरीदने के पूँजीगत व्यय;
   (iii) औद्योगिक जानकारी प्राप्त करने पर व्यय;
   (iv) प्रारम्भिक व्यय;
   (v) मनोरंजन व्यय।

   Explain the provisions of the Income-tax Act pertaining to the deduction of following expenses—
   (i) Expenditure on Scientific Research;
   (ii) Capital expenditure for purchasing Patent Right;
   (iii) Expenditure on acquiring know-how;
   (iv) Preliminary Expenses;
   (v) Entertainment Expenses.

6. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के सम्बन्ध में एक व्यापारी के लाभ-हानि खाते ने 25,000 रु. का शुद्ध लाभ प्रकट किया है। बहीखातों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर एवं उससे पूछताछ करने पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई—
   (i) अन्तिम रहतिये का मूल्यांकन 50,000 रु. पर किया गया था। यह मूल्यांकन लागत से 20% कम पर किया गया जबकि बाजार मूल्य लागत से अधिक था।
   (ii) गत वर्ष में व्यापारी ने कुल मिलाकर 4,500 रु. विक्रय-कर के रूप में सरकार में जमा कराये। यह राशि कुल विक्रय की राशि में सम्मिलित नहीं की गई थी।
   (iii) गत वर्ष में व्यापारी को नेशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट से 1,500 रु. ब्याज के प्राप्त हुए। इस राशि को उसने पुस्तकों में नहीं दिखाया जबकि इसके संग्रह के 50 रु. के खर्चे पुस्तकों में लिख दिये गये।
   (iv) विज्ञापन व्ययों में भेंट में दी गई 10 वस्तुओं का मूल्य 20,000 रु. तथा कर्मचारियों की भरती के सम्बन्ध में किये गये विज्ञापन का व्यय 2,500 रु. भी सम्मिलित किया गया है।
   (v) वैज्ञानिक अनुसन्धान व्ययों में 24,000 रु.की राशि राष्ट्रीय प्रयोगशाला को किये गये भुगतान की है जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर व्यय करने के लिये ही है।
   (vi) करदाता ने अपने स्कन्ध का बीमा 1 जनवरी, 1997 को करवाया तथा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि 1,200 रु. पुस्तकों में लिख दी गई।
   (vii) यात्रा व्ययों में एक कर्मचारी को दिये गये दैनिक भत्ते के 6,000 रु. सम्मिलित किये गये हैं। यह कर्मचारी तीन दिन के लिए मुख्यालय से बाहर गया था।
   (viii) गत वर्ष में करदाता ने पेटेन्ट अधिकार प्राप्त करने के लिए 14,000 रु. का पूँजीगत खर्चा किया। यह सम्पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते के नाम लिख दी गई है।

(ix) गत वर्ष के दौरान करदाता ने तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 36,000 रु. का भुगतान एकमुश्त किया। इस ज्ञान का आविष्कार उदयपुर विश्वविद्यालय में किया गया था। सम्पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते के नाम लिख दी गई थी।

(x) लाभ-हानि खाते में मशीन के विक्रय की हानि 6,500 रु. नाम लिखी गई है। सम्पत्तियों के इस समूह में अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए करदाता की व्यापार की आय की गणना कीजिए।

The profit and loss account of a merchant has shown a net profit of Rs. 25,000 for the year ended as on 31st March, 1997. On minute observation of books of account and on enquiries from him the following informations received :

(i) The closing stock was valued at Rs. 50,000. It was undervalued by 20% than the actual cost while the market price was higher than the cost price.

(ii) During the previous year the merchant deposited with the Government a total sum of Rs. 4,500 as sales tax. This amount were not included in the total amount of turnover.

(iii) During the previous year the merchant received a sum of Rs. 1,500 as interest from National Defence Certificates. This amount was not shown in Books while its collection charges Rs. 50 were written in books.

(iv) Advertisement expenses includes Rs. 20,000 being the cost of 10 articles given as gift and Rs. 2,500 being the cost of advertisement given for recruitment of employees.

(v) [illegible]
undertaken under a programme approved by the prescribed authority.

(vi) The assessee got his stock insured for Rs. 1,200 on 1st January, 1997 and the whole amount was written in books.

(vii) Travelling allowance includes a sum of Rs. 6,000 being daily allowance given to an employee who went out of headquarters for 3 days.

(viii) During the previous year the assessee incurred capital expenditure of Rs. 14,000 for obtaining Patent Rights. This whole of the amount were debited to P.&L. A/c.

(ix) During the previous year the assessee paid a sum of Rs. 36,000 being lump sum consideration for acquiring technical know-how developed in Udapiur University. The whole amount was debited to P.& L. A/c.

(x) A sum of Rs. 6,500 was debited to Profit and Loss Account being loss on sale of Machinery. There was no other asset in this Block of assets.

Compute his income from Business for the assessment year 1997-98.

उत्तर—व्यापार की आय 81,325 रु.। [46]

संकेत—विक्रय-कर की राशि ग्राहकों से लेकर जमा कराई जाती है अत: इसे घटाया नहीं जायेगा।

7. मैसर्स राधेलाल एण्ड सन्स, कोटा में गेहूँ के व्यापारी हैं। उनके पास साबुन और तेल कम्पनी की एजेन्सी भी है जिसमें उन्हें विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन मिलता है। वे हिसाब की बहियाँ नही रखते हैं। उन्होंने 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए आय-कर अधिकारी को निम्न विवरण प्रस्तुत किया—

साबुन कम्पनी से प्राप्त कमीशन 4,000 रु.। तेल कम्पनी से प्राप्त कमीशन 15,000 रु.। तेल कम्पनी से एजेन्सी समाप्त होने की क्षतिपूर्ति की राशि 20,000 रु.। वर्ष में गेहूँ की 500 बोरियाँ 50,000 रु. में खरीदी जिसमें से 400 बोरियाँ 60,000 रु. में बेच दी। दुकान खर्च 26,500 रु.। निर्धारण अधिकारी द्वारा जाँच किये जाने पर ज्ञात हुआ कि दुकान खर्च में निम्न राशियाँ सम्मिलित की गई हैं—

(i) राधेलाल के लड़के के विवाह पर किया गया 4,500 रु. का व्यय।
(ii) कलैण्डरों तथा डायरियों की लागत 2,700 रु.।
(iii) रिहायशी मकान की मरम्मत का अनुमानित व्यय 1,300 रु.।
(iv) मनोरंजन व्यय 2,450 रु.।
(v) बिना चुंगी चुकाये माल लाने पर अर्थदण्ड 2,300 रु.।
(vi) टाइपराइटर खरीदने के अग्रिम चुकाये 2,500 रु.।

1997-98 कर निर्धारण वर्ष के लिए उनकी 'व्यापार एवं पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

M/s. Radhey Lal & Sons is a wheat merchant at Kota. They have agencies of soap and oil companies also, for which they get commission on sales at a fixed percentage. They do not maintain account books. They presented the following particulars before the income-tax officer for the year ended 31st March, 1997—

Commission receivable from soap company Rs. 4,000.
Commission receivable from oil company Rs. 15,000.
Compensation for termination of agency by oil company Rs. 20,000. During the year 500 bags of wheat were purchased at Rs. 50,000 of which 400 bags were sold at Rs. 60,000. Shop expenses Rs. 26,500 On an examination by the Assessing Officer it was revealed that following items were included in shop expenses—

(i) Expenses of Rs. 4,500 on the marriage of Radhey Lal's Son.
(ii) Rs. 2,700 being cost of calendars and diaries.
(iii) Rs. 1,300 are estimated for the repairs for residential house.
(iv) Entertainment expenses Rs. 2,450.
(v) Penalty of Rs. 2,300 imposed for bringing goods without paying Octroi.
(vi) An advance of Rs. 2,500 in connection with purchase of a typewriter.

Compute his taxable income under the head 'Income from Business and Profession' for the Assessment Year 1997-98.

[Indore U. B. Com. 1994 & 1996]

उत्तर—व्यापार व पेशे की कर-योग्य आय 43,100 रु.। [47]

संकेत—गेहूँ के व्यापार के लाभ 20,000 रु. होंगे। 26,500 रु. के खर्चों में से 15,900 रु. ही स्वीकृत होंगे। मनोरंजन व्यय भी गत वर्ष में स्वीकृत होंगे।

8. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक कपड़े के व्यापारी का हानि-लाभ खाता निम्न है—

The Profit and Loss Account of a cloth merchant for the year ended 31st March, 1997 as under :

	Rs		Rs.
Salary paid	19,000	Gross Profit	90,000
Commission paid	10,000	Commission	4,000
Sundry expenses	15,000	Sundry income	3,000
Selling expenses	3,000	Interest on Securities	
Depreciation	12,000	(Gross)	7,000
Preliminary expenses	4,000	Rent from House	
Export Promotion Expenses	6,000	Property	6,000
Donations	2,000	Profit on sale of machine	5,000
Domestic expenses	1,000		
Free samples	1,000		
Bad Debts	2,000		
Advertising expenses	11,000		
Net Profit	29,000		
	1,15,000		1,15,000

उसकी लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करने से निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्राप्त की गई—

(अ) प्रारम्भिक रहतिया का मूल्य 50,000 रु. था जबकि व्यापारी ने इसका मूल्यांकन 20% अधिक किया।

(ब) 31 मार्च, 1997 को उसकी सम्पत्तियों का मूल्य 1,00,000 रु. था।

(स) दानों की राशि में एक गरीब छात्र को दिया गया दान 400 रु. सम्मिलित है।

(द) विविध व्ययों में 500 रु. रिश्वत के शामिल हैं।

(य) विज्ञापन व्ययों में 600 रु. ग्राहकों को वितरण हेतु क्रय किये गये डायरी एवं कलैण्डरों का मूल्य शामिल है। इनमें भेंट स्वरूप स्टाकिस्टों को दी गई 5 वस्तुओं का मूल्य 8,000 रु. भी शामिल है।

(फ) डूबत ऋण में 500 रु. का एक ऐसा ऋण शामिल किया गया है जो वास्तव में 3 वर्ष पूर्व डूब चुका था।

(ग) 1-4-1996 को करदाता की विभिन्न सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्य निम्न प्रकार थे—

	रु.	ह्रास दर
मशीन A	40,000	40%
मशीन B	10,000	40%
कार्यालय भवन	40,000	10%
निवासीय भवन	40,000	5%
कार्यालय फर्नीचर	10,000	10%

28 अगस्त, 1996 को मशीन A को 45,000 रु. में बेचा गया तथा 5,000 रु. की लाभ की राशि लाभ-हानि खाते में जमा कर दी। शेष सभी सम्पत्तियों पर निर्धारित दरों से ह्रास वसूल किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसके व्यापार की आय तथा मकान सम्पत्ति की आय की गणना कीजिए।

On an examinations of his account books, following additional informations were received—

(a) The value of opening stock was Rs. 50,000 but the merchant valued it 20% higher.

(b) On 31st March, 1997 his assets were worth Rs. 1,00,000.

(c) A donation of Rs 400 [illegible] ded [illegible]

(d) [illegible]

(e) The advertisement expenses included an amount of Rs. 600 being cost of calendars and diaries purchased to present to the customers. It also includes Rs 8,000 being the cost of 5 articles [illegible]

(f) [illegible] luded [illegible]

(g) The written down value of various assets on 1-4-1996 was as under :

Assets	Rs.	Rate of Dep
Machine A	40,000	40%
Machine B	10,000	40%
Office Building	40,000	10%
Residential Building	40,000	5%
Office Furniture	10,000	10%

Machine—A was sold for Rs. 45,000 on 28-8-1996 and the profit of Rs. 5,000 was credited to Profit and Loss Account. Depreciation on [illegible]

उत्तर—मकान सम्पत्ति की आय 4,800 रु. एवं व्यापार की आय 32,750 रु.।

संकेत—(i) प्रारम्भिक रहतिये का मूल्यांकन अधिक करने से लाभ कम हो गये अत: जोड़ा जायेगा। (ii) प्रारम्भिक व्ययों के सम्बन्ध में केवल 2,500 रु. (1,00,000 रु. का $2\frac{1}{2}\%$) स्वीकृत है। इसका $\frac{1}{10}$ अर्थात् 250 रु. इस वर्ष स्वीकृत होंगे। (iii) मशीनों के समूह का ह्रास 40,000 रु. + 10,000 रु. − 45,000 रु. = 5,000 रु. के अपलिखित मूल्य का 40% = 2,000 रु. होगा।

9. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में श्री एक्स का लाभ-हानि खाता निम्न है—

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
Salary to employees	20,000	Gross Profit	60,000
Rent	10,000	Sundry incomes	6,000
New year expenses	600	Commission	8,000
Interest on Loan	2,000	Interest on Securities	
Sundry expenses	3,000	(Net)	800
Donations	800	Bad Debts recovered	100
Bad Debts	1,800	Rent received from	
Provision for Bad Debts	1,500	House Property	2,400
Interest on capital	1,600		
Advertisement expenses	2,400		
Advance payment of			
Income tax	2,100		
Postage & Stamps	500		
Loss by theft	1,000		
Dinner expenses	1,800		
Gift and Present	625		
Audit fees	300		
Net Profit	27,275		
	77,300		77,300

निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री एक्स की मकान सम्पत्ति से आय एवं व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना कीजिए—

(i) वेतन की राशि में 2,400 रु. श्री एक्स के पुत्र को दिया गया वेतन शामिल है। श्री एक्स का पुत्र अक्सर उनके व्यापार को सम्भालता है एवं व्यापार संचालन में उनकी सहायता करता है।

(ii) किराये की राशि में 1,800 रु. कार्यालय की इमारत का किराया है। इमारत श्री एक्स की स्वयं की है।

(iii) ऋण की ब्याज की राशि में 1,200 रु. श्री एक्स की पत्नी से लिये गये ऋण का ब्याज शामिल है। उसने यह ऋण की राशि अपने स्त्री-धन में से दी थी।

(iv) विविध व्ययों में 500 रु. श्री एक्स के अतिथियों पर व्यय किये गये हैं तथा 200 रु. श्री एक्स की पत्नी की बहिन की शादी में व्यय किए गए हैं।

(v) भोजन व्यय की राशि श्री एक्स के भाई के मित्रों को दी गई दावत से सम्बन्धित है।
(vi) दानों की राशि अनुमोदित सामाजिक कल्याण कोष में दिये गये दान से सम्बन्धित है।
(vii) 800 रु. डूबत ऋण की राशि निर्धारण अधिकारी के विचार से 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के दौरान ही डूब चुकी थी।
(viii) चोरी की हानि कर्मचारियों द्वारा माल के गबन के रूप में हुई है।
(ix) विविध व्ययों में मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित नगरपालिका के करों का 300 रु. का भुगतान भी सम्मिलित है।

Compute income from House Property and Business of Mr. X for the Assessment Year 1997-98 keeping in view the following *information* –

(i) The amount of salary includes an amount of Rs. 2,400 paid to X's son as salary. X's son often looks his business and assists him in the management of business
(ii) The amount of Rent includes an amount of Rs. 1,800 being Rent of office premises, the premises belong to Mr. X.
(iii) The amount of interest on loan includes an amount of Rs. 1,200 being interest on loan taken from wife of X. Sh gave this loan from her Stridhan.
(iv) Rs. 500 spent on the guests of X's son and Rs. 200 spent on the marriage of sister of X's wife were included in Sundry expenses.
(v) The expenses of dinner are in connection with a party given to the friend of X's brother.
(vi) The amount of donations are in respect of the donation given to approved social welfare fund.
(vii) According to Assessing officer an amount of Rs. 800 being bad debts had actually become bad during the previous year ended on 31st, March 1994.
(viii) Loss by theft occured as embazlement by the employees.
(ix) Municipal taxes of house property amounting to Rs. 300 were included in Sundry expenses.

उत्तर—मकान सम्पत्ति की आय 1,680 रु. तथा व्यापार अथवा पेशे की आय 35,300 रु.।

सकेत—पुत्र को वेतन एवं पत्नी को ब्याज दी हुई परिस्थितियों में स्वीकृत व्यय होंगे।

[49]

10. डॉ. रतन एक पंजीकृत चिकित्सक है। उन्होंने निम्न आय-व्यय खाता तैयार किया है—
Dr. Ratan is a registered medical practitioner He has prepared the following Income and Expenditure Account –

Expenses	Rs.	Income	Rs.
Household exps.	20,000	Consultation fees	10,000
Car purchased	30,000	Visiting fees	20,000

Travelling exps. (Personal)	4,000	Gain on race (Gross)	10,000
Donation	1,000	Sale of ancestral House	34,000
Income Tax	2,000	Profit on Sale of Securities	6,000
Salaries	8,000	Dividend on Shares (Gross)	5,000
Gift to Daughter	7,000	Interest on Saving Bank of Post Office	600
Establishment exps.	1,000		
Surgical Equipments	4,000	Gift from Father in law	2,000
Books	1,200	Interest on Fixed Deposit (Gross)	1,300
L.I.C. Premium	2,000		
Wealth Tax	1,000	Bad debts recovered (Not allowed in earlier years)	2,000
Interest on Capital	1,000		
Surplus	8,700		
	90,900		90,900

मोटर कार पर 20% तथा शल्यकर्म यंत्रों पर स्वीकृत ह्रास 25% है। उसकी व्यवसाय से आय की गणना कीजिये।

Rate of depreciation on Car is 20% and Surgical equipments is 25%. Compute his income from profession. **(Vikram U. B. Com. 1997)**

उत्तर–पेशे की आय 12,800 रु.। **[50]**

संकेत–कार व शल्यकर्म यन्त्रों के क्रय की तिथि नहीं दी गई है, अतः ह्रास पूरे वर्ष का लगाया गया है। पुस्तकों पर 100% ह्रास लगाया गया है।

11. श्री पाण्डे एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हैं, जो निजी प्रेक्टिस करते है। वह एक महाविद्यालय में संध्याकालीन कक्षाएँ भी लेते हैं। वह अपनी पुस्तक रोकड़ पद्धति पर रखते हैं। उनका 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न है—

Shri Panday is a practising Chartered Accountant. He is also taking evening classes in a College. He keeps his books on a cash basis and his summarised Cash Account for the year ended 31st March, 1997 is as under :

	Rs.		Rs.
To balance b/d	3,464	By Office expenses	8,100
To Audit fees	33,225	By Books purchased	8,000
To Royalty from Book writting	20,000	By Expenses of Book writting	2,000
To Net salary after deduction of his provident fund contribution of Rs. 720	6,480	By Domestic exp.	10,000
		By Membership fees	200
		By Life Insurance Premium	6,000
		By Motor car exp.	2,400
To Examiner's fee	5,500	By Donations	569
To Dividends from Indian Company (Gross)	800	By Repairs of House Property	400
		By Loan given to Ram	3,000
To Dividend from Units		By Deposited in Post	

of Unit Trust of India (Gross)	1,100	Office Saving Bank Account	10,000
To Interest on Govt. Securities	200	By Income tax	400
To Interest from Post Office Saving Bank Account	500	By Balance c/d	26,500
To Rent from House Property	6,000		
To Interest from Ram's Loan	300		
	77,569		77,569

निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए वेतन, मकान सम्पत्ति तथा व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(i) कार्यालय व्ययों में कार्यालय के लिए क्रय किया गया 1,600 रु. का फर्नीचर सम्मिलित है। यह फर्नीचर जनवरी, 1997 में क्रय किया गया है।

(ii) कार-व्यय का एक तिहाई भाग निजी प्रयोग से सम्बन्धित है।

(iii) 1 अप्रैल, 1996 को मोटर कार का अपलिखित मूल्य 10,000 रु. तथा फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 2,400 रु. था। यह कार सितम्बर, 1995 में 12,500 रु. में क्रय की गई थी।

(iv) उसका नियोक्ता 900 रु. प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान करता है तथा $12\frac{1}{2}\%$ की दर से उसके भविष्य निधि कोष में 750 रु. ब्याज के जमा किये गये हैं।

(v) पुस्तके पेशे सम्बन्धी प्रयोग के लिये क्रय की गई हैं।

From the following information, compute his taxable income under the head 'Salaries' 'House Property' and 'Business and Profession' for the assessment year 1997-98 :

(i) Office expenses includes Rs. 1,600 being the cost of furniture [illegible]

(ii) [illegible] se.

(iii) The written down value of Motor Car on [illegible] was Rs. 10,000 [illegible] car was [illegible]

(iv) [illegible] ovident [illegible] interest [illegible] @ $12\frac{1}{2}\%$

(v) Books have been purchased for professional use **[51]**

उत्तर—वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय 4,940 रु.। मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय 4,800 रु. एवं व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय 33,272 रु.।

संकेत—प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में जमा ब्याज में से $\frac{1}{2}$% की दर से 30 रु. सम्मिलित किये गये हैं। स्वीकृत ह्रास 9,653 रु. है। परीक्षक के रूप में प्राप्त शुल्क अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य किया गया है।

श्री भगवानदास रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं। वे अपनी पुस्तकें रोकड़ प्रणाली पर रखते हैं तथा 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए उनका संक्षिप्त रोकड़ खाता निम्न प्रकार है—

Mr. Bhagwandas is registered Medical Practioner. He keeps his books on cash basis and his summarised cash account for the year ended 31st March, 1997 is as under :

	Rs.		Rs.
To balance b/d	2,700	By Costs of medicines	20,000
To Loan from bank	6,000	By Surgical equipments	6,000
To Sales of medicines	30,500		
To Consultation fees	10,000	By Motor car	12,000
To Visiting fees	8,000	By Car expenses	1,800
To Interest on investment	9,000	By Salaries	1,200
		By Rent of dispensary	1,200
To Rent from property (not subject to any local taxes)	7,200	By General expenses	600
		By Personal expenses	3,600
		By Life insurance premium	2,000
To Sale of Building	15,000		
To Sale of Furniture	5,000	By Interest on loan from Bank	360
		By Insurance of property	400
		By Fixed Deposit in Bank	30,000
		By Balance c/d	14,240
Total	93,400	Total	93,400

निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष 1996-97 के लिए उसकी पेशे की आय की गणना कीजिए—

(अ) कार व्ययों का एक तिहाई भाग निजी व्यय से सम्बन्धित है।

(ब) 1 अप्रैल, 1996 को मकान सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य 20,000 रु. था एवं फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 4,000 रु. था। इन समूहों में अन्य कोई सम्पत्ति नहीं थी।

(स) नई कार पर ह्रास दर 20% एवं चीरफाड़ के यन्त्रों पर ह्रास दर 25% है। नई कार मई, 1996 में क्रय की गई थी जबकि चीरफाड़ के यन्त्र दिसम्बर, 1996 में क्रय किये गये थे।

Compute his income from profession for the previous year 1996-97 taking into account the following further information :

(a) One third of motor car expenses is in respect of his personal use.

(b) The written down Value of Building on 1-4-1996 was Rs. 20,000 and W.D.V. of furniture was Rs. 4,000. There was no other asset in these Blocks.

(c) The rate of depreciation on new motor car is 20% and on surgical equipment it is 25%. New car was purchased in May, 1996 while the surgical equipments were purchased in December, 1996. [52]

उत्तर—पेशे की आय 21,590 रु.।

संकेत—भवन की बिक्री की हानि अल्पकालीन पूँजी-हानि है तथा फर्नीचर की बिक्री का लाभ अल्पकालीन पूँजी-लाभ है।

13. श्री नरेन्द्र का 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता निम्नलिखित है—

Shri Narendra's Trading and Profit and Loss Account for the year ended on 31st March, 1997 is as under—

	Rs.		Rs
Opening Stock	40,000	Sales	5,40,000
Purchases	2,05,000	Closing Stock	60,000
Wages	95,000		
Royalty	26,000		
Factory Expenses	45,000		
Gross Profit c/d	1,89,000		
	6,00,000		6,00,000
Rent, rates and taxes	3,000	Gross Profit b/d	1,89,000
Sundry expenses	5,300	Commission	8,000
Salaries and Bonus	9,500	Interest from customers	2,000
Contribution to R.P.F.	2,100	Dividends	5,000
Legal expenses	1,800	Contribution by employees towards R.P.F. a/c	2,100
Provision for depreciation	1,500		
Travelling expenses	4,000	Profit on sale of building	16,500
Repairs	5,800		
Entertainment exp.	14,400		
Rural development expenses	1,000		
Advertisement expenses	4,900		
Miscellaneous expenses	2,800		
Net Profit	1,66,500		
	2,22,600		2,22,600

(i) प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्कन्धों का लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है। बाजार मूल्य लागत मूल्य से अधिक था।

(ii) कारखाना व्ययों में एक कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर दी गयी 1,500 रु. की राशि सम्मिलित है।

(iii) कानूनी व्ययों में 500 रु. बिक्रीकर अपील तथा शेष एक देनदार से रकम वसूल करने हेतु चलाये गये मुकदमों से सम्बन्धित हैं।
(iv) स्वीकार्य ह्रास 1,800 रु. है।
(v) मरम्मत व्ययों में 3,000 रु. प्लाण्ट की मरम्मत कराने के व्यय के सम्मिलित हैं।
(vi) विज्ञापन व्ययों मे 3,000 रु. एक राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन* के सम्मिलित हैं।
(vii) ग्रामीण विकास व्ययों में 700 रु. अनुमोदित संस्था को अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने हेतु दिया गया भुगतान सम्मिलित है।
(viii) यात्रा व्यय में एक कर्मचारी को होटल व्यय के लिये दिये गये 3,100 रु. शामिल हैं। यह कर्मचारी एक दिन के लिए मुख्यालय से बाहर गया था।
(ix) 4,000 रु. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम के लिए अनुमोदित संस्थान को दिये गये है जो विविध व्ययों में सम्मिलित हैं।
(x) विविध व्ययों के 3,000 रु. एवं प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान की राशि अदत्त है।

व्यापार का कर-योग्य लाभ निर्धारित कीजिए।

(i) The value of opening and closing stock is at 20% below cost price. The market price was higher than the cost price.
(ii) A sum of Rs. 1,500 paid on the accident of an employee is included in the factory expenses.
(iii) Rs. 500 of the legal expenses relate to sales tax appeal and the rest to a suit filed for recovering an outstanding sum from a debtor.
(iv) Allowable depreciation is Rs. 1,800.
(v) Repair charges included Rs. 3,000 for repair of plant.
(vi) Advertisement expenses include Rs. 3,000 for advertisement in the souvenir published by a political party.
(vii) Rural development expenses include a payment of Rs. 700 made to an approved institution for carrying out an approved rural development programme.
(viii) Travelling expenses include Rs. 3,100 paid to an employee for hotel expenses. This employee went out of station for one day only.
(ix) Sundry expenses include Rs. 4,000 of a payment made to an approved institution under an approved programme for conservation of natural resources.
(x) Sundry expenses Rs. 3,000 and contribution to recognised provident fund are unpaid. [53]

Determine his taxable profits of business.

उत्तर—व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय 1,57,700 रु.।

संकेत—प्रारम्भिक एवं अन्तिम रहतियें के कम मूल्यांकन के समायोजन के कारण 5,000 रु. से लाभ बढ़ाने पड़ेंगे। दैनिक भत्ते की अस्वीकृत राशि 400 रु. है। प्रमाणित भविष्य-निधि में अदत्त राशि अस्वीकृत है। भविष्य निधि में जमा कराने हेतु कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान की राशि कर-योग्य है क्योंकि इसे जमा नहीं कराया गया है।

14. श्री धर्मदास का 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है—

The following is the Profit and Loss Account of Shri Dharam Das for the year ending 31st March, 1997—

	Rs.		Rs.
Office Salaries	80,000	Gross Profit b/d	6,50,000
Commission	25,000	Proceeds of an endowment policy	20,000
Machine Repair charges	45,000		
Rent	36,000	Profit on sale of Furniture	12,000
Depreciation	80,000		
Payment to National Laboratory	60,000	Sale proceeds of a machine used for scientific research	58,000
Sundry expenses	70,000		
Life Insurance premium	2,000		
Consultations fees	25,000		
Net Profit	3,17,000		
	7,40,000		7,40,000

अतिरिक्त सूचनाएँ—

(1) कमीशन की राशि में 2,000 रु. अदत्त कमीशन के शामिल हैं जो व्यापार के लिये आदेश प्राप्त करने के लिये हैं।

(2) मशीन मरम्मत व्ययों में जनवरी, 1997 में नई मशीन की स्थापना के व्यय के 5,000 रु. सम्मिलित हैं।

(3) इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी को भुगतान इस विशिष्ट निर्देश के साथ किया गया है कि इस राशि का प्रयोग निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के तहत ली गई वैज्ञानिक शोध के लिये ही किया जायेगा।

(4) परामर्श शुल्क में 15,000 रु. की राशि एक चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट को आय-कर सम्बन्धी परामर्श देने के लिये तथा 5,000 रु. की राशि अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष आय कर सम्बन्धी अपील में बहस के लिए दी गयी है।

(5) जीवन बीमा प्रीमियम करदाता को बीमा पॉलिसी का है।

(6) गत वर्ष में वैज्ञानिक शोध में प्रयोग आ रही एक मशीन 58,000 रु. में बेची गई। यह मशीन दो वर्ष पूर्व 50,000 रु. में खरीदी गई थी तथा सम्पूर्ण राशि की छूट उसी वर्ष स्वीकृत हो गई थी।

(7) सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

(अ) मशीन—वास्तविक लागत 2,00,000 रु. और 1 अप्रैल 1996 को अपलिखित मूल्य 90,000 रु.। 45,000 रु. की लागत की एक मशीन 1 जनवरी, 1997 को क्रय की गई जो ग्याहरवीं अनुसूची में वर्णित वस्तु के निर्माण हेतु प्रयोग की जाती है।

(ब) फर्नीचर—1 अप्रैल, 1996 को अपलिखित मूल्य 86,000 रु. था। फर्नीचर [illegible] लागत 27,500 रु. को [illegible] अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल,

1996 को 20,000 रु. था, 16 अगस्त, 1996 को 32,000 रु. में बेच दिया गया।

(8) 15 मई, 1996 को 40,000 रु. की एक मशीन वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु लगवाई गई है। यह मशीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री धर्मदास की व्यापार से कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

Additional Informations :

(1) Commission includes an outstanding commission of Rs. 2,000 in respect of securing orders for business.

(2) Machine repair charges include Rs. 5,000 paid in January, 1997 for installation of a new machine.

(3) The payment to Indian Institute of Technology has been given with the specific direction that the said sum would be used for the scientific research undertaken under a programme approved by the prescribed authority.

(4) Consultation fee has been paid to a chartered accountant Rs. 15,000 for Income-tax planning and Rs. 5,000 for arguing an income tax appeal before the Appellate Tribunal.

(5) The life insurance premium is for the insurance policy of the assessee.

(6) During the previous year a machine was sold for Rs. 58,000 which was being used for scientific research. It was purchased two years ago for Rs. 50,000 and the whole amount was allowed as deduction in the same year.

(7) The particulars of assets are as follows :

(a) **Machinery :** Actual Cost Rs. 2,00,000 and the written down value on 1-4-1996 Rs. 90,000. A new machine costing Rs. 45,000 was purchased on 1st January, 1997, which is being used for manufacture of articles listed in the Eleventh Schedule.

(b) **Furniture :** Written down value on 1-4-1996 Rs. 86,000. Furniture costing Rs. 27,500 of the written down value on 1-4-1996 Rs. 20,000 was sold on 16.8.1996 for Rs. [illegible]

(8) A machine costing Rs. [illegible] 1996 for control of air p[illegible] by the Central Government.

Compute the taxable income from Business of Shri Dharm Das for the assessment year 1997-98 (R.U.B. Com. 1996). [54]

उत्तर—व्यापार अथवा पेशे के लाभ 2,74,850 रु.।

15. श्री प्रकाश सिंह का 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है—

Following is the Profit and Loss Account of Mr. Prakash Singh for the year ended 31st March, 1997 :

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
Office Salaries	87,400	Gross Profit	2,65,000
Interest on capital	10,000	Bad debts recovered	2,500
General expenses	15,000	Interest on Government	
Rent	12,000	Securities	4,500
Expenses on acquisition		Income tax refund	2,000
of patent rights	21,000	Gift from uncle	5,000
Donation to National		Bonus received on keyman	
Defence Fund	1,500	Insnrance Policy	600
Entertainment expenses	12,000		
Provision for future losses	5,000		
Provision for Sales-tax	3,000		
Advance payment of			
Income tax	4,000		
Wealth tax paid	8,000		
Medical expenses	2,500		
Bad Debts	2,800		
Family Planning expenses	1,000		
Advertisement expenses	17,000		
Contribution to Recognised			
Provident Fund	15,000		
Net Profit	62,400		
	2,79,600		2,79,600

अतिरिक्त सूचनाएँ—

(1) डूबत ऋण की वसूली ऐसे ऋण के सम्बन्ध में हुई है जिसे प्रमाण के अभाव में निर्धारण अधिकारी ने स्वीकृत नहीं किया था।

(2) सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग का आधा भाग व्यापार से सम्बन्धित है।

(3) कार्यालय वेतन में 12,000 रु. की राशि मालिक के वेतन की सम्मिलित है।

(4) वे अपना व्यापार किराये के भवन में चलाते हैं, जिसका आधा भाग उनके स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त होता है।

(5) करदाता को बिक्री कर के सम्बन्ध में 3,000 रु. का माँग-पत्र प्राप्त हुआ है और उसने इस दायित्व पर कोई आपत्ति नहीं की है।

(6) चिकित्सा व्यय उनके स्वयं के इलाज से सम्बन्धित हैं।

(7) विज्ञापन व्ययों में निम्न भी शामिल हैं—

(अ) कलैण्डर व डायरियों के छपाई के 1,200 रु.,

(ब) एक नये उत्पाद पर विशेष विज्ञापन अभियान के लिए व्यय किये गये 1,500 रु.

(स) महत्त्वपूर्ण ग्राहकों को 5 टेलीविजन बाँटने के 12,000 रु.।

(8) प्रमाणित भविष्य निधि अंशदान में करदाता के अंशदान के 12,000 रु. देय तिथि के बाद किए भुगतान के सम्मिलित हैं। कर्मचारियों से अंशदान की प्राप्त राशि 15,000 रु. थी, जिसमें से भी 12,000 रु. देय तिथि के बाद भुगतान किये गये हैं।

(9) वेतन में 5,000 रु. की राशि बोनस की भी सम्मिलित है जो गणतन्त्र दिवस पर स्वेच्छा से घोषित किया गया था, परन्तु इसका अभी वास्तविक भुगतान नहीं किया गया है।

(10) सामान्य व्ययों में एक पुराने कर्मचारी को दी गई 2,500 रु. की क्षतिपूर्ति की राशि सम्मिलित है, जिसको नौकरी से हटा दिया गया था क्योंकि ऐसा करना व्यापार के हित में था।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री प्रकाश सिंह की व्यापार से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Additional Information—

(1) Bad debts recovered is in respect of such debt which were not allowed as bad previously by the Assessing officer for lack of proof.

(2) Half of the investment in Government securities is in the course of the business.

(3) Office salaries include Rs.12,000 being the salary of the proprietor.

(4) He carries on his business in a rented premises half of which is used by him for his own residence.

(5) The assessee has received the demand notice for sales tax amounting to Rs. 3,000 and he has not disputed his tax liability.

(6) Medical expenses are in respect of the treatment of the proprietor.

(7) Advertisement expenses include the following also—

(a) Rs. 1,200 being the cost of calenders and diaries.

(b) Rs. 1,500 spent on a special advertising compaign undertaken during the year in respect of a new product placed in the market.

(c) Rs. 12,000 being the cost of 5 television sets distributed to some important customers.

(8) Contribution to Provident Fund includes Rs. 12,000 assessee's contribution deposited after the due date. The contribution received from the employees amounted to Rs. 15,000 out of which also Rs. 12,000 have been deposited after the due date.

(9) Salaries include a sum of Rs. 5,000 being the amount of bonus declared voluntarily on the occasion of Republic Day but the actual payment has not been made so far.

(10) General expenses include Rs. 2,500 paid as compensation to an undesirable employee whose services were terminated in the interest of business.

Compute the taxable income from Business of Shri Prakash Singh for the assessment year 1997-98.

उत्तर—व्यापार अथवा पेशे के लाभ 1,56,650 रु.।

16. निम्नलिखित लाभ-हानि खाते से एक नवीन स्थापित उद्योग की 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष की विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए:

Compute the taxable income under different heads from the following Profit and Loss Account relating to a newly established industry of Shri Ram for the year ending 31st March 1997:

	Rs.		
Interest	30,000	Gross Profit	50,15,[illegible]
Salaries	5,60,000	Rent of House Property	20,[illegible]
Depreciation	4,10,000		
Preliminary exp.	1,00,000		
Advertisement	*3,00,000*		
Travelling exp.	1,00,000		
Entertainment exp.	30,000		
Rural Development exp.	3,00,000		
Miscellaneous exp.	1,00,000		
Net Profit	31,05,000		
	50,35,000		50,35,0[illegible]

(i) कारखाने में उत्पादन 1 अप्रैल, 1996 से प्रारम्भ हुआ।

(ii) वेतन के अन्तर्गत भारत में की गई सेवाओं के लिए एक कर्मचारी को भारत से बाहर चुकाये गये 55,000 रु. सम्मिलित हैं जिनमें से उद्गम स्थान पर कर न काटा गया है और न ही उस कर्मचारी ने आय-कर चुकाया है।

(iii) यात्रा व्यय में बिक्री बढ़ाने हेतु भारत के बाहर यात्रा व्यय के 60,000 रु. सम्मिलित हैं। सरकार से 40,000 रु. की राशि स्वीकृत हुई थी।

(iv) 31 मार्च, 1997 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 57,00,000 रु. जिसमें मशीनों की वास्तविक लागत के 14,00,000 रु. सम्मिलित हैं।

(v) सम्पूर्ण प्रारम्भिक व्यय इस वर्ष अपलिखित कर दिये गये हैं।

(vi) स्वीकार्य ह्रास 3,70,000 रु. है।

(vii) वित्तीय वर्ष 1995-96 में वैज्ञानिक शोध पर 2,00,000 रु. का व्यय हुआ जिसका विवरण अग्र प्रकार है :

मशीन 40,000 रु., शोध अधिकारी का वेतन 60,000 रु., शोध हेतु सामग्री 30,000 रु., प्रयोगशाला व्यय 70,000 रु.।

(viii) ब्याज के अन्तर्गत किराये पर उठे मकान को बनवाने हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज के 2,000 रु. सम्मिलित हैं।

(ix) विज्ञापन व्ययों में भारत के बाहर विज्ञापन के लिए 80,000 रु. सम्मिलित हैं। भारत में विज्ञापन व्ययों के 2,20,000 रु. में इस कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन के 60,000 रु. और लोकदल पार्टी द्वारा प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन के 14,000 रु. सम्मिलित हैं।

(x) विविध व्ययों में कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना हेतु चुकाये गये 22,000 रु. तथा ट्रस्ट को इस वर्ष का अंशदान 13,000 रु. सम्मिलित है जिसका भुगतान किया जा चुका है।

(i) The factory started production on 1st April, 1996.

(ii) Salaries include Rs. 55,000 paid to an employee outside India for services rendered in India, from which no tax has been deducted at source, nor the employee has paid any tax on it.

(iii) Travelling expenses include Rs. 60,000 for travelling outside India to promote sales outside India. The government sanctioned Rs. 40,000 only.

(iv) The actual cost of fixed assets on 31 March 1997 was Rs. 57,00,000 including actual cost of machinery Rs. 14,00,000.

(v) The whole of preliminary expenses have been written off this year.

(vi) The allowable depreciation is Rs. 3,70,000.

(vii) A sum of Rs. 2,00,000 was spent during the financial year 1995-96 on scientific research, the details of which are as follows:
Machinery Rs. 40,000, Pay of Research Officers Rs. 60,000, Materials consumed for research Rs. 30,000, Laboratory expenses Rs. 70,000.

(viii) Interest includes Rs. 2,000 payable on loan taken to construct the let out house property.

(ix) Advertisement expenses include Rs. 80,000 for advertisement outside India. The advertisement expenses in India Rs. 2,20,000 include Rs. 60,000 paid for salary to the employees engaged in this work and Rs. 14,000 for an advertisement in a souvenir published by the Lokdal Party.

(x) Miscellaneous expenses include Rs. 22,000 paid for setting up an Employees Welfare Trust and Rs. 13,000 as contribution to the Trust for the year which has been paid. [56]

(M.D.U.B. Com. 1997)

उत्तर—मकान सम्पत्ति से आय 14,000 रु. एवं व्यापार के लाभ 35,21,000 रु.।

संकेत—कर्मचारियों के कल्याण के लिये स्थापित ट्रस्ट को अंशदान अस्वीकृत है।

17. श्री मेहता एक दवाई उद्योग चलाते हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उसके लाभ हानि खाते ने *14,50,000* रु. का लाभ प्रकट किया। निम्न अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुये कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी व्यवसाय की आय की गणना कीजिए :

I. लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में निम्न को सम्मिलित किया गया है :

(i) गत वर्ष के दौरान उसने 5 वर्ष के लिये दूर-संचार सेवाओं के संचालन का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये 60,000 रु. चुकाए।

(ii) कर्मचारियों में *परिवार नियोजन कार्यक्रम* को प्रोत्साहित करने के लिये 10,000 रु. व्यय किये। इसमें 3,000 रु. का व्यय पूँजीगत प्रकृति का था।

(iii) उसने राजस्थान विश्वविद्यालय को 40,000 रु. का दान दिया। विश्वविद्यालय द्वारा इस राशि का प्रयोग अनुमोदित शोध कार्यक्रम के संचालन के लिये ही करना है।

(iv) उसे विक्रय-कर विभाग से 12,000 रु. का कर के भुगतान का मांग-पत्र प्राप्त हुआ था। उसने नक्शा भरने की निर्धारित तिथि तक इसका भुगतान नहीं किया था परन्तु लाभ हानि खाते में सम्पूर्ण राशि के लिये प्रावधान कर लिया था।

(v) 31 मार्च, 1997 को दलालों के कमीशन की 8,000 रु. की राशि अदत्त थी। इसका भुगतान बाद में *1998* में किया गया।

(vi) एक अवधि ऋण पर अनुसूचित बैंक को देय 25,000 रु. की ब्याज की राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया गया था।

(vii) कर्मचारियों के प्रमाणित भविष्य निधि में उसका अंशदान 40,000 रु. का था। इसमें से 12,000 रु. की राशि का भुगतान देय तिथि के बाद किया गया था।

(viii) प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष में *1,00,000* रु. का दान दिया गया था।

(ix) अंकेक्षकों को उनके पेशे सम्बन्धी शुल्क के लिये 30,000 रु. का भुगतान *किया गया जिसमें 12,000 रु. आय कर के कार्य के सम्मिलित थे।*

(x) अतिथिगृह पर 10,000 रु. का व्यय किया गया था।

II. लाभ-हानि खाते के जमा में निम्न राशियों को सम्मिलित किया गया है—

(i) कर्मचारियों को किराये पर दिये गये क्वार्टर्स का किराया 1,50,000 रु। करदाता के व्यापार के कुशल एवं सुचारु संचालन के लिये इन क्वार्टर्स में कर्मचारियों का निवास लाभप्रद था।

(ii) एक मशीन का विक्रय मूल्य 1,50,000 रु.। मशीन का अपलिखित मूल्य 80,000 रु. था। इस समूह में अन्य कोई सम्पत्ति नहीं थी। ह्रास की निर्धारित दर 25% है।

III. वह निम्न के लिये कटौती की उचित राशि का दावा प्रस्तुत करता है—

(i) उसने 3 वर्ष पूर्व एक एकस्व अधिकार ... रु. में क्रय किया था।

(ii) 6 वर्ष पूर्व खर्च किये व्यय 30,00 ... व्यय के सम्बन्ध में। उस गत वर्ष ... दिन स्थाई ... 10,00,000 रु. था।

Mr. Mehata ... istry. ... Account showed a net profit of ... 1997. After considering th... his tax... income from ...

I. The debit of the P.&.L. a/c includes the following–

(i) During the previous year he paid Rs. 60,000 for obtaining a licence for the operation of telecommunication services for 5 years.

(ii) He spent Rs. 10,000 for the promation of family planning programme among the employees. The expenditure of Rs. 3,000 was of capital nature.

(iii) He donated Rs. 40,000 to Rajasthan University. The amount is to be used by the University in conducting an approved research programme.

(iv) He had received a demand notice for payment of tax for Rs. 12,000 from the sales tax department. He did not pay the amount till due date for furnishing return but made provision of the whole amount in Profit & Loss account.

(v) Commission to brokers was outstanding on 31st March, 1997 to the extent of Rs. 8,000. It was later on paid in 1998.

(vi) Interest amounting to Rs. 25,000 on a term loan was not paid to a scheduled bank till due date.

(vii) His contribution to employees recognised provident fund was Rs. 40,000. Out of it Rs. 12,000 were paid after due date.

(viii) Donation of Rs. 1,00,000 was given to Prime Minister National Relief Fund.

(ix) Rs. 30,000 were paid to the auditors for their professional fees including Rs. 12,000 for income tax purpose.

(x) An expenditure of Rs. 10,000 were incurred in the maintenance of a guest house.

II. The credit of the profit and loss account include the following:

(i) Rent of quarters let out to employees Rs. 1,50,000 The presence of employees in these quarters were beneficial for the smooth and efficient conduct of the business of the assessee.

(ii) Sale price of a machine Rs. 1,50,000. The written down value of the machine was Rs. 80,000. There was no other asset in this block. Prescribed rate of depreciation is 25%

III. He claims appropriate deduction for the following:

(i) Regarding purchase of patent right 3 years ago for Rs. 56,000.

(ii) Regarding preliminary expenses of Rs. 30,000 incurred 6 years ago. The value of fixed assets on the last day of that previous year was 10,00,000. [57]

उत्तर—व्यवसाय की आय 15,00,500 रु.।

■■■

8
पूँजी लाभ
(Capital Gains)

धारा 45(1) के अनुसार गत वर्ष में किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाया जाता है। पूँजी लाभ उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिस गत वर्ष में पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है।

पूँजी लाभ की उक्त परिभाषा में दो महत्त्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रथम तो पूँजी सम्पत्ति एवं दूसरे हस्तान्तरण। पूँजी लाभ सम्बन्धी व्यवस्थाओं का भली प्रकार अध्ययन करने के लिए इन दोनों शब्दों की विस्तृत जानकारी आवश्यक है।

पूँजी सम्पत्ति—धारा 2(14) के अनुसार पूँजी सम्पत्ति से आशय करदाता द्वारा रखी गयी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है, चाहे वह सम्पत्ति उसके व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित है अथवा नहीं, परन्तु इसमें निम्न सम्पत्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है—

(i) करदाता के व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य के लिए रखा गया कोई भी व्यापारिक रहतिया, उपभोग्य सामग्री तथा कच्चा माल (Stock in trade)।

(ii) व्यक्तिगत वस्तुयें अर्थात् चल सम्पत्ति (पहनने के वस्त्र एवं फर्नीचर सहित परन्तु जेवर को छोड़कर) जिसको करदाता अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखता है। जेवर में निम्न शामिल हैं—

(अ) सोना, चाँदी, प्लेटीनम, अन्य किसी मूल्यवान धातु या इनके मिश्रण से बने हुए आभूषण चाहें वे पहनने के वस्त्रों में लगे हुए हों अथवा नहीं।

(ब) मूल्यवान एवं अर्द्धमूल्यवान पत्थर चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य किसी वस्तु में सैट किये हुए हों अथवा नहीं अथवा वे पहनने के वस्त्रों में लगे हुए हों अथवा नहीं।

(iii) भारत में कृषि भूमि—भारत में स्थित कृषि भूमि को पूँजी सम्पत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। परन्तु निम्नलिखित भूमियों को 1 मार्च, 1970 से कृषि भूमि में शामिल नहीं किया जाता है—

(अ) नगरपालिका अथवा कैन्टूनमेंट बोर्ड की सीमा में स्थित भूमि बशर्ते सम्बन्धित गत वर्ष के पहले की जनगणना के अनुसार उस नगरपालिका अथवा कैन्टूनमेंट बोर्ड की आबादी 10,000 से कम न हो।

(ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में घोषणा किये जाने पर उपरोक्त प्रकार की किसी नगरपालिका अथवा कैन्टूनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के अन्दर स्थित भूमि।

परन्तु यदि 29 फरवरी, 1988 के बाद किसी पूँजी सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये की तरह हस्तान्तरित किया जाता है तो ऐसे हस्तान्तरण को इस धारा के अन्तर्गत भी हस्तान्तरण माना जायेगा।

(iv) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बशर्ते जिस कम्पनी को हस्तांतरण हो रहा है वह एक भारतीय कम्पनी है;

(v) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकृत होने वाली कम्पनी (Amalgamating Company) के अंशधारी द्वारा इस कम्पनी के अंशों का हस्तांतरण बशर्ते—

(अ) हस्तान्तरण एकीकरण करने वाली कम्पनी (Amalgamated Company) के अंशों के प्रतिफल में हुआ हो; तथा

(ब) एकीकरण करने वाली कम्पनी (Amalgamated Company) एक भारतीय कम्पनी हो;

(vi) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकृत होने वाली विदेशी कम्पनी द्वारा धारित किसी भारतीय कम्पनी के अंशों का पूँजी सम्पत्ति के रूप में एकीकरण करने वाली विदेशी कम्पनी को हस्तान्तरण बशर्ते—

(अ) एकीकृत होने वाली विदेशी कम्पनी के कम से कम 25% अंशधारी एकीकरण करने वाली विदेशी कम्पनी में अंशधारी बने रहें; एवं

(ब) ऐसे हस्तान्तरण पर उस देश में पूँजी लाभों पर कोई कर नहीं लगाया जाता है जिस देश में एकीकृत होने वाली कम्पनी का समामेलन हुआ है।

(vii) एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेशी मुद्रा में क्रय किये गये बॉण्ड्स अथवा अंशों का पूँजी सम्पत्ति के रूप में विदेश में हस्तान्तरण।

(viii) सरकार अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय म्यूजियम, राष्ट्रीय कला गैलरी (Gallary), राष्ट्रीय आर्चिज्म अथवा अन्य कोई सार्वजनिक म्यूजियम अथवा संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार ने राजकीय गजट में राष्ट्रीय महत्त्व का अथवा किसी राज्य में प्रसिद्ध स्थान घोषित कर दिया हो, को हस्तान्तरित कोई कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक संग्रह, पुस्तक, पाण्डुलिपि, ड्राइंग, पैंटिंग, फोटोग्राफी आदि पूँजी सम्पत्ति, तथा;

(ix) किसी कम्पनी के बॉण्ड्स, ऋण-पत्रों, ऋण-पत्र स्टॉक या जमा प्रमाणपत्रों का उसी कम्पनी के अंशों अथवा ऋण-पत्रों में परिवर्तन।

पूँजी सम्पत्तियों के प्रकार
(Kinds of Capital Assets)

करदाता की पूँजी सम्पत्तियों को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया गया है—

(1) अल्पकालीन पूँजी सम्पत्तियाँ (Short-term Capital Assets) – अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति से आशय ऐसी पूँजी सम्पत्ति से होता है जो हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह या इससे कम अवधि के लिए रही हो।

परन्तु एक कम्पनी के अंशों, भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेन्ज पर सूचित प्रतिभूतियों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट्स तथा धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष की इकाइयों को अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति उसी दशा में कहा जायेगा जबकि ये अंश हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह या इससे कम अवधि के लिए रहे हों।

अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ कहलाता है। इसी प्रकार अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाली हानि अल्पकालीन पूँजी हानि कहलाती है।

(2) *दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियाँ (Long term Capital Assets)* – दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से आशय ऐसी पूँजी सम्पत्ति से होता है जो हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए रही हो।

परन्तु एक कम्पनी के अंशों, भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेन्ज मर सूचित प्रतिभूतियों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट्स तथा धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष की इकाइयों को दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति उसी दशा में कहा जायेगा जबकि ये अंश हस्तान्तरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह से अधिक अवधि के लिए रहे हों।

दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहलाता है। इसी प्रकार दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाली हानि दीर्घकालीन पूँजी हानि कहलाती है।

सम्पत्ति के रहने की अवधि का निर्धारण

(Determination of period of holding of an asset)

कोई सम्पत्ति किसी करदाता के पास कितनी अवधि के लिए रही है, इस तथ्य का निर्धारण करते समय निम्न नियमों को ध्यान में रखना होगा—

(i) समापन में गई हुई किसी कम्पनी के अंशों की दशा में उस कम्पनी के समापन में जाने की तिथि के बाद की अवधि को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii) यदि कोई सम्पत्ति किसी करदाता को धारा 49(1) में वर्णित दशाओं के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, तो पूर्व स्वामी के पास यह सम्पत्ति जितनी अवधि के लिए रही है, उस अवधि को शामिल कर लिया जायेगा। धारा 49(1) का वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

(iii) यदि किसी करदाता को एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत भारतीय कम्पनी के अंश प्राप्त हुए है तो इन अंशों की अवधि निर्धारित करने के लिए उस अवधि को भी शामिल कर लिया जायेगा जिस अवधि के लिए करदाता के पास एकीकृत होने वाली कम्पनी के अंश रहे हों।

(iv) यदि कोई वित्तीय सम्पत्ति (अंश अथवा प्रतिभूति) किसी करदाता ने उस वित्तीय सम्पत्ति को अभिदान करने के अधिकार के कारण प्राप्त की है अथवा ऐसी सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त की है जिसके पक्ष में करदाता ने इस सम्पत्ति को अभिदान करने का अधिकार

त्यागा है, तो ऐसी सम्पत्ति की अवधि की गणना ऐसी सम्पत्ति के आवंटन की तिथि से की जायेगी।

(v) यदि कोई सम्पत्ति किसी वित्तीय सम्पत्ति को अभिदान करने के अधिकार के रूप में है तथा जिसे किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग दिया गया है तो ऐसे अधिकार की अवधि की गणना कम्पनी अथवा संस्था द्वारा ऐसा प्रस्ताव किये जाने की तिथि से की जायेगी।

(vi) यदि किसी करदाता के पास अंश, प्रतिभूति या यूनिट के रूप में कोई पूंजी सम्पत्ति है जो उसे अन्य किसी पूंजी, सम्पत्ति का धारक होने के फलस्वरूप बिना किसी भुगतान के आवंटित हुई है, (बोनस अंश) तो ऐसी सम्पत्ति की उसके पास रहने की अवधि की गणना उस पूंजी सम्पत्ति (बोनस अंश) के आवंटन की तिथि से होगी। [धारा 2 (42 A)]

किसी करदाता के पास अंश एवं प्रतिभूतियों के रहने की अवधि का निर्धारण करने के लिये उपर्युक्त नियमों के अलावा प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी किये गये प्रपत्र क्रमांक 704 दि. 28-4-95 में दिये गये निम्न स्पष्टीकरण भी महत्वपूर्ण हैं—

(अ) यदि अंशों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय स्कन्ध विनिमय के माध्यम से हुआ हो तो दलाल के नोट की तिथि को ही विक्रेता के लिये हस्तान्तरण की तिथि तथा क्रेता के लिये प्राप्ति की तिथि माना जायेगा बशर्ते कि सौदे के बाद अंशों अथवा प्रतिभूतियों की तथा हस्तान्तरण संलेख की सुपुर्दगी हुई हो।

(ब) यदि अंशों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय स्कन्ध विनिमय के माध्यम से न होकर पक्षकारों के मध्य सीधा हुआ है तो उन पक्षकारों द्वारा घोषित विक्रय अनुबन्ध की तिथि को ही हस्तान्तरण की तिथि माना जायेगा बशर्ते कि सौदे के पश्चात् अंशों अथवा प्रतिभूतियों की तथा हस्तान्तरण के संलेख की वास्तव में सुपुर्दगी हुई हो।

(स) यदि एक ही संस्था के अंश-अथवा प्रतिभूतियाँ अलग-अलग तिथियों को अलग-अलग समूह (lots) में क्रय विक्रय की गई हों तथा यह निर्धारण करना सम्भव नहीं हो कि कौनसे नम्बर की प्रतिभूति किस तिथि को खरीदी गई अथवा बेची गई थी तो प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि (FIFO Method) के अनुसार प्रतिभूतियाँ विक्रय की गई मानी जायेंगी तथा अन्त में क्रय की गई प्रतिभूतियाँ स्टॉक में बची मानी जायेंगी।

पूँजी लाभों की गणना करने का तरीका
(Mode of Computation of Capital Gains)

धारा 48 के अनुसार पूँजीलाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना करने के लिए किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त अथवा प्राप्य सम्पूर्ण प्रतिफल में से निम्न राशियाँ घटाई जायेंगी—

(i) ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर किये गये व्यय; जैसे—दलाली, रजिस्ट्रेशन फीस, कानूनी व्यय आदि।

(ii) सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा यदि इसमें कोई सुधार करवाया गया हो तो सुधार की लागत।

परन्तु यदि दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से दीर्घकालीन पूँजी लाभ होता है तो उपरोक्त उप-वाक्यांश (ii) में उल्लेखित प्राप्त करने की लागत अथवा सुधार की लागत के

स्थान पर क्रमशः प्राप्त करने की निर्देशित लागत (Index cost of acquisition) एंव सुधार की निर्देशित लागत (Indexed cost of any improvement) मानी जाये।

स्पष्टीकरण—

(i) 'प्राप्त करने की निर्देशित लागत (Indexed cost of acquisition)—प्राप्त करने की निर्देशित लागत से अभिप्राय उस राशि से है जो प्राप्त करने की लागत से वही अनुपात रखती है जो सम्पत्ति हस्तान्तरित होने वाले वर्ष का 'लागत प्रसार सूचकांक' (Cost Inflation Index) करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्त किये जाने वाले प्रथम वर्ष अथवा 1 अप्रेल, 1981 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष (जो भी बाद में हो) के लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index) से रखता है।

प्राप्त करने की निर्देशित लागत की गणना करने के लिए प्राप्त करने की लागत को सम्पत्ति हस्तान्तरित होने वाले वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक से गुणा किया जाता है तथा करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्त किये जाने वाले वर्ष अथवा 1 अप्रैल, 1981 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष (दोनों में जो भी बाद में हो) के लागत प्रसार सूचकांक से भाग दिया जाता है। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

Indexed Cost of acquisition =

Cost of acquisition × Cost Inflation Index of the year in which the asset is transferred ÷ Cost Inflation Index of the year of acquisition or the year beginning on 1-4-1981, whichever is latter.

(ii) सुधार की निर्देशित लागत (Indexed Cost of any improvement)—सुधार की निर्देशित लागत से अभिप्राय उस राशि से है जो सुधार करवाने की लागत से वही अनुपात रखती है जो सम्पत्ति हस्तान्तरित होने वाले वर्ष का लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index) सुधार किये जाने वाले वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index) से रखता है।

सुधार की निर्देशित लागत की गणना करने के लिए सुधार की लागत को सम्पत्ति हस्तान्तरण होने वाले वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक से गुणा किया जाता है तथा सम्पत्ति में सुधार किये जाने वाले वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक का भाग दिया जाता है। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

Indexed cost of any improvement =

Cost of Improvement × Cost Inflation Index of the year in which asset is transferred ÷ Cost Inflation Index of the year in which improvement took place.

(iii) लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index)—किसी वर्ष के लिए लागत प्रसार सूचकांक से आशय ऐसे सूचकांक से है जिसे केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करके इस आशय के लिए निर्दिष्ट करे।

केन्द्रीय सरकार ने जो लागत प्रसार सूचकांक जारी किये हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

वित्तीय वर्ष (Financial Year)	लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index)	वित्तीय वर्ष (Financial Year)	लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index)
1981-82	100	1989-90	172
1982-83	109	1990-91	182
1983-84	116	1991-92	199
1984-85	125	1992-93	223
1985-86	133	1993-94	244
1986-87	140	1994-95	259
1987-88	150	1995-96	281
1988-89	161	1996-97	305

(iv) प्राप्त करने की निर्देशित लागत एवं हस्तान्तरण के व्ययों के योग को हस्तान्तरण से प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिफल में से घटाया जायेगा तथा शेष राशि दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि होगी। इस राशि में से धारा 54, 54B, 54D, 54EA, 54EB, 54F एवं 54G की कटौतियाँ यदि लागू हों तो दे दी जायेगी। शेष राशि दीर्घकालीन पूँजी लाभ की कर-योग्य राशि होगी जिस पर धारा 112 के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया जायेगा।

Illustration 1.

Mr. Amar Chand purchased 2,000 square meters of land at Rs. 100 per square meter in 1970 and sold the same at Rs. 500 per square meter in December, 1996. The fair market value of the said plot as on 1-4-1981 was Rs. 150 per square meter. Expenditure incurred in connection with the sale on account of brokerage etc. is Rs. 20,000. Compute the amount of long term capital gain for the assessment year 1997-98.

श्री अमरचन्द ने 1970 में 2,000 वर्ग मीटर भूमि 100 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी तथा इसे दिसम्बर, 1996 में 500 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया। 1-4-1981 को भूमि के इस प्लाट का उचित बाजार मूल्य 150 रु. प्रति वर्ग मीटर था। विक्रय के सम्बन्ध में दलाली आदि पर 20,000 रु. के व्यय किये गये। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Long term Capital Gain for the Assessment Year 1997-98

	Rs.	Rs.
Sale price of 2000 square meter @ Rs. 500 per square meter		10,00,000
Less : (i) Cost of acquisition in 1970 2000 square meters @ Rs. 100 per square meter		
Fair market value on 1-4-1981		

2000 square meters @ Rs. 150 per square meter	3,00,000	
Indexed cost of acquisition u/s 48 Rs. 3,00,000 (being F.M.V.on 1-4-1981 × 305) (being cost Inflation Index of the year of sale i.e. 1996-97) ÷ 100 (being cost Inflation Index of the year 1981-82)	9,15,000	
(ii) Expenditure in connection with sale	20,000	9,35,000
Long Term capital gain		65,000

कुछ विशिष्ट दशाओं में पूँजी लाभों की गणना

1. पूँजी सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित करने की दशा में पूँजी लाभ की गणना—यदि किसी पूँजी सम्पत्ति का स्वामी अपनी पूँजी सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित कर लेता है तो इसे हस्तान्तरण माना जाता है, परन्तु ऐसे हस्तान्तरण से होने वाली आय उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में व्यापारिक रहतिये को बेचा जाता है अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित किया जाता है।

ऐसी स्थिति में परिवर्तन की तिथि के उचित बाजार-मूल्य को ही हस्तान्तरण से प्राप्य या उपार्जित प्रतिफल माना जायेगा तथा इस राशि में से उस पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत घटाकर पूँजी लाभ की राशि ज्ञात कर ली जाएगी।

ऐसी सम्पत्ति के वास्तविक विक्रय से प्राप्त प्रतिफल व परिवर्तन की तिथि के बाजार मूल्य का अन्तर व्यापारिक लाभ या हानि होती है।

Illustration 2.

Mr. Nirmal Singh owns a piece of land which he had purchased in July, 1979 for Rs. 1,20,000. On 1-5-1991 he started business of real estate and treated the land as stock in trade of that business which closed its accounts on 31st March. The value adopted for the land in the business on 1-5-1991 was Rs. 7,50,000. The fair market value on that date was Rs. 5,00,000. On 1-7-1996 he sells the land for Rs.15,00,000 to a builder. Calculate his Business income and Capital gain for the assessment year 1997-98.

What difference would it make if the assessee adopts the fair market value of 1-4-1981 as cost of acquisition of the land, the fair market value on 1-4-1981 being Rs. 2,00,000 ?

The cost inflation index for the year 1981-82, 1991-92 and 1996-97 are 100, 199 and 305 rerpectively.

श्री निर्मलसिंह के पास एक भूमि का टुकड़ा था जो उसने जुलाई, 1979 में 1,20,000 रु. में खरीदा था। 1-5-1991 को उसने भूमि एवं भवन के क्रय-विक्रय का व्यापार प्रारम्भ किया एवं भूमि के टुकड़े को उस व्यवसाय का माल (Stock) मान लिया जिसके खाते 31 मार्च को बन्द किये जाते हैं। व्यवसाय के लिए भूमि का मूल्य 7,50,000 रु. माना गया। उस दिन इसका उचित बाजार मूल्य 5,00,000 रु. था। 1-7-1996 को उसने एक भवन निर्माता को यह

भूमि 15,00,000 रु. में बेच दी। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी व्यापार की आय एवं पूँजी लाभ की राशि ज्ञात कीजिए।

क्या फर्क पड़ेगा यदि करदाता 1-4-1981 के उचित बाजार मूल्य को इस भूमि को प्राप्त करने की लागत मानता है? 1-4-1981 को इसका उचित बाजार मूल्य 2,00,000 रु. था।

लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 1981-82, 1991-92 एवं 1996-97 के लिये क्रमशः 100, 199 एवं 305 है।

Solution :

Assessment Year 1997-98

(i) Capital gain on conversion of land to stock in trade

		Rs.
Fair market value on 1-5-1991 being the date of Conversion		5,00,000
Less : Cost of acquisition in July, 1979 Rs.	1,20,000	
indexed Cost of acquisition u/s 48 Cost of acquisition × Cost Inflation Index of the year in which asset is transferred ÷ Cost Inflation Index of the year of acquisition or the year beginning on 1-4-1981 whichever is latter i. e. Rs. 1,20,000 × 199 ÷ 100		2,38,800
Long term Capital gain		2,61,200

(ii) Business income on sale of land :

Sale Proceeds	15,00,000
Less : Cost of acquisition being fair market value on the date of conversion i.e. 1-5-1991	5,00,000
Business Income	10,00,000

टिप्पणी—(i) 31 मार्च 1984 के बाद यदि कोई करदाता अपनी पूँजी सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये में बदल लेता है तो इसे हस्तान्तरण माना जाता है परन्तु पूँजी लाभ उस वर्ष में उत्पन्न होगा जिस वर्ष में उस पूँजी सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये के रूप में बेचा जाता है।

(ii) पूँजी लाभ अथवा व्यापारिक लाभों की गणना करने के लिए हस्तान्तरण की तिथि को उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य ही आधार माना जाता है, भले ही व्यापारी ने अपनी पुस्तकों में उस पूँजी सम्पत्ति का कुछ भी मूल्य निर्धारित किया हो।

(iii) यदि 1-4-1981 को भूमि का उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने की लागत मानी जाती है तो व्यापारिक लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परन्तु पूँजी लाभों की गणना अग्र प्रकार की जायेगी—

		Rs.
Fair market value on 1-5-1991 being the date of Conversion		5,00,000
Less : Cost of acquisition being fair market value on 1-4-1981	Rs. 2,00,000	
Indexed Cost of acquisition u/s 48 Cost of acquisition × Cost Inflation Index of the		

year in which asset is transferred ÷ Cost Inflation Index of the year of acquisition or the year beginning on 1-4-1981 whichever is latter
i.e. Rs. 2,00,000 × 199 ÷ 100 | 3,98,000

Long term Capital gain | 1,02,000

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—(i) यदि करदाता ने कोई सम्पत्ति 1-4-1981के पहले प्राप्त की थी तथा उसने 1-4-1981 का उचित बाजार मूल्य मानने का विकल्प नही अपनाया है तब भी लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index) वित्तीय वर्ष 1981-82 का ही अपनाना होगा। इसके पूर्व के लागत प्रसार सूचकांक सरकार ने अधिसूचित नही किये हैं। अतः उपरोक्त उदाहरण संख्या-2 की दोनों ही परिस्थितियों में प्राप्ति के वर्ष के लागत प्रसार सूचकाक का भाग देते समय 100 का भाग दिया गया है। सम्पत्ति के प्राप्त करने की निर्देशित लागत ज्ञात करने के लिए सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत को हस्तान्तरण के वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक का गुणा किया जाता है। सम्पत्ति का माना गया हस्तान्तरण तो सम्पत्ति को स्टॉक में परिवर्तन करने के वर्ष में ही हो जाता है अतः उसी वर्ष के लागत प्रसार सूचकांक से गुणा किया गया है।

2. एक व्यक्ति द्वारा फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभों की गणना—यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कोई पूँजी सम्पत्ति निम्न संस्थाओं की पूँजी के रूप में या अन्य किसी रूप में हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसे हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाला लाभ पूँजी-लाभ के रूप में कर-योग्य होगा—

(अ) ऐसी फर्म को जिसमें वह साझेदार है अथवा बन जाता है।

(ब) व्यक्तियों के ऐसे समुदाय को जिसका वह सदस्य है अथवा बन जाता है।

उक्त लाभ उस गत वर्ष की आय माना जायेगा जिसमें पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण हुआ है। पूँजी लाभों की गणना करने के लिए इस प्रकार हस्तान्तरित सम्पत्ति से प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल वह धनराशि होगी जिस पर उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय ने अपनी पुस्तकों में लेखा किया है। इस प्रतिफल में से प्राप्त करने की लागत एवं हस्तान्तरण के खर्चे घटाकर पूँजी लाभ की राशि ज्ञात कर ली जायेगी।

Illustration 3.

Sandeep acquired a property by way of gift from his uncle on 10th December, 1994. His uncle had acquired the property in the previous year 1992-93 for Rs.2,40,000. On 1st January, 1997 Sandeep became a partner in a partnership firm and introduced this property as his capital contribution to the firm. The market value of the property on 1st January, 1997 was Rs. 8,00,000, but it was recorded in the books of accounts of the firm at Rs. 5,00,000. Compute the amount of capital gain chargeable in the hands of Sandeep for the assessment year 1997-98 The cost inflation index of the year 1994-95 is 259.

श्री सन्दीप ने 10 दिसम्बर, 1994 को एक सम्पत्ति अपने चाचा से उपहार में प्राप्त की। उसके चाचा ने यह सम्पत्ति गत वर्ष 1992-93 में 2,40,000 रु. में प्राप्त की थी। 1 जनवरी, 1997 को संदीप एक साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित हुआ एवं इस सम्पत्ति को अपनी पूँजी के अंशदान के रूप में हस्तान्तरित कर दिया। 1 जनवरी, 1997 को इस सम्पत्ति

का बाजार मूल्य 8,00,000 रु. था परन्तु फर्म की पुस्तकों में इसका लेखा 5,00,000 रु. पर ही किया गया था। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये संदीप के कर योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए। वर्ष 1994-95 का लागत वृद्धि सूचकांक 259 है।

Solution :

Computation of Taxable Capital Gain of Mr. Sandeep for the Assessment Year 1997-98

	Rs
Full Value of consideration	5,00,000
Less : Indexed cost of acquisition	
Rs. 2,40,000 × 305 ÷ 259	2,82,625
Long term capital gain	2,17,375

टिप्पणी—1. हस्तान्तरण का पूर्ण प्रतिफल वह राशि ली जायेगी जिस पर फर्म ने अपनी पुस्तकों में लेखा किया है।
2. सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत भूतपूर्व मालिक की लागत ली जायेगी।
3. करदाता के पास सम्पत्ति रहने की अवधि में उस अवधि को भी सम्मिलित किया जायेगा जिस अवधि के लिये वह पूर्व मालिक के पास रही थी।
4. लागत प्रसार सूचकांक उस वर्ष का काम आयेगा जिस वर्ष करदाता पहली बार इस सम्पत्ति का स्वामी बना था।

3. फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर सम्पत्तियों के वितरण की दशा में पूँजी लाभों की गणना—फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर पूँजी सम्पत्ति के वितरण के रूप में पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ उस गत वर्ष का पूँजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तान्तरण हुआ है। पूँजी लाभों की गणना करने के लिए ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि का उचित बाजार मूल्य ही ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण में प्राप्य या उपार्जित प्रतिफल माना जाएगा। इस प्रतिफल में से धारा-48 में वर्णित राशियाँ घटाकर पूँजी लाभ की राशि ज्ञात कर ली जाएगी।

Illustration 4.

A, B and C are partners in a firm. The firm was dissolved on 31-3-1997. The assets of the firm were distributed to the partners as under.

अ, ब, एवं स एक फर्म में साझेदार हैं। 31-3-1997 को फर्म का समापन हो गया। फर्म की सम्पत्तियाँ साझेदारों में निम्न प्रकार वितरित की गई :

Particulars	Office Building (taken by A)	Shares (taken by B)	Land (taken by C)
Year of acquisition	1987-88	1992-93	1976-77
	Rs.	Rs.	Rs.
Cost of acquisition	9,00,000	60,000	15,000
Market value on 31-12-1996	4,50,000	4,50,000	4,50,000
W.D.V. as on 1-4-1996	3,60,000	–	–

Agreed Value as per dissolution deed	2,50,000	2,50,000	2,50,000
Market value as on 1-4-1981	–	–	60,000

Compute the taxable amount of capital gain of the firm for the assessment year 1997-98. The cost inflation index of the year 1992-93 in 223.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म के कर योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए। 1992-93 वर्ष का लागत वृद्धि सूचकांक 223 है।

Solution :

Computation of Taxable Capital Gain of Firm for the Assessment Year 1997-98

	Rs.	Rs.
Short term capital gain on building		
Sale consideration (market value)		4,50,000
Less : Cost of acquisition (i.e.W.D.V. on 1-4-96)		3,60,000
Short term capital gain		90,000
Long term Capital Gain		
(a) On shares		
Sale consideration	4,50,000	
Less : Indexed cost of acquisition $(60,000 \times 305 \div 223)$	82,063	3,67,937
(b) On land		
Sale consideration	4,50,000	
Less : Indexed cost of acquisition $(60,000 \times 305 \div 100)$	1,83,000	2,67,000
Long term capital gain		6,34,937

Total taxable capital gain =
Rs. 90,000 + Rs. 6,34,937 = Rs 7,24,937

टिप्पणी—1. कार्यालय भवन पर ह्रास छूट स्वीकृत है। अतः इसका पूँजी लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ है।
2. विक्रय प्रतिफल सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिया गया है। साझेदारों द्वारा तय किया गया मूल्य महत्त्वहीन है।
3. भूमि को प्राप्त करने की लागत 1-4-81 का बाजार मूल्य लिया गया है।

4. सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर होने वाले पूँजी लाभो की गणना—यदि किसी करदाता की पूँजी सम्पत्ति का किसी विधान के अन्तर्गत अधिग्रहण कर लिया जाता है अथवा किसी हस्तान्तरण का प्रतिफल केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है अथवा अनुमोदित किया जाता है तथा ऐसे हस्तान्तरण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की राशि को न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी सत्ता द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभों पर निम्न प्रकार कर लगेगा—

(अ) प्रथम बार दी गई क्षतिपूर्ति अथवा केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम बार निर्धारित या अनुमोदित प्रतिफल के आधार पर ज्ञात किया गया पूँजी लाभ उस गत वर्ष की

आय होगा जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तान्तरण हुआ है, परन्तु यह उस गत वर्ष में कर योग्य होता है जिस गत वर्ष में सम्पूर्ण या आंशिक प्रतिफल प्रथम बार प्राप्त किया जाता है, एवं

(ब) क्षतिपूर्ति एवं प्रतिफल की राशि में न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य सत्ता द्वारा जितनी राशि से वृद्धि की जाती है, वह राशि उस गत वर्ष की पूँजी लाभ शीर्षक की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में बढ़ी हुई राशि करदाता को प्राप्त होती है।

स्पष्टीकरण—(i) बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति अथवा उप-वाक्य (ब) की दशा में सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत अथवा सुधार की लागत शून्य मानी जाएगी।

(ii) यदि हस्तान्तरणकर्त्ता की मृत्यु हो जाती है अथवा अन्य किसी कारण से इस उप-धारा में वर्णित बढ़ी हुई राशि किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो यह राशि उस व्यक्ति की पूँजी लाभ शीर्षक की आय मानी जाएगी जो इसे प्राप्त करता है।

Illustration 5.

From the particulars given below compute the amount of capital gain of an assessee for the Assessment Year 1995-96 and 1997-98—

(i) A House was acquired for self occupation on 1-7-1984 for Rs. 2,00,000.

(ii) Central Government acquired it on 1-7-1994 and paid compensation of Rs. 8,00,000.

(iii) Additional Compensation awarded by court received on 29-10-1996 is Rs. 1,00,000.

(iv) The assessee acquired new house for self occupation on 1-2-1995 for Rs. 2,50,000.

(v) The assessee purchased another new house in March, 1997 for Rs. 80,000

The cost inflation index for the year 1984-85 and 1994-95 are 125 and 259 respectively.

निम्नलिखित विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 के लिए एक करदाता के पूँजी लाभ की गणना कीजिए—

(i) स्वयं के रहने के लिए मकान सम्पत्ति 1-7-1984 को 2,00,000 रु. में क्रय की गई थी।

(ii) इस मकान सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार ने 1-7-1994 को 8,00,000 रु. में अधिग्रहित किया।

(iii) न्यायालय के द्वारा बढ़ाई गई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि 1,00,000 रु. 29-10-1996 को प्राप्त की गई।

(iv) करदाता ने स्वयं के रहने के लिए नया मकान 1-2-1995 को 2,50,000 रु. में क्रय किया।

(v) करदाता ने दूसरा नया मकान स्वयं के रहने के लिए मार्च, 1997 में 80,000 रु. में खरीदा।

वर्ष 1984-85 तथा 1994-95 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 125 एवं 259 हैं।

Solution :

Assessment Year 1995-96

Computation of Capital gain :	Rs.	Rs.
Compensation awarded by the Central Govt.		8,00,000
Less : Cost of the self occupied house	2,00,000	
Indexed cost of acquisition		
(2,00,000 × 259 ÷ 125)		4,14,400
Gross amount of Capital gain		3,85,600
Less : Relief provided u/s 54		2,50,000
Long term Capital gain		1,35,600

Assessment year 1997-98

कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से अनिवार्य अधिग्रहण की दशा में बढ़ी हुई राशि को प्राप्त होने वाले वर्ष का पूँजी लाभ माना जाता है। इस दशा में सम्पत्ति को प्राप्त करने एवं सुधारने की लागत शून्य होगी। इसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

	Rs.
Enhanced amount of Compensation received	1,00,000
Less : Cost of acquisition	–
Gross amount of Capital gain	1,00,000
Less : Exemption u/s 54	80,000
Long term Capital gain	20,000

धारा 54 के अन्तर्गत यदि नया रहने का मकान खरीद लिया जाये तो रहने के मकान के बेचने का पूंजी लाभ कर मुक्त होता है। इसे आगे समझाया गया है।

5. धारा-80 CCB में उल्लेखित यूनिटों के पुन. खरीदे जाने पर उत्पन्न पूँजी लाभ की गणना—धारा 80 CCB में वर्णित यूनिटों को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा पुन क्रय किये जाने पर पुनः खरीद मूल्य एवं इनके पूँजी मूल्य का अन्तर उस गत वर्ष का पूँजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में उनको पुनः क्रय किया जाता है अथवा निर्दिष्ट योजना को बन्द कर दिया जाता है। पूँजी मूल्य से अभिप्राय उस मूल्य से होगा जिस पर करदाता ने इन यूनिटों को प्राप्त किया था।

Illustration 6.

Mr. Sharma invested Rs. 6,000 in the units of Equity Linked Savings Scheme referred in section 80 CCB in March, 1992. He realised Rs. 12,000 in May, 1996 being the repurchase price of the said units. Compute the amount of capital gain chargeable in the hands of Mr. Sharma for the assessment year 1997-98 The cost inflation index of the year 1991-92 is 199.

श्री शर्मा ने मार्च, 1992 में धारा 80 CCB में संदर्भित समता सम्बद्ध बचत योजना की इकाइयों में 6,000 रु. का विनियोग किया था। उन्होंने मई, 1996 में इन इकाइयों की पुनर्खरीद मूल्य को 12,000 रु. की राशि प्राप्त की। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री शर्मा के कर योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए। वर्ष 1991-92 का लागत वृद्धि सूचकांक 199 है।

Solution :

Taxable Capital Gain of Mr. Sharma
for the assessment year 1997-98

Long term capital gain :	Rs.
Repurchase price of the units realised in May, 1996	12,000
Less : Cost of acquisition in March, 1992, Rs. 6,000	
Indexed cost of acquisition (6,000 × 305 ÷ 199)	9,196
Long term capital gain	2,804

टिप्पणी—1. मार्च, 1992 में यूनिटों को खरीदने में विनियोग की गई 6,000 रु. की राशि, पर कर निर्धारण वर्ष 1992-93 में धारा 80 CCB में कटौती मिली थी, अब पुनर्खरीद के वर्ष में अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगाया जायेगा।

2. पुनर्खरीद मूल्य सकल लिया गया है। इसमें उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कम हो जायेगी।

ह्रास-योग्य सम्पत्तियों की दशा में पूँजी-लाभों की गणना करने के लिए विशेष व्यवस्थाएँ

(Special provisions for Computation of Capital Gains in case of Depreciable Assets)

आय-कर अधिनियम की धारा-50 के अनुसार ह्रास-योग्य सम्पत्तियों पर पूँजी लाभ की गणना करने की निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं—

(1) जब किसी समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित नहीं हुई हों—जब ह्रास योग्य सम्पत्तियों के किसी समूह की एक या अधिक सम्पत्तियाँ गत वर्ष के दौरान हस्तान्तरित की गई हैं परन्तु समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित नहीं की गई हैं तो ऐसे हस्तान्तरण या हस्तान्तरणों से प्राप्त या उपार्जित सम्पूर्ण प्रतिफल निम्न राशियों से अधिक है, तो आधिक्य को अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा—

(i) ऐसे हस्तान्तरण या हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में किये गये व्यय;

(ii) गत वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्तियों के समूह का अपलिखित मूल्य; एवं

(iii) गत वर्ष के दौरान सम्बन्धित समूह में प्राप्त की गई अन्य सम्पत्तियों की वास्तविक लागत।

स्पष्टीकरण—उक्त परिस्थितियों में इस समूह के सम्बन्ध में कोई ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी। इसके विपरीत उपरोक्त राशियों का योग प्राप्त प्रतिफल से अधिक है तो इसे पूँजी हानि नहीं कहा जायेगा, बल्कि शेष राशि पर ह्रास छूट निर्धारित दरों से स्वीकृत की जायेगी।

(2) जब किसी समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित हो गई हों—यदि गत वर्ष के दौरान किसी समूह की सभी सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित हो गई हों तथा ऐसे हस्तान्तरण या हस्तान्तरणों से प्राप्त या उपार्जित सम्पूर्ण प्रतिफल निम्न राशियों से अधिक है तो आधिक्य को अल्पकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा—

(i) ऐसे हस्तान्तरण या हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में किये गये व्यय;

(ii) गत वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्तियों के समूह का अपलिखित मूल्य; एवं

(iii) गत वर्ष के दौरान सम्बन्धित समूह में प्राप्त की गई अन्य सम्पत्तियों की वास्तविक लागत।

स्पष्टीकरण—यदि उपरोक्त तीनों राशियों के योग से प्राप्त प्रतिफल कम है तो अन्तर की राशि उस गत वर्ष की अल्पकालीन पूँजी-हानि मानी जायेगी।

Illustration 7.

Mr. Rama Kant Desai owns the following depreciable assets on 1st April, 1996

श्री रमाकान्त देसाई के स्वामित्व में 1-4-1996 को निम्न ह्रास-योग्य सम्पत्तियाँ थीं—

Asset	Cost of Acquisition	Date of Acquisition	W.D.V. on 1-4-1996	Rate of Dep.
Plant A	80,000	1-5-1980	20,000	25%
Plant B	60,000	3-7-1988	30,000	25%
Plant C	2,00,000	4-8-1989	90,000	40%
Plant D	3,00,000	1-3-1987	1,50,000	40%
Building A	4,00,000	9-6-1978	2,00,000	5%
Building B	6,00,000	1-5-1994	3,50,000	5%

During the previous year 1996-97, Mr. Desai acquired the following assets—

गत वर्ष 1996-97 के दौरान श्री देसाई ने निम्न सम्पत्तियाँ प्राप्त कीं—

Asset	Date of acquisition	Cost	Rate of Dep.
Plant E	1-9-1996	40,000	25%
Building C	8-2-1997	5,00,000	5%

During the previous year 1996-97 Mr. Desai sold the following assets—

गत वर्ष 1996-97 के दौरान श्री देसाई ने निम्नलिखित सम्पत्तियाँ बेचीं—

Asset	Date of sale	Sale Consideration	Exp. in Connection with Transfer
Plant A	3-5-1996	1,20,000	2,000
Plant C	5-8-1996	70,000	1,500
Plant D	6-2-1997	2,00,000	3,000
Building A	1-7-1996	1,50,000	2,500
Building B	1-9-1996	4,20,000	5,000
Building C	9-1-1997	4,00,000	5,000

Calculate the amount of depreciation allowable to Mr. Desai for the assessment year 1997-98. Also calculate the amount of short term Capital gain or Loss as the case may be on each block of assets separately.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री देसाई को स्वीकार्य ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए। सम्पत्तियों के प्रत्येक समूह के सम्बन्ध में अलग-अलग अल्पकालीन पूँजी लाभ अथवा हानि (जैसी भी स्थिति हो) की भी गणना कीजिए।

(Rs 70,000 + Rs. 2,00,000)		2,70,000
Less : Expenses on Transfer	4,500	
W.D.V. of Plant C and D at the beginning of previous year (Rs. 90,000 + Rs. 1,50,000)	2,40,000	
Cost of Plant acquired during the previous year	–	2,44,500
Short term Capital gain for the A.Y 1997-98		25,500

Computation of Depreciation allowable

Third Block : Building (Rate of Dep. 5%)

W.D.V. of Building A and B on 1-4-1996 (Rs. 2,00,000 + Rs. 3,50,000)	5,50,000
Add : Cost of Building C acquired during *the previous year 1996-97*	*5,00,000*
	10,50,000
Less : Sale consideration of Building A, B and C sold during the previous year 1996-97 (Rs. 1,50,000 + Rs. 4,20,000 + Rs. 4,00,000)	9,70,000
Balance being short term Capital Loss	80,000
Depreciation for the previous year 1996-97	NIL

Computation of Short Term Capital gain

Aggregate sale proceeds of Building A, B and C (Rs. 1,50,000 + Rs 4,20,000 + Rs. 4,00,000)		9,70,000
Less : Expenses on Transfer	12,500	
W.D.V. of Building B and C at the beginning of previous year (Rs. 2,00,000 + Rs. 3,50,000)	5,50,000	
Cost of Building C acquired during the previous year 1996-97	5,00,000	10,62,500
Short term Capital Loss		92,500

टिप्पणी—(i) प्रथम समूह की प्लांट-A को बेचने पर अल्पकालीन पूँजी लाभ हुआ है। चाहे हास योग्य सम्पत्तियाँ वास्तविक लागत से अधिक मूल्य पर भी बेची जायेगी तो भी दीर्घकालीन पूँजी लाभ नही होगा। इसी प्रकार यह सम्पत्ति यदि 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास रहती है, तब भी अल्पकालीन पूँजी लाभ ही होगा, दीर्घकालीन पूँजी लाभ नहीं। सरल शब्दों में जिन सम्पत्तियों पर हास छूट मिलती है, उन पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ कभी भी नही हो सकता है।

(ii) प्रथम समूह में प्लाण्ट-B एवं E काम में आ रहा है, परन्तु उनका अपलिखित मूल्य शून्य हो गया है। अतः इन पर हास छूट न तो इस वर्ष दी गई है एवं न ही अगले वर्ष में दी जायेगी।

Solution :

Computation of Depreciation allowable

First Block : Plant (Rate of Dep. 25%)		Rs.
W.D.V of Plant A and B on 1-4-1996 (Rs. 20,000 + Rs. 30,000)		50,000
Add : (Cost of Plant E acquired during the previous year 1996-97		40,000
		90,000
Less : Sale consideration of Plant A sold during the previous year 1996-97 (since Rs. 1,20,000 being the sale consideration, exceeds Rs. 90,000 *only* Rs. 90,000 will be deducted)		90,000
W.D V. for the *previous year 1996-97*		NIL
Depreciation for the previous year 1996-97		NIL

Computation of Short Term Capital gain

	Rs.	
Sale proceeds of Plant A		1,20,000
Less : Expenses on Transfer	2,000	
W.D.V. of Plant A & B at the beginning of previous year	50,000	
Cost of Plant E acquired during the previous year	40,000	92,000
Short term Capital gain for A.Y. 1997-98		28,000

Computation of Depreciation allowable

Second Block : (Rate of Dep 40%) :	Rs
W.D.V. of Plant C and D on 1-4-1996 (Rs. 90,000 + Rs 1,50,000)	2,40,000
Cost of Plant acquired during *the previous year 1996-97*	–
	2,40,000
Less : Sale consideration of Plant C and D sold during the previous year 1996-97 (since Rs. 2,70,000 being the sale consideration of Plant C and D, exceeds Rs. 2,40,000 *only* Rs. 2,40,000 will be deducted)	2,40,000
W.D.V. for the previous year 1996-97	NIL
Depreciation for the previous year *1996-97*	NIL

Computation of Short Term Capital gain

Aggregate sale proceeds of Plant C and D

(Rs. 70,000 + Rs. 2,00,000)		2,70,000
Less : Expenses on Transfer	4,500	
W.D.V. of Plant C and D at the beginning of previous year (Rs. 90,000 + Rs. 1,50,000)	2,40,000	
Cost of Plant acquired during the previous year	–	2,44,500
Short term Capital gain for the A.Y. 1997-98		25,500

Computation of Depreciation allowable

Third Block : Building (Rate of Dep. 5%)	
W.D.V. of Building A and B on 1-4-1996 (Rs. 2,00,000 + Rs. 3,50,000)	5,50,000
Add : Cost of Building C acquired during the previous year 1996-97	5,00,000
	10,50,000
Less : Sale consideration of Building A, B and C sold during the previous year 1996-97 (Rs. 1,50,000 + Rs. 4,20,000 + Rs. 4,00,000)	9,70,000
Balance being short term Capital Loss	80,000
Depreciation for the previous year 1996-97	NIL

Computation of Short Term Capital gain

Aggregate sale proceeds of Building A, B and C (Rs 1,50,000 + Rs. 4,20,000 + Rs. 4,00,000)		9,70,000
Less : Expenses on Transfer	12,500	
W.D.V. of Building B and C at the beginning of previous year (Rs. 2,00,000 + Rs. 3,50,000)	5,50,000	
Cost of Building C acquired *during the previous year 1996-97*	5,00,000	10,62,500
Short term Capital Loss		92,500

टिप्पणी—(i) प्रथम समूह की प्लांट-A को बेचने पर अल्पकालीन पूँजी लाभ हुआ है। चाहे ह्रास योग्य सम्पत्तियाँ वास्तविक लागत से अधिक मूल्य पर भी बेची जायेगी तो भी दीर्घकालीन पूँजी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार यह सम्पत्ति यदि 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास रहती है, तब भी अल्पकालीन पूँजी लाभ ही होगा, दीर्घकालीन पूँजी लाभ नहीं। सरल शब्दों में जिन सम्पत्तियों पर ह्रास छूट मिलती है, उन पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ कभी भी नहीं हो सकता है।

(ii) प्रथम समूह में प्लाण्ट-B एवं E काम में आ रहा है, परन्तु उनका अपलिखित मूल्य शून्य हो गया है। अतः इन पर ह्रास छूट न तो इस वर्ष दी गई है एवं न ही अगले वर्ष में दी जायेगी।

(iii) द्वितीय समूह में भी अल्पकालीन पूँजी लाभ हुआ है। इसमें भी ह्रास छूट नहीं दी गई है।

(iv) तृतीय समूह में अल्पकालीन पूँजी हानि हुई है। इसमें भी ह्रास छूट नहीं दी गई है।

(v) किसी भी समूह में सम्पत्तियों के विक्रय के कारण यदि अल्पकालीन पूँजी लाभ या अल्पकालीन पूँजी हानि की स्थिति होती है तो उस दशा में ह्रास स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

पूँजी-सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (धारा 49 एवं 55)
(Cost of acquisition of a Capital Asset)

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत निकालने के नियम अलग-अलग हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) यदि करदाता ने निम्न तरीकों से किसी पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त किया है तो उसके लिए उस पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वह राशि होगी जिस पर उस सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी ने उसे प्राप्त किया था। साथ ही सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी ने अथवा करदाता ने उस पूँजी सम्पत्ति में कोई सुधार करवाया हो तो सुधार की लागत भी उस राशि में शामिल कर ली जायेगी तथा दोनों राशियों का योग करदाता के लिए उस पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत होगी—

(i) अविभाजित हिन्दू परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर सम्पत्तियों के वितरण के कारण; अथवा

(ii) भेंट अथवा वसीयत के अन्तर्गत; अथवा

(iii) उत्तराधिकार के कारण (By Succession, inheritance or devolution); अथवा

(iv) साझेदारी संस्थान, व्यक्तियों का समूह अथवा व्यक्तियों के समुदाय की समाप्ति पर 1-4-1987 के पूर्व किए गये सम्पत्तियों के वितरण के कारण; अथवा

(v) किसी कम्पनी के समापन पर सम्पत्तियों के वितरण के कारण; अथवा

(vi) किसी खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट को होने वाले हस्तान्तरण के अन्तर्गत; अथवा

(vii) सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को अथवा सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तान्तरण किए जाने पर बशर्ते धारा-47 में दी गई उससे सम्बन्धित उन शर्तों को पूरा कर दिया गया हो जिनका कि उल्लेख पृ. 329 पर किया गया है; अथवा

(viii) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकृत होने वाली कम्पनी द्वारा एकीकरण करने वाली भारतीय कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण होने पर।

(ix) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकृत होने वाली विदेशी कम्पनी द्वारा एकीकरण करने वाली विदेशी कम्पनी को किसी भारतीय कम्पनी के अंशों का पूँजी सम्पत्ति के रूप में हस्तान्तरण होने पर।

यदि भूतपूर्व स्वामी द्वारा उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत का पता नहीं लगाया जा सके तो जिस दिन भूतपूर्व स्वामी ने उस सम्पत्ति को प्राप्त किया था उस दिन का बाजार मूल्य

उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी ने सम्पत्ति को 1अप्रैल, 1981 के पहले प्राप्त किया हो तो करदाता अपनी इच्छानुसार भूतपूर्व मालिक की प्राप्त करने की लागत अथवा 1 अप्रैल, 1981 का बाजार मूल्य, दोनों में जिसे उचित समझे उस राशि को सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत मान सकता है।

(2) यदि किसी करदाता को किसी एकीकरण करने वाली कम्पनी (Amalgamated Company) के अंश प्राप्त हुए हैं जो उसको एकीकृत होने वाली (Amalgamating Company) कम्पनी में उसके अंशों के बदले में जारी किये गये हैं तो उसके लिए उन अंशों को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो एकीकृत कम्पनी (Amalgamating Company) के अंशों के लिए थी; बशर्ते एकीकरण करने वाली कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

(3) यदि किसी करदाता ने पूँजी सम्पत्ति 1 अप्रैल, 1981 के पूर्व प्राप्त की है तो वह चाहे तो उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत 1 अप्रैल, 1981 का बाजार मूल्य मान सकता है।

(4) यदि किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के सम्बन्ध मे कभी बातचीत चली हो तथा इसके लिए कोई पेशगी रकम भी प्राप्त की गई हो तथा जिसको अनुबन्ध पूरा न होने के कारण करदाता ने वापिस न किया हो तो ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत, अपलिखित मूल्य अथवा उचित बाजार मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, में से पेशगी के रूप में रोकी गई राशि को घटा दिया जायेगा।

(5) यदि करदाता ने कोई पूँजी सम्पत्ति विदेश से उधार क्रय की है अथवा विदेशी ऋण से क्रय की हो तथा उसका भुगतान रुपये के अवमूल्यन के बाद किया हो तो भारतीय मुद्रा में जो उत्तरदायित्व करदाता का बढ़ेगा, उसको भी प्राप्त करने की लागत में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इसके विपरीत विदेशी मुद्रा में भारतीय रुपये का मूल्य बढ़ा दिया जाये तो परिणामस्वरूप प्राप्त करने की लागत को भी कम कर दिया जायेगा।

(6) सुधार करने की लागत को भी प्राप्त करने की लागत में सम्मिलित कर लिया जाता है। सुधार करने की लागत से आशय उन खर्चों से है जो सम्पत्ति को प्राप्त करने के बाद कभी भी अथवा यदि 1 अप्रैल, 1981 का बाज़ार मूल्य प्राप्त करने की लागत माना गया है तो 1 अप्रैल, 1981 के बाद कभी भी उस सम्पत्ति में कोई सुधार करवाने के लिए किए गए हैं, बशर्ते उनकी कटौती अन्य किसी शीर्षक की गणना करने में नहीं प्राप्त की गई हो।

(7) कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से व्यापार की ख्याति (Goodwill of a business) किरायेदारी अधिकार (Tenancy rights), स्टेज कैरिएज परमिट (Stage carriage permits) तथा करघा घंटों (Loom hours) को प्राप्त करने की लागत निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी—

(i) यदि ये सम्पत्तियाँ किसी पूर्व स्वामी से क्रय की गई हैं तो इन सम्पत्तियों का क्रय मूल्य; एव

(ii) अन्य किसी दशा में [धारा 49(1) के उप वाक्यांश (i) से (iv) में वर्णित परिस्थितियों को छोड़कर] इन सम्पत्तियों का मूल्य शून्य माना जायेगा।

स्पष्टीकरण—यदि ये सम्पत्तियाँ स्व अर्जित हैं तो इनकी प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जायेगी। यदि इन सम्पत्तियों को धारा 49(1) के उप वाक्यांश (i) से (iv) में वर्णित

परिस्थितियों में प्राप्त किया गया है तो इन सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत पूर्व मालिक की लागत मानी जायेगी।

1. कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से ऊपर वर्णित स्वअर्जित सम्पत्तियों के पूँजी लाभों को कर योग्य बना दिया गया है, परन्तु पेशे (Profession) की ख्याति, ट्रेडमार्क एवं पेटेण्ट अधिकार के पूँजी लाभ अभी भी कर योग्य नहीं है यदि ये सम्पत्तियाँ स्व अर्जित हैं।
2. किसी वस्तु के उत्पादन करने, निर्माण करने या प्रसंस्करण करने के अधिकार के लाभों को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से कर योग्य बनाया गया है।

(8) यदि कोई करदाता किसी वित्तीय सम्पत्ति (अंश, प्रतिभूति अथवा यूनिट अथवा पारस्परिक कोष की इकाई) का धारक होने के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त वित्तीय सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है अथवा उसको कोई अतिरिक्त वित्तीय सम्पत्ति (बोनस अंश) बिना किसी भुगतान के आवंटित की जाती है, तो ऐसे अधिकार अथवा अधिकार के फलस्वरूप प्राप्त वित्तीय सम्पत्ति अथवा बिना किसी भुगतान के आवंटित सम्पत्ति (बोनस अंश) की प्राप्त करने की लागत निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी—

(i) यदि करदाता ऐसे अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग देता है तो करदाता के लिये ऐसे अधिकार को प्राप्त करने की लागत शून्य होगी।

(ii) यदि करदाता ऐसे अधिकार के फलस्वरूप स्वयं वित्तीय सम्पत्ति को प्राप्त करता है तो करदाता द्वारा ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये भुगतान की गई राशि ही उसके लिये प्राप्त करने की लागत होगी।

(iii) यदि किसी करदाता को कोई वित्तीय सम्पत्ति (बोनस अंश) बिना किसी भुगतान के किसी वित्तीय सम्पत्ति का धारक होने के फलस्वरूप आवंटित की जाती है तो उस करदाता के लिये ऐसी सम्पत्ति (बोनस अंश) की लागत शून्य होगी।

(iv) यदि करदाता ने अतिरिक्त वित्तीय सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति से खरीदा है तो उसके लिये इस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत निम्न दो राशियों के योग के बराबर होगी—

(अ) अधिकार त्यागने वाले को दी गई राशि; एवं

(ब) वित्तीय सम्पत्ति निर्गमन करने वाली कम्पनी या संस्था को दी गई रकम।

स्पष्टीकरण—जिस वित्तीय सम्पत्ति के आधार पर करदाता अतिरिक्त वित्तीय सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है उस मूल वित्तीय [illegible] उसके लिये भुगतान की गई राशि ही होगी तथा [illegible] प्रकार का [illegible]।

Illustration 8.

Mr. X negotiaited with Mr. Y to transfer a godown and received Rs. 25,000 as an advance from him in may 1989. Mr. Y failed to pay the stipulated price fixed for the godown on the due date. The amount of Rs. 25,000 was forfeited and retained by Mr. X and X sold the said godown to another person in July, 1996 for Rs. 3,60,000. The cost of the godown purchased in April, 1984 was Rs. 1,50,000.

Compute the taxable amount of long term capital gain of Mr. X for the assessment year 1997-98

The cost inflation index for the year 1984-85 and 1989-90 are 125 and 172 respectively.

श्री एक्स ने मई, 1989 में श्री वाई के साथ एक गोदाम के हस्तान्तरण का सौदा किया तथा 25,000 रु. उससे अग्रिम प्राप्त किये। वाई निर्धारित तिथि को गोदाम के लिए तय किया गया मूल्य देने में असमर्थ रहा। श्री एक्स ने 25,000 रु. की राशि को जब्त कर लिया तथा अपने पास ही रोक लिया। जुलाई, 1996 में श्री एक्स ने इस गोदाम को दूसरे व्यक्ति को 3,60,000 रु. में बेच दिया। अप्रैल, 1984 में क्रय किये गोदाम की लागत 1,50,000 रु. थी।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री एक्स के कर-योग्य पूँजी लाभ की राशि ज्ञात कीजिए।

वर्ष 1984-85 एवं 1989-90 के लिये लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 125 एवं 172 है।

Solution :

Computation of Taxable amount of Capital Gains of Mr. X for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
Sale price of godown		3,60,000
Less : Cost of acquisition of godown purchased in 1984		
Purchase price of godown	1,50,000	
Less : Advance money forfeited	25,000	
	1,25,000	
Indexed Cost of acquisition u/s 48		
Rs. 1,25,000 × 305 ÷ 125		3,05,000
Taxable amount of Long term Capital gain		55,000

टिप्पणी—पूर्व में जब्त की गई राशि को लागत में से ही घटाया जाता है तथा इसको घटाने के बाद शेष बची राशि को प्राप्त करने की लागत माना जाता है। चूँकि गोदाम 1981 के पूर्व नहीं खरीदा गया था। अतः 1981 के लागत प्रसार सूचकांक का प्रयोग नही किया गया है। यह 1984 में खरीदा गया था। अतः वित्तीय वर्ष 1984-85 के लागत प्रसार सूचकांक 125 का भाग दिया गया है।

Illustration 9.

and incurred an expenditure of Rs. 1,50,000, 2,00,000 and 1,50,000 during the respective financial years. Fair market value of plot as on 1-4-1981 was Rs 2,00,000. The brokerage and other expenses @ 2% was paid by Mr. P.K. Rao for effecting the sale of building.

The cost inflation index of the year 1984-85, 1985-86 and 1991-92 are 125, 133 and 199 respectively.

Compute the taxable amount of capital gain of Shri P.K. Rao for the assessment year 1997-98

श्री पी. के राव. ने अपने भवन को 18 फरवरी, 1997 को 17,50,000 रु. में बेचा। उन्होंने सम्बन्धित भूमि 1977 में 1,50,000 रु. में क्रय की थी तथा भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1991-92 में करवाया तथा सम्बन्धित वर्षों में क्रमशः 1,50,000 रु; 2,00,000 रु एवं 1,50,000 रु. का व्यय किया। 1-4-1981 को भूमि का उचित बाजार मूल्य 2,00,000 रु. था। इस भवन को बिकवाने के सम्बन्ध में श्री पी. के. राव ने दलाली एवं अन्य व्यय 2% की दर से चुकाये।

वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1991-92 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 125, 133 एवं 199 हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री पी. के. राव के कर-योग्य पूँजी लाभ की राशि की गणना कीजिये।

Solution : Computation of taxable income from Capital Gains of Shri P. K. Rao for the A.Y. 1997-98

	Sale Consideration		17,50,000
Less : (i)	Cost of acquisition		
	Indexed cost of acquisition u/s 48-		
	Indexed cost of plot		
	(2,00,000 × 305 ÷ 100)	6,10,000	
	Indexed cost of construction		
	(a) For construction during 1984-85		
	(1,50,000 × 305 ÷ 125)	3,66,000	
	(b) For construction during 1985-86		
	(2,00,000 × 305 ÷ 133)	4,58,647	
	(c) For construction during 1991-92		
	(1,50,000 × 305 ÷ 199)	2,29,899	
		16,64,546	
(ii)	Cost of transfer i.e. brokerage etc. @ 2% on Rs. 17,50,000	35,000	16,99,546
	Taxable income from Long term Capital gains		50,454

टिप्पणी—चूँकि प्लाट की लागत अलग दी गई है तथा निर्माण की लागत भी निर्माण के वर्षों के अनुसार अलग-अलग दी गई है, अतः प्रत्येक वर्ष की लागत के लिये एवं प्लाट की लागत के लिये अलग-अलग निर्देशित लागत ज्ञात करके जोड़ा गया है।

Illustration 10.

Mr. Tarun transfers the following assets during the previous year 1996-97.

श्री तरुण ने गत वर्ष 1996-97 के दौरान निम्न सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित की—

	Goodwill	Tenancy rights	Trade Mark	Land
Cost of acquisition	10,000	–	–	40,000
F M.V. on 1-4-1981	50,000	80,000	60,000	1,00,000
Sale consideration	2,00,000	2,50,000	4,00,000	5,00,000

Compute the amount of capital gain chargeable in the hands of Mr. Tarun for the assessment year 1997-98.

कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री तरुण के कर योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए।

Solution : **Computation of taxable Capital Gain**

	Goodwill	Tenancy rights	Trade Marks	Land
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Sale consideration	2,00,000	2,50,000	4,00,000	5,00,000
Less : cost of acquisition		NIl	NA	
F.M.V. on 1-4-81				
Indexed cost of acquisition : Goodwill				
(50,000× 305 ÷ 100)	1,52,500			
Land				
(1,00,000× 305 ÷ 100)				3,05,000
	47,500	2,50,000	NIL	1,95,000

टिप्पणी—1. स्वअर्जित (Self generated) सम्पत्ति किरायेदारी अधिकार की प्राप्ति की लागत शून्य रहेगी। ऐसी सम्पत्ति 1-4-81 के पूर्व से है और उसका बाजार मूल्य हो चुका है, फिर भी उसकी प्राप्ति की लागत शून्य रहेगी।

2. खरीदी गई सम्पत्ति ख्याति की प्राप्त करने की लागत 1-4-81 का बाजार मूल्य माना गया है और इसे निर्देशित किया गया है।

3. ख्याति, किरायेदारी अधिकार, करघा घण्टे, मार्गों के परमिट को छोड़कर अन्य स्व अर्जित सम्पत्तियों का पूँजी लाभ कर योग्य नही है। अतः ट्रेडमार्क के विक्रय के पूँजीलाभ पर कर नहीं लगेगा।

Illustration 11.

Mr. Beeru is a share holder of A & Co. Ltd. He holds 2,000 shares the cost of which is Rs. 20,000, being the amount actually paid to acquire these shares A & Co. Ltd. has made a right offer in the ratio of 1 : 2 at the rate of Rs. 40 per share (i e. Rs. 10 face value plus Rs. 30 per share as premium). Right issue opened on 1-8-1996 and closed on 31-8-1996. The date of allotment of right issue was 31-10-1996. Through light on the following points

(i) What would be the cost of his original holdings.

(ii) What would be the cost of right shares if he himself subscribes to these right shares

(iii) When will the period of holding of right shares reckon from.

(iv) If Mr. Beeru renounces on 15-8-1996, his right to all the 1000 shares in favour of Mukesh at the price of Rs. 5 per share

(a) Capital gain in the hands of Beeru

(b) Cost of right shares in the hands of Mukesh.

श्री बीरु ए एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारी है। उनके पास 2,000 अंश है जिनकी लागत 20,000 रु. है जो उन्होंने इन अंशों को प्राप्त करने के लिये वास्तव में चुकाई थी। ए एण्ड कम्पनी ने 1 : 2 में 40 रु. प्रति अंश की दर पर (10 रु. अंकित मूल्य एवं 30 रु. प्रति अंश प्रीमियम) अधिकार अंशों का प्रस्ताव किया है। अधिकार अंशों का निर्गमन 1-8-1996 को खुला एवं 31-8-1996 को बन्द हो गया। अधिकार अंशों के आबंटन की तिथि 31-10-1996 थी। निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालिये—

(i) उसके मूल अंशों की लागत क्या होगी ?

(ii) यदि वह स्वयं इन अधिकार अंशों में अभिदान करता है तो इन अधिकार अंशों की लागत क्या होगी।

(iii) अधिकार अंशों के धारण करने की अवधि कौन-सी तिथि से गिनी जायेगी ?

(iv) यदि श्री बीरु 15-8-1996 को अपने सभी 1000 अंशों के क्रय का अधिकार 5 रु. प्रति अंश की दर से मुकेश के पक्ष में त्याग देता है—

(अ) बीरु को होने वाला पूँजी लाभ,

(ब) मुकेश के लिये अधिकार अंशों की लागत।

Solution :

(i) बीरु के मूल अंशों की लागत 20,000 रु. ही होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) बीरु के लिये अधिकार अंशों की लागत 1,000 × 40 = 40,000 रु. होगी यदि वह स्वयं अभिदान करता है।

(iii) अधिकार अंशों के धारण करने की अवधि इनकी आबंटन तिथि 31-10-1996 से गिनी जायेगी।

(iv) (अ) बीरु को अधिकार के त्यागने पर अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा क्योंकि उसके पास अधिकार 1-8-1996 से 14-8-1996 तक रहा है। इसकी गणना निम्न प्रकार होगी।

1,000 अंशों का अधिकार 5 रु. प्रति अंश की दर से त्यागा	5,000
घटाया—अधिकार की लागत	—
अल्पकालीन पूँजी लाभ	5,000

(ब) मुकेश के लिये अधिकार अशों की लागत निम्न होगी

अधिकार प्राप्ति के लिये बीरु को दी गई राशि (1,000 × 5)	5,000

ए एण्ड कम्पनी को दी गई राशि (1,000 × 40)	40,000
	45,000

Illustration 12.

Mr. Shyam purchased 500 shares of PQR & Co. Ltd. on 15-7-1987 for Rs. 72,000. He was allotted 500 bonus shares of the said company on 18-2-1995. He sold all the 1,000 shares of PQR & Co. Ltd. on 27-6-1996. The net sale proceeds received is Rs. 2,00,000. Find out the amount of taxable capital gain of Shri Shyam for the assessment year 1997-98. Calculate also the amount of capital gain or loss, as the case may be in the following cases :

(a) If Mr. Shyam sells only 400 bonus shares.

(b) If Mr. Shyam sells only 250 original shares.

What difference would it make if bonus shares are allotted on 18-2-1996 instead of 18-2-1995 ?

The cost inflation index for the year 1987-88 is 150.

श्री श्याम ने पी क्यू आर एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 500 अंश 15-7-1987 को 72,000 रु. में खरीदे। उनको 18-2-1995 को इस कम्पनी के 500 बोनस अंश आबंटित किये गये। उन्होंने पी क्यू आर कम्पनी लिमिटेट के सभी 1000 अंश 27-6-1996 को बेच दिये। विक्रय से 2,00,000 रु. की शुद्ध राशि प्राप्त हुई। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री श्याम के कर-योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए।

निम्न दशाओं में भी पूँजी लाभ अथवा पूँजी हानि, जैसी भी स्थिति हो, गणना कीजिये :

(अ) यदि श्री श्याम केवल 400 बोनस अंशों का विक्रय करता है।

(ब) यदि श्री श्याम केवल 250 मूल अंशों का विक्रय करता है। क्या फर्क पड़ेगा यदि बोनस अंशों का आबंटन 18-2-1995 के बजाय 18-2-1996 को किया जाता है ?

वर्ष 1987-88 का लागत वृद्धि सूचकांक 150 है।

Solution :

Computation of Capital Gain

Net sale proceeds of 1000 shares			2,00,000
Less : cost of acquisition :			
Original shares	72,000		
Bonus shares	Nil		
Indexed cost of acquisition			
Original shares 72,000 × 305 ÷ 150 =		1,46,400	
Bonus share Nil =		Nil	1,46,400
Long term capital gain			53,600
(a) If only 400 Bonus shares are sold :			
Net sale consideration (200 × 400)			80,000
Less : Cost of acquisition			Nil
Long-term capital gain			80,000
(b) If only 250 original shares are sold :			
Net sale consideration (250 × 200)			50,000

Less : cost of acquisition (144 × 250) = 36,000
Indexed cost of acquisition (36,000 × 305 ÷ 150) 73,200
Long term capital loss (-) 23,200

यदि बोनस अंशों का आवंटन 18-2-1995 के बजाय 18-2-1996 को किया जाय तो बोनस अंशों की अवधि 12 महीने से अधिक नहीं होगी और इनका लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।

कर-मुक्त पूँजी लाभ (Capital gains exempted from tax)–

निम्नलिखित परिस्थितियों में होने वाले पूँजी लाभ पूर्णतया कर से मुक्त हैं तथा इनको करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है—

(*i*) ऐसे व्यवहारों से होने वाले पूँजी लाभ जिनको धारा-47 के अन्तर्गत हस्तान्तरण नहीं माना जाता, हस्तान्तरणकर्त्ता की कुल आय में नहीं जोड़े जाते हैं।

(ii) **रहने के मकान के हस्तान्तरण से होने वाला दीर्घकालीन पूँजी लाभ** (धारा-54)—यदि कोई व्यष्टि करदाता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार ऐसी इमारत अथवा उससे लगी हुई भूमि को हस्तान्तरित करता है जिसका प्रयोग निवास स्थान के लिए किया जाता है तथा जिसकी आय पर मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर लगता है तो ऐसी इमारत के हस्तान्तरण से होने वाला दीर्घकालीन पूँजी लाभ कर से मुक्त होता है, बशर्ते कि करदाता निम्न शर्तें पूरी करता है—

(a) मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर अथवा बाद में दो वर्ष के भीतर रहने के लिए कोई अन्य मकान खरीद लिया है; अथवा

(b) मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण के बाद तीन वर्ष के भीतर रहने के लिए नया मकान बना लिया है; अथवा

(c) इस प्रकार जो मकान खरीदा जाये अथवा नया बनाया जाये वह इसके खरीदने अथवा बनवाने (जैसी भी स्थिति हो) के बाद तीन वर्ष की अवधि में हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिये। यदि इसको तीन वर्ष के भीतर हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो हस्तान्तरण से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ पर तो कर देना ही होगा; साथ ही साथ जो पूँजी लाभ पहले कर से मुक्त हो गया था उस पर भी कर चुकाना होगा। यदि इस हस्तान्तरण से कोई हानि होती है तो वह पिछले कर-मुक्त पूँजी लाभ से समायोजित कर दी जायेगी तथा शेष पिछले कर-मुक्त पूँजी लाभ पर कर देना होगा।

स्पष्टीकरण—पूँजी लाभ का वह भाग ही कर से मुक्त रखा गया है जो अन्य मकान खरीदने अथवा नया मकान बनवाने में व्यय कर दिया गया है। शेष पर कर लगाया जाता है। यदि पूँजी लाभ की रकम से अधिक रकम व्यय की गई है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होगा। परिपत्र क्रमांक 667 दिनांक 18 अक्टूबर, 1993 के अनुसार नये मकान की लागत में भूमि की लागत भी शामिल होगी।

जमा की नई योजना [धारा-54 (2)] –पूँजी लाभ का वह भाग जो करदाता ने मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि के पूर्व एक वर्ष के भीतर नई सम्पत्ति के क्रय करने में प्रयोग नहीं किया हो अथवा धारा-139 के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के पूर्व नई सम्पत्ति के खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं किया हो तो वह आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पूर्व इस राशि को किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में एक खाते

में जमा करा सकता है। जमा की इस नई योजना के आधार पर छूट माँगने वाले करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसी जमा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में जमा कराई गई रकम का प्रयोग इस आशय के लिए बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित की गई योजना के अनुसार ही किया जायेगा। करदाता द्वारा पहले से ही नई सम्पत्ति के बनवाने अथवा खरीदने पर व्यय की गई राशि एवं इस योजना में जमा की गई राशि का योग करदाता के लिए नई सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी।

यदि इस उप-धारा के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रयोग पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से नई सम्पत्ति को बनवाने या खरीदने के लिए धारा-54 (1) में वर्णित समय में नहीं किया जाता है तो—

(अ) इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को धारा-45 के अन्तर्गत उस गत वर्ष की आय माना जायेगा जिसमें मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; एवं

(ब) करदाता इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को उपरोक्त योजना के अनुसार निर्दिष्ट बैंक या संस्था से वापस निकाल सकेगा।

Illustration 13.

श्री अरविन्द एक स्वयं के रहने के मकान के स्वामी हैं, जो उनके द्वारा 15 मार्च, 1979 को 60,000 रु. की लागत से क्रय किया गया था। 1 अप्रैल, 1981 को इस मकान का उचित बाजार-मूल्य 80,000 रु. था। उन्होंने इस मकान को 20 जून, 1996 को 3,60,000 रु. में विक्रय किया तथा इस सम्बन्ध में 10,000 रु. दलाली, हस्तान्तरण शुल्क आदि पर व्यय किये। 18 मई, 1996 को उन्होंने अपने स्वयं के रहने के लिए 1,00,000 रु. की नई मकान सम्पत्ति भी खरीदी।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री अरविन्द की 'पूँजी लाभ' शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

Shri Arvind is owner of a self occupied house which was purchased by him on 15th March, 1979 for Rs. 60,000 [illegible] fee etc. On 18th May, 1996 he purchased a new house property for his residence for Rs.1,00,000.

Compute the taxable income of Shri Arvind under the head 'Capital gains' for the assessment year 1997-98.

Solution :

Computation of Taxable Capital Gains
for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
Sale Price of residential house		3,60,000
Less : (i) Cost of acquisition (being F.M.V. on 1-4-1981)	80,000	

	Indexed Cost of acquisition u/s 48		
	Rs. 80,000 × 305 ÷ 100	2,44,000	
	(ii) Expenses of Transfer	10,000	2,54,000
	Gross amount of Capital gain		1,06,000
Less :	Cost of new house exempt u/s 54		1,00,000
	Taxable amount of Long term Capital gain		6,000

टिप्पणी—(i) मकान को प्राप्त करने की लागत 1-4-1981 का उचित बाजार मूल्य माना गया है।

(ii) नया मकान निर्धारित अवधि में क्रय कर लिया गया है, अत: उसकी सम्पूर्ण लागत धारा 54 के अन्तर्गत घटा दी गई है।

Illustration 14.

निम्न दशाओं में पूँजी लाभ की गणना यह मानते हुए कीजिए कि प्रश्न में दी गई मकान सम्पत्ति का उपयोग तीन वर्ष पूर्व से निवास स्थान के लिए किया जा रहा है—

(i) एक्स ने अपना मकान 1-8-1996 को 2,20,000 रु. में बेचा जिसकी लागत 1981-82 में 65,000 रु. थी। उन्होंने 1-10-95 को अपने स्वयं के निवास के लिए दूसरा मकान 60,000 रु. की लागत से खरीद लिया था। यह मानिए कि 1-10-95 को खरीदा गया मकान 1-3-1998 को 80,000 रु. में बेच दिया गया।

(ii) वाई ने अपना मकान 1-8-1996 को 2,80,000 रु. में बेचा जिसकी लागत 1986-87 में 84,000 रु. थी। उन्होंने रहने के लिए 1-2-1997 को 80,000 रु. की लागत से एक मकान बनवाया। यह मानिए कि नया मकान 31-12-1998 को 1,00,000 रु. मूल्य पर बेच दिया गया।

(iii) जैड ने अपना मकान 1-8-1996 को 2,00,000 रु. में बेचा जिसकी लागत 1989-90 में 1,05,000 रु. थी। उन्होंने 1-12-1995 को रहने के लिए दूसरा मकान 34,000 रु. में खरीदा। यह मानिए कि 1-12-1995 को खरीदा गया मकान 1-10-1999 को 50,000 रु. में बेच दिया गया।

वर्ष 1986-87 एवं 1989-90 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमश: 140 एवं 172 है।

Calculate the amount of Capital gain in the following cases assuming that the property reffered in question is used for residential purposes for over three years.

(i) X sold his house on 1-8-96 for Rs. 2,20,000 which cost him Rs 65,000 in 1981-82. He had purchased another house for his residence on 1-10-1995 at a cost of Rs. 60,000. Assume that the house purchased on 1-10-1995 is sold on 1-3-1998 for Rs. 80,000.

(ii) Y sold his house on 1-8-1996 for Rs. 2,80,000 which cost him Rs. 84,000 in 1986-87. He got constructed a house for his residence on 1-2-1997 at a cost of Rs. 80,000. Assume that the new house is sold on 31-12-1998 for Rs. 1,00,000.

(iii) Z sold his house on 1-8-1996 for Rs. 2,00,000 which cost him Rs 1,05,000 in 1989-90. He had purchased another house for his residence on

1-12-1995 at a cost of Rs. 34,000. Assume that the house purchased on 1-12-1995 is sold on 1-10-1999 for Rs. 50,000.

The cost inflation index for the year 1986-87 and 1989-90 are 140 and 172 respectively.

Solution :

(i) Computation of taxable income from Capital gain for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
Sale Price of the house		2,20,000
Less : Cost of Acquisition	65,000	
Indexed cost of acquisition (65,000 × 305÷100)		1,98,250
Gross Long term Capital gain		21,750
Less : Exemption u/s 54 for purchase of new house		21,750
Taxable Capital gain		NIL

टिप्पणी—(i) पूँजी लाभ 21,750 रु. का हुआ है तथा नये मकान की लागत 60,000 रु. है। अतः सम्पूर्ण पूँजी लाभ की राशि कर-मुक्त हो जायेगी।

(ii) धारा 54 की व्यवस्थाओं के अनुसार नये खरीदे गये मकान का विक्रय, क्रय तिथि के तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाना चाहिये। करदाता ने नये मकान का विक्रय चूँकि 3 वर्ष के भीतर कर दिया, अतः उस मकान की लागत 60,000 − 21,750 = 38,250 रु. मानी जायेगी तथा करदाता को कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए (80,000 − 38,250) = 41,750 रु. का अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।

	Rs.	Rs.
(ii) Sale price of house		2,80,000
Less : Cost of acquisition	84,000	
Indexed Cost of acquisition (84,000× 305÷140)		1,83,000
Gross Long term Capital gain		97,000
Less : Exemption u/s 54 for construction of new house		80,000
Taxable Capital gain		17,000

टिप्पणी—1-2-1997 को बनवाया गया मकान 3 वर्ष के भीतर ही बेच दिया जाता है, अतः इसकी प्राप्त करने की लागत (80,000 — 80,000) = शून्य मानी जायेगी तथा करदाता को कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 में (1,00,000 − शून्य) = 1,00,000 रु. का अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा।

	Rs.	Rs.
(iii) Sale price of house		2,00,000
Less : Cost of acquisition	1,05,000	

Indexed cost of acquisition	
(1,05,000× 305÷172)	1,86,192
Gross Long term capital gain	13,808
Less : Exemption u/s 54 for purchase of new house	13,808
Taxable Capital gain	Nil

टिप्पणी—चूँकि नया मकान क्रय की तिथि के 3 वर्ष पश्चात बेचा जाता है, अतः इसकी लागत 34,000 रु. ही रहेगी तथा कर-निर्धारण वर्ष 2000-2001 में 16,000 रु. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ होगा तथा यह उस समय के लागत प्रसार सूचकांक (Cost Inflation Index) के आधार पर समायोजित हो जायेगा।

(iii) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से उत्पन्न होने वाला पूँजीगत लाभ—धारा 54-B के अनुसार यदि कोई करदाता अपनी किसी ऐसी भूमि का हस्तान्तरण कर देता है जिसका प्रयोग हस्तान्तरण की तिथि के दो वर्ष पूर्व से उसके द्वारा अथवा उसके माता-पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा था तथा हस्तान्तरण की तिथि के दो वर्ष के भीतर कृषि कार्य में प्रयोग करने के लिए नई भूमि खरीद लेता है तो उक्त हस्तान्तरण से होने वाला पूँजीगत लाभ नई भूमि के क्रय मूल्य तक कर मुक्त रहेगा।

यदि वह करदाता इस नई भूमि को खरीदने की तिथि से 3 वर्षों के अन्दर हस्तान्तरित कर देता है तो नई भूमि पर होने वाले पूँजीगत लाभ में पुरानी भूमि के कर-मुक्त लाभ को भी जोड़ दिया जायेगा तथा सम्मिलित पूँजीगत लाभ की राशि उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी, जिस गत वर्ष में नई भूमि का हस्तान्तरण हुआ है।

स्पष्टीकरण—धारा—54B की छूट ऐसी कृषि भूमि के सम्बन्ध में दी जायेगी जो कृषि भूमि पूँजी सम्पत्ति की परिभाषा में आती है अर्थात् 10,000 की आबादी वाले नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि। जो भूमि 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होती है, उनके हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ पूर्णतया कर-मुक्त होते हैं।

जमा की नई योजना [धारा 54B (2)]—पूँजी लाभ का वह भाग जो करदाता ने धारा 139 के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व नई सम्पत्ति को खरीदने में प्रयोग नहीं किया हो तो वह आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व इस राशि को किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में एक खाते में जमा करा सकता है। जमा की नई योजना के आधार पर छूट माँगने वाले करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसी जमा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में जमा कराई गई रकम का प्रयोग इस आशय के लिए बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषणा की गई योजना के अनुसार ही किया जायेगा। करदाता द्वारा पहले से ही नई सम्पत्ति को खरीदने पर व्यय की गई राशि एवं इस योजना में जमा की गई राशि का योग करदाता के लिए नई सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी।

यदि इस उपधारा के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रयोग पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से नई सम्पत्ति को खरीदने में धारा 54 B (1) में वर्णित समय में नहीं किया जाता है तो—

(i) इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को धारा-45 के अन्तर्गत उस गत वर्ष की आय माना जायेगा जिसमें मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होती है; एवं

(ii) करदाता इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को उपरोक्त योजना के अनुसार निर्दिष्ट बैंक या संस्था से वापस निकाल सकेगा।

(iv) भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूँजी लाभ [धारा-54-D]—इस धारा के अनुसार करदाता के औद्योगिक उपक्रम से सम्बद्ध भूमि अथवा भवन अथवा उसमें निहित अधिकार जिसको करदाता हस्तान्तरण से ठीक पूर्व पिछले दो वर्षों से अपने व्यापार में प्रयोग कर रहा था, किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्यतः अधिगृहित कर लिये जाते हैं और करदाता ऐसे अधिग्रहण के पश्चात् तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपने औद्योगिक उपक्रम की पुनर्स्थापना अथवा नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु दूसरे भूमि, भवन अथवा उनमें अधिकार खरीद लेता है अथवा बनवा लेता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के हस्तान्तरण से उत्पन्न पूँजी लाभों पर गत वर्ष में निम्नलिखित छूट प्राप्त होगी—

(अ) यदि पूँजी लाभ की राशि नई सम्पत्ति की लागत से अधिक है तो गत वर्ष में केवल ऐसे आधिक्य पर कर लगेगा। यदि नई सम्पत्ति प्राप्त करने की तिथि के पश्चात् 3 वर्षों की अवधि में हस्तान्तरित कर दी जाती है तो पूँजी लाभों की गणना करने के लिए नई पूँजी सम्पत्ति की लागत शून्य मानी जायेगी अर्थात् सम्पूर्ण प्रतिफल ही पूँजी लाभ माना जायेगा।

(आ) यदि पूँजी लाभ की राशि नई सम्पत्ति की लागत के बराबर है या कम है तो ऐसे पूँजी लाभों पर गत वर्ष में कोई भी कर नहीं लगेगा। यदि कोई नई सम्पत्ति खरीदने के बाद तीन वर्ष की अवधि में हस्तान्तरित कर दी जाती है तो पूँजी लाभों की गणना करने के लिए इस नई सम्पत्ति की लागत में से पूर्व में कर मुक्त किये गये पूंजी लाभ की राशि को घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही नई सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी।

यदि करदाता की सम्पत्ति को सरकार द्वारा अधिगृहित करने के परिणामस्वरूप पूँजी लाभों पर उसी वर्ष आय-कर लग जाता है और करदाता बाद में 3 वर्षों के अन्दर नई सम्पत्ति खरीद लेता है तो ऐसी स्थिति में जिस गत वर्ष में सरकार द्वारा सम्पत्ति अधिग्रहित की गई थी उस गत वर्ष का पुनः कर-निर्धारण करके उसे इस धारा के अन्तर्गत कर-मुक्त होने वाले पूँजी-लाभों पर छूट दी जायेगी।

नई भूमि अथवा भवन को यदि प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष के भीतर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो नये भूमि एवं भवन पर होने वाले पूँजी-लाभ में पुरानी भूमि एवं भवन के कर-मुक्त लाभों को भी जोड़ दिया जायेगा तथा सम्मिलित पूँजी लाभ की राशि उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में नई भूमि एवं भवन का हस्तांतरण होता है।

जमा की नई योजना [धारा-54 D (2)]—पूँजी लाभ का वह भाग जो करदाता ने धारा-139 के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व नई सम्पत्ति को खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं किया हो तो वह आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व इस राशि को किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में एक खाते में जमा करा सकता है। जमा की इस नई योजना के आधार पर छूट माँगने वाले करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसी जमा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में जमा कराई गई रकम का प्रयोग इस आशय के लिए बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित की गई योजना के अनुसार ही किया जायेगा। करदाता द्वारा पहले से ही नई सम्पत्ति को खरीदने अथवा बनवाने पर व्यय

की गई राशि एवं इस योजना में जमा की गई राशि का योग करदाता के लिए नई सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी।

यदि इस उपधारा के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रयोग पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से नई सम्पत्ति को खरीदने में या बनवाने में धारा-54D (1) में वर्णित समय में नहीं किया जाता है, तो—

(अ) इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को धारा-45 के अन्तर्गत उस गत वर्ष की आय माना जायेगा जिसमें मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; एवं

(आ) करदाता इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को उपरोक्त योजना के अनुसार निर्दिष्ट बैंक या संस्था से वापस निकाल सकेगा।

(v) शुद्ध प्रतिफल को विशिष्ट बॉण्ड, ऋणपत्र अथवा पारस्परिक कोष की इकाइयों में विनियोग करने पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ का कर मुक्त होना (धारा 54 EA)—यदि किसी करदाता को 1-10-1996 को अथवा बाद में दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ होता है तथा वह हस्तान्तरण की तिथि के बाद 6 माह के भीतर शुद्ध प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि को बोर्ड द्वारा अधिसूचित बॉण्ड, ऋणपत्र अथवा धारा 10 (23D) में वर्णित पारस्परिक कोष की इकाई में विनियोग कर देता है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि कर मुक्त हो जायेगी। परन्तु यदि शुद्ध प्रतिफल का केवल कुछ भाग ही इस प्रकार विनियोग किया जाता है तो शुद्ध प्रतिफल की विनियोजित राशि के अनुपात में ही पूँजी लाभ को कर मुक्त किया जायेगा। इसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है—

$$\text{कर मुक्त पूँजी लाभ} = \text{पूँजी लाभ} \times \frac{\text{विनियोजित राशि}}{\text{शुद्ध प्रतिफल}}$$

इस धारा की छूट से सम्बन्धित अन्य नियम निम्न प्रकार हैं—

(1) करदाता इन बॉण्ड अथवा ऋणपत्रों को इनकी प्राप्ति की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा, मुद्रा में परिवर्तित नहीं करेगा अथवा इनकी प्रत्याभूति पर ऋण अथवा पेशगी नहीं ले सकेगा। यदि वह इन प्रतिबन्धों का पालन नहीं करता है तो मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ उस गत वर्ष की आय मान लिया जायेगा जिसमें विशिष्ट बॉण्ड अथवा ऋणपत्र हस्तान्तरित किये जाते हैं अथवा मुद्रा में परिवर्तित किये जाते हैं अथवा उनकी प्रत्याभूति पर ऋण या पेशगी प्राप्त की जाती है।

(2) यदि करदाता को इन बॉण्ड एवं ऋणपत्रों के विनियोग के सम्बन्ध में धारा 88 की छूट की पात्रता भी हो तो उसे इस धारा की छूट लेने पर धारा 88 की छूट नहीं मिलेगी।

(3) शुद्ध प्रतिफल से अभिप्राय हस्तान्तरण के पूर्ण प्रतिफल की प्राप्त अथवा अर्जित राशि में से हस्तान्तरण के खर्चे घटाकर शेष बची हुई राशि से होगा।

धारा 54 (EA) के लिये बोर्ड द्वारा अधिसूचित विशिष्ट प्रतिभूतियाँ—

1. निम्न संस्थाओं द्वारा जारी किये गये ऐसे समस्त बॉण्ड जो 3 वर्ष बाद शोधनीय होंगे—
   (i) Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi.

(ii) Industrial Development Bank of India, Mumbai.
(iii) Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai.
(iv) National Highways Authority of India, New Delhi.
(v) National Housing Bank, New Delhi.
(vi) Power Finance Corporation, New Delhi.
(vii) Tecil Chemicals and Hydro Power Limited, Mumbai.
(viii) Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, Mumbai.
(ix) Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited, Gandhinagar.
(x) DMCC Oil Terminals (Navlakhi) Limited, Mumbai.
(xi) Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta.
(xii) Weizmann Limited, Mumbai.
(xiii) CRB Corporation Limited, New Delhi.
(xiv) Madhya Pradesh Electricity Board (MPEB), Jabalpur.

2. Ahmedabad Electricity Co. Limited. Ahmedabad के तीन वर्ष बाद शोधनीय अपरिवर्तनीय ऋण-पत्र।

3. धारा 10 (23D) में सन्दर्भित किसी भी पारस्परिक कोष (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया सहित) द्वारा निर्गमित समस्त यूनिट्स जो तीन वर्ष पश्चात् पुनः खरीदने योग्य होंगी।

4. DMCC Oil Terminals (Navlakhi) Limited, Mumbai द्वारा जारी किये गये 72 करोड़ रु. की राशि के समता अंश, जिनको कम से कम 3 वर्ष तक रखना होगा।

टिप्पणी—दिनाक 4-3-1997 की अधिसूचना में 72 करोड़ रु. की सीमा का उल्लेख नहीं था। बाद में दिनाक 27-3-1997 की संशोधित अधिसूचना द्वारा इस सीमा को निर्धारित किया गया था।

(vi) दीर्घकालीन पूँजी लाभ को दीर्घकालीन विशिष्ट सम्पत्तियों में विनियोग करने पर पूँजी लाभ का कर मुक्त होना (धारा 54EB)—यदि किसी करदाता को 1-10-1996 को अथवा बाद में दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ होता है तथा वह हस्तान्तरण की तिथि के बाद 6 माह के भीतर सम्पूर्ण पूँजी लाभ की राशि को बोर्ड द्वारा अधिसूचित दीर्घकालीन विशिष्ट सम्पत्तियों में विनियोग कर देता है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि कर मुक्त हो जायेगी। परन्तु यदि, पूँजी लाभ का केवल कुछ भाग ही इस प्रकार विनियोग किया जाता है तो विनियोग की गई राशि के बराबर पूँजी लाभ की राशि कर मुक्त हो जायेगी। इस धारा की अन्य व्यवस्थाएँ निम्न हैं—

(1) करदाता इन विशिष्ट सम्पत्तियों को इनकी प्राप्ति की तिथि से 7 वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नही कर सकेगा, मुद्रा में परिवर्तित नही करेगा अथवा इनकी प्रत्याभूति पर ऋण अथवा पेशगी नही ले सकेगा। यदि वह इन प्रतिबन्धों का पालन नही करता है तो मूल सम्पत्ति के पूँजी लाभ की कर मुक्त राशि को उस गत वर्ष की आय मान लिया जायेगा जिसमें विशिष्ट सम्पत्ति को हस्तान्तरित किया जाता है, मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है अथवा उसकी प्रत्याभूति पर ऋण अथवा पेशगी प्राप्त की जाती है।

हस्तांतरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के भीतर रहने का मकान बनवा लेता है तो मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभ को निम्न व्यवस्थाओं के अनुसार कर-मुक्त किया जायेगा—

(a) यदि नई सम्पत्ति की लागत मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से कम नही है तो पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होगी।

(b) यदि नई सम्पत्ति की लागत मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से कम है तो पूँजी लाभ उसी अनुपात में कर-मुक्त होगा जो अनुपात मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त शुद्ध प्रतिफल एवं नई सम्पत्ति की लागत के मध्य है।

$$\textbf{कर-मुक्त पूँजी लाभ} = \text{पूँजी लाभ की राशि} \times \frac{\text{विनियोजित रकम}}{\text{प्राप्त शुद्ध प्रतिफल}}$$

यदि मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि को करदाता किसी रहने के मकान का स्वामी है अथवा हस्तान्तरण की तिथि के बाद एक वर्ष के भीतर रहने का मकान खरीद लेता है अथवा हस्तान्तरण की तिथि के बाद 3 वर्ष के भीतर रहने का मकान (नई सम्पत्ति के अलावा) बनवा लेता है तो करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त नही होगा बशर्ते कि इस मकान पर मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर लगता है।

स्पष्टीकरण—(i) यदि करदाता को इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार नई सम्पत्ति को खरीदने या बनवाने के कारण कर-मुक्ति का लाभ दे दिया जाता है परन्तु करदाता बाद में मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि के एक वर्ष के भीतर अन्य कोई रहने का मकान खरीद लेता है अथवा मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के तीन वर्ष के भीतर अन्य कोई रहने का मकान बनवा लेता है तो मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ पूँजी-लाभ जिसको कर-मुक्त कर दिया गया था अब कर-योग्य होगा। इस पूँजी लाभ को उस गत वर्ष का दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नई सम्पत्ति के अलावा अन्य रहने का मकान खरीदा जाता है अथवा बनवाया जाता है।

(ii) नई सम्पत्ति को इसके क्रय करने अथवा बनवाने की तिथि के पश्चात् 3 वर्ष के भीतर हस्तांतरित नही किया जाना चाहिए अन्यथा भूतकाल में कर-मुक्त किया गया पूँजी लाभ अब कर-योग्य माना जायेगा। ऐसी स्थिति में पूँजी लाभ उस गत वर्ष का कर-योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नई सम्पत्ति को हस्तान्तरित किया जाता है।

(iii) प्राप्त शुद्ध प्रतिफल से आशय हस्तांतरण से प्राप्त सकल राशि में से हस्तांतरण के खर्च घटाने के बाद शेष बची राशि से होगा।

(iv) नई सम्पत्ति की लागत में भूमि की लागत भी सम्मिलित होती है।

जमा की नई योजना [धारा-54 F(4)]—शुद्ध प्रतिफल का वह भाग जो करदाता ने मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि के पूर्व एक वर्ष के भीतर नई सम्पत्ति के क्रय करने में प्रयोग नहीं किया हो अथवा धारा-139 के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने के पूर्व नई सम्पत्ति के खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं किया हो तो वह आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व इस राशि को किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में एक खाते में जमा करा सकता है। जमा की

(2) यदि करदाता को इन विशिष्ट सम्पत्तियों के विनियोग के समवन्ध में धारा 88 की छूट की पात्रता भी हो तो उसे इस धारा की छूट लेने पर धारा 88 की छूट नहीं मिलेगी।

धारा 54 (EB) के लिये बोर्ड द्वारा अधिसूचित दीर्घकालीन विशिष्ट प्रतिभूतियाँ—

1. निम्न संस्थाओं द्वारा जारी किये गये ऐसे समस्त बॉण्ड जो 7 वर्ष बाद शोधनीय होंगे—

(i) Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi.
(ii) Industrial Development Bank of India, Mumbai.
(iii) Nuclear Power Corporation of India Limited, Mumbai.
(iv) National Highways Authority of India, New Delhi
(v) National Housing Bank, New Delhi
(vi) Power Finance Corporation, New Delhi.
(vii) Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, Mumbai.
(viii) Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited, Gandhinagar.
(ix) DMCC Oil Terminals (Navlakhi) Limited, Mumbai.
(x) Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta.
(xi) Madhya Pradesh Electricity Board (MPEB), Jabalpur.

2. निम्न संस्थाओं के पास कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिये जमा (Deposits) की राशि—

(i) State Bank of India, या इसकी कोई भी सहायक बैंक या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या कोई भी सहकारी बैंक (सहकारी भूमि बन्धक बैंक एवं सहकारी भूमि विकास बैंक सहित)।
(ii) Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi.
(iii) Industrial Development Bank of India, Mumbai
(iv) Housing Development Finance Corporation Limited, Mumbai.
(v) Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta.
(vi) ICICI Banking Corporation Limited, Mumbai.

3. धारा 10 (23D) में संदर्भित किसी भी पारस्परिक कोष (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया सहित) द्वारा निर्गमित समस्त यूनिट्स, जो 7 वर्ष पश्चात् पुन: खरीदने योग्य होंगी।

4. DMCC Oil terminals (Navlakhi) Limited, Mumbai द्वारा जारी किये गये 72 करोड़ रु. की राशि के समता अंश, जिनको कम से कम 7 वर्ष तक रखना होगा।

(vii) रहने के मकानों को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से होने वाले दीर्घकालीन पूँजी लाभों का कर-मुक्त होना [धारा-54 F]—यदि किसी व्यष्टि करदाता एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को रहने के मकानों को छोड़कर अन्य किसी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ होता है तथा करदाता हस्तान्तरण की तिथि के पूर्व एक वर्ष के भीतर अथवा हस्तांतरण की तिथि के बाद दो वर्ष के भीतर रहने का मकान खरीद लेता है अथवा

इस नई योजना के आधार पर छूट माँगने वाले करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसी जमा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में जमा कराई गई रकम का प्रयोग इस आशय के लिए बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित की गई योजना के अनुसार ही किया जायेगा। करदाता द्वारा पहले से ही नई सम्पत्ति के बनवाने अथवा खरीदने पर व्यय की गई राशि एवं इस योजना में जमा की गई राशि का योग करदाता के लिए नई सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी।

यदि इस उपधारा के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रयोग पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से नई सम्पत्ति को खरीदने या बनवाने में धारा-54 F(1) में वर्णित समय में नहीं किया जाता है तो—

(1) पूँजी लाभ की जो राशि नई सम्पत्ति की लागत के आधार पर करमुक्त कर दी गई थी एवं जो वास्तव में कर-मुक्त होनी चाहिए, का अन्तर धारा-45 के अन्तर्गत उस वर्ष की आय माना जायेगा जिसमें मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है; एवं

(2) करदाता इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को उपरोक्त योजना के अनुसार निर्दिष्ट बैंक या संस्था से वापस निकाल सकेगा।

(vii) शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाने की दशा में सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर होने वाले पूँजी लाभों पर छूट [धारा-54 G] — यदि कोई करदाता अपने औद्योगिक उद्यम को शहरी क्षेत्र से गैर शहरी क्षेत्र में ले जाने के सम्बन्ध में अपनी मशीन, प्लांट, भूमि एवं भवन का हस्तांतरण कर देता है तथा उसे ऐसे हस्तांतरण मे पूँजी लाभ होता है तो ऐसे पूँजी लाभ की राशि इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार कर-मुक्त हो सकती है बशर्ते कि करदाता हस्तान्तरण से पूर्व एक वर्ष के भीतर अथवा हस्तान्तरण के बाद तीन वर्ष के भीतर पूँजी लाभ की राशि को निम्न उद्देश्यों के लिए व्यय कर देता है—

(अ) जिस क्षेत्र में औद्योगिक उद्यम को ले जाया जा रहा है उस क्षेत्र में अपने औद्योगिक उद्यम के व्यवसाय के लिए मशीन एवं प्लांट को क्रय करने में;

(ब) उक्त क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए भूमि एवंभवन प्राप्त करने के लिए अथवा भवन बनवाने के लिए;

(स) उस क्षेत्र में मूल सम्पत्तियों को हस्तांतरण करने या संस्था को हस्तांतरित करने के लिए एवं;

(द) इस धारा के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना में वर्णित अन्य उद्देश्यों पर व्यय।

छूट की राशि का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा—

(i) यदि पूँजी लाभ की राशि उपरोक्त व्ययों अथवा नई सम्पत्ति की लागत से अधिक है तो नई सम्पत्ति की लागत के बराबर के पूँजी लाभ कर-मुक्त होंगे तथा पूँजी लाभ की शेष राशि धारा-45 के अन्तर्गत गत वर्ष में कर-योग्य होगी।

(ii) यदि पूँजी लाभ की राशि उपरोक्त व्ययों अथवा नई सम्पत्ति की लागत के बराबर अथवा कम है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ कर-मुक्त होंगे।

यदि नई सम्पत्तियों को प्राप्त करने, बनवाने या खरीदने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो नई सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वाक्यांश (i) की दशा में शून्य मानी जायेगी अर्थात् नई सम्पत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिफल ही पूँजी लाभ होगा तथा वाक्यांश (ii) की दशा में नई सम्पत्ति की लागत में से भूतकाल में कर-मुक्त की गई पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि नई सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(1) शहरी क्षेत्र से अभिप्राय किसी ऐसी नगर निगम एवं नगरपालिका की सीमाओं में आने वाले क्षेत्रों से होगा जिनकी घोषणा जनसंख्या एवं औद्योगिकीकरण के दबाव को देखते हुए सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से सरकार द्वारा की जाये।

(2) इस धारा की छूट अल्पकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में भी प्राप्त हो सकती है।

जमा की नई योजना [धारा 54-G (2)] – पूँजी लाभ का वह भाग जो करदाता ने मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि के पूर्व एक वर्ष के भीतर धारा-54 G(1) के उपवाक्यांश (a) से (d) में वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया हो अथवा धारा-139 के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने के पूर्व उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग नही किया हो तो वह आय का नक्शा प्रस्तुत करने के पूर्व इस राशि को किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में जमा करा सकता है। जमा की इस नई योजना के अनुसार छूट माँगने वाले करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसी जमा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस योजना में जमा कराई गई रकम का प्रयोग इस आशय के लिए बनाई गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में घोषित की गई योजना के अनुसार ही किया जायेगा। करदाता द्वारा पहले से ही उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई राशि एवं इस योजना में जमा की गई राशि का योग करदाता के लिए नई सम्पत्ति की लागत मानी जायेगी।

यदि इस उपधारा के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रयोग पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वांछित उद्देश्यों के लिए धारा-54 G (1) में वर्णित समय में नही किया जाता है, तो—

(i) इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को धारा-45 के अन्तर्गत उस गत वर्ष की आय माना जायेगा जिसमें मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होती है; एवं

(ii) करदाता इस प्रकार प्रयोग न की गई राशि को उपरोक्त योजना के अनुसार निर्दिष्ट बैंक अथवा संस्था से वापस निकाल सकेगा।

नई सम्पत्ति प्राप्त करने अथवा धनराशि जमा करने अथवा विनियोग करने के लिए समय में वृद्धि—यदि किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण अनिवार्य अधिग्रहण के रूप में होता है तथा हस्तांतरण की तिथि को करदाता को क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं होती है तो दीर्घकालीन पूँजी लाभ के सम्बन्ध में धारा 54, 54B, 54D एवं 54 F में नई सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये अथवा धनराशि जमा करने या विनियोग के लिये वर्णित अवधि की गणना उस तिथि से की जायेगी

जिस तिथि को अनिवार्य अधिग्रहण के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की राशि अथवा उसका कोई भाग प्राप्त होता है। [धारा 80 H]

Illustration 15.

Mr. Satish sold shares and securities on 1-9-1996 for Rs. 5,10,000 The cost of transfer was Rs. 10,000. Mr. Satish had purchased these shares and securities during 1983-84 for Rs. 1,74,000. Mr. Satish purchased a residential house on 1-12-1996 for Rs 3,75,000.

Assuming that Mr. Satish does not own any residential house on 1-9-1996, calculate his taxable income from Capital Gains for the Assessment Year 1997-98.

The cost inflation index for the year 1983-84 in 116.

श्री सतीश ने 1-9-1996 को 5,10,000 रु. के अंश एवं प्रतिभूतियों का विक्रय किया। हस्तान्तरण के खर्चे 10,000 रु. हुए। श्री सतीश ने ये अंश एवं प्रतिभूतियाँ 1983-84 में 1,74,000 रु. में क्रय की थी। श्री सतीश ने 1-12-1996 को रहने का एक मकान 3,75,000 रु. में क्रय किया।

यह मानते हुए कि 1-9-1996 को श्री सतीश के स्वामित्व में रहने का एक भी मकान नहीं है, कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

वर्ष 1983-84 का लागत वृद्धि सूचकांक 116 है।

Solution :

Computation of Taxable Income from Capital Gains of Shri Satish for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs
Sale price of shares & securities		5,10,000
Less : (i) Cost of acquisition in 1983-84	1,74,000	
Indexed cost of acquisition u/s 48		
Rs. 1,74,000 × 305 ÷ 116	4,57,500	
(ii) Expenses of Transfer	10,000	4,67,500
Gross amount of Long term Capital gain		42,500
Less : Exemption u/s 54 (F) $\left(42{,}500 \times \frac{3{,}75{,}000}{5{,}00{,}000}\right)$		31,875
Taxable amount of long term Capital gain		10,625

टिप्पणी—धारा 54(F) की छूट के लिये सूत्र में शुद्ध प्रतिफल का प्रयोग किया जाता है तथा यह छूट नये मकान को खरीदने के लिए विनियोजित राशि पर प्राप्त शुद्ध प्रतिफल के सन्दर्भ में आनुपातिक रूप से दी जाती है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है—

$$\text{पूँजी लाभ} \times \frac{\text{विनियोजित राशि}}{\text{प्राप्त शुद्ध प्रतिफल}}$$

शुद्ध प्रतिफल ज्ञात करने के लिये प्रतिफल में हस्तान्तरण के खर्चे घटा दिये जाते हैं।

Illustration 16.

On 1-8-1976 Mr. Man Mohan purchased 400 shares of XYZ Co. Ltd., @ Rs. 100 per share On 31-12-1980 the XYZ Co. Ltd issued bonus shares. Mr. Man Mohan was allotted 600 bonus shares. The fair market Value of the shares on 1-4-1981 was Rs. 150 per share. On 3-10-1996 Mr. Man Mohan sold all the 1,000 shares @ Rs. 480 per share and paid brokerage etc. @ 2% on sale consideration. Out of the sale consideration he invested Rs. 3,00,000 in the construction of a residential house which was completed before 30-6-1997. (Cost Inflation index for financial year 1996-97 = 305)

Compute the taxable amount of capital gain of Mr. Man Mohan for the assessment year 1997-98 assuming that he does not own any other residential house.

1-8-1976 को श्री मन मोहन ने एक्स वाई जैड कं. लि. के 400 अंश 100 रु. प्रति अंश की दर से क्रय किये। 31-12-1980 को एक्स वाई जैड कम्पनी लि. ने बोनस अंश निर्गमित किये। श्री मन मोहन को 600 बोनस अंश आवंटित किये गये। 1-4-1981 को इन अंशों का उचित बाजार मूल्य 150 रु. प्रति अंश था। 3-10-1996 को श्री मन मोहन ने सभी 1,000 अंश 480 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिये तथा दलाली वगैरह विक्रय-मूल्य के 2% के बराबर दी गई। प्राप्त प्रतिफल में से उसने 3,00,000 रु. एक आवासीय मकान के निर्माण पर व्यय किये जो 30-6-1997 के पूर्व बनकर तैयार हो गया था। (लागत प्रसार सूचकांक वित्तीय वर्ष 1996-97 =305)

यह मानते हुए कि श्री मन मोहन के पास अन्य कोई रहने का मकान नहीं है, कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी कर-योग्य पूँजी लाभों की राशि ज्ञात कीजिए।

(M.D.U. B.Com. 1997, Indore U. B.Com. 1997)

Solution :

Computation of taxable income from Capital gain of Mr. Man Mohan for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
Sale proceeds of 1,000 shares @ Rs. 480 per share		4,80,000
Less : (i) Cost of acquisition		
Actual cost of 400 shares @ Rs. 100 per share	40,000	
Actual cost of 600 bonus shares	Nil	
	40,000	
Fair market value as on 1-4-1981 of 400 shares @ Rs. 150 per share	60,000	
F.M.V. of 600 bonus shares @ Rs. 150 per share	90,000	
F.M.V. of 1,000 shares as on 1-4-1981	1,50,000	
Indexed Cost of acquisition u/s 48 (Rs. 1,50,000 × 305 ÷ 100)	4,57,500	

	(ii) Expenses of transfer	9,600	
		4,67,100	4,67,100
	Long term Capital gain		12,900
Less :	Exemption u/s 54(F) for Construction of residential house $\left(12,900 \times \frac{3,00,000}{4,70,400}\right)$		8,227
	Taxable amount of Long term Capital gain		4,673

टिप्पणी—(i) कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से बोनस अंशों के प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाती है। परन्तु यदि करदाता को बोनस अंश 1-4-81 के पूर्व आवंटित हुए हों तो वह 1-4-81 का बाजार मूल्य इन अंशों को प्राप्त करने की लागत मान सकता है।

(ii) आवासीय मकान बनवाने के सम्बन्ध में धारा 54(F) की छूट शुद्ध विक्रय प्रतिफल के संदर्भ में दी जाती है। शुद्ध विक्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिये हस्तान्तरण के खर्चों को घटा दिया जाता है। इसके लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है—

$$\text{Amount of Capital gain} \times \frac{\text{Amount invested}}{\text{Net consideration received}}$$

Illustration 17.

1 अप्रैल, 1996 को श्री अशोक के पास स्वदेशी लिमिटेड के 300 समता अंश थे। इनमें से 100 अंश उसको 1992-93 में बोनस अंशों के रूप में प्राप्त हुए थे जबकि 200 अंश 1990-91 में 175 रु. प्रति अंश की दर से क्रय किये गये थे। इन अंशों को क्रय करने के सम्बन्ध में 200 रु. दलाली एवं अन्य व्ययों के रूप में चुकाये थे। 1 अक्टूबर, 1996 को स्वदेशी लिमिटेड ने 100 रु. की दर से अधिकार अंशों का निर्गमन किया। श्री अशोक को 200 अधिकार अंश प्राप्त हुए। श्री अशोक ने सभी 500 अंश 15 जनवरी, 1997 को 190 रु. की दर से बेच दिये तथा 1,000 रु. दलाली वगैरह पर व्यय किये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री अशोक की 'पूँजी लाभ' शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

1990-91, 1992-93 तथा 1995-96 के लिए लागत स्फीति सूचकांक क्रमशः 182, 223 तथा 281 हैं।

On 1st April,1996 Mr. Ashok had 300 equity shares of Swadeshi [illegible]

brokerage etc.

Compute the taxable income of Mr. Ashok under the head Capital gain for the assessment year 1997-98. The Cost inflation indices for 1990-91, 1992-93 and 1995-96 are 182, 223 and 281 respectively.

[M.D.U. B.Com. 1994 and Raj. U.B. Com. 1997]

Solution :

मूल 200 अंशों के हस्तान्तरण से एवं बोनस अंशों के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ है जबकि अधिकार अंशों से होने वाला पूँजी लाभ अल्पकालीन पूँजी लाभ है। अतः दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूँजी लाभों की गणना अलग-अलग की जायेगी।

Computation of taxable income from Capital gain of Mr. Ashok for the A.Y. 1997-98

Particulars		Rs.	Rs.
Short term Capital gain			
Sale consideration of 200 shares @ Rs. 190 per share			38,000
Less : Cost of acquisition @ Rs. 100 per share		20,000	
Expenses of transfer		400	20,400
Short term Capital gain			17,600
Long term Capital gain :			
Sale consideration of 300 shares @ Rs. 190 per share			57,000
Less : (i) Cost of acquisition			
Actual cost of 200 original shares @ 175 per share	35,000		
Brokerage paid	200	35,200	
cost of 100 bonus shares		Nil	
		35,200	
Indexed cost of acquisition			
For 200 shares purchased in 1990-91 $(35,200 \times 305 \div 182)$		58,989	
For 100 bonus shares allotted in 1992-93 $(Nil \times 305 \div 223)$		Nil	
		58,989	
(ii) Expenses of transfer		600	59,589
Long term Capital gain			(–) 2,589

Total amount of Capital gain =
Rs. 17,600 - Rs. 2,589 = Rs. 15,011

टिप्पणी—(i) कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से बोनस अंशों के प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाती है। अतः इनकी निर्देशित लागत भी शून्य होगी।

(ii) मूल 200 अंश 1990-91 वर्ष में खरीदे गये थे तथा बोनस अंश 1992-93 में आवंटित किये गये थे। अतः दोनों अंशों की प्राप्त करने की निर्देशित लागत (Indexed cost of acquisition) अलग-अलग ज्ञात की गई है।

Illustration 18.

Mr. Sudhir is employed in Hukamchand Mills Ltd. Indore as an accountant for the last 10 years. During the previous year 1996-97 he

received salary @ Rs. 5,000 per month. During the previous year he purchased and sold certain properties the details whereof is as follows.

(a) He owned a residential house which he let out at a rent of Rs. 2,000 per month. On 30-6-1996 this house was sold for Rs. 2,00,000. It was purchased by him in May, 1994 for Rs. 1,50,000.

(b) On 1-4-1996 he had 12% debentures of Swadeshi Mills Ltd. of the face value of Rs. 40,000. These debentures were purchased during the financial year 1989-90 for Rs. 39,000. On 15-2-1997 he sold these debentures for Rs. 56,600 cum-interest and paid a sum of Rs. 600 as commission in this regard.

(c) On 1-5-1988 he had purchased equity shares of Gwalior Rayons Ltd for Rs. 69,000 the face value being Rs. 40,000 and paid Rs. 1,000 for Commission. On 15-10-1996 he sold these shares for Rs. 4,00,000 and purchased a residential house on 10-1-1997 for Rs. 2,50,000.

(d) He sold some ornaments on 15-4-1996 for Rs. 90,000 which he received in gift at the time of his marriage in 1986-87. The donor had purchased these ornaments at a cost of Rs.66,500 in the same financial year. On 1-12-1996 he bought new ornaments for Rs. 40,000.

(e) He had some furniture at his residence which cost him Rs. 10,000. It was sold for Rs. 18,000 and new furniture was bought for Rs. 8,000. Old furniture was purchased in 1988-89 financial year.

The cost inflation index for the year 1986-87, 1988-89 and 1989-90 are 140, 161 and 172 respectively.

Calculate the taxable income under the various heads of Mr. Sudhir for the assessment year 1997-98.

श्री सुधीर पिछले दस वर्षों से हुकमचन्द मिल्स लि. इन्दौर में लेखापाल के पद पर कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष 1996-97 में उन्होंने 5000 रु. प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त किया। गत वर्ष में उन्होंने कुछ सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय किया जिनका विस्तृत विवरण निम्न है—

(अ) उनके पास एक रहने का मकान था जिसको उन्होंने 2,000 रु. प्रति माह किराये पर उठा रखा था। 30 जून, 1996 को यह मकान 2,00,000 रु. में बेच दिया गया। इस मकान को उन्होंने मई, 1994 में 1,50,000 रु. का खरीदा था।

(ब) 1 अप्रैल, 1996 को उनके पास स्वदेशी मिल्स लि. के 40,000 रु. के अंकित मूल्य के 12% ऋण-पत्र थे। इन ऋण-पत्रों को उन्होंने 1989-90 वित्तीय वर्ष में 39,000 रु. में क्रय किया था। उन्होंने इन ऋण-पत्रों को 15 फरवरी, 1997 को ब्याज सहित 56,600 रु. में बेचा तथा इस सम्बन्ध में 600 रु. कमीशन के चुकाये।

(स) 1 मई, 1988 को उन्होंने ग्वालियर रेयन्स लि. के 40,000 रु. अंकित मूल्य के समता अंश 69,000 रु. में क्रय किये तथा 1,000 रु. कमीशन के दिये। उन्होंने इन अंशों को 15 अक्टूबर, 1996 को 4,00,000 रु. में बेच दिया तथा 10 जनवरी, 1997 को एक रहने का मकान 2,50,000 रु. में खरीद लिया।

(द) उन्होंने 15 अप्रैल, 1996 को 90,000 रु. के आभूषण बेचे जो उनको 1986-87 वर्ष में अपनी शादी में उपहारस्वरूप मिले थे। उपहार देने वाले ने इन आभूषणों को उसी वित्तीय वर्ष में 66,500 रु. की लागत पर खरीदा था। 1 दिसम्बर, 1996 को उन्होंने 40,000 रु. की लागत के नये आभूषण खरीदे।

(य) उनके निवास स्थान पर 10,000 रु. की लागत का फर्नीचर था जिसको उन्होंने 18,000 रु. में बेच दिया तथा नया फर्नीचर 8,000 रु. की लागत का खरीद लिया। पुराना फर्नीचर 1988-89 वित्तीय वर्ष में खरीदा गया था।

वर्ष 1986-87, 1988-89 एवं 1989-90 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 140, 161 एवं 172 हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री सुधीर की विभिन्न शीर्षकों की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Taxable Income under various heads of Mr. Sudhir for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.	Rs.
1.	**Income from Salary :**			
	Salary for 12 months @ Rs.5,000 p.m.		60,000	
	Less : Standard deduction u/s 16 (i)		18,000	42,000
2.	**Income from House Property :**			
	Annual value being Rent received		6,000	
	Less : $\frac{1}{5}$th for repairs & collection exp.		1,200	4,800
3.	**Income from capital gains**			
	(a) Sale price of residential house		2,00,000	
	Less : Cost of acquisition		1,50,000	
	Short term Capital gains			50,000
	(b) Sale price of debentures		56,600	
	Less : (i) Cost of acquisition	39,000		
	Indexed cost of acq. (39,000 × 305 ÷ 172)	69,157		
	(ii) Expenses of transfer	600	69,757	
	Long term Capital gain			(–) 13,157
	(c) Sale price of equity shares		4,00,000	
	Less : Cost of acquisition	70,000		
	Indexed cost of acquisition (70,000 × 305 ÷ 161)		1,32,609	
	Gross amount of capital gain		2,67,391	
	Less : Exemption u/s 54(F) $\left(\frac{2,67,391 \times 2,50,000}{4,00,000}\right)$		1,67,119	

Long term Capital gain			1,00,272
(d) Sale price of ornaments		90,000	
Less : Cost of acquisition	66,500		
Indexed cost of acquisition			
(66,500 × 305 ÷ 140)		1,44,875	
Long term Capital gain			(–) 54,875
Taxable income from capital gain			82,240

टिप्पणी—(i) घरेलू फर्नीचर सम्पत्ति नहीं है। अतः उसके विक्रय पर पूँजी लाभ नहीं होगा। नया फर्नीचर खरीदने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) नये आभूषण खरीदने के सम्बन्ध में किसी छूट का प्रावधान नहीं है।

Illustration 19.

Mr. Ashok Sen, owning an industrial undertaking in an urban area shifted his entire undertaking to another area in August 1996 He sold his land and building in the Urban area for Rs. 10,50,000 the cost of acquisition being Rs. 1,00,000 only. Expenses of transfer amounted to Rs. 20,000.

Mr. Sen purchased a new land in new area. He incurred an expenditure of Rs. 2,75,000 on the purchases of land and construction of factory building in the new area. He also spent Rs. 25,000 on the shifting of his plant and machinery to the new area. He deposited a sum of Rs. 1,00,000 with the specified bank before the date of furnishing the return of income. This amount will be utilised by Mr. Sen for purchasing Plant and machinery within three years of transfer of original asset.

Compute the taxable amount of Capital gains for the Assessment year 1997-98 assuming that Mr. Sen had purchased the Land and Building in July, 1973 and the Fair market value on 1-4-1981 was Rs. 2,00,000.

श्री अशोक सेन जो एक शहरी क्षेत्र में एक औद्योगिक उपक्रम का स्वामी है, ने अगस्त, 1996 में अपने सम्पूर्ण उपक्रम को दूसरे क्षेत्र में हस्तान्तरित किया। उसने अपने शहरी क्षेत्र की भूमि एवं भवन को 10,50,000 रु. मे विक्रय किया जिसको प्राप्त करने की लागत केवल 1,00,000 रु. थी। हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यय 20,000 रु. के हुए।

उसने नये क्षेत्र में भूमि क्रय की। उसने नये क्षेत्र में भूमि क्रय करने एवं उस पर कारखाना भवन निर्माण करवाने पर 2,75,000 रु. व्यय किये। उसने अपने प्लाण्ट एवं मशीन को नये क्षेत्र में ले जाने पर भी 25,000 रु. व्यय किये। उसने आय का नक्शा भरने की तिथि के पूर्व 1,00,000 रु. निर्दिष्ट बैंक मे जमा करवाये। इस राशि का प्रयोग वह मूल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से तीन वर्ष के भीतर नये क्षेत्र में प्लाण्ट एवं मशीन क्रय करने में करेगा।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कर-योग्य पूँजी लाभों की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उसने शहरी क्षेत्र में भूमि एवं भवन जुलाई, 1973 में क्रय किये थे तथा 1-4-1981 को इनका उचित बाजार मूल्य 2,00,000 रु. था।

Solution : **Computation of Taxable Capital gain of Mr. Ashok Sen for the A.Y. 1997-98**

	Rs.	Rs.
Sale proceeds of Land & Building		10,50,000

Less : (i) Cost of acquisition	1,00,000	
F.M.V. on 1-4-1981	2,00,000	
Indexed cost of acquisition u/s 48		
(2,00,000×305÷100)	6,10,000	
(ii) Expenses of transfer	20,000	6,30,000
Gross amount of Capital gain		4,20,000
Less : Exemption u/s 54-G		4,00,000
Taxable income from Long term Capital gain		20,000

टिप्पणी—धारा 54G की छूट नये क्षेत्र में भूमि एवं भवन क्रय करने, मशीन एवं प्लाण्ट को हस्तान्तरण करने पर किये गये व्यय एवं नई जमा योजना में जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में दी गई है।

Illustration 20.

Mr. Dinesh had purchased a plot of agricultural land in 1984-85 for Rs. 60,000, situated in the jurisdiction of Ajmer Municipality. The parents of Mr. Dinesh had been using it since 1984-85 for agricultural purposes. This land was acquired by the Government of Rajasthan in August, 1994 and he was paid Rs. 4,00,000 as compensation in December, 1994. In January, 1996 he purchased another plot of land for Rs 2,00,000 to be used by his parents for agricultural purposes Mr. Dinesh was not satisfied with the compensation and appealed against the above award. The amount of compensation was enhanced by the court to Rs 5,00,000 and the additional amount of Rs. 1,00,000 was paid to him on 10th Aug 1996. He had to incurr an expenditure of Rs. 5,000 in the appeal proceedings. He deposited Rs. 80,000 in Capital Gain Account Scheme on 28-6-1997.

Mr. Dinesh also owned an industrial plot which was purchased by him on 23-11-1987 for Rs. 2,40,000. From the date of its purchase Mr. Dinesh was using it for his industrial activities. This plot was compulsorily acquired by the Government on 16-1-1995 and a sum of Rs. 6,00,000 was fixed as compensation which was received by him on 9-5-1995. As he was not satisfied with the amount of compensation fixed by the Government, he filed a suit in court of law. The court enhanced the compensation by an additional amount of Rs. 3,00,000 on 16-2-1997 but the enhanced compensation was received on 8-5-1997. Mr. Dinesh purchased another industrial plot on 18-3-1996 for Rs. 1,50,000. On receipt of the additional compensation he deposited, Rs. 2,50,000 under the Capital Gain Account Scheme on 28-7-1997. He incurred Rs. 40,000 as expenses for filing the suit against the amount of compensation fixed.

The cost inflation index for the year 1984-85 and 1987-88 are 125 and 150 respectively.

Compute the amount of taxable Capital Gain for Mr. Dinesh for various assessment years arising from the above transactions.

श्री दिनेश ने वर्ष 1984-85 में अजमेर नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित एक कृषि भू-खण्ड 60,000 रु. में खरीदा। श्री दिनेश के माता-पिता 1984-85 से ही इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिये कर रहे थे। अगस्त, 1994 में राजस्थान सरकार द्वारा इस भूखण्ड का अधिग्रहण कर लिया गया तथा उन्हें दिसम्बर, 1994 में 4,00,000 रु. क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुये। जनवरी, 1996 में उन्होंने अपने माता-पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिये प्रयोग करने हेतु एक दूसरा भूखण्ड 2,00,000 रु. में खरीदा। श्री दिनेश क्षतिपूर्ति से सन्तुष्ट नहीं थे और उन्होंने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील की। न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर 5,00,000 रु. कर दिया तथा श्री दिनेश को 1,00,000 रु. की अतिरिक्त् राशि 10 अगस्त, 1996 को भुगतान कर दी गई। अपील की कार्यवाही में उनके 5,000 रु. व्यय हुये। उन्होंने 28-6-1997 को 80,000 रु. 'पूँजी लाभ खाता योजना' में जमा करवाये।

श्री दिनेश के स्वामित्व में एक औद्योगिक भू-खण्ड भी था जो उन्होंने 23-11-1987 को 2,40,000 रु. में खरीदा था। इसको खरीदने की तिथि से ही श्री दिनेश इसका प्रयोग अपनी औद्योगिक गतिविधियों के लिये कर रहे थे। सरकार ने 16-1-1995 को अनिवार्य रूप से इस भू-खण्ड का अधिग्रहण कर लिया तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 6,00,000 रु. की राशि निश्चित की गई जो उनको 9-5-1995 को प्राप्त हुई। चूँकि वे सरकार द्वारा निश्चित की गई क्षतिपूर्ति की राशि से सन्तुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। 16-2-1997 को न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि में 3,00,000 रु. की वृद्धि की परन्तु क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई राशि उनको 8-5-1997 को प्राप्त हुई। श्री दिनेश ने एक दूसरा औद्योगिक भू-खण्ड 18-3-1996 को 1,50,000 रु. में क्रय किया।

क्षतिपूर्ति की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने पर उन्होंने 2,50,000 रु. 28-7-1997 को 'पूँजी लाभ खाता योजना' में जमा करा दिये। निश्चित की गई क्षतिपूर्ति की राशि के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने में उनके 40,000 रु. व्यय हुये।

वर्ष 1984-85 एवं 1987-88 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 125 एवं 150 हैं।

उपर्युक्त व्यवहारों से विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में श्री दिनेश को होने वाले कर योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Taxable Capital Gains of Shri Dinesh for Various Assessment Years

	Rs.
Assessment Year 1995-96	
Compensation received in respect of agricultural land in December, 1994	4,00,000
Less : Indexed cost of acquisition for 1994-95 (60,000 × 259 ÷ 125)	1,24,320
Long term Capital Gains	2,75,680
Less : Exemption u/s 54 B for agricultural land purchased in January, 1996	2,00,000
Taxable amount of long term capital gains	75,680

Assessment Year 1996-97

यद्यपि औद्योगिक भू-खण्ड (Plot) का अधिग्रहण 16-1-1995 गत वर्ष (1994-95) में ही कर लिया गया था, परन्तु क्षतिपूर्ति की राशि 9-5-1995 गत वर्ष 1995-96 में प्राप्त हुई। अत: पूँजी लाभ गत वर्ष 1995-96 में उदय होंगे परन्तु प्राप्ति की सूचकांकित लागत (Indexed cost) 1994-95 वर्ष के सूचकांक के आधार पर की जायेगी।

Compensation received in respect of industrial plot on 9-5-1995		6,00,000
Less : Indexed cost of acquisition (2,40,000 × 259 ÷ 150)		4,14,400
Long term capital gains		1,85,600
Less : Exemption u/s 54 D for industrial plot purchased on 18-3-96		1,50,000
Taxable amount of long term capital gains		35,600

Assessment Year 1997-98

Enhanced compensation in respect of agricultural land received on 10-8-1996		1,00,000
Less : Cost of acquisition	Nil	
Cost of Transfer	5,000	5,000
Long term capital gain		95,000
Less : Exemption u/s 54 B in respect of deposits in Capital Gain Account Scheme		80,000
Taxable long term Capital gains		15,000

Assessment year 1998-99

Enhanced compensation in respect of industuial plot received on 8-5-1997		3,00,000
Less : Cost of acquisition	Nil	
Cost of transfer	40,000	40,000
Long term capital gains		2,60,000
Less : Exemption u/s 54 D in respect of deposits in Capital Gains Account Scheme		2,50,000
Taxable long term Capital gains		10,000

टिप्पणी—(1) सम्पत्ति के अधिग्रहण के कारण प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की राशि उस वर्ष में कर योग्य होती है जिसमें वह प्राप्त होती है।

(2) क्षतिपूर्ति की राशि से सन्तुष्ट न होने पर न्यायालय में किये गये वाद के खर्चे बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशि में से हस्तान्तरण के व्यय के रूप में स्वीकृत है। (CIT V. P Rajendran (1981) 127 ITR 810) (Kerala)

Illustration 21.

Compute the taxable income under the head 'Capital Gains' arising from the following transactions in respect of verious assets of Shri Ramesh during the previous year ended on 31st March, 1997.

(i) He sold his agricultural land on 6-8-1996 for Rs. 9,50,000 and paid Rs. 12,000 for brokerage and other expenses. This land was purchased by

him in 1986-87 for Rs. 2,80,000 and since then it was being used for agricultural purposes by his parents. He purchased an urban agricultural land for Rs. 1,80,000 on 18-11-1996 and has deposited Rs. 1,20,000 under the Capital Gains Account Scheme on 26-5-1997.

(ii) He sold certain ornaments in July, 1996 for Rs. 3,50,000 and paid Rs. 20,000 for brokerage. These ornaments were purchased by him for the use of his wife in 1970-71 for Rs. 24,000. The fair market value of these ornaments on 1-4-1981 was Rs. 72,000. He purchased a house for his own residence for Rs. 2,50,000 in September, 1996. He did not own any house on the date of the sale of ornaments.

(iii) He sold a plot of land on 15-12-1996 for Rs. 18,50,000 and incurred an expenditure of Rs. 50,000 on its transfer. He got this plot in 1987-88 from his father in gift. His father acquired it in 1984-85 for Rs. 6,00,000.

He made the following investments on 6-3-1997 from the proceeds of the above plot :

(a) Bonds of IDBI, Mumbai, redeemable after a period of 3 years, of Rs. 6,00,000.

(b) Bonds of HUDCO, New Delhi redeemable after a period of 7 years of Rs. 2,00,000

(c) Deposits in State Bank of Bikaner & Jaipur for a period of 7 years Rs. 1,00,000.

The cost inflation index for the year 1984-85, 1986-87 and 1987-88 are 125.140 and 150 respectively.

श्री रमेश के द्वारा 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में विभिन्न सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किये गये निम्न व्यवहारों से 'पूँजी लाभ' शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए :

(i) उसने 6-8-1996 को अपनी कृषि भूमि को 9,50,000 रु. में बेचा तथा दलाली एवं अन्य व्ययों के लिये 12,000 रु. चुकाये। यह भूमि उसके द्वारा 1986-87 में 2,80,000 रु. में खरीदी गई थी तथा उसी समय से इसका प्रयोग उसके माता-पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिये किया जा रहा था। उसने 18-11-96 को 1,80,000 रु. में शहरी कृषि भूमि खरीदी, तथा 1,20,000 रु. 26-5-1997 को 'पूँजी लाभ खाता योजना' में जमा कराये।

(ii) उसने जुलाई, 1996 में कुछ आभूषण 3,50,000 रु. में बेचे तथा 20,000 रु. दलाली के चुकाये। ये आभूषण उसने 1970-71 में अपनी पत्नी के प्रयोग के लिये 24,000 रु. में खरीदे थे। इन आभूषणों का 1-4-1981 को उचित बाजार मूल्य 72,000 रु. था। उसने अपने निवास के लिये एक मकान सितम्बर, 1996 में 2,50,000 रु. में खरीदा। आभूषणों की बिक्री की तिथि को उसके स्वामित्व में कोई मकान नहीं था।

(iii) उसने 15-12-1996 को एक भू-खण्ड 18,50,000 रु. में बेचा तथा इसके हस्तान्तरण पर 50,000 रु. का व्यय हुआ। यह भू-खण्ड उनको 1987-88 में उनके पिता से उपहार में मिला था। उनके पिता ने इस भू-खण्ड को 1984-85 में 6,00,000 रु. में खरीदा था। उन्होंने उपर्युक्त भू-खण्ड की बिक्री से प्राप्त राशि में से 6-3-1997 को निम्नालिखित विनियोग किये—

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), मुम्बई के 3 वर्ष बाद शोधनीय बॉण्ड्स में 6,00,000 रु.।

(ब) आवासीय एवं नगर विकास निगम (HUDCO), नई दिल्ली, के 7 वर्ष बाद शोधनीय बॉण्डस में 2,00,000 रु.।

(स) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में 7 वर्ष की अवधि के लिये जमा करवाये 1,00,000 रु.।

वर्ष 1984-85, 1986-87 एवं 1987-88 के लिये लागत वृद्धि सूचकांक क्रमश: 125, 140 एवं 150 है।

Solution :

Computation of taxable Capital Gain of Shri Ramesh for the Assessment Year 1997-98

		Rs.
(1) Agricultural land sold on 6-8-1996		
Full value of consideration		9,50,000
Less : (i) Indexed cost of acquisition (1986-87) (2,80,000 × 305 ÷ 140)	6,10,000	
(ii) Expenses of transfer	12,000	6,22,000
Long term capital gains		3,28,000
Less : Exemption u/s 54B –		
For purchasing agricultural land	1,80,000	
For deposit in Capital Gain Account Scheme	1,20,000	3,00,000
Taxable amount of Long term Capital gains		28,000
(2) Ornaments sold in July, 1996		
Full value of consideration		3,50,000
Less : (i) cost of acquisition	24,000	
F.M V. on 1-4-1981	72,000	
Indexed cost of acquisition (72,000 × 305 ÷ 100)	2,19,600	
(ii) Expenses of transfer	20,000	2,39,600
Long term Capital gains		1,10,400
Less : Exemption u/s 54 (F) regarding purchase of residential house $\left(1,10,400 \times \frac{2,50,000}{3,30,000}\right)$		83,636
Taxable Long term Capital gains		26,764
(3) Land sold on 15-12-1996		
Full value of consideration		18,50,000
Less : (i) Indexed cost of acquisition (1987-88) (6,00,000 × 305 ÷ 150)	12,20,000	
(ii) cost of transfer	50,000	12,70,000
Long term Capital gains		

Less : Exemption u/s 54 EA for investments in IDBI bonds—		
$\left(5{,}80{,}000 \times \frac{6{,}00{,}000}{18{,}00{,}000}\right) =$	1,93,333	
Exemption u/s 54 EB		
For investment in HUDCO bonds	2,00,000	
For deposits with State Bank of Bikaner & Jaipur	1,00,000	4,93,333
Taxable long term Capital gains		86,667
Total taxable long term Capital gain = Rs. 28,000 + Rs. 26,764 + Rs. 86,667 =		Rs. 1,41,431

टिप्पणी—(*i*) यदि सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति से धारा 49 (1) में वर्णित तरीकों से प्राप्त हुई है तो लागत पूर्व मालिक की ली जाती है परन्तु निर्देशांक उस वर्ष का काम आता है जिसमें वह सम्पत्ति करदाता को प्राप्त होती है।

(ii) धारा 54EA की छूट शुद्ध प्रतिफल के अनुपात में दी जाती है जबकि धारा 54EB की छूट पूँजी लाभ की राशि को कर मुक्त करके दी जाती है।

सारांश
(Summary)

1. पूँजी लाभ से आशय—गत वर्ष में किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ 'पूँजी लाभ' कहलाता है।

2. पूँजी सम्पत्ति से आशय—निम्न को छोड़कर कोई भी सम्पत्ति जो करदाता की है चाहे व्यापार में काम आती है अथवा नहीं पूँजी सम्पत्ति होती है—

(i) व्यापार से सम्बन्धित व्यापारिक रहतिया, कच्चा माल, आदि

(ii) व्यक्तिगत प्रयोग की चल ... घर, कार आदि के शामिल करते हुये परन्तु जे ...

(iii) 10,000 से कम आबादी के ... भूमि

(iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्गमित ... 1977, 7 % ...

अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति का लाभ अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति का लाभ दीर्घकालीन होता है।

5. पूँजी लाभों की गणना करने की विधि—प्राप्त प्रतिफल में से प्राप्त करने की लागत, सुधार की लागत एवं हस्तान्तरण के व्ययों को घटाया जाता है। शेष राशि पूँजी लाभ होती है। दीर्घकालीन पूँजी लाभों की दशा में प्राप्त करने की निर्देशित लागत घटाई जाती है।

6. प्राप्त करने की लागत—सामान्यतः प्राप्त करने की लागत वह रकम होती है जिस पर कोई व्यक्ति सम्पत्ति को खरीदता है। परन्तु भेंट, वसीयत, उत्तराधिकार आदि में मिलने वाली सम्पत्ति की दशा में पूर्व मालिक की लागत को प्राप्त करने की लागत माना जाता है। 1-4-1981 के पूर्व प्राप्त सम्पत्ति की लागत 1-4-1981 का उचित बाजार मूल्य माना जा सकता है। यदि किसी सम्भावित क्रेता से कोई राशि पेशगी प्राप्त होती है जिसे अनुबन्ध पूरा न करने पर जब्त कर लिया जाता है तो उस राशि को प्राप्त करने की लागत में से घटा दिया जाता है।

7. कर-मुक्त पूँजी लाभ—

(i) रहने के मकान के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ—

(A) **आधारभूत शर्त**—36 माह से अधिक उसके पास रहा हो।

(B) **कर मुक्त राशि की सीमा**—नया मकान खरीदने या बनवाने में विनियोजित राशि या निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि—पूँजी लाभ के बराबर तक कर मुक्त होना।

(C) **अन्य शर्तें**—हस्तान्तरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर या बाद में दो वर्ष के भीतर नया मकान खरीद लिया हो अथवा बाद में तीन वर्ष के भीतर नया मकान बनवा लिया हो। बशर्ते नया मकान 3 वर्ष के भीतर हस्तान्तरित नहीं किया हो अन्यथा नया एव पुराना दोनों पूँजी लाभ कर योग्य।

(ii) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ—

(A) **आधारभूत शर्त**—दो वर्ष पूर्व से करदाता या उसके माता-पिता द्वारा प्रयोग किया जाना।

(B) **कर मुक्त राशि की सीमा**—नई कृषि भूमि खरीदने में विनियोजित राशि एवं निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि पूँजी लाभ के बराबर तक कर मुक्त।

(C) **अन्य शर्तें**—दो वर्ष के भीतर नई कृषि भूमि खरीद लेना और उसको 3 वर्ष तक हस्तान्तरित नही करना। अन्यथा नया एवं पुराना दोनों पूँजी लाभ कर-योग्य।

(iii) भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूँजी लाभ—

(A) **आधारभूत शर्त**—दो वर्ष पूर्व से व्यापार में प्रयोग।

(B) **कर मुक्त राशि की सीमा**—नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु दूसरे भूमि एवं भवन प्राप्त करने में विनियोजित राशि एवं निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि पूँजी लाभ के बराबर तक कर मुक्त।

(C) **अन्य शर्तें**—नये भूमि एवं भवन को तीन वर्ष में हस्तान्तरित नहीं करना अन्यथा नया एव पुराना दोनो पूँजी लाभ कर-योग्य।

(iv) रहने के मकानो को छोड़कर अन्य किसी सम्पत्ति के पूँजी लाभ—

(A) आधारभूत शर्त—सम्पत्ति इतनी अवधि के लिये करदाता के पास रही हो कि उसका पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ की श्रेणी में आता है।

(B) कर मुक्त राशि की सीमा—निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करना—

$$\text{कर-मुक्त पूँजी लाभ} = \text{पूँजी लाभ की राशि} \times \frac{\text{विनियोजित रकम}}{\text{प्राप्त शुद्ध प्रतिफल}}$$

उपरोक्त सूत्र रहने के मकान में विनियोजित या निर्दिष्ट बैंक में जमा कराई गई राशि पर लागू होगा।

(C) अन्य शर्तें—करदाता के पास पहले से रहने का मकान नहीं होना चाहिये। नया मकान हस्तान्तरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर अथवा बाद में दो वर्ष के भीतर खरीदा जाये अथवा बाद में तीन वर्ष के भीतर बनवा लिया जाये। नया मकान तीन वर्ष में हस्तान्तरित नहीं होना चाहिये अन्यथा नया और पुराना दोनों पूँजी लाभ कर योग्य होंगे। नये मकान के अलावा अन्य कोई मकान भी तीन वर्ष तक नहीं खरीदना चाहिये।

(v) शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाने की दशा में सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ—

(A) आधारभूत शर्त—गैर शहरी क्षेत्र में उद्योग को ले जाना।

(B) कर मुक्त राशि की सीमा—मशीन एवं प्लाण्ट भूमि एवं भवन में विनियोजित राशि एवं निर्दिष्ट बैंक में जमा की गई राशि पूँजी लाभ के बराबर तक राशि।

(C) अन्य शर्तें—गैर शहरी क्षेत्र में ले जाये गये उद्योग को तीन वर्षों के भीतर हस्तान्तरित नहीं किया जाये। अन्यथा नये-पुराने दोनों पूँजी लाभ कर-योग्य।

(vi) धारा 54EA एवं धारा 54EB के तहत दीर्घकालीन पूँजी लाभों का कर मुक्त होना—

(A) आधार भूत शर्त—निर्धारित प्रतिभूतियों में विनियोग करना

(B) कर मुक्त राशि की सीमा—धारा 54EA में शुद्ध प्रतिफल एवं विनियोजित राशि के अनुपात में।

धारा 54EB में विनियोजित सम्पूर्ण राशि की परन्तु अधिकतम दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि तक।

8. अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ—

(i) ह्रास योग्य सम्पत्तियों पर अल्पकालीन पूँजी लाभ ही होता है। दीर्घकालीन कभी नहीं होगा।

(ii) करदाता के पास किसी सम्पत्ति की अवधि ज्ञात करने के लिये पूर्व मालिक की अवधि को भी जोड़ा जायेगा यदि पूर्व मालिक से सम्पत्ति भेंट, वसीयत आदि से बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित हुई है।

(vi) धारा 80 CCB में वर्णित यूनिटों के पुनर्खरीद पर पूँजी लाभ की गणना करते समय निर्देशित लागत ज्ञात की जायेगी यदि अवधि 3 वर्ष से अधिक हो।
(vii) साझेदार द्वारा फर्म को हस्तान्तरण की दशा में हस्तान्तरण का प्रतिफल वह राशि मानी जायेगी जिस पर फर्म ने अपनी पुस्तकों में लेखा किया हो।
(viii) फर्म के विघटन पर साझेदारों द्वारा ली जाने वाली सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल बाजार मूल्य माना जायेगा। साझेदारों द्वारा तय की गई राशि नहीं।
(ix) सम्पत्ति के अधिग्रहण की दशा मे पूँजी लाभ उस वर्ष में उदय होता है जिसमें करदाता को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है परन्तु हस्तान्तरण उस वर्ष में होता है जिसमें अधिग्रहण किया जाता है। निर्देशांक अधिग्रहण या हस्तान्तरण के वर्ष का काम आयेगा।
(x) व्यापार की ख्याति, किरायेदारी अधिकार, मार्ग परमिट तथा करघा घंटों आदि स्व- अर्जित सम्पत्तियों के पूँजी लाभों को कर योग्य बना दिया गया है परन्तु पेशे की ख्याति, ट्रेडमार्क एवं पेटेण्ट अधिकार के पूँजी लाभ अभी भी कर योग्य नहीं है।
(xi) क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई राशि में से यदि न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया हो तो वाद के खर्चे हस्तान्तरण व्यय के रूप में घटा दिये जायेंगे।
(xii) ऋणपत्रों को अंशों में परिवर्तन करने पर अंशों की लागत ऋणपत्रों की राशि का वह भाग माना जायेगा जिसके लिये अंश आवंटित किये जाते हैं परन्तु अंशों की प्राप्ति की तिथि इन अंशों के आवंटन की तिथि मानी जायेगी तथा भविष्य में अंशों को बेचने पर इसी वर्ष का निर्देशांक काम आयेगा।

प्रश्न
(Questions)

1. पूँजी लाभ से आप क्या समझते हैं ? 'अल्पकालीन पूँजी लाभ' एवं 'दीर्घकालीन पूँजी लाभ' में अन्तर बतलाइये।
   What do you mean by Capital Gains ? Distinguish between 'Short-term' and 'Long-term' Capital gains.
2. पूँजी लाभों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने वाले शब्द 'हस्तान्तरण' से आप क्या समझते हैं ? कौन-कौन से सौदों को हस्तान्तरण नही माना जाता है ?
   What do you mean by the term transfer as used in connection with Capital gains ? Which transactions are not regarded as transfer ?
3. 'पूँजी लाभ' से आप क्या समझते हैं ? पूँजी लाभों की गणना किस प्रकार की जाती है ?
   What do you mean by 'Capital gains' ? How are Capital gains calculated ? (Raj. B. Com., 1993)
4. उन पूँजी लाभों का वर्णन कीजिए जो आय-कर से मुक्त है।
   Explain the Capital gains which are exempt from income tax.
5. अग्रलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(i) पूँजी सम्पत्तियाँ,
(ii) पूँजी सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत,
(iii) ह्रास-योग्य सम्पत्तियों की दशा में पूँजी लाभ की गणना।

Write short notes on—
(i) Capital Assets,
(ii) Cost of acquisition of Capital Assets,
(iii) Computation of capital gains in case of depreciable assets.

श्री राम निवास ने 15 जुलाई, 1969 को एक मकान सम्पत्ति 38,000 रु. में खरीदी। इस मकान सम्पत्ति में वृद्धि करने अथवा परिवर्तन करने पर निम्न व्यय किये गये— रु.

	रु.
(i) 1975-76 वर्ष में प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत	55,000
(ii) 1984-85 वर्ष में द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत	1,70,000
(iii) 1991-92 वर्ष में परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की लागत	1,45,000

1 अप्रैल, 1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 2,25,000 रु. था। यह मकान सम्पत्ति श्री राम निवास द्वारा 8 जून, 1996 को 15,75,000 रु. में बेच दी गई। हस्तान्तरण पर 5,000 रु. का व्यय हुआ।

लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 1984-85 एवं 1991-92 के लिये क्रमशः 125 एवं 199 है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री राम निवास की पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Ram Niwas purchased a house property for Rs. 38,000 on 15th July, 1969. The following expenses were incurred by him for making additions and alterations to this house property— Rs.

	Rs.
(i) Cost of construction of first floor in 1975-76	55,000
(ii) Cost of construction of the second floor in 1984-85	1,70,000
(iii) Alteration and reconstruction of the property in 1991-92	1,45,000

Fair market value of the property on April 1, 1981 was Rs. 2,25,000. The house property is sold by Mr. Ram Niwas on 8-6-1996 for Rs. 15,75,000. Expenses incurred on transfer is Rs. 5,000.
The cost inflation index for the year 1984-85 and 1991-92 are 125 and 199 respectively.
Compute the taxable income from Capital Gains of Mr. Ram Niwas for the Assessment Year 1997-98. *[58]*

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की आय (दीर्घकालीन) 2,46,714 रु.

7. श्री अरविन्द ने अपने कुछ अंश 1-9-96 को 4,00,000 रु. में बेचे। उन्होंने इन अंशों को 15 मई, 1986 को 1,68,000 रु. में क्रय किया था। उनके द्वारा 1 दिसम्बर, 1996 को एक रिहायशी मकान 1,20,000 रु. में क्रय किया गया। उनके पास कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं है। 1986-87 का लागत वृद्धि सूचकांक 140 है।
निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।
Shri Arvind sold some shares on 1-9-1996 for Rs. 4,00,000. He had purchased these shares on 15th May, 1986 for Rs. 1,68,000. He

purchased a residential house on 1st December, 1996 for Rs. 1,20,000. He did not own any other residential house. The cost inflation index for the year 1986-87 in 140.
Compute his taxable capital gain for the assessment year 1997-98.

(Raj. U. B. Com. 1995)

उत्तर—दीर्घकालीन पूँजी लाभ 23,800 रु.। **[59]**

8. श्री चेतन ने एक मकान सम्पत्ति 1 नवम्बर, 1996 को 9,62,500 रु. में विक्रय की। उसने इस सम्पत्ति को 1 मई, 1996 को एक अन्य क्रेता को 9,55,000 रु. में बेचने का ठहराव किया था तथा 55,000 रु. की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की थी। परन्तु वह व्यक्ति अपने वायदे को नहीं निभा सका तथा उसने निर्धारित अवधि 2 माह में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। चेतन ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया तथा उस व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया।

श्री चेतन को यह मकान सम्पत्ति अपने मित्र मनोज से 1 जून, 1984 को उपहार में मिली थी। मनोज ने भी 1 अक्टूबर, 1982 को इस सम्पत्ति को बेचने का ठहराव श्री अशोक से किया था तथा 10,000 रु. की राशि अग्रिम प्राप्त की थी। परन्तु अशोक भी अपने वायदे को नहीं निभा सका था और अग्रिम की राशि श्री मनोज द्वारा जब्त कर ली गई थी। श्री मनोज ने इस मकान सम्पत्ति को 1 मई, 1975 को 1,00,000 रु. में खरीदा था। श्री मनोज एवं श्री चेतन द्वारा इस मकान सम्पत्ति के परिवर्तन, नवीनीकरण एवं वृद्धि पर निम्न व्यय किये गये थे—

	रु.
मनोज द्वारा 1977-78 में एक कमरा बनवाने पर व्यय	20,000
मनोज द्वारा 1982-83 में पहली मंजिल बनवाने पर व्यय	44,000
चेतन द्वारा 1989-90 में दूसरी मंजिल बनवाने पर व्यय	1,26,500
1-4-1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य	1,26,500

लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 1982-83, 1984-85 एवं 1989-90 के लिये क्रमशः 109, 125 एवं 172 है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री चेतन की पूँजी-लाभ शीर्षक की कर-योग्य राशि की गणना कीजिए।

Mr. Chetan sold a house property on Nov. 1, 1996 for Rs. 9,62,500. He had entered into an agreement to sell the property to another prospective buyer on May 1, 1996 for Rs. 9,55,000 and received Rs. 55,000 as an advance. But the prospective buyer could not keep his promise and failed to pay the balance amount within the stipulated time of two months and as per agreement Chetan forfeited the [illegible]

property on October 1, 1982 and received a sum of Rs. 10,000 as an advance from him. Ashok also could not keep his promise and the advance money was forfeited by Mr. Manoj. Manoj has purchased the property on May 1, 1975 for Rs. 1,00,000. Mr. Manoj and Mr. Chetan

purchased a residential house on 1st December, 1996 for Rs. 1,20,000. He did not own any other residential house. The cost inflation index for the year 1986-87 in 140.
Compute his taxable capital gain for the assessment year 1997-98.

(Raj. U. B. Com. 1995)

उत्तर—दीर्घकालीन पूँजी लाभ 23,800 रु.। [59]

8. श्री चेतन ने एक मकान सम्पत्ति 1 नवम्बर, 1996 को 9,62,500 रु. में विक्रय की। उसने इस सम्पत्ति को 1 मई, 1996 को एक अन्य क्रेता को 9,55,000 रु. में बेचने का ठहराव किया था तथा 55,000 रु. की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की थी। परन्तु वह व्यक्ति अपने वायदे को नही निभा सका तथा उसने निर्धारित अवधि 2 माह में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। चेतन ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया तथा उस व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया।

श्री चेतन को यह मकान सम्पत्ति अपने मित्र मनोज से 1 जून, 1984 को उपहार में मिली थी। मनोज ने भी 1 अक्टूबर, 1982 को इस सम्पत्ति को बेचने का ठहराव श्री अशोक से किया था तथा 10,000 रु. की राशि अग्रिम प्राप्त की थी। परन्तु अशोक भी अपने वायदे को नहीं निभा सका था और अग्रिम की राशि श्री मनोज द्वारा जब्त कर ली गई थी। श्री मनोज ने इस मकान सम्पत्ति को 1 मई, 1975 को 1,00,000 रु. में खरीदा था। श्री मनोज एवं श्री चेतन द्वारा इस मकान सम्पत्ति के परिवर्तन, नवीनीकरण एव वृद्धि पर निम्न व्यय किये गये थे—

	रु.
मनोज द्वारा 1977-78 में एक कमरा बनवाने पर व्यय	20,000
मनोज द्वारा 1982-83 में पहली मंजिल बनवाने पर व्यय	44,000
चेतन द्वारा 1989-90 में दूसरी मंजिल बनवाने पर व्यय	1,26,500
1-4-1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य	1,26,500

लागत वृद्धि सूचकाक वर्ष 1982-83, 1984-85 एवं 1989-90 के लिये क्रमशः 109, 125 एवं 172 है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री चेतन की पूँजी-लाभ शीर्षक की कर-योग्य राशि की गणना कीजिए।

Mr. Chetan sold a house property on Nov. 1, 1996 for Rs. 9,62,500. He had entered into an agreement to sell the property to another prospective buyer on May 1, 1996 for Rs. 9,55,000 and received Rs. 55,000 as an advance. But the prospective buyer could not keep his promise and failed to pay the balance amount within the stipulated time of two months and as per agreement Chetan forfeited the advance amount and did not return to him.

Mr. Chetan got this property in gift on June 1, 1984 from his friend, Manoj. Manoj also entered into an agreement with Ashok to sell this property on October 1, 1982 and received a sum of Rs. 10,000 as an advance from him. Ashok also could not keep his promise and the advance money was forfeited by Mr. Manoj. Manoj has purchased the property on May 1, 1975 for Rs. 1,00,000. Mr. Manoj and Mr. Chetan

(i) पूँजी सम्पत्तियाँ,
(ii) पूँजी सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत,
(iii) ह्रास-योग्य सम्पत्तियों की दशा में पूँजी लाभ की गणना।

Write short notes on—
(i) Capital Assets,
(ii) Cost of acquisition of Capital Assets,
(iii) Computation of capital gains in case of depreciable assets.

6. श्री राम निवास ने 15 जुलाई, 1969 को एक मकान सम्पत्ति 38,000 रु. में खरीदी। इस मकान सम्पत्ति में वृद्धि करने अथवा परिवर्तन करने पर निम्न व्यय किये गये—

	रु.
(i) 1975-76 वर्ष में प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत	55,000
(ii) 1984-85 वर्ष में द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत	1,70,000
(iii) 1991-92 वर्ष में परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की लागत	1,45,000

1 अप्रैल, 1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 2,25,000 रु. था। यह मकान सम्पत्ति श्री राम निवास द्वारा 8 जून, 1996 को 15,75,000 रु. में बेच दी गई। हस्तान्तरण पर 5,000 रु. का व्यय हुआ।

लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 1984-85 एवं 1991-92 के लिये क्रमशः 125 एवं 199 है। [illegible] निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री राम निवास की पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य [illegible]

[illegible]

(i) Cost of construction of first floor [illegible]
(ii) Cost of construction of the second floor in 1984-85 1,70,000
(iii) Alteration and reconstruction of the property in 1991-92 1,45,000

Fair market value of the property on April 1, 1981 was Rs. 2,25,000. The house property is sold by Mr. Ram Niwas on 8-6-1996 for Rs. 15,75,000. Expenses incurred on transfer is Rs. 5,000.
[illegible] index for the year 1984-85 and 1991-92 are 125 and [illegible]

Comp[illegible]
for the Assessment Year 1997-98.

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की आय (दीर्घकालीन) 2,46,714 रु.

7. श्री अरविन्द ने अपने कुछ अंश 1-9-96 को 4,00,000 रु. में बेचे। उन्होंने इन अंशों को 15 मई, 1986 को 1,68,000 रु. में क्रय किया था। उनके द्वारा 1 दिसम्बर, 1996 को एक रिहायशी मकान 1,20,000 रु. में क्रय किया गया। उनके पास कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं है। 1986-87 का लागत वृद्धि सूचकांक 140 है।

निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

Shri Arvind sold some shares on 1-9-1996 for Rs. 4,00,000. He had purchased these shares on 15th May, 1986 for Rs. 1,68,000. He

(i) पूँजी सम्पत्तियाँ,
(ii) पूँजी सम्पत्तियों को प्राप्त करने की लागत,
(iii) ह्रास-योग्य सम्पत्तियों की दशा में पूँजी लाभ की गणना।

Write short notes on–
(i) Capital Assets,
(ii) Cost of acquisition of Capital Assets,
(iii) Computation of capital gains in case of depreciable assets.

6. श्री राम निवास ने 15 जुलाई, 1969 को एक मकान सम्पत्ति 38,000 रु. में खरीदी। इस मकान सम्पत्ति में वृद्धि करने अथवा परिवर्तन करने पर निम्न व्यय किये गये—

	रु.
(i) 1975-76 वर्ष में प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत	55,000
(ii) 1984-85 वर्ष में द्वितीय मंजिल के निर्माण की लागत	1,70,000
(iii) 1991-92 वर्ष में परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की लागत	1,45,000

1 अप्रैल, 1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 2,25,000 रु. था। यह मकान सम्पत्ति श्री राम निवास द्वारा 8 जून, 1996 को 15,75,000 रु. में बेच दी गई। हस्तान्तरण पर 5,000 रु. का व्यय हुआ।

लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 1984-85 एवं 1991-92 के लिये क्रमशः 125 एवं 199 है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री राम निवास की पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Ram Niwas purchased a house property for Rs. 38,000 on 15th July, 1969. The following expenses were incurred by him for making additions and alterations to this house property–

	Rs.
(i) Cost of construction of first floor in 1975-76	55,000
(ii) Cost of construction of the second floor in 1984-85	1,70,000
(iii) Alteration and reconstruction of the property in 1991-92	1,45,000

Fair market value of the property on April 1, 1981 was Rs. 2,25,000. The house property is sold by Mr. Ram Niwas on 8-6-1996 for Rs. 15,75,000. Expenses incurred on transfer is Rs. 5,000

The cost inflation index for the year 1984-85 and 1991-92 are 125 and 199 respectively.

Compute the taxable income from Capital Gains of Mr. Ram Niwas for the Assessment Year 1997-98. [58]

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की आय (दीर्घकालीन) 2,46,714 रु.

7. श्री अरविन्द ने अपने कुछ अंश 1-9-96 को 4,00,000 रु. में बेचे। उन्होंने इन अंशों को 15 मई, 1986 को 1,68,000 रु. में क्रय किया था। उनके द्वारा 1 दिसम्बर, 1996 को एक रिहायशी मकान 1,20,000 रु. में क्रय किया गया। उनके पास कोई अन्य रिहायशी मकान नहीं है। 1986-87 का लागत वृद्धि सूचकांक 140 है।

निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कर योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

Shri Arvind sold some shares on 1-9-1996 for Rs. 4,00,000. He had purchased these shares on 15th May, 1986 for Rs. 1,68,000. He

purchased a residential house on 1st December, 1996 for Rs. 1,20,000. He did not own any other residential house. The cost inflation index for the year 1986-87 in 140.

Compute his taxable capital gain for the assessment year 1997-98.

(Raj. U. B. Com. 1995)

उत्तर—दीर्घकालीन पूँजी लाभ 23,800 रु.। [59]

8. श्री चेतन ने एक मकान सम्पत्ति 1 नवम्बर, 1996 को 9,62,500 रु. में विक्रय की। उसने इस सम्पत्ति को 1 मई, 1996 को एक अन्य क्रेता को 9,55,000 रु. में बेचने का ठहराव किया था तथा 55,000 रु. की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की थी। परन्तु वह व्यक्ति अपने वायदे को नहीं निभा सका तथा उसने निर्धारित अवधि 2 माह में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। चेतन ने अग्रिम राशि को जब्त कर लिया तथा उस व्यक्ति को वापस नहीं लौटाया।

श्री चेतन को यह मकान सम्पत्ति अपने मित्र मनोज से 1 जून, 1984 को उपहार में मिली थी। मनोज ने भी 1 अक्टूबर, 1982 को इस सम्पत्ति को बेचने का ठहराव श्री अशोक से किया था तथा 10,000 रु. की राशि अग्रिम प्राप्त की थी। परन्तु अशोक भी अपने वायदे को नही निभा सका था और अग्रिम की राशि श्री मनोज द्वारा जब्त कर ली गई थी। श्री मनोज ने इस मकान सम्पत्ति को 1 मई, 1975 को 1,00,000 रु. में खरीदा था। श्री मनोज एवं श्री चेतन द्वारा इस मकान सम्पत्ति के परिवर्तन, नवीनीकरण एवं वृद्धि पर निम्न व्यय किये गये थे—

	रु.
मनोज द्वारा 1977-78 में एक कमरा बनवाने पर व्यय	20,000
मनोज द्वारा 1982-83 में पहली मंजिल बनवाने पर व्यय	44,000
चेतन द्वारा 1989-90 में दूसरी मंजिल बनवाने पर व्यय	1,26,500
1-4-1981 को सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य	1,26,500

लागत वृद्धि सूचकांक वर्ष 1982-83, 1984-85 एवं 1989-90 के लिये क्रमश: 109, 125 एवं 172 है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री चेतन की पूँजी-लाभ शीर्षक की कर-योग्य राशि की गणना कीजिए।

Mr. Chetan sold a house property on Nov. 1, 1996 for Rs. 9,62,500. He had entered into an agreement to sell the property to another prospective buyer on May 1, 1996 for Rs. 9,55,000 and received Rs. 55,000 as an advance. But the prospective buyer could not keep his promise and failed to pay the balance amount within the stipulated time of two months and as per agreement Chetan forfeited the advance amount and did not return to him.

Mr. Chetan got this property in gift on June 1, 1984 from his friend, Manoj. Manoj also entered into an agreement with Ashok to sell this

incurred the following expenses for additions, alteration and renewals of the property—

	Rs.
Addition of one room by Manoj during 1977-78	20,000
Addition of first floor by Manoj during 1982-83	44,000
Addition of second floor by Chetan during 1989-90	1,26,500
F.M.V. of the property on 1-4-1981	1,26,500

The cost inflation index for the year 1982-83, 1984-85 and 1989-90 are 109, 125 and 172 respectively.

Compute the amount taxable under the head 'Capital gain' of Mr. Chetan for the assessment year 1997-98. [60]

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय 4,40,604 रु.।

9. 1-4-1996 को श्री विनय के स्वामित्व में एक कम्पनी के 600 समता अंश थे। इनमें से 500 अंश उसके द्वारा सितम्बर, 1987 में 1,50,000 रु. में क्रय किये गये थे तथा 100 अंश उसको दिसम्बर, 1995 में बोनस अंशों के रूप में आवंटित किये गये थे। उसने ये सभी 600 अंश नवम्बर, 1996 में 4,20,000 रु. में बेच दिये। उसने 1-6-1997 के पूर्व नये रहने के मकान के निर्माण पर 2,50,000 रु. व्यय किये। चूँकि आय-कर नक्शा प्रस्तुत करने की तिथि 30-6-1997 तक नये मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता था, अतः उसने 15-6-1997 को अगले वर्ष नये मकान के निर्माण पर व्यय करने के लिए 30,000 रु. निर्दिष्ट बैंक में जमा करा दिये। वर्ष 1987-88 का लागत वृद्धि सूचकांक 150 है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री विनय की पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उसके पास रहने का अन्य कोई मकान नहीं है।

On 1-4-1996 Mr. Vinay owned 600 equity shares of a company. Out of these 500 shares were purchased by him in September,1987 for Rs. 1,50,000 and 100 shares were allotted to him as bonus shares in December, 1995. He sold all these 600 shares in Nov., 1996 for Rs. 4,20,000. He incurred an expenditure of Rs. 2,50,000 on the construction of a residential house before 1-6-1997. As the construction of the new house could not be completed before 30-6-1997 being the date of furnishing the return of income, he deposited on 15-6-1997 Rs. 30,000 in a specified bank to be used next year for the construction of new house. The cost inflation index for the year 1987-88 in 150. Compute the taxable amount of capital gain of Mr. Vinay for the assessment year 1997-98 assuming that he does not own any other residential house. [61]

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय 79,000 रु.।

संकेत—अल्पकालीन पूंजी लाभ 70,000 रु. एवं दीर्घकालीन पूंजी लाभ 9,000 रु।

10. श्री मोहन दो भवनों के स्वामी हैं जिनका प्रयोग वे अपने व्यापार के लिये करते है। इन दोनों भवनों का अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल, 1996 को 5,00,000 रु. है तथा सम्पत्तियों के इस समूह पर ह्रास की स्वीकृत दर 10% है। उन्होंने एक तीसरा भवन 1 दिसम्बर,

1996 को 2,50,000 रु. में क्रय किया तथा पुराने भवनों में से एक को 1 मार्च, 1997 को 8,50,000 रु. में बेच दिया। हस्तान्तरण व्यय 20,000 रु. हुआ।

(अ) निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री मोहन को स्वीकृत ह्रास की कटौती की तथा कर-योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

(ब) यदि भवन को 4,00,000 रु. में बेचा जाता तो क्या अन्तर होगा ?

Mr. Mohan is owner of two buildings which are used by him for his own business. The written down value of these buildings is Rs. 5,00,000 on 1st April 1996 and the rate of depreciation allowable on this block of assets is 10%. He purchased a third building on 1st December, 1996 for Rs. 2,50,000 and sold one of the two old buildings on 1st March, 1997 for Rs. 8,50,000. Transfer expenses amounted to Rs. 20,000.

(a) Compute the deduction for depreciation allowable to Shri Mohan and the amount of capital gain taxable for the assessment year 1997-98.

(b) What would have been the difference, had the building been sold for Rs. 4,00,000. [62]

उत्तर—(अ) अल्पकालीन पूँजी लाभ 80,000 रु. एवं स्वीकृत ह्रास शून्य।

(ब) पूँजी लाभ शून्य, स्वीकृत ह्रास 22,500 रु.।

11. रमेश अ, ब, स लिमिटेड के 250 समता अंश 270 रु. प्रति अंश 1 जून, 1979 को क्रय करता है तथा दलाली व अंश हस्तान्तरण फीस पर 500 रु. व्यय करता है। 1-4-1981 को एक समता अंश का उचित बाजार मूल्य 300 रु. था। 1 जुलाई, 1988 को उसे 200 बोनस अंश प्राप्त हुए। 1 सितम्बर, 1996 को उसे 300 अधिकार अंश 140 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त हुए। 28 फरवरी, 1997 को उसने समस्त 750 अंश, 485 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिये और 1,500 रु. दलाली पर व्यय किये। लागत स्फीति सूचकांक 1996-97 में 305 है। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी कर-योग्य आय की गणना कीजिए। उसकी अन्य कोई आय नहीं है।

Ramesh purchased 250 equity shares of A, B, C Ltd. on June 1, 1979 for Rs. 270 per share and incurs expenditure of Rs. 500 on brokerage and share transfer fees. The fair market value of one equity share on 1-4-1981 is Rs. 300. On July 1, 1988 he gets 200 bonus shares. On [illegible]

in 1996-97 is 305. Compute his taxable income for the assessment year 1997-98. He does not have any other source of income. [63]

(Indore U. B. Com. 1994, Sukhadia U. B. Com. 1995)

उत्तर—अल्पकालीन पूँजी लाभ 91,500 रु.।

12. श्री दीपचन्द के पास 1-4-1996 को निम्नलिखित पूँजी सम्पत्तियाँ थीं :

(i) 1,00,000 रु. की लागत का रहने का मकान;

(ii) 50,000 रु. की लागत के आभूषण;

(iii) 1,50,000 रु. की लागत के अंश।

श्री दीपचन्द ने रहने के मकान को 7,60,000 रु. में 15 जून, 1996 को बेच दिया तथा 20,000 रु. हस्तान्तरण के सम्बन्ध में व्यय हुए। यह मकान उन्होंने 1972 में बनवाया था तथा 1-4-1981 को इसका उचित बाजार मूल्य 2,80,000 रु. था।

उन्होंने सभी आभूषण 18 अगस्त, 1996 को 1,00,000 रु. में बेच दिये तथा 5,000 रु. इस सम्बन्ध में व्यय हुए। ये आभूषण 6 जनवरी, 1994 को क्रय किये गये थे। उन्होंने 20 नवम्बर, 1996 को 60,000 रु. के नये आभूषण क्रय किये तथा 40,000 रु. के अंश एवं प्रतिभूतियाँ क्रय की।

उन्होंने अपने समस्त पुराने अंश 15 दिसम्बर, 1996 को 4,60,000 रु. में बेच दिये तथा 10,000 रु. इस सम्बन्ध में व्यय हुए। उन्होंने 16 मार्च, 1997 को रहने का मकान 2,00,000 रु. में खरीदा तथा 1,00,000 रु. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 3 वर्ष बाद शोधनीय बॉण्डस् में विनियोग किये। ये सभी अंश उन्होंने जून, 1995 में क्रय किये थे।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री दीपचन्द की पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Deepchand had the following Capital assets on 1-4-1996 : Rs.

	Rs.
(i) *Residential house the cost being*	*1,00,000*
(ii) Jewellery the cost being	50,000
(iii) Shares the cost being	1,50,000

Mr. Deepchand sold the residential house on 15-6-1996 for Rs. 7,60,000 and the cost of transfer was Rs 20,000. This house was built *by him in 1972* and the *fair market value of it on 1-4-1981* was Rs. 2,80,000. He sold whole of the jewellery on 18-8-1996 for Rs 1,00,000 and incurred an expenditure of Rs. 5,000 in connection with the sale. *These ornaments were purchased on 6-1-1994. On 20-11-1996* he purchased new ornaments for Rs. 60,000 and shares & securities for Rs. 40,000.

He sold all the old shares on 15-12-1996 for Rs. 4,60,000 and expenses of transfer was Rs. 10,000. He purchased a residential house on *16-3-97* for Rs. *2,00,000* and *invested Ps. 1,00,000 in the bonds of* IDBI, Mumbai redeemable after 3 years. All these shares were purchased in June 1995. Compute the taxable income from capital gain of Shri Deepchand for the assessment year 1997-98. *[64]*

उत्तर—कर योग्य पूँजी लाभ 26,730 रु.।

13. श्री गोपी राम ने गत वर्ष 1996-97 में अपने सौदों का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए :
   (i) एक आवासीय मकान जो अगस्त, 1992 में 2,73,000 रु. का खरीदा था, दिसम्बर, 1996 में 8,00,000 रु. में बेच दिया तथा एक नया आवासीय मकान जनवरी, 1997 में 3,50,000 रु. में खरीद लिया।

(ii) अपने आवासीय मकान का फर्नीचर जो सितम्बर, 1992 में 50,000 रु. में खरीदा था, नवम्बर, 1996 में 85,000 रु. में बेच दिया तथा नया फर्नीचर मार्च, 1997 में 60,000 रु. का खरीद लिया।

(iii) उसने गत वर्ष के दौरान देवास इन्जीनियरिंग लिमिटेड के 500 समता अंश 80 रु. प्रति की दर पर बेचे। इन अंशों में से 400 अंश उसने 1987-88 में 30 रु. प्रति अंश की दर से खरीदे थे तथा शेष अंश उसे गत वर्ष 1996-97 में बोनस अंशों के रूप में मिले थे।

(iv) उसने जुलाई, 1993 में 68,000 रु. में खरीदे हुए एक भू-खण्ड को श्री राम गोपाल को 96,000 रु. मूल्य की दुकान के बदले सितम्बर, 1996 में हस्तान्तरित कर दिया।

(v) उसने जनवरी, 1997 में कुछ जेवरात 4,60,000 रु. में बेचे तथा 10,000 रु. दलाली वगैरहा के व्यय हुये। यह जेवरात उनको 1968 में शादी के समय उपहार में मिले थे। उपहार देने वाले ने इनको 40,000 रु. में खरीदा था तथा 1-4-1981 को इनका बाजार मूल्य 1,00,000 रु. था। उसने मार्च, 1997 में 1,00,000 रु. भारतीय स्टेट बैंक में 7 वर्ष की अवधि के लिये जमा करायें।

(vi) उसने 10 जनवरी, 1997 को ओसवाल एग्रो लिमिटेड के कुछ अंश अपने मित्र धनीराम को उपहार में दिये। ये अंश उसने जुलाई 1985 में 5,000 रु. में खरीदे थे, तथा 10 जनवरी, 1997 को इनका उचित बाजार मूल्य 18,000 रु. था।

Mr. Gopi Ram has submitted the following account of his transactions during the previous year 1996-97. Calculate his taxable income under the head 'Capital gains' for the assessment year 1997-98 :

(i) A residential house purchased for Rs. 2,73,000 in August 1992

(ii)

Rs. 50,000 in September, 1992 was sold for Rs. 85,000 in November, 1996 and new furniture was purchased for Rs. 60,000 in March, 1997.

(iii) During the previous year he sold 500 equity shares of Dewas Engineering Ltd. @ Rs. 80 per share. Of these, he purchased 400 shares in 1987-88 @ Rs. 30 per share and the remaining shares were received by him as bonus shares during the previous year 1996-97.

(iv) A plot of land purchased in July, 1993 for Rs. 68,000 were given by him to Shri Ram Gopal in September, 1996 in exchange for a shop worth Rs. 96,000.

(v) He sold some gold ornaments in January, 1997 for Rs. 4,60,000 and spent Rs. 10,000 for brokerage etc. He got these ornaments as a gift in 1968 at the time of his marriage. The donor purchased these ornaments for Rs. 40,000 and the fair market value of these

ornaments on 1-4-1981 was Rs. 1,00,000. He deposited Rs. 1,00,000 with State Bank of India for 7 year in *March, 1997.*

(vi) *He gifted shares of Oswal Agro Limited to his friend Dhani Ram on 10th January, 1997.* He purchased these shares for Rs. 5,000 *in July, 1985 and the fair market value of these shares on 10th* January, 1997 was Rs. 18,000.

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य *आय 1,48,214 रु.।* **[65]**

14 निम्न दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(अ) श्री जगमोहन ने एक रिहायशी मकान 18 मई, *1996* को 4,50,000 रु. में बेचा। यह मकान उन्होंने 1989-90 वर्ष में 1,80,000 रु. में क्रय किया था। उन्होंने एक अन्य रिहायशी मकान दिसम्बर, *1995* में *1,20,000* में *खरीदा था जिसे जनवरी,* 1997 में 1,50,000 रु. में बेच दिया।

क्या फर्क पड़ेगा यदि श्री जगमोहन दिसम्बर, 1995 में खरीदे गये मकान का विक्रय नही करें ?

(ब) श्री ज्ञानचन्द ने 10 सितम्बर, *1996* को कुछ आभूषण *2,50,000* रु. में बेचे जो उसको उसके चाचा से 15 दिसम्बर, 1993 को उपहार में मिले थे। उनके चाचा ने ये आभूषण 18 मई, 1993 को 1,50,000 रु. में खरीदे थे तथा उपहार के दिन इनका उचित बाजार मूल्य 1,65,000 रु. था। उसने 8 मार्च, 1997 को भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम के 3 वर्ष बाद शोधनीय बॉण्ड्स में 50,000 रु. विनियोजित किये।

(स) श्री रतन लाल ने सितम्बर, 1994 में एक कृषि भूखण्ड 1,80,000 रु. में खरीदा। इस भूखण्ड का प्रयोग वे कृषि कार्यों के लिये कर रहे थे परन्तु जुलाई, 1996 में उन्होंने इस भूखण्ड को 2,50,000 रु. में बेच दिया तथा एक रिहायशी मकान 2,80,000 रु. में खरीद लिया। मार्च, 1997 में उन्होंने इस रिहायशी मकान को भी 3,50,000 रु. में बेच दिया। कृषि भूखण्ड इन्दौर नगर निगम की सीमा में स्थित है।

(द) श्री गिरधारी लाल ने एक एम्बेसडर कार दिसम्बर, 1996 में 1,80,000 रु. में बेची। यह कार उन्होंने जून, 1993 में 1,40,000 रु. में खरीदी थी तथा इस कार का प्रयोग वे अपने स्वयं के लिये तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर रहे थे।

Compute the taxable income under the head 'Capital gain' for the assessment year 1997-98 in the following circumstances'.

(a) Mr. Jag Mohan sold a residential house for Rs. 4,50,000 on 18th May, 1996. He purchased this house during 1989-90 for Rs. 1,80,000. He purchased another residential house in December, *1995 for Rs 1,20,000 which he sold in January, 1997 for Rs.* 1,50,000.

What difference would it make if Mr. Jag Mohan does not sell the house purchased in December 1995.

(b) Mr. Gyan Chand sold some ornaments on 10th September, 1996 for Rs. 2,50,000 which he received as gift from his uncle on 15th December, 1993. His uncle purchased these ornaments on 18th May, 1993 for Rs. 1,50,000 and the fair market value of these ornaments on the date of gift was Rs. 1,65,000. He investment on 8th March, 1997 Rs. 50,000 in the bonds of ICICI, Mumbai redeemable after 3 years.

(c) Mr. Ratan Lal purchased a plot of agriculture land in September, 1994 for Rs. 1,80,000. He was using this plot for agricultural purposes but in July, 1996 he sold this plot for Rs. 2,50,000 and purchased a residential house for Rs. 2,80,000. In March, 1997 he sold this residential house also for Rs. 3,50,000. The agricultural plot lies in the local limits of Indore Municipal corporation.

(d) Mr. Girdhari Lal sold an ambassador car in December, 1996 for Rs. 1,80,000. It was purchased by him in June, 1993 for Rs. 1,40,000 and it was being used by him and his family members for their personal work. **(Sukhadia U. B. Com., 1996) [66]**

उत्तर—(अ) 1,60,814 रु. एवं 10,814 रु.; (ब) 62,500 रु., (स) 1,40,000 रु. (द) शून्य

15. श्री निरंजन के द्वारा 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में विभिन्न पूँजी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में निम्न व्यवहार किये गये, उनकी पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए :

(i) 5 जून, 1996 को 81,000 रु. में आभूषणों को बेचा। दलाली के 1,000 रु. दिये। ये आभूषण 1 जून, 1989 को 17,200 रु. में क्रय किये गये थे। 15 नवम्बर, 1996 को शुद्ध प्रतिफल में से केवल 40,000 रु. का उपयोग एक आवासीय मकान क्रय करने के लिये किया गया। करदाता अन्य किसी रिहायशी मकान का स्वामी नही है।

(ii) उनके पास भारत कम्पनी लिमिटेड के प्रत्येक 100 रु. वाले 500 अंश थे, जो उन्होंने 23,200 रु. में अप्रैल 1983 में क्रय किये थे। 1 मई, 1996 को उन्होंने अंशों का व्यापार प्रारम्भ किया और इन अंशों को अपने व्यापार का स्टॉक मान लिया। उस दिन इन अंशों का उचित बाजार मूल्य 140 रु. प्रति अंश था। उन्होंने इन अंशों को 150 रु. प्रति अंश की दर से 1 नवम्बर, 1996 को बेच दिया।

(iii) उन्होंने अपने व्यापार में प्रयोग के लिये 28 अक्टूबर, 1988 को एक पुरानी मोटर कार 65,000 रु. में खरीदी थी। 15 जनवरी, 1997 को उन्होंने कार को 37,000 रु. में बेच दी। उनके पास इस समूह में केवल यही सम्पत्ति थी जिसका अपलिखित मूल्य 44,000 रु. था।

(iv) उसने गोयट्ज लि. के 100 रु. वाले 1000 सामान्य अंश 23 जुलाई, 1990 को 1,50,000 रु. में खरीदे थे। कम्पनी ने उसको दिसम्बर, 1996 में 500 बोनस अंश जारी किये थे। उसने 12 फरवरी, 1997 को सारे बोनस अंशों सहित 1000 अंश 200 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिये।

विभिन्न वर्षों के लागत वृद्धि सूचकांक इस प्रकार हैं—

वर्ष 82-83 के लिये 109, 83-84 के लिये 116, 88-89 के लिये 161, 89-90 के लिये 172 और 90-91 के लिये 182।

Compute the taxable income under the head 'Capital Gains' arising from the following transactions in respect of various capital assets of Shri Niranjan during the year ended 31st March, 1997:

(i) Sold jewellery on 5th June, 1996 for a consideration of Rs. 81,000. Rs. 1,000 were paid for brokerage. The jewellery was purchased by him on 1st June, 1989 for Rs. 17,200. Out of the net consideration received only Rs. 40,000 were invested on 15th November, 1996 in purchasing a residential house. The assessee does not own any other residential house.

(ii) He had 500 shares of Rs.. 100 each of the Bharat Company Limited which he had purchased in April, 1983 for Rs. 23,200. He commenced the business of dealing in shares on 1st May, 1996 and treated these shares as stock in trade of this business. The fair market value of these shares on that day was Rs 140 per share. He sold these shares on 1st November, 1996 at Rs 150 each.

(iii) He had purchased a second-hand motor car for Rs. 65,000 on 28th October, 1988 for the purposes of his business. He sold the car on 15th January, 1997 for Rs. 37,000. It was the only asset with him in this block, the written down value of which was Rs. 44,000.

(iv) He had purchased 1000 equity shares of Rs. 100 each of Goetze Ltd. on 23rd July, 1990 for Rs. 1,50,000. The company issued him 500 bonus shares in December, 1996 He sold 1000 shares on 12th February, 1997 including all the bonus shares at Rs. 200 each.

The cost inflation index for various years are as under:

109 for the year 82-83; 116 for the year 83-84; 161 for the year 88-89; 172 for the year 89-90 and 182 for the year 90-91.

(M.D.U. B. Com., 1995)

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की कर योग्य आय 1,01,063 रु.। [67]

16. श्री बृजेश द्वारा प्रस्तुत की गई निम्न सूचना से उसकी पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए :

(i) वह 1978 से बीकानेर में एक रिहायशी मकान का स्वामी है जिसकी प्राप्त करने की लागत 80,000 रु. है। इस मकान का 1-4-1981 को उचित बाजार मूल्य 50,000 रु. था। 3-10-1996 को उसने अपना पुराना रिहायशी मकान 3,00,000 रु. में बेच दिया तथा 1 नवम्बर, 1996 को दूसरा रिहायशी मकान 2,70,000 रु. में खरीदा। हस्तान्तरण के व्यय 12,000 रु. हुये।

(ii) वह 1 अगस्त, 1994 से बीकानेर नगरपालिका की सीमा में स्थित एक भू-खण्ड का भी स्वामी था। इसका प्रयोग उसके पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिये किया जाता था। 10 जनवरी, 1997 को उसने अपने कृषि भू-खण्ड को 6,00,000 रु. में बेच दिया। इस भू-खण्ड को प्राप्त करने की लागत 2,50,000 रु. थी। 1 मई, 1997 को उसने एक दूसरा भू-खण्ड कृषि कार्यों के लिये जयपुर शहर में 2,00,000 रु में खरीदा।

(iii) उसने सितम्बर, 1996 में 4,60,000 रु. के स्वर्ण आभूषण बेचे तथा 10,000 रु. दलाली पर खर्च किये। उसे ये आभूषण अप्रैल, 1995 में उपहार में मिले थे। उपहार देने वाले ने ये आभूषण अगस्त, 1993 में 2,50,000 रु. में खरीदे थे।

(iv) उसने 1-12-1996 को जयपुर मैटल्स लिमिटेड के अंश 2,00,000 रु. में बेचे। इन अंशों का आवंटन उसको 1-7-1994 को 40,000 रु. में किया गया था। इन अंशों का आवंटन एक अधिकार धारक के उसके पक्ष में अधिकार त्यागने के कारण हुआ था जिसके लिये ब्रजेश ने उसे 10,000 रु. दिये थे।

(v) जनवरी, 1997 में उसने एक कार 60,000 रु. में बेची जिसका प्रयोग वह तथा उसका परिवार पिछले तीन वर्षों से कर रहा था तथा जिसकी लागत 1,00,000 रु थी। मार्च, 1997 में उसने दूसरी कार 1,20,000 रु. में खरीदी।

(vi) गत वर्ष में उसने निम्न विनियोग भी किये—

(अ) 1,80,000 रु. के HUDCO, New Delhi के 3 वर्ष बाद शोधनीय बॉण्ड्स।

(ब) 60,000 रु. के HUDCO, New Delhi के 7 वर्ष बाद शोधनीय बाण्ड्स।

From the following information given by Shri Brijesh, find out the taxable income under the head Capital Gains :

(i) He had been the owner of a residential house in Bikaner since 1978, its cost of acquisition being Rs. 80,000. The fair market value of this house on 1-4-1981 was Rs. 50,000. On 3-10-1996 he sold his old residential house for Rs. 3,00,000 and purchased another residential house on 1st Nov. 1996 for Rs. 2,70,000. The cost of transfer was Rs. 12,000.

(ii) He had also owned since 1st August 1994 a piece of Land situated within the jurisdiction of Bikaner Municipality. It was used by his father for agricultural purposes. On 10th January 1997 he sold his agricultural land for Rs. 6,00,000. The cost of acquisition of the land was Rs. 2,50,000. On 1st May, 1997 he purchased another land for agricultural purposes in Jaipur city for Rs. 2,00,000.

(iii) He sold gold ornaments in September, 1996 for Rs. 4,60,000 and spent Rs. 10,000 for brokerage. He got these ornaments as a gift in April, 1995. The doner purchased these ornaments in August, 1993 for Rs. 2,50,000.

(iv) He sold on 1-12-1996 shares of Jaipur Metals Ltd. for Rs. 2,00,000. These shares were allotted to him on 1-7-1994 for Rs.

40,000. The allotment was made against a right renounciation in *his favour by a right holder* for which Mr. Brijesh had to pay him Rs. 10,000.

(v) In January, 1997 he sold a car for Rs. 60,000 which was used by him and by his family members for the last 3 years and the cost of which was Rs 1,00,000. In March, 1997 he purchased another car for Rs. 1,20,000.

(vi) During the previous year he made the following investments also—

(a) Bonds of HUDCO, New Delhi redeemable after a period of 3 years Rs. 1,80,000.

(b) Bonds of HUDCO, New Delhi redeemable after a period of 7 years Rs. 60,000. *[68]*

उत्तर— कर योग्य पूँजी लाभ 1,77,057 रु.।

17. प्रकाश ने वर्ष 1984-85 के दौरान Z कम्पनी लिमिटेड के 1000 समता अश 75 रु. प्रति अंश की दर से क्रय किये तथा 5,000 रु. दलाली व अन्य खर्चों के चुकाए। वर्ष 1990-91 के दौरान उसे कम्पनी से 800 बोनस अंश प्राप्त हुए।

18-10-1992 को उसे 100 रु. प्रति अंश की दर से 900 अधिकार अंश आवंटित किये गये। उसने 1,700 अंश (अधिकार अंश एवं बोनस अंश) 18-7-1996 को 400 रु. प्रति अंश की दर से बेचे तथा विक्रय मूल्य पर 2% दलाली चुकाई। उसने शेष 1000 अंश भी 12-10-1996 को 400 रु. प्रति अंश की दर से बेचे तथा 2% दलाली चुकाई। उसने 16-1-1997 को एक आवासीय मकान 5,00,000 रु. में खरीदा तथा 6-4-1997 को 2,00,000 रु. 7 वर्ष के लिये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जमा करा दिये। 18-7-1996 को उसके पास रहने का अन्य कोई मकान नही था। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये प्रकाश के कर योग्य पूँजी लाभों की गणना कीजिए।

Prakash purchased 1000 equity shares of Z Company Ltd. @ Rs 75 per share *during the year 1984-85* and paid Rs. 5,000 for brokerage and other expenses During the year 1990-91 he received 800 bonus shares from the company. He was allotted 900 right shares on 18-10-1992 @ Rs. 100 per share. he sold 1,700 shares (Right shares and Bonus shares) on 18-7-1996 @ Rs 400 per share and paid brokerage *@ 2% on the sale value. He sold remaining* 1,000 shares also on 12-10-1996 @ Rs. 400 per share and paid brokerage @ 2% on sale value. He purchased a residential house for Rs. 5,00,000 on 16-1-1997 and deposited Rs 2,00,000 in State Bank of Bikaner & Jaipur on 6-4-1997 for a period of 7 years. He did not own any other residential house on *18-7-96. Compute the taxable capital gain of* Prakash for the assessment year 1997-98. [69]

उत्तर—कर योग्य पूँजी लाभ *1,35,663* रु.।

18. श्री अरूण कुमार द्वारा दी गई निम्नलिखित सूचना से आप उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए:

(i) वे एक मकान के स्वामी थे जो उनके स्वयं के निवास के लिये प्रयोग में आता था। यह मकान उनको 1 अगस्त 1984 को वसीयत में मिला था। इस मकान को उन्होंने 30 नवम्बर, 1990 को 2,40,000 रु. में बेच दिया था और उसी दिन 40,000 रु. में एक भू-खण्ड खरीद लिया था। 30 जून, 1993 तक इस भू-खण्ड पर अपने स्वयं के रहने के लिये मकान बनवाने में उन्होंने 3,00,000 रु. व्यय किये और इस कारण 1990 में स्थानान्तरित मकान के पूँजी लाभ 90,000 रु. कर मुक्त रहे। इस मकान को भी उन्होंने 15 अप्रैल, 1996 को 4,50,000 रु. में बेच दिया।

(ii) (अ) 1 अप्रैल, 1996 को उनके व्यापार में काम आने वाली एक मशीन का अपलिखित मूल्य 21,000 रु. था जिसे उन्होंने 6 वर्ष पूर्व 60,000 रु. में खरीदा था। 10 अप्रैल, 1996 को उन्होंने एक पुरानी मशीन 6,000 रु. में क्रय की तथा 4,000 रु. इसकी मरम्मत पर व्यय किये। 1 जून, 1996 को उन्होने पुरानी मशीन को 65,000 रु. में बेच दिया। 1 अक्टूबर, 1996 को दूसरी मशीन को भी 15,000 रु. में बेच दिया तथा तीसरी मशीन 20,000 रु में क्रय कर ली।

(ब) 1 अप्रैल, 1996 को उनके व्यापार में काम आने वाले फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 8,400 रु. था। उन्होंने 30 मार्च, 1997 को यह समस्त फर्नीचर 6,400 रु. में बेच दिया।

(स) नवम्बर, 1995 में व्यापार के लिये खरीदी गई मोटर कार का 1-4-1996 को अपलिखित मूल्य 28,800 रु. था। उन्होंने 10 दिसम्बर, 1996 को एक दूसरी मोटर कार 56,000 रु. में खरीदी तथा पुरानी मोटर कार को 64,000 रु. में बेच दिया।

(iii) उनको 16-4-1990 को एक कम्पनी के 100 रु. वाले 200 परिवर्तनीय ऋणपत्र आवंन्ति हुये थे। कम्पनी ने 18-5-1995 को ऋणपत्रों का आधा भाग 10 रु. के अंकित मूल्य के 4 अंशों में परिवर्तित कर दिया। अरुण को 10 रु. अंकित मूल्य वाले 800 अंश मिले तथा उसके पास 50 रु. वाले 200 ऋणपत्र रह गये। उसने इन अंशों को 28-10-1996 को 100 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिया तथा 2,000 रु. दलाली के दिये। उन्होंने 6-3-1997 को 26,000 रु. के ICICI के 3 वर्ष बाद शोधनीय ऋणपत्रों में विनियोग किये।

(iv) वे 4 वर्ष से एक फर्म में साझेदार थे जिसमें उन्होंने 60,000 रु. की पूँजी लगाई थी। 10 मई, 1996 को फर्म का विघटन होने पर उन्हें फर्म से 84,000 रु. प्राप्त हुये।

(v) उनको मार्च, 1994 में जिन्दल स्टील लिमिटेड के कुछ अंश 20,000 रु. में आंवटित किये गये थे। उन्होंने श्री अरविन्द को ये अंश 65,000 रु. के एक गोदाम के बदले मार्च, 1997 में हस्तान्तरित कर दिये। इन अशों को प्राप्त करने का अधिकार

करदाता के पक्ष में अशोक ने त्यागा था जिसके लिए इन्होंने 4,400 रु. दिये थे। वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 244, 259 एवं 281 हैं।

From the following information given by Shri Arun Kumar, find out his taxable income under the head Capital Gains for the assessment year 1997-98 :

(i) He was owner of a house which was used by him for his own residence. He got this house under a will on 1st August, 1984. It was sold on 30th November, 1990 for Rs. 2,40,000 and a plot of land was purchased on the same day for Rs. 40,000. By 30th June, 1993 he spent Rs. 3,00,000 for getting a residential house for him constructed on this plot, and therefore, capital gains Rs. 90,000 arising on transfer of house in 1990 were exempted from tax. He sold this house also on 15th April, 1996 for Rs. 4,50,000.

(ii) (a) The written down value of a machine on 1-4-1996 used for his own business was Rs 21,000. It was purchased 6 years ago for Rs. 60,000 He had purchased an old machine for Rs. 6,000 on 10th April, 1996 and spent Rs. 4,000 on its improvement. On 1st June, 1996 he sold the old machine for Rs. 65,000. On 1-10-1996 he sold the second machine also for Rs. 15,000 and purchased a third machine for Rs. 20,000.

(b) The written down value of his business furniture on 1-4-1996 was Rs. 8,400 He sold the whole furniture on 30-3-1997 for Rs. 6,400

(c) The written down value of a motor car purchased in November, 1995 for business, was Rs. 28,800 on 1-4-1996 He purchased on 10th December, 1996 another motor car for Rs. 56,000 and sold the old car for Rs. 64,000.

(iii) He was allotted 200 convertible debentures of Rs 100 each of a company on 16-4-1990. The company converted 50% portion of the debentures into 4 equity shares of the face value of Rs. 10 [illegible] 1000 shares of face [illegible]

sold these shares on 28-10-1996 @ Rs 100 each and paid Rs. 2,000 for brokerage He invested on 6-3-1997 Rs 26,000 in the bonds of ICICI redeemable after a period of 3 years.

(iv) He was partner in a firm for the last 4 years in which he contributed Rs. 60,000 as his capital. On the dissolution of the firm on 10-5-1996 he got Rs. 84,000 from the firm.

(v) He was allotted certain shares of Zindal Steel Ltd. for Rs. 20,000 in March, 1994 In March, 1997 he transferred these shares in favour of Shri Arvind in exchange of a godown of the value of Rs. 65,000 The right to have these shares allotted in favour of the assessee was renounced by Shri Ashok for which he was paid Rs. 4,400

The cost inflation indices for the year 1993-94, 1994-95 and 1995-96 are 244, 259 and 281 respectively. [70]

उत्तर—पूंजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय 3,06,264 रु.।

संकेत—अल्पकालीन पूंजी लाभ 2,27,000 रु. एव दीर्घकालीन पूजी लाभ 79,264 रु.।

19. श्री चन्द्रप्रकाश जयपुर नगर निगम के क्षेत्र में स्थित एक कृषि भू-खण्ड के स्वामी थे जिसका प्रयोग वे स्वयं कृषि कार्यों के लिये कर रहे थे। यह भू-खण्ड उनको वर्ष 1987-88 में उनके ससुर से उपहार मे मिला था। उनके ससुर ने इस भू-खण्ड को वर्ष 1977-78 में 24,000 रु. में खरीदा था। नवम्बर, 1994 में राजस्थान सकार द्वारा इस भू-खण्ड का अधिग्रहण कर लिया गया तथा उन्हें मई, 1995 में 6,00,000 रु. क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुये। जून, 1996 में उन्होंने कृषि कार्यों में प्रयोग करने हेतु एक दूसरा भू-खण्ड 2,50,000 रु. में खरीदा तथा 3,00,000 रु. में स्वयं के रहने के लिये एक आवासीय मकान खरीदा। श्री चन्द्रप्रकाश क्षतिपूर्ति की राशि से सन्तुष्ट नही थे और उन्होंने उक्त निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि को मार्च 1996 में बढ़ाकर 8,00,000 रु. कर दिया तथा श्री चन्द्रप्रकाश को 2,00,000 रु की अतिरिक्त राशि जुलाई, 1996 में प्राप्त हुई। न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने में उनके 10,000 रु व्यय हुये। क्षतिपूर्ति की अतिरिक्त राशि में से उन्होंने 1,60,000 रु. जून 1996 में खरीदे गये मकान पर अतिरिक्त मंजिल के निर्माण पर व्यय किये।

श्री चन्द्रप्रकाश ने 15-8-92 को औद्योगिक उपक्रम के लिये एक भवन 4,00,000 रु. में खरीदा एवं उसी समय से इस भवन का प्रयोग औद्योगिक गतिविधियों के लिये प्रारम्भ कर दिया। 18-10-94 को इस भवन को राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया तथा 15-1-95 को 6,00,000 रु. की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित की। क्षतिपूर्ति की पहली किस्त 2,00,000 रु. 25 मार्च, 1995 को दी गई तथा शेष दो किस्तें 25 सितम्बर, 1995 एवं 25 मार्च, 1996 को दी गई। उसने 20 जून, 1995 को अपने औद्योगिक उपक्रम को हस्तान्तरित करने के उद्देश्य से दूसरा भवन 2,50,000 रु. में खरीदा। 10 नवम्बर, 1996 को राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति की राशि में 1,00,000 रु. की वृद्धि कर दी तथा यह राशि चन्द्रप्रकाश को 24 फरवरी, 1997 को प्राप्त हो गई।

उसने मई, 1997 में 80,000 रु. की राशि नये औद्योगिक भवन में वृद्धि कराने में व्यय कर दी। 1-4-94 को भवन का अपलिखित मूल्य 3,24,000 रु. था।

जून, 1996 में खरीदे गये मकान के अलावा श्री चन्द्रप्रकाश का अन्य कोई रिहायशी मकान नही है।

वर्ष 1987-88, 1992-93, 1994-95 तथा 1995-96 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 150, 223, 259 तथा 281 है।
उपर्युक्त व्यवहारों से विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों में श्री चन्द्रप्रकाश को होने वाले कर-योग्य पूंजी लाभो की गणना कीजिए।
Shri Chandra Prakash was owner of an agricultural land situated in the jurisdiction of Jaipur Municipal Corporation which was used by him for agricultural purposes. He got this land in 1987-88 from his father-in-law in gift. His father-in-law *had purchased this land in* 1977-78 for Rs. 24,000. This land was acquired by the Government of Rajasthan in November, 1994 and he was paid in May, 1995 Rs. 6,00,000 as compensation. He purchased another piece of land for Rs. 2,50,000 in June, 1996 for use by him for agricultural purpose and *purchased a residential house for Rs. 3,00,000 for his own residence.* Shri Chandra Prakash was not satisfied with the amount of compensation and he had filed a suit in the court of law against this award. The court enhanced the amount of compensation to Rs. 8,00,000 in March, 1996 and Shri Chandra Prakash received the additional amount of Rs. 2,00,000 in July, 1996 He spent Rs. 10,000 in conducting the suit in the court of law. Out of the additional amount of compensation he spent Rs. 1,60,000 in constructing an additional storey on the house purchased in June, 1996.
Shri Chandra Prakash purchased, a building for an industrial undertaking for Rs. 4,00,000 on 15-8-1992 and since then he had been using this building for industrial activities. This building was compulsorily acquired by the State Government on 18-10-1994 and the amount of compensation was fixed on 15-1-1995 at Rs. 6,00,000. The first instalment of compensation of Rs. 2,00,000 was paid to him

20-6-1995. The Government enhanced the amount of compensation by Rs. 1,00,000 on 10-11-96 and Chandra Prakash received this amount on 24-2-1997. He spent Rs 80,000 in the expansion of new industrial building in May, 1997. The written down value of the building on 1-4-1994 was Rs. 3,24,000. Chandra Prakash did not own any other residential *house except the house purchased in June, 1996.* The cost inflation index for the year 1987-88, 1992-93, 1994-95 and 1995-96 are 150, 223, 259 and 281 respectively. [71]
Compute the taxable capital gains in respect of various assessment years arising from the above transactions to [illegible] Chandra Prakash.
उत्तर—कर निर्धारण वर्ष 1995-[illegible] में 26,000 [illegible] में 29,280 रु. एवं 1997-98 में 50,000 रु.।

20. निम्नलिखित परिस्थितियों में कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कर-योग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिये :

(अ) राम को एक मकान सम्पत्ति 1992-93 में उसके पिता की मृत्यु पर उनकी वसीयत के तहत प्राप्त हुई। उस दिन उसका बाजार मूल्य 5,00,000 रु. था। उसके पिता ने उस मकान सम्पत्ति को 1976 में 25,000 रु. में खरीदा था। उन्होंने 1979 में उस मकान सम्पत्ति में वृद्धि कराने पर 20,000 रु. खर्च किये थे। उन्होंने 1984-85 में अतिरिक्त कमरों के निर्माण पर 50,000 रु. खर्च किये थे। राम ने मार्च, 1994 में उस मकान सम्पत्ति में अतिरिक्त वृद्धि करवाने पर 1,00,000 रु. व्यय किये। 18 जून, 1994 को उस मकान सम्पत्ति को व्यापारिक रहतिये में बदल दिया गया। उस दिन उस मकान सम्पत्ति का बाजार मूल्य 7,50,000 रु. था। उस मकान सम्पत्ति को 10-2-1997 को 8,50,000 रु. में बेच दिया गया। उक्त सम्पत्ति का 1-4-1981 को बाजार मूल्य 1,00,000 रु. था।

वर्ष 1984-85 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 125, 223, 244 एवं 259 हैं।

(ब) मोहन ने एक्स एण्ड कम्पनी के 10 रु. वाले 2,000 समता अंश 10-5-1995 को एक दलाल के माध्यम से 140 रु. प्रति अंश की दर से खरीदे तथा 2,800 रु. दलाली के चुकाये। 28-2-1996 को कम्पनी द्वारा उसको उसके द्वारा धारित प्रत्येक दो अंशों के लिये एक अंश के अनुपात में बोनस अंश दिये गये। 10-4-1996 को कम्पनी ने उसको धारित प्रत्येक अंश (बोनस अंशों को छोड़कर) के लिये एक अंश के आधार पर अधिकार अंश 50 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त करने का अधिकार दिया। उसने प्रस्तावित अधिकार अंशों का 50% स्वयं प्राप्त कर लिये तथा अधिकार का शेष 50% 30,000 रु. के बदले 15-5-1996 को बेच दिया।

उसने धारित सभी अंशों को 15-3-1997 को 100 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिया।

वर्ष 1995-96 का लागत वृद्धि सूचकांक 281 है।

Compute taxable income from capital gains for the assessment year 1997-98 in the following situations :

(a) Ram acquired a house property in 1992-93 under the will of his father after his death. The market value of the property on that day was Rs. 5,00,000 His father had purchased the property in 1976 for Rs. 25,000. He had spent Rs. 20,000 in 1979 on the extension of that property. He also spent Rs. 50,000 in 1984-85 [illegible]

the property as on that day was Rs. 7,50,000. The property was sold on 10-2-1997 for Rs. 8,50,000. Market value of the above property on 1-4-1981 was Rs, 1,00,000. The cost inflation indices

for the year 1984-85, 1992-93, 1993-94 and 1994-95 are 125, 223, 244 and 259 respectively

(b) Mohan purchased 2,000 equity shares of Rs. 10 each of X & Co. on 10-5-1995 at Rs. 140 per share through a broker and paid Rs. 2,800 as brokerage On 28-2-1996 he was given bonus shares by the company on the basis of one share for every two shares held. On 10-4-1996 he was given a right to acquire right share @ Rs. 50 per share on the basis of one share for every share (excluding bonus shares) held in the company. He acquired 50% of the right shares offered and sold the balance 50% of the right for Rs. 30,000 on 15-5-1996.

All the shares held by him were sold on 15-3-1997 @ Rs. 100 per share. The cost inflation index for the year 1995-96 is 281. [72]

उत्तर—(अ) दीर्घकालीन पूँजी लाभ 4,24,109 रु.।

(ब) अल्पकालीन पूंजी लाभ 73,046 रु.।

21. एक करदाता की आय के निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी 'पूंजी लाभ' शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए :

(i) उसके पास निजी प्रयोग की दो कारें थी जिनमें से एक कार को 11-2-1995 को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित कर दिया। उस दिन कार का बाजार मूल्य 25,000 रु. था। उसने इस कार को 10-6-1996 को 35,000 रु. में बेच दिया।

(ii) उसने जून, 1992 में 50,000 रु. की लागत से एक ग्रामीण कृषि भू-खण्ड खरीदा था। उसने दिसम्बर, 1996 में इस भू-खण्ड को 1,00,000 रु. में बेच दिया तथा 30,000 रु. में कृषि भूमि जयपुर शहर में खरीद ली।

(iii) उसने नेपाल में स्थित अपनी कृषि भूमि को जिसको उन्होंने 25,000 रु. में मई, 1984 में क्रय किया था, 1,00,000 रु. में दिसम्बर, 1996 में बेच दिया और 5,000 रु. दलाली के दिये।

(iv) उसने धारा 80 CCB में संदर्भित समता समद्ध बचत योजना की यूनिट्स खरीदने में मार्च, 1992 में 8,000 रु. विनियोजित किये थे। इन यूनिट्स के पुनर्खरीद मूल्य 16,000 रु. की वसूली मई, 1996 में हुई।

(v) वह एक किराये के मकान में रहता था जो उसने 1978 में 250 रु. प्रति माह के किराये पर लिया था। दिसम्बर, 1996 में उसने यह मकान खाली कर दिया तथा किरायेदारी अधिकार के बदले में मकान मालिक से 2,50,000 रु. प्राप्त किये। उसने 10 मार्च, 1997 को अपने आवास के लिये नया मकान क्रय करने में 2,00,000 रु. विनियोजित किये।

(vi) उसके पास एक कम्पनी के कुछ अंश हैं। इन अंशों में उसे 100 अंश 1978 में बोनस अंशों के रूप में प्राप्त हुये थे तथा 1-4-1981 को इनका उचित बाजार मूल्य 50 रु. प्रति अंश था। उसने जनवरी, 1997 में इन अंशों को 120 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिया।

(vii) उसने अक्टूबर, 1984 में एक चलते हुये व्यापार को क्रय किया था तथा ख्याति के रूप में 31,250 रु का अलग से भुगतान किया था। जनवरी, 1997 में उसने अपना व्यापार दूसरे व्यापारी को बेच दिया तथा 90,000 रु. ख्याति के प्राप्त किये।

(viii) वह एक मकान का मालिक था जो किरायेदारो के आवास के लिये काम आता था। यह मकान जनवरी, 1994 में 2,00,000 रु. में खरीदा था तथा इसे नवम्बर, 1996 में 3,20,000 रु. में बेच दिया गया। हस्तान्तरण व्यय 10,000 रु. हुये।

From the following particulars of income of an assessee, compute the taxable income under the head 'Capital Gains' for the assessment year 1997-98.

(i) He was owner of two motor cars which were used by him for personal purposes. He converted one of the two cars in stock in trade on 11-2-1995. The fair market value of the car on that day was Rs. 25,000. It was sold on 10-6-1996 for Rs. 35,000.

(ii) He had purchased in June, 1992 certain agricultural land for Rs. 50,000. In December, 1996 he sold this land for Rs. 1,00,000 and purchased other agricultural land in Jaipur city for Rs. 30,000.

(iii) He sold in December, 1996 his agricultural land situated in Nepal for Rs. 1,00,000 and paid Rs. 5,000 as brokerage. It was purchased in May, 1984 for Rs. 25,000.

(iv) He invested Rs. 8,000 in the units of Equity Linked Savings Scheme referred to in section 80 CCB in March, 1992. Repurchase price of the said units realised is May, 1996 is Rs 16,000.

(v) He was living in a rented house which he took on lease in 1978 at a rent of Rs. 250 per month. He vacated this house in December, 1996 and received Rs. 2,50,000 from the landlord for surrenderring his tenancy rights. He invested Rs 2,00,000 in purchasing a house for his own residence on 10th March, 1997.

(vi) He has certain shares of a company. Out of these 100 shares were alloted to him as bonus shares in 1978. The F.M.V. of these *shares on 1-4-1981 was Rs. 50 per share. In January, 1997 he sold* these share @ Rs. 120 per share.

(vii) He had purchased a going concern in October, 1984 and paid [illegible] his [illegible]

(viii) [illegible] or residential purposes. This house was purchased in January, 1994 for Rs. 2,00,000 and it was sold in November 1996 for Rs. 3,20,000. Transfer expenses amounted to Rs. 10,000. [73]

उत्तर—पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय 2,08,239 रु.।

9

अन्य साधनों से आय

(Income from Other Sources)

धारा-56 (1) के अनुसार यदि किसी आय को आय के प्रथम चार शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में सम्मिलित न किया जा सके तथा साथ ही वह आय-कर से मुक्त भी न हो तो इसे 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी आय को धारा-14 में वर्णित आय के प्रथम चार शीर्षकों में से किसी में भी सम्मिलित किया जा सकता है तो फिर उसे "अन्य साधनों से आय" शीर्षक में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

धारा-56 (2) के अन्तर्गत कुछ ऐसी आयों का उल्लेख किया गया है जिन पर "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाया जाता है। परन्तु यह धारा इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आयों के क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। स्पष्ट रूप से उल्लेखित आयें इस प्रकार हैं—

(i) लाभांश।

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली (Crossword puzzles) घुड़दौड़ एवं अन्य प्रकार की दौड़, किसी प्रकार के खेल, ताश के खेल एवं किसी भी प्रकार की शर्त एवं जुए में जीती गई रकम।

(iii) करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से प्रॉविडेण्ट फण्ड, सुपरएनुएशन फण्ड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित फण्ड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु अन्य किसी फण्ड के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त राशि, यदि ऐसी आय पर व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर नही लगता हो।

(iv) प्रतिभूतियों से ब्याज के रूप में आय यदि ऐसी आय व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर-योग्य नहीं है।

(v) करदाता को अपनी मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर को किराये पर उठाने से होने वाली आय, बशर्ते कि वह आय "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं है।

(vi) यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर के साथ अपनी इमारत भी किराये से देता है तथा उक्त मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर को किराये पर उठाने के लिए इमारत को भी किराये पर उठाना आवश्यक हो तो ऐसे किराये से प्राप्त आय बशर्ते कि यह आय "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं है।

(vii) प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में बोनस सहित प्राप्त कोई राशि यदि ऐसी राशि वेतन अथवा व्यापार या पेशे के शीर्षक में कर योग्य नहीं हो।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि "अन्य साधनों से आय" शीर्षक में कर लगने वाली आयों की यह सूची इसके क्षेत्र को बिल्कुल सीमित नहीं करती है। उक्त आयों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसी आयें हैं जिन पर "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है। इनमें से कुछ प्रमुख आयें निम्नलिखित हैं—

(i) प्रतिभूति के ब्याज सहित अन्य सब ब्याज—इसमें किसी भी विदेशी प्रतिभूति का ब्याज, बैंक के विभिन्न खातों का ब्याज अथवा अन्य किसी ऋण का ब्याज सम्मिलित है। परन्तु इसमें कोई ऐसा ब्याज सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो व्यापार की आय हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ब्याज पर रकम उधार देने का व्यापार करता है अथवा उधार बेचे हुए माल पर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ब्याज वसूल करता है तो वह इस शीर्षक में सम्मिलित नहीं होगा।

(ii) नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से प्राप्त कमीशन आदि—इसके अन्तर्गत किसी कम्पनी के अंशों व ऋण-पत्रों आदि को बेचने से प्राप्त होने वाला कमीशन, बीमा एजेण्ट को बीमा कम्पनी से प्राप्त कमीशन, राष्ट्रीय बचत पत्रों के अधिकृत विक्रेता को प्राप्त कमीशन अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति बेचने से प्राप्त कमीशन अथवा कम्पनी के किसी संचालक को प्राप्त संचालक शुल्क (बशर्ते कि संचालक कम्पनी का कर्मचारी नहीं है) एवं अन्य किसी व्यक्ति को अपने नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से मिलने वाली फीस, कमीशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। यदि कमीशन की कोई आय व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर-योग्य है तो उस आय पर इस शीर्षक में कर नहीं लगेगा।

(iii) ऐसे शारीरिक एवं मानसिक कार्यों से आय जो पेशे की श्रेणी में नहीं आते—इसके अन्तर्गत निरीक्षण कार्य (Invigilation) एवं परीक्षण कार्य (Examinership) के लिए मिला हुआ पारिश्रमिक, अखबारों एवं पत्र-पत्रिकाओं में लेख भेजने से प्राप्त पारिश्रमिक, पुस्तक लिखने से प्राप्त रॉयल्टी (यदि यह पेशे की आय नहीं हो) इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

(iv) जमीन से प्राप्त किराया—इसके अन्तर्गत जमीन को बाजार लगाने, ईंटों का भट्टा बनाने, चारागाहों के लिए प्रयोग करने इत्यादि कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए देने से प्राप्त किराया सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त खानों से प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी, पोखरों, घाटों, मछली क्षेत्रों से प्राप्त किराया एवं गैर-कृषि किराया भी सम्मिलित है। परन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि से प्राप्त किराया अथवा मकान से लगी हुई भूमि का किराया सम्मिलित नहीं है।

(v) किसी वसीयत के अन्तर्गत मिली हुई कोई वार्षिकी। परन्तु इसमें उस वार्षिकी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होती है।

(vi) किसी करदाता को किराये पर ली गई मकान सम्पत्ति को पुनः किराये (Sub-letting) पर उठाने से आय।

(vii) भारत के बाहर किसी देश में कृषि से आय।

(viii) अस्पष्ट साधनों से आय (Income from undisclosed sources)—यदि किसी करदाता के पास गत वर्ष में कोई ऐसा सोना, चाँदी, जेवर, विनियोग अथवा नकद धन पाया जाता है जिसकी प्राप्ति के साधन के सम्बन्ध में वह सन्तोषप्रद प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता

है तो यह उसकी अन्य साधनों की आय मानी जाती है, बशर्ते कि यह आय व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर-योग्य नहीं है।

(ix) अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत करदाता की कुल आय में सम्मिलित की जाने वाली दूसरे व्यक्तियों की आय बशर्ते कि उस दूसरे व्यक्ति पर उस आय पर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगता है।

(x) अप्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड से कर्मचारी को मिलने वाली राशि में स्वयं के हिस्से के अंशदान का ब्याज।

(xi) आकस्मिक आय (कर-मुक्त भाग को छोड़कर)

(xii) संसद एवं विधानसभा के सदस्यों का वेतन।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—उपरोक्त सूची में कुछ ऐसी आयें भी हैं जो कुछ व्यक्तियों के लिये पेशे की आय होती हैं। इन आयों को इस शीर्षक में उसी दशा में सम्मिलित किया जायेगा जब वह आय व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में कर-योग्य नहीं हो। उदाहरण के लिए रॉयल्टी की आय, बीमा कमीशन की आय, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के एजेण्ट्स एवं अल्पबचत योजना के एजेण्ट्स को प्राप्त कमीशन, ब्याज की आय, अस्पष्ट साधनों की आय, आदि।

कर-योग्य लाभ :

यदि किसी समय अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय की गणना करते समय किसी खर्च अथवा हानि के सम्बन्ध में कोई कटौती प्रदान की गई थी परन्तु बाद में यह राशि करदाता को प्राप्त हो जाती है तो उसको प्राप्त होने वाले गत वर्ष में 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

स्वीकृत कटौतियाँ—*अन्य साधनों की आय शीर्षक की आय की गणना करने के लिए* धारा-57 के अन्तर्गत निम्न कटौतियाँ स्वीकृत की गई हैं—

(1) लाभांश अथवा प्रतिभूतियों का ब्याज एकत्रित करने के लिए बैंक अथवा अन्य व्यक्ति को दिये गये कमीशन अथवा पारिश्रमिक की राशि।

(2) किसी करदाता को अपने कर्मचारियों के प्रॉवीडेण्ट फण्ड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित अन्य किसी फण्ड के लिये प्राप्त राशि करदाता की आय मानी जाती है परन्तु यदि उस आय को करदाता निर्धारित तिथि से पूर्व सम्बन्धित कोष में जमा करा देता है तो उसे जमा कराई गई राशि की कटौती इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त हो जायेगी बशर्ते कि उस आय को अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया गया है।

निर्धारित तिथि से अभिप्राय उस तिथि से है जिस तिथि के पूर्व नियोक्ता को किसी भी अधिनियम, नियम, अधिसूचना एवं सेवा-समझौता आदि के अनुसार उपरोक्त फण्ड के लिए प्राप्त राशि को सम्बन्धित फण्ड में कर्मचारी के खाते में जमा करा देना चाहिए।

(3) मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर और साथ ही भवन को किराये पर उठाने से हुई आय के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ उसी प्रकार स्वीकृत की जायेंगी जैसे कि व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने में स्वीकृत की जाती हैं—

(अ) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर पर चालू मरम्मत के सम्बन्ध में किया गया व्यय।

(आ) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर की सुरक्षा के लिये चुकाये गये बीमा प्रीमियम की रकम।

(इ) भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर का ह्रास।

(4) पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त आय के सम्बन्ध में ऐसी आय का $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 12,000 रु., दोनों में से कम वाली राशि के बराबर कटौती दी जायेगी। इस वाक्यांश के लिए 'पारिवारिक पेंशन' से आशय नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को नियमित रूप से प्रतिमाह दी जाने वाली राशि से होगा।

(5) अन्य कोई भी खर्चा जो पूर्णतया ऐसी आय कमाने के सम्बन्ध में किया गया हो तथा जो पूँजीगत प्रकृति का न हो। जैसे—अंश अथवा प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिये ऋण लिया हो तो ऐसे ऋण के ब्याज को लाभांश अथवा प्रतिभूतियों के ब्याज की आय में से घटाया जाता है।

जीवन बीमा एजेन्ट द्वारा अर्जित कमीशन में कटौती योग्य खर्चे—

ऐसी आय के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती सम्बन्धी नियमों का उल्लेख 'व्यापार अथवा पेशे की आय' वाले अध्याय में किया गया है। इसी प्रकार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के एजेन्ट्स एवं अल्प बचत योजना के एजेन्ट्स को प्राप्त कमीशन के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती सम्बन्धी नियमों का भी उल्लेख व्यापार अथवा पेशे के लाभ वाले अध्याय में ही किया गया है।

न घटाई जाने वाली राशियाँ

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना करने के लिये धारा-58 के अनुसार निम्न राशियों को नहीं घटाया जायेगा—

(i) करदाता के व्यक्तिगत व्यय;

(ii) भारत के बाहर चुकाया जाने वाला ऐसा कोई ब्याज जो कि भारत में कर-योग्य है, परन्तु उस पर न तो कर चुकाया गया है और न ही करदाता ने उद्गम स्थान पर कर की कटौती की है।

(iii) भारत के बाहर चुकाई गई कोई ऐसी राशि जो वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है, परन्तु जिस पर न तो कर चुकाया गया है तथा न ही उद्गम स्थान पर कर काटा गया है।

(iv) लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल, ताशों के खेल, शर्त एवं जुए में जीती गई राशियों के सम्बन्ध में अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना करते समय अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के तहत किसी भी प्रकार का व्यय अथवा छूट स्वीकृत नहीं की जायेगी। परन्तु ऐसी दौड़ के लिये घोड़ों को रखने के व्यय, जिसके लिये कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर बाजी लगा सकता है, की कटौती दे दी जायेगी। इस धारा के प्रावधानों के परिणाम स्वरूप ऐसी आय में से धारा 57 के तहत कोई कटौती नहीं दी जायेगी, धारा 70, 71 अथवा 72 के तहत ऐसी आय से हानियों की पूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा धारा 80 CCC से 80 U तक कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी। परन्तु धारा 10 (3) की 2,500 रु. अथवा 5,000 रु. की जैसी भी स्थिति हो, कर मुक्ति प्रदान की जायेगी तथा लाटरी विधान के तहत इनाम की

राशि का कोई भाग सरकार अथवा लाटरी संचालित करने वाली संस्था को छोड़ना आवश्यक है तो इसे लाटरी की सकल राशि में से घटा दिया जायेगा।

(v) निर्धारण अधिकारी विशिष्ट व्यक्तियों को किये गये भुगतान का वह भाग अस्वीकृत कर सकता है जो उसकी दृष्टि में अत्यधिक व अनुचित हो।

(vi) *20,000 रु. से अधिक का कोई भुगतान यदि खाते में जमा होने वाले चैक अथवा बैंक ड्रॉफ्ट से नहीं किया जाये तो उस व्यय का 20% भाग स्वीकृत नहीं किया जायेगा।*

उपरोक्त वाक्यांश (v) एवं (vi) का विस्तृत विवरण 'व्यापार अथवा पेशे की आय' शीर्षक में दिया गया है।

लाभांश (Dividend)

लाभांश की परिभाषा—साधारण बोलचाल की भाषा में किसी कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को उसके लाभों में से नकदी में से किए गए वितरण को लाभांश कहा जाता है परन्तु आय-कर के उद्देश्य से हमें लाभांश का विशिष्ट अर्थ समझना होगा। आय-कर अधिनियम में लाभांश की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। धारा-2 (22) में केवल यह बताया गया है कि अंशधारियों को कम्पनी से मिलने वाली कौन-कौन सी प्राप्तियों को लाभांश में सम्मिलित किया जाता है तथा कौन-कौन सी प्राप्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। धारा-2 (22) के अनुसार लाभांश में निम्न को सम्मिलित किया जाता है—

(अ) *कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को किया गया ऐसा वितरण जिसके कारण कम्पनी की सम्पत्ति घट जाये, लाभांश माना जाता है।* यह उस सीमा तक लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कम्पनी के पास एकत्रित लाभ हैं। कम्पनी द्वारा नकदी में वितरित किया गया लाभ लाभांश कहलाता है *क्योंकि इससे कम्पनी की सम्पत्ति घट जाती है।* यदि एक कंम्पनी अपने साधारण अंशधारियों को बोनस शेयर निर्गमित करती है, तो इससे कंम्पनी की सम्पत्ति नही घटती। अत: साधारण अंशधारियों को मिलने वाले बोनस शेयर को लाभांश में सम्मिलित नहीं किया जाता है, परन्तु *पूर्वाधिकार अंशधारियों को निर्गमित किये गये बोनस शेयर,* जैसा कि नीचे 'ब' में समझाया गया है लाभांश माने जाते हैं तथा उन पर कर लगता है।

(ब) एक कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को किसी भी रूप में वितरित बोनस, ऋण-पत्र एवं जमा प्रमाण-पत्र *तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों को वितरित बोनस शेयर उस सीमा तक* लाभांश माने जाते हैं जिस सीमा तक कम्पनी के पास एकत्रित लाभ हैं।

(स) किसी भी कम्पनी के समापन पर उसके अंशधारियों को वितरित किया गया कोई धन अंशधारियों के लिए उस सीमा तक लाभांश *माना जाता है जिस सीमा तक कम्पनी* के पास एकत्रित लाभ हैं। इस प्रकार यदि कोई कम्पनी समापन पर अपने साधारण अंशधारियों को बोनस अंश जारी करती है तो वह लाभांश की श्रेणी में आ जाता है।

(द) यदि कोई कम्पनी अपनी अंश-पूँजी से कटौती करके कोई धन अंशधारियों में वितरित करती है तो *अंशधारियों के लिए* उस सीमा तक लाभांश माना जाता है जिस सीमा तक कम्पनी के पास एकत्रित लाभ हों।

(य) यदि ऐसी कम्पनी द्वारा जिसमें जनता का समुचित हित नहीं है अपने ऐसे अंशधारी को जो 10% *अथवा अधिक* मताधिकार वाले अंशों का स्वामी है (ऐसे अंशों को छोड़कर

जिन पर स्थिर दर से लाभांश दिया जाता है) को 31 मई, 1987 के बाद अग्रिम अथवा ऋण के रूप में किया गया भुगतान अथवा किसी संस्था को किया गया भुगतान जिसमें ऐसा अंशधारी सदस्य अथवा साझेदार है तथा उस संस्था में उसका सारवान हित है, उस सीमा तक उनके लिए लाभांश माना जाता है, जिस सीमा तक कम्पनी के पास एकत्रित लाभ हों।

परन्तु लाभांश में निम्नलिखित राशियों को सम्मिलित नही किया जाता है—

(i) उपर्युक्त (स) व (द) के अन्तर्गत ऐसे अंशधारियों को किया गया वितरण जिनको अंश पूर्णतया नकद प्रतिफल के बदले जारी किये गये थे तथा कम्पनी के समापन पर अतिरिक्त सम्पत्तियों (Surplus Assets) में भाग लेने का अधिकार न हो।

(ii) किसी कम्पनी द्वारा अपने साधारण अंशधारियों को 31 मार्च, 1964 के बाद तथा 1 अप्रैल, 1965 के पूर्व उपर्युक्त वाक्यांश (स) अथवा (द) के अन्तर्गत पूँजी लाभों में से बोनस शेयर के रूप में किया गया कोई वितरण।

(iii) यदि कम्पनी रुपयों के लेन-देन का व्यवहार करती है, तो उसके साधारण व्यवहार के दौरान किसी अंशधारी को दी गई अग्रिम अथवा ऋण की राशि।

(iv) किसी अंशधारी को मिलने वाले लाभांश में यदि कोई कम्पनी उपर्युक्त (य) में वर्णित कोई राशि काट लेती है तो अंशधारियों को प्राप्य लाभांश में इस प्रकार काटी गयी राशि कम कर दी जायेगी तथा शेष राशि ही उस वर्ष का लाभांश मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(क) एकत्रित लाभों में वितरण की तिथि तक के समस्त लाभों को सम्मिलित किया जाता है परन्तु 1 अप्रैल, 1946 के पहले, अथवा 31 मार्च, 1948 के बाद तथा 1 अप्रैल 1956 के पूर्व के पूँजीगत लाभों को सम्मिलित नहीं किया जाता।

(ख) यदि सरकार अथवा सरकार द्वारा प्रबन्धित किसी निगम के द्वारा किसी कम्पनी को अनिवार्य रूप से अपने हाथ में ले लिया जाता है और इससे कम्पनी का समापन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एकत्रित लाभों में कम्पनी के समापन में जाने वाले गत वर्ष के तुरन्त पहले के तीन वर्षों के पूर्व के लाभों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ग) संस्था से अभिप्राय हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या संघ अथवा कम्पनी से है।

(घ) कम्पनी के अलावा अन्य संस्थाओं में किसी व्यक्ति का सारवान हित माना जायेगा यदि वह व्यक्ति गत वर्ष में किसी भी समय उस संस्था के 20% या अधिक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी रहा है।

लाभांशों पर कर लगाने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम

(1) **लाभांश की आय के गत वर्ष का निर्धारण**—लाभांश उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिसमें ये कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा चुकाये जाते हैं। परन्तु अन्तरिम लाभांश उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिसमें कम्पनी इनको बिना शर्त चुकाने के लिए तत्पर हो। अर्थात् इनकी घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि कम्पनी द्वारा इनका भुगतान के लिए तत्पर होना भी आवश्यक है। यदि कम्पनी कई वर्षों तक लाभांश घोषित न तथा कई वर्षों के थोड़े-थोड़े लाभ को एकत्रित करके एक वर्ष में लाभांश घोषित यह सम्पूर्ण लाभांश उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी।

(2) **भारत के बाहर चुकाये जाने वाला लाभांश**—यदि किसी भारतीय कम्पनी द्वारा कोई लाभांश भारत के बाहर चुकाया जाता है तो उसे भारत में ही उपार्जित अथवा उदय हुआ माना जाता है परन्तु भारतीय कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी ऐसी कम्पनी द्वारा जो भारत में व्यापार कर रही है, भारत के बाहर चुकाये गए लाभांश को भारत में उदय तथा उपार्जित नहीं मान सकते हैं।

(3) **विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश**—विदेशी कम्पनियों से प्राप्त होने वाले लाभांश पर लाभांश के रूप में ही कर लगाया जाता है। यदि कोई विदेशी कम्पनी, लाभांश चुकाते समय कर के रूप में कोई राशि काट लेती है तथा जिसको वह उस विदेशी सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है तो ऐसी राशि को अंशधारी की आय में सम्मिलित नही किया जा सकता है।

(4) **पूँजी लाभों से चुकाया गया लाभांश**—यदि कोई कम्पनी अपने साधारण लाभाश का भुगतान पूँजी लाभों से करती है तब भी यह लाभांश अंशधारी के हाथों में कर-योग्य होता है। यहाँ तक कि कम्पनी द्वारा लाभांश यदि कर-मुक्त लाभों से दिया गया हो, तब भी अंशधारी के लिए कर-योग्य होता है।

(5) **कर-मुक्त लाभों में से चुकाया गया लाभांश**—अंशधारी को प्राप्त होने वाले समस्त लाभांश पर उसे कर चुकाना होता है, भले ही उसे ऐसा लाभांश कम्पनी की कर-मुक्त आय से ही क्यों न प्राप्त हुआ हो। उदाहरण के लिए, एक चाय कम्पनी जिसके स्वयं के बगीचे भी हैं, चाय की बिक्री से आय का 40% ही कर-योग्य होता है परन्तु अंशधारी को प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण लाभांश पर ही कर चुकाना होता है।

(6) **लाभाश की आय से उद्गम स्थान पर कर की कटौती**—लाभांश चुकाने वाली कम्पनी का यह दायित्व है कि लाभांश चुकाने से पूर्व उसमें से निर्दिष्ट दरों के आधार पर कर की कटौती करले तथा काटे हुए कर को सरकारी कोष में जमा करा दे। यह कर अंशधारी की ओर से चुकाया हुआ माना जाता है तथा अंशधारी का कर-निर्धारण करते समय उसके द्वारा देय आय कर में से उद्गम स्थान पर काटा हुआ कर घटा दिया जाता है तथा शेष कर ही अंशधारी द्वारा चुकाया जाता है। कम्पनी अंशधारी को आय-कर काटने व जमा करने की रसीद भी भेज देती है, जिससे अंशधारी उसका उपयोग अपने कर-निर्धारण में कर सके। उद्गम स्थान पर काटा गया कर अंशधारी के द्वारा प्राप्त लाभांश में जोड़ा जाता है तथा लाभांश की सकल राशि को उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।

लाभांशों की आय को सकल बनाना

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि लाभांश चुकाने वाली कम्पनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह लाभांश में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ले। इसका मतलब यह हुआ कि अंशधारी को नकद में प्राप्त होने वाली राशि अथवा शुद्ध लाभांश उसके द्वारा अर्जित लाभांश अथवा सकल लाभांश से कम होती है। यदि हमें किसी करदाता को लाभांश की प्राप्त राशि (Amount received) अथवा शुद्ध लाभांश दिया हुआ हो तो उसे सकल बना लेना चाहिये। यह सकल लाभांश ही करदाता की सकल कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। गैर कम्पनी निवासी करदाताओं के लिए गत वर्ष 1996-97 में उद्गम स्थान पर कर की

कटौती सकल लाभांश में से 20% की दर से की गई है, अतः कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए लाभांश को सकल बनाने में निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जायेगा—

$$\text{सकल लाभांश} = \text{शुद्ध लाभांश या प्राप्त लाभांश} \times \frac{100}{80}$$

यदि लाभांश की गणना प्रतिशत के आधार पर की जाती है तो वह सकल लाभांश ही होता है और उसे सकल करने की आवश्यकता नही होती। कभी-कभी कोई कम्पनी कर-मुक्त लाभाश घोषित कर देती है, जिसका अर्थ यह होता है कि कम्पनी अंशधारी को प्रतिशत के आधार पर निकाला गया पूरा लाभांश देगी तथा उसके अलावा उस लाभाश में से उद्‌गम स्थान पर काटे जाने वाले कर को अपने पास से सरकारी कोष में जमा करायेगी। यह कर अंशधारियों की ओर से ही दिया हुआ माना जाता है तथा इसको भी उसकी कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है।

यदि लाभांश का भुगतान जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा लाभांश पाने वाला अशधारी भारत में निवासी व्यक्ति करदाता है तो निम्न शर्तें पूरी हो जाने की दशा में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी—

(a) इस कम्पनी द्वारा लाभांश का भुगतान "खाते में जमा होने वाले" (Account Payee) चैक द्वारा किया जाता है;

(b) वित्तीय वर्ष के दौरान इस कम्पनी द्वारा उस अशधारी को वितरित किया गया अथवा वितरित किया जाने वाला लाभाश कुल मिलाकर 2,500 रु. से अधिक नही होता है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज
(Interest on Securities)

'प्रतिभूति से हमारा आशय यहाँ उन प्रतिभूतियों से होता है जिन पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है, भले ही प्रतिभूति निर्गमित करने वालों को लाभ हो अथवा हानि। साथ ही यह ब्याज निर्धारित तिथियों को देय होता है जो त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी कम्पनी के ऋण-पत्र प्रतिभूति के अन्तर्गत शामिल होते हैं क्योंकि उन पर ब्याज की दर तथा ब्याज की भुगतान की तिथि दोनों निश्चित होते हैं। परन्तु किसी कम्पनी के अंश या पूर्वाधिकार अंश इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि उन पर लाभांश मिलना निश्चित नही होता तथा लाभांश प्राप्ति का समय भी निर्धारित नही होता है। धारा-2 (28 B) के अनुसार 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' में निम्न ब्याज सम्मिलित किया जाता है—

(i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें अपनी प्रतिभूतियाँ विभिन्न नामों से जारी करती हैं। जैसे—सरकारी ऋण (Govt Loan), सरकारी पत्र (Govt. Paper), सरकारी नोट्स (Govt. Notes), सरकारी बॉण्ड्स (Govt. Bonds), प्रॉमिजरी नोट्स (Promisory Notes), ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) प्रमाण पत्र (Certificate) इत्यादि।

(ii) किसी स्थानीय सत्ता, कम्पनी तथा केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम के द्वारा निर्गमित ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज। स्थानीय सत्ता से अभिप्राय नगरपालिका, नगर निगम, जिला-परिषद्, नगर सुधार न्यास, पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि से है।

टिप्पणी—पिछले पृष्ठ पर वर्णित बाण्ड्स के अलावा भी अनेक कम्पनियों के बाण्ड्स को सरकार ने कर मुक्त घोषित किया है।

कुछ विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की व्यवस्थायें—

1. राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन—इनका विक्रय 1, अप्रैल, 1989 से चालू हुआ है। इन पर ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। इन बचत पत्रों पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से अर्द्धवार्षिक आधार पर परिपक्व होने पर देय होता है। प्रत्येक 100 रु. पर प्रथम वर्ष का ब्याज 12.40 रु., द्वितीय वर्ष का ब्याज 13.90 रु. तृतीय वर्ष का ब्याज 15.60 रु., चतुर्थ वर्ष का ब्याज 17.50 रु., पंचम वर्ष का ब्याज 19.70 रु तथा षष्ठम वर्ष का ब्याज 22.40 रु. कर योग्य माना जायेगा।

2. किसान विकास पत्र—इनकी अवधि $5\frac{1}{2}$ वर्ष की है। $5\frac{1}{2}$ वर्ष के पश्चात 1,000 रु की राशि 2,000 हो जाती है। ये पत्र किसी भी सीमा तक क्रय किये जा सकते हैं परन्तु ये 1,000 रु., 5,000 रु. एवं 10,000 रु. के ही मिलते हैं।

आय-कर के उद्देश्य से इन पत्रों पर ब्याज प्रति वर्ष प्राप्य माना जाता है। प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के पत्र क्रमांक 687 दिनांक 19-8-1994 के अनुसार इन पर अर्जित ब्याज को इनके परिपक्वता मूल्य (Maturity valuc) के आधार पर ज्ञात किया जायेगा। कुछ समय के लिये इनकी अवधि 5 वर्ष भी थी। इसी प्रकार कुछ अवधि के लिये इनका परिपक्वता मूल्य 1,000 रु. के पत्रों पर 2,000 रु. न होकर 2,100 रु. था। अलग-अलग समय पर जारी किये गये विकास पत्रों की अवधि में एवं परिपक्वता मूल्यों में अन्तर होने के कारण प्रति वर्ष अर्जित ब्याज में भी अन्तर है। विभिन्न समय पर जारी किये गये 1,000 रु. के विकास पत्रों पर अर्जित ब्याज को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

1,000 रु. के किसान विकास पत्रों पर अर्जित ब्याज की राशि

	1-4-1988 से 15-12-1991 तक खरीदे गये	16-12-91 से 23-4-92 तक खरीदे गये	24-4-92 से 1-9-93 तक खरीदे गये	2-9-93 से अब तक
प्रथम वर्ष	100	120	120	110
द्वितीय वर्ष	120	140	140	130
तृतीय वर्ष	160	200	200	180
चतुर्थ वर्ष	210	230	230	200
पंचम वर्ष	290	250	310	240
षष्ठम वर्ष	120	160	—	140
	1,000	1,100	1,000	1,000

टिप्पणी : इन विकास पत्रों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, यद्यपि इन पर धारा 80-L एवं धारा 88 की कटौती एवं छूट भी नहीं दी जाती है।

प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्य होना

प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रतिदिन प्राप्य नही होता बल्कि उन तारीखों पर प्राप्य हुआ माना जाता है जिनका उल्लेख उन प्रतिभूतियों पर होता है। ये *तारीखें अक्सर तिमाही, छमाही या वार्षिक* होती है। जिस व्यक्ति को इस तारीख के दिन ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसे ही प्राप्य समझा जाता है, और उसकी कुल आय में इसे शामिल किया जाता है, भले ही उसने प्रतिभूति को कुछ दिन पहले ही क्यों न प्राप्त किया हो—

ऐसा ब्याज जो प्रतिभूतियों पर ब्याज में सम्मिलित नहीं होता—सहकारी समिति के ऋण-पत्रों का ब्याज, विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों का ब्याज, किसी एसोसिएशन, क्लब एवं व्यक्तियों के समुदाय द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का ब्याज, प्रतिभूतियों पर ब्याज में सम्मिलित नहीं होता है। इनको अन्य ब्याज में सम्मिलित किया जाता है।

पूर्णतया कर-मुक्त ब्याज—अनेक प्रतिभूतियों से मिलने वाला ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है *अर्थात् न तो उसे कुल आय में शामिल किया जाता है और न ही उस पर कर चुकाया* जाता है। इसका वर्णन कर-मुक्त आयों के अध्याय में धारा-10 (4), 10 (15) एवं 10(20) से 10 (26) तक के अन्तर्गत अध्याय 3 मे किया गया है।

धारा-10 (15) के *अन्तर्गत निम्न प्रतिभूतियों का ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है*—

(i) 7 वर्षीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (द्वितीय निर्गमन)
(30 सितम्बर, 1995 तक ही चलन में थे)

(ii) 7% पूँजी विनियोग बॉण्ड्स। इनका ब्याज केवल व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए ही कर-मुक्त है। (7% Capital Investment Bonds)

(iii) 9% या 10% राहत बॉड्स (9% or 10% Relief Bonds.)

15 मार्च, 1993 से निर्गमित राहत बॉण्ड्स पर ब्याज दर 10% है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की प्रतिभूतियों के ब्याज का कर मुक्त होना—यदि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के ब्याज को कर मुक्त घोषित कर दिया जाये तो ऐसा ब्याज पूर्णतया कर मुक्त होता है तथा उसे कुल आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनके बॉण्ड्स का ब्याज कर मुक्त घोषित किया गया है—

(i) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. के 9% एवं 10% बॉण्ड्स;
(ii) महानगर टेलीफोन निगम लि. के 9% एवं 10% बॉण्ड्स;
(iii) इण्डियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लि. के 9% एवं 10% बॉण्ड्स;
(iv) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के 9% बॉण्ड्स,
(v) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि. के 10% बॉण्ड्स;
(vi) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. के 9% एवं 10 5% बॉण्ड्स,
(vii) नैवेलि लिगनाइट कारपोरेशन लि. के 9% एवं 10% बॉण्ड्स,
(viii) हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. (HUDCO) के 9% एवं 10.5% बॉण्ड्स;

टिप्पणी—पिछले पृष्ठ पर वर्णित बाण्ड्स के अलावा भी अनेक कम्पनियों के बाण्ड्स को सरकार ने कर मुक्त घोषित किया है।

कुछ विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध मे आय-कर अधिनियम की व्यवस्थायें—

1. राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन—इनका विक्रय 1, अप्रैल, 1989 से चालू हुआ है। इन पर ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। इन बचत पत्रों पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से अर्द्धवार्षिक आधार पर परिपक्व होने पर देय होता है। प्रत्येक 100 रु. पर प्रथम वर्ष का ब्याज 12.40 रु., द्वितीय वर्ष का ब्याज 13.90 रु. तृतीय वर्ष का ब्याज 15.60 रु., चतुर्थ वर्ष का ब्याज 17.50 रु., पंचम वर्ष का ब्याज 19.70 रु. तथा षष्ठम वर्ष का ब्याज 22.40 रु कर योग्य माना जायेगा।

2. किसान विकास पत्र—इनकी अवधि $5\frac{1}{2}$ वर्ष की है। $5\frac{1}{2}$ वर्ष के पश्चात 1,000 रु की राशि 2,000 हो जाती है। ये पत्र किसी भी सीमा तक क्रय किये जा सकते हैं परन्तु ये 1,000 रु., 5,000 रु. एवं 10,000 रु. के ही मिलते है।

आय-कर के उद्देश्य से इन पत्रों पर ब्याज प्रति वर्ष प्राप्य माना जाता है। प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के पत्र क्रमांक 687 दिनांक 19-8-1994 के अनुसार इन पर अर्जित ब्याज को इनके परिपक्वता मूल्य (Maturity value) के आधार पर ज्ञात किया जायेगा। कुछ समय के लिये इनकी अवधि 5 वर्ष भी थी। इसी प्रकार कुछ अवधि के लिये इनका परिपक्वता मूल्य 1,000 रु. के पत्रों पर 2,000 रु. न होकर 2,100 रु. था। अलग-अलग समय पर जारी किये गये विकास पत्रों की अवधि में एवं परिपक्वता मूल्यों में अन्तर होने के कारण प्रति वर्ष अर्जित ब्याज में भी अन्तर है। विभिन्न समय पर जारी किये गये 1,000 रु. के विकास पत्रों पर अर्जित ब्याज को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है—

1,000 रु. के किसान विकास पत्रों पर अर्जित ब्याज की राशि

	1-4-1988 से 15-12-1991 तक खरीदे गये	16-12-91 से 23-4-92 तक खरीदे गये	24-4-92 से 1-9-93 तक खरीदे गये	2-9-93 से अब तक
प्रथम वर्ष	100	120	120	110
द्वितीय वर्ष	120	140	140	130
तृतीय वर्ष	160	200	200	180
चतुर्थ वर्ष	210	230	230	200
पंचम वर्ष	290	250	310	240
षष्ठम वर्ष	120	160	—	140
	1,000	1,100	1,000	1,000

टिप्पणी : इन विकास पत्रों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है, यद्यपि इन पर धारा 80-L एवं धारा 88 की कटौती एवं छूट भी नहीं दी जाती है।

3. 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा पत्र—इन पत्रों पर 10 वर्ष बाद तीन गुनी राशि प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति यह प्रतिभूति केवल 5,000 रु. तक की ही खरीद सकता है। आय-कर के उद्देश्यों के लिये 11.3% वार्षिक की दर से छः माही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष प्राप्य माना जाता है।

ये केवल 500 रु. एवं 1,000 रु. के आकार में उपलब्ध होते हैं। 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की उम्र का व्यक्ति ही इन पत्रों को खरीद सकता है। इन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है तथा इनका ब्याज धारा 80-L के तहत कटौती योग्य होता है। 1,000 रु. के प्रपत्र पर प्रथम वर्ष का ब्याज 116.12 रु., दूसरे वर्ष का 129.60 रु., तीसरे वर्ष का 144.66 रु., चौथे वर्ष का 161.46 रु., अर्जित माना जाता है। 500 रु. के प्रपत्र पर उपरोक्त रकमों का आधा ब्याज उपार्जित माना जाता है।

4. इन्दिरा विकास पत्र—इन पत्रों पर 5 वर्ष बाद दुगुनी राशि प्राप्त होती है। आय-कर के उद्देश्यों के लिये 14.97% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष प्राप्य माना जाता है। दिनांक 2-9-93 से इन विकास पत्रों की राशि $5\frac{1}{2}$ वर्ष में दुगुनी होगी तथा आय-कर के उद्देश्यों के लिये 13.43% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष प्राप्य माना जायेगा।

इन विकास पत्रों पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है परन्तु धारा 80-L की कटौती एवं धारा 88 की छूट भी नहीं मिलती है। इन पर अर्जित माने जाने वाले ब्याज को निम्न तालिका द्वारा समझाया जा सकता है—

इन्दिरा विकास पत्र पर अर्जित ब्याज

	5,000 रु. के आकार के विकास पत्र जो 2,500 रु. में बेचे जाते है यदि परिपक्वता अवधि 5 वर्ष हो	यदि परिपक्वता अवधि $5\frac{1}{2}$ वर्ष हो
प्रथम वर्ष	374	336
द्वितीय वर्ष	430	381
तृतीय वर्ष	495	432
चतुर्थ वर्ष	569	490
पंचम वर्ष	632	556
षष्ठम वर्ष	—	305
	2,500	2,500

प्रतिभूतियों के प्रकार—आयकर के दृष्टिकोण से प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं—

(i) कर-युक्त प्रतिभूतियाँ (Less-tax securities)

(ii) कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax-free securities)

(1) कर-युक्त प्रतिभूतियाँ—कर-युक्त प्रतिभूतियाँ सरकारी अथवा व्यापारिक दोनों होती हैं, तथा आयकर के दृष्टिकोण से इनमें कोई भेद नहीं है। दोनों ही प्रकार की प्रतिभूतियों पर

ब्याज चुकाने वाले का उत्तरदायित्व होता है कि वह ब्याज चुकाने से पहले उसमें से निर्धारित दर से आयकर की कटौती कर ले। इस कटौती को उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहा जाता है। कर की कटौती करने वाला इस कटौती की राशि को सरकारी कोष में उसके स्वामी के नाम से जमा करा देता है। इस प्रतिभूति के स्वामी को प्राप्त ब्याज दो भागों में बंट जाता है। पहला, जो उसे नकद प्राप्त होता है जिसे कि शुद्ध ब्याज कहते हैं,तथा दूसरा, जो सरकार में उसकी ओर से जमा कर दिया जाता है जिसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहते हैं। नकद प्राप्त राशि एवं सरकार में जमा कराए गए कर दोनों के योग को सकल ब्याज कहते हैं तथा इसे ही प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में शामिल किया जाता है। अतः यदि करदाता को प्राप्त ब्याज दिया हुआ है तो उसमें उद्गम स्थान पर कर की कटौती को भी जोड़ा जायेगा और दोनों का योग प्रतिभूतियों के ब्याज में शामिल किया जायेगा।

जब करदाता का अन्तिम कर-निर्धारण किया जाता है, उस समय उद्गम स्थान पर काटे गये कर की राशि को उसके द्वारा देय कर की राशि में से कम कर दिया जाता है।

(2) कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ—कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्रथम कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं दूसरी गैर-सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ। आयकर के दृष्टिकोण से दोनों में अन्तर होने के कारण दोनों का अलग-अलग अध्ययन आवश्यक है।

(i) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ—सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज पूर्णतः कर-मुक्त होता है तथा इसे कुल आय में भी सम्मिलित नहीं करते है। चूँकि ये प्रतिभूतियाँ कर-मुक्त होती हैं अतः निवासी करदाता के लिए तो इनके ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती भी नहीं की जाती है। ब्याज कर-मुक्त होने के कारण इनके ब्याज को सकल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके ब्याज के संग्रह के खर्चे भी अन्य ब्याज में से नहीं घटाये जाते हैं।

(ii) गैर-सरकारी अथवा व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ—व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियों का अर्थ यह है कि कम्पनी इनके धारक को निर्धारित प्रतिशत से निकाली गई पूरी रकम चुका देगी और उसमें उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करेगी। परन्तु उद्गम स्थान पर कर की कटौती किया जाना आवश्यक होता है अतः कम्पनी अपने स्वयं के पास से कर की रकम को सरकारी कोष में जमा करा देगी। अर्थात् प्रतिशत के आधार पर ज्ञात की गई रकम को प्रतिभूति के धारक को चुका देगी तथा उद्गम स्थान पर काटा जाने वाला कर कम्पनी स्वयं अपने पास से सरकारी कोष में जमा करायेगी जो प्रतिभूति के धारक की ओर से जमा किया हुआ माना जायेगा। करदाता को नकद में प्राप्त राशि एवं सरकारी कोष में जमा की गई राशि को शामिल किया जाता है। बाद में उसके द्वारा देय आय-कर में से उद्गम स्थान पर काटे गये कर की रकम कम कर दी जाती है—

ब्याज को सकल बनाना—ब्याज को सकल बनाने का अर्थ है कि दी हुई ब्याज की राशि में उद्गम स्थान पर काटे गये ब्याज की रकम को भी शामिल किया जाये परन्तु यदि दी हुई ब्याज की राशि पहले से ही सकल है, अर्थात् उसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नही घटाई गई है तो उसे सकल नहीं किया जायेगा। भारत में निवासी गैर-कम्पनी करदाताओं के लिए ब्याज को सकल बनाने सम्बन्धी नियम अग्रलिखित है—

(1) व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज को हमेशा सकल बनाया जाता है, चाहे ब्याज की प्राप्त राशि दी हुई हो, चाहे प्रतिशत दिया हुआ हो।

(2) कर-मुक्त प्रतिभूतियों (सरकारी एवं व्यापारिक दोनों) के ब्याज की यदि प्रतिशत दी हुई है तो सकल नहीं बनाया जाता है परन्तु यदि प्राप्त राशि दी हुई है तो प्राप्त ब्याज को सकल बनाया जाता है।

(3) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल नहीं बनाया जायेगा चाहे प्रतिशत दी गई हो अथवा प्राप्त राशि दी गई हो।

(4) विभिन्न प्रतिभूतियों को सकल बनाने के काम आने वाले सूत्र—

(अ) सरकारी प्रतिभूतियों, निगम एवं स्थानीय सत्ता की प्रतिभूतियों अथवा कम्पनी के सूचित ऋण-पत्रों के ब्याज को निम्न सूत्र द्वारा सकल बनाया जाता है—

$$\text{सकल ब्याज} = \frac{\text{शुद्ध ब्याज} \times 100}{90} \text{ या } \frac{\text{शुद्ध ब्याज} \times 10}{9}$$

(ब) कम्पनी के असूचित ऋण-पत्रों के ब्याज को सकल बनाने के लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है—

$$\text{सकल ब्याज} = \frac{\text{शुद्ध ब्याज} \times 100}{80} \text{ या } \frac{\text{शुद्ध ब्याज} \times 5}{4}$$

कटौतियाँ (Deductions)—

धारा-57 (i) एवं (iii) के अनुसार प्रतिभूतियों के ब्याज की गणना करने के लिए निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत हैं—

(i) ब्याज की वसूली करने के लिए करदाता द्वारा किये गये उचित व्यय, जैसे कमीशन आदि।

(ii) ऐसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए करदाता द्वारा उधार ली गई राशि का ब्याज।

यदि करदाता प्रतिभूतियों को अपने स्वयं के धन से खरीदता है तथा व्यापार के सम्बन्ध में ऋण लेता है तो ऐसे ऋण के ब्याज की कटौती प्रतिभूतियों के ब्याज में नहीं दी जा सकती है।

यदि करदाता प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय का व्यापार करता है तो इसके लिए प्रतिभूतियाँ व्यापारिक माल के समान होती हैं और इनके विक्रय से होने वाले लाभ पर 'व्यापार तथा पेशे की आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाया जाता है। **क्रय-विक्रय से सम्बन्धित खर्चे विक्रय से होने वाले लाभ में से घटाये जाते है, प्रतिभूतियों के ब्याज में से नहीं।**

'प्रतिभूतियों का ब्याज सहित' क्रय-विक्रय—जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, प्रतिभूतियों पर ब्याज दिन-प्रतिदिन प्राप्य नहीं होता, बल्कि उन तिथियों पर प्राप्य होता है जो इन पर अंकित होती हैं तथा जो अक्सर छमाही होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो ब्याज की तिथि से ठीक पूर्व इनका धारक हो, अपना नाम कम्पनी के यहाँ ऋण-पत्रों के रजिस्टर में दर्ज करवा सकता है एवं ब्याज प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिभूति को ब्याज प्राप्त करने के कुछ दिनों पहले दूसरे व्यक्ति को बेच देता है तो हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि आगामी तिथि को ब्याज प्राप्त किसे हो—क्रेता को अथवा विक्रेता को। इसके सम्बन्ध में व्यवस्था इस प्रकार है कि यदि प्रतिभूति का विक्रय 'ब्याज सहित' किया गया है तो आगामी तिथि का ब्याज क्रेता को प्राप्त होगा भले ही उसने प्रतिभूतियों को ब्याज की तिथि के केवल कुछ रोज पहले ही खरीदा हो। ऐसी स्थिति में क्रेता क्रय-मूल्य में उस अवधि का ब्याज भी चुकाता है, जिसके लिए प्रतिभूति विक्रेता के पास रही थी। ऐसी स्थिति में **यद्यपि क्रेता के पास प्रतिभूति केवल कुछ दिन ही रही है मगर उसे 6 माह के ब्याज पर कर चुकाना होगा।** दूसरी तरफ यदि प्रतिभूति का विक्रय 'ब्याज रहित' किया गया है तो आगामी तिथि का ब्याज विक्रेता को ही प्राप्त होगा। विक्रेता विक्रय मूल्य में उस अवधि का ब्याज कम कर देता है जिसके लिए वह प्रतिभूति क्रेता के पास रहेगी। ऐसी स्थिति में विक्रेता प्रतिभूति को अपने पास कुछ दिन रखने के बाद भी बेच सकता है और प्रतिभूति अधिकांश समय के लिए क्रेता के पास रह सकती है, परन्तु चूँकि विक्रेता ने प्रतिभूति ब्याज रहित बेची है, आगामी तिथि का ब्याज विक्रेता को स्वयं को ही प्राप्त होगा और ऐसी दशा में विक्रेता ही उस पर कर चुकायेगा। प्रतिभूतियों को ब्याज रहित बेचने वाला व्यक्ति कम्पनी को इस क्रय-विक्रय की सूचना भी आगामी तिथि का ब्याज प्राप्त करने के बाद ही देगा। क्योंकि ब्याज प्राप्त करने के लिए कम्पनी के रजिस्टर में इस विक्रेता का ही नाम रहना जरूरी है।

दिखावटी लेनदेन (Bond washing Transaction) :

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि, प्रतिभूतियों का ब्याज उस करदाता की आय में शामिल किया जाता है जिसका नाम ब्याज घोषित होने वाली तिथि के दिन कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज है, भले ही उसने उन प्रतिभूतियों को कुछ दिन पहले ही प्राप्त किया हो। इस व्यवस्था के कारण प्रतिभूतियों के ब्याज पर बड़ी आसानी से कर बचाया जा सकता है। धनवान एवं चालाक व्यक्ति जिनकी आय अधिक होती है, अपनी प्रतिभूतियाँ उन पर अंकित ब्याज की तिथि से कुछ दिन पूर्व ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं, जिनकी आय अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। ये प्रतिभूतियाँ ब्याज सहित बेची जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि प्रतिभूतियों का आगामी तिथि को देय ब्याज क्रेता को प्राप्त होता है एवं क्रेता की कुल आय में ही सम्मिलित किया जाता है। यदि ब्याज को विक्रेता की आय में सम्मिलित किया जाता है तो उसको इस पर ऊंची दर से कर चुकाना पड़ता है। परन्तु क्रेता की आय चूँकि कम होती है, उसको इस

ब्याज पर या तो कर देना ही नहीं पड़ता और कर देना भी पड़ता है तो बहुत नीची दर से। यह क्रेता, विक्रेता का मित्र या सम्बन्धी होता है तथा क्रेता को जो कर इन प्रतिभूतियों के ब्याज पर चुकाना होता है वह गुप्त रूप से विक्रेता द्वारा क्रेता को दे दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन व्यवहारों के कारण सरकारी आय की हानि होती है तथा चालाक व्यक्ति कर बचा लेते हैं। ये लेन-देन चूँकि वास्तविक नहीं होते तथा दिखावे मात्र के लिए किये जाते हैं, इसलिए इनको दिखावटी देन-देन कहते हैं।

निर्धारण अधिकारी को धारा-94 के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है कि यदि उसके विचार से प्रतिभूतियों का कोई व्यवहार दिखावटी है तो वह उन प्रतिभूतियों के ब्याज को उसके वास्तविक मालिक की आय में सम्मिलित कर सकता है। यदि करदाता निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास दिला दे कि इससे कर का अपवंचन (Avoidance) नहीं हुआ है तथा ऐसा व्यवहार क्रमबद्ध नहीं है वरन् संयोग से हुआ है तथा उसके द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रतिभूतियों के ऐसे व्यवहारों से कभी कर का अपवंचन नहीं किया गया है तो निर्धारण अधिकारी अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax at Source)

प्रतिभूतियों पर ब्याज चुकाने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह सम्बन्धित वित्त अधिनियम में दी गई दरों के अनुसार ऐसे ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करले तथा सरकारी कोष में जमा करा दे। परन्तु निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर कुछ विशिष्ट दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है—

(i) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज बशर्ते कि ऐसे ब्याज का प्राप्तकर्त्ता भारत में निवासी करदाता है।

(ii) 6 वर्षीय सेविंग्स सर्टिफिकेट के षष्ठम, सप्तम एवं अष्टम निर्गमन पर देय ब्याज।

(iii) ऐसी सहकारी समिति (भूमिबन्धक सहकारी बैंक तथा भूमि विकास सहकारी बैंक सहित) एवं किसी संस्था या सत्ता या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित किए गए ऋण-पत्रों पर देय ब्याज जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में इस आशय की घोषणा कर दी हो।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के कुछ बॉण्ड्स जिनके ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटे जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है, निम्नलिखित हैं—

(i) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 14% बॉण्ड्स;
(ii) नैवेलि लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेलि, तमिलनाडु के 14% बॉण्ड्स एवं 13% बॉण्ड्स;
(iii) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली के 14% बॉण्ड्स एवं 13% बॉण्ड्स,
(iv) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि., बंगलोर के 14% बॉण्ड्स एवं 13% बॉण्ड्स;
(v) हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि., बम्बई के 12.5% एवं 13% बॉण्ड्स की अनेक श्रृंखलाएँ;

(vi) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली के 14% एवं 13% बॉण्ड्स;

(vii) महानगर टेलीफोन निगम लि. नई दिल्ली के 14% बॉण्ड्स एवं 13% बॉण्ड्स;

(viii) हाऊसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., (HUDCO) के 13% बॉण्ड्स;

(ix) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) के 6% से 11.5% बॉण्ड्स (8 से 58 तक की श्रृंखला)

(x) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लि. के (ICICI) 6.25% से 11.5% बॉण्ड्स की अनेक श्रृंखला।

(xi) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (IFCI) के 6% से 11.5% बॉण्ड्स की अनेक श्रृंखला।

टिप्पणी—उपर्युक्त बॉण्ड्स के अलावा अनेक ऐसे बॉण्ड्स हैं जिनके सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर न काटने की अधिसूचना जारी की गई है।

(iv) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गई अन्य प्रतिभूतियों पर देय ब्याज, बशर्ते ये प्रतिभूतियाँ भारत में निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति (Individuals) के पास हों तथा उसने ब्याज चुकाने वाले अधिकारी को निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में दी हो, कि—

(a) उस पर आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत पहले कभी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ है।

(b) जिस गत वर्ष में ब्याज देय है, उस गत वर्ष की उसकी कुल आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक नहीं होगी।

(c) सम्बन्धित गत वर्ष में किसी भी समय उसके पास 2,500 रु. से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ नहीं थीं।

(v) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा ऐसे ऋण-पत्रों पर देय ब्याज जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय पर सूचित हों बशर्ते कि ब्याज का भुगतान भारत में निवासी व्यष्टि (Individuals) को देय हो। इस सम्बन्ध में निम्नांकित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—

(a) कम्पनी द्वारा ब्याज का भुगतान पाने वाले के खाते में जमा (Account Payee) चैक द्वारा किया जाता है।

(b) वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति को किया गया अथवा किया जाने वाला ब्याज कुल मिलाकर 2,500 रु. से अधिक नहीं है।

ब्याज की गणना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बातें—

(i) प्राप्य होने के आधार पर कर लगाना—प्रतिभूतियों के ब्याज पर प्राप्य होने के आधार पर ही कर लगाया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति पर ब्याज की तिथि निश्चित होती है। उस तिथि को जो व्यक्ति इनका स्वामी होता है, उसी को ब्याज उस तिथि को ही प्राप्य समझा जाता है और कर-योग्य होता है, यद्यपि यह ब्याज प्राप्त बाद में होता है। परन्तु एक बार किसी ब्याज की राशि पर प्राप्य होने के आधार पर कर लगा दिया जाता है तो प्राप्त होने पर दुबारा कर नहीं लगाया जायेगा।

(ii) **अंकित मूल्य पर ही ब्याज की गणना**—प्रत्येक प्रतिभूति पर उसका मूल्य अंकित होता है। कम्पनी इन अंकित मूल्यों पर ही ब्याज चुकाती है। अतः ब्याज की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर ही की जाती है, चाहे भले ही किसी व्यक्ति के लिए इसकी लागत अंकित मूल्य से कम या अधिक क्यों न हो।

(iii) **शुद्ध ब्याज की रकम को सकल बनाना**—यदि ब्याज की राशि शुद्ध हो तथा सकल बनाना आवश्यक हो तो इसे सकल बना लेना चाहिये।

(iv) इस शीर्षक में क्रय-विक्रय के लाभ को सम्मिलित नहीं करना चाहिये।

(v) प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए बैंक को दिया गया कमीशन इस शीर्षक की आय में से नहीं घटाया जाना चाहिये।

(vi) पूर्णतया कर-मुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज के संग्रह के खर्चे कर-योग्य ब्याज में नहीं घटाने चाहिए।

(vii) ब्याज संग्रह के लिए बैंक को दी गई कमीशन की राशि की गणना करने के लिए बैंक द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करनी पड़ती है। इसके लिए सकल ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर की गई कटौती यदि कोई हो तो उसे घटा देना चाहिए।

प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ब्याज—धारा-194 A के अनुसार कोई भी व्यक्ति [एक व्यष्टि (Individual) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा] किसी निवासी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो वह ऐसा ब्याज पाने वाले के खाते में जमा कराने से पूर्व अथवा नकदी में अथवा चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने की दशा में भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर ले। परन्तु वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति को दी गई अथवा उसके खाते में जमा की गई अथवा वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली अथवा दी जाने वाली रकम 2,500 रु. से अधिक नहीं हो तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। परन्तु बैंकिंग नियन्त्रण अधिनियम 1949 लागू होने वाली बैंक अथवा लेन देन का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति अथवा रहने के मकानों के निर्माण अथवा क्रय करने के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में संलग्न भारत में निर्मित एवं पंजीकृत सार्वजनिक कम्पनी के पास अवधि जमाओं में की गई जमा के सम्बन्ध में जमा किया गया अथवा भुगतान किया गया ब्याज 10,000 रु. से अधिक नहीं है तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। बैंक अथवा सहकारी समिति अथवा सार्वजनिक कम्पनी की प्रत्येक शाखा के लिये 10,000 रु. की राशी की गणना अलग अलग की जायेगी।

उपर्युक्त स्थिति के अलावा निम्न दशाओं में भी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी—

(i) यदि ब्याज किसी बैंक, बैंकिंग का काम करने वाली सहकारी समिति, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, बीमा सम्बन्धी व्यापार करने वाली कोई कम्पनी अथवा सहकारी समिति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी अन्य संस्था या संघ को दिया जाता है।

(ii) एक सहकारी समिति द्वारा दूसरी सहकारी समिति के खाते में अथवा सदस्य के खाते में जमा की गई रकम अथवा उसे भुगतान की गई ब्याज की रकम।

(iii) किसी बैंक अथवा बैंक का काम करने वाली सहकारी समिति में जमा की गई (30-6-95 के बाद अवधि जमाओं में जमा की गई राशि को छोड़कर) रकम पर चुकाये अथवा जमा किये गये ब्याज पर।

ब्याज की आय को सकल करना—करदाता की कुल आय में ब्याज की वह रकम जोड़ी जाती है जिसमें से कर न घटाया गया हो। अर्थात् यदि कर काटने के बाद वास्तव में प्राप्त राशि दी गई हो तो उसमें काटे गये कर की राशि को सम्मिलित किया जाता है तथा दोनों राशियों के योग को करदाता की कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। उद्‌गम स्थान पर काटा गया कर करदाता के द्वारा चुकाया हुआ कर माना जाता है एवं उसको करदाता के द्वारा चुकाये जाने वाले कुल कर की रकम में से कम कर दिया जाता है तथा अपने कर-निर्धारण के समय वह शेष राशि ही कर के रूप में चुकाता है। 1996-97 के वित्त वर्ष में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती गैर-कम्पनी करदाताओं को मिलने वाले ब्याज पर 2,500 रु. से अधिक की रकम पर 10% की दर से की गई थी, अतः शुद्ध ब्याज की राशि को सकल बनाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जायेगा—

$$\text{सकल अथवा कुल ब्याज} = \text{प्राप्त अथवा शुद्ध ब्याज} \times \frac{100}{90}$$

ऐसी स्थिति में प्राप्त ब्याज की राशि 2,250 रु. अथवा कम हो तो उसे सकल नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि ऐसी स्थिति में सकल ब्याज 2,500 रु.अथवा कम होने के कारण सम्पूर्ण ब्याज करदाता को प्राप्त हो जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2,250 रु. से अधिक हो, परन्तु 2,500 रु. से अधिक नहीं हो तो ऐसा ब्याज शुद्ध भी हो सकता है अथवा सकल भी हो सकता है। स्पष्ट सूचना के अभाव में हम इसे शुद्ध अथवा सकल जैसा भी चाहें, मान सकते हैं।

स्पष्टीकरण—अवधि जमा से आशय ऐसी जमाओं (आवर्तक जमाओं को छोड़कर) से है जिनका पुनर्भुगतान एक निश्चित अवधि के बीतने पर किया जाता है।

बैंक के अवधि जमा पर ब्याज का कर योग्य होना—यदि बैंक में अवधि जमा खाते में जमा कराई गई राशि उसी गत वर्ष में परिपक्व हो जाती है तो ब्याज उसी गत वर्ष में कर योग्य हो जायेगा। परन्तु यदि जमा की अवधि लम्बी होती है तो ब्याज अक्सर अवधि बीतने पर प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में करदाता के पास विकल्प होता है कि यदि वह चाहे तो परिपक्व होने पर सम्पूर्ण ब्याज की राशि को प्राप्त होने वाले गत वर्ष की आय में सम्मिलित कर सकता है अथवा यदि वह चाहे तो प्रत्येक वर्ष के उपार्जित ब्याज पर अलग-अलग वर्षों में कर दे सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक से प्रत्येक वर्ष उपार्जित ब्याज की राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

उदाहरण के लिये 1 जुलाई, 1995 को 50,000 रु. किसी बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिये जमा कराये। ब्याज दर 13% चक्रवृद्धि है जिसकी गणना छमाही आधार पर की जाती है।

1 जनवरी, 1996 को अर्जित ब्याज = 3,250 रु.

1 जुलाई, 1996 को अर्जित ब्याज = 3,461.25 रु.

1 जनवरी, 1997 को अर्जित ब्याज = 3,686.23 रु.

इस प्रकार गत वर्ष 1996-97 की आय में 7,147 रु. का ब्याज सम्मिलित किया जायेगा।

लाटरी एवं वर्ग पहेली से प्राप्त आय पर कर की कटौती—धारा-194 B के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को लाटरी या वर्ग पहेली में जीती गई आय चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो उसे चाहिये कि इस प्रकार की आय का भुगतान करने से पूर्व आय में से निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ले।

ऐसी आय में उद्गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं—

(1) यह कटौती 5,000 रु. से अधिक के भुगतान पर लागू होती है। यदि भुगतान की सकल राशि 5,000 रु. से अधिक हो तो उसमें से पहले 5,000 रु. घटा दिये जायेंगे तथा शेष राशि के सम्बन्ध में ही निर्धारित दर से कटौती की जायेगी।

(2) यदि भुगतान किश्तों में किया जाता है तो प्रत्येक किश्त के भुगतान के समय यह कटौती की जायेगी।

(3) यह कटौती केवल नकद या आंशिक रूप से वस्तुओं में किये गये भुगतानों पर लागू होगी।

(4) यदि भुगतान केवल वस्तुओं में किया जाता है तो यह कटौती नहीं की जायेगी।

ऐसी प्राप्तियों को सकल करने के नियम—

वित्तीय वर्ष 1996-97 में उद्गम स्थान पर कर की कटौती 40% की दर से की गई थी, अतः यदि प्राप्त राशि (Net Amount) दी गई है तो सकल करने का नियम निम्नलिखित है—

सकल राशि = कर-योग्य राशि × $\frac{100}{60}$ या $\frac{5}{3}$

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—माना कोई करदाता 1,00,000 रु. का लाटरी का इनाम जीतता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती की राशि ज्ञात करने के लिए 1,00,000 रु. में से 5,000 रु. घटा दिये जायेंगे। शेष राशि 95,000 रु. पर 40% की दर से 38,000 रु. की कटौती उद्गम स्थान पर की जायेगी तथा 1,00,000 रु. – 38,000 रु. = 62,000 रु. का करदाता को नकद भुगतान प्राप्त होगा।

इसी प्रकार यदि यह दिया जाये कि किसी करदाता को 62,000 रु. लाटरी के इनाम के रूप में प्राप्त हुए हैं, तब इनाम की सकल राशि ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 62,000 रु. में से 5,000 रु. की राशि घटा दी जायेगी। शेष राशि 57,000 को $\frac{5}{3}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा। इस प्रकार 95,000 रु. की राशि आयेगी। इसमें 5,000 रु. की वह राशि जोड़ दी जायेगी जिस पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया तथा जो सम्पूर्ण राशि ही करदाता को दे दी गई। इस प्रकार 95,000 + 5,000 = 1,00,000 रु. की राशि इनाम की सकल राशि होगी तथा इसमें से 5,000 रु. की कर-मुक्त राशि घटाकर शेष 95,000 रु. की राशि को अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय में सम्मिलित किया जायेगा।

यदि करदाता को दो या अधिक इनामें गत वर्ष के दौरान प्राप्त होती हैं तो उपरोक्त विधि प्रत्येक इनाम पर अलग-अलग लागू होगी तथा इसके बाद सकल राशियों को जोड़ दिया जायेगा। परन्तु 5,000 रु. की कर-मुक्ति की छूट जोड़ में से एक साथ ही दी जायेगी।

यदि इनाम की राशि में से कोई भाग कमीशन के रूप में लाटरी विक्रेता को दिया जाता है तो सकल इनाम में से इसे घटा दिया जाता है क्योंकि इस राशि को प्राप्त करने का अधिकार इनाम जीतने वाले को नहीं होता है। अतः इनाम की राशि में से कमीशन की रकम घटाकर शेष रकम पर ही उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी—

उपरोक्त प्रक्रिया प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देशों पर आधारित है।

घुड़दौड़ की इनाम की आय पर कर की कटौती—धारा-194 BB के अनुसार कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति को घुड़दौड़ में जीती गई रकम चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो उसे चाहिए कि इस प्रकार की आय का भुगतान करने से पूर्व आय में से निर्धारित दरों से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करले। इस धारा के अन्तर्गत कटौती उसी दशा में की जाती है जबकि इनाम की राशि 2,500 रु. से अधिक हो। उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए अथवा शुद्ध राशि को सकल बनाने के लिए लाटरी की आय वाली प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी।

वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान उद्गम स्थान पर कर की कटौती 40% की दर से की गई थी, अतः यदि प्राप्त राशि या शुद्ध राशि दी गई है तो सकल करने का नियम निम्नलिखित होगा—

$$\text{सकल राशि} = \text{कर-योग्य प्राप्त राशि} \times \frac{100}{60} \text{ या } \frac{5}{3}$$

घुड़दौड़ के सम्बन्ध में कटौती वही व्यक्ति कर सकेगा, जिसको केन्द्रीय सरकार ने घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड करवाने का लाइसेन्स प्रदान कर दिया हो अथवा घुड़दौड़ के मैदान पर बाजी लगाने के लेन-देनों की व्यवस्था करने का लाइसेन्स प्रदान कर दिया हो।

टिप्पणी—(1) यदि इनाम की सकल राशि दी हुई हो तो लाटरी, वर्ग पहेली एवं घुड़दौड़ की इनाम की राशि को सकल नहीं किया जाता है।

(2) कर-योग्य प्राप्त राशि से अभिप्राय प्राप्त राशि में से 2,500 रु. की राशि घटाने के बाद शेष बची हुई राशि से है। इसे पिछले पृष्ठ पर दिये गये उदाहरण में समझाया गया है।

धारा-80 CCA (a) में वर्णित भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती—धारा-194 EE के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा-80 CCA (a) में संदर्भित कोई भुगतान करता है तो उसका दायित्व है कि ऐसा भुगतान करते समय उस भुगतान में से 20% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करले। परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान की जाने वाली राशि 2,500 रु. से कम है तो ऐसी कटौती नहीं की जायेगी। इस प्रकार यदि इस धारा में वर्णित कोई भुगतान करदाता के उत्तराधिकारी को किया जाता है तो उसमें से भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

टिप्पणी—धारा-80 CCA (a) में वर्णित भुगतान से अभिप्राय राष्ट्रीय बचत योजना खाते से अथवा जीवन बीमा निगम की 'जीवन धारा' एवं 'जीवन अक्षय' वार्षिकी योजना के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान से है।

ऐसी प्राप्तियों को सकल बनाने का सूत्र—

वित्तीय वर्ष 1996-97 में किये गये भुगतानों में से यदि भुगतान की राशि 2,500 रु. या अधिक हो तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती 20% की दर से की गई थी, अतः यदि प्राप्त राशि दी गई हो तो निम्न सूत्र द्वारा सकल बनाया जायेगा—

सकल राशि = प्राप्त राशि $\times \frac{100}{80}$ या प्राप्त राशि $\times \frac{5}{4}$

लाटरी के विक्रय के कमीशन के भुगतान में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती— धारा-194G के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को कमीशन, पारिश्रमिक, इनाम या अन्य किसी नाम से भुगतान करता है जो लॉटरी के टिकटों का संग्रह, वितरण, क्रय एवं विक्रय करता है तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह ऐसा भुगतान पाने वाले के खाते में जमा करने से पूर्व अथवा नगद भुगतान करने से पूर्व अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट जारी करने से पूर्व *(इनमें से जो भी सबसे पहले हो) भुगतान की जाने वाली राशि* के 10% के बराबर राशि उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के रूप में काट लें।

स्पष्टीकरण—इस धारा के उद्देश्य से ऐसी आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति यदि ऐसी आय को उचन्त खाते (Suspense Account) में या अन्य किसी नाम से जमा कर देता है *तो इस प्रकार जमा करने को भुगतान पाने वाले के खाते में जमा मान लिया जायेगा तथा इस* धारा की व्यवस्थायें लागू हो जायेंगी।

ऐसी प्राप्तियों को सकल बनाने का सूत्र—

वित्तीय वर्ष 1996-97 में किये जाने वाले प्रत्येक भुगतान पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती 10% की दर से की गई थी, अतः यदि प्राप्त राशि दी गई हो तो निम्नलिखित सूत्र द्वारा सकल बनाया जायेगा—

सकल राशि = प्राप्त राशि $\times \frac{100}{90}$ या प्राप्त राशि $\times \frac{10}{9}$

यदि निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति की कुल आय को देखते हुए इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि इसके लिए नीची दर से कटौती करना या कटौती नहीं करना उचित रहेगा तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसको एक प्रमाण-पत्र जारी कर देगा और जब तक वह प्रमाण-पत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जायेगा, भुगतान करने वाला व्यक्ति उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करेगा अथवा जैसी भी स्थिति होगी नीची दर से कटौती करेगा।

किराये के भुगतान में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती—

गत वर्ष 1996-97 के दौरान एक व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने किराये के रूप में 1,20,000 रु. से अधिक राशि का भुगतान नकद किया हो *अथवा खाते में जमा किया हो तो उसका ऐसे भुगतान में से 15% की दर से कटौती करने* का दायित्व था। *यदि ऐसे किराये की शुद्ध राशि दी हुई हो तो उसे 100/85 से गुणा करके* सकल बनाया जायेगा।

यूनिट्स की आय के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती—

यदि कोई व्यक्ति धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष अथवा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की यूनिट की आय का किसी निवासी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है तो उसका यह दायित्व है कि वह पाने वाले के खाते में ऐसी रकम जमा करने से पूर्व अथवा उसको नकद या चैक से भुगतान करने से पूर्व निम्न दरों से उदगम स्थान पर कर की कटौती करे—

(अ) कम्पनी को भुगतान करने पर 20%

(ब) अन्य करदाताओं को भुगतान करने पर 15%

निम्न दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी—

(i) यदि किसी एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के खाते में जमा की गई अथवा उसको भुगतान की गई राशि 10,000 रु. से अधिक नहीं है। पारस्परिक कोष अथवा यूनिट ट्रस्ट की प्रत्येक शाखा एवं यूनिट निर्गमन की प्रत्येक योजना के लिये 10,000 रु. की राशि की गणना अलग-अलग की जायेगी।

(ii) 1 जुलाई, 1995 के पूर्व जमा की गई अथवा भुगतान की गई राशियाँ।

(iii) पारस्परिक कोष अथवा यूनिट ट्रस्ट को पहले से निर्गमित की गई ऐसी यूनिटों की आय जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिये सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाये।

(iv) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की किसी योजना के तहत किसी कोष या संस्था को निर्गमित की गई यूनिटों के सम्बन्ध में जमा की गई अथवा भुगतान की गई आय बशर्ते पाने वाली की कुल आय में धारा 11, एवं 12 अथवा धारा 10 बी उप-धारा (22), (22A), (23) या (23AA) के तहत ऐसी आय को शामिल नहीं किया जाता है।

अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-मुक्त आयें—

इस शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाने वाली आयों में से निम्न आयें कर-मुक्त हैं—

1. आकस्मिक आय 5,000 रु. (परन्तु घुड़-दौड़ या अन्य दौड़ में जीती गई इनाम 2,500 रु) तक कर-मुक्त है, शेष कर योग्य है।

2. सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा राशि पर जमा ब्याज अथवा प्राप्त ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है। कोई भी करदाता एक वर्ष में 100 से 60,000 रु. तक इस भविष्य निधि में जमा करा सकता है। जमा राशि 15 वर्ष बाद ब्याज सहित लौटाई जाती है। ब्याज की सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होती है। समय-समय पर नियमानुसार खाते से आहरित रकम भी कर मुक्त है।

3. डाकघर के बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज।

4. डाकघर के संचयी सावधि जमा खाते (Cumulative Time Deposit Account) में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज एवं बोनस। Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 के अन्तर्गत् 10 एवं 15 वर्षीय खातों में डाकघर जमा स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान समय में केवल 15 वर्षीय खातों मे जमा स्वीकार की जाती है।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित 15 वर्षीय वार्षिकी सर्टिफिकेट्स के मासिक भुगतान की राशियाँ पूर्णतया कर-मुक्त होती हैं।

6. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई तथा अधिसूचित योजनाओं के अन्तर्गत स्थायी जमाओं पर ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है। केन्द्रीय सरकार ने दो योजनायें घोषित की हैं—

(अ) प्रथम योजना के अन्तर्गत जमा राशि स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों द्वारा स्वीकार की जाती है जिसका ब्याज कर-मुक्त होता है। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। परन्तु बैंक अपनी स्वयं की स्थायी जमा भी स्वीकार करती है उनका ब्याज कर-योग्य होता है। अतः बैंकों के पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत 5 वर्षीय स्थाई जमाओं का ब्याज ही कर-मुक्त होता है।

(ब) दूसरी योजना के अन्तर्गत जमा राशि डाकघर द्वारा स्वीकार की जाती है। इसकी अवधि भी 5 वर्ष है। डाकघर केवल इसी योजना के अन्तर्गत 5 वर्षीय जमा स्वीकार करता है। अतः डाकघर में स्थायी जमा का ब्याज सदैव कर-मुक्त होता है।

स्पष्टीकरण—डाकघर आवर्ती जमा (Recurring Deposit) एवं डाकघर सावधि जमा (Time Deposit) का ब्याज कर-मुक्त नहीं होता है।

7. शिक्षा के व्ययों की पूर्ति हेतु स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ कर-मुक्त होती हैं।

8. (i) संसद, राज्य विधानसभा एवं इनकी किसी समिति के सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता कर-मुक्त होता है।

(ii) Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1985 के तहत संसद के किसी भी सदस्य को प्राप्त कोई भत्ता बिना किसी सीमा के एवं सरकारी अधिघोषणा के कर-मुक्त है।

(iii) किसी राज्य विधानसभा एवं इनकी किसी समिति के सदस्यों को प्राप्त अन्य भत्ते जिनकी घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी गजट में कर दी जाये अधिकतम 600 रु. प्रतिमाह तक कर-मुक्त होंगे।

9. गरीब, कमजोर एवं बीमार व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने सम्बन्धी सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर दिया गया पुरस्कार कर-मुक्त होता है।

10. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया वीरता पुरस्कार चाहे भले ही नकद दिया हो अथवा वस्तु के रूप में।

Illustration 1.

Ramesh had the following investments during the year *1996-97*:

1996-97 वर्ष के दौरान रमेश के पास निम्नलिखित विनियोग थे :

(i) Rs. *27,000 8% Municipal Debentures*;

(ii) Rs. 10,000 7% Port Trust Bonds;

(iii) Rs. *15,000 10% Govt. Paper*;

(iv) Rs. 36,000 10% Tax free Debentures of Cloth Mill Company;

(v) Rs. *7,500 10% Debentures of Jaipur Spinning Mills*;

(vi) Rs. 10,000 12% Debentures of a Co-operative Society;

(vii) Rs. *20,000 15% Preference Shares of a Company.*

Interest on above investment is payable on 1st June and 1st Dec. every year.

On 1st September, 1996 he bought Rs. 20,000 8% U.P. Govt. loan at Rs. 20,600 the interest on which is payable on 30th June and 31st December. For this purpose he took a loan from his bankers of Rs. 12,000 @ 8%. The Bank also charged 2% commission on realisation of interest and dividends and 1% commission on purchase of securities. Debentures of Cloth Mill Co. are listed at Bombay stock exchange while debentures of Jaipur Spinning Mills are not listed at any Stock exchange.

Find out the taxable income from other sources assuming that interest and dividend in each case is paid by account payee Cheque only.

उपरोक्त विनियोगों पर ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष 1 जून और 1 दिसम्बर को किया जाता है।

1 सितम्बर, 1996 को उसने 20,000 रु. का 8% वाला यू. पी. सरकार का ऋण 20,600 रु. में खरीदा, जिस पर ब्याज 30 जून और 31 दिसम्बर को देय है। इस उद्देश्य के लिए उसने अपनी बैंक से 12,000 रु. का ऋण 8% की दर से लिया। बैंक ने 2% कमीशन ब्याज एवं लाभांश वसूल करने के लिए तथा 1% कमीशन प्रतिभूतियाँ क्रय करने के लिए वसूल किया। कपड़ा मिल कम्पनी के ऋण-पत्र बम्बई स्कन्ध विनिमय पर सूचित हैं जबकि जयपुर स्पिनिंग मिल के ऋण-पत्र किसी भी स्कन्ध विनिमय पर सूचित नहीं है।

अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि ब्याज एवं लाभांश का भुगतान प्रत्येक दशा में खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा किया जाता है।

Solution :

Computation of taxable income from Other Sources of Mr. Ramesh for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
Interest on Securities :			
(i) 8% Municipal Debentures		2,160	
(ii) 7% Port Trust Bonds		700	
(iii) 10% Govt. Paper		1,500	
(iv) 10% Tax free Debentures of Cloth Mill Company		4,000	
(v) 10% Debentures of Jaipur Spinning Mills		750	
(vi) 8% U.P. Govt. Loan (only for $\frac{1}{2}$ year)		800	
		9,910	
Less : (i) Collection charges	177		
(ii) Interest on loan of Rs. 12,000 @ 8% for 7 months	560	737	9,173
Income from Dividends :			
Dividends on Preference shares		3,000	
Less : Collection charges		48	2,952

Income from Other Interest :

Interest on Deb. of Co-operative Society	1,200	
Less : Collection Charges	24	1,176
Taxable income from Other Sources		13,301

टिप्पणी—(i) प्रतिभूतियों के खरीदने पर दिया गया कमीशन कटौती योग्य खर्चा नहीं है।

(ii) ब्याज की गणना प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों पर ही की जाती है।

(iii) कपड़ा मिल कम्पनी के ऋण-पत्र कर मुक्त होने के कारण एवं सूचित होने के कारण इनके ब्याज को $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(iv) बैंक को क्लोथ मिल कम्पनी से 3,600 रु., जयपुर स्पीनिंग मिल्स से 750 $\times \frac{80}{100}$ = 600 रु. एवं अन्य प्रतिभूतियों के ब्याज से 5,160 $\times \frac{90}{100}$ = 4,644 रु. प्राप्त होंगे। प्रतिभूतियों का कुल ब्याज बैंक को 8,844 रु. प्राप्त होगा। इस पर 2% की दर से कमीशन की राशि 177 रु. घटाई गई है।

(v) सहकारी समिति के ऋण-पत्रों के ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जाता है। अतः सकल ब्याज ही बैंक को प्राप्त होगा।

(vi) पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त राशि 3,000 $\times \frac{80}{100}$ = 2,400 रु. है। इसी पर बैंक कमीशन की गणना की गई है।

(vii) जयपुर स्पिनिंग मिल के ऋणपत्र असूचित होने के कारण इनका ब्याज 2,500 रु. से कम होने पर भी उद्गम स्थान पर कर काटा गया है।

Illustration 2.

During the financial year 1996-97 Mr. Manohar received the following amounts as interest :

वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान श्री मनोहर ने ब्याज के रूप में अग्रलिखित राशियाँ प्राप्त कीं—

(i) Rs. 6,300 on Raj. Govt. Loan, 1995.
(ii) Rs. 4,500 on Debentures of Jodhpur Municipality.
(iii) Rs. 12,600 on Tax-free debentures of Life Insurance Corporation.
(iv) Rs. 4,050 on Tax-free Debentures of Century Mills Ltd.
(v) Rs. 800 on Debentures of Udaipur Iron Works Ltd.

The tax-free debentures of Century Mills Ltd. are listed at Bombay Stock Exchange while the debentures of Udaipur Iron Works Ltd. are not *listed at any Stock Exchange in India.*

Compute the taxable income from other sources of Shri Manohar for the *Assessment Year 1997-98 assuming* that his bank has charged 2% Commission on the actual amount of Interest collected.

सेन्चूरी मिल के कर-मुक्त ऋण-पत्र बम्बई स्कन्ध विनिमय पर सूचित हैं जबकि उदयपुर आयरन वर्क्स के ऋण-पत्र भारत में किसी भी स्कन्ध विनिमय पर सूचित नहीं हैं।

[illegible]-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री मनोहर की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर [illegible]य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि बैंक संग्रह की गई राशि पर 2% कमीशन वसू[illegible] करती है। (Sukhadia U. B. Com. 1996 Supp. Modified)

Solution :

Computation of Taxable Income from Other Sources for the Assessment Year 1997-98

Interest on Securities :

		Rs.
(i)	On Rajasthan Govt. Loan, 1995, (grossed up)	7,000
(ii)	On Debentures of Jodhpur Municipality (Grossed up)	5,000
(iii)	On Tax-free Debentures of Life Insurance Corporation (grossed up)	14,000
(iv)	On Tax-free Debentures of Century Mills Ltd. (Grossed up)	4,500
(v)	On Debentures of Udaipur Iron Works Ltd. (Grossed up)	1,000
		31,500
Less :	Collection charges @ 2% on 28,250	565
	Taxable Income from Other Sources	30,935

टिप्पणी—(1) चूँकि प्राप्त ब्याज दिया हुआ है, अतः समस्त ब्याज को सकल बनाया गया है। उदयपुर आयरन वर्क्स का ब्याज यद्यपि 2,500 रु. से कम है परन्तु ये ऋणपत्र असूचित होने के कारण इनके ब्याज को सकल बनाया गया है।

(2) जोधपुर नगरपालिका, जीवन बीमा निगम तथा सेन्चुरी मिल के ऋण पत्रों के ब्याज को तथा राजस्थान सरकार के ऋण के ब्याज को $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है जबकि उदयपुर आयरन वर्क्स के ऋण-पत्रों के ब्याज को $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(3) बैंक कमीशन सकल ब्याज में उद्गम स्थान पर कर की कटौती घटा कर ज्ञात किया गया है। यह प्रश्न में दिये गये कुल प्राप्त राशि के बराबर है।

Illustration 3.

Mr. Jatan held the following securities on 1st April, 1996 :

(i) Rs. 40,000 10% Government of India Loan, 2014,

(ii) Rs. 30,000 9% Industrial Finance Corporation Bonds, 1999,

(iii) Rs. 25,000 14% Bonds of Indian Telephone Industries Ltd. (A Series),

(iv) Rs. 50,000 12% Debentures of Godavari Mills Ltd. (listed),

(v) Rs. 40,000 10% (Tax-free) Debentures of Madras Motors Ltd. (listed),

(vi) Rs. 20,000 15% Debentures of Caveri Traders Ltd.,

(vii) Rs. 25,000 10% Relief Bonds,

(viii) Rs. 10,000 National Savings Certificates (VIII Issue) purchased on 17th January, 1994. On every Rs. 100 *of such certificates, the* interest is deemed to accrue amounting to Rs. 13.90 in the second year, Rs. 15.60 in the third year and Rs. 17.50 in the fourth year.

On 30th June, 1996 he sold the debentures of Godavari Mills Ltd. for Rs. 52,000 cum-interest and purchased Rs. 60,000 8% U.P. Government Loan for Rs. 59,000 Ex-interest.

The bank charges a commission of 2% on the amount of interest collected.

Assuming that the interest is payable on 1st March and 1st September each year on all the securities, compute the income from other sources of the *previous year ending on 31st March, 1997.*

श्री जतन के पास 1 अप्रैल, 1996 को निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ थी :

(i) 40,000 रु. 10% भारत सरकार ऋण, 2014,

(ii) *30,000 रु. 9% औद्योगिक वित्त निगम बॉण्ड्स 1999,*

(iii) 25,000 रु. 14% इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बॉण्ड्स (ए सिरीज),

(iv) 50,000 रु. गोदावरी मिल्स लि. के 12% ऋण-पत्र (सूचीयत),

(v) 40,000 रु. मद्रास मोटर्स लिमिटेड के 10% कर-मुक्त ऋण-पत्र (सूचीयत),

(vi) 20,000 रु. के कावेरी ट्रेडर्स लिमिटेड के 15% ऋण-पत्र,

(vii) 25,000 रु. 10% राहत बॉण्ड्स,

(viii) 10,000 रु. राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गमन) जो 17 जनवरी, 1994 को क्रय किये गये थे। *100 रु. के ऐसे बचत पत्र पर द्वितीय वर्ष में 13.90 रु., तृतीय वर्ष* में 15.60 रु. और चतुर्थ वर्ष में 17.50 रु. प्राप्य माने जाते हैं।

उन्होंने 30 जून, 1996 को गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋण-पत्र ब्याज सहित 52,000 रु. में बेच दिये और 60,000 रु. का 8% उत्तर-प्रदेश सरकार ऋण 59,000 रु. में ब्याज रहित खरीद लिया।

बैंक ने ब्याज की एकत्रित राशि पर 2% संग्रह व्यय लगाये।

यह मानते हुये कि सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रति वर्ष 1 मार्च और 1 सितम्बर को देय होता है, 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। (M.D.U. B.Com. 1996)

Solution :

Computation of Income from Other Sources of Shri Jatan for the Assessment Year 1997-98

	Rs.	Rs.
Interest on Securities :		
10% Government of India Loan		4,000
9% Industrial Finance Corporation Bonds		2,700
14% Indian Telephone Industries Bonds		3,500
10% (tax free) Debentures of Madras Motors Ltd. (grossed up)		*4,444*

15% Debentures of Caveri Traders Ltd.	3,000
National Savings Certificate (VIII issue)	1,560
8% U.P. Government Loan (6 months)	2,400
Gross interest	21,604
Less : Collection charges 2% of (Rs. 3,600 + 2,700 + 3,500 + 4,000 + 2,400 + 2,160)	367
Income from other sources	21,237

टिप्पणी—(1) औद्योगिक वित्त निगम के 9% बॉण्ड्स 1999 एवं इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बॉण्ड्स (ए सिरीज) उद्‌गम स्थान पर कटौती नहीं किये जाने के लिये अधिसूचित हैं। अत: संग्रह व्यय की गणना करते समय इनकी सम्पूर्ण राशि पर ही बैंक कमीशन की गणना की गई है।

(2) राहत बॉण्ड्स का ब्याज कर मुक्त है, अत: इसके ब्याज को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) गोदावरी मिल्स लि. के ऋण-पत्र जून में ब्याज सहित बेच दिये जाने के कारण गत वर्ष में इन ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त नहीं होगा। जून महीने में ब्याज रहित यू.पी. सरकार का ऋण खरीदने के कारण इन पर सितम्बर का ब्याज प्राप्त नहीं होगा, परन्तु मार्च, 1997 का ब्याज प्राप्त होगा। अत: 6 माह का ब्याज सम्मिलित किया गया है।

(4) राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम् निर्गमन) पर ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है—

$10{,}000 \times \frac{15.60}{100} = 1{,}560$ रु.।

ये बचत पत्र 17 जनवरी, 1994 को खरीदे गये थे। इन पर तीसरे वर्ष का ब्याज 100 रु. पर 15.60 रु. माना जाता है।

Illustration 4.

Shri Jag Mohan had the following securities with him on 1st April, 1996;

(i) Rs. 50,000 8% Rajasthan Government Loan, (Interest payable on 1st July and 1st January)

(ii) Rs. 40,000 10% Debentures of Rampur Sugar Mills Ltd. (unlisted) (Interest payable on 1st June and 1st December)

(iii) Rs. 24,000 15% Tax free Debentures of Gwalior Rayons. (listed) (Interest payable on 1st March & 1st September)

(iv) Rs. 30,000 12% Tax-free Cochin Port Trust Bonds. (Interest payable on 1st March and 1st September)

(v) Rs. 16,000 National Savings Certificate (VIII issue) which were purchased on 10-7-1990

(vi) Rs. 20,000 14% Bonds of National Hydroelectric Power Corporation Ltd. (Interest payable on 1st January and 1st July)

(vii) Rs. 25,000 10% Relief Bonds,

(viii) Rs. 10,000 National Savings Certificates (VIII Issue) purchased on 17th January, 1994. On every Rs. 100 of such certificates, the interest is deemed to accrue amounting to Rs. 13.90 in the second year, Rs. 15.60 in the third year and Rs. 17.50 in the fourth year.

On 30th June, 1996 he sold the debentures of Godavari Mills Ltd. for Rs. 52,000 cum-interest and purchased Rs. 60,000 8% U.P. Government Loan for Rs. 59,000 Ex-interest.

The bank charges a commission of 2% on the amount of interest collected.

Assuming that the interest is payable on 1st March and 1st September each year on all the securities, compute the income from other sources of the previous year ending on 31st March, 1997.

श्री जतन के पास 1 अप्रैल, 1996 को निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ थी :

(i) 40,000 रु. 10% भारत सरकार ऋण, 2014,

(ii) 30,000 रु. 9% औद्योगिक वित्त निगम बॉण्ड्स 1999,

(iii) 25,000 रु. 14% इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बॉण्ड्स (ए सिरीज),

(iv) 50,000 रु. गोदावरी मिल्स लि. के 12% ऋण-पत्र (सूचीयत),

(v) 40,000 रु. मद्रास मोटर्स लिमिटेड के 10% कर-मुक्त ऋण-पत्र (सूचीयत),

(vi) 20,000 रु. के कावेरी ट्रेडर्स लिमिटेड के 15% ऋण-पत्र,

(vii) 25,000 रु. 10% राहत बॉण्ड्स,

(viii) 10,000 रु. राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गमन) जो 17 जनवरी, 1994 को क्रय किये गये थे। 100 रु. के ऐसे बचत पत्र पर द्वितीय वर्ष में 13.90 रु., तृतीय वर्ष में 15.60 रु. और चतुर्थ वर्ष में 17.50 रु. प्राप्य माने जाते हैं।

उन्होंने 30 जून, 1996 को गोदावरी मिल्स लिमिटेड के ऋण-पत्र ब्याज सहित 52,000 रु. में बेच दिये और 60,000 रु. का 8% उत्तर-प्रदेश सरकार ऋण 59,000 रु. में ब्याज रहित खरीद लिया।

बैंक ने ब्याज की एकत्रित राशि पर 2% संग्रह व्यय लगाये।

यह मानते हुये कि सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रति वर्ष 1 मार्च और 1 सितम्बर को देय होता है, 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। (M.D.U. B.Com. 1996)

Solution :

Computation of Income from Other Sources of Shri Jatan for the Assessment Year 1997-98

	Rs.	Rs.
Interest on Securities :		
10% Government of India Loan		4,000
9% Industrial Finance Corporation Bonds		2,700
14% Indian Telephone Industries Bonds		3,500
10% (tax free) Debentures of Madras Motors Ltd. (grossed up)		4,444

15% Debentures of Caveri Traders Ltd.		3,000
National Savings Certificate (VIII issue)		1,560
8% U.P. Government Loan (6 months)		2,400
	Gross interest	21,604
Less : Collection charges 2% of (Rs. 3,600 + 2,700 + 3,500 + 4,000 + 2,400 + 2,160)		367
	Income from other sources	21,237

टिप्पणी—(1) औद्योगिक वित्त निगम के 9% बॉण्ड्स 1999 एवं इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बॉण्ड्स (ए सिरीज) उद्‌गम स्थान पर कटौती नहीं किये जाने के लिये अधिसूचित हैं। अत: संग्रह व्यय की गणना करते समय इनकी सम्पूर्ण राशि पर ही बैंक कमीशन की गणना की गई है।

(2) राहत बॉण्ड्स का ब्याज कर मुक्त है, अतः इसके ब्याज को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(3) गोदावरी मिल्स लि. के ऋण-पत्र जून में ब्याज सहित बेच दिये जाने के कारण गत वर्ष में इन ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त नहीं होगा। जून महीने में ब्याज रहित यू.पी. सरकार का ऋण खरीदने के कारण इन पर सितम्बर का ब्याज प्राप्त नहीं होगा, परन्तु मार्च, 1997 का ब्याज प्राप्त होगा। अतः 6 माह का ब्याज सम्मिलित किया गया है।

(4) राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम् निर्गमन) पर ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है—

$10{,}000 \times \frac{15.60}{100} = 1{,}560$ रु.।

ये बचत पत्र 17 जनवरी, 1994 को खरीदे गये थे। इन पर तीसरे वर्ष का ब्याज 100 रु. पर 15.60 रु. माना जाता है।

Illustration 4.

Shri Jag Mohan had the following securities with him on 1st April, 1996;

(i) Rs. 50,000 8% Rajasthan Government Loan, (Interest payable on 1st July and 1st January)

(ii) Rs. 40,000 10% Debentures of Rampur Sugar Mills Ltd. (unlisted)
(Interest payable on 1st June and 1st December)

(iii) Rs 24,000 15% Tax free Debentures of Gwalior Rayons. (listed)
(Interest payable on 1st March & 1st September)

(iv) Rs. 30,000 12% Tax-free Cochin Port Trust Bonds.
(Interest payable on 1st March and 1st September)

(v) Rs. 16,000 National Savings Certificate (VIII issue) which were purchased on 10-7-1990

(vi) Rs. 20,000 14% Bonds of National Hydroelectric Power Corporation Ltd.
(Interest payable on 1st January and 1st July)

His transactions in investments during the previous year 1996-97 were as follows :

(i) 1st May, 1996 : Sold the Debentures of Rampur Sugar Mills Ltd. Ex-interest at a profit of Rs. 1,200.
(ii) 8th July, 1996 : Purchased Rs. 24,000 10% Debentures of Tata Chemicals Ltd. Ex-interest. The interest on these debentures is payable on 1st June & 1st December.
(iii) 10th September, 1996 : Sold Tax free Debentures of Gwalior Rayons cum-interest at a profit of Rs. 1,800.
(iv) 1st November, 1996 : Purchased Rs. 40,000 14% listed Debentures of Shreenath Minerals Ltd. cum-interest. The interest on these debentures is payable on 1st September & 1st March.
(v) 15th January, 1997 : Sold 50% Bonds of Cochin Port Trust Ex-interest at a profit of Rs. 2,000.

Other informations :

(i) All transactions of purchase and sales of securities were held through a broker who was paid brokerage @ 1% on purchase & sale.

(ii) All interest have been received through account payee cheques. The bank has credited the amount of the cheques after deducting bank charges @ $1\frac{1}{2}$%.

(iii) He took a loan of Rs. 16,000 from his father for investments in the Debentures of Shree Nath Minerals Ltd. on which interest is payable @ 16%

(iv) He received Rs. 32,240 on the maturity of National Savings Certificates VIII issue on 10-7-1996. Compound interest @ 12% p.a. at half [illegible]
[illegible]
[illegible]
the assessment year 1997-98.

श्री जगमोहन के पास 1 अप्रैल, 1996 को निम्न विनियोग थे:

(i) 50,000 रु. 8% राजस्थान सरकार ऋण (ब्याज 1 जनवरी व 1 जुलाई को देय)
(ii) 40,000 रु. 10% रामपुर सुगर मिल के ऋण-पत्र (असूचित)
(ब्याज 1 जून व 1 दिसम्बर को देय)
(iii) 24,000 रु. 15% ग्वालियर रेयन के कर मुक्त ऋण-पत्र (सूचित)
(ब्याज 1 मार्च व 1 सितम्बर को देय)
(iv) 30,000 रु. 12% कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के कर-मुक्त बॉण्ड्स,
(ब्याज 1 मार्च व 1 सितम्बर को देय)
(v) 16,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गम) जो 10-7-1990 को खरीदा गया था।
(vi) 20,000 रु. 14% राष्ट्रीय हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर निगम के बॉण्ड्स
(ब्याज 1 जनवरी व 1 जुलाई को देय)

गत वर्ष 1996-97 में उनके विनियोगों के क्रय-विक्रय अग्र प्रकार थे :—

(i) 1 मई, 1996 : रामपुर सुगर मिल के ऋण-पत्र 1,200 रु. के लाभ पर ब्याज-रहित बेच दिए।

(ii) 8 जुलाई, 1996 : टाटा केमिकल्स लि. के 24,000 रु. के 10% ऋण-पत्र ब्याज रहित क्रय किये। इन ऋण-पत्रों पर ब्याज 1 जून व 1 दिसम्बर को देय है।

(iii) 10 सितम्बर, 1996 : ग्वालियर रेयन के कर मुक्त ऋण-पत्रों को 1,800 रु. के लाभ पर ब्याज सहित बेच दिया।

(iv) 1 नवम्बर, 1996 : श्रीनाथ मिनरल्स के 40,000 रु. के 14% (सूचित) ऋण-पत्र ब्याज सहित क्रय किये। इन ऋण-पत्रों पर ब्याज 1 मार्च व 1 सितम्बर को देय है।

(v) 15 जनवरी, 1997 : कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के आधे कर मुक्त बॉण्ड्स 2,000 रु. के लाभ पर ब्याज रहित बेच दिए।

अन्य सूचनाएँ :

(i) प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के सभी लेन-देन एक दलाल के माध्यम से किये गये जिसे क्रय एवं विक्रय पर 1% दलाली का भुगतान किया गया।

(ii) सभी ब्याज राशियाँ खाते में जमा होने वाले चैक से प्राप्त की गई। बैंक ने चैकों की राशि में से $1\frac{1}{2}$% बैंक कमीशन घटाने के बाद जमा की है।

(iii) श्रीनाथ मिनरल्स लि. के ऋण-पत्रों को खरीदने के लिये उसने अपने पिता से 16,000 रु. का ऋण लिया जिस पर 16% का ब्याज देय है।

(iv) उन्हें 10-7-1996 को राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम की परिपक्वता पर 32,240 रु. प्राप्त हुए। इन सर्टीफिकेट्स पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज छमाही शेष पर उपार्जित माना जाता है जो पांचवे वर्ष के लिये प्रत्येक 100 रु. पर 19.70 रु. व छठवें वर्ष के लिये 22.40 रु. है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री जगमोहन की अन्य साधनों से कर-योग्य आय की गणना कीजिये।

Solution :

Computation of Taxable Income from Other Sources
for the assessment year 1997-98.

Interest on Securities :	Rs.	Rs.
8% Rajasthan Government loan		4,000
10% Debentures of Rampur Sugar Mills (6 months)		2,000
15% Debentures (tax-free) of Gwalior Rayons (6 months) (grossed up)		2,000
12% Cochin Port Trust (tax-free) Bonds		
For first 6 months	2,000	
For last 6 months	2,000	4,000
14% Bonds of National Hydroelectric Power Corporation Ltd.		2,800
14% Debentures of Shree Nath Minerals Ltd. (6 months)		2,800
National Savings Certificate (VIII issue)		3,584
		21,184

Less :	Interest on loan on Rs. 16,000 @ 16% for 5 months		
	Collection Charges	1,067	
	$1\frac{1}{2}$% of (Rs. 3,600 + 1,600 + 2,000 + 3,600 + 2,800 + 2,520 + 16,240)	485	1,552
			19,632

टिप्पणी—(i) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम का ब्याज परिपक्वता पर सम्पूर्ण 6 वर्षों का एक साथ प्राप्त होता है परन्तु आय कर के लिये केवल छठवें वर्ष का ब्याज सम्मिलित किया गया है। इसकी गणना निम्न प्रकार की गई है—

$$16{,}000 \times \frac{22.4}{100} = 3{,}584 \text{ रु.}$$

(ii) बचत पत्रों के परिपक्व होने पर 16,240 रु. ब्याज के प्राप्त हुये हैं। अतः संग्रह व्यय की गणना में सम्पूर्ण ब्याज शामिल किया गया है।

(iii) क्रय-विक्रय की दलाली इस शीर्षक की आय में कटौती योग्य व्यय नहीं है।

(iv) नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के बॉण्ड्स पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है।

(v) क्रय-विक्रय के लाभ पर इस शीर्षक में कर नहीं लगता है।

(vi) रामपुर सुगर मिल्स लि. के ऋण-पत्रों का ब्याज यद्यपि 2,500 रु. से कम है, परन्तु ये असूचित ऋण-पत्र हैं। अतः उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है। शेष राशि को बैंक ब्याज के लिये सम्मिलित किया गया है।

(vii) ग्वालियर रेयन्स के ऋण पत्रों का ब्याज 1,800 रु. था परन्तु ये सूचित होने के कारण एवं 2,500 रु. से कम होने के कारण इन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। परन्तु ये कर-मुक्त हैं अतः इनके ब्याज को सकल बनाया जायेगा तथा सकल ब्याज करदाता को प्राप्त होगा। अतः बैंक कमीशन के लिये सकल करने के बाद की राशि 2,000रु. सम्मिलित की गई है।

(viii) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के आधे बॉण्ड्स 6 माह का ब्याज प्राप्त करने के बाद बेचे गये हैं। अतः प्रथम 6 माह का ब्याज तो सम्पूर्ण बॉण्ड्स पर करदाता ने बेचने से पूर्व प्राप्त कर लिया था। चूंकि आधे बॉण्ड्स भी ब्याज रहित बेचे गये, अतः अगली ब्याज की तिथि मार्च, 1997 का ब्याज भी सभी बॉण्ड्स पर प्राप्त हुआ।

Illustration 5.

Shri Girish is employed as a lecturer in Udaipur University. During the previous year 1996-97 he received Rs. 28,800 as salary and Rs. 17,280 as dearness allowance. He is a member of Statutory Provident Fund to which he contributes 10% of his basic pay. University contributes 12%. The detailed particulars of other incomes received by him during the previous year 1996-97 are as under—

(a) He worked as invigilator for 45 days in annual examination conducted by the University in April and May, 1996 and received Rs. 1,350 as his remuneration for the same in July, 1996.

(b) He received answer books from three Universities for assessment and received Rs.2,500 as his remuneration. He had never thought to get this assignment from one of these Universities.

(c) He had written some books on Statistics and Economics. During the previous year he received Rs. 1,800 as his royalty from these books.

(d) He has some shares in a company on which he received Rs. 3,200 as dividend on 1st March, 1997. Company gets 50% of its total income from agriculture. Bank charged Rs. 32 as commission for collecting dividend.

(e) He had deposited certain money with Baroda Bank and with Punjab National Bank in F.D. Accounts. On 1-7-1996 he received Rs. 2,850 and Rs. 4,000 as interest from these accounts.

(f) In August, 1996 he received Rs. 17,000 from Rajasthan State Lotteries. He spent Rs. 1,000 in Purchasing the Lottery Tickets of Various States.

(g) He received Rs. 750 as interest from Post Office Fixed Deposit Account.

(h) During the previous year 1996-97. Mr. Girish had the following securities:

(i) Rs. 25,000 8% Debentures of a company. (Unlisted)
(ii) Rs. 18,000 6% Debentures of a company Listed at Bombay Stock Exchange.
(iii) Rs. 15,000 5% Madras Port Trust Loan.
(iv) Rs. 16,000 10% Relief Bonds.

Interest on all the above mentioned securities is paid on 1st July and 1st January by account payee cheque only. He paid 3% as collection charges for interest to his bankers.

Compute Gross Total Income of Shri Girish for the Assessment Year 1997-98.

श्री गिरीश उदयपुर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष 1996-97 के दौरान उन्हें 28,800 रु. वेतन के तथा 17,280 रु. महँगाई-भत्ते के प्राप्त हुए। वे वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड के सदस्य हैं जिसमें वे अपने मूल वेतन का 10% अंशदान देते हैं। विश्वविद्यालय का अंशदान 12% है। गत वर्ष 1996-97 में उनके द्वारा प्राप्त अन्य आयों का विस्तृत विवरण निम्न है—

(अ) अप्रैल एवं मई, 1996 में उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा ली गई वार्षिक परीक्षा में 45 दिन निरीक्षक का कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप जुलाई, 1996 में उन्हें विश्वविद्यालय से 1,350 रु. प्राप्त हुए।

(ब) उन्हें गत वर्ष में तीन विश्वविद्यालयों से परीक्षक के रूप में उत्तर पुस्तिकायें जाँचने हेतु प्राप्त हुई। इस कार्य में 2,500 रु. की आय प्राप्त हुई। एक विश्वविद्यालय से तो उन्होंने इस कार्य के मिलने की कल्पना भी नहीं की थी।

(स) उन्होंने सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र पर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। गत वर्ष में इन पुस्तकों की रायल्टी के रूप में उन्हें 1,800 रु. प्राप्त हुए।

(द) उनके पास एक कम्पनी के कुछ अंश हैं जिन पर उन्हें 1-3-1997 को 3,200 रु. लाभांश के प्राप्त हुए। कम्पनी की सम्पूर्ण आय का आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है। लाभांश को संग्रह करने के लिये बैंक को 32 रु. कमीशन दिया गया।

(य) उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक एवं बड़ौदा बैंक में स्थायी जमा खाते में कुछ रु. जमा करवा रखे हैं। इन स्थायी खातों से उन्हें 1 जुलाई, 1996 को क्रमशः 2,850 रु. एवं 4,000 रु. ब्याज के प्राप्त हुए।

(फ) अगस्त, 1996 में उन्हें राजस्थान स्टेट लाट्रीज से 17,000 रु. प्राप्त हुए। उन्होंने विभिन्न प्रान्तों की लाटरी टिकट्स खरीदने में गत वर्ष में 1,000 रु. व्यय किये।

(ग) उसने डाकघर के स्थायी जमा खाते से 750 रु. ब्याज के प्राप्त किए।

(घ) गत वर्ष 1996-97 के दौरान श्री गिरीश के पास निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ थीं—

(i) एक कम्पनी के 25,000 रु. के 8% ऋण-पत्र (असूचित)

(ii) बम्बई स्कन्ध विनिमय पर सूचित कम्पनी के 18,000 रु. के 6% ऋण-पत्र।

(iii) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का 15,000 रु. का 5% वाला ऋण।

(iv) 16,000 रु. के 10% राहत बॉण्ड्स।

उपरोक्त वर्णित प्रत्येक प्रतिभूति पर ब्याज खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को दिया जाता है। उन्होंने प्रतिभूतियों का ब्याज एकत्रित करने के लिए अपने बैंकों को 3% कमीशन दिया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री गिरीश की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Gross Total Income of Shri Girish

		Rs.	Rs.	Rs.
1.	**Income from Salary**			
	Basic Salary		28,800	
	Dearness allowance		17,280	
			46,080	
	Standard deduction u/s 16 (i)		15,360	30,720
2.	**Income from Other Sources :**	Rs.		
	Invigilation remuneration		1,350	
	Examinership remuneration		2,500	
	Royalty		1,800	
	Dividends Grossed up	4,000		
Less :	Collection charges	32	3,968	
	Interest from Punjab National Bank		2,850	
	Interest from Baroda Bank		4,000	
	Lottery Income (Grossed)	25,000		
Less :	Exemption u/s 10(3)	5,000	20,000	

	Interest on Securities			
	on 8% Debentures	2,000		
	on 6% Debentures	1,080		
	on 5% Port Trust Loan	750		
		3,830		
Less :	Bank Commission @ 3% on Rs. 3,355	101	3,729	40,197
				70,917

टिप्पणी—(i) बैंक धारा 194-अ के अन्तर्गत 10,000 रु. से कम की राशि पर उद्‌गम स्थान पर कर नही काटती है। अतः बैंक के ब्याज को सकल नही बनाया है।

(ii) डाक घर के स्थायी जमा खाते का ब्याज कर-मुक्त होता है।

(iii) धारा 58(4) के अनुसार लाटरी, वर्ग पहेली आदि की आय में से किसी भी प्रकार की व्यय एवं छूट स्वीकृत नहीं होती है। अतः विभिन्न प्रान्तों की लाटरी टिकट खरीदने के व्ययों की कटौती नहीं दी गई है।

प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के प्रपत्र संख्या 536 दिनांक 6 जुलाई, 1989 के अनुसार लाटरी की इनाम के सम्बन्ध में यदि इनाम की राशि 5,000 रु. से अधिक हो तो प्रथम 5,000 रु. की राशि का भुगतान तो 100% ही इनाम प्राप्तकर्ता को दे दिया जायेगा तथा शेष राशि में से निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर दी जायेगी। इस प्रकार करदाता को प्राप्त 17,000 रु. में से 5,000 रु. घटाकर शेष शुद्ध राशि 12,000 रु. को $\frac{5}{3}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा। प्राप्त गुणनफल की राशि 20,000 रु. में 5,000 रु. जोड़ दिये जायेंगे। अतः सकल इनाम की राशि 25,000 रु. होगी।

(iv) यदि कोई लेखक रायल्टी की आय कमाने के लिये किये गये खर्चों की माँग करता है तो प्रशासकीय आदेशों के अनुसार रायल्टी की आय का 25% या करदाता के द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, दोनों में जो भी कम हो उस राशि के बराबर कटौती दी जाती है। इस प्रश्न में वास्तविक व्यय नही दिया गया है, अतः कटौती नहीं दी गई है।

(v) 10% राहत बॉण्ड्स का ब्याज कर-मुक्त है।

(vi) लाभांश की प्राप्त राशि को $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(vii) यद्यपि सूचित एव असूचित दोनों ही ऋणपत्रों पर ब्याज की राशि 2,500 रु. से कम है परन्तु असूचित ऋणपत्रों के ब्याज पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की गई है जबकि सूचित पर नहीं।

Illustration 6.

From the following particulars submitted by Shree Guru Charan Singh compute his taxable income from different sources for the Assessment year 1997-98.

(1) As the Director of Haryana Glass Works he received Rs. 3,000 p.m. as salary and Rs. 3,000 per annum as Entertainment Allowance. The facility of a 16 H.P. motor car has been provided by the company, expenses of which for personal use are borne by him He uses this car for company's purposes

also. He himself drives the car. The written down value of the car is Rs. 20,000.

(2) As the Director of Punjab Bank, he received Rs. 5,000.

(3) Income received from agricultural land in Nepal Rs. 10,000. Income received from a piece of land in Amritsar which is not appurtenant to a house and has been let out for storing coal Rs. 3,600. Income from land given on rent for holding market Rs. 2,000. He incurred expenses amounting to Rs. 1,000 in respect of these incomes.

(4) Amount received in March, 1997 in respect of winning from a lottery Rs. 32,000.

(5) During the previous year interest received on deposits with the Co-operative Land Mortgage Bank Rs. 2,000 Interest received from a Co-operative Society of which he is member Rs. 1,500, interest received on deposits under the Post Office (Recurring Deposit) Rules,1970 Rs. 600 and he also received Rs. 400 from Post Office Saving Bank Account.

(6) Dividends received from William Chemicals Ltd. a foreign company Rs. 2,000.

(7) On 1st April, 1996 the amount of consideration received on the sale of house property, which was purchased in 1987-88 was Rs. 50,000. The cost of acquisition of this house was Rs 20,000. The expenses incurred in respect of its sale were Rs 1,500 for brokerage, Rs. 2,500 for stamps and registration, and Rs. 300 for lawyer's fees

(8) During the previous year Mr. Guru Charan Singh had the following securities—

(i) Rs. 16,000 10% Tax free Debentures of Malwa Textiles.

(ii) Rs. 36,000 10% Tax free Debentures of Sugar Mill company listed at Indore Stock Exchange.

(iii) Rs. 22,000 7% Capital Investment Bonds.

(iv) Rs. 22,500 10% Tax free Calcutta Port Trust Bonds.

Interest in each cash is paid by account payee cheque on 31st December annually. He has paid 2% commission to his bankers for realisation of interest.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री गुरुचरण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गए निम्न विवरण से उनकी विभिन्न साधनों की कर-योग्य आय की गणना कीजिए—

(1) हरियाणा ग्लास वर्क्स के संचालक के रूप में उसने 3,000 रु. प्रति माह वेतन तथा 3,000 रु. वार्षिक मनोरंजन भत्ता प्राप्त किया। कम्पनी द्वारा एक 16 हार्स पावर की मोटर कार की सुविधा प्रदान की गई है जिसके निजी प्रयोग के खर्चे वे स्वयं ही वहन करते हैं। वे इस कार का प्रयोग कम्पनी के कार्य के लिए भी करते हैं। वे कार को स्वयं ही चलाते हैं। कार का अपलिखित मूल्य 20,000 रु. है।

(2) पजाब बैंक के संचालक के रूप में उनको 5,000 रु. प्राप्त हुए।

(3) नेपाल में कृषि भूमि से 10,000 रु. की आय प्राप्त की गई। अमृतसर में भूमि से आय 3,600 रु.। यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसको कोयला संग्रह करने के लिए किराये पर उठाया गया है। भूमि को बाजार लगाने के लिए किराये पर उठाने से आय 2,000 रु.। इन आयों के सम्बन्ध में उसने 1,000 रु. व्यय किये।

(4) मार्च, 1997 में लाटरी के इनाम के सम्बन्ध में 32,000 रु. प्राप्त किये।

(5) गत वर्ष में सहकारी भूमि बन्धक बैंक से जमा राशि पर 2,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये। एक सहकारी समिति से जिसका वह सदस्य है, 1,500 रु. ब्याज के प्राप्त किये। पोस्ट ऑफिस के (आवर्तक जमा) नियम, 1970 के अन्तर्गत जमा की गई राशि पर 600 रु. का ब्याज प्राप्त किया तथा डाकघर बचत खाते से 400 रु. ब्याज के प्राप्त किये।

(6) विलियम कैमिकल्स लि. एक विदेशी कम्पनी से 2,000 रु. का लाभांश प्राप्त किया।

(7) एक मकान सम्पत्ति के विक्रय से जो 1987-88 में क्रय की गई थी, 1 अप्रैल, 1996 को 50,000 रु. प्राप्त किये। इस मकान को प्राप्त करने की लागत 20,000 रु. थी। इसके विक्रय में 1,500 रु. दलाली के, 2,500 रु. मुद्रांक एवं पंजीकरण के तथा 300 रु. वकील की फीस के खर्च किये।

(8) गत वर्ष के दौरान श्री गुरुचरण सिंह के पास निम्न प्रतिभूतियाँ थीं—

(i) 16,000 रु. के 10% वाले मालवा टैक्सटाइल्स के कर-मुक्त ऋण-पत्र।

(ii) 36,000 रु. के 10% वाले सुगर मिल कम्पनी के कर-मुक्त ऋण-पत्र। यह कम्पनी इन्दौर स्टॉक एक्सचेन्ज पर सूचित है।

(iii) 22,000 रु. के 7% वाले पूँजी विनियोग बॉण्ड्स।

(iv) 22,500 रु. के 10% वाले कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के कर-मुक्त बॉण्ड्स।

ब्याज का भुगतान प्रत्येक दशा में वार्षिक रूप से खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा 31 दिसम्बर को किया जाता है। उन्होंने अपनी बैंक को ब्याज संग्रह करने के लिए 2% कमीशन दिया है।

Solution :

Computation of Shri Guru Charan Singh's Taxable Income for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
1.	**Capital gains :**		
	Sale price of house property		50,000
Less :	(i) Cost of acquisition	20,000	
	Indexed cost of acquisition		
	(20,000 × 305 ÷ 150)	40,667	
	(ii) Cost of transfer	4,300	44,967
	Taxable amount of Long Term Capital gain		5,033
2.	**Income from Other Sources :**		
	Salary as Director	36,000	

	Value of Free car		2,400	
	Director's Fees from Punjab Bank		5,000	
	Income from Agricultural land in Nepal		10,000	
	Income from land let out for coal Storing		3,600	
	Income from land used for markets		2,000	
	Winning from Lottery	50,000		
Less :	Exemption u/s 10 (3)	5,000	45,000	
	Interest on Deposit with the Land Mortgage Bank		2,000	
	Interest from co-operative society		1,500	
	Interest on Deposit under P.O. (Recurring Deposit) Rules 1970		600	
	Dividends on shares from Foreign company		2,000	
			1,13,100	
Less :	Expenses incurred		1,000	
			1,12,100	
Interest on Securities :				
	On Debentures of Malwa Textiles (grossed)	2,000		
	On Debentures of Sugar Mill company (grossed)	4,000		
	On Calcutta Port Trust Bonds (grossed)	2,500		
		8,500		
Less :	Bank commission	149	8,351	1,20,451

टिप्पणी—(i) करदाता हरियाणा ग्लास वर्क्स का केवल संचालक है, कर्मचारी नही है। अत: उसको प्राप्त वेतन, भत्ते एवं अनुलाभों पर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगेगा। मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कटौती नही दी जायेगी। कार का मूल्यांकन स्वीकृत ह्रास (20%) का 50% किया गया है।

(ii) लाटरी में जीता गया इनाम 40% कर काटने के बाद प्राप्त किया गया है, अत: सकल बनाया गया है। लाटरी की आय के सम्बन्ध में 32,000 रु. प्राप्त किये गये हैं। परन्तु इसमें 5,000 रु. घटाकर 27,000 रु. को $\frac{5}{3}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है तथा प्राप्त गुणनफल 45,000 रु. में 5,000 रु. जोड़कर इनाम की सकल राशि ज्ञात की गई है।

(iii) विदेशी कम्पनी लाभांश पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करती, अत: लाभांश सकल ही है।

(iv) डाक-घर के बचत खाते का ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है।

(v) पूँजी विनियोग बॉण्ड्स का ब्याज कर-मुक्त है।

(vi) मालवा टैक्सटाइल्स के ऋण-पत्रों के ब्याज को $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है। सुगर मिल कम्पनी के ऋण-पत्रों एवं कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड्स के ब्याज को $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(vii) बैंक को कमीशन बैंक द्वारा वास्तव में प्राप्त राशि पर दिया गया है। बैंक द्वारा प्राप्त राशि 1,600 रु. +3,600 रु. +2250 रु. =7,450 रु. है। इसका 2% घटाया गया है।

(viii) सहकारी भूमि बन्धक बैंक एवं सहकारी समिति द्वारा दिया गया ब्याज 2,500 रु. से अधिक नहीं होने के कारण उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है, अतः सकल नहीं बनाया गया है।

(ix) दीर्घकालीन पूँजी लाभ के सम्बन्ध में प्राप्त करने की निर्देशित लागत (Indexed cost of acquisition) घटाई गई है।

Illustration 7.

From the following particulars of the income of Shri Gordhan Das, compute the taxable income under the head 'Income from Other Sources' for the year ended 31st March, 1997 :

(1) He held the shares of Bhart Udyog Ltd. for Rs. 20,000 on which dividend @ 15% was declared on 1st December, 1996. 60% of the company's income was from agriculture. He paid bank commission @ 2% on the collection of this dividend.

(2) Interim Dividend declared by the directors of Usha Publications Ltd. in February, 1997 Rs. 4,000, Dividend warrants posted in April, 1997 and payment received in May, 1997.

(3) He is holder of 500 equity shares of Rs. 100 each of Chetana Ltd. Out of its general reserve the company allotted on 15 July, 1996 one bonus share for every two equity shares. The market value of company's share on that day was Rs. 15.00 per share.

(4) N.S.C. VIIIth issue for the nominal value of Rs. 20,000 were purchased on 1st January, 1992, on which compound interest at 12% per annum at half yearly rests is for income tax purposes assumed to have become due each year-on certificate of Rs. 100 for the fifth year Rs. 19.70.

(5) Received Rs. 16,000 on withdrawal from deposits under National Savings Scheme.

(6) Amount received in respect of a winning in a quiz contest organised by Doordarshan Rs 6,700.

(7) He opened fixed deposit Account with a Nationalized bank for 6 [illegible]

[illegible] on 15th September, 1996.

(9) He is holder of Rs. 10,000 7% Capital Investment Bonds and Rs. 27,000 10% Tax-free Food corporation Debentures, interest on which is payable on June, 30 and December, 31.

(10) He received family pension from the employer of his deceased wife every month Rs. 4,000.

गोर्धनदास की आयों के निम्नलिखित विवरण से आप 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए :

(1) उनके पास भारत उद्योग लिमिटेड के 20,000 रु. के अंश थे जिन पर 1 दिसम्बर, 1996 को 15% लाभांश घोषित किया गया। कम्पनी की 60% आय कृषि से थी। इस लाभांश की वसूली पर उन्होंने 2% बैंक कमीशन दिया।

(2) ऊषा पब्लिकेशन्स लिमिटेड के संचालकों द्वारा अंतरिम लाभांश फरवरी, 1997 में घोषित किया गया 4,000 रु., लाभांश पत्र अप्रैल, 1997 में डाक में डाले गये और भुगतान मई, 1997 में प्राप्त हुआ।

(3) वह चेतना लिमिटेड के 100 रु. वाले 500 अंशों के धारक हैं। कम्पनी ने अपने सामान्य संचय में से 2 साधारण अंशों के बदले में 1 बोनस अंश 15 जुलाई, 1996 को बंटन किया। उस दिन कम्पनी के अंशों का बाजार मूल्य 15 रु. प्रति अंश था।

(4) उनके पास 1 जनवरी, 1992 को क्रय किये गये 20,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गम थे जिन पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर आयकर हेतु प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है, 100 रु. के बचत पत्र पर पंचम वर्ष का 19.70 रु.।

(5) राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा खाते में से निकालने पर 16,000 रु. प्राप्त हुए।

(6) दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जीती गई राशि के सम्बन्ध में प्राप्त 6,700 रु.।

(7) उसने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 6 माह की अवधि के लिये एक स्थाई जमा खाता जुलाई, 1996 में खोला तथा जनवरी, 1997 में 18,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये।

(8) उसने 15 सितम्बर, 1996 को एक सार्वजनिक कम्पनी से कारखाना भवन को फर्नीचर सहित किराये पर देने से 1,70,000 रु. का किराया प्राप्त किया।

(9) वे 10,000 रु. के 7% पूंजी विनियोग बॉण्डस तथा 27,000 रु. के 10% कर मुक्त खाद्य निगम ऋण-पत्रों के धारक हैं, जिन पर ब्याज 30 जून और 31 दिसम्बर को देय हैं।

(10) उनकी मृत पत्नी के नियोक्ता से उनको 4,000 रु. प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई।

Solution :

Computation of taxable income from other sources of Mr. Gordhan for the A.Y 1997-98

		Rs.	Rs.
1.	Dividend from Bharat Udyog Ltd.	3,000	
	Less : Bank Commission	48	2,952
2.	Interest accrued on N.S.C. VIIIth issue		3,940
3.	Withdrawal from National Saving Scheme		20,000
4.	Winning in Quiz contest organised by Doordarshan		6,700
5.	Interest from nationalized bank on F.D. account for 6 months		20,000

6.	Rent for leasing factory building including machinery, furniture etc.		2,00,000
7.	Interest on debentures of Food Corporation		3,000
8.	Family pension	48,000	
	Less : Standard Deduction	12,000	36,000
	Taxable income from Other Sources		2,92,592

टिप्पणी—(i) कम्पनी को कृषि से आय होने का अंशधारी के लाभांश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) अंतरिम लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिसमें कम्पनी बिना शर्त के भुगतान के लिये तत्पर होती है। चूँकि लाभांश-पत्र अप्रेल महीने में भेजे गये हैं, अतः यह आय 1997-98 कर निर्धारण वर्ष में कर-योग्य होगी।

(iii) राष्ट्रीय बचत योजना में से निकाली गई राशि पर 20% की दर से कटौती की जाती है, यदि भुगतान 2,500 रु. या अधिक राशि का हो। अतः 100/80 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(iv) समता अंशधारियों को बोनस अंशों का निर्गमन लाभांश नहीं माना जाता है, अतः सम्मिलित नहीं किया गया है।

(v) दूरदर्शन पर आयोजित प्रतियोगिता की इनाम से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नही की जाती है। अतः इसे सकल नहीं बनाया गया है।

(vi) 1-7-95 को या बाद में बैंक के पास अवधि जमाओं में जमा की गई राशि का ब्याज 10,000 रु. से अधिक होने पर उदगम स्थान पर बैंक द्वारा कर की कटौती की जाती है। अतः ब्याज की राशि को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(vii) 1,20,000 रु. से अधिक किराये की राशि पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। कटौती की दर 15% है। अतः प्राप्त राशि को 100/85 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(viii) 7% पूँजी विनियोग बॉण्ड्स का ब्याज कर-मुक्त है।

(ix) खाद्य निगम के ऋण-पत्र कर-मुक्त होने के कारण इनके ब्याज को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(x) पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता के लिये कर-योग्य होती है। तथा इसमें प्रमाणित कटौती अधिकतम 12,000 रु. की दी जाती है।

Illustration 8.

Shri Chandra Prakash furnishes the following particulars of his income for the financial year ending 31st March, 1997 :

(1) He was the holder of 200 shares of Rs. 100 each of Indore textiles

2. He acts as agent of the Unit Trust of India and of Post Office and he received during the year commission Rs. 40,000. He claims deduction of Rs. 25,000 for estimated expenditure.

(3) Dividend declared by Bihar Chemical Ltd. in February, 1997 Rs. 8,000. Dividend warrants posted in April, 1997 and payment received in May, 1997.

(4) He had purchased shares of the paid up value of Rs. 50,000 of Hansa Ltd., on 15th March, 1996 for Rs. 60,000. The company went into liquidation on 1st December, 1996, when its paid up capital was Rs. 2,50,000 and accumulated profits were Rs. 25,000. The liquidator made the full payment on 1st March, 1997 for which Rs. 4,50,000 were available with him.

(5) He is the director of a company. From there he received salary Rs 32,000, entertainment allowance Rs. 6,000 and fee Rs. 1,000. He spent on entertainment in respect of the work of the company Rs. 5,000.

(6) He received interest from Post Office : Savings Account Rs. 200 and Recurring Deposit Account Rs. 800.

(7) He received interest on Fixed Deposit on 1st May, 1996 from : State Bank of India Rs. 10,800 and from the firm M/s Ram Gopal Mohan Lal Rs. 5,400.

(8) He has agricultural land in Madhya Pradesh, which has been given on a rent of Rs. 6,000 per annum to a cultivator for cultivation.

(9) He also has agricultural land in Nepal. It was given on a rent of Rs. 8,000 per annum. The rent of the previous year was deposited by the tenant in his bank account in Nepal.

(10) He received Rs. 60,000 as annual rent of a factory building in June, 1996 which was leased by him with machinery and furniture.

Compute the taxable income of Shri Chandra Prakash under the head 'Income from Other Sources' for the assessment year 1997-98.

श्री चन्द्रप्रकाश ने 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है :

(1) वे इन्दौर टैक्सटाईल्स लिमिटेड के 100 रु. वाले 200 अंशों के धारक थे। इस कम्पनी ने अपनी पूँजी कम करने पर उनको 10,000 रु. नकद 15 जनवरी, 1997 को दिये। यदि उस दिन समस्त एकत्रित लाभ वितरित कर दिये जाते, तो उनका भाग 6,000 रु. होता।

(2) वे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया तथा डाकघर के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें गत वर्ष में कमीशन के 40,000 रु. प्राप्त हुये। वे अनुमानित व्यय 25,000 रु. की कटौती की माँग करते हैं।

(3) बिहार केमिकल लि. द्वारा लाभांश फरवरी, 1997 में घोषित किया गया 8,000 रु., लाभांश पत्र अप्रैल, 1997 में डाक में डाले गये और भुगतान उनको मई, 1997 में प्राप्त हुआ।

(4) उन्होंने हन्सा लि. के चुकता मूल्य 50,000 रु. के अंश 15 मार्च, 1996 को 60,000 रु. में क्रय किये थे। कम्पनी का 1 दिसम्बर, 1996 को समापन हो गया, उस समय उसकी

चुकता पूँजी 2,50,000 रु. थी और एकत्रित लाभ 25,000 रु. थे। निस्तारक ने 1 मार्च, 1997 को पूर्ण भुगतान कर दिया, जिस हेतु उसके पास 4,50,000 रु. उपलब्ध थे।

(5) वे एक कम्पनी के संचालक हैं। उससे वेतन 32,000 रु., मनोरंजन भत्ता 6,000 रु. और शुल्क 1,000 रु. प्राप्त हुआ। कम्पनी के कार्य हेतु मनोरंजन पर उन्होंने 5,000 रु. व्यय किये।

(6) उनको डाकघर से बचत खाते के 200 रु. और आवर्ती जमा खाते के 800 रु. प्राप्त हुये।

(7) उनको स्थायी जमा पर ब्याज स्टेट बैंक से 10,800 रु. और फर्म रामगोपाल मोहनलाल से 5,400 रु. 1 मई, 1996 को प्राप्त हुए।

(8) उनकी मध्यप्रदेश में कृषि भूमि है जिसको उन्होनें एक किसान को कृषि करने के लिए 6,000 रु. वार्षिक किराये पर दे रखा है।

(9) उनकी नेपाल में भी कृषि भूमि है। इसको 8,000 रु. वार्षिक किराये पर उठाया गया है। गत वर्ष का किराया किरायेदार ने इनके बैंक खाते में नेपाल में ही जमा करा दिया था।

(10) उन्हें कारखाना भवन को मशीनरी एवं फर्नीचर सहित किराये पर उठाने का वार्षिक किराया 60,000 रु. जून, 1996 में प्राप्त हुआ।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री चन्द्रप्रकाश की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of taxable Income from Other Sources of Shri Chandra Prakash for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.
1. Dividend on the Shares of Indore textiles Ltd.		6,000
2. Commission received from Unit Trust of India and Post Office	40,000	
Less : Expenses	20,000	20,000
3. Dividend from Bihar Chemical Ltd.		8,000
4. Dividend from Hansa Ltd.		5,000
5. Director's Remuneration:		
Salary	32,000	
Entertainment Allowance	6,000	
Fee	1,000	39,000
6. Interest from Post Office Recurring Deposit Account		800
7. Interest from State Bank of India F.D. Account		12,000
8. Interest from M/s Ram Gopal Mohan Lal		6,000
9. Income from agricultural land in Nepal		8,000
10. Rent of factory building, machinery and furniture		60,000
Taxable income from Other Sources		1,64,800

टिप्पणी—(i) इन्दौर टैक्सटाईल्स लि. द्वारा पूँजी में कमी करने पर एकत्रित लाभों की सीमा तक ही लाभांश कर योग्य होगा, अतः 6,000 रु. ही लाभांश के रूप में सम्मिलित किये गये हैं।

(ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल के निर्देश के अनुसार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं पोस्ट आफिस के एजेन्टों को कमीशन की राशि में उनका कुल कमीशन 60,000 रु. से कम होने पर 50% एड हाक कटौती दी जा सकती है।

(iii) अंतिम लाभांश घोषणा के वर्ष में ही कर-योग्य होते हैं। अतः बिहार केमिकल लि. द्वारा घोषित लाभांश को सम्मिलित किया गया है।

(iv) हन्सा लि. के निस्तारक से कम्पनी के समापन पर श्री चन्द्रप्रकाश को 4,50,000 $\times \left(\frac{50,000}{2,50,000}\right)$ = 90,000 रु. मार्च, 1997 में प्राप्त हुए हैं। इनमें से समापन के दिन कम्पनी के एकत्रित लाभ में उनके अंशों पर आनुपातिक राशि 5,000 रु. $\left(25,000 \times \frac{50,000}{2,50,000}\right)$ लाभांश के रूप में कर योग्य हैं। शेष 85,000 रु. उनके द्वारा क्रय किये गये अंशों का प्रतिफल है। अतः 85,000 − 60,000 = 25,000 रु. अल्पकालीन पूँजी लाभ है। समापन के बाद की अवधि को करदाता के स्वामित्व की अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(v) संचालक को मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

(vi) बैंक से प्राप्त ब्याज 10,000 रु. से अधिक होने के कारण सकल बनाया गया है।

(vii) भारत में कृषि भूमि का किराया कृषि आय है, अतः कर मुक्त है।

(viii) डाकघर बचत खाते का ब्याज कर-मुक्त है परन्तु आवर्ती जमा खाते का ब्याज कर मुक्त नहीं है।

(ix) फर्म से प्राप्त ब्याज को सकल बनाया गया है।

(x) विदेशी कृषि आय कर-मुक्त नहीं होती है तथा निवासी करदाता के लिये कर-योग्य होती है।

(xi) किराये की राशि 1.2 लाख रु. से कम होने के कारण उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है।

सारांश
(Summary)

1. अन्य साधनों से आय शीर्षक मे कर-योग्य प्रमुख आयें—
   (i) लाभांश (अन्तरिम लाभांश सहित);
   (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, जुआ, शर्त आदि से आय;
   (iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज;
   (iv) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज;
   (v) मशीन, प्लाण्ट, फर्नीचर आदि सम्पत्तियों को किराये पर उठाने से आय;
   (vi) नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कमीशन;
   (vii) भूमि का किराया, जो किसी मकान से नही लगी हुई हो;
   (viii) अप्रमाणित भविष्य निधि खाते से प्राप्त राशि में स्वयं के अंशदान का ब्याज;

(ix) अधिकार शुल्क, यदि पेशे की आय नहीं हो;
(x) मकान सम्पत्ति को पुनः किराये पर उठाने से आय;
(xi) अस्पष्ट साधनों की आय;
(xii) मानी गई आयें;
(xiii) भारत के बाहर की कृषि आय;
(xiv) बीमा एजेन्सी की आय
(xv) संसद एवं विधानसभा के सदस्यों का वेतन
(xvi) संचालक को प्राप्त शुल्क आदि यदि वह कर्मचारी नही हो;
(xvii) परिवार पेंशन की आय (प्रमाणित कटौती 12,000 या $33\frac{1}{3}\%$ घटाकर)।

2. इस शीर्षक की विभिन्न आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ—
(i) सम्पत्तियों का ह्रास, बीमा, मरम्मत आदि के सम्बन्ध में;
(ii) उपरोक्त आयों के सम्बन्ध में लिये गये ऋण का ब्याज
(iii) ब्याज, लाभांश आदि के वसूली के व्यय
(iv) 60,000 रु. से कम कमीशन वाले एजेन्टों को Adhoc कटौती
(v) अन्य कोई व्यय जो पूर्णतया ऐसी आय कमाने के लिये किया गया हो।

3. इस शीर्षक की कर-मुक्त आयें—
(i) आकस्मिक आय 5,000 रु. तक (घुड़दौड़ की इनाम 2,500 रु. तक)
(ii) डाक घर के बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज
(iii) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज,
(iv) डाकघर के संचयी सावधि जमा खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज एवं बोनस;
(v) 15 वर्षीय वार्षिकी सर्टिफिकेट्स का मासिक भुगतान;
(vi) अधिसूचित योजनाओं में स्थायी जमाओं पर ब्याज,
(vii) शिक्षा के व्ययों की पूर्ति हेतु स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ,
(viii) संसद, विधानसभा एवं इनकी किसी समिति के सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता,
(ix) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन पर दिया गया पुरस्कार।

4. विभिन्न आयों को सकल बनाने के सूत्र एवं नियम—

आय का विवरण	कर की कटौती की दर	सूत्र	कब सकल बनाना (न्यूनतम सीमा)
(i) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	10%	100/90	कोई सीमा नहीं
(ii) निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नगरपालिका आदि की प्रतिभूतियाँ	10%	100/90	कोई सीमा नहीं
(iii) सूचीयत ऋण पत्रों पर ब्याज	10%	100/90	2,500 रु. से अधिक
(iv) असूचीयत ऋण-पत्रों पर ब्याज	20%	100/80	कोई सीमा नहीं
(v) लाभांश की आय	20%	100/80	2,500 रु. से अधिक

(vi) लाटरी व वर्गपहेली का इनाम	40%	100/60	5,000 रु. से अधिक
(vii) घुड़दौड़ की इनाम	40%	100/60	2,500 रु. से अधिक
(viii) बीमा कमीशन की आय	10%	100/90	5,000 रु. से अधिक
(ix) प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ब्याज	10%	100/90	2,500 रु. से अधिक
(x) लाटरी के विक्रय के कमीशन की आय	10%	100/90	कोई सीमा नहीं

टिप्पणी—(1) वाक्यांश (iii) एवं (v) की दशा में लाभांश एवं ब्याज जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा दिये जाने पर ही 2,500 रु. की सीमा लागू होगी अन्यथा कोई सीमा नहीं है।

(2) जिन आयों के लिये कोई सीमा नहीं है उनमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती अवश्य की जायेगी चाहे आय कुछ भी हो।

राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गम) पर ब्याज की गणना

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	षष्टम वर्ष
राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन	12.40	13.90	15.60	17.50	19.70	22.40

टिप्पणी—उपरोक्त ब्याज नियम 15 के अनुसार प्रत्येक 100 रु. पर अर्जित माना जायेगा।

प्रश्न
(Questions)

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—
   (अ) दिखावटी लेन-देन।
   (ब) कर-मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ।
   Write short notes on the following :
   (a) Bond Washing Transactions
   (b) Tax-free Commercial Securities.
2. लाभांश की परिभाषा दीजिये और इसके कर-निर्धारण का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
   Define dividend and explain the provision of the assessment of dividend income.
3. वे कौन-सी आयें हैं जो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती हैं ?
   What are the incomes which are included under the head 'Income from Other Sources'.
4. अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाने वाली कटौतियों का उल्लेख कीजिए।
   Discuss the deductions admissible while computing the taxable income under the head 'Income from Other Sources'.

5. लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ एवं अन्य आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

   Discuss the provisions of Income Tax Act relating to Lottery, Crossword puzzles, horse race and other casual incomes.

6. 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर-योग्य आयों में से उद्गम स्थान पर कर काटने सम्बन्धी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से समझाइये।

   Explain clearly the provisions relating to deduction of tax at source from income taxable under the head 'Income from Other Sources'.

7. गत वर्ष 1996-97 के दौरान हिमांशु के पास निम्न विनियोग थे—

   Himanshu had the following investments during the previous year 1996-97.

   (i) Rs. 20,000 9% Rajasthan Government Loan, 1998;
   (ii) Rs. 18,000 14% Tax free Debentures of Mukesh Ltd. (listed)
   (iii) Rs. 15,000 12% Debentures of Bhawani Ltd (Unlisted)
   (iv) Rs. 10,000 12% Debentures of Alwar Municipality.
   (v) Rs. 50,000 10% Bombay Port Trust Bonds;
   (vi) Rs. 20,000 12% Tax free Debentures of Rajasthan Finance Corporation.
   (vii) Rs. 10,000 National Savings Certificates VIII-issue purchased on 20-1-1994.
   (viii) Rs. 10,000 13% Bonds of Housing Development Finance Corporation Ltd.
   (ix) Rs. 20,000 14% Bonds of National Thermal Power Corporation Ltd.

   राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ब्याज परिपक्वता पर देय होता है परन्तु आय-कर के उद्देश्यों के लिये प्रति वर्ष 12% छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्य माना जाता है। प्रत्येक 100 रु. का दूसरे वर्ष का ब्याज 13.90 रु. एवं तीसरे वर्ष का 15.60 रु. अर्जित माना जाता है।

   शेष सभी दशाओं में ब्याज 1 जून एवं 1 दिसम्बर को देय है। प्रत्येक दशा में ब्याज का भुगतान खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा किया जाता है। बैंक वसूल की गई राशि पर 2% की दर से बैंक-खर्च वसूल करता है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री हिमांशु की अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए।

   The interest on National Savings Certificates is payable on maturity but for income tax purposes it is deemed to have accrued every year @ 12% at compound interest on half yearly rests. Thus for every Rs. 100 the interest for second and third year deemed to accrue Rs. 13.90 and 15.60 respectively.

   In other cases the interest is payable on 1st June and 1st December. The interest in each case is paid by account payee cheque only. Bank charges 2% commission on the actual amount of interest realised.

Compute the taxable income from other sources of Mr. Himanshu for the assessment year 1997-98. [74]

उत्तर—अन्य साधनों की आय 20,574 रु.।

8. कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री रमेश की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए। उसे प्रतिभूतियों के ब्याज एवं लाभांश के रूप में निम्न राशियाँ गत वर्ष में प्राप्त हुई हैं— .

Compute the taxable income under the head income from other sources of Mr. Ramesh for the assessment year 1997-98. He has received the following amounts as interest on securities and dividends during the previous year –

(i) Rs. 18,000 from Tax free Debentures of L.I.C.
(ii) Rs. 9,000 from Improvement Trust Debentures.
(iii) Rs. 3,200 from Pakistan Govt. Loan.
(iv) Rs. 400 from Debentures of Bikaner Iron Works Ltd
(v) Rs. 400 from Debentures of Gwalior Rayons.
(vi) Rs. 3,000 10% Relief Bonds.
(vii) Rs. 4,000 from Preference Shares of Century Mills.
(viii) Rs. 1,600 from Equity shares of JCT Limited.
(ix) Rs. 2,200 from Debentures of a Co-operative Society.
(x) Rs. 6,000 from 7% Capital Investn .nt Bonds.

बीकानेर आयरन वर्क्स को छोड़कर सभी कम्पनियों में जनता का सारवान हित है तथा वे भारत में मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय पर सूचित भी हैं। ये सभी कम्पनियाँ लाभांश एवं ब्याज का भुगतान खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा करती हैं। बैंक ब्याज एवं लाभांश वसूली पर 2% कमीशन लेता है।

Public are substantially interested in all the above mentioned Companies except Bikaner Iron Works and these are listed at Recognised Stock exchange in India. All these companies pay interest and dividends by Account Payee cheque only. Bank charges 2% Commission on the amount of interest realised. [75]

उत्तर—अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय 42,124 रु.।

संकेत—(i) राहत बॉण्ड्स एवं कैपीटल इन्वेस्टमेंट बॉण्ड्स का ब्याज कर-मुक्त है। (ii) बीमा निगम के ऋणपत्र, इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट के ऋण-पत्र; बीकानेर आइरन वर्क्स के ऋण-पत्र एवं सेन्चुरी मिल के पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश को सकल बनाया गया है। (iii) पाकिस्तान सरकार के ऋण, ग्वालियर रेयन्स के ऋण-पत्र, JCT लि. के समता अंशों के लाभांश तथा सहकारी समिति के ऋण-पत्रों के ब्याज को सकल नहीं बनाया गया है। (iv) बैंक कमीशन 38,800 रु. पर 2% से 776 रु. दिया गया है।

9. श्री रामचन्द्र के पास 1 अप्रैल, 1996 को निम्न विनियोग थे :—

Mr. Ram Chandra had the following investments on 1-4-1996:

(i) Rs. 20,000 10.5% Government of India Loan 2005.

(ii) Rs. 10,000 17% Debentures of Birla Sugar Mills Ltd. (listed)
(iii) Rs. 15,000 12% Tax-free Debentrures of Jaora Sugar Mills Ltd. (Unlisted)
(iv) Rs. 8,000 12% Tax free Debentures of Jodhpur Municipality.
(v) Rs. 10,000 10% Tax-free Calcutta Port Trust Bonds;
(vi) Rs. 15,000 16% Debentures of Rajasthan Housing Board;
(vii) Rs. 40,000 14% Bonds of Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
(viii) Rs. 20,000 National Savings Certificatees VIII issue.

16-4-1996 को राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गम) के परिपक्व होने पर 40,300 रु. प्राप्त हुये। आय-कर के उद्देश्यों के लिये इन पर ब्याज प्रति वर्ष उपार्जित माना जाता है। 100 रु. पर पाँचवे वर्ष का ब्याज 19.70 रु. एवं छठवें वर्ष का ब्याज 22.40 रु. उपार्जित माना जाता है।

उन्होंने 1 सितम्बर, 1996 को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के ऋण पत्र 16,000 रु. में ब्याज सहित बेच दिये तथा 25,000 रु. का मध्य प्रदेश सरकार का 12% ऋण उसी दिन ब्याज रहित 24,800 रु. में खरीद लिया। क्रय-विक्रय पर दलाली वगैरहा का खर्च 400 रु. हुआ। इसके लिये उसने अपनी पत्नी से 10,000 रु. 13% वार्षिक ब्याज पर उधार लिये जो उसने स्त्री धन में से दिये।

समस्त प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा 1 जून एवं 1 दिसम्बर को किया जाता है। बैंक ने संग्रह किये गये ब्याज पर बैंक खर्च के रूप में 2% कमीशन वसूल किया है।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री रामचन्द्र की अन्य साधनों से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

On the maturity of National Savings Certificate (VIII issue) on 16-4-1996 he received Rs. 40,300. For the purposes of income tax the interest on these certificates is deemed to accrue every year. Fifth year interest Rs. 19.70 and sixth year interest Rs. 22.40 is deemed to accrue on every Rs. 100.

He sold on 1st September, 1996 the debentures of Rajasthan Housing Board for Rs. 16,000 cum-interest and on the same day purchased Rs. 25,000 M.P. Government 12% Loan for Rs. 24,800 Ex-interest. Brokerage and other expenses for purchasing and selling amounted to Rs. 400. For this he took a loan of Rs. 10,000 from his wife at 13% interest which she provided out of Stridhan.

Interest on all securities is paid through account payee cheque on 1st June and 1st December. Bank has charged his commission @ 2% on the amount of interest actually realised by it.

On the basis of above informations compute the taxable income from other sources of Mr. Ram Chandra for the assessment year 1997-98.

[76]

उत्तर—अन्य साधनों की आय 18,063 रु.।

10. Shri Kundan Lal had the following securities with him on 1st April, 1996 :
    (i) Rs. 45,000 10% Tax free Madras Port Trust Bonds
    (Interest payable on 30th April and 31st October)
    (ii) Rs. 20,000 15% Debentures of Meghdoot Ltd. (listed)
    (Interest payable on 30th June and 31st December)
    (iii) Rs. 30,000 16% Debentures of Rajasthan Steel Ltd. (unlisted)
    (Interest payable on 1st March and 1st September)
    (iv) Rs. 20,000 15% Tax free Debentures of Premier Vegetables Ltd. (unlisted)
    (Interest payable on 1st June & 1st December)
    (v) Rs. 36,000 16% Tax-free Debentures of Escorts Ltd. (listed)
    (Interest payable on 1st May and 1st November)
    (vi) Rs. 10,000 13% Bonds of Housing and Urban Development Corporation Ltd. (HUDCO)
    (Interest payable on 1st January and 1st July)

    His transactions in investments during the previous year 1996-97 were as follows :
    (i)
    (ii)
    Jagdamba Mills Ltd. cum-interest. Interest payable on 1st July and 1st January.
    (iii) 1st August, 1996 : Sold 15% listed Debentures of *Jagdamba Mills* Ltd. Ex-interest of the face value of Rs. 10,000 at a profit of Rs. 500.
    (iv) 1st August, 1996 : Purchased Rs. 10,000 12% listed Debentures of Asam Tea Company Ltd. Ex-interest. Interest payable on 1st
    (v)

Other informations :
    (i) *All transactions of purchase* and sales of securities were held through a broker who was paid brokerage @ 1% on purchase & sale.
    (ii) All interest have been received through account payee cheques. The bank has credited the amount of the cheques after deducting bank charges @ 2%.
    (iii) He took a loan of Rs. 10,000 from his brother for investment in the Debentures of Asam Tea Company Ltd. on which interest is

of Shri Kundan Lal

श्री कुन्दनलाल के पास 1 अप्रैल, 1996 को निम्न विनियोग थे :—

(i) 45,000 रु. 10% मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कर मुक्त ऋण-पत्र
(ब्याज 30 अप्रैल व 31 अक्टूबर को देय)

(ii) 20,000 रु. 15% मेघदूत लि. के ऋण-पत्र (सूचित)
(ब्याज 30 जून व 31 दिसम्बर को देय)

(iii) 30,000 रु. 16% राजस्थान स्टील लि. के ऋण पत्र (असूचित)
(ब्याज 1 मार्च व 1 सितम्बर को देय)

(iv) 20,000 रु. 15% प्रीमियर वेजीटेबल्स लि. के कर मुक्त ऋण-पत्र (असूचित)
(ब्याज 1 जून एवं 1 दिसम्बर को देय)

(v) 36,000 रु. 16% एसकोर्ट्स लि. के कर मुक्त ऋण-पत्र (सूचित)
(ब्याज 1 मई व 1 नवम्बर को देय)

(vi) 10,000 रु. 13% आवास एवं ग्रामीण विकास निगम लि. (HUDCO) के बॉण्ड्स (ब्याज 1 जनवरी व 1 जुलाई को देय)

गत वर्ष 1996-97 में उनके विनियोगों के क्रय-विक्रय निम्न प्रकार थे :

(i) 10 अप्रैल, 1996 : 20,000 रु. अंकित मूल्य के मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कर-मुक्त ऋण-पत्र 800 रु. के लाभ पर ब्याज सहित बेच दिए।

(ii) 1 जून, 1996 : जगदम्बा मिल्स लि. के 40,000 रु. के 15% सूचित ऋण-पत्र ब्याज सहित खरीदे। ब्याज 1 जनवरी व 1 जुलाई को देय।

(iii) 1 अगस्त, 1996 : 10,000 रु. अंकित मूल्य के जगदम्बा मिल्स लि. के 15% सूचित ऋण-पत्र 500 रु. के लाभ पर ब्याज रहित बेच दिये।

(iv) 1 अगस्त, 1996 : आसाम टी कम्पनी लि. के 10,000 रु. के 12% सूचित ऋण-पत्र ब्याज रहित खरीदे। ब्याज 1 मार्च व 1 सितम्बर को देय है।

(v) 15 नवम्बर, 1996 : भारतीय खाद्य निगम के 20,000 रु. के 10% कर मुक्त ऋण-पत्र ब्याज सहित खरीदे। ब्याज 1 मई व 1 नवम्बर को देय।

अन्य सूचनाएँ :

(i) क्रय-विक्रय के सभी लेनदेन एक दलाल के माध्यम से किये गये जिसे क्रय-विक्रय पर 1% दलाली दी गई।

(ii) समस्त ब्याज खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा प्राप्त किया गया है। बैंक ने बैंक व्यय 2% घटाने के बाद चैकों की रकम जमा की है।

(iii) उसने आसाम टी कम्पनी के ऋण-पत्रों को क्रय करने हेतु अपने भाई से 10,000 रु. उधार लिये थे जिन पर 10% ब्याज देय है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री कुन्दनलाल की अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। [77]

उत्तर—अन्य साधनों की आय 27,460 रु.।

11. डॉ. शाह राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। यह संसद सदस्य भी हैं। वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये इनकी आय के विवरण निम्न प्रकार हैं—

(i) संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन 3,500 रु. प्रतिमाह।

(ii) संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता 6,400 रु.।

(iii) लेखों से आय जो भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 2,800 रु.।

(iv) मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट में व्याख्यान देने पर प्राप्त पारिश्रमिक 800 रु.।

(v) विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 6,800 रु.।

(vi) वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में इनको 25,800 रु. रायल्टी के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे इस राशि में से निम्न कटौतियों की माँग करते हैं—

(अ) एक लिपिक का वेतन 1,200 रु.

(ब) पुस्तकों के संशोधन के सम्बन्ध में पुस्तकें क्रय की 1,400 रु.

(स) पुस्तकों के विक्रय के सम्बन्ध में तथा नया संस्करण छपवाने के सम्बन्ध में टेलीफोन व्यय 700 रु.।

(vii) उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में स्थाई जमा खाते में 50,000 रु. जमा करा रखे हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें 1 मई, 1996 को 5,550 रु. ब्याज के प्राप्त हुए।

(viii) जनवरी, 1997 में उन्हें राजस्थान स्टेट लॉटरीज से 15,000 रु. की आय हुई। उन्होंने विभिन्न प्रान्तों की लॉटरीज के टिकट खरीदने के सम्बन्ध में गत वर्ष में 800 रु. व्यय किये।

(ix) जापान में कृषि भूमि से 14,000 रु. की आय प्राप्त हुई। श्री गंगानगर (राजस्थान) में कृषि भूमि से आय 4,800 रु. हुई। यह भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार लगाने के लिये किराये पर उठाया गया था। इन आयों के सम्बन्ध में उन्होंने 2,600 रु. व्यय किये।

(x) उनकी अन्य आयें निम्न हैं—

(अ) जर्मनी सरकार के बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज 1,100 रु.।

(ब) शतरंज के खेल में जीते 1,200 रु।

(स) ताश के खेल एवं शर्त से जीते 1,800 रु.।

(द) 10,000 रु. अंकित मूल्य के 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (VIII निर्गम) 1 जनवरी, 1994 को क्रय किये गये थे। इन पर ब्याज 12% वार्षिक की दर से प्रति छः माह के अन्तराल पर चक्रवृद्धि आधार पर परिपक्वता पर प्राप्त होता है, किन्तु आयकर के उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ माना जाता है। तृतीय वर्ष का 100 रु. का ब्याज 15.60 रु. माना जायेगा।

(य) 10,000 रु. अंकित मूल्य के 10 वर्षीय पूँजी निवेश बॉन्ड्स पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त हुआ।

(र) 10,000 रु. के अंकित मूल्य के 5 वर्षीय राहत बॉन्ड्स पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त हुआ।

(xi) 1 जुलाई, 1996 को उन्होंने स्वयं का मकान बनवाने के लिये जमीन खरीदी। कार्य में व्यस्तता के कारण वे मकान नहीं बनवा सके। उन्होंने 1 जनवरी, 1997 को यह जमीन 400 रु. प्रति माह किराये पर उठा दी।

डॉ. शाह की कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए—

Dr. Shah is the retired Professor of the Department of Philosophy in Rajasthan University. He is also a member of Parliament. The particulars of his income for the financial year 1996-97 are as follows :

(i) Salary received as a member of Parliament Rs. 3,500 p.m.

(ii) Daily allowance for attending the session of Parliament Rs. 6,400.

(iii) Income from the articles Published in the Indian Magazines and Periodicals Rs. 2,800.

(iv) Remuneration received for the lectures delivered in Management Institute Rs. 800.

(v) Remuneration received for working as an Examiner of various universities and Institutions Rs. 6,800.

(vi) He is an Author of many books. He received Royalty of Rs. 25,800 in the Previous year. He claims the following deductions out of this income.

(a) Salary of a clerk Rs. 1,200.

(b) Books purchased for revising the books Rs. 1,400.

(c) Telephone Expenses in connection with the Printing and Sale of the book Rs. 700.

(vii) He has fixed deposits of Rs. 50,000 in the State Bank of India. He received Rs. 5,550 on 1st May, 1996 as interest on such deposits.

(viii) He earned Rs. 15,000 in January, 1997 from the Rajasthan State Lotteries. He had spent Rs 800 during the Previous year on the Purchase of Lottery Ticket of the various States.

(ix) He got an Income of Rs. 14,000 from Agricultural land in Japan and Rs. 4,800 from another agricultural land in Sriganganagar (Rajasthan). The land in Sriganganagar is not attached with any house and was let out for the purpose of arranging the market therein. He spent Rs. 2,600 in connection with these incomes.

(x) His other incomes are :

(a) Interest received on the Bonds of the Government of Germany Rs. 1,100.

(b) Winning from Chess game Rs. 1,200.

(c) Winning from Card games and betting Rs. 1,200.

(d) 6 yr. N.S.C. VIIIth issue for the nomi[illegible] of Rs. 10,000 were purchased on 1st Janua[illegible] nterest @ 12% p.a. cumulative with 6 [illegible]ly rest is received on maturity but for the purp[illegible]e of Income Tax it is deeemed

to accrue every year. Interest of Rs. 100 for third year will be taken Rs. 15.60.

(e) Received interest on 10 year Capital Investment Bonds for a nominal value of Rs. 10,000 @ 7% p.a.

(f) Received interest on 5 year Relief Bonds for a nominal value of Rs. 10,000 @ 10% p.a.

(xi) He purchased a Plot on 1st July, 1996 for constructing a house for himself. On account of remaining busy he could not get the house constructed. Hence on 1st January, 1997 he let out this land on a monthly rent of Rs. 400.

Ascertain the taxable income of Dr. Shah under the head 'Income from Other Sources' for the assessment year 1997-98. [78]

(Raj U. B. Com. 1994)

उत्तर—अन्य साधनों की आय 1,13,510 रु.।

12. श्री पंकज की गत वर्ष 1996-97 के लिए अन्य साधनों से आय का विवरण निम्नलिखित है—

(1) श्री पंकज यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक में संचालक हैं। उन्होंने संचालकों की सभाओं में उपस्थित रहने के बदले 7,500 रु. संचालक शुल्क के प्राप्त किये।

(2) श्री पंकज एक कुटीर उद्योग चलाना चाहते थे तथा उन्होंने इस कार्य के लिए एक भवन भी 1 जुलाई, 1996 को 1,000 रु. प्रतिमाह किराये पर ले लिया था। सरकार से ऋण न मिलने के कारण उन्होंने अपना इरादा बदल दिया तथा उक्त मकान को एक अन्य व्यक्ति को 1 सितम्बर, 1996 से 1,800 रु. प्रतिमाह की दर से किराये पर उठा दिया।

(3) उन्होंने जनवरी, 1996 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के कुछ यूनिट खरीदे थे। इन यूनिटों पर 16 नवम्बर, 1996 को उन्हें 13,600 रु. लाभांश प्राप्त हुआ।

(4) उन्होंने गत वर्ष में बंगलादेश में चाय के बगीचे लीज पर प्राप्त किए तथा उनको गत वर्ष में इन बगीचों से 4,000 रु. शुद्ध आय प्राप्त हुई।

(5) उन्होंने 1 जून, 1996 को एक बैंक में 2,50,000 रु. एक स्थायी जमा खाते में 6 माह की अवधि के लिए जमा करवाये तथा 5 दिसम्बर, 1996 को बैंक से 2,63,500 रु. प्राप्त किये।

(6) वे लायन्स क्लब के सदस्य हैं जहाँ वे हर रविवार को जाते हैं तथा शर्त सहित ताश खेलते हैं। गत वर्ष में कुल मिलाकर 'ब्रिज' में 1,000 रु. हारे जबकि 'रमी' में उन्होंने 4,100 रु. जीते।

(7) वे कभी-कभी घुड़दौड़ में बाजी भी लगाते हैं। गत वर्ष में उन्होंने इसमें 1,200 रु. की हानि उठाई।

(8) उन्होंने गत वर्ष में 'धर्मयुग' साप्ताहिक पत्रिका में एक 'वर्ग पहेली' भर कर भेजी थी। उनका उसमें द्वितीय स्थान रहा तथा 1 मई, 1996 को 2,400 रु. इनाम के प्राप्त हुए।

(9) उनके पास सहकारी समिति के कुछ अंश हैं। इन अंशों पर उनको गत वर्ष में 2,500 रु. लाभांश के प्राप्त हुए। इन अंशों को क्रय करने के लिए श्री राजेन्द्र ने 5,000 रु. का ऋण लिया था तथा गत वर्ष में इस ऋण पर 500 रु. ब्याज चुकाया गया।

(10) उन्हें मध्यप्रदेश स्टेट लॉट्रीज से 1 दिसम्बर, 1996 को उद्गम स्थान पर कटौती करने के पश्चात् 5,300 रु. नकद प्राप्त हुए।

(11) उनके पास 50 हैक्टर भूमि है। गत वर्ष के पूर्व तक वे इसमें कृषि करते रहे हैं। गत वर्ष में इस भूमि को ईंटों का भट्टा लगाने के लिए किराये पर उठाया गया और 14,800 रु. किराये के प्राप्त किये।

(12) श्री पंकज कभी-कभी लेख भी लिखते हैं जिन्हें वे पत्र-पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजते हैं। गत वर्ष में उन्हें इसके लिए 1,200 रु. पारिश्रमिक प्राप्त हुआ।

कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री पंकज की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

The particulars of the Income from Other Sources of Shri Pankaj for the previous year 1996-97 are as follows :-

(1) Shri Pankaj is a Director in United Commercial Bank. He received Rs. 7,500 as Director's fees for attending the Meetings of Directors.

(2) Shri Pankaj intended to run a cottage industry and for this purpose he had taken a building on rent on July 1, 1996 at Rs. 1,000 p.m. As he could not get loan from the Government, he changed his idea and sub-let that building to another person on 1st September, 1996 at a rent of Rs. 1,800 p.m

(3) In January, 1996 he purchased some units of Unit Trust of India. On these units he received a dividend of Rs. 13,600 on 16-11-1996.

(4) During the previous year he took on lease tea gardens in Bangla-Desh and earned from these gardens a net income of Rs. 4,000 in the previous year.

(5) On 1st June, 1996 he deposited Rs. 2,50,000 in Fixed Account of Bank for a period of 6 months and received back from the Bank a sum of Rs. 2,63,500 on 5th Dec, 1996.

(6) He is member of Lions Club where he goes on every Sunday and plays cards with stake. During the previous year he lost a total sum of Rs. 1,000 in 'Bridge' while in 'Rummy' he won Rs. 4,100.

(7) He occasionally bets in Horse Race also. During the previous year he lost Rs. 1,200 in it.

(8) He had filled in and sent a crossword puzzle in 'Dharmyug' a weekly Magazine in the previous year. He stood second and got a prize of Rs. 2,400 on 1st May, 1996.

(9) He owns some shares in Co-operative Society. He received Rs. 2,500 as dividend on these shares. Shri Rajendra had taken a loan

of Rs. 5,000 for purchasing these shares and Rs. 500 were paid as interest in the previous year.

(10) He received a prize of Rs. 5,300 from Madhya Pradesh State Lottery on 1st Dec., 1996 after deduction of tax at source.

(11) He owns 50 hectare land. Before the commencement of previous year it was used for agricultural purposes. It was given on lease for brick-making in the previous year and a rent of Rs. 14,800 was received.

(12) Shri Pankaj occasionally writes article also which he sends in news papers and Magazines for insertion. In the previous year he received Rs. 1,200 as remuneration for it.

Compute the taxable income under the head Income from Other Sources of Shri Pankaj for the Assessment year 1997-98. [79]

उत्तर—अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय 71,100 रु.।

13. श्री सुरेश कुमार की गत वर्ष 1996-97 की अन्य साधनों की आय का निम्न विवरण है—

(i) गत वर्ष में उनके पास निम्न प्रतिभूतियाँ थी—

(अ) 5,000 रु. के नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के 10% बॉण्ड्स। ये बॉण्ड्स आय कर से कर मुक्ति हेतु अधिसूचित हैं।

(ब) 12,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन,
ये बचत पत्र दिसम्बर, 1991 में क्रय किये गये थे। इन बचत पत्रों पर प्रत्येक 100 रु. पर पांचवे वर्ष का ब्याज 19.70 रु. कर योग्य माना जाता है।

(ii) गत वर्ष में उन्हें निम्न लाभांश प्राप्त हुआ :

(अ) 11,900 रु. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिटों से,
(ब) 3,200 रु. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक कोष की यूनिटों से,
(स) 4,800 रु. सहकारी समिति से।

(iii) उनकी राजस्थान में कृषि भूमि है। इसे 7,000 रु. वार्षिक किराये पर एक किसान को खेती करने के लिए दिया हुआ है।

(iv) वे मध्यप्रदेश सरकार की लाटरी टिकटों के वितरण एवं विक्रय के लिये अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इसके लिये उनको कमीशन प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान उनको दो बार कमीशन प्राप्त हुआ। सितम्बर, 1996 में उनको 2,025 रु. प्राप्त हुए तथा दिसम्बर, 1996 में 1,350 रु. प्राप्त हुए।

(v) उन्होंने 31-1-1997 को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से धनराशि निकालने के लिये निर्धारित प्रपत्र भरकर पोस्ट आफिस में प्रस्तुत किया। उनको पोस्ट ऑफिस से 14,400 रु. प्राप्त हुए।

(vi) जीवन बीमा निगम से ली गई 10,000 रु. की पॉलिसी के परिपक्व होने पर 3,600 रु. के बोनस सहित 13,600 रु. प्राप्त हुए।

(vii) उनको 10 अगस्त, 1996 को मैसर्स मोहनलाल सोहनलाल से 4,500 रु. ब्याज के प्राप्त हुए।

(viii) उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर में 20 जून, 1996 को 6 माह के लिये स्थायी खाते में धनराशि जमा कराई। उनको 20 दिसम्बर को 10,800 रु. ब्याज के प्राप्त हुए।

(ix) उनके बैंक लॉकर में 1,00,000 रु. के आभूषण गत वर्ष में पाये गये, जिनमें विनियोजन का स्रोत उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री सुरेश कुमार की अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Following are the particulars of income from other sources of Shri Suresh Kumar for the previous year 1996-97 :

(i) During the previous year he had following securities :

(a) Rs. 5,000 10% Bonds of Neyveli Lignite Corporation Ltd. These bonds have been notified for exemption from income tax.

(b) Rs. 12,000 National Savings Certificates VIIIth Issue.

These certificates were purchased in December, 1991. The interest on these certificates is deemed to accrue for income tax purposes on Rs. 100 for fifth year Rs. 19.70.

(ii) During the previous year he received the following dividends :

(a) Rs. 11,900 from units of U.T.I.,

(b) Rs. 3,200 from units of S.B.I. Mutual Fund,

(c) Rs. 4,800 from a Co-operative Society.

(iii) He has agricultural land in Rajasthan. It has been given on a rent of Rs. 7,000 per annum to a cultivator for cultivation.

(iv) He is working as an authorised agent for the selling and distribution of Lottery tickets of M.P. Government. He gets commission for this work. During the previous year 1996-97 he [illegible]

(v) [illegible] National Savings Scheme Account. He received Rs. 14,400 from Post Office.

(vi) He received Rs. 13,600 including bonus of Rs. 3,600 on the maturity of a policy of Rs. 10,000 of the Life Insurance Corporation.

(vii) He received Rs. 4,500 on 10-8-1996 for interest from M/S Mohan Lal Sohan Lal.

(viii) He deposited on 20th June, 1996 certain money with State Bank of Bikaner and Jaipur in F.D. Account for 6 months. He received Rs. 10,800 for interest on 20-12-96.

(ix) Ornaments worth Rs. 1,00,000 were found in the privious year in his Bank Lokcer, the source of investment in which could not be explained by him.

Compute the taxable income of Shri Suresh Kumar under the head income from other sources for the assessment year 1997-98.

उत्तर—अन्य साधनों की आय 1,63,114 रु.। [80]

14. श्री घनश्याम की आयों के निम्नलिखित विवरण से आप 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए :

(i) जयपुर आयरन वर्क्स लि. से जून, 1996 में प्राप्त लाभांश 1,920 रु.।

(ii) भारत इंजीनियरिंग कम्पनी लि. (जनता के सारवान हित वाली कम्पनी जो लाभांश का भुगतान खाते में जमा होने वाले चैक से करती है) से मई, 1996 में प्राप्त लाभांश 1,920 रु.।

(iii) फ्रांस में स्थित एक विदेशी कम्पनी से अगस्त, 1996 में प्राप्त लाभांश 3,200 रु.।

(iv) आसाम टी कम्पनी लि. द्वारा लाभांश फरवरी, 1997 में घोषित किया गया 5,000 रु.। लाभांश पत्र अप्रैल, 1997 में डाक में डाले गये और भुगतान करदाता को मई, 1997 में प्राप्त हुआ।

(v) विजया लि. के संचालकों द्वारा अंतरिम लाभांश फरवरी, 1997 में घोषित किया गया 3,600 रु.। लाभांश पत्र अप्रैल, 1997 में डाक में डाले गये और करदाता को भुगतान मई, 1997 में प्राप्त हुआ।

(vi) 1995 वर्ष के लिये गुप्ता प्लास्टिक लि./के 5,000 रु. के अधिमान अंशों पर 12% कर मुक्त लाभांश तथा एकत्रित लाभों में से 1,600 रु. बोनस अगस्त, 1996 में प्राप्त हुआ।

(vii) श्री घनश्याम हन्सा लि. के 100 रु. वाले 100 समता अंशों के धारक हैं। कम्पनी ने अपने सामान्य संचय में से 2 समता अंशों के बदले में 1 बोनस अंश 30 जून, 1996 को बंटन किया। उस दिन कम्पनी के एक समता अंश का बाजार मूल्य 125 रु. था।

(viii) वे बिरला जूट मिल्स लि. के 100 रु. वाले 50 अंशों के धारक थे। इस कम्पनी ने अपनी पूंजी कम करने पर उनको 2,000 रु. नकद 16 जनवरी, 1997 को दिये। यदि उस दिन समस्त लाभ वितरित कर दिये जाते तो उनका भाग 1,200 रु. होता।

(ix) वे सुजाता तेल मिल्स लि. के भी अंशधारी हैं। वहाँ से उन्होंने वित्तीय वर्ष 1995-96 में 4,000 रु. का ऋण लिया था। वित्तीय वर्ष 1996-97 में इस कम्पनी द्वारा उनके अंशों पर 2,000 रु. कर मुक्त लाभांश की 1 जून, 1996 में घोषित राशि का उस ऋण की आंशिक पूर्ति हेतु समायोजन कर लिया गया।

(x) उन्होंने भावना लि. के चुकता मूल्य 45,000 रु. के अंश 10 फरवरी, 1996 को 54,000 रु. में क्रय किये थे। कम्पनी का 1 अक्टूबर, 1996 को समापन हो गया। उस समय उसकी चुकता पूंजी 2,25,000 रु. थी और एकत्रित लाभ 22,500 रु. थे। निस्तारक ने 1 फरवरी, 1997 को पूर्ण भुगतान कर दिया, जिसके लिये उसके पास 4,05,000 रु. उपलब्ध थे।

(xi) उन्हें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया तथा राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम हेतु डाकघर के एजेण्ट के रूप में कार्य करने के कमीशन के 16,000 रु. प्राप्त हुए। वे अनुमानित व्यय 10,000 रु. की कटौती की मांग करते हैं।

(xii) उनको उनकी मृत पत्नी के नियोक्ता से पारिवारिक पेंशन 1,000 रु. प्रति माह प्राप्त होती है।

From the following particulars of the income of Shri Ghanshyam, Compute his taxable income under the head 'Income from other sources' for the year ended 31st March, 1997 :

(i) Dividend received in June, 1996 from the Jaipur Iron Works Ltd. Rs. 1,920.

(ii) Dividend received in May, 1996 from the Bhart Engineering Company Ltd. (a company in which the public is substantially interested and which pays dividend by account payee cheque only) Rs. 1,920.

(iii) Dividend received in August, 1996 from a foreign company in France Rs. 3,200.

(iv) Dividend declared by Assam Tea Company Ltd. in February, 1997 Rs. 5,000 Dividend Warrants posted in April, 1997 and payment was received by the assessee in May, 1997.

(v) Interim Dividend declared by the directors of Vijaya Ltd. in February, 1997 Rs. 3,600. Dividend Warrants posted in April, 1997 and the payment was received by the assessee in May, 1997.

(vi) Dividend for 1995 on Rs. 5,000 12% Tax-free Preference shares of Gupta Plastic Ltd. and bonus out of the accumulated profits Rs. 1,600 received in August, 1996.

(vii) Shri Ghanshyam is the holder of 100 equity shares of Rs. 100 each of Hansa Ltd. Out of its general reserve the company alloted on 30th June, 1996 one bonus share for every two equity shares. The market value of one share of the company on that day was Rs. 125.

(viii) He was the holder of 50 shares of Rs. 100 each of Birla Jute Mills Ltd. On the reduction of its capital, the company paid him on 16th January, 1997 Rs. 2,000. Had all the accumulated profits of the company on that day distributed his share would have been Rs. 1,200.

(ix) He is also the shareholder of Sujata Oil Mills Ltd. from he took a loan of Rs. 4,000 during the financial year

During the financial year 1996-97, tax free dividend of Rs. 2,000 was declared on June 1, 1996 by the company on his shares. The amount of dividend declared was adjusuted against part payment of this loan.

(x) He had purchased shares of the paid up value of Rs. 45,000 of Bhawana Ltd. on 10th February, 1996 for Rs. 54,000. The company went into liquidation on 1st October, 1996. when its paid up capital was Rs. 2,25,000 and accumulated profits were Rs. 22,500. The liquidator made the full payment on 1st February, 1997, for which Rs. 4,05,000 were available with him.

(xi) For acting as an agent of the Unit Trust of India and the Post Office National Savings Certificates VIII issue he received during the previous year Rs. 16,000 as commission. He claims Rs. *10,000 for estimated expenses.*

(xii) He gets Rs. 1,000 per month as Family Pension from the employee of his deceased wife. **[81]**

उत्तर—अन्य साधनों की कर योग्य आय 39,470 रु.।

□□□

10
मानी गयी आयें
(Deemed Incomes)

अधिकांश करदाता स्वभाव से इस प्रकृति के होते हैं कि उनके द्वारा सरकार को कम से कम कर का भुगतान किया जाये। अपने इस अवांछनीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अक्सर दो प्रकार के तरीके अपनाते हैं। प्रथम, तरीके को कर का अपवंचन (Avoidance) कहते हैं। इस विधि के अन्तर्गत करदाता आय-कर अधिनियम की कमियों को ढूँढता है और अपनी आय का निबटारा इस प्रकार करता है कि उसको कम से कम कर का भुगतान करना पड़े। दूसरे तरीके के अन्तर्गत करदाता कर की चोरी (Evasion) करने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए वह अपनी सम्पत्तियों तथा विनियोगों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता है और उनका पूरा विवरण भी नहीं रखता है। आय-कर अधिनियम में करदाता को इस प्रकार कर बचाने से रोकने के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। धारा-60 से 65 कर के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से सम्बन्धित है जब कि 68 से 69D तक की धाराएँ कर की चोरी को रोकने से सम्बन्धित हैं। इन धाराओं के अन्तर्गत एक करदाता की कुल आय में जो आयें सम्मिलित होती हैं उनको मानी गई आय कहते हैं।

करदाता की आय में सम्मिलित की जाने वाली अन्य व्यक्तियों की आयें

कर बचाने के दृष्टिकोण से अनेक करदाता अपनी आय अथवा सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देते हैं। कर के अपवंचन को रोकने के लिए अधिनियम में प्रभावपूर्ण व्यवस्था की गई है। ऐसी परिस्थिति में सम्पत्ति की आय को प्राप्त करने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता है परन्तु इसे करदाता की आय में सम्मिलित किया जाता है। अधिनियम में स्पष्टतया वर्णित कुछ परिस्थितियाँ निम्न हैं—

(1) आय का हस्तान्तरण—धारा-60 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी सम्पत्ति की आय का तो हस्तान्तरण कर देता है, परन्तु सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं करता तो ऐसी दशा में हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्त्ता की आय मानी जायेगी। ऐसी आय यद्यपि जिसको आय हस्तान्तरित की गई है, उसको प्राप्त होती है, परन्तु हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में शामिल की जाती है।

Illustration 1.

Naresh is the owner of some house ...

For all these years Naresh is to remain the owner of the entire house property including the property the income from which has to go to Suresh.

Naresh's total income for the previous year 1996-97 amount to Rs. 10,000 (excluding the transferred income). Suresh's total income of Rs. 12,000 for the same previous year included Rs. 4,000 from the property belong to Naresh.

Compute the total income of Naresh and Suresh for the assessment year 1997-98.

नरेश कुछ मकान सम्पत्तियों का स्वामी है। उसने इनमें से एक-मकान की आय का हस्तान्तरण 20 वर्ष की अवधि के लिए अपने मित्र सुरेश के पक्ष में कर दिया। इन समस्त वर्षों में सुरेश को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति को शामिल करते हुए सभी मकान सम्पत्तियों का स्वामी नरेश ही रहेगा।

गत वर्ष 1996-97 के लिये नरेश की कुल आय हस्तान्तरित आय को छोड़कर 10,000 रु. रही। उस गत वर्ष के लिए सुरेश की 12,000 रु. की कुल आय में 4,000 रु. की आय नरेश के मकान की भी सम्मिलित है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये नरेश एवं सुरेश की कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

नरेश ने सुरेश को सम्पत्ति की आय का तो हस्तान्तरण कर दिया, परन्तु सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में धारा-60 लागू हो जाती है और सम्पत्ति की आय सम्पत्ति के मालिक की आय में सम्मिलित की जाती है। अत. उक्त मकान की 4,000 रु. की आय नरेश की आय में ही सम्मिलित की जायेगी। इस प्रकार नरेश की कुल आय (10,000 रु. + 4,000 रु) =14,000 रु. एवं सुरेश की कुल आय (12,000 – 4,000) =8,000 रु. होगी।

(2) सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तान्तरण—धारा-61 के अनुसार किसी व्यष्टि को सम्पत्तियों के खण्डनीय हस्तान्तरण (Revocable transfer of assets) से प्राप्त होने वाली आय हस्तान्तरणकर्त्ता की आय मानी जायेगी और उसकी कुल आय में शामिल की जायेगी।

धारा-62 के अनुसार निम्नलिखित हस्तान्तरणों से प्राप्त होने वाली आय पर धारा-61 में दिया हुआ नियम लागू नहीं होगा—

(अ) सम्पत्ति का हस्तान्तरण जब किसी ऐसे ट्रस्ट के अन्तर्गत किया गया हो जो लाभ प्राप्तकर्त्ता (Beneficiary) के जीवन-काल में अखण्डनीय हो।

(आ) अन्य प्रकार के हस्तान्तरण की दशा में यदि जिसको हस्तान्तरण किया गया हो उसके जीवन-काल में अखण्डनीय हो।

(इ) यदि हस्तान्तरण 1 अप्रैल, 1961 के पहले किये गये हों और जो 6 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अखण्डनीय हों।

टिप्पणी—धारा-60, 61 एवं 62 के लिए कोई भी हस्तान्तरण खण्डनीय हस्तान्तरण माना जायेगा, यदि—

(अ) हस्तान्तरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हस्तान्तरणकर्ता सम्पत्ति की सम्पूर्ण आय अथवा आय के किसी भाग को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पुनः हस्तान्तरित कर सकता है; या

(आ) हस्तान्तरण में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हस्तान्तरणकर्ता सम्पत्ति की आय अथवा आय के किसी भाग पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्राप्त कर सकता है।

(3) जीवन-साथी की आय (Income of spouse)—यहाँ पर जीवन-साथी से तात्पर्य, पुरुष करदाता के लिए उसकी पत्नी एवं स्त्री के लिए उसके पति से है। एक व्यक्ति की निम्नलिखित साधनों से होने वाली आय उसके जीवन-साथी की आय में शामिल की जाती है। [धारा-64 (1), (ii) एवं (iv)]

(अ) ऐसे करदाता के जीवन-साथी को वेतन, कमीशन, फीस अथवा अन्य किसी प्रकार का पारिश्रमिक जो किसी ऐसी संस्था से प्राप्त किया गया हो जिसमें ऐसे करदाता का पर्याप्त हित हो। चाहे यह पारिश्रमिक मुद्रा में प्राप्त किया गया हो अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त किया गया हो।

परन्तु यदि करदाता का जीवन-साथी टेक्नीकल या पेशे सम्बन्धी योग्यता रखता है और उसने कोई आय एकमात्र अपनी टेक्नीकल और पेशे सम्बन्धी ज्ञान एवं अनुभव के प्रयोग के द्वारा प्राप्त की है तो ऐसी आय प्राप्त करने वाले जीवन-साथी की ही आय में शामिल होगी।

स्पष्टीकरण—(1) कम्पनी की दशा में पर्याप्त हित किसी व्यक्ति का उस दशा में माना जाता है जबकि उसके पास या उसके रिश्तेदारों के पास मिला कर कम से कम 20% या अधिक मताधिकार वाले अंश गत वर्ष में किसी भी समय रहे हैं। अन्य किसी दशा में किसी व्यक्ति का पर्याप्त हित उस दशा में माना जाता है जबकि वह व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदार मिल कर गत वर्ष में कभी भी कम से कम 20% लाभ प्राप्त करने के अधिकारी रहे हों।

(2) यदि किसी संस्था में दोनों जीवन-साथियों का सारवान हित हो तथा दोनों जीवन साथी उस संस्था से वेतन, कमीशन आदि प्राप्त करते हैं तो इस संस्था से प्राप्त वेतन, कमीशन आदि को एक ही जीवन-साथी की कुल आय में सम्मिलित किया जायेगा। इस फर्म से प्राप्त वेतन एवं कमीशन के अलावा अन्य कुल आय जिस जीवन-साथी की अधिक होगी, उसकी कुल आय में ही दूसरे जीवन साथी को प्राप्त वेतन, कमीशन आदि सम्मिलित किये जायेंगे तथा भविष्य में भी ऐसी आयें उसी जीवन-साथी की आय में सम्मिलित की जाती रहेगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझे। परिवर्तन से पूर्व दूसरे जीवन-साथी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

(ब) हस्तान्तरित सम्पत्तियों की आय—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सम्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन-साथी को हस्तान्तरित कर दी हो तो इस सम्पत्ति की आय हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में ही जोड़ी जायेगी। निम्न परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होगा—

(i) यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण उचित प्रतिफल के बदले में हुआ हो; या

(ii) सम्पत्ति का हस्तान्तरण पति-पत्नी के अलग-अलग रहने के किसी समझौते के अन्तर्गत हुआ हो।

(4) पुत्र-वधू की आय—1-6-1973 के बाद यदि कोई करदाता बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपनी पुत्र-वधू को कोई सम्पत्ति हस्तान्तरित करता है तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पुत्र-वधू को प्राप्त आय उस करदाता की [illegible] में ही सम्मिलित की जायेगी। [धारा-64 (1) (vi)]

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन-साथी को अथवा पुत्र-वधू को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्पत्ति हस्तान्तरित की है तथा हस्तान्तरिति ने उस सम्पत्ति को किसी व्यवसाय में विनियोजित किया है तो ऐसे विनियोग से होने वाली आय को उस व्यक्ति की आय में ही सम्मिलित किया जायेगा। ऐसी आय की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

(i) यदि हस्तान्तरिति द्वारा किसी व्यवसाय में किया गया विनियोग एक साझेदार की हैसियत से अपनी हिस्से की पूँजी के अंशदान के रूप में नहीं किया गया है तो हस्तान्तरिति को गत वर्ष में उस व्यवसाय से होने वाली कुल आय का आनुपातिक भाग ही करदाता अथवा *सम्पति के हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में सम्मिलित किया जायेगा।* करदाता की आय में सम्मिलित की जाने वाली आय का हस्तान्तरिति को इस व्यवसाय से प्राप्त कुल आय से वही अनुपात होगा जो अनुपात गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरित सम्पत्ति का हस्तान्तरिति द्वारा इस व्यवसाय में विनियोजित कुल सम्पत्ति से है।

उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 50,000 रु. की सम्पति हस्तान्तरित की। पत्नी ने एक व्यवसाय में कुल 1,25,000 रु. विनियोजित किये एवं 40,000 रु. की आय प्राप्त की। उस व्यक्ति की आय में $40,000 \times \frac{2}{5} = 16,000$ रु. सम्मिलित किये जायेंगे।

(ii) यदि हस्तान्तरिति द्वारा किसी व्यवसाय में किया गया विनियोग एक फर्म के साझेदार की हैसियत से पूँजी के अंशदान के रूप में है तो हस्तान्तरिति को उस फर्म से गत वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज का केवल आनुपातिक भाग ही करदाता की आय में सम्मिलित किया जायेगा। करदाता की आय में सम्मिलित किये जाने वाले ब्याज का हस्तान्तरिति को इस फर्म से प्राप्त कुल ब्याज से वही अनुपात होगा जो अनुपात गत वर्ष के प्रथम दिन हस्तान्तरित सम्पत्ति का हस्तान्तरिति द्वारा इस फर्म में विनियोजित कुल सम्पत्ति से है।

(5) व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समुदाय को हस्तान्तरित सम्पति की आय—धारा-64 [illegible] में उसके द्वारा बिना उचित प्रतिफल [illegible] त सम्पति की आय उस सीमा तक शामिल की जायेगी, जिस सीमा तक ऐसी सम्पत्तियों की आय उसके जीवन-साथी अथवा पुत्र-वधू के तत्काल अथवा भावी हित के लिए हो।

(6) अवयस्क बच्चे की आय (Income of a Minor Child)—धारा 64 (1A) के अनुसार अवयस्क बच्चे की आय (विकलांग बच्चे को छोड़कर) को उसके माता अथवा पिता की आय में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रलिखित प्रावधान हैं—

(i) यदि किसी अवयस्क बच्चे के माता-पिता का विवाह अस्तित्व में है तो अवयस्क बच्चे की आय उसके पिता अथवा माता में से उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की

जायेगी जिसकी कुल आय (इस वाक्यांश की आय को छोड़कर) दूसरे की कुल आय से अधिक है।

(ii) यदि माता-पिता का विवाह विच्छेद हो चुका है तो अवयस्क बच्चे की आय दोनों में से उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की जायेगी जिसने गत वर्ष में अवयस्क बच्चे का पालन किया है।

यदि अवयस्क बच्चे की आय को माता अथवा पिता में से किसी एक की आय में एक बार सम्मिलित कर लिया जाता है तो भविष्य में भी उस अवयस्क बच्चे की आय उसी अभिभावक (माता अथवा पिता) की आय में सम्मिलित होती रहेगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे। परिवर्तन के पूर्व दूसरे अभिभावक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।

परन्तु यदि किसी अवयस्क बच्चे ने नीचे वर्णित कोई आय कमाई हो तो उस आय को उसके माता-पिता की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा—

(अ) किसी शारीरिक परिश्रम से कमाई गई आय;

(ब) किसी ऐसे कार्य से आय जिसमें उसने चतुराई, कुशलता, विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभव का प्रयोग किया हो।

धारा 10(32) के तहत कटौती—यदि किसी करदाता की आय में उसके अवयस्क बच्चे की आय को सम्मिलित किया जाता है तो प्रत्येक बच्चे के लिये जिसकी आय जोड़ी जाती है निम्न कटौती दी जाती है–

(अ) जोड़ी गई सम्पूर्ण राशि, अथवा

(ब) 1,500 रु. (दोनों में जो भी राशि कम हो)।

धारा 80-U में वर्णित असमर्थता से पीड़ित अवयस्क बच्चे की आय के सम्बन्ध में इस धारा की व्यवस्थाएँ लागू नहीं होगी, अर्थात् विकलांग बच्चे को आय करदाता की आय में शामिल नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—(i) अवयस्क बच्चे से अभिप्राय वैधानिक बच्चे से है चाहे वह गोद लिया हुआ हो अथवा सौतेला हो परन्तु इसमें अवैध बच्चे को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार बच्चे शब्द में पुत्र एवं पुत्री ही सम्मिलित होते हैं। पौते-पौती एवं भतीजे-भतीजी को बच्चे में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(ii) अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता-पिता की आय में सम्मिलित किये जाने की इस धारा की व्यवस्थाएँ उस समय तक ही लागू होंगी जब तक बच्चा अवयस्क रहता है।

(7) हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय—31 दिसम्बर, 1969 के बाद यदि किसी हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पति को हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तान्तरित कर देता है तो ऐसी सम्पत्ति से उपार्जित होने वाली आय इस सदस्य को उपार्जित मानी जायेगी।

हिन्दू अविभाजित परिवार के बँटवारे पर ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति का जो भाग उसके जीवन-साथी को मिलेगा, उससे उसको होने वाली आय उस व्यक्ति की ही कुल आय में जोड़ी जायेगी।

यदि हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय का कोई हिस्सा उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे परिवार की आय में अथवा जीवन-साथी की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

बेनामी व्यवहार (Benami Transactions)—जब कोई व्यक्ति कर बचाने के उद्देश्य से कोई व्यवहार काल्पनिक व्यक्ति या नकली व्यक्ति के नाम में करता है तो इस प्रकार के व्यवहार को बेनामी व्यवहार एवं ऐसे नकली व्यक्ति को बेनामीदार कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी बेनामीदार को कम मूल्य पर माल बेचना अथवा बेनामीदार को किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया जाना अथवा बेनामीदार के नाम से कोई सम्पत्ति व माल खरीदना अथवा बेचना। यदि निर्धारण अधिकारी ऐसा समझता है कि कोई व्यवहार बेनामी प्रकृति का है तो वह उस व्यवहार की आय वास्तविक व्यक्ति की आय मान सकता है और उसी से उस व्यवहार की आय पर कर वसूल कर सकता है।

अन्य व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नियम—

(1) अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी व्यवस्थाएँ ऋणात्मक आय पर भी लागू होती हैं।

(2) अन्य व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में सम्मिलित किये जाते समय किसी आय का शीर्षक वहीं होगा जो ऐसी आय करदाता की स्वयं की होने पर होता। उदाहरण के लिए हस्तान्तरित मकान सम्पत्ति की आय 'मकान सम्पत्ति की आय' शीर्षक में एवं हस्तान्तरित प्रतिभूतियों की आय "अन्य साधनों से आय" शीर्षक में सम्मिलित की जायेगी।

(3) ऐसी आय में से यदि उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की गई हो तो उसे सकल बनाकर सम्मिलित किया जायेगा। करदाता के कर-निर्धारण के समय उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर का लाभ करदाता को ही प्राप्त होगा। उसके द्वारा देय सकल कर में से इसे घटा दिया जायेगा।

(4) ऐसी आय के सम्बन्ध में यदि आय-कर अधिनियम के अध्याय VI-A में वर्णित सकल कुल आय में से दी जाने वाली विभिन्न कटौतियों में से कोई कटौती दी जा सकती है तो उस कटौती का लाभ करदाता ही प्राप्त करेगा।

(5) अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय के विनियोजन से भी आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय के विनियोजन से प्राप्त आय को अन्य व्यक्ति की आय में ही सम्मिलित किया जायेगा। करदाता की आय में केवल मूल सम्पत्ति की आय को ही सम्मिलित किया जायेगा। मूल सम्पत्ति की आय से कमाई गई आय को करदाता की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) इस प्रकार हस्तान्तरित सम्पत्ति में कोई वृद्धि होती है तो मूल सम्पति की आय को ही करदाता की आय में सम्मिलित किया जायेगा, बढ़ी हुई सम्पत्ति की आय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक कम्पनी के अंश उपहार में दिये। अंशों का लाभांश करदाता की आय में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु यदि कम्पनी बोनस अंश निर्गमित कर देती है तो बोनस के रूप में मिले अंशों का लाभांश करदाता

की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसे उसकी पत्नी की आय में ही सम्मिलित किया जायेगा।

अस्पष्ट साधनों की आय

कर की चोरी के उद्देश्य से करदाता अपने किसी धन, विनियोग आदि को या तो पुस्तकों में दिखाता ही नहीं है अथवा कम रकम से दिखाता है और कर की चोरी कर लेता है। कर की इस प्रकार की जाने वाली चोरी को रोकने के लिए धारा-68 से 69 D की व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) नगद साख (Cash Credit)—करदाता के व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय यदि उसकी पुस्तकों में ऐसी राशि जमा दिखलाई गई हो, जिसके साधन अथवा प्रकृति के बारे में करदाता कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके तो निर्धारण अधिकारी धारा-68 के अन्तर्गत ऐसी जमा राशि को करदाता की गत वर्ष की आय मानकर उस पर आय-कर लगा सकता है।

(2) ऐसे विनियोग जिनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं हो (Unexplained investment)—कर-निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वित्तीय वर्ष में यदि करदाता ने ऐसे विनियोग किये हैं जो न तो उसने अपने बहीखातों में दिखायें हैं और न ही जिनके स्रोत एवं प्रकृति के बारे में दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की सम्मति में संतोषजनक है तो ऐसी दशा में धारा-69 के अनुसार इस प्रकार के विनियोग का मूल्य करदाता की ऐसी वित्तीय वर्ष की आय मान ली जायेगी।

(3) स्पष्ट नहीं किये गये धन आदि (Unexplained money etc.)—धारा-69 (अ) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में यदि करदाता के पास ऐसा कोई धन, जेवर, सोना, चाँदी, अथवा अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु पाई जाती है जिन्हें उसने अपने बहीखाते में नहीं दिखाया है और करदाता इस प्रकार के धन की प्राप्ति के साधन अथवा प्रकृति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है अथवा उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की सम्मति में सन्तोषजनक नहीं है तो ऐसी दशा में इस प्रकार का धन और सोना, चाँदी, जेवर या मूल्यवान वस्तुओं का मूल्य करदाता की उस वर्ष की आय मान ली जायेगी।

(4) ऐसे विनियोग जिनको बहीखातों में पूरा नहीं दिखाया गया हो (Amount of investment not fully disclosed in books of account)—धारा-69 ब के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष में करदाता ने कोई विनियोग किये हैं अथवा सोना-चाँदी, जेवर या बहुमूल्य वस्तुयें उनके नाम पर पाई जाती हैं और निर्धारण अधिकारी को यह पता चलता है कि इन विनियोगों पर व्यय की गई राशि अथवा सोने-चाँदी, जेवर आदि खरीदने पर व्यय किया गया धन करदाता द्वारा अपने बहीखातों में इस सम्बन्ध में दिखाई गई रकम से अधिक है तथा करदाता इस आधिक्य का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो यह अधिक रकम करदाता की उस वर्ष की कर-देय आय मान ली जायेगी।

(5) न स्पष्ट किया गया व्यय (Unexplained expenditure etc.)—यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई करदाता कोई खर्चा करता है तथा उस खर्चे के साधन के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता अथवा उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी के विचार

से सन्तोषप्रद नहीं है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे खर्चे अथवा उसके किसी भाग को उस वित्तीय वर्ष की आय मान सकता है।

(6) **हुण्डी पर लिए हुए ऋण तथा उसका भुगतान (Amount borrowed or repaid on hundi)**—धारा 69 द के अनुसार हुण्डी पर ऋण लेने वाले एवं ऐसे ऋण की वापसी सम्बन्धी लेन-देन खाते में जमा होने वाले (Account payee) चैक द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर यह रकम ऋण लेने वाले अथवा ऋण वापस करने वाले की उस वित्तीय वर्ष की आय मानी जायेगी जिसमें ऋण लिया गया है अथवा वापस किया गया है। ऋण के पुनर्भुगतान की रकम में ऋण का ब्याज भी शामिल होगा।

Illustration 2.

Following are the particulars of the incomes of shri Bhupesh and smt. Bhupesh for the year ending on 31st March, 1997—

(i) Shri Bhupesh and Smt. Bhupesh both are partners in a firm. None of the partner have substantial interest in the firm. Bhupesh received Rs. 36,000 as salary and Rs. 10,000 as interest from the firm while Smt. Bhupesh received Rs. 27,000 as interest.

Each had a share of profit of Rs. 10,000.

(ii) Shri Bhupesh had transferred investments worth Rs. 1,00,000 a few years ago to the minor child of his son. The minor child of his son earned income worth Rs. 40,000 during the past years from these investments. During the previous year the minor child earned income worth Rs. 21,000 *on an investment of Rs. 1,40,000.*

(iii) Three years ago Smt. Bhupesh transferred to shri Bhupesh property worth Rs. 1 lakh. During the previous year Shri Bhupesh received income of Rs. *20,000 from this property.*

(iv) Smt. Bhupesh owns a house property. During the previous year smt. Bhupesh earned taxable income of Rs. 18,000 from this house property. This house was transferred to smt. *Bhupesh 5* years ago by her mother-in-law without consideration.

(v) Mother of Shri Bhupesh transferred to the minor child of shri Bhupesh property worth Rs. 50,000 a few years ago. The minor child of Shri Bhupesh received Rs. 10,000 as income from this property during the previous year.

On the basis of above particulars, compute the Gross Total Income of Shri Bhupesh and Smt. Bhupesh for the assessment year 1997-98.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में श्री भूपेश एवं श्रीमती भूपेश को आय का विवरण निम्न है—

(i) श्री भूपेश एवं श्रीमती भूपेश दोनों एक ही फर्म में साझेदार हैं। दोनों में से किसी का भी फर्म में सारवान हित नहीं है। श्री भूपेश को गत वर्ष में फर्म से वेतन के रूप में 36,000 रु. एवं ब्याज के रूप में 10,000 रु. प्राप्त हुये जबकि श्रीमती भूपेश को ब्याज के रूप में 27,000 रु. प्राप्त हुये। लाभ का हिस्सा प्रत्येक का *10,000 रु. था।*

(ii) श्री भूपेश ने अपने पुत्र के अवयस्क बच्चे को कुछ वर्ष पूर्व 1,00,000 रु. के विनियोग हस्तान्तरित किये थे। पिछले वर्षों में अवयस्क बच्चे को इनसे 40,000 रु. की आय हुई। गत वर्ष में अवयस्क बच्चे को 1,40,000 रु. के विनियोगों पर 21,000 रु. की आय प्राप्त हुई।

(iii) श्रीमती भूपेश ने श्री भूपेश को तीन वर्ष पूर्व 1,00,000 रु. की सम्पत्ति हस्तान्तरित की थी। इस सम्पत्ति से श्री भूपेश को गत वर्ष में 20,000 रु. की आय हुई।

(iv) श्रीमती भूपेश एक मकान की मालिक है। गत वर्ष में इस मकान से श्रीमती भूपेश को 18,000 रु. की कर-योग्य आय हुई। यह मकान 5 वर्ष पूर्व श्रीमती भूपेश को इनकी सास (Mother in law) द्वारा बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित किया गया था।

(v) श्री भूपेश की माताजी ने कुछ वर्ष पूर्व श्री भूपेश के अवयस्क लड़के को 50,000 रु. की सम्पत्ति हस्तान्तरित की थी। गत वर्ष में इस सम्पत्ति से श्री भूपेश के अवयस्क लड़के को 10,000 रु. की आय हुई।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री भूपेश एवं श्रीमती भूपेश की सकल कुल आय ज्ञात कीजिए।

Solution : Computation of Gross Total Income of Shri Bhupesh for the A. Y. 1997-98

			Rs.	Rs.
1.	Income from Business or Profession :			
	Salary from the firm			36,000
	Interest from the firm			10,000
	Gross Total Income			46,000

Computation of Gross Total Income of Smt. Bhupesh

1.	Income from Business & Profession :			
	Interest from the firm			27,000
2.	Income from Other Sources :			
	(a) Income from the property transferred to Shri Bhupesh		20,000	
	(b) Income from the property of minor child of Smt. Bhupesh which was transferred to the minor child by his grand mother	10,000		
	Less : Exemption u/s 10 (32)	1500	8500	28,500
	Gross Total Income			55,500

टिप्पणी—(i) श्री भूपेश एवं श्रीमती भूपेश एक ही फर्म में साझेदार हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से दोनों की आय पर पृथक-पृथक कर लगेगा।

(ii) फर्म से प्राप्त लाभ का हिस्सा कर-मुक्त है।

(iii) श्री भूपेश ने अपने पुत्र के अवयस्क बच्चे को जो सम्पति हस्तान्तरित की थी उसकी आय अवयस्क पौते के माता-पिता अर्थात् श्री भूपेश के पुत्र अथवा पुत्र-वधू की आय में शामिल की जायेगी। इसे श्री भूपेश की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iv) श्रीमती भूपेश ने श्री भूपेश को तीन वर्ष पूर्व जो सम्पत्ति हस्तान्तरित की थी, उस सम्पत्ति की आय श्रीमती भूपेश की आय में सम्मिलित की जायेगी।

(v) श्रीमती भूपेश को जो मकान-सम्पत्ति 5 वर्ष पूर्व उसकी सास द्वारा हस्तान्तरित की गई थी, उस मकान सम्पत्ति की आय श्रीमती भूपेश की सास की आय में सम्मिलित की जायेगी।

(vi) श्री भूपेश के अवयस्क बच्चे को श्री भूपेश की माता (उस अवयस्क बच्चे की दादी) द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय उसके बच्चे की आय होगी, दादी की नहीं। परन्तु धारा 64 (1A) के तहत अवयस्क बच्चे के माता-पिता में से उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की जायेगी जिसकी अन्य आय (इस अवयस्क बच्चे की आय को छोड़कर) अधिक है। प्रस्तुत प्रश्न में श्री भूपेश की आय 46,000 रु. है तथा श्रीमती भूपेश की आय 47,000 रु. है। अतः अवयस्क बच्चे की आय को श्रीमती भूपेश की आय में सम्मिलित किया गया है।

(vii) जब अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता-पिता की आय में सम्मिलित किया जाता है तो प्रत्येक बच्चे के लिए धारा 10(32) के तहत 1,500 रु. तक की छूट दी जाती है।

Illustration 3.

[illegible] Dinesh [illegible] ing on 31st March, 1997.

[illegible] Ltd [illegible] Dinesh possesses professional qualifications while Smt. Dinesh does not possess such qualifications. Both have substantial interest in this company.

(ii) Smt. Dinesh transferred investments worth Rs. 2 lakhs to Shri Dinesh which earns income @ 15% per annum. Shri Dinesh invested the income of first year in the similar investments and earned income of Rs. 34,500 on the total investments of Rs. 2,30,000.

(iii) Shri Dinesh owns a house property. *The property is let out at a rent of Rs. 600 per month while its municipal valuation is Rs. 10,000.* Municipality levies 10% tax.

(iv) Mahesh is a retail trader and earned Rs. 15,000 during the previous year.

(v) Shri Ganesh has investments worth Rs. 40,000 which were [illegible] …0 during the previous year from this house.

From the above particulars, compute the gross total income of Shri Dinesh, Smt. Dinesh and the minor children for the assessment year 1997-98.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में श्री दिनेश, श्रीमती दिनेश एवं उनके दो अवयस्क बच्चों महेश एवं गणेश की आय का विवरण निम्न है—

(i) श्री दिनेश एवं श्रीमती दिनेश दोनों एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में सेवारत हैं तथा प्रत्येक को कम्पनी से 4,000 रु. प्रतिमाह का स्थिर वेतन प्राप्त होता है। श्री दिनेश पेशे सम्बन्धी विशेष योग्यता रखते हैं जबकि श्रीमती दिनेश के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। इस कम्पनी में दोनों का ही सारवान हित है।

(ii) श्रीमती दिनेश ने श्री दिनेश को दो लाख रु. के विनियोग हस्तान्तरित किये थे जिन पर 15% प्रतिवर्ष की दर से आय प्राप्त होती है। श्री दिनेश ने प्रथम वर्ष की आय को भी उन्हीं विनियोगों में विनियोजित कर दिया एवं गत वर्ष में 2,30,000 रु. के विनियोगों पर 34,500 रु. की आय प्राप्त की।

(iii) श्री दिनेश एक मकान सम्पत्ति के स्वामी हैं। इसे 600 रु. प्रतिमाह किराये पर उठाया गया है। जबकि इसका नगरपालिका द्वारा निर्धारित मूल्य 10,000 रु. है। नगरपालिका 10% कर लगाती है।

(iv) महेश फुटकर व्यापार में लगा हुआ है तथा गत वर्ष में उसने 15,000 रुपये की आय कमाई।

(v) श्री गणेश के पास 40,000 रु. के विनियोग हैं जो उसे श्री दिनेश द्वारा हस्तान्तरित किये गये थे। गत वर्ष में श्री गणेश को इन विनियोगों से 6,000 रु. की आय प्राप्त हुई।

(vi) श्री महेश के पास एक मकान है। यह मकान उसके दादाजी ने तीन वर्ष पूर्व उसे हस्तान्तरित किया था। गत वर्ष में श्री महेश को इस मकान से 5,000 रु. की कर-योग्य आय हुई।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री दिनेश एवं श्रीमती दिनेश एवं अवयस्क बच्चों की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Gross Total Income of
Shri Dinesh for the Assessment Year 1997-98

	Rs.	Rs.
Income from Salary :		
Salary @ Rs. 4,000 p.m.		48,000
Less : Standard deduction		16,000
Taxable income from Salary		32,000
Income from House Property :		
Municipal valuation	10,000	
Less : Local taxes	1,000	
Annual Value	9,000	
Less : $\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs & collection expenses	1,800	
Taxable income from House Property		7,200
Income from Other Sources :		
Income from Investments		4,500
Gross Total Income		43,700

Computation of Gross Total Income of Smt.Dinesh

Income from Salary :			
Salary @ Rs. 4,000 pm.			48,000
Less : Standard deduction			16,000
Taxable income from Salary			32,000
Income from House Property :			
Taxable income of house property of Shri Mahesh included in the income of Smt. Dinesh u/s 64 (1A)		5,000	
Less : Exemption u/s 10 (32)		1,500	3,500
Income from Other Sources :			
Income of *investments of Shri Dinesh* which were transferred by Smt. *Dinesh u/s 64(1) (iv)*		*30,000*	
Income of investment of Ganesh	*6,000*		
Less : Exemption u/s 10 (32)	1,500	4,500	34,500
Gross Total Income			70,000

महेश की सकल कुल आय—महेश की सकल कुल आय 15,000 रु. है जो उसने फुटकर व्यापारी की हैसियत से स्वयं कमाई है और जिसे धारा-64 (1A) के तहत उसके माता-पिता की आय में नही जोड़ा जा सकता है। उसके दादाजी द्वारा उसको हस्तान्तरित मकान की आय *उसकी माता की आय में सम्मिलित कर लिये जाने के कारण उसकी आय में सम्मिलित नहीं* किया गया है।

गणेश की सकल कुल आय—गणेश की कोई आय नहीं है। उसके पिताजी द्वारा जो विनियोग उसे हस्तान्तरित किये गये थे, उनकी आय उसकी माता की आय में सम्मिलित की गई है।

टिप्पणी—(i) श्री दिनेश को वेतन की आय में से प्रमाणित कटौती 16,000 रुपये की दी गई है। श्रीमती दिनेश को भी यह कटौती 16,000 रु. की दी गई है।

(ii) श्री दिनेश एवं श्रीमती दिनेश का एक ही कम्पनी में सारवान हित है। अतः धारा-64 (1) (ii) के अनुसार जिस जीवन-साथी को अन्य आय अधिक है उस जीवन-साथी की आय में ही दूसरे जीवन-साथी को इस कम्पनी से प्राप्त वेतन, कमीशन, फीस आदि सम्मिलित किया जायेगा। चूँकि श्रीमती दिनेश की अन्य आय अधिक है, अत. श्री दिनेश को उस कम्पनी से प्राप्त आय श्रीमती दिनेश की आय में सम्मिलित होनी चाहिये। परन्तु इसी धारा के अनुसार *यदि जीवन-साथी ने तकनीकी या पेशा सम्बन्धी योग्यता के कारण यह पारिश्रमिक प्राप्त किया* है तो यह धारा लागू नहीं होगी। चूँकि श्री दिनेश पेशा सम्बन्धी योग्यता रखते हैं, अतः उनकी आय को *श्रीमती दिनेश की आय में सम्मिलित नही किया गया है।*

(iii) श्रीमती दिनेश ने जो विनियोग श्री दिनेश को हस्तान्तरित किये थे उनकी आय श्रीमती दिनेश की आय में ही सम्मिलित की गई है परन्तु श्री दिनेश ने इन विनियोगों से जो आय प्राप्त की थी, उस आय से कमाई गई आय पर धारा 64 (1) (iv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और उस आय को श्री दिनेश की आय में ही सम्मिलित किया गया है।

(iv) अवयस्क बच्चे की आय (स्वयं द्वारा कमाई गई आय को छोड़कर) उसके माता-पिता में से जिसकी आय अधिक हो उसकी आय में सम्मिलित की जाती है। अतः श्री महेश के मकान की आय एवं श्री गणेश के विनियोगों की आय को श्रीमती दिनेश की आय में सम्मलित किया गया है, यद्यपि ये सम्पत्तियाँ उनको उनके पिता एवं दादा के द्वारा हस्तान्तरित की गई थी। यह व्यवस्था धारा 64 (1A) की है तथा कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से लागू हुई है।

(v) जब किसी अवयस्क बच्चे की आय उसके माता-पिता की आय में सम्मिलित की जाती है तो प्रत्येक बच्चे के लिये धारा 10 (32) के तहत 1,500 रु. की राशि को कर-मुक्त किया गया है। अतः श्रीमती दिनेश को दोनों अवयस्क बच्चों के लिये अलग-अलग कटौती दी गई है।

Illustration 4.

The particulars of income of Shri Kundan for the previous year ended on 31st March, 1997 are as under—

(i) Shri Kundan is a cloth merchant. During the previous year he earned Rs. 80,000 from cloth business.

(ii) Two years ago Shri Kundan transferred property worth Rs. 2 lakhs to his wife. His wife earned Rs. 36,000 from this property during the previous year. This property was transferred by Kundan to his wife in the consideration of her consent on the agreement of divorce.

(iii) Shri Kundan has two minor children. Of these one daughter lives with the wife of Shri Kundan while the son lives with Shri Kundan. During the previous year the daughter earned Rs. 10,000 from the property transferred to her by her father while the son earned Rs. 20,000 from the property transferred to him by his grand-father.

(iv) Shri Kundan owns a house. It was transferred to him by his father three years ago. Shri Kundan earned taxable income of Rs. 24,000 from this house during the previous year.

(v) Shri Kundan received a prize of Rs. 8,500 from Horse rece after deduction of tax at source.

Compute the gross total income of Shri Kundan for the assessment year 1997-98.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में श्री कुन्दन की आय का विवरण निम्न है—

(i) श्री कुन्दन कपड़े के व्यवसाय में लगा हुआ है। गत वर्ष में इस व्यवसाय से 80,000 रु. की आय हुई।

(ii) दो वर्ष पूर्व श्री कुन्दन ने अपनी पत्नी को 2 लाख रु. मूल्य की सम्पत्ति हस्तान्तरित की थी। गत वर्ष के दौरान इस सम्पत्ति से उनकी पत्नी को 36,000 रु. की आय हुई। यह

सम्पत्ति श्री कुन्दन ने अपनी पत्नी को तलाक के ठहराव पर सहमति प्रदान करने के बदले प्रदान की थी।

(iii) श्री कुन्दन के दो अवयस्क बच्चे हैं। जिनमें से एक लड़की कुन्दन की पत्नी के साथ रहती है जबकि लड़का कुन्दन के साथ रहता है। गत वर्ष में लड़की को उसके पिता द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति से 10,000 रु. की आय हुई जबकि लड़के को उसके दादा द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति से 20,000 रु. की आय हुई।

(iv) श्री कुन्दन एक मकान के स्वामी हैं। यह मकान तीन वर्ष पूर्व श्री कुन्दन को उनके पिता द्वारा हस्तान्तरित किया गया था। इस मकान से गत वर्ष में श्री कुन्दन को 24,000 रु. की कर-योग्य आय हुई।

(v) श्री कुन्दन को घुड़-दौड़ से उद्गम स्थान पर कर की कटौती के बाद 8,500 रु. को इनाम प्राप्त हुई।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री कुन्दन की सकल कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Gross Total Income of Shri Kundan for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
Income from House Property :			
Taxable income from the house transferred by his father			24,000
Income from Business & Profession :			
Income from cloth Business			80,000
Income from Other Sources :			
(a) Income from Horse-Race (grossed up)	12,500		
Less : Exemption u/s 10 (3)	2,500	10,000	
(b) Income of minor son from the property transferred by his grand father	20,000		
Less : Exemption u/s 10 (32)	1,500	18,500	28,500
	Gross Total Income		1,32,500

टिप्पणी—(i) श्री कुन्दन ने अपनी पत्नी को जो मकान सम्पत्ति हस्तान्तरित की थी वह तलाक के समझौते के प्रतिफल में की थी। अतः उस सम्पत्ति की आय श्रीमती कुन्दन की आय में ही सम्मिलित की जायेगी।

(ii) चूँकि श्री कुन्दन एवं श्रीमती कुन्दन का विवाह विच्छेद हो चुका है, अतः धारा 64 (1A) के अनुसार अवयस्क बच्चे की आय उस अभिभावक (माता अथवा पिता) की आय में शामिल की जायेगी जिसने गत वर्ष में उसका पालन-पोषण किया है। अतः प्रस्तुत प्रश्न में अवयस्क लड़की की आय उसकी माता की आय में सम्मिलित की जायेगी जबकि अवयस्क

लड़के की आय को श्री कुन्दन की आय में सम्मिलित किया गया है। श्री कुन्दन को इस आय के सम्बन्ध में धारा 10(32) के तहत 1,500 रु. की कटौती दी गई है।

(iii) श्री कुन्दन के पिता द्वारा श्री कुन्दन को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय को श्री कुन्दन की आय में ही सम्मिलित किया गया है। इस स्थिति में धारा 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(iv) घुड़-दौड़ की आय को सकल बनाने के पहले 2,500 रु. घटाये जायेंगे। शेष राशि को सकल बनाया जायेगा। इस प्रकार सकल राशि बनाई गई राशि में 2,500 रु. जोड़ दिये जायेंगे। योग की राशि इनाम की राशि होगी जिसमें धारा 10(3) की कटौती दी जायेगी।

प्रश्न
(Questions)

1. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें करदाता की आय में अन्य व्यक्तियों की आय जोड़ी जाती है।
   Explain the circumstances under which the income of other persons are included in the total income of an assessee.
   (M.D. U. B. Com. 1994, Raj U. B. Com. 1995, 1997)
2. निम्न के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से लिखिए—
   Explain clearly the provisions of Income Tax Act regarding the followings—
   (i) नकद साख (Cash Credits)
   (ii) न स्पष्ट किया गया विनियोग आदि (Unexplained Investments etc.)
   (iii) न स्पष्ट किया गया व्यय (Unexplained Expenditure)
   (iv) हुण्डी पर लिए हुए ऋण अथवा उनका भुगतान (Amount borrowed or repaid on Hundi)
3. Determine the Gross Total income of Shri Ramanand and his wife from the following particulars for the year ending 31st March, 1997—
   (i) Shri Ramanand and his wife are partners in a firm carrying on cloth business. Their respective share of profits are Rs. 18,000 and Rs. 10,000. Shri Ramanand received Rs. 24,000 as salary and Rs. 10,000 as interest from the firm while Smt. Ramanand received Rs. 15,000 as interest.
   (ii) Their 16 year old son is a partner in another firm from which he received Rs. 8,000 as his share of profit in the firm.
   (iii) A house property in the name of Shri Ramanand was transferred to his wife on December 1, 1996, for adequate consideration. The property has been let at a rent of Rs. 300 p.m.
   (iv) Debentures of company of Rs. 10,000 and Rs. 8,000 purchased two years ago are in the names of Shri Ramanand and his wife respectively, on which interest is receivable at 8% p.a. His wife

had transferred Rs. 5,000 out of her income to Shri Ramanand for the purchase of the Debentures.

(v) Shri Ramanand had transferred Rs. 50,000 to his wife in the year 1987 without any consideration. She earned Rs. 20,000 as interest during the earlier previous year. During the financial year 1996-97 she received interest @ 10% p.a. on Rs. 70,000.

(vi) Shri Ramanand transferred Rs. 50,000 to a trust, the income accruing from its investment as interest amounted to Rs. 5,000 which amount shall be utilised for education of his minor son.

श्री रामानन्द तथा उनकी पत्नी की 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी निम्न विवरण से सकल कुल आय की गणना कीजिए—

(i) श्री रामानन्द और उनकी पत्नी वस्त्र-व्यवसाय करने वाली एक फर्म में साझेदार हैं, जिसमें लाभ का भाग क्रमशः 18,000 और 10,000 रु. है। श्री रामानन्द ने गत वर्ष में फर्म से 24,000 रु. का वेतन एवं 10,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये जबकि श्रीमती रामानन्द ने 15,000 रु. ब्याज के प्राप्त किये।

(ii) इनका एक 16 वर्षीय पुत्र एक अन्य फर्म में साझेदार है। इस फर्म से उसे गत वर्ष में लाभ के अपने हिस्से के 8,000 रु. प्राप्त हुए हैं।

(iii) श्री रामानन्द के नाम में एक मकान-सम्पत्ति थी जिसे पर्याप्त प्रतिफल के बदले 1 दिसम्बर, 1996 को उनकी पत्नी को हस्तान्तरित कर दिया गया। यह मकान सम्पत्ति 300 रु. प्रतिमाह किराये पर उठी हुई है।

(iv) श्री रामानन्द तथा उनकी पत्नी के नाम क्रमशः 10,000 रु. और 8,000 रु. के एक कम्पनी के दो वर्ष पूर्व क्रय किये ऋण-पत्र हैं जिन पर 8% वार्षिक ब्याज प्राप्य है। उनकी पत्नी ने उनको अपनी स्वयं की आय में से इन ऋण-पत्रों को खरीदने हेतु 5,000 रु. हस्तांतरित किये थे।

(v) 1987 में श्री रामानन्द ने अपनी पत्नी के नाम बिना किसी प्रतिफल के 50,000 रु. हस्तांतरित किये थे, जिससे उनकी पत्नी ने गत वर्षों में 20,000 रु. ब्याज कमाया है। 1996-97 वित्तीय वर्ष में उनकी पत्नी को 70,000 रु. पर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ है।

(vi) श्री रामानन्द ने 50,000 रु. एक ट्रस्ट को हस्तांतरित किये थे, जिसके विनियोजन से होने वाली ब्याज की 5,000 रु. की आय है जो उनके अवयस्क पुत्र की शिक्षा हेतु प्रयोग की जायेगी। **[82]**

(Raj. B. Com., 1987)

उत्तर—श्री रामानन्द की सकल कुल आय 46,320 रु. एवं श्रीमती रामानन्द की आय 19,000 रु.।

■■■

11

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना

(Set off and Carry Forward of Losses)

जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है, एक करदाता को अपने सब साधनों की आय के योग पर कर चुकाना पड़ता है। आय के एक साधन से लाभ होता है तो दूसरे साधन से हानि भी हो सकती है। करदाता एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूरा करना चाहता है तथा यदि हानि अधिक हो और उसकी पूर्ति न हो सके तो अगले वर्षों में वह उसे आगे ले जाकर लाभों से पूरा करना चाहता है। करदाता को इस प्रकार की सुविधा अधिनियम में दी हुई है और इससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा-70 से धारा-80 तक में दिया गया है, जो निम्न प्रकार है—

हानियों की पूर्ति (Set off of losses)

(1) किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि की उसी शीर्षक के अन्य स्रोत के लाभ से पूर्ति (धारा-70)—यदि किसी करदाता को किसी शीर्षक के एक स्रोत से हानि होती है, परन्तु उसी शीर्षक के अन्य स्रोतों से लाभ होता है तो वह धारा-70 के अनुसार एक स्रोत की हानि की पूर्ति दूसरे स्रोतों के लाभों से कर सकता है। परन्तु अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार निम्न परिस्थितियों में वह ऐसा नहीं कर सकता है—

(i) सट्टे व्यापार की हानियाँ केवल सट्टे-व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती है, अन्य व्यापार के लाभों से नहीं, हालाँकि अन्य किसी व्यापार की हानियाँ सट्टे व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती हैं। [धारा-73 (1)]

(ii) दौड़ के घोड़ों को रखने के सम्बन्ध में हुई हानि को दौड़ के घोड़ों को रखने के लाभों में से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी साधन या शीर्षक की आय से नही। [धारा-74 A]

(iii) लाटरी, वर्ग पहेली, जुआ, शर्त आदि की आयों के सम्बन्ध में कोई व्यय अथवा छूट स्वीकृत नहीं की जायेगी। इस प्रकार इन मदों की हानियाँ न तो अपने ही स्रोत की अन्य आय से पूरी हो सकती हैं और न ही अन्य स्रोत की आय से पूरी हो सकती हैं। [धारा 58 (4)]

(2) एक शीर्षक की हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक की आय से (धारा-71)—एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति करने के सम्बन्ध में धारा-71 की नवीन व्यवस्थाएँ अग्र प्रकार हैं—

(i) यदि किसी करदाता को पूँजी लाभ शीर्षक के अलावा अन्य किसी शीर्षक में हानि है तथा पूँजी लाभ शीर्षक में कोई आय नहीं है तो करदाता किसी भी शीर्षक (पूँजी लाभ शीर्षक के अलावा) की हानि की पूर्ति अन्य किसी भी शीर्षक की आय से कर सकता है।

(ii) यदि किसी करदाता को पूँजी लाभ शीर्षक के अलावा अन्य किसी शीर्षक में हानि है तथा पूँजी लाभ शीर्षक में कर योग्य आय है तो करदाता किसी भी शीर्षक की हानि को अन्य किसी भी शीर्षक की आय से इस अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पूर्ति कर सकता है। करदाता ऐसी हानि की पूर्ति पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय से भी कर सकता है।

(iii) यदि किसी करदाता को पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानि है तथा अन्य किसी शीर्षक में आय है तब भी पूँजी लाभ शीर्षक की हानि की अन्य किसी शीर्षक की आय से पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(iv) 1 अप्रैल, 1995 एवं 1 अप्रैल, 1996 को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में किसी करदाता को 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हानि होती है तो इस धारा के वाक्यांश (i) एवं (ii) की व्यवस्थाओं के अनुसार अन्य किसी शीर्षक की आय से ऐसी हानि की पूर्ति पहले की जायेगी तथा धारा 71A में वर्णित हानि की पूर्ति उस धारा में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार बाद में की जायेगी।

कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानि को आगे ले जा कर पूरा करने सम्बन्धी व्यवस्था नहीं है।

स्पष्टीकरण—(1) *अन्य शीर्षक की आय से पूर्ति करते समय यह ध्यान रखने की बात है कि ऐसी हानियाँ जो अपने ही शीर्षक के अन्य स्रोत से पूरी नहीं की जा सकती हैं, जिनका कि पीछे धारा 70 में उल्लेख किया गया है, वे अन्य शीर्षक की आय से भी पूरी नहीं की जा सकती हैं।*

(2) धारा 58(4) के अनुसार किसी भी शीर्षक की हानि को लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, शर्त, जुआ आदि की आय से पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

अधिनियम में हानियों की पूर्ति करने सम्बन्धी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है अतः ऐसी विधि को अपनाना चाहिये जो करदाता के लिए अधिक से अधिक लाभदायक हो। सर्वप्रथम हानि की पूर्ति कर-योग्य आय से की जानी चाहिए। इसके उपरान्त हानि की पूर्ति ऐसी आय से की जानी चाहिए जिस पर औसत दर से आयकर की छूट मिलती है अथवा अन्य कोई कटौती प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक करदाता के व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में हानि हो तथा मकान सम्पत्ति से एवं सरकारी प्रतिभूतियों से आय हो तो करदाता पहले मकान सम्पत्ति की आय से पूर्ति करेगा। इसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज से पूर्ति करेगा।

हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना

पीछे यह बताया गया है कि एक शीर्षक की हानि उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से अथवा अन्य शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है। परन्तु कभी-कभी अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार इसी शीर्षक की अन्य स्रोत की आय से अथवा अन्य शीर्षकों की आय से पूर्ति करने के बाद भी हानि रह जाती है। इसी वर्ष पूरी न होने वाली अधिकांश

हानियों को आगे ले जाकर पूरा करने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। विभिन्न शीर्षकों की हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने के सम्बन्ध में अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक की हानि [धारा-71 अ] – यदि कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 अथवा 1994-95 के सम्बन्ध में मकान-सम्पत्ति से आय शीर्षक का शुद्ध परिणाम हानि है तथा ऐसी हानि धारा 24 (1) (vi) के अन्तर्गत उधार ली हुई पूँजी पर देय ब्याज के कारण है तो जिस सीमा तक यह हानि ऐसे ब्याज से सम्बन्धित है उस सीमा तक इसे कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में आगे ले जाया जा सकता है तथा इन वर्षों में किसी भी शीर्षक की आय से इसे पूरा किया जा सकता है। यदि ऐसी हानि कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 में पूरी नहीं होती है, तब भी इसे कर निर्धारण वर्ष 1997-98 व बाद के वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकेगा।

(2) व्यापार तथा पेशे की हानियाँ (धारा-72) – यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक की हानियाँ अन्य शीर्षकों की आय से पूरी नहीं की जा सकें तो उन्हें आगे ले जाया जा सकता है तथा किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से उनकी पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार जिस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वह हानि होती है उस कर-निर्धारण वर्ष के बाद वाले आठ कर-निर्धारण वर्षों तक इसे आगे ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि जिस व्यापार की ये हानियाँ है वह व्यापार चलता रहे।

यदि कोई एकाकी व्यापारी अपने व्यापार को साझेदारी संस्था में बदल लेता है तो वह एकाकी व्यापार की हानियों की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी फर्म के व्यवसाय को केवल एक ही साझेदार जारी रखता है तो वह फर्म में अपने हिस्से की हानि को अपने एकाकी व्यापार के लाभ से पूरा कर सकता है।

यदि किसी वर्ष अशोधित ह्रास अथवा अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी छूट को आगे ले जाया जाता है तथा साथ ही साथ व्यापारिक हानि भी आगे लाई जाती है तो पहले व्यापारिक हानि की पूर्ति की जाएगी तथा अशोधित ह्रास एवं अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट की पूर्ति बाद में की जाएगी।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—धारा-72 अथवा अन्य किसी धारा के अन्तर्गत आगे लाई गई हानियों की पूर्ति करने से पूर्व धारा 71 के अनुसार चालू वर्ष की अन्य शीर्षकों की हानियों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। [परिपत्र क्रमांक 587 दिनांक 11-12-1990]। परन्तु सट्टे व्यापार के लाभों एवं दौड़ के घोड़ों को रखने के लाभों पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है। सट्टे व्यापार के लाभों, दौड़ के घोड़ों के लाभों का प्रयोग एक करदाता चाहे तो पहले आगे लाई गई सट्टे व्यापार की हानियों एवं दौड़ के घोड़ों की आगे लाई गई हानियों को पूरा करने के लिये तथा शेष का प्रयोग अन्य शीर्षकों की हानि को पूरा करने के लिये कर सकता है।

(3) सट्टे के व्यापार की हानियाँ (धारा 73)—यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में किसी सट्टे के व्यापार की हानियाँ उसी वर्ष के अन्य सट्टे के व्यापार से पूरी न हो सकें तो उन्हें आगे ले जाया जा सकता है और किसी भी सट्टे के व्यापार की आय से पूरा किया जा

सकता है। जिस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित यह हानि होती है उसके अगले आठ कर-निर्धारण वर्षों तक के लिए हानि को आगे ले जाया जा सकता है तथा पूरा किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस सट्टे व्यापार की हानियाँ हों वह सट्टा व्यापार जारी रहे।

यदि किसी वर्ष अशोधित ह्रास अथवा अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी छूट को आगे लाया जाता है तथा साथ ही साथ सट्टे के व्यापार की हानि भी आगे लायी जाती है तो पहले सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति की जाएगी तथा अशोधित ह्रास एवं अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट की पूर्ति बाद में की जाएगी।

यदि कोई कम्पनी (विनियोग कम्पनी, बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कम्पनी अथवा ऋण उधार देने का व्यवसाय करने वाली कम्पनी को छोड़ते हुए) किसी दूसरी कम्पनी के अंशों का क्रय-विक्रय करती है तो इस प्रकार के क्रय-विक्रय के व्यवसाय से होने वाली आय सट्टे के व्यापार की आय मानी जाएगी तथा हानि होने की दशा में ऐसी हानि की पूर्ति सट्टे व्यापार के लाभों से की जायेगी।

(4) **अशोधित न वसूल हुआ किराया**—मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक की आय की गणना करते समय न वसूल हुए किराये की स्वीकृत राशि को आय की कमी के कारण उस वर्ष नहो घटाया जा सके तो न वसूल हुये किराये की शेष राशि को अगले वर्षों में आगे ले जाकर मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक से पूरा कर सकते हैं। इसे अन्य शीर्षकों की आय से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसको आगे ले जाकर पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है।

(5) **अशोधित ह्रास**—लाभों की कमी के कारण ह्रास की कटौती उसी वर्ष नहीं दी जा सके तो इसे आगे ले जाकर कभी भी व्यापार के लाभों से अथवा अन्य किसी भी आय से पूरा किया जा सकता है।

वित्त अधिनियम 1996 द्वारा इस नियम में संशोधन किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में इसे केवल 8 वर्षों तक व्यापार के लाभों से घटाया जा सकेगा।

परन्तु गत वर्ष 1995-96 अथवा कर निर्धारण वर्ष 1996-97 तक का अशोधित ह्रास अगले 8 वर्षों में किसी भी आय से घटाया जा सकेगा। [वित्त बिल 1996 की संसद की बहस में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार।]

(6) **अशोधित विनियोग छूट**—अगले 8 वर्षों में किसी भी शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है।

(7) **अशोधित विकास भत्ता**—चाय के बगीचों के सम्बन्ध में अशोधित विकास भत्ते की राशि को अगले 8 वर्षों में किसी भी शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है।

(8) **पूँजी लाभ शीर्षक की हानियाँ (धारा 74)**—यदि किसी करदाता को किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए 'पूँजी लाभ' शीर्षक की गणना का शुद्ध परिणाम हानि के रूप में आता है तो सम्पूर्ण हानि को आगे ले जाया जाएगा एव उनकी पूर्ति निम्न प्रकार से की जा सकेगी—

(i) आगे लाई गई पूँजी हानि की पूर्ति केवल पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय से ही की जा सकेगी, अन्य किसी शीर्षक की आय से नहीं।

(ii) आगे लाई गई हानि को अगले वर्ष में पूरा किया जायेगा। यदि हानि की पूर्ति अगले ही वर्ष में न हो सके तो इसे पूरा करने के लिए और आगे ले जाया जायेगा। परन्तु जिस कर-निर्धारण वर्ष की यह हानि है उसके बाद के आठ कर निर्धारण वर्षों में ही इसकी पूर्ति की जा सकेगी। आठ वर्षों के बाद पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(9) दौड़ के घोड़ों की हानि (धारा-74 अ)—'दौड़ के घोड़ों की हानि' यदि उसी वर्ष के दौड के घोड़ों के लाभों से पूरी न की जा सके तो इसे आगे ले जाया जा सकता है तथा अगले 4 कर-निर्धारण वर्षों में दौड़ के घोड़ों की आय से पूरा किया जा सकता है।

दौड़ के घोड़ों से अभिप्राय उन घोड़ों से है जिनका प्रयोग करदाता ऐसी घुड़दौड में करता है जिसके सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से बाजी लगा सकता है। हानि से आशय उन घोड़ों को रखे जाने पर किये जाने वाले व्यय से है। परन्तु इस खर्चे में से घोड़े दौड़ाने के लिए मिला हुआ पारिश्रमिक तथा यदि इनाम भी जीता गया है तो इनाम की रकम को घटा दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—(i) दौड़ के घोड़ों को रखने में किये गये किसी पूँजीगत व्यय को न तो उसी वर्ष घटाया जायेगा और न ही उसे आगे ले जाकर पूर्ति की जायेगी।

(ii) आगे ले जाकर अगले चार वर्षों में इस हानि को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि करदाता दौड़ के घोड़ों को रखने सम्बन्धी कार्य जारी रखता है।

(10) फर्म की हानियाँ (Losses of firm)[धारा-75]—यदि किसी फर्म को 1 अप्रैल, 1992 को अथवा इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में फर्म को हानि होती है जो फर्म की किसी अन्य आय से पूरी नहीं हो सकी हो तथा जिसे साझेदारों में अनुभाजित कर दिया गया हो परन्तु साझेदार द्वारा 1 अप्रैल, 1993 को प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के पूर्व पूर्ति नहीं की जा सकी हो तो ऐसी हानि को फर्म के लाभों से पूरा किया जा सकेगा बशर्ते कि वह साझेदार फर्म में साझेदार बना रहता है। फर्म धारा 70, 71, 72, 73, 74 एवं 74 A की व्यवस्थाओं के अधीन अपनी ऐसी हानि की पूर्ति कर सकेगी।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से फर्म स्वयं अपनी हानियों को पूरा करने के लिए आगे ले जायेगी।

(11) फर्म के संविधान में परिवर्तन [धारा 78]—यदि फर्म के संविधान में परिवर्तन हो जाता है तो फर्म को अपनी हानियों के उस भाग को आगे ले जाकर पूरा करने का अधिकार नहीं होता जो अवकाश प्राप्त अथवा मृत साझेदार के हिस्से की हैं। परन्तु यदि चालू गत वर्ष में मृतक साझेदार की अथवा अवकाश प्राप्त साझेदार की फर्म में कोई आय है तो फर्म पिछले गत वर्ष की हानि को उस आय की राशि तक पूरी कर सकती है, अधिक को नहीं।

(12) कुछ विशिष्ट कम्पनियों की दशा में हानियों को आगे ले जाना एवं पूर्ति करना (धारा-79)—एक ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें जनता का समुचित हित नहीं होता। गत वर्ष में यदि अंशधारियों में अधिक परिवर्तन हो जाता है तो गत वर्ष के पहले की हानियों को गत वर्ष के लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता है। परन्तु निम्न दो दशाओं में यह पूर्ति हो सकती है—

(i) यदि गत वर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी के 51 प्रतिशत मताधिकार वाले अंश उन्हीं व्यक्तियों के पास हैं, जिनके पास ये उस गत वर्ष में थे, जिसकी हानि को पूरा करना है तो पिछले गत वर्षों की हानि गत वर्ष में पूरी हो सकती है; अथवा

(ii) वाक्यांश (i) में उल्लिखित अंशों की सीमा में परिवर्तन अंशधारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ हो अथवा किसी अंशधारी द्वारा अपने किसी सम्बंधी को उपहार के रूप में अंश हस्तान्तरित कर दिये जाने के कारण हुआ हो।

(13) एकीकरण की कुछ दशाओं में हानियों एवं अशोधित ह्रास की पूर्ति (धारा-72 अ)— यदि किसी ऐसी कम्पनी का एकीकरण जो औद्योगिक उद्यम अथवा जहाज का स्वामी है, किसी दूसरी कम्पनी में किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार निर्धारित सत्ता की सिफारिश पर सन्तुष्ट हो जाती है कि आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर दी गई है तो केन्द्रीय सरकार इस आशय की घोषणा कर सकती है कि एकीकृत होने वाली कम्पनी द्वारा आगे लाई गई व्यापारिक हानियों एवं अशोधित ह्रास की पूर्ति एकीकरण करने वाली कम्पनी द्वारा की जा सकेगी। एकीकरण करने वाली कम्पनी के लिये ये हानियाँ या अशोधित ह्रास उस गत वर्ष से सम्बन्धित माने जायेंगे जिस गत वर्ष में एकीकरण हुआ है तथा हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने सम्बन्धी अन्य व्यवस्थायें अधिनियम के अनुसार ही लागू होंगी। आवश्यक शर्तें निम्न हैं—

(i) एकीकरण होने वाली कम्पनी एकीकरण होने से तुरन्त पूर्व अपने दायित्वों, हानियों अथवा अन्य कारणों से आर्थिक दृष्टि से इतनी कमजोर नहीं हो गई थी कि उसका बना रहना ही कठिन हो गया था;

(ii) एकीकरण जनहित में किया गया था; तथा

(iii) इस धारा के लाभ को केवल ऐसे एकीकरण तक ही सीमित करने के लिए जो एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हो, केन्द्रीय सरकार जो भी शर्त उचित समझे केन्द्रीय गजट में घोषित कर सकती है।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त एकीकरण करने वाली कम्पनी को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों की पूर्ति भी करनी पड़ेगी—

(अ) एकीकरण करने वाली कम्पनी ने एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को बिना किसी संशोधन या पुनर्गठन के जारी रखा है अथवा यदि कोई संशोधन किया है तो उसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया है।

(ब) एकीकरण करने वाली कम्पनी आय के नक्शे के साथ निर्धारित सत्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देती है कि उसने एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम उठाया है।

स्पष्टीकरण—(1)एकत्रित व्यापारिक हानियों से आशय उन व्यापारिक हानियों से है जो एकीकरण न होने की दशा में एकीकृत कम्पनी स्वयं धारा-72 के अन्तर्गत आगे ले जाकर पूरा कर सकती थी।

(2) निर्धारित सत्ता से आशय ऐसी किसी सत्ता से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सरकारी गजट के द्वारा घोषित की जाये।

(3) अशोधित ह्रास से आशय ऐसे ह्रास से है जो एकीकरण न होने की दशा में एकीकृत कम्पनी आगे ले जाकर पूरी कर सकती थी।

हानियों के लिए नक्शा दाखिल करना (Submission of Return for Losses)—[धारा-80]—जब तक करदाता धारा 139 (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार हानि का नक्शा दाखिल नहीं कर देता है तथा उस पर कर-निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक वह किसी भी हानि को आगे नहीं ले जा सकता है।

व्यापारिक हानि, ह्रास एवं अशोधित व्ययों की पूर्ति का क्रम :

यदि किसी वर्ष ह्रास, व्यापारिक हानि एवं अन्य अशोधित व्यय आगे लाये जाते है तो व्यापारिक लाभों से उनकी पूर्ति करते समय अग्रांकित क्रम अपनाया जाना चाहिए—

(i) चालू वर्ष का वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी पूँजी व्यय।
(ii) चालू वर्ष का ह्रास।
(iii) आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ।
(iv) परिवार नियोजन सम्बन्धी अशोधित पूँजीगत व्यय (केवल कम्पनी करदाता के लिए)।
(v) पिछले वर्षों का अशोधित ह्रास।
(vi) वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी अशोधित पूँजी व्यय।
(vii) पिछले वर्षों का अशोधित विकास भत्ता।
(viii) पिछले वर्षों का अशोधित विनियोग भत्ता।

उपरोक्त क्रम व्यापारिक लाभों से पूर्ति करते समय अपनाया जाना चाहिए अन्य आय से पूर्ति करते समय नहीं। क्योंकि आगे लाई हुई व्यापारिक हानि केवल व्यापारिक लाभों से ही पूरी की जा सकती है अन्य आय से नही।

Illustration 1.

From the details given below you are required to compute Gross total income of an assessee for the Assessment Year 1997-98 after setting off the losses—

निम्नलिखित विवरण से हानियों की पूर्ति करने के बाद कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए करदाता की सकल कुल आय की गणना कीजिए—

	Rs.
1. Taxable Income from Salaries	16,000
2. Loss from properties A (Let out)	6,000
3. Loss from properties B (Self occupied)	8,000
4. Profit from Jute Mills	40,000
5. Loss from Cotton Mill	8,000
6. Loss from Firm	4,000
7. Profit from Speculation in Shares	6,000
8. Loss from Speculation in Cotton	
9 Short-term Capital gains	
10. Long-term Capital gains from shares	

		Rs.	Rs.
11.	Long-term Capital Loss from Building		17,000
12.	Interest on Govt. Securuties		12,000

Solution :

		Rs.	Rs.
I.	**Taxable income from Salary :**		16,000
II.	**Income from House Property :**		
	Income from Property A	(–) 6,000	
	Income from Properties B	(–) 8,000	(–) 14,000
III.	**Income from Business and Profession :**		
	Profit from Jute Mills	40,000	
	Loss from Cotton Mills	8,000	32,000
	Profit from Share speculation	6,000	
	Loss from Cotton speculation	15,000	
		– 9,000	
IV.	**Income from Capital gains :**		
	Profit from Long Term Capital Assets	4,000	
	Loss from Long Term Capital Assets	– 17,000	
	Short term Capital gain	8,000	
		– 5,000	
V.	**Income from Other Sources :**		
	Interest on Govt. Securities		12,000
	Gross Total Income		46,000

टिप्पणी—(1) 9,000 रु. की सट्टे की हानि को आगे ले जाया जायेगा।

(2) चूँकि सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज के सम्बन्ध में छूट मिलती है, यह करदाता के हित में होगा कि वह मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति व्यापारिक लाभ अथवा वेतन की आय से करे।

(3) पूँजी लाभ शीर्षक की हानि आगे ले जाई जायेगी।

(4) फर्म अपनी हानि को स्वयं आगे ले जायेगी।

Illustration 2.

The assessment of Mr. Desai for the year 1996-97 showed a loss of Rs. 20,000 from cloth business to be carried forward and also *unabsorbed* depreciation Rs. 10,000

For the Assessment year 1997-98 his income is computed as under :

कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिये किये गये मि. देसाई के कर-निर्धारण ने कपड़ा व्यापार से 20,000 रु. की हानि एवं 10,000 रु. का अशोधित ह्रास प्रकट किया जिसे आगे ले जाया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी आय की गणना निम्न प्रकार की गई है—

		Rs.	Rs.
House property			5,000
Cloth business :			
Profit before allowing depreciation		20,000	
Less : Depreciation for 1997-98	15,000		

Unabsorbed depreciation b/f from 1996-97	10,000	25,000	– 5,000
	Total Income		NIL

Business loss of 1995-96 to be carried forward is Rs. 20,000. Discuss whether the above computation is correct.

1995-96 की 20,000 रु. की व्यापारिक हानि को आगे ले जाया गया। विवेचना कीजिये कि उपर्युक्त कर-निर्धारण सही है अथवा नही।

Solution :

इस प्रश्न में व्यापारिक हानि एवं अशोधित ह्रास दोनों को ही कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से आगे लाया गया है। व्यापारिक लाभों में चालू वर्ष का ह्रास घटाया जाता है तथा उसके बाद आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ घटाई जाती है। इसके पश्चात् अशोधित ह्रास घटाया जाता है। वित्त मन्त्री के बजट भाषण के अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 तक के अशोधित ह्रास को व्यापारिक लाभ न होने पर अन्य लाभ से भी घटाया जा सकता है। अतः उक्त कर-निर्धारण सहीं नहीं है।

The correct computation of total income of Mr. Desai for the A.Y. 1997-98 should be as under–

	Rs.	Rs.
Income from cloth business :		
Profit before allowing depreciation	20,000	
Less : Current depreciation	15,000	
	5,000	
Less : Loss b/f from A.Y. 1996-97 to the extent of profits available	5,000	NIL
Income from Property	5,000	
Less : Unabsorbed depreciation to the extent income available	5,000	NIL
Total Income		NIL

Business Loss of 1995-96 to be carried forward is Rs. 15,000 and Unabsorbed Depreciation to be c/f Rs 5,000.

Illustration 3.

The income from business of an assessee for the assessment year 1997-98 before allowing any deduction for depreciation is Rs. 1,60,000 which includes a sum of Rs. 10,000 as short term capital gain. Compute the gross total income of the assessee for the assessment year 1997-98 keeping in mind the follo facts and express the amounts which the assessee is entitled to carry f d to set off in comi g years.

कर-निर्धारण वर्ष 1 98 में एक करदाता की व्यापार से आय ह्रास छूट देने से पूर्व 1,60,000 रु. है, जिसमें 1 0 रु. अल्पकालीन पूँजी लाभ भी सम्मिलित है। निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदा की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए सकल कुल आय निर्धारित कीजिए तथा वे राशि . भी बताइये जो करदाता आगे आने वाले वर्षों में पूर्ति हेतु आगे ले जा सकता है—

		Rs.
(i)	Allowable depreciation for the assessment year 1997-98	23,000
(ii)	Unabsorbed Investment allowance for the assessment year 1990-91	30,000
(iii)	Loss of Speculation business for the assessment year 1994-95 brought forward	10,000
(iv)	Loss from Long term Capital assets during the *previous year 1995-96 (From transfer of shares)*	*20,000*
(v)	Unabsarbed depreciation brought forward from the assessment year 1988-89	22,500
(vi)	Loss from House property for the assessment year 1994-95 (including interest Rs. 10,000)	18,000
(vii)	Brought forward Business loss of this business :	
	(a) From asse**ment year 1988-89	15,500
	(b) From assessment year 1990-91	*30,200*

Solution :

Computation of Gross Total Income		Rs.
Business Profit (Including short term Capital gains)		1,60,000
Deduct : Short term Capital gains		10,000
Profit from Business		1,50,000
Deduct : Depreciation allowable		23,000
		1,27,000
Deduct : Carried forward business loss of 90-91		30,200
		96,800
Deduct : Unabsorbed depreciation		22,500
		74,300
Deduct : Unabsorbed Investment Allowance		30,000
Taxable income from Business		44,300
Long Term Capital gain	(–) 20,000	
Short term Capital gain	10,000	
Income from Capital gain	(–) 10,000	
Gross Total Income		44,300

टिप्पणी—(1) आगे लाई गई सट्टे के व्यापार की हानि को आगे ले जाया जायेगा एवं केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से पूरा किया जायेगा।

(2) पूँजी लाभ शीर्षक की हानि अन्य किसी आय से पूरी नहीं हो सकती है। इसे आगे ले जाया जायेगा।

(3) कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की व्यापारिक हानियाँ पूरी नहीं की जा सकती हैं क्योंकि 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

(4) कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की आगे लायी गई मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 तक ही हो सकती थी। इसे आगे भी नहीं ले जाया जायेगा।

Illustration 4.

The following are the particulars of taxable income of Messrs Kanti Lal Chunni Lal & Sons for the Assessment year 1997-98 :

		Rs.
(1)	Income from House Property	10,000
(2)	Profit of business before allowing depreciation	80,000
(3)	Income from other sources including interest on Govt. securities Rs. 6,000	26,000
(4)	Profit of Cotton speculation	10,000

After taking into consideration the following matters, compute their Gross Total Income—

(a) Depreciation allowable for Assessment year 1997-98 Rs. 20,000.

(b) Losses brought forward from the Assessment year 1996-97 : Business Rs. 70,000 and Oil Speculation Rs. 15,000.

(c) Unabsorbed Investment allowance brought forward from the Assessment year 1990-91 Rs 2,000.

(d) Unabsorbed Depreciation brought forward from the Assessment year 1994-95 Rs. 11,000.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए सर्वश्री कान्तिलाल चुन्नीलाल एण्ड सन्स की कर-योग्य आय से सम्बन्धित विवरण निम्न है—

		रु.
(1)	मकान सम्पत्ति से आय	10,000
(2)	ह्रास की कटौती के पूर्व व्यापार के लाभ	80,000
(3)	अन्य साधनों से आय; 6,000 रु. सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज की राशि शामिल करते हुए	26,000
(4)	रुई के सट्टे से लाभ	10,000

निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी सकल कुल आय ज्ञात कीजिए—

(अ) 1997-98 कर-निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकार्य ह्रास 20,000 रु.।

(ब) 1996-97 कर-निर्धारण वर्ष से आगे लाई गई हानियाँ : व्यापार की 70,000 रु. और तेल के सट्टे की 15,000 रु.।

(स) 1990-91 कर-निर्धारण वर्ष से आगे लाया गया अशोधित विनियोग भत्ता 2,000 रु.।

(द) 1994-95 कर-निर्धारण वर्ष से आगे लाया गया अशोधित ह्रास 11,000 रु.।

Solution : Statement of Gross Total Income of M/s Kanti Lal Chunni Lal for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
	Income from House Property	10,000	
Less :	Unabsorbed Depreciation	10,000	NIL
	Profits of Business	80,000	
Less :	Current Year Depreciation	20,000	
		60,000	

		60,000	NIL
Less :	Brought forward Business Loss	10,000	
	Profits from Speculation in Cotton	10,000	NIL
Less :	Brought forward loss of oil speculation		
	Income from Other Sources	26,000	
Less .	Unabsorbed depreciation	1,000	
		25,000	
Less :	Unabsorbed Investment Allowance	2,000	23,000
	Gross Total Income		23,000

टिप्पणी—(1) आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ अन्य आय से पूरी नहीं की जा सकती हैं, अतः 10,000 रु. की व्यापारिक हानियाँ पूरी करने के लिए आगे ले जायी जायेंगी। इसी प्रकार सट्टे के व्यापार की हानियाँ 5,000 रु. सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जायी जायेंगी।

(2) अशोधित ह्रास तथा आगे लाया गया विनियोग भत्ते की पूर्ति व्यापार के लाभ न होने की वजह से अन्य शीर्षकों की आय से की गई है। इनकी पूर्ति मकान सम्पत्ति की आय और अन्य साधनों की आय से की गई है। प्रतिभूतियों की आय पर चूँकि धारा-80L की कटौती मिलेगी, अतः इससे पूर्ति नही की गई है।

Illustration 5.

Mr. Umesh submits the following particulars of his income for the assessment year 1997-98 :

		Rs.
(i)	Income from the let out house (Comuted)	6,000
(ii)	Loss from self occupied house	7,000
(iii)	Profit of business of publication of books	22,800
(iv)	Speculation income	4,000
(v)	Short term capital gains	13,000
(vi)	Long term capital gains	2,000
(vii)	Dividend (Gross)	6,000
(viii)	Winning in card game	4,000

The following items have been brought forward from the preceding assessment year 1996-97 :

(i)	Loss from sugar business (discontinued in 1992-93)	6,500
(ii)	Loss from books publication business	4,500
(iii)	Loss in card game	2,000
(iv)	Speculation loss	12,000
(v)	Short term capital loss (A. Y. 1991-92)	6,000
(vi)	Long term capital loss (A. Y. 1986-87)	7,000

You are required to comp[illegible] his Gross [illegible] come.

मि. उमेश कर-निर्धारण [illegible] के [illegible] निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं—

(i) किराये पर उठाये ग[illegible] 6,000

(ii)	स्वयं के रहने के मकान से हानि	7,000
(iii)	पुस्तक प्रकाशन के व्यापार का लाभ	22,800
(iv)	सट्टे के व्यापार से आय	4,000
(v)	अल्पकालीन पूँजी लाभ	13,000
(vi)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	2,000
(vii)	लाभांश (सकल)	6,000
(viii)	ताश के खेल में जीते	4,000

पिछले कर निर्धारण वर्ष 1996-97 के निम्नलिखित मद आगे लाये गये हैं—

(i)	चीनी के व्यापार की हानि (1992-93) में बन्द कर दिया	6,500
(ii)	पुस्तक प्रकाशन के व्यापार से हानि	4,500
(iii)	ताश के खेल में हारे	2,000
(iv)	सट्टे के व्यापार की हानि	12,000
(v)	अल्पकालीन पूँजी हानि (कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 की)	6,000
(vi)	दीर्घकालीन पूँजी हानि (कर-निर्धारण वर्ष 86-87 की)	7,000

आपको इनकी सकल कुल आय की गणना करनी है। **(Raj. U.B.Com. 1996)**

Solution :

Computation of Gross Total Income of Mr. Umesh for the Assessment Year 1997-98.

	Rs.	Rs.
1. Income from House Property :		
Income from let out house	6,000	
Less : Loss from Self-occupied house	7,000	
Loss to be set off against income from business and profession	1,000	
2. Profits of Business & Profession :		
Profits of publication business	22,800	
Less : Loss under the head income from house property	1,000	
	21,800	
Less : Brought forward loss of publication business	4,500	17,300
Speculation Profits	4,000	
Less : Loss brought forward	12,000	
Loss to be carried forward	8,000	
3. Capital Gains :		
Short-term capital gain	13,000	
Less : Brought forward short term capital loss	6,000	
	7,000	
Long term capital gains	2,000	9,000

4. Income from Other Sources :			
Dividends		6,000	
Winning in card game	4,000		
Less : Exemption u/s 10 (3)	4,000	–	6,000
Gross Total Income			32,300

टिप्पणी—(i) चीनी व्यापार बन्द हो जाने के कारण उस व्यापार की हानियों की पूर्ति नहीं हो सकती है।

(ii) दीर्घकालीन पूँजी हानि कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 की अर्थात् 8 वर्ष से भी अधिक पुरानी होने के कारण इसकी पूर्ति नहीं की गई है।

(iii) व्यापार अथवा पेशे के लाभों से पहले चालू वर्ष की मकान सम्पत्ति की हानी की पूर्ती की जायेगी। इसके बाद आगे लाई गई व्यापार की हानि की पूर्ति की जायेगी।

(iv) करदाता चाहे तो मकान सम्पत्ति की हानि को पूँजी लाभ शीर्षक की आय से भी पूरा कर सकता है। परन्तु पूँजी लाभ शीर्षक से पहले चालू वर्ष की मकान सम्पत्ति की हानि को पूरा किया जायेगा तथा उसके बाद आगे लाई गई अल्पकालीन पूँजी हानि की पूर्ति की जायेगी।

(v) लाभांश के सम्बन्ध में धारा 80-L की कटौती उपलब्ध है। अत: लाभांश से मकान सम्पत्ति की हानि करदाता पूरी नहीं करेगा।

Illustration 6.

निम्नलिखित दशाओं में उपलब्ध विवरण को ध्यान में रखते हुए एक व्यष्टि करदाता (Individual) की दशा में कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने की विधि को समझाइये—

(A) (i) किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति से हानि 10,000 रु.
(इसमें न वसूल हुए किराये की हानि 4,000 रु. की थी)
(ii) स्वयं के रहने की मकान सम्पत्ति से हानि 8,000 रु.
(iii) कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की आगे लाई गई मकान सम्पत्ति की हानि 13,000 रु. जिसमें ब्याज की कटौती के 7,000 रु. है।
(iv) व्यापार का लाभ 38,000 रु.
(v) आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ 32,000 रु.
(vi) *दीर्घकालीन पूँजी हानि 10,000 रु.*
(vii) अल्पकालीन पूँजी लाभ 15,000 रु.
(viii) आगे लाई गई पूँजी हानि 10,000 रु.

(B) (i) एक फर्म के लाभ में हिस्सा 25,000 रु.
(ii) दूसरी फर्म से हानि में हिस्सा 10,000 रु.
(iii) 1994-95 कर-निर्धारण वर्ष से 5,000 रु. का फर्म की हानि में हिस्सा आगे लाया गया।
(iv) किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति से आय 11,000 रु.
(v) स्वयं के रहने के मकान की हानि 8,000 रु.

(vi) कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की आगे लायी गई व्यापार की हानि 27,000 रु. एवं चालू वर्ष की हानि 3,000 रु.
(vii) अल्पकालीन पूँजी लाभ 25,000 रु.।

Solution :

		Rs.	Rs.
(A) Short term capital gain		15,000	
Long term capital loss		10,000	
		5,000	
Less : Brought forward capital loss to the extent capital gain available		5,000	
Taxable Income from Capital Gain			NIL
Business Profits		38,000	
Less : Loss of House Property			
(i) Loss of Let out house	6,000		
(ii) Loss of self occupied house	8,000	14,000	
		24,000	
Less : Brought forward Business Loss		24,000	
Income from Business & Profession			NIL
Gross Total Income			NIL

टिप्पणी—(i) व्यापार अथवा पेशे की आय से पहले चालू वर्ष की मकान सम्पत्ति की हानि पूरी की जायेगी तथा इसके बाद आगे लाई गई व्यापारिक हानि की पूर्ति की जायेगी।

(ii) निम्न हानियाँ पूरी करने के लिये आगे ले जाई जायेंगी—
(a) व्यापारिक हानि 8,000 रु.
(b) पूँजी हानि 5,000 रु.।

	Rs.	Rs.
(B) Income from let out house	11,000	
Less : Loss from self occupied house	8,000	
	3,000	
Less : Business Loss set off	3,000	
Income from House Property		NIL
Short term capital gain		25,000
Gross Total Income		25,000

टिप्पणी—(i) कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से साझेदार को फर्म से प्राप्त हिस्सा कर-मुक्त होता है।

(ii) कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से फर्म हानियों को स्वयं आगे ले जाकर पूरी करेगी।

(iii) 27,000 रु. की व्यापारिक हानि आगे ले जाई जायेगी। क्योंकि आगे लाई गई व्यापारिक हानि केवल व्यापारिक लाभों से ही पूरी की जा सकती है।

सारांश
(Summary)

1. अपने ही शीर्षक में अन्य स्रोत या साधन की आय से पूर्ति—

निम्न हानियों को छोड़कर अन्य हानियाँ अपने ही शीर्षक की अन्य आय से पूरी हो सकती हैं—

(अ) सट्टे व्यापार की हानियाँ केवल सट्टे व्यापार के लाभों से ही पूरी हो सकती हैं।

(ब) दौड़ के घोड़ों की हानियाँ दौड़ के घोड़ों के लाभ से पूरी हो सकती हैं।

(स) लाटरी, वर्ग-पहेली, जुआ, शर्त आदि की हानि किसी भी आय से पूरी नहीं हो सकती है।

2. एक शीर्षक की हानि की दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति—

निम्न हानियों को छोड़कर एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की आय से पूरी हो सकती है—

(i) वाक्यांश (1) में वर्णित हानियाँ

(ii) पूँजी लाभ शीर्षक की हानि अन्य किसी शीर्षक की आय से पूरी नहीं हो सकती है।

3. हानियों को आगे ले जाना और पूर्ति करना—हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं—

	हानि	पूर्ति का तरीका	समय
1.	व्यापार तथा पेशे की हानियाँ	व्यापार अथवा पेशे की आय से	8 वर्षों में
2.	सट्टे व्यापार की हानियाँ	सट्टे व्यापार के लाभों से	8 वर्षों में
3.	पूँजी लाभ शीर्षक की हानियाँ	केवल पूँजी लाभों से	8 वर्षों में
4.	मकान सम्पत्ति की हानि	किसी भी आय से	1996-97 तक
5.	दौड़ के घोड़ों की हानि	दौड़ के घोड़ों की आय से	4 वर्षों में
6.	फर्म की हानि	फर्म स्वयं पूरा करेगी	नियमानुसार

टिप्पणी—(1) व्यापार अथवा पेशे की हानि को आगे ले जाकर पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है कि जिस व्यापार की यह हानि है वह व्यापार जारी रहे।

(2) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 में मकान सम्पत्ति की हानि को आगे लाकर पूरा करने सम्बन्धी प्रावधान हटा दिया गया है।

(3) लाटरी वर्ग पहेली, जुआ आदि की आय से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती है। [धारा 58(4)]

(4) दिनांक 11-9-1996 को वित्त मन्त्री द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान संसद को दिये गये स्पष्टीकरण एवं आश्वासन के आधार पर ही अशोषित ह्रास को अन्य शीर्षकों की आय से घटाया गया है।

प्रश्न
(Questions)

1. Discuss the provisions of Income Tax Act relating to the Set off and carry forward of losses.
   हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने से सम्बन्धित आय-कर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। (R.U.B. Com., 1993, 1996, M.D.U. Ajmer B.Com., 1995, Indore B. Com. 1995, Vikram B. Com. 1997)

2. Mr. Dinesh has submitted the following particulars for the assessment year 1997-98.
   श्री दिनेश ने कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

	रु.
वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय	45,000
व्यापार से हानि	20,000
1997-98 के लिए स्वीकृत ह्रास	10,000
मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय/हानि	(–)4,000
पिछले वर्षों से आगे लायी गयी मदें	
व्यापारिक हानि	60,000
अशोधित ह्रास	5,000
मकान सम्पत्ति की हानि 1994-95 वर्ष की ब्याज की कटौती के कारण	5,000

   Calculate the gross total income of Mr. Dinesh for the assessment year 1997-98.
   कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री दिनेश की सकल कुल आय की गणना कीजिए।
   [83]

   उत्तर—सकल कुल आय 6,000 रु.।

3. From the following particulars of income and admissible loss, calculate the gross total income of Mr. Pramod for the assessment year 1996-97 and 1997-98.
   श्री प्रमोद की आय एवं स्वीकृत हानि के निम्न विवरण के आधार पर आप उसकी कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए—

	कर-निर्धारण वर्ष 1996-97	कर-निर्धारण वर्ष 1997-98
	रु.	रु.
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	20,000	25,000
वेतन शीर्षक की कर-योग्य आय	30,000	30,000
मकान सम्पत्ति की आय/हानि	10,000	6,000 हानि
व्यापार अथवा पेशे के हानि/लाभ	95,000 हानि	10,000 लाभ
सट्टे व्यापार के हानि/लाभ	18,000 हानि	23,000 लाभ

अल्पकालीन पूँजी लाभ	10,000	–
दीर्घकालीन पूँजी लाभ-हानि	15,000 हानि	20,000 हानि
लाभांश से आय	5,000	–

उत्तर—कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 में सकल कुल आय शून्य रु. होगी तथा कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 में 49,000 रु. होगी। [84]

4. The assessment of an assessee for the assessment year 1995-96 was made by the Assessing officer as under :

करदाता की 1995-96 कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय का निर्धारण निर्धारण-अधिकारी द्वारा निम्न ढंग से किया गया—

	रु.	रु.
मकान सम्पत्ति से आय	—	9,000
व्यापार से लाभ :		
बीमा एजेन्सी के लाभ	32,000	–
अंशों के व्यापार से हानि	1,26,000	– 94,000
लाभांश (सकल)		4,000
	कुल हानि	81,000

The assessing officer completed the assessment of 1996-97 and 1997-98 as under :

निर्धारण अधिकारी ने 1996-97 और 1997-98 का कर-निर्धारण निम्न प्रकार पूरा किया—

	वर्ष 1996-97		वर्ष 1997-98	
	रु.	रु.	रु.	रु.
मकान सम्पत्ति से आय		9,000		9,000
व्यापार से लाभ :				
बीमा एजेन्सी का लाभ	36,000		35,000	
अंशों के व्यापार से हानि	9,000	27,000	16,000	19,000
लाभांश		2,400		1,400
कुल आय		38,400		29,400
पिछले वर्ष से आगे लाई गई हानियाँ		38,400		29,400

13,200 रु. की हानि आगे ले जाई गई। आय-कर अधिकारी ने उपरोक्त दो वर्षों के लिए यह कहकर कर-निर्धारण किया कि पिछले वर्षों की हानियाँ अधिक मात्रा में आगे लाई जाने के कारण करदाता को कोई कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

क्या उपरोक्त कर-निर्धारण सही है ? यदि नहीं तो कैसे ? यदि आय-कर अधिकारी ने कोई गलती कर दी है तो वह गलती कैसे सुधारी जा सकती है ? [85]

उत्तर—कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 में 35,000 रु. की हानि आगे जाएगी।

संकेत—आगे लाई गई व्यापारिक हानियाँ केवल व्यापारिक लाभों से पूरी हो सकती हैं, अन्य शीर्षकों की आय से नहीं हो सकती हैं।

8. Mr. Singh who is resident in India, has submitted the following *particulars of his income for the assessment year 1997-98.*

श्री सिंह जो कि भारत में निवासी हैं, कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं—

	रु.
1. किराये पर उठाए गए मकान से आय	10,000
2. स्वयं के रहने के मकान से हानि	500
3. रेडियो व्यापार से लाभ	41,400
4. फर्म से प्राप्त हिस्सा	1,800
5. सट्टे के व्यापार की आय	1,900
6. अल्पकालीन पूँजी लाभ	3,200
7. दीर्घकालीन पूँजी लाभ	8,500
8. दौड़ के घोड़ों को रखने की हानि	7,000
9. जुए की हानि	3,000

The following items have been brought forward from the assessment year 1996-97.

कर-निर्धारण वर्ष 1996-97 से निम्न मदें आगे लायी गई हैं—

	रु.
(i) साइकिल व्यापार की हानियाँ जिसे गत वर्ष 1995-96 में बन्द कर दिया गया	3,000
(ii) साझेदारी संस्था की हानि में हिस्सा	2,700
(iii) रेडियो व्यापार की हानि	1,900
(iv) अशोधित ह्रास	3,700
(v) अशोधित विकास भत्ता	1,100
(vi) अशोधित परिवार नियोजन व्यय	2,600
(vii) सट्टे के व्यापार की हानि	3,200
(viii) अल्पकालीन पूँजी हानि 1992-93 कर-निर्धारण वर्ष की	14,100
(ix) कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 की मकान सम्पत्ति की हानि आगे लाई गई जिसमें 4,000 रु. ब्याज की कटौती के हैं	12,000

Current year depreciation is Rs. 500

Compute the gross total income of Mr. Singh and express the losses he is entitled to carry forward.

चालू वर्ष का ह्रास 500 रु. है।

श्री सिंह की सकल कुल आय की गणना कीजिए तथा यह भी बताइये कि वे कौन-कौन सी हानियों को आगे ले जायेंगे। [86]

(vii) अंशों पर लाभांश (अंश रहतिये के रूप में रखे हैं) सकल	10,000
(viii) सट्टे के लाभ	8,000
(ix) पिछले कर निर्धारण वर्ष से आगे लाये :	
(अ) व्यापारिक हानि	40,000
(ब) सट्टे की हानि	15,000
(स) न वसूल हुआ किराया	10,000
(द) कर निर्धारण वर्ष 1990-91 की दीर्घकालीन पूँजी हानि	13,000
(य) कर निर्धारण वर्ष 1987-88 की दीर्घकालीन पूंजी हानि	7,000

उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए।

(Sukhadia Uni. B.Com. 1995 Modified)

उत्तर—सकल कुल आय 8,000 रु.। [87]

■■■

उत्तर—सकल कुल आय 43,700 रु.। 1,300 रु. की सट्टे के व्यापार की हानि आगे ले जाई जायेगी। 2,400 रु. की पूंजी हानि एवं 7,000 रु. की दौड़ के घोड़ों को रखने की हानि आगे ले जाई जायेगी।

संकेत—

(i) बन्द किये गये व्यापार की हानियों की पूर्ति नहीं होगी।

(ii) परिवार नियोजन व्यय एक व्यक्ति करदाता की दशा में स्वीकृत व्यय नहीं है।

(iii) आगे लायी गयी सट्टे के व्यापार की हानि केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से तथा अल्पकालीन पूँजी हानि केवल पूँजी लाभों से पूरी की जा सकती है।

(iv) जुए की हानि की पूर्ति किसी भी आय में नहीं हो सकती है।

6 Mr. Ram submits the following particulars :

	Rs.
(i) Income from house property (computed)	8,000
(ii) Profit from personal business	15,000
(iii) Share of profit from an A.O.P. (Tax has not been paid by A.O.P.)	5,000
(iv) Short term capital gain	18,000
(v) Long term capital gain on sale of building	17,000
(vi) Long term capital loss on sale of shares	14,000
(vii) Dividend on shares (held as stock in trade) gross	10,000
(viii) Speculation profits	8,000
(ix) Brought forward from preceding assessment year :	
(a) Business loss	40,000
(b) Loss of speculation	15,000
(c) Unrealised rent	10,000
(d) Long term capital loss of assessment year 1990-91	13,000
(e) Long term capital loss of assessment year 1987-88	7,000

Compute his gross total income.

श्री राम निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं

	रु.
(i) मकान सम्पत्ति से आय (आंकलित)	8,000
(ii) व्यक्तिगत व्यापार से लाभ	15,000
(iii) व्यक्तियों के संघ से लाभ का भाग (व्यक्तियों के संघ ने कर का भुगतान नही किया है)	5,000
(iv) अल्पकालीन पूँजी लाभ	18,000
(v) भवन के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	17,000
(vi) अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूँजी हानि	14,000

(vii) अंशों पर लाभांश (अंश रहतिये के रूप में रखे हैं) सकल	10,000
(viii) सट्टे के लाभ	8,000
(ix) पिछले कर निर्धारण वर्ष से आगे लाये :	
(अ) व्यापारिक हानि	40,000
(ब) सट्टे की हानि	15,000
(स) न वसूल हुआ किराया	10,000
(द) कर निर्धारण वर्ष 1990-91 की दीर्घकालीन पूँजी हानि	13,000
(य) कर निर्धारण वर्ष 1987-88 की दीर्घकालीन पूँजी हानि	7,000

उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए।

(Sukhadia Uni. B.Com. 1995 Modified)

उत्तर—सकल कुल आय 8,000 रु.। [87]

■■■

12

सकल कुल आय में से कटौतियाँ

(Deductions from Gross Total Income)

सकल कुल आय और कुल आय की परिभाषा हम प्रथम अध्याय में बता चुके हैं। सकल कुल आय से हमारा अभिप्राय उस आय से है जिसमें धारा-80CCC से 80 U तक वर्णित कटौतियों (जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है) को न घटाया गया हो। सकल कुल आय की गणना कुल आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये नियमों के अनुसार की जाती है। उसके उपरान्त कुल आय की गणना की जाती है। कुल आय की गणना करते समय सकल कुल आय में से कटौतियाँ दी जाती हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

स्पष्टीकरण—धारा 112(3) के अनुसार इस अध्याय की किसी भी कटौती के लिये सकल कुल आय से अभिप्राय ऐसी सकल कुल आय से होगा जिसमें सम्मिलित दीर्घकालीन पूँजी लाभों को वापस घटा दिया गया है।

धारा-80A के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अध्याय में वर्णित कटौतियाँ किसी भी दशा में सकल कुल आय से अधिक नहीं होंगी। यदि व्यक्तियों के समुदाय की कुल आय की गणना करते समय धारा-80 G, 80 GGA, 80 HH, 80 HHA, 80HHB, 80 HHC, 80 HHD, 80 I, 80 IA, 80J, एवं 80 JJ के अन्तर्गत् कटौती दे दी गई है तो समुदाय के सदस्य की कुल आय की गणना करते समय दुबारा कटौती नहीं दी जायेगी।

धारा-80 AB के अनुसार विभिन्न आयों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती सकल कुल आय में सम्मिलित शुद्ध राशि के सम्बन्ध में ही दी जायेगी। शुद्ध राशि से अभिप्राय जिस शीर्षक की वह आय है उस शीर्षक की कटौतियाँ देने के बाद बची हुई राशि से है।

भुगतान के सम्बन्ध में की जाने वाली कटौतियाँ

1. पेंशन कोष में दिये गये अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-CCC)—(i) यदि किसी व्यष्टि करदाता ने अपनी कर योग्य आय में से गत वर्ष में धारा 10 (23 AAB) में वर्णित कोष में से पेंशन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम की किसी वार्षिकी योजना के अनुबन्ध को करने अथवा चालू रखने के लिये किसी रकम का भुगतान किया है अथवा कोई रकम जमा की है तो उसकी कुल आय की गणना करते समय इस धारा के अन्य प्रावधानों का ध्यान रखते हुये भुगतान की गई अथवा जमा की गई सम्पूर्ण राशि की कटौती दे दी जायेगी। परन्तु किसी भी गत वर्ष में करदाता के खाते में (ब्याज एवं बोनस की अर्जित अथवा जमा राशियों के अलावा) 10,000 रु. से अधिक राशि की कटौती नही दी जायेगी।

(ii) यदि करदाता अथवा उसका नामांकिती किसी गत वर्ष में वार्षिकी योजना के पूर्ण अथवा आंशिक समर्पण के कारण अथवा वार्षिकी योजना से पेंशन के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करता है जिसके सम्बन्ध में उसको उपर्युक्त वाक्यांश (i) के तहत कटौती दी जा चुकी है तथा जो राशि ब्याज एवं बोनस सहित सम्बन्धित कोष में करदाता के खाते में जमा हुई है तो इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त राशि करदाता अथवा नामांकित व्यक्ति की उस गत वर्ष की आय होगी जिसमें ऐसी राशि प्राप्त की जाती है।

(iii) यदि करदाता को किसी भी भुगतान की गई अथवा जमा की गई राशि के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती दे दी जाती है तो उस राशि के सम्बन्ध में धारा 88 की छूट प्राप्त नहीं होगी।

2. **चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-D]**—यदि कोई करदाता गत वर्ष में अपनी कर-योग्य आय में से इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित राशियों का भुगतान चैक द्वारा करता है तो उसको कुल आय की गणना करते समय निम्नांकित दरों के आधार पर कटौती दी जायेगी—

(i) यदि ऐसी राशियाँ कुल मिलाकर 10,000 रु. से अधिक नही हो तो ऐसी सम्पूर्ण राशि।

(ii) अन्य किसी दशा में 10,000 रु.। अर्थात् ऐसी राशियाँ 10,000 रु. से अधिक हों तो 10,000 रु. की कटौती दी जायेगी, आधिक्य की नहीं।

इस धारा के उपवाक्य (2) के अनुसार इस धारा की कटौती निम्नलिखित राशियों के सम्बन्ध में ही दी जायेगी—

(अ) एक व्यक्ति करदाता की दशा में उसके स्वयं के स्वास्थ्य, जीवन-साथी के स्वास्थ्य, आश्रित माता-पिता एवं आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य का बीमा कराने अथवा जारी रखने के लिए भुगतान की गई राशि।

(ब) एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने अथवा जारी रखने के सम्बन्ध में किया गया भुगतान।

बशर्ते कि यह बीमा भारतीय सामान्य बीमा निगम के द्वारा इस आशय के लिए बनाई गयी एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित की गई योजना के अनुरूप होगा।

3. **असमर्थ आश्रित की चिकित्सा आदि पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80 DD)**—भारत में निवासी कोई व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार गत वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की चिकित्सा (देखभाल सहित), प्रशिक्षण अथवा पुनर्स्थापना पर कोई राशि व्यय करता है तो उस करदाता को इस धारा की व्यवस्थाओं के अधीन गत वर्ष के सम्बन्ध में 15,000 रु. की कटौती प्रदान करदी जायेगी। इस कटौती के लिये निम्न दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—

(अ) वह व्यक्ति इस व्यष्टि का सम्बन्धी है अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है तथा अपने भरण पोषण के लिये इस व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं है।

(ब) वह व्यक्ति स्थायी रूप से ऐसी शारीरिक असमर्थता से पीड़ित है जो इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों में वर्णित असमर्थताओं में से एक हो अथवा जो अन्वेषण से

पीड़ित हो अथवा बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में वर्णित सीमा तक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ हो *तथा जिसके परिणामस्वरूप उसकी लाभपूर्ण रोजगार* कमाने की शक्ति पर्याप्त रूप से कम हो गई हो। इस व्यक्ति की बीमारी को सरकारी अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सक, सर्जन, नेत्रविशेषज्ञ अथवा जैसी भी परिस्थिति हो मानसिक रोग चिकित्सक ने प्रमाणित कर दिया हो।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—इस धारा की कटौती 15,000 रु. की ही दी जायेगी चाहे भले ही व्यय की गई राशि कम हो अथवा अधिक।

4. विकलांग आश्रित के भरण-पोषण के लिये जमा की गई राशि के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-DDA)—यदि भारत में निवासी एक व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अपनी कर योग्य आय में से गत वर्ष में जीवन बीमा निगम अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की इस धारा के उद्देश्यों के लिये बनाई गई किसी योजना में कोई धन राशि जमा करता है तो उसको कुल आय की गणना करते समय अधिकतम 20,000 रु. तक की कटौती प्रदान कर दी जायेगी बशर्ते निम्न शर्तें पूरी होती हों—

(अ) उक्त योजना में जमा करने वाले व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु की दशा में विकलांग आश्रित के लाभ के लिये एक मुश्त या वार्षिकी के रूप में *भुगतान किये जाने की व्यवस्था इस योजना में होनी चाहिए।*

(ब) विकलांग आश्रित के लाभ के लिये भुगतान प्राप्त करने के लिये करदाता विकलांग आश्रित को स्वयं को या अन्य किसी व्यक्ति को या ट्रस्ट को नामांकित करता है।

यदि जमा करने वाले व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के पहले विकलांग आश्रित की मृत्यु हो जाती है तो जमा की गई राशि के बराबर राशि करदाता की उस गत वर्ष की आय मानी जायेगी जिस गत वर्ष में उसे यह राशि प्राप्त होती है।

स्पष्टीकरण—विकलांग आश्रित से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो—(i) ऐसे व्यष्टि करदाता का सम्बन्धी है *अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है तथा* अपने भरण-पोषण के लिये ऐसे व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति पर आश्रित नहीं है; एवं (ii) वह व्यक्ति स्थायी रूप से ऐसी शारीरिक असमर्थता से पीड़ित है जो इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा बनाये गये नियमों में वर्णित असमर्थताओं में से एक हो अथवा जो अन्धेपन से पीड़ित हो अथवा बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में वर्णित सीमा तक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ हो *तथा जिसके परिणामस्वरूप उसकी लाभपूर्ण रोजगार कमाने की शक्ति* पर्याप्त रूप से कम हो गई हो। इस व्यक्ति की बीमारी को सरकारी अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सक, सर्जन, नेत्रविशेषज्ञ अथवा जैसी भी परिस्थिति हो मानसिक रोग चिकित्सक ने प्रमाणित कर दिया हो।

5. चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-DDB) – यदि कोई भारत में निवासी करदाता गत वर्ष में आयकर नियमों में निर्दिष्ट बीमारी या रोग के सम्बन्ध में अपने स्वयं के इलाज पर अथवा किसी आश्रित सम्बन्धी के इलाज पर कोई राशि व्यय करता है अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अपने किसी सदस्य के इलाज पर कोई राशि व्यय करता है तो करदाता को उस गत वर्ष में 15,000 रु. की कटौती प्रदान कर दी जायेगी जिसमें ऐसा व्यय किया जाता है। परन्तु यदि कोई करदाता निर्धारित सत्ता से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(1) आश्रित से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अपने भरण पोषण के लिये करदाता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है।

(2) सम्बन्धी से अभिप्राय पति-पत्नी, भाई-बहिन एवं करदाता के ऊपर के वंशजों एवं नीचे के वंशजों से है। (धारा 2 (41) के अनुसार)

(3) आय कर नियम 11 (DD) (1) के तहत, केन्सर एड्स हेमोफिलिया, थलसेनिया आदि बीमारियों को अधिसूचित किया है।

6. उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण की वापसी के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-E)—यदि कोई व्यक्ति करदाता अपनी कर-योग्य आय में से उच्च शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से वित्तीय संस्था अथवा अनुमोदित पुण्यार्थ संस्था से लिये गये ऋण का गत वर्ष में पुनर्भुगतान करता है तो उसको ऐसे ऋण एवं ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कुल आय की गणना करते समय 25,000 रु. तक की कटौती दे दी जायेगी।

इस धारा की कटौती प्रारम्भिक कर निर्धारण वर्ष में तथा अगले 7 कर-निर्धारण वर्षों में दी जावेगी। परन्तु सम्पूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान हो जाने के बाद कटौती नहीं दी जायेगी। प्रारम्भिक कर-निर्धारण वर्ष उस गत वर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष होगा जिसमें करदाता ऋण या ब्याज का पुनर्भुगतान करना प्रारम्भ करता है।

इस धारा में वर्णित कुछ विशिष्ट शब्दों का अर्थ निम्न है—

(i) अनुमोदित पुण्यार्थ संस्थाओं से आशय पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिये स्थापित ऐसी संस्थाओं से है जिनको धारा 10(23-C) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया हो अथवा जिनका उल्लेख धारा 80G(2)(9) में किया गया है।

(ii) वित्तीय संस्था से आशय ऐसी बैंकिंग कम्पनी से है जिस पर बैंकिंग नियमन अधिनियम,1949 लागू होता है अथवा जिस संस्था को केन्द्र सरकार द्वारा इस आशय के लिये सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(iii) 'उच्च शिक्षा' से आशय इन्जीनियरिंग, मेडीसन एवं प्रबन्ध के ग्रेज्यूएट एवं पोस्टग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम अथवा गणित एवं सांख्यकीय को सम्मिलित करते हुये व्यवहारिक विज्ञान एवं शुद्ध विज्ञान के पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम के पूर्णकालीन अध्ययन से है।

7. कुछ फण्डों, पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिये गये दानों के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80 G)—इस धारा के अन्तर्गत करदाता द्वारा गत वर्ष में दिये गये निम्नलिखित दान कटौती योग्य होते हैं—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (National Defence Fund) में दिये गये दान।

(ii) जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि (Jawaharlal Nehru Memorial Fund) में दिये गये दान।

(iii) प्रधानमन्त्री सूखा सहायता कोष (Prime Minister's Draught Relief Fund) में दिये गये दान।

(iii-a) प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष (Prime Minister's National Relief Fund) में दिये गये दान।

(iii-aa) प्रधानमन्त्री आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष (Prime Minister's Armeni. Earthquake Relief Fund) में दिये गये दान।

(iii-ab) अफ्रीका (जनता अंशदान-भारत) कोष [The Africa (Public Contribution-India) Fund] में दान।

(iii-b) राष्ट्रीय बाल कोष (National Childrens Fund) में दान।

(iii-c) इन्दिरा गाँधी स्मारक प्रन्यास (Indira Gandhi Memorial Trust) में दिये गये दान। इस ट्रस्ट के घोषणा-पत्र का पंजीकरण 21 फरवरी, 1985 को हुआ था।

(iii-d) राजीव गाँधी फाउण्डेशन (Rajiv Gandhi Foundation) में दान।

(iii-e) साम्प्रदायिक सद्‌भाव के लिये राष्ट्रीय फाउण्डेशन (National Foundation for Communal Harmony) में दान।

(iii-f) अनुमोदित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की ऐसी शिक्षण संस्था को दिया गया दान जो निर्धारित सत्ता द्वारा इस आशय के लिये अनुमोदित हो।

(iii-g) महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के राहत कोष में दिनांक 1-10-93 से 6-10-93 के दौरान दिये गये दान अथवा मुख्यमन्त्री के भूकम्प राहत कोष, महाराष्ट्र में दिये गये दान।

(iii-h) किसी भी जिले में वहाँ के जिलाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई जिला साक्षरता समिति को दिया गया दान। इस समिति का उद्देश्य उस जिले के गांवों एवं कस्बों में प्राथमिक शिक्षा का सुधार करना तथा साक्षरता एवं साक्षरता के बाद की गतिविधियों में सुधार करना होना चाहिए।

स्पष्टीकरण—इस उप-वाक्य के लिये कस्बे से आशय ऐसे कस्बे से है जिसकी आबादी पिछली जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक नहीं हो। पिछली जनगणना वह मानी जायेगी जिसके आंकड़े गत वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हों।

(iii-ha) राष्ट्रीय रक्त ट्रान्सफ्यूजन परिषद अथवा प्रान्तीय रक्त ट्रान्सफ्यूजन परिषद को दान। इस परिषद का एक मात्र उद्देश्य ऑपरेशन से सम्बन्धित सेवाओं एवं रक्त बैंकों की आवश्यकताओं को नियंत्रण, नियमन एवं प्रोत्साहित करना होगा।

(iii-hb) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी ऐसे कोष को दान जिसका उद्देश्य गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हो।

(iii-hc) केन्द्र की सशस्त्र सेनाओं द्वारा इनके भूतपूर्व एवं वर्तमान सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिये स्थापित निम्न कोषों में दान—

थल सेना केन्द्रीय कल्याण कोष (Army Central Welfare Fund)

भारतीय नौ सैना दानी कोष (Indian Naval Benevalent Fund)

वायु सेना केन्द्रीय कल्याण कोष (Air Force Central Welfare Fund)

(iv) भारत में स्थापित धार्मिक उद्देश्यों वाले किसी फण्ड या संस्था को दिये गये दान बशर्ते वह फण्ड या संस्था निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों—

(अ) यदि वह फण्ड या संस्था कोई आय प्राप्त करते हों तो उनकी कुल आय की गणना करते समय उस आय को धारा-11 व 12 तथा धारा—10 (22), 10 (22-अ) 10 (23), 10 (23-AA) एवं 10 (23-C) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कुल आय में शामिल नहीं किया जाता।

(ब) जिन नियमों या संलेख के अनुसार इस फण्ड या संस्था का नियन्त्रण होता है उसमें इसकी कुल आय या उसके किसी भाग को गैर पुण्यार्थ कार्य में किसी समय प्रयोग करने या हस्तान्तरण करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

(स) यह फण्ड या संस्था किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय या जाति के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़ी हुई जातियों (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes) एवं स्त्री एवं बच्चों के लाभ के लिए स्थापित किये गये फण्ड एवं संस्था किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय या जाति के लाभ के लिए नही माने जायेंगे।

(द) यह फण्ड या संस्था अपनी प्राप्तियों एवं व्ययों का नियमित लेखा रखती है; और

(य) यह फण्ड या संस्था या;तो सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट की तरह स्थापित किया गया है या यह सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत या भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है अथवा कानून द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय है अथवा कोई शिक्षा संस्थान है जो सरकार द्वारा अथवा कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित है अथवा धारा 10 (?3) के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई खेलकूद की संस्था अथवा क्रीडा संघ है अथवा ऐसी संस्था है जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सरकार या स्थानीय सत्ता से आर्थिक सहायता प्राप्त करती है।

(v) सरकार या किसी स्थानीय सत्ता को किसी पुण्यार्थ उद्देश्य के लिये दिये गये दान।

(vi) धारा 10 (20-A) में उल्लेखित किसी सत्ता को दिये गये दान।

(vi-a) धारा 10(26-BB) में वर्णित किसी निगम को दान। ऐसे निगम की स्थापना अल्प-संख्यक समुदाय के हितों के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा की गई है।

(vii) परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार अथवा ऐसी किसी स्थानीय सत्ता, संस्था अथवा संघ को दिये गये दान जिसको केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित कर दिया हो।

(viii) गत वर्ष में करदाता द्वारा किसी ऐसे मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अथवा चर्च एवं अन्य किसी स्थान की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिये दिये गये दान, जिनको केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्त्व का अथवा किसी राज्य भर में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा का स्थान घोषित कर दिया है।

कटौती-योग्य राशियों की अधिकतम सीमा :

ऐसी सकल कुल आय का 10% जिसमें से धारा 80-CCC से 80-E एवं 80-GG से 80-U में वर्णित कटौतियाँ दे दी गई हैं, दीर्घकालीन पूँजी लाभों को घटा दिया गया है एवं उन सभी आयों को घटा दिया गया है, जिन पर आय-कर नहीं दिया जाता अर्थात् जिन पर औसत दर से कर की छूट मिलती है। यदि दिये गये दान की राशि इससे कम है तो कम पर ही कटौती दी जायेगी।

ऐसे दान जिन पर अधिकतम सीमा लागू नहीं होती :

वाक्यांश (i), (ii), (iii), (iiia), (iiiaa), (iiiab), (iiib), (iiic), (iiid), (iiie), (iiif), (iiig), (iiih), (iiiha), (iiihb) एवं (iiihc) में वर्णित दान अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा

कोष, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि, प्रधानमन्त्री के सूखा सहायता कोष, प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधानमन्त्री आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष, अफ्रीका (जनता अंशदान-भारत) कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, इन्दिरा गाँधी स्मारक ट्रस्ट, राजीव गाँधी फाउण्डेशन, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये राष्ट्रीय फाउण्डेशन, अनुमोदित विश्वविद्यालय या विख्यात शिक्षण संस्था, मुख्यमन्त्री के भूकम्प राहत कोष, महाराष्ट्र या जिला साक्षरता समिति या रक्त ट्रान्स्फ्यूजन परिषद या गरीबों की चिकित्सा सुविधा के लिये स्थापित कोष एवं सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित कोष को दिये गये दान, अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय कभी भी शामिल नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार के दानों की सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होती है।

कटौती की दर :

दानों की कुल कटौती योग्य राशि में यदि प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधानमन्त्री आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष, अफ्रीका (जनता अंशदान-भारत) कोष, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये राष्ट्रीय फाण्डेशन, विश्वविद्यालय या विख्यात शिक्षण संस्था, मुख्यमन्त्री के भूकम्प राहत कोष, महाराष्ट्र, जिला साक्षरता समिति रक्त ट्रान्स्फ्यूजन परिषद, गरीबों की चिकित्सा सुविधा के लिये स्थापित कोष, सशस्त्र सेवाओं द्वारा स्थापित कोष अथवा परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए दिये गये दान भी सम्मिलित हैं तो उन पर 100% की दर से कटौती दी जायेगी तथा शेष रकम पर 50% की दर से कटौती प्रदान की जायेगी।

नोट—दानों के सम्बन्ध में कटौती नकद रूप में देने पर ही दी जायेगी। यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में किसी भुगतान के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्रदान कर दी जाती है, तो उस राशि के सम्बन्ध में उस कर-निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

दानों की कटौती योग्य राशि की सीमा एवं कटौती की दर

I. दान जिनकी सम्पूर्ण राशि कटौती योग्य होती है—

[वाक्यांश (i) से लेकर (iii hc) तक में वर्णित सभी दान]

(A) जिन पर 100% की कटौती मिलेगी

(B) जिन पर 50% की कटौती मिलेगी

[वाक्यांश (i), (ii), (iii), (iii b), (iii c) एवं (iii d) में वर्णित दान]

II. दान जिन पर समायोजित सकल कुल आय के 10% की सीमा लागू होती है—

[वाक्यांश (iv) से लेकर (viii) तक में वर्णित]

(A) जिन पर 100% को कटौती मिलेगी, सीमा लागू करने के बाद

[वाक्यांश (vii) में वर्णित]

(B) जिन पर 50% की कटौती मिलेगी

वाक्यांश [(iv) (v) (vi) (vi a) एव (viii) में वर्णित]

Illustration 1.

Girish has a Gross total income of Rs. 50,00,000 including long term capital gain of Rs. 5,00,000 during the previous year 1996-97. He made following donations—

(i) Rs. 2 lakhs to National Defence Fund.
(ii) Rs. 50,000 to Prime Minister's Draught Relief Fund.
(iii) Rs. 20,000 to Jawaharlal Nehru Memorial Fund.
(iv) Rs. 1 lakh to Nathdwara Temple for its renovation and repairs (नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिये)।
(v) Rs. 2 lakhs for the repair of Taj Mahal
(vi) Rs. $1\frac{1}{2}$ lakhs to a Charitable Trust.
(vii) Rs. 1 lakh to approved educational institutions.
(viii) Rs. 1 lakh to Congress Party.
(ix) Furniture and fans worth Rs. 2,000 to an approved educational institutions.

Compute his total income for the Assessment Year 1997-98.

Solution :

	Rs.
Qualifying donaton :	
Donation to Charitable Trust	1,50,000
Donation to approved educational institutions	1,00,000
Donation for repairs and renovation of Nathdwara Temple	1,00,000
Donation for the Taj Mahal	2,00,000
	5,50,000
The Qualifying limit in respect of all the above mentioned donations is 10% of adjusted G.T.I.	
10% of Rs. 45,00,000	4,50,000
Donations to National Defence Fund	2,00,000
Donations to Jawaharlal Memorial Fund	20,000
Donations to Prime Minister's Draught Relief Fund	50,000
Qualifying donations	7,20,000
Gross Total Income	50,00,000
Less : Deduction in respect of charitable donations u/s 80-G (50% of Rs. 7,20,000)	3,60,000
Total Income	46,40,000

टिप्पणी—(i) किसी भी राजनैतिक पार्टी को दिये गये दान धारा-80 G के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं होते हैं।

(ii) चूँकि नकदी में दिये गये दानों के सम्बन्ध में ही छूट मिलती है, प्रमाणित संस्थाओं को दिये गये फर्नीचर व पंखे पर छूट नहीं मिलेगी।

(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, जवाहरलाल स्मृतिकोष एवं प्रधानमन्त्री अकाल सहायता कोष में दिये गये दान कटौती योग्य दानों की अधिकतम सीमा में शामिल नहीं किये जाते हैं।

(iv) धारा 80-G की कटौती देने के लिए सकल कुल आय से अभिप्राय: ऐसी सकल कुल आय से होता है जिसमें दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया गया हो। अत: 50 लाख रु. की सकल कुल आय में से दीर्घकालीन पूँजी लाभ की 5 लाख रु. की राशि को *घटाकर 45 लाख रु. की राशि का 10% किया गया है।*

Illustration 2.

The Gross Total income of Mr. Sudhir is Rs. 95,000 which includes long term capital gain of Rs. 20,000. He incurred an expenditure of Rs. 10,000 on the treatment of a handicapped dependant who is sufferring from mental retardation and donated Rs. 10,000 to a charitable institution.

Calculate his total income for the assessment year 1997-98.

श्री सुधीर की सकल कुल आय 95,000 रु. है जिसमें 20,000 रु. का दीर्घकालीन पूंजी लाभ शामिल है। उसने एक आश्रित सम्बन्धी की चिकित्सा पर जो मानसिक रोग से पीड़ित है 10,000 रु. व्यय किये तथा एक पुण्यार्थ संस्था को 10,000 रु. का दान दिया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसकी कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of the Total Income of Mr. Sudhir		**Rs.**
Gross Total Income		95,000
Deductions : 1. U/s 80DD	15,000	
2. U/s 80-G @ 50% on Rs. 6,000	3,000	18,000
Total Income		77,000

टिप्पणी—(i) पुण्यार्थ दान सकल कुल आय के 10% तक कटौती योग्य होते हैं। परन्तु सकल कुल आय से अभिप्राय यहाँ उस आय से है जो धारा-80CCC से धारा 80-E एव धारा-80 GG से 80 U तक की कटौतियाँ तथा कर-मुक्त आयों (जिन पर औसत दर की छूट मिलती है) एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों को घटाने के बाद निकाली गई हो। अत: यहाँ 95,000 रुपये की सकल कुल आय में से 15,000 रुपये (*धारा-80 DD की कटौती*) एवं 20,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभ घटाकर शेष 60,000 रु. का 10% निकाला गया है।

7. मकान किराये के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80 GG)—यदि कोई करदाता अपने रहने के लिए मकान किराये पर लेता है तथा अपनी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक किराया चुकाता है तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर उसे इस धारा के अन्तर्गत कटौती दी जाती है—

(i) यह मकान आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मदुराई, नागपुर, पटना, पूना, श्रीनगर, सूरत, बड़ौदा, वाराणसी, भोपाल, फरीदाबाद, ग्वालियर, लश्कर अथवा लुधियाना सिटी या इसमें से प्रत्येक के शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए अथवा बम्बई, कालीकट, कोचीन, गाजियाबाद, हुबली (धारवाड़), मद्रास, शोलापुर, त्रिवेन्द्रम, अथवा विशाखापटनम में से किसी स्थान पर होना चाहिए।

(ii) यदि करदाता नौकरी करता है तो उसे अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं होना चाहिये।

(iii) करदाता का स्वयं का, उसके जीवन साथी का या उसके अवयस्क बच्चे का अथवा यदि करदाता हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है तो हिन्दू अविभाजित परिवार का रहने का मकान उस स्थान पर नहीं होना चाहिए, जहाँ कि करदाता सामान्यतया रहता है अथवा अपने पद सम्बन्धी कार्य करता है अथवा व्यापार अथवा पेशा चलाता है।

(iv) यदि करदाता का मकान किसी अन्य स्थान पर है तो वह उस मकान के सम्बन्ध में स्वयं के रहने सम्बन्धी वैधानिक छूट प्राप्त नहीं करता है।

कटौती की रकम—उपरोक्त शर्तें पूरी होने पर निम्न तीन राशियों में से सबसे कम राशि के बराबर रकम की कटौती सकल कुल आय में से दी जायेगी—

(अ) चुकाये गये किराये का वह भाग जो कुल आय के 10% से अधिक है; या

(ब) कुल आय का 25%, या

(स) 2,000 रु. प्रतिमाह।

स्पष्टीकरण—(i) शहरी क्षेत्र से अभिप्राय किसी स्थान के उस क्षेत्र से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के लिए सम्मिलित किया जाता है।

(ii) आय का 10% अथवा 25% की गणना करने के लिए कुल आय से अभिप्राय ऐसी कुल आय से है जो इस धारा की कटौती देने के तुरन्त पूर्व ज्ञात की गई हो तथा जिसमें से दीर्घकालीन पूँजी लाभों को घटा दिया गया हो।

Illustration 3.

During the previovs year 1996-97 the gross total income of Mr. Kumar was Rs. 1,60,000 which included long term capital gain of Rs. 40,000 and dividend on shares of a company of Rs. 6,000. He paid Rs. 4,000 as medical insurance premium for his health. He has a rented house in Delhi for which he pays a rent of Rs. 2,000 per month.

Compute the total income of Mr. Kumar for the assessment year 1997-98.

गत वर्ष 1996-97 के दौरान श्री कुमार की सकल कुल आय 1,60,000 रु. थी जिसमें से 40,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं 6,000 रु. एक कम्पनी के अंशों का लाभांश सम्मिलित था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रूप में 4,000 रु. का भुगतान किया। उन्होंने दिल्ली में अपने रहने का एक मकान किराये पर ले रखा है जिसका किराया 2,000 रु. प्रतिमाह है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री कुमार की कुल आय ज्ञात कीजिए।

Solution :

Comnutation of Total Income of Shri Kumar

		Rs.	Rs.
	Gross Total Income		1,60,000
Less :	(a) deduction u/s 80-D	4,000	
	(b) deduction u/s 80-L	6,000	
	(c) deduction u/s 80-GG	13,000	23,000
	Total Income		1,37,000

द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसे संघ या संस्था को दी गई राशि जिसका उद्देश्य
क्रियान्वयन हेतु व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो।

दोनों परिस्थितियों में संघ एवं संस्था का धारा-35 CCA (2)
होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि करदाता इस
35-CCA (2) अथवा (2A) में वर्णित प्रमाण-पत्र प्राप्त
क्ष प्रस्तुत करे।

क्षेत्र की ऐसी कम्पनी, अथवा स्थानीय सत्ता अथवा संघ
परियोजना अथवा योजना का संचालन करने के लिये
भुगतान बशर्ते कि करदाता सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी
है।

अथवा योजना का अर्थ इस धारा के लिये भी वही
विस्तृत विवरण व्यापार अथवा पेशे की आय में दिया

किसी ऐसी संस्था या संघ को दिया गया भुगतान जिसका
लगाने के कार्य के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का संचालन
र्नो अथवा जंगल लगाने के विकास सम्बन्धी ऐसे कार्यक्रम
35 CCB के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित हो। जिस संस्था
संस्था भी धारा 35-CCB (2) के उद्देश्यों के लिए

जंगल लगाने के कार्य से सम्बन्धित ऐसे कोष में दी गई
अधिसूचित कर दिया गया हो।

) के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित
द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि।

के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित
में करदाता द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि।

में किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अन्तर्गत
उस भुगतान के सम्बन्ध में, उस कर-निर्धारण वर्ष में या अन्य
की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नहीं

के सम्बन्ध में कटौतियाँ

औद्योगिक उद्यम अथवा होटल व्यवसाय के लाभों
)-- यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में ऐसे
हैं जिन पर यह धारा लागू होती है, तो उसकी कुल
व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लाभों के 20%
लघु उद्योग को उसके किसी लाभ के सम्बन्ध में
A के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत की जाती है तो

टिप्पणी—निम्न तीन रकमों में से जो सबसे कम होगी; उतनी राशि की कटौती धारा 80-GG के अन्तर्गत दी जायेगी—

(i) कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया = 13,000 रु.

(ii) कुल आय का 25% = 27,500 रु.

(iii) 2,000 रु. प्रतिमाह = 24,000 रु.

उपरोक्त तीन रकमों में से सबसे कम रकम 13,000 रु. धारा 80-GG के अन्तर्गत कटौती योग्य होंगे।

इस आशय के लिये करदाता की कुल आय 1,60,000 – 4,000 – 6,000 – 40,000 = 1,10,000 रु. है। कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया 24,000 – 11,000 = 13,000 रु. है।

स्पष्टीकरण—यदि करदाता को एक साथ धारा 80-G और धारा 80-GG की कटौती दी जाती है तथा दोनों कटौतियों में कुल आय का प्रतिशत दिया जाना आवश्यक है तो ऐसे प्रश्न बीज गणितीय समीकरण द्वारा ही हल किये जा सकेंगे।

छात्रों के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्नों को हल करना एक जटिल समस्या है। निश्चित संख्या का कोई सवाल एक समीकरण द्वारा हल कर दिया जाना समस्या का समाधान नहीं है। यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया को भली प्रकार समझाया जाये तो यह इतनी जटिल प्रक्रिया होगी कि अधिकांश छात्रों के लिए इसे समझ पाना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा।

हमारी राय से छात्रों को ऐसी जटिल गणितीय प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित रहेगा जिससे अनावश्यक रूप से उनका समय व शक्ति बरबाद न हों।

8. वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दिए गए दानो के सम्बन्ध में **कटौती (धारा 80 GGA)**—इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन करदाताओं को दी जाती है जिनकी सकल कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित नही होती है। निम्न उद्देश्यों के लिए दिए गए दानों की सम्पूर्ण राशि की कटौती दी जाती है—

(अ) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को दी गई राशि जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग करने हेतु किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्था को दी गई राशि। जिस संघ, संस्था, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय को यह राशि दी जाये उसका धारा 35 (1) (ii) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अअ) करदाता द्वारा सामाजिक विज्ञान में अनुसन्धान अथवा सांख्यिकी अनुसन्धान में प्रयोग करने हेतु गत वर्ष में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था को दी गई राशि बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था धारा 35 (1) (iii) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित हो।

(ब) (i) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसी संस्था या संघ को दी गई राशि जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन करना हो तथा वह संघ या संस्था इस राशि का उपयोग धारा-35 CCA के लिए अनुमोदित किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन में ही करे।

(ii) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसे संघ या संस्था को दी गई राशि जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो।

उपरोक्त (i) एवं (ii) दोनों परिस्थितियों में संघ एवं संस्था का धारा-35 CCA (2) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि करदाता इस प्रकार के संघ या संस्था से धारा 35-CCA (2) अथवा (2A) में वर्णित प्रमाण-पत्र प्राप्त करके आय-कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

(बब) करदाता द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कम्पनी, अथवा स्थानीय सत्ता अथवा संघ को जो राष्ट्रीय समिति द्वारा उपयुक्त परियोजना अथवा योजना का संचालन करने के लिये अनुमोदित हो, को किया गया कोई भुगतान बशर्ते कि करदाता सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है।

राष्ट्रीय समिति, उपयुक्त परियोजना अथवा योजना का अर्थ इस धारा के लिये भी वही होगा जो 35 AC के लिये है। इसका विस्तृत विवरण व्यापार अथवा पेशे की आय में दिया गया है।

(स) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसी संस्था या संघ को दिया गया भुगतान जिसका उद्देश्य प्राकृतिक साधनों अथवा जंगल लगाने के कार्य के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का संचालन करना हो। यह राशि प्राकृतिक साधनों अथवा जंगल लगाने के विकास सम्बन्धी ऐसे कार्यक्रम पर खर्च की जानी चाहिये जो धारा-35 CCB के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित हो। जिस संस्था या संघ को भुगतान किया जाये वह संस्था भी धारा 35-CCB (2) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होनी चाहिए।

(द) करदाता द्वारा गत वर्ष में जंगल लगाने के कार्य से सम्बन्धित ऐसे कोष में दी गई राशि जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया हो।

(य) धारा-35 CCA (1) (c) के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित ग्रामीण विकास कोष में करदाता द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि।

(र) धारा-35CCA(1) (d) के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित राष्ट्रीय शहरी निर्धनता उन्मूलन कोष में करदाता द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि।

यदि किसी भुगतान के सम्बन्ध में किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्रदान कर दी जाती है तो उस भुगतान के सम्बन्ध में, उस कर-निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ

1. पिछड़े हुए क्षेत्रों में नये स्थापित औद्योगिक उद्यम अथवा होटल व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-HH) – यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में ऐसे औद्योगिक संस्थान के लाभ सम्मिलित हैं जिन पर यह धारा लागू होती है, तो उसकी कुल आय की गणना करते समय इस धारा की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लाभों के 20% के बराबर कटौती दी जायेगी। यदि किसी लघु उद्योग को उसके किसी लाभ के सम्बन्ध में किसी कर-निर्धारण वर्ष में धारा-80HHA के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत की जाती है तो

टिप्पणी—निम्न तीन रकमों में से जो सबसे कम होगी; उतनी राशि की कटौती धारा 80-GG के अन्तर्गत दी जायेगी—

(i) कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया = 13,000 रु.

(ii) कुल आय का 25% = 27,500 रु.

(iii) 2,000 रु. प्रतिमाह = 24,000 रु.

उपरोक्त तीन रकमों में से सबसे कम रकम 13,000 रु. धारा 80-GG के अन्तर्गत कटौती योग्य होंगे।

इस आशय के लिये करदाता की कुल आय 1,60,000 – 4,000 – 6,000 – 40,000 = 1,10,000 रु. है। कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया 24,000 – 11,000 = 13,000 रु. है।

स्पष्टीकरण—यदि करदाता को एक साथ धारा 80-G और धारा 80-GG की कटौती दी जाती है तथा दोनों कटौतियों में कुल आय का प्रतिशत दिया जाना आवश्यक है तो ऐसे प्रश्न बीज गणितीय समीकरण द्वारा ही हल किये जा सकेंगे।

छात्रों के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्नों को हल करना एक जटिल समस्या है। निश्चित संख्या का कोई सवाल एक समीकरण द्वारा हल कर दिया जाना समस्या का समाधान नहीं है। यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया को भली प्रकार समझाया जाये तो यह इतनी जटिल प्रक्रिया होगी कि अधिकांश छात्रों के लिए इसे समझ पाना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा।

हमारी राय से छात्रों को ऐसी जटिल गणितीय प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित रहेगा जिससे अनावश्यक रूप से उनका समय व शक्ति बरबाद न हों।

8. वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दिए गए दानों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 GGA)—इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन करदाताओं को दी जाती है जिनकी सकल कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित नहीं होती है। निम्न उद्देश्यों के लिए दिए गए दानों की सम्पूर्ण राशि की कटौती दी जाती है—

(अ) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को दी गई राशि जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग करने हेतु किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्था को दी गई राशि। जिस संघ, संस्था, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय को यह राशि दी जाये उसका धारा 35 (1) (ii) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होना आवश्यक है।

(अअ) करदाता द्वारा सामाजिक विज्ञान में अनुसन्धान अथवा सांख्यिकी अनुसन्धान में प्रयोग करने हेतु गत वर्ष में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था को दी गई राशि बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था धारा 35 (1) (iii) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित हो।

(ब) (i) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसी संस्था या संघ को दी गई राशि जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन करना हो तथा वह संघ या संस्था इस राशि का उपयोग धारा-35 CCA के लिए अनुमोदित किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन में ही करे।

(ii) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसे संघ या संस्था को दी गई राशि जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो।

उपरोक्त (i) एवं (ii) दोनों परिस्थितियों में संघ एवं संस्था का धारा-35 CCA (2) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि करदाता इस प्रकार के संघ या संस्था से धारा 35-CCA (2) अथवा (2A) में वर्णित प्रमाण-पत्र प्राप्त करके आय-कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।

(बब) करदाता द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कम्पनी, अथवा स्थानीय सत्ता अथवा संघ को जो राष्ट्रीय समिति द्वारा उपयुक्त परियोजना अथवा योजना का संचालन करने के लिये अनुमोदित हो, को किया गया कोई भुगतान बशर्ते कि करदाता सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है।

राष्ट्रीय समिति, उपयुक्त परियोजना अथवा योजना का अर्थ इस धारा के लिये भी वही होगा जो 35 AC के लिये है। इसका विस्तृत विवरण व्यापार अथवा पेशे की आय में दिया गया है।

(स) करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी ऐसी संस्था या संघ को दिया गया भुगतान जिसका उद्देश्य प्राकृतिक साधनों अथवा जंगल लगाने के कार्य के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का संचालन करना हो। यह राशि प्राकृतिक साधनों अथवा जगल लगाने के विकास सम्बन्धी ऐसे कार्यक्रम पर खर्च की जानी चाहिये जो धारा-35 CCB के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित हो। जिस संस्था या सघ को भुगतान किया जाये वह सस्था भी धारा 35-CCB (2) के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होनी चाहिए।

(द) करदाता द्वारा गत वर्ष में जंगल लगाने के कार्य से सम्बन्धित ऐसे कोष में दी गई राशि जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया हो।

(य) धारा-35 CCA (1) (c) के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित ग्रामीण विकास कोष में करदाता द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि।

(र) धारा-35CCA(1) (d) के उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं घोषित राष्ट्रीय शहरी निर्धनता उन्मूलन कोष में करदाता द्वारा गत वर्ष में दी गई कोई राशि।

यदि किसी भुगतान के सम्बन्ध में किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्रदान कर दी जाती है तो उम भुगतान के सम्बन्ध में, उस कर-निर्धारण वर्ष में या अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

कुछ आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ

1. पिछड़े हुए क्षेत्रों में नये स्थापित औद्योगिक उद्यम अथवा होटल व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-HH) – यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में ऐसे औद्योगिक सस्थान के लाभ सम्मिलित हैं जिन पर यह धारा लागू होती है, तो उसकी कुल आय की गणना करते समय इस धारा की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लाभों के 20% के बराबर कटौती दी जायेगी। यदि किसी लघु उद्योग को उसके किसी लाभ के सम्बन्ध में किसी कर-निर्धारण वर्ष में धारा-80HHA के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत की जाती है तो

उन्ही लाभों के सम्बन्ध में इस कर-निर्धारण वर्ष अथवा अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

जिस गत वर्ष में औद्योगिक संस्थान उत्पादन कार्य प्रारम्भ करता है अथवा होटल कार्य प्रारम्भ करता है तो उससे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष एवं अगले 9 कर-निर्धारण वर्षों में उसे यह छूट दी जायेगी।

इस धारा के लागू होने की परिस्थितियाँ :

औद्योगिक सस्थान की दशा में—यह धारा उन औद्योगिक संस्थानों पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं—

(i) इस औद्योगिक संस्थान द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों में वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जाता है।

(ii) पहले से चलते हुए व्यापार के जोड़-तोड़ या पुनर्निमाण द्वारा यह नहीं बनाया गया है।

(iii) पहले से काम में लाई प्लाण्ट या मशीन के हस्तांतरण से नहीं बना है। परन्तु यदि किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में कोई प्लांट या मशीन पहले से काम में लाई जा रही है और वह उसी क्षेत्र मे अथवा अन्य किसी पिछडे हुए क्षेत्र में नये व्यवसाय को हस्तांतरित की जाती है और इस प्रकार हस्तांतरित प्लांट या मशीन का मूल्य व्यवसाय में प्रयोग की गई कुल मशीन या प्लाण्ट के मूल्य से 20% से अधिक नही है तो यह माना जायेगा कि उद्योग का निर्माण पहले से काम में लाई गई मशीन या प्लाण्ट के हस्तान्तरण से नहीं बना है।

(iv) शक्ति का प्रयोग किये जाने पर यह 10 या अधिक श्रमिकों को और शक्ति का प्रयोग न किये जाने पर 20 या अधिक श्रमिकों को काम पर लगाता है।

होटल व्यवसाय की दशा में—यह धारा ऐसे होटल व्यवसाय पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करता है—

(i) यह होटल किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

(ii) होटल व्यवसाय पहले से चलते हुए व्यवसाय के जोड-तोड़ या पुनर्निर्माण द्वारा नही बनाया गया है।

(iii) यह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए अनुमोदित है। यह छूट तभी दी जायेगी जबकि सम्बन्धित गत वर्ष (जिसके लिए यह छूट माँगी जा रही है) के खाते निर्धारित लेखापाल द्वारा अंकेक्षित कराये गये हो तथा आय के नक्शे के साथ अकेक्षक द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित रिपोर्ट लगाई गई हो।

स्पष्टीकरण—(1) खनन कार्यों में लगे हुए करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कटौती नहीं दी जायेगी।

(2) इस धारा के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जिनकी घोषणा उन क्षेत्रों के विकास के स्तर को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में कर दी जाये।

महत्वपूर्ण टिप्पणी—31 मार्च, 1990 के बाद स्थापित उद्योग एव होटल के सम्बन्ध में इस धारा की छूट को बन्द कर दिया गया है। जो संस्थान 1 अप्रैल, 1990 से पूर्व स्थापित हो चुके हैं वे निर्धारित अवधि तक इस धारा की कटौती प्राप्त करते रहेंगे।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्थापित लघु स्तरीय औद्योगिक उद्यमों से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-HHA) – यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में ग्रामीण क्षेत्र में नये स्थापित लघु स्तरीय औद्योगिक उद्यम से प्राप्त लाभ सम्मिलित हैं जिन पर यह धारा लागू होती है, तो उसकी कुल आय की गणना करते समय इस धारा की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे लाभों के 20% के बराबर कटौती प्रदान की जायेगी। यह कटौती 10 गत वर्षों के लिए दी जायेगी। कटौती का प्रथम वर्ष लघु स्तरीय औद्योगिक उद्यम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने वाले गत वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष होगा।

इस धारा के लागू होने की परिस्थितियाँ–

यह धारा उन लघुस्तरीय औद्योगिक उद्यमों पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं–

(i) 30 सितम्बर, 1977 के बाद किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है।

(ii) पहले से चलते हुए व्यापार के जोड़-तोड़ या पुनर्निर्माण द्वारा यह नहीं बनाया गया है।

(iii) इसकी स्थापना किसी भी अन्य कार्यों के लिए पहले से काम में लाई गई किसी प्लाण्ट या मशीनरी को नये व्यापार को हस्तान्तरित करके नहीं की गई है। यदि पहले काम में ली गई प्लाण्ट एवं मशीनरी का कुल मूल्य ऐसे उद्योगों में काम में लाई गई प्लाण्ट एवं मशीन के कुल मूल्य का 20% से अधिक नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि उद्योग का निर्माण पहले से काम में लाई गई मशीन या प्लाण्ट के हस्तान्तरण से नहीं बना है।

(iv) शक्ति का प्रयोग किये जाने पर वह 10 या अधिक श्रमिकों को और शक्ति का प्रयोग न किये जाने पर 20 या अधिक श्रमिकों को काम पर लगाता है।

कम्पनी व सहकारी समिति करदाताओं के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को यह छूट तभी दी जायेगी जबकि सम्बन्धित गत वर्ष (जिनके लिए यह छूट माँगी जा रही है) के खाते निर्धारित लेखापाल द्वारा अंकेक्षित कराए गए हों तथा आय के नक्शे के साथ अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित रिपोर्ट लगाई गई हो।

स्पष्टीकरण–(1) खनन कार्य में लगे हुए करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कटौती नहीं दी जायेगी।

(2) यदि किसी करदाता को किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80-HH की कटौती स्वीकृत की जाती है तो उसको उस निर्धारण वर्ष अथवा अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभों के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 से अधिक आबादी वाली नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं एवं स्थानीय सीमाओं से निर्धारित दूरी के भीतर स्थित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है।

(4) किसी भी औद्योगिक उद्यम को लघुस्तरीय औद्योगिक उद्यम उसी दशा में समझा जायेगा जबकि गत वर्ष के अन्तिम दिन इसके व्यवसाय में स्थापित प्लाण्ट एवं मशीन का कुल मूल्य (औजार, जिग्स, डाई आदि को छोड़कर) 35 लाख रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लाण्ट एवं मशीन के कुल मूल्य की गणना करते समय इनकी वास्तविक लागत को ही लिया जायेगा चाहे प्लांट एवं मशीन करदाता की स्वयं की हों अथवा किराये से ली गई हों।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—31 मार्च, 1990 के बाद स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती को बन्द कर दिया गया है। जो उद्योग 1 अप्रैल, 1990 के पूर्व स्थापित हो गये हैं वे निर्धारित अवधि तक उस धारा की कटौती प्राप्त करते रहेंगे।

3. विदेशी योजना के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-HHB) — यदि कोई भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी अन्य करदाता विदेशी योजना के क्रियान्वयन के व्यापार से लाभ कमाता है तो उसे लाभों के 50 प्रतिशत के बराबर कटौती इस धारा के अन्तर्गत दी जायेगी। यह योजना ऐसी होनी चाहिए जिसके सम्बन्ध में करदाता ने निम्न में से किसी के भी साथ अनुबन्ध किया हो—

(अ) विदेशी राज्य की सरकार; या

(ब) वैधानिक अथवा सार्वजनिक सत्ता; या

(स) विदेशी राज्य में कोई एजेन्सी; या

(द) कोई विदेशी उपक्रम।

यदि करदाता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने उपरोक्त के साथ किसी विदेशी योजना के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया है तथा करदाता ने ऐसी योजना से सम्बन्धित कोई कार्य निष्पादन हेतु लिया है तो भी करदाता को इस धारा में वर्णित छूट प्राप्त हो जायेगी।

इस धारा के अन्तर्गत छूट उसी दशा में दी जायेगी जबकि ऐसी योजना के निष्पादन का प्रतिफल परिवर्तनशील विदशी मुद्रा में देय हो।

विदेशी योजना से आशय निम्न कार्यों से है—

(i) भारत के बाहर भवन, सड़क, पुल, बाँध या अन्य इसी प्रकार के ढाँचे का निर्माण करना;

(ii) भारत के बाहर मशीन एवं प्लाट के एकीकरण का कार्य करना अथवा स्थापना का कार्य करना;

(iii) भारत के बाहर अन्य कोई ऐसा कार्य करना जो प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दिया जाये।

इस धारा के अन्तर्गत छूट पाने के लिए करदाता द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है—

(क) करदाता को ऐसी योजना अथवा ऐसी योजना से सम्बन्धित किसी कार्य से प्राप्त लाभों का अलग हिसाब-किताब रखना होगा। कम्पनी एव सहकारी समिति करदाताओं को छोड़कर अन्य करदाताओं को ऐसी योजना के हिसाब-किताब का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट से कराना होगा तथा इस प्रकार के अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में आय के नक्शे के साथ लगानी होगी। यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(ख) करदाता को इस प्रकार के लाभों के 50 प्रतिशत के बराबर राशि लाभ-हानि खाते में नाम लिखकर विदेशी योजना संचय खाते (*Foreign Project Reserve Account*) में जमा करानी होगी। इस संचय का उपयोग करदाता को अगले 5 वर्षों में अपने व्यापार में ही

करना होगा। इस अवधि में इस राशि का उपयोग लाभांश या लाभ वितरण के लिए नहीं किया जा सकेगा।

(ग) करदाता को इस प्रकार के लाभों का कम से कम 50 प्रतिशत सम्बन्धित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में भेजना होगा। यदि आय-कर कमिश्नर उचित समझे तो इस अवधि में वृद्धि भी कर सकता है।

यदि करदाता सम्बन्धित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष के भीतर ही विदेशी योजना संचय खाते में जमा राशि का प्रयोग लाभांश या लाभ वितरण के लिए अथवा अन्य किसी गैर व्यापारिक कार्य के लिए कर लेता है तो इस धारा के अन्तर्गत मूल रूप से दी गई छूट भूल से दी गई मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी को करदाता का सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष का पुनः कर-निर्धारण करने का अधिकार है।

स्पष्टीकरण—(1) इस आय के सम्बन्ध में अधिनियम की अन्य किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई छूट प्रदान नही की जायेगी।

(2) परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा से अभिप्राय वही होगा जो विदेशी विनिमय नियम, 1973 में दिया गया है।

(3) यदि कोई करदाता 50 प्रतिशत से कम राशि ही 6 माह की अवधि में भारत मे भेजता है अथवा 50 प्रतिशत से कम राशि विदेशी योजना संचय खाते में जमा कराता है तो जितनी राशि भारत में भेजी जाये अथवा विदेशी योजना संचय खाते में जमा की जाये (दोनों में जो भी कम हो) उतनी राशि की ही कटौती स्वीकृत कर दी जायेगी।

4. निर्यात बिक्री के सम्बन्ध मे कटौती (धारा 80 HHC) – यदि कोई भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी करदाता कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित किसी गत वर्ष मे कोई वस्तु भारत से बाहर निर्यात करता है तो उस करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसको इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्यात बिक्री के लाभों के सम्बन्ध में 100% राशि की कटौती प्रदान कर दी जायेगी। इस धारा की छूट के लिये करदाताओं के निम्न वर्ग बनाये गये हैं—

प्रत्यक्ष निर्यातक—ऐसा निर्यातक जो स्वयं भारत के बाहर माल भेजता है निम्न में से किसी एक वर्ग में आयेगा—

(i) स्वयं के द्वारा निर्मित अथवा संसाधित वस्तुओं का निर्यातक;
(ii) दूसरों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यातक; एवं
(iii) स्वय के द्वारा निर्मित तथा दूसरों के द्वारा निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्यातक।

सहायक निर्माता—जो निर्माता स्वयं निर्यात नहीं करता परन्तु निर्यात के लिये अपने द्वारा निर्मित माल को किसी निर्यातगृत अथवा व्यापारगृह को बेचता है।

आवश्यक शर्तें—इस धारा की छूट के लिये प्रत्यक्ष निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है—

(अ) भारत के बाहर माल का निर्यात किया जाये—निर्यात का अर्थ सामान्यत. विदेश में माल भेजने से लगाया जाता है। नये जोडे गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारत में स्थित किसी

दुकान, एम्पोरियम अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठान में माल का विक्रय किया जाये तथा उस माल को चुगी सीमा स्टेशन से भारत के बाहर ले जाने में किसी प्रकार का अवरोध न हो तो ऐसी बिक्री को निर्यात बिक्री नही माना जायेगा। दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार यदि कोई करदाता भारत के बाहर स्थित अपनी शाखा, कार्यालय, गोदाम या अन्य संस्थान को माल हस्तान्तरित करता है तथा वहाँ से माल का विक्रय करता है तो इसे निर्यात बिक्री माना जायेगा। परन्तु कटौती देते समय निर्यात बिक्री की राशि वही मानी जायेगी जो करदाता ने अपने विदेशी बीजक में प्रदर्शित की है।

(ब) उपयुक्त वस्तु का निर्यात—इस धारा की कटौती उसी दशा में दी जायेगी जबकि निर्यात की गई वस्तु के सम्बन्ध में छूट का उल्लेख हो। निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती स्वीकृत की जायेगी—

(i) खनिज तेल; एवं

(ii) खनिज पदार्थ (अनुसूची XII में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर)।

अनुसूची XII का उल्लेख पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट के रूप में किया गया है।

(स) विक्रय मूल्य का परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया जाना—इस धारा की छूट के लिये यह भी आवश्यक है कि विक्रय मूल्य को परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया जाये अथवा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर भारत में ले आया जाये। यदि आयुक्त यह महसूस करता है कि करदाता द्वारा 6 माह की अवधि में विक्रय की राशि को भारत में लाना सम्भव नहीं होगा तो वह इस अवधि को बढ़ा सकता है। यदि विक्रय राशि को गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर करदाता द्वारा भारत के बाहर रिजर्व बैंक के अनुमोदन से खोले गये अलग बैंक खाते में जमा करा दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह राशि भारत में परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गई है।

बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र के अनुसार यदि करदाता भारत सरकार के माध्यम से अन्य देश की सरकार को निर्यात करता है तो ऐसे निर्यात का भुगतान करदाता भारतीय मुद्रा में प्राप्त करता है परन्तु इसे परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही प्राप्त किया गया माना जायेगा। इसी प्रकार द्विपक्षीय खाता वाले देशों को किये गये निर्यात का मूल्य भी अपरिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जाता है परन्तु उसे भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही माना जायेगा। यह परिपत्र नेपाल एवं भूटान से प्राप्त राशियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

(द) अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—यदि करदाता अपने आय के नक्शे के साथ प्रारूप 10 CCAC में अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे इस धारा की कटौती नहीं दी जायेगी। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाता है कि करदाता ने निर्यात बिक्री के आधार पर इस धारा की कटौती सही माँगी है।

कटौती की सीमा—इस धारा के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौती अग्र दो राशियों के योग के बराबर होती हैं—

(i) निर्यात से हुए लाभों का 100% एवं;

(ii) धारा 28 (iiia), (iiib) एवं (iiic) के अन्तर्गत प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन (Export incentives) की राशियों के योग का 90% जिसे करदाता की निर्यात बिक्री एवं कुल बिक्री के अनुपात में समायोजित किया गया हो।

निर्यात से हुए लाभ का निर्धारण

ऊपर वर्णित तीनों परिस्थितियों में निर्यात से हुए लाभ का निर्धारण अलग-अलग तरीके से निम्न प्रकार किया जायेगा—

(अ) यदि करदाता केवल स्वयं के द्वारा निर्मित या संसाधित माल का ही विक्रय करता है—इस परिस्थिति में 'निर्यात से हुए लाभ' करदाता के व्यापार के लाभों के उस अनुपात में माने जाते हैं जो अनुपात ऐसी निर्यात बिक्री (Export Turnover) का करदाता के व्यापार की कुल बिक्री से है। सूत्र रूप में इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है—

$$\text{व्यापार के लाभ} \times \frac{\text{निर्यात बिक्री}}{\text{कुल बिक्री}}$$

(ब) यदि करदाता दूसरों के द्वारा निर्मित व्यापारिक माल का निर्यात करता है—इस परिस्थिति में निर्यात बिक्री में से निर्यात से सम्बन्धित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को घटाने के बाद शेष बची हुई राशि को 'निर्यात से हुए लाभ' माना जाता है। सूत्र रूप में इसकी गणना निम्न प्रकार की जा सकती है—

निर्यात बिक्री − (प्रत्यक्ष लागत + अप्रत्यक्ष लागत)

(स) यदि करदाता स्वयं के द्वारा निर्मित एवं दूसरों द्वारा निर्मित व्यापारिक माल दोनों का निर्यात करता है—इस परिस्थिति में निम्न दो राशियों के योग को 'निर्यात से हुए लाभ' माना जायेगा—

(i) स्वयं द्वारा निर्मित या संसाधित माल के निर्यात के लिए 'निर्यात से हुए लाभ' करदाता के व्यापार के समायोजित लाभों के उस अनुपात में माने जाते हैं जो अनुपात समायोजित निर्यात बिक्री (Adjusted export turnover) का कुल समायोजित बिक्री से है। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

$$\text{व्यापार के समायोजित लाभ} \times \frac{\text{समायोजित निर्यात बिक्री}}{\text{समायोजित कुल बिक्री}}$$

(ii) दूसरों द्वारा निर्मित व्यापारिक माल के निर्यात के लिये ऐसे माल की निर्यात बिक्री में से ऐसे माल से सम्बन्धित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत को घटाने के बाद शेष बची हुई राशि को ऐसे "निर्यात से हुए लाभ" माना जाता है। सूत्र रूप में इसकी गणना अग्र प्रकार से की जा सकती है—

निर्यात बिक्री − (प्रत्यक्ष लागत + अप्रत्यक्ष लागत)

धारा 28 (IIIa), (IIIb), (IIIc) के अन्तर्गत प्राप्त राशियों के सम्बन्ध में कटौती की गणना—

इस धारा की कटौती के लिये निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त निम्न राशियों का योग किया जाता है—

(अ) निर्यातकर्त्ता को स्वीकृत आयात लाइसेन्स की बिक्री से होने वाला लाभ। इसमें अन्य व्यक्ति से प्राप्त किये गये लाइसेन्स की बिक्री का लाभ शामिल नहीं है। (धारा 28 IIIa)

(ब) भारत सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत निर्यात के बदले प्राप्त नकद सहायता। (धारा 28 IIIb)

(स) उत्पादन शुल्क अथवा आयात-निर्यात शुल्क की वापसी के रूप में प्राप्य या प्राप्त राशि। (धारा 28 IIIc)

उपर्युक्त राशियों के योग के 90% को निर्यात बिक्री एवं कुल बिक्री के अनुपात में समायोजित किया जाता है। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

$$\{(\text{अ}) + (\text{ब}) + (\text{स})\} \times \frac{90}{100} \times \frac{\text{निर्यात बिक्री}}{\text{कुल बिक्री}}$$

सहायक निर्माता को दी जाने वाली कटौती को घटाना—

यदि कोई करदाता जो निर्यातगृह प्रमाण-पत्र अथवा व्यापारगृह प्रमाण-पत्र का धारक है, इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित निर्यात बिक्री के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती सहायक निर्माता को दी जाये तो इस करदाता को इस धारा के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौती की राशि को घटा दिया जायेगा। इस प्रकार घटाई जाने वाली रकम का करदाता के कुल निर्यात व्यापार के लाभों के साथ वही अनुपात होगा जो अनुपात सम्बन्धित प्रमाण-पत्र में वर्णित निर्यात बिक्री का करदाता की कुल निर्यात बिक्री से है।

स्पष्टीकरण—

(i) *निर्यात बिक्री (Export Turnover)*—निर्यात बिक्री से आशय निर्यात किये गये माल के विक्रय मूल्य से है परन्तु इसमें आयात-निर्यात सीमा शुल्क स्टेशन (Custom station) से आगे माल के परिवहन से सम्बन्धित भाड़ा एवं बीमा व्यय शामिल नहीं होंगे।

(ii) *कुल बिक्री (Total Turnover)*—कुल बिक्री में निम्न को सम्मिलित नहीं किया जायेगा—

(क) आयात-निर्यात सीमा शुल्क स्टेशन (Custom station) से आगे माल के परिवहन से सम्बन्धित भाड़ा एवं बीमा व्यय;

(ख) आयात लाइसैन्स की बिक्री का लाभ;

(ग) निर्यात के बदले प्राप्त नकद सहायता; एवं

(घ) उत्पादन शुल्क या आयात-निर्यात शुल्क की वापसी।

(iii) *समायोजित निर्यात बिक्री (Adjusted Export Turnover)*—'समायोजित निर्यात बिक्री' से आशय निर्यात बिक्री में से व्यापारिक माल की निर्यात बिक्री घटाने के बाद शेष बची राशि से होता है।

(iv) *समायोजित कुल बिक्री (Adjusted Total Turnover)*—समायोजित कुल बिक्री से आशय व्यापार की कुल बिक्री में से व्यापारिक माल की निर्यात बिक्री घटाने के बाद शेष बची राशि से होता है।

(v) व्यापार के लाभ (Profits of Business)—व्यापार के लाभ से आशय व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक के अन्तर्गत ज्ञात किये गये कर-योग्य लाभों में से निम्न राशियों को घटाने के बाद शेष बची हुई राशि से होता है—

(क) आयात लाइसेन्स की बिक्री से लाभ का 90%।

(ख) निर्यात के बदले प्राप्त नकद सहायता का 90%।

(ग) उत्पादन शुल्क अथवा आयात-निर्यात शुल्क की वापसी का 90%।

(घ) लाभ में शामिल दलाली, कमीशन, ब्याज किराया अथवा ऐसी ही अन्य प्राप्तियों का 90% एवं

(ङ) भारत के बाहर स्थित करदाता के किसी शाखा, कार्यालय, संग्रहालय आदि के लाभ।

(vi) व्यापार के समायोजित लाभ (Adjusted profits of business)—व्यापार के समायोजित लाभ से आशय 'व्यापार के लाभ' में से व्यापारिक माल के निर्यात से होने वाले लाभों को घटाने के बाद शेष बची हुयी राशि से है। इसे सूत्र द्वारा निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

व्यापार के समायोजित लाभ = व्यापार के लाभ − [व्यापारिक माल की निर्यात बिक्री − (प्रत्यक्ष लागत + अप्रत्यक्ष लागत)]

(vii) प्रत्यक्ष लागत (Direct Cost)—प्रत्यक्ष लागत से आशय ऐसी लागत से है जो निर्यात किये गये व्यापारिक माल से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित (Attributable) है। इसमें ऐसे माल का क्रय मूल्य भी सम्मिलित है।

(viii) अप्रत्यक्ष लागत (Indirect Cost)—अप्रत्यक्ष लागत से आशय ऐसी लागत से है जो प्रत्यक्ष लागत नहीं है तथा उस अनुपात में आवंटित किया जाता है जो अनुपात व्यापारिक माल की निर्यात बिक्री का कुल बिक्री से है। इसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

$$\text{अप्रत्यक्ष लागत (सम्पूर्ण व्यापार की)} \times \frac{\text{व्यापारिक माल की निर्यात बिक्री}}{\text{कुल बिक्री}}$$

स्पष्टीकरण—व्यापार की कुल अप्रत्यक्ष लागत में से उपरोक्त सूत्र द्वारा ज्ञात की गई अप्रत्यक्ष लागत व्यापारिक माल के निर्यात से हुए लाभों की गणना करने में काम आती है।

(ix) व्यापारिक माल (Trading goods)—व्यापारिक माल से आशय ऐसे माल से है जो करदाता ने स्वयं निर्मित नहीं किया है।

सहायक निर्माता (Supporting Manufacturer) को इस धारा की कटौती—

यदि किसी सहायक निर्माता ने किसी निर्यातगृह या व्यापारगृह को गत वर्ष में माल बेचा है जिसके सम्बन्ध में निर्यातगृह या व्यापारगृह ने प्रमाण-पत्र जारी किया है तो ऐसे करदाता की कुल आय की गणना करते समय इस धारा की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये निर्यातगृह अथवा व्यापारगृह को बेचे गये ऐसे माल के लाभों के सम्बन्ध में जिसके लिये निर्यातगृह या व्यापारगृह ने प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है, 100% राशि की कटौती प्रदान कर दी जाती है।

यदि सहायक निर्माता का व्यवसाय पूर्णतया एक या अधिक निर्यातगृह अथवा व्यापारगृह को माल बेचने से सम्बन्धित है तो करदाता को ऐसे लाभों की सम्पूर्ण राशि के सम्बन्ध में कटौती प्राप्त हो जायेगी जिनकी गणना व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक के अन्तर्गत की गई है। परन्तु यदि करदाता अन्य व्यक्तियों को भी माल का विक्रय करता है तो उसको कुल लाभों के आनुपातिक भाग पर ही इस धारा की कटौती स्वीकृत की जायेगी। आनुपातिक भाग की गणना कुल विक्रय के साथ निर्यातगृह या व्यापारगृह को की गई बिक्री के लिये की जायेगी।

करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट लेखापाल का इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है कि करदाता ने निर्यात बिक्री की राशि के आधार पर इस धारा की कटौती सही माँगी है। अन्यथा इस धारा की कटौती प्राप्त नहीं होगी।

5. परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में आय के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80 HHD) – यदि कोई भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी अन्य करदाता निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित होटल व्यवसाय में, टूर प्रबन्धकर्ता के व्यवसाय मे अथवा यात्रा प्रतिनिधि के व्यवसाय में लगा हुआ है तथा परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में आय प्राप्त करता है तो उस करदाता को इस धारा के अन्तर्गत ऐसी आय के सम्बन्ध में कटौती दी जा सकती है।

कटौती की सीमा–

(a) विदेशी भ्रमणकर्ताओ को दी गई सेवाओं से प्राप्त लाभों का 50% तथा

(b) शेष लाभों के उस भाग की कटौती जो भाग करदाता द्वारा लाभ-हानि खाते में नाम लिखकर भविष्य में निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से एक संचय खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाये। यदि शेष सम्पूर्ण राशि संचय खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है तो शेष सम्पूर्ण राशि की भी कटौती प्राप्त हो जायेगी।

इस धारा की अन्य व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं–

(i) यह धारा केवल विदेशी भ्रमणकर्ताओं को दी गई सेवा के सम्बन्ध मे लागू होती है जिनसे प्राप्त होने वाली राशि परिवतर्नशील विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की जाती है अथवा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर भारत में ले आयी जाती है। यदि आयुक्त यह महसूस करता है कि करदाता द्वारा ऐसी राशि को 6 माह में भारत में लाना सम्भव नहीं होगा तो वह इस अवधि को बढ़ा सकता है।

यदि करदाता विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा में से कोई भुगतान अधिकृत व्यापारी के माध्यम से परिवर्तित भारतीय मुद्रा में प्राप्त करता है तो इसे भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त माना जायेगा।

(ii) विदेशी भ्रमणकर्ताओं को दी गई सेवा के लाभों का व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत ज्ञात किये गये लाभों से वही अनुपात होगा जो विदेशी भ्रमणकर्ताओं से प्राप्त राशि का व्यवसाय की कुल प्राप्ति से है।

(iii) संचय खाते में हस्तान्तरित रकम का प्रयोग करदाता द्वारा हस्तान्तरण किये जाने वाले गत वर्ष के तुरन्त बाद वाले 5 वर्षों में निम्नलिखित कार्यों के लिये करना आवश्यक है–

(a) इस आशय के लिए निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित नये होटल के निर्माण में अथवा पहले से अनुमोदित होटल में ही सुविधाओं में वृद्धि करने में।

(b) अनुमोदित ट्यूर, प्रबन्धकर्त्ताओं अथवा यात्रा प्रतिनिधियों द्वारा नई कारों अथवा बसों के क्रय करने में।

(c) पर्वतारोहण, ट्रेकिंग (Trekking), गोल्फ (Golf) अथवा नदी के पानी पर या पानी में खेले जाने वाले खेलों के लिए खेल का सामान खरीदने में।

(d) सम्मेलन अथवा सभा केन्द्रों के निर्माण में।

(e) भारतीय ट्यूरिज्म (Tourism) के विकास के लिए नयी सुविधाओं की व्यवस्था में जिनकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से कर दी जाये।

यदि ऊपर वर्णित किसी क्रिया के परिणामस्वरूप भारत के बाहर किसी सम्पत्ति का निर्माण होता है जिस पर करदाता का स्वामित्व है तो ऐसी सम्पत्ति का निर्माण निर्धारित सत्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही कराना चाहिये।

(iv) यदि संचय की राशि का प्रयोग निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इस प्रकार अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई राशि उस गत वर्ष का लाभ मानी जायेगी जिस गत वर्ष में संचित राशि अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार कोई करदाता संचय किये जाने वाले वर्ष के तुरन्त बाद वाले 5 वर्षों में संचय की राशि का प्रयोग नही करता है तो यह राशि सम्बन्धित पाँचवें वर्ष की समाप्ति के तुरन्त बाद वाले वर्ष का लाभ मानी जायेगी तथा कर-योग्य होगी।

(v) इस धारा की कटौती के लिए यह भी आवश्यक है कि करदाता अपनी आय के नक्शे के साथ धारा 288 (2) के स्पष्टीकरण में वर्णित लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करे। रिपोर्ट मे यह प्रमाणित किया जाये कि करदाता ने विदेशी भ्रमणकर्त्ताओं को दी गई सेवाओं से प्राप्त परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा के आधार पर इस कटौती की माँग सही की है।

स्पष्टीकरण—

(i) यात्रा प्रतिनिधि से आशय यात्रा प्रतिनिधि या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके पास विदेशी विनिमय अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया हुआ वैध लाइसेन्स है। परन्तु यात्रा प्रतिनिधि में एयर लाइन अथवा जहाजी कम्पनी को सम्मिलित नही किया जाता है।

(ii) परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा से आशय ऐसी मुद्रा से है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा समझा जाये।

(iii) विदेशी भ्रमणकर्त्ताओं को दी गई सेवाओं में होटल, ट्यूर, प्रबन्धकर्त्ता अथवा यात्रा प्रतिनिधि का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा प्रबन्धित दुकान में माल के विक्रय के रूप में दी गई सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात व्यापार के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-HHE) — यदि कोई भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी अन्य करदाता गत वर्ष ... से बाहर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात अथवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण ...

भारत के बाहर तकनीकी सेवाएँ देने के व्यापार से लाभ कमाता है तो ऐसे लाभों की सम्पूर्ण राशि की कटौती इस धारा के अन्तर्गत दी जा सकती है।

इस धारा की छूट के लिये यह भी आवश्यक है कि विक्रय मूल्य को परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया जाये अथवा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि में भारत में ले आया जाये। यदि आयुक्त यह महसूस करता है कि करदाता द्वारा 6 माह की अवधि में विक्रय की राशि को भारत में लाना सम्भव नहीं होगा तो वह इस अवधि को बढ़ा सकता है। यदि विक्रय राशि को गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर करदाता द्वारा भारत के बाहर रिजर्व बैंक के अनुमोदन से खोले गये अलग बैंक खाते में जमा करा दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह राशि भारत में परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गई है।

इस धारा में वर्णित व्यापार से लाभ उस अनुपात में माने जायेंगे जो अनुपात ऐसी निर्यात बिक्री का करदाता के व्यापार की कुल बिक्री से है। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है—

$$\text{व्यापार के लाभ} \times \frac{\text{निर्यात बिक्री}}{\text{कुल बिक्री}}$$

करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट लेखापाल का इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है कि करदाता ने इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार कटौती की सही माँग की है।

यदि किसी करदाता को किसी कर-निर्धारण वर्ष में इस धारा के अन्तर्गत इस धारा में वर्णित लाभों के लिये कटौती प्रदान कर दी जाती है तो ऐसे लाभों के सम्बन्ध में उस कर-निर्धारण वर्ष में अथवा अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष में अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई कटौती प्रदान नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण—

(i) व्यापार के लाभ (Profits of Business)—व्यापार के लाभ से आशय व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में से निम्न राशियों को घटाने के बाद शेष बची हुई राशि से होता है—

(क) ऐसे लाभ में सम्मिलित दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया अथवा ऐसी ही अन्य प्राप्तियों का 90%;

(ख) भारत के बाहर स्थित करदाता के किसी शाखा, कार्यालय, संग्रहालय आदि के लाभ।

(ii) निर्यात बिक्री (Export Turnover)—निर्यात बिक्री से आशय कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात अथवा विदेशों में दी गई कम्प्यूटर सम्बन्धी तकनीकी सेवाओं के बदले प्राप्त प्रतिफल से है परन्तु इसमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रेषण के सम्बन्ध में देय, भाड़ा, बीमा एवं तार व्यय (Telecommunication charge) सम्मिलित नहीं किये जाते हैं।

(iii) कुल बिक्री (Total Turnover)—कुल बिक्री में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है—

(क) आयात लाइसैन्स की बिक्री का लाभ।

(ख) निर्यात के बदले प्राप्त नकद सहायता।

(ग) उत्पादन शुल्क या आयात-निर्यात शुल्क की वापसी।

(घ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के भारत के बाहर प्रेषण से सम्बन्धित भाड़ा, बीमा एवं तार व्यय।

(ङ) भारत के बाहर तकनीकी सेवाएँ देने के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय।

7. नये स्थापित औद्योगिक उद्यम एवं होटल व्यवसाय आदि के सम्बन्ध में छूट (धारा 80-I) – यदि, किसी करदाता की सकल कुल आय में औद्योगिक उद्यम (कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट सहित) जहाज, होटल अथवा समुद्री जहाज एवं अन्य शक्ति चालित क्राफ्ट (Powered Craft) की मरम्मत के व्यवसाय के लाभ सम्मिलित हैं तो उस करदाता को इस धारा में वर्णित कटौती दी जायेगी बशर्ते कि आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर दी जाये।

कटौती की सीमा एवं अवधि—विभिन्न प्रकार के करदाताओं को इस धारा की कटौती निम्नानुसार दी जायेगी—

(a) कम्पनी करदाता—कम्पनी करदाता को यह छूट ऐसे लाभों के 25% के बराबर 8 वर्षों के लिए दी जायेगी।

(b) सहकारी समिति करदाता—सहकारी समिति करदाता को यह छूट ऐसे लाभों के 20% के बराबर 10 वर्षों के लिए दी जायेगी।

(c) अन्य करदाताओं की दशा में यह छूट ऐसे लाभों के 20% के बराबर 8 वर्षों के लिए दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—(1) जहाज, होटल एवं समुद्री जहाजों एवं अन्य शक्ति चालित क्राफ्ट (Powered Craft) की मरम्मत के व्यवसाय की छूट केवल कम्पनी कर-दाताओं को ही दी जाती है।

(2) समुद्री जहाज एवं अन्य शक्ति चालित क्राफ्ट (Powered Craft) की मरम्मत के व्यवसाय सम्बन्धी छूट केवल 5 वर्षों के लिए ही दी जाती है तथा ऐसे लाभों के 20% के बराबर ही दी जाती है।

इस धारा के लागू होने की परिस्थितियाँ :

औद्योगिक संस्थाओं की दशा में—यह धारा उन औद्योगिक संस्थाओं पर लागू होती है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं—

1. ऐसी औद्योगिक संस्था का निर्माण किसी पुराने व्यवसाय के पुनर्गठन या जोड़-तोड़ द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

2. ऐसी औद्योगिक संस्था का निर्माण किसी व्यवसाय अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई मशीनरी अथवा प्लाण्ट का हस्तान्तरण करके नहीं किया जाना चाहिये।

3. ऐसी संस्था वस्तुओं के निर्माण कार्य में लगी हुई है परन्तु ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है अथवा भारत में किसी भी स्थान पर कोल्ड स्टोरेज चलाती है। यदि लघु उद्योग ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित किसी वस्तु के निर्माण होंगे तब भी उनको इस धारा की कटौती दी जायेगी।

4. ऐसी संस्था ने 31 मार्च, 1981 के बाद 10 वर्षों के भीतर वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट का संचालन प्रारम्भ कर दिया है।

5. ऐसी औद्योगिक संस्था में यदि उत्पादन के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है तो 10 या अधिक और यदि शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो 20 या अधिक श्रमिक काम पर लगाये गये हैं।

स्पष्टीकरण—(i) सामान्यतया पुरानी मशीन एवं प्लाण्ट के हस्तान्तरण से स्थापित उद्योगों को इस धारा की छूट नहीं दी जाती है परन्तु भारत के बाहर करदाता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाई गई मशीन एवं प्लाण्ट से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त हो सकेगी—

(अ) इस प्रकार की मशीन एवं प्लाण्ट को करदाता के द्वारा अपने औद्योगिक उपक्रम में लगाने से पूर्व भारत में कभी भी उनका उपयोग नही किया गया है।

(ब) इस प्रकार की मशीन एव प्लाण्ट भारत के बाहर अन्य किसी देश से आयात की गई हो।

(स) करदाता के द्वारा इस प्रकार की मशीन अथवा प्लाण्ट को अपने औद्योगिक उपक्रम में स्थापना से पूर्व कभी भी भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी मशीन एवं प्लाण्ट पर ह्रास की कटौती नहीं दी गई है।

(ii) यदि किसी नवीन औद्योगिक उपक्रम में पहले से उपयोग में आ रही मशीन एवं प्लाण्ट का हस्तान्तरण किया जाता है और इस प्रकार हस्तान्तरित की गई मशीन एवं प्लाण्ट का मूल्य उस औद्योगिक उपक्रम में लगाई गई कुल मशीन एवं प्लाण्ट के मूल्य के 20% से अधिक नही है तो यह माना जायेगा कि ऐसे औद्योगिक उपक्रम को स्थापना पहले से उपयोग में लाई गई मशीन एवं प्लाण्ट के हस्तान्तरण से नहीं हुई है।

(iii) लघुस्तरीय औद्योगिक उपक्रम से आशय वही होगा जो धारा 80-HHA में दिया गया है।

(iv) सहकारी समिति एवं कम्पनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बहीखातों का अंकेक्षण धारा-288 (2) में वर्णित लेखापाल से करा५ एवं अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित रिपोर्ट निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करें।

जहाजों की दशा में—यह धारा ऐसे जहाजों की आय पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं—

1. यह जहाज किसी भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिये तथा पूर्णतया इस कम्पनी द्वारा संचालित व्यापार में प्रयोग किया जाना चाहिये।

2. यह जहाज इस कम्पनी द्वारा लिये जाने से पूर्व भारत में निवासी किसी व्यक्ति के पास नहीं रहा हो और न ही उसने इसे भारत की सामुद्रिक सीमा में प्रयोग किया हो।

3. इस कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 1981 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 1991 से पूर्व इसको काम में लाया गया हो।

होटल व्यवसाय की दशा में—यह धारा ऐसे होटल व्यवसाय की आय पर लागू होती है जो निम्न शर्तें पूरी करते हैं—

1. होटल की स्थापना किसी वर्तमान व्यवसाय के पुनर्गठन या तोड़-फोड़ द्वारा नहीं होनी चाहिये तथा ऐसे होटल की स्थापना किसी वर्तमान होटल के द्वारा प्रयोग की गई इमारत अथवा अन्य किसी कार्य में प्रयोग की गई मशीनरी एवं प्लाण्ट के हस्तान्तरण से नहीं होना चाहिये।

2. यह होटल किसी ऐसी कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिये तथा उसी के द्वारा चलाया जाना चाहिये, जो भारत में रजिस्टर्ड हुई है तथा जिसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) 5 लाख रुपये से कम नहीं हो।

3. इस धारा के लिए यह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिये।

4. होटल ने 31 मार्च, 1981 के बाद परन्तु 1 अप्रैल, 1991 से पूर्व क़ार्य प्रारम्भ कर दिया है।

समुद्री जहाज एवं अन्य शक्तिशाली क्राफ्ट (Powered Craft) की मरम्मत के व्यापार की दशा में—यह धारा ऐसे समुद्री जहाजों की मरम्मत के व्यापार की आय पर लागू होती है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं—

1. यह व्यापार पहले से चलते हुए किसी व्यापार के जोड़-तोड़ या पुनर्गठन से स्थापित नहीं किया गया है।

2. यह व्यापार पहले से काम में लाई जा रही किसी मशीन एव प्लाण्ट के हस्तान्तरण से नहीं बना है।

3. यह व्यापार 31 मार्च, 1983 के बाद स्थापित किया गया है तथा कम्पनी करदाता द्वारा चलाया जा रहा है।

4. यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है।

सभी प्रकार के व्यवसायो के लिए अन्य महत्त्वपूर्ण नियम—

1. इस धारा की छूट की गणना करने के लिए नये स्थापित औद्योगिक उपक्रम, जहाज, होटल व्यवसाय एवं जहाजों के मरम्मत के व्यवसाय को एक अलग व्यवसाय माना जायेगा और यह माना जायेगा कि आय का यह एकमात्र स्रोत है। इस नियम के परिणामस्वरूप यदि किसी वर्ष करदाता को ऐसे व्यवसाय से हानि होती है तो अगले वर्ष की छूट की गणना करते समय उस वर्ष के लाभों में से पिछले वर्ष की हानि, अशोधित ह्रास आदि को घटा दिया जायेगा तथा शेष लाभों के सम्बन्ध में ही उस वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. यदि उपरोक्त प्रकार के किसी भी व्यवसाय में काम में लाया जाने वाला माल करदाता द्वारा संचालित किसी अन्य व्यवसाय को हस्तान्तरित किया जाता है अथवा करदाता द्वारा संचालित अन्य व्यवसाय से ऐसे व्यवसाय को हस्तान्तरित किया जाता है तथा हस्तान्तरित मूल्य वास्तविक बाजार-मूल्य से कम या अधिक है तो ऐसे व्यवसाय के लाभों की गणना हस्तान्तरित माल के उचित बाजार-मूल्य को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

3 यदि इस धारा के क्षेत्र में आने वाले करदाता के अन्य किसी व्यक्ति (Person) से घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध हैं या अन्य किसी कारण से लेन-देनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया

जाता है कि करदाता को उचित से अधिक लाभ होता है तो निर्धारण अधिकारी करदाता के ऐसे व्यापार के लाभों की गणना करते समय ऐसे लेन-देनों का उचित लाभ ही शामिल करेगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी—यदि करदाता ने 31 मार्च, 1990 के बाद औद्योगिक उद्यम में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया है, जहाज को प्रथम बार प्रयोग में लिया है अथवा होटल का कार्य प्रारम्भ किया है तो विभिन्न प्रकार के करदाताओं को इस धारा की कटौती निम्नानुसार दी जायेगी—

(अ) कम्पनी करदाता—कम्पनी करदाता को यह छूट ऐसे लाभों के 30% के बराबर 10 वर्षों के लिए दी जायेगी।

(ब) सहकारी समिति करदाता—सहकारी समिति करदाता को यह छूट ऐसे लाभों के 25% के बराबर 12 वर्षों के लिए दी जायेगी।

(स) अन्य करदाता—अन्य करदाताओं की दशा में यह छूट ऐसे लाभों के 25% के बराबर 10 वर्षों के लिये दी जायेगी।

8. 31 मार्च, 1991 के बाद स्थापित नये उद्योग, होटल अथवा इस तिथि के बाद प्रयोग में लाये गये जहाजों अथवा ढांचागत सुविधाओं के विकास, रखरखाव या संचालन के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 IA) – यह धारा 80I के स्थान पर ही लागू की गई है। 31 मार्च, 1991 के बाद स्थापित उद्योगों, होटल आदि को धारा 80 I की छूट बन्द कर दी गई है तथा इस स्थिति में छूट धारा 80 IA के अन्तर्गत प्राप्त होगी। इस धारा की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

(अ) नये उद्योगों के लाभ के सम्बन्ध में—नये स्थापित उद्योग के लाभ के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती सभी करदाताओं को दी जाती है। कम्पनी करदाता को ऐसे लाभों के 30% के बराबर कटौती दी जाती है जबकि अन्य करदाताओं को 25% की दर से कटौती दी जाती है। सहकारी समिति करदाताओं को इस धारा की कटौती 12 वर्षों के लिये दी जाती है तथा अन्य करदाताओं को 10 वर्षों के लिए दी जाती है। इस उप-धारा की कटौती 31 मार्च 1995 के बाद स्थापित उद्योगों को बन्द कर दी गई है जबकि लघु उद्योगों को यह कटौती 31 मार्च 2000 तक स्थापित किये जाने पर भी दी जायेगी।

कुछ दशाओं में लाभों पर 100% की छूट दी जाना—

(क) कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से निम्न दशाओं मे 5 वर्षों तक लाभों के 100% के बराबर राशि की छूट इस धारा के तहत दी जायेगी—

(i) औद्योगिक उद्यम की स्थापना आठवी अनुसूची में वर्णित पिछडे हुये राज्य या संघीय प्रदेश में की गई है।

(ii) शक्ति के उत्पादन अथवा शक्ति के उत्पादन एवं वितरण के लिये औद्योगिक उद्यम की स्थापना भारत में किसी भी स्थान पर की गई है।

यह भी आवश्यक है कि इस औद्योगिक उद्यम ने 1-4-1993 को अथवा इसके बाद परन्तु 1-4-1998से पूर्व वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट चालू कर दिया हो अथवा शक्ति का निर्माण प्रारम्भ कर दिया हो।

इन दशाओं में छूट की कुल अवधि 10 वर्ष (सहकारी समिति के लिए 12 वर्ष) ही रहेगी तथा शेष अवधि में छूट सामान्य दर (कम्पनी करदाता को लाभों का 30% एवं अन्य करदाताओं को लाभों का 25%) से प्राप्त होती रहेगी।

इन दशाओं में छूट ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित किसी वस्तु का उत्पादन करने पर भी दी जायेगी।

(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये अधिसूचित जिलों में स्थापित नये उद्योगों को भी लाभों के 100% के बराबर राशि की छूट दी जायेगी बशर्ते उन्होंने 30 सितम्बर 1994 के बाद उत्पादन प्रारम्भ किया हो अथवा कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट स्थापित किया हो। ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तु का उत्पादन करने पर इस वाक्यांश की छूट नहीं दी जायेगी। 5 वर्षों के बाद सामान्य दर (25% अथवा 30% जैसी भी स्थिति हो) से ही छूट मिलेगी।

(ब) नये होटल व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में—नये स्थापित होटल के लाभ के सम्बन्ध में इस धारा की कटौती केवल ऐसी भारतीय कम्पनी करदाता को ही दी जाती है जिसकी प्रदत्त पूँजी 5 लाख रु. या इससे अधिक हो। सामान्यतः ऐसे लाभों के 30% के बराबर कटौती दी जाती है परन्तु यदि होटल की स्थापना, पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र अथवा तीर्थ स्थल पर की जाती है तो कटौती की दर 50% होगी। यह कटौती पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र अथवा तीर्थ स्थल पर स्थापित होटलों को 31 मार्च, 1990 के बाद स्थापना किये जाने पर ही दे दी जाती है जबकि अन्य स्थानों पर 31 मार्च, 1991 के बाद स्थापित होटलो के सम्बन्ध में ही दी जाती है। होटल के लाभों के सम्बन्ध में कटौती 10 वर्षों के लिये दी जायेगी।

(स) नये जहाज के लाभों के सम्बन्ध में—नये जहाज के लाभों की कटौती केवल भारतीय कम्पनी करदाता को ही दी जाती है। कटौती की दर ऐसे लाभों का 30% है तथा कटौती 10 वर्षों के लिए दी जायेगी।

(द) समुद्री जहाजों की मरम्मत के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में—ऐसे लाभों के सम्बन्ध में कटौती केवल भारतीय कम्पनी करदाता को ही दी जाती है। कटौती की दर 25% है तथा यह कटौती 5 वर्षों के लिए ही दी जायेगी।

(य) ढांचागत सुविधाओं के विकास, रखरखाव एवं संचालन के सम्बन्ध में—ऐसे व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक पांच वर्षों में 100% की दर से तथा शेष अवधि में 30% की दर से कटौती की जायेगी। इस उप-धारा की कटौती की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं—

(i) इस व्यवसाय का स्वामित्व भारत में पंजीकृत कम्पनी के पास है।

(ii) इस कम्पनी के केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा अन्य किसी वैधानिक संस्था से समझौता किया है।

(iii) समझौते में दी गई अवधि के बाद ढांचागत सुविधाएँ सम्बन्धित सरकार, सत्ता अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी।

(iv) ढाचागत सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव 31 मार्च, 1995 के बाद प्रारम्भ किया जाता है।

ढांचागत सुविधाओं से आशय सड़क, पुल, हवाई अड्डा, रेल पथ पानी की पूर्ति, सिंचाई परियोजना, सफाई व्यवस्था आदि के निर्माण सम्बन्धी कार्यों से है।

इस उप-धारा की छूट 12 वर्षों की अवधि में लगातार दस वर्षों की अवधि के लिये दी जायेगी। प्रारम्भिक वर्ष का चयन करने की सुविधा करदाता को दी गई है।

(र) वैज्ञानिक एव औद्योगिक शोध एवं विकास के सम्बन्ध में—यदि कोई भारत में पंजीकृत कम्पनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध एवं विकास के व्यापार में लगी हुई है तो

उसको ऐसे व्यवसाय के लाभों के 100% की कटौती 5 वर्षों तक दी जायेगी। बशर्ते वह निर्धारित सत्ता से 1-4-1998 से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेती है।

(ल) *आधारभूत अथवा सेल्यूलर दूर संचार सेवाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में*—यदि कोई करदाता 1 अप्रैल, 1995 को अथवा उसके बाद परन्तु 31 मार्च, 2000 के पूर्व आधारभूत अथवा सेल्यूलर दूर-संचार सेवाएँ प्रदान करने का उपकम प्रारम्भ करता है तो उसे ऐसे व्यवसाय के लाभों में से प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिये 100% की तथा शेष 5 वर्षों के लिये 25% (कम्पनी करदाता को 30%) की कटौती प्रदान की जायेगी।

अन्य नियम एवं शर्तें—इस धारा से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें लगभग वहीं हैं जो धारा 80 I के लिए पीछे विस्तार से दी गई हैं। परन्तु इस धारा की कटौती लघु उद्योगों की दशा में प्रत्येक दशा में दी जाती है चाहे भले ही वे ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तु का ही उत्पादन करते हों। लघु उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिसको औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 की धारा 11B के तहत गत वर्ष के अन्तिम दिन लघु उद्योग समझ लिया जाये।

9. मुर्गीपालन के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 JJ) — यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में मुर्गीपालन के व्यवसाय के लाभ सम्मिलित हों तो ऐसे करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसे लाभों में से $33\frac{1}{3}$% के बराबर कटौती स्वीकृत की जायेगी।

10. विशिष्ट विनियोगों की आय पर कटौती (धारा-80L) — यदि एक व्यष्टि करदाता अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की सकल कुल आय में निम्नलिखित आयें सम्मिलित हैं तो इन्हें इस धारा के अन्तर्गत् कटौती दी जायेगी।

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी प्रतिभूति पर ब्याज।

(1-a) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के षष्ठम, सप्तम् एवं अष्टम् निर्गमन का ब्याज।

(ii) किसी संस्था अथवा सत्ता अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अथवा किसी सहकारी समिति (*सहकारी भूमि बन्धक बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक को सम्मिलित करते हुए*) द्वारा निर्गमित ऐसे ऋण-पत्रों पर ब्याज जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने इस धारा के अन्तर्गत कटौती दी जाने की घोषणा सरकारी गजट में कर दी हो।

केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर अनेक सार्वजनिक कम्पनियों की प्रतिभूतियों की अनेक श्रृंखलाओं को धारा 80-L की कटौती के लिये अधिसूचित किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि. के 14% बॉण्ड्स;
2. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि. के 14% बॉण्ड्स;
3. नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के 14%, 13% एवं 17% बॉण्ड्स;
4. नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. के 14% बॉण्ड्स;
5. महानगर टेलीफोन निगम लि. के 14%, 13% एवं 17% बॉण्ड्स;
6. न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन लि. के 13% बॉण्ड्स;
7. नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. के 14% एवं 13% बॉण्ड्स;
8. दामोदर वैली कार्पोरेशन लि. के 18% बॉण्ड्स;
9. हिन्दुस्तान जिंक लि. के 13% बॉ...

10. हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. के 13% बॉण्ड्स; इत्यादि।

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज। इस श्रेणी में निम्न ब्याज आता है—

(अ) पोस्ट ऑफिस के आवर्तक जमा खाते का ब्याज; तथा

(ब) डाकखाने की स्थाई जमा योजना का ब्याज।

(स) राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 में जमा का ब्याज

(iii-a) पोस्ट ऑफिस (मासिक आय खाता नियम, 1987) के तहत जमाओं पर ब्याज।

(iv) भारतीय कम्पनी के लाभांश।

(v) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों पर प्राप्त आय।

(v-a) धारा 10 (23 D) में वर्णित पारस्परिक कोष के यूनिट्स के सम्बन्ध में प्राप्त आय।

(vi) बैंक में जमा पर ब्याज (इसमें बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं।)।

(vii) ऐसे वित्त निगम के पास जमा राशि पर ब्याज जो औद्योगिक विकास के लिए भारत में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता हो।

(vii-a) भारत में स्थापित किसी ऐसी सत्ता के पास जमा धनराशि पर ब्याज, जिसका उद्देश्य आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति करना अथवा नगरों एवं ग्रामों का नियोजन, सुधार एवं विकास करना हो।

(viii) किसी सहकारी समिति में समिति के सदस्य द्वारा जमा कराई गई धनराशि का ब्याज।

(ix) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश।

(x) भारत में पंजीकृत एवं निर्मित किसी सार्वजनिक कम्पनी से प्राप्त लाभांश अथवा ऐसी कम्पनी के पास जमा की गई राशि का ब्याज बशर्ते कि इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य भारत में रहने के लिए मकान बनवाने अथवा खरीदने वाले करदाताओं को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का व्यवसाय करना हो।

कटौती की अधिकतम सीमा—यदि उपरोक्त राशियों का योग 12,000 रु. से कम हो तो सम्पूर्ण राशि की कटौती दे दी जाएगी। परन्तु यदि समस्त राशियों का योग 12,000 रु. से अधिक हो तो कटौती 12,000 रु. की ही दी जाएगी। परन्तु 12,000 रु. की कटौती देने के बाद भारतीय कम्पनी के लाभांश, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिटों की आय अथवा धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष की यूनिटों की आय शेष रह जाती है तो इस प्रकार बची हुई आय अथवा 3,000 रु. दोनों में जो भी कम हो, उस राशि की अतिरिक्त कटौती प्रदान की जायेगी।

11. कुछ विदेशी उपक्रमों से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती—(Deduction in respect of royalties etc. from certain foreign enterprises)[धारा 80O]—

एक भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी करदाता की सकल कुल आय में निम्न के प्रयोग के बदले भारत सरकार या विदेशी उपक्रम से प्राप्त कोई रॉयल्टी, फीस, कमीशन या

अन्य कोई भुगतान सम्मिलित है तो उसको ऐसे भुगतान का 50% इस धारा के अन्तर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत किया जायेगा—

(i) पेटेण्ट, (ii) आविष्कार, (iii) मॉडल, (iv) डिजायन, (v) गुप्त सूत्र, (vi) प्रक्रिया, (vii) सम्पत्ति अधिकार (viii) औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक जानकारी तथा (ix) तकनीकी या व्यावसायिक सेवायें।

इस धारा की कटौती के लिये निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना भी आवश्यक है—

(1) ऐसी आय या तो परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त होती है अथवा परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर प्राप्त होती है तो उसे गत वर्ष में अथवा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि में अथवा कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर द्वारा बढ़ाई गई अवधि में भारत में लाया जाता है।

(2) सेवाएँ भारत के बाहर प्रदान की जानी चाहिये। भारत के बाहर प्रदत्त सेवाओं में भारत से प्रदत्त सेवाएँ सम्मिलित हैं किन्तु भारत में प्रदत्त सेवाएँ सम्मिलित नहीं होंगी।

(3) विदेशी उपक्रम से आशय ऐसे उपक्रम से है जो विदेश में स्थित है तथा वहीं के अधिनियम के तहत स्थापित एवं पंजीकृत है। किसी भी भारतीय कम्पनी की शाखा अथवा इकाई विदेशी उपक्रम की श्रेणी में नहीं आयेगी।

12. *प्रोफेसर, अध्यापकों आदि की दशा में कुछ विदेशी साधनों से पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कटौती* (धारा 80-R)—यदि किसी व्यक्ति की सकल कुल आय में जो कि भारत का नागरिक है भारत के बाहर स्थापित किसी विश्वविद्यालय, कोई अन्य शिक्षा संस्था या भारत के बाहर स्थापित अन्य किसी संस्था से भारत के बाहर प्राप्त पारिश्रमिक सम्मिलित है जो उसके भारत के बाहर रहते हुए ऐसे *विश्वविद्यालय या संस्था या समुदाय* में प्रोफेसर या अध्यापक *या शोधकर्त्ता* की हैसियत से की गई सेवाओं के बदले में है तो उसकी कुल आय की गणना करते समय उसके स्वयं के द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि के भीतर अथवा कमिश्नर या चीफ कमिश्नर द्वारा बढ़ाई गई अवधि के [illegible] नशील विदेशी मुद्रा में भारत में लाई गई ऐसे पारिश्रमिक की राशि के 75% के बराबर [illegible] की कटौती दी जायेगी।

कमिश्नर अथवा चीफ कमिश्नर को 6 माह की अवधि को बढ़ाने के कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा।

करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती की *सही माँग* की है *अन्यथा* उसे इस धारा के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

13. *कुछ दशाओं में विदेशी साधनों से पेशे से संबंधित आय के संबंध में कटौती* (धारा *80 RR*)—एक ऐसा व्यक्ति जो कि लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता एवं खिलाड़ी (पहलवान सहित) है तथा भारत का नागरिक है, की सकल कुल आय में कोई ऐसी आय सम्मिलित की गई है, जो उसे उसके पेशे के सम्बन्ध में विदेशी सरकार या अनिवासी व्यक्ति से उत्पन्न हुई है तो उसकी कुल आय की गणना करते समय उसके स्वयं के द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि

के भीतर अथवा कमिश्नर या चीफ कमिश्नर द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में लाई गई ऐसे पारिश्रमिक की राशि के 75% के बराबर राशि की कटौती दी जायेगी।

कमिश्नर अथवा चीफ कमिश्नर को 6 माह की अवधि को बढ़ाने के कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा।

करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती की सही मांग की है अन्यथा उसे इस धारा के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

14. विदेश में दी गई सेवाओं के बदले में प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 RRA) – यदि एक व्यक्ति करदाता की सकल कुल आय में जो कि भारत का नागरिक है भारत के बाहर दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में किसी भी नियोक्ता (चाहे विदेशी हो अथवा भारतीय हो) से विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक सम्मिलित है तो ऐसे करदाता की कुल आय की गणना करते समय उसके स्वयं के द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह की अवधि के भीतर अथवा कमिश्नर या चीफ कमिश्नर द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में लाई गई ऐसे पारिश्रमिक की राशि के 75% के बराबर राशि की कटौती दी जायेगी।

कमिश्नर अथवा चीफ कमिश्नर को 6 माह की अवधि को बढ़ाने के कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा।

करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कटौती की सही मांग की है अन्यथा उसे इस धारा के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

उपरोक्त कटौती केवल निम्न प्रकार के व्यक्ति करदाताओं को ही प्राप्त होती है—

(i) विदेशी नियोक्ता के अधीन अथवा उसके लिए कार्य प्रारम्भ करने से तुरन्त पूर्व यह व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार की सेवा में लगा हुआ है एवं उसकी सेवायें केन्द्रीय सरकार द्वारा ही प्रस्तुत की जाती हैं; एवं (ii) अन्य किसी व्यक्ति को यह छूट केवल उसी दशा में प्राप्त होती है जबकि वह टेक्नीशियन (Technician) है और उसकी सेवा का प्रसंविदा इस आशय के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य सत्ता द्वारा अनुमोदित है।

स्पष्टीकरण—(1) इस धारा के लिए विदेशी नियोक्ता से आय किसी विदेशी राज्य की सरकार या विदेशी उद्यम अथवा भारत के बाहर स्थापित संघ से है।

(2) टेक्नीशियन से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो निम्न के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखता है तथा किसी ऐसे कार्य पर लगाया गया है जिसमें कि ऐसे ज्ञान एवं अनुभव का वास्तव में प्रयोग किया जाता है—

(i) रचनात्मक क्रियायें अथवा निर्माण सम्बन्धी क्रियायें, खनन कार्य, विद्युत का निर्माण एवं वितरण।

(ii) कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्रियायें अथवा जहाज निर्माण सम्बन्धी क्रियायें।

(iii) लोक प्रशासन अथवा औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियायें।

(iv) लेखाकर्म।

(v) प्राकृतिक एवं व्यावहारिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का कोई भी क्षेत्र (चिकित्सा विज्ञान सहित)।

(vi) अन्य कोई क्षेत्र जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अक्चूरी के पेशे, बैंकिंग, बीमा एवं पत्रकारिता को निर्धारित किया है।

विदेशी मुद्रा से आशय वहीं होगा जो विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1973 में दिया गया है।

अन्य कटौतियाँ

1. स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता (अन्धेपन को शामिल करते हुए) की दशा में कटौती (धारा 80-U) -- भारत में निवासी ऐसे करदाता की कुल आय की *गणना करते समय* जो गत वर्ष के अन्त में स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता (अन्धेपन सहित) से पीड़ित है अथवा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, 40,000 रु. की कटौती स्वीकृत की जायेगी।

स्थाई शारीरिक असमर्थता (अन्धेपन सहित) अथवा मानसिक पिछड़ापन बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुरूप होनी चाहिये तथा इसके कारण उस व्यक्ति की सामान्य रूप से कार्य करने की क्षमता अथवा लाभपूर्ण रोजगार कमाने की शक्ति पर्याप्त रूप से कम होनी चाहिये। इसे सरकारी अस्पताल में कार्यरत किसी फिजिशियन, सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ अथवा मानसिक रोग विशेषज्ञ (जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

यह प्रमाण-पत्र निर्धारण अधिकारी के समक्ष पहली बार कटौती की माँग करते समय उस कर-निर्धारण वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा तथा 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व जो व्यक्ति पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चुके होंगे उनको दुबारा सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सारांश
(Summary)

सकल कुल आय में से दी जाने वाली विभिन्न कटौतियाँ एवं नियम

1.	पेंशन कोष में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80-CCC) [अंशदान की राशि अथवा 10,000 रु. (दोनों में जो भी कम हो)]	(i) केवल व्यष्टि करदाता को (ii) पेंशन पाने के उद्देश्य से (iii) भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान।
2.	चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में	(i) हिन्दू अविभाजित परिवार एवं व्यष्टि को

कटौती [धारा 80-D] [खर्च की गई राशि अथवा 10,000 रु. (दोनों में जो भी कम हो)]	(ii) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में (iii) स्वयं जीवन साथी, आश्रित, माता-पिता एवं आश्रित बच्चों के लिये एवं परिवार के सदस्यों के लिये।
3. विकलांग आश्रित की चिकित्सा पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-DD] [15,000 रु. की कटौती]	(i) व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को (ii) करदाता पर आश्रित हो तथा सम्बन्धी हो या हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य हो। (iii) स्थायी रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित
4. विकलांग आश्रित के भरण-पोषण के लिये जमा की गई राशि के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-DDA] *[अधिकतम 20,000 रु. तक]*	(i) व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को (ii) करदाता पर आश्रित हो तथा सम्बन्धी हो या हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य हो। *(iii) स्थायी रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित।*
5. चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 DDB] [15,000 रु. की कटौती]	(i) हिन्दू अविभाजित परिवार एवं व्यष्टि को (ii) स्वयं की अथवा आश्रित सम्बन्धी की चिकित्सा (iii) केन्सर, एड्स आदि रोगों का इलाज।
6. उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण की वापसी के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 E]	(i) व्यष्टि करदाता को (ii) 25,000 रु. प्रति वर्ष (iii) 8 कर-निर्धारण वर्षों के लिये या ऋण की वापसी तक (दोनों में जो भी पहले हो)
7. कुछ फण्डों, पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिये गये दानों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 G] [परिवार नियोजन के लिये सरकार को दान एवं कुछ कोषों को दिये गये दानों पर 100% की दर से एवं शेष दानों पर 50% की कटौती]	(i) समायोजित सकल कुल आय के 10% से अधिक कटौती योग्य नहीं होते, परन्तु यह बन्धन कोषों को दिये गये दानों पर लागू नहीं होता। (ii) समायोजित सकल कुल आय ज्ञात करने के लिये दीर्घकालीन पूँजी लाभों एवं इस अध्याय की अन्य कटौतियों को घटा दिया जाता है। (iii) नकद दानों के सम्बन्ध में क... है।

8. मकान किराये के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-GG]	(i) व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को
(अ) समायोजित कुल आय के 10% से अधिक चुकाया गया किराया।	(ii) स्वयं, जीवन साथी और अवयस्क बच्चे का अथवा परिवार का घर का मकान नहीं हो।
(ब) समायोजित कुल आय का 25%	(iii) नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं मिलता हो।
(स) 2,000 रु. प्रतिमाह (जो भी कम हो)	(iv) कुछ विशिष्ट शहरों में ही छूट मिलती है।
	(v) सकल कुल आय में से दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं इस अध्याय की कटौतियों को घटा दिया जाता है।
9. वैज्ञानिक अनुसन्धान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दिये गये दानों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-GGA] [सम्पूर्ण राशि की कटौती]	(i) सभी करदाताओं को कटौती उपलब्ध। (ii) सकल कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित नहीं हो।
10. पिछड़े हुए क्षेत्रों में नये स्थापित औद्योगिक उद्यम अथवा होटल व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-HH]	(i) 1 अप्रैल, 1990 के पूर्व स्थापित हो। (ii) लाभों के 20% की कटौती।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्थापित लघुस्तरीय औद्योगिक उद्यमों से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-HHA]	(i) 1 अप्रैल, 1990 के पूर्व स्थापित हो। (ii) लाभों के 20% की कटौती।
12. विदेशी योजना के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-HHB] [लाभों के 50% के बराबर कटौती]	(i) भारतीय कम्पनी एवं अन्य निवासी करदाता को (ii) लाभों के 50% की राशि संचय खाते में हस्तान्तरित करना (iii) लाभों के 50% के बराबर राशि लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह में भारत में परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में लाना।
13. निर्यात बिक्री के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80-HHC] [ऐसी बिक्री के लाभों के 100% की कटौती]	(i) भारतीय कम्पनी एवं अन्य निवासी करदाता को (ii) बिक्री का मूल्य विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया जाये अथवा लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह में भारत में ले आया जाये।

14. परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में आय के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 HHD] (अ) विदेशी भ्रमणकर्त्ताओं को दी गई सेवाओं से प्राप्त लाभों के 50% की छूट, तथा (ब) शेष लाभों में से उतनी राशि की छूट जितनी राशि संचय खाते में हस्तान्तरित कर दी जाये।	(i) भारतीय कम्पनी एवं अन्य निवासी करदाता को (ii) सम्बन्धित राशि विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की जाती है अथवा लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह में भारत में ले आयी जाती है।
15. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात व्यापार के लाभों के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 HHE] [लाभों की सम्पूर्ण राशि की कटौती]	(i) भारतीय कम्पनी एवं निवासी करदाता को (ii) सम्बन्धित राशि विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की जाती है अथवा लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह में भारत में ले आयी जाती है।
16. नये स्थापित औद्योगिक उद्यम एवं होटल व्यवसाय आदि के सम्बन्ध में छूट [धारा 80I] [कम्पनी करदाता 25% एवं अन्य करदाता को लाभों के 20% की कटौती]	(i) सभी करदाताओं को छूट (ii) 31 मार्च, 1991 के बाद इस धारा की छूट बन्द (iii) 1990-91 के वित्तीय वर्ष में उद्योग की स्थापना करने पर कम्पनी को लाभों के 30% की एवं अन्य करदाताओं को 25% की कटौती।
17. 31 मार्च 1991 के बाद स्थापित नये उद्योग, होटल, जहाजों, ढांचागत सुविधाओं के विकास, रखरखाव एवं संचालन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध एवं विकास अथवा आधारभूत अथवा सेल्यूलर दूर संचार सेवाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में कटौती [धारा-80 IA]	
(अ) नये उद्योग के लाभों के सम्बन्ध में	(i) कम्पनी को 30% अन्य को 25% की दर से। लघु उद्योगों को 31 मार्च, 1995 के बाद स्थापित करने पर भी कटौती जारी जबकि अन्य करदाताओं को बन्द। (ii) 31 मार्च, 1993 के बाद पिछड़े राज्यों में स्थापित करने पर 100% की कटौती

	(iii) 31-सितम्बर, 1994 के बाद औद्योगिक रूप से पिछड़े देश जिलों में स्थापित करने पर 100% की कटौती
(ब) नये होटल व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में	(i) केवल भारतीय कम्पनी करदाता को लाभों का 30% (ii) पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं तीर्थ स्थल पर 50% की कटौती एवं 1990-91 वर्ष में स्थापित होने पर भी कटौती।
(स) नये जहाज के लाभों के सम्बन्ध में	(i) केवल भारतीय कम्पनी को 30% की कटौती
(द) समुद्री जहाजों की मरम्मत के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में	(i) केवल भारतीय कम्पनी को 25% की कटौती
(य) ढांचागत सुविधाओं के विकास, रखरखाव एवं संचालन के सम्बन्ध में	(i) केवल भारत में पंजीकृत कम्पनी को (ii) 31 मार्च 1995 के बाद कार्य प्रारम्भ (iii) प्रारम्भिक 5 वर्षों में 100% की कटौती तथा शेष अवधि में 30%।
(र) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध एवं विकास के सम्बन्ध में।	(i) केवल भारत में पंजीकृत कम्पनी को (ii) 1-4-1998 तक अनुमोदन प्राप्त (iii) 5 वर्षों तक 100% की कटौती
(ल) आधारभूत अथवा सेल्यूलर दूर-संचार सेवाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में	(i) सभी करदाताओं को (ii) 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2000 तक कार्य प्रारम्भ करने पर (iii) 5 वर्ष तक लाभों के 100% की कटौती बाद में 5 वर्ष तक 25% (कम्पनी को 30%) की कटौती।
18. मुर्गीपालन के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में कटौती *[धारा 80 JJ]*	(i) सभी करदाताओं को *(ii) लाभों के $33\frac{1}{3}\%$ के बराबर कटौती*
19. विशिष्ट विनियोगों की आय पर कटौती [धारा 80 L]	(i) व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को (ii) अधिकतम कटौती 12,000 रु. तक (iii) अतिरिक्त कटौती 3,000 रु. तक
20. कुछ विदेशी उपक्रमों से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 O] [ऐसी आय के 50% की कटौती]	(i) भारतीय कम्पनी एवं निवासी अन्य करदाता को (ii) आय भारत में परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो अथवा 6 माह के भीतर भारत में ले आयी जाये।

21. प्रोफेसर, अध्यापकों आदि की दशा में कुछ विदेशी साधनों से पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 R]	(i) भारतीय नागरिक को (ii) गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर भारत में लाई गई राशि का 75%
22 कुछ दशाओं में विदेशी साधनों से पेशे से सम्बन्धित आय के सम्बन्ध में कटौती [धारा-80 RR]	(i) भारत का नागरिक लेखक, संगीतज्ञ, कलाकार, खिलाड़ी आदि हो। (ii) गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर भारत में लाई गई राशि का 75%
23. विदेश में दी गई सेवाओं के बदले में प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कटौती [धारा 80 RRA]	(i) भारतीय नागरिक व्यक्ति को (ii) गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर भारत में लाई गई राशि का 75%
24. स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता (अन्धेपन को शामिल करते हुए) की दशा में कटौती [धारा-80 U]	(i) भारत में निवासी करदाता को (ii) अधिकतम 40,000 रु. तक।

सामान्य नियम—

(i) समस्त कटौतियों का योग सकल कुल आय से अधिक नहीं होगा।

(ii) किसी भी आय के सम्बन्ध में शुद्ध राशि के सम्बन्ध में ही कटौती दी जायेगी।

(iii) इस अध्याय की कटौतियों के लिये सकल कुल आय में से दीर्घकालीन पूँजी लाभ को घटा दिया जायेगा। शेष आय को सकल कुल आय मानते हुए इस अध्याय की कटौतियाँ दी जायेंगी।

(iv) धारा 58(4) के प्रावधानों के तहत इस अध्याय की कोई भी कटौती आकस्मिक आय (लाटरी आदि) में से नहीं दी जायेगी।

प्रश्न
(Questions)

1. वे कौनसे पुण्यार्थ दान हैं जिनके लिए कुल आय में से कटौती स्वीकृत होती है ? इस सम्बन्ध में विभिन्न नियमों एवं सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझाइये।
   What are the Charitable donations in respect of which deductions is allowed from Gross Total Income ? Explain the various limits and rules in this connection.
2. नयी औद्योगिक संस्थाओं को कौनसी छूट व कटौतियाँ आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई हैं ?
   What deductions and rebates have been given to new Industrial Undertaking under Income Tax Act.
3. करदाता की कुल आय की गणना करते समय विभिन्न प्रकार के भुगतानों के में दी जाने वाली कटौतियों को संक्षेप में समझाइये।

Explain in brief the deduction allowed to an assessee in respect of various payments while computing his total income.

(Raj. U. B. Com. 1996)

4. निम्न के लिए सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों सम्बन्धी प्रावधानों का विवेचन कीजिए—
   (i) विशेष कोषों एवं पुण्यार्थ संस्थाओं को दान।
   (ii) लाभांश, ब्याज आदि की विनियोग आय।

   Discuss the provisions relating to deductions from Gross Total Income for the following—
   (i) Donation to certain funds and charitable institutions.
   (ii) Investment Income of dividends, interest etc.

(Sukhadia B. Com. 1997)

5. सकल कुल आय में से किन्हीं दो के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
   (i) विकलांग आश्रितों की चिकित्सा आदि पर व्यय—धारा 80-DD।
   (ii) मकान किराये का भुगतान—धारा 80 GG।

   Give the provisions for deduction from the Gross Total Income in relation to any two of the following—
   (i) Expenses in respect of *medical treatment of handicapped dependents u/s 80-DD.*
   (ii) Payment of house rent U/s 80-GG

[M.D.U. B.Com. 1995, Sukhadia B. Com. 1997]

6. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :
   (क) भारत के बाहर परियोजना से लाभ पर सकल कुल आय में से कटौती।
   (ख) निर्यात व्यापार के लाभ के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से कटौती।

   Write short notes on :
   (a) Deduction from gross total income in respect of profits and gains from projects outside India.
   (b) Deduction from gross total income in respect of profit of export business.

7. "भारत के बाहर विदेशी मुद्रा कमाकर भारत में लाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करदाता को उसकी सकल कुल आय में से अनेक प्रकार की कटौतियाँ प्रदान की गई है।" ऐसी सभी कटौतियों को समझाइए।

   "Many types of deductions have been allowed to the assessee from his gross total income with a view to promote the tendency of bringing foreign currency in India earned outside India". Explain all such deductions. **(Sukhadia B. Com. 1996)**

■■■

13
छूटें तथा राहतें
(Rebates and Reliefs)

कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से आय-कर अधिनियम के अध्याय-VIII को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित अध्याय के दो भाग हैं—(A) आय-कर की छूट (B) आय-कर से राहत।

आय-कर की छूट (Rebate of Income-tax)

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के सम्बन्ध में छूट [धारा-88]

(1) करदाता जिनको इस धारा की छूट उपलब्ध है—इस धारा की छूट निम्न प्रकार के करदाताओं को प्राप्त होती है—

(a) एक व्यष्टि, एवं

(b) हिन्दू अविभाजित परिवार

(2) छूट की दर—छूट योग्य राशियों के योग पर इस धारा की छूट 20% की दर से दी जाती है। परन्तु एक व्यष्टि करदाता यदि लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता अथवा खिलाड़ी (पहलवान सहित) है तथा उसकी इस प्रकार के पेशे की आय कुल आय का 25% अथवा अधिक है तो उसको छूट योग्य राशियों पर इस धारा की छूट 25% की दर से दी जायेगी।

(3) छूट की अधिकतम सीमा—एक ऐसे व्यष्टि करदाता के लिए जो लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता अथवा खिलाड़ी हो, इस धारा के तहत अधिकतम 70,000 रु. के विनियोग पर 17,500 रु. की छूट दी जा सकती है। अन्य करदाताओं को इस धारा की छूट अधिकतम 60,000 रु. के विनियोग पर 12,000 रु. तक ही दी जा सकती है। परन्तु यदि किसी करदाता ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूँजी के योग्य निर्गमन के समता अंशों अथवा ऋण पत्रों में 10,000 रु. या अधिक का अंशदान किया है अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं धारा 10(23D) में उल्लेखित किसी ऐसे पारस्परिक कोष की इकाइयों में अंशदान किया है जो ऐसे अंशदान को किसी कम्पनी के पूँजी के योग्य निर्गमन में हो अभिदान करेगा तो उस करदाता को अधिकतम 70,000 रु. के विनियोग पर 14,000 रु. तक की कटौती मिल सकेगी।

(4) भुगतान जिनके सम्बन्ध में इस धारा की छूट मिलनी है—इस धारा की छूट निम्नलिखित भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाती है—

I. एक व्यष्टि की दशा में कटौती योग्य राशियाँ—एक व्यष्टि (Individual) की दशा में निम्न रकमों का योग कटौती योग्य होता है—

(i) उसके जीवन पर एवं उसकी पत्नी *अथवा करदाता स्त्री* है तो उसके पति के जीवन पर एवं उसके किसी बच्चे के जीवन पर कराये गये बीमे का प्रीमियम;

(ii) उसके जीवन पर एवं उसकी पत्नी*अथवा करदाता स्त्री* है तो उसके पति के जीवन पर एवं उसके किसी बच्चे के जीवन पर स्थगित वार्षिकी के अनुबन्ध को चालू रखने के लिये किया गया कोई भुगतान; परन्तु ऐसे अनुबन्ध में वार्षिकी के स्थान पर नकद *भुगतान* प्राप्त करने का विकल्प नहीं होना चाहिए।

(iii) एक सरकारी कर्मचारी की दशा में उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके वेतन में से *स्थगित* वार्षिकी के लिये अथवा उसकी पत्नी एवं बच्चों के लिए आयोजन करने के लिए गत वर्ष में काटी गई राशि, उसके वेतन के $\frac{1}{5}$ *भाग तक।*

(iv) एक कर्मचारी द्वारा अपने वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में *दिया गया अंशदान।*

(v) सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड योजना, 1968 में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं, जीवन साथी अथवा बच्चे के नाम में दिया गया अंशदान।

(vi) कर्मचारी द्वारा प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में *दिया गया* अंशदान।

(vii) कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सुपर एनुएशन फण्ड में दिया गया अंशदान।

(viii) करदाता द्वारा गत वर्ष में पोस्ट ऑफिस के 10 वर्षीय एवं 15 वर्षीय संचयी खातों में जमा की गई राशि।

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिभूति अथवा जमा योजना में दिया गया अंशदान। इस आशय के लिये राष्ट्रीय बचत योजना 1992 को घोषित किया गया है।

(x) राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठम एवं सप्तम निर्गमन में अंशदान, चलन में नहीं है।

(xi) सरकार द्वारा इस आशय के लिये घोषित बचत पत्र।

इस आशय के लिये सरकार ने राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन को अधिसूचित किया है।

(xii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना, 1971 में भाग लेने के लिये स्वयं, जीवन साथी अथवा बच्चे के नाम में दिया गया अंशदान।

(xiii) जीवन बीमा निगम पारस्परिक कोष की ऐसी *यूनिट सम्बद्ध* बीमा योजना में भाग लेने के लिये स्वयं, जीवन साथी अथवा बच्चे के नाम में दिया गया अंशदान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा-10 (23D) के अन्तर्गत इस आशय के लिये सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके *अधिसूचित कर दिया जाये।* जीवन बीमा निगम पारस्परिक कोष की धनरक्षा (1989) योजना को इस आशय के लिये अधिसूचित किया गया है।

(xiii-a) जीवन बीमा निगम की जीवन धारा एवं जीवन अक्षय वार्षिकी योजना में जमा राशि।

(xiii-b) धारा 10(23D) के तहत अधिसूचित किसी पारस्परिक कोष की इकाई अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पारस्परिक कोष में अंशदान 10,000 रु. तक।

(xiii-c) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 (23D) अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित पारस्परिक कोष द्वारा स्थापित पेन्शन कोष में एक व्यष्टि द्वारा दिया गया अंशदान।

(xiv) नेशनल हाउसिंग बैंक की ऐसी जमा योजना में दी गई अंशदान की राशि जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिये सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया

जाये। इस आशय के लिये सरकार ने गृह ऋण-खाता योजना (Home Loan Account Scheme) को अधिसूचित किया है। नैशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा स्थापित पेंशन कोष में दिया गया अंशदान भी इस धारा में कटौती योग्य है।

(xiv-a) निम्न जमा योजनाओं में दिया गया अंशदान—

(अ) एक ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की जमा योजना में अंशदान जो भारत में रहने के लिये मकान खरीदने या बनवाने के लिये दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है।

(ब) भारत में किसी कानून द्वारा निर्मित अन्य किसी ऐसी सत्ता की जमा योजना में अंशदान जो आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में अथवा नगरों, कस्बों, एवं गाँवों के नियोजन, विकास या सुधार के कार्यों में अथवा दोनों में लगी हुई हो।

परन्तु यदि उक्त योजनाओं का ब्याज धारा 80-L के तहत कटौती-योग्य होगा तो उस अंशदान के सम्बन्ध में इस धारा की छूट नहीं मिलेगी।

(xv) ऐसे मकान को जिसकी आय पर मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर लगता है, खरीदने या बनवाने के लिए गत वर्ष में किया गया भुगतान, 10,000 रु. तक कटौती योग्य होगा। इस उप-वाक्य के अन्तर्गत निम्न भुगतान कटौती योग्य होंगे—

(i) विकास प्राधिकरण (Development Authority), मकान परिषद् (Housing Board) या अन्य किसी सत्ता (Authority) को किश्त का भुगतान अथवा देय अन्य राशि का भुगतान।

(ii) किसी कम्पनी के अंशधारी अथवा सहकारी समिति के सदस्य द्वारा उसको आवंटित किये गये मकान की किश्त का भुगतान अथवा देय राशि का आंशिक भुगतान।

(iii) निम्न में से किसी से भी उधार ली गई राशि का करदाता द्वारा पुनर्भुगतान—

(अ) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार,

(ब) सहकारी बैंक अथवा कोई अन्य बैंक,

(स) जीवन बीमा निगम,

(द) नेशनल हाऊसिंग बैंक,

(य) भारत में निर्मित एवं पंजीकृत कोई सार्वजनिक कम्पनी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में रहने के मकानों को खरीदने या बनवाने के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना हो,

(र) ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित हो या कोई सहकारी समिति जो मकान के निर्माण के अर्थ-प्रबन्ध के व्यवसाय में लगी हुई हो।

(ल) करदाता का नियोक्ता, यदि ऐसा नियोक्ता एक सार्वजनिक कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा स्थानीय सत्ता हो।

(iv) स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण शुल्क एवं अन्य व्यय जो करदाता द्वारा ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण के उद्देश्य से किये गये हैं।

निम्नांकित व्यय कटौती योग्य नहीं होंगे—

(अ) प्रवेश शुल्क अंश की लागत एवं प्रारम्भिक जमा राशि जो कम्पनी के अंशधारी अथवा सहकारी समिति के सदस्य को ऐसा अंशधारी अथवा सदस्य बनने के लिए आवश्यक रूप से जमा करवानी पड़ती है।

(ब) सक्षम सत्ता द्वारा मकान सम्पत्ति का पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद मकान की मरम्मत, वृद्धि, परिवर्तन एवं नवीनीकरण पर किये गये व्यय अथवा करदाता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति या किरायेदार द्वारा मकान सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कब्जा लेने के पश्चात् किये गये उपरोक्त व्यय।

(स) ऐसा कोई भी व्यय जिसके सम्बन्ध में धारा-24 के अन्तर्गत कटौती प्राप्त की जा सकती है।

II. हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में—हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में निम्न भुगतान कटौती योग्य होते हैं—

(i) परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन बीमा के सम्बन्ध में गत वर्ष में चुकाये गये जीवन बीमा प्रीमियम की रकम।

(ii) सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान। इसके लिए परिवार के किसी सदस्य के नाम में खाता खोलकर उसमें यह राशि जमा की जानी चाहिये।

(iii) परिवार द्वारा पोस्ट ऑफिस में परिवार के किसी सदस्य के नाम से खोले गये 10 या 15 वर्षीय संचयी सावधिक जमा खातों में गत वर्ष में जमा कराई गई रकम।

(iv) सरकार द्वारा इस आशय के लिए घोषित प्रतिभूतियाँ। इस आशय के लिएं राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 को घोषित किया गया है।

(v) राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठम निर्गमन एवं सप्तम निर्गमन। अब बन्द हो गये हैं।

(vi) सरकार द्वारा इस आशय के लिए घोषित बचत-पत्रों में विनियोजित राशि। सरकार ने राष्ट्रीय बचत-पत्र अष्टम निर्गमन को अधिसूचित किया है।

(vii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना, 1971 में भाग लेने के लिये किसी सदस्य के नाम में दिया गया अंशदान।

(viii) जीवन बीमा निगम पारस्परिक कोष की ऐसी यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना में भाग लेने के लिये किसी सदस्य के नाम में दिया गया अंशदान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा-10 (23D) के अन्तर्गत इस आशय के लिये सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके अधिसूचित कर दिया जाये। जीवन बीमा निगम पारस्परिक कोष की धन रक्षा (1989) योजना को इस आशय के लिये अधिसूचित किया गया है।

(ix) जीवन बीमा निगम की जीवन-धारा एवं जीवन अक्षय वार्षिकी योजना में जमा राशि।

(x) धारा 10(23D) के तहत अधिसूचित किसी पारस्परिक कोष की इकाई अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पारस्परिक कोष में अंशदान 10,000 रु. तक।

(xi) निम्न जमा योजनाओं में दिया गया अंशदान—

(अ) एक ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की जमा योजना में
के लिये मकान खरीदने या बनवाने के लिये दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती

(xii) भारत में किसी कानून द्वारा निर्मि[illegible] सत्ता की जमा
जो आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की [illegible] नगरों, कस्बों एवं
विकास, सुधार के कार्यों में अथवा दोनों [illegible]

परन्तु यदि उक्त योजनाओं का ब्याज धारा-80 L के तहत कटौती योग्य होगा तो उस अंशदान के सम्बन्ध में इस धारा की छूट नहीं मिलेगी।

(xiii) नेशनल हाउसिंग बैंक की ऐसी जमा योजना में दी गई अंशदान की राशि जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित कर दिया जाये। इस आशय के लिये सरकार ने गृह-ऋण खाता योजना (Home Loan Account Scheme) को अधिसूचित किया है।

(xiv) ऐसे मकान को जिसकी आय पर मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में कर लगता है, खरीदने या बनवाने के लिए गत वर्ष में किया गया भुगतान 10,000 रु. तक कटौती योग्य होगा। इस उप-वाक्यांश की शेष बातें व्यष्टि की तरह ही लागू होंगी।

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी—(1) यदि कोई करदाता एकल प्रिमियम पॉलिसी की दशा में बीमा के प्रारम्भ के बाद दो वर्ष के भीतर एवं अन्य किसी दशा मे दो वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किये बगैर जीवन बीमा पॉलिसी का अनुबन्ध समाप्त कर देता है, अथवा (ब) वाक्यांश (xii) एवं (xiii) में वर्णित यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना में 5 वर्ष तक अंशदान देने से पूर्व ही अनुबन्ध को समाप्त कर देता है, अथवा (स) वाक्यांश (xv) में वर्णित मकान का कब्जा लेने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर उस मकान को हस्तान्तरित कर देता है तो उस करदाता को इन वाक्यांशों से सम्बन्धित गत वर्ष में किये गये किसी भुगतान के सम्बन्ध में कोई कटौती नही दी जायेगी तथा इन भुगतानों के सम्बन्ध में जो आय कर की छूट उसको पूर्व के वर्षों में मिली थी उस राशि को करदाता द्वारा गत वर्ष में देय कर माना जायेगा। इस कर की राशि को गत वर्ष में सामान्य रूप से देय कर की राशि में जोड़ दिया जायेगा तथा करदाता को योग के बराबर कर की राशि का भुगतान करना होगा।

(2) किसी भी कोष में दिये गये अंशदान के अन्तर्गत ऋण के पुनर्भुगतान में जमा कराई गई किसी भी राशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) राष्ट्रीय बचत-पत्र (षष्ठम निर्गमन) एवं (अष्ठम निर्गमन) के ब्याज को पुनर्विनियोजित मानते हुए उस राशि पर भी इस धारा की छूट मिलेगी।

(4) गृह ऋण खाता योजना के नियम 14 के अनुसार अर्जित ब्याज को गृह ऋण खाता में पुनर्विनियोजित माना जाता है तथा उस पर धारा 88 की छूट प्राप्त होती है।

वरिष्ठ व्यष्टि करदाताओं को आय-कर में छूट (धारा-88B) –

एक ऐसे व्यष्टि करदाता की दशा में जो भारत का नागरिक है तथा जिसकी आयु गत वर्ष में किसी भी समय 65 वर्ष या अधिक हो जाती है तथा जिसकी सकल कुल आय 1,20,000 रु. से अधिक नहीं हो, इस धारा की कटौती प्राप्त हो सकेगी। ऐसे करदाता को इस अध्याय की कटौतियाँ दी जाने से पूर्व देय आय-कर के 40% के बराबर कटौती देयकर राशि में से दी जायेगी। सकल कुल आय से अभिप्राय अध्याय VI-A की कटौतियाँ अर्थात् धारा 80 CCC से 80 U तक की कटौतियाँ देने के पूर्व की आय से है।

आय-कर से राहत (Relief for income tax)

धारा-89 (1) के अन्तर्गत मिलने वाली छूट—यदि किसी गत वर्ष में करदाता को (अ) बकाया या पेशगी वेतन प्राप्त होने के कारण, या (ब) 12 माह से अधिक का वेतन प्राप्त होने के कारण अथवा (स) वेतन के स्थान पर कोई लाभ प्राप्त होने के कारण उस पर ऊंची दरों आय-कर लगता है तो आय-कर अधिकारी करदाता के नि[illegible] दे सकता

सारांश (Summary)

संक्षेप में धारा 88 की कटौती निम्न भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाती है—

(i) स्वयं,जीवन साथी एव बच्चों के जीवन पर ली गई पॉलिसी का प्रीमियम।
(ii) वैधानिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान;
(iii) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान;
(iv) सार्वजनिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान;
(v) सुपरएनुएशन फण्ड में अंशदान;
(vi) नियोक्ता द्वारा स्थगित वार्षिकी के लिये वेतन में से काटी गई राशि, अधिकतम वेतन के 20% तक;
(vii) स्थगित वार्षिकी के लिये अन्य भुगतान;
(viii) पोस्ट ऑफिस के 10 वर्षीय एवं 15 वर्षीय संचयी खातों में जमा राशि;
(ix) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट सम्बद्ध जीवन बीमा योजना, 1971 में अंशदान;
(x) जीवन बीमा निगम की पारस्परिक कोष की धन रक्षा योजना में अंशदान;
(xi) जीवन बीमा निगम की जीवन धारा एवं जीवन अक्षय वार्षिकी योजनाओं में अंशदान;
(xii) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन में भुगतान;
(xiii) राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 में जमा राशि;
(xiv) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पारस्परिक कोष में भुगतान अधिकतम 10,000 रु. तक;
(xv) अधिसूचित पारस्परिक कोष द्वारा स्थापित पेंशन कोष में एक व्यष्टि द्वारा अंशदान।
(xvi) नेशनल हाउसिंग बैंक की गृह ऋण खाता योजना (Home Loan Account Scheme) में अंशदान;
(xvii) ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की योजना में अंशदान जो मकान बनवाने या खरीदने के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।
(xviii) मकान बनाने के लिए निर्दिष्ट सत्ता अथवा संस्था के लिये ऋण का पुनर्भुगतान,
(xix) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन का उपार्जित ब्याज जिसे पुनर्विनियोजित माना गया है।
(xx) गृह ऋण खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज इस खाते में पुनर्विनियोजित माना जाता है।

प्रश्न (Questions)

1. आय-कर की छूट के सम्बन्ध में धारा 88 के प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Discuss in detail the provision of section 88 regarding rebate of income-tax [Sukhadia B. Com. 1995]

2. आय-कर से छूट के सम्बन्ध में धारा 88B के प्रावधानों का विस्तार से विवेचन कीजिए।
Discuss in detail the provisions of section 88B regarding rebate of income tax.

■■■

एक व्यष्टि का कर-निर्धारण करते समय उसे विभिन्न शीर्षकों से प्राप्त होने वाली आय की गणना करने में हमें निम्नलिखित साधनों से प्राप्त आय पर भी विचार करना पड़ता है—

(1) हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्यता से आय :

एक व्यष्टि को हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में से परिवार की सदस्यता के नाते मिली आय पूर्णतया कर-मुक्त है। ऐसी आय पर न तो आय-कर लगता है और न ही करदाता की कुल आय में जोडी जाती है, चाहे परिवार ने अपनी आय पर कर चुकाया हो अथवा नही।

(2) फर्म की सदस्यता से प्राप्त आय :

फर्म को सदस्यता से प्राप्त लाभ साझेदार के लिये कर-मुक्त होते है। परन्तु यदि साझेदार फर्म से कोई ब्याज, वेतन आदि प्राप्त करता है, तो इनको साझेदार की निजी आय में जोड़ा जायेगा।

(3) व्यक्तियों के समुदाय से प्राप्त आय :

यदि किसी व्यष्टि को 'व्यक्तियों के समुदाय' से उनके सदस्य होने के नाते कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय पर निम्न नियम लागू होंगे—

(i) समुदाय ने कर नहीं दिया हो—सदस्य कर देगा।

(ii) समुदाय ने कर दिया हो—सदस्य को औसत दर से छूट।

(iii) समुदाय ने अधिकतम सीमान्त कर दिया हो—कर-मुक्त।

(4) कम्पनी से प्राप्त आय :

एक व्यष्टि को कम्पनी के अंशधारी के रूप में प्राप्त लाभांश, उसकी 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगा। यदि इसी प्रकार के लाभांश पर कम्पनी के द्वारा उद्गम स्थान पर कर काट लिया गया हो तो कम्पनी के द्वारा काटे गये कर की रकम को लाभांश में जोड़कर कुल आय में शामिल किया जाता है। कम्पनी से प्राप्त लाभांश पर करदाता को कटौती प्राप्त होती है जिसका विस्तृत विवरण 'सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ' नामक अध्याय में किया गया है।

कुल आय को पूर्णांक में बदलना—5 या 5 से अधिक को 10 रु. में बदल देते हैं और 5 रु. से कम होने पर छोड़ देते हैं।

Illustration 1.

Following are the particulars of Income received by Shri Harishanker Swami during the year ending 31st March, 1997 :

(a) He is employed in a company at Calcutta on monthly salary of Rs. 2,500. During the year he was paid Rs. 3,000 as conveyance allowance and Rs. 7,000 as entertainment allowance. He was getting entertainment allowance of Rs. 300 per month before 1st April, 1955. His travelling allowance bills amounted to Rs. 2,500 but t[illegible] actual expen[illegible] as Rs. 1,700 only.

(b) He is a member of Recog[illegible] nt Fun[illegible] c is [illegible] lso [illegible] c. [illegible] hous[illegible] alu[illegible]

one of his relations free of [illegible]

according to municipal registers is Rs. 8,000 and taxes paid to the municipal corporation for the year were Rs. 1,500.

(d) During the year he had following other incomes :

Dividends from Indian companies Rs. 2,000; Dividend from Unit Trust, Rs. 6,000; Interest on Government Securities Rs. 6,000 and one-third share as partner in firm Rs. 12,500. He also received from the firm Rs. 1,000 per month as salary and interest @ 15% on his capital of Rs. 20,000.

(e) During the year he sold his old car worth Rs. 12,000 for Rs. 12,000 and purchased a new one for Rs. 19,000. He could not furnish a satisfactory explaination to the Assessing officer regarding the source of additional amount of Rs. 7,000 spent on purchasing the car.

(f) During the previous year he gave the following amounts as donations—

(i) *Rs. 5,000 to National Defence Fund.*

(ii) Rs. 3,000 to Prime Minister National Relief Fund.

(iii) Rs. 8,000 to State Govt. for promoting family planning programme.

(iv) Rs. 2,000 to the Chief Minister's Earthquake Relief Fund, Maharashtra.

Compute his total income assuming that he has spent whole of the conveyance allowance for official duties.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री हरिशंकर स्वामी द्वारा प्राप्त आय का विवरण निम्न है—

(अ) वह कलकत्ता में एक कम्पनी में 2,500 रु. प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्त है। वर्ष के दौरान उसको 3,000 रु. का सवारी भत्ता तथा 7,000 रु. का मनोरंजन भत्ता प्राप्त हुआ। 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व उसको 300 रु. प्रतिमाह का मनोरंजन भत्ता मिल रहा था। उसके यात्रा भत्ता बिलों का योग 2,500 रु. था जबकि वास्तविक व्यय 1,700 रु. ही था।

(ब) वह एक प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड का सदस्य है जिसमें वह अपने वेतन का 12% अंशदान देता है तथा उसका नियोक्ता भी 12% अंशदान करता है।

(स) उसने 1978 में बम्बई में एक मकान बनवाया था। इस मकान में उसका एक सम्बन्धी बिना किराये के रह रहा है। नगरपालिका के रजिस्टर के अनुसार इस मकान का वार्षिक किराया मूल्य 8,000 रु. है तथा नगर निगम को 1,500 रु. वर्ष भर के नगरपालिका करों के रूप में चुकाये गये।

(द) वर्ष के दौरान उसकी अन्य आयें निम्न थीं—

भारतीय कम्पनियों से लाभांश 2,000 रु.; यूनिट ट्रस्ट से लाभांश 6,000 रु.; सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज 6,000 रु. तथा एक फर्म से एक-तिहाई भाग के 12,500 रु.। फर्म से उसको 1,000 रु. प्रतिमाह वेतन तथा 20,000 रु. की पूँजी पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी प्राप्त हुआ।

(य) उसने अपनी 12,000 रु. की कार का विक्रय 12,000 रु. में ही किया तथा एक नई कार 19,000 रु. को क्रय की। वह निर्धारण अधिकारी को कार के क्रय में व्यय की गई 7,000 रु. की अतिरिक्त राशि के सम्बन्ध में सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर सका।

(फ) गत वर्ष के दौरान उसने निम्न दान दिये—

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 5,000 रु.;

(ii) प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में 3,000 रु.;

(iii) राज्य सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 8,000 रु.;

(iv) महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री भूकम्प राहत कोष को 2,000 रु.।

उसकी कुल आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उसने सवारी भत्ते की सम्पूर्ण राशि कार्यालय के लिए व्यय कर दी है।

Solution :

Computation of Total Income

	Rs.	Rs.
1. Income from Salary :		
Salary @ Rs. 2,500 p.m. for 12 months	30,000	
Entertainment allowance	7,000	
Excess of travelling allowance over actual expenditure (2,500 – 1,700)	800	
Employer's contribution to R.P.F. in excess of 10% of Salary	600	38,400
Less : (a) Standard deduction	12,800	
(b) In respect of Entertainment allowance	3,600	16,400
Taxable income from Salary		22,000
2. Income from House Property :		
Municipal valuation	8,000	
Less : Municipal Taxes	1,500	
Annual Value	6,500	
Less : $\frac{1}{5}$th for repairs	1,300	5,200
3. Income from Business & Profession :		
Salary from firm	12,000	
Interest from firm	3,000	15,000
4. Income from Other Sources :		
Dividend from Indian companies	2,000	
Dividend from Unit Trust of India	6,000	
Interest from Govt. Securities	6,000	
Income from Undisclosed Sources u/s 69 as he could not give satisfactory explianation to I.T.O	7,000	21,000
Gross Total Income		63,200

Deductions :			
u/s 80-L :			
Regarding dividends and interest on Govt. Securities		14,000	
u/s 80-G :	Rs.		
(i) 50% of donation to N.D.F.	2,500		
(ii) 100% of donation to Prime Ministers National Relief Fund	3,000		
(iii) 100% of donation to State Govt. for family planning	4,920		
(iv) 100% of donation to Maharashtra Chief Minister's Earthquake Relief Fund	2,000	12,420	26,420
		Total Income	36,780

टिप्पणी—(1) सवारी भत्ता खर्च कर दिया है, अतः कर-मुक्त है।

(2) रिश्तेदार द्वारा रखा गया मकान स्वयं का रहने का नहीं माना जा सकता है।

(3) मनोरजन भत्ता पहले वेतन में जोड़ा जाता है बाद में कटौती दी जाती है।

(4) प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में अंशदान के सम्बन्ध में कटौती धारा 88 के अन्तर्गत कर की राशि में से दी जाती है।

(5) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये धारा 80-L की कटौती अधिकतम 12,000 रु तक ही दी जा सकती है। लाभांश की आय के सम्बन्ध में अतिरिक्त कटौती 3,000 तक दी जा सकती है।

(6) धारा 80-G की कटौती देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिए गए दान, प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दिये गये दान एवं महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के भूकम्प राहत कोष में दिये गये दानों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध अथवा सीमा नहीं है। परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये दान पर 50% की दर से कटौती दी जाती है जबकि प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष एवं महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के भूकम्प राहत कोष में दिये गये दान पर 100% की दर से कटौती दी जाती है। *परिवार नियोजन के लिये दिये गये दान समायोजित कुल आय के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए।* समायोजित कुल आय यहाँ सकल कुल आय में धारा 80-L की कटौती घटाने के बाद बची हुई शेष राशि होगी। 63,200 – 14,000 = 49,200 रु. का 10% = 4,920 रु. कटौती योग्य है। चूंकि यह परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिये दिया गया दान है अतः इस पर 100% की कटौती दी गई है।

(7) फर्म से साझेदार को प्राप्त लाभ का हिस्सा कर-मुक्त है तथा वेतन एवं ब्याज की राशि व्यापार अथवा पेशे की आय के शीर्षक में कर-योग्य है।

Illustration 2.

Mr. Dhyan Chand is owner of 4 house properties in Delhi, particulars in respect of which for the year ended 31st March, 1997 are given below—

श्री एक्स देहली में चार मकानों के स्वामी हैं जिनका 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए विवरण अग्र है :

House No.	1	2	3	4
1. Construction started on	31.12.78	31.12.81	1.4.82	1.4 84
2 Construction completed on	31.3.87	31.3.92	31.3.90	31.3.90
3 Municipal value	10,000	12,000	6,000	8,000
4. Rent Received	12,000	9,000	6,000	—
5. Municipal Taxes paid by owner	600	1,200	300	800
6. Municipal taxes paid by the tenant	400	—	300	—
7. How used	Let out for Resi.	Let out for Resi.	Let out for Business	Self occupied
8. Cost of repairs borne by	Tenant	Tenant	Owner	Owner
9. Actual repairs	—	—	1,500	1,200
10. Ground Rent	1,000	—	800	—
11. Insurance premium	400	600	—	400
12. Interest on Loan taken for construction	—	500	—	600
13. Interest of Mortgage	200		300	—
14. Vacancy Period	—	3 months	—	—
15. Collection Charges	300	100	200	—
16. Annual charge	—	—	800	—

The particulars of his other incomes are as under—

(i) Agricultural income Rs. 10,000.

(ii) Share in Hindu undivided Family income Rs. 5,000

(iii) Family Pension From the employer of his deceased wife every month Rs. 400

(iv) Income from undisclosed sources Rs. 4,000.

(v) Profits of poultry farming Rs. 18,000.

(vi) Profits of a factory established in January, 1990 in a backward area Rs. 16,200.

Compute the total income of Mr. Dhyan Chand for the assessment year 1997-98.

उनकी अन्य आय का विवरण निम्न है—

(i) कृषि आय 10,000 रु.।

(ii) हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा 5,000 रु.।

(iii) उनकी स्वर्गवासी पत्नी के नियोक्ता से 400 रु.प्रतिमाह की दर से परिवार पेन्शन।

(iv) अघोषित साधनों की आय 4,000 रु.।

(v) मुर्गीपालन व्यवसाय के लाभ 18,000 रु.।

(vi) पिछड़े क्षेत्र में जनवरी, 1990 में स्थापित किये गये उद्योग के लाभ 16,200 रु.।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री ध्यानचन्द की कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

	Computation of Income from House Property		Rs.
	A.L.V. of House No. 1 being rent received		12,000
Less :	Municipal taxes borne by owner		600
	Annual Value		11,400
Less :	$\frac{1}{5}$th of A.V. for Collection Charges &		
	Repairs	2,280	
	Insurance Premium	400	
	Ground Rent	1,000	3,680
	Income from House No. 1		7,720
	Municipal Value of House No. 2		12,000
Less :	Municipal Taxes borne by owner		1,200
			10,800
Less :	Special Allowance for new construction		3,600
	Annual Value		7,200
Less :	$\frac{1}{5}$th of A.V. for Collection charges & Repairs	1440	
	Insurance Premium	600	
	Interest on loan for construction	500	
	Vacancy Allowance	1,800	4,340
	Income from House No. 2		2,860
	Fair Rent of House No. 3		6,000
Less :	M. Taxes paid by owner		300
	Annual Value		5,700
Less :	$\frac{1}{5}$th for repairs & Collection charges	1140	
	Ground rent	800	
	Annual Charge	800	2,740
	Income from House No. 3		2,960
	Annual value of house No. 4		NIL
Less :	Interest on loan for construction		600
	Income from House No. 4		−600

Statement showing taxable income from house property—

House No.	1	Rs. 7,720
House No.	2	Rs. ?
House No	3	Rs. ?
House No.	4	Rs. –
	Total	

Computation of Total Income

1 Income from House property			12,940
2. Income from Business and profession :			
(a) Profits of poultry farming		18,000	
(b) Profits of new industry in backward area		16,200	34,200
3. Income from Other Sources :			
(a) Family pension	4,800		
Less : Standard deduction	1,600	3,200	
(b) Income from undisclosed sources		4,000	7,200
Gross Total Income			54,340
Deductions :			
(i) u/s 80-HH regarding new industry in backward area		3,240	
(ii) u/s 80-I regarding new industry		3,240	
(iii) u/s 80-JJ regarding profits of poultry farming		6,000	12,480
Total Income			41,860

टिप्पणी—(1) नगरपालिका कर यदि किरायेदार चुकाता है तो उनके सम्बन्ध में कटौती नहीं दी जाती है।

(2) किरायेदार के द्वारा मरम्मत का उत्तरदायित्व वहन करने का मरम्मत एवं संग्रह व्यय की छूट पर कोई असर नहीं पड़ता है। मरम्मत एवं किराया संग्रह व्यय की छूट हमेशा वार्षिक मूल्य की $\frac{1}{5}$ ही होती है।

(3) तीसरा मकान व्यापार के लिये किराये पर उठाया गया है, अतः नये निर्माण सम्बन्धी विशेष छूट वार्षिक मूल्य ज्ञात करते समय नहीं दी गई है।

(4) कृषि आय एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की आय में हिस्सा कर-मुक्त है।

(5) परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य है तथा इसमें से प्रमाणिक कटौती भी दी जाती है।

(6) पिछड़े क्षेत्र में स्थापित नये उद्योग के लाभों के सम्बन्ध में धारा 80-HH एवं धारा-80 I दोनों की कटौती दी गई है। दोनों धाराओं में ही कटौती ऐसे लाभों के 20% के बराबर दी जाती है।

(7) मुर्गी-पालन के लाभों के सम्बन्ध में कटौती धारा 80-JJ के अन्तर्गत $33\frac{1}{3}\%$ की दर से दी जाती है।

Illustration 3.

From the following particulars find out total income of Mr. Ganesh for the year ending 31st March, 1997—

(a) He is employed in a Company on a monthly salary of Rs. 2,500. On 1st January 1997, he resigned from this Company and on the same day he joined another Company on the same salary plus a conveyance allowance of Rs. 200 p.m. The conveyance allowance is actually spent in performing official duties.

(b) He is partner in an firm. During the previous year the firm earned a taxable income of Rs.30,000. There are three equal partners including Mr. Ganesh in the firm. The firm has paid the following sums to the wife of Mr. Ganesh—

(i) Rs. 1,000 as interest on the funds provided by her to the firm.

(ii) Rs. 8,500 Commission for an Agency granted to her.

(c) Mr. Ganesh has transferred his assets to his son's minor child without any consideration. Income from such assets is Rs. 5,000.

(d) His minor child has been admitted in another firm as partner to the benefits of partnership. He got Rs. 32,500 as his share from this firm and Rs. 12,500 as interest.

(e) One of his major sons was married last year. Out of love and [illegible]

[illegible]

This Insurance is in accordance with the scheme of General Insurance Corporation and approved by the Central Government.

(g) He gave a donation of Rs. 4,500 to a corporation established by Central Govt. for promoting the interests of the members of minority community.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री गणेश के अग्रलिखित विवरण से कुल आय ज्ञात कीजिए—

(a) वह एक कम्पनी में 2,500 रु. मासिक वेतन पर नियुक्त है। 1 जनवरी, 1997 को उसने इस कम्पनी से त्यागपत्र दे दिया और उसी दिन उसने दूसरी कम्पनी में उसी वेतन तथा 200 रु. प्रतिमाह सवारी भत्ते पर नौकरी प्रारम्भ की। सवारी भत्ता कार्यालय के कार्यों को करने में वास्तव में व्यय कर दिया जाता है।

(b) वह एक फर्म में साझेदार है। गत वर्ष के दौरान फर्म ने 30,000 रु. की कर-योग्य आय अर्जित की। फर्म में श्री गणेश को सम्मिलित करते हुए तीन समान साझेदार हैं। फर्म ने श्री गणेश की पत्नी को निम्नांकित भुगतान किये हैं—

(i) फर्म को उसके द्वारा दिए गए धन पर 1,000 रु. ब्याज के दिये।

(ii) उसको दी गई एक एजेन्सी का कमीशन 8,500 रु.।

(c) श्री गणेश ने अपनी सम्पत्तियाँ अपने पुत्र के नाबालिक बच्चे को हस्तांतरित की। ऐसी सम्पत्ति की आय 5,000 रु. है।

(d) उसके नाबालिक बच्चे को दूसरी फर्म में लाभों के लिए साझेदार के रूप में [illegible] मिल किया गया है। इस फर्म में उसने अपने हिस्से के रूप में 32,500 रु. प्राप्त कि[illegible] के 12,500 रु. प्राप्त किये।

(e) उसके एक वयस्क पुत्र की शादी गत वर्ष हुई थी। स्नेह के कारण उसने अपनी पुत्रवधू को एक मकान सम्पत्ति हस्तान्तरित की। इस मकान सम्पत्ति से उसने 2,000 रु. की कर-योग्य आय अर्जित की।

(f) उसने गत वर्ष में अपने पिताजी के चिकित्सा बीमा प्रीमियम के 3,000 रु. चैक द्वारा दिये। पिताजी उस पर आश्रित हैं। यह बीमा सामान्य बीमा निगम की ऐसी योजना के अन्तर्गत है जो केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित है।

(g) अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निगम को 4,500 रु. का दान दिया। **(Indore Uni. B. Com. 1997)**

Solution :

Calculation of Total Income of Mr. Ganesh

		Rs.	Rs
1. Income from Salaries :			
Salary @ Rs. 2,500 p.m.			30,000
Less . Standard deduction @ $33\frac{1}{3}\%$			10,000
			20,000
2. Income from House Property :			
Income of the property transferred to daughter-in-law			2,000
3. Income from Business :			
(i) Share from firm			
(ii) Commission paid to the spouse by the firm in which he had substantial interest		8,500	
(iii) Income of minor child as interest in a firm	12,500		
Less : Exemption u/s 10 (32)	-1,500	11,000	19,500
Gross Total Income			41,500
Less : Deductions :			
(i) In-respect of Medical Insurance Premium u/s 80-D		3,000	
(ii) In respect of Donation u/s 80-G 50% of Rs. 3,850		1,925	4,925
Total Income			36,575
Rounded off			36,580

टिप्पणी—(1) चाहे भले ही सवारी भत्ता दिया गया हो, प्रमाणित कटौती वेतन की सकल आय का $33\frac{1}{3}\%$ ही होगी। सवारी भत्ता खर्च करने पर कर मुक्त है।

(2) फर्म से प्राप्त लाभ कर-मुक्त होते हैं।

(3) गणेश की पत्नी द्वारा प्रदत्त धन पर उसको दिया गया ब्याज गणेश की कुल आय में शामिल नही किया जायेगा।

(4) धारा 80-G की कटौती देते समय कुल आय से आशय ऐसी आय से होगा जिसमें धारा 80-CCC से 80-U तक की कटौती (धारा 80G को छोड़कर) घटा दी गई हो। फिर 10% की सीमा लागू होगी।

(5) पुत्र के नाबालिग बच्चे को हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय नाबालिग बच्चे के माता-पिता की आय में सम्मिलित की जायेगी।

Illustration 4

From the following Particulars of income of Mr. Ashok Kumar for the year ended on 31st March, 1997, calculate his total Income for the assessment year 1997-98 :

1. Salary Rs. 2,000 p.m.
2. Interest received from Bank of Baroda on fixed deposit Rs. 900.
3. Interest received on 1st December 1996 from Maruti Ltd., on fixed deposit Rs. 2,250.
4. Interest received from Government Securities Rs. 1,350 on 1st March, 1997.
5. Dividend received on 15-2-1997 on equity shares of D.C.M. Ltd., Rs. 2,400.
6. Dividend received from a Co-operative Society Rs. 200.
7. He owns a poultry farm also. Its profits for the previous year amounted to Rs. 60,000.
8. He sold his house on 11th April, 1996 for Rs. 65,000 which he had [illegible] farm. F.M [illegible]

[illegible] h was pur [illegible]

10. He had purchased National Saving Certificate VIII issue on [illegible]

[illegible]

interest on these at 12% per annum with half yearly rests is for income tax [illegible]

[illegible]

से निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिये—

1. वेतन 2,000 रु. प्रतिमाह।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज 900 रु.।
3. मारुति लिमिटेड की स्थायी जमा पर 1 दिसम्बर, 1996 को प्राप्त ब्याज 2,250 रु.।
4. सरकारी प्रतिभूतियों पर 1 मार्च, 1997 को प्राप्त ब्याज 1,350 रु.।
5. डी. सी. एम. लिमिटेड के समता अंशों पर 15-2-1997 को लाभांश प्राप्त किया 2,400 रु.।
6. एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 200 रु.।

7 उसका एक मुर्गीखाना है जिससे गत वर्ष 60,000 रु. का लाभ हुआ।

8. उसने अपना मकान 65,000 रु. में 11 अप्रैल, 1996 को बेचा जो जुलाई, 1970 में 10,000 रु. में खरीदा गया था तथा जिसका 1-4-1981 को उचित बाजार मूल्य 25,000 रु. था। इस मकान में वे अपना मुर्गीखाना चलाते थे।

9. मई, 1990 में 3,000 रु. में खरीदे गये डी. सी. एम. लिमिटेड के समता अंश गत वर्ष में 8,000 रु. में बेचे।

10. उसने 10 अप्रैल, 1990 को 10,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्ठम निर्गमन) क्रय किये थे। छः वर्ष की अवधि समाप्त होने पर 10 अप्रैल, 1996 को इनके भुगतान के रूप में 20,150 रु. प्राप्त हुए। इन पर 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर आय-कर हेतु प्रति वर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है। 100 रु. के बचत पत्रों पर षष्ठम वर्ष का ब्याज 22.40 रु. होता है। उसने 10 जून, 1993 को भी 10,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्ठम निर्गमन) क्रय किये थे। इन पर 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर आय-कर हेतु प्रति वर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है। 100 रु. के बचत-पत्रों पर तृतीय वर्ष का ब्याज 15.60 रु. होता है। **(Raj. Uni. B. Com. 1994)**

Solution :

Computation of taxable Income of Shri Ashok Kumar for the A.Y. 1997-98

	Rs.	Rs.	Rs.
Income from Salary :			
Basic Salary @ Rs. 2,000 p m.		24,000	
Less : Standard Deduction @ $33\frac{1}{3}$% or Rs. 15,000 whichever is less		8,000	16,000
Income from Business & Profession :			
Profits from Poultry Farm			60,000
Income from Capital gains :			
(a) Sale Price of house		65,000	
Less : Cost of Acquisition	10,000		
F.M.V. on 1-4-1981	25,000		
Indexed Cost of acquisition *(25,000 × 305 ÷ 100)*		76,250	
		(–) 11,250	
(b) Sale price of Shares	8,000		
Less : Cost of acq. Rs. 3,000			
Indexed Cost of acq. (3,000 × 305 ÷ 182)	5,027	2,973	
		(–) 8,277	
Income from Other Sources :			
(i) Interest from Baroda Bank		900	
(ii) Interest from Maruti Ltd.		2,250	
(iii) Dividend on shares from D.C.M. (grossed)		3,000	
(iv) Dividend from Co-operative			

	Society	200	
(v)	Interest on Government Securities (grossed up)	1,500	
(vi)	Interest on N.S.C. VIII issue of Rs. 10,000 purchased during 1990-91	2,240	
(vii)	Interest on N.S.C. VIII issue Purchased during 1993-94	1,560	11,650
	Gross Total Income		87,650
Deductions :			
(i)	u/s 80-L	9,400	
(ii)	u/s 80-JJ	20,000	29,400
	Total Income		58,250

टिप्पणी—(i) डी.सी.एम. से प्राप्त लाभांश को 100/80 से गुणा करके सकल बनाया गया है जबकि सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(ii) राष्ट्रीय बचत-पत्र (अष्ठम निर्गमन) के ब्याज को धारा 80-L की कटौती में सम्मिलित किया गया है। धारा 80-L की कटौती बड़ौदा बैंक से प्राप्त ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज, बचत-पत्रों का ब्याज, डी. सी. एम. से लाभांश एवं सहकारी समितियों से लाभांश के सम्बन्ध में दी गई है। कुल कटौती 9,400 रु. की दी गई है।

Illustration 5.

From the following particulars of Shri Gopikishan compute his total income for the assessment year 1997-98.

(i) He sold his residential house for Rs. 8,60,000 on 15th July, 1996. This house [illegible] of transfer [illegible] May, 1997 in a specified bank account under Capital Gains Account Scheme, 1988, for purchasing a house. He did not own any other house on the date of this transfer.

(ii) He sold a part of his household furniture for Rs. 40,000 which was purchased 10 years back at a cost of Rs. 16,000. Within 3 months of sale of furniture he purchased new furniture for Rs. 60,000.

(iii) He sold his personal motor car for Rs. 1,50,000. This motor car was purchased 1 year back at a cost of Rs. 90,000.

(iv) He sold some Jewellery for Rs. 2,80,000 which was purchased in 1984-85 for Rs. 1,00,000. Within 6 months of the sale of this Jewellery he purchased new Jewellery for Rs. 4,00,000.

(v) He was owner of 500 shares of Malwa Mills Ltd. All these shares were purchased by him in 1984-85 at a cost of Rs. 120 per share [illegible] all these shares at Rs. 223 per share. On these shares he recei[illegible] of Rs. 9,600 on 15-7-1996

(vi) He had purchased 500 shares of Reliance Industries @ Rs. 90 per share on 10th August, 1996. He sold these shares on 16th March, 1997 @ Rs. 160 per share.

(vii) He established a new industry on 1st April, 1988 in a backward area. During the previous year 1996-97 the profits of this industry were Rs. 1,80,000.

(viii) He has made following payments during the previous year—

(a) Paid Rs. 4,000 as Health Insurance Premium of his wife. His wife has no income.

(b) Spent Rs. 8,000 on the treatment of his father. His father is suffering from a permanent physical disability and his capacity to normal work has been considerably reduced. His father is dependent on him.

(ix) *He is totally blind. He has appointed a financial controller who looks after his personal economic matters. He pays him a salary of Rs. 5,000 p.m.*

[illegible] established by him on

निम्नलिखित विवरण से श्री गोपीकिशन की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 [illegible] आय की गणना कीजिए—

(i) उन्होंने 15 जुलाई, 1996 को अपने रहने का मकान 8,60,000 रु. में विक्रय किया। यह मकान मई, 1984 में 3,00,000 रु. मे बनवाया गया था। इस मकान के हस्तान्तरण पर 25,000 रु. व्यय हुए। उसने 10 मई, 1997 को 1,00,000 रु. 'पूँजी लाभ खाता योजना, 1988' के अन्तर्गत खोले गये एक विशिष्ट बैंक खाते में नया मकान खरीदने के उद्देश्य से जमा कराये। उसके पास रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं था।

(ii) उन्होंने अपने घर के प्रयोग का कुछ फर्नीचर 40,000 रु. में विक्रय किया जो 10 वर्ष पूर्व 16,000 रु. में क्रय किया गया था। फर्नीचर के विक्रय के 3 माह के भीतर ही उसने 60,000 रु. की लागत का नया फर्नीचर खरीद लिया।

(iii) उन्होंने अपने निजी प्रयोग की कार को 1,50,000 रु. में बेचा। यह कार एक वर्ष पूर्व 90,000 रु. की लागत पर क्रय की गई थी।

(iv) उन्होंने कुछ आभूषण 2,80,000 रु. में बेचे जो 1984-85 में 1,00,000 रु. में क्रय किये गये थे। इन आभूषणों की बिक्री के 6 माह के भीतर ही 4,00,000 रु. की लागत के नये आभूषण खरीद लिये।

(v) उनके पास मालवा मिल के 500 अंश थे। ये सभी अंश 1984-85 में 120 रु. प्रति अंश की दर से क्रय किये गये थे। उन्होंने इन सभी अंशों को 223 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिया। इन अंशों से 15-7-96 को 9,600 रु. का लाभांश मिला।

(vi) उन्होंने 10 अगस्त, 1996 को रिलायन्स इन्डस्ट्रीज के 500 अंश 90 रु. प्रति अंश की दर से खरीदे थे। इन अंशों को 16 मार्च, 1997 को 160 रु. प्रति अंश की दर से बेच दिया।

(vii) उन्होंने 1 अप्रैल, 1988 को पिछड़े हुये क्षेत्र में एक नया उद्योग स्थापित किया था। गत वर्ष 1996-97 के दौरान इस उद्योग ने 1,80,000 रु. का लाभ कमाया।

(viii) उन्होंने गत वर्ष के दौरान निम्न भुगतान किये है—

(a) अपनी पत्नी के स्वास्थ्य बीमा का 4,000 रु. का प्रीमियम दिया। पत्नी की कोई आय नहीं है।

(b) अपने पिता के इलाज पर 8,000 रु. व्यय किये। उनके पिता स्थायी शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित हैं और उनकी काम करने की क्षमता काफी कम हो गई है। उनके पिता उन पर आश्रित हैं।

(ix) वे पूर्णतया अन्धे हैं। उन्होंने एक वित्तीय प्रबन्धक नियुक्त कर रखा है जो उनके निजी आर्थिक मामलों को सम्भालते हैं। उसको 5,000 रु. प्रति माह वेतन देते हैं।

उनके द्वारा पिछड़े क्षेत्र मे स्थापित उद्योग 1 अप्रैल, 1988 के स्थान पर 1 अप्रैल, 1989 को स्थापित किया गया होता तो उनकी कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ता ? समझाइये।

Solution :

Computation of Taxable Income from Capital Gains

(a) Long-term Capital Gains :		**Rs.**	**Rs**
(i)	On sale of Residential House :		
	Sale Price of House		8,60,000
Less :	Cost of acquisition	3,00,000	
	Indexed cost of acquisition		
	(3,00,000 × 305 ÷ 125)	7,32,000	
	Expenses of transfer	25,000	7,57,000
			1,03,000
Less :	Deduction u/s 54 for deposits in specified bank for purchasing new house		1,00,000
			3,000
(ii)	On sale of Jewellery :		
	Sale price of Jewellery	2,80,000	
Less :	Cost of acquisition Rs. 1,00,000		
	Indexed cost of acq.		
	(1,00,000 × 305 ÷ 125)	2,44,000	36,000
(iii)	On sale of Shares :		
	Sale price	1,11,500	
Less :	Cost of acquisition Rs. 60,000		
	Indexed cost of acquisition		
	(60,000 × 305 ÷ 125)	1,46,400	– 34,900
			4,100

		Rs.	Rs.
(b) Short-term Capital gains :			
	On sale of shares :		
	Sale Price	80,000	
Less .	Cost of acquisition	45,000	35,000
	Taxable Income from Capital gains		39,100

Computation of Total Income of Shri Gopikishan for the A.Y. 1997-98

		Rs.	Rs.
1. Income from Business & Profession :			
Profits of new industry in backward area			1,80,000
2. Income from Capital gains			39,100
3. Income from Other Sources :			
Dividend on shares of Malwa Mills Ltd. (grossed up)			12,000
Gross Total Income			2,31,100
Deductions :		Rs.	
(i) u/s 80-D		4,000	
(ii) u/s 80-DD		15,000	
(iii) u/s 80-HHA		36,000	
(iv) u/s 80-L		12,000	
(v) u/s 80-U		40,000	1,07,000
Total Income			1,24,100

टिप्पणी—(i) निजी प्रयोग के फर्नीचर एवं कार की बिक्री के पूँजी लाभ कर-मुक्त होते हैं।

(ii) नये आभूषणों के क्रय के सम्बन्ध में दीर्घकालीन पूँजी लाभ सम्बन्धी कोई छूट नहीं दी जाती है।

(iii) पूर्णतया असमर्थ व्यक्ति की चिकित्सा पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में 15,000 रु. की कटौती निश्चित है।

(iv) यदि पिछड़े क्षेत्र में नया उद्योग 1 अप्रैल, 1989 को स्थापित किया जाता तो उसकी कुल आय 36,000 रु. से कम हो जाती क्योंकि उस दशा में उसे धारा 80-I की कटौती भी कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 में मिल जाती। नया उद्योग पिछड़े क्षेत्र में स्थापित होने की धारा 80-HHA की छूट 10 वर्षों के लिए दी जाती है जबकि धारा 80-I की छूट 8 वर्षों के लिए ही दी जाती है। अतः कर निर्धारण वर्ष 1997-98 में धारा 80-I की छूट नहीं दी गई है।

कर की गणना
(Computation of Tax)

आयकर अधिनियम में कर-निर्धारण का आधार, पद्धति, छूटें एवं कटौतियाँ दी गई हैं जिसके आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि करदाता की कुल आय कितनी है। इस कुल आय पर किन दरों से आयकर लगेगा, यह आयकर अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। करदाता की आय पर कर लगाने के लिए कर की दरें प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम में दी जाती हैं।

करारोपण की पद्धतियाँ (Method of Taxation)

(1) स्टेप पद्धति (Step System);

(2) स्लेब पद्धति (Slab System) ।

1. स्टेप पद्धति—इस पद्धति के अन्तर्गत आय की विभिन्न श्रेणियाँ निश्चित कर दी जाती हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग कर की दरें निश्चित कर दी जाती हैं। करदाता की आय जिस श्रेणी के अन्तर्गत आती है उस श्रेणी पर लागू दरों से करदाता को अपनी कुल आय पर कर देना पड़ता है अर्थात् इस पद्धति के अन्तर्गत करदाता की समस्त आय पर एक ही दर से आयकर लगाया जाता है। 31 मार्च, 1937 तक यह पद्धति चालू रही। इस पद्धति का सबसे महत्त्वपूर्ण दोष यह था कि करदाता की आय में थोड़ा-सा भी अन्तर हो जाने पर समस्त आय पर ऊँची दरों से कर देना पड़ता था, इसलिए यह विधि न्यायोचित नहीं थी। 1 अप्रैल, 1938 से इस पद्धति को समाप्त कर इसके स्थान पर नई पद्धति अपनाई गई जिसे खण्ड पद्धति या 'स्लेब सिस्टम' (Slab System) कहते हैं।

2. स्लेब पद्धति (Slab System)—इस पद्धति के अन्तर्गत आय के छोटे-छोटे 'स्लेब' या खण्ड बना दिये जाते हैं और प्रत्येक खण्ड या स्लेब के लिए अलग-अलग दरें भी होती हैं। प्रत्येक अगले खण्ड के लिए आयकर की दरें बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार इस पद्धति के अन्तर्गत सम्पूर्ण आय पर एक ही दर से आयकर नही लगता बल्कि खण्डों के हिसाब से आयकर लगता है। हमारे यहाँ आयकर की दरें इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं।

आयकर की राशि को सम्पूर्ण करना (Rounding off of Tax) (धारा-288-B):

धारा-288-B के अन्तर्गत आयकर की राशि, ब्याज दण्ड आदि को 1 रु. की निकटतम राशि तक सम्पूर्ण किया जाता है। ऐसा करते समय पैसों की संख्या यदि पचास या पचास से अधिक है तो ऐसी राशि बढ़ाकर एक रु. तक कर दी जाती है और यदि पैसों की संख्या 50 से कम है तो उन्हें छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर 25 रु. 60 पैसे को 26 रु. और 50 रु. 40 पैसे को 50 रु. कर दिया जाता है।

कर की दरें

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आयकर की दरें निम्नलिखित हैं—

1. कुल आय के प्रथम	40,000 रु. पर	शून्य
2. कुल आय के अगले	20,000 रु. पर	15%
3. कुल आय के अगले	60,000 रु. पर	30%
4. कुल आय के शेष पर		40%

दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर कर की गणना

कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर धारा-112 के तहत कर की गणना की जाती है। दीर्घकालीन पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि पर व्यष्टि करदाता की दशा में 20% की दर से कर लगाया जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान—दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर कर की गणना से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान अग्र है—

(i) दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को कुल आय में से घटा दिया जाता है। इसके बाद बची हुई कुल आय पर कर की गणना अलग की जाती है एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर कर की गणना अलग की जाती है। परन्तु यदि अन्य आय न्यूनतम सीमा से कम रह जाये तो दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर लगाने से पूर्व दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया जायेगा तथा शेष दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर ही निर्धारित दर से कर लगाया जायेगा। उदाहरण के लिये एक व्यष्टि करदाता की 45,000 रु. की कुल आय है जिसमें 15,000 रु. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ है। 45,000 रु. की कुल आय में 15,000 रु. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ घटाने पर शेष कुल आय 30,000 रु. ही बचती है। चूँकि 40,000 रु. तक की आय कर-मुक्त होती है अत: करदाता को इस पूरी कर मुक्त राशि का लाभ देने के लिये 10,000 रु. की राशि दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि में से घटा दी जायेगी तथा शेष 5,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर ही 20% की दर से कर लगाया जायेगा।

(ii) सकल कुल आय में से धारा-80 CCC से 80 U तक की कटौतियाँ देते समय सकल कुल आय से अभिप्राय ऐसी सकल कुल आय से होगा जिसमें से दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया गया हो। इस प्रावधान के निम्न प्रभाव होंगे—

(अ) दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि में से अध्याय VIA में उल्लेखित धारा 80 CCC से 80 U तक की कोई भी कटौती नहीं दी जायेगी।

(ब) धारा 80 G एवं 80 GG में सकल कुल आय अथवा कुल आय का प्रतिशत निकालते समय दीर्घकालीन पूँजी लाभ को राशि को सकल कुल आय में से घटा दिया जायेगा।

(iii) धारा 88 में उल्लेखित छूट जो कुल आय पर ज्ञात कर की राशि में कमी कर के दी जाती है, दीर्घकालीन पूँजी लाभ के कर की राशि में से नहीं दी जायेगी।

(iv) कुल आय में कृषि आय जोड़कर कर की गणना करते समय कुल आय में दीर्घकालीन पूँजी लाभ शामिल नहीं होंगे।

लॉटरी, वर्ग पहेली आदि की आय पर कर की गणना :

यदि किसी करदाता की कुल आय में लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़ दौड़ (दौड़ के घोड़ों की आय को छोड़कर) ताशों के खेल सहित अन्य खेल अथवा शर्त एवं जुए में जीती गई राशि सम्मिलित है तो ऐसी आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में धारा-115-BB की व्यवस्थाएँ निम्न हैं—

(i) ऐसी आय को कुल आय में से घटा दिया जायेगा। ऐसी आय पर एवं घटी हुई कुल आय पर कर की गणना अलग-अलग की जायेगी।

(ii) ऐसी आय पर 40% की दर से कर लगाया जायेगा। यदि करदाता की अन्य आय नहीं है तब भी ऐसी आय पर कर लगेगा।

(iii) धारा-10 (3) के तहत आकस्मिक आय के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट 5,000 रु. अथवा 2,500 रु. जैसी भी परिस्थिति हो, पहले ही अन्य साधनों की आय की गणना करते समय दे दी जाती है। ऐसी छूट कर की गणना करते समय दुबारा नहीं दी जायेगी।

(iv) कुल आय में कृषि आय जोड़कर कृषि आय ... गणना करते समय कुल आय में आकस्मिक आय शामिल नहीं

आयकर की गणना की प्रक्रिया—

(1) सर्वप्रथम विभिन्न शीर्षकों की कर-देय आयों को जोड़कर सकल कुल आय ज्ञात कर ली जाती है।

(2) इसके बाद ऐसी सकल कुल आय में से धारा-80 CCC से 80 U तक की कटौतियाँ कम कर दी जाती हैं।

(3) इन कटौतियों को घटाने के बाद जो आय आती है वह 'कुल आय' कहलाती है। इसी कुल आय पर आय-कर की गणना की जाती है।

(4) उपरोक्त प्रकार से ज्ञात की गई कुल आय में से धारा-112 में उल्लेखित दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा-115 BB में उल्लेखित आकस्मिक आय को घटा दिया जाता है तथा शेष राशि को ही कुल आय मानते हुये उस पर निर्धारित दरों से आय कर की गणना कर ली जायेगी। यदि करदाता की कृषि आय हो तो कृषि आय पर कर की गणना भी इस घटी हुई शेष आय के साथ की जायेगी।

(5) वाक्यांश (4) में घटाई गई दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि पर धारा 112 की व्यवस्थाओं के अनुसार एवं आकस्मिक आय पर धारा 115 BB की व्यवस्थाओं के अनुसार अलग-अलग कर की गणना कीजिए।

(6) वाक्यांश (4) एवं वाक्यांश (5) में ज्ञात किये गये कर को जोड़ दिया जायेगा। यह करदाता द्वारा कुल आय पर देय सकल कर की राशि होगी।

(7) इस प्रकार ज्ञात की गई कर की राशि में धारा-88 एवं 88B में उल्लेखित छूट को घटा दिया जायेगा। इन छूटों का विस्तृत विवरण अध्याय 13 में पीछे किया गया है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी—दीर्घकालीन पूँजी लाभ के कर में से धारा 88 की कटौती नहीं दी जाती है।

(8) उपर्युक्त (7) के अनुसार निकाली हुई आय-कर की राशि में कुल आय (आकस्मिक आय एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ सहित) से भाग देकर आय-कर की औसत दर ज्ञात कीजिए।

(9) यदि करदाता की कुल आय में ऐसी कोई आय शामिल है जिस पर औसत दर से कर की छूट दी जाती है, जैसे व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से प्राप्त आय जिसकी आय पर कर लग चुका हो, तो उस आय पर औसत दर से कर की गणना कीजिए तथा इस प्रकार ज्ञात किया गया कर वाक्यांश (8) में ज्ञात किये गये कर की राशि में से घटा दीजिए। शेष राशि कुल आय पर देय कर की राशि होगी।

(10) वाक्यांश (9) के अनुसार निकाली गई करदाता द्वारा देय कर की राशि में निम्नलिखित राशियाँ घटाइये—

(i) उद्गम स्थान पर काटे हुये कर की रकम

(ii) अग्रिम चुकाया गया कर।

उपरोक्त राशियाँ घटाने के पश्चात् करदाता पर इस अधिनियम के अन्तर्गत लगे हुए अर्थदण्ड आदि की राशियाँ जोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार निकाली गई राशि इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली आय-कर की राशि होती है।

Illustration 6.

श्री राम, और मोहन की कुल आय क्रमशः 40,100 रु., तथा 1,25,640 रु. है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनमें से प्रत्येक द्वारा देय कर की गणना कीजिये।

यदि प्रत्येक की कुल आय में लॉटरी में जीती गई राशि से सम्बन्धित 10,000 रु. सम्मिलित हों तो कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनके कर-दायित्व की भिन्नता को कर की राशि की गणना करते हुए समझाइये।

The total incomes of Shri Ram, and Mohan are Rs. 40,100 and Rs. 1,25,640 respectively.

Calculate the tax payable by each one of them for the Assessment Year 1997-98.

If in total income of each Rs. 10,000 is included in respect of lottery winnings, show the difference in tax liability for the Assessment Year 1997-98 by calculating the amount of tax payable.

Solution :

Statement of Tax payable for the Assessment Year *1997-98*

	Rs.	Rs.
(a) Shri Ram : Total Income	40,100	
Income-tax on first Rs. 40,000		NIL
Income-tax on Balance Rs. 100 @ 15%		15.00
Tax Payable		15.00
(b) Shri Mohan : Total Income	1,25,640	
Income tax on first Rs. 40,000		NIL
" " next Rs. 20,000 @ 15%		3,000
" " " Rs. 60,000 @ 30%		18,000
" " Balance Rs. 5,640 @ 40%		2,256
Tax payable		23,256

यदि उपरोक्त प्रत्येक करदाता की आय मे 10,000 रु. की लॉटरी की आय भी सम्मिलित हो—

	Rs.	Rs.
(a) Shri Ram :		
(i) Income-tax on winning from lottery Rs. 10,000 @ 40%		4,000
(ii) Income-tax on remaining income Rs. 40,100 - 10,000 = Rs. 30,100		NIL
Tax Payable		4,000
(b) Shri Mohan :		
(i) Income-tax on winning from lottery Rs. 10,000 @ 40%		4,000
(ii) Income-tax on remaining income of Rs. 1,15,640		
on first Rs. 40,000	NIL	
on next Rs. 20,000 @ 15%	3,000	
on Balance Rs 55,640 @ 30%	16,692	19,692
Tax Payable		23,692

टिप्पणी—(1) प्रत्येक करदाता की आय में लॉटरी में जीती गई राशि 10,000 रु. सम्मिलित है। इसका अर्थ है कि लॉटरी के इनाम की राशि 15,000 रु. थी इसमें 5,000 रु. की कर-मुक्ति की छूट धारा-10 (3) के अन्तर्गत अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय की गणना करते समय दे दी गई थी। कुल आय में धारा 10 (3) के अन्तर्गत छूट देने के बाद की राशि ही सम्मिलित होती है।

(2) कुल आय में से धारा-115 BB के अन्तर्गत आने वाली आकस्मिक आयों को घटाने के बाद शेष कुल आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है।

Illustration 7.

गत वर्ष 1996-97 के लिए श्री एम. एल. गुप्ता की आय का विवरण निम्न प्रकार है—

	रु.
(1) व्यापार की आय	
[इसमें 40,000 रु. के लाभ 1-4-1990 को स्थापित नये उद्योग के हैं]	80,000
(2) मकान सम्पत्ति से आय	13,000
(3) अल्पकालीन पूँजी लाभ	25,000
(4) दीर्घकालीन पूँजी लाभ (आकलित)	20,000
(5) सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज प्राप्त किया	4,500
(6) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश प्राप्त किया	5,000
(7) बैंक जमाओं से ब्याज प्राप्त किया	8,000
(8) भारतीय कम्पनियों से लाभांश प्राप्त किया	8,000

उन्होंने अपनी उपर्युक्त आय में से गत वर्ष के दौरान निम्न भुगतान किये हैं—

	रु.
(i) जीवन बीमा प्रीमियम—स्वयं एवं बच्चों के लिये	28,000
(ii) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा करवाये	35,000
(iii) पत्नी के स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा बीमा प्रीमियम चुकाया	2,000
(iv) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दान दिया	15,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री एम. एल. गुप्ता द्वारा देय-कर की गणना कीजिए।

The particulars of income of Shri M. L. Gupta for the Previous year 1996-97 are as under—

	Rs.
(1) Business Income	
[including profits of Rs. 40,000 of new industrial undertaking established on 1-4-1990]	80,000
(2) Income from House Property	13,000
(3) Short-term Capital Gains	25,000
(4) Long-term Capital Gains (computed)	20,000
(5) [illegible]	4,500
[illegible] India	5,000
[illegible]	8,000
(8) Dividend received from Indian Companies	8,000

He has made the following payments out of the above mentioned incomes during the previous year—

(i) Life Insurance Premium-For himself and children	28,000

(ii) Deposited in Publice Provident Fund		35,000
(iii) Medical insurance premium on health of his wife		2,000
(iv) Donations to approved institutions		15,000

Compute the amount of tax payable by Shri M. L. Gupta for the Assessment year 1997-98 **(M. D. Uni., B. Com., 1997)**

Solution :

Computation of Total Income of Shri M. L. Gupta for the Assessment Year 1997-98

			Rs.
1.	Income from House Property		13,000
2	Income from Business & Profession :	(Rs.)	
	(a) Profits of new industry	40,000	
	(b) Other Business	40,000	80,000
3.	Capital gains :		
	(a) Short-term Capital gain	25,000	
	(b) Long-term Capital gain	20,000	45,000
4.	Income from other sources :		
	(a) Interest on Govt. Securities (grossed)	5,000	
	(b) Dividend from Indian companies (grossed)	10,000	
	(c) Dividend from Unit Trust of India	5,000	
	(d) Interest from Bank Deposits	8,000	28,000
	Gross Total Income		1,66,000
Less :	(i) Deduction u/s 80–D	2,000	
	(ii) Deduction u/s 80–G	5,950	
	(iii) Deduction u/s 80–I	10,000	
	(iv) Deduction u/s 80–L	15,000	32,950
	Total Income		1,33,050

Computation of Tax Payable

	Tax on first Rs. 40,000		NIL
	" " Next Rs. 20,000	@ 15%	3,000
	" " Balance Rs. 53,050	@ 30%	15,915
			18,915
Less :	(i) Rebate of Income tax u/s 88 in respect of Life Insurance Premium and Deposit in Public Provident Fund Account @ 20% on Rs. 63,000 = Rs. 12,600 But restricted to		12,000
			6,915
Add :	Tax on Long term Cap. gain @ 20% on Rs. 20,000		4,000
	Tax Payable		10,915
	Less : Tax deducted at source		2.500

Tax to be paid 8,415

टिप्पणी—(i) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज को 100/90 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(ii) लाभांश को 100/80 से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(iii) धारा 80-G की कटौती योग्य राशि के लिए समायोजित आय (Rs. 1,66,000 - Rs 47,000) = 1,19,000 रु. है। इसका 10% 11,900 रु. कटौती योग्य है तथा इसके 50% की कटौती दी गई है। धारा-112 के अनुसार धारा 80-G की कटौती देने के लिये सकल कुल आय का 10% करने के लिये दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को भी घटा दिया गया है।

Illustration 8.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये श्री सुदर्शन की आय वगैरह का विवरण निम्नलिखित है—

	रु.
(1) मकान सम्पत्ति की आय [कर-योग्य]	5,000
(2) दीर्घकालीन पूँजी लाभ [आकलित]	80,000
(3) लॉटरी का इनाम जीता [सकल]	50,000
(4) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया से लाभांश	10,000
(5) साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये राष्ट्रीय फाउण्डेशन में दान	10,000
(6) अनुमोदित शिक्षण संस्था को दान	15,000
(7) राष्ट्रीय बचत-पत्र (अष्टम निर्गमन) क्रय किया	5,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री सुदर्शन की कुल आय एवं देय-कर की गणना कीजिए।

Following are the particulars of income etc. of Mr. Sudarshan for the previous year ending on 31st March, 1997 :

	Rs.
(1) Income from house property (Taxable)	5,000
(2) Long term capital gain (Computed)	80,000
(3) Winning from Lottery (Gross)	50,000
(4) Dividend from Unit Trust of India	10,000
(5) Donation to National foundation for communal harmony	10,000
(6) Donation to approved educational institutions	15,000
(7) Purchased N S.C. (VIIIth issue)	5,000

Compute the total income and tax payable by Shri Sudarshan for the assessment year 1997-98 **(Sukhadia Uni. B. Com. 1995)**

Solution :

Computation of Total Income of Shri Sudarshan
for the assessment year 1997-98

		Rs.
1.	Income from House Property	5,000
2.	Long term capital gain	80,000
3.	Income from other sources :	

(a) Winning from Lottery		50,000	
Less . Exemption u/s 10 (3)		5,000	
		45,000	
(b) Dividends from Unit Trust		10,000	55,000
Gross Total Income			1,40,000
Deductions :			
(i) Deductions u/s 80G			
(a) 100% of donation to National foundation for communal harmony	10,000		
(b) *50% of donation to educational institutions* on Rs. 5,000	2,500		
	12,500		
(ii) Deduction u/s 80L	10,000		
Restricted to other total income (excluding Lottery income and long term capital gain)	22,500		15,000
Total Income			1,25,000

	Total income	1,25,000
Less :	Long term capital gain to be taxed u/s 112	80,000
		45,000
Less :	Lottery income to be taxed u/s 115 BB	45,000
	Remaining total income	NIL

Computation of *Tax Payable*

Tax on long term Capital gain :			
	Long term capital gain		80,000
Less :	Basic exemption		40,000
			40,000
	Tax @ 20% on Rs. 40,000 =		Rs. 8,000
Tax on Lottery Income :			
	Tax @ 40% on Rs. 45,000	Rs. 18,000	
Less :	Rebate of income-tax u/s 88 @20% on Rs. 5,000	1,000	17,000
	Total Tax Payable		25,000

टिप्पणी—(i) धारा 80-G की कटौती के लिये समायोजित कुल आय ज्ञात करते समय धारा 80 G के अनुसार सकल कुल आय में से धारा-80 CCC से धारा-80 U तक की कटौतियों को तथा ऐसी आय को घटा दिया जाता है जिस पर औसत दर से कर की छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त धारा 112 के प्रावधानों के अनुसार दीर्घकालीन पूँजी लाभ को भी घटा दिया जाता है तथा शेष समायोजित कुल आय का 10% किया जाता है। प्रस्तुत प्रश्न में 1,40,000 रु. की सकल कुल आय में 80,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभ तथा 10,000

रु. की धारा 80-L की कटौती कुल 90,000 रु. घटाये गये है। शेष 50,000 रु. की राशि का 10% अर्थात् 5,000 ही कटौती योग्य राशि होगी।

(ii) धारा-80 CCC से 80 U तक की कटौतियों को धारा-112 के अनुसार दीर्घकालीन पूँजी लाभों से नही घटाया ज.येगा। इसी प्रकार धारा 58(4) के अनुसार इनको आकस्मिक आय से भी नही घटा सकते हैं। अत: ये कटौतियाँ अन्य आय के बराबर 15,000 रु. की ही दी गई है।

(iii) दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर 20% की दर से कर की गणना करने से पूर्व यह देखा जायेगा कि करदाता सामान्य आय से अथवा शेष आय से अधिकतम कर मुक्त राशि 40,000 रु. की कटौती ले चुका है अथवा नही। यदि उसने शेष आय से यह कटौती कम राशि की ली है अथवा बिल्कुल भी नहीं ली है तो धारा-112 के अनुसार यह कटौती दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि से दे दी जायेगी। इस प्रकार 80,000 रु की राशि में से 40,000 रु. घटाकर 40,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर ही कर की गणना की गई है।

(iv) धारा-88 की कटौती दीर्घकालीन पूँजी लाभों से नहीं दी जा सकती है। अत: राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन क्रय करने के सम्बन्ध में धारा-88 की कटौती लाटरी की आय के कर में से दी गई है।

(v) कुल आय में यदि लाटरी की आय शामिल है तो उस पर 40% की दर से कर लगेगा।

करदाताओं की कृषि आय भी होने पर आयकर की गणना :

करदाताओं द्वारा अपनी गैर-कृषि आय को कृषि-आय के रूप में दिखाकर आय-कर [illegible] चोरी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में यह [illegible] किया गया है कि व्यष्टि द्वारा देय आय-कर की गणना करते समय उनकी [illegible] कृषि-आय को भी जोड़ दिया जाता है और निम्नलिखित ढंग से आयकर [illegible] है—

(1) सबसे पहले करदाता की कुल आय एवं शुद्ध कृषि [illegible] आय (Aggregate income) निकाल ली जाती है।

(2) इसके पश्चात् सम्पूर्ण आय पर निर्धारित दरों [illegible] की गणना कर ली जाती है।

(3) इसके पश्चात् करदाता की शुद्ध कृषि-[illegible] जो आय [illegible] है उस पर निर्धारित दरों से आय-कर की [illegible] है।

(4) सम्पूर्ण आय पर अर्थात् उपरोक्त (2) [illegible] गई कर [illegible] उपरोक्त (3) के अनुसार निकाली गई [illegible] है।

(5) इस प्रकार घटाने के बाद, [illegible] के द्वारा देय [illegible] होती है।

स्पष्टीकरण—(1) करदाता की सम्पूर्ण आय (Aggregate income) ज्ञात करते समय सकल कृषि-आय नहीं बल्कि शुद्ध कृषि-आय जोड़ी जाती है। शुद्ध कृषि-आय की गणना करने की विधि एवं नियम पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

(2) यदि किसी करदाता की गैर-कृषि आय 40,000 रु. से कम है, अथवा उसे केवल कृषि आय ही है अन्य कोई आय नहीं है तो ऐसी दशा में उस करदाता पर आय-कर नहीं लगेगा, चाहे भले ही उसे कृषि से कितनी ही अधिक आय क्यों न हो।

(3) शुद्ध कृषि-आय 600 रु. से अधिक होने पर ही उसको कुल आय में जोड़कर कर की गणना करते हैं।

Illustration 9.

एक व्यक्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण से उसकी कुल आय एवं कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए देय आय-कर की गणना कीजिए—

		रु.
(i)	मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया	20,000
(ii)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ (आकलित)	30,000
(iii)	स्वयं के व्यापार का लाभ	60,000
(iv)	लॉटरी से आय (सकल)	20,000
(v)	शुद्ध कृषि आय	10,000

From the following particulars of an individual calculate his total income and the tax payable by him for the assessment year 1997-98:

		Rs.
(i)	Rent from Let out Properties	20,000
(ii)	Long term capital gain (computed)	30,000
(iii)	Profit of own business	60,000
(iv)	Income from lottery (Gross)	20,000
(v)	Net agricultural income	10,000

Solution :

Computation of Total Income

	Rs.	Rs.
Income from House Property :		
Rent received	20,000	
Less : Municipal Taxes	NIL	
Annual Value	20,000	
Less : $\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs	4,000	16,000
Income from Business and Profession :		
Profits of owned business		60,000

Income from Capital gain :		
Long term capital gain		30,000
Income from Other Sources :		
Lottery Income (gross)	20,000	
Less Exempt u/s 10(3)	5,000	15,000
Gross Total Income & Total Income		1,21,000

Computation of Tax Payable

Non Agricultural income (excluding Long term capital gain and Lottery income Rs. 1,21,000 - (Rs. 30,000 + 15,000)			76,000
Net Agricultural income			10,000
Aggregated income			86,000
Tax on Rs. 86,000 as per specified Rates :			
Tax on first Rs. 40,000		—	—
" next Rs. 20,000		@15%	3,000
" balance Rs. 26,000		@30%	7,800
			10,800
Less : Tax on Net Agricultural Income + 40,000			
i.e. tax on Rs 10,000 + Rs. 40,000 = 50,000			
Tax on first Rs. 40,000	—	—	—
" balance Rs. 10,000	@15%	1,500	1,500
Tax payable on Rs. 76,000			9,300
Add : Tax on Long term capital gain : @ 20% on Rs 30,000			6,000
			15,300
Add : Tax on Lottery income : @ 40% on Rs. 15,000			6,000
		Net Tax Payable	21,300
Less : Tax deducted at source on Lottery Income			6,000
		Tax to be paid	15,300

Illustration 10.

निम्नलिखित विवरण से एक व्यष्टि करदाता की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कुल आय एव देय कर अथवा वापसी की गणना कीजिए—

	रु
(i) किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति से आय	(-)5,000
(ii) व्यापार अथवा पेशे की आय	26,000
(iii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ (गणना किया हुआ)	37,000
(iv) भारतीय कम्पनियों से लाभांश	8,000
(v) मध्यप्रदेश सरकार की लाटरी का इनाम जीता	20,000

(vi)	पुण्यार्थ संस्थाओं को दान	5,000
(vii)	अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बीमे का प्रीमियम चुकाया	8,000
(viii)	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	9,000
(ix)	सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये	2,000
(x)	राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन खरीदे	5,000

From the following particulars compute the total income and the net tax payable or refundable by an individual assessee for the assessment year 1997-98 –

		Rs
(i)	Income from let out property	(-)5,000
(ii)	Income from Business & Profession	26,000
(iii)	Long term capital gain (computed)	37,000
(iv)	Dividend from Indian companies	8,000
(v)	Winnings from M.P. State Lottery	20,000
(vi)	Donation to charitable institutions	5,000
(vii)	Paid premium of insurance of his health	8,000
(viii)	Donation to National Defence Fund	9,000
(ix)	Deposited in Public Provident Fund	2,000
(x)	Purchased National Savings certificates (VIIIth issue)	5,000

Solution :

Computation of Total Income

	Rs.	Rs.
1. Income from house property (let out)		–5,000
2. Income from Business & Profession		26,000
3. Income from capital gain		
Long term capital gain		37,000
4. Income from Other Sources :		
Income from M.P. State Lottery	20,000	
Less : Amount exempt u/s 10 (3)	5,000	
	15,000	
Dividend from Indian companies	8,000	23,000
Gross Total Income		81,000
Deductions :		
(i) Deduction u/s 80-D	8,000	
(ii) Deduction u/s 80-L	8,000	
(iii) Deduction u/s 80-G @ 50% on Rs. 11,800	5,900	21,900
Total Income		59,100

Division of total Income

	Total income as computed		59,100
Less :	Long term capital gain		37,000
			22,100
Less :	Lottery income up to Rs. 15,000		15,000
Remaining or Reduced income			7,100

Computation of Tax Payable

On Lottery income :		
@ 40% on Rs. 15,000	6,000	
Less : Rebate u/s 88 @ 20% on Rs. 7,000	1,400	4,600
On Long term capital gain .		
(Rs 37,000 – Rs. 32,900) = Rs. 4,100		
Tax on Rs. 4,100 @ 20%		820
	Tax Payable	5,420
Less · Tax deducted at source		7,600
	Tax refundable	2,180

टिप्पणी—(i) अध्याय VI अर्थात् धारा-80CCC से 80U तक की कटौतियाँ देते समय सकल कुल आय से अभिप्राय: उस आय से होता है जिसमें से दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि एवं अन्य कटौतियाँ घटा दी गई हो। अतः सकल समायोजित आय का 10% करते समय 81,000 रु. की सकल कुल आय में से 53,000 रु. घटा दिये जायेंगे। 37,000 रु. दीर्घकालीन पूँजी लाभ के 8,000 रु. धारा-80-L की कटौती तथा 8,000 रु. धारा 80 D की कटौती घटा दी जायेगी तथा शेष 28,000 रु. का 10% अर्थात् 2,800 रु. ही पुण्यार्थ संस्था को दिये गये दानों में से कटौती योग्य होगा तथा इसमें 9,000 रु. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये दान जोड़ दिये जायेंगे। इस प्रकार कुल 11,800 रु. की राशि पर 50% की छूट दी गई है।

(ii) चूँकि धारा-80 CCC से 80U तक की कटौतियाँ दीर्घकालीन पूँजी लाभों एवं आकस्मिक आय से नहीं दी जा सकती है अतः कुल आय को अलग-अलग विभाजन करते समय पहले दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं लाटरी की आय को घटाया गया है।

(iii) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर कर की गणना करते समय यदि अन्य सामान्य आय नहीं हो तो अधिकतम कर मुक्त राशि 40,000 रु. को दीर्घकालीन पूँजी लाभों से कर मुक्त किया जाता है तथा शेष दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर ही कर लगाया जाता है। अतः 4,100 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर ही कर लगाया गया है।

(iv) धारा-80D की कटौती अधिकतम 10,000 रु. तक ही दी जा सकती है।

(v) राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय करने के सम्बन्ध में एवं सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराने के सम्बन्ध में धारा 88 की कटौती दीर्घकालीन पूँजी लाभ की आय में से नहीं दी जा सकती है। अतः धारा 88 की कटौती लाटरी के कर में से दी गई है।

Illustration 11.

श्रीमती शकुन्तला गुप्ता जयपुर के एक निजी महाविद्यालय में 4,000 रु. प्रतिमाह पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त है। उसको उसके नियोक्ता से 2,000 रु. प्रतिमाह महँगाई भत्ता भी प्राप्त होता है। यह प्रमाणित भविष्य निधि की सदस्य है जिसमें वह अपने मूल वेतन का 10% अशदान देती है। उसका नियोक्ता भी इतना ही अंशदान देता है। उसकी अन्य आय का विवरण निम्न है—

1. उसने कुछ पुस्तके अर्थशास्त्र एवं बैंकिंग पर लिखी हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बी.ए. के छात्रों को अनुसंशित की गई हैं। गत वर्ष के दौरान इन पाठ्य पुस्तकों से उसको 40,000 रु. रायल्टी के रूप में प्राप्त हुये।

2 उसके पास कुछ निजी कम्पनियों के अंश हैं जिन पर गत वर्ष के दौरान 4,800 रु. लाभांश के रूप मे प्राप्त हुये।

3. दीर्घकालीन पूँजी लाभ 40,000 रु. (कर-योग्य)

4. उसने 70,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्ठम निर्गमन) क्रय किये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्रीमती शकुन्तला द्वारा देय कर की गणना कीजिए।

Smt. Shakuntala Gupta is employed as a lecturer in a private college of Jaipur at a monthly salary of Rs. 4,000. She also gets a dearness allowance of Rs. 2,000 p m. She is member of a recognised provident fund to which she contributes 10% of her basic pay. Her employer also contributes an equal amount. The particulars of her other incomes etc. are as under—

1. She has written some books on economics and banking which have been recommended by the University of Rajasthan to the students of B A During the previous year she received a royalty of Rs. 40,000 on these books.

2. She has some shares of private companies on which she received a dividend of Rs. 4,800 during the previous year.

3. Long term capital gain Rs. 40,000 (taxable).

4. She purchased N S C. VIIIth issue worth Rs. 70,000.

Compute the tax payable by Smt. Shakuntala Gupta for the assessment year 1997-98

Solution :

Computation of Total Income of Smt. Shakuntala Gupta for the Assessment year 1997-98

		Rs.
Income from *Salary* :		
Basic Salary @ Rs. 4,000 p.m		48,000
Dearness allowance @ Rs. 2,000 p m.		24,000
	Gross income from salary	72,000
Less : Standard deduction u/s 16 (i)		15,000
Taxable Salary		57,000

Income from Capital gain :		
Long term capital gain (computed)		40,000
Income from Other Sources :		
(i) Dividend grossed up	6,000	
(ii) Royalty on books	40,000	46,000
Gross Total Income		1,43,000
Less. Deduction u/s 80-L	6,000	6,000
Total Income		1,37,000
Division of Total Income		
Total income as computed above		1,37,000
Less : Long term capital gain		40,000
Reduced Total Income		97,000

Computation of Tax Payable

On reduced Total income of Rs. 97,000		
On First Rs. 40,000	—	NIL
On next Rs. 20,000	@15%	3,000
On balance Rs. 37,000	@30%	11,100
Income tax on Rs. 97,000		14,100
Rebate u/s 88 – On Rs 70,000 @ 25% = Rs. 17,500 but it can not exceed the amount of tax payable on reduced total income		14,100
		NIL
Tax on long term capital gain @ 20% on Rs. 40,000		8,000
Tax Payable		8,000
Less : Tax deducted at source		1,200
Net tax to be paid		6,800

टिप्पणी—(i) श्रीमती शकुन्तला गुप्ता की कुल आय 75,000 रु. से अधिक होने के कारण प्रमाणिक कटौती 15,000 रु. की ही दी गई है।

(ii) लाभांश की आय को $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है।

(iii) धारा-88 की छूट राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन एवं प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान के सम्बन्ध में दी गई है। दोनों का योग 70,000 रु. से अधिक 73,600 रु. है। परन्तु यह 70,000 रु. से अधिक नही हो सकता है क्योंकि श्रीमती गुप्ता एक लेखक हैं। अन्यथा 60,000 रु. से अधिक नहीं होता। लेखक के लिये कटौती की दर 25% है। इस प्रकार 17,500 रु. की कटौती बनती है जो कर की राशि से अधिक है। अत: कटौती कर की राशि के बराबर ही दीं गई है।

Dividend credited by Unit Trust	1,800	
Interest accrued on N,S.C	620	2,420
Gross Total Income		67,420
Less : Deduction u/s 80-L		2,420
Total Income		65,000
Computation of Tax Liability		Rs.
Tax on other income :		
Tax on Rs. 40,000		NIL
Tax on Rs. 5,000 @ 15%		750
		750
Tax on Long term capital gain :		
Tax on Rs. 20,000 @ 20%		4,000
		4,750
Less : (1) Rebate u/s 88 B @ 40% on Rs. 4,750	1,900	
(2) rebate u/s 88 20% of Rs. 12,620 = Rs. 2,524 **or** Tax on other income (Rs 750 – 300 u/s 88 B) = Rs. 450 (whichever is less)	450	2,350
Tax Payable		2,400

टिप्पणी—(i) जयपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित मकान की किश्त में मूलधन की राशि की छूट धारा-88 के अन्तर्गत अधिकतम 10,000 रु. तक ही मिलती है। करदाता ने 900 रु. प्रति माह की दर से 10,800 रु. का भुगतान किया है परन्तु छूट योग्य राशि 10,000 रु. ही होगी। किश्त मे सम्मिलित ब्याज की कटौती मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में दी जायेगी। अतः 3,600 रू. के ब्याज की कटौती मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक में दी गई है।

(ii) स्वयं के रहने के मकान की हानि की अन्य आय से पूर्ति कर दी गई है। यदि करदाता मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभ से करता है तो ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सवाल की प्रक्रिया अर्थात् कर की गणना की रकम में अन्तर आयेगा। उसका कर दायित्व कुछ कम हो जायेगा।

(iii) राष्ट्रीय बचत पत्रों के अर्जित ब्याज को अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया गया है। यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में जमा लाभांश को भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया गया है। इन दोनों राशियों के सम्बन्ध में धारा-80-L की छूट दी गई है।

राष्ट्रीय बचत पत्रों का ब्याज धारा 88 की छूट के लिये पुनर्विनियोजित माना गया है। इस आशय के स्पष्ट आदेश आय-कर विभाग द्वारा प्रसारित किये हैं। परन्तु यूनिट से जुड़ी

(iv) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर 20% की दर से कर लगाया गया है।

Illustration 12.

श्री भूपेश, जिनकी गत वर्ष के प्रारम्भ में आयु $65\frac{1}{2}$ वर्ष थी एवं जो भारत में निवासी हैं, की निम्न सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कर-दायित्व की गणना कीजिए

		रु.
1	दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ (आकलित)	*20,000*
2	व्यवसाय से आय	*48,600*

3 यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में 2,000 रु. का अंशदान किया। इस योजना में उनके खाते में 1,800 रु. का लाभांश जमा किया गया।

4. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित एक मकान की 1200 रु. प्रत्येक की 12 मासिक किश्तों का भुगतान गत वर्ष में किया गया है। प्रत्येक किश्त में 300 रु. का ब्याज सम्मिलित है। इस मकान का प्रयोग श्री भूपेश स्वयं के रहने के लिये करते हैं।

5 गत वर्ष 1995-96 में क्रय किये गये राष्ट्रीय बचत पत्र (अष्टम निर्गम) पर 620 रु. का ब्याज गत वर्ष 1996-97 में अर्जित माना गया।

From the following information of Shri Bhupesh, *who is resident in* India and who was $65\frac{1}{2}$ years old *at the beginning of the previous year,* compute the tax liability for the assessment year 1997-98 :

		Rs.
1	Long term capital gain (computed)	20,000
2	Income from Business	48,600

3. Contributed to a unit-linked *insurance plan* Rs. 2,000 Dividend credited *to his account in this scheme amounted* to Rs 1,800.

4. 12 monthly instalments of Rs. 1,200 each were paid during the year for a house allotted to him by the Jaipur Development Authority. Each instalment includes Rs. 300 for interest. The house is used by him for his own residence.

5. Interest *amounting to* Rs 620 was assumed to have become due during the previous year *1996-97* in respect of National Saving certificate (VIIIth Issue) *purchased during the previous year* 1995-96

Solution :

Computation of Total Income of Shri Bhupesh

			Rs
1.	Income from House Property:		
	Annual value of self occupied house	NIL	
	Less : Interest on loan for the purchase of house property	3,600	(-)3,600
2.	Income from Business		48,600
3.	Income from long term capital gain		20,000
4.	Income from other sources :		

Dividend credited by Unit Trust	1,800	
Interest accrued on N.S.C	620	2,420
Gross Total Income		67,420
Less : Deduction u/s 80-L		2,420
Total Income		65,000

Computation of Tax Liability

		Rs.
Tax on other income :		
Tax on Rs. 40,000		NIL
Tax on Rs. 5,000 @ 15%		750
		750
Tax on Long term capital gain :		
Tax on Rs. 20,000 @ 20%		4,000
		4,750
Less : (1) Rebate u/s 88 B @ 40% on Rs. 4,750	1,900	
(2) rebate u/s 88 20% of Rs. 12,620 = Rs. 2,524 **or** Tax on other income (Rs. 750 – 300 u/s 88 B) = Rs. 450 (whichever is less)	450	2,350
Tax Payable		2,400

टिप्पणी—(i) जयपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित मकान की किश्त में मूलधन की राशि की छूट धारा-88 के अन्तर्गत अधिकतम 10,000 रु. तक ही मिलती है। करदाता ने 900 रु. प्रति माह की दर से 10,800 रु. का भुगतान किया है परन्तु छूट योग्य राशि 10,000 रु. ही होगी। किश्त में सम्मिलित ब्याज की कटौती मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में दी जायेगी। अत: 3,600 रु. के ब्याज की कटौती मकान सम्पत्ति की आय शीर्षक में दी गई है।

(ii) स्वयं के रहने के मकान की हानि की अन्य आय से पूर्ति कर दी गई है। यदि करदाता मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभ से करता है तो ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सवाल की प्रक्रिया अर्थात् कर की गणना की रकम में अन्तर आयेगा। उसका कर दायित्व कुछ कम हो जायेगा।

(iii) राष्ट्रीय बचत पत्रों के अर्जित ब्याज को अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया गया है। यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में जमा लाभांश को भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया गया है। इन दोनों राशियों के सम्बन्ध में धारा-80-L की छूट दी गई है।

राष्ट्रीय बचत पत्रों का ब्याज धारा 88 की छूट के लिये पुनर्विनियोजित माना गया है। इस आशय के स्पष्ट आदेश आय-कर विभाग द्वारा प्रसारित किये हैं। परन्तु यूनिट से जुड़ी

हुई बीमा योजना में जमा लाभांश के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेशों के अभाव में उसे धारा-88 के लिये पुनर्विनियोजित नही माना गया है।

(iv) धारा-88 B की छूट दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं अन्य आय, दोनों के कर के योग पर दी जाती है। परन्तु धारा-88 की छूट अन्य आय के कर में से ही दी जाती है। अन्य आय का कर 750 रु है। इसमें से धारा 88 B की छूट की राशि 750 × $\frac{40}{100}$ = 300 रु. कम कर दी जायेगी। इस प्रकार धारा-88 की अधिकतम कटौती 450 रु. तक दी जा सकती है। धारा-88 की छूट के लिये कटौती योग्य राशि का योग 10,000 रु.+2,000 रु.+620 रु.=12,620 रु. होता है। इसका 20% 2,524 रु. होता है। अतः दोनों में कम 450 रु. की छूट दी गई है।

Illustration 13.

Mr Lal Chand has submitted the following particulars of his income for the year ending on 31st March, 1997:

1 He has been working as an employee in M/s. Dalmia Enterprises Ltd. Jaipur since 1st April, 1977. He is getting Rs. 5,000 per month as salary. He contributes 10% of salary to a Recognised Provident Fund to which his employer contributes 12%. Interest @ 13% was credited to this fund which amounted to Rs 5,200 during the previous year. He paid Rs. 2,200 as tax on employment.

2. Having taken a loan from the Life Insurance Corporation of Rs. 1,00,000 @ 15% per annum interest on 1st April, 1994 got a house constructed for his own residence, which was completed on 31st December, 1995. On March 31, 1997 Rs. 12,000 were paid to the Life Insurance Corporation towards the loan.

3. On 1st April, 1996 he owned 5,000 equity shares of Rs 10 each of Reliance Chemical Industries. These shares were purchased by him in [illegible]

through the bank which charged 2% commission on the net amount realised.

4. In February, 1996 he purchased National Saving Certificates VIII issue for Rs 20,000. Rs. 2,480 being first year interest on these certificates is deemed to accrue for income tax purposes. In March, 1997 he purchased National Saving Certificate VIII issue for Rs. 10,000.

5. In July, 1996 he received Rs. 14,000 as winnings from Rajasthan State Lottery.

6. During the previous year he earned R 10,000 from the maintenance of Race Horses.

7. He donated Rs. 2,000 to such a fund which undertakes programmes of afforestation and which is notified by the Central Government under section 35 CCB (i)

8. He made a contribution of Rs. 5,000 to an annuity plan of Life Insurance Corporation for receiving pension from the fund referred to in clause (23 AAB) of section 10.

Compute the total income and tax payable by Shri Lal Chand for the assessment year 1997-98. The cost inflation index for the year 1992-93 is 223

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये श्री लालचन्द ने, अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

1. वे 1 अप्रैल, 1977 से डालमिया एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, जयपुर में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उनका वेतन 5,000 रु प्रतिमाह है। वे प्रमाणित भविष्य निधि में अपने वेतन का 10% अंशदान देते है जिसमें उनका नियोक्ता 12% अंशदान देता है। गत वर्ष में इस कोष में 13% की दर से 5,200 रु. ब्याज के जमा किये गये थे। उन्होने 2,200 रु. रोजगार कर के चुकाये।

2 उन्होंने 1 अप्रैल, 1994 को जीवन बीमा निगम से 15% प्रति वर्ष की ब्याज़ दर पर 1,00,000 रु. का ऋण लेकर अपने स्वयं के आवास के लिये एक मकान बनवाया जो 31 दिसम्बर, 1995 को बनकर तैयार हुआ। उन्होंने 31 मार्च, 1997 को इस ऋण के पुर्नभुगतान के रूप में जीवन बीमा निगम को 12,000 रु. चुकाये।

3 1 अप्रैल, 1996 को वे रिलायन्स केमिकल इन्डस्ट्री के 10 रु. वाले 5,000 अंशों के स्वामी थे। ये अंश उनके द्वारा 1992-93 में 50 रु. प्रति अंश की दर से क्रय किये गये थे। जून, 1996 में उन्हें इन अंशों पर 1(·00 रु. लाभांश के प्राप्त हुए। जनवरी, 1997 में उन्होंने 80 रु. प्रति अंश की दर से 2,000 अंश एक दलाल के माध्यम से बेचे जिसे 2% दलाली चुकाई गई। लाभाश की वसूली बैक के माध्यम से की गई जिस ·ने वसूल की गई राशि पर 2% कमीशन वसूल किया।

4. फरवरी, 1996 में उन्होंने राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम 20,000 रु. खरीदे थे। इन बचत पत्रों पर प्रथम वर्ष का ब्याज आयकर के उद्देश्यों के लिये 2,480 रु. उप ·ित माना गया। मार्च, 1997 में भी उन्होंने 10,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम खर ।

5. जुलाई, 1996 में उनको राजस्थान स्टेट लाटरी से 14,000 रु. इनाम के प्राप्त ·ये।

6. गत वर्ष के दौरान उनको दौड़ के घोड़ों के रखने से 10,000 रु. की आय हुई

7. उन्होंने एक ऐसे कोष में 2,000 रु. का दान दिया है जो ·ं ·लगाने के का·म लेता है तथा जो धारा 35 CCB (i) के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है।

8. उन्होंने जीवन बीमा निगम की एक वार्षिकी योजना में 5,000 रु. का अंशदान ·या है जिससे उनको धारा 10 (23 AAB) में संदर्भित कोष से पेंशन प्राप्त हो सके।

श्री लालचन्द की कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कुल आय तथा देय कर ·ी गणना कीजिए। वर्ष 1992-93 के लिये लागत वृद्धि सूचकांक 223 है।

Solution :

Computation of Total Income of Shri Lal Chand for the assessment year 1997-98.

		Rs	Rs.
Income from Salary :			
Salary @ Rs. 5,000 p m.			60,000
Employer's Contributoin to R.P.F. in excess of 10% of salary			1,200
Interest credited to R.P.F. in excess of 12%			400
Gross income from salary			61,600
Less : (i) Standard deduction		18,000	
(ii) For payment of employment tax		2,200	20,200
Taxable Salary			41,400
Income from House Property :			
Annual value of Self Occupied House		Nil	
Less : Interest on Loan		15,000	
		(-)15,000	
Set off against capital gain		15,000	
Capital Gains :			
Sale proceeds of 2,000 shares		1,60,000	
Less : (i) Cost of acquisition	1,00,000		
Indexed cost of acquisition (1,00,000 × 305 ÷ 223)	1,36,771		
(ii) Cost of transfer	2,735	1,39,506	
Long term Capital Gain		20,494	
Less : Loss from House Property		15,000	5,494
Income from Other Sources :			
Dividend on shares (grossed)			
Less : Bank Commission			

Computation of Tax Payable

Tax on Lottery income :		
On Rs. 15,000 @ 40%		6,000
Tax on other Reduced Total Income :		
On Rs first 40,000 @ NIL	NIL	
On balance Rs. 4,400 @ 15%	660	660
		6,660
Less . Rebate u/s 88– @ 20% on Rs. 28,480		5,696
		964
Tax on Long Term Capital Gain :		
On Rs. 5,490 @ 20%		1,098
	Tax payable	2,062

टिप्पणी—(i) प्रमाणिक कटौती 18,000 रु. की दी गई है क्योंकि नियोजन कर घटाने के बाद उसकी वेतन शोर्षक की आय 60,000 रु. से कम हो जाती है।

(ii) मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से की गई है, क्योंकि उन पर कर की दर 20% है जबकि अन्य आय पर कर की दर 15% है।

(iii) लाटरी की आय को निम्न प्रकार सकल बनाया गया है—

$$(14,000 - 5,000) \times \frac{5}{3} = 15,000 + 5,000 = 20,000 \text{ रु.}$$

(iv) दौड़ के घोड़ों को रखने की आय आकस्मिक आय की श्रेणी में नहीं आती है। अत: इस पर कर की गणना सामान्य आय के साथ की गई है।

(v) धारा 80-L की कटौती N.S C. के ब्याज एवं लाभांश के सम्बन्ध में दी गई है।

(vi) धारा 88 की कटौती निम्न राशियों के सम्बन्ध में दी गई है—

	रु.
(a) प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान	6,000
(b) राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये	10,000
(c) राष्ट्रीय बचत पत्रों का ब्याज पुनर्विनियोजित माना गया	2,480
(d) जीवन बीमा निगम को ऋण की वापसी जो रहने के मकान बनाने हेतु लिया गया था। अधिकतम 10,000 रु. तक	10,000
	28,480

(vii) धारा 88 की कटौती लाटरी के कर में से दी जा सकती है। परन्तु दीर्घकालीन पूंजी लाभ के कर में से नहीं दी जा सकती है।

Illustration 14.

Mr. Sukh Ram has submitted the following particulars of his income for the year ending on 31st March, 1997 :

1. Income from Business & Profession :

(i) Mr. Sukh Ram is engaged in the business of export of tea. The profit of this business during the previous year amounted to Rs. 52,000. The whole amount of export turnover has been received in convertible foreign exchange.

(ii) During the previous year he took a contract from the Government of Bangladesh for the construction of a bridge in Dhaka. The net profits of this contract were Rs. 3,00,000. Consideration has been received in convertible foreign exchange and Rs. 1,50,000 has been transferred to Foreign Project Account. Rs. 3,00,000 have been brought to India in convertible foreign exchange on 20th May, 1997.

2. Income from Other Sources :

(i) National Saving Certificate of Rs. 10,000 were purchased in May *1994. Interest of Rs. 1,390 on these certificates have been deemed to accrue* for second year.

(ii) 10 Year Social Security Bonds of Rs. 5,000 were purchased in June, *1995 Interest of Rs. 581 on these Bonds have been deemed to accrue for* first year.

(iii) Kisan Vikas Patra of Rs. 2,500 were purchased in December, 1993. *Interest of Rs. 450 on these Patras have been deemed to accrue for third year.*

3. Other incomes :

(i) He held equity shares in R.S. Synthetics Ltd. of Rs. 40,000 purchased on 15th September, 1987 for Rs. 21,000. *The company went into liquidation on 1st October, 1996. The paid up capital of the company was* Rs. 5,00,000 and accumulated profits were Rs. 3,00,000. *The liquidator made all the payments on 20th January, 1997* as he had Rs. 10,00,000 with him for distribution.

(ii) He had invested Rs. 8,000 *in the units of Equity Linked Savings* Scheme referred to in section 80 CCB in March, 1992. *Re-purchase price of the said units after deduction of tax at source realised in May, 1996 is* Rs. 14,400.

The cost inflation index for the year 1987-88 and 1991-92 are 150 and 199 respectively.

4. During the year he made the following payments :

..

..

..

(iv) Rs. 5,000 *in the purchase of equity shares farming part of an eligible issue of capital.*

(v) Rs. 2,000 *as premium* of Life Insurance Policy of Rs. 15,000 taken on the life of Major son.

(vi) Donation to National Defence Fund Rs 20,000.

(vii) Repayment of a loan of Rs. 12,000 *including interest of Rs. 2,000* to a financial institution, taken 7 years ago *for the purpose of pursuing* higher education.

Compute the tota[illegible] by Shri Sukh Ram for the assessment year 1997[illegible]

31 मार्च, 1997 को [illegible] ने अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

1. व्यापार अथवा पेशे की आय :

(i) श्री सुखराम चाय के निर्यात के व्यवसाय में लगे हुये हैं। गत वर्ष के दौरान इस व्यवसाय के लाभ 52,000 रु. थे। निर्यात विक्रय की सम्पूर्ण राशि परिवर्तनशील विदेशी विनिमय में प्राप्त की गई है।

(ii) गत वर्ष के दौरान उन्होंने बंगलादेश सरकार से ढ़ाका में एक पुल निर्माण का ठेका लिया। इस ठेके के शुद्ध लाभ 3,00,000 रु. के थे। प्रतिफल की राशि परिवर्तनशील विदेशी विनिमय में प्राप्त की गई है तथा 1,50,000 रु. की राशि विदेशी योजना संचय खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है। 3,00,000 रु. की राशि 20 मई, 1997 को भारत में परिवर्तनशील विदेशी विनिमय में ले आई गई है।

2. अन्य साधनों की आय :

(i) मई, 1994 में 10,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदे गये थे। इन बचत पत्रों पर द्वितीय वर्ष का ब्याज 1,390 रु. उपार्जित माना गया।

(ii) जून, 1995 में 5,000 रु. के 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा बॉण्ड्स खरीदे गये थे। इन बॉण्ड्स पर प्रथम वर्ष का ब्याज 581 रु. उपार्जित माना गया।

(iii) दिसम्बर, 1993 में 2,500 रु. के किसान विकास पत्र खरीदे गये थे। इन विकास पत्रों पर तृतीय वर्ष का ब्याज 450 रु. उपार्जित माना गया।

3. अन्य आयें :

(i) उनके पास आर. एस. सिन्थेटिक्स लिमिटेड के 40,000 रु. के समता अंश थे जो उन्होंने 15 सितम्बर, 1987 को 21,000 रु. में खरीदे थे। कम्पनी का 1 अक्टूबर, 1996 को समापन हो गया। कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 5,00,000 रु. थी तथा एकत्रित लाभ 3,00,000 रु. थे। निस्तारक के पास वितरण के लिये 10,00,000 रु. थे, अतः उसने 20 जनवरी, 1997 को पूर्ण भुगतान कर दिया।

(ii) उन्होंने मार्च, 1992 में धारा 80 CCB में संदर्भित समता सम्बद्ध बचत योजना की इकाइयों में 8,000 रु. का विनियोग किया था। उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के बाद इन इकाइयों का पुनर्खरीद मूल्य 14,400 रु. मई, 1996 में वसूल हुये।

वर्ष 1987-88 एवं 1991-92 का लागत वृद्धि सूचकांक क्रमशः 150 एवं 199 है।

4. गत वर्ष में उन्होंने निम्न भुगतान किये—

(i) सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में 40,000 रु.

(ii) राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 में 10,000 रु.

(iii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पारस्परिक कोष की इकाइयों में 15,000 रु.

(iv) पूँजी के योग्य निर्गमन वाले समता अंशों में 5,000 रु.

(v) वयस्क पुत्र के जीवन पर ली गई 15,000 रु. की जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 2,000 रु.

(vi) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान 20,000 रु.

(vii) एक वित्तीय संस्था को 12,000 रु. के ऋण का पुनर्भुगतान जिसमें 2,000 रु. ब्याज के शामिल है। यह ऋण 7 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया था।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री सुखराम की कुल आय एव देय कर की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Total Income of Shri Sukh Ram
for the assessment year 1997-98

		Rs.	Rs.
Income from Business & Profession :			
(a) Profits of Tea Export business		52,000	
(b) Profits of Foreign Project business		3,00,000	3,52,000
Income from Capital Gains :			
(a) Shares :			
Long term Capital Gains :			
Consideration for transfer		56,000	
Less : Indexed cost of acquisition (21,000 × 305 ÷ 150)		42,700	
		13,300	
(b) **On Units of U.T.I.**			
Long term Capital Gain			
Repurchase price of units	*16,000*		
Less : Indexed cost of acquisition (8000 × 305 ÷ 199)	12,261	3,739	*17,039*
Income from other Sources :			
Accrued interest on NSC VIIIth issue		1,390	
Accrued interest on Social Security Bonds		581	
Accrued interest on Kisan Vikas Patra		450	
Deemed dividend from R.S. Synthetics		24,000	
[illegible] *invested in Units in March 1992 and* [illegible]		8,000	34,421
Gross Total Income			4,03,460
Less : Deductions :			
u/s 80 – G		10,000	
u/s 80 – L		15,000	
u/s 80 – E		12,000	
u/s 80 – HHB		1,50,000	
u/s 80 – HHC		52,000	2,39,000
Total Income			1,64,460

Computation of Tax Payable

on Reduced Total Income of Rs. 1,47,421		
on first Rs. 40,000	@ NIL	NIL
on next Rs 20,000	@ 15%	3,000
on next Rs 60,000	@ 30%	18,000

on balance Rs. 27,421	@ 40%	10,968
		31,968
Less : Rebate u/s 88 – on Rs. 65,000 @ 20%		13,000
		18,968
Tax on Long term capital gain on Rs. 17,039 @ 20%		3,408
	Tax Payable	22,376

टिप्पणी—(i) राष्ट्रीय बचत पत्रों का उपार्जित ब्याज अन्य साधनों की आय शीर्षक में कर योग्य है। इस पर धारा 80 L की छूट उपलब्ध है तथा इस पर धारा 88 की छूट भी उपलब्ध है।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बॉण्ड्स का उपार्जित ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है तथा इन पर धारा 80 L की छूट उपलब्ध है।

(iii) किसान विकास पत्रों का उपार्जित ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर-योग्य है।

(iv) आर.एस. सिन्थेटिक्स लि. के निस्तारक से कम्पनी के समापन पर $10,00,000 \times \frac{40,000}{5,00,000} = 80,000$ रु. प्राप्त हुये हैं। इनमें से लाभांश के रूप में एकत्रित लाभों में से दी जा सकने वाली राशि $\frac{3,00,000}{5,00,000} \times 40,000 = 24,000$ रु. माने गये लाभांश के रूप में कर योग्य है तथा शेष $80,000 - 24,000 = 56,000$ रु. अंशों के हस्तान्तरण का प्रतिफल है। इससे दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि ज्ञात की जायेगी।

(v) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट्स पर पुनर्खरीद पर 14,400 रु. की राशि नकद वसूल हुई तथा उद्गम स्थान पर $8,000 \times \frac{20}{100} = 1,600$ रु. की उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई। अतः सकल पुनर्खरीद मूल्य 16,000 रु. होगा। यह पुनर्खरीद मूल्य हस्तान्तरण का प्रतिफल है। 8,000 रु. की लागत की निर्देशित लागत घटाकर पूँजी लाभ ज्ञात किया गया है। 8,000 रु. का विनियोग पुनः प्राप्त होने पर अन्य साधनों की आय है।

(vi) सुरक्षा कोष में दिया गया दान धारा 80 G में एवं शिक्षा हेतु लिये गये ऋण की वापसी धारा 80 E में कटौती योग्य है—

(vii) धारा 88 की कटौती निम्न राशियों के सम्बन्ध में दी गई है।

	रु.
सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा	40,000
राष्ट्रीय बचत योजना, 1992 में जमा	10,000
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की पारस्परिक कोष की इकाइयों में अधिकतम 10,000 रु. तक	10,000
वयस्क पुत्र के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	2,000
राष्ट्रीय बचत पत्रों पर पुनर्विनियोजित माना गया ब्याज	1,390
कुल कटौती योग्य राशि	63,390
अधिकतम कटौती योग्य राशि	60,000

पूँजी के योग्य निर्गमन वाले समता अंशों के विनियोग पर अतिरिक्त कटौती योग्य राशि	5,000
कुल कटौती योग्य राशि	65,000

Illustration 15.

Mr. Pritam Singh was *born on 1st July, 1931 in the Lahore City of* undivided India. On Partition he came to India in September, 1947 and since then he has been living in India as the citizen of Indian Republic. He submits the following particulars of his income for the year ending 31st March, 1997.

1. He was employed at a monthly salary of Rs. 2,000. He was member of an unrecognised provident fund to which he contributed 10% of salary. The employer's contribution to this fund was 15%. He resigned from this service and was relieved on 1-7-1996. He got Rs. 30,000 from this fund which included Rs. 15,000 as employer's contribution and Rs. 3,000 as interest thereon.

2. He owned a house which was let out at Rs. 2,500 per month to the tenants for residential purposes. The Municipal Valuation of this house is Rs 24,000 *and municipal taxes are levied @ 10% per annum of its municipal* valuation. The municipal taxes are paid by the tenants The construction of the house started in April 1991 and it was completed on 31st March, 1992. The construction cost including the cost of land was Rs. 80,000. On 31st March, 1997 *he sold this house for* Rs. 2,00,000 and purchased on 10th May, 1997 the Bonds *worth Rs* 1,50,000 *of Industrial* Development Bank of India redeemable after 3 years

3. He runs a Flour Mill also. The written down value of the two machines of this Mill as on 1-4-96 was Rs 10,000. He sold on 1st January, 1997 one of the two machines for Rs 13,000. The written down value of the furniture used was Rs. 2,000 as on 1-4-96. The profits of his business before charging depreciation on Machines & Furniture were Rs. 18,000 for the previous year 1996-97.

4. His wife had *transferred him 1,000 equity shares of Rs. 10 each of a* public limited company in May, 1985 without consideration. He got dividend on these shares several times and invested the whole of the dividend in the purchase of shares of this company. The company alloted [illegible] clared in [illegible] d by him

5. He received Rs. 8,000 as winnings from the Rajasthan Lottery in July, 1996 and Rs. 11,300 as winnings from M. P. Government Lottery in January, 1997.

6. During the previous year he made the following deposits or payments:

(i) Rs 6,000 as donation to a corporation established by Central Govt. for promoting the interest of the members of minority community.

(ii) Rs. 10,000 as donation to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund.

(iii) Rs. 6,000 as donation to National foundation for comnunal harmony.

(iv) Rs. 2,000 as donation to Rajasthan University. Rajasthan University is approved for the deduction of section 80 G (2) (a) (iii - f).

(v) Deposited Rs 5,000 in the scheme of Life Insurance Corporation for the benefit of disabled dependent.

(vi) Rs. 4,000 as contribution to Unit Linked Insurance Plan of Unit Trust of India

(vii) Rs 10,000 as contribution to Jeevan Dhara Annuity Plan of Life Insurance Corporation.

(viii) Rs. 10,000 deposited in Home Loan Account Scheme of National Housing Bank.

Compute the total income and tax payable by Shri Pritam Singh for the assessment year 1997-98. The cost inflation index for the year 1991-92 is 199.

श्री प्रीतम सिंह का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर शहर में 1 जुलाई, 1931 को हुआ था। विभाजन के बाद सितम्बर, 1947 में वे भारत आ गये तथा उस समय से भारतीय गणराज्य के नागरिक की हैसियत से भारत में ही रह रहे हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वे अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं—

1. वे 2,000 रु. प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्त थे। वे एक अप्रमाणित भविष्य निधि के सदस्य थे जिसमें वे अपने वेतन का 10% अंशदान देते थे। नियोक्ता का इस कोष में अंशदान 15% था। उन्होंने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया तथा 1-7-1996 को कार्य मुक्त हुये। इस कोष से उनको 30,000 रु की राशि प्राप्त हुई जिसमें नियोक्ता का अंशदान 15,000 रु. तथा उसका ब्याज 3,000 रु था।

2. उनका एक मकान था जो उन्होंने 2,500 रु. प्रतिमाह की दर से किरायेदारों को रहने के लिये किराये पर दिया गया था। इस मकान का नगरपालिका मूल्याकन 24,000 रु. है तथा नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन के 10% लगाये जाते है। नगरपालिका करों का भुगतान किरायेदार द्वारा किया जाता है। इस मकान का निर्माण अप्रैल, 1991 में प्रारम्भ हुआ था। यह 31 मार्च, 1992 को बनकर तैयार हुआ। जमीन की लागत सहित मकान की लागत 80,000 रु थी। 31 मार्च, 1997 को उसने यह मकान 2,00,000 रु. में बेच दिया तथा 10 मई, 1997 को 1,50,000 रु. के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 3 वर्ष बाद शोधनीय बॉण्ड्स खरीदे।

3 वे एक आटा चक्की भी संचालित करते हैं। 1-4-96 को इस मिल की दो मशीनों का अपलिखित मूल्य 10,000 रु. था। उन्होंने इनमें से एक मशीन को 13,000 रु. में 1 जनवरी, 1997 को बेच दिया। इसमें प्रयोग किये गये फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 1-4-96 को 2,000 रु. था। गत वर्ष 1996-97 के लिये मशीन एवं फर्नीचर पर ह्रास लगाने के पूर्व व्यापार का लाभ 18,000 रु. था।

4 उनकी पत्नी ने उनको मई, 1985 में एक सार्वजनिक कम्पनी के 10 रु. वाले 1,000 अंश बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित किये थे। उनको इन अंशों पर कई बार लाभांश प्राप्त हुआ तथा उन्होंने समस्त लाभांश इसी कम्पनी के अतिरिक्त अंशों को खरीदने में विनियोग कर दिया। कम्पनी ने उनको बोनस अंश भी आवंटित किये। अब उनके पास 4,000 अंश है। कम्पनी ने अगस्त 1996 में इन अंशों पर 20% की दर से लाभांश घोषित किया जो उनको दिसम्बर, 1996 में प्राप्त हुआ।

5. उनको जुलाई, 1996 में राजस्थान सरकार की लॉटरी से इनाम के 8,000 रु. प्राप्त हुये तथा जनवरी, 1997 में मध्य प्रदेश सरकार की लॉटरी से 11,300 रु इनाम के प्राप्त हुये।

6. गत वर्ष के दौरान उन्होंने निम्नलिखित राशियाँ चुकाई—

(i) अल्प संख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निगम को 6,000 रु. का दान।

(ii) प्रधानमंत्री के आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष में 10,000 रु. का दान दिया।

(iii) उसने साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये राष्ट्रीय फाउण्डेशन को 6,000 रु. का दान दिया।

(iv) 2,000 रु. का राजस्थान विश्वविद्यालय को दान। राजस्थान विश्वविद्यालय धारा 80G(2)(iii-f) की कटौती के लिये अनुमोदित है।

(v) जीवन बीमा निगम की एक योजना में विकलाग आश्रित के हित के लिये 5,000 रु. जमा कराये।

(vi) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना में 4,000 रु. का अंशदान।

(vii) जीवन बीमा निगम की जीवन धारा वार्षिकी योजना में 10,000 रु. का अशदान।

(viii) नेशनल हाउसिंग बैंक की गृह ऋणखाता योजना में 10,000 रु. अंशदान के जमा कराये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री प्रीतम सिंह की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए। वर्ष 1991-92 का लागत वृद्धि सूचकांक 199 है।

Solution :

Computation of Total Income of Shri Pritam Singh
for the assessment year 1997-98

	Rs.	Rs.
Income from Salary :		
Salary @ Rs. 2,000 p.m. for 3 months		6,000
Employer's contribution and interest thereon received from unrecognised provident fund		18,000
Gross income from Salary		24,000
Less: Standard Deduction		8,000
Taxable income from Salary		16,000
Income from House Property :		
Annual rental value	30,000	
Less : Municipal taxes (paid by tenant)	—	
Annual Value	30,000	

Less : $\frac{1}{5}$th of annual value for repairs		6,000	24,000
Income from Business & Profession :			
Profit of Flour Mill before depreciation		18,000	
Less Depreciation allowable on furniture		200	17,800
Income from Capital Gains :			
(a) Long term Capital Gain of House Property			
Sale consideration		2,00,000	
Less : Indexed cost of acquisition			
(80,000 × 305 ÷ 199)		1,22,613	
		77,387	
Less : Exemption u/s 54 EA			
$77{,}387 \times \frac{1{,}50{,}000}{2{,}00{,}000}$		58,040	
		19,347	
(b) Short term Capital Gain on sale of machine		3,000	22,347
Income from Other Sources :			
Interest from unrecognised provident fund on his own contribution		2,000	
Dividend from 3,000 shares of a public limited company		6,000	
Winnings from Rajasthan Lottery (grossed up)	10,000		
Winning from M. P. State Lottery (grossed up)	15,500		
	25,500		
Less : Exemption u/s 10(3)	5,000	20,500	28,500
Gross Total Income			1,08,647
Less : Deductions :			
(a) u/s 80-G		21,000	
(b) u/s 80-DDA		5,000	
(c) u/s 80-L		6,000	32,000
Total Income			76,647
Rounded off			76,650

Computation of Tax Payable

Tax on Lottery Income u/s 115 BB @ 40% on Rs. 20,500	8,200
Tax on Long term Capital Gain u/s 112 @ 20% on Rs. 16,150	3,230
	11,430

Less : Rebate u/s 88 B		
40% of Rs. 11,430	4,572	
Rebate u/s 88		
20% on Rs 24,000 = Rs. 4,800		
or		
Tax on Lottery income		
[Rs. 8,200 – (40% of 8,200)] = Rs. 4920	4,800	9,372
Tax payable		2,058

टिप्पणी—(i) प्रीतम सिंह की उम्र गत वर्ष में 65 वर्ष हो जाने के कारण उनको 88B की छूट की पात्रता है।

(ii) उनके एवं नियोक्ता के अंशदान में 2 : 3 का अनुपात है, अतः जब नियोक्ता के अंशदान का ब्याज 3,000 रु. होगा तो उनके स्वयं के अंशदान का ब्याज 2,000 रु. होगा जिसे अन्य साधनों की आय में सम्मिलित किया गया है।

(iii) मशीन के अपलिखित मूल्य से अधिक में बेच दिये जाने के कारण आधिक्य की राशि अल्पकालीन पूँजी लाभ होगा तथा मशीन पर ह्रास छूट नहीं मिलेगी। फर्नीचर पर ह्रास छूट 10% से दी गई है।

(iv) पत्नी द्वारा हस्तान्तरित अंशों का लाभांश उसकी पत्नी की आय में सम्मिलित किया जायेगा। लाभांश के रूप में प्राप्त आय से खरीदे गये अंशों का लाभांश एवं बोनस के रूप में मिले अंशों का लाभांश इसकी स्वयं की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

(v) दोनों लाटरी की आयों को अलग-अलग सकल बनाया जायेगा। इसके बाद जोड़ में धारा 10(3) की छूट दी जायेगी।

(vi) अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिये स्थापित निगम को दिये गये दानों के सम्बन्ध में 50% की कटौती एवं अन्य दानों पर 100% की दर से कटौती दी गई है। ऐसी निगम को दिये गये दानों पर समायोजित आय के 10% से अधिक नहीं होने का बन्धन भी लागू होता है परन्तु प्रश्न में इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

(vii) विकलांग बच्चे के हित के लिए जीवन बीमा निगम में जमा कराई गई राशि पर धारा 80 DDA की छूट दी गई है। अधिकतम 20,000 रु. तक छूट दी जा सकती है।

(viii) धारा 88 की छूट निम्न राशियों के सम्बन्ध में दी गई है—

	रु.
(अ) यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना में अंशदान	4,000
(ब) जीवन बीमा निगम की जीवन धारा वार्षिकी योजना में अंशदान	10,000
(स) नेशनल हाउसिंग बैंक की गृह ऋण खाता योजना में अंशदान	10,000
	24,000

(ix) धारा 88B की कटौती आकस्मिक आय के कर एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों के कर दोनों में से दी जाती है। जबकि धारा 88 की कटौती दीर्घकालीन पूँजी लाभ के कर में से नहीं दी जाती है।

Illustration 10 :

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री राम विलास की कुल आय 70,000 रु. निर्धारित की गई है। इस कुल आय में 50,000 रु. की लॉटरी की आय सम्मिलित है। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री राम विलास द्वारा देय कर की राशि ज्ञात कीजिए।

उपर्युक्त आय के अतिरिक्त यदि श्री राम विलास को 25,000 रु. की आय व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से प्राप्त हुई हो जिसने अपनी आय पर सामान्य दरों से कर का भुगतान किया हो तो उसके कर दायित्व में अन्तर को समझाइये।

The total income of Mr. Ram Bilas for the year ended 31st March, 1997 has been computed Rs 70,000. It includes Rs. 50,000 as income from Lottery. Find out the amount of tax payable by Shri Ram Bilas for the assessment year 1997-98.

Explain the difference in tax liability of Shri Ram Bilas if in addition to above incomes he received Rs 25,000 from an association of persons who has paid tax on its income at normal rates.

Solution :

Calculation of tax payable by shri Ram Bilas for the assessment year 1997-98

		Rs.
Tax on Lottery Income		
On Rs 50,000 @ 40%		20,000
On Remaining Income		
On Rs 20,000		
(Below minimum taxable limit)		—
Tax payable		20,000
If he has income of Rs. 25,000 from Association of Persons		
Total Income = 70,000 + 25,000 = Rs. 95,000		
Tax on Lottery Income		
On Rs 50,000 @ 40%		20,000
On Remaining Income		
On first Rs. 40,000	NIL	—
On balance Rs. 5,000 @ 15%	750	750
		20,750
Less : Rebate on income of Rs. 25,000		
$\frac{20,750}{95,000} \times 25,000 =$ Rs. 5,461		5,461
Tax Payable		15,289

टिप्पणी—यह विचित्र एवं हास्यास्पद स्थिति है कि आय में वृद्धि होने पर कर में कमी आई है। कमी भी असाधारण है। लाटरी की आय का कर तो उसे देना ही था। ऐसा आय-कर विधान के प्रावधानों में विसंगतियाँ होने के कारण हुआ है। वास्तविकता यह है कि कर की

गणना से सम्बन्धित प्रावधानों में स्पष्टता नहीं है जिससे अलग-अलग विद्वान अलग-अलग ढंग से इनका अर्थ लगाते हैं।

सारांश
(Summary)

1 आकस्मिक आय पर 40% की दर से कर लगता है।

2 व्यष्टि करदाताओं पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि पर 20% की दर से कर लगता है।

3. यदि व्यष्टि करदाता की अन्य कुल आय (आकस्मिक आय एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभों को छोड़कर) 40,000 रु. से कम हो तो 40,000 रु. की कर मुक्ति का लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि से लिया जायेगा।

4. यदि शुद्ध कृषि आय 600 रु. से अधिक नहीं है तो उसे कर की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी करदाता की अन्य कुल आय 40,000 रु. से कम हो तो उस पर कर नहीं लगेगा चाहे उसकी कृषि आय कितनी भी हो।

5. यदि करदाता को कृषि से भी आय हो तो अन्य कुल आय (आकस्मिक आय एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ को छोड़कर) में कृषि आय को जोड़कर कर की गणना की जाती है तथा उसमें से कृषि आय + 40,000 रु. का कर घटा दिया जाता है।

6. धारा-88 की छूट अन्य आय अथवा आकस्मिक आय के कर में से दी जायेगी। किसी भी दशा में धारा-88 की छूट दीर्घकालीन पूँजी लाभ के कर में से नहीं दी जायेगी।

7. धारा-88 B की छूट देने के लिये आकस्मिक आय, दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं अन्य आय, तीनों के कर की राशि को जोड़ लिया जाता है तथा उसके 40% के बराबर छूट दी जाती है।

8. आय कर की औसत दर की गणना करते समय आकस्मिक आय एवं दीर्घकालीन पूँजी लाभ को कुल आय में सम्मिलित करते हैं तथा इनके कर को भी इस आशय के लिये देय कर की राशि में सम्मिलित करते हैं।

9. लेखक, नाटक लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता तथा खिलाड़ी की पेशे की आय कुल आय का 25% अथवा अधिक है तो उनको अधिकतम 70,000 रु. पर 25% की दर से धारा-88 की छूट दी जाती है जबकि अन्य करदाताओं को अधिकतम 60,000 रु. पर 20% की दर से धारा-88 की छूट दी जाती है। पेशे की आय कुल आय का 25% है अथवा नहीं, इस तथ्य का निर्णय करते समय पेशे की कमाई गई आय को आधार बनाया जायेगा। उसके सम्बन्ध में सकल कुल आय में से दी गई कटौती को नहीं घटाया जायेगा।

10. यदि 60,000 रु. की सीमा के अलावा करदाता पूँजी के योग्य निर्गमन घोषित अंशों या ऋण-पत्रों में 10,000 रु. या अधिक विनियोग करता है तो उसे अधिकतम 70,000 रु. पर 14,000 रु. की छूट मिल सकेगी।

प्रश्न
(Questions)

1. एक व्यष्टि करदाता को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए—

   (1) हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय।

   (2) फर्म की सदस्यता से प्राप्त आय।

   (3) कम्पनी से लाभाश।

   Explain the provisions of Income Tax Act in respect of following sources of Income receivable to an individual assessee—(1) Income from Hindu undivided family. (2) Income from the firm (3) Dividend from Company

2. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मिस्टर X ने अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया :

   (i) मूल वेतन 6,000 रु. प्रतिमाह।

   (ii) बोनस 600 रु. प्रतिमाह।

   (iii) उसका एक मकान है जिसको 1,250 रु प्रतिमाह किराये पर उठाया हुआ है। मकान का नगरपालिका मूल्य 12,000 रु. तथा नगरपालिका कर चुकाये 3,000 रु. प्रति वर्ष।

   (iv) अंशों का लाभांश प्राप्त किया 3,000 रु. तथा बैंक जमा पर ब्याज 2,000 रु.।

   (v) 80,000 रु. की पॉलिसी पर उसने 10,000 रु. जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया।

   (vi) उसने निम्न लिखित दान/चन्दे दिये :

   (अ) परिवार नियोजन के लिए बंगलौर नगरपालिका को 10,000 रु.

   (ब) प्रधानमंत्री के अकाल सहायता कोष में 5,000 रु.

   (स) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 10,000 रु.

   (द) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 2,000 रु.।

   कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये मिस्टर X की कुल आय की गणना कीजिये।

   Mr. X provides the following particulars of his income for the year ended on 31-3-1997 :

   (i) Basic Salary Rs. 6,000 p.m.

   (ii) Bonus Rs. 600 p.m.

   (iii) He owns a house property and the same is let out for a monthly rent of Rs. 1,250 p m. Municipal Value of the house in Rs. 12,000. Municipal taxes paid by him amounted to Rs 3,000 P.M.

   (iv) He received dividend on shares Rs. 3,000 and Bank interest on Deposits Rs. 2,000.

   (v) He paid Rs. 10,000 as L.I.P. on the policy of Rs. 80,000.

   (vi) He also paid the following donations :

(a) Banglore Municipal Corporation for promotion of family planning Rs. 10,000.

(b) The Prime Minister Drought Relief Fund Rs. 5,000.

(c) The Prime Minister National Relief Fund Rs. 10,000.

(d) National Defence Fund Rs. 2,000.

You are required to compute the Total Income of Mr. X for the assessment year 1997-98. [88]

[Raj. Uni. b. Com. 1997 and M.D.Uni B. Com. 1994]

उत्तर—कुल आय 52,920 रु.।

3. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की सोहनलाल की आयों के निम्न विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उसकी कुल आय का निर्धारण कीजिए—

(1) 1,500 रु. प्रतिमाह की दर से वेतन तथा 300 रु. प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता।

(2) भारतीय कम्पनियों से गत वर्ष में लाभांश प्राप्त किया—

(क) दिल्ली क्लाथ मिल्स लिमिटेड से 12,800 रु. तथा

(ख) एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लिमिटेड से 16,000 रु. (इस कम्पनी की केवल 40% आय पर ही कर लगाया गया है)।

(3) गत वर्ष में उनके अन्य विनियोग निम्न थे—

(क) 10% सरकारी प्रतिभूतियों में 25,000 रु.; तथा

(ख) डाकखाने के बचत बैंक खाते में 4,000 रु. जिस पर ब्याज के 200 रु. प्राप्त किये गये।

(4) एक मकान सम्पत्ति में $\frac{1}{4}$ भाग। इस मकान सम्पत्ति की समस्त कटौतियों के उपरान्त शुद्ध आय 12,000 रु. निर्धारित की गई।

(5) फर्म के साझेदार के रूप में लाभ का $\frac{1}{4}$ भाग 12,000 रु.। लाभ के हिस्से के अलावा उनको इस फर्म से 12,000 रु. का वेतन तथा 25,000 रु. पूँजी का ब्याज भी प्राप्त हुआ।

(6) भवन को बेचने से दीर्घकालीन पूँजी लाभ 25,600 रु. (आकलित)।

(7) उसकी पत्नी को उसके पिता से 1,00,000 रु. की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसे उसने उक्त फर्म में जिसमें उसका पति भी साझेदार है; विनियोग कर दिया था। उसमें उसकी पत्नी को 25% भाग के लाभांश के रूप में 12,000 रु. की राशि प्राप्त हुई है।

(8) उसने अपने रहने के लिए प्रयुक्त मकान के किराये के रूप में जो जोधपुर में है 400 रु. प्रति माह भुगतान किया है।

(9) उसने गत वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निगम को 6,000 रु. का दान दिया।

(10) अपनी पत्नी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिये 11,000 रु. का भुगतान किया।

(11) उन्होंने एक वित्तीय संस्था को 28,000 रु. के ऋण का पुनर्भुगतान किया जिसमें 6,000 रु. ब्याज के शामिल हैं। यह ऋण 5 वर्ष पूर्व उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया था।

From the following particulars of income of Shri Sohan Lal for the previous year ending on 31st March, 1997, compute his total income for the Assessment year 1997-98.

(i) Salary @ Rs. 1,500 p.m. and House Rent Allowance @ Rs. 300 p.m.

(ii) Dividends received from the Indian companies during the previous year –

(a) From Delhi Cloth Mills Ltd., Rs. 12,800; and

(b) From Agriculture Product, Ltd., Rs. 16,000 (Only 40% profits of this company has been taxed).

(iii) During the previous year he had following other investments –

(a) Rs. 25,000 in 10% Govt. Securities; and

(b) Rs 4,000 in Post Office Savings Bank Account, interest amounting Rs. 200 were received on it.

(iv) 1/4th share in a House property. Net income of this Property after allowing all deduction is assessed to Rs. 12,000

(v) 1/4 Share from firm Rs. 12,000. In addition to share of profit he received from the form Rs. 12,000 as his salary and Rs. 25,000 as interest on his capital.

(vi) Long term capital gain on sale of a building Rs. 25,600 (computed).

(vii) His wife had received a sum of Rs. 1,00,000 from her father which she invested in the said firm in which her husband was also a partner. His wife received Rs. 12,000 as 1/4th share in profits from this firm.

(viii) He had paid Rs 400 p m. as house rent for his residential house at Jodhpur.

(ix) During the previous year he donated Rs. 6,000 to a corporation estublished by central Government for promoting the interest of the members of minority community.

(x) For Health Insurance Premium of his wife he paid Rs. 11,000.

(xi) He made repayment of a loan of Rs. 28,000 including interest of Rs 6,000 to a financial institution. He took this loan 5 years ago for the purpose of pursuing higher education. [89]

उत्तर—सोहनलाल की कुल आय 64,460 रु. होगी।

1. श्री रामकुमार की आय के निम्न विवरण से 1997-98 कर-निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय ज्ञात कीजिए—

1. हरियाणा प्रदेश सरकार के ऋण पर सकल ब्याज 1,000 रु.। मद्रास टेक्सटाइल लिमिटेड के असूचित ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज 1,600 रु.।
2. उनका एक मकान है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 3,000 रु. है। इसे 300 रु. माहवार किराये पर उठाया हुआ है। इस मकान पर 300 रु. नगरपालिका कर-देय है जो किरायेदार द्वारा दिया जाता है।
3. दुग्ध व्यवसाय की आय 45,000 रु.। अंशों के सट्टे से हानि 1,000 रु. पिछले वर्ष से आगे लाई गई है। इस वर्ष तेल के सट्टे से 2,500 रु. का लाभ हुआ।
4. अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति को बेचने से लाभ 5,000 रु.; अपने गोदाम को जिसको 1981-82 वर्ष में 20,000 रु. में क्रय किया था, 31 मार्च, 1997 को 80,000 रु. में बेच दिया। 1986-87 में 28,000 रु. में खरीदे गये अंशों को गत वर्ष में 58,000 रु. में बेच दिया।
5. पंजाब नेशनल बैंक में 5 वर्ष के लिए स्थायी जमा राशि पर प्राप्त ब्याज 1,260 रु.। मैसर्स रामसेवक रामप्रताप फर्म से प्राप्त ब्याज 1,850 रु.। कर्नाटक प्रदेश लॉटरी का छटा इनाम जीता 11,400 रु.। उन्होंने गत वर्ष में निम्न भुगतान किये—
   (i) *दिल्ली नगर निगम को अनाथालय बनाने हेतु दिया गया दान 8,000 रु.।* दो छात्रों को अध्ययन सहायता में दिये गये 2,000 रु.। प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 1,000 रु.।
   (ii) पत्नी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की राशि 6,500 रु.।
   (iii) आश्रित पुत्र के इलाज पर 9,500 रु. जो स्थायी रूप से शारीरिक असमर्थता से पीड़ित है तथा जिसकी कार्य करने की क्षमता पर्याप्त रूप से कम हो गई है।

With the help of the following particulars of Shri Ram Kumar, compute the Total Income for the Assessment year 1997-98—

1. *Gross interest on Securities of Hariyana Government Rs. 1,000.* Interest received on unlisted debentures of Madras Textiles Ltd. Rs. 1,600.
2. He owns a house, the Municipal valuation of which is Rs. 3,000. It has been let out for Rs. 300 p.m. The Municipal taxes in respect of this house are Rs. 300 which is to be borne by the tenant.
3. Income from Dairy business Rs. 45,000. Loss of Rs. 1,000 from speculation in shares has been brought forward from the last year. This year's profit from speculation of oil is Rs. 2,500.
4. [illegible] capital assets Rs. 5,000. He sold [illegible] in 1981-82 for Rs. [illegible] 1986-87 for Rs. 28,000 were sold during the previous year for Rs. 58,000.
5. Interest received on 5 years *fixed deposit with Punjab National* Bank Rs. 1,260. Interest received from M/s. Ram Sewak Ram

Pratap Rs. 1,850. Sixth Prize won of Karnataka State Lotteries of Rs. 11,400. He made the following payments during the previous year—

(i) Rs. 8,000 as donation to the Delhi Municipal Corporation for construction of an orphanage, Rs. 2,000 as help to two students for their education, Rs. 1,000 as donation to Prime Minister's National Relief Fund.
(ii) Rs. 6,500 as health insurance premium of his wife.
(iii) Rs. 9,500 on the treatment of his dependent son who is suffering from a permanent physical disability and whose capacity for normal work has been reduced considerably.

[90]

उत्तर—कुल आय 55,970 रु.।

संकेत—मकान सम्पत्ति से आय 2,880 रु.। व्यापार अथवा पेशे की आय 46,500 रु.। पूँजी लाभ शीर्षक की आय 21,000 रु.। अन्य साधनों की आय 12,510 रु.। सकल कुल आय 82,890 रु.। *कटौती धारा-80 D-DD-G-L के अन्तर्गत दी जायेगी।*

5. श्री मोहम्मद यूसुफ उदयपुर के अन्धे निवासी को वित्तीय वर्ष 1996-97 में निम्न राशियाँ प्राप्त हुई—

(i) शुद्ध वेतन 31,000 रु., आयकर 1,000 रु., उसका वैधानिक भविष्य निधि का अंशदान 2,400 रु. तथा उसके जीवन बीमा प्रीमियम के 1,600 रु. काटने के पश्चात् प्राप्त हुआ।
(ii) बैंक से स्थायी जमा पर ब्याज के 5,800 रु.।
(iii) फर्म में जमा पर ब्याज के 1,600 रु.।
(iv) 1 जनवरी, 1997 को उसके द्वारा हस्तान्तरित रिहायशी मकान के 1,26,600 रु. जो इसी राशि में हस्तान्तरित किया गया था। (यह मकान उन्हें 1 अप्रैल, 1974 को भेंट में प्राप्त हुआ था, उस दिन इसका उचित बाजार मूल्य, 20,000 रु. था। भेंट देने वाले ने इस मकान को 10,000 रु. में वर्ष 1972 में बनवाया था। श्री यूसुफ ने एक कमरे की वृद्धि पर 4,000 रु. वर्ष 1976 में व्यय किये थे। 1-4-1981 को इस मकान का उचित बाजार मूल्य 30,000 रु. था।
(v) उपरोक्त मकान के किरायेदार से मकान किराया 1,800 रु.।
(vi) उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुशंसित हिन्दी में लिखित उनकी पुस्तक के प्रकाशन के अधिकार शुल्क के 21,500 रु.।
(vii) सट्टे के लाभ 10,000 रु.।
(viii) एजेन्सी समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि 24,000 रु.।
(ix) सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 7,200 रु.।

उनके द्वारा वहन किये गये पुस्तक लेखन से सम्बन्धित व्यय 1,500 रु.।

उन्होंने गत वर्ष में 4,000 रु. की राशि प्रधानमन्त्री के आर्मेनिया भूकम्प राहत कोष में तथा 6,000 रु. की राशि ताज महल की मरम्मत के लिए दान दी है। उन्होंने अपने

आश्रित पिता के इलाज पर गत वर्ष में 12,000 रु. व्यय किये। उनके पिता केन्सर से पीड़ित हैं। उनकी कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कीजिए।

Shri Mohd. Yusuf a blind resident of Udaipur has received the following amount during the financial year 1996-97 :

(i) Net salary Rs. 31,000 after deduction of Income-Tax Rs. 1,000 his contribution to Statutory Provident Fund Rs. 2,400 and Life Insurance Premium of Rs. 1,600.

(ii) Rs. 5,800 from a Bank being interest on fixed deposits.

(iii) Rs. 1,600 from firm being interest on deposits.

(iv) Rs. 1,26,600 from the purchaser of the residential house transferred by him on 1st January, 1997 for the same amount (this house was received by him as a gift on 1st April, 1974, its fair market value on that date was Rs. 20,000). The donor got this house constructed in the year 1972 for Rs. 10,000 and Shri Yusuf spent Rs. 4,000 for addition of one room during the year 1976. The F.M.V. of this house on 1-4-1981 was Rs. 30,000.

(v) Rs. 1,800 from the tenant of the above house as Rent.

(vi) Rs. 21,500 being royalty from the publisher of his books written in Hindi, recommended by the University of Udaipur as a text-book for post graduate course.

(vii) Speculation profit Rs. 10,000.

(viii) Rs. 24,000 being compensation for termination of an agency.

(ix) Interest on Govt. securities received Rs. 7,200.

Expenses relating to book written borne by him Rs. 1,500.

He donated a sum of Rs. 4,000 to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund and Rs. 6,000 for the repairs of Taj Mahal during the previous year. He spent Rs. 12,000 on the treatment of his father during the previous year. His father is dependent on him and sufferring from cancer. Compute his total Income for the assessment year 1997-98. [91]

उत्तर—कुल आय 57,550 रु.।

संकेत—सकल कुल आय 1,29,940 रु.।

6. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में श्री रविन्द्रकुमार को निम्न आयें हुई—

(i) कुक्कुट पालन व्यवसाय के कर-योग्य लाभ 90,000 रु. एवं दुग्ध व्यवसाय के कर-योग्य लाभ 1,00,000 रु.।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित लघु उद्योग के कर-योग्य लाभ 2,40,000 रु.। इस उद्योग ने 1 अगस्त, 1989 को एक ऐसी वस्तु का निर्माण प्रारम्भ किया जिसका उल्लेख आयकर अधिनियम की 11वी अनुसूची में किया गया है। गत वर्ष में इस उद्योग में 12 लाख रु. की पूँजी लगी हुई थी।

(iii) सहकारी समिति से 1,000 रु. का लाभांश प्राप्त किया।

(iv) बम्बई कॉटन मिल के समता अंशों पर लाभांश प्राप्त किया 4,000 रु.।
(v) पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक खाते से ब्याज प्राप्त किया 150 रु.।
(vi) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट से लाभांश प्राप्त किया 2,400 रु.।
(vii) अंशों के विक्रय से प्राप्त किये 39,600 रु.। इन अंशों को 1990-91 वित्तीय वर्ष में 18,200 रु. में क्रय किया गया था।
(viii) ज्वेलरी के विक्रय से प्राप्त किये 56,000 रु.। यह उसके स्वामित्व में 20 वर्ष से भी अधिक समय के लिए रही। इसे 12,600 रु. में क्रय किया गया था तथा 1-4-1981 को इसका उचित बाजार मूल्य 20,000 रु. था।

यह मानते हुए कि उसने 40,000 रु. एक पुण्यार्थ संस्था को दान के रूप में दिये, श्री रविन्द्रकुमार की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

Shri Ravindra Kumar had following incomes during the previous year ended as on 31st March, 1997—

(i) Taxable profits of poultry farming business Rs. 90,000 and dairy business Rs. 1,00,000.
(ii) Taxable profits of a small scale industrial undertaking set up in a rural area Rs. 2,40,000. On August 1, 1989 it started manufacturing an article listed in 11th Schedule of the Income-Tax Act. The Capital employed in the business during the previous year was Rs. 12 lakhs.
(iii) Dividend received from a Co-operative Society Rs.1,000.
(iv) Dividend received on Equity Shares of Bombay Cotton Mills Rs. 4,000.
(v) Interest received on Post Office Saving Bank Account Rs. 150.
(vi) Dividends received on the units of the Unit Trust of India Rs. 2,400.
(vii) Amount received from the sales of shares Rs. 39,600. These shares were purchased in 1990-91 financial year for Rs. 18,200.
(viii) Amount received from the sales of Jewellery Rs. 56,000. It was in his possession for more than 20 years. These were purchased for Rs. 12,600 and the F.M.V. on 1-4-1981 were Rs. 20,000.

Compute the taxable income of Shri Ravindra Kumar for the Assessment Year 1997-98 assuming that he paid Rs. 40,000 as donation to a Charitable institution. [92]

उत्तर—कुल आय 2,92,900 रु.।

संकेत—सकल आय 4,42,500 रु.। धारा 80-HHA, धारा 80-I, धारा 80-L, धारा 80-G तथा धारा 80-JJ की कटौती दी जाएगी।

7. वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान श्री रमेश गोस्वामी को निम्न आयें हुईं—

(i) निर्यात व्यापार के लाभ 50,000 रु.। गत वर्ष 1996-97 के दौरान ... की शुद्ध विक्रय राशि जो कि परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में

2,00,000 रु. थी। वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे निर्यातों की कुल बिक्री केवल 1,80,000 रु. ही थी।

(ii) पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों से लाभ 30,000 रु.। मई, 1989 में इस उद्योग ने एक ऐसी वस्तु का निर्माण प्रारम्भ किया जिसका उल्लेख आय-कर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में नहीं है। वित्तीय वर्ष 1996-97 में इस व्यवसाय में 4,00,000 रु. की पूंजी लगी हुई थी।

(iii) श्री गौरीशंकर जो राजस्थान सरकार में एकाउण्टेन्ट हैं, से 1,800 रु. का ब्याज प्राप्त किया।

(iv) फर्म मोहनलाल सोहनलाल के पास स्थायी जमा राशि पर ब्याज प्राप्त किया 2,700 रुपये।

(v) बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स बैंक खाते से 360 रु. का ब्याज प्राप्त किया।

(vi) इलाहाबाद बैंक में दो वर्ष के स्थायी जमा खाते से ब्याज प्राप्त किया 1,800 रु.।

(vii) राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियों से ब्याज प्राप्त किया 3,600 रु.।

(viii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट्स से लाभांश प्राप्त किया 4,000 रु.।

(ix) रहने योग्य मकान सम्पत्ति से किराया प्राप्त किया 12,000 रु.। इस मकान का निर्माण कार्य जुलाई 1989 में प्रारम्भ किया गया था और यह 31 मार्च, 1992 को बनकर तैयार हुआ। अगले दिन इसे श्री गणेश को रहने के लिए किराये पर उठा दिया गया। इस मकान पर 1,200 रु. प्रति वर्ष नगरपालिका कर के दिये जाते हैं।

(x) 1988-89 में 41,340 रु. में खरीदे गये स्वर्ण आभूषणों की बिक्री से उसने 1,00,000 रु. प्राप्त किये। इन आभूषणों की बिक्री के 6 माह के भीतर उसने 40,000 रु. में रहने का एक मकान खरीदा।

(xi) उसने गत वर्ष में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनुमोदित शिक्षण संस्था को 2,000 रु. का दान दिया तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 5,000 रु. सरकार को दिये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री रमेश गोस्वामी की कुल आय की गणना कीजिये।

Shri Ramesh Goswami had the following incomes during the financial year 1996-97—

(i) Profits from export turnover business Rs. 50,000. Net sale proceed from exports which is received in convertible foreign exchange amounted to Rs. 2,00,000 during the previous year 1996-97. Sale proceeds from such exports were only Rs. 1,80,000 during the year 1995-96.

(ii) Taxable profits of a small scale industrial undertaking set up in a backward area Rs.30,000. On May, 1989 it started manufacturing an article other than those listed in the 11th Schedule of the Income Tax Act. The Capital employed in the business during the financial year 1996-97 was Rs 4 lakhs.

(iii) Interest received from Shri Gourishankar Rs. 1,800 who is an accountant in Rajasthan Government.

(iv) Interest received on Fixed Deposit with the firm M/s Mohan Lal Sohan Lal Rs. 2,700.

(v) Interest received on Bank of Baroda Saving Bank Account Rs. 360.

(vi) Interest received on Fixed Deposits Account for 2 years in Allahabad Bank Rs. 1,800.

(vii) Interest received on Rajasthan Government Securities Rs. 3,600.

(viii) Dividend received from the units of Unit Trust of India Rs. 4,000.

(ix) Rent Received from residential house property Rs. 12,000. The construction of this house started in July, 1989 and was completed on 31st March 1992. On the next day it was let out to Shri Ganesh for residential purpose. Municipal taxes in respect of this house are paid Rs. 1,200 per annum.

(x) He Received Rs. 1,00,000 from the sale of gold ornaments which he had purchased in 1988-89 for Rs. 41,340. Within 6 months from the sale of these ornaments he purchased a residential house for Rs. 40,000.

(xi) During the previous year he donated Rs. 2,000 to an approved educational institutions of National eminence and gave Rs. 5,000 to Government for the promotion of family planning programme.

Compute the taxable income of Shri Ramesh Goswami for the Assessment Year 1997-98. [93]

उत्तर—कुल आय 45,390 रु.।

संकेत—सकल कुल आय 1,22,405 रु. धारा 80-HH, धारा 80-HHC, धारा 80-I, धारा 80-G तथा धारा 80-L की कटौती दी जायेगी।

8. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में श्री प्रकाशचन्द्र को निम्नलिखित आयें हुई—

(1) वे इन्दौर प्लास्टिक लि. में नियुक्त हैं। इनको 4,000 रु. प्रतिमाह वेतन तथा 750 रु. प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। यह मनोरंजन भत्ता उन्हें 1 जनवरी, 1954 से मिल रहा है। गत वर्ष के दौरान वेतन की आय में से उन्होंने 2,500 रु. की राशि रोजगार पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में भुगतान की।

(2) वे एक आवासीय भवन के मालिक भी हैं जो उन्होंने जून, 1991 में नया बनवाया था। इसका नगरपालिका मूल्यांकन 15,000 रु. है तथा नगरपालिका कर 10% है। इस मकान को बनवाने के लिए ऋण लिया गया था जिस पर 500 रु. का ब्याज प्रतिमाह दिया जाता है। इस मकान का प्रयोग वे अपने स्वयं के ... लिए करते हैं।

(3) 7 जुलाई, 1996 को उन्होंने कुछ आभूषण 80,000 रु. में बेचे। उन्होंने 1987-88 में 30,000 रु. में खरीदे थे। इन आभूषणों के ...

में 600 रु. व्यय हुए। उन्होंने 5 अक्टूबर, 1996 को 29,700 रु. के नये आभूषण क्रय किये तथा उसी तिथि को 29,700 रु. के 3 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉण्ड्स भी क्रय किये।

(4) उनके पास अनेक भारतीय कम्पनियों के अंश भी हैं। 25 जनवरी, 1997 को उन्होंने 36,000 रु. के कुछ अंशों का विक्रय किया। ये अंश 10 जनवरी, 1993 को 13,800 रु. में क्रय किये गये थे तथा उनके क्रय के सम्बन्ध में 200 रु. व्यय हुए थे। विक्रय से प्राप्त सम्पूर्ण राशि का उन्होंने एक और आवासीय मकान 31 मार्च, 1997 को क्रय कर लिया।

(5) वे एक साझेदारी संस्था में साझेदार हैं। गत वर्ष में उनके लाभ का हिस्सा 30,000 रु. था। फर्म में दो समान साझेदार हैं।

(6) गत वर्ष के दौरान उनको विभिन्न विनियोगों से निम्न आयें प्राप्त हुईं—

(अ) भारतीय कम्पनियों के अंशों 4,800 रु.का लाभाश;

(ब) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिट्स से 5,000 रु. का लाभांश;

(स) मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिभूतियों से 4,500 रु. का ब्याज।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री प्रकाशचन्द्र की कुल आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उन्होंने एक सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट को 10,000 रु. का दान दिया है।

Mr. Prakash Chandra had the following incomes for the year ended 31st March, 1997–

(1) *He is employed in Indore Plastic Ltd. He gets Rs. 4,000 p m. as* salary and Rs 750 p m. as entertainment allowance. He is getting this allowance *since* 1st January, 1954. During the previous year he paid Rs. 2,500 out of his salary income as tax on employment

(2) He is owner of a residential house which was *built by him in June*, 1991. The Municipal Valuation of this house is Rs. 15,000 and the municipality levies 10% Tax. A loan was taken for the construction of this house and the interest amounting to Rs 500 is paid every month. This house is used for his own residence.

(3) He sold some ornaments on *7th July, 1996 for Rs. 80,000. These* ornaments were purchased by him in 1987-88 for Rs. 30,000. An expenditure of Rs. 600 were incurred in connection with the sales of these ornaments. On 5-10-1995 he purchased new ornaments for Rs. 29,700 and on the same date he also purchased 3 year *National Rural Development Bonds for Rs. 29,700.*

(4) He is owner of shares of several Indian Companies. On 25th January, 1997 he sold some of these shares for Rs. 36,000. These shares were purchased on 10th January, 1993 for Rs. 13,800 and a sum of Rs. 200 were spent in purchasing these shares. The whole of the amount received from the sale of shares was utilised in purchasing another residential house on 31st March, 1997.

(5) he is partner in a firm. His share of profits for the previous year amounted to Rs. 30,000. There are two equal partners in the firm.
(6) During the previous year he received the following incomes from various investments :
  (a) Dividend of Rs. 4,800 from the shares of Indian Companies.
  (b) Rs. 5,000 as dividend on Units of Unit Trust of India.
  (c) Rs. 4,500 as interest on Madhya Pradesh Govt. Securities.

Compute the total income of Shri Prakash Chandra for the A.Y. 1997-98 – assuming that he donated Rs. 10,000 to a public charitable trust. [94]

उत्तर—कुल आय 58,050 रु.।

संकेत—(i) नया आवासीय मकान क्रय करने के सम्बन्ध में धारा 54F की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि करदाता के स्वामित्व में एक मकान पहले से है। (ii) नये आभूषणों के क्रय के सम्बन्ध में कोई छूट नही दी जाती है। (iii) पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय 35,252 रु.।

श्रीमती शारदा मेहता ने 31मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया :

वेतन 4,000 रु.प्रति माह, मकान किराया भत्ता 1,000 रु. प्रतिमाह,उनके वेतन में से 1,200 रु. प्रति माह जीवन बीमा प्रीमियम के लिये तथा 400 रु. प्रति माह प्रमाणित भविष्य निधि के लिये अंशदान काटा गया। नियोक्ता का अंशदान भी उतना ही है और इस खाते में 10% वार्षिक दर से 14,900 रु. ब्याज जमा हुआ। 1 दिसम्बर, 1996 को अपने घर में जाने से पहले वे 1,000 रु. प्रतिमाह किराये के मकान में रहती थी।

उन्होंने 1 मई, 1996 को एक भू-खण्ड जो 11 अगस्त, 1987 को 40,500 रु. में खरीदा था, 1,80,500 रु. में विक्रय कर दिया और दलाली के 500 रु. चुकाये। 11 नवम्बर, 1996 को उन्होंने अपने निवास के लिये एक मकान 3,60,000 रु. में क्रय कर लिया। वर्ष 1987-88 के लिये लागत वृद्धि सूचकांक 150 है।

उनके बचत खाते में बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया 375 रु.। गत वर्ष में कम्पनियों के लाभांश की आय 1,250 रु. (सकल) थी।

उन्होंने एक वर्ग पहेली में 7,330 रु. मूल्य का एक टेपरिकार्डर इनाम में जीता। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 100 रु. दान दिये। उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय को भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 500 रु. दान में दिये। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 2,450 रु. चुकाये। उनके 14 वर्षीय पुत्र रोहित को गत वर्ष में एक कम्पनी के ऋण-पत्रों पर 2,150 रु. ब्याज के मिले। यह ऋण-पत्र रोहित को उनके पिता ने उपहार में दिये थे।

उनकी कुल आय का विवरण तैयार कीजिये।

Smt. Sharda Mehta submits the following particulars of her income for the year ending on 31st March, 1997 :

Salary Rs. 4,000 p.m. and house rent allowance Rs. 1,000 p m. out of which she has contributed Rs. 1,200 p.m. for L.I.C premium and Rs. 400 p.m. to recognised P.F. The employer's contribution is the same and interest credited to her a/c @ 10% p.a. is Rs. 14,900 Before shifting to her own house on 1st Dec. 1996 she occupied a house at a rent of Rs. 1,000 p.m.

She sold a plot of land on 1st May, 1996 for Rs. 1,80,500 which she purchased for Rs. 40,500 on 11th August, 1987 and paid brokerage Rs. 500. She purchased a house for her residence on 11th Nov., 1996 for Rs. 3,60,000. The cost inflation index for the year 1987-88 is 150.

Interest credited by Bank to her Saving Bank A/c Rs. 375. Income from dividends from companies is Rs. 1,250 (gross).

She won a tape-recorder worth Rs. 7,330 as prize in a crossword puzzle. She donated Rs. 100 to the National Defence Fund. She also donated Rs. 500 to Jodhpur University for scientific research. She paid Rs. 2,450 for medical insurance premium.

उत्तर—कुल आय 37,720 रु.। [95]

10. गत वर्ष 1996-97 के लिए श्री किरोड़ीमल की आयों का विवरण निम्न प्रकार है—

(i) एक फर्म से लाभों में हिस्सा	50,000
(ii) कुक्कुट पालन के व्यवसाय से आय	90,000
(iii) राष्ट्रीय बचत-पत्र अष्ठम निर्गमन का ब्याज जो गत वर्ष में आय-कर के लिए उपार्जित माना गया	20,000

उन्होंने गत वर्ष में निम्नलिखित राशियाँ दान में दी—

(i) प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान	10,000
(ii) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	10,000
(iii) प्रधानमन्त्री के आर्मेनिया भूकम्प सहायता कोष में दान	8,000
(iv) प्रधानमन्त्री सूखा सहायता कोष में दान	6,000
(v) राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु दान	15,000
(vi) धारा 80G(2)(a) (iii-f) के तहत अनुमोदित इन्दौर विश्वविद्यालय को दान	5,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री किरोड़ीमल की कुल आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इनको फर्म में लाभ के हिस्से के अलावा 30,000 रु. का वेतन तथा 20,000 रु. का ब्याज भी उसी फर्म से प्राप्त हुआ।

The particulars of income of Shri Kirorimal for the previous year 1996-97 is as follows:

	Rs
(i) Share from profits of a firm	50,000
(ii) Profits of Poultry Farming Business	90,000

(iii) Interest of National Saving Certificate VIIIth issue which is deemed to accrue for income tax purpose during the previous year — 20,000

During the previous year he paid the following amounts as donation :

		Rs.
(i)	Donation to Prime Minister's National Relief Fund	10,000
(ii)	Donation to National Defence Fund	10,000
(iii)	Donation to Prime Minister's Armenia Earthquake Relief fund	8,000
(iv)	Donation to Prime Minister's Drought Relief Fund	6,000
(v)	Donation to Rajasthan Government for promotion of family planning	15,000
(vi)	Donation to Indore University approved under section 88 G (2) (a) (iii-f)	5,000

Compute the total income of Shri Kirorimal for the assessment year 1997-98 assuming that in addition to his share of profit from the firm he received Rs. 30,000 for salary and Rs. 20,000 for interest from the same firm. [96]

उत्तर—कुल आय 75,200 रु.।

संकेत—राष्ट्रीय बचत-पत्र अष्टम निर्गमन के ब्याज के सम्बन्ध में धारा 80L की कटौती दी जायेगी।

11\. 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए गत वर्ष के लिए श्री रामचन्द्र की आय का विवरण निम्न प्रकार है—

(i) 1 अगस्त, 1984 को पिछड़े क्षेत्र में स्थापित नये उद्योग के लाभ 40,000 रु.।
(ii) 1 अप्रैल, 1987 को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित नये लघु उद्योग के लाभ 20,000 रु.।
(iii) 16 दिसम्बर, 1989 को पिछड़े क्षेत्र में स्थापित नये उद्योग के लाभ 60,000 रु.।
(iv) 1 अप्रैल, 1990 को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित नये लघु उद्योग के लाभ 30,000 रु.।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री रामचन्द्र की कुल आय की गणना कीजिए।

The particulars of income of Shri Ram Chandra for the year ending 31st March, 1997 are as follows :

(i)	Profits of new industrial under-taking established on [illegible]	40,000
(ii)	[illegible]	20,000
(iii)	Profits of new industrial undertaking established on 16th december, 1989 in backward area	60,000
(iv)	Profits of new small scale industrial undertaking established on 1st Aprial, 1990 in rural area	30,000

Compute the total income of Shri Ram Chandra for the year 1997-98

उत्तर—कुल आय 1,14,500 रु.।

12. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (Write short notes on):

(अ) करारोपण की श्रेणी पद्धति (Step System of Taxation). एवं

(ब) करारोपण की खण्ड पद्धति (Slab System of Taxation).

13. श्री रमेश, महेश एवं सुरेश की कुल आय क्रमशः 41,200 रु., 1,29,600 रु. तथा 1,69,320 रु. है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनमें से प्रत्येक के द्वारा देय कर की गणना कीजिए।

यदि प्रत्येक की कुल आय में घुड़दौड़ में जीती गई राशि से सम्बन्धित 10,000 रु. सम्मिलित हों तो कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनकी कर दायित्व की भिन्नता को कर की राशि की गणना करते हुए समझाइए।

The total incomes of Shri Ramesh, Mahesh and Suresh are Rs. 41,200, Rs. 1,29,600 and Rs. 1,69,320, respectively. Calculate the tax payable by each one of them for the Assessment Year 1997-98

If in total income of each Rs 10,000 is included in respect of Horse Race winning, show the difference in tax liability for the Assessment year *1997-98* by calculating the amount of tax payable. *[98]*

उत्तर—रमेश, महेश एवं सुरेश के लिए देय कर की राशि क्रमशः 180 रु. 24,840 रु. एवं 40,728 रु.। घुड़दौड़ की आय होने पर क्रमशः 4,000 रु, 24,880 रु. एवं 40,728 रु.। (उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती का समायोजन नहीं किया गया है)

14 *श्री एस. के रेड्डी ने जो भारत में निवासी व्यष्टि हैं, 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले* वर्ष के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

Mr. S K. Reddy a resident individual submits the following particulars *of his income for the previous year ending* March 31, 1997.

	Rs.
Interest on Govt Securities	7,000
Income from House Property (Computed)	28,000
Long term Capital Gain (Computed)	10,000
Dividend from Indian Company (gross)	12,000

उन्होंने 20,000 रु. की पॉलिसी पर 2,500 रु. प्रीमियम के दिये। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनके कर दायित्व (उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के समायोजन के पूर्व) की गणना यह मानते हुए कीजिए कि उनको कृषि से भी 10,000 रु. शुद्ध आय हुई है।

He has paid Rs. 2,500 as premium on a policy of Rs. 20,000. Compute his tax liability (before making adjustment for deduction of tax at source) for the assessment year 1997-98 assuming that he has net *agricultural* income of Rs. 10,000. [99]

उत्तर—देय कर की राशि 400 रु.।

15. Following particulars are supplied by shri Kashi Ram for the assessment year *1997-98. Compute* his tax liability.

श्री काशीराम द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उसका कर-दायित्व ज्ञात कीजिए :

	Rs.
(1) $\frac{1}{2}$ share from a firm	20,000
(2) Salary from the above firm	12,000
(3) Interest from the above firm	6,000
(4) Dividends (gross)	7,000
(5) Lottery winnings from M P. State Lottery	30,000
(6) Long term capital gain (Computed)	25,000
(7) Life Insurance premium paid on a policy of Rs 1,00,000	12,000
(8) N.S.C. (VIIIth Issue) Purchased during the previous year 1996-97	6,000
(9) Accrued interest on N.S.C. (VIIIth Issue) purchased during the past years	2,630

उत्तर—देय सकल कर की राशि 6,474 रु.। **[100]**

16. From the following particulars, compute the income-tax liability of Mr. S P Gautam for the assessment year 1997-98.
निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये श्री एस. पी. गौतम के आय-कर दायित्व की गणना कीजिए :

	Rs.
(1) Income from house property (computed)	10,000
(2) Income from Business & Profession	15,000
(3) Long term capital gain (computed)	20,000
(4) Short term capital gain	30,000
(5) Winnings from Rajasthan State Lottery	60,000
(6) Winnings from Horse races	15,000
(7) Net Agricultural Income	10,000
(8) Deposited in the mutual fund of the Unit Trust of India	15,000
(9) Repayment of the amount borrowed from the National Housing Bank for the purchase of residential house property	6,000

उत्तर—देय सकल कर की राशि 31,800 रु.। **[101]**

17. श्री श्याम लाल जो एक पिछड़े क्षेत्र में स्थापित कपडे की मिल के स्वामी हैं ने 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए 50,000 रु. का लाभ दर्शाया है। मिल ने उत्पादन 1 जुलाई, 1989 को प्रारम्भ किया था। उनकी आय से सम्बन्धित अन्य विवरण निम्नांकित हैं—
   (i) जयपुर में किराये पर उठाये गये मकान का वार्षिक किराया 6,000 रु. इस मकान के स्थानीय कर चुकाये 500 रु.।
   (ii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश (सकल) 25,000 रु.।
   (iii) कृषि आय 15,000 रु.।
   (iv) वे रेडियो आर्टिस्ट हैं। गत वर्ष में वे लन्दन एवं न्यूयार्क गये तथा वहां 40,000 रु. की आय प्राप्त की जिसे वे भारत लाये।

(v) जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया 8,000 रु. (2,500 रु. का प्रीमियम अपने मित्र के साथ सयुक्त जीवन बीमा पालिसी 20,000 रु. के सम्बन्ध में चुकाये तथा शेष प्रीमियम अपने पुत्र के साथ 50,000 रु. की संयुक्त पालिसी से सम्बन्धित था)।

(vi) प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष का दान 5,000 रु.।

निर्धारित वर्ष 1997-98 के लिए उनके कर दायित्व की गणना कीजिए।

Shri Shyamlal, sole proprietor of a textile mill situated in a backward area, which started production on 1st July, 1989 showed a profit of Rs. 50,000 for the year ending 31st March, 1997. The other details in respect of his income are given below :

(i) Rent of let out house at Jaipur (Annual) Rs. 6,000. Local taxes paid in respect of this house Rs. 500.
(ii) Dividends from U.T.I. Rs. 25,000
(iii) Agricultural income Rs. 15,000
(iv) He is also a radio artist. He visited London and Newyork during the previous year and collected a net income Rs. 40,000 which he brought into India.
(v) Life Insurance Premium paid Rs. 8,000. (Premium of Rs. 2,500 was paid on a policy of Rs. 20,000 jointly taken with his friend and the remaining premium was on a policy of Rs. 50,000 taken with his son).
(vi) Donation to Prime Minister's National Relief Fund, Rs. 5,000.

Compute the tax liability of Mr. Shyamlal for the assessment year 1997-98. (R.U.B. Com., 1995) [102]

उत्तर—कुल आय 64,400 रु. एवं देय कर 695 रु.।

18. निम्नलिखित विवरण से श्री विवेक के 1997-98 निर्धारण वर्ष के लिये कर दायित्व की गणना कीजिये—

	रु.
वेतन	1,19,000
व्यापार से आय	10,000
पुस्तकों पर रॉयल्टी	30,000
(पुस्तकें राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अनुशंसित है।)	
मकान सम्पत्ति का किराया	20,000
लाभांश से आय	15,200
बैंक से ब्याज	8,800
अवयस्क पुत्र की आय	15,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	30,000
सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये	30,000
जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया	10,000
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाया	8,000
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	5,000

From the following particulars of Shri Vivek, calculate his tax liability for the assessment year 1997-98–

	Rs.
Salary	1,19,000
Business Income	10,000
Royalty on books	30,000
(Books are prescribed in syllabi of Rajasthan University)	
Rent from property	20,000
Dividend income	15,200
Bank interest	8,800
Income of a minor son	15,000
Long term capital gains	30,000
Contribution to Public Provident Fund	30,000
Life Insurance Premium Paid	10,000
Health Insurance Premium Paid	8,000
Donation to National Defence Fund	5,000

(M.D.U.B. Com., 1995) [103]

उत्तर—कुल आय 2,02,000 रु. एवं देय कर 39,800 रु.।

19. श्री कमल ने 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—
   (1) वे राजस्थान केमिकल लि. में 2,500 रु. प्रतिमाह के वेतन तथा 500 रु. प्रति माह के महँगाई भत्ते पर नियुक्त हैं जो सेवा शर्तों के अन्तर्गत देय है। वे अपने वेतन का 10% एक प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान करते हैं। नियोक्ता भी समान राशि का अंशदान करता है। ब्याज 10% की दर से जमा किया जाता है जो गत वर्ष में 2,000 रु. था।
   (2) वे एक मकान के मालिक है जो उनके स्वयं के निवास के उपयोग में आता है। इसका निर्माण गृह विकास वित्त निगम लि. (HDFC) से लिये 2,00,000 रु. की मदद से दो वर्ष पूर्व किया गया था। ऋण का पुनर्भुगतान नही हुआ है तथा इस पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है।
   (3) ज्वेलरी के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ (आकलित) 60,000 रु.।
   (4) गत वर्ष के दौरान उनको निम्न लाभांश प्राप्त हुए :
      (अ) सार्वजनिक सीमित कम्पनी से 4,800 रु.
      (ब) निजी सीमित कम्पनी से 2,000 रु.
   (5) गत वर्षो में क्रय किये राष्ट्रीय बचत पत्रों पर गत वर्ष 1996-97 के दौरान 6,000 रु. का ब्याज उपार्जित माना गया है।
   (6) राजस्थान लॉटरी विभाग से एक लॉटरी के प्रथम इनाम के सम्बन्ध में 17,000 रु. प्राप्त हुए।
   (7) गत वर्ष के दौरान उन्होंने निम्न भुगतान किये —
      (i) प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिये "जिला साक्षरता समिति" को 5,000 रु.।
      (ii) राजीव गांधी फाउण्डेशन को 10,000 रु.।

उत्तर—कुल आय 65,000 एवं देय कर 1,000 रु.। [104]

संकेत—

(i) मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभ से की जायेगी।
(ii) कटौतियाँ दीर्घकालीन पूँजी लाभ को एवं लाटरी की आय को छोड़कर अन्य आय में से दी जायेंगी। कटौतियाँ अधिक हैं, अतः अन्य आय के बराबर दी जायेंगी।
(iii) कुल आय दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं लाटरी से आय के योग के बराबर होगी।
(iv) धारा 88 की कटौतियाँ लॉटरी के कर में से दी जायेंगी। दीर्घकालीन पूँजी लाभों के कर में से नहीं दी जायेंगी।

20. श्री सोहन, जिसकी आयु 70 वर्ष है, ने गत वर्ष 1996-97 के सम्बन्ध में अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

(i) संगीतज्ञ के रूप में पेशे से 1,02,000 रु. की आय।
(ii) भारतीय कम्पनियों से लाभाश (सकल) 2,000 रु.
(iii) गत वर्षों में क्रय किये राष्ट्रीय बचत पत्रों से उपार्जित ब्याज 17,000 रु.।

उसने गत वर्ष में निम्न भुगतान किये हैं—

(i) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम क्रय किये 10,000 रु.
(ii) स्वयं एवं अपनी पत्नी के जीवन पर ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया 6,000 रु.
(iii) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये 10,000 रु.।
(iv) अपने बच्चों का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाया 11,000 रु.

गत वर्ष में अपने निवास हेतु किराये पर लिये गये मकान का 1,500 रु. प्रति माह किराया चुकाया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उनकी कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए।

Shri Sohan who is 70 years old has submitted the following particulars of his income for the previous year 1996-97 :

(i) Income from Profession as musician Rs. 1,02,000.
(ii) Dividend from Indian Companies (gross) Rs. 2,000
(iii) Accrued interest on National Savings certificates purchased during past years Rs. 17,000.

During the previous year he has made the following payments :

(i) National Savings Certificates purchased for Rs. 10,000.
(ii) Life Insurance Premium paid on a Joint life policy taken on his life and the life of his wife Rs. 6,000.
(iii) Deposited in Public Provident Fund Account Rs. 10,000.
(iv) Health Insurance Premium of his Children Rs. 11,000.

Rent @ Rs. 1,500 per month was paid for the house taken on rent for his own residence. Compute his total income and tax payable by him for the assessment year 1997-98.

उत्तर—कुल आय 88,700 रु. तथा देय कर 860 रु.। [105]

He received Rs. 20,000 in connection with second prize of Rajasthan State Lottery.

(3) During the previous year he earned the following incomes from investments :

(i) Interest on Government Securities (gross) Rs. 2,000

(ii) Interest from Bank Deposits Rs. 6,000

(iii) Accrued interest on National Savings Certificates purchased during past years Rs. 8,000

(4) He has made the following payments during the previous year :

(i) Purchased National Savings Certificates VIIIth Issue for Rs. 10,000

(ii) Deposited in Public Provident Fund Account Rs. 10,000

(iii) Insurance premium paid on his own life policy Rs. 4,000

Compute the total income and tax payable by Shri Mohan for the assessment year 1997-98. [106]

उत्तर—कुल आय 1,07,000 रु एव देय कर 4,560 रु.।

2. श्री दीपेश ने 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

(1) वे 5,000 रु. प्रति माह के वेतन पर एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी में नियुक्त हैं। वे अपने वेतन का 10% अंशदान प्रमाणित भविष्य निधि में देते है जिसमें नियोक्ता का अशदान 12% है।

(2) वे एक मकान के स्वामी हैं जो 4,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर उठाया गया है। इस मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 रु. है तथा नगरपालिका कर 5,000 रु प्रति वर्ष है जो किरायेदार द्वारा चुकाये जाते हैं। इस मकान का निर्माण 1 जून, 1994 को प्रारम्भ हुआ तथा यह दिसम्बर 1995 मे बनकर तैयार हुआ। इस मकान के निर्माण हेतु 2,00,000 रु. का ऋण 1-10-1994 को जीवन बीमा निगम से 12% ब्याज़ पर लिया था। 30 जून, 1996 को इस ऋण का भुगतान निगम को लौटा दिया था।

(3) वर्ष 1987-88 में 18,000 रु. में क्रय किये गये एक कम्पनी के अंशों को 60,000 रु. में जनवरी, 1997 में बेच दिया।

(4) उन्हें खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा लाभांश की निम्न राशिया गत वर्ष में प्राप्त हुई—

(i) एक सूचित कम्पनी से 1,800 रु. जिसमें जनता का सारवान हित है,

(ii) एक असूचित कम्पनी से 1,800 रु.

(5) उनके द्वारा पिछले वर्षों में क्रय किये गये राष्ट्रीय बचत-पत्रों पर गत वर्ष में 15,820 रु. का ब्याज उपार्जित माना गया।

(6) उन्हें राजस्थान राज्य लाटरी से गत वर्ष मे 10,000 रु. नगद एव 10,000 रु. की एक मोपेड गाडी प्रथम इनाम के रूप में प्राप्त हुये।

21. श्री मोहन जिसकी आयु 1 अप्रैल, 1996 को $64\frac{1}{2}$ वर्ष थी, ने गत वर्ष 1996-97 के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

(1) वे दो मकानों के स्वामी थे। प्रथम मकान उन्होंने 1984-85 के दौरान 50,000 रु. में खरीदा था। इस मकान का प्रयोग वे अपने स्वय के निवास स्थान के लिये करते थे। मार्च, 1997 में उन्होंने इस मकान को 3,00,000 रु. में बेच दिया तथा मई, 1997 में अपने स्वयं के निवास के लिये एक अन्य मकान 1,40,000 रु. में खरीद लिया। दूसरा मकान 5,000 रु. प्रति माह की दर से रहने के लिये किराये पर उठाया गया है। इस मकान का निर्माण 31 मार्च, 1994 को पूरा हुआ था। इस मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 50,000 रु. है तथा इस पर 10% कर नगरपालिका को देय है। 1995-96 में नगरपालिका करों का भुगतान नही किया गया था, अतः इस वर्ष दो वर्षों के नगरपालिका कर चुकाये गये हैं।

(2) उन्होंने राजस्थान स्टेट लॉटरी के 1,000 रु. के एवं मध्यप्रदेश स्टेट लॉटरी के 2,000 रु. के टिकट गत वर्ष के दौरान खरीदे थे। राजस्थान लॉटरी के द्वितीय इनाम के सम्बन्ध में उनको 20,000 रु. प्राप्त हुये।

(3) उन्हें गत वर्ष मे विनियोगों से निम्न आय हुई—

(i) सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (सकल) 2,000 रु.

(ii) बैंक में जमाओं से ब्याज 6,000 रु.

(iii) पिछले वर्षों में क्रय किये गये राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम का ब्याज गत वर्ष में उपार्जित माना गया 8,000 रु.

(4) उन्होंने गत वर्ष में निम्न भुगतान किये हैं—

(i) राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन क्रय किये 10,000 रु.

(ii) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये 10,000 रु.

(iii) स्वयं की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया 4,000 रु.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री मोहन की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए।

Shri Mohan, who was $64\frac{1}{2}$ years old on 1-4-1996, has submitted the following particulars of his income for the previous year 1996-97 :

(1) He was owner of two houses. First house was purchased by him [illegible] house for his own [illegible] the tenant for [illegible] valuation of this house is Rs. 50,000 and municipal taxes @ 10% in leviable on it. Municipal taxes in 1995-96 were not paid. Therefore municipal taxes for two years has been paid this year.

(2) During the previous year he purchased Rajasthan State Lottery tickets for Rs 1 000 and M.P. State Lottery tickets for Rs. 2,000.

He received Rs. 20,000 in connection with second prize of Rajasthan State Lottery.

(3) During the previous year he earned the following incomes from investments :

(i) Interest on Government Securities (gross) Rs. 2,000

(ii) Interest from Bank Deposits Rs. 6,000

(iii) Accrued interest on National Savings Certificates purchased during past years Rs. 8,000.

(4) He has made the following payments during the previous year

(i) Purchased National Savings Certificates VIIIth Issue for Rs. 10,000

(ii) Deposited in Public Provident Fund Account Rs. 10,000

(iii) Insurance premium paid on his own life policy Rs 4,000

Compute the total income and tax payable by Shri Mohan for the *assessment year 1997-98.* *[106]*

उत्तर—कुल आय 1,07,000 रु. एवं देय कर 4,560 रु.।

22. श्री दीपेश ने 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है—

(1) वे 5,000 रु. प्रति माह के वेतन पर एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी में नियुक्त हैं। वे अपने वेतन का 10% अंशदान प्रमाणित भविष्य निधि में देते है जिसमे नियोक्ता का अंशदान 12% है।

(2) वे एक मकान के स्वामी हैं जो 4,000 रु. प्रतिमाह के किराये पर उठाया गया है। इस मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 रु. है तथा नगरपालिका कर 5,000 रु. प्रति वर्ष हैं जो किरायेदार द्वारा चुकाये जाते हैं। इस मकान का निर्माण 1 जून, 1994 को प्रारम्भ हुआ तथा यह दिसम्बर 1995 में बनकर तैयार हुआ। इस मकान के निर्माण हेतु 2,00,000 रु. का ऋण 1-10-1994 को जीवन बीमा निगम से 12% ब्याज़ पर लिया था। 30 जून, 1996 को इस ऋण का भुगतान निगम को लौटा दिया था।

(3) वर्ष 1987-88 में 18,000 रु. में क्रय किये गये एक कम्पनी के अंशों को 60,000 रु. में जनवरी, 1997 में बेच दिया।

(4) उन्हें खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा लाभांश की निम्न राशियां गत वर्ष में प्राप्त हुई—

(i) एक सूचित कम्पनी से 1,800 रु. जिसमें जनता का सारवान हित है,

(ii) एक असूचित कम्पनी से 1,800 रु.

(5) उनके द्वारा पिछले वर्षों में क्रय किये गये राष्ट्रीय बचत-पत्रों पर गत वर्ष में 15,820 रु. का ब्याज उपार्जित माना गया।

(6) उन्हे राजस्थान राज्य लाटरी से गत वर्ष में 10,000 रु. नगद एवं 10,000 रु. की एक मोपेड गाड़ी प्रथम इनाम के रूप में प्राप्त हुये।

(7) उसने गत वर्ष में निम्न भुगतान किये हैं—

(i) 10,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गम क्रय किये

(ii) 20,000 रु. सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये

(iii) 8,000 रु. एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के पूँजी के योग्य निर्गमन वाले अंशों को क्रय करने में विनियोग किये।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती का समायोजन करते हुये कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उसके द्वारा देय शुद्ध कर की गणना कीजिये।

Mr. Deepesh has furnished the following particulars of his income for the year ending 31st March, 1997:

(1) He is employed with a public limited company at a monthly salary of Rs. 5,000. He contributes 10% of his salary to a recognised provident fund to which his employer contributes 12%.

(2) He is owner of a house which has been let out at a rent of Rs. 4,000 per month. The municipal valuatoin of this house is Rs. 50,000 and the annual local taxes amounting to Rs. *5,000* are [illegible] by the tenant. The construction of this house started [illegible] on 30-6-1996.

(3) *In* January, 1997 he sold certain shares of a company for Rs. 60,000 which were purchased by him in 1987-88 for Rs. *18,000*.

(4) During the previous year he received the following amounts of dividends through account payee cheque.

(i) Rs. 1,800 from a listed company in which the public are *substantially interested*

(ii) Rs 1,800 from an unlisted company.

(5) Interest of Rs. 15,820 deemed to have been accrued on National Savings Certificates purchased during the past years.

(6) During the previous year he received Rs 10,000 in cash and a moped vehicle worth Rs. 10,000 for the first prizew innings from Rajasthan State Lottery.

(7) During the previous year he has made the following payments:

(i) Purchased National Savings Certificates of Rs. 10,000.

(ii) Deposited Rs. 20,000 in Public Provident Fund Account

(iii) Invested Rs. 8,000 in the shares of a public sector company. notified by the Government as *eligible issue of capital.*

Calculate the net tax payable by him for the assessment year 1997-98 after taking into consideration the *amount of tax deducted at source*

उत्तर—देय कर की राशि 431 रु.। [107]

संकेत—कुल आय 1,31,070 रु.। धारा 88 की छूट 13,600 रु. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती 10,450 रु.। धारा 88 की छूट आकस्मिक आय के कर में से भी दी गई है।

23. 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए गत वर्ष के लिए श्री चन्द्रशेखर की कुल आय 1,20,000 रु. है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री चन्द्रशेखर द्वारा देय कर की गणना कीजिए यदि उसकी आय में 30,000 रु. के व्यक्तियों के लाभ सम्मिलित हों तथा समुदाय ने सामान्य दरों से कर चुकाया हो। उन्होंने गत वर्ष में 10,000 रु. की राशि सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा की है।

The total income of Mr. Chandra Shekhar for the year ended 31st March, 1997 is Rs. 1,20,000. Compute the tax payable by Mr. Chandra Shekhar for the assessment year 1997-98 if his income includes Rs. 30,000 as profits from association of persons who has paid tax on his income at normal rates. He has deposited a sum of Rs. 10,000 in the Public Provident Fund Account during the previous year.

उत्तर—देय कर की राशि 14,250 रु.। [108]

□□□

15
आय-कर पदाधिकारी
(Income-Tax Authorities)

आय-कर अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने तथा आयकर विभाग का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा-116 के अन्तर्गत अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड
2. आय-कर निदेशक—सामान्य अथवा आयकर का मुख्य आयुक्त
3. आयकर निदेशक या आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर (अपील्स)
4. आयकर के अतिरिक्त निदेशक या आयकर के अतिरिक्त कमिश्नर या आयकर के अतिरिक्त कमिश्नर (अपील्स)
5. आयकर के उप-निदेशक या आयकर के उप-कमिश्नर या आयकर के उप-कमिश्नर (अपील्स)
6. आय-कर के सहायक निदेशक या आय-कर के सहायक कमिश्नर
7. आय-कर अधिकारी
8. कर-वसूली अधिकारी
9. आय-कर के निरीक्षक।

उपरोक्त पदाधिकारियों में से कुछ पदाधिकारी तो प्रशासन से सम्बन्धित होते हैं जिनका कार्य आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत करदाताओं की कुल आय की गणना करना तथा उनसे आय-कर की वसूली करना है। शेष अन्य पदाधिकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के न्यायपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या से सम्बन्धित हैं। इनका प्रमुख कार्य यह देखना है कि प्रशासन सम्बन्धी पदाधिकारी आय-कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं का सही अर्थ लगा रहे हैं। यदि धाराओं की व्याख्या आदि में कहीं संदेह है तो संदेह को दूर करने में ये पदाधिकारी करदाता एवं प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों की सहायता करते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं—

(1) शासन सम्बन्धी पदाधिकारी, और
(2) न्याय सम्बन्धी पदाधिकारी।

शासन सम्बन्धी पदाधिकारी

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)

इस बोर्ड की स्थापना 1963 में की गई थी। इसके पहले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के करों के प्रशासन के लिए एक ही बोर्ड था, जो सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू कहलाता था। कार्य का भार अधिक होने के कारण 1963 में इस बोर्ड को दो भागों में बाँट दिया गया है—

(i) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड, तथा

(ii) उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड।

आय-कर, धन-कर, उपहार-कर, व्यय-कर एवं अन्य सभी प्रत्यक्ष करों का प्रशासन एवं नियन्त्रण प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के पास है। प्रशासन के सम्बन्ध में यह बोर्ड सर्वोच्च अधिकारी है। वर्तमान समय में इसके पांच सदस्य हैं जिनमें एक बोर्ड का चेयरमैन है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

बोर्ड के अधिकार—प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड को आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार दिये गये हैं—

1. नियम बनाने का अधिकार—इस अधिनियम के सफल संचालन हेतु बोर्ड को सम्पूर्ण देश के लिए और इसके किसी भी क्षेत्र के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ये नियम भारतीय राजपत्र (Gazette of India) में अधिसूचना जारी करके बनाये जाते हैं तथा इनको बनाने के पश्चात इन पर संसद का अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक है। संसद उचित समझे तो इनमें संशोधन कर सकती है। बोर्ड इन नियमों के लागू होने की तिथि भी निश्चित करता है। किसी भी नियम को पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है।

2. आदेश, निर्देश, सूचना आदि प्रेषित करने का अधिकार—

(i) केन्द्रीय बोर्ड आयकर के अन्य सभी पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार आदेश, निर्देश एव अन्य सूचनायें प्रेषित कर सकता है। इसके आदेशों का पालन सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से करना होता है। परन्तु बोर्ड को निम्न प्रकार के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

(a) बोर्ड किसी विशिष्ट मामले को किसी विशिष्ट ढंग से निपटाने के लिए किसी भी आयकर पदाधिकारी को आदेश जारी नहीं कर सकता है।

(b) वह कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता है जो उप-आयुक्त (अपील) [Deputy Commissioner (Appeals)] या आयुक्त (अपील) [Commissioner (Appeals)] के अपील सम्बन्धी कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला हो।

(ii) कर-निर्धारण तथा कर की वसूली के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बोर्ड को आयकर पदाधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों के निर्धारण हेतु सामान्य एव विशेष आदेश जारी करने का अधिकार है। ये आदेश किसी भी प्रकार की आय या मामलों से सम्बन्धित हो सकते हैं। परन्तु ऐसे आदेश करदाताओं के अहित में नही होने चाहिये। सामान्य जनता की सूचना के लिए इन आदेशों को प्रकाशित एवं प्रसारित करने का अधिकार भी बोर्ड को प्राप्त है।

(iii) किसी विशिष्ट मामले अथवा विशिष्ट प्रकार के मामलों में वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से बोर्ड यदि उचित समझे तो किसी भी आयकर पदाधिकारी को समय निकल जाने के बाद भी मुक्ति, कटौती, कर-वापसी या अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध किसी राहत के सम्बन्ध में आवेदन स्वीकार करने हेतु सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है। ऐसे मामलों का निपटारा मामले की परिस्थितियों एवं गुणों के आधार पर ही किया जायेगा। ऐसा आदेश उप-आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को नहीं दिया जा सकता है।

3. आयकर पदाधिकारियों पर नियन्त्रण का अधिकार–

बोर्ड सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकता है कि कोई भी आयकर पदाधिकारी अथवा अधिसूचना में उल्लिखित पदाधिकारी अन्य ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों के मातहत (Subordinate) होगा जिनका अधिसूचना में उल्लेख किया गया हो।

4. करदाता के सम्बन्ध में सूचना देने का अधिकार–

यदि बोर्ड सार्वजनिक हित में उचित समझे तो किसी भी करदाता के सम्बन्ध में कर, शुल्क या विदेशी विनिमय व्यवहार सम्बन्धी कोई सूचना किसी अधिकारी, प्राधिकारी आदि को दे सकता है।

5. आयकर प्राधिकारियों को कार्यक्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी निर्देश देने का अधिकार–

(i) आयकर पदाधिकारी उनको इस अधिनियम के द्वारा दिये गये अधिकार एवं कर्तव्यों का निष्पादन बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करेंगे।

(ii) बोर्ड किसी भी आयकर पदाधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह उन आयकर पदाधिकारियों को जो उसके अधीन हैं, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं उनके अधिकारों के सम्बन्ध में लिखित आदेश जारी करे।

(iii) बोर्ड किसी भी निदेशक या निदेशक-सामान्य (Director General) को अन्य किसी पदाधिकारी के उन कार्यों को करने के लिए अधिकृत कर सकता है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जायें।

(iv) बोर्ड किसी भी सामान्य-निदेशक, मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त को अधिकृत कर सकता है कि वे किसी भी उप-कमिश्नर (Deputy Commissioner) अथवा उप-निदेशक (Deputy Director) को लिखित में आदेश जारी करके विशिष्ट प्रकार की आय, व्यक्तियों, मामलों एव क्षेत्र के लिए निर्धारण अधिकारी के कार्य करने के लिए कह सकता है।

6. आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार–

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर बोर्ड को सहायक आयुक्त (Assistant *Commissioner*) के नीचे के स्तर के आयकर पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है।

2. सामान्य निदेशक या निदेशक (Director General or Director)

सामान्य निदेशक या निदेशक से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा-117 (1) के तहत निदेशक या सामान्य निदेशक के रूप में की गई हो। इनमें उसी उप-धारा के अनुसार नियुक्त किए गये उप-निदेशक या सहनिदेशक भी शामिल हैं।

ये प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अधीन कार्य करते हैं तथा बोर्ड द्वारा अधिकृत होने पर अपने कार्यों के निष्पादन में सहयोग हेतु कार्यालय कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर ये सहायक उपायुक्त के नीचे के स्तर के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं।

अधिकार (Power) :

(i) कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति करना। [धारा-117 (3)]

(ii) एक निर्धारण अधिकारी से दूसरे निर्धारण अधिकारी को मामलों का हस्तान्तरण। (धारा-127)

(iii) तलाशी लेने तथा अपने कब्जे में लेने का अधिकार उप-निदेशक, उप-आयुक्त, सहायक निदेशक,सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी को हस्तान्तरित करने का अधिकार। [धारा-132 (1)]

(iv) अन्य किसी विभाग के किसी अधिकारी के कब्जे से बहीखाते एवं अन्य प्रलेख मांगने का अधिकार। (धारा-132A)

(v) उप-निदेशक एवं सहायक निदेशक को अपने क्षेत्र में व्यापार के स्थान का सर्वे करना एवं सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना एवं उत्सव आदि पर अत्यधिक व्यय करने की दशा में ऐसे व्यय के बारे में सूचना माँगने का अधिकार। (धारा-133A)

(vi) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की जांच के समस्त अधिकार जो निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हैं। (धारा-135)

सामान्य निदेशक या निदेशक के उपरोक्त अधिकारों का विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है।

3. मुख्य आयुक्त या आयुक्त (Chief Commissioner or Commissioner)—

आयकर आयुक्त या मुख्य आयुक्त की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। यह मुख्यतः प्रशासन सम्बन्धी पदाधिकारी ही होता है परन्तु इसे धारा-263 एवं धारा-264 के अन्तर्गत कुछ न्याय सम्बन्धी कार्य भी करने पड़ते हैं। ये प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के अधीन होते है एवं इनको बोर्ड के आदेशों, निर्देशों एवं सुझावों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये उस विशेष क्षेत्र अथवा आय विशेष अथवा विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों (Persons) के लिए कार्य करते हैं जिनका निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक राज्य के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाता है परन्तु कभी-कभी एक राज्य में एक से अधिक आयुक्त अथवा एक से अधिक राज्यों के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है।

आयुक्त या मुख्य आयुक्त के अधिकार

(अ) प्रशासन सम्बन्धी अधिकार—

(1) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार—केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर ये सहायक उपायुक्त के नीचे के स्तर के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं तथा बोर्ड द्वारा अधिकृत होने पर अपने कार्यों के निष्पादन में सहयोग हेतु कार्यालय कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। [धारा-117 (2) एवं (3)]

(2) निर्धारण अधिकारी से दूसरे निर्धारण अधिकारी को मामले का हस्तान्तरण— धारा-127 के अन्तर्गत आयुक्त को यह अधिकार है कि वह किसी भी करदाता के मामले को अपने नियन्त्रण में कार्य करने वाले किसी निर्धारण अधिकारी से अपने नियन्त्रण में कार्य वाले दूसरे निर्धारण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है। ऐसा करने से पहले वह को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान करेगा। परन्तु उन दोनों

अधिकारियों के कार्यालय उसी शहर, क्षेत्र या स्थान पर स्थित हों तो ऐसा अवसर प्रदान करना आवश्यक नही होगा।

आयुक्त अपने नियन्त्रण में कार्य करने वाले निर्धारण अधिकारी से मामले को ऐसे निर्धारण अधिकारी को भी हस्तान्तरित कर सकता है जो उसके नियन्त्रण में नहीं हो। परन्तु ऐसा वह उसी दशा में कर सकता है जबकि वह अन्य आयुक्त भी उससे सहमत हो जिसके नियन्त्रण के निर्धारण अधिकारी को मामला हस्तान्तरित किया जा रहा है। ऐसी दशा में करदाता को सुने जाने का अवसर वह आयुक्त प्रदान करेगा जिसके नियन्त्रण के निर्धारण अधिकारी से मामला हस्तान्तरित किया जा रहा है।

इस प्रकार का हस्तान्तरण किसी मामले में किसी भी स्तर पर किया जा सकता है तथा जिस निर्धारण अधिकारी के पास से मामले का हस्तान्तरण किया जा रहा है, उसके द्वारा जारी किये नोटिसों को पुनः जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) खोज, गवाहो की उपस्थिति आदि के सम्बन्ध में अधिकार—धारा-131 के अन्तर्गत आयुक्त को निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित वे सभी अधिकार प्राप्त है जो (Code of Civil Procedure) 1908 के अन्तर्गत एक न्यायालय को प्राप्त होते हैं—

(अ) खोज व निरीक्षण,

(ब) किसी व्यक्ति को (बैंकिंग कम्पनी के अधिकारी सहित) उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथ दिलाकर उसके बयान लेना,

(स) बहीखाते तथा अन्य प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; तथा

(द) कमीशन का निर्गमन करना।

आयुक्त को उस व्यक्ति पर 500 रु. तक जुर्माना करने का अधिकार है जो जान-बूझकर निर्दिष्ट समय या स्थान पर उपस्थित नहीं हुआ हो अथवा बहीखातों व प्रपत्र आदि प्रस्तुत न कर सका हो। आयुक्त इन बहीखातों व प्रपत्रों को जब्त कर सकता है अथवा जितनी अवधि के लिए वह उचित समझे अपने पास रोक सकता है तथा ऐसा करने के लिए वह कारण बताने के लिए बाध्य नही है।

(4) तलाशी लेने व कब्जे में करने सम्बन्धी अधिकार—धारा 132 के अनुसार यदि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आयुक्त को यह विश्वास हो जाता है कि आवश्यक नोटिस दिये जाने के बावजूद भी किसी व्यक्ति ने नोटिस में मांगे गए बहीखाते या प्रलेख प्रस्तुत नही किये हैं अथवा आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत चल रही किसी कार्यवाही से सम्बन्धित बहीखाते व अन्य प्रलेख प्रस्तुत नहीं करेगा अथवा किसी व्यक्ति के पास रूपया, सोना, चांदी, जेवरात व अन्य बहुमूल्य वस्तुयें हैं जो कि पूर्णतया या आंशिक रूप से ऐसी आय का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे प्रकट नहीं किया गया है अथवा प्रकट नहीं किया जायेगा, तो ऐसी स्थिति में वह किसी उप-निदेशक, उप-आयुक्त, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त अथवा आयकर अधिकारी को निम्न कार्यवाही करने के लिए अधिकृत कर सकता है—

(i) किसी भी ऐसी इमारत, जहाज, गाड़ी, हवाई जहाज या जगह में प्रवेश करना एवं तलाशी लेना जहाँ उसे बहीखाते, अन्य प्रलेख, रूपया, सोना-चांदी, जेवरात या अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ रखी जाने का विश्वास हो,

(ii) किसी दरवाजे, सन्दूक, लॉकर, सेफ या अलमारी आदि की चाबियाँ उपलब्ध न होने पर उनको ताले तोड़कर खुलवाना एवं तलाशी लेना।

(iii) ऐसी तलाशी में प्राप्त हुए बहीखातों, अन्य प्रलेखों, रूपया, सोना-चाँदी जेवरात या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को अपने कब्जे में लेना।

(iv) किसी भी ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेना जो किसी इमारत, जगह, जहाज, गाड़ी या हवाई जहाज से बाहर निकला है अथवा अन्दर जाने वाला है अथवा पहले से मौजूद है, यदि तलाशी लेने वाले अधिकारी के पास इस सन्देह का कारण है कि उस व्यक्ति ने बहीखाते व अन्य प्रलेख, रूपया, सोना-चांदी या जेवरात या अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ अपने पास छिपा रखी हैं।

(v) ऐसी बहीखाते की पुस्तकों अथवा अन्य प्रलेखों पर कोई चिन्ह अंकित करना जिससे उनको भविष्य में पहचाना जा सके अथवा उनके किसी भाग की प्रतिलिपि लेना।

(vi) तलाशी में जो धन, सोना-चादी, जेवरात अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुयें प्राप्त हुई हों उनकी सूची बनाना।

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अधिकृत प्रत्येक अधिकारी को यह भी अधिकार है कि वह उक्त उद्देश्यों के लिए पुलिस तथा केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवायें मांग सकता है और उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उस मांग को पूरा करे। यदि किसी अधिकारी को तलाशी में प्राप्त इन वस्तुओं को अपने कब्जे में करना व्यावहारिक प्रतीत न हो तो वह उनके मालिक को लिखित आदेश द्वारा इन वस्तुओं के हस्तान्तरण आदि पर रोक लगा सकता है।

(5) अन्य अधिकारियों से बहीखाते, प्रलेख एवं सम्पत्ति प्राप्त करना—[धारा-132 A]—करदाता के बहीखाते एवं अन्य प्रलेख तथा सम्पत्ति किसी अन्य अधिकारी—जैसे चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी या विक्रय कर अधिकारी के पास है तो धारा-113 मे दी गई परिस्थितियों में वह उप-निदेशक, उप-आयुक्त, सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त अथवा आयकर अधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वह उन अधिकारियों से जिनके पास बहीखाते, सम्पत्ति वगैरह है उसको दिये जाने की मांग करे। अन्य अधिकारी तुरन्त या उसे आवश्यकता न रहने पर ये बहीखाते, अन्य प्रलेख या सम्पत्ति मांग करने वाले अधिकारी को देगा।

(6) जांच करने का अधिकार—धारा-133 के अन्तर्गत आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जांच करने का अधिकार है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच करने के सम्बन्ध मे एक निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होते हैं।

(7) करदाताओं के सम्बन्ध में सूचना देना—धारा-138 (1) (b) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी करदाता के सम्बन्ध में कोई सूचना जो किसी आयकर पदाधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान प्राप्त हुई हो, दिये जाने के लिये निर्धारित फार्म पर आय-कर आयुक्त को प्रार्थना-पत्र दे सकता है। यदि आयकर आयुक्त को ऐसा विश्वास हो कि ऐसा किया जाना सार्वजनिक हित में है तो उस कर-निर्धारण वर्ष से

है जिनको गत वर्ष में सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उसके द्वारा या एक्सचेन्ज के द्वारा कोई भुगतान किया गया है, अथवा जिनसे कोई भुगतान प्राप्त किया गया है।

(छ) किसी व्यक्ति से, जिनमें बैंकिंग कम्पनी तथा इसका अधिकारी भी सम्मिलित है, ऐसी आवश्यक सूचना हिसाब-किताब आदि मांग सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत चल रही किसी जांच अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में सहायक प्रतीत हो।

(4) कम्पनियों के रजिस्टर के निरीक्षण का अधिकार—धारा-134 के अन्तर्गत उप-आयुक्त किसी भी कम्पनी के अंशधारियों, ऋण-पत्रधारियों तथा रहनधारियों के रजिस्टरों को देख सकता है या उनकी नकल ले सकता है या उनकी जाँच करने या नकल करने के लिए मातहत (Subordinate) किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

(5) जाँच सम्बन्धी अधिकार—धारा-133-A के अन्तर्गत उप-आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जांच करने का अधिकार है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको भी वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच करने के सम्बन्ध मे एक निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होते हैं।

निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer)—व्यावहारिक दृष्टि से आय-कर विभाग का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है, क्योंकि वास्तव में कर-निर्धारण करना और उसे वसूल करना इसी का काम है। करदाताओं से आय का नक्शा मांगना उनसे साक्षात्कार करना तथा कर-निर्धारण से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आदि सभी निर्धारण अधिकारी के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर आयकर अधिकारी की नियुक्ति कमिश्नर भी कर सकता है। निर्धारण अधिकारी, निदेशक या सामान्य-निदेशक, आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त एवं उप-आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। इसकी सहायतार्थ आयकर इन्स्पेक्टर होते हैं जो इसके आदेशानुसार समस्त कार्य करते हैं—

1. खोज गवाहों की उपस्थिति आदि के सम्बन्ध में अधिकार—धारा-131 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले की कार्यवाही के सम्बन्ध में वे सब अधिकार मिले हुए हैं जो Code of Civil Procedure के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त हैं।

(इनका विस्तृत विवरण आयुक्त के अधिकारों में पीछे दिया जा चुका है।)

इस धारा के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी बिना कारण लिखे हुए बहीखातों व अन्य प्रलेखों को जब्त नहीं कर सकता है तथा आयुक्त की सहमति प्राप्त किए बगैर उनको 15 दिन से अधिक नही रोक सकता है।

2. तलाशी लेने व कब्जे मे लेने सम्बन्धी अधिकार—धारा-132 के अन्तर्गत निदेशक अथवा आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत होने पर निर्धारण अधिकारी को किसी भी मकान आदि में प्रवेश पाने तथा तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त है। यह तलाशी आदि में प्राप्त हुई वस्तुओं को अपने कब्जे में रख सकता है। (इसका विस्तृत विवरण आयुक्त के अधिकारों में पीछे दिया जा चुका है।)

सूचना प्रदान कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त का निर्णय अन्तिम है तथा उसके निर्णय के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

(8) प्रॉवीडेण्ट फण्ड आदि को मान्यता प्रदान करना—आय-कर कमिश्नर किसी प्रॉवीडेण्ट फण्ड, सुपरएनुएशन फण्ड तथा ग्रेच्युइटी फण्ड को मान्यता प्रदान कर सकता है। कुछ दशाओं में मान्यता रद्द भी की जा सकती है।

नोट—आयुक्त के न्याय सम्बन्धी अधिकारों का वर्णन इसी अध्याय में आगे दिया हुआ है।

उप-आयुक्त (Deputy Commissionr)—

इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। ये आयुक्त के नियन्त्रण में कार्य करते हैं एवं इनका कार्यक्षेत्र भी आयुक्त के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी इसी के नियन्त्रण में कार्य करते है एवं कई मामलों में निर्धारण अधिकारी को, किसी करदाता पर कोई आदेश देने से पूर्व उप-आयुक्त की अनुमति लेनी पड़ती है। कभी-कभी जटिल अथवा महत्त्वपूर्ण मामलों में आयुक्त के आदेश के अनुसार इसको निर्धारण अधिकारी के कार्य भी करने पड़ सकते हैं इसका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र के निर्धारण अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करना तथा निर्देश देना है।

उप-आयुक्त के अधिकार—(1) धारा-131 के अन्तर्गत उप-आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले की कार्यवाही के सम्बन्ध में वे सब अधिकार मिले हुए हैं जो Code of Civil Procedure, 1908 के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त होते हैं।

(इनका विवरण आयुक्त के अधिकारों में दिया गया है)

(2) धारा-132 के अन्तर्गत तलाशी लेने का अधिकार—इसका विस्तृत विवरण आयुक्त के अधिकारों में पढ़िये।

(3) *सूचना प्राप्त करने का अधिकार*—धारा-133 के अन्तर्गत उप-आयुक्त इस अधिनियम के सम्बन्ध में :

(क) किसी फर्म से उसके साझेदारों के नाम, पते एवं उनके लाभ-हानि के भागों का विवरण माँग सकता है।

(ख) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार से परिवार के कर्ता व परिवार के सदस्यों के नाम व पतों का विवरण माँग सकता है।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको वह ट्रस्टी, अभिभावक व एजेन्ट समझता है, ऐसे व्यक्तियों के नाम व पतों का विवरण मांग सकता है जिसके लिए वह ट्रस्टी, अभिभावक या एजेन्ट है।

(घ) किसी करदाता से उन सब व्यक्तियों के नाम, पते व उनको भुगतान की हुई रकमों का विवरण मांग सकता है जिन्हें उसने गत वर्ष में 1,000 रु. से अधिक की रकम किराया, ब्याज, कमीशन, रॉयल्टी, दलाली एवं वार्षिकी आदि के रूप में भुगतान की हो। (वेतन शीर्षक में आने वाली वार्षिकी के अतिरिक्त)

(ड) स्टॉक एक्सचेन्ज व कमोडिटी एक्सचेन्ज के प्रबन्ध से सम्बन्धित किसी व्यक्ति, विक्रेता (Dealer), दलाल व एजेन्ट से ऐसे व्यक्तियों के नाम व पतों आदि का विवरण माग सकता

है जिनको गत वर्ष में सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उसके द्वारा या एक्सचेन्ज के द्वारा कोई भुगतान किया गया है, अथवा जिनसे कोई भुगतान प्राप्त किया गया है।

(छ) किसी व्यक्ति से, जिनमें बैंकिंग कम्पनी तथा इसका अधिकारी भी सम्मिलित है, ऐसी आवश्यक सूचना हिसाब-किताब आदि मांग सकता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत चल रही किसी जांच अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में सहायक प्रतीत हो।

(4) कम्पनियों के रजिस्टर के निरीक्षण का अधिकार—धारा-134 के अन्तर्गत उप-आयुक्त किसी भी कम्पनी के अंशधारियों, ऋण-पत्रधारियों तथा रहनधारियों के रजिस्टरों को देख सकता है या उनकी नकल ले सकता है या उनकी जाँच करने या नकल करने के लिए मातहत (Subordinate) किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

(5) जाँच सम्बन्धी अधिकार—धारा-133-A के अन्तर्गत उप-आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की जांच करने का अधिकार है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको भी वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच करने के सम्बन्ध मे एक निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होते हैं।

निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) – व्यावहारिक दृष्टि से आय-कर विभाग का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है, क्योंकि वास्तव में कर-निर्धारण करना और उसे वसूल करना इसी का काम है। करदाताओं से आय का नक्शा मांगना उनसे साक्षात्कार करना तथा कर-निर्धारण से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आदि सभी निर्धारण अधिकारी के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। निर्धारण अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर आयकर अधिकारी की नियुक्ति कमिश्नर भी कर सकता है। निर्धारण अधिकारी, निदेशक या सामान्य-निदेशक, आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त एवं उप-आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। इसकी सहायतार्थ आयकर इन्स्पेक्टर होते हैं जो इसके आदेशानुसार समस्त कार्य करते हैं—

1. खोज गवाहो की उपस्थिति आदि के सम्बन्ध मे अधिकार—धारा-131 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले की कार्यवाही के सम्बन्ध में वे सब अधिकार मिले हुए हैं जो Code of Civil Procedure के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त हैं।

(इनका विस्तृत विवरण आयुक्त के अधिकारों में पीछे दिया जा चुका है।)

इस धारा के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी बिना कारण लिखे हुए बहीखातों व अन्य प्रलेखों को जब्त नहीं कर सकता है तथा आयुक्त की सहमति प्राप्त किए बगैर उनको 15 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है।

2. तलाशी लेने व कब्जे में लेने सम्बन्धी अधिकार—धारा-132 के अन्तर्गत निदेशक अथवा आयकर आयुक्त द्वारा अधिकृत होने पर निर्धारण अधिकारी को किसी भी मकान आदि में प्रवेश पाने तथा तलाशी लेने का अधिकार प्राप्त है। यह तलाशी आदि में प्राप्त हुई वस्तुओं को अपने कब्जे में रख सकता है। (इसका विस्तृत विवरण आयुक्त के अधिकारों में पीछे दिया जा चुका है।)

3. सूचना प्राप्त करने का अधिकार—धारा-133 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को किसी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट व स्टॉक एक्सचेन्ज आदि से आवश्यक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

(इसका विस्तृत विवरण पीछे उप-आयुक्त के अधिकारों में दिया जा चुका है।)

4. जाँच का अधिकार (Power of Survey)—धारा-133-A के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी—

(क) अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में किसी भी व्यापार अथवा पेशे के स्थान पर प्रवेश कर सकता है, अथवा

(ख) किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति के अधिकार में है जिस पर उस निर्धारण अधिकारी का कार्यक्षेत्र आता है तथा जहाँ उसका व्यापार अथवा पेशा चल रहा है।

(ग) किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जिसके लिये उसे किसी ऐसे आय-कर पदाधिकारी ने अधिकृत किया है जिसके कार्यक्षेत्र में ऐसा स्थान स्थित है अथवा ऐसा स्थान उस व्यक्ति के अधिकार में है जिस पर उस अधिकारी का कार्यक्षेत्र आता है।

तथा किसी ऐसे स्थान पर उपस्थित मालिक, कर्मचारी अथवा व्यापार व पेशे के संचालन में सहयोगी किसी अन्य व्यक्ति को जो उस समय कार्य कर रहा है, उपलब्ध बहीखाते एवं अन्य प्रपत्र आदि के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए कह सकता है, अथवा उस स्थान [illegible]

सकता है। निर्धारण अधिकारी इन बहीखातों अथवा प्रपत्रों पर कुछ चिन्ह बना सकता है अथवा हस्ताक्षर कर सकता है जिससे कि इन्हें पहचानने में भविष्य में कोई कठिनाई न हो। ऐसे बहीखातों व प्रपत्रों आदि की नकल लेने का उसे अधिकार प्राप्त है। निर्धारण अधिकारी अपने द्वारा जाँची गई एवं प्रमाणित की गई रोकड, स्कन्ध या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बना सकता है तथा किसी भी व्यक्ति के बयान लिख सकता है। इस धारा के अन्तर्गत वह इन बहीखातों व प्रपत्रों आदि को उस स्थान से हटा नहीं सकता है। यदि उस स्थान पर उपस्थित मालिक, कर्मचारी आदि बहीखाते व प्रपत्रों को देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए मना कर दे तो निर्धारण अधिकारी धारा-131 के अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है।

(ग) किसी उत्सव या घटना पर किये गये व्यय की प्रकृति एवं मात्रा को देखते हुए यदि निर्धारण अधिकारी लाभप्रद समझे तो उत्सव या घटनाओं के बाद किसी भी समय व्यय करने वाले करदाता को या अन्य किसी व्यक्ति को जिसके पास निर्धारण अधिकारी के विचार से खर्चे सम्बन्धी सूचना है, वांछित सूचना देने के लिए कह सकता है तथा उसके लिखित रूप में बयान ले सकता है। किसी भी कार्यवाही में इन बयानों को प्रमाण के रूप में काम लिया जा सकता है।

(घ) कम्पनियों के रजिस्टरों के निरीक्षण का अधिकार (धारा-134) – इसका विस्तृत विवरण उप-आयुक्त के अधिकारों के अन्तर्गत पीछे दिया गया है।

टिप्पणी—निर्धारण अधिकारी से आशय अायकर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त से होता है परन्तु कुछ विशेष मामलों में निदेशक या आयुक्त किसी उप-आयुक्त को भी निर्धारण अधिकारी का कार्य करने को कह सकते हैं।

आयकर इन्स्पेक्टर (Income Tax Inspector)– आयकर इन्स्पेक्टर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार, आयकर आयुक्त द्वारा की जाती है। जिस निर्धारण अधिकारी के अधीन उसको नियुक्त कर दिया जाता है, उसके नियन्त्रण में उसके द्वारा दिये गये कार्यों को यह सम्पन्न करता है। इसका प्रमुख कार्य नये-नये करदाताओं का पता लगाना तथा निर्धारण अधिकारी की आज्ञानुसार किसी भी प्रकार की जाँच करना है। धारा-133-A के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर वह अपने क्षेत्र में किसी व्यवसाय या पेशे के स्थान पर प्रवेश कर सकता है तथा धारा-133-A के अन्तर्गत वे सब कार्य कर सकता है जो निर्धारण अधिकारी कर सकता है।

न्याय सम्बन्धी पदाधिकारी

निर्धारण अधिकारी—न्याय सम्बन्धी अधिकारियों में इसका स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी करदाता पर कर का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। ऐसा करते समय इसे चाहिये कि करदाता के साथ निष्पक्ष भाव से न्यायपूर्ण व्यवहार करे। कुछ विशेष मामलों में इसे अपना निर्णय भी देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी करदाता के बहीखाते अपूर्ण होने पर उस पर कर-निर्धारण करना। ऐसा करते समय उसे न्यायशील होना चाहिए।

अधिकार—आयकर अधिकारी के जिन प्रशासन सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख पीछे किया गया है, इनमें से धारा-131, 133, व 134 से सम्बन्धित अधिकार न्याय से भी सम्बन्धित हैं।

उप-आयुक्त (अपील्स) (Deputy Commissioner Appeals)–

जब कोई करदाता निर्धारण अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होता तथा उसके निर्णय के बारे में कुछ कहना चाहता है तो वह उप-आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील कर सकता है। यह सीधे Central Board of Direct Taxes के नियन्त्रण में कार्य करता है। परन्तु अपील सम्बन्धी मामलों में बोर्ड को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होता। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

उप-आयुक्त (अपील्स) के अधिकार—इसको अधिनियम की धारा-131, 133 व 134 के अन्तर्गत वे सब अधिकार प्राप्त हैं जिनका उल्लेख पीछे शासन सम्बन्धी अधिकारियों में अन्य अधिकारियों के लिए किया गया है। इन अधिकारों के अतिरिक्त इसको धारा-251 के अन्तर्गत अपील के निर्णय के सम्बन्ध में भी अधिकार प्रदान किए हैं, जो इस प्रकार हैं—

(अ) कर-निर्धारण के विरूद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में उसको कर-निर्धारण को मानने (Confirm), कम करने, बढ़ाने या रद्द करने का अधिकार है। उसे निर्धारण अधिकारी को अपने निर्देशानुसार फिर से कर-निर्धारण करने का आदेश देने का अधिकार है।

(ब) अर्थदण्ड के विरूद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में उसको अर्थदण्ड को मानने अथवा रद्द करने का अधिकार है। उसे अर्थदण्ड की राशि को कम करने या अधिक करने का अधिकार है।

(स) अन्य किसी प्रकार की अपील के सम्बन्ध में वह जैसा उचित समझे, निर्णय दे सकता है।

परन्तु यदि उप आयुक्त (अपील्स) के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप करदाता के उत्तरदायित्व में वृद्धि होती है तो वह ऐसा निर्णय तभी दे सकता है जबकि उसने निर्णय के पहले करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर प्रदान कर दिया हो।

आयकर आयुक्त (अपील) --

आयकर आयुक्त (अपील) की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार उनकी संख्या निर्धारित करती है। यह बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कार्य करता है। यदि निर्देश एक ही आय, एक ही क्षेत्र और एक ही व्यक्तियों के सम्बन्ध में दो अथवा अधिक आयुक्त (अपील) को किया जाता है, तो उनके कार्य क्षेत्र का वितरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा वे उसी के अनुसार कार्य करेंगे।

वर्तमान में यह गैर-कम्पनी करदाताओं की दशा में 1,00,000 रू. से अधिक आय के मामलों एवं कम्पनी करदाताओं की दशा में 5,00,000 रु. से अधिक आय के मामलों की सुनवाई करता है।

आयकर आयुक्त (अपील) के अधिकार--

(1) इनको अधिनियम की धारा-131, 133 व 134 के अन्तर्गत वे सब अधिकार प्राप्त हैं जिनका उल्लेख पीछे शासन सम्बन्धी अधिकारों में अन्य अधिकारियों के लिए किया गया है।

(2) धारा-246 (2) में दी गई परिस्थितियों में कोई करदाता सम्बन्धित अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो इसको अपील कर सकता है। ऐसी अपील को निपटाने के सम्बन्ध में इसको धारा-251 में वे सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक उप-आयुक्त (अपील) को होते हैं।

आयकर आयुक्त (Commissioner of Income Tax)--प्रमुख रूप से तो आयकर आयुक्त प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी ही है, परन्तु इसको कुछ न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्रदान किये गये हैं जिनका वर्णन अपील एवं पुनर्विचार वाले अध्याय में दिया गया है।

अन्य अधिकारी--न्याय सम्बन्धी अन्य अधिकारियों में अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट आते हैं जिनका वर्णन अपील एवं पुनर्विचार वाले अध्याय में किया गया है।

प्रश्न
(Questions)

1. भारतीय आयकर विधान से सम्बन्धित आयकर पदाधिकारियों के कार्यों का वर्णन कीजिए।
   Describe the functions of the Income Tax Authorities related to Indian Income Tax Act.
2. निर्धारण अधिकारी के अधिकार एवं कर्त्तव्यों की विवेचना कीजिए।
   Discuss the rights and duties of Assessing Officer.
3. भारत में आयकर विधान का प्रशासन करने वाले विभिन्न पदाधिकारियों का वर्णन कीजिए।
   Describe the various authorities entrusted with the work of administrating the Law of Income Tax in India.
4. आयकर आयुक्त के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
   Describe the powers of the Commissioner of Income-Tax.

ΩΩΩ

16
कर-निर्धारण की कार्यविधि
(Procedure of Assessment)

आय का नक्शा (Return of Income) –

1. नक्शा दाखिल किये जाने की समय सीमा—धारा-139 [1] के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी गत वर्ष की आय अथवा अन्य किसी व्यक्ति की कुल आय जिसकी आय के सम्बन्ध में इस पर कर-निर्धारण होना है, अधिकतम कर-मुक्त राशि[1] से अधिक हो जाती है, अपनी अथवा उस अन्य व्यक्ति को गत वर्ष की कुल आय का नक्शा निर्धारित फार्म में तथा निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में निम्न अवधि के भीतर दाखिल करना होता है—

(a) यदि करदाता कोई कम्पनी है तो कर-निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर तक,

(b) गैर-कम्पनी करदाताओं की दशा में—

(i) यदि आय-कर अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के तहत करदाता के बहीखातों का अंकेक्षण होना आवश्यक है अथवा धारा-80-HHC अथवा धारा-80-HHD के तहत लेखापाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा धारा 80R अथवा धारा 80RR अथवा धारा 80RRA के तहत निर्धारित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तो कर-निर्धारण वर्ष की 31 अक्टूबर तक। इसी प्रकार सहकारी समिति अथवा फर्म के सक्रिय साझेदार की दशा में जिनके खातों का इस अधिनियम या अन्य किसी कानून के तहत अंकेक्षण होना आवश्यक है, के लिए भी 31 अक्टूबर तक।

(ii) उपरोक्त वाक्यांश (i) लागू होने वाले करदाताओं के अलावा अन्य किसी करदाता की दशा में यदि उसकी कुल आय में व्यापार अथवा पेशे की आय सम्मिलित है तो कर-निर्धारण वर्ष की 31 अगस्त तक।

(iii) अन्य किसी करदाता की दशा में जो ऊपर वर्णित किसी भी वर्ग में नहीं आता हो कर-निर्धारण वर्ष की 30 जून तक।

आय का नक्शा दाखिल करने की निर्धारित तिथियाँ करदाता पर अनिवार्य रूप से लागू होती हैं। निर्धारण अधिकारी को इन तिथियों में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। निर्धारण अधिकारी करदाता को आय का नक्शा प्रस्तुत करने के लिये धारा-139 के अन्तर्गत नोटिस

---

1 कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, और व्यक्तियों के समुदाय के लिए अधिकतम कर-मुक्त राशि 40,000 रु है। परन्तु कम्पनी, फर्म एव सहकारी समिति के लिए सीमा नहीं है। इनको अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

जारी नहीं करेगा। परन्तु यदि करदाता ने सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है तो वह धारा-142 (1) (i) के अन्तर्गत ऐसा नोटिस जारी कर सकता है।

यदि करदाता निर्धारित तिथि के पश्चात् आय का नक्शा प्रस्तुत करता है तो देरी की अवधि के लिए उसे 2% प्रति माह की दर से धारा 234 A के अनुसार ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की गणना के लिए महीने के किसी भाग को भी पूरा लिया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति इस उप धारा के तहत आय का नक्शा प्रस्तुत नही करता है परन्तु वह बोर्ड द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में रहता है तथा जो गत वर्ष में किसी भी समय निम्न शर्तों में से कोई दो शर्तें पूरी कर देता है तो उसे गत वर्ष में निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित एव वांछित अन्य सूचनाओं को प्रगट करते हुये निर्धारित विधि से सत्यापित करते हुये अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करना होगा—

(i) जो निर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक क्षेत्र वाली अचल सम्पत्ति का स्वामी है; अथवा
(ii) जो मोटर-कार का मालिक है अथवा जिसने मोटर कार पट्टे पर ले रखी है; अथवा
(iii) जिसने टेलीफोन ले रखा है; अथवा
(*iv*) जिसने स्वय की या अन्य किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा पर व्यय किया है।

हानि का नक्शा दाखिल करना [धारा-139 (3)] – यदि किसी व्यक्ति को 'व्यापार अथवा पेशे की आय' शीर्षक के अन्तर्गत अथवा 'पूँजीगत लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कोई हानि हुई है जिसे कि वह आगे ले जाना चाहता है तो वह धारा-139 (1) में दी गई समय-सीमा के अन्दर हानि का नक्शा निर्धारित फार्म में निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके दाखिल कर सकता है। ऐसी हानि के नक्शे के सम्बन्ध में धारा-139 (1) के समस्त नियम लागू होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि का नक्शा दाखिल नही करता है तो उसको उस हानि को आगे ले जाने एवं पूरा करने का अधिकार नहीं मिलता है।

आय का नक्शा देर से दाखिल करना [धारा-139 (4)] – यदि किसी व्यक्ति ने धारा 139 (1) के अन्तर्गत दी हुई अवधि अथवा धारा 142 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में वर्णित अवधि में अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है तो वह भी गत वर्ष के लिए सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर अथवा कर-निर्धारण सम्पन्न होने से पूर्व (दोनों में जो भी पहले हो) कभी भी आय का नक्शा प्रस्तुत कर सकता है।

पुण्यार्थ तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी सम्पत्ति से आय :

धारा-139 (4-अ) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसे पुण्यार्थ एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई सम्पति एवं ऐच्छिक चन्दों से आय प्राप्त होती है और यदि ऐसी कुल आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक है तो उसे निर्धारित फार्मों पर और निर्धारित ढंग से निर्धारित अवधि में आय का रिटर्न प्रस्तुत करना पड़ेगा।

आय का संशोधित नक्शा दाखिल करना [धारा-139 (5)] – यदि किसी व्यक्ति को धारा-139 (1) के अन्तर्गत अथवा धारा-142 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस की अनुपालना में अपनी आय का नक्शा दाखिल करने के बाद यह पता चलता है कि नक्शे में या तो कोई गलत विवरण दे दिया गया है या उसमें कोई आय लिखने से छूट गई है तो वह

धारा 139 (5) के अन्तर्गत कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर अथवा कर-निर्धारण सम्पन्न होने से पूर्व (दोनों में जो भी पहले हो) किसी भी समय आय का संशोधित नक्शा दाखिल कर सकता है।

आय का नक्शा दोषपूर्ण होना [धारा-139 (9)] – यदि निर्धारण अधिकारी के विचार से किसी करदाता के द्वारा दाखिल किया गया आय का नक्शा दोषपूर्ण है तो करदाता को दोष के बारे में सूचना देगा तथा उसे सूचना की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर उस दोष को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा। करदाता द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर निर्धारण अधिकारी 15 दिन की अवधि में वृद्धि भी कर सकता है। यदि करदाता उक्त 15 दिन की अवधि में तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि में दोष को नहीं सुधारता है तो इस अधिनियम की अन्य किसी व्यवस्था में भले ही कुछ भी दिया हो, नक्शे को अवैध माना जायेगा तथा इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को यह मानते हुये लागू किया जायेगा कि करदाता ने नक्शा दाखिल नहीं किया है।

यदि करदाता 15 दिन की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि के बाद परन्तु कर-निर्धारण किए जाने के पूर्व दोष को सुधार देता है तो निर्धारण अधिकारी इस देरी को माफ कर सकता है तथा नक्शे को वैध मान सकता है।

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित शर्तों में से यदि एक भी शर्त पूरी नहीं की जायेगी तो यह माना जायेगा कि नक्शा दोषपूर्ण है—

(i) प्रत्येक शीर्षक की कर-योग्य आय, सकल कुल आय एवं कुल आय की गणना से सम्बन्धित आय के नक्शे में दिये गये विवरण, खाने (Annextures, Statements and Columns) आदि भली प्रकार से भरे गये हैं।

(ii) आय के नक्शे के साथ एक ऐसा विवरण लगाया गया है जिसमें नक्शे के आधार पर देय कर की गणना प्रकट की गई हो।

(iii) आय के नक्शे के साथ निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये जाने चाहिये—

(a) उद्गम स्थान पर कर की कटौती, कर का अग्रिम भुगतान एवं कर-निर्धारण पर कर के भुगतान से सम्बन्धित प्रमाण यदि करदाता ने इनके भुगतान का दावा किया है।

(b) अनिवार्य जमा योजना (आयकर भुगतानकर्ता) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत जमा की गई राशि, यदि कोई हो।

(iv) यदि करदाता द्वारा बहीखाते की नियमित पुस्तकें रखी गई हैं तो नक्शे के साथ निम्न की प्रतिलिपियाँ लगाई जानी चाहिये—

(a) निर्माण खाता, व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता अथवा आय-व्यय खाता अथवा वैसा ही अन्य कोई खाता एवं चिट्ठा।

(b) एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय या पेशे की दशा में स्वामी के व्यक्तिगत खाते की प्रति, फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदायों की दशा में साझेदार अथवा सदस्यों के व्यक्तिगत खाते की प्रति। किसी फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय के सदस्य के नक्शे के साथ भी उसके फर्म या समुदाय के व्यक्तिगत खाते की प्रति लगाई जानी चाहिये।

(v) यदि खातों का अंकेक्षण कर लिया गया है तो अंकेक्षित लाभ-हानि एवं चिट्ठे की प्रति तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति। यदि करदाता के लागत लेखों का [illegible]

अधिनियम, 1956 की धारा-233 B के तहत कराया गया है तो इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिवेदन भी।

(vi) यदि करदाता के द्वारा हिसाब-किताब की नियमित पुस्तकें नहीं रखी गई हैं तो नक्शे के साथ एक ऐसा विवरण लगाया जाना चाहिये जिसमें विक्रय की राशि अथवा सकल प्राप्ति, व्यापार का सकल लाभ, खर्चे एवं शुद्ध लाभ प्रकट किया गया हो तथा इन राशियों को ज्ञात करने का आधार भी प्रकट किया गया हो। इसके साथ ही गत वर्ष के अन्त में लेनदारों, देनदारों, स्टॉक एवं नकद का विवरण।

(vii) धारा 44AB में वर्णित पेशे में संलग्न करदाताओं को अपनी आय के नक्शे के साथ उस धारा में वर्णित विधि से प्राप्त बहीखातों के अंकेक्षण की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। यदि ऐसी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी गई हो तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि एवं ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण पत्र आय के विवरण के साथ संलग्न करना होगा।

स्थायी खाता संख्या (धारा 139A) :

स्थायी खाता संख्या से आशय ऐसी संख्या से है जो करदाता की शीघ्र पहचान किये जाने के उद्देश्य से किसी कर-निर्धारण अधिकारी ने करदाता को आवंटित किया है। इसमें नई श्रेणी में जारी किया गया स्थायी खाता संख्या भी शामिल है। नई श्रेणी में स्थायी खाता संख्या से आशय ऐसे स्थायी खाता संख्या से है जिसमें दस अंक या अक्षर (Alphanumeric characters) हों तथा जिसे लेमीनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया गया हो। कर निर्धारण अधिकारी से इस धारा के लिये आशय किसी भी ऐसे आयकर पदाधिकारी से होगा जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित करने का कार्य दिया गया है। स्थायी खाता संख्या सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं—

(1) कोई भी व्यक्ति जो निम्न तीन श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आता हो तथा जिसको स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया हो, निर्धारित समय में निर्धारण अधिकारी को स्थायी खाता संख्या आवंटित करने के लिये आवेदन करेगा—

(i) यदि उसकी कुल आय अथवा अन्य किसी व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में वह करदाता हो, गत वर्ष में अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक हो जाती है; अथवा

(ii) यदि वह किसी व्यापार अथवा पेशे में लगा हुआ है तो उसकी कुल बिक्री, आवर्त अथवा सकल प्राप्ति किसी भी गत वर्ष में 50,000 रु. से अधिक हो गई है अथवा होने की सम्भावना है; अथवा

(iii) यदि उसको धारा 139(4A) के तहत आय का विवरण प्रस्तुत करना है।

(2) कर-निर्धारण अधिकारी अन्य किसी भी व्यक्ति को, जिसके द्वारा कर देय है, स्थायी खाता संख्या आवंटित कर सकता है।

(3) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वाक्यांश (1) अथवा (2) में नहीं आता हो कर निर्धारण अधिकारी को स्थायी खाता संख्या आवंटित करने के लिये आवेदन कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में भी कर-निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या आवंटित करेगा।

(4) नई श्रेणी में स्थायी खाता संख्या आवंटित किये जाने के उद्देश्य से बोर्ड राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा एक तिथि निर्धारित करेगा जिसके बाद वे करदाता जिनको पहले से स्थायी खाता संख्या आवंटित की गई है अपने कर निर्धारण अधिकारी को नई श्रेणी में उनको

स्थायी खाता संख्या आवंटित करने के लिये आवेदन करेंगे। इन करदाताओं का नया स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिये जाने के बाद इनका पुराना स्थायी खाता संख्या निरस्त हो जायेगा।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जिसको नया स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है उसे चाहिये कि वह किसी भी आयकर पदाधिकारी से पत्र-व्यवहार करते समय, भुगतान के लिये कोई चालान भरते समय अथवा इस सम्बन्ध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत करते समय उन पत्रों पर अपना नया स्थायी खाता नम्बर अवश्य लिखे। उसको अपने पते में परिवर्तन की सूचना भी अपने कर-निर्धारण अधिकारी को देनी चाहिए।

(6) जिस व्यक्ति को एक बार नई श्रेणी में स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है वह दुबारा नये स्थायी खाता संख्या के लिये आवेदन नहीं करेगा।

नक्शे पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए (Return by whom to be signed)—

धारा-139 के अन्तर्गत दाखिल किया जाने वाला आय का नक्शा निम्न व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जा सकता है—

(अ) यदि करदाता एक व्यष्टि है तो वह स्वयं उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। जब करदाता भारत के बाहर गया हुआ हो तो वह स्वयं अथवा उसकी ओर से अधिकृत अन्य कोई व्यक्ति तथा यदि वह व्यष्टि अपने कार्यों के करने में मानसिक रूप से अयोग्य है तो उसके संरक्षक द्वारा या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए योग्य है, नक्शे पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि अन्य किसी कारण से उस व्यष्टि द्वारा नक्शे पर हस्ताक्षर करना सम्भव नहीं हो तो उसके द्वारा इस आशय के लिए अधिकृत अन्य व्यक्ति नक्शे पर हस्ताक्षर कर सकता है। मानसिक अयोग्यता के अलावा अन्य किसी दशा में यदि अन्य व्यक्ति द्वारा नक्शे पर हस्ताक्षर किये जाते हैं तो उस व्यक्ति के पास ऐसे व्यष्टि से प्राप्त वैध अधिकार पत्र (Power of attorney) होना आवश्यक है तथा ऐसा अधिकार-पत्र नक्शे के साथ लगाया जायेगा।

(ब) यदि करदाता हिन्दू अविभाजित परिवार है तो परिवार का कर्त्ता आय के नक्शे पर हस्ताक्षर करता है। यदि कर्त्ता भारत के बाहर गया हुआ है अथवा अपने कार्यों के करने में मानसिक रूप से अयोग्य है तो परिवार का अन्य कोई वयस्क सदस्य नक्शे पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(स) करदाता कम्पनी होने पर प्रबन्ध संचालक द्वारा। यदि प्रबन्ध संचालक न हो अथवा किसी मजबूरी की वजह से वह आय के नक्शे को प्रमाणित न कर सके अथवा हस्ताक्षर न कर सके तो किसी भी संचालक द्वारा।

यदि कम्पनी भारत में निवासी नहीं है तो नक्शा किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जा सकता है जिसके पास कम्पनी की ओर से वैध अधिकार-पत्र (Power of attorney) हो तथा ऐसा अधिकार-पत्र नक्शे के साथ लगाया जायेगा।

यदि कम्पनी समापन में जा रही हो तथा उसके प्रापक (Receiver) की नियुक्ति की गई है तो नक्शे पर हस्ताक्षर धारा 178 (1) में वर्णित समापक (Liquidator) द्वारा किये जायेंगे।

यदि कम्पनी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने ले लिया है तो हस्ताक्षर कम्पनी के प्रमुख अधिकारी द्वारा किये जायेंगे।

(1) आय के नक्शे के आधार पर कर-निर्धारण (Summary Assessment)–यदि करदाता ने धारा-139 अथवा धारा-142 (1) में जारी किये गये नोटिस की अनुपालना में आय का नक्शा प्रस्तुत किया है एवं ऐसे नक्शे के आधार पर कोई कर की राशि अथवा ब्याज की राशि अथवा दोनों राशियाँ करदाता द्वारा देय हैं तो करदाता को इनके भुगतान के लिए सूचना भेजी जायेगी। कर अथवा ब्याज के भुगतान की सूचना सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष बाद नहीं दी जा सकती है। करदाता द्वारा देय कर ब्याज अथवा उनको लौटाई जाने वाली राशि की गणना करने के लिए नक्शे में घोषित की गई आय अथवा हानि की राशि में निम्नलिखित समायोजन किये जायेंगे।

(i) आय के नक्शे में अथवा बहीखातों में अथवा नक्शे के साथ लगाये गये प्रपत्रों में कोई गणना सम्बन्धी त्रुटि हो तो उसे सुधार दिया जायेगा।

(ii) आगे लाई गई कोई हानि, कटौती, छूट अथवा रियायत जो कि नक्शे, बहीखातों *अथवा नक्शे के साथ लगाये गये प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर स्वीकृत है परन्तु* जिसकी नक्शे में माँग नहीं की गई है, स्वीकृत कर दी जायेगी।

(iii) आगे लाई गई हानि, कटौती, छूट अथवा रियायत जो नक्शे, बहीखातों अथवा नक्शे *के साथ लगाये गये प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर अस्वीकृत है तो उसे अस्वीकृत कर* दिया जायेगा।

यदि करदाता द्वारा नक्शे में दिखाई गई आय में उपर्युक्त में से कोई समायोजन किया *जाता है तो इसकी सूचना करदाता को दी जायेगी, चाहे भले ही समायोजन के बाद करदाता* द्वारा कर अथवा ब्याज के रूप में कोई भी राशि देय नही है।

अपील में दिये गये आदेश, भूल सुधार, पुनर्विचार, पुनः कर-निर्धारण अथवा निपटारा *आयोग द्वारा दिये गये आदेश के परिणामस्वरूप जो किसी पिछले कर-निर्धारण से सम्बन्धित* है तथा इस वर्ष का नक्शा प्रस्तुत करने के बाद दिया गया है, करदाता के द्वारा मांगी गई कटौती, छूट, रियायत अथवा आगे लाई गई हानि की राशि में अन्तर हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि इस अन्तर के कारण करदाता द्वारा कोई कर या ब्याज की राशि देय हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख करते हुए इस आशय की सूचना दी जायेगी। इस सूचना को धारा-156 के तहत मांग का नोटिस माना जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अधिनियम की अन्य व्यवस्थायें भी लागू होंगी। यदि अन्तर के कारण करदाता को कोई राशि वापस की जानी हो तो ऐसी वापसी स्वीकृत कर दी जायेगी।

इस वाक्यांश के अन्तर्गत देय किसी कर या ब्याज की राशि के सम्बन्ध में जिस वित्तीय वर्ष में ऐसा आदेश दिया गया हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष बाद मांग का नोटिस नहीं दिया जायेगा।

यदि करदाता व्यक्तियों के समुदाय का सदस्य है और समुदाय की आय में समायोजन कर दिया जाता है तो सदस्य की आय में भी समायोजन कर दिया जायेगा।

उपरोक्त वाक्यांश (i) से (iii) में वर्णित समायोजनों के परिणामस्वरूप यदि (a) किसी करदाता के द्वारा नक्शे में घोषित आय में वृद्धि हो जाती है अथवा (b) ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषित हानि में कमी हो जाती है या हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी *निम्न कार्यवाही करेगा—*

(द) करदाता साझेदारी संस्था होने की दशा में प्रबन्ध करने वाले साझेदार द्वारा। यदि प्रबन्ध करने वाला साझेदार किसी मजबूरी की वजह से नक्शे को प्रमाणित न कर सके अथवा नक्शे पर हस्ताक्षर न कर सके तो उसके किसी भी वयस्क साझेदार द्वारा नक्शे पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

(य) करदाता व्यक्तियों का समुदाय होने की दशा में समुदाय के किसी सदस्य द्वारा अथवा उसके किसी प्रमुख अधिकारी द्वारा नक्शे पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

(र) करदाता स्थानीय सत्ता होने की दशा में उसका प्रधान अधिकारी नक्शे पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(फ) अन्य किसी दशा में उस व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के योग्य कोई अन्य व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(ग) धारा 139 (4B) में वर्णित राजनैतिक दल की दशा में हस्ताक्षर राजनैतिक दल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (Chief executive officer) द्वारा किये जायेंगे चाहे भले ही इसे सचिव अथवा अन्य किसी भी नाम से जाना जाये।

विभिन्न प्रकार के कर-निर्धारण

स्वयं कर-निर्धारण (self Assessment) [धारा-140A] यदि करदाता ने धारा 139 अथवा धारा 142 अथवा धारा 148 के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा दाखिल किया है तो उस नक्शे के आधार पर निकाली गई देय-कर की राशि [पेशगी चुकाये गये कर एवं उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर को घटाने के बाद] नक्शा दाखिल करने के पूर्व करदाता को स्वयं को चुकानी होगी। यदि करदाता ने आय का नक्शा देरी से दाखिल किया हो अथवा कर का अग्रिम भुगतान समय पर नहीं किया हो तो धारा 234 A, 234 B अथवा 234 C के अन्तर्गत देय ब्याज का भी भुगतान करदाता स्वयं ही करेगा तथा अपनी आय के नक्शे के साथ भुगतान किये गये कर एवं ब्याज (यदि कोई हो) का प्रमाण भी संलग्न करेगा। यदि करदाता ने नक्शे के आधार पर देय कर एवं ब्याज की राशि से कम राशि का भुगतान किया है तो पहले ब्याज की राशि का समायोजन किया जायेगा एवं शेष बची हुयी राशि का समायोजन देय कर की राशि के लिए किया जायेगा।

यदि करदाता ने कर की राशि का भुगतान नहीं किया हो अथवा देय राशि से कम राशि का भुगतान किया हो तो करदाता को कर के भुगतान के लिये दोषी माना जायेगा तथा उस पर कर अथवा ब्याज की वसूली के लिये कार्यवाही की जायेगी। इस दशा में इस अधिनियम की अन्य धाराओं में जो भी व्यवस्था दी गई होगी वह इस करदाता पर लागू होगी। इस धारा 140 A (3) में किसी दण्ड, जुर्माना अथवा सजा का प्रावधान नहीं है।

नियमित कर-निर्धारण—(Regular Assessment)—नियमित कर-निर्धारण से अभिप्राय धारा 143 अथवा धारा 144 के अन्तर्गत किये जाने वाले कर-निर्धारण से है। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं—

(1) आय के नक्शे के आधार पर

(2) आय के सम्बन्ध में दिये गये सबूतो एवं प्रमाण के आधार पर, अथवा

(3) सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर।

(1) आय के नक्शे के आधार पर कर-निर्धारण (Summary Assessment)—यदि करदाता ने धारा-139 अथवा धारा-142 (1) में जारी किये गये नोटिस की अनुपालना में आय का नक्शा प्रस्तुत किया है एवं ऐसे नक्शे के आधार पर कोई कर की राशि अथवा ब्याज की राशि अथवा दोनों राशियाँ करदाता द्वारा देय हैं तो करदाता को इनके भुगतान के लिए सूचना भेजी जायेगी। कर अथवा ब्याज के भुगतान की सूचना सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष बाद नहीं दी जा सकती है। करदाता द्वारा देय कर ब्याज अथवा उनको लौटाई जाने वाली राशि की गणना करने के लिए नक्शे में घोषित की गई आय अथवा हानि की राशि में निम्नलिखित समायोजन किये जायेंगे।

(i) आय के नक्शे में अथवा बहीखातों में अथवा नक्शे के साथ लगाये गये प्रपत्रों में कोई गणना सम्बन्धी त्रुटि हो तो उसे सुधार दिया जायेगा।

(ii) आगे लाई गई कोई हानि, कटौती, छूट अथवा रियायत जो कि नक्शे, बहीखातों अथवा नक्शे के साथ लगाये गये प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर स्वीकृत है परन्तु जिसकी नक्शे में माँग नहीं की गई है, स्वीकृत कर दी जायेगी।

(iii) आगे लाई गई हानि, कटौती, छूट अथवा रियायत जो नक्शे, बहीखातों अथवा नक्शे के साथ लगाये गये प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर अस्वीकृत है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

यदि करदाता द्वारा नक्शे में दिखाई गई आय में उपर्युक्त में से कोई समायोजन किया जाता है तो इसकी सूचना करदाता को दी जायेगी, चाहे भले ही समायोजन के बाद करदाता द्वारा कर अथवा ब्याज के रूप में कोई भी राशि देय नही है।

अपील में दिये गये आदेश, भूल सुधार, पुनर्विचार, पुनः कर-निर्धारण अथवा निपटारा आयोग द्वारा दिये गये आदेश के परिणामस्वरूप जो किसी पिछले कर-निर्धारण से सम्बन्धित है तथा इस वर्ष का नक्शा प्रस्तुत करने के बाद दिया गया है, करदाता के द्वारा मांगी गई कटौती, छूट, रियायत अथवा आगे लाई गई हानि की राशि में अन्तर हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि इस अन्तर के कारण करदाता द्वारा कोई कर या ब्याज की राशि देय हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता को भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख करते हुए इस आशय की सूचना दी जायेगी। इस सूचना को धारा-156 के तहत मांग का नोटिस माना जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अधिनियम की अन्य व्यवस्थायें भी लागू होंगी। यदि अन्तर के कारण करदाता को कोई राशि वापस की जानी हो तो ऐसी वापसी स्वीकृत कर दी जायेगी।

इस वाक्यांश के अन्तर्गत देय किसी कर या ब्याज की राशि के सम्बन्ध में जिस वित्तीय वर्ष में ऐसा आदेश दिया गया हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष बाद मांग का नोटिस नही दिया जायेगा।

यदि करदाता व्यक्तियों के समुदाय का सदस्य है और समुदाय की आय में समायोजन कर दिया जाता है तो सदस्य की आय में भी समायोजन कर दिया जायेगा।

उपरोक्त वाक्यांश (i) से (iii) में वर्णित समायोजनों के परिणामस्वरूप यदि (a) किसी करदाता के द्वारा नक्शे में घोषित आय में वृद्धि हो जाती है अथवा (b) ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषित हानि में कमी हो जाती है या हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी निम्न कार्यवाही करेगा—

आयुक्त द्वारा नामांकित लेखापाल से अपने बहीखातों का अंकेक्षण करवाये तथा ऐसे अंकेक्षण का प्रतिवेदन फार्म नं. 6-B में प्रस्तुत करे जो ऐसे लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित हो।

धारा-143 (2) के अन्तर्गत भेजे गए नोटिस में दी गई तिथि पर अथवा उसके पश्चात् किसी तिथि पर निर्धारण अधिकारी करदाता द्वारा दिये गये सबूतों एवं प्रमाणों के आधार पर एवं वह स्वयं अपनी सूचनाओं के आधार पर करदाता की कुल आय अथवा हानि का निर्धारण करके देय-कर अथवा वापस चुकाये जाने वाले कर की गणना करके लिखित आदेश देगा।

(3) सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best Judgement Assessment) :

जब करदाता निर्धारण अधिकारी के द्वारा जारी किए गये नोटिस का पालन नहीं करता अथवा अपूर्ण तथ्य व प्रमाण प्रस्तुत करता है तो निर्धारण अधिकारी को सम्बन्धित उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वयं निर्णय लेना होता है कि करदाता की आय कितनी होनी चाहिये। जैसा कि इस शब्द के नाम से ही प्रतीत होता है, निर्धारण अधिकारी का निर्णय सर्वोत्तम होना चाहिये। कल्पना के आधार पर ही अनुमान नहीं करना चाहिये, जिससे कि करदाता डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) को अपील करे तो उसके सम्मुख निर्धारण अधिकारी अनुमान का आधार बता सके। चूँकि यह कर-निर्धारण अकेले निर्धारण अधिकारी के अनुमान पर आधारित होता है, अतः इसे एकपक्षीय कर-निर्धारण (Ex-Parte Assessment) भी कहते हैं।

सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण दो प्रकार का होता है—*(i) अनिवार्य* (Compulsory) तथा (ii) विवेकाधीन (Discretionary) ।

अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण [धारा 144] – (i) जब कोई व्यक्ति धारा-139 (1) के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं करता या धारा-139 [4] या 139 [5] के अन्तर्गत आय का नक्शा या संशोधित नक्शा दाखिल नहीं करता,

(ii) धारा-142 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के बावजूद भी माँगी गई सूचनायें, प्रपत्र एवं लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करता अथवा धारा-142 (2) (अ) के अन्तर्गत जारी किए गये निर्देश का पालन करने में असमर्थ रहता है। यह निर्देश बहीखातों का अंकेक्षण करवाने से सम्बन्धित होता है।

(iii) आय का नक्शा दाखिल करने के बाद धारा-143 (2) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के अनुसार उपस्थित नहीं होता अथवा आय के नक्शे में दिखाई गई आय के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता,

तो निर्धारण अधिकारी अपने द्वारा एकत्रित की गई समस्त सम्बन्धित सामग्री को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय अथवा हानि का निर्धारण करेगा एवं उसके द्वारा देय राशि की गणना करेगा। ऐसे कर-निर्धारण से पूर्व करदाता को सुने जाने का अवसर देना आवश्यक है। यदि करदाता को धारा-142 (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था तो सुनवाई का अवसर नहीं दिया जायेगा।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के परिणाम—सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के निम्नलिखित परिणाम होते हैं—

(i) करदाता पर धारा-271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

(ii) निर्धारण अधिकारी सम्बन्धित गत वर्ष के लिए फर्म को रजिस्टर्ड करने से मना कर सकता है और यदि फर्म पहले से रजिस्टर्ड है तो वह उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

(iii) सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के विरूद्ध करदाता अपील करता है तो उप-आयुक्त (अपील्स) के समक्ष उसको नये तथ्य प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जाती।

अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के विरूद्ध उपाय (Remedies Against Compulsory Best Judgement Assessment)—इस प्रकार के कर-निर्धारण के विरूद्ध निम्नलिखित उपाय हैं—

(1) सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरूद्ध अपील करना—यदि करदाता ने ऐसे कर-निर्धारण को रद्द करने के लिए निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो मगर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकृत कर दिया हो अथवा करदाता यह समझता है कि निर्धारण अधिकारी ने ऐसे कर-निर्धारण में अत्यधिक कर लगा दिया है तो वह डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) को इसके विरूद्ध अपील भी कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) का निर्णय यदि सन्तोषप्रद न हो तो आगे भी अपील की जा सकती है।

(2) पुनर्विचार के लिए कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र देना—यदि करदाता चाहे तो धारा-144 के अन्तर्गत दिये गये आदेश के विरूद्ध आयुक्त को पुनर्विचार किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना-पत्र दे सकता है। ऐसा प्रार्थना-पत्र ऐसा आदेश करदाता को प्रेषित किये जाने की तिथि अथवा करदाता को ऐसे आदेश के बारे में पता चलने की तिथि दोनों में जो भी पहले हो, उसके एक वर्ष के भीतर दे देना चाहिये। ऐसे प्रार्थना-पत्र के साथ 25 रु. की फीस भेजना आवश्यक है।

विवेकाधीन सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण—जब करदाता ने हिसाब की कोई नियमित पद्धति नहीं अपनाई हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये बहीखातों की सत्यता व पूर्णता के सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी को सन्तोष न हो तो वह धारा 145 (2) के अन्तर्गत अपने विवेक के आधार पर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण कर सकता है। बहीखाते निर्धारण अधिकारी के द्वारा केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किये जा सकते हैं कि वे जटिल हैं। इस धारा के अन्तर्गत होने वाले सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण की वैधता के विरूद्ध डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) को अपील की जा सकती है।

पुन : कर-निर्धारण (Re-assessment) [धारा-147] — यदि कर-निर्धारण अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का आधार है कि किसी भी वर्ष की कर-योग्य आय पर कर नहीं लगा है तो वह धारा 148 से धारा 153 की व्यवस्थाओं के तहत ऐसी आय पर कर-निर्धारण कर सकता है अथवा पुनः कर-निर्धारण कर सकता है। यदि इस धारा के तहत की जा रही कार्यवाही के दौरान उसे पता चलता है कि और भी ऐसी आय है जो कर-योग्य है परन्तु उस पर कर नहीं लगा है तो उस आय का भी निर्धारण कर सकता है। वह सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए हानि, ह्रास-छूट एवं अन्य किसी छूट की पुनः गणना भी कर सकता है।

यदि किसी करदाता पर धारा-143 (3) अथवा इस धारा के तहत कर-निर्धारण कर दिया जाता है तो सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष बाद इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यदि किसी आय पर करदाता द्वारा धारा 139 (1) अथवा धारा 142-(2) अथवा धारा-148 के तहत आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा कर-निर्धारण से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्णतया एवं सही-सही प्रकट न करने के कारण कर नहीं लग पाया हो तो सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष बाद भी इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—(i) करदाता द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों को एवं अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत कर देने मात्र को सूचनाओं का प्रकट करना नहीं मान लिया जायेगा भले ही निर्धारण अधिकारी उचित प्रयास से उन सूचनाओं से भी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को खोज सकता था।

(ii) इस धारा के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में भी यह माना जायेगा कि कोई कर-योग्य आय कर लगाने से रह गई है—

(अ) यदि किसी करदाता की आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक हो जाती है परन्तु वह आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं करता है।

(ब) यदि करदाता ने आय का नक्शा तो प्रस्तुत कर दिया है परन्तु उस पर अभी कर-निर्धारण नहीं हुआ है तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि करदाता ने अपनी आय को कम दिखाया है अथवा हानि, कटौती, रियायत अथवा छूट की माँग अधिक की है।

(स) यदि करदाता पर कर-निर्धारण हो गया है, परन्तु—

(i) कर-योग्य आय को कम दिखाया गया है, अथवा

(ii) ऐसी आय पर कम दर से कर लगा दिया गया है, अथवा

(iii) ऐसी आय की गणना करते समय अधिक रियायत दे दी गई हो, अथवा

(iv) इस अधिनियम के तहत हानि, ह्रास-छूट या अन्य कोई छूट अधिक राशि की दे दी गई हो।

करदाताओं को नोटिस जारी किया जाना [धारा-148] धारा-147 के अन्तर्गत कर-निर्धारण, पुनः कर-निर्धारण अथवा पुनः गणना करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी करदाता को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें करदाता को नोटिस में वर्णित अवधि के भीतर सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की आय का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा। आय का यह नक्शा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा एवं निर्धारित विधि से सत्यापित किया जायेगा। ऐसे नक्शे को धारा-139 के तहत प्रस्तुत किया गया नक्शा माना जायेगा एवं इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किये गये नक्शे पर भी लागू किया जायेगा।

नोटिस देने की अवधि—धारा 149 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण के लिए नोटिस निम्नलिखित अवधि के भीतर ही दिया जा सकता है—

(i) यदि करदाता पर धारा-143 (3) अथवा धारा-147 के तहत कर-निर्धारण हो चुका था—

(a) कर-निर्धारण से बची हुई आय 50,000 रु. से कम होने पर सम्बन्धित निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 4 वर्ष के भीतर।

(b) कर-निर्धारण से बची हुई आय 50,000 रु. या अधिक हो परन्तु 1,00,000 रु. से कम हो—सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 7 वर्ष के भीतर।

(c) कर-निर्धारण से बची हुई आय 1,00,000 रु. या अधिक हो-सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 10 वर्ष के भीतर।

(ii) अन्य किसी दशा में—

(a) कर-निर्धारण से बची.हुई आय 25,000 रु. से कम होने पर सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 4 वर्ष के भीतर।

(b) कर-निर्धारण से बची हुई आय 25,000 रु. या अधिक हो परन्तु 50,000 रु. से अधिक नहीं हो-सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 7 वर्ष के भीतर।

भूल सुधार (Rectification of Mistake)

यह सम्भव है कि कर-निर्धारण में कहीं पर गलती हो जाये और यह गलती कर-निर्धारण समाप्त होने के पश्चात् बाद में कभी मालूम पड़े। यदि किसी भी मामले के रिकार्ड से यह गलती स्पष्ट होती है तो निम्नलिखित उपायों द्वारा इस प्रकार की गलती सुधारी जा सकती है—

(i) धारा 116 में वर्णित कोई भी पदाधिकारी इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत अपने स्वयं के द्वारा दिये गये आदेश में संशोधन कर सकता है।

(ii) इसके द्वारा धारा-143 (1) के अन्तर्गत जारी की गई सूचना में संशोधन कर सकता है अथवा इसके द्वारा उस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत वापसी की राशि में वृद्धि या कमी कर सकता है।

इस विषय में यह बात याद रखी जानी चाहिए कि इस प्रकार की भूल का सुधार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 4 वर्षों के अन्दर ही किया जा सकता है जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया जाने वाला आदेश दिया गया था। यह सुधार सम्बन्धित अधिकारी गलती का पता चलने पर स्वयं करता है या करदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर कर सकता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा गलती बताने पर डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) को अपने आदेश या निर्णय में संशोधन करना पड़ता है।

यदि गलती अथवा भूल ऐसी है, कि करदाता का दायित्व बढ़ जाता है। अथवा उसे वापस होने वाली राशि कम हो जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह संशोधन का आदेश देने से पूर्व करदाता को उसकी बात कहने अथवा स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर प्रदान करे। यदि भूल सुधार के कारण करदाता को और कर देना आवश्यक हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी करदाता को आयकर की राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में नोटिस देगा। यदि भूल सुधार के कारण करदाता के कर-दायित्व में कोई कमी हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी करदाता को देय वापसी की राशि का भुगतान करेगा।

ऐसी भूलों का सुधार जिनका पता रिकार्ड देखने मात्र से नहीं लगता [धारा-155]—

आय-कर अधिनियम में अनेक स्थानों पर करदाताओं को छूट इस आशा में स्वीकृत कर दी जाती है कि वे भविष्य में किसी निर्धारित शर्त को पूरा कर देंगे। यदि भविष्य में यह करदाता इस निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करे तो उस वर्ष का पुनः कर-निर्धारण जिसमें यह छूट स्वीकृत की गई थी, किया जाता है तथा ये छूटें अस्वीकृत करके भूल-सुधार कर दिया जाता है। यह कार्यवाही धारा-154 की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस धारा के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रकार की भूल-सुधार की कुछ प्रमुख परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) फर्म के कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण के परिणामस्वरूप या अन्य किसी आदेश के परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी ऐसा समझे कि किसी साझेदार के पूर्ण हुये कर-निर्धारण में उसके हिस्से में कोई रकम शामिल नहीं की गई थी अथवा जो रकम शामिल की गई थी वह सही नही थी। इसी प्रकार की भूल सुधार व्यक्तियों के समुदाय के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त लाभ-हानि के सम्बन्ध में की जा सकती है।

(ii) फर्म के कर-निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी ऐसा समझे कि फर्म के पूर्ण हुये कर-निर्धारण में किसी साझेदार को दिया गया कोई पारिश्रमिक धारा-40 (b) के तहत कटौती योग्य नहीं था तो निर्धारण अधिकारी साझेदार के कर-निर्धारण

(c) कर-निर्धारण से बची हुई आय 50,000 रु. या अधिक होने पर—सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 10 वर्ष के भीतर।

जब पुनः कर-निर्धारण किसी अपील में दिये गये निर्णय या निर्देश के पालन हेतु किया जाता है तो ऊपर वर्णित समय सीमा लागू नहीं होगी।

नोटिस जारी करने के लिये अनुमति [धारा-151]—यदि करदाता पर धारा 143 (3) या 147 के अन्तर्गत कर-निर्धारण हो चुका हो तो पुनः कर-निर्धारण के लिये नोटिस सहायक आयुक्त के स्तर से नीचे के स्तर के निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नही किया जा सकता है परन्तु यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे मामले को पुनः कर-निर्धारण के लिए उचित समझे जाने सम्बन्धी कारणों से उप-आयुक्त संतुष्ट हो जाता है तो वह ऐसा नोटिस जारी किये जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि सम्बन्धित कर-निर्धारण को समाप्त हुये चार वर्ष बीत चुके हों तो धारा-148 के अन्तर्गत नोटिस कमिश्नर अथवा मुख्य कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेकर ही जारी किया जा सकता है। निर्धारण अधिकारी को उन कारणों का उल्लेख करना होगा जिनके आधार पर वह पुनः कर-निर्धारण के लिए किसी मामले को उचित समझता है।

उपरोक्त परिस्थिति के अलावा अन्य किसी दशा में सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के चार वर्ष बाद पुनः कर-निर्धारण का नोटिस उप-आयुक्त के स्तर के नीचे के निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नही किया जा सकता है। परन्तु निर्धारण अधिकारी उप-आयुक्त की पूर्व अनुमति लेकर ऐसा नोटिस जारी कर सकता है। निर्धारण अधिकारी को उन कारणों का उल्लेख करना होगा जिनके आधार पर वह पुन· कर निर्धारण के लिये किसी मामले को उचित समझता है।

कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण की समय सीमा [धारा-153 (1)]—निम्न अवधि की समाप्ति के बाद धारा-143 अथवा धारा-144 के अन्तर्गत कर-निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा—

(a) सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि, अथवा

(b) यदि कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 अथवा पूर्व के किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए धारा-139 (4) या 139 (5) के तहत आय का नक्शा प्रस्तुत किया जाता है तो जिस वित्तीय वर्ष में ऐसा नक्शा प्रस्तुत किया जाता है,उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर।

[उपर्युक्त दोनों अवधियों में जो भी बाद में आती हो]

(2) *धारा-147 के अन्तर्गत किया जाने वाला कर-निर्धारण*, पुनः कर-निर्धारण अथवा पुनः गणना सम्बन्धी कार्यवाही निम्न अवधि में पूरी हो जानी चाहिये—

(a) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि जिस वित्तीय वर्ष में धारा-148 के तहत नोटिस जारी किया गया था।

(b) यदि उपरोक्त (a) में वर्णित नोटिस 31-2-1987 को या उसके पूर्व जारी किया गया था तो कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही 31-3-90 तक पूरी हो जानी चाहिए।

निम्न दशाओं में कर-निर्धारण, पुनः कर-निर्धारण अथवा पुनः गणना करने के लिए उपरोक्त समय सीमा लागू नहीं होगी—

(i) किसी अपील में दिये गये निर्देश के पालन हेतु किया गया कर-निर्धारण।

(ii) फर्म पर धारा-147 के अन्तर्गत कर-निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप साझेदार का पुनः कर-निर्धारण।

भूल सुधार (Rectification of Mistake)

यह सम्भव है कि कर-निर्धारण में कहीं पर गलती हो जाये और यह गलती कर-निर्धारण समाप्त होने के पश्चात् बाद में कभी मालूम पड़े। यदि किसी भी मामले के रिकार्ड से यह गलती स्पष्ट होती है तो निम्नलिखित उपायों द्वारा इस प्रकार की गलती सुधारी जा सकती है—

(i) धारा 116 में वर्णित कोई भी पदाधिकारी इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत अपने स्वयं के द्वारा दिये गये आदेश में संशोधन कर सकता है।

(ii) इसके द्वारा धारा-143 (1) के अन्तर्गत जारी की गई सूचना में संशोधन कर सकता है अथवा इसके द्वारा उस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत वापसी की राशि में वृद्धि या कमी कर सकता है।

इस विषय में यह बात याद रखी जानी चाहिए कि इस प्रकार की भूल का सुधार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 4 वर्षों के अन्दर ही किया जा सकता है जिस वित्तीय वर्ष में संशोधन किया जाने वाला आदेश दिया गया था। यह सुधार सम्बन्धित अधिकारी गलती का पता चलने पर स्वयं करता है या करदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर कर सकता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा गलती बताने पर डिप्टी कमिश्नर (अपील्स) को अपने आदेश या निर्णय में संशोधन करना पड़ता है।

यदि गलती अथवा भूल ऐसी है, कि करदाता का दायित्व बढ़ जाता है। अथवा उसे वापस होने वाली राशि कम हो जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह संशोधन का आदेश देने से पूर्व करदाता को उसकी बात कहने अथवा स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर प्रदान करे। यदि भूल सुधार के कारण करदाता को और कर देना आवश्यक हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी करदाता को आयकर की राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में नोटिस देगा। यदि भूल सुधार के कारण करदाता के कर-दायित्व में कोई कमी हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी करदाता की देय वापसी की राशि का भुगतान करेगा।

ऐसी भूलों का सुधार जिनका पता रिकार्ड देखने मात्र से नही लगता [धारा-155]—

आय-कर अधिनियम में अनेक स्थानों पर करदाताओं को छूट इस आशा में स्वीकृत कर दी जाती है कि वे भविष्य में किसी निर्धारित शर्त को पूरा कर देंगे। यदि भविष्य में यह करदाता इस निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करे तो उस वर्ष का पुनः कर-निर्धारण जिसमें यह छूट स्वीकृत की गई थी, किया जाता है तथा ये छूटें अस्वीकृत करके भूल-सुधार कर दिया जाता है। यह कार्यवाही धारा-154 की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस धारा के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रकार की भूल-सुधार की कुछ प्रमुख परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं—

(i) फर्म के कर-निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण के परिणामस्वरूप या अन्य किसी आदेश के परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी ऐसा समझे कि किसी साझेदार के पूर्ण हुये कर-निर्धारण में उसके हिस्से में कोई रकम शामिल नहीं की गई थी अथवा जो रकम शामिल की गई थी वह सही नहीं थी। इसी प्रकार की भूल सुधार व्यक्तियों के समुदाय के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त लाभ-हानि के सम्बन्ध में की जा सकती है।

(ii) फर्म के कर-निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के परिणामस्वरूप निर्धारण अधिकारी ऐसा समझे कि फर्म के पूर्ण हुये कर-निर्धारण में किसी साझेदार को दिया गया कोई पारिश्रमिक धारा-40 (b) के तहत कटौती योग्य नहीं था तो निर्धारण अधिकारी साझेदार के कर-निर्धारण

आदेश में संशोधन कर सकता है। यह संशोधन जिस सीमा तक वह राशि कटौती-योग्य नही होती उस सीमा तक साझेदार की आय में समायोजन करने के उद्देश्य से किया जाता है।

(iii) यदि अपील अथवा पुनर्विचार अथवा अन्य किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, करदाता के कर दायित्व में संशोधन कर दिया जाता है, तो सम्बन्धित अथवा प्रभावित वर्षों के कर-निर्धारण में भूल-सुधार कर दी जाती है। इसी प्रकार यदि किसी करदाता की ह्रास सम्बन्धी छूट अथवा हानि के सम्बन्ध में किसी पिछले गत वर्ष की पुनः गणना की जाती है तथा संशोधन किया जाता है तो प्रभावित अगले वर्षों के कर-निर्धारण में भूल-सुधार कर दी जाती है।

(iv) यदि निम्नलिखित छूटों से सम्बन्धित शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है—

(a) विकास भत्ता

(b) विनियोग भत्ता

(c) मकान के विक्रय से सम्बन्धी पूँजी लाभ

(d) भूमि के विक्रय से सम्बन्धी पूँजी लाभ

(e) भूमि एव भवन के अनिवार्य अधिग्रहण सम्बन्धी पूंजी लाभ।

(v) किसी डूबत ऋण के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी यह समझता है कि यह ऋण पिछले किसी गत वर्ष में डूब गया था तो वह सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए यह छूट स्वीकृत करते हुए भूल-सुधार कर सकता है।

(vi) यदि किसी करदाता को धारा-35 (2B) के अन्तर्गत वैज्ञानिक अनुसन्धान के कुछ व्ययों के सम्बन्ध में कटौती प्रदान कर दी जाती है परन्तु वह करदाता उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए स्वीकृत अवधि की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर भी निर्धारित सत्ता से कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो उक्त धारा-35 (2B) के अन्तर्गत दी गई कटौती भूल से दी गई मानी जायेगी और आय-कर अधिकारी आवश्यक समायोजन करते हुए सम्बन्धित गत वर्ष की कुल आय की पुनः गणना करेगा। धारा-154 में वर्णित पुनः कर निर्धारण के लिए 4 वर्ष की अवधि की गणना उस गत वर्ष की समाप्ति से की जायेगी जिसमें निर्धारित सत्ता द्वारा कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए स्वीकृत अवधि समाप्त होती है।

मांग का नोटिस
(Notice of Demand)

इस अधिनियम के अन्तर्गत जब कोई कर, ब्याज, अर्थदण्ड अथवा अन्य कोई राशि देय होती है तो आयकर अधिकारी द्वारा धारा-156 के अन्तर्गत निर्दिष्ट फार्म पर करदाता को ऐसी रकम जमा कराने का नोटिस दिया जाता है जिसे मांग का नोटिस (Notice of Demand) कहते हैं इस नोटिस में उस राशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है जो कि करदाता को जमा करवानी होती है। साधारणतया यह राशि नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् 30 दिन के अन्दर देय होती है।

हानि की सूचना
(Intimation of Loss)

जब करदाता को कर-निर्धारण करने के उपरान्त यह निश्चित हो जाता है कि करदाता को हानि हुई है तो आयकर अधिकारी धारा-157 के अन्तर्गत करदाता को लिखित आदेश द्वारा निर्धारित हानि की सूचना देता है।

करदाता द्वारा देय ब्याज की गणना

यदि करदाता निर्धारित तिथि के पश्चात् आय का नक्शा प्रस्तुत करता है तो देरी की अवधि के लिए उसे 2% प्रतिमाह की दर से धारा-234 A के अनुसार ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थायें अग्रलिखित हैं—

(i) ब्याज पूर्ण महीनों की अवधि के लिए ही लगाया जायेगा तथा कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से धारा-234 A के अनुसार महीने के किसी भाग को भी पूरा एक महीना मान लिया जायेगा। उदाहरण के लिए 4 माह 11 दिन की अवधि का ब्याज लगाना है तो 5 माह की अवधि का ब्याज लगाया जायेगा।

(ii) कर, दण्ड अथवा अन्य कोई 'राशि' जिस पर ब्याज की गणना करनी है, उसे 100 रु. के पूर्णांक में ही माना जायेगा तथा 100 रु. के किसी भाग को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। उदाहरण के लिए 4,684 रु. पर ब्याज की गणना करनी है तो 4,600 रु. पर ही ब्याज की गणना की जायेगी।

(iii) कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से निर्धारण अधिकारी को ब्याज की राशि कम कर देने अथवा छोड़ देने का अधिकार नहीं है।

(iv) यदि करदाता ने धारा-139 (1) अथवा धारा-142 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत किया है तो ब्याज की गणना नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के अगले दिन से नक्शा प्रस्तुत किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिए की जायेगी।

(v) यदि करदाता द्वारा आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नक्शा प्रस्तुत किये जाने की निर्धारित तिथि के अगले दिन से धारा-144 के अन्तर्गत कर-निर्धारण पूर्ण होने की तिथि तक की अवधि के लिए ब्याज की गणना की जायेगी।

(vi) ब्याज की गणना कर-निर्धारण पर देय शुद्ध नियमित राशि के सम्बन्ध में ही की जायेगी। शुद्ध कर की राशि से अभिप्राय निर्धारित कर में से कर की पेशगी चुकाई राशि एवं उद्गम स्थान पर काटी गई राशि को घटाने के बाद शेष बची राशि से है। परन्तु निर्धारित कर की राशि में से स्वयं कर निर्धारण पर चुकाई गई राशि को नहीं घटाया जायेगा। इसी प्रकार कोई अतिरिक्त कर लगाया गया हो तो उसको भी निर्धारित कर में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vii) यदि किसी अपील, पुनर्विचार या भूल-सुधार आदि के कारण उस राशि में कमी या वृद्धि कर दी जाती है, जिस पर आय का नक्शा देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण ब्याज लगाया गया था तो ब्याज की राशि में भी उसी के अनुसार संशोधन कर दिया जायेगा।

(viii) नक्शा देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा-234 A के अन्तर्गत देय ब्याज का भुगतान स्वयं कर-निर्धारण पर देय कर की राशि के साथ किया जाता है। ऐसे ब्याज के भुगतान का प्रमाण भी नक्शे के साथ लगाना आवश्यक है।

Illustration 1.

Calculate the amount of tax payable with self assessment u/s 140 A together with interest payable u/s 234 A, if any in each of the following cases—

(a) For the assessment year 1997-98 an assessee has income from business. He filed the return of income on 2-1-1998 declaring income of Rs. 60,000. Advance tax paid and tax deducted at source is Rs. 2,600. Tax payable on declared income is Rs. 3,000.

(b) For the Assessment year 1997-98 X (P.) Ltd., a trading company files the return of income on 10-3-1998 declaring income of Rs. 71,250. Advance Tax paid and tax deducted at source is Rs. 8,690. Tax payable on declared income is Rs. 28,500.

(c) For the assessment year 1997-98 Mr. Dev Kumar files the return of income on 4-12-1997 declaring income of Rs. 45,000. Advance tax paid and tax deducted at source is Rs. 390. He is required to file the return on or before 30-6-1997. Tax payable on declared income is Rs. 750.

निम्नलिखित दशाओं में धारा-140 A के अन्तर्गत स्वयं कर-निर्धारण पर देय कर की राशि, धारा-234 A के अन्तर्गत देय ब्याज की राशि सहित ज्ञात कीजिए—

(अ) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए एक करदाता को व्यापार से आय है। उसने अपनी आय का नक्शा 2-1-1998 को प्रस्तुत किया तथा 60,000 रु. की आय बताई। अग्रिम कर के भुगतान की राशि एवं उद्गम स्थान पर काटे गये कर की राशि 2,600 रु. है। घोषित आय पर देय कर 3,000 रु. है।

(ब) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए एक्स (प्रा.) लि. एक व्यापारिक कम्पनी ने अपनी आय का नक्शा 10-3-1998 को प्रस्तुत किया तथा 71,250 रु. की आय बताई। अग्रिम चुकाये गये कर की राशि एवं उद्गम स्थान पर काटे गये कर की राशि 8,690 रु. है। घोषित आय पर देय कर 28,500 रु. है।

(स) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री देवकुमार ने अपनी आय का नक्शा 4-12-1997 को प्रस्तुत किया तथा 45,000 रु. की आय बताई। अग्रिम चुकाये गये कर की राशि एवं उद्गम स्थान पर काटे गये कर की राशि 390 रु. है। उसे आय का नक्शा 30-6-1997 तक प्रस्तुत करना था। घोषित आय पर देय कर 750 रु. है।

Solution :

Computation of Tax payable u/s 140 A together with interest payable u/s 234 A

		Rs.
(A)	Due date for furnishing the return	31-8-1997
	Delay in filing the return of income from 1-9-1997 to 2-1-1998	4 months & 1 day
	Tax payable on Rs. 60,000 (declared income)	3,000
Less :	Advance tax paid and tax deducted at source	2,600
	Net tax due u/s 140 A	400
Add :	Mandatory interest @ 2% for every month on Rs. 400 i.e. @ 2% for 5 months	40
	Total tax U/s 140-A including interest U/s 234 A	440
(B)	Due date for furnishing the return	30-11-1997
	Delay in filing the return of income	

	from 1-12-1997 to 10-3-1998	3 months & 10 days
	Tax payable on Rs. 71,250	
	(declared income)	28,500
Less :	Advance tax paid and tax deducted at source	8,690
	Net tax due U/s 140 (A)	19,810
Add :	Mandatory interest @ 2% for every month on Rs. 19,800 *i.e.* @ 2% for 4 months	1,584
	Total tax U/s 140 A including interest U/s 234 A	21,394
(C)	Due date for furnishing the return	30-6-1997
	Delay in filing the return of income	
	from 1-7-1997 to 4-12-1997	5 months & 3 days
	Tax payable on Rs 45,000	
	(declared income)	750
Less :	Advance tax paid and tax deducted at source	390
	Net tax due u/s 140 A	360
Add :	Mandatory interest @ 2% for every month on Rs. 300 *i.e.* @ 2% for 6 months	36
	Total tax u/s 140 A including interest u/s 234 A	396

Illustration 2.

Income declared by Mr. P. C. Roy in the return of income for assessment year 1997-98 is Rs. 1,00,000 Income determined under section 143 (1) (a) [illegible] inadmissible. Calculate the amount of additional income-tax payable by Mr. P.C. Roy.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री पी.सी. राय ने अपने आय के नक्शे में 1,00,000 रु. की आय घोषित की है। अस्वीकृत व्ययों की 20,000 रु. की राशि का समायोजन करने के बाद धारा-143 (1) (a) के अन्तर्गत 1,20,000 रु. की आय निर्धारित की गई है। इन व्ययों को स्वीकृत किये जाने की मांग श्री पी.सी. राय ने की थी परन्तु ये स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हैं। श्री पी.सी. राय द्वारा देय अतिरिक्त कर की राशि की गणना कीजिये।

(M. D. Uni., B. Com., 1996, Vikram M. Com., 1993)

Solution :

Computation of Additional Tax payable by Mr. P. C. Roy for the A.Y. 1997-98

		Rs
	Tax [illegible]	31,000
Less :	Tax payable on Rs. 1,00,000. (beging total income determined Less amount of adjustments)	[illegible]
	Tax payable on excess amount (i.e. on adjustment)	

Additional income tax @ 20% of Rs. 6,000 (being tax payable on excess amount)	1,200

Illustration 3.

Loss declared by Mr. S. D. Singh *in the return of Loss* for assessment year 1997-98 is Rs. *20,000*. Income determined under Section 143 (1) (a) is Rs. *50,000*. After the adjustment of Rs. 70,000 on account of inadmissible deductions which was claimed by *Mr. S. D. Singh* but which is prima facie *inadmissible*. Calculate the amount of tax payable including additional income tax payable by Mr. S. D. Singh.

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए मि. एस. डी. सिंह ने अपने हानि के नक्शे में 20,000 रु. की हानि घोषित की है। अस्वीकृत व्ययों की 70,000 रु. की राशि का समायोजन करने के बाद धारा-143 (1) (a) के अन्तर्गत 50,000 रु. की आय निर्धारित की गई है। इन व्ययों के स्वीकृत किये जाने की मांग मि. एस. डी. सिंह ने की थी परन्तु ये स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हैं। श्री एस. डी. सिंह द्वारा देय कर की राशि अतिरिक्त कर की राशि सहित ज्ञात कीजिए।

Solution :

Computation of Tax Payable including *additional tax by* Mr. S. D. Singh for the A.Y. 1997-98

Total income determined u/s 143 (a) [1] [70,000 (being the amount of adjustment made) less Rs. 20,000 (being loss declared in return)] Rs.	50,000

चूंकि समायोजन की राशि निर्धारित कुल आय की राशि से अधिक है, अतः अतिरिक्त कर के उद्देश्यों के लिए समायोजन की राशि को ही कुल आय माना जायेगा तथा अतिरिक्त कर की गणना 70,000 रु. पर देय कर की राशि पर की जायेगी।

	Rs.
Tax on Rs. 70,000 (being the amount of [illegible]	6,000
..	1,200
Add : ..	1,500
	2,700
tax payable	

प्रश्न (Questions)

1. भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत "कर-निर्धारण की कार्यविधि" पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
   Write a short note on "Procedure for Assessment" under the Indian Income Tax Act.
2. "सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण" से क्या तात्पर्य है ? कर-निर्धारण की इस पद्धति को किन परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है ? ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास क्या उपाय है ?

. What is meant by "Best Judgement Assessment ?" Under what circumstances can recourse be had to this method of assessment ? What are the remedies open to the assessee against such assessment ?

3. कर-निर्धारण से बची हुई आय के सम्बन्ध में भारतीय आयकर अधिनियम में क्या व्यवस्थाएँ हैं ?

   What are the Provisions in the Indian Income Tax Act in regard to the assessment of escaped income ?

4. "एकपक्षीय कर-निर्धारण" से क्या तात्पर्य है ? यह किन परिस्थितियों में किया जा सकता है ? इस प्रकार के कर-निर्धारण के क्या परिणाम होते है ? ऐसे कर-निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के लिए करदाता के पास क्या उपाय हैं ?

   What is meant by "ex-parte assessment" ? Under what circumstances this assessment can be made ? what are the consequences of such an assessment ? What are the remedies open to an assessee to get such an assessment set aside or modified ?

5. "आय के नक्शे" से क्या तात्पर्य है ? भारतीय आयकर अधिनियम में आय के नक्शे से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

   What is meant by "Return of Income" ? Discuss the provisions of the Indian Income Tax Act in regard to the "Return of Income".

6. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

   (1) सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण, (2) पुनः कर-निर्धारण,
   (3) भूल सुधार, (4) स्वयं कर निर्धारण,
   (5) आय का नक्शा।

   Write short notes on the followings—
   (1) Best Judgement Assessment,
   (2) Re-assessment,
   (3) Rectification of Mistake,
   (4) Self assessment,
   (5) Return of Income.

7. आय-कर का नक्शा प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर ब्याज की गणना करने के नियमों को समझाइये।

   Explain the rules relating to the calculation of interest on late submission of Income Tax return.

8. कर-निर्धारण के भिन्न-भिन्न प्रकार कौनसे हैं ? धारायें 143 (1) तथा 143 (3) के अन्तर्गत, नियमित कर-निर्धारण की कार्यविधि के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए :

   What are the different types of assessment ? Discuss the provisions of the Income Tax Act regarding the procedure of regular assessment under section 143 (1) and 143 (3).

9. अतिरिक्त आय-कर सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

Describe the provisions relating to additional income tax.

10. निम्नलिखित दशाओं में धारा-140 A के अन्तर्गत स्वयं कर-निर्धारण पर देय कर की राशि, धारा-234-A के अन्तर्गत ब्याज की राशि सहित ज्ञात कीजिए—
    (अ) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए एक करदाता ने अपनी आय का नक्शा 18-12-1997 को प्रस्तुत किया तथा 60,000 रु. की आय बताई। अग्रिम कर के भुगतान की राशि एवं उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर की राशि 2,200 रु. है। इस करदाता को मुख्यतः व्यापार अथवा पेशे से आय हुई है। घोषित आय पर देय कर 3,000 रु. है।
    (ब) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए राजस्थान (प्रा.) लि. ने अपनी आय का नक्शा 27-1-1998 को प्रस्तुत किया तथा 1,00,000 रु. की आय बताई। अग्रिम कर की राशि एवं उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर की राशि 22,160 रु. है। यह एक व्यापारिक कम्पनी है तथा इसकी घोषित आय पर देय कर 43,000 रु. है।
    (स) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री नरेश सिंह ने अपनी आय का नक्शा 8-11-1997 को प्रस्तुत किया तथा 48,000 रु. की आय बताई। अग्रिम चुकाये गये कर की राशि एवं उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर की राशि 600 रु. है। उसे आय का नक्शा 30-6-97 तक प्रस्तुत करना था। घोषित आय पर देय कर 1,200 रु. है।

उत्तर—(अ) देय राशि 864 रु. जिसमें ब्याज 64 रु.
(ब) देय राशि 21,672 रु. जिसमें ब्याज 832 रु.।
(स) देय राशि 660 रु. जिसमें ब्याज 60 रु. है। [109]

11. कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री आर. के प्रभाकर ने अपने आय के नक्शे में 80,000 रु. की आय घोषित की। अस्वीकृत व्ययों की 15,000 रु. की राशि का समायोजन करने के बाद धारा 143 (1) (a) के अन्तर्गत 95,000 रु. की आय निर्धारित की गई है। इन व्ययों को स्वीकृत किये जाने की मांग श्री आर. के. प्रभाकर ने की थी परन्तु ये स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हैं। श्री आर. के. प्रभाकर द्वारा देय कर की राशि, अतिरिक्त कर की राशि सहित ज्ञात कीजिए।

उत्तर—अतिरिक्त राशि पर देय कर (अतिरिक्त कर सहित) 4,200 रु.। [110]

12. कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए श्री आर. डी. कपूर ने अपने हानि के नक्शे में 25,000 रु. की हानि घोषित की है। अस्वीकृत व्ययों की 70,000 रु. की राशि का समायोजन करने के बाद धारा 143 (1) (a) के अन्तर्गत 45,000 रु. की आय निर्धारित की गई है। इन व्ययों के स्वीकृत किये जाने की मांग श्री आर. डी. कपूर ने की थी परन्तु ये स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हैं। श्री आर. डी. कपूर द्वारा देय कर की राशि अतिरिक्त कर की राशि सहित ज्ञात कीजिए।

उत्तर—अतिरिक्त राशि पर देय कर (अतिरिक्त कर सहित) 2,150 रु.। [111]

■■■

17

अपील एवं पुनर्विचार

(Appeals and Revision)

अपील (Appeal)

यह सम्भव है कि करदाता निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश अथवा उसके द्वारा किए गए कर-निर्धारण से सन्तुष्ट न हो अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय को गलत समझता हो। ऐसी दशा में वह निर्धारण अधिकारी के आदेश अथवा निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है। यदि करदाता निर्धारण अधिकारी के आदेश पर केवल पुनर्विचार चाहता है तो उसके सम्बन्ध में भी आयकर अधिनियम में व्यवस्था की गई है।

उप-आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील

अपील करने की पहली स्टेज उप-आयुक्त (अपील्स) है। निर्धारण अधिकारी (उपायुक्त के अलावा) के निर्णय अथवा आदेश के विरूद्ध सर्वप्रथम उप-आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील की जा सकती है। कोई करदाता, जैसे—व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म एवं कम्पनी आदि करदाता इसके यहाँ अपील कर सकते हैं। निर्धारण अधिकारी के जिन आदेशों के विरूद्ध अपील की जा सकती है उनकी सूची धारा-246 (1) में दी गई है जो निम्न है—

(i) यदि करदाता पर कर-निर्धारण किया जाता है परन्तु करदाता इस अधिनियम के अन्तर्गत कर दायित्व से इन्कार करता है अथवा धारा 143(1) या (1 B) के अन्तर्गत जारी सूचना में किये गये समायोजनों पर आपत्ति करता है। अथवा करदाता पर धारा 143 (3) या धारा-144 के अन्तर्गत कर-निर्धारित किया जाता है परन्तु करदाता निर्धारित आय या निर्धारित कर की राशि या निर्धारित हानि की राशि या निवास स्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करता है।

(ii) धारा-147 अथवा धारा-150 के अन्तर्गत कर-निर्धारण, पुनः कर-निर्धारण या पुनः गणना के लिए दिया गया आदेश।

(iii) धारा-154 या धारा-155 के अन्तर्गत दिया गया आदेश जिसका प्रभाव कर-निर्धारण को बढ़ाना या वापसी को कम करने का हो, अथवा ऐसा आदेश जिसमें करदाता द्वारा माँगी गई राशि को इन धाराओं के अन्तर्गत स्वीकार करने से इन्कार किया गया है।

(iv) धारा-163 के अन्तर्गत दिया गया आदेश जिसमें करदाता को अनिवासी का प्रतिनिधि माना गया है।

(v) धारा-170 (2) या (3) के अन्तर्गत दिया गया आदेश। इन धाराओं के अन्तर्गत किसी व्यवसाय अथवा पेशे की आय के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी को विशिष्ट परिस्थितियों में पूर्वाधिकारी का प्रतिनिधि करदाता माना जाता है।

(vi) धारा-171 के अन्तर्गत आदेश। यह धारा हिन्दू अविभाजित परिवार पर विभाजन के बाद कर लगाने से सम्बन्धित है।

(vii) धारा-185 (1-B), (2), (3) या (5) के अन्तर्गत दिया गया आदेश। ये धारायें फर्म के पंजीकरण हेतु दिये गये आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करने से सम्बन्धित हैं। यह आदेश एवं अपील 1 अप्रैल 1992 को या इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ही हो सकता है।

(viii) धारा-186 (1) या (2) के अन्तर्गत फर्म के पंजीकरण को रद्द करने हेतु दिया गया आदेश। यह आदेश एवं अपील 1 अप्रैल 1992 को या इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ही हो सकता है।

(ix) धारा-201 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उद्‌गम स्थान पर कर न काटने अथवा काटने के बाद जमा न कराने के सम्बन्ध में दोषी माना जाता है।

(x) धारा-216 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। इस धारा के अन्तर्गत ब्याज चुकाने का आदेश दिया जाता है जबकि करदाता ने अग्रिम भुगतान के लिए आय का अनुमान कम लगाया हो।

(xi) धारा-237 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। यह धारा कर की वापसी के सम्बन्ध में है।

(xii) निम्न धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश—

(a) धारा-221 के अन्तर्गत जबकि आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

(b) धारा-271 के अन्तर्गत, जबकि आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया हो अथवा इस सम्बन्ध में जारी नोटिसों का पालन नहीं किया हो अथवा आय को छिपाने सम्बन्धी अपराध किया गया हो।

(c) धारा-271-A के अन्तर्गत जबकि बहीखाते की पुस्तकें एवं अन्य प्रलेख नहीं रखे गये हों अथवा तैयार नहीं किये गये हों।

(d) धारा-271-B के अन्तर्गत जबकि बहीखातों का अंकेक्षण नहीं करवाया गया हो।

(e) धारा-271-BB के अन्तर्गत, जबकि धारा-88-A के सन्दर्भ में पूँजी के योग्य निर्गमन में अंशदान करने में चूक की गई हो।

(f) धारा-272-A के अन्तर्गत जबकि प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया हो, विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हों, सूचनायें एवं विवरण प्रस्तुत नहीं किये हों अथवा जाँच की अनुमति नहीं दी हो।

(g) धारा-272-AA के अन्तर्गत, जबकि किसी आयकर पदाधिकारी द्वारा धारा-133-B में दिये गये आदेश का पालन नहीं किया हो।

(h) धारा-272-BB के अन्तर्गत, जबकि धारा-203-A की व्यवस्थाओं का पालन करने में चूक की गई हो।

टिप्पणी—धारा-272, धारा-272-B अथवा धारा-273 के अन्तर्गत जारी किया गया कोई आदेश। ये धाराएँ अब प्रभाव में नहीं हैं। इन धाराओं के तहत अर्थ-दण्ड सम्बन्धी आदेश

कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 अथवा पूर्व के किसी गत वर्ष के लिए ही दिया जा सकता था। ऐसी किसी अपील के सम्बन्ध में जो व्यवस्थायें इन धाराओं की 1 अप्रैल, 1989 के तुरन्त पूर्व प्रभाव में थी, वही व्यवस्थायें लागू होंगी।

आयुक्त अपील्स के यहाँ अपील

अपील करने की यह प्रथम स्टेज है। जिन आदेशों के सम्बन्ध में करदाता इस अधिकारी को अपील कर सकता है, निम्नलिखित हैं—

(i) उप-आयुक्त द्वारा किये गये वे आदेश जो उसने उसको धारा-120 एवं 124 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन दिये हों। इन धाराओं के अन्तर्गत वे आदेश आते हैं जिनका उल्लेख पीछे उप-आयुक्त को अपील करने से सम्बन्धित वाक्यांश (ii) से (xi) तक में किया गया है।

(ii) धारा-144-A के तहत उप-आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों के आधार पर दिया गया कर-निर्धारण आदेश।

(iii) उप-आयुक्त द्वारा धारा 154 के तहत दिया गया आदेश।

(iv) धारा-271-B अथवा धारा-271-BB के अन्तर्गत दण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश।

(v) धारा-272-A के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी उप-आयुक्त अथवा उप-निदेशक द्वारा दिया गया आदेश।

(vi) धारा-271-C, धारा-271-D अथवा धारा-271-E के अन्तर्गत उपायुक्त द्वारा दिया गया अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश।

(vii) धारा-272-AA के अन्तर्गत उप-आयुक्त द्वारा अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी दिया गया आदेश।

(viii) धारा-274 (2) के अन्तर्गत उप-आयुक्त की पूर्व अनुमति लेकर आय-कर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश।

(ix) उप-आयुक्त को छोड़कर अन्य किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया अन्य कोई आदेश जिसके लिए बोर्ड ने निर्देशित किया हो।

कर काटने के दायित्व को इन्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील [धारा-248]— धारा-248 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो कि ब्याज के अतिरिक्त अन्य किसी कर-योग्य आय का भुगतान धारा-195 और धारा-200 के अनुसार उद्गम स्थान पर आय-कर काट कर करता है और यह समझता है कि यह उसका दायित्व नहीं है तो वह इस सम्बन्ध में उप आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील कर सकता है कि उसे ऐसी कटौती के करने के दायित्व से मुक्त घोषित किया जाये।

अपील की अवधि—धारा-249 (1) के अन्तर्गत अपील निर्धारित फार्म पर निर्धारित ढंग से की जाती है। धारा-249 (2) के अनुसार निम्नलिखित तिथियों से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील कर देनी चाहिये—

(i) उद्गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित अपील की दशा में कर-भुगतान करने की तिथि।

(vi) धारा-171 के अन्तर्गत आदेश। यह धारा हिन्दू अविभाजित परिवार पर विभाजन के बाद कर लगाने से सम्बन्धित है।

(vii) धारा-185 (1-B), (2), (3) या (5) के अन्तर्गत दिया गया आदेश। ये धारायें फर्म के पंजीकरण हेतु दिये गये आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करने से सम्बन्धित हैं। यह आदेश एवं अपील 1 अप्रैल 1992 को या इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ही हो सकता है।

(viii) धारा-186 (1) या (2) के अन्तर्गत फर्म के पंजीकरण को रद्द करने हेतु दिया गया आदेश। यह आदेश एवं अपील 1 अप्रैल 1992 को या इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में ही हो सकता है।

(ix) धारा-201 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान पर कर न काटने अथवा काटने के बाद जमा न कराने के सम्बन्ध में दोषी माना जाता है।

(x) धारा-216 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। इस धारा के अन्तर्गत ब्याज चुकाने का आदेश दिया जाता है जबकि करदाता ने अग्रिम भुगतान के लिए आय का अनुमान कम लगाया हो।

(xi) धारा-237 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। यह धारा कर की वापसी के सम्बन्ध में है।

(xii) निम्न धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश—

(a) धारा-221 के अन्तर्गत जबकि आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

(b) धारा-271 के अन्तर्गत, जबकि आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया हो अथवा इस सम्बन्ध में जारी नोटिसों का पालन नहीं किया हो अथवा आय को छिपाने सम्बन्धी अपराध किया गया हो।

(c) धारा-271-A के अन्तर्गत जबकि बहीखाते की पुस्तकें एवं अन्य प्रलेख नहीं रखे गये हों अथवा तैयार नहीं किये गये हों।

(d) धारा-271-B के अन्तर्गत जबकि बहीखातों का अंकेक्षण नहीं करवाया गया हो।

(e) धारा-271-BB के अन्तर्गत, जबकि धारा-88-A के सन्दर्भ में पूँजी के योग्य निर्गमन में अंशदान करने में चूक की गई हो।

(f) धारा-272-A के अन्तर्गत जबकि प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया हो, विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हों, सूचनायें एवं विवरण प्रस्तुत नहीं किये हों अथवा जाँच की अनुमति नहीं दी हो।

(g) धारा-272-AA के अन्तर्गत, जबकि किसी आयकर पदाधिकारी द्वारा धारा-133-B में दिये गये आदेश का पालन नहीं किया हो।

(h) धारा-272-BB के अन्तर्गत, जबकि धारा-203-A की व्यवस्थाओं का पालन करने में चूक की गई हो।

टिप्पणी—धारा-272, धारा-272-B अथवा धारा-273 के अन्तर्गत जारी किया गया कोई आदेश। ये धाराएँ अब प्रभाव में नहीं हैं। इन धाराओं के तहत अर्थ-दण्ड सम्बन्धी आदेश

कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 अथवा पूर्व के किसी गत-वर्ष के लिए ही दिया जा सकता था। ऐसी किसी अपील के सम्बन्ध में जो व्यवस्थायें इन धाराओं की 1 अप्रैल, 1989 के तुरन्त पूर्व प्रभाव में थी, वही व्यवस्थायें लागू होंगी।

आयुक्त अपील्स के यहाँ अपील

अपील करने की यह प्रथम स्टेज है। जिन आदेशों के सम्बन्ध में करदाता इस अधिकारी को अपील कर सकता है, निम्नलिखित हैं—

(i) उप-आयुक्त द्वारा किये गये वे आदेश जो उसने उसको धारा-120 एवं 124 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन दिये हों। इन धाराओं के अन्तर्गत वे आदेश आते है जिनका उल्लेख पीछे उप-आयुक्त को अपील करने से सम्बन्धित वाक्यांश (ii) से (xii) तक में किया गया है।

(ii) धारा-144-A के तहत उप-आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों के आधार पर दिया गया कर-निर्धारण आदेश।

(iii) उप-आयुक्त द्वारा धारा 154 के तहत दिया गया आदेश।

(iv) धारा-271-B अथवा धारा-271-BB के अन्तर्गत दण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश।

(v) धारा-272-A के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी उप-आयुक्त अथवा उप-निदेशक द्वारा दिया गया आदेश।

(vi) धारा-271-C, धारा-271-D अथवा धारा-271-E के अन्तर्गत उपायुक्त द्वारा दिया गया अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश।

(vii) धारा-272-AA के अन्तर्गत उप-आयुक्त द्वारा अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी दिया गया आदेश।

(viii) धारा-274 (2) के अन्तर्गत उप-आयुक्त की पूर्व अनुमति लेकर आय-कर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश।

(ix) उप-आयुक्त को छोड़कर अन्य किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया अन्य कोई आदेश जिसके लिए बोर्ड ने निर्देशित किया हो।

कर काटने के दायित्व को इन्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील [धारा-248]— धारा-248 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो कि ब्याज के अतिरिक्त अन्य किसी कर-योग्य आय का भुगतान धारा-195 और धारा-200 के अनुसार उद्‌गम स्थान पर आय-कर काट कर करता है और यह समझता है कि यह उसका दायित्व नहीं है तो वह इस सम्बन्ध में उप आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील कर सकता है कि उसे ऐसी कटौती के करने के दायित्व से मुक्त घोषित किया जाये।

अपील की अवधि—धारा-249 (1) के अन्तर्गत अपील निर्धारित फार्म पर निर्धारित ढंग से की जाती है। धारा-249 (2) के अनुसार निम्नलिखित तिथियों से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील कर देनी चाहिये—

(i) उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित अपील की दशा में कर-भुगतान करने की तिथि।

(ii) जब किसी कर निर्धारण अथवा दण्ड के विरूद्ध अपील की जा रही है तो उससे सम्बन्धित नोटिस प्राप्त होने की तिथि। यदि करदाता ने धारा 146 के अन्तर्गत 'सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण' को पुनः खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है तो ऐसे प्रार्थना पत्र की तिथि में ऐसे प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी का आदेश जारी किये जाने की तिथि तक का समय ध्यान में रखा जायेगा।

(iii) अन्य किसी दशा में जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही है उस आदेश के प्राप्त होने की तिथि।

धारा 249 (3) के अनुसार यदि उप आयुक्त या आयुक्त (अपील्स) इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि करदाता पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि में अपील नहीं कर सकता था तो वह उक्त अवधि के बाद भी अपील स्वीकृत कर सकता है।

इस अध्याय से सम्बन्धित कोई भी अपील उस समय तक स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक कि (a) यदि करदाता ने आय का नक्शा दाखिल किया है तो उसके द्वारा प्रदर्शित आय पर उसने कर चुका दिया है। (b) यदि उसने आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है तो उसने देय अग्रिम कर का भुगतान कर दिया है।

परन्तु वाक्यांश (b) की दशा में यदि अपीलकर्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उप आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील) उचित एवं पर्याप्त आधार होने पर वाक्यांश (b) की व्यवस्थाओं को लागू किये जाने से मुक्त कर सकते हैं।

अपील की कार्यविधि (Procedure of Appeal)—

उप-आयुक्त (अपील्स) या आयुक्त (अपील्स) अपील स्वीकार करने के पश्चात् अपील की सुनवाई के लिए तारीख एवं समय की सूचना करदाता तथा सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को देता है। अपील की सुनवाई के समय निर्धारण अधिकारी स्वयं अथवा उसके प्रतिनिधि को तथा करदाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को बोलने एवं अपनी बात कहने का अधिकार है। अपील की सुनवाई के समय उप-आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील) उन मुद्दों पर बोलने एवं बहस करने की अनुमति दे सकता है जो कि अपील के फार्म में नहीं दिये गये थे यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि मुद्दे जान-बूझकर नहीं छोड़े गये थे।

धारा-250 (6) के अनुसार अपील की सुनवाई के उपरान्त उप-आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) अपना निर्णय अथवा आदेश लिखित रूप में देगा जिसकी प्रतिलिपि करदाता एवं आयुक्त दोनों को भेजी जायेगी। उप आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) अपने निर्णय में उन सभी कारणों एवं मुद्दों का उल्लेख आवश्यक रूप से करेगा जिसके आधार पर निर्णय दिया गया है।

उप आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) के अधिकार—धारा-251 के अन्तर्गत उप आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

(1) कर-निर्धारण के विरूद्ध अपील के सम्बन्ध में वह कर-निर्धारण की पुष्टि (Confirm) अथवा रद्द कर सकता है, अथवा कर-निर्धारण को घटा अथवा बढ़ा सकता है।

(2) वह निर्धारण अधिकारी को आवश्यक निर्देशों सहित फिर से कर-निर्धारण के लिए कह सकता है।

(3) यदि अपील अर्थ-दण्ड के विरूद्ध की गई है तो यह दण्ड की पुष्टि कर सकता है, दण्ड को रद्द कर सकता है अथवा दण्ड की रकम को घटा अथवा बढ़ा सकता है।

(4) अन्य मामलों में उचित आदेश दे सकता है।

यदि उप आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) के निर्णय से करदाता के कर दायित्व में वृद्धि हो सकती है तो इस प्रकार का निर्णय देने से पूर्व करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देना आवश्यक है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील

(Appeal in Appeallate Tribunal)

धारा-252 के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस ट्रिब्यूनल में ज्युडिसियल और एकाउण्टेण्ट सदस्य होते हैं और सामान्यतः ज्यूडिसियल सदस्य को केन्द्रीय सरकार इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त करती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में करदाता एवं निर्धारण अधिकारी दोनों अपील कर सकते हैं।

(अ) **करदाता द्वारा अपील**—*कोई भी करदाता नीचे वर्णित आदेशों में से किसी भी आदेश से यदि सन्तुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश के विरूद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है*—

(1) उप-आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) द्वारा दिये गये निम्न आदेश—

(i) धारा-154 के अन्तर्गत भूल सुधार का आदेश।

(ii) धारा-250 के अन्तर्गत उप-आयुक्त (अपील्स) या आयुक्त द्वारा किसी अपील के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय सम्बन्धी आदेश।

(iii) धारा-271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने का आदेश। इस धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड उस समय लगाया जाता है जबकि करदाता ने आय का नक्शा दाखिल नहीं किया हो, नोटिसों का पालन नही किया हो, आय को छिपाया हो या असत्य विवरण पेश किया हो।

(iv) धारा-271 (A) के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने का आदेश। यह आदेश बहीखाते न रखने पर दिया जाता है।

(v) धारा-272 (A) के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने का आदेश। यह आदेश प्रश्नों का उत्तर न देने *अथवा बयान पर हस्ताक्षर न करने आदि अपराधों के सम्बन्ध में दिया जाता है।*

(2) आयकर कमिश्नर द्वारा दिये गये आदेश—

(i) धारा-263 के अन्तर्गत दिया गया आदेश इस धारा के अन्तर्गत आदेश किसी मामले पर पुनर्विचार के बाद दिया जाता है।

(ii) धारा-154 के अन्तर्गत दिया गया आदेश। इस धारा के अन्तर्गत आदेश उस समय दिया जाता है जबकि धारा-263 के अन्तर्गत दिये गये आदेश में हुई भूल को सुधारा जाता है।

(iii) धारा-272 (A) के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाने का आदेश। यह आदेश प्रश्नों का उत्तर न देने अथवा बयान पर हस्ताक्षर न करने आदि अपराधों के सम्बन्ध में दिया जाता है।

(3) धारा-272 (A) के अन्तर्गत मुख्य आयुक्त, सामान्य निदेशक अथवा निदेशक द्वारा दिया गया आदेश।

(4) धारा 158BC(c) के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश।

(ब) निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील—यदि आय-कर आयुक्त उप-आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) द्वारा दिये गये निम्न आदेशों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह निर्धारण अधिकारी को अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का आदेश दे सकता है—

(i) धारा-154 के अन्तर्गत भूल सुधार का आदेश।

(ii) धारा-250 के अन्तर्गत करदाता द्वारा की गई किसी अपील के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय या आदेश।

अपील की अवधि—अपील निर्धारित फार्म पर निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके ही की जा सकती है। अपील जिस आदेश के विरूद्ध की जा रही है उस आदेश की प्राप्ति के पश्चात् 60 दिनों की अवधि के अन्दर की जानी चाहिये। परन्तु धारा 158BC(c) के अन्तर्गत दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिनों की अवधि के अन्दर की जानी चाहिए।

अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपील दाखिल करने की सूचना विरोधी पक्ष को दी जाती है अर्थात् यदि करदाता ने अपील की है, तो आय-कर आयुक्त को और यदि आयुक्त द्वारा अपील की गई हो तो करदाता को। विरोधी पक्ष इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिन की अवधि के अन्दर उप-आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) के आदेश के किसी भी भाग के विरूद्ध आपत्तियों का पत्र (Memorandum of Cross Objection) दाखिल कर सकता है। यदि ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि निर्धारित अवधि के अन्दर अपील प्रस्तुत नही कर पाने के पर्याप्त कारण थे तो यह अवधि बीत जाने के बाद भी अपील दाखिल कर सकता है। इस आपत्ति पत्र पर भी अपील की ही भांति विचार किया जाता है।

यदि अपील करदाता द्वारा की जाती है तो वह निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित विधि से प्रमाणित करके निर्धारित फीस के साथ की जायेगी। निर्धारित फीस निम्न प्रकार है—

(अ) यदि कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय जिसके सम्बन्ध में अपील की जा रही है, 1,00,000 रु. अथवा कम है तो 250 रु.,

(ब) यदि यह आय 1,00,000 रु. से अधिक है तो 1,500 रु.।

परन्तु यदि अपील का जवाब करदाता द्वारा दिया जा रहा हो, तो वह निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित विधि से प्रमाणित होना चाहिये। ऐसी स्थिति में फीस देने की आवश्यकता नही होती है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्यविधि—अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपील निपटाये जाने की विधि अधिनियम की धारा-255 में दी गई है जो निम्नलिखित है—

(1) ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष ट्रिब्यूनल को कई बैंचों (Benches) में बाँट देता है और प्रत्येक बैंच पृथक् से ट्रिब्यूनल के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करती है।

(2) प्रत्येक बैंच में एक ज्यूडिसियल और एक अकाउण्टैण्ट सदस्य होता है।

(3) ऐसे करदाता को अपील के सम्बन्ध में जिसकी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल आय 1,00,000 रु. से अधिक न हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर ट्रिब्यूनल का कोई सदस्य अथवा अध्यक्ष अकेला ही सुनवाई कर सकता है।

(4) किसी मामले की विशेष सुनवाई के लिए अध्यक्ष द्वारा तीन या तीन से अधिक सदस्यों की स्पेशल बैंच (Special Bench) भी नियुक्त की जा सकती है जिसमें कम से कम एक ज्यूडिशियल और एक अकाउण्टेण्ट सदस्य होना आवश्यक है।

(5) बैंच के सदस्यों में किसी मामले में मतभेद हो जाने पर निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, परन्तु यदि बराबर मत होने के कारण स्पष्ट बहुमत न हो तो अध्यक्ष द्वारा कुछ अन्य सदस्यों को अपील सुनने के लिये नियुक्त किया जायेगा एवं फिर बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जायेगा।

(6) ट्रिब्यूनल को अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अधिकार धारा-131 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी को प्राप्त हैं। ट्रिब्यूनल के सम्मुख होने वाली कार्यवाही ज्यूडिशियल कार्यवाही के समान ही प्रभावशाली होती है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश—अपीलेट ट्रिब्यूनल सम्बन्धी पक्षों को सुनने के उपरान्त अपना निर्णय देता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि करदाता तथा आयुक्त को भेज दी जाती है। ट्रिब्यूनल अपना आदेश देने के उपरान्त 4 वर्षों की अवधि में स्वयं अथवा किसी पक्ष द्वारा बताने पर भूल सुधार कर सकता है परन्तु यदि किसी भूल सुधार में करदाता का दायित्व बढ़ जाता है तो यह भूल सुधार करदाता को अपनी बात कहने का समुचित अवसर दिये बिना नहीं की जा सकती है।

तथ्यों के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम होता है जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।

हाईकोर्ट को रेफरेन्स
(Reference to High Court)

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि किसी मामलों में तथ्यों (facts) को लेकर विवाद है तो ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया आदेश अथवा निर्णय अन्तिम होता है। परन्तु यदि मामलों में स्पष्ट कानूनी मुद्दें हों तो ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् करदाता या आयुक्त आदेश प्राप्त होने की तिथि के 60 दिन के अन्दर निर्धारित फार्म पर ट्रिब्यूनल को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि इस आदेश में सन्निहित कानूनी मुद्दे या प्रश्न को हाईकोर्ट को रेफर कर दिया जाये। यदि ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि प्रार्थी पर्याप्त कारणों से 60 दिन की अवधि के अन्दर इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र देने में असमर्थ था तो यह अवधि 30 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यदि इस प्रकार की प्रार्थना करदाता के द्वारा की जाती है तो उसे प्रार्थना-पत्र के साथ 200 रु. भी जमा करवाने पड़ते हैं। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के 120 दिन के अन्दर मामले का सम्पूर्ण विवरण तैयार करके ट्रिब्यूनल उसे हाईकोर्ट को रेफर कर देती है।

यदि ट्रिब्यूनल इस आधार पर कि मामले में कोई भी कानूनी मुद्दा या प्रश्न सन्निहित नही है, मामले को हाईकोर्ट को रेफर करने से मना कर देती है तो दोनों पक्षों को इस प्रकार का इनकारी का आदेश प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् 6 महीने के अन्दर हाईकोर्ट से प्रार्थना करने का अधिकार है। यदि हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय को गलत समझता है तो वह ट्रिब्यूनल को उस मामले का पूरा विवरण तैयार करके हाईकोर्ट को भेजने का आदेश दे सकता है। हाईकोर्ट

में इस प्रकार का आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ट्रिब्यूनल के द्वारा मामला हाईकोर्ट को रेफर कर दिया जाता है।

हाईकोर्ट मे सुनवाई की कार्यविधि—जब कोई मामला धारा-256 के अन्तर्गत हाईकोर्ट को भेज दिया जाता है तो हाईकोर्ट में ऐसा मामला कम से कम दो न्यायाधीशों की बैंच के द्वारा सुना जाता है एवं निर्णय बहुमत से होता है। मामले में सन्निहित कानूनी प्रश्न पर हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसमें उन कारणो का भी सविस्तार उल्लेख होता है जिनके आधार पर निर्णय दिया जाता है। हाईकोर्ट के निर्णय की एक प्रति ट्रिब्यूनल को भी भेज दी जाती है और निर्णय के अनुसार मामले को निपटाने के आदेश दिये जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट को रेफरेन्स

(Reference to Supreme Court)

धारा-257 के अनुसार करदाता या कमिश्नर से धारा-256 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का विचार हो कि उस मामले में सन्निहित कानूनी प्रश्न पर विभिन्न हाईकोर्टों द्वारा दिये गये निर्णय परस्पर विरोधी हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना ज्यादा अच्छा होगा तो ट्रिब्यूनल पूरे मामले का एक विवरण तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देगा। धारा-260 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई के पश्चात् सम्पूर्ण कारणों सहित अपना निर्णय देगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की एक प्रति ट्रिब्यूनल के पास भेज दी जायेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट के आधार पर निपटा दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट को अपील

(Appeal to Supreme Court)

धारा-261 के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है बशर्ते कि हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत होता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार संशोधन करने के आदेश दे देता है।

आयुक्त द्वारा पुनर्विचार

(Revision by the Commissioner)

धारा-263 के अन्तर्गत आयकर कमिश्नर को निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये उन आदेशो पर पुनर्विचार (Revision) करने का अधिकार है जो कि उसके विचार में सरकारी आय के लिए अहितकर हैं। इस धारा के अन्तर्गत आयुक्त किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड मंगाकर जांच कर सकता है और यदि वह यह मानता है कि निर्धारण अधिकारी का आदेश सरकारी आय के लिए अहितकर है तो वह करदाता को सुने जाने का अवसर देने के उपरान्त एवं आवश्यक जांच-पड़ताल करके परिस्थितियों के अनुसार कर-निर्धारण को बढ़ा सकता है, उनमें संशोधन कर सकता है अथवा उसे रद्द करके नये सिरे से कर-निर्धारण के आदेश दे सकता है परन्तु वह ऐसे किसी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिसके वित्तीय वर्ष की समाप्त हुए दो वर्ष बीत चुके हैं।

स्पष्टीकरण—निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में धारा-144-A के तहत उप-आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर किया गया कर-निर्धारण आदेश तथा उप-आयुक्त द्वारा धारा-120 के अन्तर्गत दिया गया आदेश भी सम्मिलित है।

अन्य आदेशों पर पुनर्विचार
(Revision of Other Orders)

धारा-264 के अन्तर्गत कमिश्नर (ऊपर दिए गए आदेशों को छोड़कर) निम्नलिखित आदेशों पर भी पुनर्विचार कर सकता है—

(i) अपने मातहत कार्य कर रहे किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश, (ii) अपने स्वयं के आदेश, एवं (iii) करदाता द्वारा पुनर्विचार के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्रों से सम्बन्धित आदेश।

परन्तु आयकर आयुक्त एक वर्ष से अधिक पुराने आदेशों पर स्वयं अपनी इच्छा से पुनर्विचार नही कर सकता है। इसी प्रकार करदाता भी यदि किसी आदेश पर पुनर्विचार चाहता है तो उसे आदेश होने के उपरान्त एक वर्ष के बाद पुनर्विचार के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकता है। परन्तु यदि कमिश्नर इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि पर्याप्त कारणों से करदाता निर्धारित अवधि में अपना प्रार्थना-पत्र दाखिल नहीं कर पाया था तो वह अवधि बीत जाने के बाद भी प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत किसी भी आदेश पर पुनर्विचार करते समय आयुक्त किसी भी कार्यवाही का रिकार्ड मंगवा सकता है और जाँच-पड़ताल करने के उपरान्त उचित आदेश दे सकता है, परन्तु ऐसा आदेश करदाता के अहित में नहीं होना चाहिए।

वे मामले जिन पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है—

(1) जिन मामलों के सम्बन्ध में आयुक्त (अपील्स) को या अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दी गई हो।

(2) जिन मामलों के सम्बन्ध में उप-आयुक्त (अपील) के यहाँ अपील कर दी गई हो तथा मामले पर विचार हो रहा हो।

(3) जबकि मामले के सम्बन्ध में उप-आयुक्त (अपील्स), आयुक्त (अपील्स) या अपीलेट ट्रिब्यूनल मे अपील करने की अवधि शेष हो, परन्तु करदाता ने न तो अपील की हो और न ही अपील करने का अपना अधिकार छोड़ा हो।

प्रश्न
(Questions)

1. निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध उप-आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील करने की कार्य-विधि का वर्णन कीजिए।
   Describe the procedure of an appeal to the Deputy Commissioner against the orders of Assessing Officer.
2. किसी अपील को निपटाने में उप-आयुक्त (अपील्स) के क्या अधिकार हैं ?
   What are the powers of Deputy Commissioner (Appeals) in " of an appeal ?

3. उप-आयुक्त (अपील्स) के आदेशों के विरूद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की कार्य-विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

   Describe briefly the procedure for filling an appeal to the Appellate Tribunal against the order of a Deputy Commissioner (Appeals).

4. हाईकोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट को किस प्रकार और किन परिस्थितियों में मामले रेफर किए जा सकते हैं एवं अपील की जा सकती हैं ?

   How and under what circumstances can an appeal and reference be made to the High Court and the Supreme Court.

5. कैसे और किन परिस्थितियों में आय-कर आयुक्त मामलों पर पुनर्विचार कर सकता है ? आयुक्त द्वारा पुनर्विचार से सम्बन्धित आय-कर के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

   How and under what circumstances can a Commissioner of Income Tax revise cases ? Describe the provisions of Income Tax Act regarding revision by the Commissioner.

6. किन आदेशों के विरुद्ध आयुक्त (अपील्स) के यहाँ अपील की जा सकती है ? अपील की कार्य-विधि का वर्णन कीजिए तथा ऐसी अपील के सम्बन्ध में आयुक्त (अपील्स) के अधिकारों का भी वर्णन कीजिए।

   Against what orders an appeal can be filed to Commissioner (appeals) ? Describe the procedure of appeal and state the powers of Commissioner (appeals) in disposing such appeal

■■■

18

कर का एकत्रीकरण, वसूली एवं वापसी

(Collection, Recovery and Refund of Tax)

कर का एकत्रीकरण (Collection of Tax)

आयकर निम्नलिखित प्रकार से एकत्रित किया जाता है—

1. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती,
2. उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह,
3. कर का अग्रिम भुगतान,
4. स्वतः कर-निर्धारण के अन्तर्गत आय-कर का भुगतान, एवं
5. अन्तिम कर-निर्धारण के समय आय-कर का भुगतान।

1. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)

जब आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति आय का भुगतान करते समय ही आय पर आयकर काट लेता है तो उसे 'उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती' कहते हैं। उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से आय-कर वसूल करने में अत्यधिक सुविधा एवं बचत होती है। उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित प्रावधान आय-कर अधिनियम की धारा 192 से 206 में दिये हुए हैं जिनके अन्तर्गत 'वेतन', 'प्रतिभूतियों पर ब्याज', 'लाभांश एवं ब्याज', लॉटरी के इनाम की राशि, ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों को भुगतान एवं कमीशन आदि का भुगतान करते समय भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि आय का भुगतान करते समय आय में से निर्धारित दरों से आय-कर काटकर सरकारी खजाने में जमा करा दे।

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती सम्बन्धी नियम—

उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं—

(1) उद्‌गम स्थान पर काटा हुआ कर करदाता की आय मानी जाती है और उसे कुल आय में जोड़ा जाता है।

(2) उद्‌गम स्थान पर काटा गया कर करदाता की ओर से चुकाया हुआ माना जाता है और अन्तिम कर-निर्धारण के समय इस राशि का समायोजन (adjustment) कर दिया जाता है।

(3) कटौती करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह काटी गई कर की राशि को निर्धारित अवधि के अन्दर सरकारी खजाने में जमा करवा दे।

(4) कर काटने वाला व्यक्ति आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण-पत्र देता है जिसमें आय-कर की काटी गई रकम, आय की राशि तथा किस दर से कर काटा गया है आदि विवरण होता है।

(5) करदाता की आय यदि बहुत कम है और निर्धारण अधिकारी करदाता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि करदाता की आय बहुत कम है और इस पर कम दरों से अथवा बिल्कुल ही आय कर नहीं काटा जाये तो निर्धारण अधिकारी जैसे भी उचित समझे वैसे एक प्रमाण-पत्र इस सम्बन्ध में करदाता को दे सकता है। भुगतान करने वाला व्यक्ति इस प्रकार का प्रमाण-पत्र पाने के पश्चात् प्रमाण-पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार या तो आय-कर बिल्कुल नहीं काटेगा या कम दर से काटेगा।

(6) धारा 201 के अनुसार यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति उद्गम स्थान पर नियमानुसार कर नही काटता या काटने के पश्चात् सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाता तो इस कर के सम्बन्ध में उसे करदाता (assessee in default) मान लिया जाएगा और 15% की साधारण दर से कर की राशि पर ब्याज भी देना पड़ेगा।

इस प्रकार करदाता पर अर्थदण्ड भी लग सकता है। परन्तु यदि करदाता यह सिद्ध कर देता है कि उचित एवं पर्याप्त कारणों से वह कर नही काट सका अथवा सरकारी खजाने में जमा नहीं करवा पाया तो उस पर अर्थदण्ड नही लगेगा।

(7) धारा 296 के अनुसार रिजर्व बैंक अथवा सरकार को दी जाने वाली आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

विभिन्न आयों के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कटौती के नियम

'वेतन' में से उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from Salaries)

'वेतन' में से उद्गम स्थान पर आय-कर काटने सम्बन्धी नियम अधिनियम की धारा 192 में दिए गये है, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :

कटौती कब की जाती है ?

उद्गम स्थान पर आय कर की कटौती उसी दशा में की जाती है जबकि 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत अनुमानित वार्षिक आय न्यूनतम कर देय सीमा (minimum taxable limit) से अधिक हो। 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिए वेतन शीर्षक की अनुमानित आय (एक या अधिक नियोक्ताओं से) यदि 40,000 रु. से अधिक हो तो ही उद्गम स्थान पर आय-कर की कटौती की जायेगी। यदि कोई कर्मचारी दो या दो से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है तथा उसके वेतन में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती होनी चाहिये तो कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि वह उनमें से किसी एक को अन्य नियोक्ताओं से मिलने वाले वेतन की भी जानकारी दे। अनुमानित वेतन की गणना करते समय उस वित्तीय वर्ष में होने वाली वृद्धि की राशि को शामिल कर लिया जाता है तथा निम्न कटौतियाँ घटा दी जाती है :

(i) धारा-16 (i) के अन्तर्गत प्रमाणित कटौती अधिकतम 20,000 रु. तक,

(ii) धारा-16 (ii) के अन्तर्गत मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में,

(iii) धारा-16 (iii) के अन्तर्गत पेशा सम्बन्धी कोई कर,

(iv) धारा 80-CCC के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना मे पेंशन प्राप्ति के उद्देश्य से अंशदान,

(v) धारा-80D के अन्तर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियम,

(vi) धारा 80-DD के अन्तर्गत असमर्थ आश्रित की चिकित्सा पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में,

(vii) धारा-80DDA के अन्तर्गत विकलांग आश्रित के लाभ के लिए निर्दिष्ट योजना में अंशदान,

(viii) धारा-80DDB के अन्तर्गत स्वयं एवं सम्बन्धी की चिकित्सा पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में,

(ix) धारा 80-E के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिये किये गये ऋणों की वापसी के सम्बन्ध में,

(x) धारा-80G के अन्तर्गत विशिष्ट कोषों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान,

(xi) धारा-80RRA के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में मिला पारिश्रमिक,

(xii) धारा-80U के अन्तर्गत अन्धे व्यक्ति को दी जाने वाली कटौती।

उपरोक्त कटौतियों के अलावा यदि किसी कर्मचारी को पिछले वर्षों का ऐसा वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता आदि भी गत वर्ष में मिले जिस पर पहले कर नहीं लगा हो तो उसे धारा-89 (1) में छूट पाने का अधिकार है। 1 जून, 1989 से सरकारी कर्मचारी, कम्पनी, सहकारी समिति, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी नियोक्ता को प्रस्तुत कर देते है तो नियोक्ता अनुमानित कर योग्य वेतन की गणना करते समय धारा-89 (1) की छूट भी प्रदान करेगा।

उद्गम स्थान पर कटौती के लिए कर की दरें :

अनुमानित कर-योग्य 'वेतन' पर आयकर की गणना चालू वित्तीय वर्ष के लिए लागू आयकर की दरों से की जाती है। ये दरें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के वित्त अधिनियम (Finance Act) की प्रथम सूची (First Schedule) के भाग-3 में दी हुई होती हैं।

इन दरों के आधार पर ज्ञात की गई कर की राशि में से धारा-88 के अन्तर्गत दी जाने वाली कर की छूट को घटा देना चाहिये। धारा-88 के अन्तर्गत अनेक भुगतानों के सम्बन्ध में 20% के बराबर छूट दी जाती है। (धारा 88 का विस्तृत विवरण अध्याय 13 में किया गया है) उपरोक्त प्रकार से निकाली गई राशि बराबर की मासिक किश्तों में वेतन देने से पूर्व काट ली जानी चाहिये। यदि अनुमानित वेतन में आगे चलकर किसी कारण से परिवर्तन हो जाता है तो अनुमानित वेतन एवं कर की गणना पुनः करके शेष किश्तों में समायोजन कर लेना चाहिये।

कटौती का दायित्व--

वेतन शीर्षक में से उद्गम स्थान पर आयकर काटने का उत्तरदायित्व नियोक्ता अथवा वेतन देने वाले का है। उसे चाहिये कि इस काटे गये कर की रकम को राजकीय कोष मे प्रतिमाह जमा करे एवं इसका एक नक्शा आयकर विभाग को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक भेजे। वेतन देने वाला यदि बिना किसी समुचित कारण के वेतन में से आयकर नहीं काटता अथवा काटने के बाद उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाता है तो उसे इस कर के लिए करदाता मान लिया जायेगा एवं उस पर धारा-221 एवं 276B के अन्तर्गत मुकदमा भी चल सकता है और जुर्माना भी हो सकता है।

उपर्युक्त प्रकार से ज्ञात की गई कर की राशि में से धारा-88 के अन्तर्गत 6,000 रु. का 20% = 1,200 रु. की छूट दे दी जायेगी। शेष राशि 3,200 रु. - 1,200 रु. = 2,000 रु. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की राशि होगी।

I. प्रतिभूतियों के ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax at Source from Interest on Securities)

प्रतिभूतियों पर ब्याज चुकाने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह सम्बन्धित वित्त अधिनियम में दी गई दरों के अनुसार ऐसे ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करले तथा सरकारी कोष में जमा कर दे। परन्तु निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर कुछ विशिष्ट दशाओं में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है :

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा बाण्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण, गोल्ड बाण्डस एवं कुछ बचत पत्रों पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती थी, परन्तु वे अब चलन में नही है। उनका शोधन हो चुका है।

(ii) ऐसी सहकारी समिति,(भूमि बन्धक सहकारी बैंक तथा भूमि विकास सहकारी बैक सहित) एवं किसी संस्था या सत्ता अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित किये गये ऋण पत्रों पर देय ब्याज जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में इस आशय के लिए घोषणा कर दी हो। (अधिसूचित प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण अध्याय-9 में किया गया है।)

(iii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गई अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज, बशर्ते कि वे प्रतिभूतियाँ भारत में किसी निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति (Individual) के पास हों तथा उसने ब्याज चुकाने वाले अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा प्रस्तुत कर दी हो कि उस पर पहले कभी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ है, गत वर्ष की उसकी आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक नहीं होगी तथा गत वर्ष में उसके पास 2,500 रु. से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ नहीं रही हैं। 1-6-97 से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी प्रतिभूति पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

(iv) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी के मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय पर सूचित ऋण-पत्रों के ब्याज पर बशर्ते कि वह ब्याज भारत में निवासी व्यक्ति (Individual) को देय हो, इसका भुगतान (Account Payee) चैक द्वारा किया जाये तथा वित्तीय वर्ष में दिये गये ब्याज की रकम 2,500 रु. से अधिक नही हो।

(v) यदि कोई व्यक्ति ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति को निर्धारित विधि से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देता है कि उसकी कुल आय पर कोई कर देय नही होगा।

II. लाभांश की आय में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax from Income of Dividends)

लाभांश चुकाने वाली कम्पनी का यह दायित्व है कि भारत में निवासी व्यक्ति को लाभांश चुकाने से पूर्व उसमें से निर्दिष्ट दरों के आधार पर कर की कटौती करले तथा इस काटे हुए कर को सरकारी कोष में जमा करा दे। यह कर अंशधारी की ओर से चुकाया हुआ माना जाता है तथा अंशधारी का कर-निर्धारण करते समय उसके द्वारा देय आयकर में से उद्‌गम स्थान पर काटा हुआ

वेतन शीर्षक की आय से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें—वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए वेतन की आय के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती की निम्न दरें हैं—

1. कुल आय के प्रथम	40,000 रु. पर	शून्य
2. कुल आय के अगले	20,000 रु. पर	10%
3. कुल आय के अगले	90,000 रु. पर	20%
4. कुल आय के शेष पर		30%

Illustration 1.

श्री रमेश ने वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान निम्नलिखित भुगतान किये हैं :

	रु.
(i) जीवन बीमा प्रीमियम	6,000
(ii) बी. कॉम में पढ़ रहे छात्र की शिक्षा पर व्यय	4,000
(iii) प्रधानमन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में दान	3,000
(iv) अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिकित्सा बीमा प्रीमियम	1,000

उपरोक्त भुगतानों को ध्यान में रखते हुए श्री रमेश के वेतन में उद्गम स्थान पर की जाने वाली कटौती ज्ञात कीजिये यदि श्री रमेश को वित्तीय वर्ष के दौरान देय वेतन (क) 6,500 रु. प्रतिमाह हो एवं (ख) 7,500 रु. प्रतिमाह हो।

Solution :

(क) जब रमेश को देय वेतन 6,500 रु. प्रतिमाह हो,

			Rs.
	Salary		78,000
Less.	Standard deduction u/s 16 (i)		20,000
	Taxable Salary		58,000
	Deduction u/s 80-D	1,000	
	Deduction u/s 80-G	3,000	4,000
	Income for deduction of tax at source		54,000

उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए श्री रमेश की कुल आय 54,000 रु. है। इस राशि पर देय कर की राशि 1,400 रु. होती है। धारा-88 के अन्तर्गत कर की छूट 6,000 रु. की बीमा प्रीमियम की राशि का 20% अर्थात् 1,200 रु. की होती है। अतः उद्गम स्थान पर कर की कटौती 200 रु. की की जायेगी।

(ख) जब रमेश को देय वेतन 7,500 रु. प्रतिमाह हो :

			Rs.
	Salary		90,000
Less :	Standard deduction u/s 16 (i)		20,000
	Taxable Salary		70,000
	Deduction u/s 80-D	1,000	
	Deduction u/s 80-G	3,000	4,000
	Income for deduction of tax at source		66,000

Computation of Tax to be deducted

On first Rs. 40,000	*NIL*
On next Rs. 20,000 @ 10%	2,000
On balance of Rs. 6,000 @ 20%	1,200
	3,200

उपर्युक्त प्रकार से ज्ञात की गई कर की राशि में से धारा-88 के अन्तर्गत 6,000 रु. का 20% = 1,200 रु. की छूट दे दी जायेगी। शेष राशि 3,200 रु. - 1,200 रु. = 2,000 रु. उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की राशि होगी।

I. प्रतिभूतियों के ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax at Source from Interest on Securities)

प्रतिभूतियों पर ब्याज चुकाने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह सम्बन्धित वित्त अधिनियम में दी गई दरों के अनुसार ऐसे ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करले तथा सरकारी कोष में जमा कर दे। परन्तु निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर कुछ विशिष्ट दशाओं में उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है :

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा बाण्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण, गोल्ड बाण्डस एवं कुछ बचत पत्रों पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नही की जाती थी, परन्तु वे अब चलन में नहीं है। उनका शोधन हो चुका है।

(ii) ऐसी सहकारी समिति,(भूमि बन्धक सहकारी बैंक तथा भूमि विकास सहकारी बैंक सहित) एवं किसी संस्था या सत्ता अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा निर्गमित किये गये ऋण पत्रों पर देय ब्याज जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में इस आशय के लिए घोषणा कर दी हो। (अधिसूचित प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण अध्याय-9 में किया गया है।)

(iii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गई अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज, बशर्ते कि वे प्रतिभूतियाँ भारत में किसी निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति (Individual) के पास हों तथा उसने ब्याज चुकाने वाले अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा प्रस्तुत कर दी हो कि उस पर पहले कभी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ है, गत वर्ष की उसकी आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक नहीं होगी तथा गत वर्ष में उसके पास 2,500 रु. से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ नहीं रही हैं। 1-6-97 से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी प्रतिभूति पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

(iv) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी के मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय पर सूचित ऋण-पत्रों के ब्याज पर बशर्ते कि वह ब्याज भारत में निवासी व्यक्ति (Individual) को देय हो, इसका भुगतान (Account Payee) चैक द्वारा किया जाये तथा वित्तीय वर्ष में दिये गये ब्याज की रकम 2,500 रु. से अधिक नहीं हो।

(v) यदि कोई व्यक्ति ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति को निर्धारित विधि से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देता है कि उसकी कुल आय पर कोई कर देय नहीं होगा।

II. लाभांश की आय में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax from Income of Dividends)

लाभांश चुकाने वाली कम्पनी का यह दायित्व है कि भारत में निवासी व्यक्ति को लाभांश चुकाने से पूर्व उसमें से निर्दिष्ट दरों के आधार पर कर की कटौती करले तथा इस काटे हुए कर को सरकारी कोष में जमा करा दे। यह कर अंशधारी की ओर से चुकाया हुआ माना जाता है तथा अंशधारी का कर-निर्धारण करते समय उसके द्वारा देय आयकर में से उद्‌गम स्थान पर काटा हुआ

कर घटा दिया जाता है तथा शेष कर ही अंशधारी द्वारा चुकाया जाता है। कम्पनी अंशधारी को आय कर काटने व जमा कराने की रसीद भी भेज देती है, जिससे कि अंशधारी उसका उपयोग अपने कर-निर्धारण में कर सके। उद्‌गम स्थान पर काटा गया कर अंशधारी द्वारा प्राप्त लाभांश में जोड़ा जाता है तथा लाभांश की सकल राशि को उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है।

जनता का सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा अपने ऐसे अंशधारी व्यक्ति को लाभांश का भुगतान करते समय उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी, जिसको वित्तीय वर्ष में दिये गये अथवा देय लाभांश की राशि 2,500 रु. से अधिक नहीं हो तथा कम्पनी ऐसे लाभांश का भुगतान खाते में जमा होने वाले चैक द्वारा करती है। 1 जून, 1997 को या उसके बाद घरेलू कम्पनी द्वारा दिये गये लाभांश पर उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

III. प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax from Interest other than Interest from Securities)

धारा-194 A के अनुसार कोई भी व्यक्ति [एक व्यष्टि (Individual) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा] किसी निवासी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो वह ऐसा ब्याज पाने वाले के खाते में जमा कराने से पूर्व अथवा नकदी में अथवा चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने की दशा में भुगतान करने से पूर्व निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती कर ले। परन्तु यदि वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति को दी गई अथवा उसके खाते में जमा की गई अथवा वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली अथवा दी जाने वाली रकम 2,500 रु. से अधिक नहीं हो तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

बैंक अथवा बैंकिंग का काम करने वाली सहकारी समिति अथवा भारत में पंजीकृत ऐसी सार्वजनिक कम्पनी जो आवासीय भवनों के निर्माण के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, द्वारा अवधि जमाओं पर किसी वित्तीय वर्ष में जमा की गई अथवा भुगतान की गई आय 10,000 रु. से अधिक नहीं हो तो उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। 10,000 रु. की सीमा प्रत्येक शाखा के लिये अलग-अलग लागू होगी।

उपर्युक्त स्थिति के अलावा निम्न दशाओं में भी उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी—

(i) यदि ब्याज किसी बैंक, बैंकिंग का काम करने वाली सहकारी समिति, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, बीमा सम्बन्धी व्यापार करने वाली कम्पनी अथवा सहकारी समिति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी अन्य संस्था व संघ को दिया जाता है।

(ii) एक सहकारी समिति द्वारा दूसरी सहकारी समिति के खाते में अथवा सदस्य के खाते में जमा की गई रकम अथवा उसे भुगतान की गई ब्याज की रकम।

(iii) एक फर्म द्वारा अपने साझेदार को दिए गए ब्याज अथवा उसके खाते में जमा किये गये ब्याज पर।

(iv) बैंक में जमा के सम्बन्ध में जमा की गई अथवा भुगतान की गई आय (1 जुलाई, 1995 को या उसके बाद अवधि जमा में की गई जमा को छोड़कर)।

(v) (अ) प्राथमिक कृषि साख समिति अथवा प्राथमिक साख समिति अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक अथवा सहकारी भूमि बन्धक बैंक में जमा के सम्बन्ध में जमा की गई अथवा भुगतान की गई आय।

(ब) उपरोक्त वाक्यांश (अ) में वर्णित सहकारी समिति अथवा सहकारी बैंक को छोड़कर अन्य बैंकिंग का व्यापार करने वाली सहकारी समिति में जमा (1 जुलाई या उसके बाद अवधि जमाओं में की गई जमा को छोड़कर) के सम्बन्ध में जमा की गई या भुगतान की गई आय।

स्पष्टीकरण—अवधि जमा से आशय (आवृत्ति जमा को छोड़कर) ऐसी जमा से है जिसका पुनर्भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई एवं इस आशय के लिये सरकारी गजट में अधिसूचित की गई किसी भी योजना में जमा की गई राशि के सम्बन्ध में भुगतान की गई अथवा जमा की गई आय पर। इस आशय के लिये निम्न को अधिसूचित किया गया है—

1. पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा खाता।
2. पोस्ट ऑफिस अवधि जमा खाता (1, 2, 3 अथवा 5 वर्षीय)।
3. पोस्ट ऑफिस मासिक आय खाता।
4. किसान विकास पत्र।
5. राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गम।
6. इन्दिरा विकास पत्र। (अधिसूचना न० 5072 (E) दिनांक 24-1-1992
7. सामाजिक सुरक्षा पत्र (Certificate)
8. राष्ट्रीय बचत पत्र पंचम, षष्ठम एवं सप्तम निर्गम (ये चलन से बाहर हो चुके हैं) अधिसूचना न. SO 2703 दिनांक 1-9-1990

उपर्युक्त प्रपत्र अथवा जमा योजनाओं के ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

IV. लाटरी एवं पहेलियों से प्राप्त आय पर कर की कटौती
(Deduction of Tax at Source from Income of Lottery and Crossword Puzzle)

धारा-194 B के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को लाटरी में अथवा पहेली में जीती गई आय चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो उसे चाहिए कि इस प्रकार की आय का भुगतान करने से पूर्व आय में से निर्धारित दरों से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करले।

ऐसी आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती से सम्बन्धित अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं—

(1) यह कटौती 5,000 रु. से अधिक के भुगतानों पर की जायेगी। इनाम की राशि यदि 5,000 रु. से अधिक है तो इनाम प्राप्तकर्ता को प्रथम 5,000 रु. की राशि का 100% भुगतान किया जायेगा तथा शेष राशि में से निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी।

(2) यदि भुगतान किश्तों में किया जाता है तो प्रत्येक किश्त के भुगतान के समय यह कटौती की जायेगी।

(3) यह कटौती केवल नकद या आंशिक रूप से वस्तुओं में किये गये भुगतानों पर लागू होगी।

(4) यदि भुगतान केवल वस्तुओं में किया गया है तो यह कटौती नहीं की जायेगी।

V. घुड़दौड़ की इनाम की आय पर कर की कटौती
(Deduction of Tax at Source from winning from Horse Race)

धारा-194-BB के अनुसार कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति को घुड़दौड़ में जीती गई रकम चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो उसे चाहिए कि इस प्रकार की आय का भुगतान करने से पूर्व आय में से निर्धारित दरों से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करले। इस धारा के अन्तर्गत कटौती उसी दशा में की जाती है जबकि इनाम की राशि 2,500 रु. से अधिक हो। *यदि इनाम की राशि 2,500 रु. से अधिक हो तो प्रथम 2,500 रु. का 100% भुगतान किया जायेगा तथा शेष राशि में से निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर कर काट कर भुगतान किया जायेगा।*

इस धारा के अन्तर्गत कटौती वही व्यक्ति कर सकेगा, जिसको केन्द्रीय सरकार ने घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ करवाने का लाइसेन्स प्रदान कर दिया हो अथवा घुड़दौड़ के मैदान पर बाजी लगाने के लेनदेनों की व्यवस्था करने का लाइसेन्स प्रदान कर दिया हो।

VI. ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों को भुगतान में से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती
(Deduction of Tax at Source from Payment to Contractors and Sub-Contractors)

(1) धारा-194 C (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी निवासी ठेकेदार को निम्नलिखित व्यक्तियों एवं ठेकेदार के मध्य किसी काम के लिए हुए प्रसंविदे के अन्तर्गत कोई राशि प्रदान करता है तो उसे चाहिये कि इस प्रकार के भुगतान पर 2%, विज्ञापन के कार्य पर 1% की दर से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करले। यह भुगतान ठेकेदार एवं निम्नलिखित के मध्य किसी कार्य के लिए प्रसंविदे के अन्तर्गत होना चाहिए—

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार। (ii) कोई स्थानीय सरकार।

(iii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम।

(iv) कोई कम्पनी। (v) कोई सहकारी समिति।

(vi) आवास की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली अथवा नगर विकास एवं नियोजन के लिये भारत में बनी कोई सत्ता।

(viii) सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड कोई सोसायटी।

(viii) कोई ट्रस्ट। (ix) कोई विश्वविद्यालय। (x) कोई फर्म।

(2) चाहे इस प्रकार का भुगतान ठेकेदार के खाते में क्रेडिट करके किया गया हो, चाहे नकद में किया गया हो, चाहे ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा किसी भी ढंग से किया गया हो, जो भी इनमें से सर्वप्रथम किया गया हो, उस समय यह कटौती की जायेगी।

(3) धारा-194 C (2) के अन्तर्गत कोई भी ठेकेदार (जो व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं हो) किसी काम के सम्बन्ध में किसी निवासी उप-ठेकेदार को किसी राशि का भुगतान करता है, तो उसे चाहिये कि इस प्रकार का भुगतान करने से पूर्व इस भुगतान पर 1% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ले। उपरोक्त (2) में दी गई शर्तें यहाँ पर भी लागू होंगी।

टिप्पणी—(1) यदि इस प्रकार के भुगतान की राशि 20,000 रु. से अधिक नहीं है तो यह कटौती नहीं की जायेगी।

(2) यदि निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार की आय कम है तो वह इस बात का प्रमाण-पत्र दे सकता है कि ऐसे भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाये अथवा कम दर से की जाए।

VII. बीमे के कमीशन के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from payment of Insurance Commission)

धारा-194 D के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवासी करदाता को बीमे के कमीशन का भुगतान करता है उसका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसे कमीशन का भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय अथवा नकदी या चैक या ड्राफ्ट से भुगतान करते समय (इनमें से जो भी पहले हो) 10% की दर से आय कर काट ले।

बीमे के कमीशन की राशि में उद्गम स्थान पर कर की कटौती कमीशन की राशि 5,000 रु. से अधिक होने पर ही की जायेगी।

VIII. अनिवासी खिलाड़ी एवं संघों को भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from Payment to Non-resident Sportsman and Sports Association)

धारा-194 E के अनुसार यदि किसी अनिवासी खिलाड़ी, जो भारत का नागरिक नही है अथवा अनिवासी खेल संघ को धारा-115 BBA के तहत किसी आय का भुगतान करता है तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह ऐसे भुगतान को पाने वाले के खाते में जमा करने से पूर्व अथवा नकद भुगतान करने से पूर्व अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी तरीके से भुगतान करने से पूर्व (इन भुगतानों में जो भी सबसे पहले हो) भुगतान की जाने वाली राशि के 10% के बराबर राशि की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ले।

IX. धारा-80CCA (a) में वर्णित भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

[Deduction of Tax at Source from the payment referred in Section-80 CCA (a)]

धारा-194 EE के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 30 सितम्बर, 1991 के बाद धारा-80 CCA (a) में संदर्भित कोई भुगतान करता है तो उसका दायित्व है कि ऐसा भुगतान करते समय उस भुगतान में से 2% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ले। परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान की जाने वाली राशि 2,500 रु. से कम है तो ऐसी कटौती न... जायेगी। इसी प्रकार यदि इस धारा में वर्णित कोई भुगतान करदाता के उत्तराधिकारी ... जाता है तो उसमें से भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

टिप्पणी—धारा-80 CCA (a) में वर्णित भुगतान से अभिप्राय राष्ट्रीय, बचत योजना खाते से अथवा जीवन बीमा निगम की 'जीवन धारा' एवं 'जीवन-अक्षय' वार्षिकी योजना के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान से है।

X. यूनिटों के वापस खरीदने पर किये जाने वाले भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from payments on account of Repurchase of Units)

धारा-194 F के अनुसार पारस्परिक कोष द्वारा अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा धारा-80 CCB (2) में संदर्भित कोई भुगतान यूनिटों के वापस खरीदने पर किया जाता है तो ऐसा भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे भुगतान में से मूल विनियोग की राशि पर 20% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ले।

XI. लाटरी के विक्रय के कमीशन के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from Commission for sale of Lottery tickets)

धारा-194 G के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 30 सितम्बर, 1991 के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को कमीशन, पारिश्रमिक, इनाम या अन्य किसी नाम से भुगतान करता है जो लॉटरी के टिकटों का संग्रह, वितरण, क्रय एवं विक्रय करता है तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह ऐसा भुगतान पाने वाले के खाते में जमा करने से पूर्व अथवा नकद भुगतान करने से पूर्व अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट जारी करने से पूर्व (इनमें से जो भी सबसे पहले हो) भुगतान की जाने वाली राशि के 10% के बराबर राशि उद्गम स्थान पर कर की कटौती के रूप में काटले।

परन्तु निर्धारण अधिकारी किसी करदाता की आय कम होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो जाये तो वह कम दर से कटौती करने अथवा कटौती न करने के लिये प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के उद्देश्य से ऐसी आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति यदि ऐसी आय को उचन्त खाते (Suspense Account) में या अन्य किसी नाम से जमा कर देता है तो इस प्रकार जमा करने को भुगतान पाने वाले के खाते में जमा मान लिया जायेगा तथा इस धारा की व्यवस्थायें लागू हो जायेंगी।

XII. किराये के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from payments of Rent)

धारा-194-I के अनुसार यदि कोई व्यक्ति (व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार को छोड़कर) किसी व्यक्ति को किराये के रूप में किसी आय का भुगतान करता है तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह ऐसा भुगतान पाने वाले के खाते में जमा करने से पूर्व अथवा नकद भुगतान करने से पूर्व अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट जारी करने से पूर्व (इनमें से जो भी सबसे पहले हो) भुगतान की जाने वाली राशि के 15% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। अन्य व्यक्तियों को किये गये भुगतान में से कटौती 20% की दर से ही की जायेगी।

परन्तु यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के खाते में जमा की जाने वाली अथवा नकद भुगतान की जाने वाली ऐसी आय की राशि 1,20,000 रु. से अधिक नहीं हो तो इस धारा के तहत उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के उद्देश्यों के लिये—

(i) किराये से आशय किसी भी ऐसे भुगतान से है जो किसी पट्टे, उप-पट्टे, किरायेदारी अथवा अन्य किसी समझौते के तहत भूमि या भवन के उपयोग के लिये दिया जाता है। भवन में कारखाना भवन, उसमें स्थापित फर्नीचर एवं उससे जुड़ी हुई भूमि भी सम्मिलित है।

(ii) यदि ऐसी आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसी आय को अपनी पुस्तकों में उच्चन्त खाते या अन्य किसी खाते में जमा कर देता है तो यह माना जायेगा कि ऐसा भुगतान पाने वाले को किया गया है और इस धारा की व्यवस्थाएँ लागू हो जायेंगी।

XIII पेशा सम्बन्धी अथवा तकनीकी सेवाओं की फीस के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती

(Deduction of Tax at Source from payments of fees for professional or technical services)

धारा 194-J के अनुसार कोई भी व्यक्ति (एक व्यष्टि एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के अलावा) किसी निवासी व्यक्ति को 30 जून, 1995 के बाद पेशा सम्बन्धी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस के रूप में कोई राशि चुकाने के लिये उत्तरदायी है तो वह ऐसी रकम पाने वाले के खाते में जमा करने से पूर्व अथवा नकदी में अथवा चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने की दशा में भुगतान से पूर्व 5% की दर से उद्गम स्थान पर आय-कर की कटौती कर ले।

परन्तु एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली अथवा उसके खाते में जमा की जाने वाली रकम 20,000 रु. से अधिक नहीं है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

XIV. यूनिट की आय के भुगतान में से कटौती

(Deduction of Tax from income of Units)

धारा 194-k के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निवासी व्यक्ति को 30 जून, 1995 के बाद धारा 10(23D) में वर्णित पारस्परिक कोष की यूनिट अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की यूनिट की आय का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है तो वह ऐसी रकम पाने वाले के खाते में जमा करने से पूर्व अथवा नकदी में अथवा चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने की दशा में भुगतान से पूर्व निम्न दरों से कटौती करले—

(अ) कम्पनी की दशा में 20% की दर से, एवं

(ब) अन्य किसी को भुगतान करने पर 15% की दर से।

निम्न दशाओं में कटौती नहीं की जायेगी—

(i) किसी एक वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली अथवा भुगतान की जाने वाली रकम 10,000 रु. से अधिक नही है।

(ii) ऐसी आय धारा 11 एवं 12 के अनुसार अथवा धारा 10 के वाक्यांश (22) अथवा (22A) अथवा (23) अथवा (23AA) अथवा (23C) के तहत पाने वाले के लिये कर मुक्त है।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक स्कीम एवं प्रत्येक शाखा के लिये 10,000 रु. की गणना अलग-अलग की जायेगी।

विशिष्ट आयों के सम्बन्ध में उद्‌गम स्थान पर कटौती की दर

1. कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की दशा में :

A. करदाता के भारत में निवासी होने की दशा में :

(i)	प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर	10%
(ii)	लॉटरी व वर्ग पहेली में जीते गये इनाम पर	40%
(iii)	घुड़दौड़ में जीती गई राशि पर	40%
(iv)	बीमा के कमीशन पर	10%
(v)	निम्न पर देय ब्याज की आय पर	
	(a) ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियाँ जिनका निर्गमन मुद्रा के बदले किया गया हो तथा जो किसी स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्रीय, प्रान्तीय अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम द्वारा अथवा इनकी ओर से निर्गमित की गई हो।	10%
	(b) किसी कम्पनी द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र जिनका सूचियन प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 1956 एवं सम्बन्धित अन्य नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज पर किया गया हो।	10%
(vi)	अन्य आय पर	20%

B. करदाता के भारत में निवासी न होने पर :

(i) अनिवासी भारतीय की दशा में :

(अ) विनियोग की आय पर	20%
(ब) धारा 115 E में वर्णित दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर	10%
(स) धारा 115 E के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर	20%
(द) सरकार अथवा भारतीय संस्था को विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋण पर सरकार अथवा भारतीय संस्था द्वारा ब्याज के रूप में देय आय पर	20%
(य) लाटरी, वर्ग पहेली एवं घुड़दौड़ के इनाम पर	40%
(फ) अन्य आय पर	आय की राशि का 30% अथवा करदाता की कुल आय पर इस अनुसूची के Part III के पैराग्राफ A के उपभाग I में लागू दरों के अनुसार ज्ञात की गई राशि (दोनों में जो भी अधिक हो)

(ii) अन्य किसी व्यक्ति की दशा में :

(अ) सरकार अथवा भारतीय संस्था को विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋण पर सरकार अथवा भारतीय संस्था द्वारा ब्याज के रूप में देय आय पर — 20%

(ब) लाटरी, वर्ग पहेली एवं घुड़दौड़ के इनाम पर — 40%

(स) दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर — 20%

(द) अन्य आय पर — आय की राशि का 30% अथवा करदाता की कुल आय पर इस अनुसूची के Part III के पैराग्राफ A के उपभाग I में लागू दरों के अनुसार ज्ञात की गई राशि (दोनों में जो भी अधिक हो)

2. कम्पनी करदाता की दशा में

A घरेलू कम्पनी होने पर :

(i) प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य ब्याज की दशा में — 20%

(ii) लॉटरी, वर्ग पहेली एवं घुड़दौड़ की आय पर — 40%

(iii) अन्य किसी आय पर — 20%

B घरेलू कम्पनी न होने पर

(i) लॉटरी व वर्ग पहेली के इनाम पर — 40%

(ii) घुड़दौड़ की इनाम पर — 40%

(iii) सरकार अथवा भारतीय संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर — 20%

(iv) भारतीय संस्था से प्राप्त रॉयल्टी पर (धारा-115-A (IA) में दी गई परिस्थिति में)

(a) यदि समझौता 1 जून, 1997 के पूर्व हुआ हो — 30%

(b) यदि समझौता 1 जून, 1997 को अथवा उसके बाद हुआ हो — 20%

(v) उपरोक्त (iv) में वर्णित रॉयल्टी को छोड़कर अन्य रॉयल्टी की दशा में यदि अनुबन्ध केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित हो, भारतीय संस्था या सरकार से प्राप्त रॉयल्टी पर—

(a) 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व समझौता होने पर — 50%

(b) 31 मार्च, 1976 के बाद परन्तु 1 जून 1997 से पूर्व समझौता होने पर — 30%

(c) 1 जून, 1997 को अथवा बाद में समझौता होने पर — 20%

(vi) भारतीय संस्था या सरकार को दी गई टेक्नीकल सेवाओं के बदले में प्राप्त फीस, बशर्ते समझौता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो—

(a) 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किये समझौते पर — 50%

(b) 31 मार्च, 1976 के बाद परन्तु 1 जून, 1997 से पूर्व किये समझौते पर — 30%

(c) 1 जून, 1997 को अथवा बाद में समझौता होने पर — 20%

(vii) दीर्घकालीन पूँजी लाभों की आय — 20%

(viii) अन्य किसी आय पर — 48%

2. उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह (Collection of tax at source)—[धारा-206C]—प्रत्येक विक्रेता का यह कर्त्तव्य है कि वह विक्री के समय क्रेता द्वारा देय राशि को उसके खाते में नाम लिखते समय अथवा क्रेता से भुगतान प्राप्त करते समय, दोनों में जो पहले हो, ऐसे माल के क्रेता से निम्न दरों से आय-कर का संग्रह कर लेगा :

	माल की प्रकृति	क्रेता द्वारा देय राशि पर आय-कर वसूल करने का प्रतिशत
1.	*मनुष्यों के उपयोग के लिए Alcoholic liquor (भारत में बनी विदेशी शराब को छोड़कर) एवं तेन्दूपत्ता पर*	*10%*
2.	*जंगल के पट्टे के तहत प्राप्त की गई लकड़ी (Timber) पर*	*15%*
3.	*जंगल के पट्टे के अतिरिक्त अन्य तरीके से प्राप्त की गई लकड़ी पर*	*5%*
4.	*लकड़ी के अलावा जंगल के अन्य किसी उत्पाद पर*	*15%*

अपवाद—यदि उपर्युक्त माल क्रेता द्वारा व्यापार करने के लिए नहीं क्रय किया जाता है, बल्कि निर्माण करने, प्रक्रिया करने अथवा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग करने हेतु क्रय किया जाता है तो विक्रेता द्वारा उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह नही किया जायेगा। इसके लिए क्रेता को निर्धारण अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और जब तक वह प्रमाण-पत्र प्रभावशील रहेगा तब तक क्रेता से उद्‌गम स्थान पर कर का संग्रह नहीं किया जायेगा।

विक्रेता से अभिप्राय: केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी सत्ता या निगम अथवा किसी कम्पनी, फर्म अथवा सहकारी समिति से है।

अन्य महत्वपूर्ण बातें :

(1) विक्रेता का यह दायित्व है कि वह इस धारा के तहत संग्रह की गई राशि को 7 दिन के अन्दर केन्द्रीय सरकार के लिए जमा कराये।

(2) इस धारा के तहत कर-संग्रह करने वाले विक्रेता का कर्त्तव्य है कि वह 30 सितम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक 6 माह की अवधि के दौरान संग्रह किये गये कर का एक विवरण तैयार करे तथा उस विवरण को निर्धारण आय कर प्राधिकारी के यहाँ, निर्धारित प्रारूप में निर्धारित ढंग से सत्यापित करके निर्धारित विवरण दिखाते हुए दाखिल करे।

(3) यदि विक्रेता इस धारा के तहत संग्रह की जाने वाली राशि को संग्रह नहीं करता अथवा संग्रह करने के बाद 7 दिन के अन्दर सरकारी कोष में जमा नहीं कराता तो उसे इस राशि पर 2% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज सरकार को देना होगा। ब्याज की गणना जिस तिथि को ऐसा कर-संग्रह किया जाना चाहिये था उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए की जायेगी। यदि विक्रेता संग्रह की गई राशि को जमा नही कराता है तो उसे धारा-276 BB के अन्तर्गत कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जा सकती है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(4) इस धारा के अन्तर्गत संग्रह एवं जमा की गई राशि उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई मानी जायेगी जिस व्यक्ति से इसे संग्रह किया गया है। संग्रह करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को जिससे कर की राशि संग्रह की गई है एक प्रमाण-पत्र कर की राशि उस व्यक्ति के नाम लिखे जाने अथवा उस व्यक्ति से प्राप्त की जाने की तिथि से दस दिन के अन्दर जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र में कर की दर, कर की राशि एवं अन्य आवश्यक विवरण का उल्लेख करेगा। क्रेता के नियमित कर-निर्धारण के समय इस प्रमाण-पत्र में दी गई राशि को देय कर की राशि में से कम कर दिया जायेगा।

3. आयकर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) या जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना (Pay as you Earn Scheme)

आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत जिस वित्तीय वर्ष में आय कमाई जाती है उसी वित्त वर्ष में आयकर की भुगतान की व्यवस्था है जिसे कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax) कहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार जैसे जैसे करदाता आय कमाता है वैसे-वैसे कर का भुगतान करता जाता है। इसलिए इसे जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ (Pay as you Earn Scheme) भी कहते हैं। धारा-207 के अनुसार एक करदाता को अपनी कुल आय के सम्बन्ध में जो वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद वाले कर-निर्धारण वर्ष में कर-योग्य होगी, धारा-208 से 219 की व्यवस्थाओं के अनुसार अग्रिम कर चुकाना पड़ेगा। ऐसी कुल आय को इस अध्याय में चालू आय (Current income) के नाम से जाना जायेगा।

अग्रिम कर के दायित्व की शर्तें—किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी करदाता द्वारा अग्रिम कर चुकाने का दायित्व उसी दशा में उत्पन्न होगा जबकि उसके द्वारा देय कर की राशि जिसकी गणना इस अध्याय की व्यवस्थाओं के अनुसार की गई हो 5,000 रु. या अधिक हो। यदि किसी करदाता द्वारा देय कर की राशि किसी भी वित्तीय वर्ष की आय के सम्बन्ध में 5,000 रु. से कम हो तो उस करदाता का अग्रिम कर चुकाने का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

अग्रिम कर की गणना (Computation of Advance Tax):

किसी भी वित्तीय वर्ष में एक करदाता द्वारा देय अग्रिम कर की गणना धारा—209 (1) के अनुसार निम्नलिखित ढंग से की जायेगी—

(a) यदि करदाता द्वारा अग्रिम कर की गणना धारा 210 की उपधारा (1), (2). (5) या (6) के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान के उद्देश्य से की जाती है तो वह पहले अपनी चालू आय का अनुमान लगायेगा एवं उस पर वित्तीय वर्ष में प्रभावी दरों के अनुसार आय-कर की गणना करेगा।

(b) यदि अग्रिम कर की गणना निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 (3) के अन्तर्गत आदेश जारी करने के उद्देश्य से की जाती है तो करदाता की सबसे अन्तिम गत वर्ष (Latest previous year) जिसका नियमित कर-निर्धारण हो चुका हो, की कुल आय अथवा बाद के किसी गत वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए आय के नक्शे में करदाता द्वारा प्रदर्शित की गई कुल आय, दोनों में जो भी अधिक हो, को आधार बनाया जायेगा तथा उस आय पर वित्तीय वर्ष में प्रभावी दरों के अनुसार आय-कर की गणना की जायेगी।

(c) यदि अग्रिम कर की गणना निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 (4) के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी करने के उद्देश्य से की जाती है तो करदाता द्वारा बाद के किसी गत वर्ष की आय का नक्शा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में ऐसे नक्शे में घोषित कुल आय को आधार माना जायेगा। परन्तु यदि करदाता का बाद के किसी गत वर्ष का नियमित कर-निर्धारण हो जाता है तो नियमित कर-निर्धारण वाले वर्ष की कुल आय को आधार माना जायेगा और उस आय पर वित्तीय वर्ष में प्रभावी दरों के अनुसार आय-कर की गणना की जायेगी।

(d) उपरोक्त वाक्यांश (a) (b) एवं (c) के अनुसार ज्ञात की गई कर की राशि में से करदाता की उस वित्तीय वर्ष की किसी भी आय में से उद्गम स्थान पर काटी गई अथवा एकत्र की गई कर की राशि को घटा दिया जायेगा तथा शेष राशि ही करदाता द्वारा देय अग्रिम कर की राशि होगी। जिस आय में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है उस आय को चालू आय में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

धारा 209 (2) के अनुसार यदि सम्बन्धित वर्ष के वित्त अधिनियम में यह व्यवस्था दी हुई हो कि किसी विशेष वर्ग के करदाताओं के लिए अग्रिम कर की गणना करते समय शुद्ध कृषि आय को भी ध्यान में रखा जायेगा तो उस वर्ग में [illegible] ओं की शुद्ध कृषि आय निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी—

(अ) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 (3) अथ [illegible] जाने पर—

उस गत वर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक हो जाती है।

(b) यदि किसी ऐसे गत वर्ष की कुल आय को अग्रिम कर की गणना का आधार माना जाता है जिसके सम्बन्ध में हिन्दू अविभाजित परिवार ने धारा 139 अथा 142 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत किया है तो ऐसे गत वर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में परिवार के किसी भी सदस्य की कुल आय अधिकतम कर-मुक्त सीमा से अधिक हो जाती है।

करदाता द्वारा अग्रिम कर का भुगतान (Payment of advance tax by the assessee)

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो धारा 208 के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी है (चाहे भले ही उसका पहले कभी नियमित कर-निर्धारण हुआ हो अथवा नहीं) स्वतः ही अपनी चालू आय पर देय अग्रिम कर का भुगतान करेगा। अग्रिम कर की गणना धारा 209 में वर्णित विधि के अनुसार की जायेगी तथा इसे धारा 211 में वर्णित देय तिथियों पर या उनके पूर्व ही चुकायेगा। अग्रिम कर की प्रत्येक किश्त उसकी चालू आय पर देय कर का एक निश्चित प्रतिशत होगी जिसका उल्लेख धारा 211 में किया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसने अग्रिम कर की एक या अधिक किश्तों का भुगतान कर दिया है, अपनी चालू आय के अनुमान के अनुसार शेष किश्त या किश्तों की राशि में वृद्धि या कमी कर सकता है।

(3) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसका किसी गत वर्ष की कुल आय के सम्बन्ध में पहले ही नियमित कर-निर्धारण हो चुका है, उपधारा (1) के अन्तर्गत अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है तथा निर्धारण अधिकारी के विचार से ऐसा व्यक्ति अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायी है तो वह वित्तीय वर्ष की 1 मार्च के पूर्व कभी भी लिखित में आदेश जारी करके अग्रिम कर का भुगतान करने को कह सकता है। अग्रिम कर की गणना धारा 209 में वर्णित विधि के अनुसार की जायेगी। निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को धारा 156 के अन्तर्गत मांग-पत्र भी जारी करेगा जिसमें उस किश्त अथवा उन किश्तों का उल्लेख किया जायेगा जिसमें ऐसे कर का भुगतान किया जाना है।

(4) निर्धारण अधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के अन्तर्गत आदेश जारी करने के पश्चात् 1 मार्च से पूर्व कभी भी करदाता द्वारा धारा 139 अथवा 142 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत कर दिया गया है अथवा उप-धारा (3) से सम्बन्धित गत वर्ष के बाद के किसी गत वर्ष का नियमित कर निर्धारण हो गया है तो निर्धारण अधिकारी संशोधित आदेश जारी करेगा। अग्रिम कर की गणना करदाता द्वारा घोषित आय अथवा नियमित कर-निर्धारण से सम्बन्धित कुल आय के अनुसार की जायेगी। निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को धारा 156 के अन्तर्गत मांग-पत्र भी जारी करेगा जिसमें उस किश्त अथवा उन किश्तों का उल्लेख किया जायेगा जिनमें ऐसे कर का भुगतान किया जाना है। इस आदेश में किश्तों की रकम एवं तिथियों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(5) एक व्यक्ति जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के अन्तर्गत आदेश दिया गया है अथवा उप-धारा (4) के अन्तर्गत संशोधित आदेश दिया गया है, के अनुमान से उसकी चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि ऐसे आदेश अथवा संशोधित आदेश में उल्लेखित कर की राशि से कम होगी तो वह निर्धारित प्रारूप में निर्धारण अधिकारी को सूचना भेज

सकता है एवं अपने अनुमान के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है। इस कर की गणना धारा 209 के अनुसार की जायेगी तथा इस कर का भुगतान धारा 211 की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जायेगा। धारा 211 में प्रत्येक किश्त का प्रतिशत तथा प्रत्येक किश्त की भुगतान तिथि का उल्लेख किया गया है।

(6) एक व्यक्ति जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया है अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी किया गया है, के अनुमान से उसकी चालू आय पर देय अग्रिम कर की राशि इन आदेशों में वर्णित राशि से एवं उसके द्वारा उपधारा (5) के अन्तर्गत सूचित की गई राशि से अधिक होगी तो वह ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान धारा-211 में वर्णित अन्तिम किश्त की देय तिथि को या पहले ही करेगा।

अग्रिम कर की किश्तें एवं देय तिथियाँ

(Instalments of advance tax and due dates) [धारा 211] –

(अ) प्रत्येक कम्पनी जो अग्रिम कर के भुगतान के लिये दायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार किश्तों में भुगतान करेगी। प्रत्येक किश्त की तिथि एवं उस पर देय कर की राशि का उल्लेख Table I में किया गया है—

Table I

किश्त की देय तिथि	देय राशि
15 जून को या उसके पूर्व	देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 15%
15 सितम्बर को या उससे पूर्व	देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 45% [यदि कोई राशि पूर्व किश्त में भुगतान की गई है तो उसे घटा दिया जायेगा।]
15 दिसम्बर को या उससे पूर्व	देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 75% [यदि कोई राशि पूर्व किश्त या किश्तों में भुगतान की गई है तो उसे घटा दिया जायेगा।]
15 मार्च को या उसके पूर्व	देय अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि [यदि कोई राशि पूर्व किश्त या किश्तों में भुगतान की गई है तो उसे घटा दिया जायेगा।]

(ब) कम्पनी के अलावा अन्य प्रत्येक करदाता जो अग्रिम कर के भुगतान के लिये दायी है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन किश्तों में भुगतान करेगा। प्रत्येक किश्त की तिथि एवं उस पर देय कर की राशि का उल्लेख Table II में किया गया है।

यदि अग्रिम कर की किसी राशि का भुगतान 31 मार्च के पूर्व कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के सभी उद्देश्यों के लिए यह मान लिया जायेगा कि अग्रिम कर का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है।

Table II

किश्त की देय तिथि	देय राशि
15 सितम्बर को या उसके पूर्व	देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 30%
15 दिसम्बर को या उसके पूर्व	देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 60% [यदि कोई राशि पूर्व किश्त मे भुगतान की गई है तो उसे घटा दिया जायेगा।]
15 मार्च को या उसके पूर्व	देय अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि [यदि कोई राशि पूर्व किश्त या किश्तों में भुगतान की गई है तो उसको घटा दिया जायेगा।]

(2) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 (3) या (4) के अन्तर्गत दिये गये आदेश के परिणामस्वरूप धारा 156 के तहत जारी किया गया मांग का नोटिस उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी देय तिथि के बाद दिया जाता है तो उस आदेश में दिया गया उचित भाग या अग्रिम कर की सम्पूर्ण राशि, जैसे भी स्थिति हो, माँग की सूचना की प्राप्ति के बाद पड़ने वाली प्रत्येक तिथि को या उससे पूर्व ही देय होगी।

करदाता द्वारा देय ब्याज—

(i) यदि कोई करदाता किसी वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है परन्तु वह ऐसा कर नहीं चुकाता है अथवा उसके द्वारा चुकाया गया अग्रिम कर 'निर्धारित कर' के 90% से कम हो तो करदाता को 'निर्धारित कर' अथवा निर्धारित कर एवं चुकाई गई राशि के अन्तर पर, जैसी भी स्थिति हो अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से कर-निर्धारण की तिथि तक प्रत्येक माह अथवा उसके किसी भाग के लिए 2% साधारण ब्याज देय होगा।

[धारा-234 B (1)]

यदि कर-निर्धारण से पहले किसी तिथि को करदाता ने स्वयं कर-निर्धारण पर अथवा अन्य किसी प्रकार से कर का भुगतान कर दिया है तो इस तिथि के बाद ब्याज की गणना 'निर्धारित कर' एवं इस प्रकार चुकाये गये कर के अन्तर की राशि पर की जायेगी।

[धारा-234 B (2)]

'निर्धारित कर' का अर्थ—'निर्धारित कर' से आशय नियमित कर-निर्धारण पर निर्धारित आय-कर (अतिरिक्त आय-कर शामिल न करते हुए) में से उद्‌गम स्थान पर काटे गये कर एवं उद्‌गम स्थान पर संग्रह किये गये कर की राशि को घटाने के बाद बची शेष राशि से है।

(ii) यदि किसी करदाता द्वारा वित्तीय वर्ष में 15 सितम्बर तक चुकाया गया अग्रिम कर करदाता द्वारा अपनी आय के विवरण में दिखाई गई आय पर देय कर के 20% से कम है अथवा 15 दिसम्बर तक चुकाया गया अग्रिम कर विवरण में दिखाई गई आय पर देय कर के 50% [प्रथम किश्त के समय जमा कराई गई राशि सहित] से कम है तो करदाता द्वारा ऐसी कमी की राशि पर 1½% प्रतिमाह की दर से 3 माह का साधारण ब्याज देय होगा।

अपवाद—निम्न दशाओं में अग्रिम कर की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम जमा कराने पर भी करदाता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा—

(i) यदि यह कमी पूँजी लाभ, लॉटरी, वर्ग-पहेली, दौड़ें (घुड़दौड़ सहित), ताश के खेल, जुआ, शर्त आदि की आय का कम *अनुमान लगाने अथवा कोई अनुमान न लगाने के कारण* हुई हो।

(ii) यदि करदाता ने उपर्युक्त (i) में वर्णित आय पर देय सम्पूर्ण कर की राशि ऐसी आय प्राप्त होने के तुरन्त बाद वाली किश्त के साथ किश्त के भाग के रूप में चुका दी है अथवा यदि कोई किश्त देय शेष नहीं है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के पूर्व चुका दी है।

स्पष्टीकरण—आय के विवरण में दिखाई गई कुल आय पर देय कर से अभिप्राय ऐसी आय पर कर की राशि में से उद्‌गम स्थान पर काटी गई कर की रकम को घटाने पर शेष बची हुई कर की राशि से है।

अग्रिम कर का समायोजन (Credit for Advance tax) :

धारा-219 के अन्तर्गत करदाता के नियमित कर निर्धारण पर उसके कर-दायित्व की गणना करने के लिए अग्रिम कर का समायोजन कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में करदाता द्वारा चुकाया गया अग्रिम कर उसके द्वारा देय कर की राशि में घटा दिया जाता है।

4. स्वतः कर-निर्धारण पर भुगतान
5. अन्तिम कर-निर्धारण पर भुगतान } इनका वर्णन कर-निर्धारण की विधि वाले अध्याय में किया जा चुका है।

अग्रिम कर की गणना के लिए कर की दरें :

(1) एक व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार एवं व्यक्तियों के समुदाय के लिए कर की वही दरें लागू होंगी जो वेतन शीर्षक की आय से उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती के लिए लागू होती हैं। इन दरों का उल्लेख इसी अध्याय में पीछे किया गया है।

(2) **प्रत्येक फ़र्म के लिए :**

सम्पूर्ण आय पर	35%

(3) **स्थानीय सत्ता के लिए :**

कुल आय पर	30%

Illustration 2.

Compute the advance tax payable by Shri Banwari Lal for the Assessment year 1998-99 if he has not been assessed to tax previously and his estimated taxable income for the financial year 1997-98 is as follows—

	Rs.
1. Interest on Government securities in May 1997	6,000
2. Profit of business	71,000
3. Gain on transfer of short term Capital Assets	21,000
4. Income from Lottery	4,000
5. Salaries @ Rs. 2,000 p m.	24,000

कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए श्री बनवारी लाल द्वारा देय अग्रिम कर की गणना कीजिए यदि उन पर पहले कभी कर का निर्धारण नहीं हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए उनकी अनुमानित कर-योग्य आय निम्न प्रकार है—

	रु.
1. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, मई 1997 में	6,000
2. व्यापार के लाभ	71,000
3. अल्पकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लाभ	21,000
4. लॉटरी से आय	4,000
5. वेतन 2,000 रु. प्रतिमाह	24,000

(M.D. Uni. B. Com. 1996)

Solution :

Estimated Income for Advance Tax Liability for the Assessment year 1998-99

	Rs.
Income from Salaries (24,000 – 8,000)	16,000
Profits of Business	71,000
Short-term Capital gains	21,000
Income from Lottery (exempt)	—
Interest on Government Securities	6,000
Gross Total Income	1,14,000
Less: Deduction u/s 80-L	6,000
Total Income	1,08,000

Computation of Advance Tax

On first Rs. 40,000	—
On next Rs. 20,000 @ 10%	2,000
On Balance of Rs. 48,000 @ 20%	9,600
	11,600
Less: Tax deducted at Source on Interest on securities	600
Advance Tax payable	11,000

कर की वसूली (Recovery of Tax)

निर्धारण अधिकारी कर की रकम वसूल करने के लिए करदाता को धारा-156 के अन्तर्गत मांग का नोटिस (Notice of Demand) जारी करता है। इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि के पश्चात् 30 दिनों की अवधि के अन्दर करदाता को नोटिस में दी गई रकम नोटिस में दिए गए स्थान पर जमा करवानी पड़ती है। परन्तु यदि निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो कि 30 दिन की अवधि देने पर कर-वसूल करने में अड़चने आयेंगी, तो वह उप-आयुक्त की अनुमति लेकर 30 दिन से कम की अवधि में भी कर की रकम जमा कराने के आदेश दे सकता है।

यदि करदाता नोटिस में दी गई अवधि के अन्दर आय-कर नहीं चुकाता तो उस रकम पर अवधि समाप्त होने की तारीख से 1½% प्रतिमाह की दर से उसे साधारण ब्याज चुकाना पड़ेगा। निर्धारण अधिकारी करदाता की प्रार्थना पर नोटिस की अवधि को बढ़ा सकता है और किश्तों में कर चुकाने की सुविधा भी दे सकता है।

यदि करदाता निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई अथवा स्वीकृत की गई अवधि के अन्दर आय-कर की रकम जमा नहीं करवाता तो उसे *"Assessee deemed to be in default"* मान लिया जाता है और उस पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। लगातार दोषी बने रहने की दशा में अर्थदण्ड की राशि बढ़ाई जा सकती है परन्तु किसी भी दशा में दण्ड की राशि कर की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये। दण्ड लगाने से पूर्व करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। करदाता द्वारा स्पष्टीकरण देने पर यदि निर्धारण अधिकारी कर न जमा कराने के कारणों को उचित एवं पर्याप्त समझता है तो वह अर्थदण्ड नहीं लगायेगा। यदि करदाता अर्थदण्ड लगाये जाने से पूर्व ही आयकर की रकम जमा करा देता है तब भी वह अर्थदण्ड लगाने के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है।

वसूली के तरीके (Methods of Recovery)

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय आय-कर, ब्याज, अर्थदण्ड अथवा अन्य किसी राशि की वसूली निम्न उपायों से की जा सकती है—

(1) कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करके वसूली की जाना—धारा-222 के अनुसार यदि करदाता आय-कर नहीं चुकाने के लिए दोषी है अथवा दोषी मान लिया जाता है

के लिए इस विवरण को प्रमाण पत्र (Certificate) कहा जायेगा। इसके बाद कर वसूली अधिकारी ऐसे करदाता से प्रमाण-पत्र में दी गई राशि की वसूली के लिए द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित नियमों के अनुसार नीचे वर्णित एक या अधिक तरीकों से कार्यवाही कर सकता है—

(i) करदाता की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री करके।

(ii) करदाता की अचल सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिए रिसीवर की नियुक्ति करके।

(iii) करदाता को गिरफ्तार करके जेल भेजकर।

करदाता की चल व अचल सम्पत्ति में उस सम्पत्ति को भी शामिल किया जायेगा जो करदाता ने बिना पर्याप्त प्रतिफल के 1 जून, 1973 के बाद कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन साथी, अवयस्क बच्चे, पुत्र-वधू अथवा पुत्र के अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित कर दी हो तथा जो उपरोक्त व्यक्तियों के नाम में अथवा उनके पास मौजूद हो। यदि अवयस्क बच्चा अथवा पुत्र का अवयस्क बच्चा वयस्कता प्राप्त कर लेते हैं तब भी उनके वयस्कता प्राप्त करने के पूर्व कभी भी उनको हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति करदाता के बकाया करों की वसूली के लिए करदाता की ही सम्पत्ति में शामिल की जायेगी।

(II) वसूली के अन्य तरीके [धारा-226] –

यदि धारा-222 में प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया गया है तो निर्धारण अधिकारी इस धारा में उल्लेखित एक या अधिक तरीकों से कर की वसूली कर सकता है। यदि धारा-222 के तहत प्रमाण-पत्र तैयार कर लिया गया है तो कर वसूली अधिकारी उस धारा में वर्णित तरीकों के अलावा इस धारा में वर्णित एक या अधिक तरीकों का प्रयोग कर की वसूली के लिए कर सकता है।

(1) करदाता के नियोक्ता (Employer) को नोटिस देकर—निर्धारण अधिकारी अथवा कर-वसूली अधिकारी करदाता के नियोक्ता को नोटिस देकर बकाया कर की रकम करदाता के वेतन में से काटकर सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दे सकता है। परन्तु यह राशि वेतन के उस भाग में से नहीं काटी जा सकती है जो सिविल कोर्ट की कुर्की से मुक्त हो।

(2) करदाता की रकम जिनके पास है उन्हें नोटिस देकर—निर्धारण अधिकारी अथवा कर वसूली अधिकारी उन व्यक्तियों को जिनके पास करदाता की रकम जमा है नोटिस देकर यह आदेश दे सकता है कि वे कर की बकाया राशि काटकर शेष रकम ही करदाता को दें।

(3) न्यायालय को नोटिस देकर—यदि किसी न्यायालय में करदाता की कोई रकम जमा है तो निर्धारण अधिकारी अथवा कर वसूली अधिकारी न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि कर की रकम काटने के पश्चात् करदाता को भुगतान किया जाय।

(4) करदाता की चल सम्पत्तियों को बेचकर—निर्धारण अधिकारी अथवा कर वसूली अधिकारी आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा अधिकृत होने पर करदाता की चल सम्पत्ति को बेचकर भी कर वसूल कर सकता है।

(5) राज्य सरकार द्वारा—जिन क्षेत्रों में धन-कर की वसूली के अधिकार राज्य सरकार को दिये गये हैं उन क्षेत्रों में धन-कर की वसूली राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कर अथवा लगान की वसूली के समान की जाती है।

कर वसूल करने की कार्यवाही जिस वित्तीय वर्ष में कर की राशि मांगी जाती है उसके पश्चात् एक वर्ष के अन्दर कर दी जानी चाहिये।

विदेशों से समझौते के अन्तर्गत कर वसूली—भारत सरकार किसी भी विदेशी सरकार से आय-कर की वसूली का द्विपक्षीय समझौता कर सकती है। यदि किसी करदाता की विदेश में सम्पत्ति है तथा उस देश की सरकार के साथ भारत सरकार का समझौता है तो भारत का आय-कर अधिकारी प्रत्यक्ष करों के केन्द्रिय बोर्ड को वसूली करने का प्रमाण-पत्र भेजेगा। प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड उस देश की सरकार के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आय-कर की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।

इसी प्रकार उस दूसरे देश की सरकार या सरकार द्वारा निर्धारित संस्था भारत में किसी सम्पत्ति से कर वसूल करने के लिए प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड को प्रमाण-पत्र भेजेगी। बोर्ड सम्बन्धित वसूली अधिकारी को आय-कर की वसूली के आदेश देगा। सम्बन्धित वसूली अधिकारी अपने खर्चों की कटौती करके शेष रकम केन्द्रीय बोर्ड को भिजवा देगा। समझौते की शर्तों के अनुसार बोर्ड इस राशि को दूसरे देश की सरकार को भेज देगा।

कर चुकाने का प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate)

धारा—230 के अनुसार यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं बसा हो (not *domiciled in India*) अथवा भारत में बसा हुआ व्यक्ति (domiciled in India) जो सदैव के लिए भारत छोड़कर जा रहा हो अथवा दूसरे देश में रोजगार के लिए जा रहा हो अथवा आय-कर पदाधिकारियों के विचार से अन्य किसी भी परिस्थिति के कारण किसी भी व्यक्ति को इस धारा में वर्णित प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिये, भारत से बाहर जाता है तो जाने से पूर्व उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता है कि उसके द्वारा देय सभी करों का भुगतान कर दिया गया है अथवा उसके द्वारा देय करों के भुगतान के लिये उसने सन्तोषजनक प्रबन्ध कर दिया है। इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को 'Tax Clearance Certificate' कहते हैं।

कर की वापसी (Refund of Tax)

धारा-237 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चुकाया गया कर उस कर-निर्धारण वर्ष की आय पर उसके द्वारा देय वास्तविक कर की राशि से अधिक है तो ऐसे आधिक्य की वापसी (Refund of the excess) का अधिकारी है।

साधारणतया कर की वापसी निम्न कारणों से उदय होती है—

(i) करदाता द्वारा नियमित कर-निर्धारण पर देय कर की राशि से अधिक राशि की कटौती उद्गम स्थान पर कर ली गई हो।

(ii) किसी भूल सुधार की कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय-कर में कमी आ गई हो।

(iii) करदाता द्वारा की गई अपील के निर्णयानुसार देय-कर की राशि में कमी कर दी गई हो।

(iv) करदाता ने नियमित कर-निर्धारण पर देय-कर की राशि से अधिक राशि अग्रिम कर के रूप में चुका दी हो।

(v) करदाता पर दोहरा करारोपण हो गया हो तथा उसे दोहरे करारोपण सम्बन्धी छूट (Double Taxation Relief) प्राप्त होती है।

विशेष दशाओं में वापसी मांगने के अधिकारी व्यक्ति—

(i) धारा—238 (1) के अनुसार यदि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय में शामिल की गई है तो केवल दूसरा व्यक्ति (जिसकी आय में अन्य व्यक्ति की आय शामिल की गई है) ही वापसी मांगने का अधिकारी होगा।

(2) धारा-238 (2) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति मृत्यु, अयोग्यता, दिवालियापन अथवा समापन के कारण वापसी की माँग नहीं कर सकता तो उसकी ओर से उसका कानूनी प्रतिनिधि, ट्रस्टी, संरक्षक अथवा रिसीवर कर की वापसी की माँग कर सकता है।

कर की वापसी माँगने की विधि :

(1) धारा-239 (1) के अनुसार कर की वापसी की मांग निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके निर्धारित फार्म पर की जानी चाहिए।

(2) धारा-239 (2) के अनुसार वापसी की माँग कर-निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिन से एक वर्ष की अवधि के अन्दर की जानी चाहिए।

विशिष्ट दशाओं मे कर की वापसी रोकने का अधिकार :

धारा-241 (1) के अनुसार यदि किसी वापसी के विरूद्ध अपील कर दी गई हो अथवा इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही चल रही हो और निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि वापसी की स्वीकृति सरकारी राजस्व के लिए अहितकर है तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेकर उसके द्वारा अधिकृत समय तक कर की वापसी को रोक सकता है।

कर की वापसी देर से होने पर ब्याज :

धारा-243 (1) के अन्तर्गत यदि निर्धारण अधिकारी वापसी की रकम निम्नलिखित अवधि में वापस नही करता तो केन्द्रीय सरकार नीचे दी हुई अवधि के पश्चात् से कर की वापसी की तिथि तक की अवधि के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देगी—

(a) यदि करदाता की कुल आय में केवल प्रतिभूतियों का ब्याज या लाभांश ही शामिल नहीं है तो जिस महीने में उसकी आय निर्धारित की जाती है उस महीने के अन्त से तीन महीनों की अवधि के अन्दर।

(b) अन्य किसी दशा में जिस माह में वापसी की माँग की जाती है; उसके अन्त से 3 माह की अवधि के अन्दर।

वापस की जाने वाली रकम से न चुकाये गये करों की पूर्ति :

धारा-245 के अनुसार यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को वापसी मिलती है तो निर्धारण अधिकारी, उप-आयुक्त (अपील्स), आयुक्त (अपील्स) या मुख्य आयुक्त या आयुक्त कर की रकम वापस करने के स्थान पर करदाता को लिखित सूचना देकर वापसी की रकम से उसके द्वारा नहीं चुकाए गए करों की रकम की पूर्ति कर सकते हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये आय-कर की दरें—

कर की वापसी के लिये कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये लागू दरों की आवश्यकता पड़ती है। ये दरें वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये लागू दरों से कुछ भिन्नता रखती हैं। एक व्यष्टि एवं साधारण हिन्दू अविभाजित परिवार के लिये कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये लागू दरें निम्न प्रकार है—

1. कुल आय के प्रथम 40,000 रु. पर	शून्य
2. कुल आय के अगले 20,000 रु. पर	15%
3. कुल आय के अगले 60,000 रु. पर	30%
4. कुल आय के शेष पर	40%

Illustration 3.

श्री सुरेश भारत में निवासी हैं। वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान उनको अग्र भुगतान प्राप्त हैं। आप इन भुगतानों के सम्बन्ध में उद्‌गम स्थान पर की जाने वाली कटौती की गणना कीजिए—

(1) सकल वेतन	12,000
(2) घुड़दौड़ में जीता गया इनाम	12,500
(3) स्वदेशी मिल्स, इन्दौर के सूचित ऋण-पत्रों पर ब्याज	4,000
(4) पंजाब नेशनल बैंक में जमा धन पर ब्याज	1,500
(5) एक पजीकृत फर्म में जमा धन पर ब्याज	3,000
(6) बीमा कमीशन	6,000
(7) जयपुर मेटल्स से प्राप्य लाभांश (अप्रैल, 1997 में)	3,000
(8) एक ठेकेदार को राजस्थान सरकार से प्राप्त आय	25,000
(9) एक ठेकेदार को उप-ठेका से प्राप्त आय	14,000
(10) लॉटरी से पुरस्कार	8,000

(Indore Uni. B. Com., 1996)

Solution :

Computation of Tax to be deducted at source

	Rs.
1. From Salary Income (Taxable salary will be Rs. 8,000)	NIL
2. Winning from horse Race @ 40% on Rs. 10,000	4,000
3. From interest on Listed Debentures of Swadeshi Mills @ 10% on Rs. 4,000	400
4. Interest from deposit in Punjab National Bank	NIL
5. Interest from a firm @ 10% on Rs. 3,000	300
6. From Insurance Commission @ 10% on Rs. 6,000	600
7. From dividend from Jaipur Metals @ 20%	600
8. Contract money from Govt. @ 2% on 25,000	500
9. Sub-contract money being less than 20,000	NIL
10. From Lottery @ 40% on Rs. 3,000	1,200
Total tax to be deducted	7,600

Illustration 4.

एक विवाहित व्यक्ति जिसके तीन बच्चे हैं निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कर की वापसी के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करता है—

	रु.
(i) सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (उद्गम स्थान पर कर की कटौती 700 रु.)	7,000
(ii) एक व्यापारिक कम्पनी से लाभांश (उद्गम स्थान पर कर की कटौती 3,200 रु.)	16,000
(iii) नव स्थापित व्यापार के लाभ जिन पर धारा 80-I की कटौती उपलब्ध है	15,000
(iv) मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय	30,800
कुल आय	68,800

उसकी वापसी योग्य राशि की गणना कीजिए।

Solution :

	Computation of Total Income		Rs.
1.	Income from House Property		30,800
2.	Income from Business		15,000
3.	Income from Other Sources :		
	Dividends from a Trading Company		16,000
	Interest on Govt. Securities		7,000
	Gross Total Income		68,800
Less :	(i) Deduction u/s 80-I	3,000	
	(ii) Deduction u/s 80-L	15,000	18,000
	Total Income		50,800

50,800 रु. की कुल आय में से प्रथम 40,000 रु. कर-मुक्त है तथा शेष 10,800 रु. पर 15% से उसके द्वारा देय कर 1,620 रु. होगा।

	Tax Deducted at Source :	Rs.
	From Government Securities	700
	From Dividend of Trading Co.	3,200
	Total Tax Deducted	3,900
Less :	Amount of Tax Payable	1,620
	Amount of Tax to be refunded	2,280

Illustration-5.

निम्नलिखित भुगतानों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान उद्गम स्थान पर कर की कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए—

		Rs.
(i)	मैसर्स मोहनलाल सतीशकुमार द्वारा एक निवासी को देय ब्याज	20,000
(ii)	एक घरेलू कम्पनी को देय ब्याज	40,000
(iii)	गोपाल (निवासी) को लॉटरी का इनाम	20,000
(iv)	एक अनिवासी निक्सन को प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	10,000
(v)	निवासी ठेकेदार को हरियाणा सरकार द्वारा भुगतान	30,000
(vi)	विदेशी कम्पनी को देय ब्याज	8,000
(vii)	निवासी व्यक्ति को बीमा कमीशन	20,000
(viii)	अघरेलू कम्पनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते में तकनीकी जानकारी देने पर रॉयल्टी. (समझौता 1 फरवरी, 1978 को हुआ)	50,000
(ix)	सहकारी समिति द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों पर ब्याज	6,000

Solution :

वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान उद्गम स्थान पर काटे जाने वाले कर का विवरण–

		Rs.
(i)	एक निवासी को मैसर्स मोहनलाल सतीशकुमार द्वारा देय ब्याज की राशि (20,000 रु.) पर 10% की दर से	2,000
(ii)	एक घरेलू कम्पनी को देय ब्याज की राशि 40,000 रु. पर 20% की दर से	8,000
(iii)	गोपाल, एक निवासी व्यक्ति को देय 20,000 रु. की लॉटरी की इनाम की राशि पर 40% की दर से 15,000 रु. पर	6,000
(iv)	निक्सन, एक अनिवासी व्यक्ति को प्रतिभूतियों पर देय ब्याज की राशि 10,000 रु. पर 30% की दर से	3,000
(v)	निवासी ठेकेदार को हरियाणा सरकार द्वारा देय 30,000 रु. की राशि पर 2% की दर से	600
(vi)	विदेशी कम्पनी को देय 8,000 रु. की ब्याज की राशि पर 48% की दर से	3,840
(vii)	निवासी व्यक्ति को देय 20,000 रु. की बीमा कमीशन की राशि पर 10% की दर से	2,000
(viii)	अघरेलू कम्पनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते में तकनीकी जानकारी के बदले देय रॉयल्टी की 50,000 रु. की राशि पर (समझौता 1 फरवरी, 1978 को होने पर) 30% की दर से	15,000
(ix)	सहकारी समिति द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों पर देय ब्याज	NIL

Illustration 6.

अग्रलिखित भुगतानों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गणना यह मानते हुए कीजिए कि प्रत्येक दशा में आय का प्राप्तकर्ता भारत में निवासी व्यष्टि है—

(i)	जयपुर के पोस्ट ऑफिस द्वारा मनोज कुमार को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से 3 जुलाई, 1997 को भुगतान।	10,000
(ii)	रमेश को 7 नवम्बर, 1997 को देय घुड़-दौड़ का इनाम	6,500
(iii)	राजस्थान लॉटरी विभाग द्वारा महेश कुमार को लॉटरी के विक्रय कमीशन का 8 दिसम्बर, 1997 को भुगतान	8,000
(iv)	मैसर्स मातादीन हरीकिशन द्वारा जगदीश प्रसाद को 28 सितम्बर, 1997 को दलाली का भुगतान	26,000
(v)	राजस्थान बैंक द्वारा दिनेश कुमार को बैंक खाते में जमा धन पर 15 जून, 1997 को देय ब्याज	6,000
(vi)	इन्दौर के पोस्ट ऑफिस द्वारा रमेश चन्द्र को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से 5 नवम्बर, 1997 को भुगतान	16,000

(vii) म. प्र. लॉटरी विभाग द्वारा धन्नालाल को लॉटरी के विक्रय कमीशन का 7 अगस्त, 1997 को भुगतान	11,000
(viii) म. प्र. लॉटरी विभाग द्वारा भोलाराम को लॉटरी के विक्रय कमीशन का 18 नवम्बर, 1997 को भुगतान	2,000
(ix) उज्जैन के पोस्ट ऑफिस द्वारा मदनलाल को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से 10 जनवरी, 1998 को भुगतान	2,400

Solution :

वित्तीय-वर्ष 1996-97 के दौरान उद्गम स्थान पर काटे जाने वाले कर का विवरण—

(i) जयपुर के पोस्ट ऑफिस द्वारा मनोज कुमार को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से 3 जुलाई, 1997 को देय भुगतान पर 20% की दर से	2,000
(ii) रमेश को 7 नवम्बर, 1997 को देय घुड़-दौड़ की इनाम की (6500-2500) = 4,000 की राशि पर 40% की दर से	1,600
(iii) राजस्थान लॉटरी विभाग द्वारा महेश कुमार को 8 दिसम्बर, 1997 को देय लॉटरी के विक्रय कमीशन की 8,000 रु. की राशि पर 10% की दर से	800
(iv) मैसर्स मातादीन हरीकिशन द्वारा जगदीश प्रसाद को 28 सितम्बर, 1997 को देय दलाली के भुगतान पर	NIL
(v) राजस्थान बैंक द्वारा दिनेश कुमार को स्थायी खाते में जमा धन पर 15 जून, 1997 को देय ब्याज पर	NIL
(vi) इन्दौर के पोस्ट ऑफिस द्वारा रमेशचन्द्र को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से 5 नवम्बर, 1997 को देय 16,000 रु. की राशि पर 20% की दर से	3,200
(vii) म. प्र. लॉटरी विभाग द्वारा धन्नालाल को 7 अगस्त, 1997 को देय लॉटरी के विक्रय कमीशन पर	1,100
(viii) म. प्र. लॉटरी विभाग द्वारा भोलाराम को 18 नवम्बर, 1997 को देय लॉटरी के विक्रय कमीशन की 2,000 रु. की राशि पर 10% की दर से	200
(ix) उज्जैन के पोस्ट ऑफिस द्वारा मदनलाल को राष्ट्रीय बचत योजना खाते में 10 जनवरी, 1998 को देय 2,400 रु. की राशि पर	NIL

टिप्पणी—(1) राष्ट्रीय बचत योजना खाते से भुगतान की जाने वाली राशि एक वित्तीय वर्ष में यदि 2,500 रु. से कम हो तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

(2) घुड़-दौड़ की इनाम के सम्बन्ध में कटौती की दर 40%, राष्ट्रीय बचत योजना खाते से देय भुगतान पर 20% एवं लॉटरी के कमीशन के भुगतान पर 10% है।

(3) घुड़दौड़ के इनाम में से प्रथम 2,500 रु. पर कटौती नहीं की जाती है।

प्रश्न

(Questions)

1. उन प्रतिभूतियों के नाम बताइये जिन पर ब्याज का भुगतान करते समय धारा—193 के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है।

   Mention the names of the securities on which no deduction of tax at source is to be made under section 193 of Income Tax Act while making payment of interest.

2. निम्न दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती किस दर से की जायेगी—
   - (i) एक घरेलू कम्पनी को दिया गया ब्याज, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त,
   - (ii) एक घरेलू कम्पनी को दिया गया सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज,
   - (iii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर अन्य कोई भुगतान जो कम्पनी के अतिरिक्त किसी अनिवासी को किया गया है।

   At what rate will the deduction of tax at source be made in the following cases—
   - *(i) Interest other than interest on securities paid to a domestic company,*
   - (ii) Interest on Government securities paid to a non-domestic company,
   - (iii) *Any payment excluding interest on Government securities made to a non-resident person other than a company.*

3. प्रतिभूतियों पर ब्याज, लॉटरी तथा वर्ग पहेली से आय तथा अनिवासियों को भुगतान के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती करने के लिए आय-कर अधिनियम के क्या प्रावधान हैं ?

   What are the provisions of Income Tax Act regarding deduction of tax at source from Interest on securities, Income from Lottery and Crossword puzzles and payment to non-residents.

4. निम्न दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का वर्णन करें—
   - (i) ठेकेदार तथा उप-ठेकेदार को भुगतान,
   - *(ii) लॉटरी का इनाम, तथा*
   - (iii) प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज।

   State the provisions of the Income Tax Act, 1961, relating to the deduction of tax at source in the following cases—
   - (i) Payment to contractors and sub-contractors,
   - *(ii) Winnings from Lotteries, and*
   - (iii) *Interest other than interest on securities.*

5. निम्नलिखित दशाओं में उद्गम स्थान पर कर की कटौती के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए—
   (i) अनिवासी खिलाड़ी एवं खेल संघों को भुगतान,
   (ii) लॉटरी के विक्रय के कमीशन का भुगतान,
   (iii) किराये का भुगतान।

   State the provisions of the Income Tax Act, 1961 relating to the deduction of tax at source in the following cases—
   (i) Payment to Non-resident Sportsman and Sports Association,
   (ii) Payment as Commission for the sale of Lottery tickets,
   (iii) Payment of Rent.

6. उद्गम स्थान पर कर के संग्रह से आप क्या समझते हैं ? इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करिये।

   What do you mean by collection of tax at source ? Explain the provisions of the Income Tax Act about it.

7. अग्रिम कर के भुगतान के सम्बन्ध में दायित्व तथा गणना विधि का उल्लेख कीजिए।

   State the liability to pay advance tax and the method of its computation.

8. आय-कर अधिनियम की धारा—210 के अन्तर्गत एक करदाता को अग्रिम कर चुकाना पड़ता है। इसका अनुमान वह किस प्रकार लगाता है तथा किस ढंग से इस प्रकार अनुमानित राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाता है ?

   Under section 210 of the Income Tax Act, an assessee is required to pay advance tax. How does he make an estimate and in what manner is the amount so estimated deposited in the treasury ?

9. आय-कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया कर की राशि वसूल करने के क्या भिन्न तरीके हैं ?

   What are the various methods of recovery of tax arrears under the different provisions of the Income-tax Act ?

10. "जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ" योजना से आप क्या समझते हैं ? इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।

    What do you understand by "Pay as you earn scheme" ? State clearly the important provisions of Income-tax Act regarding it.

11. "कर की वापसी" पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।

    Write a short essay on "Refund of Tax."

12. अग्र भुगतानों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गणना कीजिए यदि इनका प्राप्तकर्ता (a) भारत का निवासी हो (b) भारत में अनिवासी व्यक्ति हो।

		रु.
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (1 जून के बाद)	10,000
(ii)	ऐसी कम्पनी के ऋण-पत्रों का ब्याज जिसने स्कन्ध विनिमय पर अपना पंजीयन नहीं करवा रखा है	4,000
(iii)	एक फर्म द्वारा देय ब्याज की रकम	3,000
(iv)	बीमा कमीशन की राशि	6,000
(v)	सहकारी समिति के द्वारा देय ब्याज	10,000
(vi)	सहकारी समिति द्वारा देय लाभांश	2,000
(vii)	लॉटरी की आय	3,600
(viii)	घुड़दौड़ में जीता गया इनाम	2,500
(ix)	एक भारतीय कम्पनी द्वारा देय लाभांश (1 जून के बाद)	5,000

Calculate the amount of tax to be deducted at source during the financial year 1997-98 in respect of the following payme..ts if the receipient is (a, Resident in India, (b) Non-Resident in India—

		Rs.
(i)	Interest on Govt. securities (After 1st June)	10,000
(ii)	Interest on debentures of a Company not listed at any stock exchange	4,000
(iii)	Interest payable by a firm	3,000
(iv)	Insurance Commission payable	6,000
(v)	Interest payable by Co-operative Society	10,000
(vi)	Dividend payable by Co-operative Society	2,000
(vii)	Lottery Income	3,600
(viii)	Winning from Horse-Race	2,500
(ix)	Dividend payable by an Indian company (After 1st June)	5,000

उत्तर—निवासी व्यक्ति की दशा में 1,700 रु., अनिवासी व्यक्ति की दशा में कटौती 3,900 रुपये। [112]

13. निम्न भुगतानों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिए उद्गम स्थान पर की जाने वाली कटौती की गणना कीजिए—

		रु.
1. एक घरेलू कम्पनी को देय :		
(i)	एक फर्म से प्राप्त ब्याज	8,000
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज (अगस्त में)	4,000
(iii)	भारतीय कम्पनी से लाभांश (जून में)	10,000
2. एक अघरेलू कम्पनी को देय :		
(i)	एक फर्म से प्राप्त ब्याज	4,000
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (अगस्त में)	8,000

(iii) भारतीय कम्पनी से लाभांश (जून में)	10,000
(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते में तकनीकी जानकारी देने पर फीस (यदि समझौता 1 जनवरी, 1976 को हुआ हो)	20,000
(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते में तकनीकी जानकारी देने पर रायल्टी (यदि समझौता 1 अक्टूबर, 1976 को हुआ हो)	40,000

Calculate the amount of tax to be deducted at source during the financial year 1997-98 in respect of the following payments – Rs.

1. Payable to a Domestic Company:

(i) Interest received from a firm	8,000
(ii) Interest from Govt. Securities (In August)	4,000
(iii) Dividend from Indian Company (In June)	10,000

2. Payable to a Non-domestic Company:

(i) Interest received from a firm	4,000
(ii) Interest from Govt. Securities (In August)	8,000
(iii) Dividend from Indian Company (In June)	10,000
(iv) Fees for providing Technical "Know How" the agreement being approved by the Central Govt. (the agreement took place on 1st January, 1976)	20,000
(v) Royalty for providing Technical "Know-How", the agreement being approved by Central Govt. (The agreement was held on 1st October, 1976)	40,000

उत्तर—घरेलू कम्पनी की दशा में कटौती 1,600 रु.,
अघरेलू कम्पनी की दशा में 23,920 रु. । [113]

14. वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान श्री दिनेश को निम्न आयें प्राप्त हुई— रु.

1. वेतन (सकल)	45,000
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) [मई, 1997 में]	4,000
3. मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया	8,000
4. व्यापार से लाभ	40,000
5. एक भारतीय कम्पनी से लाभांश (सकल) [10 जून, 1997]	6,000

यह मानते हुए कि श्री दिनेश का पहले कर-निर्धारण नहीं हुआ है, उसके द्वारा चुकाये जाने वाले अग्रिम कर की गणना कीजिए—

During the financial year 1997-98 Shri Dinesh received the following incomes:

	Rs.
1. Salary (Gross)	45,000
2. Interest on Govt. Securities (Gross) [In May, 1997]	4,000
3. Rent received from House Property	8,000

(iv)	राजस्थान लॉटरी विभाग द्वारा जीवन सिंह को लाटरी के विक्रय कमीशन का भुगतान	2,400
(v)	इलाहबाद बैंक द्वारा प्रेमप्रकाश को जमा धन पर देय ब्याज का भुगतान	6,000
(vi)	भोपाल के पोस्ट ऑफिस द्वारा श्री दीपक कुमार को राष्ट्रीय बचत योजना खाते से भुगतान	20,000
(vii)	मैसर्स बाबूलाल कैलाशचन्द्र एक फर्म द्वारा ओमप्रकाश को माल बेचने की दलाली का भुगतान	4,000
(viii)	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा सीताराम को जमा धन पर देय ब्याज का भुगतान	8,000

उत्तर—वाक्यांश (ii), (iii), (v), (vii) व (viii) में कटौती नही होगी। [117]

■■■

(3) बहीखातों का अंकेक्षण न करवाने पर—यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के किसी भी वर्ष के बहीखातों का अंकेक्षण नहीं करवाता है अथवा धारा-44-AB के अनुसार ऐसे अंकेक्षण की चाही गयी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो निर्धारण अधिकारी उस करदाता की गत वर्ष की बिक्री या सकल प्राप्ति का $\frac{1}{2}$% या एक लाख रुपये दोनों में कम वाली राशि के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है। [धारा-271 B]

(4) पूँजी के योग्य निर्गमन में अंशदान करने में चूक पर—यदि कोई करदाता धारा-88 A (1) में उल्लेखित किसी योजना के तहत जारी की गई यूनिटों से प्राप्त अंशदान की राशि को निर्गमन बन्द होने की तिथि से 6 माह के अन्दर पूँजी के योग्य निर्गमन में अंशदान नहीं करता है तो उस करदाता पर उप-आयुक्त जमा न कराई गई रकम के 20% के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है। [धारा-271 BB]

(5) उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करने पर—यदि कोई व्यक्ति अध्याय *XVII-B* की व्यवस्थाओं के अनुसार उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करता अथवा कम करता है तो उस व्यक्ति पर न काटे गये कर की राशि के बराबर अर्थ-दण्ड लगाया जायेगा। [धारा-271 C]

(6) धारा-269-SS की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर—यदि कोई करदाता धारा-269 SS की व्यवस्थाओं की अवहेलना करके ऋण अथवा जमा स्वीकार करता है तो उस व्यक्ति पर स्वीकार किये गये ऋण या जमा राशि के बराबर अर्थ-दण्ड लगाया जायेगा। [धारा-271 D]

(7) धारा-269 T की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर—यदि कोई व्यक्ति धारा 269T की व्यवस्थाओं की अवहेलना करके किसी जमा राशि का पुनर्भुगतान करता है तो उस व्यक्ति पर इस प्रकार पुनर्भुगतान की गई राशि के बराबर अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है। [धारा-271 E]

स्पष्टीकरण—वाक्यांश (5) से (7) में वर्णित धारा-271-C, धारा-271 D एवं धारा 271E के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अर्थ-दण्ड उपायुक्त द्वारा लगाया जायेगा।

(8) आय का नक्शा प्रस्तुत करने में चूक करने पर—यदि कोई करदाता जिसे धारा 139(1) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत करना चाहिए, निर्धारित तिथि तक आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर 500 रु. का अर्थ-दण्ड लगाया जायेगा।

(9) प्रश्नों के उत्तर न देने, बयानों पर हस्ताक्षर न करने तथा निरीक्षण की अनुमति न देने पर—

(i) यदि कोई व्यक्ति—

(a) आय-कर पदाधिकारी को उसके कर-निर्धारण से सम्बन्धित किसी मामले में कानूनी तौर पर सही तथ्य प्रकट करने के लिए बाध्य होते हुए भी उनको किसी पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देता है, अथवा

(b) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के दौरान अपने द्वारा दिये गये किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है जबकि कानूनी तौर पर उसे हस्ताक्षर करने चाहिये,

(c) जिसे किसी स्थान या समय पर साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होने या बहीखातों की पुस्तकें या अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए धारा-131 (1) के अन्तर्गत सम्मन जारी किया गया है निर्धारित समय अथवा स्थान पर उपस्थित नहीं होता है अथवा बहीखातों की पुस्तकें या अन्य प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, अथवा

(d) धारा-139 A की व्यवस्थाओं का पालन नही करता है—

तो ऐसी प्रत्येक चूक के लिए उस पर कम से कम 500 रु. एवं अधिक से अधिक 10,000 रु. का अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति—

(a) प्रतिभूतियों के बारे में सूचना देने सम्बन्धी धारा-94 (b) में जारी किये गये नोटिस का पालन नहीं करता है, अथवा

(b) धारा-176 (3) के अन्तर्गत बन्द हुए व्यापार अथवा पेशे की सूचना नहीं देता है, अथवा

(c) धारा-133 अथवा धारा-206 अथवा धारा 206 C अथवा धारा 285 B में वर्णित विवरण निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं करता, अथवा

(d) धारा-134 में वर्णित रजिस्टर की जाँच करने से मना कर देता है अथवा उस रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की जाँच करने से मना कर देता है अथवा ऐसे रजिस्टर की अथवा उसकी किसी प्रविष्टि की नकल लेने से मना कर देता है, अथवा

(e) धारा-139 (4A) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आय के नक्शे को प्रस्तुत नहीं करता है अथवा उस उप-धारा में वर्णित निर्धारित विधि एवं समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, अथवा

(f) धारा-197 (A) में वर्णित घोषणा पत्र की प्रति निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करता, अथवा

(g) धारा-203 अथवा धारा 206 C में चाहा गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही करता है, अथवा

(h) धारा-226 (2) के अनुसार कर की कटौती एवं भुगतान नहीं करता है,

तो उस करदाता पर जब तक यह चूक जारी रहेगी कम से कम 100 रु. एवं अधिक से अधिक 200 रु. प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ-दण्ड लगाया जाता है।

इस धारा के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड उप-निदेशक अथवा उप-आयुक्त के स्तर से नीचे के स्तर के पदाधिकारी द्वारा नहीं लगाया जायेगा। इस धारा के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाने से पूर्व करदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना आवश्यक है। [धारा-272 A]

(10) **धारा-133 B की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर**—यदि कोई व्यक्ति धारा 133-B की व्यवस्थाओं का पालन नही करता है तो उप-आयुक्त, उप-निदेशक अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति पर 1,000 रु तक का अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश देने से पूर्व करदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। [धारा-272 AA]

(11) धारा-203 A की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर—यदि कोई व्यक्ति धारा 203 A की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करता है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति पर 5,000 रु. तक का अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी आदेश देने से पूर्व करदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। [धारा-272 BB]

II. आय का छिपाना :

(1) आय के विवरण को छिपाना या गलत विवरण देना—किसी कार्यवाही के दौरान यदि निर्धारण अधिकारी उप-आयुक्त (अपील्स) अथवा आयुक्त (अपील्स) यह समझता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय के विवरण को छिपाया है अथवा अपनी आय का गलत विवरण दिया है तो वह अधिकारी उस व्यक्ति पर कम से कम बचाए जाने वाले कर के बराबर और अधिक से अधिक उसके तीगुने के बराबर अर्थदण्ड लगा सकता है। [धारा-271 (I-C)]

अपवाद—यदि किसी करदाता से धारा-143 (1) (a) के अन्तर्गत समायोजित राशि पर अतिरिक्त कर वसूल कर लिया गया है तो उस करदाता पर इस धारा में वर्णित अर्थ-दण्ड नहीं लगाया जायेगा।

(2) रजिस्टर्ड फर्म द्वारा लाभों का गलत वितरण—किसी अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही किसी कार्यवाही के दौरान यदि निर्धारण अधिकारी या उप आयुक्त अथवा आयुक्त (अपील्स) इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी रजिस्टर्ड फर्म के लाभों का साझेदारों में वितरण उस साझेदारी संलेख के अनुसार नहीं हुआ है जिसके आधार पर फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप किसी साझेदार ने अपनी आय वास्तविक आय से कम दिखाई है तो वह ऐसे साझेदारों पर उसके द्वारा दिखाई गई आय को सही मान लेने के कारण बचाए जाने वाले कर का $1\frac{1}{2}$ गुने तक अर्थ-दण्ड लगा सकता है। अर्थ-दण्ड उसके द्वारा देय-कर की रकम के अतिरिक्त लगाया जाएगा। [धारा-271 (4)]

III. कर के भुगतान के सम्बन्ध में त्रुटियाँ :

(1) अग्रिम कर के सम्बन्ध में त्रुटि :

(क) *अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत न करना : (i) धारा-209 A (1) [a] के अन्तर्गत* **अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत न करना**—नियमित कर-निर्धारण के लिए की जा रही कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी करदाता ने धारा-209 A (1) [a] के प्रावधानों के अन्तर्गत उसके द्वारा चुकाये जाने वाले अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तो वह उस व्यक्ति पर निर्धारित कर की 75% राशि का कम से कम 10% और अधिक से अधिक $1\frac{1}{2}$ गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है।

[धारा-273 (1) (b)]

(ii) धारा-209 A (1) [b] के अन्तर्गत अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत न करना—नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान आय-कर अधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी करदाता ने धारा-209 (A) (1) (b) के प्रावधानों के अन्तर्गत उसके द्वारा चुकाये जाने वाले अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तो वह उस व्यक्ति पर 'निर्धारित कर'

की 75% राशि का कम से कम 10% और अधिक से अधिक $1\frac{1}{2}$ गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है। [धारा-273 (2) (b)]

स्पष्टीकरण—धारा-209 A (1) [a] के अन्तर्गत अग्रिम कर का विवरण उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिन पर पहले नियमित कर-निर्धारण हो चुका है। धारा-209 A (1) [b] के अन्तर्गत उन व्यक्तियों द्वारा अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिनका नियमित कर-निर्धारण नहीं हुआ है। दोनों ही परिस्थितियों में अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत न करने का अर्थ-दण्ड एक समान है।

(iii) धारा-209 (A) [4] अथवा धारा-212 [3A] के अन्तर्गत अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत न करना—नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी करदाता ने धारा-209 A (4) अथवा धारा-212 [3A] के प्रावधानों के अन्तर्गत उसके द्वारा चुकाए जाने वाले अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तो वह ऐसे करदाता पर निम्न राशि के कम से कम 10% और अधिक से अधिक $1\frac{1}{2}$ गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है—

यदि करदाता ने धारा-209 A (1) [a] के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत किया है अथवा धारा-209 A (1) [b] के अन्तर्गत अपना अनुमान प्रस्तुत किया है तो ऐसे विवरण अथवा अनुमान के अनुसार देय-राशि अथवा करदाता को धारा-210 के अन्तर्गत नोटिस दिए जाने की दशा में ऐसे नोटिस के अनुसार देय-राशि निर्धारित कर के 75% से जितनी कम हो वह राशि। [धारा-273 (2) (c)]

स्पष्टीकरण—धारा-209 A [4] अथवा धारा-212 [3A] के अन्तर्गत अग्रिम कर का विवरण उस दशा में प्रस्तुत किया जाता है जबकि किसी करदाता की चालू वर्ष की आय पिछले नियमित कर-निर्धारण अथवा स्वयं कर-निर्धारण (जो भी अन्त में हो) वाले वर्ष की तुलना में अधिक होती है।

(ख) अग्रिम कर का गलत विवरण प्रस्तुत करना :(i) धारा-209 A (1) [a] के अन्तर्गत अग्रिम कर का गलत विवरण प्रस्तुत करना नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी करदाता ने धारा-209 A (1) (a) के अन्तर्गत जान-बूझकर उसके द्वारा देय अग्रिम कर का गलत विवरण प्रस्तुत किया है तो वह उस व्यक्ति पर निम्न राशि के कम से कम 10 प्रतिशत और अधिक से अधिक $1\frac{1}{2}$ गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है—

कर-निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व के वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की वास्तव में चुकाई गई राशि निर्धारित कर के 75 प्रतिशत अथवा धारा-209 A (1) [a] के अन्तर्गत सही और पूर्ण विवरण के अनुसार देय अग्रिम कर, जो दोनों में कम हो, से जितनी कम हो। [धारा-273 (1) [a]]

(ii) धारा-209 A [1], [2], [3], या [5] अथवा धारा-212 [1] या [2] के अन्तर्गत अग्रिम कर का गलत विवरण प्रस्तुत करना—नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि करदाता ने धारा-209 A या [5] अथवा धारा 212 [1] या [2] के अन्तर्गत उसके द्वारा देय अग्रिम

जान-बूझकर गलत प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे करदाता पर निम्न राशि के कम से कम 10% और अधिक से अधिक $1\frac{1}{2}$ गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है।

कर-निर्धारण वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की वास्तव में चुकाई गई राशि 'निर्धारित कर' के 75% से अथवा यदि करदाता ने धारा-209 A (1) [a] के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत किया है तो उस विवरण के अनुसार देय राशि से अथवा उसे धारा-210 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था तो उस नोटिस के अनुसार देय-राशि से जो भी इनमें सबसे कम हो, जितनी कम हो। [धारा-273 (2) (a)]

(iii) धारा-209 A (4) अथवा धारा-212 (3A) के अन्तर्गत अग्रिम कर का गलत विवरण प्रस्तुत करना—नियमित कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी करदाता ने धारा-209 A (4) अथवा 212 (3A) के अन्तर्गत उसके द्वारा देय अग्रिम कर का अनुमान जान-बूझकर गलत प्रस्तुत किया है तो वह ऐसे करदाता पर कर-निर्धारण वर्ष के तुरन्त पूर्व के वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की वास्तव में चुकाई गई राशि 'निर्धारित कर' के 75% से जितनी कम हो उसके कम से कम 10% और अधिक से अधिक $1\frac{1}{2}$ गुने के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है। [धारा-273 (2) (aa)]

स्पष्टीकरण—(i) धारा-209 A (1) (a) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिसका पहले नियमित कर-निर्धारण हो चुका है, अपने द्वारा देय-अग्रिम कर का विवरण प्रस्तुत करता है। धारा-209 A (1), (2), (3) या (5) के अन्तर्गत संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। धारा-209 (4) के अन्तर्गत संशोधित अनुमान उस समय भरा जाता है जबकि पहले प्रस्तुत अनुमान के बाद चालू वर्ष की आय अधिक होने की सम्भावना हो जाती है। धारा-212 (3A) के अन्तर्गत देय अग्रिम कर का अनुमान निर्धारण अधिकारी से धारा-210 के अन्तर्गत अग्रिम कर के सम्बन्ध में प्राप्त नोटिस के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) निर्धारित कर से तात्पर्य नियमित कर-निर्धारण पर निश्चित हुए आय-कर (जिसमें 'उद्गम स्थान पर काटा गया कर' घटा दिया गया हो) की उस राशि से है जो अग्रिम कर के योग्य करदाता की कुल आय पर देय हो। कर की यह राशि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए पारित वित्त अधिनियम की दरों से प्रभावित नहीं होती है।

(iii) धारा-273 की उपर्युक्त व्यवस्थायें कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 एव पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्षों के लिए ही लागू होंगी। कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 एवं बाद के वर्षों के लिए उपर्युक्त व्यवस्थायें लागू नहीं होंगी। कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से धारा-234 B एवं 234 C की व्यवस्थायें लागू होंगी। इन धाराओं का उल्लेख कर का एकत्रीकरण, वसूली एवं वापसी वाले अध्याय में किया गया है।

(2) कर का भुगतान करने मे चूक करने पर—यदि कोई करदाता धारा 156 में दिये गये नोटिस के अनुसार समय पर कर का भुगतान नहीं करता है तो उस करदाता को धारा-220 (2) के अनुसार $1\frac{1}{2}$% प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ता है। यदि करदाता ऐसे कर एवं ब्याज के भुगतान के लिए लगातार दोषी बना रहता है तो निर्धारण अधिकारी उस करदाता पर ब्याज के भुगतान के अलावा कर की राशि के बराबर अर्थ-दण्ड लगा सकता है।

इस धारा के अन्तर्गत कर लगाने से पूर्व करदाता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि करदाता निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट कर देता है कि उसके पास समय पर कर का भुगतान नहीं करने के पर्याप्त एवं उचित कारण थे तो निर्धारण अधिकारी अर्थ-दण्ड नहीं लगायेगा। [धारा-221 (1)]

अर्थ-दण्ड को कम करना या माफ करना—आयुक्त अपने स्वयं की ओर से अथवा करदाता द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर धारा-271 (1) (iii) के अन्तर्गत लगाये जाने वाले अर्थ-दण्ड की राशि को कम कर सकता है अथवा माफ कर सकता है बशर्ते कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि छिपाई गई आय को अथवा आय के असत्य विवरण को निर्धारण अधिकारी द्वारा खोजने के पूर्व ही स्वेच्छा से एवं सद्भावना से ऐसी आय का पूर्ण एवं सही विवरण प्रगट कर दिया है तथा उसने कर-निर्धारण के सम्बन्ध में की जा रही जाँच में पूर्ण सहयोग दिया है एवं इस अधिनियम के तहत लगाये गये कर एवं ब्याज का भुगतान कर दिया है अथवा भुगतान किये जाने का सन्तोषजनक प्रबन्ध कर दिया है। [धारा-273-A (1)]

यदि छिपाई गई आय जिस पर धारा-271 (1) (C) के अन्तर्गत अर्थ-दण्ड लगाया गया था, एक या अधिक वर्षों के लिए 5,00,000 रु. से अधिक है तो आयुक्त को अर्थ-दण्ड कम करने अथवा माफ करने से पूर्व मुख्य आयुक्त अथवा निदेशक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

इसी प्रकार किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ-दण्ड की राशि 1,00,000 रु. से अधिक हो तो उसे कम करने अथवा माफ करने से पूर्व आयुक्त को मुख्य आयुक्त अथवा निदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

अर्थ-दण्ड लगाए जाने की समय-सीमा—धारा-275 के अनुसार अर्थ-दण्ड लगाने का आदेश निम्नलिखित समय-सीमा के उपरान्त नहीं दिया जा सकता है—

(1) ऐसा मामला, जिसमें कि कर-निर्धारण अथवा अन्य किसी आदेश के विरूद्ध उप-आयुक्त (अपील्स) या आयुक्त (अपील्स) या एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील की गई हो—

(i) जिस कार्यवाही के दौरान अर्थ-दण्ड की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी उस कार्यवाही के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त से एक वर्ष तक की अवधि, या

(ii) उप-आयुक्त (अपील्स) या आयुक्त (अपील्स) या एपेलेट ट्रिब्यूनल का आदेश जिस माह में आयुक्त को प्राप्त हुआ है, उस माह के अन्त से 6 महीने की अवधि।

इन दोनों में से जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है।

(2) अन्य किसी मामले में जिस कार्यवाही के दौरान अर्थ-दण्ड की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी उस कार्यवाही के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अथवा दण्ड लगाने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने वाले माह के अन्त से 6 माह की समाप्ति के बाद, दोनों में जो भी बाद में हो।

अर्थ-दण्ड लगाने सम्बन्धी अन्य प्रावधान—

(1) कुछ दशाओ में अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना—चाहे भले ही धारा-271 (1) धारा-271 A, धारा-271 B, धारा-271 BB, धारा-271 C, धारा-271 D, धारा-271 E, धारा-271 F,

धारा-272 A (1) (c) (d), धारा-272 A (2) (c) (d), धारा-272 AA (1) धारा-272 BB (1), धारा-273 (1) (b) एवं धारा-273 (2) (b) एवं (c) में कुछ भी व्यवस्था दी गई हो, किसी करदाता पर इन धाराओं के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि करदाता यह सिद्ध कर देता है कि इस प्रकार की चूक के लिए पर्याप्त कारण था। [धारा-273 B]

(2) करदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना—किसी भी प्रकार का अर्थ-दण्ड लगाने से पूर्व यह आवश्यक है कि करदाता को सुना जाय अथवा उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाये। [धारा-274 (1)]

(3) उप-आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना—अध्याय XXI के अन्तर्गत निम्न दशाओं में अर्थ-दण्ड लगाने से पूर्व उप-आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है—

(i) यदि आय-कर अधिकारी द्वारा 10,000 रु. से अधिक राशि का अर्थ-दण्ड लगाया जाता है।

(ii) यदि सहायक आयुक्त द्वारा 20,000 रु. से अधिक राशि का अर्थ दण्ड लगाया जाता है। [धारा-274 (2)]

(4) आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजना—निर्धारण अधिकारी को स्वयं को छोड़कर अन्य कोई भी पदाधिकारी इस अध्याय में वर्णित कोई अर्थ-दण्ड लगाता है तो उसे अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भी भेजनी होगी।

जुर्म तथा सजायें (Offences and Prosecutions)

जुर्म तथा सजाओं से सम्बन्धित व्यवस्थायें आयकर अधिनियम की धारा-275 A से धारा-280 तक में दी गई हैं। ये व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं—

(1) धारा-132 (3) के अन्तर्गत दिये गये आदेश का उल्लंघन करने पर—जो करदाता आयकर अधिनियम की धारा-132 (1) एवं (3) के अन्तर्गत दिये गये बहीखातों, धन, सोना, चाँदी, जेवर अथवा अन्य वस्तुओं को किसी को हस्तांतरित नहीं करने के आदेश का उल्लंघन करता है, उसे दो वर्ष तक की कड़ी सजा (Regorous Imprisonment) दी जायेगी और जुर्माना भी किया जायेगा। [धारा-275 A]

(2) कर वसूली रोकने के उद्देश्य से सम्पत्ति को हटाना, छुपाना अथवा हस्तान्तरण करना—यदि कोई व्यक्ति जान-बूझ कर धोखा देने के उद्देश्य से किसी सम्पत्ति को हटाता है, छिपाता है अथवा अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देता है ताकि वह सम्पत्ति द्वितीय अनुसूची की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाण-पत्र की पालना हेतु काम में लिए जाने से बच जाये तो उस व्यक्ति को दो वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। [धारा-276]

(3) धारा 178 की उपधारा (1) एवं (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर—यदि कोई व्यक्ति—

(i)

में आयक

(ii) धारा-178 (3) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा देय-कर की राशि के बराबर रकम अलग नहीं रख देता, या

(iii) कम्पनी की कोई सम्पत्ति त्याग देता है,

तो उसे छः महीने से दो वर्ष तक की कड़ी सजा होगी। [धारा-276 A]

धारा–269 UC, 269 UE एवं 269 UL, की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर—कम से कम 6 माह एवं अधिक से अधिक दो वर्ष की कडी सजा दी जा सकती है। यदि सजा 6 माह से कम के लिए दी जाये तो उसके कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा।

[धारा-276 A B]

(4) उद्गम स्थान पर कर काटने एवं जमा करने में चूक करने पर—यदि कोई व्यक्ति उद्गम स्थान पर कर की कटौती नही करता अथवा कर काट कर सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाता तो उसे—

कम से कम 3 माह की कड़ी सजा तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी तथा अर्थ-दण्ड भी लगाया जाएगा।

(5) संग्रह किये गये कर को जमा नही कराने पर—यदि कोई करदाता धारा-206 (c) के अन्तर्गत संग्रह की गई राशि का भुगतान केन्द्रीय सरकार को जमा नहीं कराता है तो उस पर कम से कम 3 माह एवं अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है।

[धारा-276 BB]

(6) जान-बूझकर कर की चोरी का प्रयास करने पर—यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कोई कर, दण्ड अथवा ब्याज की चोरी का प्रयत्न करता है तो इस अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत लगाये जाने वाले दण्ड के अतिरिक्त उसे चुराई जाने वाली रकम, 1,00,000 रु. से अधिक होने पर कम से कम 6 माह की तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। अन्य किसी दशा में कम से कम तीन माह की कड़ी सजा तथा अधिक से अधिक तीन वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा। [धारा-276-C]

(7) आय का नक्शा दाखिल नही करने पर—यदि कोई व्यक्ति धारा-139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा धारा-142 (1) (i) या 148 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के बाद आय का नक्शा जान-बूझकर नियत समय के अन्तर्गत दाखिल नहीं करता तो उसे नक्शा दाखिल न करने का पता न चलने पर जो कर बच जाता है उस कर की रकम 1 लाख रु. से अधिक होने पर कम से कम 6 माह की और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कडी सजा दी जायेगी तथा अन्य किसी दशा में कम से कम 3 माह की और अधिक से अधिक 3 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा। [धारा-276-CC]

परन्तु निम्नलिखित दशाओं में धारा-276 CC के अन्तर्गत जुर्माना अथवा सजा नहीं दी जायेगी—

(i) यदि आय का नक्शा 1975-76 के कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व किसी कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित है,

(ii) 1975-76 के कर निर्धारण वर्ष से,

(अ) यदि आय का नक्शा कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पूर्व दाखिल कर दिया गया हो,

(आ) नियमित कर-निर्धारण पर निर्धारित उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय-कर की राशि (अग्रिम कर एवं उद्‌गम स्थान पर काटे गये करों को घटाने के पश्चात्) यदि 3,000 रु. से अधिक नहीं हो।

(8) हिसाब एवं डाक्यूमेन्ट्स (Documents) प्रस्तुत न करने पर—यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर धारा-142 (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस में मांगे गये हिसाब एवं डाक्यूमेन्ट्स नियत तिथि को प्रस्तुत नहीं करता अथवा जान-बूझकर धारा-142 (2-A) में दिए गए निर्देश की अवहेलना करता है तो उसे एक वर्ष तक की कड़ी सजा दी जायेगी अथवा जब तक अपराध जारी रहता है, कम से कम 4 रु. प्रतिदिन और अधिक से अधिक 10 रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जायेगा अथवा दोनों सजायें भी दी जा सकती है। [धारा-276 D]

(9) पूछताछ के दौरान झूठे बयान देने पर—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी पूछताछ के दौरान कोई झूंठा बयान देता है अथवा विवरण प्रस्तुत करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह बयान झूंठा है अथवा सच्चा नहीं है।

इस बयान या विवरण को सच्चा मान लेने पर बचने वाली कर की रकम यदि एक लाख रूपये से अधिक है तो उस व्यक्ति को कम से कम 6 माह की और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। अन्य किसी दशा में कम से कम 3 माह की और अधिक से अधिक 3 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अर्थ-दण्ड भी लगाया जा सकेगा। [धारा-277]

(10) आय का झूंठा नक्शा भरने के लिए प्रोत्साहित करने पर—यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी किसी भी कर-योग्य आय के सम्बन्ध में झूंठा नक्शा भरने अथवा गलत जानकारी देने के लिये प्रोत्साहित करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि यह झूठ है अथवा सही नहीं है अथवा धारा-276 C (1) में वर्णित अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो—

आय के नक्शे को या विवरण को सही मान लेने पर बचने वाली कर, दण्ड या ब्याज की रकम एक लाख रु. से अधिक है तो प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 माह की और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जाएगी। अन्य किसी दशा में कम से कम 3 माह की और अधिक से अधिक 3 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा। [धारा-278]

(11) द्वितीय एवं अगले अपराधों के लिए सजा—यदि किसी व्यक्ति को धारा-276-B, धारा-276 (1) C, धारा-276-CC, धारा-276 E, धारा-277 अथवा धारा-278 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए सजा दी गई है और वह फिर से उपरोक्त धाराओं में वर्णित किसी अपराध के लिए दोषी माना जाता है तो उसे दूसरे एवं प्रत्येक अगले अपराध के लिए कम से 6 माह की और अधिक से अधिक 7 वर्ष की कड़ी सजा दी जायेगी। [धारा-278 A]

Discuss the important provisions of the Income Tax Act regarding penalties, offences and prosecution.

2. (अ) जो व्यक्ति जान-बूझकर धारा-139 (1) के अनुसार निश्चित समय पर अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं कर पाता, किस प्रकार की सजा का भागी होता है ?
   (ब) किसी सत्यापन में झूंठा विवरण देने, झूंठे लेखे प्रस्तुत करने अथवा झूँठा विवरण देने की क्या सजा होती है ?
   (a) *How is a person willfully failing to furnish in due time the return* of income under section 139 (1) punishable ?
   (b) What is the punishment for making a false statement in any verification or for delivering a false account or statement ?

3. निम्न दशाओं में अर्थ-दण्ड लगाने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए—
   (अ) निर्धारित समय के अन्दर आय का विवरण दाखिल करने में चूक करना।
   (ब) बहीखाते प्रस्तुत करने अथवा आय के विवरण के पक्ष में सबूत प्रस्तुत करने नोटिस की पूर्ति करने में चूक करना।
   (स) धारा-142 (2A) के अन्तर्गत खातों का अंकेक्षण कराने के नोटिस की पूर्ति करना।
   (द) आय छिपाने के लिए।

   Discuss the Provisions of the Income-Tax Act regarding :
   (a) For failure to furnish the return of his total income within prescribed time.
   (b) For failure to comply with notice to produce books of ac or evidence in support of his return,
   (c) For failure to get his Accounts audited under section 14
   (d) For concealment of income.

20

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण

(Assessment of Hindu Undivided Family)

आय-कर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार का भी एक व्यक्ति की ही भांति पृथक् अस्तित्व माना गया है। इसलिए हिन्दू अविभाजित परिवार पर भी उसके कर्त्ता के माध्यम से एक व्यक्ति की भांति आय-कर लगता है। हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण करते समय इस बात को नहीं देखा जाता है कि परिवार की आय का वितरण परिवार के सदस्यों में किस प्रकार किया जाता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि हिन्दू अविभाजित परिवार की आय पर केवल परिवार को ही कर चुकाना पड़ता है परिवार के सदस्यों को नहीं।

यद्यपि आय-कर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार का पृथक् अस्तित्व माना गया है, परन्तु अधिनियम में किसी भी स्थान पर हिन्दू अविभाजित परिवार को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः हमें हिन्दू अविभाजित परिवार को परिभाषित करने के लिए "हिन्दू ला" की व्यवस्थाओं एवं न्यायाधीशों के निर्णयों का सहारा लेना होगा। पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कई निर्णय ऐसे दिये हैं, जो हिन्दू अविभाजित परिवार की परिभाषा से सम्बन्धित है। इन निर्णयों का परिणाम यह हुआ कि पिछले समस्त निर्णय प्रभावहीन हो गये हैं और प्रचलित परिभाषा में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

हिन्दू अविभाजित परिवार से अभिप्राय—किसी भी हिन्दू परिवार पर अविभाजित परिवार के रूप में कर-निर्धारण करने के लिए उस परिवार द्वारा निम्नलिखित दो शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है—

(1) सम्मिलित सम्पत्ति का होना—किसी भी परिवार पर हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह आय-कर लगाने के लिए परिवार के पास सम्मिलित सम्पत्ति का होना आवश्यक है। वह सम्पत्ति तीन प्रकार की हो सकती है—

(i) पूर्वजों से मिली हुई सम्पत्ति। जो सम्पत्ति किसी व्यक्ति को अपने पिता, पितामह आदि ऊपर के वंशजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, पूर्वजों से मिली सम्पत्ति कहलाती है। यदि कोई सम्पत्ति, चाचा, मामा, भाई आदि से उत्तराधिकार मे भी प्राप्त होती है तो वह सम्पत्ति पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति नहीं कहलाती है।

(ii) पूर्वजो की सम्पत्ति से उपार्जित सम्पत्ति।

Discuss the important provisions of the Income Tax Act regarding penalties, offences and prosecution

2. (अ) जो व्यक्ति जान-बूझकर धारा-139 (1) के अनुसार निश्चित समय पर अपनी आय का नक्शा प्रस्तुत नहीं कर पाता, किस प्रकार की सजा का भागी होता है ?
   (ब) किसी सत्यापन में झूंठा विवरण देने, झूंठे लेखे प्रस्तुत करने अथवा झूंठा विवरण देने की क्या सजा होती है ?
   (a) How is a person willfully failing to furnish in due time the return of income under section 139 (1) punishable ?
   (b) What is the punishment for making a false statement in any verification or for delivering a false account or statement ?

3. निम्न दशाओं में अर्थ-दण्ड लगाने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए—
   (अ) निर्धारित समय के अन्दर आय का विवरण दाखिल करने में चूक करना।
   (ब) बहीखाते प्रस्तुत करने अथवा आय के विवरण के पक्ष में सबूत प्रस्तुत करने के नोटिस की पूर्ति करने में चूक करना।
   (स) धारा-142 (2A) के अन्तर्गत खातों का अंकेक्षण कराने के नोटिस की पूर्ति न करना।
   (द) आय छिपाने के लिए।

   Discuss the Provisions of the Income-Tax Act regarding :
   (a) *For failure to furnish the return of his total income within the prescribed time.*
   (b) For failure to comply with notice to produce books of account or evidence in support of his return,
   (c) For failure to get his Accounts audited under section 142 (2A)
   (d) For concealment of income.

4. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित दशाओं में करदाता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है—
   (i) अपूर्ण हिसाब एवं बहीखाते रखने पर,
   (ii) निर्धारण अधिकारी द्वारा माँगे गये हिसाब तथा प्रपत्रों के प्रस्तुत न करने पर, तथा
   (iii) आय का नक्शा दाखिल न करने पर।

20

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण

(Assessment of Hindu Undivided Family)

आय-कर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार का भी एक व्यक्ति की ही भांति पृथक् अस्तित्व माना गया है। इसलिए हिन्दू अविभाजित परिवार पर भी उसके कर्ता के माध्यम से एक व्यक्ति की भाति आय-कर लगता है। हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण करते समय इस बात को नहीं देखा जाता है कि परिवार की आय का वितरण परिवार के सदस्यों में किस प्रकार किया जाता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि हिन्दू अविभाजित परिवार की आय पर केवल परिवार को ही कर चुकाना पड़ता है परिवार के सदस्यों को नहीं।

यद्यपि आय-कर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार का पृथक् अस्तित्व माना गया है, परन्तु अधिनियम में किसी भी स्थान पर हिन्दू अविभाजित परिवार को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः हमें हिन्दू अविभाजित परिवार को परिभाषित करने के लिए "हिन्दू ला" की व्यवस्थाओं एवं न्यायाधीशो के निर्णयों का सहारा लेना होगा। पिछले कुछ वर्षो में उच्चतम न्यायालय (*Supreme Court*) ने कई निर्णय ऐसे दिये हैं, जो *हिन्दू अविभाजित परिवार की* परिभाषा से सम्बन्धित है। इन निर्णयों का परिणाम यह हुआ कि पिछले समस्त निर्णय प्रभावहीन हो गये हैं और प्रचलित परिभाषा में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

हिन्दू अविभाजित परिवार से अभिप्राय—किसी भी हिंन्दू परिवार पर अविभाजित परिवार के रूप में कर-निर्धारण करने के लिए उस परिवार द्वारा निम्नलिखित दो शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है—

(1) सम्मिलित सम्पत्ति का होना—किसी भी परिवार पर हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह आय-कर लगाने के लिए परिवार के पास सम्मिलित सम्पत्ति का होना आवश्यक है। यह सम्पत्ति तीन प्रकार की हो सकती है—

(i) पूर्वजों से मिली हुई सम्पत्ति। जो सम्पत्ति किसी व्यक्ति को अपने पिता, पितामह आदि ऊपर के वशजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, पूर्वजों से मिली सम्पत्ति कहलाती है। यदि कोई सम्पत्ति, चाचा, मामा, भाई आदि से उत्तराधिकार में भी प्राप्त होती है तो वह सम्पत्ति पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति नही कहलाती है।

(ii) पूर्वजो की सम्पत्ति से उपार्जित सम्पत्ति।

(iii) परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उपार्जित व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उसने 1 जनवरी, 1970 से पूर्व परिवार की सम्पत्ति में मिला दी हो। 31 दिसम्बर, 1969 के बाद यदि परिवार का कोई सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति में परिवर्तित करता है तो ऐसी सम्पत्ति की आय इस सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी।

(2) परिवार में कम से कम दो सदस्य होना—किसी भी परिवार पर हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में कर लगाने के लिए परिवार में कम से कम दो सदस्य होना आवश्यक है। इसमें से एक सदस्य ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसको या तो परिवार के विभाजन की माँग करने का अधिकार हो या विभाजन के समय अपना हिस्सा माँगने का अधिकार हो।

इस सम्बन्ध में सावित्री देवी बनाम कमिश्नर आय-कर का मामला महत्त्वपूर्ण है। इस मामले में एक हिन्दू अविभाजित परिवार में एक विधवा एवं उसकी लड़की ही रह गये थे। यह निर्णय दिया गया कि हिन्दू अविभाजित परिवार मौजूद था।

एक समय ऐसा था जब दो सहभागी (पुरूष) सदस्यों का होना आवश्यक माना जाता था। परन्तु अब एक भी पुरूष सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है। एक स्त्री और एक लड़की भी हिन्दू अविभाजित परिवार को जारी रख सकती हैं।

मिताक्षरा परिवारों में निम्न तीन प्रकार के सदस्य हो सकते हैं—

(i) सहभागी सदस्य—इसमें पुरूष सदस्य आते हैं, इनको परिवार के विभाजन की माँग करने का अधिकार होता है।

(ii) स्त्री सदस्य—इनको विभाजन की माँग का अधिकार नहीं होता है, परन्तु परिवार का विभाजन होने पर अपना हिस्सा मांगने का अधिकार होता है।

(iii) अन्य सदस्य—इसमें लड़कियाँ आती हैं। इनको अपने भरण-पोषण की व्यवस्था कराने का अधिकार होता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास-स्थान

हिन्दू अविभाजित परिवार के निवास-स्थान के निर्धारण सम्बन्धी नियमों का विस्तारपूर्वक उल्लेख अध्याय 2 में किया गया है। कृपया इसके लिए अध्याय 2 पढ़िये।

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ

हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना करते समय निम्न कटौतियाँ स्वीकृत है। इनका विस्तृत विवरण अध्याय 12 में किया गया है।

1. चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में (धारा-80-D)
2. असमर्थ आश्रित की चिकित्सा आदि पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80-DD)
3. विकलांग आश्रित के भरण-पोषण हेतु जमा राशि के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80-DDA)
4. केंसर, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80-DDB)
5. पुण्यार्थ दानों के सम्बन्ध में (धारा-80-G)
6. खर्च किये गये मकान किराये के सम्बन्ध में (धारा-80-GG)

7. वैज्ञानिक अनुसन्धान के दानों के सम्बन्ध में (धारा-80-GGA)
8. पिछड़े क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में (धारा-80-HH)
9. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित लघु उद्योगों के लाभ (धारा-80-HHA)
10. विदेशी योजना के लाभों के सम्बन्ध मे (धारा-80-HHB)
11. निर्यात बिक्री के सम्बन्ध मे (धारा-80-HHC)
12. परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा के रूप में आय के सम्बन्ध में (धारा-80-HHD)
13. कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात व्यापार के लाभ (धारा-80-HHE)
14. नवीन उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में (धारा-80-I या 80-IA)
15. मुर्गीपालन के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध मे (धारा-80-JJ)
16. निर्धारित विनियोगों की आय के सम्बन्ध में (धारा-80-L)
17. कुछ विदेशी उपक्रमों से प्राप्त रायल्टी आदि के सम्बन्ध में कटौती (धारा-80-O)

जैन तथा सिक्ख अविभाजित परिवार—जैन एवं सिक्ख परिवार भी हिन्दू अविभाजित परिवार ही माने जाते है। यदि कोई करदाता यह सिद्ध कर दे कि उसके रीति-रिवाज हिन्दूओं से बिल्कुल भिन्न हैं तो उनको हिन्दू अविभाजित परिवार नही माना जायेगा। कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम चम्पा कुमारी सिघवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जैन परिवारों के समस्त रीति-रिवाज हिन्दूओं जैसे ही हैं और उन्हें हिन्दू अविभाजित परिवार माना जायेगा, चाहे भले ही धार्मिक दृष्टिकोण से हिन्दू हों अथवा नहीं हों। उपरोक्त मामले में करदाता नहीं चाहता था कि उसको हिन्दू अविभाजित परिवार माना जाये, जबकि आय-कर अधिकारी ने हिन्दू अविभाजित परिवार माना था।

हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्त :

हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(1) हिन्दू अविभाजित परिवार की सकल कुल आय एवं कुल आय उसी प्रकार निकाली जाती है जिस प्रकार एक व्यष्टि की निकाली जाती है।

(2) हिन्दू अविभाजित परिवार पर परिवार के कर्त्ता के माध्यम से आय-कर लगता है।

(3) परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में प्राप्त भाग पर आय-कर नहीं लगता, चाहे परिवार की आय पर पृथक् रूप मे आय-कर लगा हो अथवा नहीं। परन्तु यदि परिवार के किसी सदस्य को स्वयं के द्वारा उपार्जित सम्पत्ति से कोई आय पाप्त होती है अथवा वह स्वयं के परिश्रम से कोई आय उपार्जित करता है तो ऐसी आय उसकी व्यक्तिगत आय मानी जाती है एवं उस पर सदस्य को अपने व्यक्तिगत कर-निर्धारण में कर चुकाना पड़ता है।

(4) हिन्दू अविभाजित परिवार कर्त्ता के माध्यम से किसी अन्य फर्म में साझेदार भी बन सकता है। इस प्रकार की साझेदारी मे प्राप्त आय परिवार की आय मानी जायेगी, कर्त्ता की व्यक्तिगत आय नही मानी जायेगी।

(5) परिवार के सदस्य अथवा कर्त्ता को दिया हुआ वेतन :

हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-देय लाभों का निर्धारण करते समय परिवार के किसी सदस्य अथवा कर्त्ता को दिया गया वेतन कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, वशर्ते—

(5) यदि आय-कर अधिकारी इस बात को मान लेता है कि विभाजन हुआ है और विभाजन गत वर्ष में हुआ है तो विभाजन की तिथि से पूर्व तक की आय पर हिन्दू अविभाजित परिवार की भाँति आय-कर लगेगा। इस प्रकार की आय पर आय-कर चुकाने का दायित्व

आय नहीं मानी जायेगी बल्कि सदस्यों की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी और प्रत्येक सह-भागीदार को अपने हिस्से की आय पर अपने व्यक्तिगत कर-निर्धारण में कर देना पड़ेगा।

अविभाजनीय सम्पत्ति (Impartible Estate)

इस सम्पत्ति की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह परिवार के सदस्यों में बांटी नहीं जा सकती है। इस प्रकार की सम्पत्ति परिवार के सबसे बड़े सदस्य को प्राप्त होती है और इस सम्पत्ति की आय पर उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण में कर लगता है। अविभाजनीय सम्पत्ति में से परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त होने वाली आय हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में से प्राप्त होने वाले भाग की भाँति पूर्णतया कर-मुक्त है।

स्वयं की कमाई गई आय को परिवार की आय में मिला देना—कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम पुष्पादेवी के मामले में देहली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि केवल सहभागी ही अपनी स्वयं की कमाई गई आय को परिवार की आय में मिला सकते हैं। चूँकि स्त्रियाँ सहभागी नही होती हैं अतः वे अपने स्वयं की व्यक्तिगत सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में नहीं मिला सकती हैं। सुरजीतलाल छाबड़ा बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में बम्बई हाइकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि परिवार में केवल एक ही पुरूष सदस्य है तथा शेष स्त्री सदस्य हैं तो उस दशा में भी वह पुरूष सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में नहीं मिला सकता है। ऐसी मिलाई गई सम्पत्ति से प्राप्त आय इस सहभागी की व्यक्तिगत आय में ही सम्मिलित की जाती है।

हिन्दू अविभाजित परिवार एवं सहभागी के मध्य साझेदारी—शाह प्रभुदास गुलाबचन्द बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में देहली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि सहभागी अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति साझेदारी में लगाये जो उसे परिवार से प्राप्त नहीं हुई है, तो वह परिवार के साथ साझेदारी का निर्माण कर सकता है। उक्त मामले में सहभागी की अलग सम्पत्ति नहीं थी, वरन् उसने परिवार से प्राप्त सम्पत्ति को ही सहभागी के रूप में लगाया

अगले 60,000 रु. पर	30%
शेष आय पर	40%
दीर्घकालीन पूँजी लाभ पर	20%
आकस्मिक आय (लाटरी के इनाम आदि पर)	40%

परिवार की कृषि आय होने पर व्यष्टियों के कर-निर्धारण वाले अध्याय में बताया गया तरीका ही अपनाया जायेगा। धारा 88 की छूट के मदों की सूची अध्याय 13 में दी गई है। परिवार पर धारा 80B की छूट लागू नहीं होती है।

Illustration 1.

A Hindu undivided family of which Z is the Karta consists of the Karta and his three brothers (S, T & R) as co-parceners. The family and the co-parceners had the following incomes for the year ended 31-3-1997 : Rs.

	Rs.
1. Salary of S as manager of a company	18,000
2. Interest on Government Securities (Gross) :	
(a) in the name of S (investment made out of his salary)	4,200
(b) in the name of all co-parceners (investment made out of family funds)	2,900
3. Rent from Property :	
(a) Ancestral House	12,000
(b) In the name of R—bought in 1979 out of family fund	7,200
4. Business :	
(a) family business income	35,000
(b) Half share of income in a firm in which R is partner in a representative capacity	10,000
(c) Interest on Capital from the firm	6,000
(d) Income from profession of T as a lawyer	9,600
5. Dividend from shares of Indian Companies :	
(a) In the name of R bought out of family funds (Gross)	6,000
(b) In the name of R's wife bought out of her Stridhan	1,200

Family paid Rs. 10,000 as life insurance premium on the policies taken on the lives of the male members. Compute the total income and the tax payable by the family assuming that two members of the family have individual taxable incomes.

जैड एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता है तथा इसमें R, S और T तीन सहभागी हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये परिवार तथा सहभागियों की आय निम्न थी—

	रु.
1. एक कम्पनी के प्रबन्धक के रूप में S का वेतन	18,000
2 सरकारी प्रतिभूतियो से ब्याज (सकल) :	
(अ) S के नाम पर (विनियोग उसकी वेतन की आय से किया गया)	4,200
(ब) समस्त सहभागियो के नाम पर (परिवार के धन से विनियोग किया गया)	2,900
3. मकान सम्पत्ति का किराया .	
(अ) पूर्वजों से प्राप्त मकान	12,000
(ब) R के नाम पर 1979 में परिवार के धन से खरीदा गया	7,200
4. व्यापार की आय :	
(अ) परिवार के व्यापार की आय	35,000
(ब) एक फर्म से आ .. हिस्सा जिसमे R प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है	10,000
(स) फर्म से पूँजी पर ब्याज	6,000
(द) वकील के रूप में T की पेशे की आय	9,600
5. भारतीय कम्पनी के अंशों से लाभांश :	
(अ) R के नाम में जो परिवार के धन से खरीदे गये	6,000
(ब) R की पत्नी के नाम में जो उसने स्त्रीधन से खरीदे	1,200

परिवार ने पुरुष सदस्यों के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसियों पर गत वर्ष मे 10,000 रु. का प्रीमियम चुकाया।

परिवार की कुल आय एवं परिवार द्वारा देय कर की गणना यह मानते हुये कीजिये कि परिवार के दो सदस्यों की निजी आय भी कर-योग्य है।

Solution :

Statement of Total Income

	Rs.	Rs.
1. A.L.V. of Ancestral house	12,000	
[illegible]	7,200	
Annual value of both house	19,200	
Less : 1/5 for repairs	3,840	15,360
2. Income from Business & Profession :		
(a) Family business	35,000	
(b) Interest from a firm	6,000	41,000
3. Income from other sources :		
Dividends	6,000	
Interest on Govt Securities	2,900	8,900

Gross Total Income		65,260
Less : Deduction u/s 80-L	8,900	8,900
Total Income		56,360

Computation of Tax Payable

on first Rs. 40,000	—	NIL
on balance Rs. 16,360	@ 15%	2,454
		2,454
Less : Rebate u/s 88 @ 20% on Rs. 10,000		2,000
		454

टिप्पणी—(1) S के द्वारा अपने वेतन की आय से किये गये विनियोगों से प्राप्त ब्याज उसकी व्यक्तिगत आय है तथा परिवार की कर-योग्य आय में इसे शामिल नहीं किया जायेगा।

(2) R की पत्नी द्वारा अपने स्त्रीधन से खरीदे गये अंशों से प्राप्त लाभाश उसकी व्यक्तिगत आय है। इसे भी परिवार की आय में सम्मिलित नहीं करेंगे।

(3) फर्म से आय कर मुक्त है।

(4) कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से परिवार के किसी सदस्य की निजी कर-योग्य आय होने का परिवार के कर दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

Illustration 2.

Following are particulars given by a Hindu undivided family in its return of income for the Assessment Year 1997-98. You are required to compute the total income of the family and the tax payable by the family.

1. Profit from business Rs. 80,000 after deduction of Rs. 5,000 paid to a member of the family for working as salesman and Rs 20,000 paid to Karta f [illegible]

[illegible] The house is used for the residential purposes of the family.

3. Long term capital gain Rs. 10,000 This amount has been computed on the basis of cost Inflation Index.

4. Life insurance premium paid on Jeevan Dhara Annuity plan on the lives of two members of the family amount to Rs. 10,000 during the year.

5 Interest on Govt. securities Rs. 2,000 The family owned shares with controlling voting power in a [illegible]

[illegible]

Company.

अपने आय के विवरण में एक हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए निम्न विवरण प्रस्तुत किया गया है। आपको परिवार की कुल आय एवं देय कर की गणना करनी है—

1. व्यापार से लाभ 80,000 रु.। यह आय परिवार के एक सदस्य को जो कि विक्रेता के रूप में काम करता है, 5,000 रु. देने के बाद तथा कर्ता को जो कि परिवार के व्यापार का प्रबन्ध करता है 20,000 रु. देने के बाद ज्ञात की गई।

2. परिवार के पास 9,600 रु. के किराए के मूल्य का एक मकान है। मकान का प्रयोग परिवार के रहने के लिये किया जाता है।

3. दीर्घकालीन पूँजी लाभ 10,000 रु.। यह राशि लागत प्रसार सूचकांक के आधार पर ज्ञात की गई है।

4. वर्ष के दौरान परिवार ने दो सदस्यों के जीवन पर ली गई जीवन धारा वार्षिकी योजना का प्रीमियम 10,000 रु. दिया।

5. सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज 2,000 रु.। परिवार के पास जयपुर में एक कम्पनी में इतने अंश हैं कि परिवार का उस पर नियन्त्रण हो सकता है। परिवार का एक सदस्य इस कम्पनी में प्रबन्ध संचालक बना और उसने कुल 18,000 रु. का पारिश्रमिक प्राप्त किया। परिवार ने कम्पनी से 15,000 रु. का सकल लाभांश प्राप्त किया।

Solution :

Statement of Total Income

			Rs.
1.	Income from House property :		NIL
2.	Income from Business and Profession :		
	Profit from business		80,000
3.	Long term Capital gain (Computed)		10,000
4.	Income from other sources :	Rs.	
	Dividend	15,000	
	Interest on Govt. Securities		
	(assumed to be gross)	2,000	17,000
	Gross Total Income		1,07,000
Less :	Deduction u/s 80-L		15,000
	Total Income		92,000

Computation of Tax Payable by
the family for The A.Y. 1997-98

Tax on Rs. 82,000 being reduced total income			
on first Rs. 40,000		—	NIL
on next Rs. 20,000		@ 15%	3,000
on balance Rs. 22,000		@ 30%	6,600
			9,600
Less :	Rebate u/s 88 :		
	@ 20 % on Rs 10,000		2,000
			7,600
Add :	Tax on long term Capital gain		
	@ 20% on Rs. 10,000		2,000
		Tax Payable	9,600

टिप्पणी—(1) कर्त्ता को दिया गया वेतन स्वीकृत खर्चा है।

(2) सदस्य को प्राप्त प्रबन्ध संचालक का पारिश्रमिक उसकी व्यक्तिगत आय मानी गई है क्योंकि उसने यह आय अपनी व्यक्तिगत योग्यता तथा सेवाओं से बिना परिवार की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाए हुए प्राप्त की है।

Illustration 3.

एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है। आपको इस परिवार की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 की कुल आय एवं देय कर की गणना करनी है—

			रु.
(i)	व्यापार से लाभ		52,000
(ii)	परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन		15,000
(iii)	कर्त्ता द्वारा एक कम्पनी का संचालक होने के कारण प्राप्त शुल्क		6,000
(iv)	किराये पर उठी हुई गृह-सम्पत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन		12,000
(v)	उक्त गृह-सम्पत्ति पर स्थानीय कर		600
(vi)	लाभांश प्राप्त किया :		
	(अ) भारतीय कम्पनियों से	8,000	
	(ब) भारतीय यूनिट ट्रस्ट से	9,500	17,500
(vii)	एक मकान के हस्तान्तरण से प्राप्त राशि		32,500
	इस मकान को 1984-85 में 12,500 रु. में क्रय किया था		
(viii)	1987-88 में 7,500 रु. में क्रय किये गए विनियोगों के हस्तान्तरण से प्राप्त		17,500
(ix)	एक फर्म से लाभ में हिस्सा		14,000
(x)	फर्म से प्राप्त पूँजी का ब्याज		9,000
(xi)	सदस्य को सक्रिय साझेदार के रूप में प्राप्त वेतन		24,000
(xii)	एक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को दान		10,000
(xiii)	राष्ट्रीय बचत योजना खाते में जमा करवाये		20,000
(xiv)	पुरूष सदस्यों के चिकित्सा बीमे का प्रीमियम		7,500

The following particulars are supplied by the Karta of a Hindu Undivided Family. You are required to compute the total income of this family and the tax payable for the Assessment Year 1997-98.

			Rs.
(i)	Business Profits		52,000
(ii)	Salary received by a member of family		15,000
(iii)	Fees received by the Karta as director of a company		6,000
(iv)	Municipal valuation of House property		12,000
(v)	Local tax on above property		*600*
(vi)	Dividend received from :		
	(a) Indian Companies	8,000	
	(b) Unit Trust of India	9,500	17,500

(vii)	Amount received from the transfer of a house, purchased in 1984-85 for Rs. 12,500	32,500
(viii)	Amount received from the transfer of investments purchased in 1987-88 for Rs. 7,500.	17,500
(ix)	Profits from firm	14,000
(x)	Interest on capital from the firm	9,000
(xi)	Salary to a member as working partner	24,000
(xii)	Donations to an approved educational institution	10,000
(xiii)	Deposited in N.S.S. Account	20,000
(xiv)	Medical Insurance Premium paid on Insurance of male members	7,500

Solution :

Computation of Total Income of Hindu Undivided Family for the A. Y. 1997-98

	Rs.	Rs	Rs.
Income from House Property :			
Municipal Valuation		12,000	
Less : Municipal Taxes		600	
		11,400	
Less. $\frac{1}{5}$th of A.V. for repairs		2,280	9,120
Income from Business or Profession :			
Profits of own Business		52,000	
Interest from firm		9,000	61,000
Income from Capital gains :			
Sale price of Building		32,500	
Less : Cost of acquisition 12,500			
Indexed cost of acquisition ($12,500 \times 305 \div 125$)		30,500	
Long term capital gain from Building		2,000	
Sale price of shares	17,500		
Less : Cost of acquisition Rs. 7,500			
Indexed cost of acq. ($7,500 \times 305 \div 150$)	15,250	2,250	4,250
Income from Other Sources :			
Dividends from Units of U.T.I.		9,500	
Dividends from Indian companies		8,000	17,500
Gross Total Income			91,870
Deductions :			
(a) Deduction u/s 80-D		7,500	

(b) Deduction u/s 80-G	3,256	
(c) Deduction u/s 80-L	15,000	25,756
Total Income		66,114
Rounded off		66,110

Computation of Tax Payable

Tax on Reduced income of Rs. 61,860		
On first Rs. 40,000	—	—
On next Rs. 20,000	@15%	3,000
On balance Rs.1,860	@30%	558
		3,558
Less : Rebate u/s 88 @ 20% on Rs. 20,000 being deposit in NSS Account, but restricted to tax payable on total income (excluding the tax payable on long term capital gain)		3,558
		NIL
Add : Tax on Long term Capital gain @ 20% on Rs. 4,250		850
	Tax payable	850

टिप्पणी—(i) शिक्षण संस्थाओं को दिए गए दान की राशि समायोजित कुल आय के 10% तक ही कटौती योग्य होती है।

(ii) धारा-80-L के अन्तर्गत अधिकतम कटौती 15,000 रु की दी जाती है।

(iii) फर्म से प्राप्त लाभ कर-मुक्त होता है।

(iv) फर्म में परिवार का सदस्य प्रतिनिधि के रूप में साझेदार होता है परन्तु उसे सक्रिय साझेदार के रूप में कार्य करने से प्राप्त वेतन उसकी निजी आय होती है, परिवार की नही।

(v) परिवार के सदस्य को प्राप्त वेतन तथा कर्ता को एक कम्पनी से प्राप्त संचालक शुल्क उनकी निजी आयें हैं।

(vi) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में अधिकतम कटौती 10,000 रु. तक की दी जा सकती है।

(vii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ के कर में से धारा 88 की छूट नहीं दी जाती है।

Illustration 4.

There is a Hindu Undivided family with Shri Mohan as its Karta. Shri Mohan's three brothers – Shri Suresh, Shri Ramesh and Shri Padam – are the other members of the family. The following are the particulars of the Income of the family and its members for the assessment year 1997-98.

1. Rs. 40,000 have been invested out of family fund in a firm in the name of Shri Padam and Shri Padam's share in the firm's profit of 1996-97 is Rs. 25,000, excluding interest on capital which is Rs. 37,200. During the previous year Shri Padam as the manager of firm received Rs. 9,600 as salary.

2. *Out of the family fund shares of an Indian company have been purchased in the name of Shri Ramesh. The amount of dividends received on these shares on 15th February, 1997 was Rs. 8,000. On the shares of the company purchased by Shri Ramesh out of his personal income dividend of Rs. 800 was received.*

3. *Shri Padam is an engineer and he has been given Rs. 40,000 out of the family funds for running a workshop at 12% p.a. interest. Shri Padam's taxable income from this workshop in 1996-97 was Rs. 10,000.*

4. *Shri Mohan is a Chartered Accountant. He also took Rs. 20,000 from the family funds for establishing his profession on which no interest is charged. His taxable income from the profession for financial year 1996-97 was Rs. 40,000.*

5. Taxable income from the ancestral house *property was Rs. 8,000. Taxable income from a house purchased in the name of Shri Mohan from family fund was Rs. 10,000 and taxable income from house purchased by Shri Ramesh in his own name from his savings and money borrowed by him from a friend was Rs. 8,000.*

6. Shri Suresh on 1st January, 1986 impressed *8% Government Securities of the face value of Rs. 50,000 which he had purchased out of his personal income with the character of property belonging to the family. These securities continue to be owned by the family during the financial year 1996-97.*

7. *Net agricultural income of the family is Rs. 10,000.*

During the previous year the family purchased N.S.C. VIIIth issue for Rs. 5,000.

Compute the Total income of the family for the Assessment year 1997-98 and the tax payable by the family assuming that two members have taxable income exceeding Rs. 40,000.

एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जिसके कर्ता श्री मोहन हैं। मोहन के तीन भाई श्री सुरेश, रमेश और श्री पद्म परिवार के अन्य सदस्य हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए परिवार तथा इसके सदस्यों की आय का विवरण निम्न है—

1. परिवार के धन में से एक फर्म में 40,000 रु. पद्म के नाम पर विनियोजित किया गया है तथा 1996-97 के लिए पदम के हिस्से का लाभ 25,000 रु. है। इसमें पूँजी के ब्याज की राशि 37,200 रु. सम्मिलित नहीं है। गत वर्ष के दौरान सुरेश ने फर्म के प्रबन्धक के रूप में 9,600 रु. का वेतन प्राप्त किया।

2. परिवार के धन से एक भारतीय कम्पनी के अंश रमेश के नाम से खरीदे गये हैं। इन अंशों पर 15 फरवरी, 1997 को 8,000 रु. का लाभांश प्राप्त किया गया। रमेश द्वारा अपनी निजी आय से खरीदे गये कम्पनी के अंशों पर 800 रु. का लाभांश प्राप्त किया गया।

3. पदम एक इन्जीनियर है और उसको परिवार के धन से 40,000 रु. एक वर्कशाप चलाने के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज पर दिए गए हैं। इस वर्कशाप से 1996-97 के दौरान श्री पदम को 10,000 रु. की आय प्राप्त हुई।

4. श्री मोहन एक चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट हैं। उसने अपने पेशे की स्थापना के लिए परिवार से 20,000 रु. लिए जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया गया। वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए इस पेशे से उसकी कर-योग्य आय 40,000 रु. थी।

५. पूर्वजों की मकान सम्पत्ति की कर-योग्य आय 8,000 रु. थी। मोहन के नाम में परिवार के धन से खरीदे गये मकान की कर-योग्य आय 10,000 रु. थी तथा रमेश के द्वारा अपने नाम में अपनी बचत एवं मित्र से प्राप्त ऋण से खरीदे गये मकान की कर-योग्य आय 8,000 रु. थी।

6. श्री सुरेश ने 1 जनवरी, 1986 को 50,000 रु. के उचित मूल्य की 8% वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ परिवार की सम्पत्ति में मिलाने के लिए परिवार को दे दी। उसने ये प्रतिभूतियाँ अपनी निजी आय से खरीदी थीं। 1996-97 के वित्तीय वर्ष में ये प्रतिभूतियाँ परिवार के स्वामित्व में ही थीं।

7. परिवार की शुद्ध कृषि आय 10,000 रु. थी।

परिवार ने गत वर्ष में 5,000 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्ठम निर्गमन क्रय किये।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये उक्त परिवार की कुल आय की गणना एवं देय कर की गणना यह मानते हुए कीजिये कि दो सदस्यों की कर योग्य आय 40,000 रु. से अधिक है।

Solution :

Computation of Total Income for the Assessment Year 1997-98

		Rs.	Rs.
1.	Income from House property :		
	(a) Ancestral property	8,000	
	(b) House in the name of Mohan	10,000	18,000
2.	Income from Business :		
	Interest from firm		37,200
3.	Income from Other Sources :		
	(a) Dividend on shares in Ramesh's name (grossed up)	10,000	
	(b) Interest on advance given to Padam	4,800	14,800
	Gross Total Income		70,000
	Less : Deduction u/s 80 L		10,000
	Total Income		60,000
	Aggregated income :		
	Total income (non agricultural)		60,000
	Net agricultural income		10,000
			70,000

Computation of Tax Payable on Rs. 70,000

	Rate	Rs.
Income tax on first Rs. 40,000		

"	next Rs. 20,000	15%	3,000
"	" balance Rs. 10,000	30%	3,000
	Tax on aggregated income		6,000
Less . Tax on agricultural income	Rs. 10,000 + Rs. 40,000 i.e. Tax on Rs 50,000		1,500
			4,500
Less . Rebate u/s 88 for purchasing	N.S C. VIIIth issue @ 20% on Rs. 5,000		1,000
		Tax Payable	3,500

टिप्पणी—(1) 31-12-69 के बाद परिवार के सदस्य द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिलाने से होने वाली आय उस सदस्य की ही आय होती है। अत. प्रतिभूतियों का ब्याज सुरेश की व्यक्तिगत आय होगी।

(2) परिवार के सदस्यों ने जो सम्पत्तियाँ अपनी निजी आय से खरीदी हैं उनकी आय उनकी व्यक्तिगत आय मानी जायेगी।

(3) परिवार को फर्म से प्राप्त आय कर मुक्त होती है।

(4) परिवार किसी भी सदस्य को बिना ब्याज के ऋण दे सकता है। परन्तु यदि ब्याज लिया जाता है तो यह परिवार की आय होती है।

Illustration 5.

A Hindu undivided family carrying on business in gold, silver, money lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in the return of income filed for the previous year ended 31st March, 1997.

एक हिन्दू अविभाजित परिवार जो कि सोना, चाँदी, साहूकारी, दलाली व अंशों के क्रय-विक्रय का व्यापार चलाता है, ने 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए प्रस्तुत किये गये आय के नक्शे में निम्न विवरण प्रकट किया है—

	Rs.		Rs.
Loss in silver	1,00,000	*Profits in gold*	1,00,000
Loss on sale of securities	30,000	Profits in sovereigns	25,000
Loss in share dealing	50,000	Profits from brokerage	50,000
Law charges	30,000	Interest and commission	1,50,000
Bad debts	40,000	Dividends (gross from Indian companies)	50,000
Establishment and contingencies	20,000		
Net Profit	1,05,000		
	3,75,000		3,75,000

The examination of the books of accounts disclosed the following facts—

(a) Silver account was found debited with loss in hedging contracts Rs. 1,00,000 and loss of Rs. 50,000 in silver speculation.

(b) Law charges included expenses of Rs. 10,000 incurred in a criminal case conducted with an alleged purchase of smuggled gold

(c) Bad debts included loss of cash of Rs. 10,000 by theft from tijori (iron safe) in the business premises and Rs 20,000 as an irrecoverable loan given without interest to the Karta's brother in-law whose business failed.

(d) Establishment expenses included salary of Rs. 3,000 paid to the son of Karta and Rs. 2,000 for purchase of a motor bicycle on 10th October, 1996 claimed to enable him to attend office.

Compute the total income of the H.U F. for the assessment year 1997-98 assuming that the family paid Rs 7,000 as medical insurance premium for one of the members of the family.

बहीखातों के परीक्षण ने निम्न तथ्य स्पष्ट किये—

(अ) सुरक्षा के सौदों की हानि 1,00,000 रु तथा चांदी के सट्टे की हानि 50,000 रु. चांदी खाते के नाम पक्ष में लिखी गई है।

(ब) कानूनी व्यय मे तस्कर किया गया सोना खरीदने के अपराध अभियोग के 10,000 रु. सम्मिलित हैं।

(स) व्यापारिक भवन की तिजोरी में से हुई 10,000 रु. की चोरी से हानि तथा अपने साले जिसका व्यवसाय असफल हो गया को बिना ब्याज के दिया 20,000 रु. का न वसूली योग्य ऋण डूबत ऋण में सम्मिलित किया गया है।

(द) स्थापना व्यय में कर्त्ता के लड़के को दिये गये वेतन के 3,000 रु. तथा 10 अक्टूबर, 1996 को उसको कार्यालय पहुँचने में सहायता हेतु मोटर साइकिल खरीदने के लिए दिये गये 2,000 रु. सम्मिलित हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए परिवार की कुल आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि परिवार ने परिवार के एक सदस्य के लिए 7,000 रु. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के चुकाये।

Solution :

Computation of Total Income of H.U.F. for the Assessment Year 1997-98

		Rs.	Rs
	Net Profit as per statement		1,05,000
Less :	Dividends (treated separately)		50,000
			55,000
Add :	(i) *Legal charges incurred in a criminal case* not allowed	10,000	
	(ii) Speculation loss not allowed to be set off against other business income	50,000	

	(iii) Irrecoverable loan given without interest (being not given as part of money lending business)	20,000	
	(iv) Cost of motor bicycle, being Capital expenditure	2,000	82,000
			1,37,000
Less :	Depreciation @ 25% on cost of motor-bicycle for $\frac{1}{2}$ year		250
	Income from business		1,36,750
	Income from Other Sources :		
	Dividend Gross		50,000
	Gross Total Income		1,86,750
Less :	Deduction for dividend u/s 80-L	15,000	
	Deduction u/s 80-D	7,000	22,000
	Total Income		1,64,750

टिप्पणी—(1) चूँकि कर्त्ता के पुत्र ने वास्तव में व्यापार में काम किया है, अतः उसे देय वेतन स्वीकृत व्यय है।

(2) सुरक्षा के सौदे की हानि व्यापारिक हानि के रूप में स्वीकृत है।

(3) कर्त्ता के साले को बिना ब्याज दिया गया ऋण अस्वीकृत हानि है क्योंकि यह व्यापार की साधारण प्रगति में नहीं दिया गया है।

(4) तिजोरी से चोरी के कारण हानि को *CIT V. Surya Sugar Mills (P) Ltd.* के मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने स्वीकृत हानि माना है।

Illustration 6.

निम्नलिखित विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये एक हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय एवं देयकर की गणना कीजिए—

	रु.
(i) व्यापार की आय	96,000
(ii) मकान-सम्पत्ति की आय (आकलित)	4,000
(iii) बैंक में जमा राशि पर ब्याज	3,000
(iv) उसके द्वारा चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम	20,000
(v) सकल कृषि आय	30,000
(vi) कृषि क्रियाओं पर किया गया व्यय	16,000
(vii) कृषि-आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर	2,000

यह मानिये कि परिवार के दो सदस्यों की निजी आय 40,000 रु. से अधिक एवं कर-योग्य है।

Compute the total income and tax payable by a Hindu Undivided Family for the Assessment Year 1997-98 from the following particulars :

(i) Income from business	96,000

		Rs.
(ii)	Income from house property (Computed)	4,...
(iii)	Interest on bank deposit	3,000
(iv)	Life Insurance Premium paid by him	20,000
(v)	Gross Agricultural Income	30,000
(vi)	Expenditure incurred on agricultural operations	16,000
(vii)	Tax levied by state Government on agricultural income	2,000

Assume that two members of the family have their individual taxable income exceeding Rs. 40,000. **(Raj. Uni. B. Com. 1996)**

Solution :

Computation of Total Income of H.U.F.	Rs.
1. Income from House Property	4,000
2. Income from business	96,000
3. Income from other sources	3,000
Gross Total Income	1,03,000
Less : Deduction u/s 80-L on Bank Interest	3,000
Total Income	1,00,000

Computation of Net Agricultural Income

Gross Agricultural income			30,000
Less :	(a) Expenditure on agricultural operations	16,000	
	(b) Tax levied by State Government on agricultural income	2,000	18,000
	Net Agricultural Income		12,000

Aggregated income :	
Total income (non agricultural)	1,00,000
Net agricultural income	12,000
Aggregated Income	1,12,000

Computation of Tax Payable on Rs. 1,12,000

		Rate	Rs.
Income tax on first	Rs. 40,000		—
Income tax on next	Rs. 20,000	15%	3,000
Income tax on balance	Rs 52,000	30%	15,600
Tax on Aggregated income			18,600
Less : Tax on agricultural income Rs. 12,000 + Rs. 40,000 i.e. Tax on Rs. 52,000			1,800
			16,800
Less : Rebate u/s 88 in respect of Life Insurance Premium @ 20% on Rs. 20,000			4,000
Net Tax Payable			12,800

प्रश्न
(Questions)

1. आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण के मुख्य तत्वों का विवेचन कीजिये।

Discuss the salient features of assessment of Hindu Undivided Family under the Indian Income Tax Act, 1961.

(Raj. Uni. B. Com., 1995, Sukhadia Uni. B. Com., 1997)

2. हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन से आप क्या समझते हैं ? विभाजन के पश्चात् ऐसे परिवारों पर किस प्रकार कर-निर्धारण किया जाता है ?

What do you understand by the Partition of Hindu Undivided Family? How is the assessment made on such families after partition ?

(M.D. Uni. B. Com., 1996)

3. निम्नलिखित विवरण एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता श्री राजकुमार द्वारा दिया जाता है। आप इस परिवार की 1997-98 के कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिये—

	रु.
(1) व्यापार से लाभ	38,000
(2) किराये पर उठी हुई मकान सम्पत्ति का किराया	20,000
(3) उक्त मकान पर स्थानीय कर	2,000
(4) अल्पकालीन पूँजी-लाभ	10,000
(5) भूमि व भवन के हस्तान्तरण से दीर्घकालीन पूँजी-लाभ (आकलित)	20,000
(6) विनियोग के हस्तान्तरण से दीर्घकालीन पूँजी लाभ (आकलित)	8,000
(7) लाभांश (शुद्ध)	4,000
(8) फर्म से लाभ	40,000
(9) परिवार के सदस्य द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन	20,800
(10) फर्म से प्राप्त पूँजी का ब्याज	18,000
(11) कर्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क	8,700

वर्ष के मध्य में परिवार द्वारा 15,000 रु. एक पुण्यार्थ संस्था को दान दिये गये। यह संस्था आय-कर विभाग से आय-कर की छूट के लिये मान्यता प्राप्त है।

यह मान लीजिये कि परिवार ने गत वर्ष के दौरान पुरूष सदस्यों के चिकित्सा बीमे के रूप में 4,500 रु. की राशि का भुगतान किया है।

उत्तर—परिवार की सकल कुल आय 1,13,400 रु. तथा कुल आय 1,00,110 रु. होगी। देय कर 12,233 रु.। [118]

4. श्याम एण्ड संस एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जिसका कर्ता श्याम है। परिवार में कर्ता व उसके तीन पुत्र 'अ', 'ब', व 'स' सहभागी है। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में परिवार तथा सहभागियों की आय निम्न प्रकार थी . रु.

(1) एक कम्पनी के प्रबन्धक के नाते 'अ' का वेतन 60,000

(2) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज :

(i) 'अ' के नाम में (उनके वेतन की आय में से विनियोजित) 8,400
(ii) समस्त सहभागियों के नाम में (परिवार के कोष में से विनियोग द्वारा) 6,000

(3) मकान सम्पत्ति से आय :
(i) पैतृक मकान, जो परिवार के निवास के काम आता है, का नगरपालिका मूल्यांकन 7,800
(ii) श्याम के नाम में एक मकान (परिवार के कोष से क्रय किया गया) से प्राप्त किराया 14,400

(4) व्यापार से आय :
(i) परिवार के व्यापार से लाभ 71,500
(ii) एक फर्म, जिसमें श्याम परिवार के प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है, की आय में आधा भाग 7,200
(iii) 'ब' की वकालत के व्यवसाय से आय 19,200

(5) भारतीय कम्पनियों में अंशों पर लाभांश से आय (सकल) :
(i) परिवार के कोष में से श्याम के नाम में क्रय किये गये अंशों से 6,000
(ii) श्याम की पत्नी के नाम से उसके स्त्रीधन में से क्रय किये गये अंशों से 2,400

(6) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की पारस्परिक कोष योजना में रुपया जमा कराये 12,000
(7) दीर्घकालीन पूँजी लाभ 20,000

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए परिवार की कुल आय तथा कुल देयकर की गणना कीजिए।

Shyam & Sons is a Hindu undivided family, whose Karta is Shri Shyam, Karta and his three sons A,B and C are Co-parceners in the family. For the year ending 31st March, 1997 incomes of the family and its Co-parceners were as follows :

Rs.

(1) Salary of A by Virtue of being the manager of a company 60,000
(2) Interest on Government Securities :
(i) In the name of A (investment made out of his salary income) 8,400
(ii) In the name of all Co-parceners (investment made out of family funds) 6,000
(3) [illegible]
7,800
14,400
(4) Income from business :
(i) Profit from business of family 71,500

(ii) Half share in the profits of a firm in which Shyam is a partner as representative of the family — 7,200

(iii) Income from the legal profession carried on by B — 19,200

(5) Income from dividends on the shares in Indian *Companies (Gross)* :

(i) On shares purchased in the name of Shyam out of family funds — 6,000

(ii) On shares purchased in the name of Shyam's wife out of her stridhan — 2,400

(6) *Deposited in mutual fund scheme of U.T.I.* — *12,000*

(7) Long term capital gains — 20,000

Compute the total income and total tax payable by H.U.F. for the *Assessment Year 1997-98.* (M.D.Uni. B. Com., 1997)

उत्तर—कुल आय 1,03,020 रु. एवं कुल देय कर 11,906 रु. [119]

5. *एक हिन्दू अविभाजित परिवार एक्स, वाई कम्पनी लिमिटेड के विक्रय अभिकर्ता के रूप* में कार्य कर रहा था, परन्तु अगस्त, 1996 में यह एजेन्सी समाप्त कर दी गई तथा एक्स, वाई कम्पनी से परिवार को 60,000 रु. क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए। गत वर्ष 1996-97 के दौरान परिवार की अन्य आय का विवरण निम्न है—

(i) मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया 40,000 रु.। इस मकान में चार रहने की इकाइयाँ हैं। इस मकान का निर्माण अक्टूबर, 1988 में प्रारम्भ किया गया था तथा यह 31 मार्च, 1992 को बनकर तैयार हुआ था। नगरपालिका मूल्यांकन 24,000 रु. *है तथा नगरपालिका को 10% स्थानीय कर दिया जाता है।*

(ii) [illegible]

की भी शामिल है।

(iii) चाय कम्पनी से 15 सितम्बर, 1996 को लाभांश प्राप्त किया 40,000 रु. तथा *यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया से लाभांश प्राप्त किया 13,600 रु.।*

(iv) भूमि के विक्रय से पूँजी लाभ 20,000 रु. (आकलित)। जवाहरात के विक्रय से पूँजी लाभ 60,000 रु. (आकलित)।

गत वर्ष 1996-97 के दौरान परिवार ने अपनी उपरोक्त कर-योग्य आय में से निम्न भुगतान किए हैं—

(अ) परिवार ने अपने एक आश्रित सदस्य की चिकित्सा पर जो कि स्थाई रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है, 8,000 रु. व्यय किये।

(ब) सार्वजनिक प्रॉविडेण्ट फण्ड खाते में जमा कराये 10,000 रु.।

(स) राष्ट्रीय बचत-पत्र अष्ठम निर्गमन खरीदे 4,000 रु.।

(द) *एक पुण्यार्थ संस्था को 26,000 रु. का दान दिया।*

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए परिवार की कुल आय की एवं देय कर की गणना यह मानते हुए कीजिए कि परिवार के दो सदस्यों की निजी कर-योग्य आय 40,000 रु. से अधिक है।

A Hindu Undivided family was working as selling agent of X. Y. Co. Ltd. but in August, 1996, this Agency was terminated and the family received Rs. 60,000 as Compensation. Following are the particulars of the other incomes of the family for the previous year 1996-97 :

(i) Rent received from House Property Rs. 40,000. There are four residential units in this house. The construction of this house had started in October, 1988 and was completed on 31st March, 1992 The Municipal Valuation is Rs. 24,000 and Local Taxes are paid @ 10% to the Municipality.

(ii) Income from Business (Including Compensation on termination of Agency) Rs 4,00,000. It includes profits from poultry farm Rs. 30,000 and from dairy farm Rs. 40,000.

(iii) Dividend received on 15th Sept., 1996 Rs. 40,000 from Tea Company and Rs. 13,600 from Unit Trust of India.

(iv) Capital gain from the sale of land Rs. 20,000 (Computed). Capital gain from sale of Jewellery Rs. 60,000 (Computed).

During the previous year 1996-97 the family made following payments out of its above mentioned taxable incomes—

(a) The family incurred an expenditure of Rs 8,000 on the treatment of a handicapped dependend member who is suffering from a permanent physical disability.

(b) Deposits in Public Provident Fund.A/c Rs. 10,000.

(c) N.S C. VIII Issue Purchased Rs. 4,000

(d) He donated Rs. 26,000 to a charitable institutions.

Assuming that two members of the family have their individual taxable income exceeding Rs. 40,000, compute the Total Income of the family and tax payable by the family for the A.Y. 1997-98. **[120]**

उत्तर—परिवार की कुल आय 5,11,560 रु. होगी। देय-कर की राशि 1,58,824 रु.।

6. (अ) श्री नवनीत एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता हैं। इस परिवार के अन्य सदस्य उनकी पत्नी तथा दो पुत्र हैं जिनकी आयु 21 वर्ष और 15 वर्ष है। इस परिवार को मुर्गी पालन व्यापार से वित्तीय वर्ष 1996-97 में 67,500 रु. की कर योग्य आय हुई। 1997-98 निर्धारण वर्ष के लिये आप इस परिवार द्वारा देय कर की गणना कीजिये। परिवार के सदस्यों की कोई अन्य आय नहीं है।

(ब) यदि इस परिवार की समस्त सम्पत्ति का 1 दिसम्बर, 1996 को विभाजन हो गया होता तो परिवार की आय पर कितना कर वसूल किया जाता और किससे वसूल किया जाता ? लाभ प्रति माह बराबर अर्जित किया गया है।

(स) यदि यह परिवार भारत में स्थित एक भू-खण्ड का स्वामी भी हो जिसे कृषि हेतु प्रयुक्त करने से 18,000 रु. की आय वित्तीय वर्ष 1996-97 मे हुई हो और 1 दिसम्बर, 1996 को इस भू-खण्ड का विभाजन न किया जाय और केवल मुर्गी पालन फार्म का विभाजन किया जाय तो परिवार की आय पर कितना कर वसूल किया जाता और किससे वसूल किया जाता ?

(a) Shri Navneet is the Karta of a HUF. Its other members are his wife and two sons, whose ages are 21 years and 15 years. The taxable income for the financial year 1996-97 of the family from business of poultry farm was Rs. 67,500. Compute the tax payable by the family for the assessment year 1997-98. There is no other income of the members of the family.

(b) Had the whole of HUF property been partitioned on 1st Dec., 1996 how much tax would have been charged on the income of the family and from whom it would have been collected ? The profit has been earned equally every month.

(c) Had this family also owned a plot of land situated in India the income from which by using it for agricultural purpose had been Rs. 18,000 during the financial year 1996-97 and on 1st Dec., 1996 this plot had not been partitioned and only the poultry farm had been partitioned what would have been amount of tax payable on the income of the family and from whom it would have been recovered ?

(Ajmer Uni. B. Com., 1994, Raj. Uni., B. Com., 1997)

[121]

उत्तर—(अ) कुल आय 45,000 रु. एवं देय कर 750 रु.

(ब) कुल आय 30,000 रु. एवं देय कर शून्य

(स) कुल आय 45,000 रु. एवं देयकर 1,200 रु.।

■■■

21
फर्म का कर-निर्धारण
(Assessment of Firms)

फर्मों का कर-निर्धारण समझने से पहले हमें यह भली-भाँति समझ लेना आवश्यक है कि आय-कर अधिनियम में 'फर्म' से क्या आशय है एवं फर्म में किन-किन को सम्मिलित किया जाता है।

अधिनियम मे 'फर्म' से आशय—आय-कर अधिनियम की धारा-2 (23) के अनुसार अधिनियम में 'फर्म', 'साझेदार' तथा 'साझेदारी' के अर्थ वही हैं जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) में दिये हुए हैं। लेकिन आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत वे अवयस्क भी साझेदार माने जाते हैं जिन्हें केवल लाभों के लिए फर्म में शामिल किया जाता है।

साझेदारी अधिनियम में फर्म की परिभाषा—भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा-4 के अनुसार "साझेदारी उन व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध को कहते है जो ऐसे व्यापार के लाभों में हिस्सा लेने के लिए आपस में समझौता करते हैं जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाता है।" जिन व्यक्तियों में इस प्रकार का समझौता होता है वे साझेदार कहलाते हैं। जिस नाम से फर्म का कारोबार एवं व्यापार संचालित होता है, उसे फर्म का नाम कहते है।

फर्म के प्रकार—आय-कर अधिनियम में कर-निर्धारण की दृष्टि से फर्म को निम्नलिखित दो वर्गों में बाँटा गया है—

(1) वे फर्म जिन पर फर्म के रूप में ही कर-निर्धारण किया जाये।

(2) वे फर्म जिन पर व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कर-निर्धारण किया जाये।

स्पष्टीकरण—धारा-184 में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जो फर्म धारा-184 की इन आधारभूत शर्तों की पूर्ति कर देती हैं उस पर फर्म के रूप में ही कर-निर्धारण किया जाता है और जो फर्म इन आधारभूत शर्तों की पूर्ति नही करती, उस फर्म पर व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कर-निर्धारण किया जाता है।

हमारे अध्ययन का विषय फर्म ही है, व्यक्तियों का समुदाय नही है। अतः हम इस अध्याय में केवल उन फर्मों का ही अध्ययन करेंगे जो धारा-184 की आवश्यक शर्तों को पूरा कर देती हैं और जिन पर फर्म के रूप में ही कर-निर्धारण किया जाता है।

फर्म का स्टेट्स प्राप्त करने सम्बन्धी शर्तें

प्रत्येक ऐसी फर्म के लिए जो यह चाहती है कि उस पर फर्म के रूप में ही कर-निर्धारण किया जाये, धारा-184 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। ये शर्तें निम्नलिखित हैं—

(1) फर्म का निर्माण किसी प्रलेख द्वारा किया गया हो—फर्म का स्टेट्स प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि फर्म की स्थापना किसी प्रलेख द्वारा हुई है। प्रलेख से अभिप्राय साझेदारी संलेख से नहीं होता है बल्कि किसी भी ऐसे सलेख से होता है जो वैधानिक प्रकृति का हो तथा दायित्व उत्पन्न करता हो। यहाँ तक कि फर्म के पक्षकारों द्वारा फर्म की स्थापना आदि के सम्बन्ध में किये गये पत्र-व्यवहार को संलेख माना जा सकता है।

(2) उस प्रलेख में प्रत्येक साझेदार का व्यक्तिगत भाग प्रगट किया गया हो—जब तक सम्बन्धित प्रलेख में यह नहीं प्रगट किया जायेगा कि फर्म के लाभों में प्रत्येक साझेदार का कितना भाग होगा, तब तक उसे फर्म का स्टेट्स प्रदान नहीं किया जायेगा। साझेदारी प्रलेख में इस भाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। इसे संलेख के मुख्य भाग में प्रदर्शित करना चाहिये, सदर्भ के रूप में नहीं।

(3) आय के नक्शे के साथ संलेख की प्रमाणिक प्रतिलिपि संलग्न करना—फर्म की आय का प्रथम बार जो विवरण या नक्शा प्रस्तुत किया जाये उस नक्शे के साथ साझेदारी प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिये। यदि साझेदारी फर्म की व्यवस्था एक से अधिक प्रलेखों द्वारा प्रगट होती हो तो उन सभी प्रलेखों या संलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ आय के प्रथम नक्शे के साथ संलग्न की जानी चाहिये। यह प्रतिलिपि अवयस्क को छोड़कर सभी साझेदारों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिये। यदि फर्म के विघटन के बाद आय का नक्शा प्रस्तुत किया जाये तो यह उन सभी साझेदारों (अवयस्क को छोड़कर) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये जो विघटन के समय साझेदार थे। यदि किसी साझेदार की इस दौरान मृत्यु हो गई हो तो इसे उस मृतक साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।

अतिरिक्त शर्तें—अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति अनिवार्य नहीं है। इन शर्तों को विशेष दशाओं में ही पूरा करने की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में देखा जाये तो ये शर्तें स्टेट्स को बनाये रखने की शर्तें हैं। एक बार किसी फर्म को फर्म का स्टेट्स प्रदान कर दिया जाता है तो वह स्टेट्स आगे भी जारी रहता है और उसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु [illegible] क्त

[illegible] से

(1) फर्म के संविधान में परिवर्तन होने पर अथवा लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर प्रलेख की संशोधित प्रति प्रस्तुत किया जाना—यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गत वर्ष में फर्म के संविधान में परिवर्तन हो जाता है अथवा लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की आय का नक्शा प्रस्तुत करते समय संशोधित प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। फर्म के संविधान में परिवर्तन का अर्थ है कि एक या अधिक साझेदार फर्म को छोड़कर चले जायें अथवा एक या अधिक नये साझेदार सम्मिलित कर लिये जायें परन्तु एक या अधिक साझेदार ऐसे हों जो परिवर्तन के पूर्व साझेदार थे, बाद में भी साझेदार बने रहें। इसी प्रकार लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन का अर्थ है कि

फर्म के कुछ या सभी साझेदारों के लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाये परन्तु सभी साझेदार फर्म में बने रहें।

उपरोक्त परिवर्तन पर तो प्रलेख की संशोधित प्रति प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी परन्तु धारा-40 (b) की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए यदि साझेदारों को दिये जाने वाले ब्याज एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रावधानों में परिवर्तन होता है तब भी संशोधित प्रलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि आय के नक्शे के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संशोधित प्रति को भी मूल प्रति की तरह ही सभी साझेदारों द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाता है।

(2) फर्म धारा-144 में वर्णित असफलताओं सम्बन्धी कोई कार्य न करे—यदि कोई फर्म धारा-144 में वर्णित असफलताओं के लिए दोषी मान ली जाती है तो उसे सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का स्टेट्स प्रदान नहीं किया जायेगा तथा उस पर व्यक्तियों के समुदाय की तरह कर-निर्धारण किया जायेगा। अतः एक फर्म को धारा-144 में वर्णित असफलताओं से बचना चाहिये। ये असफलताएँ समय पर आय का नक्शा अथवा संशोधित नक्शा प्रस्तुत न करना, निर्धारण अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण से सम्बन्धित धारा-142 अथवा 143 की शर्तों का पालन न करना। परिणाम स्वरूप उस फर्म पर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में यदि किसी फर्म पर धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण करना पड़ता है तो उसे फर्म का स्टेट्स प्रदान नहीं किया जायेगा। अतः फर्म को इन असफलताओं से बचना चाहिये।

फर्म का निवास-स्थान (Residence of Firms)

फर्म का निवास-स्थान उसके प्रबन्ध एवं नियन्त्रण पर निर्भर करता है। यदि फर्म के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कोई अंश गत वर्ष में भारत में किसी स्थान पर स्थित है तो ऐसी फर्म गत वर्ष में भारत में निवासी होगी। परन्तु यदि किसी फर्म का सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियन्त्रण भारत के बाहर है तो ऐसी फर्म भारत में अनिवासी होगी। फर्म का निवास-स्थान मालूम करने के लिए फर्म के साझेदारों के निवास-स्थान का कोई महत्त्व नहीं है। इसी प्रकार फर्म के व्यापार का स्थान भी महत्त्वहीन है। फर्म का निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए तो केवल वह स्थान महत्त्वपूर्ण है, जहाँ से फर्म के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का कार्य होता है। प्रबन्ध एवं नियन्त्रण से अभिप्राय वास्तविक प्रबन्ध एवं नियन्त्रण से होता है। केवल प्रबन्ध एवं नियन्त्रण का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है।

सकल कुल आय की गणना

फर्म की सकल कुल आय की गणना भी ठीक उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से अन्य करदाताओं की की जाती है। आय के विभिन्न शीर्षकों वाले अध्यायों में फर्म से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। फर्म के लाभ-हानि खाते में भी आय-कर के दृष्टिकोण से उसी प्रकार संशोधन किया जाता है जैसा अन्य करदाताओं के लिए किया जाता है। परन्तु साझेदारों को फर्म के द्वारा दिये जाने वाले वेतन, ब्याज आदि से सम्बन्धित धारा-40 (b) के प्रावधान केवल फर्म पर ही लागू होते हैं अन्य करदाताओं पर नहीं। अतः ऐसे वेतन, ब्याज आदि भुगतानों को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने सम्बन्धी धारा-40 (b) के प्रावधानों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाना आवश्यक है। धारा-40 (b) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं—

एक फर्म द्वारा अपने साझेदारों को किये गये निम्न भुगतान अस्वीकृत होते हैं—

(i) किसी ऐसे साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक चाहे इस पारिश्रमिक को वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा अन्य किसी भी नाम से पुकारा जाये जो कार्यशील अथवा सक्रिय साझेदार नहीं है।

(ii) किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया ऐसा पारिश्रमिक अथवा किसी भी साझेदार को दिया गया ऐसा ब्याज जो साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार नहीं है अथवा साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत नहीं है।

(iii) किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया ऐसा पारिश्रमिक अथवा किसी भी साझेदार को दिया गया ऐसा ब्याज जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार है एवं उसके द्वारा अधिकृत है परन्तु जो इस साझेदारी संलेख की तिथि के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है तथा पूर्व के साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं उसके द्वारा अधिकृत नहीं है।

(iv) किसी भी साझेदार को ब्याज के रूप में किया गया ऐसा भुगतान जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं अधिकृत है तथा साझेदारी संलेख की तिथि के बाद की अवधि से ही सम्बन्धित भी है परन्तु जो 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक है।

(v) किसी कार्यशील साझेदार को दिया गया कोई पारिश्रमिक जो यद्यपि साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार एवं अधिकृत है तथा साझेदारी सलेख की तिथि के बाद की अवधि से सम्बन्धित है परन्तु गत वर्ष में समस्त साझेदारों को भुगतान की गई ऐसी राशि का योग नीचे वर्णित विधि से ज्ञात की गई कुल राशि से अधिक है—

(I) ऐसी फर्म की दशा में जो धारा-44 AA में उल्लिखित किसी पेशे के संचालन में अथवा उस धारा के लिये अधिसूचित पेशे के संचालन में लगी हुई है—

(अ) प्रथम 1,00,000 रु. के लाभों की दशा में अथवा हानि की दशा में	50,000 रु. अथवा लाभों का 90% जो भी अधिक हो
(ब) अगले 1,00,000 रु. के लाभों पर	लाभों का 60%
(स) शेष लाभों पर	लाभों का 40%।

(II) अन्य किसी फर्म की दशा में—

(अ) प्रथम 75,000 रु. के लाभों की दशा में अथवा हानि की दशा में	50,000 रु. अथवा लाभों का 90% जो भी अधिक हो
(ब) अगले 75,000 रु. के लाभों पर	लाभों का 60%
(स) शेष लाभों पर	लाभों का 40%

स्पष्टीकरण—(i) यदि कोई व्यक्ति फर्म में किसी अन्य व्यक्ति या सस्था के प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है तथा उसने अपनी व्यक्तिगत स्थिति में फर्म को ऋण दिया है तो इस ऋण पर फर्म द्वारा दिया गया ब्याज स्वीकृत कटौती होगी। परन्तु प्रतिनिधि के रूप में साझेदार को दिया गया ब्याज इस धारा की व्यवस्थाओं के अनुसार ही स्वीकृत किया जायेगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में निजी हैसियत में साझेदार है अर्थात् किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि के रूप में साझेदार नहीं है, परन्तु उस साझेदार को फर्म किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि के रूप में कोई ब्याज चुकाती है तो ऐसा ब्याज स्वीकृत कटौती होगा।

(iii) इस वाक्य के लिये 'पुस्तक लाभ' से अभिप्राय सम्बन्धित गत वर्ष के लाभ-हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ से है जिसकी गणना अध्याय IV-D में उल्लेखित तरीके से की गई हो। परन्तु यदि सभी साझेदारों को दिये गये अथवा देय पारिश्रमिक की राशि को यदि घटा दिया गया हो तो उसे वापस जोड़ दिया जायेगा।

(iv) इस वाक्य के लिये 'सक्रिय साझेदार' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो उस फर्म के व्यापार अथवा पेशे सम्बन्धी कार्यों के करने में जिसका वह सक्रिय साझेदार है, सक्रिय रूप से लगा हुआ हो।

साझेदारों को पारिश्रमिक का स्वीकृत किया जाना

धारा-40 (b) साझेदारों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों एवं सीमा का उल्लेख करती है जिसमें साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक स्वीकृत किया जाता है। सरल शब्दों में साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह निम्न प्रावधानों के अनुसार दिया गया है—

(1) सक्रिय साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक ही स्वीकृत होना—यदि पारिश्रमिक सक्रिय साझेदार को दिया जाये तो वह पारिश्रमिक स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि अन्य आवश्यक शर्तें पूरी हो जाये। सक्रिय साझेदार से आशय ऐसे साझेदार से होता है जो या तो व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है अथवा व्यवसाय सम्बन्धी लेन-देन करता है अथवा व्यवसाय का सामान्य दैनिक कार्य करता है। सक्रिय साझेदार होने के लिये किसी साझेदार का पूरे समय व्यापारिक कार्यों में लगे रहना आवश्यक नहीं है। परन्तु ऐसा कोई साझेदार जो व्यवसाय सम्बन्धी कोई ज्ञान नहीं रखता एवं जो पूँजी अथवा सम्बन्धों की वजह से ही साझेदार है अथवा जो व्यवसाय के कार्यों में कोई रूचि नहीं लेता वह सक्रिय साझेदार नहीं कहलायेगा।

(2) पारिश्रमिक साझेदारी सलेख द्वारा अधिकृत होना चाहिये—किसी भी सक्रिय साझेदार को दिया जाने वाला पारिश्रमिक स्वीकृत किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि वह पारिश्रमिक साझेदारी संलेख द्वारा अधिकृत हो। साथ ही यह पारिश्रमिक संलेख की शर्तों के अनुसार भी होना चाहिये।

(3) साझेदारी संलेख की तिथि के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित नही होना चाहिये—यह पारिश्रमिक जिस दिन साझेदारी संलेख प्रभाव में आता है उस तिथि के पूर्व की तिथि से सम्बन्धित होगा तो स्वीकृत नहीं किया जायेगा। साझेदारी संलेख की तिथि के बाद की तिथि का पारिश्रमिक ही स्वीकृत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक नही दिया जाना—यदि सक्रिय साझेदार को भी धारा-40 (b) में उल्लेखित सीमा से अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है तो उस सीमा से अधिक दिया गया पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इन सीमाओं का उल्लेख पीछे किया गया है। इन सीमाओं का निर्धारण लाभों के प्रतिशत के रूप में किया गया है। परन्तु धारा-40 (b) में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि लाभ कम हों अथवा हानि हो तब भी सक्रिय साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक 50,000 रु. तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ii) On 20 July, 1996 the firm pays an outstanding sales-tax liability of Rs 4 000 of the previous year 1995-96 and debited to P. & L account.

(iii) Brought forward business loss from the previous year 1995-96 is Rs. 40,000

Compute the remuneration deductible under section 40 (b).

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

(i) अन्य व्ययों में 50,000 रु. की राशि धारा-36, धारा-37 (1) एवं धारा-43 B के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है।

(ii) 20 जुलाई, 1996 को फर्म ने गत वर्ष 1995-96 के विक्रय कर दायित्व की 4,000 रु. की राशि का भुगतान किया है तथा इसे लाभ हानि खाते में नाम लिख दिया गया है।

(iii) गत वर्ष 1995-96 से 40,000 रु. की व्यापारिक हानि आगे लाई गई है।

धारा-40 (b) के तहत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of remuneration deductible under section 40 (b)

		Rs	Rs.
	Net profit as per profit and loss account		56,000
Add :	Expenses debited to Profit and Loss account but which are not deductible :		
	Remuneration to partners (considered separately)		1,00,000
	Interest to partners in excess of 18%		6,000
	Municipal taxes of house property		4,000
	Other expenses		50,000
			2,16,000
Less :	Incomes not taxable under this head :		
	Rent of property	40,000	
	Dividend	60,000	1,00,000
	Book Profits		1,16,000

Maximum amount deductible on account of remuneration to partners under section 40 (b) :

On first Rs. 75,000 @ 90%	67,500
On Balance of Rs. 41,000 @ 60%	24,600
	92,100

टिप्पणी—(i) पुस्तक लाभों की गणना करते समय आगे लाई गई व्यापारिक हानि को नहीं घटाया जाता है।

(ii) धारा-43 (B) के अन्तर्गत पिछले वर्ष के बकाया विक्रय कर दायित्व का भुगतान इस वर्ष भुगतान करने पर कटौती योग्य है। चूँकि इस राशि को लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में लिख दिया गया है, अतः इस राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है।

पुस्तक लाभों की गणना

पुस्तक लाभो की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

(i) लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ ज्ञात करना—सर्वप्रथम साझेदारी संस्था का लाभ-हानि खाता बनाकर लाभ ज्ञात करना चाहिये। लाभ ज्ञात करते समय केवल व्यापार का लाभ ही ज्ञात करना चाहिये। अन्य किसी आय को सम्मिलित नहीं करना चाहिये। यदि मकान *सम्पत्ति का किराया, लाभांश आदि की आय हो तो उसे अलग कर देना चाहिये। इसी प्रकार* इन आयों सम्बन्धी खर्चे भी अलग कर देना चाहिये।

(ii) इस लाभ को धारा-28 से 44 D तक की व्यवस्थाओं के अनुसार समायोजित करना—लाभ-हानि खाते के अनुसार ज्ञात लाभ को धारा-28 से धारा-44 D की व्यवस्थाओं के अनुसार समायोजित करना चाहिये। उदाहरण के लिये तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर 60,000 रु. व्यय किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में नाम लिख दिया गया। किन्तु यह व्यय-धारा 35 AB के अनुसार 6 किश्तों में स्वीकृत है। अत: गत वर्ष की एक किश्त को छोड़कर अगली 5 किश्तों की राशि 50,000 रु. को दिये हुये लाभों में वापस जोड दिया जायेगा। इसी प्रकार ह्रास आदि का लेखा करना।

(iii) साझेदारो को दिये गये पारिश्रमिक को वापस जोडना—*यदि साझेदारों को दिया* गया पारिश्रमिक लाभ-हानि खाते में नाम लिख दिया गया है तो उसे दिये हुए लाभ में जोड़ दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रकार से ज्ञात किये गये लाभ 'पुस्तक लाभ' होंगे। परन्तु इनकी गणना करते समय आगे लायी गई व्यापारिक हानियों को नहीं घटाना चाहिये तथा सकल कुल आय में से दी जाने वाली धारा-80 CCC से 80 U तक की कटौतियों को भी नहीं घटाना चाहिये।

Illustration 1.

Profit and Loss Account of M/s Ram Lal Shyam Lal for the year ending March 31, 1997 is as follows :

31 मार्च, *1997* को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये मैसर्स *रामलाल श्यामलाल* का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है—

	Rs		Rs.
Cost of goods sold	7,00,000	Sales	10,00,000
Remuneration to partners	1,00,000	Rent of house property	40,000
Interest to partners @ 20% on capital	60,000	Dividend	60,000
Municipal tax of house property	4,000		
Other expenses	1,80,000		
Net Profit	56,000		
	11,00,000		11,00,000

Other informations are as under :

(i) Out of other expenses, Rs. 50,000 is not deductible under section 36, 37 (1) and 43 B.

(ii) On 20 July, 1996 the firm pays an outstanding sales-tax liability of Rs. 4,000 of the previous year 1995-96 and debited to P. & L account.

(iii) Brought forward business loss from the previous year 1995-96 is Rs. 40,000.

Compute the remuneration deductible under section 40 (b).

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

(i) अन्य व्ययों में 50,000 रु. की राशि धारा-36, धारा-37 (1) एवं धारा-43 B के अन्तर्गत कटौती योग्य नही है।

(ii) 20 जुलाई, 1996 को फर्म ने गत वर्ष 1995-96 के विक्रय कर दायित्व की 4,000 रु. की राशि का भुगतान किया है तथा इसे लाभ हानि खाते में नाम लिख दिया गया है।

(iii) गत वर्ष 1995-96 से 40,000 रु. की व्यापारिक हानि आगे लाई गई है।

धारा-40 (b) के तहत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of remuneration deductible under section 40 (b)

		Rs.	Rs
	Net profit as per profit and loss account		56,000
Add :	Expenses debited to Profit and Loss account but which are not deductible :		
	Remuneration to partners (considered separately)		1,00,000
	Interest to partners in excess of 18%		6,000
	Municipal taxes of house property		4,000
	Other expenses		50,000
			2,16,000
Less :	Incomes not taxable under this head :		
	Rent of property	40,000	
	Dividend	60,000	1,00,000
		Book Profits	1,16,000

Maximum amount deductible on account of remuneration to partners under section 40 (b) :

On first Rs. 75,000 @ 90%	67,500
On Balance of Rs. 41,000 @ 60%	24,600
	92,100

टिप्पणी—(i) पुस्तक लाभों की गणना करते समय आगे लाई गई व्यापारिक हानि को नही घटाया जाता है।

(ii) धारा-43 (B) के अन्तर्गत पिछले वर्ष के बकाया विक्रय कर दायित्व का भुगतान इस वर्ष भुगतान करने पर कटौती योग्य है। चूँकि इस राशि को लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में लिख दिया गया है, अतः इस राशि का कोई समायोजन नहीं किया गया है।

	Expenses	15,000	91,000
			41,000
Less :	Depreciation allowable but not debited (Rs. 32,000 – Rs. 30,000)		2,000
		Book Profits	39,000

Maximum amount deductible on account of remuneration to partners under section 40 (b).

90% of Rs. 39,000 or Rs. 50,000 whichever is more.

Hence Rs. 50,000 will be deducted under section 40 (b).

Computation of Total Income of the firm

Book Profits	39,000
Less : Remuneration to partners	50,000
Loss to be carried forward by firm	(-) 11,000

टिप्पणी—(i) ह्रास की राशि स्वीकृत राशि से कम राशि ही लाभ-हानि खाते में नाम लिखी गई थी, अतः शेष राशि अब लाभ-हानि खाते में नाम लिख दी गई है।

(ii) यदि लाभ कम हों और साझेदारों को वास्तव में पारिश्रमिक दिया जाये तो बिना लाभों के भी 50,000 रु. तक की राशि धारा-40 (b) के तहत कटौती-योग्य होती है। इस कारण फर्म का पुस्तक लाभ (Book Profit) हानि में बदल जायेगा और यदि पहले से हानि है तो हानि की राशि बढ़ जायेगी। इसे फर्म अगले वर्ष आगे ले जाकर पूरा करेगी। परन्तु धारा-40 (b) के उद्देश्यों के लिये अगले वर्ष पुस्तक लाभों की गणना करते समय इस हानि को नहीं घटाया जायेगा।

(iii) ब्याज की अधिकतम राशि पूँजी के 18% तक ही कटौती योग्य है। शेष राशि को वापस जोड़ दिया गया है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी—साझेदारों को फर्म द्वारा दिये गये पारिश्रमिक की कटौती-योग्य राशि की सीमा धारा-40 (b) में दी गई है। परन्तु यदि निर्धारण अधिकारी इस कटौती-योग्य राशि को अत्यधिक एवं अनुचित समझे तो वह इस कटौती-योग्य राशि के किसी भाग को धारा-40 A (2) के तहत अस्वीकृत कर सकता है। चूँकि निर्धारण अधिकारी इस प्रावधान का प्रयोग करदाताओं को परेशान करने के लिए भी कर सकते हैं, अतः वित्त मन्त्री ने संसद को अपने बजट भाषण के दौरान यह आश्वासन दिया था कि इस प्रावधान द्वारा करदाताओं को परेशान नहीं होने दिया जायेगा। साथ ही सरकार ने निर्धारण अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी किये हैं कि वे छोटी फर्मों के लिये इस प्रावधान को लागू नहीं करें तथा बड़ी फर्मों के लिये भी इसे कभी-कभी ही लागू करें, आम तौर पर लागू नहीं करें।

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना

कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से फर्म स्वयं अपनी हानियों को आगे ले जाकर पूरा करेगी और साझेदारों को ऐसी फर्म की हानि में अपने हिस्से को अन्य आय से पूरा करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु यदि हानि कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 अथवा पूर्व के किसी वर्ष की हो तो इसकी पूर्ति निम्न प्रकार होगी—

(i) यदि फर्म अनरजिस्टर्ड थी तो अपनी हानियों को फर्म स्वयं आगे ले जाकर पूरा करती थी। अतः 1992-93 अथवा पूर्व के कर-निर्धारण वर्ष की हानि फर्म आगे लाती है तो कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 में अथवा आगे के वर्षों में धारा-70 से 74 A तक की व्यवस्थाओं के अनुसार फर्म स्वयं ही पूरा करेगी बशर्ते कि फर्म के संविधान में परिवर्तन नहीं हो। यदि फर्म के संविधान में परिवर्तन हो जाता है तो बाहर जाने वाले साझेदार के हिस्से की हानि को भी फर्म पूरा नहीं कर सकेगी। परन्तु यदि गत वर्ष में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की कोई आय है तो फर्म उस साझेदार के हिस्से की हानि को उसकी आय की सीमा तक पूरा कर सकेगी।

(ii) यदि फर्म रजिस्टर्ड थी तथा उसको 1 अप्रैल, 1992 को अथवा इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले वर्ष में हानि थी जो फर्म की किसी अन्य आय से पूरी नहीं हो सकी थी तो इसे साझेदारों में अनुभाजित कर दिया जाता था। यदि साझेदार ऐसी हानि की पूर्ति 1 अप्रैल,1993 को प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष के पूर्व नहीं कर सका हो तो ऐसी हानि को भी कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से फर्म के लाभों से पूरा किया जा सकेगा बशर्ते कि वह साझेदार फर्म में साझेदार बना रहता है। फर्म धारा-70 से 74 A तक की व्यवस्थाओं के अधीन अपनी ऐसी हानियों की पूर्ति कर सकेगी।

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियाँ

फर्म की कुल आय की गणना करते समय निम्न कटौतियाँ स्वीकृत हैं। इनका विस्तृत विवरण अध्याय 12 में दिया गया है—

1. पुण्यार्थ दानों के सम्बन्ध में (धारा-80-G)
2. वैज्ञानिक अनुसंधान के दानों के सम्बन्ध में (धारा-80-GGA)
3. पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के सम्बन्ध में (धारा-80-HH)
4. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित लघु उद्योगों के लाभ (धारा-80-HHA)
5. विदेशी योजना के लाभों के सम्बन्ध में (धारा-80-HHB)
6. निर्यात विक्री के सम्बन्ध में (धारा-80-HHC)
7. परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा के रूप में आय के सम्बन्ध में (धारा-80-HHD)
8. कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात व्यापार के लाभ (धारा-80-HHE)
9. नवीन उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में (धारा-80-I या 80-IA)
10. मुर्गीपालन के व्यवसाय के लाभों के सम्बन्ध में (धारा-80-JJ)
11. कुछ विदेशी उपक्रमों से प्राप्त रॉयल्टी आदि के सम्बन्ध में (धारा-80-O)

फर्म के कर-निर्धारण से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण बातें

फर्म के कर-निर्धारण से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं—

(i) फर्म के लिये न्यूनतम कर-योग्य आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फर्म को हर हालत में कर चुकाना पड़ेगा, चाहे उसकी आय कितनी ही कम क्यों न हो।

(ii) फर्म को अपनी कुल आय पर एक ही दर से कर चुकाना पड़ता है। यह दर वर्तमान में 40% है।

(iii) साझेदार को फर्म से प्राप्त आय कर मुक्त होती है।

(iv) साझेदार को फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक एवं ब्याज की आय पर व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में कर लगाया जायेगा बशर्ते की यह ब्याज एवं पारिश्रमिक फर्म की कुल आय की गणना करते समय घटा दिया गया हो।

फर्म द्वारा देय कर की गणना

फर्म अपनी आय पर 40% की दर से कर देती है। फर्म के लिये कोई न्यूनतम कर मुक्त सीमा नहीं है।

दीर्घकालीन पूँजी लाभ की सम्पूर्ण राशि पर 20% की दर से कर लगाया जाता है।

लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल, जुआ एवं शर्त में जीती गई आय पर 40% की दर से कर लगाया जाता है।

स्पष्टीकरण—(i) फर्म को धारा 88 की छूट नहीं मिलती है।

(ii) फर्म के लिये कृषि आय कर मुक्त होती है।

फर्म की आय में साझेदार के भाग की गणना

फर्म से साझेदार को प्राप्त हिस्सा कर मुक्त होता है। परन्तु साझेदार को फर्म से प्राप्त पूँजी का ब्याज एवं पारिश्रमिक चाहे उस पारिश्रमिक को वेतन, बोनस, कमीशन, फीस किसी भी नाम से पुकारा जाये कर-योग्य होता है बशर्ते कि फर्म की कुल आय की गणना करते समय इन व्ययों की कटौती दे दी गई हो। अन्य शब्दों में साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक एवं ब्याज जिस सीमा तक फर्म के लिये कटौती-योग्य होता है, उस सीमा तक ही साझेदारों के लिये यह कर-योग्य होता है। साझेदारों पर इस आय पर व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में कर लगाया जाता है। साझेदार को ऐसी आय के सम्बन्ध में निम्न कटौतियाँ प्राप्त हो सकती हैं—

(i) यदि साझेदार ने कोई रकम ब्याज पर उधार लेकर फर्म में लगाई है तो भुगतान किये गये ब्याज की कटौती प्राप्त हो सकती है।

(ii) यदि साझेदार को कोई न्यूनतम शेष अपने पूँजी खाते मे रखना आवश्यक हो परन्तु कोई साझेदार इस न्यूनतम शेष को कायम नही रख पाये तो उसे कमी की राशि पर फर्म को ब्याज देना पड़ता है। इस ब्याज की कटौती प्राप्त ब्याज एवं पारिश्रमिक की आय में से दे दी जाती है।

परन्तु यदि कोई साझेदार अपने निजी व्ययों के लिये अथवा आय-कर के अग्रिम भुगतान के लिये कोई रकम आहरित करता है तो ऐसी आहरित रकम पर देय ब्याज के सम्बन्ध में कटौती नहीं दी जायेगी।

(iii) अन्य कोई व्यय जो फर्म से ब्याज एवं पारिश्रमिक के रूप में आय कमाने के लिये किया गया हो। जैसे कार रखने पर कार को रखने के व्यय (उचित ह्रास सहित) घटाये जा सकते हैं।

(iv) ऐसी आय कमाने के लिये यात्रा पर किया गया व्यय।

Illustration 3.

X and Y are partners in a firm They share profit or loss in the ratio 2 : 1. From the following profit and loss account compute the total income of the firm and the amount which will be included in the income of partners:

एक्स एवं वाई एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ-हानि 2 : 1 में विभाजित करते हैं। निम्नलिखित लाभ-हानि खाते से फर्म की कुल आय की तथा साझेदारों की आय में शामिल की जाने वाली राशि की गणना कीजिए .

Profit and Loss Account

	Rs		Rs.
To Interest on Capital		By Business Profits	50,000
@ 21% X	12,600	By Short term Capital	
Y	8,400	gains	14,000
To Remuneration to		By Dividend (gross)	5,000
working partners		By Loss	
X	36,000	X	8,000
Y	24,000	Y	4,000
	81,000		81,000

The interest on Capital and the remuneration paid to working partners are in accordance with the instrument of partnership.

सक्रिय साझेदारों को दिया गया पूँजी पर ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारी प्रलेख के अनुसार ही है।

Solution :

Computation of Business Income

	Rs.	Rs.
Business Profits		50,000
Less : Interest on Capital Maximum allowed @ 18% p.a.		
X	10,800	
Y	7,200	18,000
Book Profits		32,000
Less : Remuneration to working partners. upto book-profit of Rs. 75,000 90% of book-profit or Rs. 50,000 (whichever is more) but restricted to the amount provided in instrument of partnership		50,000
Business Loss		18,000

Computation of Total Income of the Firm

Short term Capital gain	14,000
Income from other sources (dividend)	5,000
	19,000
Less : Business loss	18,000
Total income of the firm	1,000

Computation of Income of Partners from Firm

	X	Y
	Rs.	Rs.
Interest (To the extent deducted in the computation of income of firm)	10,800	7,200
Remuneration	30,000	20,000
Profit and gains of business or profession	40,800	27,200

टिप्पणी—(i) स्वीकृत ब्याज की राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है—

$$X = \text{Rs. } 12{,}600 \times \frac{18}{21} = \text{Rs. } 10{,}800$$

$$Y = \text{Rs. } 8{,}400 \times \frac{18}{21} = \text{Rs. } 7{,}200$$

(ii) यदि लाभ कम हों अथवा नहीं हों तब भी साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक 50,000 रु. तक स्वीकृत हो सकता है बशर्ते कि साझेदारी प्रलेख में इतनी राशि के भुगतान का प्रावधान हो।

(iii) फर्म अपनी 1,000 रु. की आय पर 40% की दर से कर देगी।

(iv) साझेदारों की फर्म से आय की गणना करते समय साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक वास्तविक भुगतान से कम होने के कारण उनके पारिश्रमिक के अनुपात में विभाजित किया गया है।

Illustration 4.

X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of X $\frac{1}{2}$; Y $\frac{1}{3}$ and Z $\frac{1}{6}$. The firm's Profit and Loss account for the year ending on 31st March, 1997 showed a net profit of Rs 50,000 after debiting the following amounts :—

(i) Salary of Rs. 40,000 paid to X who is a sleeping partner in the firm.

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible]

(v) Interest on Capital Rs. 4,000, Rs. 2,000 and Rs 3,000 paid to X, Y and Z respectively.

(vi) Rs. 10,000 paid to Y on account of rent for the portion of the building owned by him which is used for firm's office.

(vii) Donation to approved institution Rs 20,000

The net profit includes Rs. 10,000 being interest received from Government securities (Gross). The remuneration to partners and interest on capital are as per instrument of partnership.

Compute the total income of the firm for the assessment year 1997-98 and calculate the tax payable.

एक्स, वाई और जैड एक फर्म में साझेदार हैं जो कि X$\frac{1}{2}$; Y$\frac{1}{3}$ और Z $\frac{1}{6}$ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्नलिखित धनराशियों को नाम लिखने के पश्चात् 50,000 रु. का शुद्ध लाभ दर्शाता है :

(i) एक्स जो एक निष्क्रिय साझेदार है को वेतन का भुगतान 40,000 रु.।
(ii) एक पेटेन्ट अधिकार क्रय करने हेतु 42,000 रु. का भुगतान।
(iii) साझेदारी संलेख के व्यय 2,000 रु.।
(iv) वाई को भुगतान किया हुआ विक्रय पर कमीशन 70,000 रु.।
(v) एक्स, वाई और जैड को भुगतान किया गया पूँजी पर ब्याज क्रमशः 4,000 रु., 2,000 रु. और 3,000 रु.।
(vi) वाई के स्वामित्त्व वाले भवन के उस भाग के लिए वाई को भुगतान किया गया किराया जिसमें फर्म का कार्यालय स्थित है, 10,000 रु.।
(vii) अनुमोदित संस्थाओं को दान 20,000 रु.।

फर्म के शुद्ध लाभ में सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त सकल ब्याज के 10,000 रु. सम्मिलित हैं। साझेदारों का पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अन्तर्गत ही दिया गया है।

1997-98 निर्धारण वर्ष के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिये तथा फर्म द्वारा देय कर भी ज्ञात कीजिये। (Raj. Uni. B. Com., 1995)

Solution : Computation of Total Income of the Firm for the Assessment Year 1997-98

		Rs.	Rs.
1. Income from Business & Profession			
Net profit as per P & L. A/c		50,000	
Add : Expenses disallowed :			
Salary to X	40,000		
Patent right expenses	39,000		
Partnership deed expenses	2,000		
Commission to Y	70,000		
Donation	20,000	1,71,000	
		2,21,000	
Less : [illegible] under this head :		10,000	
		2,11,000	
Less : Remuneration allowable to partners : Actual remuneration being less than allowable u/s 40(b)		70,000	1,41,000
2. Income from Other Sources :			
Interest on Government Securities			10,000
Gross Total Income			1,51,000
Less : Deduction u/s 80-G 50% of Rs. 15,100			7,550
Total Income			1,43,450

Tax payable by the firm

On Rs 1,43,450 @ 40% = Rs. 57,380

Illustration 5.

Ramesh and Suresh are equal partners in a firm. The profit and loss account of the firm for the year ending as on 31st March, 1997 is as under :

रमेश एवं सुरेश एक फर्म में समान साझेदार हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है :

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
To Interest on Capital @ 18%		By Business Profits	2,40,000
Ramesh	18,000	By Income from house property	16,000
Suresh	27,000	By Profit on sale of shares	20,000
To Remuneration to working partners :			
Ramesh	60,000		
Suresh	36,000		
To Donation to Public Charitable Trust	20,000		
To Share of Profit :			
Ramesh	57,500		
Suresh	57,500		
	2,76,000		2,76,000

The other informations are as under :

1. The remuneration and interest on capital are as per instrument of partnership.

2. Ramesh paid interest to the firm on drawings, for the marriage expenses of his daughter Rs. 20,000.

3. Suresh paid an interest of Rs. 30,000 on money borrowed from a money lender to contribute capital in the firm.

4. Shares sold during the previous year were purchased in June, 1990 for Rs. 18,200.

Compute the total income of the firm and the amount which will be included in the income of partners for the assessment year 1997-98.

अन्य सूचनायें निम्नलिखित है—

1. साझेदारों को पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी प्रलेख के अनुसार ही है।

2. रमेश ने अपनी पुत्री के विवाह के खर्चों के लिए फर्म से आहरण किया तथा फर्म को 20,000 रु. के ब्याज का भुगतान किया।

3. सुरेश ने फर्म में पूँजी का अंशदान करने के लिये साहूकार से ऋण लिया तथा उसे 30,000 रु. के ब्याज का भुगतान किया।

4. गत वर्ष में बेचे गये अंश जून, 1990 में 18,200 रु. में क्रय किये गये थे।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा साझेदारों की आय में सम्मिलित की जाने वाली रकम की भी गणना कीजिए।

Solution : Computation of Business Income of the Firm

		Rs.	Rs.
Business Profit			2,40,000
Less :	Interest on Capital :		
	Ramesh	18,000	
	Suresh	27,000	45,000
	Book Profits		1,95,000
Less :	Remuneration to working partners :		
	(i) on first Rs. 75,000 @ 90%	67,500	
	(ii) on next Rs. 75,000 @ 60%	45,000	
	(iii) on balance Rs. 45,000 @ 40%	18,000	
		1,30,500	
	or The amount paid as per instrument (whichever is less)	96,000	96,000
	Business Income		99,000

Computation of Total Income of the Firm

	Rs.	Rs.	Rs
Income from house property			16,000
Business Income			99,000
Income from Capital gain :			
Sale price of shares		38,200	
Less : Cost of acquisition	18,200		
Indexed cost of acq. (18,200 × 305 ÷ 182)		30,500	7,700
Gross Total Income			1,22,700
Less : Deduction u/s 80 G @ 50% on Rs. 11,500			5,750
Total Income,			1,16,950

Share of Ramesh Rs 58,475 and Suresh Rs. 58,475

Computation of Income of Partners

		Ramesh	Suresh
Interest		18,000	27,000
Remuneration in the ratio 5 : 3		60,000	36,000
Share in total income of the firm exempt u/s 10 (2A)		—	—
	(a)	78,000	63,000
Less : Expenses : Interest		—	30,000
		78,000	33,000

टिप्पणी—(i) व्यक्तिगत व्ययों के लिये ऋण के ब्याज का भुगतान कटौती-योग्य नहीं होता है।

(ii) दानों की राशि सकल कुल आय के 10% तक ही कटौती-योग्य होगी। सकल कुल आय में इस आशय के लिये दीर्घकालीन पूँजी लाभ को घटा दिया जायेगा। इस प्रकार $1,22,700 - 7,700 = 1,15,000 \times \frac{10}{100} = 11,500$ रु. ही कटौती-योग्य है जिसकी 5,750 रु. की कटौती दी गई है।

Illustration 6.

A and B are two partners of A & Co., sharing profit and loss in the ratio 5 : 3 The concern is a partnership firm engaged in printing and publishing books since 1 June, 1991. The profit and loss account of the firm for the year ending March 31, 1997 is as follows :

ए एण्ड कम्पनी के ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभ-हानि को 5 : 3 में विभाजित करते हैं। यह संस्था एक साझेदारी फर्म है जो 1 जून, 1991 से पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य में लगी हुई है। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न है :

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
Cost of goods sold	3,00,000	Sales	5,00,000
Salaries to staff	50,000	Short term Capital gain	10,000
Depreciation	50,000	Dividends	20,000
Remuneration to partners :		Net Loss :	
A (Working)	36,000	A	62,500
B (Sleeping)	24,000	B	37,500
Interest on Capital :			
A @ 18%	9,000		
B @ 21%	42,000		
Other expenses	25,000		
Loss from let out house property	8,000		
Long term Capital loss	86,000		
	6,30,000		6,30,000

The other informations are as under :

1. The remuneration and interest on capital are as per partnership deed.

2. The firm has [illegible]

3. Depreciation as per section 32 is allowable to the extent of Rs. 60,000.

4. The firm satisfies all the conditions required for the deduction of sec. 80 I but it is not eligible for the deduction of sec. 80 HH or 80 HHA.

5. A purchased a car for Rs. 1,40,000 in July, 1996. The car is used for *going to and coming back from the firm* and other personal purposes. The use of car for personal purposes may be taken as 50% The expense on running and maintaining the car for the year are Rs. 10,000

6. A and B paid Rs. 5,000 and Rs. 15,000 respectively on money *borrowed to contribute capital in the firm.*

Compute the total income of the firm and the amount which will be included in the income of A & B for the assessment year 1997-98.

अन्य सूचनाएँ निम्न हैं—

1. पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अनुसार ही है।

2. फर्म ने राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु 10,000 रु. का दान दिया है तथा इस राशि को अन्य व्ययों में सम्मिलित कर लिया गया है तथा इस प्रकार यह राशि लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में लिख दी गई है।

3. धारा-32 के अनुसार ह्रास की स्वीकृत-योग्य राशि 60,000 रु. है।

4. फर्म धारा-80 I की कटौती की आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करती है परन्तु यह धारा-80 HH अथवा धारा-80 HHA की कटौती की पात्रता नहीं रखती है।

5. ए ने जुलाई, 1996 में एक कार 1,40,000 रु. में खरीदी। कार का प्रयोग फर्म पर जाने-आने के लिये तथा अन्य निजी कार्यों के लिये किया जाता है। कार के प्रयोग का 50% भाग निजी कार्यों के लिये माना जा सकता है। कार को रखने एव चलाने के वर्ष भर के व्यय 10,000 रु. माने जा सकते हैं।

6. ए और बी ने क्रमशः 5,000 रु. एवं 15,000 रु. का ब्याज फर्म में पूँजी का अंशदान करने के लिए उधार ली गई रकम पर दिया है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय एवं प्रत्येक साझेदार की आय में सम्मिलित की जाने वाली राशि को गणना कीजिए।

Solution :

Computation of remuneration deductible u/s 40 (b)

	Rs.	Rs.
Net profit as per P. & L. A/c (Rs. 62,500 + Rs. 37,500)		(-) 1,00,000
Add : Expenses disallowed :		
(i) Remuneration to partners (entire amount) (Rs. 36,000 + Rs. 24,000)		60,000
[illegible] capital (to the extent not [illegible]		6,000
[illegible]		10,000
[illegible]		8,000
(iv) Loss from property		86,000
(v) Long term capital loss		70,000
Less : Income not taxable under this head :		
(i) Short term capital gain	10,000	

(ii) Dividends		20,000	30,000
			40,000
Less : Depreciation allowable but not debited			10,000
		Book Profits	30,000
Remuneration deductible : on Rs. 30,000 @ 90% = Rs. 27,000 or Rs. 50,000 (whichever is more) But restricted to the remuneration actually given to working partners			36,000

Computation of Total Income of the firm

Income from House property :			
Income from let out house			(-) 8,000
Income from Business & Profession :			
Book profits	30,000		
Less : Remuneration deductible	36,000		(-) 6,000
Income from Capital gains :			
(a) Short term capital gain		10,000	
(b) Long term capital gain		(-) 86,000	
		(-) 76,000	
Income from other sources :			
Dividends			20,000
		Gross Total Income	6,000
Less : Deductions :			
(i) Deduction u/s 80-I		—	
(ii) Deduction u/s 80-G 100% on Rs. 600			600
		Total Income	5,400

Computation of Income of Partners from Firm

		A	B
Interest (To the extent deducted in computing total income of firm)		9,000	36,000
Remuneration (To the extent deducted in computing total income of firm)		36,000	—
Share in total income of the firm exempt u/s 10 (2 A)		—	—
	(a)	45,000	36,000
Less : Expenses :			
(i) Interest		5,000	15,000
(ii) Car expenses		19,000	—
	(b)	24,000	15,000
Profit from business (a) – (b)		21,000	21,000

Interest on Capital @ 24% :			
X Rs. 6,000			
Y Rs. 9,000	15,000		
Net Profit	8,000		
	3,23,000		3,23,000

Other Information is as under :

(1) There was no provision in the partnership deed on 1-4-1996 for payment of interest on capital and salary to partners. On 1st June, 1996 the partnership deed was amended. Accordingly with effect from 1-4-1996 salary of Rs. 4,000 per month was allowed to X and salary of Rs. 6,000 per month was allowed to Y and interest on capital was allowed @ 24% per annum to each partners.

(2) During the financial year 1996-97 a long term capital asset was sold by the firm and on the cost inflated indices a long term capital gain of Rs 1,75,000 was computed.

On the basis of the above information compute the total income and tax liability of the firm.

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स की एक फर्म में दो साझेदार एक्स तथा वाई हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस फर्म का आय-व्यय खाता अग्र प्रकार है :

	रु.		रु.
कार्यालय व्यय	1,10,000	ग्राहकों से प्राप्तियाँ	3,23,000
कर्मचारियों का वेतन	70,000		
X का वेतन	48,000		
Y का वेतन	72,000		
पूँजी पर ब्याज 24% की दर से :			
X 6,000 रु.			
Y 9,000 रु.	15,000		
शुद्ध लाभ	8,000		
	3,23,000		3,23,000

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार है :

(1) 1 अप्रैल, 1996 को साझेदारी संलेख में साझेदारों को पूँजी पर ब्याज तथा वेतन देने की कोई व्यवस्था नही थी, किन्तु 1 जून, 1996 को साझेदारी सलेख में संशोधन किया गया। इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1996 से X को 4,000 रु. प्रति माह तथा Y को 6,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में तथा पूँजी पर 24 % वार्षिक की दर से ब्याज के रूप में देना निश्चित हुआ।

(2) वित्तीय वर्ष 1996-97 में फर्म द्वारा एक दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति बेची गई तथा उस पर लागत स्फीति सूचकांकों के आधार पर 1,75,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभों की गणना की गई।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना कीजिए।

(M.D.Uni. B. Com., 1997)

टिप्पणी—(i) साझेदारों को यदि लाभ कम होते हैं अथवा हानि होती है तब भी सक्रिय साझेदारों को 50,000 रु. तक का पारिश्रमिक दिया जा सकता है। अत: 30,000 रु. के पुस्तक लाभ होने पर भी A को 36,000 रु. का पारिश्रमिक दे दिया गया है और फर्म को व्यापार अथवा पेशे से 6,000 रु. की हानि हुई है।

(ii) किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति की हानि अन्य आय से पूरी की जा सकती है।

(iii) दीर्घकालीन पूँजी हानि का कुछ भाग अल्पकालीन पूँजी-लाभ से पूरा कर लिया गया है परन्तु शेष दीर्घकालीन पूँजी-हानि अन्य किसी आय से पूरी नही हो सकती है।

(iv) साझेदारों को ब्याज 18% से अधिक की दर से दिया जाये तो आधिक्य वाली राशि अस्वीकृत होती है।

(v) निष्क्रिय साझेदार को दिया गया पारिश्रमिक अस्वीकृत होता है।

(vi) फर्म धारा-80 I की कटौती प्राप्त नहीं कर सकी है, क्योंकि फर्म को व्यापार अथवा पेशे से 6,000 रु. की हानि हुई है। इस धारा की कटौती सकल कुल आय में सम्मिलित किये गये लाभों के प्रतिशत के रूप में दी जाती है।

(vii) धारा-80 G की कटौती समायोजित सकल कुल आय के 10% के सम्बन्ध में ही दी जाती है। सकल कुल आय 6,000 रु. है। अत: 80 G के तहत सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिये दिये गये दानों के सम्बन्ध में 6,000 रु. का 10% = 600 रु. की राशि ही कटौती योग्य है। इस राशि के 100% की कटौती दी गई है।

(viii) फर्म को लाभांश के सम्बन्ध में धारा 80-L की कटौती नही दी जाती है।

(ix) साझेदार की फर्म से आय की गणना करते समय फर्म में पूँजी लगाने के लिये उधार ली गई रकम पर दिया गया ब्याज स्वीकृत व्यय है।

(x) फर्म जाने-आने के लिये कार रखने का व्यय स्वीकृत खर्चा है। इसकी गणना निम्न प्रकार की गई है—

(a) ह्रास के सम्बन्ध में—
$\frac{1}{2}$(Rs. 1,40,000 × $\frac{20}{100}$) = 14,000

(b) चलाने के व्ययों के सम्बन्ध में—
(Rs. 10,000 × $\frac{1}{2}$) = 5,000

19,000

(xi) साझेदार को फर्म से प्राप्त लाभ का हिस्सा कर मुक्त होता है।

Illustration 7.

There are two partners X & Y in a firm of chartered accountants. The income and expenditure account of the firm for the year ended 31st March, 1997 is as under :

	Rs.		Rs.
Office Expenses	1,10,000	Receipts from Clients	3,23,000
Salary to Employees	70,000		
Salary to X	48,000		
Salary to Y	72,000		

Interest on Capital @ 24% ·			
X Rs. 6,000			
Y Rs. 9,000	15,000		
Net Profit	8,000		
	3,23,000		3,23,000

Other Information is as under ·

(1) There was no provision in the partnership deed on 1-4-1996 for payment of interest on capital and salary to partners. On 1st June, 1996 the partnership deed was amended. Accordingly with effect from 1-4-1996 salary of Rs. 4,000 per month was allowed to X and salary of Rs 6,000 per month was allowed to Y and interest on capital was allowed @ 24% per annum to each partners.

(2) During the financial year 1996-97 a long term capital asset was sold by the firm and on the cost inflated indices a long term capital gain of Rs. 1,75,000 was computed.

On the basis of the above information compute the total income and tax liability of the firm.

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स की एक फर्म में दो साझेदार एक्स तथा वाई हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस फर्म का आय-व्यय खाता अग्र प्रकार है ·

	रु.		रु.
कार्यालय व्यय	1,10,000	ग्राहकों से प्राप्तियाँ	3,23,000
कर्मचारियों का वेतन	70,000		
X का वेतन	48,000		
Y का वेतन	72,000		
पूँजी पर ब्याज 24% की दर से :			
X 6,000 रु.			
Y 9,000 रु.	15,000		
शुद्ध लाभ	8,000		
	3,23,000		3,23,000

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार है :

(1) 1 अप्रैल, 1996 को साझेदारी संलेख में साझेदारों को पूँजी पर ब्याज तथा वेतन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु 1 जून, 1996 को साझेदारी संलेख में संशोधन किया गया। इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1996 से X को 4,000 रु. प्रति माह तथा Y को 6,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में तथा पूँजी पर 24 % वार्षिक की दर से ब्याज के रूप में देना निश्चित हुआ।

(2) वित्तीय वर्ष 1996-97 में फर्म द्वारा एक दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति बेची गई तथा उस पर लागत स्फीति सूचकांकों के आधार पर 1,75,000 रु. के दीर्घकालीन पूँजी लाभों की गणना की गई।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म की कुल आय तथा कर दायित्व की गणना कीजिए।

(M.D.Uni. B. Com., 1997)

Solution : **Computation of Income from Profession of the firm for the A.Y. 1997-98**

		Rs.	Rs.
Net Profit as per Income & Expenditure Account of the firm			8,000
Add :	Items disallowed ·		
	Salary to partners	1,20,000	
	Interest on capital (only excess amount)		
	X · (6,000 – 3,750)	2,250	
	Y : (9,000-5,625)	3,375	1,25,625
	Balance being Book Profits		1,33,625
Less · Remuneration to partners			91,813
	Profits from Profession		41,812

Computation of the Total Income of the firm for the A.Y. 1997-98

1. Profit from Profession	41,812
2. Capital Gains (Long term)	1,75,000
Gross Total Income	2,16,812
Less : Deductions	—
Total Income	2,16,812
Total Income rounded off	2,16,810

Computation of Tax Liability of the firm for the A.Y. 1997-98

Tax on long term Capital gain on Rs. 1,75,000 @ 20%	35,000
Tax on reduced total income on Rs. 41,810 @ 40%	16,724
Tax payable by the firm	51,724

टिप्पणी—(1) साझेदारों की पूँजी पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती के लिये स्वीकृत राशि निम्न प्रकार ज्ञात की गई है—

(i) साझेदारों की पूँजी :

$$X = 6,000 \times \frac{100}{24} = 25,000$$

$$Y = 9,000 \times \frac{100}{24} = 37,500$$

(ii) पूँजी पर 18% की दर से 10 माह का ब्याज :

$$X = 25,000 \times \frac{18}{100} \times \frac{10}{12} = 3,750$$

$$Y = 37,500 \times \frac{18}{100} \times \frac{10}{12} = 5,625$$

चूँकि साझेदारी संलेख में पूँजी एवं ब्याज की व्यवस्था 1 जून से की गई थी, अतः पूँजी पर ब्याज 10 माह के लिये ही स्वीकृत किया गया है।

(2) साझेदारों को पारिश्रमिक की स्वीकृत राशि निम्न प्रकार ज्ञात की गई है ·

साझेदारों के पारिश्रमिक की गणना के लिये पुस्तक लाभ 1,33,625 रु. है। प्रथम 1,00,000 रु. पर 90% से 90,000 रु. एवं शेष 33,625 का 60% = 20,175 रु., इस प्रकार कुल कटौती के लिये स्वीकृत राशि 1,10,175 रु होती हैं। परन्तु यह 12 महीने के लिये है अतः 10 महीने के लिये 1,10,175 × $\frac{10}{12}$ = 91,813 रु. का पारिश्रमिक स्वीकृत किया जायेगा।

Illustration 8.

X, Y and Z are three partners of X & Co, sharing profit and loss in the ratio 1 : 2 : 3. The concern is a partnership firm engaged in manufacturing leather goods. The profit and loss account of the firm for the year ending March 31, 1997 is as follows

एक्स एण्ड कम्पनी के एक्स, वाई एवं जैड तीन साझेदार हैं जो लाभ-हानि को 1 : 2 . 3 में विभाजित करते है। यह प्रतिष्ठान साझेदारी फर्म है जो चमड़े का सामान बनाने का कार्य करती है। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न है :

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs.
Cost of goods sold	10,38,000	Sales	20,40,000
Salary to staff	2,26,000	Long term capital gain	3,90,000
Depreciation	3,40,000	Dividends	50,000
		Other business receipts	20,000
Remuneration to partners .			
X	96,000		
Y	48,000		
Z	72,000		
Interest on capital :			
X	40,000		
Y	2,40,000		
Z	60,000		
Other expenses	1,00,000		
Net profit			
X	40,000		
Y	80,000		
Z	1,20,000		
	25,00,000		25,00,000

Other informations are as under :

1. The firm has completed all the legal formalities essential for the status of firm as such.

2. The firm satisfies all the conditions required for the deduction of sec. 80 HH but it is not eligible for the deduction of sec. 80 I or 80 I A.

Solution:

Computation of remuneration deductible under section 40 (b)

		Rs	Rs.
Net profit as per P. & L a/c			
	(Rs. 40,000 + Rs 80,000 + Rs 1,20,000)		2,40,000
Add :	Expenses disallowed :		
	(i) Excess depreciation		
	(Rs. 3,40,000 – Rs 2,50,000)		90,000
	(ii) Remuneration to partners (entire amount)		
	(Rs. 96,000 + Rs. 48,000 + 72,000)		2,16,000
	(iii) Interest on capital (to the extent not deductible)		
	(2/20 of 40,000 + 6/24 of 2,40,000 + 2/20 of 60,000)		70,000
	(iv) Other expenses (to the extent not deductible)		
	(Rs. 20,000 + Rs. 25,000)		45,000
			6,61,000
Less :	Incomes of other heads :		
	(i) Long term capital gains	3,90,000	
	(ii) Dividends	50,000	4,40,000
		Book Profits	2,21,000
Remuneration deductible :			
	on first Rs. 75,000 @ 90%	67,500	
	on next Rs. 75,000 @ 60%	45,000	
	on balance Rs. 71,000 @ 40%	28,400	1,40,900

Computation of Total Income of the firm

Income from Business & Profession .			
Book profits	2,21,000		
Less : Remuneration deductible	1,40,900		
	80,100		
Less : Brought forward business loss	15,000		65,100
Income from Capital gains :			
Long term Capital gain			3,90,000
Income from other sources :			
Dividends			50,000
		Gross Total Income	5,05,100
Less : Deductions :			
U/s 80 G @ 50% of Rs. 10,208		5,104	
U/s 80 HH @ 20% of Rs. 65,100		13,020	18,124
		Total Income	4,86,976
		Rounded off	4,86,980

Tax payable by the firm :

Tax on long term capital gain

3. The firm has given donation of Rs. 20,000 to approved educational institutions which has been included in other expenses and thus debited to profit and loss account.

4 Upto April 1, 1995 there was no provision in the partnership deed to pay any remuneration to the partners. The deed was amended on April 1, 1995 with effect from April 1, 1995 to pay remuneration and interest to partners as under

	Remuneration Rs.	Interest on Capital
X (working partner)	8,000 per month	20% simple interest
Y (sleeping partner)	4,000 per month	24% simple interest
Z (working partner)	6,000 per month	20% simple interest

5. Depreciation as per sec. 32 is allowable to the extent of Rs 2,50,000.

6. Out of the other expenses of Rs 1,00,000 an expenditure of Rs. 25,000 in addition to the donation is not deductible under section 36 and 37.

7. A loss of Rs. 15,000 was brought forward from the assessment year 1994-95.

Compute the total income and the tax payable by the firm for the assessment year 1997-98.

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार है—

1. इस फर्म ने इसे फर्म का स्टेट्स दिये जाने सम्बन्धी सभी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी कर दी है।

2 फर्म धारा-80-HH की कटौती सम्बन्धी आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति करती है परन्तु इसे धारा-80-I अथवा धारा-80 IA की पात्रता नही है।

3 फर्म ने अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं को 20,000 रु. का दान दिया है जिसे अन्य व्ययों की राशि में सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार यह राशि लाभ हानि खाते के नाम पक्ष मे लिख दी गई है।

4. 1 अप्रैल, 1995 तक साझेदारी सलेख में साझेदारों को पारिश्रमिक देने सम्बन्धी कोई प्रावधान नही था। संलेख में 1 अप्रैल, 1995 को संशोधन किया गया तथा इसे 1 अप्रैल, 1995 से लागू किया गया। इसमे साझेदारों को पारिश्रमिक तथा पूँजी पर ब्याज देने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गई—

		पारिश्रमिक	पूँजी पर ब्याज
X	सक्रिय साझेदार	8,000 रु. प्रतिमाह	20% साधारण ब्याज
Y	निष्क्रिय साझेदार	4,000 रु. प्रतिमाह	24% साधारण ब्याज
Z	सक्रिय साझेदार	6,000 रु. प्रतिमाह	20% साधारण ब्याज

5. धारा-32 के अनुसार स्वीकृत ह्रास की राशि 2,50,000 रु. है।

6. 1,00,000 रु. के अन्य व्ययों में दानों के अलावा 25,000 रु. के व्यय धारा-36 एवं 37 के तहत कटौती-योग्य नही है।

7. कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 15,000 रु. की हानि आगे लाई गई है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय तथा देय कर की गणना कीजिए।

Solution:

Computation of remuneration deductible under section 40 (b)

		Rs.	Rs.
Net profit as per P. & L a/c			
	(Rs. 40,000 + Rs 80,000 + Rs. 1,20,000)		2,40,000
Add :	Expenses disallowed :		
	(i) Excess depreciation		
	(Rs. 3,40,000 – Rs. 2,50,000)		90,000
	(ii) Remuneration to partners (entire amount)		
	(Rs. 96,000 + Rs. 48,000 + 72,000)		2,16,000
	(iii) Interest on capital (to the extent not deductible)		
	(2/20 of 40,000 + 6/24 of 2,40,000 + 2/20 of 60,000)		70,000
	(iv) Other expenses (to the extent not deductible)		
	(Rs. 20,000 + Rs. 25,000)		45,000
			6,61,000
Less :	Incomes of other heads :		
	(i) Long term capital gains	3,90,000	
	(ii) Dividends	50,000	4,40,000
		Book Profits	2,21,000
Remuneration deductible :			
	on first Rs 75,000 @ 90%	67,500	
	on next Rs. 75,000 @ 60%	45,000	
	on balance Rs. 71,000 @ 40%	28,400	1,40,900

Computation of Total Income of the firm

Income from Business & Profession :			
Book profits	2,21,000		
Less : Remuneration deductible	1,40,900		
	80,100		
Less : Brought forward business loss	15,000		65,100
Income from Capital gains :			
Long term Capital gain			3,90,000
Income from other sources :			
Dividends			50,000
		Gross Total Income	5,05,100
Less : Deductions :			
U/s 80 G @ 50% of Rs. 10,208		5,104	
U/s 80 HH @ 20% of Rs. 65,100		13,020	18,124
		Total Income	4,86,976
		Rounded off	4,86,980

Tax payable by the firm :

Tax on long term capital gain

@20% on Rs. 3,90,000	78,000
Balance (40% of 96,980)	38,792
	1,16,792

टिप्पणी—(i) साझेदारों को पूँजी पर ब्याज अधिकतम 18% की दर से ही देय है। अत. X और Z के लिये 2% तथा Y के लिये 6% की दर से ब्याज की राशि को पुस्तक लाभों (Book Profits) की गणना करते समय वापस जोड़ दिया गया है। प्रश्न में पूँजी की रकम नहीं दी गई है। केवल ब्याज एव ब्याज की दर दी गई है। इनके आधार पर अस्वीकृत राशि या वापस जोड़ी जाने वाली राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है—

X के लिये $40,000 \times \frac{2}{20} =$ Rs 4,000

Y के लिये $2,40,000 \times \frac{6}{24} =$ Rs. 60,000

Z के लिये $60,000 \times \frac{2}{20} =$ Rs. 6,000

कुल अस्वीकृत ब्याज = Rs 4,000 + Rs. 60,000 + Rs 6,000 = Rs. 70,000

(ii) निष्क्रिय साझेदार Y को दिया गया पारिश्रमिक अस्वीकृत है। X और Z को अधिकतम पारिश्रमिक 1,40,900 रु. का दिया जा सकता है। वास्तव में इनको 1,68,000 रु. का पारिश्रमिक दिया गया है। अत: पहले पुस्तक लाभों की गणना करते समय सम्पूर्ण पारिश्रमिक को अस्वीकृत किया गया है तथा बाद में पुस्तक लाभों से व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय ज्ञात करते समय 1,40,900 रु. ही घटाया गया है।

(iii) अनुमोदित संस्थाओं को दिये गये दान समायोजित सकल कुल आय के 10% से अधिक कटौती योग्य नहीं होते हैं। समायोजित सकल कुल आय ज्ञात करने के लिये सकल कुल आय में से दीर्घकालीन पूँजी लाभ एवं धारा 80-HH की कटौती की राशि को घटा दिया जायेगा। शेष राशि का 10% किया जायेगा। प्रस्तुत प्रश्न में यह राशि Rs. 5,05,100–Rs. 3,90,000–Rs. 13,020 = Rs. 1,02,080 है। उसकी 10% राशि अर्थात् 10,208 रु. कटौती योग्य है। इसके 50% की कटौती दी गई है।

(iv) दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर 20% की दर से एवं अन्य आय पर 40% की दर से कर की गणना की गई है।

Illustration 9.

From the following information compute the total income of the firm and tax payable by it for the assessment year 1997-98.

1. Income from Business & Profession Rs. 80,000 after deducting interest on capital and remuneration to working partners. The interest and remuneration are as per the instrument of partnership and the whole amount is deductible under section 40 (b) as it does not exceed the prescribed limits

2. The business income includes a sum of Rs 40,000 being profits of new industrial undertakings established in June 1991. The industry satisfies

all the conditions required for the deduction of section 80-IA. It also includes Rs. 24,000 as profits from the business of poultry farming.

3 Long term capital gain on sale of house property. The house was purchased in 1984-85 for Rs. 20,000 and it was sold in september 1996 for Rs. 79,870.

4. Long term capital gain on sale of shares. The shares were purchased in April, 1991 for Rs. 50,000 and were sold in June, 1996 for Rs. 69,182.

5. Short term capital gain Rs. 8,000.

6. Dividend received from Indian companies Rs. 8,000.

7. Loss from House Property Rs. 9,000.

8. Winnings from Horse Race Rs. 22,500.

9. Donations to approved charitable institution Rs. 12,500.

निम्नलिखित सूचना से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय एवं इसके द्वारा देय कर की गणना कीजिए—

1. पूँजी पर ब्याज एवं सक्रिय साझेदारों को पारिश्रमिक घटाने के बाद व्यापार एवं पेशे की आय 80,000 रु.। ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारी संलेख के अनुसार ही है तथा इनकी सम्पूर्ण राशि धारा-40 (b) के तहत कटौती योग्य है क्योंकि यह निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

2. व्यापार अथवा पेशे की आय में 40,000 रु. जून, 1991 में स्थापित नये उद्योग के लाभ सम्मिलित हैं। उद्योग धारा 80-IA की कटौती की आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति करता है। इसमें मुर्गी पालन व्यवसाय के 24,000 रु. के लाभ भी सम्मिलित है।

3. मकान सम्पत्ति के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ हुआ है। यह मकान 1984-85 में 20,000 रु. में क्रय किया गया था तथा इसे सितम्बर, 1996 में 79,870 रु. में बेचा गया था।

4. अंशों के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ हुआ है। ये अंश अप्रैल, 1991 में 50,000 रु. में क्रय किये गये थे तथा जून, 1996 में 69,182 रु. मे विक्रय किये गये थे।

5. अल्पकालीन पूँजी लाभ 8,000 रु.।

6. भारतीय कम्पनियों से लाभांश प्राप्त किया 8,000 रु.।

7. मकान सम्पत्ति से हानि 9,000 रु.।

8 घुड़-दौड़ में जीते 22,500 रु.।

9. अनुमोदित पुण्यार्थ संस्थाओं को दान 12,500 रु.।

Solution :

Computation of Total Income of the Firm

			Rs.
1.	Income from house property :		
	Income from let out property		(-) 9,000
2.	Income from Business & Profession :		
	(a) Profits of new industry	40,000	
	(b) Profits of poultry farming	24,000	
	(c) Other business income	16,000	80,000

3. Income from capital gains :			
(a) Long term capital gain from house property :			
Sale Price of house	Rs. 79,870		
Less : Cost of acq. 20,000 Indexed cost of acq. $20{,}000 \times 305 \div 125$	48,800	31,070	
(b) Long term capital gain from shares :			
Sale price of shares	69,182		
Less. Cost of acq. 50,000 Indexed cost of acq. $(50{,}000 \times 305 \div 199)$	76,633	(-) 7,451	
(c) Short term capital gain		8,000	31619
4. Income from other sources :			
(a) Dividend from Indian companies grossed up $\left(8{,}000 \times \frac{100}{80}\right)$		10,000	
(b) Winnings from horse Race 22,500			
Less : Exempt u/s 10 (3) 2,500		20,000	30,000
Gross Total Income			1,32,619
Less · Deduction :			
Deduction u/s 80-I A (25% of Rs. 40,000)		10,000	
Deduction u/s 80 JJ ($33\frac{1}{3}$% of Rs. 24,000)		8,000	
Deduction u/s 80-G (50% of Rs 9,100)		4,550	22,550
Total Income			1,10,069
Rounded off			1,10,070

Computation of Tax payable by firm

(a) Tax on winnings from Horse-race @ 40% on Rs. 20,000 u/s 115 BB	8,000
(b) Tax on Long term capital gain : @ 20% on Rs. 23,619	4,724
(c) Tax on Remaining income @ 40% on Rs 66,450	26,580
Tax Payable	39,304

टिप्पणी—(i) फर्म की मकान सम्पत्ति की हानि को अन्य शीर्षकों की आय से पूरा किया जा सकता है।

(ii) धारा-80 G की कटौती-योग्य राशि समायोजित सकल कुल आय के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। समायोजित सकल कुल आय ज्ञात करने के लिए सकल कुल आय में से धारा-80 CCC से 80 U तक (धारा-80 G को छोड़कर) की कटौतियाँ तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया जाता है। प्रस्तुत प्रश्न में समायोजित सकल कुल आय (Rs. 1,32,619 – 18,000 – 23,619) =91,000 रु. है। इसकी 10% राशि 9,100 रु. कटौती योग्य होगी। इस पर 50% की दर से छूट दी गई है।

फर्म के संगठन में परिवर्तन
(Change in the Constitution of a Firm)

संगठन में परिवर्तन का अर्थ—आयकर अधिनियम की धारा-187 (2) के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म के संगठन में परिवर्तन माना जाता है—

(1) जब एक या एक से अधिक साझेदार फर्म के साझेदार न रहें अथवा एक या एक से अधिक और व्यक्ति फर्म के साझेदार बन जावें, बशर्ते कि पुराने साझेदारों में से कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद भी फर्म में साझेदार रहे।

(2) जब साझेदार तो वही रहें परन्तु उनके लाभ-हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जावे।

संगठन में परिवर्तन होने के बाद कर-निर्धारण—

धारा-187 (1) के अनुसार जब किसी फर्म के संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो कर-निर्धारण के समय जो फर्म की आय का संगठन होता है उसी पर कर-निर्धारण किया जाता है। जहाँ तक फर्म की आय का साझेदारों में वितरण का प्रश्न है गत वर्ष की आय उन सभी साझेदारों में बाँट देते हैं जिन्हें उस आय को प्राप्त करने का अधिकार था।

एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म पर चला जाना
(Succession of one Firm by another Firm)

आय-कर अधिनियम की धारा-188 के अनुसार जब एक फर्म का स्वामित्व दूसरी फर्म के पास चला जाता है तो ऐसी दशा में स्वामित्व में परिवर्तन से पूर्व की फर्म की आय पर पहले वाली फर्म को आयकर चुकाना पडता है और उसके बाद की आय पर उत्तराधिकारी फर्म पर कर-निर्धारण होता है।

फर्म का विघटन अथवा व्यापार का बन्द होना
(Dissolution of Firm or Discontinuance of Business)

यदि कोई फर्म अपना कारोबार बन्द कर देती है या फर्म का विघटन हो जाता है तो आयकर अधिकारी ऐसी फर्म का कर-निर्धारण इस प्रकार करता है कि जैसे न तो फर्म का विघटन हुआ और न ही फर्म ने अपना कारोबार बन्द किया है।

ऐसी फर्म के आयकर सम्बन्धी दायित्वों को चुकाने का पूरा उत्तरदायित्व उन व्यक्तियों का होता है जो फर्म के कारोबार के बन्द होने के समय अथवा फर्म के विघटन के समय साझेदार थे। ये साझेदार संयुक्त रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से दोनों ही प्रकार से उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाये तो उसका कानूनी प्रतिनिधि [illegible] साझेदार द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति तक आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

Illustration 10.

A firm consisting of three partners P, Q and R, and sharing profits equally showed a net loss of Rs. 10,000 after making the following payments to the partners :

एक फर्म ने जिसमें कि समान रूप से लाभो का वितरण करने वाले पी, क्यू और आर तीन साझेदार है, साझेदारों को निम्न भुगतान करने के बाद 10,000 रु. की हानि प्रकट की—

	Rs
Salary paid to R	20,000
Bonus paid to P	15,000
Salary paid to Q	20,000
Interest paid to P @ 15%	5,000
Interest paid to Q @ 18%	10,000
Interest paid to R @ 18%	10,000

Interest and Remuneration paid are in accordance with the partnership deed Compute the total income of the firm for the assessment year 1997-98.

साझेदारों को ब्याज एवं पारिश्रमिक का भुगतान साझेदारी संलेख के अनुसार ही है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिए।

Solution :

		Rs.
Net profit as per P. & L. a/c		(-) 10,000
Add : Remuneration to partners		
Salary paid to R	20,000	
Bonus paid to P	·15,000	
Salary paid to Q	20,000	+55,000
	Book Profits	45,000
Less : Remuneration to partners : 90% of Rs 45,000 = Rs. 40,500 or Rs. 50,000 (whichever is more) or The amount as per deed (whichever is less)		50,000
	Total income of the firm	(-) 5,000

टिप्पणी—फर्म 5,000 रु. की हानि को आगे ले जायेगी तथा पारिश्रमिक एवं ब्याज की राशियाँ साझेदारों की निजी आय में सम्मिलित की जायेगी।

Illustration 11.

A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of A $\frac{1}{2}$, B $\frac{1}{3}$ and C $\frac{1}{6}$. The firm's Profit and loss Account for the year ending 31st March, 1997 showed a net profit of Rs. 2,47,800 before debiting the following amounts :

1. Salary paid to A Rs. 24,000.
2. Salary paid to B Rs. 18,000

3. Salary paid to C Rs. 12,000.

4. Interest on Capital : Rs. 10,000 to A, Rs. 20,000 to B and Rs. 30,000 to C. The rate of interest being 18%.

5. Rent of Rs. 18,000 paid to A for the portion of the building owned by A in which firm's office is situated.

6. Expenses on current repairs of the business premises belonging to partner A Rs. 2,000.

7. Donation to approved bodies Rs 10,000

The net profit of Rs. 2,47,800 includes the following incomes :

(a) Interest on securities Rs. 10,800 (after deduction of tax at source Rs. 1,200).

(b) Income from house property Rs. 27,000 (after deduction of municipal taxes of Rs. 3,000).

(c) Long term Capital gain Rs. 1,10,000 on sale of shares. The shares were purchased in June,1987 for Rs. 15,000 and these were sold in August, 1996 for Rs. 1,25,000.

The interest and remuneration to partners are as per partnership deed.

Compute the total income and tax payable by the firm for the assessment year 1997-98.

अ, ब और स एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभों को अ 1/2, ब 1/3 और स 1/6 के अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते ने निम्न राशियों को नाम लिखने से पूर्व 2,47,800 रु. का शुद्ध लाभ प्रकट किया—

1. अ को चुकाया गया वेतन 24,000 रु.

2. ब को चुकाया गया वेतन 18,000 रु.

3. स को चुकाया गया वेतन 12,000 रु.

4. पूँजी पर ब्याज : अ 10,000 रु., ब 20,000 रु. एवं स 30,000 रु.। ब्याज की दर 18% है।

5. अ के मकान के लिये अ को चुकाया गया किराया 18,000 रु.। इस मकान में फर्म का कार्यालय स्थित है।

6. कार्यालय की इमारत का चालू मरम्मत का व्यय 2,000 रु.। इस इमारत का स्वामी अ है।

7. अनुमोदित संस्थाओं को दान 10,000 रु.।

2,47,800 रु. के शुद्ध लाभ में निम्न आयों को सम्मिलित किया गया है—

(अ) प्रतिभूतियों का ब्याज 10,800 रु. (1,200 रु. के कर की उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती करने के बाद)।

(ब) मकान सम्पत्ति की आय 27,000 रु. (नगरपालिका कर के 3,000 रु. घटाने के बाद)।

(स) अंशों की बिक्री का 1,10,000 रु. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ। अंश जून, 1987 में 15,000 रु. में क्रय किये गये थे तथा इनको अगस्त, 1996 में 1,25,000 रु. में बेचा गया था।

पूँजी पर ब्याज एवं साझेदारों को पारिश्रमिक साझेदारी संलेख के अनुसार ही है।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए।

Solution :

Computation of Business Income of the Firm

		Rs.	Rs.
Net Profit as per P. & L. A/c			2,47,800
Less :	Incomes of other heads included in Business Profits :		
	(a) Interest on securities	10,800	
	(b) Income from House Property	27,000	
	(c) Long term Capital gain	1,10,000	1,47,800
			1,00,000
Less :	Allowable expenses but not debited to P. & L. a/c :		
	(a) Rent of business premises	18,000	
	(b) Repair of business premises	2,000	
	(c) Interest on Capital to all the partners	60,000	80,000
		Book Profits	20,000
Less :	Remuneration to working partners : 90% of Rs. 20,000 = Rs. 18,000 or Rs. 50,000 (whichever is more) OR The amount as per deed i.e. Rs. 60,000 (whichever is less)		50,000
		Business Income	(-)30,000

Computation of Total Income of the Firm

Income from House Property :		
Fair rent being rent received	30,000	
Less : Municipal taxes	3,000	
Annual Value	27,000	
Less : $\frac{1}{5}$ for Repairs & Collection exp.	5,400	21,600
Income from Business & Profession :		(-) 30,000
Income from Capital gain :		
Sale price of shares	1,25,000	
Less : Cost of acquisition 15,000		

Indexed cost of acquisition		
(15,000 × 305 ÷ 150)	30,500	
Long term Capital gain		94,500
Income from Other Sources :		
Interest on securities (gross)		12,000
Gross Total Income		98,100
Less : Deduction u/s 80 G @ 50 % on Rs. 360		180
Total Income		97,920

Computation of Tax Payable by the Firm

Tax on long term Capital gain @ 20% on Rs. 94,500	18,900
Tax on Reduced income @ 40% on Rs. 3,420	1,368
	20,268

टिप्पणी—(i) दिये हुये शुद्ध लाभ में से अन्य शीर्षकों की आय एवं स्वीकृत व्ययों को घटाया गया है। साझेदार के व्यापारगृह का किराया एवं मरम्मत व्यय स्वीकृत व्यय हैं अतः उनको घटाया गया है परन्तु दान स्वीकृत व्यय नही हैं अतः उनको नहीं घटाया गया है।

(ii) व्यापारिक हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से भी की जा सकती है परन्तु ऐसा करना फर्म के लिये हानिकारक है। अतः व्यापारिक हानि की पूर्ति अन्य आय से की गई है।

(iii) धारा-80 G की कटौती के लिये सकल कुल आय में से दीर्घकालीन पूँजी लाभ की राशि को घटा दिया जायेगा। शेष आय का 10% किया जायेगा। प्रस्तुत उदाहरण में 98,100 – 94,500 = 3,600 रु. का 10% अर्थात् 360 रु. ही धारा-80 G के अन्तर्गत कटौती-योग्य राशि है। इसके 50% की कटौती दी गई है।

(iv) दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर 20% एवं अन्य आय पर 40% की दर से कर लगाया गया है।

प्रश्न (Questions)

1. साझेदारी फर्म से आप क्या समझते हैं ? साझेदारी फर्म के रूप में कर-निर्धारण के लिए किन-किन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है ?

   What do you mean by partnership firm ? What conditions should be satisfied for the assessment of a partnership firm as such ?

2. किसी फर्म के साझेदारों को देय ब्याज तथा पारिश्रमिक की कटौती के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं को विस्तार से समझाइये।

Explain in detail the provisions of the Income Tax Act in respect of deduction for interest and remuneration to the partners of a firm.
(Raj. Uni. B.Com. 1994)

3. एक फर्म द्वारा देय कर की गणना करने की प्रक्रिया को समझाइये।
Explain the procedure of computation of tax payable by a firm as such.
(Raj. Uni. B.Com. 1994)

4. साझेदारी फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं ? एक फर्म पर उसके विघटन के बाद होने वाले कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधानों को समझाइये।
What do you mean by dissolutions of a partnership firm ? Explain the provisions of the Income Tax Act in respect of the assessment of a firm after its dissolution.

5. क्या एक साझेदारी फर्म पर व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कर-निर्धारण किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम के प्रावधानों को समझाइये।
Can a partnership firm be assessed as an Association of persons ? If so, explain the provisions of the Income Tax Act in this regard

6. राम और श्याम चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स की एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है ·
Ram and Shyam are partners in a firm of chartered accountants. The profit and loss account of the firm for the year ending as on 31st March, 1997 is as under :

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs
Interest on capital :		Audit fees	2,40,000
@ 18%		Receipt from clients	
Ram	9,000	for tax advice	1,60,000
Shyam	18,000		
Remuneration to partners :			
Ram	1,50,000		
Shyam	90,000		
Depreciation	30,000		
Other expenses	93,000		
Net Profit :			
Ram	5,000		
Shyam	5,000		
	4,00,000		4,00,000

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :

(i) साझेदारों को पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी प्रलेख के अनुसार ही हैं।

(ii) 93,000 रु. के अन्य व्ययों में 13,000 रु. के व्यय कटौती के लिये स्वीकृत नही हैं।

(iii) ह्रास की स्वीकृत राशि 33,000 रु. ही है।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Other informations are as under—

(i) The remuneration to partners and interest on capital are as per the deed of partnership.

(ii) Out of the expenses of Rs. 93,000, a sum of Rs 13,000 in not allowed for deduction.

(iii) Depreciation allowable is Rs. 33,000

On the basis of above information, compute the taxable income from Business or profession of the firm for the assessment year 1996-97.

[122]

उत्तर—फर्म की व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय 86,000 रु. है।

7. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये एक फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है—

The profit and loss account of a firm for the year ending on 31st March, 1997 is as under :

	Rs.		Rs.
Cost of goods sold	2,60,000	Sales	2,90,000
Other expenses	80,000	Net Loss	1,46,000
Interest to partners	24,000		
Remuneration to partners	72,000		
	4,36,000		4,36,000

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) अन्य व्ययों में से 14,000 रु. के व्यय धारा-30, 36 एवं 37 (1) के तहत कटौती योग्य नहीं है।

(2) साझेदारों को दिये गये ब्याज में से 6,000 रु का ब्याज अस्वीकृत है।

(3) साझेदारों को ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारी संलेख की व्यवस्थाओं के अनुसार ही दिया गया है।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर फर्म के व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना कीजिये।

Other informations are as under :

(1) Out of other expenses Rs. 14,000 is not deductible under section 30, 36 and 37 (1).

(2) Rs. 6,000 of the interest given to partners is disallowed.

(3) Interest and remuneration to partners are as per the provisions of partnership deed.

On the basis of above informations, compute the profits from Business or profession of the firm. [123]

उत्तर—व्यापार अथवा पेशे की हानि 1,04,000 रु.।

8. X, Y और Z एक फर्म में समान साझेदार हैं। 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिये फर्म के निम्नलिखित लाभ-हानि खाते से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिए :

X, Y and Z are equal partners in a firm. From the following profit and loss account for the year ending on 31st March, 1997, compute the total income of the firm for the assessment year 1997-98.

Profit and Loss Account

		Rs.		Rs.
Salaries		10,450	Gross profit	60,000
General expenses		12,000	Commission	5,000
Interest on capital			Rent from House property	6,000
X	1,000		Dividend (gross)	5,000
Y	800			
Z	500	2,300		
Salary to X		1,200		
Commission to Y		600		
Bad Debts Reserve		750		
Municipal taxes in respect of let out property		600		
Depreciation Allowance		400		
Net Profit				
X	15,900			
Y	15,900			
Z	15,900	47,700		
		76,000		76,000

साझेदारी संलेख में साझेदारों के लिए पारिश्रमिक या पूँजी पर ब्याज के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

There is no provision for remuneration or interest on capital of the partners in the partnership deed. [124]

उत्तर—फर्म की कुल आय 51,470 रु.।

9. एक फर्म में राम, श्याम तथा गोपाल क्रमशः 1 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि के साझेदार हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है :

Ram, Shyam and Gopal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1 : 2 : 1. The Profit and Loss Account of the firm for the year ended on 31st March, 1997 is as follows :

	Rs.		Rs.
Office Salaries	22,000	Gross Profit	68,000
Rent	4,000	Sundry Receipts	6,000
General Expenses	14,000	Discount	12,800
Interest on Capital		Net Loss	25,200
Ram	15,000		
Shyam	13,500		
Gopal	14,200		
Salary to Shyam	16,500		
Commission to Gopal	12,800		
	1,12,000		1,12,000

यह मानते हुए कि साझेदारों को पूँजी पर ब्याज 24% वार्षिक की दर से दिया गया है तथा पूँजी पर ब्याज, श्याम को वेतन तथा गोपाल को कमीशन साझेदारी सलेख की शर्तों के अनुसार हैं, कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए फर्म की कुल आय ज्ञात कीजिए।
Assuming that the interest on capital of the partners is @ 24% per annum and that interest on capital, salary to Shyam and commission to Gopal are in accordance with the terms of the partnership deed, as certain the total income of the firm for the assessment year 1997-98.

(Raj. Uni. B. Com., 1997)

उत्तर–14,525 रु. की हानि। [125]

10. 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये एक व्यवसाय चलाने वाली साझेदारी फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है :
The Profit and Loss Account of a partnership firm carrying on business for the year ended on 31st March, 1997 is as under :

	Rs.		Rs.
Cost of goods sold	4,95,000	Sales	6,75,000
Remuneration to partners	52,500	Rent of house property	25,000
Interest to partners	30,000	Dividend (gross)	30,000
Municipal taxes of house	2,500		
Other expenses	1,05,000		
Net Profit	45,000		
	7,30,000		7,30,000

अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं :

(i) साझेदारों को ब्याज के सम्बन्ध में केवल 11,500 रु. की कटौती स्वीकृत है।

(ii) अन्य व्ययों के सम्बन्ध में 24,000 रु. की कटौती अस्वीकार्य है।

फर्म की कुल आय एवं कर दायित्व ज्ञात कीजिए।

Other information is as under :

(i) Only Rs 11,500 are allowed as deduction in respect of interest to partners

(ii) Rs. 24,000 are disallowed as deduction in respect of other expenses

Ascertain the total income and tax liability of the firm :

(Sukhadia B. Com., 1997)

उत्तर—फर्म की कुल आय 83,000 रु. एवं देय कर 33,200 रु.। [126]

11 सुरेन्द्र एव महेन्द्र एक फर्म मे समान साझेदार हैं। 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये फर्म का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है :

Surendra and Mahendra are equal partners in a firm The profit and loss account of the firm for the year ending as on 31st March, 1997 is as under .

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs
Interest on capital :		Business profits	2,25,000
@ 24%		Rent from house	
Surendra	24,000	property	20,000
Mahendra	36,000	Profit on sale of	
Remuneration to		house property	80,000
working partners .			
Surendra	48,000		
Mahendra	30,000		
Donation to charitable			
institutions	15,000		
Share of profit :			
Surendra	83,000		
Mahendra	83,000		
	3,25,000		3,25,000

अन्य सूचनाएँ निम्नलिखित हैं :

1. साझेदारों को पारिश्रमिक एवं पूँजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अनुसार ही दिया गया है।
2. सुरेन्द्र ने अपने रहने के लिये एक मकान खरीदने हेतु फर्म से ऋण लिया तथा फर्म को 15,000 रु. का ब्याज भुगतान किया।
3. महेन्द्र ने फर्म मे पूँजी का अंशदान करने के लिये साहूकार से ऋण लिया तथा उसे 30,000 रु. के ब्याज का भुगतान किया।
4. सुरेन्द्र ने सितम्बर 1996 में एक कार 1,50,000 रु. में खरीदी। कार का प्रयोग फर्म पर आने-जाने के लिये तथा अन्य निजी कार्यों के लिये किया जाता है। कार

के प्रयोग का 25% भाग निजी कार्यों के लिए माना जा सकता है। कार के रखने व चलाने के वर्ष भर के व्यय 16,000 रु. माने जा सकते हैं।

5. गत वर्ष में बेची गई मकान सम्पत्ति जून, 1987 में 45,000 रु में क्रय की गई थी। इसे गत वर्ष में 1,25,000 रु. में बेचा गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा साझेदारों की आय मे सम्मिलित की जाने वाली रकम की भी गणना कीजिये :

The other informations are as under .

1. The remuneration and interest on capital paid to partners are in accordance with the partnership deed
2. Surendra took a loan from the firm to purchase a house property and paid Rs 15,000 as interest to the firm
3. Mahendra borrowed money from a money lender to contribute capital in the firm and paid him Rs. 30,000 as interest.
4. Surendra purchased a car for Rs. 1,50,000 in Sept., 1996. The car is used for going to and coming back from the firm and other personal purposes The use of car for personal purposes may be taken as 25%. The expenses for running and maintaining the car for the year are Rs. 16,000.
5. House property sold during the previous year was purchased in June, 1987 for Rs. 45,000. It was sold for Rs. 1,25,000 during the previous year.

Compute the total income of the firm and the amount which will be included in the income of partners for the assessment year 1997-98

[127]

उत्तर—फर्म की कुल आय 1,39,900 रु। सुरेन्द्र की आय में 31,500 रु. एवं महेन्द्र की आय में 33,000 रु. सम्मिलित होंगे।

12. मैं. वांग चुन ग्लास वर्क्स का 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता है:

	रु.		रु.
स्टॉक	30,000	विक्रय	2,50,000
क्रय	1,50,000	स्टॉक	25,000
अर्थदण्ड एवं जुर्माना	59,000	मकान सम्पत्ति का किराया	12,000
कार्यालय व्यय	6,000		
विक्रय व्यय	8,000		
साझेदारों को ब्याज	6,000		
शुद्ध लाभ	28,000		
	2,87,000		2,87,000

(1) पूँजी पर ब्याज श्री वांग को 8% की दर से 6,000 रु. दिया गया है।

(2) ग्लास के अवैध क्रय-विक्रय के कारण अर्थदण्ड एवं जुर्माना लगाया गया है।

(3) साझेदारों को देय पारिश्रमिक वांग 1,00,000 रु. तथा चुन 49,400 रु. लाभ-हानि खाते में डेबिट नहीं किये गये हैं।

श्री वांग और चुन फर्म के समान साझेदार हैं। फर्म द्वारा देय कर तथा साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए।

The Profit and Loss Account of M/s Wang Chun Glas Works for the year ending on 31st March, 1997 is :

	Rs.		Rs.
Stock	30,000	Sales	2,50,000
Purchases	1,50,000	Stock	25,000
Penalties and Fines	59,000	Rent from House	
Offices Expenses	6,000	Property	12,000
Selling Expenses	8,000		
Interest to Partners	6,000		
Net Profit	28,000		
	2,87,000		2,87,000

(1) Interest of Rs. 6,000 @ 8% has been paid to Shri Wang on Capital.

(2) Penalties and fines have been levied because of illegal sale and purchase of glass.

(3) Remuneration payable to partners Wang Rs. 1,00,000 and Chun Rs. 49,400 has not been debited to Profit and Loss Account.

Shri Wang and Shri Chun are equal partnets in the firm.

Compute the tax payable by the firm and the total income of the partners. (M.D. Uni. B. Com., 1995)

उत्तर--फर्म की कुल आय 17,100 रु. एवं देय कर 6,840 रु.। वांग की कुल आय 51,181 रु. एवं चुन की आय 22,319 रु.। [128]

13. निम्न सूचनाओं से कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये एक फर्म की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिये---

1. ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1989 में स्थापित लघुस्तरीय औद्योगिक उद्यम के लाभ 2,00,000 रु.। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को उनकी पूँजी पर 18% की दर से ब्याज देय है तथा सक्रिय साझेदारों को प्रत्येक को 3,000 रु. प्रतिमाह की दर से वेतन देय है। फर्म में एक्स तथा वाई सक्रिय साझेदार हैं तथा जैड निष्क्रिय साझेदार है। एक्स, वाई तथा जैड की पूँजी क्रमश: 1,00,000 रु., 2,00,000 रु. तथा 3,00,000 रु. है। साझेदारों को ब्याज एवं पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

2. अंशों को बेचने से लाभ 18,200 रु.। ये अंश फरवरी, 1996 में 20,000 रु. में खरीदे गये थे तथा दिसम्बर, 1996 में 38,200 रु. में बेच दिये गये।

3. मकान सम्पत्ति के विक्रय से लाभ 1,08,400 रु.। यह मकान सम्पत्ति 1984-85 में 50,000 रु. में क्रय की गई थी तथा जुलाई, 1996 में 1,58,400 रु. में बेच दी गई।
4. एक कम्पनी के अंशों से लाभांश प्राप्त किया 10,400 रु.
5. मकान सम्पत्ति से 8,000 रु. की हानि। यह हानि मकान सम्पत्ति को बनाने हेतु लिये गये ऋण के कारण है।
6. बैंक से ब्याज प्राप्त किया 4,000 रु.।
7. घुड़-दौड़ से आय हुई 12,500 रु.।
8. साम्प्रदायिक सद्भाव के लिये राष्ट्रीय फाउण्डेशन को दान 10,000 रु.
9. पुण्यार्थ संस्थाओं को दान 10,000 रु.।

From the following information compute the total income of the firm *and tax payable by the firm for the assessment year 1997-98 :*

1. Profit from a small scale industrial undertaking established in rural area in 1989 Rs. 2,00,000. Interest on capital @ 18% and salary @ Rs. 3,000 to each working partner is payable as per partnership deed. X and Y are active partners and Z is sleeping partner in the firm Capital of X, Y and Z are Rs. 1,00,000, Rs. 2,00,000 and Rs. 3,00,000 respectively. Interest and remuneration to partners has not been charged.
2. Profit on the sale of shares Rs. 18,200. These shares were purchased in Feb., 1996 for Rs. 20,000 and were sold in December, 1996 for Rs. 38,200
3. Profit on the sale of house property Rs. 1,08,400. The house property was purchased in 1984-85 for Rs. 50,000 and it was sold in July, 1996 for Rs. 1,58,400.
4. Dividend received on shares of a company Rs. 10,400.
5. Loss from house property Rs. 8,000. The loss was on account of interest on loan taken to construct the property.
6. Interest received from bank Rs. 4,000.
7. Winnings from horse-race Rs. 12,500.
8. Donation to National foundation for Communal harmony Rs. 10,000.
9. Donation to charitable institutions Rs. 10,000 [129]

उत्तर—फर्म की कुल आय 73,140 रु.। देय-कर 21,976 रु।

14. निर्मल, बीरु तथा सागर एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं, जिसमें निर्मल तथा बीरु सक्रिय साझेदार है तथा सागर निष्क्रिय साझेदार है। 1996-97 वर्ष के लिए प्रत्येक साझेदार को उसके पूँजी खाते पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज दिया गया, जिसकी

राशि निर्मल के लिए 18,000 रु., बीरु के लिए 27,000 रु. तथा सागर के लिए 36,000 रु. थी। इसके अतिरिक्त 1996-97 में निर्मल को 3,000 रु. प्रति माह, बीरू को 2,000 रु. प्रतिमाह तथा सागर को 1,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में तथा प्रत्येक साझेदार को 10,000 रु. वार्षिक बोनस के रूप में दिये गये।

उपरोक्त भुगतानों का समायोजन करने के पश्चात् फर्म का लाभ 60,000 रु. था, जिसमें 20,000 रु. का दीर्घकालीन पूँजी लाभ भी शामिल था। जाँच-पड़ताल करने पर आपको यह मालूम हुआ कि फर्म के साझेदारी संलेख में 1 जनवरी, 1997 को सशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार 1 जुलाई, 1996 से साझेदारों को उपरोक्त प्रकार से ब्याज, वेतन एवं बोनस देने की व्यवस्था थी, जबकि उससे तुरन्त पूर्व के साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूँजी पर 12% वार्षिक की दर से केवल ब्याज पाने का अधिकार था।

कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए फर्म की कुल आय तथा उस पर देय कर की राशि ज्ञात करिये।

Nirmal, Biru and Sagar are equal partners in a firm in which Nirmal and Biru are working partners and Sagar is a non-working partner. Each partner was given interest on his capital @ 18% per annum for the year 1996-97, the amount of which was Rs. 18,000 for Nirmal, Rs 27,000 for Biru and Rs. 36,000 for Sagar. Apart from it, salary of Rs. 3,000 per month for Nirmal, Rs. 2,000 per month for Biru and Rs. 1,000 per month for Sagar and a bonus of Rs. 10,000 per annum for each partner were paid during 1996-97.

The profits of the firm after adjusting for the above payments were Rs. 60,000 which included Rs. 20,000 of the long term capital gains. On an enquiry, you find that the partnership deed of the firm was amended on 1st January, 1997. According to this amendment the payment to partners for interest, salary and commission as mentioned above was to be made to them with effect from 1st July, 1996, while the immediately preceding partnership deed provided only for interest on capital @ 12% per annum to be paid to the partners.

Ascertain the total income of the firm and tax payable on it for the assessment year 1997-98. **(M. D. Uni. B. Com., 1996)**

उत्तर—कुल आय 1,62,250 रु. एवं देय कर 60,900 रु.। [130]

15. मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी (एक साझेदारी फर्म) में दो साझेदार थे—श्री बंसल तथा श्री कंसल। वित्तीय वर्ष 1996-97 में 1 जनवरी, 1997 को श्री गोयल भी इस फर्म में साझेदार बन गये। बंसल तथा कंसल हानि-लाभ बराबर बाँटते थे। उन्होंने श्री गोयल को लाभ में एक-चौथाई भाग दिया। उनकी पूँजी क्रमश: 80,000 रु. 40,000 रु. तथा 20,000 रु. है। वे पूँजी पर प्रति वर्ष 24% ब्याज पाने के अधिकारी हैं। श्री बंसल तथा श्री कंसल क्रमश: 6,000 रु. एवं 5,000 रु. प्रतिमाह वेतन पाने के अधिकारी हैं जबकि

श्री गोयल 4,000 रु. प्रतिमाह वेतन के अधिकारी हैं। फर्म पेशा सम्बन्धी कार्यों में लगी हुई है तथा उपर्युक्त व्यवस्थाएँ करने के बाद इसके लाभ-हानि खाते ने 60,000 रु. का लाभ प्रकट किया है। कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय एवं फर्म द्वारा देय आय-कर की गणना कीजिये।

There were two partners in M/s Agrawal & Co. (a partnership firm) – Shri Bansal and Shri Kansal During the previous year 1996-97 Shri Goyal also joined this firm on 1st January, 1997 Shri Bansal and Shri Kansal shared profits & losses equally. They gave 1/4th share of profit to Shri Goyal. Their capitals are Rs. 80,000, Rs. 40,000 and Rs. 20,000 respectively. They are entitled to get interest @ 24% per annum on their capitals. Shri Bansal and Shri Kansal are entitled to a salary of Rs. 6,000 per month and Rs. 5,000 per month respectively while Shri Goyal is entitled to a salary of Rs. 4,000 per month. The firm is engaged in professional activities and its profit and loss account revealed a net profit of Rs. 60,000 after making the above payments

Compute the total income of the firm and tax payable by the firm for the assessment year 1997-98. [131]

उत्तर—फर्म की कुल आय 67,500 रु. तथा देय कर 27,000 रु.।

16. अ, ब और स एक कपड़े का व्यापार करने वाली फर्म के साझेदार हैं जो क्रमशः 3, 2 तथा 1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते है। फर्म के 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते ने निम्नलिखित राशियों को नाम या जमा करने से पूर्व 2,57,000 रु. का लाभ प्रकट किया है—

1. साझेदारों को वेतन :

   (अ) 36,000 रु., (ब) 30,000 रु. एवं (स) 24,000 रु.

2. पूँजी पर 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज :

   (अ) 10,000 रु., (ब) 20,000 रु. एवं (स) 30,000 रु.

3. ब के मकान के लिये ब को चुकाया गया किराया 18,000 रु.। इस मकान में फर्म का कार्यालय स्थित है।
4. स के नाम शेष पर 4,000 रु. ब्याज चार्ज किया।
5. अनुमोदित संस्थाओं को दान 10,000 रु.।

उपर्युक्त 2,57,000 रु. के लाभ में निम्न आयों को सम्मिलित किया गया है—

(अ) एक कम्पनी से लाभाँश की प्राप्त 8,000 रु. की राशि।

(ब) मकान सम्पत्ति की आय 15,000 रु. (नगरपालिका कर के 2,000 रु. एवं मरम्मत के व्यय 3,000 रु. घटाने के बाद)

(स) मकान सम्पत्ति की बिक्री का दीर्घकालीन पूँजी लाभ 1,08,400 रु.। यह मकान सम्पत्ति 1984-85 वित्तीय वर्ष मे 50,000 रु. में क्रय की गई थी तथा दिसम्बर, 1996 में 1,58,400 रु. में बेच दी गई।

पूँजी पर ब्याज एवं साझेदारों को पारिश्रमिक साझेदारी संलेख के अनुसार ही है।
कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये फर्म की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए।

A, B and C are partners in a firm doing cloth business sharing profits and losses in the ratio of 3, 2 and 1 respectively. The firm's profit and loss account for the year ending 31st March 1997 showed a net profit of Rs. 2,57,000 before debiting or crediting the following amounts :

1. Salary to partners :

   A – Rs. 36,000, B – Rs. 30,000 and C – Rs. 24,000
2. Interest on capital @ 20% per annum :

   A – Rs. 10,000, B – Rs. 20,000 and C – Rs. 30,000
3. Rent of Rs. 18,000 paid to B for the portion of the building owned by B in which firm's office is situated.
4. Interest of Rs. 4,000 charged on the debit balance of C.
5. Donation to charitable institutions Rs. 10,000.

The net profit of Rs. 2,57,000 includes the following incomes :

(a) An amount of Rs. 8,000 received as dividend from a company.

(b) Income from house property Rs. 15,000 (After deduction of municipal taxes of Rs. 2,000 and Repair expenses Rs. 3,000.)

(c) Long term capital gain on the sale of house property Rs. 1,08,400. The house property was purchased in the financial year 1984-85 for Rs. 50,000 and was sold in December, 1996 for Rs 1,58,400.

The interest and remuneration to partners are as per partnership deed.

Compute the total income of the firm and tax payable by the firm for the assessment year 1997-98. [132]

उत्तर—फर्म की कुल आय 65,050 रु. एवं देयकर 18,740 रु.।

■■■

APPENDIX–I

कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से लागू होने वाले प्रावधान

वित्त अधिनियम, 1997 के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान जिनको कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रभावशील बनाया गया है निम्न हैं—

(1) घरेलू कम्पनी द्वारा वितरित धारा 115-O में वर्णित लाभांश को पूर्णतया कर मुक्त कर दिया गया है। अब यह धारा 80-L की कटौती का एक मद भी नहीं रहेगा। धारा 115-O नई जोड़ी गई है जिसके तहत घरेलू कम्पनी वितरित किये गये लाभांश पर 10% की दर से स्वयं आय-कर देगी। ऐसे लाभांश पर अंशधारी कर नहीं देगा।

(2) धारा 16 (i) के तहत प्रमाणिक कटौती (Standerd Deduction) वेतन शीर्षक की सकल आय का $33\frac{1}{3}\%$ अथवा 20,000 रु. (दोनों में जो भी कम हो) के बराबर दी जायेगी। अब आय की सीमा की कोई शर्त नहीं रहेगी।

(3) कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन कार्य में लगी हुई कम्पनी को शोध कार्यों पर किये गये व्यय के $1\frac{1}{4}$ गुने के बराबर कटौती दी जायेगी। परन्तु भूमि एवं भवन की लागत के सम्बन्ध में यह कटौती नहीं दी जायेगी।

(4) धारा 37 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) को निरस्त कर दिया गया है। इन धाराओं एवं इनसे सम्बन्धित नियमों के तहत अस्वीकृत किये जाने वाले व्ययों को अब अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। इन व्ययों को अब धारा 37(1) के तहत ही स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा। इन धाराओं में निम्न व्यय आते हैं—

(i) मनोरंजन व्यय (ii) विज्ञापन व्यय

(iii) यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता (iv) अतिथिगृह के व्यय

परन्तु धारा 37 (2B) के तहत राजनीतिक दलों की मैगजीन में दिये गये विज्ञापन के व्यय अस्वीकृत ही होंगे।

(5) सरकार द्वारा जारी किये गये कुछ Capital Indexed Bonds को छोड़कर शेष ऋण-पत्रों एवं बॉण्ड्स के दीर्घकालीन पूँजी लाभों की गणना करते समय वास्तविक लागत ही घटाई जायेगी, निर्देशित लागत (Indexed Cost) नहीं।

(6) अन्य साधनों से आय शीर्षक में धारा 57 के तहत पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में दी जाने वाली प्रमाणिक कटौती की अधिकतम सीमा 12,000 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. कर दी गई है।

(7) निम्न धाराओं को निरस्त कर दिया गया है—

(i) धारा 80 GG के तहत दी जाने वाली किराये के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती।

(ii) धारा 80JJ के तहत दी जाने वाली कुक्कुट पालन के लाभों के सम्बन्ध में कटौती।

(iii) धारा 80M के तहत कम्पनी को अन्तर्कम्पनी लाभांश के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती।

(8) व्यष्टि करदाता, हिन्दू अविभाजित परिवार एवं व्यक्तियों के समुदाय के लिये आयकर की दरें निम्न प्रकार होंगी —

प्रथम 40,000 रु पर	कोई कर नहीं
अगले 20,000 रु पर	10%
अगले 90,000 रु. पर	20%
शेष आय पर	30%

(9) घरेलू कम्पनियो पर $7\frac{1}{2}$% की दर से लगाये जाने वाले सर-चार्ज को समाप्त कर दिया गया है।

(10) घरेलू कम्पनियों पर कर की दर 35% एवं अघरेलू या विदेशी कम्पनियों पर कर की दर 48% कर दी गई है।

(11) फर्म पर अब 35% की दर से कर लगेगा।

(12) वरिष्ठ नागरिकों को धारा 88B के तहत दी जाने वाली छूट में संशोधन किया गया है। अब इस धारा के तहत देय सम्पूर्ण कर की राशि अथवा 10,000 रु. (दोनो में से जो भी कम हो) के बराबर राशि की छूट दी जायेगी। अब सकल कुल आय पर सीमा सम्बन्धी बन्धन भी नही रहेगा।

(13) फुटकर व्यापारियों पर कर-निर्धारण की नई व्यवस्था लागू की गई है। धारा 44 (AE) के तहत जिन फुटकर व्यापारियो की बिक्री 40 लाख रु. से अधिक नहीं हो तो उनके शुद्ध लाभ बिक्री के 5% के बराबर मान लिये जायेंगे। परन्तु यदि व्यापारी ने अधिक लाभ प्रकट किये है तो व्यापारी द्वारा प्रकट लाभ माने जायेंगे। यदि कोई व्यापारी 5% से कम लाभ होने का दावा करता है तो उसे या तो बहीखातों को अंकेक्षक से सत्यापित कराना होगा अथवा निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इन लाभों में धारा 30 से 38 तक की कोई कटौती नही दी जायेगी, परन्तु फर्म को धारा 40(b) की कटौती मिलेगी।

(14) सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर धारा 80 -L के तहत 3,000 रु. की अतिरिक्त कटौती मिल सकेगी।

(15) प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 12% तक कर-मुक्त रहेगा।

(16) वस्तु के रूप में दी जाने वाले इनाम को देने वाले व्यक्ति को 1 जून, 1997 से इनाम की वस्तु देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि पाने वाले ने कर का भुगतान कर दिया है।

□□

APPENDIX–II

शुद्ध कृषि आय की गणना सम्बन्धी नियम

(Rules for calculating Agricultural Income)

इस पुस्तक के अध्याय 1 में कृषि आय की परिभाषा एवं अर्थ दिया गया है, तथा इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कौन-कौन सी आय कृषि आय हैं। इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि कृषि आय आयकर से मुक्त है और इसे करदाता की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। परन्तु आयकर की गणना करने के लिये शुद्ध कृषि आय को भी करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है। और एक विशेष ढंग से करदाता द्वारा देय आयकर की गणना की जाती है। इस ढंग से आयकर की गणना हेतु करदाता की आय में केवल शुद्ध कृषि आय ही जोड़ी जाती है, अतः यह समझना आवश्यक है कि शुद्ध कृषि आय (Net Agricultural income) की गणना किस प्रकार से की जाती है।

शुद्ध कृषि आय की गणना (Computation of net agricultural income)–कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए आयकर अधिनियम में शुद्ध कृषि-आय की गणना के लिए निम्नलिखित नियम दिए गए हैं—

(1) कृषि-भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान की आय की गणना बिल्कुल उसी प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार से 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना की जाती है। ऐसी आय की गणना करते समय वे खर्चे (करदाता के व्यक्तिगत खर्चों एवं पूँजीगत प्रकृति के खर्चों को छोड़कर) जो पूर्णतया इस प्रकार के लगान अथवा किराया कमाने के उद्देश्य से किये हों, शुद्ध कृषि आय की गणना करने हेतु घटा दिये जायेंगे।

(2) कृषि-भूमि की ऐसी आय जो कृषि की क्रियाओं के करने अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया के करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त की गई हो, अथवा कृषि-भूमि से लगे हुए मकान से प्राप्त आय (ऐसे मकान की आय को छोड़ते हुए जिसका प्रयोग भूमि का मालिक अथवा किसान अपने रहने के लिए करता है) की गणना बिल्कुल उसी प्रकार से की जायेगी जिस प्रकार से कि 'व्यापार अथवा पेशे की आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य लाभों की गणना की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा-30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 40-A [उपधारा (3) एवं (4) को छोड़कर] 41, 43, 43-A, 43-B एवं 43-C में वर्णित खर्चे जो व्यापार अथवा पेशे की कर-योग्य आय की गणना करने हेतु घटाये जाते हैं, शुद्ध कृषि आय की गणना करने के लिए भी घटाये जायेंगे।

(3) कृषि-भूमि से लगे हुए किसी मकान की आय (जिसका प्रयोग किसान द्वारा अथवा भूमि के मालिक द्वारा अपने रहने के उपयोग के लिए किया जाता है) की गणना ठीक उसी प्रकार से की जायेगी, जिस प्रकार से 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना की जाती है। ऐसी मकान सम्पत्ति पर आय-कर अधिनियम की धारा-23 से 27 तक की व्यवस्थायें जिस सीमा तक लागू की जा सकती हैं, की जायेंगी।

वे कृषि भवन सम्पत्तियाँ जो कि करदाता के अन्य कृषि कार्यों जैसे भण्डारगृह आदि के काम में लाई जाती हैं उन पर आयकर अधिनियम की वे सभी व्यवस्थायें लागू होती हैं जो व्यापार के उपयोग में लाए जाने वाले भवनों पर लागू होती हैं।

(4) ऐसे करदाता जो स्वयं के खेतों पर ही चाय का उत्पादन, निर्माण एवं विक्रय का व्यवसाय करते हैं उनकी इस प्रकार की आय (जिसकी गणना Income-Tax Rules, 1962 के Rule 8 के अनुसार की गई है) का 60% कृषि आय मानी जाएगी।

(5) यदि करदाता किसी ऐसे व्यक्ति के समूह अथवा संघ (हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी एवं फर्म को छोड़कर) का सदस्य है और ऐसे संघ अथवा समूह की कर-योग्य गैर-कृषि आय नहीं है अथवा 40,000 रु. से कम है परन्तु कृषि आय है, तो ऐसी दशा में इस प्रकार के संघ की आय अथवा हानि इन नियमों के अनुसार निकाल ली जायेगी और इस प्रकार निकाली गई कृषि आय अथवा हानि में सदस्यों का भाग फर्म में उसके हिस्से की कृषि आय अथवा हानि मानी जायेगी।

(6) यदि कृषि आय के किसी एक साधन से हानि है तो इस प्रकार की हानि अन्य किसी साधन की कृषि आय से पूरी की जा सकती है।

परन्तु व्यक्तियों के समूह अथवा संघ के सदस्य का समूह अथवा संघ की कृषि हानि में हिस्सा उसकी अन्य किसी साधन की कृषि आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।

(7) राज्य सरकार के द्वारा कृषि आय पर लगाया गया कर कृषि आय की गणना करते समय घटा दिया जाएगा।

(8) (i) यदि कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित गत वर्ष में शुद्ध कृषि आय है तथा कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1996-97 तक से सम्बन्धित गत वर्ष में कृषि से हानि है तो उस कृषि हानि की पूर्ति कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित गत वर्ष की शुद्ध कृषि आय से की जा सकेगी।

(ii) यदि किसी फर्म के संविधान में परिवर्तन हो जाता है तो अवकाश प्राप्त साझेदार अथवा मृतक साझेदार के हिस्से की कृषि हानि की पूर्ति ऐसे साझेदार के हिस्से की कृषि आय तक ही की जा सकेगी। ऐसे साझेदार के हिस्से की हानि अन्य कोई साझेदार पूरी नहीं कर सकेगा।

(iii) उत्तराधिकार के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से एक करदाता की कृषि आय का साधन दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है तो उप वाक्य (i) में उल्लेखित हानि की पूर्ति अन्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा।

(iv) इस नियम में भले ही कोई भी व्यवस्था क्यों न हो जब तक आयकर अधिकारी से हानि का निर्धारण नहीं करा लिया जायेगा तब तक उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

(9) उपरोक्त नियमों के अनुसार गणना करने के परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो इस प्रकार की हानि का कुछ नहीं किया जायेगा एवं कृषि आय शून्य मानी जाएगी।

(10) आयकर अधिनियम में कुल आय का निर्धारण करने हेतु जो कर निर्धारण की प्रक्रिया दी गई है वह प्रक्रिया कुछ आवश्यक संशोधन सहित शुद्ध कृषि आय की गणना करने हेतु लागू होगी।

(11) करदाता की शुद्ध कृषि आय की गणना करने हेतु निर्धारण अधिकारी को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे करदाता की कुल आय या कर-निर्धारण हेतु आयकर अधिनियम में प्राप्त हैं।

इस प्रकार निकाली गई शुद्ध कृषि आय को आय के किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ा जाता है। परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उपरोक्त ढंग से निकाली गई शुद्ध-कृषि आय को करदाता द्वारा देय कर की गणना हेतु कुल आय में शामिल किया जाता है और एक विशेष ढंग से आयकर की गणना की जाती है।

शुद्ध कृषि आय को शामिल करके किस प्रकार से आयकर की गणना की जाती है इसका विस्तृत विवरण 'कर की गणना' वाले अध्याय में किया गया है।

APPENDIX–III

THE EIGHTH SCHEDULE

[See. Section 80-1A (2) (iv) (b)]

List of Industrially Backward states and Union Territories

(1) Arunachal Pradesh
(2) Assam
(3) Goa
(4) Himachal Pradesh
(5) Jammu and Kashmir
(6) Manipur
(7) Meghalaya
(8) Mizoram
(9) Nagaland
(10) Sikkim
(11) Tripura
(12) Andaman and Nicobar Islands
(13) Dadra and Nagar Haveli
(14) Daman and Diu.
(15) Lakshadweep
(16) Pondicherry.

APPENDIX–IV

THE ELEVENTH SCHEDULE

[See Section 32-A, Section 32-AB, Section 80-CC (3) (a) (i), Section 80-I (2) and Section 88 A (3) (a) (i)]

List of Articles or things

1 Beer, wine and other alcoholic spirits.
2. Tobacco and tobacco preparations, such as, cigars and cheroots, cigarettes, biris, smoking mixtures for pipes and cigarettes, chewing tobacco and snuff.
3. Cosmetics and toilet preparations.
4 Tooth paste, dental cream, tooth powder and soap.
5. Aerated waters in the manufacture of which blended flavouring concentrates in any form are used.
   Explanation : "Blended flavouring concentrates shall include synthetic essences in any form."
6. Confectionery and chocolates
7 Gramophones, including record-players and gramophone records.
8. Projectors.
9. Photographic apparatus and goods.
10 Office machines and apparatus such as typewriters, calculating machines, cash registering machines, cheque writing machines, intercom machines and teleprinters.
   Explanation – The expression "Office machines and apparatus" includes all machines and apparatus used in offices, shops, factories, workshops, educational institutions, railway statio[illegible] hotels and restaurants for doing office work and for data processing (not being computers within the meaning of section 32 AB).
11. Steel furniture, whether made partly or wholly of steel.
12. Safes, strong boxes, cash and deed boxes and strong room door[illegible]
13. Latex foam sponge and polyurethane foam.
14. Crown corks or other fittings of cork, rubber, polehylene or any other material.
15. Pilfer-proof caps for packaging or other fittings of cork, rubber, [illegible]hylene or any other material.

APPENDIX–V

THE TWELFTH SCHEDULE

[See Section 80 HHC (2) (b) (ii)]

PROCESSED MINERALS AND ORES

(i) Pulverized or micronised-barytes, calcite, [illegible], pyrophyllite, wollastonite, zircon, bentonite, red or yellow oxide, red or yellow ocure, talc, quartz, felspar, silica powder, garnet, sillimanite, fireclay, ballclay, manganese dioxide ore.

(ii) Processed or activated – bentonite, diatomious earth, fuller's earth.

(iii) Processed – kaolin (china clay), whiting, calcium carbonate.

(iv) Beneficated – chromite, flourspar, graphite, vermiculite, ilminite, brown ilminite (lencoxene) rutile, monazite and other mineral concentrates.

(v) Mica blocks, mica splittings, mica condenser films, mica powder, micanite, silvered mica, punched mica, mica paper, mica tapes, mica flakes.

(vi) Exfoliated – vermiculite, calcined kyanite, magnesite calcined magnesite, calcined alumina.

(vii) Sized iron ore processed by mechanical screening or crushing and screening through dry process or mechanical crushing, screening, washing and classification through wet process.

(viii) Iron ore concentrates processed through crushing, grinding or magnetic separation.

(ix) Agglomerated iron ore.

(x) Cut and polished minerals and rocks including cut and polished granite.

Explanation : For the purposes of this Schedule, "processed" [illegible] in relation to any mineral or ore, means—

(a) dressing through mechanical means to obtain [illegible] removal of gangue and unwanted deleterious [illegible] through other means without altering the mine[illegible]

(b) pulverisation, calcination or micronisation.

(c) agglomeration from fines,

(d) cutting and polishing,

(e) washing and levigation,

(f) benefication by mechanical crushing and [illegible] process,

(g) sizing by crushing, screening, washing [illegible] wet process,

(h) other upgrading techniques such as removal of impuritie through chemical treatment, refining by gravity separatior bleaching, floatation or filtration.

APPENDIX–VI

फुटकर व्यापारियों एवं धन्धे वाले व्यक्तियों के कर-निर्धारण के लिए विशेष व्यवस्था

यदि कोई व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है तो उस पर कर निर्धारण वर्ष 1997-98 में विशेष व्यवस्था के अनुसार कर-निर्धारण किया जायेगा—

(i) कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 के पूर्व उस पर कभी भी कर-निर्धारण नहीं हुआ हो।

(ii) यदि करदाता फुटकर व्यापार चलाता है तो उसकी गत वर्ष की बिक्री 7 लाख रुपये से अधिक नहीं हो तथा उसकी ऐसे व्यापार की गत वर्ष की आय 49,330 रुपये से अधिक नहीं है, अथवा

यदि करदाता भोजनालय चलाने का व्यवसाय करता है अथवा 12 सवारियों तक बैठने की व्यवस्था वाली मोटर गाड़ी चलाता है अथवा तिपहिया मोटर वाहन चलाता है अथवा उनको किराये पर देने या लीज पर देने का व्यवसाय करता है तो ऐसे व्यवसाय से उसकी गत वर्ष की आय 49,330 रुपये से अधिक नहीं है, अथवा

यदि करदाता सिलाई, बाल कटाई, कपड़े धुलाई, टाइप करने, फोटो कापी करने अथवा किसी भी प्रकार की मरम्मत का कार्य करने के धन्धे में लगा हुआ है तो गत वर्ष में ऐसे धन्धे से उसकी आय 49,330 रुपये से अधिक नहीं है।

(iii) ऐसे करदाता की गत वर्ष में वाक्यांश (ii) में वर्णित आय के अलावा अन्य किसी साधन से कोई आय नहीं है।

(iv) ऐसे करदाता ने सम्बन्धित गत वर्ष की 31 मार्च तक निर्धारित विवरण प्रस्तुत कर दिया है तथा देय कर का भुगतान कर दिया है।

विशेष व्यवस्था—ऐसे करदाता की कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिये कुल आय 49,330 रुपये मानी जायेगी तथा उसे 1,400 रुपये कर के रूप में चुकाने होंगे। ऐसे करदाता को आय का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि किसी करदाता की अन्य साधनों की आय 5,000 रुपये से अधिक है तो उस पर इस धारा की व्यवस्था लागू नहीं होगी। यदि उसकी अन्य साधनों की आय है परन्तु 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो उसकी अन्य साधनों की आय को 49,330 रुपये में जोड़कर उसकी कुल आय का निर्धारण किया जायेगा तथा अग्रिम कर की दरों के आधार पर देय कर की गणना की जायेगी परन्तु उसको धारा 80-L के अलावा अन्य कोई कटौती नहीं दी जायेगी तथा उसको धारा 88 एवं 88 B की भी कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

■